

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

Economy of Rajasthan

(महर्षि दयानन्द मगस्वी विश्वविद्यालय, अजमेर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रथम वर्ष कला के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित)

110661

W. G. C. BOOKS

नरेन्द्र कुमार बड़ाना
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर

रतन लाल मेहरा
व्याख्याता,
राजकीय महाविद्यालय,
किशनगढ़

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
सहायक निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
अजमेर

सशोधित संस्करण
1999-2000




नाकोड़ा पब्लिशिंग हाऊस

प्रकाशक

नाकोड़ा पब्लिशिंग हाऊस

बी-132, जनता कॉलोनी,
जयपुर फोन - 605266

ए-103 मानमरोवर कॉलेज,
वैशाली नगर, अजमेर
फोन - 641668 (O)
428512 (R)
641275 (R)



© प्रतिलिप्याधिकार लखकाधीन

प्रथम संस्करण 1998-1999

द्वितीय संस्करण 1999-2000

111111

मूल्य 140/- एक सौ चालीस रुपये

लेजर टाईप मॉर्टग

कम्प्यूटर सोल्यूशन्स

30, जीवा विहार कॉलोनी

अजमेर

मुद्रक

नफीस ऑफसेट प्रेस,

जयपुर

Printing & Publishing rights reserved with the publisher No part of this book may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the written permission of the Authors

Due care and diligence has been taken while writing editing and printing this book neither the Authors nor the Publisher of the book hold any responsibility for any mistakes whatsoever

In case of any dispute all cases will be subject to Jaipur jurisdiction

प्राक्कथन

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों हेतु "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" की यह पुस्तक प्रस्तुत करते हुये हमे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक को विद्यार्थियों के लिये उपयोगी बनाने हेतु लेखकों ने हर सम्भव प्रयास किया है यथा

- छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव अत्यन्त सरल भाषा-में पुस्तक की रचना की गई है।
- उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विषय को बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है।
- प्रामाणिक तथ्यों व आकड़ों का समावेश करने के लिये आर्थिक समीक्षा, स्टैटिस्टिकल एब्सट्रैक्ट नवीं पधवर्षीय योजना, भारत (संदर्भ ग्रंथ), आर्थिक सर्वेक्षण विश्व विकास प्रतिवेदन मानव विकास प्रतिवेदन, इकॉनॉमिक टाइम्स, योजना तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं व प्रतिवेदनों का प्रयोग किया गया है।
- यथासंभव सभी आकड़ों व तथ्यों के स्रोतों को उद्धृत किया गया है।
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग सभी बिन्दुओं के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी दिए गए हैं।
- यथेष्ट सामग्री के समावेश के लिए, आधुनिक कम्प्यूटरीकृत तकनीक द्वारा ठोस मुद्रण का प्रयोग किया गया है।
- विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली के अनुरूप परीक्षोपयोगी प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक की पांडुलिपि को वर्तमान स्वरूप देने, उसे समय पर प्रकाशित कराने में श्री महेश गुप्ता, प्राध्यापक, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, श्री पी एम जैन, प्राचार्य आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय गंगापुर (भीलुवाड़ा), नाकोडा पब्लिशिंग हाऊस जयपुर-अजमेर एवं कम्प्यूटर सोल्यूशन्स अजमेर का अपार सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। परिवार-जनों ईष्टमित्रों के सहयोग के बिना इस कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन सभी के प्रति आभार।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी तथा कला के विद्यार्थियों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये आपके रचनात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है।

लेखकगण

अनुक्रमणिका

(INDEX)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति (POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY) 1-13
राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया - 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक - 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति - 4, राजस्थान में आर्थिक विकास की भांति 10 अभ्यासार्थ प्रश्न - 12
2. राजस्थान में मानवीय संसाधन (HUMAN RESOURCES IN RAJASTHAN) 14-31
जनसंख्या का महत्व - 14, राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं सर्वाङ्गी - 15, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर - 17 राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या - 19 राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण - 21, राजस्थान में स्त्री-पुरुष अनुपात - 22, राजस्थान में जनसंख्या का घातक व असमान वितरण - 23, राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन जाति - 24 राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक - 25, राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम - 27 अभ्यासार्थ प्रश्न - 30
3. राजस्थान में निर्धनता की समस्या (PROBLEM OF POVERTY IN RAJASTHAN) 32-38
गरीबी व अमीरी की रेखा - 33 निर्धनता की कैलेंडरी आधारित अवधारणा के दाय - 34, राजस्थान में निर्धनता की स्थिति - 35 राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव - 35, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम - 37 जिला निर्धनता निवारण परियोजना - 37, अभ्यासार्थ प्रश्न - 39
4. राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या (PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN) 39-49
बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार - 39 बेरोजगारी की अवधारणाएँ - 40 राजस्थान में श्रम शक्ति - 40 राजस्थान में रोजगार - 41 राजस्थान में बेरोजगारी का आकार - 43 राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्पन्नता - 44 राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति - 45 राजस्थान में बेरोजगारी के कारण - 46, राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के सुझाव - 47 नवीं योजना में रोजगार सृजन की रणनीति - 48 राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कार्यक्रम - 49 अभ्यासार्थ प्रश्न - 49
5. राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन (NATURAL RESOURCES OF RAJASTHAN) 49-87
प्राकृतिक संसाधनों से आरम्भ - 50 प्राकृतिक संसाधनों के महत्व - 51 राजस्थान की भूमि सम्पदा - 53, राजस्थान की जलवायु - 54, राजस्थान के प्राकृतिक भाग - 55 राजस्थान की मिट्टियाँ - 60, राजस्थान की वन सम्पदा - 62 राजस्थान की जल सम्पदा - 68, राजस्थान की पशु सम्पदा - 72 राजस्थान की खनिज सम्पदा - 74 अभ्यासार्थ प्रश्न - 86

6. राज्य का घरेलू उत्पाद (STATE DOMESTIC PRODUCT)

88-96

घरेलू उत्पाद का अर्थ - 89, राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ - 89, राज्य के घरेलू उत्पाद का ढाचा एवं उसकी गणना - 91, राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधि - 93, राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाईयाँ - 94, राज्य के घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव - 94, राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व अथवा उपयोग - 95, अभ्यासार्थ प्रश्न - 96

7. पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएँ (ENVIRONMENTAL POLLUTION & PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

97-128

परिस्थितिकी सतुलन - 97, प्रदूषण 98, विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा परिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 105, भारत में प्रदूषण की स्थिति व परिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 107, राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति व परिस्थितिकी सतुलन के प्रयास - 110, सुस्थिर विकास की अवधारणा - 116, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएँ - 116, अभ्यासार्थ प्रश्न - 127

8. कृषि, भू-उपयोग, फसल प्रारूप एवं प्रमुख फसलें (AGRICULTURE LAND UTILISATION, CROPPING PATTERN & MAJOR CROPS)

128-170

राजस्थान में कृषि का महत्व - 128, राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ - 131, राजस्थान में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना/हरित क्रांति हेतु अपनाए गए कार्यक्रम - 133, राजस्थान में योजनाकाल के अन्तर्गत कृषि विकास - 143, राजस्थान की आठवाँ योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना - 146, राजस्थान की नवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना - 147, राजस्थान में भू-उपयोग - 147, राजस्थान में फसलों का प्रारूप - 151, राजस्थान में कृषि जलवायु छद्म - 153, राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें - 155, राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान - 166, अभ्यासार्थ प्रश्न - 169

9. राजस्थान में भूमि सुधार (LAND REFORMS IN RAJASTHAN)

170-181

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य - 170, राजस्थान में भू सुधारों की पृष्ठभूमि - 172, राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियाँ - 172, राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन - 173, भूमि सुधारों की प्रगति - 176, राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएँ व सुझाव 177, राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 - 180, अभ्यासार्थ प्रश्न - 181

10. राजस्थान में पशु पालन (ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN)

182-201

राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशु गणना, 1997 - 183, राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण - 184, राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु - 184, राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम व सुविधाएँ 186, योजनाकाल में पशु पालन का विकास - 193, राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु संपदा का महत्व - 194, राजस्थान में पशु पालन की समस्याएँ तथा सुझाव - 195, राजस्थान में कुकुर पालन - 197, राजस्थान में मत्स्य पालन - 198, अभ्यासार्थ प्रश्न - 200

- 11. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम (DAIRY DEVELOPMENT PROGRAMME IN RAJASTHAN)** **202 - 209**
- राजस्थान में डेयरी विकास की पृष्ठभूमि - 203, राजस्थान के डेयरी सयत्र - 203, राजस्थान के पशु आहार सयत्र - 205, जिला दुग्ध सहकारी संघ एवं राजस्थान सहकारी फीडिंग लि - 205, डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम - 206, आठवीं व नववीं योजना में डेयरी विकास - 207, राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएँ व समाधान के उपाय - 208, अभ्यासार्थ प्रश्न - 209
- 12. राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन (SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN)** **210 - 216**
- राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या - 211, भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण - 211, राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें - 211, भेड़ व बकरी पालन से संबंधित विभिन्न योजनाएँ कार्यक्रम व सुविधाएँ - 212 भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्याएँ व सुझाव - 215, अभ्यासार्थ प्रश्न - 216
- 13. राजस्थान का संरचनात्मक विकास (INFRA-STRUCTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)** **217 - 254**
- राजस्थान में सिंचाई - 217, राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर परियोजना - 222, राजस्थान की अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ - 229 योजनाकाल में सिंचाई का विकास - 238 राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति - 239, राजस्थान में सिंचाई संबंधी समस्याएँ व सुझाव - 240, राजस्थान में शक्ति - 241, राजस्थान में ऊर्जा विकास के मदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका - 246, ऊर्जा के साधनों की समस्याएँ और समाधान - 247 राजस्थान में सड़कों का विकास - 248, राजस्थान में रेल परिवहन - 250 अभ्यासार्थ प्रश्न - 253
- 14. राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योग (INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INDUSTRIES IN RAJASTHAN)** **255 - 293**
- औद्योगिकरण का अर्थ - 255, राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगिकरण का महत्व - 256 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ - 258 राजस्थान में औद्योगिक विकास - 261 राजस्थान में औद्योगिक विकास की समस्याएँ - 264, राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण/फैलाव/असमानताएँ - 265, राजस्थान में औद्योगिक विकास की जिलावार क्षेत्रीय असमानताएँ - 266 राजस्थान के बृहद उद्योग - 271, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग - 289, अभ्यासार्थ प्रश्न - 292
- 15. राजस्थान में लघु व ग्रामीण उद्योग तथा हस्तकलाएँ (SMALL SCALE & VILLAGE INDUSTRIES AND HANDICRAFTS IN RAJASTHAN)** **294 - 312**
- लघु व कुटीर उद्योग का अर्थ - 294, लघु व कुटीर उद्योगों में अंतर - 295, लघु व कुटीर उद्योगों का महत्व या भूमिका - 296, लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक समस्याएँ - 297, राजस्थान के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग - 299, राजस्थान में हस्तशिल्प - 306 राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ व उनके सुझाव - 311 अभ्यासार्थ प्रश्न - 312

- 16. राजस्थान की औद्योगिक नीति, सुविधाएं व रियायतें (INDUSTRIAL POLICY, FACILITIES & CONCESSIONS IN RAJASTHAN)** **313-334**
- औद्योगिक नीति का अर्थ व महत्व - 313, राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1990 - 314, राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 - 325, नई औद्योगिक नीति, 1998 - 330, राजस्थान में औद्योगिक विकास की बाधाएं व इनके निराकरण हेतु सुझाव - 331, अभ्यासार्थ प्रश्न - 333
- 17. राजस्थान में औद्योगिक वित्त एवं विकास में संस्थागत योगदान (ROLE OF VARIOUS INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL FINANCE AND DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)** **335-360**
- राजस्थान राज्य वित्त निगम - 336, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम - 340, राजस्वो को - 349, राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/निगम - 356, भारत को औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्थाएं - 357, राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएं व सुझाव - 359, अभ्यासार्थ प्रश्न - 359
- 18. राजस्थान में पर्यटन विकास (TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)** **361-374**
- पर्यटन का महत्व - 361, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास - 362, राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 366, आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 366, राजस्थान की पर्यटन नीति - 368, राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति - 370, राजस्थान पर्यटन विकास निगम - 370, आठवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 371, नवीं योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास - 371, राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएं - 372, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल - 372, अभ्यासार्थ प्रश्न - 374
- 19. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम (SPECIAL AREA PROGRAMMES)** **375-412**
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (RDP - 376, जन-जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TAOP - 391, मरु विकास कार्यक्रम DDP - 397, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम DPA - 399, आवासीय विकास कार्यक्रम ADP - 407, अभ्यासार्थ प्रश्न - 411
- 20. राजस्थान में आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN)** **413-434**
- राजस्थान का नियोजन तंत्र - 413, विकेंद्रित नियोजन - 415, राजस्थान में आर्थिक नियोजन - 416, राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना - 431, अभ्यासार्थ प्रश्न - 434
- 21. राजस्थान का आर्थिक विकास : विशेषताएं एवं बाधाएं (ECONOMIC DEVELOPMENT IN RAJASTHAN CHARACTERISTICS & CONSTRAINTS)** **435-446**
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं - 435, राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 440, राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान - 442, राजस्थान के तौर विकास हेतु सुझाव - 444 अभ्यासार्थ प्रश्न - 445

- 22 राजस्थान में अकाल एवं सूखा (FAMINE & DRAUGHT IN RAJASTHAN) 447 - 456**
- राजस्थान में अकाल व सूखे के अध्ययन का महत्व - 448, राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास - 449, अकाल व सूखा प्रबन्ध की अल्पकालीन व दीर्घकालीन व्यूह रचना - 451, राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण व निवारण के उपाय - 452, अभ्यासार्थ प्रश्न - 455
- 23. राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ (STATE BUDGETARY TRENDS) 457 - 481**
- बजट का अर्थ - 456, राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ - 458, राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के सुझाव - 464, केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध - 465, राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था - 460, परिवर्तित आय - व्ययक, 1998-99 - 476, अभ्यासार्थ प्रश्न - 480
- 24 राजस्थान में पंचायती राज (PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN) 482 - 496**
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विशेषताएँ अथवा प्रावधान - 483, राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति - 488 राजस्थान में पंचायत समितियाँ 492 राजस्थान में पंचायती राज की कमियाँ व असफलताएँ - 495, राजस्थान में पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय 495 राजस्थान में पंचायती राज का मूल्यांकन - 496, अभ्यासार्थ प्रश्न 496
- वस्तुनिष्ठ प्रश्न 497 - 504**

अध्याय - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY

"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ का संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसा था।"

"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय में मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की संस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।" ऐतिहासिक एवं मासुतिक दृष्टि में गौरवमयी परम्पराओं के लिए विख्यात राजस्थान इंग्लैंड का रचना-स्थल रहा है। वीगता त्याग और बलिदान की दृष्टि से इसका गौरवमय स्थान है। भारत में आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का एक बड़ा भू भाग रेगिस्तान हाव हुब भू दश में कृषि उद्योग व्यापार परिवहन खनिज वनसंरक्षण व भेदक दृष्टि से राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रकृत शक्ति परिस्थितियों से लड़ते हुये भा यह कृषि प्रधान राज्य अपना व संपूर्ण देश का आर्थिक परिदृश्य उदत्तने हेतु कुतसकल्प प्रयास होता है अतः अद्यतन में राजस्थान का स्थिति व योगदान का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक व उपयोग है।

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया
- राजस्थान का अर्थव्यवस्था का अनुत्तम सूचक
- भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति
- राजस्थान में आर्थिक विकास की गति
- अर्थव्यवस्था

राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया

PROCESS OF RAJASTHAN'S FORMATION

राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देश का प्रक्रिया 18 मई 1948 का अधिनियम और 1 नवम्बर 1956 का अधिनियम

हुई। इस प्रक्रिया के मध्य राजस्थान का 19 रियायती 3 चापशिखर व एक केन्द्रशासित सी श्रेणी का राज्य का विलीनीकरण किया गया सबसे पहले 18 मार्च 1948 को अन्वर भरतपुर भोलपुर व वगैरे रियायती को मिलाकर मत्स्य सभ बनाया गया इस सभ की राजधानी अलवर थी। इसी माह 25 मार्च 1948 को ही वामराना वृदी झुगरपुर टोक झालावाड विशानगढ कोटा प्रतापगढ शाहपुरा रियायती को मिला लिया गया और इनके राजस्थान प्रथम या पूर्व राजस्थान का नाम दिया गया राजस्थान प्रथम की राजधानी काठा की बनाया गया अगले माह 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान मध में उदयपुर रियायत को सम्मिलित करके इस सभ का नाम मद्युक्त राजस्थान रख दिया गया और उदयपुर का इसकी राजधानी बनाया गया 30 मार्च 1949 को बीकानेर जयपुर जोधपुर व जैसलमेर रियायती को समुक्त राजस्थान के मध्य मिलाकर विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया

इस समय तक मत्स्य सभ का अन्तग अस्तित्व बना हुआ था 15 मई 1949 को मत्स्य सभ को विशाल राजस्थान में मिलाकर 'समुक्त विशाल राजस्थान' की स्थापना हुई और इसकी राजधानी जयपुर बनी रही। 26 जनवरी 1950 को विशाल राजस्थान में सिरोही रियायत (आबू को छोड़कर) को सम्मिलित करके 'राजस्थान मध' का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी भी जयपुर ही रही। अन्ततः 1 नवम्बर 1956 को अजमेर मेरवाडा के केन्द्रशासित 'सी श्रेणी के राज्य आबू रोड और तत्कालीन मध्य भारत में स्थित मदमौर जिन के मान्यता तन्वीत क मुनेन टणा गाव को भी राजस्थान मध में मिला लिया गया तथा राजस्थान का आधुनिक स्वरूप अस्तित्व में आया जयपुर को ही पुनः इसकी राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेकन के आधार पर राजस्थान निर्माण प्रक्रिया को निम्नांकित तालिका से दर्शाया जा सकता है

राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया				
समय	स्थापित सभ	राजधानी	स्थापना तिथि	सम्मिलित रियायती
प्रथम	मध्य मध	अन्वर	18 मार्च 1948	अजमेर भरतपुर भोलपुर काली
द्वितीय	राजस्थान प्रथम	कोटा	25 मार्च 1948	बासना वृदी झुगरपुर टोक प्रतापगढ विशानगढ शाहपुरा प्रतापगढ शाहपुरा
तृतीय	समुक्त राजस्थान	उदयपुर	18 अप्रैल 1948	राजस्थान प्रथम + उदयपुर
चतुर्थ	विशाल राजस्थान	जयपुर	30 मार्च 1949	समुक्त राजस्थान + अजमेर जयपुर जोधपुर जैसलमेर
पंचम	समुक्त विशाल राजस्थान	जयपुर	15 मई 1949	विशाल राजस्थान मध्य मध
षष्ठम्	राजस्थान मध	जयपुर	26 जनवरी 1950	समुक्त विशाल राजस्थान सिरोही (आबू को छोड़कर)
सप्तम	राजस्थान	जयपुर	1 नवम्बर 1956	राजस्थान मध + अजमेर आबू रोड मध टणा

वर्तमान में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान को 6 मभागा (जयपुर अजमेर बीकानेर जोधपुर कोटा व उदयपुर) व 32 जिलों (अजमेर अलवर भरतपुर सडमेर सडमेरवाडा भोलवाडा बीकानेर वृदी

चित्तौडगढ सुरू धौलपुर झुगरपुर गगतनगर हनुमानगढ जयपुर जैसलमेर जालेर झालावाड झुझु, जोधपुर कोटा नागौर पानी गवाईमाधोपुर गीकर सिरोही टोक उदयपुर टौसा बाटा काली व राजसमन्द) में बाटा गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक					
क्र	विवरण	वर्ष	राजस्थान	भारत	टिप्पणी
1	देशी जन संख्या के प्रतिशत		10.43	00.00	देश में दूसरा स्थान
2	भौतिक विकास	1982	342 फीसद	3287 फीसद	देश में धारा 1 वा 10.43 प्रतिशत
3	जनसंख्या	1991	4.40 अरब	84.63 करोड़	देश में नवा स्थान
4	रूप जनसंख्या का प्रतिशत	1991	5.2	100.00	देश में नवा स्थान
5	जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर	1991	2.50	2.14	राज्य में दूसरे से अधिक
6	जनसंख्या घनत्व	1991	129 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	274 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	देश में 15वा स्थान
7	राज्य विकास सूचकांक का स्तर	1991	22.8°	25.71	राज्य में दूसरे से अधिक

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्व का स्थिति

क्र	विवरण	वर्ष	राजस्व	शत	टिप्पणी
			38.55	52.21	15व स्थान
8	सड़क का परिवहन	1991			राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या
9	जनसंख्या में अनुसूचित जाति का भाग	1991	17.29%	16.33%	राष्ट्रीय औसत से बड़ा अधिक जनसंख्या
10	जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग	1991	12.44%	8.08%	देश में 11व स्थान
11	बाल्य मृत्यु दर और जन प्रति व्यक्ति राज्य आय	1995-96 की	7523	10525	
12	सिमा क्षेत्रों पर प्रति व्यक्ति आय	1997-98	2306	9660	राष्ट्रीय औसत से कम आय
13	प्रतिशत मूल्यों पर राज्य आय	1995-96	33705	957763	देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 3.5%
14	आठवें पंचवर्षीय योजना का व्यय	1992-97	*1500 करोड़ रु	186235 करोड़ रु	देश में 5 वा स्थान
15	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की सखा	सितम्बर 1998	6.4	6.7	देश में 11वा स्थान
16	प्रतिव्यक्ति बैंक भित्तियाँ	सितम्बर 1998	3582	6597	देश में 13वा स्थान
17	प्रति व्यक्ति बैंक सखा	सितम्बर 1998	1595	3542	देश में 12वा स्थान
18	औद्योगिक क्षेत्र	1991	4.11 हेक्टेयर	1.57 हेक्टेयर	देश में प्रथम स्थान
19	सड़कों के अवसर्ग खा	1995-96	119 लाख हेक्टेयर	1235 लाख हेक्टेयर	राष्ट्रीय क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत
20	साक्षरता का उपलब्ध	1995-96	95.66 लाख टन	1850 लाख टन	साक्षरता उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत
21	राज्य को क्षेत्रगत रूप से प्रति हेक्टेयर खद का उत्पादन	1994-95	34.8 कि ग्र	75.7 कि ग्र	देश में 13वा स्थान
22	कुल मद्य	1982	4.96 लाख	4195 लाख	देश के पुरुषों के 10 प्रतिशत से अधिक
23	का क्षेत्र	1991	9.3%	20%	राष्ट्रीय औसत से कम
24	प्राथमिक शैक्षणिक कारखानों में निर्माण क्षेत्र	जून 1990	10038	195068	देश के लगभग 5 प्रतिशत प्रतीकृत क्षेत्रों का औद्योगिक प्रतिनिधित्व 13 वा स्थान
25	कारखानों क्षेत्र द्वारा शुद्ध मूल्य सृजन	1993-94	5118	996 रु	देश में 12वा स्थान
26	प्रति लाख जनसंख्या पर श्रमिकों का दैनिक औसत पैसा	1995	687	1059	
27	संश्लेषण उत्पादन का मूल्य	1988	204 करोड़ रु	11481 करोड़ रु	राज्य का पर्याप्त विकास नहीं
28	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	1994-95	269.53 किलोवाट	320.10 किलोवाट	देश में 10वा स्थान
29	कुल मद्यों से विद्युतीकृत मद्यों का प्रतिशत	मार्च 1995	85.82	85.95	लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर देश में 5वा स्थान
30	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या	31 मार्च 1995	3551	3587	देश में 8वा स्थान
31	प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेतमय की सखा	1991-92	17.02 कि मी	19.00 कि मी	देश में 12वा स्थान
32	सड़कों की सखा	1994-95	1,30,085 कि मी	22,00,163 कि मी	देश में 7वा स्थान
33	सेक्टर राष्ट्रीय बैंक	सितम्बर 1998	1060	14449	
34	सर्वकारी क्षेत्र के बैंक	सितम्बर 1993	1969	45280	
35	अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंक	सितम्बर 1995	253	4918	
36	कुल बैंकों की सखा	सितम्बर 1998	3282	64647	
37	सड़कों की सखा	1990-91	9570	148719	

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति

POSITION OF RAJASTHAN IN INDIAN ECONOMY

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है।

स्थिति एवं क्षेत्रफल

Location and Area

भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित राजस्थान 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°11' उत्तरी अक्षांश व 69°29' पूर्वी देशान्तर से 78°17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

1 यह पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर लंबा है।

2 राजस्थान की सम्पूर्ण सीमा स्थलीय है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का 1070 किलोमीटर का भाग पाकिस्तान से जुड़कर अन्तर्गद्दीय सीमा बनाता है।

3 राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान पूर्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश उत्तर में पंजाब व हरियाणा और दक्षिण में गुजरात व मध्य प्रदेश है, जो राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं।

4 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43 प्रतिशत है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश (13.50%) के परान्त द्वितीय स्थान राजस्थान का ही है और तीसरा, चौथा व पाचवा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश का है।

5 राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक राष्ट्रों की तुलना में बड़ा है। राजस्थान मॉरोको में लगभग 171 गुणा, स्पेन में लगभग पांच गुणा जॉर्डन से लगभग चार गुणा, ईरान व इराक में लगभग साठे तीन गुणा, कुवैत से 19 गुणा, इजराइल से लगभग 16 गुणा, बेल्जियम से लगभग 11 गुणा, स्विट्जरलैंड से लगभग 8 गुणा, डेनमार्क का लगभग 8 गुणा ऑस्ट्रिया का लगभग 4 गुणा, पुर्तगाल, नेपाण व वांग्लादेश का लगभग द्वाइ गुणा है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रों जैसे - ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड इटली मार्से जपान आदि के क्षेत्रफल से भी अधिक है।

क्षेत्रफल की स्थिति (हजार वर्ग किलोमीटर)

राजस्थान का क्षेत्रफल	342
भारत का क्षेत्रफल	3237

राजस्थान से बड़ा राज्य

मध्य प्रदेश	443
राजस्थान से भारत के छोटे प्रमुख राज्य	
महाराष्ट्र	308
उत्तर प्रदेश	294
अन्ध्र प्रदेश	275

राजस्थान से छोटे विश्व के प्रमुख विकसित राष्ट्र

जापान	378
इटली	301
स्विट्जरलैंड	271
ब्रिटेन	245
स्विट्जरलैंड	41

स्रोत: World Development Report 1987 & Statistical Abstract

Rajasthan 1984

जनसंख्या

Population

जनसंख्या विकास का मानक व साध्य दोनों हैं। यह विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति उत्पन्न करती है। साथ में यह उपभोक्ताओं के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मांग भी उत्पन्न करती है।

1991 की जनगणना पर आधारित कुछ तथ्य

राजस्थान की जनसंख्या	4.40 करोड़
भारत की जनसंख्या	84.63 करोड़
राज्य का देश का जनसंख्या में प्रतिशत भाग	5.2 प्रतिशत
राजस्थान से अधिक जनसंख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य	
उत्तर प्रदेश	13.91 करोड़
बिहार	8.63 करोड़
महाराष्ट्र	7.89 करोड़
राजस्थान से कम जनसंख्या वाले भारत के प्रमुख राज्य	
गुजरात	4.13 करोड़
उत्तराखण्ड	3.16 करोड़
हिमाचल प्रदेश	2.90 करोड़

स्रोत: India 1992

1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान में भारत का ताजा 40% जनसंख्या निवासकर्ता है। 1981-91 के दशक में भारतीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, उसमें 40% से अधिक भाग की वृद्धि भी इसी राज्यों के कारण हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4.40 करोड़ थी और यह भारत की कुल जनसंख्या (84.63) करोड़ का 5.2% है। जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का नया स्थान है 1981-91 के दशक में भारत में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14% रही है। इसकी तुलना में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2.50% थी जो उच्च है। भारत में 1990-91 में जनसंख्या में वृद्धि दर 29.2 व 10.1 प्रति हजार थी जबकि इसी वर्ष राजस्थान में ये दर क्रमशः 35 और 10.1 प्रति हजार थी। इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर औसत से अधिक है। राजस्थान का एक बड़ा भाग मध्यमवर्गीय वर्गों के कारण राज्य में जनसंख्या का घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के घनत्व (267) के आधे से भी कम है। भारत की भांति राजस्थान में भी ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या क्रमशः 3.39 करोड़ व 1.00 करोड़ है। जबकि भारत की जनसंख्या क्रमशः 62.9 करोड़ व 21.8 करोड़ है। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का भाग 5.20%, भारत की ग्रामीण जनसंख्या में राजस्थान का 5.39%, एवं मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या में राजस्थान का भाग 4.59% है। मध्य प्रदेश की भांति राजस्थान में अशिक्षितों की एक बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। भारत के छह राज्यों, अन्ध प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भारत की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो साथ ही देश के निरक्षरों का ताजा 60% भाग भी इन छह राज्यों में रहता है। राजस्थान में निरक्षरों का प्रतिशत 39.55% है जो राष्ट्रीय औसत (52.21%) से कम है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राजस्थान में जो जनसंख्या अनुपात (9:10) राष्ट्रीय अनुपात (6:9) में कम है।

कृषि

Agriculture

कृषि राजस्थान के जन जीवन का आधार है। कृषि-उत्पादन 1990-91 के अनुसार राज्य में 51.07 लाख हेक्टेयर जोते थे। 1980-81 में जोतों का औसत आकार 4.44 हेक्टेयर था जो 1990-91 में घटकर 4.11 हेक्टेयर रह गया है। इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं जा सकती है जबकि समग्र भारत में जोतों का औसत आकार 1.68 हेक्टेयर है। औसत कृषि जोतों की दृष्टि में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पंजाब का एक कृषि जोतों का है। औसत जोतों के बड़े होने के कारण राजस्थान में वैज्ञानिक कृषि की संभावनाएं विद्यमान हैं।

प्रमुख फसलों का उत्पादकता (1994-95)		
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर		
राजस्थान को प्रमुख फसलों जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है		
राजस्थान	भारत	
1. चने	864	855
2. जलजी	364	337
3. कपास	919	260
राजस्थान की प्रमुख फसलों जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है		
राजस्थान	भारत	
1. गन्ना	2417	2553
2. बाजरा	1088	1921
3. मूंगफली	790	1042
4. जौ	227	304
5. मक्का	887	944
6. ज्वार	45036	71095

Source: Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Rajasthan

भारत के कुल फसल क्षेत्रफल का 10.45% राजस्थान में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र कुल फसल क्षेत्र प्रतिशत में राजस्थान से आगे है। इस प्रकार कुल फसल क्षेत्र दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं जा सकती है। साथ ही, राजस्थान में कुल फसल क्षेत्र के विस्तार की भावी संभावनाएं भी विद्यमान हैं। राजस्थान नहरों के निर्माण से कुल फसल क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। कुल फसल क्षेत्र का एक से अधिक दार बोया गया क्षेत्र कृषि विज्ञान हम एक सूचना दे रहा है। इस दृष्टि से राजस्थान (6.94%) का स्थान

जनसंख्या की दृष्टि में भारत में राजस्थान का स्थान 1991		
क्र.सं.	विवरण	राज्यवार स्थान
1	कुल जनसंख्या	9
2	जनसंख्या वृद्धि दर	15
3	ग्रामीण जनसंख्या	15
4	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	12
5	नगरीय जनसंख्या	7

Source: India 1993 & Economic Review, 1997-98

1. Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan
 2. Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan
 3. Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan
 4. A brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1995.

क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व पंजाब के पराजित आता है।¹ इसमें हम बात का आग्राम मिलता है कि राजस्थान में अधिकांश कृषि भूमि पर केवल एक फसल ली जाती है। मिर्चाई साधनों की वृद्धि के साथ-साथ इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 7.70% भाग राजस्थान में विद्यमान था, जबकि उत्तरप्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र संपूर्ण भारत में सर्वाधिक था।² सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का स्थान छठा था, द्वितीय स्थान आंध्रप्रदेश का व तृतीय स्थान पंजाब का, चतुर्थ मध्य प्रदेश व पांचवा बिहार का था।³ इस प्रकार से राजस्थान का छठा स्थान सतोषप्रद प्रतीत होता है, किन्तु राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल को देखते हुए इसे सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राजस्थान नहर के कम-गड क्षेत्र का पूर्ण विकास होने पर सिंचित क्षेत्र सतोषजनक होने की आशा है। खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक नहीं जा सकती है। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन 194 किलोग्राम था और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में सातवा स्थान था। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पंजाब, द्वितीय हरियाणा व तृतीय स्थान उत्तर प्रदेश का था।⁴ इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में और वृद्धि की चेष्टा की जानी चाहिये। राजस्थान में कृषि उपजों के कम होने का एक बड़ा कारण मिर्चाई के अभाव में खाद का कम प्रयोग करना भी रहा है। राजस्थान में बोये गये क्षेत्रफल के अनर्गत प्रति हेक्टेयर 34.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग हो रहा था, जो राष्ट्रीय औसत (75.7) किलोग्राम से कम था और वह देश में 13 वें स्थान पर था, जबकि 174.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग करके पंजाब प्रथम स्थान पर था।⁵ खाद का उपयोग बढ़ाने के लिए राजस्थान में मिर्चाई के साधनों में वृद्धि करनी होगी।

कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र.सं. विवरण	राज्यवार स्थान	
1	औसत कृषि जल (1990-91)	1
2	बोये गये क्षेत्रफल पर प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग (1994-95)	13
3	कुल फसल क्षेत्र (1990-91)	4
4	एक में अधिक बार बोया गया क्षेत्र (1990-91)	7
5	खानदान का उत्पादन (1990-91)	8

1978 Economic Review 1997-98 Rajasthan Statistical Abstract Rajasthan 1994

1992 की पर्यवेक्षण के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या 4.84 करोड़ थी जो राज्य की जनसंख्या

के लगभग 1.1 के अनुपात में थी। देश के कुल पशुओं का लगभग 7% राजस्थान में निवास करता है। राजस्थान देश के दूध उत्पादन का 10% में अधिक, मांस उत्पादन का 30% और ऊन उत्पादन का 42% उपलब्ध कराता है।

उद्योग एवं खनिज

INDUSTRY & MINERALS

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। संपूर्ण भारत के रजिस्टर्ड कारखानों का केवल 0.35% ही राजस्थान में कार्यरत है। रजिस्टर्ड कारखानों की दृष्टि से राजस्थान 15वें स्थान पर है, जबकि प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु है।⁶ सुयुक्त स्कंध कर्पणियों (निजी व सार्वजनिक) की संख्या की दृष्टि से भी राजस्थान का 10वा स्थान है।⁷ राजस्थान में देश में विद्यमान इन कर्पणियों की संख्या का मात्र 1.96% विद्यमान है।⁸ कर्पणियों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल में है। इन कर्पणियों में लगी दल पूंजी की दृष्टि से भी राजस्थान बहुत पीछे है। संपूर्ण देश में राजस्थान (1.44%) का स्थान इस दृष्टि से 11वा है। सर्वाधिक पूंजी क्रमशः पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में लगी हुई है।⁹ खनिज उद्योग की दृष्टि से यद्यपि राजस्थान खनिजों में धनी है और अनेक खनिजों के उत्पादन में उसका प्रभुत्व भी है, किन्तु खनिज उद्योग द्वारा उत्पादित खनिजों के मूल्य के अनुसार राजस्थान 10वें (1.85%) स्थान पर था।¹⁰ इस दृष्टि में प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात थे।¹¹ उद्योगों से प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि की दृष्टि से भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से प्रतीत होता है। इस दृष्टि से राजस्थान का 13वा स्थान था और राजस्थान में उद्योगों की प्रतिव्यक्ति आय-वृद्धि राजस्थान में 511 रुपये थी जो राष्ट्रीय औसत (996 रुपये) से काफी कम थी। इस दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान गुजरात व तृतीय स्थान तमिलनाडु का था।¹²

उद्योग एवं खनिज की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान		
क्र.सं. विवरण	राज्यवार स्थान	
1	पंजाब व महाराष्ट्र (1988-89)	15
2	निजी व सार्वजनिक कर्पणियों (1986-87)	10
3	दल पूंजी (1986-87)	11
4	उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (1994-95)	10
5	उत्पादित खनिजों का मूल्य (1991-92)	10

1978 Economic Review 1998-99 Rajasthan Statistical Abstract Rajasthan 1994

1.2.3.7.8.9.10.11. Statistical Abstract, Rajasthan 1994

4. Economic Review 1998-97 Govt. of Rajasthan.

5. 12. Economic Review 1997-96 Govt. of Rajasthan.

संरचनात्मक ढांचा (Infra-Structure)

संरचनात्मक ढांचा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होता है। इसके अन्तर्गत प्रायः शक्ति, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति का आभास निम्नलिखित विवेचन से हो सकेगा -

1. शक्ति (Power) - राजस्थान में शक्ति का प्रमुख स्रोत, जल-विद्युत व तापीय विद्युत है। गणप्रताप सागर बाँध पर स्थित खेतभाटा का अनुशक्ति गृह भी राज्य का महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। राजस्थान के अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में केचेल का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का भण्डार मिलने के कारण प्राकृतिक गैस भी शक्ति का महत्वपूर्ण सम्भावित साधन बन गया है। राज्य में शक्ति तेल भी मिलता है, किन्तु उसके वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शक्ति के गैर-परम्परागत साधनों में राजस्थान में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा व गोबर गैस को अच्छे समावनाएँ विद्यमान हैं। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषजनक नहीं है। राजस्थान में पर्याप्त जल भण्डार नहीं होने के कारण राज्य के बाहर से जल-विद्युत का आयात करना पड़ता है। विद्युत-उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दसवें स्थान पर था और देश को केवल 2.5% विद्युत उत्पादित कर रहा था। इस दृष्टि से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्य अच्छी स्थिति में थे। विद्युत का उपयोग भी आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। प्रतिव्यक्ति विद्युत-उपयोग की दृष्टि से राजस्थान दसवें स्थान (269.53 किलोवाट) पर था। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर पंजाब तथा दूसरे स्थान पर गुजरात था। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विद्युत उपयोग, राष्ट्रीय औसत (320.10 किलोवाट) से कम होने के कारण राज्य के पिछड़ेपन को दर्शाता है। मार्च 1995 में देश के औसत 85.9% गाँव विद्युतीकृत थे, जब कि राजस्थान में केवल 85.8% गाँव ही विद्युतीकृत हो पाये थे। इस अवधि तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब व तमिलनाडु शत-प्रतिशत

क्र	विवरण	राजस्थान का स्थान
1	विद्युत उत्पादन (1989-90)	10
2	विद्युत उपयोग (1989-90)	10
3	प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग (1994-95)	10
4	कुल प्रभु से विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत (मार्च, 1995)	5

स्रोत: Economic Review 1997-98, 1998-99 & other Statistical Abstract, Rajasthan 1994

विद्युतीकृत हो चुके थे।

2 सिंचाई

(Irrigation) - राजस्थान में महत्वपूर्ण के अनुसार कूप (नलकूप सहित) नहरें और तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं।

राज्यों में नहरों का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की दृष्टि से राज्य के लिए इंदिरा गांधी नहर का विशेष महत्व है, जो कि राजस्थान के गिरीतानी क्षेत्र को कायापलट कर देगी। सिंचाई के विभिन्न साधनों से राजस्थान में सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है, फिर भी भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 7.7% ही राजस्थान में है। इस प्रकार राजस्थान का इस दृष्टि से छठा स्थान है। प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश व पंजाब हैं।

3 परिवहन (Transport) - राजस्थान की दृष्टि से सड़क व रेल परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वायु परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है और राज्य के, सभी महत्वपूर्ण नगर इससे जुड़ नहीं पाये हैं। 12 महीने बहने वाली नदियों के अभाव के कारण आंतरिक जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया, किन्तु राजस्थान नहर के निर्माण से आंतरिक जल-परिवहन को समावनाएँ जन्म लेने लगी हैं। राज्य में खनिज तेल व गैस के भण्डार मिलने से पार्श्वलाईन यातायात का विकास होगा। राजस्थान की दृष्टि से सड़कें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ही राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को जोड़ती हैं। वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में निर्मित सड़कों की लंबाई 42.68 किलोमीटर थी जो कि राष्ट्रीय औसत 73 कि.मी. से बहुत कम है। राज्यानुसार उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में देश की 6.06% पक्के सड़कें थी और इस दृष्टि से क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे आगे थे। राजस्थान के प्रति लाख जनसंख्या पर मोटरगाड़ियों की संख्या 31 मार्च 1996 को 3551 थी और राजस्थान का इस दृष्टि से आठवाँ स्थान था। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर मोटरगाड़ियों की संख्या राष्ट्रीय औसत 3587 से कम थी। इस दृष्टि से देश में क्रमशः पंजाब प्रथम स्थान पर, गुजरात द्वितीय स्थान पर और हरियाणा तृतीय स्थान पर थी। राजस्थान में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लंबाई (17.02 किलोमीटर) राष्ट्रीय औसत (19 किलोमीटर) से कम थी। 3 मार्च, 1992 के इन आंकड़ों के अनुसार प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक रेलमार्ग पश्चिम बंगाल में थे। द्वितीय स्थान पंजाब एवं तृतीय स्थान हरियाणा का था। राजस्थान रेलमार्गों की दृष्टि से 12 वें स्थान पर था।

क्र	विवरण	राजस्थान का स्थान
1	कुल पक्के सड़कें (1988-89)	8
2	प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च, 1996)	8
3	प्रति हजार किलोमीटर पर रेलमार्ग की लंबाई (1991-92)	12

स्रोत: Economic Review 1997-98, 1998-99 & other Statistical Abstract, Rajasthan 1994

राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में 8 95 लाख व पूरे राष्ट्र में 3 74 करोड़ रोजगार प्रदान करने के इच्छुक लोगों के नाम दर्ज थे।

3 सहकारिता (Co-operation) - राजस्थान में 20255 सहकारी समितियाँ थीं। इनकी वार्षिकील पूँजी 1390 47 करोड़ रूपए थी। इनमें 64 10 लाख व्यक्ति सदस्य थे। इन सहकारी समितियों की अंश-पूँजी 187 87 करोड़ रूपये थी। 1988-89 के उपलब्ध गणनावार तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत की साख समितियाँ का 5 12% व नैर साख समितियों का 3 82% राजस्थान में विद्यमान था। भारत की सर्वाधिक साख और नैर साख समितियाँ महाराष्ट्र में थीं।

4 योजनाओं की स्थिति (Planning in Rajasthan) - राज्य की योजनाओं से राज्य की वर्तमान एवं भविष्य कार्यक्रमाँ का आभास होता है तो साथ ही राज्य के भविष्य स्वरूप का अनुमान भी लगाया जा सकता है। राजस्थान में योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बहुत अधिक सतोषजनक नहीं कहा जा सकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना - व्यय 34 रूपये था जो सभी राज्यों के औसत (38 रूपये) से कम था। राष्ट्रीय औसत राजस्थान के प्रतिव्यक्ति योजना व्यय में आगामी योजनाओं के अंतर्गत अंतर बढ़ता गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जबकि राजस्थान में प्रतिव्यक्ति योजना व्यय राष्ट्रीय औसत (51 रूपये) में अधिक रहा। तीसरी योजना में भी लगभग वही स्थिति रही जब राजस्थान का औसत प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (97 रूपये) राष्ट्रीय औसत (92 रूपये) अधिक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औसत (142 रूपये) और राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (120 रूपये) रहा। पाचवी योजना में भी यह व्यय (332) रूपये राष्ट्रीय औसत (362 रूपये) से कम रहा। छठी योजना के अंतर्गत भी लगभग वही स्थिति बनी रही। इस योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (622 रूपये) राष्ट्रीय औसत (718 रूपये) से कम रहा। सातवी पंचवर्षीय योजना में यह अन्तराल और बढ़ा। इस योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय (875 रूपये) राष्ट्रीय औसत (1157 रूपये) से बानी कम था। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत एवं राजस्थान के प्रतिव्यक्ति आय में अन्तर निरन्तर बढ़ रहा है। सातवी योजना के प्रतिव्यय की दृष्टि में राजस्थान का 11वा स्थान रहा जबकि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। आठवी योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय 2613 रूपये था। 1998 99 के द्रष्ट अनुमानों के आधार पर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति विकास पर किया गया व्यय 1359 88 रूपये था और इस दृष्टि से राजस्थान 9वे स्थान पर था। इसी वर्ष

प्रतिव्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

5 राजस्व (Public Finance) - पर्याप्त राजस्व उपलब्ध होने पर ही विकास कार्यों को गति दी जा सकती है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय, 1998-99 के अंतर्गत 2250 29 रूपये था और राजस्थान इस दृष्टि से दसवें स्थान पर रहा। प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, व हरियाणा थे। प्रतिव्यक्ति राजस्व 1998-99 में राजस्थान में 1990 12 रूपये था और इस दृष्टि से राजस्थान का दसवा स्थान था। प्रतिव्यक्ति राजस्व की दृष्टि में जम्मू-कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे। प्रतिव्यक्ति राजस्व कम होने पर भविष्य में राजस्व को बढ़ाने की अच्छा मभावनाएँ विद्यमान होती हैं। इस दृष्टि से 1998-99 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति कर राजस्व 1408 74 रूपये था और देश में दसवें स्थान पर था। सर्वाधिक कर राजस्व केरल में था। इसके पश्चात् गुजरात व तमिलनाडु थे। प्रतिव्यक्ति कर राजस्व कम होने का एक प्रमुख कारण अधिक दृष्टि में निष्ठा होना है। राजस्थान में केंद्रीय करों का प्रतिव्यक्ति अंश 1998 99 में 5.41 39 रूपये था और 5वें स्थान पर था। पथम व द्वितीय स्थान क्रमशः जम्मू व कश्मीर व हिमाचल प्रदेश का था।

क्र.सं	विवरण	राज्यवार स्थान
1	प्रतिव्यक्ति राजस्व (1998-99)	10
2	प्रतिव्यक्ति कर राजस्व (1998-99)	10
3	केंद्रीय करों का प्रतिव्यक्ति अंश (1998-99)	5
4	प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय (1998-99)	10

स्रोत: Economic Review 1998 99 Rajasthan

6 कुल एवं प्रतिव्यक्ति राज्य आय (Total & Per capital GDP) - राज्य की कुल एवं प्रतिव्यक्ति आय में अर्थव्यवस्था की स्थिति का परिचय मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण राज्य की आय पर मानसून की अनुकूलता व प्रतिकूलता का गहरा प्रभाव पड़ता रहा है। राजस्थान में कम आय का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या में तेज़ गति से वृद्धि होना भी रहा है। राजस्थान का प्रतिव्यक्ति आय वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर लगातार राष्ट्रीय औसत से कम रहती आई है।

1974-75 से निरंतर राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में कम रही है। विभिन्न राज्यों की तुलना में भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। दसवें स्थान पर वर्ष

जुटाना कठिन है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण राज्य में बेरोजगारी एवं निर्धनता आदि समस्याएँ भी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। निरक्षरता व नगरीकरण से परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई हैं।

4 कृषि की विशिष्ट समस्याएँ (Problems before agriculture) - राजस्थान में कृषि का प्रमुख स्थान है। लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। कृषि के विकास हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम धन का विनियोग किया गया है। राज्य में कृषि संबंधी कुछ विशिष्ट समस्याएँ भी विद्यमान हैं। मानसून की अनिश्चितता एवं वर्षा का अभाव, सिंचाई-सुविधाओं का अभाव, जल ससाधनों व अपेक्षाकृत कम कृषि-योग्य भूमि की उपलब्धि तथा पशुधन के समुचित विकास का अभाव आदि के कारण देश के अन्य राज्यों के समान कृषि का विकास नहीं हो पाया है। कृषि संबंधी उन्नत तकनीक का प्रयोग भी अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है। अतः राजस्थान कृषि विकास की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। भूमि सुधारों की धीमी गति, उचित जल प्रबंध का अभाव, क्षारीय व लवणीय मिट्टियों की समस्या और सरकारी साख की अपर्याप्तता ने कृषि विकास में बाधा उत्पन्न कर राज्य के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है।

5 प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग (Low utilization of natural resources) - देश के अन्य राज्यों की तुलना में भूमि भूगर्भीय जल, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक ससाधनों का कम उपयोग किया गया है। भारत सरकार ने भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विकास हेतु कम पूंजी विनियोजित की है। राज्य के उत्पादक कारकों जैसे - पूंजी, कुशल श्रम, उन्नत तकनीक एवं उद्यमियों की कमी के कारण भी राज्य के प्राकृतिक ससाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हो पाया है। अतः राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में बना हुआ है।

6 औद्योगिक पिछड़ापन (Industrial backwardness) - राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने देश के उन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया जहाँ पहले से ही औद्योगिक विकास के कुछ सुविधाएँ उपलब्ध थीं। ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास न हो पाना स्वाभाविक था। यही कारण है कि

राजस्थान में औद्योगिक संरचना का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया है। औद्योगिक रूपांतरण, श्रम संबंधों व विवादों, शक्ति के साधनों के अभाव, परिवहन के अपर्याप्त साधन, कुशल श्रमिकों का अभाव, उन्नत तकनीक का अभाव तथा बीमा एवं बैंकिंग सुविधा की अपर्याप्त सुविधा के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमों भी राजस्थान में पूंजी विनियोग करने का साहस नहीं कर पाते हैं। अतः राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगिक वातावरण बढत रहा है।

7. शक्ति के लगभग सभी प्रमुख साधनों का अभाव (Lack of power resources) - राजस्थान में शक्ति के साधनों का अन्य राज्यों की तुलना में अभाव है। अतः राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। कोयले एवं विद्युत शक्ति के लिए राजस्थान को देश के अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में शक्ति के अपरम्परागत स्रोत जैसे- सौर ऊर्जा, व पवन ऊर्जा की प्रबल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन पूंजी के अभाव के कारण शक्ति के इन अपरम्परागत साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। शक्ति के साधनों के अभाव के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश के अन्य अनेक राज्यों के समान विकास नहीं हो पायी है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से स्थिति में परिवर्तन आने की संभावना है।

8 परिवहन के साधनों का अपेक्षाकृत कम विकास (Under development of transportation facilities) - राजस्थान का अधिकतर भू-भाग रेगिस्तानी, पहाड़ी व पथरीला है। अतः राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में सड़क परिवहन का धीमी गति से विकास हुआ है। राजस्थान में रेल परिवहन का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। आज भी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में ब्रॉड गेज की सुविधा नहीं है। इसी प्रकार वायु परिवहन सुविधाएँ भी अन्य अनेक राज्यों की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं।

9 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social facilities) - राजस्थान में विभिन्न सामाजिक सुविधाओं जैसे - शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा व पोषाहार आदि का देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अभाव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण-संस्थाओं का अभाव भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। इन सभी तथ्यों से ज्ञान होता है कि राजस्थान देश के अन्य अनेक राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है।

10 अधविश्वास, भाग्यवादिता एवं परम्परागत समाज (Traditional society) - राजस्थान में प्राचीनकाल से ही सामन्यवादी व्यवस्था विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व तक यह राज्य अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न रियासतों में अनेक प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं, कु-प्रथाओं एवं परम्पराओं का प्रचलन हो गया। राज्य में बाल विवाह, भती प्रथा, पर्दा प्रथा, फिचूलखर्ची, अशिरादा अधविश्वास, अज्ञानता, धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं तथा भाग्यवादिता आदि लंबे समय से चली आ रही है। ये प्रथाएं एवं परम्पराएं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अत्यधिक बाधक रही हैं। अन्य अनेक राज्यों की तुलना में इन प्रथाओं और परम्पराओं का राजस्थान में प्रभुत्व रहा है और आज भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ग्राह्यता देखी जा सकती है।

11 दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया (Defective Planning) - भारत के अन्य राज्यों के समान राजस्थान में भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950-51 में अपनायी गई। उस समय राजस्थान की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। राज्य की निर्माण प्रक्रिया ही 1956 में पूर्ण हुई। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना मपूर्ण राज्य में लागू नहीं की जा सकी। राज्य में पंचायती राज मस्याओं की स्थापना तो कर दी गई लेकिन नियोजन प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर अपनाया नहीं गया। अतः स्थानीय श्रमशक्ति एवं साधनों का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय नहीं हो सका। जन सहभागिता के अभाव, परियोजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में देरी आदि से नियोजन प्रभावपूर्ण नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण नियोजन के कारण राजस्थान का भारत के अन्य राज्यों के समान आर्थिक विकास नहीं हो पाया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
Discuss the present position of the State of Rajasthan in Indian Economy
- 2 राजस्थान राज्य का संक्षेप में भौगोलिक परिचय दीजिए।
Give in brief a geographical introduction of the state of Rajasthan
- 3 स्वस्थ अर्थव्यवस्था के चार संकेतक हैं?
What are the indicators of healthy economy?
- 4 राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए।
Explain the various stages of integration of the Princely States in Rajasthan

(B) निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 "राजस्थान के धीमे आर्थिक विकास के लिए सन् अवगत राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, श्रृंखला और रिवाज, दोषपूर्ण प्राथमिकताएं, उपागमन जन सहयोग तथा केन्द्रिय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता ही उत्तरदायी हैं।" समीक्षा कीजिए।
"Slow Economic Development in Rajasthan is due to perennial famines, lack of political will, linkage and leakage, defective priorities, passive public sector and excessive dependence on central assistance." Discuss
- 2 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy
- 3 राजस्थान प्रदेश की स्थिति का तुलना भागीय स्थिति व साथ निम्न बिन्दुओं के आधार पर जाँचें।
(अ) जनसंख्या (ब) क्षेत्रफल (स) कृषि व (द) उद्योग
Compare the positions of Rajasthan state with that of Indian position on the basis of the following points:
a Population b Area c Agriculture and d Industry
- 4 "राजस्थान एक पिछड़ा हुआ आर्थिक क्षेत्र है।" इस कथन के समर्थन में भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
"Rajasthan is a backward region in a backward economy." Discuss the position of Rajasthan in Indian Economy with reference to this statement
- 5 राजस्थान प्रदेश का आर्थिक स्थिति का तुलना भागीय भाग की आर्थिक स्थिति व कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिन कारणों से प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया।

Compare the economic position of Rajasthan state with that of India and throw light on those causes which have made it backward in comparison to other states

6 राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति की तुलना भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की आर्थिक स्थिति से कीजिए।

Compare the economic position of Rajasthan state with that of other important states of India

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Examinations Questions)

1 राजस्थान राज्य का अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारित कीजिए।

Determine the position of the State of Rajasthan in Indian Economy

2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाईए जिनसे ज्ञान होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है।

Explain those factors which show that the state of economy of Rajasthan is backward


3 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में क्या स्थिति है?

What is the population of Rajasthan in Indian Economy with reference to population Area Agriculture Industry and Infrastructure?



राजस्थान में मानवीय संसाधन

HUMAN RESOURCES IN RAJASTHAN



“किसी राष्ट्र की वास्तविक न सम्पत्ति उसकी भूमियों व नदियों में, न उसके वनों व खानों में, न उसके पशु व मृदाईक सम्पत्ति में निहित हैं, बरन उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- जनसंख्या का महत्व
- राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं संवृद्धि
- राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर
- राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या
- राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण
- राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात
- राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व व असमान वितरण
- राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति
- राजस्थान में मानव संसाधन निवास के तीन महत्वपूर्ण सूचक
- राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम
- अभ्यासार्थ प्रश्न

मानवीय संसाधनों का महत्व

IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES

“किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति न उसकी भूमियों व नदियों में, न उसके वनों व खानों में, न उसके पशु व मृदाईक सम्पत्ति में निहित है, बरन उसके स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न स्त्री, पुरुष व बच्चों में निहित है।” डी सी प्रिंसिपल के ये शब्द जनसंख्या के सदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रेडरिक हर्बिसन ने इस सदर्भ में कहा है, “राष्ट्र का विकास प्रथमन एव मुख्यतः उसके लोगों की प्रगति पर निर्भर करता है। यदि यह इनकी आत्मा और मानवीय सम्भावनाओं का विकास नहीं करता तो यह भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से अधिक विकसित भी नहीं हो सकता।” इस प्रकार जनसंख्या विकास का प्रमुख आधार है और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय संसाधनों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की कमी और वृद्धि उस देश एवं राज्य के समग्र जल अनेक समस्याओं को जन्म देती है, वही दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति को भी प्रभावित करती है। राजस्थान की जनसंख्या, उसकी संरचना और उसकी अन्य विशेषताओं से परिचित

होना, राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य है। मक्षेप में, जनसंख्या का सबंध और उसका महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है -

1 जनसंख्या व शक्ति (Population & Power) - जनसंख्या का आकार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। त्रिस प्रकार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा (पूर्व) सोवियत संघ, दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम दस राष्ट्रों में आते थे, उसी प्रकार एक राष्ट्र में एक राज्य विशेष का महत्त्व उसकी जनसंख्या के कारण बढ़ जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अपनी जनसंख्या के आकार के कारण ही अधिक महत्त्व प्राप्त कर सके हैं।

2 जनसंख्या व श्रम (Population & Labour) - जनसंख्या का सीधा सबंध देश एवं राज्य की कार्यशील जनसंख्या से है, फलस्वरूप राज्य को विकास के लिए आवश्यक श्रमशक्ति जनसंख्या से ही उतारव्य होती है। कार्यशील जनसंख्या के निर्धारण के लिए उस राज्य में आयु के अनुसार जनसंख्या का विवरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3 जनसंख्या साधन एवं साध्य (Population as ends & Means) - उत्पादन के विभिन्न साधनों में श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। इसी कारण यह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस साधन में विनियोग करके इसकी उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार तैयार किया जा सकता है। जनसंख्या साधन उपलब्ध करने के साथ ही एक साध्य भी है, क्योंकि देश एवं राज्य में जो कुछ भी कार्य सम्पन्न होते हैं, उनका लक्ष्य जनसंख्या का अधिकतम कल्याण ही होता है।

4 मांग का निर्माण (Creation of Demand) - अधिक जनसंख्या के कारण अधिक प्रभावपूर्ण मांग का जन्म होता है, किसी राष्ट्र के विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण मांग का निर्माण होने से विकास की गति तेज होती है, क्योंकि मांग उत्पन्न होने पर ही अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। कोन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के महत्त्व पर अत्यधिक बल दिया है।

5 उत्पादन का पैमाना (Scale of Production) - यह आवश्यक तो नहीं है कि जनसंख्या अधिक होने पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मांग उत्पन्न होगी, किन्तु यह वास्तविकता है कि अधिक जनसंख्या होने पर, अन्य तत्वों के समान रहने पर, अधिक मांग उत्पन्न होगी। इस कारण जनसंख्या अधिक होने पर देश में उत्पादन का पैमाना भी बढ़ा क्षेत्रों की अधिक संभावनाएँ रहती हैं। इस

कारण राष्ट्र व राज्य बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य निर्यातव्ययिताएँ प्राप्त कर सकते हैं।

6 शोध, अनुसंधान एवं आविष्कार (Research & Invention) - अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रकार के शोधकार्य निरंतर जारी रहते हैं, जो कि अनेक आविष्कारों के कारण भी बनते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के क्रम में किसी राज्य विशेष पर बल दिया जाय, फलस्वरूप उसके विकास की ओर भी ध्यान आकर्षित होता है।

7. समृद्धि का द्योतक (Indicator of Prosperity) - जनसंख्या के अध्ययन से राष्ट्र एवं राज्य की समृद्धि का पता लगाना जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि-दर में निरंतर गिरावट आ रही हो तो यह उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख मापदंड के रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य है। जनसंख्या की सरचना को जानकर जनसंख्या की गुणवत्ता को जाना जा सकता है। यदि इस गुणवत्ता में वृद्धि (जैसे-साक्षरता, स्वास्थ्य आदि) हुई है तो यह एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

राजस्थान में जनसंख्या का आकार एवं संवृद्धि

SIZE & GROWTH OF POPULATION IN RAJASTHAN

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4,40,05,990 थी। इस प्रकार 1981 से 1991 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 98 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में दशक वृद्धि दर 28.44% है। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या 3,42,61,862 थी। संपूर्ण भारत की जनसंख्या 84,63,02,688 में राजस्थान का भाग 5.20% रहा। विभिन्न राज्यों की जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का 9 वां स्थान है। 1981 की जनसंख्या के अनुसार भी यह स्थान 9 वां था। इस संदर्भ में राज्य के क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 10.41% है। इस प्रकार राजस्थान के 10.41% भाग में देश की 5.20% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या के आकार को निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है -

भारत एवं राजस्थान में जनसंख्या का आकार						
वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)		ग़त दशकों पर प्रतिशत परिवर्तन (दशक वृद्धि दर)			
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	कॉमन 4 व 5 का अंतर	
1901	1.03	23.83	-	-	-	
1911	1.10	25.21	+06.70	+05.75	0.95	
1921	1.03	25.13	-05.29	-00.31	-5.98	
1931	1.17	27.90	+14.14	+11.00	3.14	
1941	1.39	31.87	+18.01	+14.22	3.79	
1951	1.60	36.11	+15.20	+13.31	1.89	
1961	2.02	43.92	+28.20	+21.51	4.69	
1971	2.58	54.82	+27.83	+24.80	3.03	
1981	3.43	68.52	+32.97	+25.00	7.97	
1991	4.40	84.63	+28.44	+23.56	4.88	
2001 (सम.)	5.60	-	-	-	-	

* Statistical Abstract, Rajasthan 1994

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 1921 में ग़त शताब्दी की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक गिरावट आयी।

1931 ई. से 1991 ई. तक की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है।

1981 में राजस्थान एवं भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक अंतर किया गया है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में 1971 की अपेक्षा 7.97% तेज़ी से बढ़ी। 1991 की जनगणना के अनुसार यह अंतर कुछ कम हुआ है।

राजस्थान की जनसंख्या मन् 1997 में 5.1 करोड़ मन् 2000 में 5.47 करोड़ व मन् 2001 में 5.60 करोड़ होने का अनुमान है।

राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक भाग जयपुर जिले की जनसंख्या का है जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10.7% है। राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का भाग मात्र 0.78% है। उदयपुर जिला (6.5%) दूसरे स्थान पर है। गगानगर व अलवर जिलों में क्रमशः 5.9% व 5.2% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के विभिन्न जिलों की जनसंख्या को निम्नलिखित क्रम में दिया गया है।

राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या के आकार की स्थिति

राज्य की कुल जनसंख्या 44 करोड़

(A) सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले (1991)

- 1 जयपुर 47.2 लाख
- 2 उदयपुर 28.8 लाख
- 1 गगानगर 26.2 लाख

(B) न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले (1991)

- 1 धौलपुर 7.4 लाख
- 2 सिंगोही 6.5 लाख
- 3 जैसलमेर 3.4 लाख

स्रोत Statistical Abstract Raj 1994

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि -

1 राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः जयपुर उदयपुर व गगानगर जिले क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थानों पर है।

2 धौलपुर सिंगोही और जैसलमेर जिले राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना (1991) के समय अंतिम तीन स्थानों पर थे।

3 1901 से 1991 के मध्य अर्थात् 90 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में 3.38 करोड़ के लगभग वृद्धि हुई है।

4 राजस्थान की जनसंख्या में 1901 म 1951 के मध्य 50 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 57 लाख रह गयी, लेकिन दशकों में 1981 से 1991 के मध्य ही राजस्थान की जनसंख्या 98 लाख से अधिक बढ़ गई थी।

5 ग़त 30 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है। 1961 में यह जनसंख्या 2.01 करोड़ थी जो 1991 में बढ़कर 4.40 करोड़ हो गई।

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर -

राजस्थान में जन्म व मृत्यु दरों में निम्नतर कमी हुई है। लेकिन भारत की तुलना में ये दरें अधिक हैं। निम्न तालिका में राज्य की जन्म दर व मृत्यु दर को दर्शाया गया है।

राजस्थान में जन्म दर व मृत्यु दर (प्रति हजार)		
वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1980-81	37.1	14.3
1985-86	36.4	11.7
1990-91	35.8	10.1
1992-93	33.6	9.2

स्रोत: Census of India Year Book (1997-2002)

राजस्थान में ऊंची जन्म दर के कारण

राज्य में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण निम्न हैं

1 विवाहित महिलाओं का अधिक भाग राजस्थान में विवाहित माहलओं का अनुपात बहुत ऊंच है। इसलिये राज्य में जन्म दर भी ऊंची है।

2 समाज का पिछड़ा होना राजस्थान की लगभग 30% जनसंख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों में संरक्षित है। निर्धनता एवं अज्ञानता के कारण वे व्यक्ति परिवार नियोजन के सधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः सामाजिक पिछड़ेपन के कारण राज्य में जन्म दर ऊंचा है।

3 विवाह की कम औसत आयु राज्य में विवाह की औसत आयु निर्धारित न्यूनतम स्तर (21 एवं 18 वर्ष) से बहुत कम है। राजस्थान में बाल विवाह आज भी भार मात्रा में होते हैं अतः जन्म दर ऊंची होगी स्वाभाविक है।

4 प्राथमिक क्षेत्रों में महिला साक्षरता की निम्न दर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 80% महिलायें निरक्षर हैं। निरक्षर महिलायें परिवार नियोजन के प्रति अपेक्षाकृत कम जागरूक होती हैं। अतः इन क्षेत्रों में जन्म दर ऊंची होती है।

5 दम्पति सुरक्षा दर कम राजस्थान में दम्पति सुरक्षा-दर (कुल दम्पतियों में परिवार नियोजन अपनाते वतों का अनुपात) अन्य राज्यों का तुलना में कम है। अतः राज्य की जन्म दर ऊंची है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि -दर¹

GROWTH RATE OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसंख्या वृद्धि-दर से आशय प्रति हजार व्यक्तियों पर जनसंख्या का वृद्धि में है। जन्म व मृत्यु दरों के अंतर से भा जनसंख्या वृद्धि-दर ज्ञात की जा सकती है। राजस्थान में 1921 तक संपूर्ण राष्ट्र की प्रति

ही जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई। 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1.02 करोड़ थी जिसमें 1911 में मामूली वृद्धि होकर यह 1.10 करोड़ हो गई। 1921 में इस जनसंख्या में मामूली गिरावट आई और यह 1.04 करोड़ हो गई। 1921 के पश्चात् राजस्थान की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1931 में यह जनसंख्या बढ़कर 1.18 हो गई और 1991 में यह 4.40 करोड़ तक पहुंच गई है। इस प्रकार विगत 90 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 326% बढ़ा है। जिलेवार विरलेपण करने पर ज्ञात होता है कि इसी 90 वर्षों में राजस्थान के 14 जिलों में जनसंख्या का वृद्धि दर राज्य का जनसंख्या वृद्धि की तुलना में अधिक रहा है। इस अवधि में गणतंत्र जिले में यह विकास दर सर्वाधिक 1725.77% रहा है। शेष बचे हुए 13 जिलों में जनसंख्या की वृद्धि-दर राज्य की औसत वृद्धि दर की तुलना में कम ही रही है। इनमें सबसे कम वृद्धि दर भीरपुर जिले में अंकित की गई जो कि 150.66% है।

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दशक की जनसंख्या वृद्धि-दर (Decade growth rate) 28.44% अंकित की गई जबकि 1981 में जनगणना के अनुसार यह वृद्धि-दर 32.97% थी। 1951 में वृद्धि-दर 15.20% थी। 1961 में इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई और यह 26.20% हो गई जो कि राष्ट्रीय औसत से 4.69% अधिक था। 1971 में इसमें अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई और यह 27.83% हो गई किन्तु 1981 में इसमें पुनः त्वरित वृद्धि हुई और यह 32.97% तक पहुंच गई जो कि राष्ट्रीय औसत से 7.97% अधिक था। 1991 की जनगणना से यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर में गिरावट आने लगी है क्योंकि यह 1981 में 28.44% रह गई जो कि 1981 की तुलना में 4.5% कम है। राजस्थान में जन्म व कहरन व उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि-दर अंकित की गई है। यह तथ्य राजस्थान के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका आशय यह है कि राजस्थान सरकार का जनसंख्या वृद्धि-दर को नियंत्रित करने के विशेष प्रयत्न करते होंगे। यह हो सकता है कि 1991 में 1981 का अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि-दर में जो गिरावट आई है वह राजस्थान में निरंतर जनसंख्या वृद्धि दर में आने वाली गिरावट का संकेत का एक संकेत हो।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की दर जिलेवार स्थिति

(A) राज्य की वृद्धि दर 28.44%

(B) राज्य की औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले-

- 1 बीकानेर 42.70%
- 2 जैसलमेर 41.73%
- 3 जयपुर 37.44%

(C) राज्य की औसत वृद्धि दर से कम वृद्धि दर वाले प्रमुख जिले

- 1 पाली - 16.63%
- 2 अजमेर - 20.05%
- 3 चित्तौड़गढ़ 20.42%

स्रोत: Statistical Abstract of Rajasthan 1994

1981 से 1991 के दशक में राजस्थान में 35 से अधिक की दशक जनसंख्या वृद्धि-दर बीकानेर जैसलमेर और जयपुर में अंकित की गई। 30 से 35 के मध्य जनसंख्या वृद्धि-दर भीकर कोटा नागौर चूरू बांसवाड़ा और अलवर जिले में रही। 25 से 30 के मध्य जनसंख्या वृद्धि-दर (राजस्थान का औसत 28.44%) डुण्डु गगानगर बाड़मेर झुंझरपुर धौलपुर जोधपुर सर्वाई माधोपुर भरतपुर जालोर और बूंदी में अंकित की गई। 20 से अधिक व 25 तक वृद्धि दर टोंक उदयपुर झालावाड़ भीलवाड़ा सिरोंही और चित्तौड़गढ़ जिलों में रही। 20% या इससे कम जनसंख्या वृद्धि दर अजमेर और पाली में पाई गई।

1991 की जनगणना के अनुसार औसत वार्षिक चक्र वृद्धि दर (Average annual exponential growth rate) राजस्थान व भारत में क्रमशः 2.50 व 2.14 प्रतिशत है।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण

Factors Affecting Population Growth Rate in Rajasthan

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में दशक जनसंख्या वृद्धि-दर व औसत वार्षिक वृद्धि दर दोनों ही 1981-91 के दशक में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर का स्थिति अलग-अलग है। मुख्य रूप से राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं

1 आर्थिक पिछड़ापन (Economic Backwardness)- जनसंख्या वृद्धि दर और आर्थिक विकास का

गहरा संबंध है। आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। यद्यपि पूरे देश और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में 1981-91 के दशक में कमी आई थी फिर भी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्योंकि राजस्थान अन्य राज्य की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन औद्योगिक एवं सामाजिक पिछड़ापन है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि-दर अपेक्षाकृत अधिक है।

अतिप्रजनन 1991

जनगणना की शुरुआत तो 1881 से माना जाता है लेकिन इससे पूर्व भी जनगणना को पर्याप्त महत्व दिया गया था। कैटिल के अंशशास्त्र से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सनातनी नामक अधिकारी को गाँवों का सोमा का बागीचों तलाशों मरिदा धर्मशास्त्रों जनसंख्या की सखा कृषक शिल्पियों व्यापारियों भूवृद्धों दासों पुरुषों स्त्रियों बच्चों बहों आदि के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करके-उत्सव विवरण रखना पड़ता था। इसी प्रकार नगर के अधिकारी वार वस्तु या कि यह जाति गौर के अनुसार सभी स्त्री पुरुषों की जनगणना परे रूप से उनका व्यवसाय आय व्यय का विवरण प्राप्त कर। कैटिल ने तो यह सुझा भी दिया था कि कई बच्चों की जनगणना प्राप्त करने के लिए मुक्तबंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ईसा से तीसरी व चौथी शताब्दी पूर्व मौर्यकाल में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। मुगलकाल में भी सैन्य व्यय का राजस्व वसूली के लिए विस्तृत विवरण तैयार किया जाता था। अतः फलतः की आदि अरबों में 16वीं शताब्दी में जनगणना का संकेत मिलता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल में इस और विशाल प्रयास हुए लेकिन आधुनिक पद्धति का जनगणना का आरंभ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् ही हुआ। 1861 में जनगणना की योजना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनती तो पाई। 1865 में परिचयाना 1866 में मध्य प्रांत 1867 में पंजाब तथा 1869 में अफगानिस्तान की जनगणना हुई। इसी काल में क्रमशः मद्रास बम्बई और कलकत्ता की भी जनगणना हुई। भारत में 1991 की जनगणना वर्तमान जनगणना विधि के दृष्टिकोण से आधुनिक जनगणना होगी। आगामी जनगणना सेम्ट सर्वेक्षण के अनुसार हुआ करेगी।

2 उष्ण जलवायु (Hot Climate) राजस्थान का लगभग समस्त प्रदेश कर्क रेखा से ऊपर स्थित है और इस प्रकार शीतोष्ण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राजस्थान का लगभग आधा भाग रेगिस्तानी होने के कारण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम है। प्रमुख रूप से उष्ण जलवायु के अन्तर्गत मनुष्य जल्दी परिपक्व होता है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि-दर बढ़ने की अधिक संभावना रहती है। यह संपूर्ण भारत की भांति राजस्थान के सर्दर में भी जनसंख्या वृद्धि-दर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

3 बाल विवाह (Children's Marriage) राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत कम उम्र में विवाह होते हैं जिससे कम उम्र में ही सतान होना आरंभ हो जाता है। कनूना रूप से लड़के और लड़की की विवाह याप आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष है किन्तु विशाक नरामाण

क्षेत्रों में इस नियम का पालन नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने बाल विवाह के जो दुष्परिणाम बतलाये थे वे राजस्थान पर बिल्कुल सही उतरते हैं। उन्होंने कहा था कि "बाल विवाह से अक्षाप्रतिक सन्तानोत्पत्ति होती है और अत्यायु में सन्तान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अत्यायु होती हैं, उनकी दुर्बल और गेगी सतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है।" उन्होंने यह भी कहा था, "आज घर-घर इतनी विधवाएँ पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाह की संख्या घट जाये तो विधवाओं की संख्या भी स्वयंमेव घट जायेगी।"

4. संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System) - राजस्थान में भारत के अधिकांश भागों की भाँति आज भी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर होता है। इस कारण बाल विवाह और उसके परभाव कम उम्र में सन्तानोत्पत्ति, साथ ही बच्चों के पालन पोषण में अत्यायु में विवाहित दम्पति को कोई विशेष कठिनाई नहीं आती। इस कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।

5 गरीबी एवं निम्न जीवन-स्तर (Poverty and Low standard of living) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या को आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कारण लोगों का जीवन स्तर भी नीचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर छोटे-छोटे बच्चों को भी अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से काम लगा दिया जाता है। इससे इस प्रवृत्ति का बल मिलता है कि अधिक सतान से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। यह मानसिकता जन्म दर को बढ़ाने में सहायक होती है।

6 शिक्षा का अभाव (Lack of Education) - राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। राजस्थान की केवल 38.55 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर है। संपूर्ण भारत में साक्षरता का यह प्रतिशत 52.21 है। यह तथ्य अनेक अध्ययनों में निरूद्ध हो चुका है कि साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि-दर में विपरीत संबंध है। इस कारण साक्षरता में कमी स्वाभाविक रूप से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा के कारण नगण्य व्यक्ति भविष्य के प्रति सचेत नहीं होता और उसका परिवार अकारण ही बड़ा हो जाता है।

7 शिशु मृत्यु दर अधिक (Higher infant death rate) - शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण भी राजस्थान में अधिक सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति प्रायः यह सोचता है कि वर्तमान बच्चों में से भविष्य का पता नहीं कितने बच्चे जन्म रहे, इस कारण वह

परिवार को बड़ा रखना चाहता है। इसके साथ ही पुत्र का होना आवश्यक माने जाने के कारण भी परिवार में वृद्धि होती है। शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का प्रमुख कारण राजस्थान में निम्नस्तर की सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोगों तक न पहुँचना है।

8 प्रकृति पर निर्भरता व भाग्यवादिता (Dependence on Nature) - देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सन्तानोत्पत्ति भाग्य भरोसे है। व्यक्तियों का साधारणतः यह विश्वास रहता है कि जो जन्म लेता है, वह अपना भाग्य भी साथ लाता है। रेगिस्तान व कम वर्षा तथा प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राजस्थान का निवासियों विशेष रूप से भाग्यवादी बन गया है। भाग्यवादिता के आधार पर सन्तानोत्पत्ति पर अकुश लगाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है।

9 परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता (Indifferent Attitude towards family planning) - राष्ट्र में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के चलते हुए एक लंबी अवधि बीत चुकी है, किन्तु फिर भी राजस्थान में और विशेषतः इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पाया है। इसका कारण परिवार नियोजन के प्रति राजस्थान में अत्यधिक उत्साह नहीं देखा गया है। यह प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाती है।

10 अन्य (Others) - देश के अन्य भागों की भाँति राजस्थान में भी विवाह के अनिवार्यता, आवास समस्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, सामाजिक सुख की अपर्याप्तता आदि वे महत्वपूर्ण कारण हैं, जो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि-दर को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

RURAL & URBAN POPULATION

राजस्थान में गाँवों का आधिक्य है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 3.42 करोड़ की जनसंख्या में से 2.70 करोड़ लोग गाँवों में और 0.70 करोड़ लोग शहरों में निवास कर रहे थे। इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या का 78.95% गाँवों में और 21.05% शहरों में निवास करता था। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 4.40 करोड़ की जनसंख्या में से 3.39 करोड़ लोग गाँवों में और 1.01 करोड़ लोग शहरों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का 77.1%

की गाँवों में और 22.9% शहरों में निवास कर रहा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में ग्रामीण एव शहरी जनसंख्या का वितरण निम्न तालिका में स्पष्ट है -

राजस्थान में जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसंख्या की स्थिति (1991)

- (A) राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या 3 39 करोड़
राजस्थान का शहरी जनसंख्या 1 00 करोड़
- (B) सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रमुख जिले
- 1 जयपुर 28 5 लाख
 - 2 उदयपुर 23 9 लाख
 - 3 गगानगर 20 7 लाख
- (C) सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले प्रमुख जिले
- 1 जयपुर 18 6 लाख
 - 2 जाधपुर 7 6 लाख
 - 3 कोटा 7 3 लाख
 - 4 अजमेर 7 0 लाख

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1994

उपरोक्त तालिका में ज्ञात होता है कि राजस्थान की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या एव इसी भाँति सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी जयपुर जिले में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर जिले का दूसरा और गगानगर जिले का तीसरा स्थान है। राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर जिले में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर के पश्चात् जाधपुर का स्थान है। तीसरा स्थान कोटा व चौथा अजमेर जिले का है। राजस्थान में सबसे कम शहरी जनसंख्या जैसलमेर जिले में है। राजस्थान में नगरीकरण की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या के विभिन्न नगरीय व कन्दित हो जाने का कोई अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। राजस्थान के साधन सम्पन्न होने व कारण इस प्रवृत्ति का दीर्घकाल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करके और साथ ही छोटे नगरीय कर्मों और शान्त व औद्योगिक विकास करके इस प्रवृत्ति का बड़ा सामाजिक सेवा कर सकता है। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या में अग्रोकरण की प्रवृत्ति के कारण तीव्र गति में वृद्धि हुई है। इस तथ्य का आभास राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपलब्ध आंकड़ों से होता है -

राजस्थान में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर				
शहर	जनसंख्या			
	1961	1971	1981	1991
जयपुर (US)	403444	615258	977165	1518235
जोधपुर	224766	317612	576345	666279
कोटा	120345	212991	358241	537371
बीकानेर	150634	188518	253174	416289
अजमेर	281240	264591	375593	402700
उदयपुर	111139	161278	232588	308571
अलवर (US)	72707	100378	145795	210146
भीलवाड़ा	43409	32155	122625	183965
गगानगर	63854	90042	123692	161482
भरतपुर	49776	68036	105274	156880
सीकर	50636	70987	102970	148272
पाली	-	-	-	136842
भ्यावर (US)	-	-	-	106721
टोंक (US)	-	-	-	100235

उपरोक्त तालिका में ज्ञात होता है कि गत 30 वर्षों में जयपुर शहर की जनसंख्या 3 गुणा से भी अधिक हो गई है। इसी अवधि में जोधपुर शहर को जामसंख्या 2 5 गुणा से अधिक कोटा शहर की जनसंख्या 4 गुणा से अधिक बीकानेर शहर की जनसंख्या 2 5 गुणा से अधिक बढ़ी है। अजमेर शहर की जनसंख्या 1 5 गुणा से भी कम की वृद्धि हुई है। उदयपुर शहर की जनसंख्या 2 5 गुणा, अलवर शहर की जनसंख्या लगभग 3 0 गुणा तथा भीलवाड़ा शहर की जनसंख्या में 4 0 गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है। गगानगर शहर की जनसंख्या 2 5 गुणा से अधिक व भरतपुर शहर की जनसंख्या 3 0 गुणा से अधिक बढ़ी है। इस प्रकार सबसे कम वृद्धि अजमेर शहर में हुई है।

राजस्थान में नगरीकरण के कारण-FACTORS RESPONSIBLE FOR URBANISATION IN RAJASTHAN

राजस्थान में नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

1 कृषि क्षेत्रों में बेरोजगारी (Unemployment in Agricultural Sector) - मजदूर राजस्थान में कम में कम चरगागाह तो कृषक बेरोजगार ही रहते हैं। जिन स्थानों

पर केवल एक फ़सल ली जाती है, वहाँ पर वह लगभग 8 माह बेरोज़गार रहते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के कारण अजाल आदि की स्थिति में कृषक एवं कृषि मजदूर दोनों ही बेरोज़गार हो जाते हैं। इस कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए आना आरंभ हो जाते हैं।

2 ग्रामों में सुविधाओं का अभाव (Lack of facilities in villages) - भारत की भाँति राजस्थान राज्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उन्नति के इच्छुक ग्रामवासी इन मूलभूत सुविधाओं में वरिष्ठ नहीं रहना चाहते, अतः शहरों में उपलब्ध इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वे शहरों में आकर बसना आरंभ कर देते हैं।

3 ग्रामों में सुरक्षा का अभाव (Lack of Security in Villages) - ग्रामीण क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। अतः साहूकार, जमींदार तथा व्यापारी आदि धनवान् व्यक्ति शहरों में आकर बसने की प्रवृत्ति रखते हैं। आम व्यक्ति भी सुरक्षा की खोज में शहरों में आना चाहते हैं।

4 परिवहन साधनों का विकास (Transportation) - राजस्थान में पूरे देश की भाँति परिवहन के माध्यम तीव्र गति में विकसित हो रहे हैं। इस कारण ग्रामीण लोग व व्यापारी शहरी मण्डलों एवं व्यापारिक केन्द्रों में सर्पक स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे लाभ कमाने के उद्देश्य में ये शहरी क्षेत्रों में भी व्यापार करना आरंभ कर देते हैं।

5 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage and Small Scale Industries) - ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों और छोटे-छोटे कारीगरों को पूरा कार्य नहीं मिल पाता फलतः वे शहरों में आते हैं। शहरों में अधिक मजदूरी व स्थाई रोज़गार मिल जान पर एतद्व्यतिरिक्त शहरों में ही बस जाते हैं।

शहरों में राजस्थान में संपूर्ण देश की भाँति नगरकरण वा प्रवृत्ति को गेकने के गर्भ में प्रयास किया जाना चाहिये इस हेतु गाँवों के कच्चे और नगर का एक दूसरे के पूरक व रूप में विकास होना चाहिये ताकि सभी लोगों को लगभग समान सुविधाएँ व अवसर मिल सकें। तर्फी मुख्य में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के प्रयास सार्थक हो पाएँ।

राजस्थान में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को प्रतिबिम्बित करता है। 1971 की जनगणना में श्रमिक की परिभाषा में श्रमिक वर्ग में केवल उन्हीं व्यक्तियों का सम्मिलित किया गया, जो मुख्य रूप से पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुये थे। शेष व्यक्ति पैर श्रमिक माने गये। राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर श्रमिकों का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -

श्रमिकों का वर्गीकरण (प्रतिशत में) ¹				
वर्गीकरण	वर्ष	प्राथमिक	शहरी	कुल
मुख्य श्रमिक	1981	31.53	26.54	30.48
	1991	32.94	27.18	31.62
सहायक श्रमिक	1981	7.54	0.83	6.13
	1991	9.10	0.99	7.25
पैर श्रमिक	1981	60.93	72.63	63.39
	1991	57.96	71.83	61.13

राजस्थान में 1991 की जनगणना के आधार पर मुख्य श्रमिकों को उनके व्यवसाय के अनुसार निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है -

मुख्य श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण (लाखों में) ²			
व्यावसायिक वितरण	ग्रामीण	शहरी	कुल
कुल मुख्य श्रमिक	111.79	27.35	139.15
1 कृषक	79.38	2.42	81.81
2 कृषि श्रमिक	12.90	1.01	13.91
3 पशुपालन, वन, मत्स्य, आउट बुन्दारेण उद्योग			
एवं सहायक क्रियाएँ	2.10	0.40	2.51
4 खन एवं खनन	1.06	0.37	1.43
5 विनिर्माण, निर्माण तथा एवं सस्त्र			
घरेलू उद्योग	1.82	0.95	2.78
घरेलू उद्योग के अतिरिक्त	2.61	4.96	7.58
6 निर्माण कार्य	1.48	1.88	3.37
7 व्यापार एवं कर्मिण्य	3.02	5.90	8.92
8 परिवहन, सञ्चारण एवं मरार	1.22	2.10	3.32
9 अन्य सहायक	6.16	7.32	13.48

तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में अधिकांश व्यक्ति कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। यह तथ्य राज्य में कृषि की प्रधानता को स्पष्ट करता है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम श्रमिक कार्यरत हैं। वस्तुतः राज्य में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अतः अन्य क्षेत्रों की तुलना में राज्य के उद्योग-क्षेत्र में कम श्रम शक्ति का होना स्वाभाविक है। राज्य का सेवा क्षेत्र अनेक व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करता है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी क्रियाओं में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

जिलानुसार श्रमिकों के वर्गीकरण की स्थिति 1991

(A) मुख्य श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले

- 1 जितौड़गढ़ 41 45%
- 2 भातवाड़ा 40 39%
- 3 झालावाड़ 38 25%

(B) सीमान्त श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-

- 1 डुंगरपुर 14 41%
- 2 बांसवाड़ा 13 89%
- 3 बाड़मेर 10 82%

(C) गैर श्रमिकों के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले-

- 1 धौलपुर 70 42%
- 2 सीकर 68 35%
- 3 झुंझरू 66 58%

श्री Final Population Figures (1991)

राजस्थान में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में प्राथमिक व्यवसायों में काफी बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। इस संदर्भ में आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रो चार्ल्स स्टीवार्ट को उद्धृत किया जा सकता है। उनके अनुसार - 'श्रम पथ के मद्दे में आर्थिक विकास का मूल तथ्य हममें निहित है कि श्रमिकों का कृषि में वाणिज्यिक कार्यों में व्यवसायान्तरण किया जाए।' इस बात का समर्थन प्रो ए जी डी फिशर ने भी किया है। उनके अनुसार "प्रत्येक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में और विनियोग में एक निश्चित हस्तान्तरण प्राथमिक क्रियाओं से उससे अधिक सभी प्रकार की द्वितीयक क्रियाओं में और हममें भी अधिक सीमा में तृतीयक उत्पादन में होता है।" इस प्रकार राजस्थान में कृषि पर अग्रिमता के कारण कार्यरत जनसंख्या की व्यावसायिक गतिविधियों में कमी दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान में दैनिकीय व्यय भी बहुत अधिक मात्रा में विकसित नहीं हो पाये हैं। इस कारण

भी यह स्थिति है। राजस्थान में तीव्र गति में विकास करने के लिए जनसंख्या को अन्य व्यवसायों में हस्तान्तरित करना होगा।

राजस्थान में स्त्री-पुरुष अनुपात

SEX RATIO IN RAJASTHAN

स्त्री पुरुष अनुपात में आशय प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। यह एक महत्वपूर्ण सूचक है जिसका प्रभाव जन्म दर, मृत्यु दर और श्रम शक्ति पर पड़ता है। यदि इस अनुपात में काफी अधिक असमानता हो तो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के साथ जनसंख्या में संबंधित अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाएगी। आदर्श स्थिति में स्त्री-पुरुषों का अनुपात बराबर या लगभग बराबर होना चाहिये। राजस्थान में संपूर्ण भारत की भांति स्त्री पुरुष अनुपात कभी भी समान नहीं रहा। इस बात का ज्ञान निम्न तालिका से भी होता है -

राजस्थान में स्त्री - पुरुष अनुपात*			
वर्ष	स्त्री पुरुष	वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात
1901	905	1951	921
1911	908	1961	908
1921	896	1971	911
1931	907	1981	919
1941	906	1991	910

जिलेवार स्त्री-पुरुष अनुपात की स्थिति (1991)

(A) उच्च औसत (910) से अधिक अनुपात वाले प्रमुख जिले

- 1 डूंगरपुर 995
- 2 बंसवाड़ा 969
- 3 उदयपुर 965

(B) उच्च औसत से कम अनुपात वाले प्रमुख जिले

- 1 धौलपुर 795
- 2 बैतलमेर 807
- 3 भरतपुर 832

श्री Statistical Abstract Raj 1994

ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमधोपुर, जयपुर, जैमलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरी व बांटा जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात राज्य का औसत अनुपात से कम है।

2 राजस्थान में चुरू, झुंझरू, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर

पाली, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में स्त्री-पुरुष अनुपात राज्य के औसत स्त्री-पुरुष अनुपात से अधिक है।

3 राजस्थान में सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात डूंगरपुर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमशः बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि का स्थान है।

4 राजस्थान में सबसे कम स्त्री-पुरुष अनुपात धौलपुर जिले में है।

5 राजस्थान में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः स्त्री पुरुष अनुपात अधिक है। शहरी क्षेत्रों में यह राज्य के औसत से प्रायः कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः अधिक है।

6 राजस्थान में 1981 की तुलना में स्त्री-पुरुष अनुपात कम हुआ है। राज्य का स्त्री-पुरुष अनुपात सम्पूर्ण भारत के औसत अनुपात की तुलना में कम है।

7 1901 से 1991 तक राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं रहा, जिसमें लगभग त्रिवेणी की मछली पुरूषों में अधिक रहे हो।

8 यह स्मरण कराना उपयुक्त प्रतीत होता है कि 1901 की जनगणना के समय डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे जिले थे, जहाँ पर स्त्री-पुरुष अनुपात त्रिवेणी के अनुकूल था। डूंगरपुर में स्त्री-पुरुषों की मछली बराबर थी और बांसवाड़ा में स्त्रियों की मछली पुरुषों में अधिक थी। 1911 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में स्त्रियों की मछली अधिक थी। बांसवाड़ा में यह स्थिति केवल 1931 तक बनी रही। डूंगरपुर में 1931 की जनगणना में यह स्थिति नहीं बन रह सकी। 1931 की जनगणना में उसमें पुरूषों की मछली अधिक हो गई। यह स्थिति 1941 की जनगणना में भी रही। 1951 में डूंगरपुर ने पुनः 1931 से पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ली, जिसमें स्त्रियों की मछली पुरुषों से अधिक थी। 1961 में यह स्थिति नहीं रही। इस जिले में 1971 और 1981 की जनगणना में स्त्रियों की मछली बढ़ी अवश्य किन्तु वह पुरूषों की मछली से कम रही। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का डूंगरपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की मछली पुरुषों से अधिक है।

राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व एवं असमान वितरण

DENSITY & UNEVEN DISTRIBUTION OF POPULATION IN RAJASTHAN

जनसंख्या के घनत्व और आर्थिक विकसन में गहरा संबंध है। इनका कारण जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन

किया जाता है। जनसंख्या के घनत्व से आशय एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या से है। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्र का भाग देकर जनसंख्या का घनत्व माँलूम किया जा सकता है। घनत्व एक क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या की स्थिति को बताता है। इसमें यह ज्ञात होता है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या कम है और किन्हीं में अधिक है। विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार राजस्थान व भारत में घनत्व का स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है-

राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व		
वर्ष	राजस्थान	भारत
1901	30	77
1911	32	82
1921	30	81
1931	34	90
1941	41	103
1951	47	117
1961	59	142
1971	75	177
1981	100	216
1991	129	273
2001(अनु)	164	-

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10% से अधिक है, किन्तु इसमें भारत की लगभग 5% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के 27 जिलों के मध्य में 1991 की जनगणना के आकड़े उपलब्ध हैं जिनके अनुसार सभी जिलों में जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग है।

राजस्थान में जिलेवार क्षेत्रफल एवं घनत्व की स्थिति (1991)

(A) राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले

1. जैसलमेर - 11.22%
2. बाड़मेर - 8.29%
3. बीकानेर - 7.96%

(B) राज्य के सर्वाधिक घनत्व वाले प्रमुख जिले-

1. डूंगरपुर - 336
2. पालपुर - 326
3. अजमेर - 274

(C) राज्य के दूसरे क्रम घनत्व वाले प्रमुख जिले

1. जैसलमेर - 8
2. बीकानेर - 27
3. बाड़मेर - 45

स्रोत: Statistical Abstract, Raj 1994

राजस्थान के घनत्व के मन्थ में निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है

1 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 1931 में निरंतर बढ़ रहा है। यह 1901 व 1921 में 30 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 1931 में यह 34 हो गया और उसके बाद निरंतर बढ़ता हुआ 1991 में 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया।

2 राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व सदैव भारत के जनसंख्या का घनत्व से कम रहा है।

3 जयपुर जिला राजस्थान का सभ्य घना घना जिला है। इसके प्रमुख कारण इसका गन्तव्य होना तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त आवागमन सुविधाओं उपलब्ध होना है। जयपुर का व्यापारिक केंद्र के रूप में उदित होना भी एक कारण है। जयपुर के पर्यटन भवन पर अलवर व झुझुनू का स्थान है।

4 जैयनगर जिला घनत्व की दृष्टि से सबसे नीचे है। इस के मुख्य कारण इस क्षेत्र का गन्तव्य होना जनवासी विषम होना प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होना कृषि एवं औद्योगिक विकास का दृष्टि में पिछड़ा होना तथा परिवहन के साधनों का विकसित न हो पाना आदि है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति

SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 1981 में क्रमशः 58 38 लाख व 41 83 लाख थी जो 1991 में बढ़कर क्रमशः 76 07 लाख व 54 47 लाख हो गई। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति का जनसंख्या का प्रमाण व शहरी क्षेत्र में वितरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति					
वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		
	संख्या	घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर	संख्या	घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर	संख्या
1961	58 38 47	90 10 43	41 83 40	27 1 56	
1991	76 07 81	02 15 05	54 74 52	202 54	

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जिलेवार स्थिति 1991

(A) अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रमुख जिले	
1 जयपुर	29.56%
2 बिकानेर	21.87%
3 भरतपुर	21.84%
(B) अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रमुख जिले -	
1 बीकानेर	73.47%
2 जयपुर	65.64%
3 भरतपुर	36.79%

Source: Statistical Abstract of Rajasthan 1994

राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्ति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बराबर स्थिति में है। अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। गानग जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का एक बामबादा जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है।

राजस्थान में धर्म के अनुसार जनसंख्या Religionwise Population in Rajasthan

धर्मानुसार जनसंख्या का वितरण 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। 1981 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 89.32% लोग हिन्दू 7.28% मुस्लिम 1.28% जैन 1.44% सिख 0.12% ईसाई एवं 0.01% बौद्ध धर्मावलम्बी थे। ज्ञात होता है कि

- 1 राजस्थान में धर्मानुसार सर्वाधिक हिन्दू धर्मावलम्बी है।
- 2 कुल जनसंख्या के प्रतिशत व आधार पर जयपुर जिले में सर्वाधिक हिन्दू निवास करते हैं। राजस्थान में सबसे कम हिन्दू जनसंख्या का प्रतिशत जैयनगर व गानग जिले में है।
- 3 जैयनगर जिले का कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का भाग सर्वाधिक है। प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या जयपुर जिला व गानग जिले में है।
- 4 जयपुर जिले में जनसंख्या में अन्य धर्मों का अंश सर्वाधिक जैन धर्मावलम्बी है। राजस्थान में गानग जिले में है।
- 5 सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या गानग व जयपुर जिले में है।
- 6 राजस्थान में अन्य धर्मों का अंश राजस्थान जिले में जनसंख्या में ईसाई धर्मावलम्बी का प्रतिशत सबसे

अधिक है, तत्पश्चात् अजमेर का स्थान है।

7 सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलम्बी अजमेर व वासवाड़ा में निवास करते हैं।

राजस्थान में मानव संसाधन विकास के तीन महत्वपूर्ण सूचक

THREE IMPORTANT INDICATORS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(A) राजस्थान में साक्षरता (Literacy in Rajasthan) - व्यक्तिगत द्वारा किसी भाषा को सामान्य रूप में लिखने पढ़ने तथा उसे समझने की क्षमता को प्रायः साक्षरता का नाम दिया जाता है। भारत में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में कम है, तो राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अधुनिक समय में साक्षरता उत्तरी ही महत्वपूर्ण माना जाती है जितना कि आवास तथा भोजन सामान्य तौर पर दो प्रकार की सभ्यता दरें ज्ञान का ज्ञाता है। पहली, सामान्य साक्षरता दर जो कि कुल सभ्यता और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात होती है। दूसरी, प्रभावी साक्षरता दर जो कि 1981 की जनगणना तक भारत में पांच वर्षों से कम उम्र के बच्चों को निर्धार मानते हुये ज्ञान की जाती थी। 1991 की जनगणना से प्रभावी साक्षरता दर ज्ञान करने के लिए सात वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या को छोड़ दिया गया है। राजस्थान निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में से है। महिलाओं में साक्षरता बहुत ही कम है। इन सब तथ्यों का आधार निम्न तालिका से होता है।

राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत

वर्ष	पुरुष			महिला		
	संख्या	दर	योग	संख्या	दर	योग
1951	13 09	2 51	8 02	24 68	7 88	16 67
1961	23 71	5 84	15 21	34 45	12 95	24 02
1971	28 74	8 46	19 07	39 45	18 72	29 45
1981	36 30	11 42	24 38	46 89	24 82	36 17
1991	54 99	20 44	35 55	64 13	39 29	52 21

उपरोक्त तालिका में निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है-

- 1 राजस्थान में महिला एवं पुरुष साक्षरता, दोनों ही अखिल भारतीय साक्षरता दर से कम है। पुरुषों में साक्षरता दर भारतीय औसत में 9 12% कम है जबकि महिलाओं में साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत में 18 75% कम है।

राजस्थान में 1981 की तुलना में 1991 में पुरुष एवं महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। 1981 में राजस्थान की कुल साक्षरता दर 30 09% (7 वर्ष व उससे ऊपर की जनसंख्या के आधार पर) थी जो 1991 में लगभग 8 5% बढ़कर 38 55% हो गई। पुरुषों में इसी अवधि में साक्षरता के अन्तर्गत 10% से भी अधिक वृद्धि हुई, किन्तु महिलाओं में यह वृद्धि मात्र 6 45% ही रही।

2 राजस्थान में विद्यालय जाने वाले बच्चों का प्रतिशत भी राष्ट्रीय औसत से कम है। 1989-90 में राजस्थान में 6-11 एवं 11-14 वर्ष आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चों का औसत क्रमशः 89 37 एवं 51 25% था। दूसरी ओर इसी आयु वर्ग में राष्ट्रीय औसत 1986-87 में क्रमशः 96 0 एवं 53 1% था। इसी संदर्भ में उपरोक्त आयु वर्ग में लड़कियों का विद्यालय जाने का प्रतिशत क्रमशः 57 60 एवं 24 93 प्रतिशत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता का एक प्रमुख कारण प्रारंभिक आयु में विद्यालय नहीं जाना भी है।

राजस्थान में जिलेवार साक्षरता दर की स्थिति 1991

(A) सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले

- 1 अजमेर - 52 34%
- 2 जयपुर - 47 88%
- 3 कोटा - 47 88%

(B) न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रमुख जिले

- 1 बाड़मेर - 22 98%
- 2 जालौर - 23 76%
- 3 वासवाड़ा - 26 00%

(C) महिला साक्षरता में अग्रण जिले

- 1 अजमेर - 34 50%
- 2 कोटा - 29 50%
- 3 जयपुर - 28 69%

Source: Statistical Abstract Raj 1994

ज्ञान होता है कि -

- 1 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में राज्य की औसत साक्षरता दर की अपेक्षा गंगानगर, बीकानेर, झुझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर तथा कोटा जिलों में साक्षरता दर अधिक थी, जबकि अन्य जिलों में राज्य के औसत से कम साक्षरता विद्यमान है।
- 2 राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर अजमेर जिले में है, तत्पश्चात् जयपुर व कोटा जिले संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर तथा झुझुनू जिला तृतीय स्थान पर आते हैं।
- 3 पुरुषों में साक्षरता दर की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर है। झुझुनू जिला द्वितीय स्थान पर तथा जयपुर

विस्तार की आवश्यकता है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 445.33 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। त्रम व मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। जीवन प्रत्याशा (1995-96) लगभग 61 वर्ष हो गई है जो कि 1961 में 46.8 वर्ष था।

(ii) पोषाहार (Nutrition) - राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तीनों महिलाओं और बच्चों को यह पोषाहार विशेष रूप से दिया जाता है ताकि गर्भवती महिलाएँ व बच्चे अनेक प्रकार के कुपोषण से संबंधित रोगों में ग्रसित न हों। विभिन्न राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग में भी ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष रूप से निर्धन अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। 1974 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया और उन्हें राष्ट्र की सर्वोपम महत्वपूर्ण सम्पदा के रूप में मान्यता दी गई। तत्पश्चात् इनके पोषाहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत में बच्चों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 42% में भी अधिक है। राजस्थान में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 14% है। बच्चों के खराब स्वास्थ्य, अस्वास्थ्यकर आचरण और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण यहाँ की शिशु मृत्यु दर 8.4 प्रति हजार है जबकि राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रति हजार है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान का आठवीं योजना में विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत 34.90 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नवी योजना में 125.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास की दिशा में उठाये गये सरकारी कदम

1 शिक्षा एवं साक्षरता - राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास हेतु शिक्षा के विस्तार एवं साक्षरता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में साक्षरता अभियान राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। 1994-95 के बजट में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। मीडा के सहयोग से लाइव-जुविशिय योजना तथा टूनिंग के आर्थिक सहयोग से राज्य के पाँच जिलों में गुरु-निर्देश योजना चालू है।

2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ी हैं लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम हैं। 1995-96 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया।

3 पेयजल एवं स्वच्छता - स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में अनेक पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया। राज्य के बड़े नगरों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था है तथा राज्य के अधिकांश गावों में पूर्ण अथवा आंशिक व्यवस्था हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था नगरपालिकाओं द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा का जाता है।

4 पोषण एवं पौष्टिक आहार - राज्य की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रमों का संचालन करती रही है। सरकार समय-समय पर निर्धन जनता को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराती है। महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए औषधियों का वितरण किया जाता है।

5 आर्थिक विकास - स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य की जनता की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य का नियोजित ढंग से आर्थिक विकास किया जा रहा है। आठ पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है तथा नवी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है। अतः राज्य में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने से जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम FAMILY WELFARE PROGRAMME IN RAJASTHAN

देश में तबू से बढती हुई जनसंख्या व सम्बन्ध में कौन्से माइड ने लिखा है कि "बन की तुलना में गर्भाशय अधिक संतानोत्पत्ति है लेकिन उतना ही भयंकर मिट्टी हो सकता है। भ्रमोत्पत्ति की बजाएँ श्वास घुटन मानव कक्षा का पल्लव कर सकता है।" अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य मोक्ष-समझकर स्वच्छता से, सन्तानोत्पत्ति करना एवं पचाएँ होने वाले जनता का प्रतिबन्धित करना है। वस्तुतः परिवार कल्याण कार्यक्रम मूल रूप में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश के विकास और खुशहाली की कुञ्जी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थात् प्रत्येक परिवार अपने का मोहित रखते हुये अश्विक्लपूर्ण मानव पर गौरव लगा सकता है व मतानों की उचित देखभाल कर

महत्ता है। इस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है।

परिवार नियोजन अनुसंधान एवं कार्यक्रम कमेटी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि 'परिवार नियोजन का कल्याण अर्थ का प्राथमिकता बनाना है। यच्चों को जन्म में अंतर लाने के सर्कीर्ण अधि म नर्ती की जानी चाहिये। परिवार नियोजन का उद्देश्य राजागभव परिवार का विकास समाज को एक इकाई के रूप में इस ध्येय निर्मित करना है। यह चर्चित विमर्श उन 'शशओ को पुनः करने में सुविधा है। ता उस 'शशओ के कल्याण र विण समाजिक साम्प्रतिह आर आर्थिक दृष्टि में आउपेक है। इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य अनियोजित जन्म का रोकना तथा मन्मानवर्ति व वीर उचित अंतर रखना है। ताकि मा व स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न हो। साथ ही वच्चों का उचित देखभाल हो सके। इस प्रकार निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम देश के अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक आहार शिक्षा रोजगार और सामाजिक परिवर्तन के रूप में मण्डल बनाने में भी सज्जद है। ताकि परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति मभव हो सके।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम मन् 1952 में अपनाया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम का विधिवत् आरम्भ मई 1963 में हुआ। जबकि परिवार नियोजन अनुसंधान कार्यक्रम समिति का गठन हुआ तथा सरकारों तो पर इस अनुसंधान कार्यक्रम घोषित किया गया। राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार अपमानरूप नहीं कहा जा सकता। सरकार र जल्दधिक प्रकार एवं प्रयासों के माधुन्य भी प्रामाण्य रीत में यह अभी भी प्रभावा नन्। जन पाया है। राजस्थान में विभिन्न परिवार कल्याण विधियों के द्वारा जा व्यापन सामान्दित हो रहे हैं। उाकी मख्या विगत वर्षों में निम्न प्रकार रही है।

वर्ष	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1983-84	3 29 438
1984-85	364355
1985-86	555050
1986-87	626803
1987-88	6767 7
1988-89	55 371
1989-90	8 26 70
1990-91	6 96 346
1991-92	7 67 706
1992-93	8 14 274
1993-94	9 75 56
1994-95	9 07 8
1995-96	980782

राजस्थान में व वैवाहिक जाड़ जा कि पुनर्उत्पादन आयु क अन्तगत आत है। उनका मख्या विगत वर्षों में निरंतर बढ़ती जा रहा है। साथ ही जन्म परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी कुछ मफलता मिली है। इसका आभास अग्र तालिका में होता है।

वर्ष	पुनर्उत्पादन आयु में वैवाहिक जाड़ (हजार)	प्रभारपूर्ण तरीके से परिवार कल्याण कार्यक्रम के शोधन आरम्भने वाले जोग का प्रतिशत
1983-84	6603	17 9
1984-85	67 9	9 4
1985-86	6822	23 1
1986-87	7003	20 0
1987-88	7187	27 9
1992-93	8095	29 4
1993-94	8327	30 7
1995-96	8827	30 4

राजस्थान के जिन जिला में माभारता का प्रसार अधिक हुआ है। उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्त जिला का तुलना में अधिक प्रभावा रहा है। इस प्रकार प्रामाण्य क्षेत्रों का आंशिक राजस्थान के शहरी भूभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम अधिक प्रभावा रहा है। राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रगति में निम्न माधुन्य अनुभव की जाता है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयास

राजस्थान सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का अपनाया है। राज्य का विभिन्न राजधानी में ये कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि में कुछ कमी भी हुई है।

1 राजलक्ष्मी बाण्ड स्कीम। सामित परिवार का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1992-93 में यह प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत नियमित परिवार में माता या पिता की आयु 35 वर्ष में कम हो और उन्मन एक या दो बच्चों के परभावत् समरती आभेक्षण करणा। तो सरकार इस परिवार को एक नडका या ता रक्षिया तक के निय एक एक हजार रुपये की माधुन्य रकमा प्रदान करेगा। यह राशि 20 वर्ष परभावत् का जाण तक नडरिया के छाता में जमा रगी और रक्षित परभावत् व उम मम में न मरगी 20 वर्ष सामान्य रणी के अन्तगत आत वारा नडकी र 21 रजा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रणी में जात रजा नडका को 31500 रुपये प्रात।

लोगों। राजलक्ष्मी बॉण्ड स्कीम का जून, 1996 में सरलिकरण किया गया है। इसके अनुसार अब पति-पत्नी का निर्धारित आयु की सीमा को समाप्त कर दिया गया है एवं बॉण्ड के लिये राशि भी 1500 रुपये निर्धारित कर दी गई है।

2 परिवार नियोजन की नवीन विकल्प योजना - राजस्थान में परिवार नियोजन के लिए एक नवीन यांत्रिक 'विकल्प' के रूप में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण जिला परिवार कल्याण व्यूरे के कर्मचारी आमतौर पर विचार विमर्श के द्वारा निर्धारित करेंगे। नकद राशि एवं वस्तुओं के रूप में लिये जाने वाले पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया और उनके लिये निर्धारित राशि का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारण में लिया जाएगा। इस योजना में निजी चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये योजना राज्य के टोक व दौसा जिलों में प्रारंभ किया गया है।

3 पंचायत चुनाव में परिवार कल्याण सचयी कानूनी प्रावधान - 15 जून 1992 को परिवार नियोजन की दिशा में एक कानूनी प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल के आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर चयनित पंच अथवा सरपंच स्तन ही चुनाव के लिए अयोग्य हो जायेगा। इस प्रावधान में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रति रुचि बढ़ती है।

4 जनमाल योजना - जनमाल योजना का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर पर नियंत्रण करना है। इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में अपनाया गई परिवार कल्याण की नवीन पद्धति जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर की कमी में सहायक होगी। इस योजना में जन्म दर पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन के सधन प्रत्येक उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य व चिकित्सात्मक पर उपस्थित कराया गया है। इसी के साथ प्रत्येक गांव में गर्भ निरोधक वितरण केंद्र भी खोले जा रहे हैं। गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन एवं सामुदायिक आधार पर गर्भ निरोध के वितरण की योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है।

5 शिक्षा एवं साक्षरता - परिवार कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये शिक्षण संस्थानों का तेजी से प्रसार किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। सूचिकृत की सहायता में राज्य के 5 जिलों में "सूचिकृत योजना" कार्यक्रम की जा रही है। इसी कारण सोडा की विनय सहायता के "लोक सुविधा योजना" क्रियान्वित की जा रही है।

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमियां एवं सुझाव

SHORTCOMINGS & SUGGESTIONS

1 ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रचार-प्रसार (Less publicity in Rural Sector) राजस्थान की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जनसंख्या अतिरिक्त व निर्धन है। इस कारण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावपूर्ण रूप में लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इस समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करके किया जा सकता है।

2 प्रशिक्षित चिकित्सकों का अभाव (Lack of Trained Doctors) देश में चिकित्सकों का अभाव है। साथ ही उनका वितरण अत्यधिक असमान है। देश के अधिकांश चिकित्सक शहरों में काम करना चाहते हैं जबकि अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। इस कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने में इच्छुक दम्पति भी इसमें वंचित रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान सरकार द्वारा उचित नैतिकता निर्माण करने में लिहित है। जिसमें कुछ समय तक चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।

3 प्राणियों का समाधान न होना (Lack of Solution of Misconceptions) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी धर्मों तथा अन्य धर्मों का प्रचार हुआ है। साथ ही इन क्षेत्रों में एक मोबाइल हेल्थ इकाई स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की दूर काल के लिये उचित मातृ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पर जाकर लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ उनका समस्याओं पर भी नज़रान कर सके।

4 उचित देखभाल का अभाव (Lack of Proper after Care) इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी भ्रष्टाचार और लालचीयता का प्रभाव देखा जा सकता है। लोगों को अपरेशन अर्थात् के लिये प्रेरित तो किया जाता है किन्तु अपरेशन के पूर्व होने और उसके पश्चात् उनकी देखभाल के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें न केवल लोगों को असुविधा होती है, बल्कि अन्य लोगों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस हेतु किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

5 अपर्याप्त साधन (Lack of Resources) - परिवार नियोजन क्षेत्रों में औषधियों व अन्य सधन का अभाव बना बना रहती है। इस कारण प्रचार प्रसार में प्रेरित जाकर जन लोग चिकित्सा केंद्रों पर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा

माना पड़ता है। यह प्रक्रिया बार-बार होने पर लोग उस कार्यक्रम में दूर होने लगते हैं। इस स्थिति को पर्याय पूर्ति के माध्यम से सुधरा जा सकता है।

6 अन्य कारण (Other Reasons) - परिवार कल्याण के साधन अभी भी महंगे कह जा सकते हैं। राजस्थान में विभिन्न

मनोरं पर दो जा रही शिक्षा क पाठ्यक्रमों में परिवार कल्याण कार्यक्रम सक्की जानकारी का अभाव है। साथ ही परिवार कल्याण कार्यक्रमों में ऑपरेशनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे यह कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त राजनैतिक प्रोत्साहन का भी अभाव बना हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- मानव ससाधन विकास में शिक्षा के महत्व को समझाईए।
Discuss the importance of education in human resource development
- राजस्थान राज्य के वर्तमान व्यावसायिक ढांचे का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
Discuss the nature of present occupational structure of the state of Rajasthan
- राजस्थान का भारत की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत भाग है?
What is the percentage share of Rajasthan in India's population and area?
- 1981 में राजस्थान में मुख्य श्रमिकों का विवरण प्रतिशत विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अनुसार बताईए।
Mention on the percentage of occupational distribution of man workers in Rajasthan in 1981
- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तथा आबादी कितनी है? आबादी का कितना प्रतिशत भागों में रहता है व कितना प्रतिशत कच्चा व पगल में?
What is the total area and population of Rajasthan? What is the proportion of Urban and Rural population in Rajasthan?
- राजस्थान में महिला साक्षरता की दर पूरे भारत में सबसे कम है क्यों? इस समस्या का समाधान हेतु क्या कदम तत्काल उठाए जाएं?
Why female literacy in Rajasthan is lowest in the country? What immediate steps should be taken to improve the situation?
- निम्नलिखित के बारे में बताएं
(अ) जनगणना
Explain the following
(a) Census

(B) निवृत्त-प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण बताईए।
Discuss the main features of Rajasthan's population according to 1991 census
- राजस्थान में जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि को विवेचन कीजिए। वे कौन से घटक हैं जो मानव ससाधन के विकास में सहायगी रहें हैं?
Discuss size and growth of population in Rajasthan. What factors have contributed to human resource development?
- राजस्थान में 1991 की जनगणना के प्रमुख तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
Give a brief description on the factors raised in the census of 1991 about Rajasthan
- राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए। इसकी तेज वृद्धि के कारण बताईए।
Discuss the different aspects of population of the state of Rajasthan. Give reasons for its rapid growth
- राजस्थान में जनसंख्या वितरण का व्यवसाय प्राचीण शहरी एवं कृषि के आधार पर उल्लेख करें। वे कौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के विकास में सहायगी रहे हैं?
Mention on the distribution of population in Rajasthan on the basis of occupation. Rural Urban and district wise. What factors have contributed to human resource development?
- मानव ससाधन विकास के महत्वपूर्ण घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Discuss in brief the important components of human resource development
- राजस्थान राज्य में मानव ससाधन के विकास की समस्या को चिह्नित कीजिए।
Discuss the problem of Human resource development in the state of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(University Examination's Questions)

- 1 राजस्थान में जनसंख्या का अकारण एवं वृद्धि को विवेचना कीजिए। व कौन से घटक हैं जो मानव संसाधन के विकास में सहायता रहे हैं? Discuss size and growth of population in Rajasthan. What factors have contributed to human resource development?
- 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
(अ) राजस्थान में साक्षरता (ब) राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या
Write short notes on the following -
(a) Literacy in Rajasthan (b) Working population in Rajasthan
- 3 राजस्थान में जनसंख्या के आकार, वृद्धि, व्यावसायिक संरचना तथा मानव संसाधनों के विकास के निर्देशांक पर विवेचना कीजिए। Discuss the population indicators of size, growth occupational structure and human resources development in Rajasthan
- 4 राजस्थान राज्य की जनसंख्या का प्रमुख विशेषण बताइए। Discuss the major characteristics of population of the state of Rajasthan
- 5 राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अंतरांतर वितरण का विश्लेषण कीजिए तथा उनकी वृद्धि दर का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। Analyse the districtwise distribution of Rural and Urban population in Rajasthan and discuss their growth rate comparatively
- 6 राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए। इनका तीव्र वृद्धि के कारण बताइए। Discuss the different aspects of population of the state of Rajasthan. Give reasons for its rapid growth



राजस्थान में निर्धनता की समस्या

PROBLEM OF POVERTY IN RAJASTHAN

"निर्धनता, किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- गरीबी व अमीरी की रेखा
- निर्धनता की कौनोगे आधारित अवधारणा के दोष
- राजस्थान में निर्धनता की स्थिति
- राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव
- राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाए गए कार्यक्रम
- जिला निर्धनता निवारण परियोजना
- अभ्यासार्थ प्रश्न

निर्धनता एक ज्वलन्त समस्या है। नियोजनकाल के आरंभ में यह भावना व्यक्त की गई थी कि विकास के साथ-साथ निर्धनता की समस्या भूत हल हो जायेगी, किन्तु समय के साथ-साथ निर्धनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ऐसा नहीं था कि विकास कार्य न हुये हो, वरन् जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने इस समस्या की तीव्रता को निरंतर बनाये रखा। इसी कारण नियोजकों को गरीबी के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्धारण करना पड़ा। वर्तमान में विकास कार्यों के साथ-साथ निर्धनता-निवारण के जो प्रयास किये जा रहे हैं उनका प्रभाव दृष्टिगोचर भी होने लगा है। इसके आशय यह कदापि नहीं है कि गरीबी की समस्या की तीव्रता समाप्त हो गई है।

निर्धनता को जब न्यूनतम उपभाग या न्यूनतम आय में जोड़ दिया जाता है तो यह गरीबी की निरपेक्ष स्थिति को बताता है। दूसरी ओर एक आय वर्ग की तुलना दूसरे आय-वर्ग से की जाए या एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य में की जाये या एक राष्ट्र की आय की तुलना दूसरे राष्ट्र की आय से की जाये तो इससे निर्धनता की सांख्यिक विचारधारा को दल भिन्नता है। भाग ए व राजस्थान में सुनिधा की दृष्टि में निर्धनता को निरपेक्ष विचारधारा में अपनाया गया है।

गरीबी की रेखा व अमीरी की रेखा

POVERTY LINE & 'AMIRI KI REKHA'

“गरीबी में तात्पर्य मूल रूप में भोजन, वस्त्र व आवास जैसी आवश्यकताओं के अभाव से है। अतः गरीबी की रेखा निर्धारित करते समय अनाज, वस्त्र, आवास, जलापूर्ति तथा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये, जिनमें आज गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले भी वंचित हैं।” गरीबी की रेखा के सर्द्ध में विवेचन करते हुये यह बताना युक्तिमगत प्रतीत होता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने अपने कार्यकाल में ‘अमीरी की रेखा’ निर्धारित करने का विचार भी गट्टू के समक्ष रखा था, किन्तु इस मर्द्ध में कुछ कार्यवाही नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम 1960-61 में उन लोगों को निर्धन तथा गरीब की श्रेणी में रखा गया जो न्यूनतम कैलोरीज प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ थे। 1960-61 में 20 रुपये से कम मासिक निर्वाह क्षमता वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया। 1968-69 में न्यूनतम मासिक जीवन निर्वाह व्यय की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया। 1973-74 को प्रचलित कीमतों पर गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 49.1 रुपये व शहरी क्षेत्र के लिये 56.6 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। 1976-77 में प्रचलित कीमतों के आधार पर योजना आयोग ने न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि करते हुये ग्रामीण के लिए इस 61.50 रुपये तथा शहरी लोगों के लिये 71.30 रुपये निर्धारित किया।

1979-80 की कीमतों पर न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय शहरी क्षेत्र के लिये 88 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 76 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया जो ग्रामीण व्यक्ति के लिए 2400 तथा शहरी व्यक्ति के लिये 2100 कैलोरी के द्रावर भोजन व अन्य सामग्री जुटाने के लिये पर्याप्त हो।

1983-84 की कीमतों पर शहरी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 117.50 रुपये में कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 101.80 रुपये में कम थी तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना गया। 1991-92 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा क्रमशः 181.50 रुपये व 209.50 रुपये आजी गई।

‘गरीब कौन है?’ गरीबी रेखा क्या है? इस मर्द्ध में समय-समय पर विचार व्यक्त किया जाते रहे हैं। भारत में नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान धरेलु

उपभोग व्यय के पंचवर्षीय सर्वे आकड़ों एव 1979 में योजना आयोग द्वारा गठित “न्यूनतम आवश्यकता व प्रभावी उपभोग मांग अनुमान टास्क फोर्स” के प्रतिवेदन में दी गई गरीबी की रेखा को दृष्टिगत रखते हुये भारत का योजना आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की मात्रा वा अनुमान लगाता है। “केन्द्रीय मासिकीय मापन (CSO)” द्वारा कुल निम्ने उपभोग व्यय के हल में लागये गये अनुमानों, “नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन” के 50 वें चक्र (1993-94) के प्रारंभिक परिणामों तथा चनापना के नवीनतम आकड़ों के उपलब्ध हो जाने के कारण गरीबी के अनुमानों को संशोधित किया गया है।

गरीबी की रेखा (रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह)			
वर्ष	कीमतें	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1973-74	1973-74 की कीमतों पर	49.1	56.6
1987-88	1987-88 की कीमतों पर	132.0	152.3
1993-94	1993-94 की कीमतों पर	228.9	264.1

1987-88 के पूर्व निर्धनता सर्वधी अनुमान “नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन” के 43 वें चक्र (जुलाई, 1987 जून 1988) के आकड़ों पर आधारित थे।

1993-94 के निर्धनता सर्वधी अनुमान “नेशनल सेमिनल सर्वे” के 50 वें चक्र के प्रारंभिक आकड़ों पर आधारित है। इस चक्र के संपूर्ण आकड़ों प्राप्त होने पर इन आकड़ों में संशोधन संभव है। इन अनुमानों में (1 अक्टूबर 1993) की जनसंख्या को लिया गया है।

मार्च 1997 में भारतीय योजना आयोग ने गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए नेशनल सेमिनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों को त्याग कर “लकडवाला सूत्र” को अपनाया है। इस सूत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक को निर्धनता आंकलन के लिये आधार बनाया गया है। इस कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धनता रेखाएं होंगी। राजस्थान में निर्धन लोगों की संख्या निम्नि तालिका में स्पष्ट है -¹

	(लखों में)	
	1987-88	1993-94
पंचन अर्द्ध का विधि व अनुसर	84.3	41.7
विशेष लक्ष्य व अनुसर	140.3	129.8
विशेष लक्ष्य (पंचन) व अनुसर	142.9	128.5

राजस्थान में निर्धनता की स्थिति

PRESENT POSITION OF POVERTY IN RAJASTHAN

राष्ट्रीय सैमल सर्वेक्षण में उपभोग-व्यय के आकड़ों के आधार पर, पाच वर्ष के अन्तराल से, निर्धन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुल जनसंख्या में इन निर्धन व्यक्तियों का अनुपात 'निर्धनता अनुपात' के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इन आकड़ों के आधार पर निर्धनता की स्थिति का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से होता है -

राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धनता (प्रतिशत में)		
क्षेत्र	राजस्थान*	भारत**
1977-78		
ग्रामीण	33.5	51.2
शहरी	33.9	38.2
योग	33.6	48.3
1983-84		
ग्रामीण	36.6	40.1
शहरी	26.1	28.1
योग	34.3	37.4
1987-88		
ग्रामीण	24.9	33.4
शहरी	19.4	20.1
योग	23.6	29.9

* Business Line, 13 March, 1987
** Facts for You 1991 विद्यमान, वर्ष 1991

उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है-

- 1977-88 में राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धनता-प्रतिशत में मामूली अंतर है, जबकि इसी अवधि में भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धनता-प्रतिशत में बहुत अधिक अंतर विद्यमान है। इस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक थी।
- 1983-84 में निर्धनता संदर्भ स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो गया। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का निर्धनता-प्रतिशत भारत के समान ही बढ़ गया। इस तथ्य में स्पष्ट होता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ।
- 1987-88 में भी निर्धनता की स्थिति में अधिक अंतर नहीं हो पाया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अधिक व्यापक रूप में विद्यमान है।
- तालिका के सामान्य परीक्षण से स्पष्ट है कि राजस्थान व समूची भारत में निर्धनता की समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से विद्यमान है। अतः

ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक विकास द्वारा निर्धनता की समस्या का तेजी से निराकरण किया जा सकता है।

राजस्थान में निर्धनता के कारण एवं निर्धनता के निवारण हेतु सुझाव

FACTORS RESPONSIBLE FOR POVERTY IN RAJASTHAN & SUGGESTIONS FOR ERADICATION

1 भौगोलिक कारण (Geographical Factors) - राजस्थान का आधे से अधिक भाग रेगिस्तानी है। यह क्षेत्र निरंतर अकाल एवं सूखे से प्रभावित होता रहता है अतः इस क्षेत्र के निवासियों को ममदा रोजगार व पेयजल की समस्या उत्पन्न होती रही है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा का वितरण असमान है। मिट्टी की प्रकृति एवं विषम जलवायु के कारण राजस्थान के निवासियों को निरंतर अनेक बाधाओं से जूझना पड़ता है।

2 मानवीय संसाधन संबंधी तथ्य (Factors Related to Human Resources) - राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस कारण राजस्थान की जनसंख्या में तीव्र गतिसे वृद्धि हुई है। जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग गांव में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा विकास कम हुआ है, अतः राजस्थान की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या विकास के दाम्नात्मिक लाभों से वंचित रही है। विभिन्न कारणों से इनमें निर्धनता अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक रही है। इस प्रकार जनसंख्या से संबंधित इन विभिन्न तथ्यों से ही निर्धनता की समस्या में संबंधित इन विभिन्न तथ्यों से ही निर्धनता की समस्या गंभीर बनो हुई है।

3 कृषि से संबंधित तथ्य (Agricultural Factors) - देशी रियासतों के राजस्थान में विलय से पूर्व आम जागरिक की एवं विरोध कृषकों की दशा शोचनीय थी। भूमि संबंधी व्यवस्था उनके विपरीत थी और वे सामान लोगों के शोषण का शिकार थे। उस शोषण के दुष्प्रभाव से कृषक अतः तक भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़ित था। साथ ही, राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण अर्थात् अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के जाल में राजस्थान में कृषि अर्थात् तक फैली हुई है। लातार अकाल ने भी गरीबों की समस्या को बढ़ाया है।

4 उद्योगों से संबंधी तथ्य (Industrial Factors) - राजस्थान में औद्योगिक विकास नेत्र गति से नहीं हो पाया है। इस कारण उत्पादन-आय व रोजगार का स्तर नीचा रहा है। इस कारण गरीबी बढ़ी है। राजस्थान में औद्योगिक विकास भी समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ जिले उद्योगों

का दृष्टि से काफी विकसित हो चुके हैं तो अनेक जिले उद्योग रहित जिला की श्रेणी में आते हैं।

5 सामाजिक सुविधाओं का अभाव (Lack of social infra structure) राजस्थान में सामाजिक सुविधाओं का स्तर अत्यन्त निम्न है। नियोजन काल में इस आगे ध्यान देने के बाद भी ये सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। राजस्थान में व्यापक निरक्षरता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। राजस्थान के सभी गाँवों में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। कृषि के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ शक्ति के माध्यम से रेल व सड़क मार्गों की स्थापना अपर्याप्त रही है। सामाजिक सेवाक्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं पाषाण को स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

6 सामाजिक पिछड़ापन (Social backwardness) राजस्थान में विद्यमान परम्परागत सामाजिक रूढ़ियों व धार्मिक अंधविश्वासों ने राजस्थान के निवासियों को गरीबी का ओढ़ घेरेला है। विवाह व मृत्युभाज जैसे अवसर पर आने भी अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। बच्चों का भ्रगवान की दम मानने के कारण जनमरुता में तत्प गति में वृद्धि हो रहा है। सयुक्त परिवार तथा भाग्यवादिता ने लोगों को परास्त व अर्चमण्य बना दिया है। शिक्षा की आवश्यकता अनुभव न करने के कारण ये परम्पराएँ समाप्त नहीं हो पा रही हैं। समाज में व्याप्त खराब परम्पराओं को तुरन्त नष्ट बदला जा सकता है किन्तु शिक्षा के प्रसार के माध्यम में इन पर धीरे-धीरे चोट पहुँचाई जा सकती है।

7 मूल्य वृद्धि (Price rise) राजस्थान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण गरीबी की समस्या बड़ी है। दाला एवं खाद्य तेलों व खाद्यान्नों जैसा वस्तुओं की मूल्यों में अधिक वृद्धि के कारण लोगों की जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिर आय के लोग भी गरीबी का ओढ़ घेरे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का न्यूनतम भा प्रभावी नहीं है। इस कारण मूल्यवृद्धि का प्रभाव और व्यापक हो जाता है।

(8) सामूहिक सम्पत्ति का ह्रास (Depreciation of Community Assets) सामूहिक सम्पत्ति जैसा चारागाह, जलाशय आदि के मध्यम में निर्धन लोगों का कुल आय प्राप्त हो जाती है। वे कुछ धन कमाते हैं इनमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। धीरे-धीरे इन सामूहिक सम्पत्तियों का या तो निराकरण होता जाता है या तो विभिन्न वस्तुओं के मध्यम में उनका प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसका दुष्प्रभाव मुख्यतः निम्न वर्गों

पर पड़ा। वे इसमें मिलने वाले आय में वृद्धि हो गयी और उनके सम्पत्ति आजीविका कमाती की समस्या उत्पन्न हो गई। परिस्थिति की मनुनन के व्यपन्न शरण शरण से जनजाति भी अपने पास के वनों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है।

(9) निर्धनता व आर्थिक असमानता (Poverty and Economic Inequality) राजस्थान में आर्थिक असमानता के कारण कुछ ही लोगों को पास धन व सम्पत्ति कनिष्ठ हान का ब्रह्म निरन्तर गरीबी के जन्म का कारण बनता है। अर्थव्यवस्था में निर्धनता व निर्धनता बढ़ती जा रही है। राजस्थान में निम्न आय व उपभोग स्तर के कारण लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। अतः राजस्थान में गरीबी का कारण गरीबी स्वयं है। गरीबी के कारण राजस्थान निर्धनता के बुझने में परास्त हुआ है।

(10) बेरोजगारी (Unemployment) राजस्थान में व्याप्त बेरोजगारी गरीबी की मूल कारण है। राजस्थान में आर्थिक विकास के साथ-साथ राजगार की अवसरों में वृद्धि हुई है किन्तु जनमरुता में और भी तब्दी में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ती व बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बेरोजगारी एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

राजस्थान में निर्धनता निवारण के लिए आवश्यक सुझाव

राजस्थान में निर्धनता का समस्या गंभीर रूप धारण कर चुका है। अतः इस समस्या का निवारण हेतु प्रभावशाली प्रयासों का आवश्यकता है। राज्य की निर्धारण निवारण के निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं।

1 जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनसंख्या का नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवार नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभाव इस संसार में किया जाना चाहिए तथा इसमें दो हस्तियों का निवारण का अपना पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2 उद्योगों का विकास राज्य में आर्थिक विकास का गति को बढ़ावा देना चाहिए। राज्य के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्य सरकार को राज्य के विकास एवं विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। इन उद्योगों का विस्तार को बढ़ावा देना चाहिए।

3 राजगार नीति राज्य में गरीबी के अन्तर्गत में गरीबी को निवारण हेतु राज्य सरकार को राज्य के विकास का निवारण

क्रिया जाना चाहिये। इस बात में राज्य की विशाल भूमिका व उपभोग पर बल दिया जाना चाहिये तथा शिक्षित को उच्चतर उच्चतर वर्ग के लिये राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा उच्चतर कृषि व्यापार तथा परिवहन आदि का तात्पर्य में विस्तार किया जाना चाहिये।

4 सामाजिक स्तर में वृद्धि राज्य में निर्धनता का व्यपकरण का ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्तर में वृद्धि करना निम्न आवश्यक है। इसके लिये शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिये। निधनता को दूर करने में शिक्षा तथा आनन्द आनन्द आनन्द आनन्द का पूर्ण पर्याप्त मात्रा में का जाना चाहिये। प्रमाण मात्रा में एम। सुवर्ण आदि के विस्तार पर विशेष बल देना चाहिये।

5 मनुष्यत्व का उपयोग राज्य का एक बहुत बड़ा भू-भाग शिक्षित है। इस विशाल भू-भाग का उपयोग उच्चतर स्तर में किया जा सकता है। इस क्षेत्र में उपयोग करने से राज्य के वैज्ञानिकों का आनन्द किया जाना चाहिये और इतर भागों में तथा शुरुआत में कार्यक्रमों का खर्च का जाना चाहिये।

6 भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं पुनर्गठन राज्य के भूमि सुधार कार्यक्रम का विभाजन द्वारा मूल्यांकन का जाना चाहिये और इनका कमियाँ एवं टिका का ध्यान रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य के अभाव भाग इसमें लाभान्वित हो सकें।

7 सहकारिता का विस्तार सहकारिता आन्दोलन राज्य में निर्धनता नवारण का मूल मंत्र हो सकता है। इस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिये महत्वादी आन्दोलन का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

8 प्राकृतिक सधनों का पूर्ण उपयोग पर्याप्त पूजा के अभाव में राज्य के विभिन्न प्राकृतिक सधनों का विनाशित खनिज सधनों का अनुचित विनिर्माण नहीं पाया है अतः प्राकृतिक सधनों का पर्याप्त उपयोग उच्चतर राज्य में निर्धनता को समाप्त करने का एक उपाय है।

9 अन्य सुझाव

(i) राज्य के कानून एवं नियमों का कठोरता पूर्वक लागू किया जाना चाहिये।

(ii) प्रशासनिक कार्य का निधनता को समाप्त करने में अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(iii) मनुष्यत्व विनाश का निवारण करने के लिये राज्य के अर्थव्यवस्था में वृद्धि का प्रयास करना।

(iv) राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को

समाप्त किया जाना चाहिये।

(v) पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

राजस्थान सरकार द्वारा निर्धनता निवारण के लिए अपनाये गये कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT'S PROGRAMMES FOR ERADICATION OF POVERTY

राजस्थान में निधनता एवं वरजगता को उन्मूलन के लिए राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं।

- 1 समानता प्रमाण विकास कार्यक्रम
- 2 प्रमाण युवाओं का स्व-राज्यारंभ प्रशिक्षण
- 3 प्रमाण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
- 4 जवाहर राज्यारंभ योजना
- 5 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- 6 मनुष्य विकास कार्यक्रम
- 7 सुखा सभासित क्षेत्र कार्यक्रम
- 8 अन्यायदय योजना
- 9 20 सूत्री कार्यक्रम
- 10 श्रम भूमि विकास कार्यक्रम
- 11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- 12 मवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- 13 अभाव विकास कार्यक्रम
- 14 महिला विकास कार्यक्रम
- 15 अपना स्व-अपना काम योजना
- 16 कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम
- 17 माता क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- 18 कन्दरा सुधार कार्यक्रम

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण एक अलग अध्याय में किया गया है।


जिला निर्धनता निवारण परियोजना

DISTRICT POVERTY INITIATIVE PROJECT (DPIP)

यह निधनता निवारण की नवीन योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम है। विश्व बैंक का सहयोग में राज्य के 7 जिलों राजमन्ड, टौसा, चुरू, जयपुर, बीकानेर और जयपुर में इन कार्यक्रमों का प्रारंभ करना प्रस्तावित है। विश्व बैंक की नि

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या

PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN



“संसार में पाच आर्थिक राष्ट्रस मानव जाति को प्रसिप्त करने के लिए तैयार हैं - निर्धनता, अज्ञानता, गदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबने सबसे अधिक भयकर बीमारी हे बेरोजगारी।”
- सर विलियम वेबरोज

बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार

MEANING & TYPES OF UNEMPLOYMENT

सर विलियम वेबरोज ने बेरोजगारी के अर्थ में लिखा है कि - “संसार में पाच आर्थिक राष्ट्रस मानव जाति को प्रसिप्त करने के लिये तैयार हैं - निर्धनता, अज्ञानता, गदगी, बीमारी और बेरोजगारी, परन्तु इन सबमें सबसे अधिक भयकर बेरोजगारी है। बेरोजगारी की स्थिति न केवल बेरोजगार व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है, वग्न इससे समाज व राष्ट्र को भी हानि होती है।” बेरोजगारी का आशय उम स्थिति में होता है जिनमें काम चाहने वाले सभ्य व्यक्तियों की सेवाओं की पूर्ति उनकी माग का तुलना में अधिक होती है। राजस्थान में मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक व्यापक रूप धारण करती जा रही है, तो दूसरी ओर शहरों में जो शहरी बेरोजगारी के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भी विकसित रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है तो शहरों में शिक्षित बेरोजगारी के रूप में खुली बेरोजगारी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित व अकुशल श्रम की बेरोजगारी की समस्या है तो शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजिनियर व उच्च शिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगारी के शिकार हैं। राजस्थान का जन-जन

अध्याय एक दृष्टि में

- बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार
- बेरोजगारी की अवधारणाएं
- राजस्थान में श्रम शक्ति
- राजस्थान में बेरोजगारी
- राजस्थान में बेरोजगारी का आकार
- राजस्थान में बेरोजगारी के कारण
- राजस्थान में बेरोजगारी को हल करने के सुझाव
- नवीन योजना में बेरोजगारी सूजन की रणनीति
- राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगारी सूजन के कार्यक्रम
- राजस्थान में बेरोजगारी के अवसरों की सम्भवनाएं
- राजस्थान में बेरोजगारी पर व्यास समिति
- अन्तर्राष्ट्रीय दृशन

उमसे अधिक के आयु वर्ग को श्रम-शक्ति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार 1992-97 के मध्य अर्थात् आठवीं योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्रम-शक्ति में 26.33 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान था। राजस्थान में श्रम-शक्ति का आयु एवं लिंग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजन इस विश्लेषण से स्पष्ट है-

1 राज्य के शहरी क्षेत्रों में मार्च 1997 में महिला श्रम-शक्ति की अपेक्षा पुरुष श्रम-शक्ति अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी प्रायः ऐसी ही है। पुरुष व महिला श्रम शक्ति में इतना अधिक अंतर होने का प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान में स्त्रियों की शिक्षा एवं पालन पोषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है और वे प्रायः धरो तक ही सीमित रहती हैं।

2 आयु वर्ग के अनुसार श्रम-शक्ति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी व ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अधिकांश श्रम शक्ति 15-29 आयु-वर्ग में है।

3 नवी योजना व अत के अनुदान व अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पुरुष एवं महिला श्रम-शक्ति में बढोत्तरी के अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इस समय भी पुरुष श्रम का बाहुल्य बना रहेगा।

राजस्थान में रोजगार की स्थिति

EMPLOYMENT SITUATION IN RAJASTHAN

राजस्थान में लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की स्थिति निम्नवत है -

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति (ताख व्यक्तियों में)			
राजस्थान			
वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1998	8.30	1.97	10.27
1998	9.12	2.00	11.12
1993	9.27	2.31	11.58
1992	9.73	2.31	12.04
1994	10.05	2.43	12.48
1995	10.09	2.55	12.64
1996	10.17	2.67	12.84
1997	10.13	2.63	12.76
1998	10.15	2.62	12.77

(सं 98 38)

सं. Budget study 1992-93 & Economic Review 1995-96, 1996-97, 1998-99 Rajasthan

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 राजस्थान में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण यह

है कि स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य व केन्द्र सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है।

2 राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा अन्य राज्य के निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

3 नवी पंचवर्षीय योजना के निजी क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्थान में पंजीकृत निर्माणियों की संख्या और उनके उपलब्ध रोजगार की स्थिति अग्रलिखित विवरण के अनुसार है -

पंजीकृत निर्माणियों की संख्या तथा रोजगार		
वर्ष	पंजीकृत निर्माणियों की संख्या	कुल रोजगार (संख्या में)
1981	6608	1.66
1991	10797	2.60
1993	12580	

सं. Budget study 1992-93

पंजीकृत निर्माणियाँ एवं रोजगार की कमी का कारण भारतीय करखना अधिनियम 1948 की धारा 85 में मुरगातियों को हटाया जाना है।

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है -

1 1981 से 1993 के मध्य पंजीकृत निर्माणियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

2 1990 में निर्माणियों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई। अतः रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। 1981 की तुलना में पंजीकृत उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 1993 में रोजगार के अवसर लगभग दुगुने हो गये। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों में रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार थी -

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (31-12-1996)	
शाखा/उद्योग	कर्मचारियों की संख्या
राजस्थान 1017532	
1 सहायक व वरिष्ठ	
a केंद्र सरकार	172801
b राज्य सरकार	528353
c अर्द्ध-सरकारी	192001
d स्थानीय विभाग	124377
2 कृषि, शह-उद्योग, स्वास्थ्य आदि	23431
3 वनाई व वन विभाग	
a वन और खाद्य	19540
b-उद्योग	26443

सं. Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

d विद्युत नैस जल एव सफाई	79809
e निर्माण	45080
f व्यापारिक एव वाणिज्य	5974
g परिवहन भण्डारण व सारग	164641
h वित्तीय बीमा जयदाद एव सेवा	54071
9 सामुदायिक सामाजिक व कार्मिक सेवा	599343
सात S 2 AN 6 R	

उपरोक्त तालिका में 1996 ई. में नि

- 1 राजस्थान के मार्गचित्र क्षेत्र में 1996 ई. जून में 12380 सम्पत्तियों में 1017532 व्यक्ति कार्यरत थे।
- 2 1996 में कन्द्र मन्त्रालय व राज्य सरकार व प्रतिष्ठानों में क्रमशः 179801 व 528353 व्यक्ति कार्यरत थे। इस समय अर्द्धसंरक्षित प्रतिष्ठानों में 192001 व्यक्ति और स्थानीय निकायों में 124377 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।
- 3 कृषि एवं उद्यम मार्गित सेवाओं में राज्य के 22431 व्यक्ति कार्यरत थे।
- 4 मार्च 1996 में सामुदायिक विकास सामाजिक एवं कार्मिक सेवा में सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत थे। जबकि इसी समय व्यापार एवं वाणिज्य में केवल 5974 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।

छांटों व ग्रामीण उद्योगों में रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें उपलब्ध रोजगार को स्थिति इस प्रकार थी

छांटों उद्योगों में रोजगार				
(संख्या)				
वर्ष	कलाई परी वाले	बूनाकर	अन्य	योग
1987-88	126760	8003	7619	42302
1993-94	149958	7769	811	63848
1995-96	118283	6779	5285	293

ग्रामीण उद्योगों में रोजगार				
क्र.सं.	उद्योग	1995-96		
		पूर्व	आंशिक योग	
1	हल घाणा	1156	1002	2158
2	गुना छांटनी	504	403	907
3	हथ में बना कागज	171	179	3
4	अच्छा हथों में बना गावुन	459	13747	420
5	नैर	73463	58225	31638
6	पाँटी	18780	15145	33925
7	रेते	11366	10428	294
8	एन्ड्रुनिजिय	4	3	7
9	दुना निर्माण	5312	5087	1,379
10	घन संग्रहण	29	25	54

11	माँग जगरगी	18	25	43
12	सिमेंट	495	1485	2990
13	बैंगलियन काम	10256	188	24354
14	लु एन र	13884	10301	24185
7 S 2 AN 6 R				

उपरोक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि

- 1 1995-96 में खांटों व्यवसाय क अन्तर्गत 129917 व्यक्ति कार्यरत थे। 1995-96 में ग्रामीण उद्योगों में भी उद्योग व्यवसाय का पूर्णकालिक व अर्धकालिक रोजगार प्राप्त हो रहा था।
 - 2 1995-96 में ग्रामीण उद्योगों में चमड़ा व्यवसाय व अन्तर्गत सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत थे।
 - 3 1995-96 में तेल घाण्टी हाथ से बना कागज पारंग हाथ में पूरा भाग गुजर एव बढई का कार्य तथा दा व बाग आदि स सर्वाधिक कार्यों में पर्याप्त व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।
- राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से खून क्षेत्र का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की स्थिति इस प्रकार थी

खांट क्षेत्र में प्राप्त रोजगार (1995-96)		
खान्ड	प्रतिदिन औसत	रोजगार प्राप्त व्यक्ति
A		
1	सोना	160
2	अपेरा	7195
	(व) सोना खण्ड व सिंटी	11827
B		
1	सोना	737
2	बण्डर	163
3	सोना	146
4	सोना	752
5	सोना	10
6	सोना	419
7	सोना	226
8	सोना	45
9	सोना	60
10	सोना	2162
11	सोना (सु)	224
12	सोना	710
13	सोना	403
14	सोना	1015
15	सोना (सोना)	1218
16	सोना	970
17	सोना	150
18	सोना	101

19	शिल्पिका शाला	908
20	घररकते	248
21	मैग्नेटाइट	1
22	काल्सायोनइट	1825
23	रॉक फॉस्फेट	3932
C धवन-निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिज		
1	भवन निर्माण में (कंक्रीट बन्नी व पत्थर)	107817
2	चूना धवन क. लिप् चूना पत्थर	22577
3	मन्कल	73319
4	बन्टीनइट	105
5	प्लूम्ब अर्ब	104
6	ब्रिक्स अर्ब व ऑर्किडरी कन	12116

Source: Statistical Abstract 1996, Rajasthan.

उपर्युक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि -
1 खनन क्षेत्र में भवन-निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है।

2 मारबल, चूना बनाने, सोप स्टोन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोसा-ब्रस्ता व चाँदी तथा खनिज तावा आदि से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। लोहा, डोलोमाइट, गारनेट, बेरिमिक्यूलाइट तथा बेन्टोनाइट आदि से अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है।

राजस्थान में बेरोजगारी का आकार SIZE OF UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान में श्रम शक्ति के आकार की तुलना में रोजगार के अवसरों से तुलना करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना 2 04 लाख लोगों की बेरोजगारी के साथ आरंभ होगी। सामान्य स्थिति के 2 04 लाख व्यक्ति ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष एवं आयु-वर्ग के अनुसार इस प्रकार है।

राजस्थान में सामान्य स्थिति के बेरोजगारी का अनुमान (1 जन 1997) (हजारों में)					
आयु	शहरी		ग्रामीण		कुल
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	
5-9	-	-	-	-	-
10-14	2.7	18.3	7.6	-	28.6
15-29	217.4	46.6	128.6	9.2	402.0
30-44	51.6	54.1	6.5	5.0	117.2
45-59	16.9	16.7	3.8	-	37.4
60+	0.5	-	-	-	0.5
कुल	289.1	135.9	146.5	14.2	585.7

12th Dist. Inen Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj.

उपर्युक्त तालिका के विरलेषण से ज्ञात होता है कि -

1 राजस्थान में मार्च, 1997 में शहरी क्षेत्रों के 15-29 आयु वर्ग के 284 2 स्त्री व पुरुष थे, जबकि इसी समय इसी आयु वर्ग के 137 8 हजार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार थे। अतः इस आयु-वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर थी।

2 तालिका के सामान्य विवेचन से ज्ञात होता है कि 1997 में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के पुरुष अधिक संख्या में बेरोजगार थे।

3 स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक संख्या में बेरोजगार थे। विभिन्न आयु वर्गों की तुलना में 15-29 आयु वर्ग के पुरुष एवं स्त्री अधिक मात्रा में बेरोजगार थे। यद्यपि शहरी महिलाएं 30-48 आयु वर्ग में अधिक बेरोजगार थीं।

रोजगार कार्यालयों में जिलेवार पंजीकृत व्यक्ति

DISTRICTWISE REGISTERED APPLICANTS IN EMPLOYMENT EXCHANGES

राजस्थान के विभिन्न जिलों में रोजगार के इच्छुक लोगों की रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत संख्या निम्नलिखित थी -

राजस्थान के रोजगार कार्यालयों की जिलेवार स्थिति	
वर्ष	वर्ष के अन्त में रोजगारकार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या
दिसम्बर 1985	686341
दिसम्बर 1990	915018
दिसम्बर 1996	8 95 213

Source: Statistical Abstract 1998 1993 & 1996 some facts about Rajasthan & Dist. Inen Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan.

विरलेषण से ज्ञात होता है कि

1 रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

2 रोजगार के इच्छुक आवेदकों के जिलेवार आकड़ों से स्पष्ट है कि जयपुर जिले में रोजगार चाहने वालों की संख्या सर्वाधिक थी।

3 अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर आदि राज्यों में भी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या पंजीकृत संख्या थी।

4 राज्य के जैसलमेर, जालोर, मिरांल, झालावाड, धौलपुर,

गठमर अर्थात् नतीजों में राजगार प्रदान करने के इच्छुक राजगारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। 5. तालिका में उल्लेख है कि राजगारों का प्रत्यक्ष मन्त्री विभाग में गजगार प्रदान करने के इच्छुक राजगारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान में रोजगार के अवसरों की संभावनाएँ

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने राजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए श्रम प्रधान कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के राजगार कार्यक्रम जैसे एबीक्यू प्रारंभिक विकास कार्यक्रम जवाहर राजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आदि के क्रियान्वयन पर अग्रिम बल दिया जायेगा। राजस्थान सरकार ने राजगार की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाकर उनमें अधिक विनियोजन करने की राय दी है। रोजगार सृजन का दृष्टि से वृद्धि एवं उसमें सम्बंधित सेवाएँ ग्रामीण एवं लघु उद्योगों, लघु एवं मध्यम सिमेंट, खाद एवं खनिज, ग्रामीण मंडल, ग्रामीण विभाग कार्यक्रम तथा शिक्षा, विज्ञान एवं स्वास्थ्य गृह निर्माण कार्यक्रम आदि सामाजिक सेवाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जायेंगे।

राजस्थान सरकार ने राजगार सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। उन्मुख अनुसंधान प्रति एक लाख रुपये के खर्च पर विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से राजगार के अवसर सृजन करने

अतिरिक्त राजगार सृजन के अनुमानों के लिए निर्धारित मापदण्ड			
(प्रति एक लक्ष रुपये के खर्च पर व्ययित होने पर)			
क्षेत्र	निर्माण	लगभग कर	प्रमाण
1. श्रम			
श्रम विभाग	2.73		
समाज कल्याण विभाग	3.07	0.79	
2. लघु उद्योग	5.97	0.0	
3. श्रम विभाग	2	1.0	
4. श्रम विभाग	8	0	
5. श्रम विभाग	8.3	0.0	
6. श्रम विभाग	0	0.6	
7. श्रम विभाग	3.41	1.12	
8. श्रम विभाग	3.07	0.79	

9. सिमेंट		
(अ) इंदिरा गांधी नहर		
परियोजना	2.90	0.03
(ब) इंदिरा गांधी नहर		
परियोजना के अतिरिक्त	5.62	0.03
10. उद्योग	0.34	0.34
11. उद्योग		
(अ) कृषि एवं मत्स्य	1.58	1.19
(ब) ग्रामीण एवं लघु	3.58	2.21
12. खनिज	5.97	0.61
13. रेल	5.97	0.61
14. श्रम विभाग	3.07	4 प्रति वर
15. श्रम विभाग	3.58	0.38
16. श्रम विभाग	3.07	1.08
17. विज्ञान	3.75	0.90
18. खाद		
(अ) ग्रामीण	3.41	1.03
(ब) श्रम	2.39	1.03
19. आवास	3.07	
20. समाज कल्याण	3.07	0.52
21. श्रम एवं श्रम कल्याण	2.73	0.87
22. श्रम	3.07	0.17
23. अर्थिक सेवाएँ	2.73	0.75
24. आयुर्वेद	3.75	1.92
25. श्रम विभाग	3.07	0.60
26. श्रम विभाग का कल्याण	2.73	0.33

स्रोत: P. ANNATH FIVE YEAR PLAN 1987-2002 Govt of Raj

राजगार के अवसरों का सृजन के सदर्भ में उपरोक्त तालिका में इन तथ्यों का ज्ञान होता है।

1. मजदूरी पान एवं कृषागणन में एक एक लाख रुपये के विनियोजन के फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों में अधिक राजगार के अवसर सृजित होंगे। लेकिन इस विनियोजन के कारण स्थायी राजगार के अवसर नगण्य होंगे। यदि सरकार अस्थायी राजगार के अवसरों को सृजित करना चाहती है तो ये सभी कार्य में अधिक विनियोजन करना आवश्यक होगा। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में प्रति एक लाख रुपये के खर्च में लगभग 358 व्यक्तियों का ही राजगार प्राप्त होगा। श्रम विभाग में 2.41 व्यक्तियों का स्थायी राजगार भी प्राप्त होगा। उन्मुख सरकार स्थायी राजगार के अवसरों में सृजित करना चाहती है तो उसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर अग्रिम बल देना चाहिए। 3. अस्थायी राजगार के अवसरों में श्रम विभाग के लिए राजगार सृजित सिमेंट, श्रम एवं कृषागणन सिमेंट, खनिज विभाग में श्रम विभाग आदि पर अधिक खर्च करने से राजगार सृजन में अग्रिम बल देना चाहिए। 4. यदि सरकार सिमेंट विभाग के अवसरों में सृजित करना

चाहती है तो उसे लघु व ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, वृहद् एवं मध्यम उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जलापूर्ति, ग्राम एवं श्रम-सुलक्षण आदि पर अधिक धन व्यय करना चाहिए।

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन के अनुमान हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं -

कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु निर्धारित मानदण्ड	
क्र.सं. फसलें	समवर्ती श्रम की आवश्यकता (मानव दिवस प्रति हैक्टर)
1 धान	81
2 ज्वार	48
3 राबग	35
4 शक्कर	
(अ) निर्मित	59
(ब) अर्निचित	50
5 गहू	
(अ) निर्मित	95
(ब) अर्निचित	40
6 जौ	89
7 दालें (दल, पृष आदि)	32
8 तिन	35
9 नृगजला	52
10 गन्ना	150
11 कपास	147
12 मिर्च	120
13 ग्यार	25

स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Raj

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना है -

1 निर्धारित मानदण्ड के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गन्ने की खेती के विस्तार के फलस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर सृजित होने की संभावना है, लेकिन राज्य में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दशाएँ सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। अतः वर्तमान में गन्ने की खेती का अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है। इंडिया गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए आवश्यक दशाएँ उपलब्ध हैं। यदि नहर निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाये तो गन्ने की खेती का विस्तार करके अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

2 कपास एवं मिर्च की खेती के विस्तार से भी रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित होने की संभावना है। राज्य में सिंचाई सुविधाएँ सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। यहाँ

कारण है कि इन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि करके ही इन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

3 धान की खेती के विस्तार से भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होते हैं, लेकिन राज्य के वर्षा के अभाव एवं सिंचाई के माधुम्य की अपर्याप्तता के कारण धान की खेती का क्षेत्र सीमित है। अतः सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। ज्वार, बाजरा, दालों, ग्वार व तिलहन की खेती में अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है लेकिन इन फसलों की खेती के लिए प्रायः सिंचाई के साधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इनकी खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अतः पर्याप्त वर्षा की स्थिति में इन फसलों की खेती का विस्तार करके रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति VYAS COMMITTEE ON EMPLOYMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 10 अक्टूबर, 1990 को विकास अध्ययन संस्थान क निदेशक डॉ. बी.एम. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को मुख्यतः निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे -

1 रोजगार की स्थिति की समीक्षा करना - आगामी 10 वर्षों में श्रम-शक्ति की सर्भावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 10 वर्षों में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए रोजगार की दर निर्धारित करने का सुझाव देना।

2 ऐसे क्षेत्रों, विभागों और क्रियाओं की जाँच करना, जिनमें बेरोजगारी की स्थिति अधिक गंभीर है और आने वाले 10 वर्षों में और अधिक गंभीर होने की संभावना है।

3 ऐसे गतिशील क्षेत्रों, एन.ओ. आदि का पता लगाना, जिनमें प्रभावी रूप में उत्पादक रोजगार की संभावनाएँ दिद्यमान हैं।

4 निम्नलिखित के संदर्भ में उचित नीति एवं उपाय का सुझाव देना -

(अ) कृषि एवं अनुदान

(ब) विनियोग का स्वरूप में परिवर्तन

(स) कच्चे माल की पूर्ति के लिए आधारभूत सुविधाएँ सृजित करना

(द) प्रशिक्षण एवं कुशलता का निर्माण

व्यास समिति के प्रथम दो बिन्दुओं के मदर्भ में अपना सर्वप्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं -

- 1 राजस्थान को रोजगार सरचना में कृषि व आधिपत्य है और इसके अन्तर्गत रोजगार के स्वरूप के विविधीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सभावना नहीं है। गैर कृषि-क्षेत्र में राज्य सरकार सबसे बड़ी नियोजता है।
- 2 1980 के दशक में राजस्थान में रोजगार सृजन की दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। दूसरी ओर, राजस्थान में श्रम-शक्ति राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक बढ़ी है। यही कारण है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर से अधिक है।
- 3 क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से राजस्थान के दक्षिणी और उत्तरी-पूर्वी जिलों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर है।
- 4 राजस्थान में अल्परोजगार की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। अल्परोजगार की दर भी राजस्थान में राष्ट्रीय दर से अधिक है।
- 5 राजस्थान में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जैसे-इंजीनियर, चिकित्सक आदि वर्गों में भी बेरोजगारी की दर अत्यधिक है।
- 6 समिति का मत है कि यदि सन् 2000 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो विकास दर को 1980 के दशक की विकास दर 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2.5% करना होगा।

व्यास समिति ने "राजस्थान में रोजगार समस्या की व्यापकता और भावी सभावनाएं" शीर्षक के अन्तर्गत अंतरिम रिपोर्ट जुलाई, 1993 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 1980 के दशक में रोजगार सृजन की दर भारत की दर से कम रही है। राजस्थान में श्रमशक्ति में वृद्धि की गति भी भारत की तुलना में अधिक रही है। समिति के अनुसार ग्रामीण पुरानों दक्षिणी पूर्वी जिलों तथा शिक्षा के निम्न स्तर पर बेरोजगारी की समस्या अधिक गभीर है। इस समस्या से सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं और वे इसकी गभीरता को महसूस करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर 5-14 वर्ष तक के बच्चों में काम लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी बाल श्रमिक अधिक हैं। समिति के अनुसार राज्य में बेरोजगारी के अतिरिक्त सबसे अधिक समस्या अर्द्ध रोजगार की है। राज्य में अर्द्ध रोजगार की दरें संपूर्ण भाग की दरों से अधिक हैं। राज्य के जिलों में केवल गगानगर को छोड़कर शेष सभी जिले अर्द्ध रोजगार की समस्या से ग्रसित हैं। मध्यवर्ती व दक्षिणी जिलों की स्थिति अधिक खराब

है।

राजस्थान में रोजगार का ढाँचा मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इसे बहुआयामी बनाने के प्रयास नहीं किये गये हैं। राज्य का संगठित क्षेत्र बहुत कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में आज भी सरकार ही सबसे बड़ी विनियोजक है। करखानों में जितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, उसमें कहीं अधिक रोजगार राज्य के शिक्षा व पुलिस विभाग ही दे देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित नहीं कर पाये हैं। राज्य के केवल दो सरकारी उपक्रमों-राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सबको मिलाकर भी नाममात्र का ही रोजगार मिल पाता है। राज्य के खनिज क्षेत्र के बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

1990-91 में राज्य में बेरोजगारी का "बैकलॉग" लगभग 3.5 लाख से 4.8 लाख रहा है अर्थात् इतनी मछली में लोगों को रोजगार नहीं मिला। समिति ने योजना निर्माण के लिए बैंक लॉग के अधिकतम आकड़ों के प्रयोग का सुझाव दिया है। सन् 2000 तक सबको रोजगार देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने राज्य के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के लगभग 50 लाख नये अवसर सृजित करने की आवश्यकता बतायी। ऐसा करने पर ही सन् 2000 तक 4.8 लाख रोजगारों के बैंक लॉग को पूरा किया जा सकेगा। इससे 15-59 वर्ष तक की आयु के बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जा सकेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 2.5% की दर से रोजगार में वृद्धि करनी होगी। 1980 के दशक में राज्य में रोजगार की बढ़ोतरी की दर 2.1% रही है। समिति ने रोजगार के सख्तात्मक पहलुओं के अतिरिक्त गुणात्मक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। इसके लिए शिक्षित एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिये और महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उनके कार्य की स्थितियों को अच्छा बनाया जाना चाहिये। समिति के अनुसार राज्य के दक्षिणी जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वहाँ बेरोजगारी के अनुपात और अर्द्ध-बेरोजगारी की व्यापकता को कम किया जा सके।

राजस्थान में बेरोजगारी के कारण FACTORS RESPONSIBLE FOR UNEMPLOYMENT IN RAJASTHAN

1 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि - राजस्थान में जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से भी अधिक गति में बढ़ रही है जहाँ

इस दर में राजगार क अवस्था का सुझाव नही हो पा रहा है। इस कारण बेरोजगारी का माध्यम निरंतर बढ़ रहा है। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिये।

2. रेगिस्तानी क्षेत्र व जियम जलवायु राजस्थान में अरावली पर्वतश्रृंखला के पश्चिम में धूप का परमस्थल विद्यमान है जो कि राजस्थान के समस्त क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग है। इन क्षेत्र में जलवायु अत्यन्त शुष्क है एवं कृषि भा कम खाद व मिट्टी के अभाव में फसल उत्पादन अवस्था में है। कृषि के मिट्टीदेयक का कमी कृषि महायक उद्योग पर्याप्त मात्रा में कमी उपज मंडिया एवं राजगार सृजित करने वाले अन्य कार्यों का अभाव है। फलस्वरूप बेरोजगारी है।

3. कृषि क्षेत्र में राजस्थान का अर्थिक विकास अवस्था कृषि क्षेत्र में लगा हुई है लेकिन इस क्षेत्र में छिपा हुआ बेरोजगारी की समस्या है। भूमि के प्रति प्रेम मानसून की अनिश्चितता कृषि पर अधिक जनभार खेती का छोटा आकार छोटा का बिखरा होना अवैज्ञानिक भूमि उत्तराधिकार के नियम कृषि में यंत्राकरण एवं सहायक क्रियाओं का अभाव आदि कारण से प्रामाण्य बेरोजगारी निरंतर बढ़ा है।

4. उद्योगों का अभाव राजस्थान अनेक राज्यों का तुलना में उद्योगों का दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि बड़े उद्योगों के अतिरिक्त प्रमाण्य व कुटीर उद्योगों में पर्याप्त रूप से विस्तारित नहीं हो पाये है। इन क्षेत्रों में एक प्रमुख कारण कृषकों के लिए पर्याप्त मूलभूत सामानों का अभाव होना चाहिये।

5. बेरोजगारी का अभाव राजस्थान में बेरोजगारी व समस्या का समाधान करने के लिए समय समय पर कुछ बेरोजगारी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए। ऐसे उपचार प्रणालियों के फलस्वरूप राज्य में बेरोजगारी का संख्या में तब तक वृद्धि हुई वस्तुतः राज्य में बेरोजगारी का प्रमुख कारण राजगार नही का अभाव रहा है। एक व्यापक एवं प्रभावशाली राजगार नीति के द्वारा राज्य का बेरोजगारी का समस्या का हल किया जा सकता है।

6. शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में भा लोड मकाल का शिक्षा प्रणाली अपनाई गई जो आज भी जारी है। इससे राज्य में नोकरी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का भांड बढ़ा हुआ है। व्यापक शिक्षा के अभाव के कारण बेरोजगारी निरंतर बढ़ रहा है।

7. लघु व कटार उद्योगों का समाप्त होना लघु व

कुटीर उद्योग बंद पैमाने के उद्योगों में प्रतिमात्रा बढ़ा कर पतन है। अतः राज्य के अनेक लघु व कुटीर उद्योग समाप्त हो चुके हैं अतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

8. बेरोजगारी की विचारधारा राज्य में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शिक्षित लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ने से बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण उनका वह विचारधारा है कि वे कबन सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। अतः नौकरी व्यवसाय नहीं करे। वही कारण राज्य में राजगार के स्वरूप का विकास मजबूत नहीं हो पाया है।

9. मानव शक्ति नियोजन में होना राजस्थान में मानव शक्ति नियोजन का अभाव का अभाव रहा है अतः राज्य में बेरोजगारी होना स्वाभाविक है।

10. अन्य कारण उद्योगों का अतिरिक्त व्यापक निष्कर्षता उद्योगप्रस्ताव सामाजिक न्याय व अभावग्रस्त प्रजातंत्र का अभाव अति कारणों में भी राजस्थान में बेरोजगारी का समस्या उत्पन्न हुई है।

राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के सुझाव

1. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियोजन के द्वारा न केवल राजगार का माध्यम बल्कि भावा व्यक्तियों की भांड का समाधान हो सके है वरन् विभिन्न राजगारों के लिए राजगारों की व्यवस्था का जो संकल्प है।

2. कृषि विकास क्षेत्रों में राज्य अर्थव्यवस्था का एक व्यापक क्षेत्र है। अतः कृषि क्षेत्र एवं मिट्टी क्षेत्र में वृद्धि तक बेरोजगारी के अर्थिक अवसर सृजित करने में सक्षम है।

3. औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास के द्वारा भी बेरोजगारी की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। राजगारों व समस्या को हल करने में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4. इतिहास गणना नगर-क्षेत्र का विकास इतिहास गणना नगर पर्याप्त लाभ उठाकर राज्य का गणितीय क्षेत्र एवं लघु व जलवायु का परिन्दितियों को कुछ हद तक अनुकूल बनाया जा सकता है। इतिहास गणना नगर के विकास क्षेत्र में कृषि का विस्तार होना के साथ-साथ राजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अतः इतिहास गणना नगर का मजबूत राजस्थान एवं विशाल राजस्थान क्षेत्र के लिए दरतन प्रणाली का विकास है।

5. पर्यटन उद्योगों का विकास पर्यटन उद्योग बेरोजगारी

वृद्धि में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। राज्य में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ विद्यमान हैं। अतः इन सभावनाओं का वास्तविक रूप प्रदान किया जाना चाहिये।

6 रोजगार नीति - बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये ऐसी रोजगार नीति का निर्धारण किया जाना चाहिये जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था के सभी माधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

7 आधारभूत संरचना का निर्माण - राज्य की आधारभूत संरचना कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचा नगण्य है। अतः संपूर्ण राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके राजगार के नवीन अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

8 अन्य सुझाव -

- (i) राज्य में मानव शक्ति नियोजन के प्रयास किये जाने चाहिये।
- (ii) पशुपालन का तीव्र गति से विकास करके रोजगार के अतिरिक्त अन्न सृजन किये जा सकते हैं।
- (iii) सामाजिक वानिकी का विकास भी रोजगार वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- (iv) आर्थिक उदात्तकरण के द्वारा भी रोजगार में वृद्धि संभव है।
- (v) बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

नवी योजना में रोजगार सृजन की रणनीति

राजस्थान का नवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन की निम्न व्यवस्था अपनाई गई

- (i) प्रथम प्रधान कार्यक्रमों का प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ii) रोजगार प्रदान करने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों (जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि) के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जायेगा।
- (iii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (अपना गांव अपना काम आदि) में जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निर्धारण एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- (v) ग्रामीण नवयुवकों को विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमों (गोपल सरस्वती, मन्मथ कर्मा आदि) का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(vi) औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जायेगा।

(vii) स्वरोजगार योजनाओं के क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का प्राथमिकता दी जायेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार-सृजन के कार्यक्रम

RAJASTHAN GOVERNMENT'S PROGRAMMES FOR EMPLOYMENT GENERATION

राजस्थान में बेरोजगारी एवं निर्धनता के उन्मूलन के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं

- 1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2 ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण
- 3 ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम
- 4 जवाहर रोजगार योजना
- 5 जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- 6 मरू विकास कार्यक्रम
- 7 सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम
- 8 अन्त्येष्टि योजना
- 9 बीस सूत्री कार्यक्रम
- 10 बजर भूमि विकास कार्यक्रम
- 11 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
- 12 मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना
- 13 अरावली विकास कार्यक्रम
- 14 महिला विकास कार्यक्रम
- 15 अपना गांव अपना काम योजना
- 16 कन्दरा मुधार कार्यक्रम
- 17 कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम
- 18 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)


- बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए।
Define Unemployment
- छिपा हुआ बेरोजगारी क्या है?
What is disguised unemployment
- बेरोजगारी के निम्न अवधारणों को समझाइए
(i) सामान्य स्थिति (ii) सप्ताहिक स्थिति (iii) दैनिक स्थिति
Explain the following concepts of unemployment
(i) Usual Status (ii) Weekly Status (iii) Daily Status
- राजस्थान में रोजगार की वर्तमान स्थिति बताइए।
Explain the present position of employment in Rajasthan
- राजस्थान में बेरोजगारी का आकार बताइए।
Explain the size of unemployment in Rajasthan
- राजस्थान में रोजगार पर व्यास समिति पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Vyas committee on employment in Rajasthan
- राजस्थान में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the employment opportunities in Rajasthan

110661

B. निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)


- बेरोजगारी क्या है? राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण हैं?
What is unemployment? What are the causes of unemployment in Rajasthan?
- राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on unemployment in Rajasthan.
- राजस्थान में बेरोजगारी के निम्न तत्वों को स्पष्ट कीजिए
(i) बेरोजगारी का आकार (ii) बेरोजगारी के कारण
Mention the following factors of unemployment in Rajasthan -
(i) Size of Unemployment (ii) Causes of Unemployment
- राजस्थान में बेरोजगारी के क्या कारण हैं? व्यास समिति का प्रमुख बालों का उल्लेख कीजिए।
What are the causes of unemployment in Rajasthan? Mention the main features of Vyas Committee



अध्याय - 5

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन

NATURAL RESOURCES OF RAJASTHAN



"प्राकृतिक संसाधन प्रगति की आधारशिला हैं।"

अध्याय एक दृष्टि में

- प्राकृतिक संसाधनों से आशय
- प्राकृतिक संसाधनों के महत्व
- राजस्थान की भूमि सम्पदा
- राजस्थान की जलवायु
- राजस्थान के प्राकृतिक भाग
- राजस्थान की मिट्टियाँ
- राजस्थान की वन सम्पदा
- राजस्थान की जन सम्पदा
- राजस्थान की पशु सम्पदा
- राजस्थान की खनिज सम्पदा
- अप्साराय प्रश्न

प्राकृतिक संसाधनों से आशय

MEANING OF NATURAL RESOURCES

प्राकृतिक संसाधनों से आशय प्रकृति द्वारा प्रदत्त उन उपहारों से है जो मानव के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होते हैं। इस दृष्टि से प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व संसाधन है। भूमि जल वनस्पति खनिज जीव जन्तु जलवायु आदि मानव उपयोगी होने के कारण संसाधन हैं। कई तत्व परस्पर मिलकर या अलग-अलग भी संसाधन बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपभोक्ता के रूप में मनुष्य स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला भी प्राकृतिक संसाधन ही है। इन पर ही राष्ट्र का विकास व भविष्य निर्भर करता है। संसाधनों में जितनी विविधता होगी उन्नति की संभावनाएँ उतनी ही अधिक होंगी। मानवीय व प्राकृतिक तत्वों द्वारा उनका परस्पर संध मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये मनुष्य को कृषि करने के लिए भूमि मिट्टी व जलवायु को दृष्टिगत रखना होगा। इसी प्रकार यह भी संभव है कि मनुष्य को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी संसाधन एक ही स्थान पर मिल जाये जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस का एक स्थान पर मिलना ऐसी दशा में इनकी सापेक्षिक महत्व के अनुसार मनुष्य यह निर्णय लेता है कि

किस समाधान का, कैसे और कितना उपयोग करेगा। प्राकृतिक मसाधनों में भूमि, मिट्टी, जलवायु, जल, खनिज वनस्पति पशु-सम्पदा आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसाधन हैं।

प्राकृतिक मसाधनों में भूमि खनिज वन पशु वन मसाधनों आदि का ममावेश किया जाता है। इनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय में किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCES

1 कृषि (Agriculture) - कृषि फसलों की विविधता का कारण मुख्यतः जलवायु की भिन्नता है। मानसूरी, जलवायु वाले राष्ट्रों में मानसून पर्याप्त व समय पर आने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। प्राकृतिक मसाधनों के कारण ही कृषि में मिचाई हेतु सतत बहने वाली नदियाँ प्राप्त होती हैं। कृषि में संबंधित विभिन्न आदान, जैसे रासायनिक खाद आदि, प्राकृतिक मसाधनों की ही देन हैं। उपजाऊ मिट्टी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2 उद्योग (Industry) - उद्योगों पर स्थिति का कवशा प्रभाव पड़ता है। मानसूनी जलवायु और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में कृषि-जन्य कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योग पाये जाते हैं। इनमें नदियों से प्राप्त जल विद्युत, शक्ति का प्रमुख स्रोत होती है। वन-सम्पदा अधिक होने पर उन पर आधारित उद्योग विकसित होने वाले जाते हैं। खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में खनिजों पर आधारित उद्योग पनपने लगते हैं। शक्ति का जो साधन आसानी से उपलब्ध होता है वही शक्ति का प्रमुख साधन बन जाता है। कुछ कवशा प्रकार के उद्योग जलवायु के अनुरूप स्थापित होते हैं, मुख्य रूप से क्लियर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि।

3 व्यापार (Trade) - यदि राष्ट्र अविस्मृत पड़ोसी राष्ट्रों से घिरा हो तो उनके बाजारों में प्रवेश की अच्छी मभावनाएँ होती हैं। इसी प्रकार सामुद्रिक जल मार्ग उपलब्ध होने पर दूसरे राष्ट्रों से संपर्क कार्य सरल हो जाता है। भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप स्थल क्षेत्र से भी व्यापार संभव है। यदि राष्ट्र प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों के मध्य है तो प्रायः प्रत्येक राष्ट्र के व्यापारियों से संपर्क बढ़ता है। इससे व्यापार प्रोत्साहित होता है। जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न कृषि फसलें लेना संभव हो जाता है। फलस्वरूप व्यापार बढ़ने की संभावना रहती है। राष्ट्र की प्राकृतिक मरचना जनसंख्या को भी प्रभावित करता है। फलस्वरूप आंतरिक व्यापार भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक मसाधनों की कमी और अधिक्ता में प्रायः देशी व विदेशी

व्यापारों में भी कमी व वृद्धि होती है।

4 परिवहन (Transport) - विशेष रूप से धरतल की अनुकूलता के कारण स्थल, वायु तथा आंतरिक जल यातायात विकसित होते हैं। समुद्र होने पर सामुद्रिक यातायात प्रभावित बढ़ता है। आममान साफ होने पर वायु परिवहन में वृद्धि होती है। स्थिति के कारण कटे-फटे होने पर प्राकृतिक बंदरगाह उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक मसाधनों के अधिक होने पर भी देशी व विदेशी व्यापार अधिक होता है। फलस्वरूप परिवहन के साधनों के विकास की गति भी बढ़ जाती है। रिंगस्तानी क्षेत्रों में स्थल यातायात काफी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मुमताधार वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थल परिवहन में अनेक बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं।

5 कार्यक्षमता (Efficiency) - गर्म जलवायु होने पर शीत-प्रधान राष्ट्रों की तुलना में कार्यक्षमता कम देखी गयी है क्योंकि गर्म प्रदेशों में जल्दी ही थकावट का अनुभव होने लगता है। एक राष्ट्र में अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों और ठंडे प्रदेशों में निवासियों की कार्यक्षमता का अंतर आ जाता है। कार्यक्षमता पर जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता का भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य काफी सीमा तक देश के प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है।

6 उपभोग (Consumption) - प्राकृतिक मसाधनों की विविधता के साथ-साथ उपभोग में भी प्रायः विविधता देखी गई है। खनिजों में विविधता विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास का कारण बनती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु से भिन्न-भिन्न कृषि फसलें प्राप्त होती हैं। वन-उत्पादों के कारण अनेक वस्तुएँ उपलब्ध होने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक मसाधना उत्पादों में विविधता का औः फलस्वरूप उपभोग में विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण है।

7 पर्यावरण (Environment) - एक राष्ट्र का पर्यावरण किस प्रकार का होगा यह अनेक बातों पर निर्भर करता है। वह राष्ट्र विद्युत रेखा के किस ओर व कितनी दूर स्थित है, राष्ट्र समुद्र में घिरा है अथवा उसके किनारा दूर या पास है, उस राष्ट्र की प्राकृतिक संरचना किस प्रकार की है, वनस्पति, कृषि, उद्योग, परिवहन, जीवन-मर आदि किस प्रकार के हैं ये सब तत्व मिलाकर उस राष्ट्र के प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की रचना करते हैं। प्राकृतिक मसाधनों पर क्योंकि मानव का नियंत्रण नहीं होता इस कारण प्राकृतिक पर्यावरण की रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

8 संचार (Communication) - अधिक वर्षा, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, राष्ट्र की अत्यधिक विखरी हुई स्थिति ये राष्ट्रों की संचार व्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित

करते हैं और इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रतिकूल प्रकृति तत्वों के कारण संचार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः मैदानी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण होती है। संचार के विभिन्न उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल भी प्रकृति की ही देन है।

9 अन्तर्राष्ट्रीय साख (International credit) - विस्तार की दृष्टि से अधिक बड़ा राष्ट्र, प्रायः प्राकृतिक ससाधनों में भी सम्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में स्वयं उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर देती है। इसके साथ ही यदि सामरिक और ध्यःपरिक दृष्टि से वह अनुकूल स्थिति में हो तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वह पर्याप्त सम्मान अर्जित कर लेता है। पिछड़े राष्ट्रों में घिरा एक विकसित राष्ट्र प्रायः उनके नेता के रूप में स्वीकार्य हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता, अन्य राष्ट्रों की ओर उच्च अर्थव्यवस्था की आकर्षण शक्ति में ला देती है।

10 सुरक्षा (Defence) - प्रायः बृहद् आकार के राष्ट्र बाह्य आक्रमणों व दुश्मनों के लिए प्रायः अजेय रहते हैं। समुद्र का लाभ मिलने पर नौसेना का गठन संभव हो पाता है। सीमाओं का विस्तार अधिक होने पर सुरक्षा व्यय बढ़ जाता है। भारत भी हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण विदेशी आक्रमणों से बाकी सीमा तक सुरक्षित रहा है। भारत में द्वीपों की स्थिति ने भारत का सामरिक महत्व बढ़ा दिया है। प्राकृतिक ससाधनों ने मध्यम से सम्पन्नता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपनी सम्पन्नता को बनाए रखने के लिए स्वतः ही सुरक्षा व्यवस्था की रचना करनी होती है। फलस्वरूप वह इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है।

11 आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency) - प्रत्येक राष्ट्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने से उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करनी होती है। यह प्रगति प्राकृतिक ससाधनों के बहुल्य और उनकी विविधता पर काफी सीमा तक निर्भर रहती है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12 जन-जीवन (Life Style) - किसी राष्ट्र में जन जीवन कैसा होगा इस पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन प्रायः विपन्न होगा। बर्फीले भागों में रहने वाले लोगों का जीवन और भी अधिक दुःखी होगा। मैदानी भागों में लोग प्रायः अधिक सुविधापूर्ण स्थिति में देखे जाते हैं। इस प्रकार की विविधताएँ लोगों के

जन-जीवन पर तो प्रभाव डालती ही है, उनके जीने के तरीके और उनकी जीवन-स्तर भी इससे प्रभावित होता है।

13 पर्यटन (Tourism) - विश्व में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। पर्यटन क्षेत्रों के विकास में प्रमुख भूमिका प्रकृति की ही कही जा सकती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त राष्ट्र पर्यटक स्वलों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अच्छा समुद्र तट, घने जंगल, नदियाँ व झीलें, अनुकूल जलवायु आदि मिलकर पर्यटन स्थलों की रचना करते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड जैसे अच्छे पर्यटक स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। यह मान्यता उनकी आय को अत्यधिक बढ़ाने में सहायक होती है।

14 जनसंख्या (Population) - किसी भी राष्ट्र की जलवायु जनसंख्या की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करती है। गर्म जलवायु वाले राष्ट्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है क्योंकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग शीघ्र परिवर्तन को प्राप्त कर लेते हैं। शीतल राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर प्रायः कम होती है। जनसंख्या के घनत्व पर भी प्राकृतिक ससाधन अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। उपजाऊ क्षेत्रों, शक्ति के पर्याप्त साधन वाले क्षेत्रों प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त क्षेत्रों में रहना लोग अधिक पसन्द करते हैं। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों का घनत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक ससाधनों के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध होने में भी घनत्व प्रभावित होता है।

15 रोजगार (Employment) - विकास के लिए प्राकृतिक ससाधनों का विद्योहन किया जाता है। विद्योहन की यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों में पूरी होती है, जिनमें उद्योग प्रमुख है। ऐसी स्थिति में अधिक प्राकृतिक ससाधनों के होने पर रोजगार की अधिक सहायताएँ उत्पन्न होती हैं। अनुकूल प्राकृतिक स्थिति होने पर व्यापार उन्नत अवस्था में होता है। जलवायु की अनुकूलता के कारण कृषि प्रधान राष्ट्र हो जाने से भी, अधिकांश जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन अधिष्ठ होना पर अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है।

16 भण्डारण (Storage) - राष्ट्र को या प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध है, उनकी भिन्नता विभिन्न वस्तुओं व भण्डारण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इनमें से मुख्य रूप से जलवायु का भण्डारण पर प्रभाव देखा जा सकता है। शीत प्रदेशों में प्रकृति वस्तुओं को सुरक्षित अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है जबकि गर्म प्रदेशों में उनको सुरक्षित रखने के लिए शीत भण्डारण की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी प्रकार अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में भी यह व्यवस्था अनिवार्य हो जा सकती है।

भण्डारण की व्यवस्था के कारण वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं जिसका प्रभाव व्यापार व अन्य उत्पादन क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

17 क्षेत्रीय विकास व विषमता (Regional development & disparities) - एक राष्ट्र में ही विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुल्यता या कमी हो सकती है। इस प्रकार की कमी और बहुल्यता विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक विषमता व अनेक प्रकार की असमानताएँ उत्पन्न कर देती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बहुल्य वाले क्षेत्रों में उद्योग परिवहन व्यापार, कृषि आदि उन्नत अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में इन उन्नत व निम्न क्षेत्रों के मध्य खाई निरंतर बढ़ती चली जाती है।

18 सभ्यता व संस्कृति (Civilizations & Culture) - किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन उसे अन्य राष्ट्रों से कितना निकट सम्पर्क में ला देता है अथवा उसे कितना अलग कर देते हैं, इस बात का प्रभाव उनकी सभ्यता व संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत की प्राकृतिक सीमा व कवशषकर हिमालय द्वारा शेष विश्व से अलग-अलग रहने के कारण भारत ने अपनी स्वयं की सभ्यता व संस्कृति को अपनाया रखा। यह तर्क कि जो आक्रमणकारी विदेशों से आकर बसे वे भी इसी देश की सभ्यता व संस्कृति के अभिन्न अंग बन गये। विभिन्न लोगों व राष्ट्रों के संपर्क में आने का प्रभाव कुछ हद तक भारतीयता पर भी पड़ा। वर्तमान में इस सदर्प में पश्चिमी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

19 राजनीति (Politics) - देश के अत्यधिक विस्तार प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता आदि के कारण उत्पन्न भिन्नताओं से राजनीतियों के मध्य अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विस्तृत राष्ट्र होने के कारण अनेक प्रादेशिक समस्याओं का मानना सरकार को करना पड़ता है। राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों का निर्धारण कर, संपूर्ण राष्ट्र को सन्तुष्टि प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। जब संपूर्ण राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों में समान हो तो विकास की समस्याएँ, प्रायः अभाव की समस्याओं की अपेक्षा कम तार होती हैं। इन प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की कमी सरकार को समस्याओं में प्रायः वृद्धि ही करती है।

20 विकास (Development) - राष्ट्र की प्राकृतिक बनावट उसकी खनिज-सम्पदा, वन सम्पदा, जल-स्रोत जलवायु तथा मछ ही उनका प्रयोग करने वाले मानवीय संसाधन विकास की गति को निर्धारण करती हैं। यदि य तत्व अनुकूल हैं तो विकास की गति तीव्र होती है। कृषि, उद्योग, व्यापार परिवहन राजस्व आदि का तीव्र गति से

विस्तार व विकास होता है। फलस्वरूप वर्तमान विकास की दर बढ़ जाती है। लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी से प्रायः वर्तमान के साथ-साथ भावी विकास की संभावनाएँ भी कम हो जाती हैं।

राजस्थान की भूमि-सम्पदा

LAND RESOURCES OF RAJASTHAN

भूमि सम्पदा में मुख्यतः भू-आकृति (Relief) भू-गर्भशास्त्र मिट्टी कन्दगाएँ व खाईयाँ, नदी-घाटियाँ, वनस्पति एवं वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और भू-उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। इनका विश्लेषण निम्न प्रकार है -

i भू-आकृति (Relief) - भारत में विरल में गोंडवाना क्षेत्र व अगस्त्य क्षेत्र नामक दो भू-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों भूखण्डों के मध्य टैपिस महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग गोंडवाना क्षेत्र का व शेष टैपिस महासागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में विद्यमान अप्रुवती पर्वत-श्रृंखलाएँ तथा दक्षिण-पूर्वी पठार गोंडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से हैं। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टैपिस महासागर विद्यमान था जिससे गहराई को कालान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि में हममें सर्वाधिक योग सरस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कालान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान को भूमि की दृष्टि में चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है (i) उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तान (ii) पूर्वी मैदान (iii) मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र अथवा अरावली प्रदेश और (iv) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तृत विवेचन राजस्थान के भौगोलिक परिचय के अन्तर्गत किया गया है।

2 भू-गर्भशास्त्र (Geology) - राजस्थान क्षेत्र प्राकृति ने अनेक प्राचीन चट्टानों की श्रेणियाँ उपहार स्वरूप प्रदान कर है। इनमें से कुछ श्रेणियाँ लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी भाग क्षार क मरुभूमि की मिट्टी से ढक हुये हैं। शेष भाग में अनेक प्रकार की कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग के अतिम भाग में भूरे रंग की चट्टानों की श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य में मिट्टी और चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चूना पत्थर के विशाल भण्डार थे।

3 वन एवं वनस्पति (Forests & Vegetation) - भारत में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत में वनों का

से अधिक होका है।

(C) सर्दी राज्य में सर्दी का मौसम प्रायः नवम्बर से मार्च के मध्य रहता है। राजस्थान में सर्दी के मौसम को प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 राजस्थान में शीत ऋतु का सर्वाधिक प्रभाव जनवरी माह में होता है। इस माह में राज्य के कुछ जिलों (सीकर, अलवर, चुरू, गगानगर, बीकानेर आदि) का औसत दैनिक तापमान 12° से से 14° से तक रहता है।
- 2 इस मौसम में राज्य के जैसलमेर, चुरू, गगानगर, फलोदी व बीकानेर आदि शहरों में तापमान पानी के जमान बिन्दु से भी कम हो जाता है।
- 3 इस मौसम में राज्य के उष्ण व पश्चिमी क्षेत्रों में औसतन 5 सेमी से 10 सेमी तक वर्षा (मददवट) होती है। यह वर्षा राज्य की ऋतु की फसलों (गेहूँ, चना, जौ व सरसों आदि) के लिये अत्यधिक लाभदायक होती है। इस वर्षा में तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है।

राजस्थान के जलवायु आधारित प्रदेश

राज्य के जलवायु प्रदेश का निर्धारण तापक्रम तथा एव आर्द्रता के आधार पर निम्न रूप में किया जा सकता है -

(A) शुष्क प्रदेश (Dry Region) इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं-

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है।
- 2 तापमान - इस प्रदेश का औसत दैनिक तापमान गर्मी में 34° से एव सर्दी में 12° से रहता है।
- 3 वर्षा - शुष्क प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 10 सेमी से 25 सेमी तक रहता है।
- 4 वन - वन सीमित मात्रा में होते हैं।
- 5 विस्तार - शुष्क जलवायु प्रदेश में गगानगर जिले का दक्षिण भाग, झुंझर, जैसलमेर व जेठपुर का उत्तरी भाग तथा बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित है।

(B) अर्द्ध-शुष्क प्रदेश (Semi-Dry Region) इस प्रदेश की विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु अर्द्ध-शुष्क है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में 25 सेमी से 50 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है।
- 3 वन - इस प्रदेश में घास के मैदान व रेगिस्तानी पेड़-

पौधे व झाड़ियाँ पाई जाती हैं।

4 विस्तार - यह प्रदेश बीकानेर, जेठपुर, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, गगानगर तथा बाड़मेर जिलों तक विस्तृत है।

(C) आर्द्र प्रदेश (Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र होती है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेमी से अधिक रहता है।
- 3 वन - वनों की स्थिति राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घने वन हैं।
- 4 विस्तार - यह क्षेत्र राज्य के बाड़मेर, झुंझर तथा झालावाड़ तक विस्तृत है।

(D) उप-आर्द्र प्रदेश (Sub-Humid Region) इस प्रदेश की विशेषताएँ निम्न हैं -

- 1 जलवायु - इस प्रदेश में उप-आर्द्र जलवायु पाई जाती है।
- 2 वर्षा - इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेमी से 80 सेमी तक रहता है।
- 3 वन - इस प्रदेश में पर्याप्त वन पाये जाते हैं।
- 4 विस्तार - यह प्रदेश जयपुर, अजमेर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर तथा चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है।

राजस्थान के प्राकृतिक भाग

NATURAL DIVISIONS OF RAJASTHAN

आरभ में विश्व में गोंडवाना क्षेत्र व अणार क्षेत्र नामक दो पूरु-खण्ड विद्यमान थे और इन दोनों पूरुखण्डों के मध्य टैथिस महासागर विद्यमान था। राजस्थान का कुछ भाग गोंडवाना क्षेत्र का व शेष टैथिस महासागर का अपशेष भाग माना जाता है। राजस्थान में विद्यमान अरवली पर्वत-श्रृंखलाएँ तथा दक्षिणी-पूर्वी पठार गोंडवाना प्रदेश के प्राचीनतम भू-क्षेत्रों में से हैं। अनुमान है कि शेष राजस्थान के स्थान पर टैथिस महासागर विद्यमान था जिसकी गहराई की कालान्तर में अनेक नदियों ने पाट दिया। राजस्थान की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक योग्य सरस्वती नदी का रहा। यह नदी भी कालान्तर में लुप्त हो गई। राजस्थान की सुविधा की दृष्टि से चार प्राकृतिक भागों में बाटा जा सकता है -

(1) उत्तरी-पश्चिम में रेगिस्तान (2) पूर्वी मैदान (3) मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र अथवा अरवली प्रदेश और (4) दक्षिणी-पूर्वी पठार। इन प्राकृतिक प्रदेशों का परिवर्तन निम्न विवेचन से स्पष्ट है

प्राकृतिक प्रदेश	भू भाग का प्रतिशत	जनसंख्या का प्रतिशत	प्रमुख जिले
1 उबड़ भूजा रेगिस्तान	57.8 (61.11)*	30 (40%)**	जयपुर बाड़मेर जाधपुर हनुमानगढ़ बीकानेर जालौर मगधनगर चुरू नागौर पाली सीकर झुझुनू
2 प्लेन मैदान	23.9	40	अनवर भरतपुर टाक सवाई माधपुर उदपुर दीसा धौलपुर
3 मध्यपूर्वी पहाड़ी प्रदेश	9.3	17	बांसवाड़ा झुझुनू उदपुर विरेड भीलवाड़ा अजमेर सिंगरि पत्रगढ़
4 दक्षिणी पुराने पठार	9.3	13	कोटा बूंदी झांसीवाड़ा बाण

** Economic Review 1995-96 Govt. of Rajasthan

(अ) उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तान

North West Desert

कहा जाता है कि इस भाग में टैक्सि महासागर विगमन था जो कालान्तर में लुप्त हो गया। सागर डाडवाना व पचभट्टा की खारा झीलों उमी सागर का अवशेष मानी जाता है। यह प्रदेश प्राचीनकाल में काफ़ी समृद्ध था और उस समय यहाँ समस्वती नदी बहा करता था। इस प्रदेश के हर भाग होने का आभास हाल में मित्र वन-अवशेषों से पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में यह थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा मरुस्थल नहीं है जहाँ राजस्थान के थार मरुस्थल जितनी सख्त में मनुष्य व पशु रहते हैं। यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर पुरू पश्चिमी नागौर पठार नागौर और सिरोहा तक विस्तृत है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जाधपुर तथा चुरू जिले के कुछ हिस्से को मिला कर वन पश्चिमी मरुक्षेत्र के जोन प्रथम 'ए' कहा है। इसका क्षेत्रफल 1,244 करोड़ हेक्टेयर है। राज्य के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। यहाँ रेत के 100 मीटर तक की ऊँचाई के टीले बने हुए हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है। अतः वनस्पति बहुत कम है। पवन तेज हवाओं के कारण कटाव से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसमें उपजाऊ भूमि ख़र भूमि में बदल जाती है और मड़क और मरुत रेत में ढल जाते हैं।

उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1 पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान यह प्रदेश बीकानेर जैसलमेर चुरू और पश्चिमी नागौर तक विस्तृत है। यहाँ आवाजा नाम गिराना पठार तथा विंधन क्रम का पठार है। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर और पुरू गगननगर जिलों में पवन के पत्थर की प्रधानता है। वन वानु का स्तूपयुक्त प्रदेश बहनाता है।

2 अर्द्धशुष्क मैदान या राजस्थान वागड इसमें तुना रमित शक्तिवाग भू भाग नागौर उच्च भूमि तथा पश्चिम नदी के मैदान का सम्मिलित किया जाता है। तुनी रमित

अजमेर के दक्षिणी पूर्वी भाग पाली जालौर व मिराही तक विस्तृत है। यहाँ तांबे डालवाली पहाड़ियाँ व विस्तृत जलवादी मैदान हैं। शोखावाली भू भाग राजस्थान वागड के अंतर्गत लूनी बसिन के उत्तर व राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। वह क्षेत्र ऊबड़ खण्ड और बालू मिट्टी के टालों का है। यहाँ कान्तली नदी बहती है।

उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताएँ निर्मात्रित हैं।

1 सीमा (Boundary) इस प्राकृतिक प्रदेश के उत्तर में पंजाब का मैदान व दक्षिण में कच्छ की खाड़ी है। पूर्व में अरावली पर्वत-श्रृंखला है तथा पश्चिम में पाकिस्तान का सीमा है। यह प्रदेश अरावली पर्वत-श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है।

2 स्थल-आकृति (Topography) इस प्रदेश का ढाल पूर्व में पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर पूर्वी भाग की ऊँचाई लगभग 300 मीटर व दक्षिण भाग 150 मीटर ऊँचा है। इस क्षेत्र में बालू रेत के टीले विद्यमान हैं और ये अधिकांश क कारण अपना स्थान बदलते रहते हैं।

3 जिले (Districts) लगभग 1,88,206 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस प्रदेश में राजस्थान के गगननगर बीकानेर चुरू नागौर जाधपुर जैसलमेर बाड़मेर पाली हनुमानगढ़ नागौर सीकर और झुझुनू जिले सम्मिलित हैं।

4 जलवायु (Climate) इस क्षेत्र की जलवायु विषम है। रात और दिन तथा सर्दी व गर्मी के तापक्रम में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। औसत तापमान ग्राम ऋतु में 34° से अधिक तथा शान ऋतु में 12° से कम रहता है। शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता 16% से भी कम हो जाती है। वर्षा का सामान्य औसत 12 से मा से 15 से भी रहता है।

5 वनस्पति (Vegetation) उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में काटेदार झाड़ियों की बहुतायत है। वनस्पति बहुत कम व विरल है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश वृक्षों का काटेदार व लंबा जड़ा पान होता है जैसे 'गुड़न' और 'अलि'।

6 मिट्टी (Soils) इस क्षेत्र में मुख्यतः बालू मिट्टी विद्यमान है। मिट्टी में वनस्पति-अंश का कमी है तथा मिट्टी

के कृषि मोटे व असंगठित हैं। मिट्टी उपजाऊ होते हुए भी जल का अभाव में बेकार पड़ी है। गगानगर जिले की सम्पन्नता भी इस बात का द्योतक है।

7 खनिज (Minerals) लिग्नाइट कोयला जिप्सम मुलानी मिट्टी इमारती पत्थर व प्राकृतिक गैस इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र में खनिज तेल का खोज की जा रहा है।

8 भू क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान का 1.88 लाख वर्ग किलोमीटर भू भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का यह 57.8% भाग है और राजस्थान का 30% जनसंख्या यहां निवास करती है।

9 नदियां व झीलें (Rivers & Lakes) सूनी सूकड़ा जराड़ व बाड़ा इस क्षेत्र का प्रमुख नदियां हैं तथा इस क्षेत्र में साभर एचरदरा व डांडवना का प्रसिद्ध खारी झीलें स्थित हैं।

11 कृषि (Agriculture) इस प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेत व पशुपालन है। यहां मुख्यतः मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। ज्वार बाजरा मूंग मटर आदि प्रमुख फसल हैं लेकिन गगानगर जिले में सिंचि का कारण गहू जौ कफस गन्ना आदि फसल भी उगाई जाता है।

(व) पूर्वी मैदान

Eastern Plain

राजस्थान के पूर्व में स्थित यह मैदान वास्तव में गंगा-सतलज के मैदान का ही भाग है। इस समूह प्रदेश का पश्चिम भाग में विभक्त किया जा सकता है।

1 चम्बल का बेसिन (Chambal basin) यह काटा झील टोक मवाइमाधोपुर तथा धौलपुर जिले के लगभग 50 026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चंबल नदी यमुना का प्रमुख सहायक नदी है जो विंध्य पठार के उत्तर-पश्चिम तथा अरावली पठार के मध्यवर्ती भाग में होकर बहता है। इस क्षेत्र में दांड के मैदान नदी काण व बाण्ड है। काण नदी टाक सबाइ माधोपुर व धौलपुर आदि जिले में 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाण्ड फैल हुआ है। समूह तल में इस प्रदेश का ऊंचाई 350 मीटर से अधिक है यहाँ 60 से मा से 100 से मा के मध्य वर्ग होता है मिट्टी उपजाऊ व कृषि के उपयुक्त है।

2 बानस बेसिन (Banass basin) नाम व उमका मत्तदक नदियां का यह मैदान दक्षिण में सबाइ का मैदान नदी उत्तर में मालपुरा करीला व मदान व नर्म म जना जाता है खाना मयम एव मीरत नदियां नर्म

का सहायक नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण किया गया है जो उदयपुर के पूर्वी भाग पश्चिमी चित्तौड़गढ़ भालवाडा टाक जयपुर पश्चिमा मवाइमाधोपुर और अलवर के दक्षिण भागों तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। यह 80 से मा से 90 से मा वर्ग हाता है। उपजाऊ मिट्टी व पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है।

3 मध्य माही बेसिन (Central Mahi basin) माही नदी द्वारा निर्मित यह मैदान दक्षिण पूर्वी बामवाडा आर चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भागों तक फैला हुआ है यह मैदान 7056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है एव वषा का औसत 100 से मा है। बासवाडा व डूंगरपुर के पहाडी भू भाग को स्थानांतरण भाषा में बाण्ड कहा जाता है।

पूर्वी मैदान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1 सीमा (Boundary) पूर्वी मैदान के उत्तर व पूर्व में सतलज गंगा का मैदान व दक्षिण में पठार प्रदेश विद्यमान हैं। पश्चिम में अरावली पर्वतश्रृंखला उत्तम पश्चिमा नीलान में इस अन्त करत है।

2 स्थल आकृति (Topography) यहां लगभग समतल मैदान है और भूमि का टाल उत्तर पूर्व व आर है। इस कारण अनेक नदियां इन आर प्रवाहक होकर गंगा या यमुना में मिलती हैं।

3 जिले (Districts) इस प्रदेश का पश्चिम आर दक्षिण प्रमुख जिले अलवर भानपुर धौलपुर टाक टोना सबाइ मधोपुर तथा जयपुर हैं।

4 जलवायु (Climate) मैदानों में पूर्व में अधिक आर्द्र पश्चिम में अधिक शुष्क है। इस क्षेत्र का वर्षा का मात्रा औसत 40 80 से मा के मध्य है।

5 वनस्पति (Vegetation) अधिकांश भूमि नर्म व वनस्पति में मिश्रित हुई है। अगर जगह घास व चगान में पाव जाता है वृक्ष में नर्म बबूल बरगद आम आदि प्रमुख हैं।

6 मिट्टी (Soil) मिट्टी दोमट व उपजाऊ है। नदियां द्वारा निर्मित यह मिट्टी अधिकतर संगठित व बागेक मिट्टी का वर्ग है।

7 खनिज (Minerals) यह मैदान दक्षिण खनिज का दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

8 भू-क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) - पूर्वी मैदान का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का 23.9% भाग है तथा जनसंख्या का 40% भाग इसमें निवास करता है।

9 नदियाँ (Rivers) - मावसी, मोरेन, वडोच बजाई व गोलवा नदियाँ बनास की प्रमुख महायुक्त नदियाँ हैं।

10 कृषि (Agriculture) - भूमि उपजाऊ होने के कारण खाद्यान्न व व्यावसायिक फसलें उत्पन्न करना संभव है। इस क्षेत्र में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, कपास, गन्ना आदि उत्पन्न की जाती हैं।

11 उद्योग (Industry) - इस प्रदेश में सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, चीनी व इजीनियरिंग उद्योग विकसित हैं।

(स) मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश अथवा पर्वतीय प्रदेश

Middle Mountain Region

यह पहाड़ी क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम भू-भागों में से एक है। अरावली पर्वत-श्रृंखला गुजरात में दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। दिल्ली की ओर इसकी ऊँचाई क्रमशः कम होती चली गई और दिल्ली के पास यह लगभग लुप्त हो गई है। कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व की फैली यह पर्वत-श्रृंखला समुद्र के अन्दर तक चली गई है और लक्षद्वीप समूह इसी का भू-भाग है।

यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत-श्रृंखलाओं में से एक है। भूगर्भीक इतिहास की दृष्टि से अरावली श्रृंखला धारवाड़ समय के समाप्त होने के समय में स्रष्ट है। विध्यनकाल के अन्त तक यह पर्वत श्रृंखला अपने अस्तित्व में आई। इस प्रदेश का चार भागों में विभक्त किया जा सकता है

1 उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी प्रदेश (North-East Mountain region) - यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र फाईलाइट एवं क्वार्ट्ज से निर्मित है। इनमें पर्वतों का निर्माण तेजी में होता है। क्वार्ट्ज के माग्न ऊंची चोटियों का निर्माण होता है। अलवर की पहाड़ियों का ऊँचाई 550 मीटर से 670 मीटर के मध्य है। इनकी शाखायें गीवर, नीम का धाना, शीगाधोपुर और खेनडी नहमीला तक फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के मध्य चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं। अलवर में भैरव चाटी का ऊँचाई 792 मीटर व बैराठ चोटी की ऊँचाई 204 मीटर है। जयपुर में बारई राठी की ऊँचाई 792 मीटर व छोटी राठी की ऊँचाई 920 मीटर है। मीरत जिले में गनुनाथ मठ चाटी की

ऊँचाई 1055 मीटर है।

2 मध्य अरावली श्रेणी (Middle Aravalli range) - इसमें अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों के दक्षिण-पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत पश्चिम में विखरे कटक अलवर की पहाड़ियों, करौली उच्च भूमि और बनास मैदान सम्मिलित हैं। इस प्रदेश को दो भागों में बाँटा जा सकता है - (अ) शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में बालू भू-तल की पहाड़ियों व गहरे गर्तों का बहुल्य है। पहाड़ी श्रृंखला साभर झील से प्रारंभ होकर झुझु झिले में मिहना तक चली गई है। यह इस क्षेत्र की सबसे लम्बी पर्वत-श्रेणी है। घाट गढ़ नामक गहरी, आडा डूंगर तथा नारावटी इस क्षेत्र की छोटी पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की पहाड़ियों की औसत ऊँचाई लगभग 400 मीटर है। साभर झील के पश्चिमी क्षेत्र की अरावली श्रेणी की पहाड़ियों की औसत ऊँचाई लगभग 500 मीटर है। (ब) मेरवाड़ा पहाड़ियाँ ये पहाड़ियाँ अजमेर शहर व उसके समीपवर्ती भागों में फैली हुई हैं। तारागढ़ इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणी है जिसकी समुद्रतल से ऊँचाई लगभग 914 मीटर है। तारागढ़ के पश्चिम में नाग पहाड़ हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ का यह क्षेत्र कुकरा में अजमेर जिले के अंतिम भिन्न तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 550 मीटर है।

3 मेवाड़ पहाड़ियाँ व भोरठ पठार (Mewar Hills & Bharat plateau) - यह क्षेत्र पूर्वी मिर्गोटी उदयपुर (कुछ पूर्वी भाग को छोड़कर) और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। उत्तर-पश्चिम में कुम्भलगढ़ व गोमुन्दा के मध्य में पठार का स्थानीय भाग में भोरठ पठार कहा जाता है। इस पठार की औसत ऊँचाई लगभग 1225 मीटर है। मिर्गोटी क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है।

4 आबू-पर्वत-क्रम (Abu Mountain range) - यह क्षेत्र अरावली पर्वत-श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो आबू के निकट प्रायः पृथक पहाड़ी के रूप में है। आबू पर्वत लगभग 19 किलोमीटर लंबा व 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है। इसमें गुरुशिखर (1728 मीटर) गमेर (1597 मीटर) और अन्तलगढ़ (1380 मीटर) प्रमुख शिखर हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू मिर्गोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनकी ऊँचाई आबू पर्वत की तुलना में कम है।

विशेषताएँ (Characteristics)

1 सीमा (Boundary) - इस प्रदेश का उत्तर में गंगा का मैदान व दक्षिण में गुजरात का समुद्री तट है। पूर्व में मैदान तथा पश्चिम में गिरान्तानी भाग विकसित हैं।

2 स्थल आकृति (Topography) विश्व की प्रचानतम पर्वत-श्रृंखला य इसका यणत होती है। यह पर्वत-श्रृंखला गुडरात मे दिल्ता तक क्रमवद्ध नहीं है वरन् बीच-बाच में यह काफ़ा कटा पटी है। इसका ऊचाई व माटाई भा सर्वर एक ममान नहीं है। अरावली पर्वत का औमत ऊचाई लगभग 3000 फाट है। इसका प्रमुख बटिया मुम्बराखर (1723 माटर) जरागा (1310 माटर) कुम्भलगड (1244 माटर) गोरम (936 माटर) माडमला (930 माटर) व नागाट (914 माटर) है। अरावली पर्वत-श्रृंखला के दो प्रमुख दर्रे क्रमशः देसूरी दर्रा व हाथी दर्रा है।

3 जिले (Districts) अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान क लगभग मध्य म है तथा इसके अंतर्गत आने वाल प्रमुख जिल वनवाडा डगरपुर सिारा उदयपुर राजसमद चित्तौडगड भलवाडा तथा अजमेर है।

4 जलवायु (Climate) यह पर्वतीय प्रदेश पूर्ब में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क जलवायु क मध्य विद्यमान है। ऊचाई वाले स्थानों में तापमान कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा 20 स 90 स मा तक हाता है।

5 वनस्पति (Vegetation) आधकाश पहाल-श्रृंखलाओं पर वनस्पति विरल है वनस्पति में वर्षा की भिन्नता क अनुसार अतर पाया जाता है।

6 मिट्टी (Soil) इस प्रदेश म पर्वत-श्रृंखलाभा के बाज-बाच म विद्यमान मैदानों व पहाडा क्षेत्र म जलाट काली भूरा लाल तथा ककरेला मिट्टा पाई जाता है।

7 खनिज (Minerals) राजस्थान का मध्यवर्ती पहाडा प्रदेश खनिज का दृष्टि मे काफी समृद्ध है। यहां लोहा तांबा जस्ता अन्नक आदि खनिज विद्यमान है।

8 भू क्षेत्र व जनसंख्या (Area & Population) राजस्थान क कुल भू भाग का 9.3 प्रतिशत भाग इस प्रदेश के अन्तर्गत आता है तथा समूर्ण जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र म निवास करता है

9 नदिया (Rivers) अरावली पर्वत-श्रृंखला स अनेक नदिया निकला है। लूना महा सवभगा सूकडा घग्घर बास गंगा वठग उराय जात्रय व भाग क्षेत्र की प्रमुख नदिया है

10 कृषि (Agriculture) पर्वत श्रृंखला व दाल अर तथा बाध-बाध म स्थित मैदान म प्रयः सभा प्रकार क फसल उत्पान का जाती है

11 उद्योग (Industry) इस पर्वत-श्रृंखला म प्रयः खनिज व उद्योग व लिए खेनडा तांबा पत्थर आदि व जिंक स्मेल्टर उदयपुर म स्थापित किया गया है।

अरावली पर्वत श्रृंखला मे लाभ (Advantages of Aravali Mountain Range)

- 1 अती पश्चिमा रेगिस्थान क प्रसार का रकन म महायक है।
- 2 अनेक नदिया का उद्गम स्थल होने के कारण सिंचाई व पाने हेतु अत उपलब्ध कराता है।
- 3 पर्वत का ऊचा चटिया पर्वत केन्द्रा के रूप मे विख्यात है जो सत-निया को अपना आर आकर्षित करती है।
- 4 पर्वत श्रेणियों मे विद्यमान वनों से अनेक प्रकार का वन-उपज प्राप्त होती है।
- 5 खनिज की दृष्टि स यह एक समृद्ध क्षेत्र है इस कारण राजस्थान के भावी विकास का मभावण बढ गई है।
- 6 पर्वत श्रृंखलाभा से उपलब्ध वनस्पति क कारण पशु चरण का काय भी हाता है।
- 7 समुद्रा के माग म कुछ अवरोध उपन कर अधिक वर्षा का प्ररित करत है।
- 8 इस प्रदेश के वनों मे अनेक वन्य जव जन्तु भा वहुताला स मिलते है

(द) दक्षिणी पूर्वी पठार

South East Plateau

यह भारत क दक्षिम म स्थित पठार का हा एक भाग है यह हाडाता या मानवा क पठार क नाम म जाना जाता है। यह प्रदेश राजस्थान के दक्षिम पूर्ब म स्थित है इस दो भाग म विभक्त किया जा सकता है

1 विध्यन कगार भूमि इस प्रदेश का भूमि बलुआ पत्थरों से बना है। अम्बय व बाँस नदी क मध्य कगार का निर्माण हुआ है जो बुन्दे नखण्ड तक विस्तृत है एक कगार धौलपुर व कौला क्षेत्र म फैला हुआ है। इन कगार का ऊचाई 350 मीटर स 550 मीटर क मध्य है।

2 दक्कन लावा पठार यह प्रदेश मध्य प्रदेश क विध्यन पठार व पश्चिम म फैला हुआ है जहा विध्यन कगारों के आधावर क्षेत्र पर दक्कन टेप लावा के जमाव स्पष्ट दृष्टिगत है व बाँस-बुडा का पठार इस भाग म स्थित है। इस प्रदेश म नदा-घटिया म कहा-कहा पर काल मिट्टा के जन्म मिलत है।

दक्षिणी पूर्वी पठार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1 सीमा (Boundary) इस पठार भाग क पूर्व मे दक्षिण पठार तथा पश्चिम म अरावली पर्वत है। उत्तर म राजस्थान का पूर्वी मैदान तथा दक्षिम म विध्यन पर्वत है।

घग्घर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि राज्य में नहरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर, गगानहर व घग्घर नदी की नहरों के कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। फलतः कृषि पदार्थों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। राजस्थान की बनावट विषम है अतः यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।

राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार

Types of Soils in Rajasthan

1 रेतीली मिट्टी यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। अतः यह पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है लेकिन इसमें गहरी रोकने की शक्ति नहीं होती है। रेतीली मिट्टी को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(i) रेतीली चालू मिट्टी - यह मिट्टी 90 से 95% बालूमय होती है। इसमें घुलनशील लवण अधिक मात्रा में होते हैं। रेतीली बालू मिट्टी मुख्यतः गगानगर, चुरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा झुझुनू जिलों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा वायु का वेग तीव्र होता है अतः मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इन क्षेत्रों में धूल भी अधिकांश चसती है।

(ii) लाल रेतीली मिट्टी - इसका रंग लाल अथवा गहरा भूरा होता है। यह मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। लाल रेतीली मिट्टी राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चुरू और झुझुनू जिलों के कुछ भाग में पाई जाती है।

(iii) पीली-भूरी रेतीली मिट्टी यह मिट्टी पीली भूरी रेतीली से बालू टोमट व बालू मटियार टोमट के रूप में मिलती है। यह राज्य के मुख्यतः नागौर व पाली जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी का लगभग 100 से 150 सेमी नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। यह उपजाऊ होती है अतः कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है।

(iv) खारी मिट्टी - इस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है अतः कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी में कुछ घस अवश्य उत्पन्न हो जाती है। यह मिट्टी राज्य के नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर की निम्न भूमि व गलों में मिलती है।

2 भूरी रेतीली मिट्टी - इसका रंग भूरा होता है अतः इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी रेतीली मिट्टी की

अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। भूरी रेतीली मिट्टी राज्य के मुख्यतः पाली, सिरोंही, बीकानेर तथा झुझुनू जिलों में पाई जाती है। यह इन राज्यों के लगभग 36400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में फॉस्फेट तत्व का बाहुल्य है। अतः इस क्षेत्र में मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मोठ आदि की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव है। अतः भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई की जाती है।

3 भूरी रेतीली कछारी मिट्टी - इसका रंग कुछ लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गगानगर जिलों के मध्य भाग में मिलती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास व गेहूँ की खेती की जाती है। गगानगर जिलों में कपास व गेहूँ की खेती इसी मिट्टी पर निर्भर है।

4 लाल मिट्टी - इस मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में होता है। अतः इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, चूना व पोटाश आदि पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। यह मिट्टी मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोंही व बासवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, कपास, मूँगफली तथा मक्का आदि की खेती की जाती है।

5 लाल व पीली मिट्टी - यह लाल मिट्टी व पीली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः भीलवाड़ा, सिरोंही, अजमेर, सर्वाई माधोपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें मूँगफली व कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी के अन्तर्गत रेतीली मिट्टी, ठिछली या सतही गहरी मध्यम भारी मिट्टी सम्मिलित है। जो अजमेर व सर्वाई माधोपुर जिलों के कुछ भाग तथा अरावली के पहाड़ी ढालों में पाई जाती है।

6 दुमट व कछारी मिट्टी - यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस, पोटाश तथा लोहा आदि अधिक मात्रा में पाये जाते हैं जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है। यह मिट्टी मुख्यतः अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक व बूंदी तथा गगानगर आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, चना, मूँग तथा कपास आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन टोंक, सर्वाई माधोपुर व भरतपुर की मिट्टी लाल-पीले रंग की है।

7 काली या रेगर मिट्टी - यह मिट्टी काले रंग की होती है। इसमें चूना व पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अतः अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पानी सोखकर रखने की शक्ति अधिक होती है। यह मिट्टी मुख्यतः झालावाड़ा, कोटा, बूंदी, बासवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर में पाई जाती है। इसमें विशेषतः कपास की खेती की जाती है। इस मिट्टी में

फास्फेट नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी होती है।

8 लाल व काली मिट्टी यह मिट्टी लाल व काली मिट्टी का मिश्रण होती है। इसमें उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः भीलवाड़ा उदयपुर त्रिपुराद्वार झुंझर तथा बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें प्रायः सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं।

राजस्थान में मिट्टी की समस्याएँ (Problems of Soils in Rajasthan)

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और मिट्टी यहाँ की कृषि का आधार है। राजस्थान में मिट्टी की प्रमुख समस्या मिट्टी के कटाव की समस्या है। मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का वास्तविक कटाव है। जोड़े परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो। राजस्थान में मिट्टी का धीमा या चादरदार कटाव हवा व पानी के माध्यम से लगभग सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है जबकि मिट्टी का गहरा व नालेदार कटाव अत्यधिक वर्षा व तेज़ हवाओं वाले क्षेत्र में होता है। जम्मल के बौद्ध इसके अच्छे उदाहरण हैं। राजस्थान में जम्मल बनास व घग्घर राजगंगा आदि नदियाँ मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण हैं। इनसे राज्य की लगभग 4.5 लाख हैक्टेयर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है। अरावली पर्वत-श्रृंखला के तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भी जल द्वारा कटाव होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु के द्वारा मिट्टी का बहुत अधिक कटाव होता है। राजस्थान में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की गति तीव्र है। अनुमान है कि वन क्षेत्रों में मिट्टी का वटाव 9 ग्राम प्रतिवर्ग होता है। उन्नी भूमि पर वृषि करते रहने पर यह 288 ग्राम प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष हो सकता है। पशु चराने की दोगुनी पातलि में भी मिट्टी का कटाव बढ़ा है। मनुष्य स्वयं निर्माण करणों के लिए मिट्टी का कटाव देणी है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की दूसरी प्रमुख समस्या जलाधिक्य की है। केन्द्रीय गिर्चाई बोर्ड की विशेष समिति के अनुसार 'एक क्षेत्र में जलाधिक्य उस समय होगा जबकि जल का स्तर उस सीमा तक पहुँच जायेगा कि पसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को मिगे दे तथा जिसके परिणाम स्वरूप वायु के सामान्य प्रवाह पर रोक लग जाने से आर्कमोजन की वमी तथा वार्मनडाई आर्कमाईड की अभिवृत्ता हो जाये। गेहूँ और गन्ना 0.6 मीटर मरुता बाजरा व कपास 1.2 मीटर तथा गन्ना और जौ 0.9 मीटर के भीतर जल स्तर होने पर प्रभावित होने लगता है। राजस्थान की 3.5 लाख हैक्टेयर भूमि वन प्रसार है। राजस्थान में मिट्टियों की तीसरी समस्या क्षारीयता व लवणीयता की है। राजस्थान में मरुता बनास जम्मल व माटी आदि नदियाँ के क्षेत्र में यह समस्या प्रमुख है। भारतीय मिट्टी की एच और गभीर समस्या राजस्थान में

उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत-श्रृंखला के कुछ भागों को पार करते हुए अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु जोधपुर में स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) मुख्य रूप से कार्य कर रहा है।

राजस्थान की वन सम्पदा FORESTS IN RAJASTHAN

मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है जिस पर उसका अस्तित्व उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। के एम मुशी के अनुसार 'यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन का दर्शन फिर से लिखा जाना चाहिये। वृक्षों का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी से हम जीवित रहते हैं। विश्व में वन सम्पदा के हास से होने वाली गिता और वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्न इसका महत्व के परिचायक हैं। प्रागैकाल से ही इसकी महत्ता को स्वीकार किया जाता रहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार "10 कुएँ खोदना एक तालाब बनाने 10 तालाब बनाना एक झील बनाने 10 झील बनाना एक गुणवान पुत्र प्राप्त करने एव 10 गुणवान पुत्र प्राप्त करना एक वृष लगाने के बराबर पुण्य का भाग है। ब्रिटिश कामनवेल्थ वन शब्दकोष के अनुसार "पौधों की विशेष जाति को जिनमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भाँति उगते हो वन कहते हैं।"

आर्थिक विकास एवं परिस्थितिक स्तुलन के लिए वनों का महत्व सर्वविदित है। राजस्थान में रेगिस्तानी एव पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए वृक्षारोपण का सारासा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि में वन होने चाहिये किन्तु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.32% वनों के अन्तर्गत आता है। इन 9.32% वनों में से केवल एक तिहाई वन ही तासलव में वन कहे जा सकते हैं शेष में चितारे हुये कृषि एवं पेड़ पौधे पाये जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन चाटेदार पेड़ों एवं झाड़ियों के रूप में हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत घने जंगल हैं और अन्य जीवों की दृष्टि में भी यह समृद्ध है। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें बजर भूमि का क्षेत्रफल 13 मिलियन हैक्टर है। राजस्थान की बजर भूमि का यह क्षेत्र संपूर्ण भारत की बजर भूमि का 1/6 भाग है। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कि शुष्क एव अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 20 मिलियन हैक्टर है। इसमें से 50% क्षेत्र में क्रियाशील रेत व टीले हैं इन परिस्थितियों का राजस्थान के जनजीवन एवं परिस्थितियों

पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है वे जल के कटाव से ग्रसित है। चम्बल व उसकी सहायक नदियों में यहाँ की गहरी खाईयाँ निर्मित कर दी है। इन खाईयों के कटाव से धारे धारे आसपास के कृषि उपजाऊ क्षेत्र भी प्रभावित होत जा रहे है। इन कन्दराओं एव खाईयों का क्षेत्रफल लगभग 4.5 हेक्टेयर है। अरावली और विन्ध्याचल पर्वत-श्रृंखलाओं में भी मानव की बढ़ता हुई आवश्यकताओं के कारण होने वाला वन विनाश स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। त्रिलो इन्टीटयूट आरू साइटिफिक रिमर्च द्वारा अरावली पर्वत-श्रृंखला से संबंधित 16 जिलों के 1972-75 से 1982-83 की अवधि के अंतर्गत किये गये अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में वन क्षेत्र के अंतर्गत 41.5% का कमी आई है। दूसरी ओर वन प्रतिवेदन 1989 के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्र में सुधार आया है। राजस्थान में ईंधन के लिए वन कानूने से वनों का सर्वाधिक नुकसान पहुँचा है। मुख्यतः बड़े नगणों या कम्बों जैसे जयपुर अलवर वृद्धो उदयपुर कोटा आदि के आस पास की पहाडियाँ लगभग वनविहान होती जा रहा है। राजस्थान में 1981-1991 व 2001 में ईंधन की आर्थिक औसत माग का अनुमान क्रमशः 51.21 लाख टन 56.03 लाख टन और 67.62 लाख टन लगाया गया है। राजस्थान में वना से विना वन क्षेत्र का नुकसान पहुँचाये 6 लाख टन ईंधन का लकड़ी प्राप्त की जा सकती है किन्तु वनों से 7.25 लाख टन ईंधन प्रतिवर्ष कटा जाता है। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1.25 लाख टन अतिरिक्त कानूने के कारण वनों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। सन् 2001 में ईंधन की माग एव पूर्ति में 62 लाख टन का अंतरान रहने की संभावना है। इन अंतराल का पाटने के लिए लगभग 1 लाख 40000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ 37 लाख पेड़ प्रतिवर्ष लगाने हग।

राजस्थान में वनों की स्थिति	
(A) राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 31972.90 वर्ग किलोमीटर	
(B) सर्वाधिक वन क्षेत्र का राज्य जिनके 31.394	
(1) चण्डिका	4701.38 वर्ग किलोमीटर
(2) सवाईमधुपुर	2745.77
(3) जिलाजयपुर	2602.77
(C) न्यूनतम वन क्षेत्र वाले प्रदेश (31.394)	
(1) डुल	80.17 वर्ग किलोमीटर
(2) बाँस	221.41
(3) बीकानेर	282.39
(4) जयपुर	314.85

राजस्थान के वनस्पति प्रदेश

VEGETATION REGIONS OF RAJASTHAN

1997-98 में राजस्थान के 31.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन विद्यमान थे। राजस्थान की वनस्पति मुख्यतः मरुस्थलाय है। राजस्थान में उदयपुर जिले में सर्वाधिक और जोधपुर जिले में सबसे कम वन है। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को अग्रलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है

महत्वपूर्ण तथ्य	
(1) राजस्थान में वन क्षेत्र कुल 9% का है। इसमें से 5% वृक्षों से अर्थात् 1.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 3% है।	
(2) राजस्थान में प्रमुख वनस्पति का नाम 'सिंह' है।	
(3) वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 31.90 लाख हेक्टेयर है।	
(4) वन क्षेत्र में 21.000 हेक्टेयर पूर्ण वन क्षेत्र है।	
(5) वन क्षेत्र में 23.000 हेक्टेयर अर्ध-वन क्षेत्र है।	
(6) वन क्षेत्र में 2.100 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।	
(7) वन क्षेत्र में 2.100 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।	
(8) वन क्षेत्र में 2.100 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।	
(9) वन क्षेत्र में 2.100 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।	
(10) वन क्षेत्र में 2.100 हेक्टेयर वन क्षेत्र है।	

इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल से जो आँकड़ों अनुमान आधारित वन स्थिति प्रतिवेदन की जाता है उसके अनुसार 1991-1993 व 1995 के प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य के वन क्षेत्र में क्रमशः 5 वर्ग किलोमीटर 2.10 वर्ग किलोमीटर व 1.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होना दर्शाया गया है।

इस प्रकार के वर्षों में वन क्षेत्र में 396 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अंकित की गई है।

1.2 Eight Five Year Plan 1982-87 Govt. of Rajasthan.
3. Economic Review 1986-87 Govt. of Rajasthan.
4. Economic Review 1987-88 Govt. of Rajasthan.
5. वन संसाधनों के विकास

1 शुष्क अथवा मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में गगानगर, जोधपुर, चुरू बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 20-30 सेमी है। यहां के वृक्ष प्रायः काटेदार, मोटी व कड़ी छाल तथा छोटी-छोटी पत्तियों वाले होते हैं। छैर, वटूल, खेजडा, रूझा, काटेदार झाड़िया आदि इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं।

2 अर्द्ध-शुष्क अथवा अर्द्ध-मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में सिरोही, सीकर पाली, झुझुनू व बाडमेर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यहां वर्षा का औसत 30-35 सेमी है। इस क्षेत्र के वृक्ष भी प्रायः काटेदार हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र को तुलना में ये अधिक सघन हैं। इनमें आड़ू इमली काटेदार झाड़िया आदि प्रमुख वृक्ष हैं।

3 शुष्क व आर्द्र वनस्पति क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान के अलवर टोक भरतपुर, कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है। यहां वर्षा का औसत 60-90 सेमी तक है अतः वनस्पति सघन है और अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। आम नाम पीपल शीशम पलाम धौक वास आदि यहां के प्रमुख वृक्ष हैं।

4 आर्द्र-वनस्पति क्षेत्र इस क्षेत्र में राज्य उदयपुर, दामवाडा इगणपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ कोटा, वृद्धी व झालावाड़ को सम्मिलित किया गया है। यहां वर्षा का औसत 90 सेमी से अधिक है। इस क्षेत्र में माल तेन्दू, छैर अकला मायका गुलर व महुआ आदि वृक्ष पाये जाते हैं।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन Administrative Division of Forests in Rajasthan

राजस्थान में वैधानिक दृष्टि से वना के लिए जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर टोक वृद्धी कोटा झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व दामवाडा मण्डलों का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वनों को निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है -

1 सुरक्षित वन (Reserved) ये वन 1997-98 में 12 30 लाख हैक्टेयर (38.6%) क्षेत्र में विद्यमान हैं। ये वन बाटों पर नियंत्रण भू-संरक्षण मन्त्रालय के प्रभार पर रोक तथा जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इनमें लकड़ी काटने व पशु चरने पर प्रतिबंध होता है।

2 रक्षित वन (Protected) ये वन 1997-98 में राज्य के 16 06 लाख हैक्टेयर (50.3%) क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें पशु चरने व लकड़ी काटने पर सरकार प्रतिबंध

नहीं लगाती है।

3 अवर्गीकृत वन (Unclassified) ये वन 1997-98 में राज्य के 3 54 लाख हैक्टेयर (11.1%) में विद्यमान हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चरने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए सरकार कुछ शुल्क प्राप्त करती है।

राजस्थान में वनों का प्रशासनिक विभाजन	
आर्द्र वन	12 30 लाख हैक्टेयर
रक्षित वन	16 06 लाख हैक्टेयर
अवर्गीकृत वन	3 54 लाख हैक्टेयर
राज्य का कुल वन क्षेत्रफल	31 90 लाख हैक्टेयर

स्रोत: Economic Review 1997-98, Raj

राजस्थान में वनों के प्रकार

Types of forests in Rajasthan

राजस्थान की जलवायु, स्थिति एवं मिट्टियों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। अतः राजस्थान में वनों की भिन्नता देना भी स्वाभाविक है। राज्य के वनों को अग्र भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1 शुष्क सागवान वन सागवान के वन मुख्यतः बासवाडा वन क्षेत्र में पाये जाते हैं। चित्तौड़, उदयपुर व कोटा के वन क्षेत्रों में भी सागवान के वृक्ष पाये जाते हैं। मिट्टी की भिन्नता के कारण सागवान के वृक्षों की ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। इनकी ऊंचाई 9 से 13 मीटर के मध्य है। सागवान का उपयोग मुख्यतः इमारती लकड़ी, फर्नीचर व मकान निर्माण में किया जाता है।

2 सालर वन सालर के वन राज्य के अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सिरोही, जयपुर व जोधपुर जिलों में पाये जाते हैं। सालर के वृक्ष मुख्यतः अगवली श्रेणियों के ऊपरी टीलों में मिलते हैं। यहां वर्षा का वार्षिक औसत 50-100 सेमी है। इन वृक्षों की ऊंचाई 12-15 मीटर होती है। इनकी लकड़ी का उपयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है।

3 ढाक अथवा प्लास वन ये वन मुख्यतः उन गभीरी नदी-घाटियों में पाये जाते हैं जहां सागवान के वृक्ष विद्यमान हैं। नदियों की घाटियों व नालों में काली मटिया मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व उपजाऊ होती है अतः मिट्टी के क्षेत्र में प्रायः महुआ बहेडा बरज, सफेद मिरिस, पारम, पीपल तथा गुलर आदि के वृक्ष पाये जाते हैं ये वन सीमित मात्रा में विद्यमान हैं।

4 शुष्क पतझड़ वन ये वन अरावली श्रेणी के उदयपुर व दामवाडा क्षेत्र में 270 से 720 मीटर की ऊंचाई पर पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः धौकडा, छैर, छिरनी तेन्दू

आदि वृक्ष पाये जाते हैं। चौकडा की लकड़ी कृषि उपकरण व कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था एवं खिरनी से खिलौने बनाये जाते हैं। तेन्दू के पत्ते से बोडो बनाई जाती है। इस क्षेत्र में आम, बबूल, नीम, बहेडा, टिमरु, सेमल, ओक, आवला, बास आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं।

5 मिश्रित पतझड़ वन : ये वन मुख्यतः उदयपुर, सिरोंही, कोटा, दूदी व चित्तौडगढ़ के कुछ भागों में पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 35 से मी है। इस क्षेत्र में आम, जामुन, चौकडा, बरगद, पूलर, खैर, बबूल आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में कोयला बनाने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में उपयुक्त वर्षा व उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में सागवान के वृक्ष भी मिलते हैं।

6 उष्ण कटिबंधीय कोटदार वन : ये वन बोकारन, जोधपुर, पाली, बाडमेर, जागीर, झुझुनू जयपुर व अजमेर जिलों में मिलते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 25-50 से मी है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और भूमि रेतीली है। अतः सूखे व झाड़दार वृक्ष पाये जाते हैं। यहाँ मुख्यतः खेजडा, बेर, पेहड़ा, जाल, खैर और बबूल आदि वृक्ष पाये जाते हैं। खेजडा इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। इस क्षेत्र में घास भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है।

7 उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन : ये वन आबू पर्वत के लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 से मी है। यह क्षेत्र राजस्थान में वनस्पति को दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ मुख्यतः आम, बास, जामुन, पेहड़ा आदि वृक्ष पाये जाते हैं। यह वन पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र बन गया है।

राजस्थान की वन उपजें

FOREST PRODUCTS IN RAJASTHAN

1 इमारती लकड़ी - राजस्थान के वनों में सागवान, सलर बबूल, चौकडा आदि वृक्षों की प्रधानता है। इनमें प्राप्त लकड़ी का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। सागवान की लकड़ी मुलायम, चिकनी मजबूत व सुन्दर होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः रेल के डिब्बे, जहाज और फर्नीचर आदि में किया जाता है।

2 ईंधन व कोयला - राजस्थान के वनों की अधिकांश लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य के वनों में 50% से अधिक चौकडा पाया जाता है। जिसका प्रयोग ईंधन व कोयला बनाने में किया जाता है। बबूल,

कीकर, खैर, खेजडा आदि वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य से कोयले का निर्यात भी किया जाता है।

3 गोद - बबूल, खेजडा, नीम, पीपल, टाक आदि वृक्षों में गोद की प्राप्ति होती है। चौहटन क्षेत्र का मरुस्थलाय भू-भाग गोद के लिए प्रसिद्ध है। गोद का उपयोग अनेक बीमारियों में किया जाता है। राजस्थान से गोद प्रायः मुम्बई भेजा जाता है।

4 बास - राज्य के उदयपुर, बासवाडा, भरतपुर, सिरोंही व चित्तौडगढ़ जिलों के वनों से बास प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्यतः कागज, टोकरिया, चारपाई व झोपाडेया बनाने में किया जाता है। राज्य के वनों से बहुत कम बास प्राप्त होता है।

5 घास - राजस्थान के वनों में अनेक प्रकार की घास उत्पन्न होती है। इसका उपयोग मुख्यतः पशुओं के चारे तथा झाड़ू व रस्सिया बनाने में किया जाता है। मूज की रस्सी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है।

6 कत्था - राज्य के उदयपुर, चित्तौडगढ़, जयपुर, दूदी व झालावाड जिलों में कत्थे का उत्पादन किया जाता है। कत्था खैर वृक्ष के तने से बनाया जाता है। राज्य में कत्था बनाने की प्राचीन विधि का प्रयोग किया जाता है। अतः वैज्ञानिक विधि की तुलना में कम उत्पादन होता है।

7 तेन्दू पत्ता - तेन्दू के पत्तों का उपयोग बोडो बनाने में किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर, झालावाड, बारा व बासवाडा क्षेत्र में वनों में तेन्दू के वृक्ष पाये जाते हैं। तेन्दू पत्तों के उत्पादन के लगभग आधे भाग का उपयोग राज्य में ही कर लिया जाता है। राज्य के जयपुर, अजमेर, नसीरवादा, भोलवाडा, ब्यावर, पाली व कोटा आदि शहरों में बोडो बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है।

8 आवल - आवल की झाड़ियों की छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने में किया जाता है। राज्य के पाली, सिरोंही, जोधपुर, बासवाडा व उदयपुर जिलों में आवल की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आवल की छाल मुख्यतः वानपुर, मुम्बई, मद्रास अहमदाबाद आदि शहरों में भेजी जाती है।

9 महुआ - महुआ के फलों का उपयोग मुख्यतः देशों शराब बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के वृक्ष मुख्यतः उदयपुर, झारपुर, सिरोंही, झालावाड व चित्तौडगढ़ जिलों में पाये जाते हैं।

10 शहद व मोम - मधुमक्खिया प्रायः वृक्षों पर छत्तों का निर्माण करती हैं। इनसे शहद व मोम की प्राप्ति होती है। राज्य के अजमेर, सिरोंही, भरतपुर, जोधपुर, वामनाडा

चित्तोड़गढ़ व उदयपुर जिला के वनों से शहद की प्राप्ति होती है।

11 खस खस एक विशेष प्रकार की घास होती है। इसमें जड़ों से तेल निकाला जाता है। यह घास मुख्यतः टोक सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिलों के वनों में उत्पन्न होती है। खस से मुख्यतः इत्र का निर्माण किया जाता है। इसका शर्वत भी बनता है। इसके तनों का उपयोग कमरों को ठंडा करने में किया जाता है।

राजस्थान में वन-उपजा की मात्रा को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में वन-उपजा			
वन उपजा	इकाई	1988 89	1989 90
जलान की लकड़ी	लाख बिन्गल	6 05	2 20
इमारती लकड़ी	लाख क्यूबिक फीट	1 20	0 16
घास	लाखों में	13 00	19 00
कत्था	किलो	396 00	12 00
मन्दू पत्ता	लाख बेरिया	2 09	3 94
शहद एच मोन	किलो	32 00	98 34
घास	मिलियन	35885 00	50169 00

स्रोत Some Facts About Rajasthan

पचवर्षीय योजनाएँ व वन विकास

Forest Development Under Five Year Plans

पचवर्षीय योजनाओं में वन विकास		
योजना	बजट आवंटन (लाख रुपये)	कुल विकास (हेक्टेयर)
प्रथम	1 76	960
द्वितीय	15 31	20708
तृतीय	22 30	68257
चतुर्थ	70 20	142953
पाचम	85 78	102268
छठी	381 45	139194
सातवीं	476 85	270000
आठवीं	3265 50	492000
नवीं	6750 00	—

स्रोत Draft N th Five Year Plan (1997 2002) Govt of Rajasthan
राजस्थान सुनरा जनवरी 1998

राजस्थान में पाचवी योजना से पूर्व वनों का विकास माधनों की कमी के कारण गतिमत् रहा था। पाचवी योजना के अंतर्गत सामाजिक वाहिनो सहित अन्य कार्यक्रम वन को मजबूत से आरंभ किया गया। छठी योजना के

अंतर्गत ग्रामीण लोगो को ईंधन की आवश्यकता पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया साथ ही एन आर ई पी और आर एल ई जे पी कार्यक्रम आरंभ किये गये। सातवी योजना में सामाजिक वाहिनो को और गति प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत सामुदायिक सहयोग से फार्म वाहिनो पचायत वाहिनो भूमि में वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम आरंभ किये गये। सातवी योजना के अंतर्गत वन संधी कार्यक्रमों में 8 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ। सातवी योजना में वन विकास और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में और अधिक धन की प्राप्ति के कारण वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गति आई। छठी योजना में 13 लाख हेक्टर भूमि में वृक्षारोपण किया गया और 87 लाख करोड़ पौधे वितरित किये गये थे। इसकी तुलना में सातवी योजना में 275 लाख हेक्टर लाख क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और 3170 करोड़ पौधे वितरित किये गये। 1990 91 एन 1991 92 में क्रमशः 52 हजार 147 और 65 हजार 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इसी अवधि में क्रमशः 399 करोड़ व 500 करोड़ पौधे फार्म वाहिनो कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किये गये। 1985 86 में विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई राष्ट्रीय सामाजिक वाहिनो परियोजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह परियोजना 16 गैर मनुष्यलीय क्षेत्रों में चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती हुई ईंधन व चारे आदि की मांग का पूरा करने की चेष्टा करना है। इस परियोजना के माध्यम में विशेष रूप से ग्रामीण एवं भूमिहीन की आय व रोजगार को बढ़ाने का प्रयास किया जायगा। इनके माध्यम में भूमि के कटाव को रोकने की चेष्टा की जायेगी तथा बजर भूमि का और क्षण होने से रकत जा सकेगा। इसी परियोजना के अंतर्गत किसान एवं स्कूल नसरी वन चेतना केन्द्र बर प्रापिटिंग पारिवारिक फार्म वाहिनो आदि कार्य भी हाथ में लिये गये है।

राजस्थान की आठवी पचवर्षीय योजना में ईंधन चार व लकड़ी की मांग को दृष्टिगत रखते हुये दीर्घकालीन उपाय किये जायेंगे। एवं वातावरण संरक्षण का प्रथम विचार जायेगा। राजस्थान में विद्यमान पौधा की किस्मों व वन्य जीवों की नस्लों का नष्ट होने से बचाया जायगा वन क्षेत्र का पुनः विभाग किया जायेगा। मुख्यतः अगवनी क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण लोगो की आवश्यकता पूर्ति के लिए पचायत एवं स्थानांतर्गत विकास का चयन किया जायगा। जल्दी बढन गल एवं सखस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त वृक्ष लगायें जायेंगे इष्टिम संधी नहर एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों के स्थानांतरण के प्रयास किये जायेंगे। शहरों एवं बगनों के अंदर तथा

उनके चारों ओर वृक्ष लगाये जायेंगे ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वन क्षेत्र में वानिकी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस दान को दृष्टिगत करते हुये कि राजस्थान में वनों से चार प्राप्ति की दर 3 लाख टन प्रतिवर्ष है जबकि चारे की अनुमानित आवश्यकता 632.5 लाख टन है। इस अन्तराल को कम करने की चेष्टा की जायेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी वनों में राज्य के 47 लाख पशु रहते हैं। अतः योजनाबद्ध तरीके से वन विकास करना होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वन विकास की विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नानुसार 326.55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था।

राजस्थान में वन विकास की समस्याये

1 वनों का अल्पमान वितरण - राज्य में वनों का वितरण अत्यधिक अल्पमान है। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम वन है। जबकि शेष राजस्थान में वनों का अधिकांश भाग केन्द्रित है।

2 अपर्याप्त वन - पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राज्य का वन क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। कुल भू-क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत वन है। राज्य का वन-क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है।

3 वनों के व्यावसायिक उपयोग की सीमित सम्भावनाये - राज्य में वनों का व्यावसायिक उपयोग नगण्य है क्योंकि वनों में वृक्षों के प्रकार अल्पसंख्यक हैं। अतः एक प्रकार के वन सीमित व अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

4 समन्वय का अभाव - राज्य में वन विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन इनमें समन्वय का अभाव है। अतः विकास की गति धीमी है।

5 यातायात की समस्या - वन क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं का अभाव है। अतः वन के वैज्ञानिक कार्यों की गति धीमी है। पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात मार्गों का नितान्त अभाव है।

6 प्राकृतिक विपत्तियों एवं आग के कारण वन विनाश - वनों में प्रायः लोगों की लापरवाही एवं अधीन तूफान के कारण आग लग जाती है। अतः राज्य की मूल्यवान वन सम्पदा कुछ समय में ही नष्ट हो जाती है। कीड़े-मकोड़े एवं दीमक आदि कारणों से भी वन नष्ट होने हैं।

7 भ्रष्टाचार वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी वन विनाश का प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार के कारण मूल्यवान वृक्षों का तबाही में विनाश हो रहा है।

8 वनों की अनियन्त्रित कटाई - राज्य की जनसंख्या में

वृद्धि के साथ-साथ ईंधन एवं इमारती कार्यों के लिये लकड़ी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। अतः वनों की तेजी से कटाई हो रही है। क्षुब्ध एवं आवास के उद्देश्यों से भी वनों का विनाश किया जा रहा है।

9 अनियन्त्रित चराई - राज्य के वनों का चरागाह के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। भेड़-बकरियों की चराई के कारण वन विनाश तीव्र गति में होता है।

वनों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

1 वनों की अनियन्त्रित कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिये।

2 वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

3 वन विज्ञान कार्यक्रमों में पर्याप्त समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।

4 वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये।

5 वनों में लगन वाला आग पर नियन्त्रण हेतु विशिष्ट प्रयास किये जाने चाहिये।

6 वनों में यातायात सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।

7 वन अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

8 जनता को वनों के महत्व की जानकारी दी जानी चाहिये और विवास कार्यों में जनसहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

9 वन विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिये।

10 वन क्षेत्रों में पशुओं की चराई पर रोक लगाई जानी चाहिये।

11 मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनों के विस्तार हेतु विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।

वन विकास के सरकारी कार्यक्रम

1 सामाजिक दानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों एवं पंचायतों राज संस्थाओं को गैहने दिये जाते हैं जो राज भूमि रेल सड़क-वन व नहरों के किनारे लगाये जाते हैं।

2 पार्वी वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षों का अपने खेतों में वृक्षारोपण हेतु सौध दिये जाते हैं।

3 अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत गज्य के दस जिलों - पाली, उदयपुर, चित्तौडगढ़, सिरोही, बासवाडा, नागौर झुझुनु, सीकर अलवर एव जयपुर में 1992-93 से वृक्षारोपण किया जा रहा है।

4 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान की सहायता से वृक्षारोपण और चरागाह विकास का कार्य किया जाता है।

5 वृक्षारोपण एव चरागाह विकास परियोजना के अन्तर्गत जापान सरकार के सहयोग से राज्य के 14 जिलों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

6 वन विकास में जन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राज्य के ग्राम स्तर पर वन संरक्षण एव प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है।

7 विश्व छाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वानिकी कार्यक्रम में सलग व्यक्तियों को छाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है।

8 स्कूलों में प्रत्येक छात्र द्वारा एक वृक्ष लगाने की व्यवस्था की गई है।

9 पहाडी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु पर्यावरण विकास दलों का गठन किया गया है।

10 राज्य का वन विभाग वन-अनुसन्धान पर विशेष बल देता है।

11 महाविद्यालयों एव विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा पर्यावरण विकास कैम्प कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण करते हैं।

राजस्थान सरकार की वन नीति

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का अनुसरण करते हुये 20% वन क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निम्न रणनीति निर्धारित की है -

1 राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.32% क्षेत्र में वन है। इनमें से 1.32% वनों को प्रथम श्रेणी के वन कहा जा सकता है। शेष 8% वन निम्न श्रेणी के है। इन निम्न श्रेणी के वनों में परिस्थितिकी की पुनर्स्थापना विभिन्न उपायों से करने का निश्चय किया गया है।

2 वनस्पति के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित करने और इस सम्बन्ध में पूरक उपाय करने का निश्चय किया गया।

3 चरट और अनुपजाऊ भूमि में गहन वनीकरण और वनों की पुन म्यापना का कार्य स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जायेगा।

4 ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी और चरागाह क्षेत्र विकसित करने का प्रयत्न विशेषतः पंचायत और राजस्व विभाग की बेकर पडी भूमि पर किया जायेगा।

5 सड़क, रेल और नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि स्थानीय आवश्यकताएँ भी पूर्ण हो सकें।

6 निजी भूमि पर क्षुपि वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा। राजस्थान में लगभग 61% भूमि इसी श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

7 प्रमुख शहरी केन्द्रों में शहरी वानिकी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

राजस्थान की जल-सम्पदा

WATER RESOURCES OF RAJASTHAN

राजस्थान की जल-सम्पदा को राजस्थान की अर्थव्यवस्था रूपी शरीर में बहने वाला रक्त कहा जा सकता है। राज्य में जल के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजस्थान में 12 महीने बहने वाली कोई भी नदी नहीं है किन्तु राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में चबल नदी गुजरती है जिसने जल ससाधनों की दृष्टि से राजस्थान को कुछ राहत प्रदान की है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश का 10.4% है। इसी प्रकार देश का 10.6% भाग क्षुपि के अंतर्गत है किन्तु देश के जल ससाधनों का केवल 1.04% भाग ही राजस्थान में उपलब्ध है। इन आंकड़ों से राजस्थान में जल ससाधनों को कमी का ज्ञान होता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भूमिगत जल के पर्याप्त स्रोत हैं क्योंकि यह भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इस क्षेत्र में प्रायः 15-20 मीटर की गहराई पर पानी मिल जाता है। यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र में भी भूमि के नीचे अर्थात् जल भण्डार होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में प्राचीनकाल के सरस्वती और हाकरा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के नीचे पाए जाने का अनुमान है। जैसलमेर व पोकरण नगरों के मध्य 112 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में मीठे जल के पर्याप्त होने का अनुमान है। मरुस्थल के अधिकांश भाग में भूमिगत जल प्रायः खारा है। जैसलमेर जिले के लाठी बेसिन में केंद्रीय भू जल बोर्ड द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र में भू जल स्रोत की वार्षिक खनन क्षमता 143 मिलियन क्यूबिक मीटर है। जल निगम के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग (जयपुर मवाई माधोपुर, भरतपुर धौलपुर के अतिरिक्त गोंवर व झुझुनु जैसे मरुस्थलीय जिलों सहित) में बड़ी मात्रा में भू जल उपलब्ध है। राजस्थान में आज भी क्षुपि ही मिचार्ड व प्रमुख

साधन है। राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधनों पर गठित कमेटी के अनुसार राजस्थान में भूमिगत जल-स्रोत लगभग 10 18 मिलियन एकड़ फाट है, जिसमें से उपयोग योग्य भूमिगत जल का 50% विद्योहित किया जा चुका है। भूमिगत जल की सिंचाई, शेरलू एच औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बढ़ती हुई मांग और लगातार अत्यधिक दोहन के कारण जून, 1988 में राज्य के 237 खण्डों में से है। 81 खण्डों को डार्फ जोन तथा 31 खण्डों को ग्रे जोन खण्डों के अर्थात् रखा गया है।

राजस्थान की नदियाँ

RIVERS OF RAJASTHAN

A चम्बल नदी - यह मध्यप्रदेश राज्य के मऊ नामक स्थान के पास "जनापाव पहाड़ों" से निकलती है। यह पहाड़ों 616 मीटर ऊंची है। यह नदी उत्तर-पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मन्सौर आदि जिलों से लगभग 325 किलोमीटर बहने के पश्चात् चौरामोड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य की केवल यह नदी ही वर्षापर्यन्त बहती है। इसका प्राचीन नाम चर्मण्वती है और इसे कामधेनु के नाम से पुकारा जाता है। यह राजस्थान में कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में लगभग 210 कि मी बहती है। बामनी, बनाम, काली सिन्ध, पार्वती, कुई, कुटाल व परवान नदिया इन्को सहायक है। इस नदी पर गार्धी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाये गये हैं। धौलपुर के दक्षिण में इस नदी के किनारों पर गलीदार गलों का निर्माण हुआ है। अन्त में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चम्बल की प्रमुख सहायक नदिया निम्नलिखित प्रकार है -

1 काली सिन्ध नदी इस नदी का उद्गम-स्थल मध्य प्रदेश राज्य में देवास के पास बागला गांव है। मध्य प्रदेश में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह नदी राजस्थान के झालवाड व कोटा जिलों में बहती है। अन्त में यह नोनेरा नामक एक स्थान पर चम्बल नदी में मिल जाती है। आहू, परवान व निवाज इसकी सहायक नदिया है।

2 बनास नदी - यह नदी अरावली पर्वत श्रेणियों की छपनौर पहाड़ियों से, कुम्भलगढ के पास से निकलती है। यह प्राय वर्षापर्यन्त बहती है लेकिन कभी-कभी गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इस नदी को " बन का आरा" के नाम से पुकारा जाता है। यह नदी मेवाड के मैदान के बीच में से गुजरती है। यह लगभग 480 किलोमीटर बहने के पश्चात् सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा के पास इस

नदी के ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी है। अतः यहां वर्षा ठीक होती है नदी घाटी का क्षेत्र उपजाऊ है। कोठारी, वेडच, मारेल, धुन्ध, मावसी, मैनाल व खारी बनास की सहायक नदिया है। बनास की प्रमुख सहायक नदिया निम्नलिखित है।

(1) वेडच नदी : यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम-स्थल उदयपुर के उत्तर में गोगुन्दा की पहाड़िया है। गोगुन्दा की पहाड़ियों में उदयपुर झील तक इसे आयड नदी कहा जाता है। 190 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह नदी बिणोद नाम स्थान के निकट बनास नदी में मिल जाती है। गर्भांगी वेडच की एक सहायक नदी है। **गर्भांगी नदी** - यह वेडच नदी की सहायक नदी है। यह उदयपुर जिले में बहती है और अन्त में चित्तौडगढ के चटियावली नामक स्थान के पास वेडच नदी में मिल जाती है। इस नदी पर निम्बाहेडा के निकट गर्भांगी बांध का निर्माण किया गया है।

(ii) कोठारी नदी : यह नदी उदयपुर जिले के दिबोर नामक स्थान से निकलती है। 145 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह भीलवाडा जिले में बनास नदी से मिल जाती है।

(iii) खारी नदी यह उदयपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित विपराज गांव के निकट की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक जिले के देवली नामक स्थान के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है।

(3) पार्वती नदी - यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्यप्रदेश में कुछ दूर बहने के पश्चात् कन्याहट नामक स्थान के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। यह कोटा व पाली जिलों में लगभग 85 किलोमीटर बहने के बाद चबल नदी में मिल जाती है।

B लूनी नदी - यह नदी अजमेर के निकट नागपहाड से निकलकर जोधपुर मर्भा में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और अन्त में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। यह मौसमी नदी है। बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है लेकिन उसके पश्चात् खारा हो जाता है। विलाडा के निकट इस पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी की लंबाई 330 किमी है। गुहिया, सुकडी, बाडी, मिठडी, लोलडी, जोडडी, जवाई तथा मगाई इसकी प्रमुख सहायक नदिया है।

C साही नदी - यह नदी मध्यप्रदेश की विंध्य पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, अतः यह खम्भाज की खाड़ी में जा मिलती है। लगभग 583 किमी लंबी यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व गुजरात में क्रमशः 167 किमी, 174 किमी व 242 किमी बहती है। यह नदी झारपुर व दासवाडा जिलों के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है। दासवाडा में इस

माही वजाज सागर बाध का निर्माण किया गया है। सोम, वाप मोन व अनाम इसकी सहायक नदिया है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी सोम है।

(i) **सोम नदी** यह नदी उदयपुर जिले के बीधामेडा नामक स्थान से निकलती है। प्रारंभ में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहने के बाद यह इनारपुर की सोमा के साथ माथ पूर्व में बहती है और वेणरगढ़ के निकट माही नदी में मिल जाती है। जाखम गानती व सारनी इसकी सहायक नदिया है।

(ii) **जाखम नदी** यह सोम नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटी सादडी के निकट है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती हुई उदयपुर की धारियावट तहसील में प्रवेश करती है तथा सोम नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बाध बनाया जाता है और 4.5 मेगावाट क्षमता का एक विद्युतगृह भी निर्माणाधीन है।

D साबरमती नदी - यह नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में (अगवली पहाड़ियों से) निकलकर दक्षिण में आगे बहती है। कुछ दूरी तक उदयपुर जिले में बहती है और फिर गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। वनगक मेरवा हथमति माजम व बाकल इसकी प्रमुख सहायक नदिया है।

E बाणगंगा नदी - यह नदी जयपुर जिले के बैराठ का पहाड़िया में निकलती है तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहबाद के पास यमुना नदी में मिल जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 380 किमी है। इस नदी पर जमवा गमगाढ के पास एक छांग बाध बनाया गया है जिससे जयपुर शहर को पीने का पानी मिलता है।

F घग्घर नदी - यह नदी कालिका के पास हिमालय में निकलती है और पंजाब और हरियाणा में बहती हुई गजस्थान के श्रीगंगानर जिले में प्रवेश करती है। उसके आगे यह नदी मध्यस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है। इस नदी में प्रायः बाढ़ आती है अतः फसलों को नुकसान होता है और यातायात में रुकावट आ जाती है। इसकी तलहटी में चावल की खेती की जाती है।

G काकनी या काकनेय नदी - यह नदी जैमलमेर में 27 किमी दूर काटंग गांव की पहाड़ियों में निकलती है। यहां से उत्तर पश्चिम में लगभग 40 किमी बहने के पश्चात् यह भुज्ज झील में गिर जाता है। यह मौसमी नदी है।

H काटली या कातली नदी - यह नदी झुनुनु जिले की उत्तरी सीमा के मध्य में दक्षिण दिशा की ओर बहती है व झुनुनु जिले को लगभग दो भागों में विभक्त

करती है। लगभग 95 किमी बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

I पश्चिमी वनास - यह नदी अगवली पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती है। यह सिरौही जिले में बहती है और अन्त में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है।

J सावी या साहबी नदी - यह नदी जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ मण्डावर तथा तिचारा तहसीलों में बहती है और हरियाणा के गुडगांव जिले में प्रवेश करती है। इस जिले में कुछ दूरी तक बहने के पश्चात् यह लुप्त हो जाती है।

K मथ्या नदी - यह नदी जयपुर जिले के मनोहर थाना नामक स्थान में निकलती है और अन्त में माभर झील में गिरती है।

राजस्थान की झीलें

LAKES OF RAJASTHAN

राजस्थान में खारे व मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों में नमक बनाया जाता है और मीठे पानी की झीलों के जल का उपयोग सिंचाई व पीने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ झीलें प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम हैं। इन झीलों में मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। कुछ झीलें पर्यटन स्थलों का रूप धारण कर चुकी हैं। राज्य की झीलों को दो भागों में बाटा जा सकता है। (अ) मीठे पानी की झीलें (ब) खारे पानी की झीलें

A मीठे पानी की झीलें

(i) **जयसमन्द झील** - यह झील उदयपुर शहर से 51 किमी दक्षिण पूर्व में है। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने मन् 1685 में 1691 के मध्य कववा था। इस झील का निर्माण गामती नदी पर 375 मीटर लंबा व 35 मीटर ऊंचा बाध बनवाकर किया गया। झील की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 15 किमी व 8 किमी है। इस झील में लगभग 8 टापू हैं। इन टापुओं में भील व मीणा लोग रहते हैं। सम बड़े टापू का नाम बाबा का भागडा व छोटे टापू का नाम प्यारो है। झील का क्षेत्रफल लगभग 55 किमी है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और विरव की कृत्रिम झीलों में इसका दूसरा स्थान है। इस झील में 6 कलात्मक छतियां व प्रामाद बनाये गये हैं। इस झील के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अतः इसका प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यधिक मोहक है। यही कारण है कि यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख

वेन्द्र बन गई है। इस झील से मिर्चाई के लिए दो नहरे निकाली गई हैं।

(ii) पिछोला झील - यह उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध व अत्यधिक सुन्दर झील है। इसका निर्माण राजा लाखा के शासनकाल में एक बजारे ने करवाया था। राजा उदयसिंह ने इस ठीक करवाया। यह झील उदयपुर के पिछोली गांव के पास स्थित है अतः इसे पिछोला झील कहा जाता है। झील की तटवर्षी व चौड़ाई क्रमशः 7 किलोमीटर व 2 किलोमीटर है। इसमें दो टापू हैं। एक टापू पर जगमदिर और दूसरे पर जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है। बाघसाह बरने में पहले शाहजहा भी इस झील के महलों में आकर ठहरा था। अब इन महलों में पाच मिनारा हाटल स्थापित है।

(iii) राजसमन्द झील - यह झील उदयपुर में 64 किमी दूर बाजगोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसका निर्माण महागणा राजसिंह ने 1662 में करवाया था। इस झील को जल की प्राप्ति गोमती नदी में होती है। इसके पानी का उपयोग मिर्चाई व घांटे के लिए किया जाता है। झील की तटवर्षी व चौड़ाई क्रमशः 6.5 किमी व 3 किमी है। झील के उत्तरी भाग को 'नौ चौकी' कहा जाता है। जहाँ मगमगर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास मस्कृत भाषा में अंकित है।

(iv) आनासागर झील - यह झील अजमेर शहर में दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज के दादा अनाजी ने 1137 में करवाया था। इसकी परिधि 8 मील है। शाहजहा ने इस पर एक बाहरी का निर्माण कराया था तथा जहांगीर ने झील के पूर्व में एक उद्यान 'दौलत बाग' बनवाया, वर्तमान में इन उद्यान को सुभाष उद्यान कहा जाता है यह झील पूर्वमानी की गरि की चट्टानों में अत्यधिक सुन्दर लगती है।

(v) फाई सागर - यह झील अजमेर में स्थित है। इसमें प्रायः वर्षभर पानी रहता है। इसका जल आनासागर में आता है। झील प्राकृतिक दृष्टि में सुन्दर है अतः शहर के लोग प्रायः पिकनिक व लिये यहाँ आते रहते हैं।

(vi) पुष्कर झील - यह झील अजमेर व 11 किमी दूर पुष्कर में स्थित है। इसका तान और पहाड़िया है और झील के चारों तरफ सान घाट वन हुए हैं। इसके चारों तरफ मंदिर हैं। ब्रह्मा का मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्राचीन है। वस्तुतः यह एक पवित्र झील व नर्याव्यक्त है। यहाँ वार्षिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है। यहाँ देश के विभिन्न भागों में तीर्थयात्री आते हैं।

(vii) फतह सागर - इन झील वन राजा फतहसिंह ने बनवाया था। यह पिछोला झील से लगभग एक मील दूर

स्थित है। यह झील एक नहर द्वारा पिछोला झील में मिली हुई है। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा रखी गई है।

(viii) सिलीसेड झील - यह झील दिल्ली-जयपुर मार्ग पर, अलवर से लगभग 12 किमी दूर स्थित है। यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ पर्यटक मुख्यतः मछली पकड़ने व नौका विहार के लिए आते हैं।

(ix) बालसमन्द झील - यह झील जोधपुर के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके जल का उपयोग घांटे के पानी के लिए किया जाता है।

110661

(x) उदय सागर - इसे उदयसिंह ने बनवाया था। यह झील उदयपुर नगर से 13 किमी दूर स्थित है।

(xi) कोलायत झील - यह झील बीकानेर से 48 किमी दूर स्थित है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। इस झील में वर्षभर पानी रहता है। यहाँ वर्ष में एक बार मेला भी लगता है।

(xii) नक्को झील - यह झील मिराठी जिले में रघुनाथजी के मंदिर के पास स्थित है। यह कृत्रिम झील शान्त व स्थिर वातावरण में पवित्रता का आभास देती है। यहाँ पर्यटक नौका विहार करते हैं। इस झील के एक ओर प्रसिद्ध टॉड रॉक (Tod Rock) है।

(xiii) जैव सागर - यह झील इगारपुर जिले में स्थित है।

(xiv) कैलपना झील - यह झील जोधपुर जिले में है। इसे महागणा प्रताप ने बनवाया था।

(xv) नवलखा झील - यह झील बूंदी जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों में घिरी हुई है।

खारे पानी की झीलें

(i) साबर झील - यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जोधपुर-जयपुर मार्ग पर जयपुर जिले के फुनेरा बक्शान में 8 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह झील 26°9' उत्तरी अक्षांश से 27°2' उत्तरी अक्षांश पर तथा 74°3' पूर्वी देशान्तर से 75°3' पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। इसकी तटवर्षी लगभग 32 किमी और चौड़ाई 3.25 किमी से 11.25 किलोमीटर तक है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 360 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 5720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी आकर एकत्रित हो जाता है। एक अनुमान क अनुसार इस झील में लगभग 650 लाख टन नमक है। भारत का कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% इस झील में प्राप्त होता है। इस झील के क्षेत्र में 50 ममी वार्षिक वर्षा होती है। झील के उत्तरी तट पर साबर व नावा नामक शहर हैं, जहाँ

नमक का व्यापार व नमक बनाने का काम होता है। साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां से नमक का निर्यात भी होता है।

(ii) डीडवाना झील यह झील नागौर जिले में डीडवाना शहर के निकट स्थित है। यह झील 27°24 उत्तरी अक्षांश एव 74°34 पूर्वी देशान्तरों पर स्थित है और 10 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस झील में लगभग वर्षभर नमक तैयार किया जाता है। इसके नमक का उपयोग बीकानेर व जोधपुर जिला में होता है तथा शेष नमक बाहर भेज दिया जाता है। डीडवाना नगर से 8 किमी दूरी पर सोडियम बनाने का एक सयंत्र लगाया गया है।

(iii) पचपदरा झील यह झील बाड़मेर जिले के पचपदरा नामक नगर में स्थित है। लगभग 25 किमी क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 1040 किमी क्षेत्र का पानी एकत्रित होता है। इस झील में तैयार किये गये नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है। यह नमक उत्तम श्रेणी का होता है।

(iv) लूनकरनसर झील यह झील बीकानेर से 80 किमी दूर लूनकरनसर में स्थित है। इससे बहुत कम मात्रा में नमक तैयार किया जाता है क्योंकि इसके पानी में लवणीयता की कमी है।

(v) अन्य झीलें फलोदी रेवासा व कळोर में भी खारे पानी की झीलें हैं।

राजस्थान की पशु-सम्पदा

ANIMAL WEALTH IN RAJASTHAN

पशुधन से तात्पर्य उन समस्त पशुओं से लगाया जाता है जिनमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप व अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें प्रायः सभी प्रकार के पशुओं को सम्मिलित किया जाता है। पशुओं से न केवल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वरन् इन्हें विभिन्न उपयोगों में भी लाया जा सकता है। राजस्थान में पशु सम्पदा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में यह लोगों को पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति का उचित पोषाहार उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है। यह राजस्व का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें चमड़ा खाने के लिए खाद आदि भी बहुतायत में प्राप्त किये जाते हैं। ये यथावत क लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

राजस्थान में पशुओं की संख्या

Live stock in Rajasthan

राजस्थान में पशुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1988 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में 4 करोड़ 9 लाख पशु थे जो 1992 की पशुगणना के अनुसार 4 करोड़ 77 लाख व 1997 में 5 करोड़ 43 लाख से अधिक हो गये हैं। 1988 व 1992 में राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति निम्नलिखित थी -

पशु	पशुओं की संख्या (लाखों में)		
	1988	1992	1997
गाय	109.1	116.42	121.58
भैंस	63.3	77.75	97.56
भेड़	99.1	124.91	143.12
बकुर	125.9	152.85	169.36
कोटे एव टड्ड	0.2	0.2	0.2
गधे व खच्चर	1.8	1.9	1.86
ऊट	7.2	7.46	6.66
सुअर	2.0	2.4	3.03
योग	408.0	477.73	543.48

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan: Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1996

राजस्थान में पशुधन की जिलेवार स्थिति (1997)

(लाख में)

(A) राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाले प्रमुख जिले -

(i) बाड़मेर	41.77 लाख
(ii) जोधपुर	37.59 लाख
(iii) नागौर	32.27 लाख

(B) 1997 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न पशुओं की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले जिले

गाय	उदयपुर	9.7 लाख
भैंस	जोधपुर	7.7 लाख
भेड़	जोधपुर	15.6 लाख
बकुर	बाड़मेर	18.6 लाख
ऊट	बाड़मेर	1.1 लाख
कटुट	अजमेर	14.9 लाख

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan: Live stock Census 1997 & Statistical Abstract Raj 1996

राजस्थान में पशु-पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु

राजस्थान में अनेक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इनमें से कुछ विशेष महत्व के पशु निम्नलिखित हैं।

(1) भैंस (Buffalio) राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंस बहुतायत में पाली जाती है। राजस्थान में जो भैंसे

पाली जाती है। उनकी मुख्यतः चार नस्लें हैं - मुराई, जाफरावादी, नागपुरी और बदावरी। इनमें से मुराई एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि में उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सारे उत्तरी भारत में बहुतायत में देखी जा सकती है। जाफरावादी नस्ल काठियावाड़ और जाफराबाद से संबंधित होने के कारण जाफरावादी कहलाती है। इसे भी दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बदावरी नस्लें भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

राजस्थान में सबसे अधिक भैंसे जयपुर में पाली जाती हैं। तत्परचात् क्रमशः अलवर, सर्वाईमाधोपुर और उदयपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भैंसे जैसलमेर जिले में है। राजस्थान के सभी जिलों में भैंस पालन का मुख्य उद्देश्य दुग्ध-उत्पादन है।

(2) गाय (Cattle) राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें सहीवाल, चालसिंधी, गिर, थारपरकर, मेवाती, नागौर, मालवी आदि हैं। राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में थारपरकर नस्ल बहुतायत में पाई जाती है तो जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौर गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र में मेवाती नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान में गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध-उत्पादन तो है ही, साथ में वृषिकर्मों के लिए बैलों का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में घीर घीरे दशी नस्लों के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी पालने लगी हैं।

भैंसों की भांति सर्वाधिक गायें भी जयपुर जिले में पाई जाती हैं। गौ-पालन की दृष्टि से अन्य जिले क्रमशः उदयपुर, गगानगर, चित्तौड़गढ़, बोंटा, नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर आदि हैं। राजस्थान में सबसे कम गायें धौलपुर जिले में हैं। विदेशी नस्ल की गायों की दृष्टि में भी जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। महत्व के अनुसार अन्य जिले क्रमशः गगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा अजमेर हैं। विदेशी नस्लें में हॉलस्टीन व बर्सी प्रमुख हैं।

(3) भेड़ (Sheep) राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण लोग कृषि की भांति पशुपालन पर भी निर्भर हैं और इसमें भेड़पालन का एक विशेष स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तर-पश्चिमी भागों में तो भेड़पालन आजीविका का प्रमुख आधार है। राजस्थान में उपलब्ध भेड़ों की आठ मुख्य नस्लें हैं। ये नस्लें हैं - चौकला, मगध, पूगल, नाली, मारवाडी, जैसलमेर, मालपुरी एवं सोनाडी। चौकला नस्ल मुख्य रूप से चूरू, बुझनू व सीकर जिलों में तथा बीकानेर, जयपुर एवं नागौर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। मगध नस्ल बीकानेर जिले में तथा नागौर एवं जैसलमेर जिलों की सीमाओं पर पाई जाती है। पूगल नस्ल बीकानेर

जिले के पश्चिमी भाग, पूगल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एवं जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग में मिलती है। नाली नस्ल राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी भागों में पाई जाती है। मारवाडी नस्ल बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर एवं नागौर जिलों में देखी जा सकती है। जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर जिला तथा जोधपुर एवं बाड़मेर की पश्चिमी सीमाओं पर बहुतायत में मिलती है। मालपुरी नस्ल जयपुर, टोंक, सर्वाई, माधोपुर आदि जिलों में तथा इनके साथ लगी अजमेर भीलवाड़ा एवं बूंदी जिलों की सीमाओं पर मिलती है। सोनाडी नस्ल उदयपुर खण्ड में पाई जाती है।

राजस्थान में भेड़ मुख्यतः जन एवं मास उत्पादन के लिए पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाली जिले में हैं, तत्परचात् क्रमशः नागौर, बीकानेर और जोधपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम भेड़ें धौलपुर जिले में हैं।

4 बकरी (Goat) राजस्थान में बकरी पालन मुख्यतः गरीब वर्ग द्वारा दूध-उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरों पालन के पीछे एक उद्देश्य मांस प्राप्त करना भी है। राजस्थान में बकरी की जो प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं उनमें जमुनापानी व बारवरी नस्लें प्रमुख हैं।

इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां उदयपुर जिले में पाई जाती हैं तत्परचात् जयपुर एवं नागौर जिलों का स्थान है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे कम बकरियां धौलपुर जिले में हैं।

5 ऊँट (Camel) राजस्थान में ऊँट मुख्यतः आवागमन में सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इमका प्रयोग कृषि कर्मों के लिए भी बहुतायत में किया जाता है। राजस्थान में सम्पूर्ण देश में सख्खा की दृष्टि में सर्वाधिक ऊँट हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट गगानगर जिले में हैं। तत्परचात् क्रमशः बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे कम ऊँट धौलपुर जिले में हैं।

6 कुक्कुट (Poultry) राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कृषकों को खाली समय में रोजगार प्राप्त करने का यह एक प्रभावी माध्यम है। इस व्यवसाय न शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मांस उत्पादन है।

अजमेर जिला अपनी जलवायु की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कामवाड़ा एवं तृतीय स्थान पर उदयपुर जिला है। तत्परचात् क्रमशः गगानगर, अलवर, हूगपुर व जयपुर जिलों का

स्थान है। मुर्गापालन की दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। सऊर नस्ल की मुर्गियों में भी अजमेर जिले का प्रमुख स्थान है जबकि इम दृष्टि से बीकानेर जिला सबसे पीछे है।

राजस्थान की खनिज-सम्पदा

MINERAL WEALTH IN RAJASTHAN

खनिज पदार्थ आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। ये अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य होने हैं। कृषि, परिवहन, संचार, उद्योग आदि की प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। शक्ति के साधन, आधुनिक युद्ध एवं अन्तर्ग्रह विज्ञान का विकास खनिज ससाधनों के बिना सम्भव नहीं है इसलिए खनिज ससाधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्ल बी शॉ के अनुसार, "खनिज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अवैदिक तत्व हैं जिसकी निश्चित भौतिक विशेषताएँ होती हैं और जिसे रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है।" खनिज पदार्थों को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (1) धात्विक खनिज धात्विक खनिजों के दो भाग हैं (अ) लौह धातु इसमें खनिज लोहा, टंगस्टन, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है। (ब) अलौह धातु इसमें जस्ता, तांबा, वाक्साइड, टिप, सीसा, स्वर्ण व चादी को सम्मिलित करते हैं। (2) अधात्विक खनिज इसमें अभ्रक, नमक, चूने का पत्थर आदि का समावेश किया जाता है। (3) शक्ति-उत्पादक खनिज इसमें खनिज तेल, धोरियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, बेरालियम आदि खनिजों को सम्मिलित किया जाता है।

राजस्थान के प्रमुख खनिज

Important Minerals of Rajasthan

"गज्य ज्ञान खनिज भण्डारों तथा उनकी सम्भाव्यताओं की दृष्टि में धनी नहीं है लेकिन बाद के सर्वेक्षणों ने यह सिद्ध हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के मुख्य खनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज ससाधनों की अधिकतम औद्योगिक सम्भाव्यताओं से परिपूर्ण व धनी है।" डा हेगेन के इन विचारों से स्पष्ट है कि राजस्थान खनिज पदार्थों की दृष्टि में एक सम्पन्न गज्य है। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अतः राजस्थान को खनिज पदार्थों के अजायबगढ़ की सजा दी जाती है। राज्य के खनिजों से न केवल राज्य सरकार की

आय में वृद्धि होती है वरन् इनसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राज्य को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान में जिन महत्वपूर्ण खनिजों से राज्य का नाम बहुलता के साथ जुड़ा है, उनमें अलौह धातु (शीशा), जस्ता एवं तांबा तथा लौह धातु जैसे, टंगस्टन एवं उनके औद्योगिक खनिज सम्मिलित हैं। लघु खनिज विशेषतः सजावटी पत्थर जैसे, मार्बल, कोटा स्टोन, सैड स्टोन आदि के क्षेत्र में राजस्थान का विशेष स्थान है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है।

राजस्थान में विभिन्न खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से प्रथम स्थान वाले जिले 1993-94	
A धात्विक खनिज	
तांबा	झुपारू
लोहा	अजमेर
जस्ता एवं सीसा	भीलवाड़ा
B अधात्विक खनिज	
ऐस्बेस्टोस	उदयपुर
कैल्साइट	सियाल
फैल्स्यूर	अजमेर
बियान	सगानगर
चुना पत्थर	बिलासपुर
अभ्रक	भीलवाड़ा
गंधक पत्थर	उदयपुर

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1994

राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वर्णन निम्नवत है

लोहा (Iron)

ऐतिहासिक खोज व प्राचीन खण्डों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीनकाल में भी राज्य में लोहे का विदोहन किया जाता था। वर्तमान में यह लोहे का बहुत कम विदोहन किया जाता है यहाँ के लोहे की किस्म भी निम्न है। राज्य में लोहा सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

अ उपयोगिता अथवा महत्व (Utility or Importance) - खनिज लोहा कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार का प्रमुख आधार है यह अनेक दृष्टि से उपयोगी है (i) औद्योगिक क्षेत्र इस्पात व मशीनों का निर्माण, (ii) कृषि क्षेत्र - ट्रैक्टर, हल बैलगाड़ी एवं अन्य मशीनों तथा कृषि उपकरण, (iii) परिवहन क्षेत्र रेल जहाज व हवाई जहाज आदि, (iv) संचार टेलिफोन व वायरलेस आदि, (v) अन्तर्ग्रह विज्ञान रॉकेट व राडार आदि, (vi) विद्युत

ट्रैक्टर व जेट, (vii) सामरिक दृष्टि से तोप, टैंक मशीनगन आदि, (viii) विशाल वायु के निर्माण में उपयोग, (ix) कम्प्यूटर व नवीन खोजों में उपयोग, (x) दैनिक उपयोग को अनेक वस्तुओं का निर्माण।

(ब) लोहा-उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

(i) मोरीजा-बागोला क्षेत्र यह क्षेत्र राजस्थान में खनिज लोहा उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह चौमू-सामोद रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ की खानों से प्रायः हेमेटाइट किस्म के लोहे का विदोहन किया जाता है। यहाँ की खानों में प्रायः उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है। इस क्षेत्र के लोहे की शुद्धता 65 प्रतिशत तक है। इस क्षेत्र में लगभग 25 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। (ii) नीमला क्षेत्र - इस क्षेत्र में उच्च किस्म का लोहा पाया जाता है। यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ के लोहे में 72 प्रतिशत शुद्धता होती है इस क्षेत्र में लगभग 105 लाख टन खनिज लोहे के भण्डारों का अनुमान है। (iii) डाबला क्षेत्र - यह क्षेत्र खेतड़ी के पूर्व में मावडा रेलवे स्टेशन से लगभग 1015 किलोमीटर दूर है इस क्षेत्र हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। (iv) नाथरा पोल क्षेत्र यह स्थान उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इस लोहे में 52 प्रतिशत शुद्धता होती है। इस क्षेत्र में 110 करोड़ टन खनिज लोहे के भण्डार होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 20 लाख टन के भण्डार उत्तम किस्म के हैं। (v) अन्य क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़, दून्दी, बांसवाड़ा, भीमवाड़ा आदि जिलों में भी लोहा पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में घटिया किस्म का लोहा मिलता है। परिवहन के साधनों का अभाव है और राजस्थान में लोहा-इस्पात के कारखाने भी नहीं हैं। अतः लोहे का उत्पादन बहुत कम होता है। 1984 में लोहे का कुल उत्पादन 128 हजार टन था जो 1988 में 35 हजार टन हो गया। उत्पादन का सर्वाधिक भाग जयपुर जिले से प्राप्त होता है। 1991 में कच्चे लोहे का उत्पादन 27.2 हजार टन था जो 1995-96 में बढ़कर 59.03 हजार टन हो गया।¹

तांबा (Copper)

तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। चौथी योजना में खेतड़ी नमक म्यान पर तांबा साफ करने का एक कारखाना स्थापित किया

गया। राज्य में 13 11 करोड़ टन तांबे के भण्डार होने का अनुमान है। तांबे से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance)

द्वितीय युग के पश्चात् मानव ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का ही प्रयोग किया। तांबे के अनेक उपयोग हैं जैसे (i) तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कुछ नवीन धातुएँ बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिये, तांबा+जस्ता = पीतल, तांबा+मौना रोल्ट गोल्ट, तांबा+रंगा = वासा आदि। (ii) विद्युत तारों, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन बिजली के बल्बों, परिवहन इन्जनों, घड़ियों, सिक्कों (Coins), रासायनिक उद्योगों व वर्तन आदि में तांबे का उपयोग किया जाता है। 40 प्रतिशत तांबे का उपयोग विद्युत उपकरणों में, 45 प्रतिशत तांबे का उपयोग अन्य धातुओं का निर्माण करने में और शेष 15 प्रतिशत तांबे का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है।

(ब) तांबा उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

खेतड़ी सिंधाना क्षेत्र इस क्षेत्र में राज्य का सबसे अधिक तांबा मिलता है। इस क्षेत्र में आकवाली, कॉलिंगन, माधव कूटन तथा सातकुई धनोला में तांबे की खानें हैं इन खानों में तांबे के भण्डारों व उनकी शुद्धता सम्बन्धी अनुमान निम्नवत हैं

क्षेत्र	खनिज तांबे के भण्डार	शुद्धता
माधव कूटन	3 करोड़ टन	8% व 1%
सातकुई धनोला	9 टन	8% व 1%
आकवाली	10 लाख टन	1%
कॉलिंगन	5 करोड़ टन	2.5%

(ii) अलवर क्षेत्र इस क्षेत्र में विशेष रूप से भगोली व दरिया क्षेत्रों से खनिज तांबे का विदोहन किया जाता है। दरिया क्षेत्र में उत्तम किस्म का तांबा मिलता है जिसमें शुद्धता प्रायः 2.5% होती है। यहाँ तांबे के 50 लाख टन भण्डारों का अनुमान है। भगोली क्षेत्र में तांबे के 20 लाख टन भण्डार हैं और इसमें शुद्धता का अंश लगभग 1 से 8% तक है। (iii) भीलवाड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा में लगभग 9.5 किलोमीटर दूरी पर पुरदरोंवा क्षेत्र में 3 किलोमीटर लम्बी व 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से तांबे का विदोहन किया जाता है। इस क्षेत्र में तांबे का लगभग 20 लाख टन भण्डार है। (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में देतवाड़ा-देबागे (उदयपुर), सेनपुरी (अलवर), दोटामा (धुल्लू), झालवाड़, सतलुवर, झगरपुर, भीम (उदयपुर) आदि स्थानों पर तांबे का विदोहन किया जाता है।

(स) उत्पादन (Production)

राज्य में खनिज तांबे के

¹ State and Abstract, Rajasthan, 1990 Statistical Abstract, Rajasthan, 1993 Statistical Abstract, Rajasthan, 1988

उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है निम्नांकित तालिका में खनिज तांबे के उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में खनिज तांबे का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1502 00
1988	1790 30
1991	1730 80
1993-94	1086 90
1995 96	1577 80

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

राजस्थान के कच्चे तांबे का सर्वाधिक भाग झुझनू जिले से प्राप्त हो रहा है।

मैंगनीज (Manganese)

मैंगनीज सामरिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज है। फलतः इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही है। राजस्थान में मैंगनीज का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) (i) मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः खनिज लोहे से इस्पात का निर्माण में किया जाता है। एक टन इस्पात का निर्माण करने के लिये लगभग 5 किलो मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है। मैंगनीज से बनाये गये इस्पात का उपयोग मुख्यतः मशीनों, रेल पटरियों व मडक कूटने के इञ्जनों आदि के निर्माण में किया जाता है। (ii) इसका प्रयोग शुष्क बैटरी, रंग रोगन, फोटोपु-नाराक ओपधियों चीनी मिट्टी के बर्न तथा मैंगनीज साल्ट के निर्माण आदि में किया जाता है।

(ब) मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राज्य के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। उदयपुर व जयपुर जिलों में भी कुछ मैंगनीज निकाला जाता है। राजस्थान का मैंगनीज प्रायः घटिया किस्म का होता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में 1989 में 0.3 हजार टन मैंगनीज का उत्पादन होता था जो 1991 में 0.17 हजार टन और 1992-94 में 0.20 हजार टन हो गया।

सीसा व जस्ता (Lead & Zinc)

सीसा व जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है। इनके उत्पादन में राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता अथवा महत्त्व (Utility or Importance) इन धातुओं का उपयोग मुख्यतः सिगरेटों के ढक्कन के मॉल्ड, बर्फ बन्दक की गांठियों तथा साइकिल के पम्पर जाडने के मोल्डिंग तथा अन्य विस्तृतों के निर्माण

में किया जाता है।

(ब) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas)

(i) राजपुरा-देवारी इस क्षेत्र से प्राप्त खनिज में 5.5% जस्ता व 2.2% सीसा पाया जाता है। यहां के खनिज में सीसे व जस्ते के अलावा तांबा, चाँदी व एण्टीमनी आदि वस्तुएँ भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खनिज के 1.26 करोड़ टन भण्डार होने का अनुमान है। (ii) जावर क्षेत्र यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां लगभग 20 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यहां के खनिज में 5 प्रतिशत सीसा व 7 प्रतिशत जस्ता होता है। (iii) सर्वाई माधोपुर क्षेत्र यह चौथे का बरवाड़ा नामक क्षेत्र में सीसा व जस्ता पाया जाता है। यह क्षेत्र 100 मीटर लम्बा व 8 मीटर गहरा है। भोलवाड़ा जिले के आगुवा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जस्ते व सीसे के भण्डार हैं। अजमेर जिले में अजमेर शहर के पास ही इनके भण्डार मिले हैं। (iv) अन्य क्षेत्र राजस्थान में गुदा व किशोरदास (अलवर), लोहाखान सागर (अजमेर), बडालिडा (बांसवाड़ा) तथा सिरौही जिले में सीसा व जस्ता पाया जाता है।

(स) उत्पादन (Production) राजस्थान में सीसे व जस्ते के पर्याप्त भण्डार हैं अतः इनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है।

राजस्थान में सीसा व जस्ता का उत्पादन (हजार टनों में)		
वर्ष	सीसा	जस्ता
1985	25.8	86.6
1988	29.8	117.2
1991	29.0	111.8
1992-93	32.0	98.2
1993-94	42.9	289.4
1995-96	45.6	276.8

स्रोत: Statistical Abstract Raj 1988 1993 1994 & 1996

सीसे व जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र उदयपुर जिला है।

अभ्रक (Mica)

राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि में भारत में तीसरा स्थान है। भारतीय ग्रन्थों में इस खनिज का उल्लेख 'अभ्र' नाम से मिलता है। प्राचीनकाल में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। वर्तमान में भी अभ्रक भस्म नामक चूर्ण आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक प्रायः सफेद, गुलाबी, काले व हरे रंगों में उपलब्ध होता है। यह शास्दर्शी, लज्जालू, चिकना, ताप-अवरोधन एवं विद्युत कुचालक पदार्थ है। जल, ऑक्सीजन व तेजाब का

इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है और यह 500° से ब्रे ताप को भी आसानी से वहन कर सकता है। राजस्थान में अभ्रक सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन इन विन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उपयोगिता या महत्व (Utility or Importance) अभ्रक का प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक निर्माण, विद्युत संचालन, रेडियो विज्ञान, विद्युत भट्टियाँ, डायनेमो, तार व टेलीफोन, वायरलेस, वायुयान, कम्प्यूटर्स, परिवहन, मकान की छतों, चश्मों, मजबूत का सामान व राग रोगन आदि में किया जाता है।

(ब) उत्पादक क्षेत्र (Production Area) राजस्थान के भोलवाडा, उदयपुर, अजमेर जयपुर, टोंक, सीकर, ब्यावर आदि जिलों में अभ्रक पाया जाता है, राज्य में जयपुर से उदयपुर तक के 320 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में अभ्रक मिलता है।

(स) उत्पादन (Production) राज्य में अभ्रक का उत्पादन कम होना जा रहा है। 1984 में अभ्रक का उत्पादन 0.8 हजार टन रह गया। 1988 में अभ्रक का उत्पादन 0.9 हजार टन हुआ था जिसमें भोलवाडा जिले का भाग 98.74% था। 1991 में अभ्रक का उत्पादन 0.55 हजार टन 1993-94 में 0.085 हजार टन व 1995-96 में 67.84 हजार टन था।

रॉक फॉस्फेट (Rock Phosphate)

यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। राज्य में रॉकफॉस्फेट सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन निम्नांकित विन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान में यह खनिज मुख्यतः बासलाडा, जैमलमेर व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। उदयपुर जिले में माटोन, कानपुर, डाकनकिश, सोसागमा सीमव, माटा वारागाव तथा झामर-कोटग आदि स्थानों पर अभ्रक के भण्डार हैं। जैमलमेर जिले के बिरमानिया व लाठी नामक स्थानों पर भी रॉक फॉस्फेट के भण्डार हैं। सीकर जिले में कण्पुर नामक स्थान पर रॉकफॉस्फेट के भण्डार हैं।

(ब) उत्पादन (Production) निम्नांकित तालिका में राजस्थान के रॉकफॉस्फेट उत्पादन को बताया गया है।

राजस्थान में रॉकफॉस्फेट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	718.90
1986	451.5
1988	459.4
1991	265.0
1993-94	977.98
1995-96	900.87

Source: Statistical Abstract, Ra. 1985-1993, 1994 & 1996.

एस्बेस्टोज (Asbestos)

यह खनिज औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह एक रेशोदार धातु होती है जिसका निर्माण कैल्शियम मैग्नीशियम से होता है। राजस्थानमें एम्फीबॉल किंगम का एस्बेस्टोज पाया जाता है जो घटिया श्रेणी का होता है। यह अयुलनशील व ताप अवरोधक होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सीमेन्ट की चादरे, सीमेन्ट पाइप, फिल्टर्स, बॉयलर्स, टाईले व अन्य ताप-निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। एम्बेस्टोज सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न हैं।

(अ) उत्पादक क्षेत्र (Production Areas) (i) उदयपुर जिले के ऋषभदेव, खेरवाडा, नाथद्वारा, आसीन्द, वाथल, सलुम्बर, डेकलिया व गुजाम आदि स्थानों पर एस्बेस्टोज की खानें हैं। (ii) डूंगरपुर जिले के पीपरदा, देवल मलवा खेमारू, जकोल, डूंगरगारभ आदि स्थानों पर भी यह खनिज पाया जाता है। (iii) अजमेर, जोधपुर व पाली जिलों में भी यह खनिज कुछ मात्रा में पाया जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में एस्बेस्टोज का उत्पादन में तीव्र गति में वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक एस्बेस्टोज राजस्थान में ही पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग राजस्थान में होता है। 1985 में एस्बेस्टोज का कुल उत्पादन 28.0 हजार टन था जो बढ़कर 1988 में 30.1 हजार टन हो गया। 1988 में कुल उत्पादन का 79% उदयपुर जिला 9.69% अजमेर जिला व 7.92% पाली उत्पादित कर रहा था। 1991 में उत्पादन बढ़कर 26.5 हजार टन व 1993-94 में 34.2 हजार टन तथा 1995-96 में 20.69 हजार टन हो गया।

जिप्सम (Gypsum)

इसे सनऊडी ह्यूसोट व खडिया भी कहा जाता है। यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज है। भारत के कुल जिप्सम भण्डारों का लगभग 94% भाग राजस्थान में उपलब्ध है। इससे चर्नी मिट्टी को बर्तन, उर्वरक चॉक स्टिक, रा गोन आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नांकित हैं।

(अ) उत्पादन के क्षेत्र (Production Areas)

(i) नागौर क्षेत्र भारत में सबसे अधिक जिप्सम इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ जिप्सम के लगभग 95.3 करोड़ टन के भण्डार उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में नागौर मण्डाना, मायलोड, यादवामी, खैरत व मालगू आदि स्थानों पर जिप्सम की खानें हैं। (ii) बीकानेर क्षेत्र इस क्षेत्र का जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में द्वितीय स्थान है। यह मुख्यतः जामसर, लून्करणगर, तारागढ़ आदि क्षेत्रों में जिप्सम की

खाने है। इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ टन जिप्सम का भण्डार होने का अनुमान है। (iii) अन्य क्षेत्र राज्य के पाली, जोधपुर, जैसलमेर व जाडमेर आदि जिलों में भी जिप्सम की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में जिप्सम के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	1132.2
1988	1313.0
1991	1618.9
1993-94	1626.78
1995-96	2042.08

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1988, 1993, 1994 & 1996

1988 में राजस्थान के जिप्सम का उत्पादन 69.79% गगानगर जिला 11.34% नागौर जिला व 11.29% जाडमेर जिला उत्पादित कर रहा था।

घोंया पत्थर (Soap Stone)

इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहाँ भारत के कुल उत्पादन का लगभग 9% घोंया पत्थर निकाला जाता है। इससे पेन्सिल, टेल्कम पाउडर, खिलाने, विद्युत उपकरण, कागज, टाइलों आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कोटनाशक औषधियाँ व रबड़ में निर्मित वस्तुओं में भी इसका उपयोग होता है।

राज्य में घोंया पत्थर के उत्पादन से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production Areas) राजस्थान के उदयपुर, भालवाड़ा, डुंगरपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में घोंया पत्थर की खानें हैं। उत्तम किस्म का घोंया पत्थर भालवाड़ा जिले के वेवरिया, दिगाड़ाधारवा, चादपुरा तथा उदयपुर जिले के मृगावन, दवली, देवपुरी आदि स्थानों में मिलता है। भालवाड़ा उदयपुर अलावर, डुंगरपुर आदि जिलों में घोंया पत्थर की पीसने की अनेक इकाइयाँ कार्यरत हैं लेकिन राज्य में इसका महान वृत्त बसाने का कोई भी मय्य नहीं है। राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 40% उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। घोंया पत्थर को टैल्क, माप, स्लान तथा मिस्टाटाइट भी कहा जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य में घोंया पत्थर के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है कुछ वर्षों के घोंया

पत्थर के उत्पादन को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है -

राजस्थान में घोंया पत्थर का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	366.30
1988	336.20
1991	395.60
1993-94	385.26
1995-96	784.72

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1988, 1993, 1994 & 1996

चूने का पत्थर (Lime Stone)

राजस्थान में चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहाँ सोमेन्ट बनाने योग्य और रासायनिक पदार्थ व अन्य वस्तुओं का निर्माण करने योग्य पत्थर के भण्डार क्रमशः 300 करोड़ टन व 5 करोड़ टन हैं। राजस्थान में चूने के पत्थर सम्बन्धी विवरण निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के कोटा, जयपुर, बून्दी, सीकर, सवाईमाधोपुर, पाली, अजमेर, मिरोही, बागवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जिलों में चूने का पत्थर पाया जाता है। इस पत्थर का उपयोग मुख्यतः राज्य के सोमेन्ट कारखानों द्वारा किया जाता है। यह पत्थर भवन निर्माण उद्योग का प्रमुख आधार है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में चूने के पत्थर का पर्याप्त उत्पादन होता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

राजस्थान में चूने के पत्थर का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1985	4259.70
1988	6527.30
1991	7879.50
1993-94	7906.40
1995-96	10898.94

स्रोत - Statistical Abstract Raj 1988, 1993, 1994 & 1996

1988 में चूना पत्थर के कुल उत्पादन का 43.20% चित्तौड़गढ़ जिला 13.50% अजमेर जिला 10.73% सिरोही जिला, 9.13% उदयपुर जिला, 8.87% कोटा जिला व 4.67% बून्दी जिला उत्पादित कर रहा था।

सगमरमर (Marble)

यह बहुमूल्य पत्थर है जिसका उपयोग मुख्यतः भवना व मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। सगमरमर के उत्पादन में राज्य को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यहाँ का सगमरमर सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सगमरमर के उत्पादन

सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) नागौर क्षेत्र इस क्षेत्र में मकराना नामक स्थान सगमरमर के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ उतम किस्म का गुलाबी सफेद व काले रंगों का सगमरमर पाया जाता है। यहाँ लगभग 20 किलोमीटर लम्बी पट्टी में सगमरमर के भण्डार हैं। मकराना व किशनगढ़ में सगमरमर की बारीक पट्टियाँ तैयार करने के अनेक कारखाने हैं। (ii) अन्य क्षेत्र राज्य के पाली सीकर जयपुर अजमेर उदयपुर अलवर आदि जिलों में भी सगमरमर पाया जाता है लेकिन यह निम्न श्रेणी का होता है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में देश का सबसे अधिक सगमरमर उत्पन्न होता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है

राजस्थान में सगमरमर (ब्लॉक) का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1988	704.7
1991	1740.1
1993-94	1875.6
1995-96	2840.1

स्रोत: Statistical Abstract, Raj. 1988, 1993, 1994 & 1996

टंगस्टन (Tungston)

यह सामरिक महत्व का एक खनिज है जो मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग राजस्थान से मिलता है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों व सुल्फा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। इससे कड़ी से कड़ी वस्तु को काटा जा सकता है। राज्य में टंगस्टन के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत्-

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राज्य में नागौर जिले के डोगाना नामक स्थान पर टंगस्टन की खानें हैं। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे किया गया है। यहाँ टंगस्टन के पर्याप्त भण्डारों का अनुमान है। टंगस्टन विकसित निगम इन खानों के विकास हेतु अनेक कार्य कर रहा है जयपुर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहाँ टंगस्टन का विदोहन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में किया जाता है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में 1974 में टंगस्टन का उत्पादन 17000 किलोग्राम था जो बढ़कर 1988 में 24018 किलोग्राम हो गया। 1993-94 में 5.45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ। 1988 का समस्त उत्पादन नागौर जिले से प्राप्त हो रहा था। 1991

92 में सिरोही जिले में 1.7 हजार टन व 1995-96 में नागौर जिले में 6.45 हजार टन टंगस्टन का उत्पादन हुआ।

फ्लोराइट (Fluorite)

यह औद्योगिक महत्व का एक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः लौहा व इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। भारत में फ्लोराइट का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। यहाँ फ्लोराइट के पर्याप्त भण्डार का अनुमान है। राज्य में फ्लोराइट उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के डूंगरपुर जिले में माण्डव की पात्र जमक पर्वत-श्रृंखलाओं में पाया जाता है इस क्षेत्र की खानों से फ्लोराइट का उत्पादन 1959 से हो रहा है यहाँ लगभग 150 लाख टन फ्लोराइट के भण्डार हैं ये खानें 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं राज्य के अनेक क्षेत्रों में भी फ्लोराइट की खोज का कार्य जारी है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य में फ्लोराइट का पर्याप्त उत्पादन होता है लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण फ्लोराइट के उत्पादन में कमी होती गई। अतः 1975 में फ्लोराइट की खानों का आधुनिकरण किया गया। राज्य के फ्लोराइट उत्पादन को अग्र तालिका में बताया गया है

राजस्थान में फ्लोराइट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	3.8
1988	6.8
1991	3.7
1993-94	2.4
1995-96	1.69

स्रोत: Statistical Abstract, Raj. 1986, 1993, 1994 & 1996

वर्ष 1995-96 में उत्पादन का लगभग 14% भाग डूंगरपुर जिले व 49.1% भाग जालोर जिले से प्राप्त हो रहा था।

बेरिलियम (Beryllium)

यह एक अणु खनिज है जिसका निर्माण बेरील धातु से किया जाता है बेरी धातु परमाण्वीय आकृति में पाई जाती है और अनेक रंगों की होती है। बेरील मुख्यतः राजस्थान व बिहार में ही पाई जाती है। राजस्थान में 11% तक शुद्धता बेरील पाई जाती है। राज्य में बेरिलियम के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) उदयपुर इस जिले के सिलेका गुड़ा, शिकारवाडी, रानआमेत आदि स्थानों पर बेरील की खाने है। (ii) भीलवाडा इस क्षेत्र में देवडा, तिलोली गुड़ा, मेजा, एकलिंगपुरा व शिवराती आदि स्थानों में बेरील की खाने है। (iii) अन्य डूंगरपुर जिले में पदेरी, सीकर जिले के बूचरा, चुरला, सावलपुरा व टोरडा ताकि टोंक जिले के धोली, सकरवाडा व माधोराजपुरा में भी बेरील की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) राज्य के मपूर्ण बेरील उत्पाद को अणु शक्ति आयोग को बेच दिया जाता है। राज्य में लगभग 5-7 टन बेरील का वार्षिक उत्पादन होता है।

बेराइटज (Barytes)

यह औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खनिज है। इससे नाइट्रोजन, रासायनिक पदार्थ, पेंट बेरियम कारबोनेट, क्लोराइड तथा बेरियम सम्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में बेराइटज के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में बेराइटज की खाने है उदयपुर जिले के जगतपुर नामक स्थान के पास बेराइटज के भण्डार मिले है जो अब तक खोजे गये भण्डारों में सबसे बड़े है।

(ब) उत्पादन (Production) राजस्थान में बेराइटज के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में बेराइटज का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	11 00
1988	8 20
1991	6 10
1993-94	2 48
1995-96	3 25

स्रोत: Statistical Abstract, Ra. 1988 1991 1994 & 1996

1996 में कुल उत्पादन का लगभग 80% उदयपुर जिले एवं 20 25% अलवर जिले में उत्पादित किया जा रहा था।

कैल्साइट (Calcite)

यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग मुख्यतः कैल्साइट काच, कैल्शियम कारबाइड, मिर्मेक का सामान, स्टेचिंग पाउडर कार्बन डाई ऑक्साइड, विम्फे

पदार्थ आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। राज्य में कैल्साइट के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है -

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) (i) सीकर जिला इस जिले के माडवा, रायपुर, बालपुरा झामस आदि स्थानों पर कैल्साइट की खाने है, (ii) सिराही जिला यह के सिआबा, राजपुरा, पिपटसाल, पिडवासी व जनकिया आदि स्थानों पर कैल्साइट पाया जाता है। (iii) पाली जिला इस जिले के बेरी, जनवेडा, दौरा व सिरामावरी में कैल्साइट की खाने है। (iv) झुझुनू जिला इस जिले के पापराना व माधोगढ नामक स्थानों पर कैल्साइट पाया जाता है। (v) जयपुर जिला इस जिले में बरना की चौकी, शाखून व तासकोला नामक स्थानों पर कैल्साइट की खाने है।

(ब) उत्पादन (Production) देश के कैल्साइट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य का सबसे अधिक उत्पादन (लगभग 70%) सीकर जिले में होता है। कैल्साइट के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में कैल्साइट का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
1985	16 5
1988	25 6
1991	89 01
1993-94	75 73
1995 96	75 89

स्रोत: Statistical Abstract, Ra. 1988 1993 1994 & 1996

एमरॉल्ड अथवा पन्ना (Emerald)

यह एक बहुमूल्य जवाहरात है जिसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। यह एक हरे रंग का रत्न है। अतः इसे हरी अग्नि की सजा दी जाती है। इसका उपयोग गहनों के निर्माण में किया जाता है। राज्य में पन्ना उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) यह खनिज राज्य के उदयपुर व अजमेर जिलों में पाया जाता है। उदयपुर जिले में पन्ना के सर्वाधिक भण्डार है। इस जिले में पन्ना के तीन क्षेत्र हैं कालगुमान क्षेत्र यह यखाने कालगुमान नामक स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टिछो क्षेत्र ये खाने देवगढ म्थेशन में लगभग 7 किलोमीटर दूर टिछो नामक स्थान के पास स्थित है। गोमुन्दा क्षेत्र - यह क्षेत्र नाथद्वारा म्थेशन में लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(ब) उत्पादन (Production) - वर्तमान में पन्ना का उत्पादन शय बन्द है 1973 व 1980 में पन्ना का उत्पादन क्रमश 0.7 व 2.9 हजार टन था। 1995-96 में 3.81 कि मा पन्ना का उत्पादन हुआ।

फेल्सपार (Felspar)

यह एक औद्योगिक महत्व का खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग मुख्यत कँच, मीनाकारी व चीनी मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। राजस्थान देश के कुल फेल्सपार उत्पादन का लगभग 60% भाग उत्पन्न करता है। इसका उपयोग मुख्यत पड़ीसी रज्यों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्न है

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) अजमेर जिला इस जिले में राज्य के लगभग 95 प्रतिशत फेल्सपार का उत्पादन होता है। अजमेर व ब्यावर में इसे पीसने के अनेक सयंत्र हैं। (ii) जयपुर जिला इस जिले में दादिया, झगरपुर, गुजरावाडा व बन्देरबेनरी में फेल्सपार की खानें हैं। (iii) पाली जिला इस जिले के बाडा, डिगौर, चाकण्डिया, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर फेल्सपार की छोटी खानें हैं। (iv) अन्य राज्य के सीकर, टोंक पासवाडा, उदयपुर आदि जिलों में भी फेल्सपार की खानें हैं।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य में फेल्सपार का पर्याप्त उत्पादन होता है। विगत कुछ वर्षों के फेल्सपार उत्पादन को निम्न तालिका में बताया गया है।

राजस्थान में फेल्सपार का उत्पादन	
वर्ष	उत्पादन (हजार टनों)
1985	42.70
1988	33.90
1991	72.50
1993-94	86.55
1995-96	71.06

स्रोत Statistical Abstract, Raj. 1993 & 1996

1988 में फेल्सपार के कुल उत्पादन में अजमेर जिले का भाग 64.83% व भीलवाडा जिले का भाग 17.33% था।

काच बालुका अथवा सिलिका रेत (Silica Sand)

यह स्रक्-उद्योग का कच्चा माल है। यह पर्याप्त मात्रा में काच बालुका प्राप्त होती है। काच बालुका के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। राज्य में काच बालुका के उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : (i) बून्दी जिला इस जिले के बागेदिया नामक स्थान पर काच बालुका प्राप्त होती है। (ii) जयपुर जिला यह के सागोट, कुण्डला, चितौड़ी, झर, बासखों, बर्याल, मनोला तथा धूलाधोपुर आदि स्थानों पर काच बालुका प्राप्त होती है। (iii) सर्वाईमाधोपुर जिला इस जिले के नागयम्पुर, ऐलानपुर, सायोहर, टट्टुवारा, नोली आदि स्थानों पर काच बालुका मिलती है। (iv) भरतपुर, बीकानेर व कोटा जिलों में भी काच बालुका मिलती है।

(ब) उत्पादन (Production) - राज्य के कोटा, बून्दी व जयपुर जिलों में काच बालुका के विशाल भण्डार हैं। कोटा जिले में श्रेष्ठ किस्म की काच बालुका प्राप्त होती है। राज्य के धौलपुर के काच कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा शेष बालुका अन्य रज्यों को भेज दी जाती है। 1985 व 1988 में काच बालुका का उत्पादन क्रमश 215.7 व 172.0 हजार टन था। 1993-94 में सिलिकारैण्ड का उत्पादन 215.23 हजार टन तथा 1995-96 में 234.75 हजार टन था। अधिकांश उत्पादन अलवर, बून्दी, सर्वाई माधोपुर, चैसलमेर, टोंक तथा बाडमेर जिलों में प्राप्त होता है।

चीनी मिट्टी (China Clay)

यह अन्य सभी मिट्टियों से मूल्यवान होती है। यह प्राय सफेद व पीले रंग की होती है। इसका उपयोग सिरेमिक सिलिकेट उद्योग द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करने के पूर्व इसकी धुलाई की जाती है। राज्य के नीम का थाना नामक स्थान पर चीनी मिट्टी की धुलाई का एक कारखाना है इसने उत्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं

(अ) उत्पादन क्षेत्र (Production areas) : सर्वाई माधोपुर जिला इस जिले के रायसीना व वसुव नामक स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है सीकर जिला यह के पुरुषोत्तमपुर, मावडा, टोरडा, बुवरा आदि स्थानों पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। अन्य जालौर, अलवर तथा उदयपुर जिलों में भी चीनी मिट्टी के पर्याप्त भण्डार हैं।

(ब) उत्पादन (Production) - राजस्थान में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 1990 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमश 248.9, 334.1 व 433.0 हजार टन था।

अन्य खनिज (Other Minerals)

(i) डोलोमाइट (Dolomite) : इस खनिज का उपयोग मुख्यत मकन निर्माण, कृषि कार्यो कागज निर्माण की सल्फाइट विधि में तथा अम्लीय द्रव बनाने में किया जाता है।

यह राज्य के सीकर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा अलवर जिलों में पाया जाता है। जयपुर जिले में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 1985 व 1988 में इसका उत्पादन क्रमशः 8.5 व 2.3 हजार टन था। 1988 में उत्पादन का 46.07% जैसलमेर जिले व 44.6% सीकर जिले से प्राप्त हो रहा था। 1993-94 में इसका उत्पादन 7.3 हजार टन तथा 1995-96 में 17000 टन था।¹

(ii) तामड़ा (Tamura) - इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान को एकधिकार प्राप्त है। यह का तामड़ा (राजमहल व सरवाड) विश्व में प्रसिद्ध है। राज्य के अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा व सीकर जिलों में तामड़ा की खानें हैं। अजमेर जिले के सरवाड व टोंक जिले के राजमहल नामक स्थानों पर ग्रेफ्ट किस्म का तामड़ा पाया जाता है। 1982 में तामड़ा का उत्पादन 780 टन तथा 1995-96 में 1700 टन था।²

(iii) बेन्टोनाइट (Bentonite) यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने तथा वनस्पति तेलों व खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है। यह राज्य के बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाईमाधोपुर जिलों में पाया जाता है। बाड़मेर जिले में बेन्टोनाइट के सर्वाधिक भण्डार हैं। 1986, 1988, 1993-94 व 1995-96 में इसका उत्पादन क्रमशः 36.8, 76.8, 31.8 व 54.5 हजार टन था।

(iv) मुलतानी मिट्टी राजस्थान में मुलतानी मिट्टी के विशाल भण्डार हैं। यह मुख्यतः बीकानेर व बाड़मेर जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः वनस्पति व खनिज तेलों को साफ करने तथा कागज, साबुन व प्रसाधन सामग्री बनाने में किया जाता है। 1991 में 12.7 तथा 1995-96 में 14.88 हजार टन उत्पादन हुआ।

(v) स्लेट पत्थर (Slate Stone) इस पत्थर का उपयोग मुख्यतः स्लेट बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान के अलवर में बहरोड, रासलाना, गीगलाना खुण्डरोड, भादणा तथा भोयसार आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान स्लेट पत्थर विदेशों को निर्यात भी करता है। यह मुख्यतः हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी को भेजा जाता है। अतः यह खनिज विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में खनिज विकास की वर्तमान स्थिति एवं भावी सम्भावनाएँ

(PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS OF MINERAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN)

देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की सरकारी नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने देश की खनिज सम्पदा को खोज निकालने का कार्य गैर

सरकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी सौंपने का निर्णय नई राष्ट्रीय खनिज नीति में लिया है। सरकार ने यह अनुभव किया है कि देश में कई खनिजों का पर्याप्त दोहन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए विदेशी तकनीक का अपनाया जाना आवश्यक है। सोना, हीरा, तांबा, जस्ता, निकल, टंगस्टन और रासायनिक खाद बनाने के वाम आने वाले रॉक फॉस्फेट, पोटाश तथा सल्फर उन 13 खनिजों में से हैं जो गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिये गये हैं। इस नीति में सामरिक महत्त्व के खनिजों के विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव भी है। राजस्थान विभिन्न खनिज स्रोतों से भरपूर प्रदेश है और इन खनिज भण्डारों के लिए इसे देश में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। यही कारण है कि राजस्थान को खनिजों का राधाहालय भी कहा जाता है। राजस्थान में 42 प्रकार के प्रधान खनिजों का एवं 23 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्पादन होता है।³ 1950 में केवल 15 प्रकार के प्रधान एवं 6 प्रकार के लघु खनिजों का ही विदोहन किया जाता था।⁴ देश के कुल लघु खनिज के उत्पादन मूल्य में राजस्थान का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। राजस्थान की अरावली पर्वत-श्रृंखला में शताब्दियों पुराने खनिज खनन के अवशेष विद्यमान हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इस प्रदेश में खनिजों के खनन का अति प्राचीन इतिहास है। विद्यमान खनिज सम्पदा में कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राजस्थान का एकधिकार है जैसे, गार्नेट जेम्सटाइल व बोलस्टोनाइट। इससे अतिरिक्त भी अन्य अनेक खनिजों में राजस्थान का प्रथम या द्वितीय स्थान है। इतनी विशाल खनिज सम्पदा होने के बावजूद भी इसका समुचित दोहन व उत्खनन नहीं हो पाया है। यह भी एक विरोधाभास प्रतीत होता है कि बिहार और राजस्थान जैसे खनिज सम्पदा में समृद्ध राज्य निर्धन व पिछड़े हुए हैं।

राजस्थान में 1950 में मुख्यतः अभक, घीया पत्थर, बेराइट्स, कैलासाइट, एमरल्ड, सिलिका गैन्ड, फूलर्सअर्थ, बेन्टोनाइट जिप्सम आदि खनिजों का कार्य किया गया। इस शताब्दी के मध्य से ही बीकानेर जिले के भोयला क्षेत्र पलाना में लिग्नाइट पर कार्य आरम्भ हो चुका था। डोगाना (नागौर जिला) के बोलाप्रोमाइट भण्डारों से टंगस्टन अयस्क के दोहन का सामरिक दृष्टि में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इभी प्रन्जर जावर (उदयपुर) स्थित जस्ता शीशा क्रिस्टलों के दोहन हेतु मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा पुनः कार्य आरम्भ किया गया। छेतड़ी के तांबा भण्डारों का सर्वोद्योग कार्य भी निजी फर्म द्वारा प्रारम्भ किया गया। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान व खनिज क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आया है और खनिजों की खोज की

1-3 Statistical Abstract Raj: 1994-1993 1988 & 1998

4 Economic Times, 14 May 1993 5-8 Economic Review 1995-96 Govt of Raj

दिशा में किये जाने वाले विकास कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा लगभग 250 करोड़ वर्ग मी. में भी अधिक पुरानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से लेकर मब्रिसेन्ट या रिसेन्ट चट्टानों में उपलब्ध है। यहाँ धात्विक व अधात्विक और रत्न श्रेणियों के साथ ही इमारती और नक्कशी के पत्थरों तथा ग्रेनाइट व मार्बल आदि के विपुल खनिज भण्डार उपलब्ध हैं। धात्विक खनिजों जैसे तांबा जस्ता शोशा व टंगस्टन अयस्क तथा अधात्विक खनिजों जैसे, रॉक फॉस्फेट जिप्सम, सोप स्टोन, एम्बेन्ट्स फ्लस्पर, गार्नेट, थोलास्टोनाइट आदि के उत्पादन में राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में चूना-पत्थर, बैराल्ट्स, फ्लोराइट, चाइना क्ले फायरक्ले, ब्रेन्टोनाइट फ्लुवियॉल, सिलिका सेन्ड, माइका आदि खनिजों का विस्तृत पैमाने पर खनन होना है। नागौर जिले के मेडना गेड, बाडमेर जिले के कूपरडी, बीकानेर जिले के गुडा क्षेत्रों में लिग्नाइट की खोज के साथ राजस्थान देश में तमिलनाडु के बाद लिग्नाइट भण्डारों के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान की ओर अग्रगण्य हो रहा है। अग्रधान खनिजों में काना का मार्बल पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त जालौर के ग्रेनाइट भण्डार तथा जोधपुर बूदी व धौलपुर के सैंडस्टोन के भण्डार भी सर्वप्रसिद्ध हैं। बामवाड़ा जिले में लगभग 20 लाख टन मैंगनीज अयस्क भण्डार होने का अनुमान है। बाडमेर जिले में लगभग 17 लाख टन सैलेनाइट के खनिज भण्डार का अनुमान लगाया गया है। झारपुर जिले की माण्डू की पाल क्षेत्र में 15 लाख टन फ्लोराइट खनिज के भण्डार होने का अनुमान है। जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र में 55 लाख टन लोह अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके हैं। अजमेर जिले के मरुप्रायग क्षेत्र के पास मैंगनीज खनिज का पता लगाया गया है। मिरोही जिले के दमनगढ़ क्षेत्र में 35 लाख टन तांबे अयस्क के भण्डार सिद्ध हो चुके हैं। उदयपुर जिले में जगह - रेतपातलिया क्षेत्र में 10 लाख टन बैराल्ट्स के भण्डार विद्यमान हैं। आगूदा (जिला भीलवाड़ा) में 13.4 प्रतिशत जस्ता व 1.9 प्रतिशत शोशासुक्त 610 लाख टन भण्डारों के निष्पन्न सिद्ध किए गए हैं। मिरोही जिले के पिपला क्षेत्र में 12 लाख टन तांबे के भण्डारों का पता चला है। जैमलमेर जिले के हारूर-खुडयाला क्षेत्र में 50-54% कैल्शियम ऑक्साइड युक्त 100 लाख टन उच्च श्रेणी का चूना-पत्थर मिला है। उदयपुर जिले के अणार, केन की कूई कुण्ड आदि स्थानों पर तांबा मिला है। उदयपुर जिले के श्री जामर कोटडा क्षेत्र में 1968 में देश का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट भण्डार खोजा गया जो इस राज्यादी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। रॉक

फॉस्फेट की 16 किलोमीटर लम्बी पट्टी में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक फॉस्फेट तत्व के कुल 750 लाख टन भण्डार सिद्ध किए गए हैं। इस खनिज की खोज से कृषि उत्पादन के क्षेत्र को अत्यधिक लाभ पहुँचेगा। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के केंसपुर गांव के समीप हीरा मिलने के सकते हैं। इसी प्रकार झालावाड़ व सर्वाईमाधोपुर जिलों में भी हीरा की खोज जारी है। बामवाड़ा व मिरोही जिलों में सोना मिलने की संभावना है। राजस्थान में कई मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान तथा नक्कशी के काम के पत्थर उपलब्ध हैं। राजस्थान के पत्थरों की किस्म कोलम्बिया के पत्थरों से अच्छी है। अजमेर जिले में मरवाड़ (किशनगढ़) का गार्नेट देश में सबसे अच्छा माना जाता है। राजस्थान में यूरेनियम भी उपलब्ध है।

राजस्थान में तांबा, जस्ता, टंगस्टन, रॉकफॉस्फेट, मोना व हीरा उपलब्ध हैं। ये वे खनिज हैं, जिन्हें नई राष्ट्रीय खनिज नीति के अन्तर्गत गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। टंगस्टन सामरिक महत्व का खनिज है और ऐसे खनिजों के विकास पर इस नीति में विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। नई नीति के अन्तर्गत खनिजों के सर्वेक्षण और खोज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। विशेष रूप से ऐसे खनिजों का विकास किया जायेगा जो अभी देश में बहुत कम मात्रा में या केवल आवश्यक पूर्ति भर के लिए ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी धातु और खनिजों की खोज पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा उच्च तकनीक में काम में आते हैं। इन खनिजों और धातुओं में राजस्थान में उपलब्ध टांगस्टन यूरेनियम जस्ता, शोशा, पन्ना, हीरा माणिक नीलम तांबा आदि की गणना की जा सकती है। अभी तक इन खनिजों और धातुओं की उपलब्धता के पूर्वक्षण, सर्वेक्षण, दोहन शोधन आदि कार्य भली प्रकार नहीं किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था की समय-समय पर ममोक्षा की जाए ताकि सर्वेक्षण तथा खोज करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और खनिजों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो सके।

1967 की राष्ट्रीय खनिज नीति को मूर्त रूप देने के लिए खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम 1957 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस नई नीति के अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और खनिज तेल की छोड़कर सम्पूर्ण खनिज उद्योगों को गैर सरकारी उद्यमियों के लिए खोल देने की योजना है। संशोधित नीति के अन्तर्गत भारतीय कर्मानियम के

साथ खनिज उद्योग में विदेशियों की भागीदारी की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। इस नीति के अन्तर्गत उन खनिज और धातु शोधन इकाइयों को अपनी स्वयं की खानें रखने की सुविधा देना भी निर्णय लिया गया ताकि कच्चा माल उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। विदेशी भागीदारी में चयने वाली खनिज परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश सामान्यतः 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा किन्तु यह सीमा खनिज शोधन उद्योगों की खानों पर लागू होगी। बड़ी हुई भागीदारी का निर्णय अलग-अलग मामलों में अलग-अलग किया जाएगा। नई खनिज नीति में विदेशी पूंजी निवेश को इतनी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ जाने से विदेशी उद्यमी राजस्थान की खनिज सम्पदा के दोहन व शोधन की ओर आकर्षित होंगे। राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना व विकास की सम्भावनाएँ भी बढ़ गई हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से वर्तमान खान मालिकों से प्रतिस्पर्धा की सम्भावना भी प्रतीत होती है जिससे कुशलता में वृद्धि होने का सम्भावना है। खनिज नीति सम्बन्धी दस्तावेज में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि खानों के पट्टे उस समय तक जारी नहीं किए जाते चाहिए जब तक पर्यावरण संरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिए जाएँ। इस नीति के लागू होने से अब सरकार एवम् खान मालिकों पर विशेष उत्तदायित्व आ गया है। भारत की इस नई नीति के पश्चात् खनिज क्षेत्र में रूचि रखने वाले अनेक राष्ट्रों ने पूछताछ आरम्भ कर दी है जिसमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय खनिज कम्पनियों और भारत में विद्यमान कई गैर सरकारी कम्पनियों ने खनिज क्षेत्र में पूंजी निवेश करने में रूचि दिखाई है। संक्षेप में खनिज विकास की इस नई उदार नीति के कारण राजस्थान में खनिज विकास का भविष्य उज्वल प्रतीत होता है। यह आशा की जाती है कि राज्य में मूलभूत संरचना के विकास के साथ ही खनिज भण्डारों के समुचित दोहन व खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना होगी एवम् औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे सरकार की आय में वृद्धि होगी और राज्य में समृद्धि एवम् सम्पन्नता का नया अध्याय आरम्भ होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 1993 में जारी पर्यावरणीय अधिभूतना में राजस्थान के खनिज विभाग पर प्रतिवृत्त प्रभाव पड़ेगा।

नई खनिज नीति व अन्तर्गत दायित्व विकास में सम्बन्धित कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम

को सौंपे गये हैं और तदनुसार खनन क्षेत्र में मड़क, विद्युत आदि बुनियादी सुविधाएँ निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पट्टेधारी खनिज सम्पदा के आधारभूत विकास हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान निगम को करते हैं।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम संयुक्त क्षेत्र अथवा स्वयं के खनिज आधारित उद्योगों परियोजनाओं एवं उपक्रमों को प्रोत्साहित करने उनका विभाग बन एव मंचालित करने में कार्यरत है। निगम खनिज कार्य व अतिरिक्त खानों के विकास एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु परामर्श का भी कार्य करता है निगम राज्य के 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर राज्य की खानों का व्यावसायिक रूप से संचालन तथा लाइसेन्सिंग, रॉयल्टी परफॉर्मेट सिस्टम, फेल्सवार एवं ग्रेफाइट व उत्पादन व विपणन का कार्य कर रहा है। निगम ने 1995-96 तक 92.15 लाख रुपये का विनियोजन संयुक्त/सहायक क्षेत्र की कम्पनियों में किया है। निगम द्वारा वर्ष 1994-95 में राज्यकोष में 10.60 करोड़ रुपये का भुगतान गयल्टी एवं भूमिकर के रूप में किया गया है।

राजस्थान में खनन क्षेत्र के सुधार

राज्य सरकार अगस्त 1994 में खनिज नीति की घोषणा कर चुकी है जिसमें आधुनिक खनन तकनीक को अपनाते खनिज-आधारित उद्योगों व प्रक्रियाएँ द्वारा मूल्य मूल्यनन वैज्ञानिक पद्धति व खनन करना तथा खनिजों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने मार्बल एवं ग्रेनाइट व पट्टे-आवटन हेतु पृथक से नीतियाँ घोषित की हैं ताकि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उत्खनन व खनिज गणना सम्भव हो सके। खनिजों के अण्व्ययन को कम करना एवं वैज्ञानिक विधिओं से खनन को बढ़ावा देने हेतु प्लांटों व आकार एक हैब्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैब्टेयर पर दिया गया है। बड़े सीमेंट प्लांटों की स्थापना की दृष्टि से राज्य में सीमेंट ग्रेड लाईसन्सिंग क्षेत्रों की पहचान भी की गई है। निकट भविष्य में 5000 करोड़ रुपये का निवेश व 13 बड़े सीमेंट प्लांटों की स्थापना होने का सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर जिले में छिगा खोदगार क्षेत्र में तीन सीमेंट गयार स्थापित किए जाएंगे। गडपार जिन के गिराव क्षेत्र में मैग्नेसियम राजस्थान मिनरल डवलपमेंट

कॉरपोरेशन द्वारा लिमाइट का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। यह सीमेंट सब्सिडी एवं अन्य उद्योगों को ईंधन की आपूर्ति करेगा जिससे कोयले पर निर्भरता में कमी आएगी। दसिगसर, कपूरडी एवं जसिया के लिमाइट भण्डारों पर आधारित 1980 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह की स्थापना की कार्यवाही जारी है।

राजस्थान सरकार की नई खनिज नीति (1994)

राजस्थान सरकार ने अगस्त, 1994 में खनिज नीति को घोषणा की। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य आधुनिकतम खनन तकनीक को अपनाना, खनिज आधारित उद्योगों की प्रक्रिया और मूल्य वृद्धि को लक्ष्य बनाना, वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहित करना तथा खनिजों के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज करना, खनिज से आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और खनिज क्षेत्र में उद्योगों के अवसरों को वृद्धि करना ही इस खनिज नीति का लक्ष्य है। इस नीति के अन्तर्गत खनिज उत्पादन से सम्बन्धित विद्यमान खनन नियमों और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया जायेगा। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने मार्बल एवं ग्रेनाइट के पट्टे आवंटन हेतु पृथक नैतिकता घोषित की है ताकि वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उत्खनन व खनिज संरक्षण मभव हो सके। खनिजों के अपव्यय को कम करने एवं वैज्ञानिक विधियों में खनन को बढ़ावा देने हेतु प्लांटों का आकार एक हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हेक्टेयर कर दिया गया है। बड़े मॉनेट सब्सिडी की स्थापना की दृष्टि से राज्य में सीमेंट के योग्य चूना-पत्थरों के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इस प्रकार राज्य की नई खनिज नीति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं से संबंधित है।

1. खनिजों की खोज - खनन से सम्बन्धित विभिन्न समूहों में समन्वय स्थापित करते हुये सर्वेक्षण की दो नयी नीति बनाई गयी है- पहला उन खनिजों के लिये बिनकर निर्यात किया जा सकता है और उनसे सम्बन्धित उद्योग अति शीघ्रता से स्थापित किये जा सकते हैं। दूसरी नीति उन खनिजों के लिये है जिनको खोजने और उनका विदोहन आगम्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। दूसरे वर्ष में आने वाले खनिजों हेतु सरकार विदेशी निवेशकों को अकर्षित करने का प्रयास करती है।

2. व्यवस्थित खनन - खनिज नीति के अन्तर्गत योजक और वैज्ञानिक ढंग से खनिज कार्य करना सम्मिलित है यही कारण है कि सामरमर और ग्रेनाइट के पट्टों की

सीमा बढ़ाई गई है। निर्वात आधुनिक उद्योगों के खनन विधयन से सम्बन्धित उद्यमियों को खनन पट्टे स्वीकृत करने में प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है। कोटा स्टोन और स्लेट स्टोन के अन्तर्गत खनन पट्टे उन्हीं उद्यमियों को प्रदान किये जायेंगे जो आधुनिक यंत्रों द्वारा सम्पूर्ण ब्लाक का विदोहन करने को तैयार हैं। कोटा स्टोन के बेकार बचे हुए भाग को यद्यपि कोई औद्योगिक इकाई कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लेती है तो उन पर रायल्टी नहीं ली जायेगी। राज्य सरकार ने श्रमिक एवं काब उद्योगों की ऐसी इकाइयों हेतु जिनमें 5 करोड़ से 25 करोड़ के मध्य पूंजी लगने का अनुमान होता है उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विक्री कर आदि में लाभ की अवधि 7 वर्ष से 9 वर्ष कर दी गई है। यदि ऐसे उद्योगों में 25 से 100 करोड़ के मध्य पूंजी लगने की सम्भावना हो तो उन्हें बिक्रीकर आदि में प्राप्त लाभ 9 वर्ष की बजाय 11 वर्ष तक प्राप्त होगा। सरकार जब भी पट्टों का नवीनीकरण करेगी तब विरोध रूप से यह देखा जायेगा कि खान का विकास व्यवस्थित रूप से किया गया है या नहीं। सरकार न अवधि ऋण प्राप्त करने के लिये पट्टाधारकों को खनन पट्टों को बंधक रखने की भी अनुमति दी है। छोटे खनिज और ऐसे खनिज जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं उनका परस्पर सटे हुए छोटे-छोटे पट्टों को आपस में मिलाया जा सकेगा लेकिन ऐसे मिले हुए पट्टे 5 हेक्टेयर से अधिक बड़े नहीं होंगे। सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित करने और खनिजों की खोज और खनन करने के लिये ऐसे उद्यमियों को सिंगल खिडकी सेवा और पथ प्रदर्शन सेवा प्रदान करेगी जिन्होंने उपरोक्त में 5 करोड़ से अधिक की राशि निविदावित करने का निश्चय किया है।

3. प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ - निर्वात उद्योगों की स्थापना करने पर प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टा आवंटित किया जायेगा। सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से खानों को मददों से जोड़ा जायेगा। यदि खनिज पट्टाधारक अपने श्रमिकों के हित के लिये चिकित्सालय और विद्यालय आदि निर्मित करेंगे तो सरकार उस पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत वहन करेगी। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करेगा जहाँ पर एक साथ पट्टे दिये गये हों। खनन कार्यों के कारण होने वाले वन विनाश की क्षतिपूर्ति कम से कम 100 हेक्टेयर भूमि खान किताब को दी जायेगी जिस पर खनिज पट्टाधारी प्रति हेक्टेयर कम से कम 400 पौधे लगायेंगे। राज्य सरकार प्रदर्शनीय, मेलो और सेमीनारों के माध्यम से खनिज पदार्थों के निर्वात एवं आधुनिकतम तरीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

4 सरलीकरण - खनन पट्टों की खाज उनकी स्वीकृति और नवीनीकरण प्रक्रिया का शाघ्र नियंत्रित किया जाएगा। चरगाघट भूमि में खनन पट्टों के लिये आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। खनिज सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समय गारंटी भी निर्धारित की गई है ताकि सभी कार्य समय पर निपटाया जा सकें। गन्तव्य और वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता आदि में ढील दी गई है।

5 खनिज नियमों में संशोधन खनन पट्टों अथवा न्यूनतम 25 हेक्टेयर पट्टाकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के रूप में दिए गए हैं। खनिज पट्टों की अवधि में 10 से 20 वर्ष कर दी गईं। खनिज पट्टों का जब नवीनीकरण किया जायेगा तो वह भी 20 वर्ष के लिये होगा। खदान लाईसेंस की अवधि भी अब 1 वर्ष में पट्टाकार 5 वर्ष की गई है। वार्षिक क्रिया को अधिक न्याययुक्त बनाने के उद्देश्य से

संशोधित किया गया है। सरकारी अथवा खनिज पट्टों का आंशिक परित्याग का स्वीकार करनी। आपत्तियों को समाप्त करने की नीति में भी संशोधन किया गया है। समय समय से खानों में बद होने पर निरंतर करने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी। अवैध खनन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

6 अन्य उद्योगों और सरकार में सम्बन्ध परम्परा बर्तालाप के उद्देश्य खनिज परामर्शदात्री परिषद का गठन का निर्णय लिया गया है। इस परिषद में किये गये निर्णय की क्रियान्वयन का कार्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति देखेगी। खान आवंटन में अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसा अनुमान है कि इस नीति के कारण लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान में खनिज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Minerals in Rajasthan
- 2 राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Present Position of Mineral Based Industries in Rajasthan
- 3 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the Rajasthan State Mineral Development Corporation (RSMDC)
- 4 प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बताइए।
Explain the importance of Natural Resources
- 5 प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति बताइए।
Explain the Nature of Natural Resources
- 6 राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं। समझाइए।
Rajasthan is endowed with abundant natural resources. Explain.
- 7 राजस्थान राज्य के जल संकट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Water Resources of Rajasthan
- 8 राजस्थान में मिट्टी-असंक्रमण पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।
Present a short account of soil-degradation in Rajasthan
- 9 पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा क्यों कम प्राप्त होती है।
Why does Western Rajasthan receive low amount of annual rainfall?
- 10 राजस्थान का चार प्रमुख नदियों के नाम बतायें।
Name four important rivers of Rajasthan
- 11 चम्बल नदी की दो मुख्य सहायक नदियों के नामों का उल्लेख कीजिए।
Mention the names of two major tributaries of Chambal river
- 12 समझाइए - काला कपास और इसकी महत्त्व।
Explain - The Black Cotton Soil and its importance

B विस्तृत प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में कैसे योगदान करते हैं।
Describe the important Natural Resources of Rajasthan and discuss how they are important in

Economic Development of Rajasthan

- 2 प्राकृतिक ससाधन स आप क्या समझत है?
What do you understand by Natural Resources? Explain the importance of Natural Resources in Rajasthan
- 3 राजस्थान के प्राकृतिक विभाग पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Natural regions of Rajasthan
- 4 जल ससाधन स आप क्या समझत है? राजस्थान में जल ससाधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान की जल ससाधन की वर्तमान स्थिति क्या है?
What do you understand by water resources? Explain its importance in Rajasthan. Discuss the present position of Water Resources in Rajasthan
- 5 राजस्थान के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में से दो किन्हीं दो खनिजों के महत्व उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
What are the principle minerals in Rajasthan? Describe the importance production and area of production of any two minerals of Rajasthan
- 6 राजस्थान में खनिज उत्पादन की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the problem of Mineral Production and suggest ways for their removal in Rajasthan
- 7 राजस्थान का वन ससाधन का विस्तृत विवरण कीजिए साथ ही इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
Explain in detail the Forest Wealth of Rajasthan. Also discuss its importance
- 8 राजस्थान के वनों के प्रकार बताइए और इनके मुख्य अथवा लाभ का भी वर्णन कीजिए।
Explain the types of forest of Rajasthan and also discuss their merits or advantages
- 9 राजस्थान में औद्योगिक विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत खनिज उपलब्ध है। समझाइए।
Rajasthan is endowed with the basic minerals needed for industrial expansion. Discuss
- 10 राजस्थान में निम्नलिखित खनिज ससाधन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए
(i) टंग्स्टन (ii) मैंगनीज (iii) जस्ता (iv) ताम्बा (v) फेल्सपार
Write briefly about the following mineral wealth in Rajasthan -
(i) Tungsten (ii) Manganese (iii) Zinc (iv) Copper (v) Felspar
- 11 भारत का भौतिक स्वरूप को आधार पर विभाजन कीजिए एवं दक्षिण पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए।
Divide India according to its physical features and give a geographical account of Deccan Plateau

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न


(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान का भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रफल इसके प्राकृतिक विभागों, विद्युतों तथा भूमि उपयोग पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on the Geographical position, area, Natural regions, soil and land utilization in Rajasthan
- 2 राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक ससाधनों का विवरण कीजिए और बताइए कि व राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण है।
Describe the important natural resources of Rajasthan and discuss how they are important in economic development of Rajasthan
- 3 राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक ससाधन है। समझाइए।
Rajasthan is endowed with abundant natural resources. Explain
- 4 प्राकृतिक ससाधन विधि में राजस्थान किस समा तक धन है?
To what extent Rajasthan is rich in Natural Resource endowments?
- 5 राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व का भूमिका का विवरण कीजिए।
Discuss the importance (role) of the minerals in the economic development of Rajasthan
- 6 राजस्थान सरकार का खनिज नीति तथा प्रमुख खनिज आधारित उद्योग के विकास का सफल विवरण कीजिए।
Describe in brief Mineral Policy and development of Mineral based industries in Rajasthan
- 7 राजस्थान के खनिज उत्पादों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वे राज्य के औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्वपूर्ण है?
Explain the mineral products of Rajasthan and discuss how they are important in industrial advancement of the state
- 8 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में खनिजों के विकास के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं? बताइए।
What efforts have been made by the Government of Rajasthan during the Five Year Plans in the State? Discuss
- 9 राजस्थान में वन विभाग का प्रमुख समस्याओं का विवरण कीजिए साथ ही इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
Explain the main problems of Forest Development in Rajasthan. Also give suggestions to solve them



राज्य का घरेलू उत्पाद

STATE DOMESTIC PRODUCT



"यह विचार अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- घरेलू उत्पाद का अर्थ
- अर्थव्यवस्था के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रकृति
- राज्य के घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय की गणना
- राज्य के घरेलू उत्पाद को मापने की विधियाँ
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाईयाँ
- राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व और उपयोग
- राज्य के घरेलू उत्पाद में लक्ष्य वृद्धि के लिए मुद्दे
- अर्थसमर्थन

देश की राष्ट्रीय आय, सभी राज्यों के घरेलू उत्पादों का योग होती है। राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर उचित ध्यान से विचार किया जाने लगा। वर्तमान में तो राष्ट्रीय आय का विचार अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के आर्थिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना आर्थिक समस्याओं का समाधान करना, दो राष्ट्रों या राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने और देश की तथा विश्व की आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने में राष्ट्रीय एवं राज्यीय घरेलू उत्पादों की जानकारी होना अत्यावश्यक होता है। यह विचार अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होता है क्योंकि इससे देश के उत्पादन स्तर को तो मापा ही जा सकता है आर्थिक विकास की गतिशीलता भी की जा सकती है और भविष्य अनुमान लगाते जा सकते हैं। विकास की दिशा प्रकृति और विकास दर ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार घरेलू उत्पाद के बढा हुआ महत्व के कारण इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अर्थ व परिभाषा

MEANING & DEFINITION OF DOMESTIC PRODUCT OR NATIONAL INCOME

घरेलू उत्पाद के विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए श्रेफेसर मार्शल, श्रेफेसर पीगू और श्रेफेसर फिशर द्वारा दौ गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में विस्तृत दृष्टिकोण को, प्रो पीगू ने नैतिक दृष्टिकोण को और प्रो फिशर ने उपभोग को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है।

प्रो मार्शल के अनुसार "देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम एवं पूँजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष जो भौतिक व अर्थवैतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है इन मन्त्रों शुद्ध उत्पादों के योग को ही देश का आगत अथवा राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं।"

प्रो पीगू के अनुसार "राष्ट्रीय आय किसी देश के लोगों की आय का वह भाग है जिम्मे विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है और जिम्मे द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है।"

प्रो फिशर के अनुसार "राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय केवल उन सेवाओं द्वारा निरूपित होती है जो अन्तिम उपभोक्ताओं को भौतिक अथवा मानवीय वातावरण में प्राप्त होती है। अतः एक पिपानो या एक ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है अपितु पूँजी में वृद्धि है। केवल वे सेवाएँ जो कि इनके प्रयोग से इस वर्ष मिलेंगी राष्ट्रीय आय होंगी।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होता है कि घरेलू उत्पाद की गणना अनेक प्रकार में की जा सकती है किन्तु व्यवहार में उत्पादन तथा आय के आधार पर यह गणना की जाती है।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद की विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ

CHARACTERISTICS & TRENDS OF STATE'S DOMESTIC PRODUCT

राज्य का सम्पूर्ण वस्तुओं तथा मन्त्रों का मूल्य का योग राज्य का घरेलू उत्पाद है। इस मूल्य और शुद्ध

घरेलू उत्पाद में विभक्त किया जा सकता है। एक निश्चित समय में, बिना इसका प्रावधान किए हुए, राज्य की समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद को समझने में निम्नलिखित बिन्दु सहायक सिद्ध होंगे -

1 राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विदेशालय द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसा सन 1954-55 से किया जा रहा है।

2 राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद को राज्य आय के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रगति को मापने का एक उचित मापदण्ड माना जाता है।

3 राज्य में घरेलू उत्पाद की गणना और इससे सम्बन्धित विचार वही है जो कि कन्द्रीय सांख्यिकी मण्डल (पी एम ओ) द्वारा अनुमानित किए जाते हैं।

4 राज्य के घरेलू उत्पाद की दृष्टि में राज्य की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है।

5 राज्य में घरेलू उत्पाद के जो अनुमान लगाये जाते हैं, वे राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विदेशालय और कन्द्रीय सांख्यिकी मण्डल द्वारा अलग-अलग एक साथ तैयार किए जाते हैं। इनको परस्पर मिलाया जाता है और आवश्यक होने पर सुधार भी किए जाते हैं। ऐसा इस कारण से किया जाता है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के आंकड़ों सामने आए त्रिजर्ना एक-दूसरे में तुलना भी की जा सके।

6 राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन, आय और व्यय से सम्बन्धित आंकड़ों का एक साथ प्रयोग किया जाता है।

7 राज्य के घरेलू उत्पाद का चालू एवं स्थिर कीमतों पर दिखाया जाता है। राज्य में इस प्रकार का पहला अनुमान 1954-55 को आधारवर्ष मानते हुए 1956 में जारी किया गया था। इस आधार वर्ष 1959-60 तक बना रहा। इसके पश्चात् आधारवर्ष 1960-61 हो गया और इसके आधार पर 1978-79 तक आंकड़ें जाग किए जाते रहे। इसके पश्चात् 1970-71 को आधारवर्ष बनाया गया जो कि 1987-88 तक चलता रहा। इसके पश्चात् 1980-81 को आधारवर्ष के रूप में अपनाया गया और यह आधार वर्ष वर्तमान में भी ब्रिथाशील है।

8 राज्य की घरेलू आय की गणना के लिए राजस्थान की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का मानव भाग में विभक्त किया गया

है जो इस प्रकार है (i) वृषि (ii) वन (iii) मत्स्य पालन (iv) खनन (v) विनिर्माण (पजीवृत) (vi) विनिर्माण (गैर पजीवृत) (vii) निर्माण कार्य (viii) विद्युत गैस तथा जलापूर्ति (ix) खेती (x) न्यायपालिका तथा स्पष्ट (xi) संचार (xii) व्यापार (xiii) ट्रेडिंग तथा जलपात्र गृह (xiv) वैद्य व्यापार तथा बीमा अनुभाग (xv) स्थावर सम्पदा आवासाय गृह। का समाहित एव व्यावसायिक सेवार्थे (xvi) सार्वजनिक प्रशासन (xvii) अन्य सेवार्थे।

9 राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान प्रचलित मूल्यों एव स्थिर मूल्यों के आधार पर लगाया जाता है। जब लम्बी अवधि का एक राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है तो यह अनुमान स्थिर मूल्यों पर आधारित होता है। इससे राज्य अर्थव्यवस्था में होने वाले सरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस गणना के लिए राज्य अर्थव्यवस्था को मुद्रात तीन भागों में बांटा जाता है यथा (1) प्राथमिक क्षेत्र (2) द्वितीयक क्षेत्र व (3) तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र। इस गणना से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए राज्य की कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा पहले की तुलना में कितना कम हुआ और अन्य किसी क्षेत्र के हिस्से में कितनी वृद्धि हुई? इससे किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न कारकों की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की भी जानकारी मिल जाती है। राज्य के घरेलू उत्पाद सम्बन्धी आपने ने आधार पर ही आर्थिक नियोजन का निर्माण किया जाता है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आर्थिक योजना की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

10 विभिन्न क्षेत्रों का घरेलू उत्पाद में योगदान राजस्थान के घरेलू उत्पाद का विश्लेषण करने में ज्ञत होगा है कि घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा किन्तु इसका योगदान निरन्तर गिर रहा है। सामान्यत आर्थिक विकास में तीव्रता आने पर कृषि का भाग स्वत ही कम होता चला जाता है। इरावे उपरोक्त उद्योग का घरेलू उत्पाद में योगदान विकास के साथ बढ़ता है। राजस्थान में औद्योगीकरण की अपेक्षा के कारण उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर बना हुआ है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है।

11 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (Net state Domestic Product) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से ह्रास के मूल्य का समायोजन करने के पश्चात् शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति इस प्रकार थी

राजस्थान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (कोटि रूपयों में)		
वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर कीमतों पर 1980 81
1990 81	4125 71	4125 71
1989 90	15463 11	7492 27
1988 89	35842	4061
1996 97 (अन्तर्गत अनुमान)	44907	11307
1997 98 (अन्तर्गत अनुमान)	17156	11599
1998 99 (अन्तर्गत अनुमान)	50171	11648

तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान का घरेलू उत्पादन 1980 81 में 4125 71 रूपये था जो बढकर 1998-99 में 50271 रूपये हो गया। अतः घरेलू उत्पाद में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में स्थिर कीमतों पर राज्य का घरेलू उत्पाद 4125 71 रूपये से बढकर 11648 रूपये हो गया। अतः स्थिर कीमतों की दृष्टि से राज्य के घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई।

12 प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income) - शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रतिव्यक्ति आय ज्ञत की जाती है। निम्न आंकड़ों के आधार पर भारत व राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है

राजस्थान एव भारत में प्रतिव्यक्ति आय			
वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर		स्थिर मूल्यों पर (1980 81)
	राजस्थान	भारत	राजस्थान भारत
1971 72	660	587	626 548
1980 81	1222	1627	1222 1627
1989 90	3596	4252	1742 2142
1996 97 (अन्तर्गत अनुमान)	8481		2247 -
1997 98 (अन्तर्गत अनुमान)	4215		2215

तालिका के विश्लेषण से ज्ञत होता है कि वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय जो 1971 72 में 660 रूपये थी 1996 97 में बढकर 8481 रूपये हो गई। इस अवधि में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय में लगभग 13 प्रतिशत गुना वृद्धि हुई।

स्थिर मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय 1971 72 में 626 रूपये थी जो बढकर 1996 97 में 2247 रूपये हो गई। अतः इस अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में 3.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई।

14. विकास दर (Growth Rate) - राजस्थान में कुल राज्य आय व प्रतिव्यक्ति आय की विकास दरों का अनुमान निम्न तालिका से होता है-

राजस्थान की शुद्ध राज्य आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की समग्र विकास दर		
अवधि	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	प्रतिव्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यों पर)
तृतीय योजना (1961-66)	1.36	0.98
चौथी योजना (1966-69)	0.77	-3.02
चतुर्थ योजना (1969-74)	7.08	3.81
पाँचवी योजना (1974-79)	5.18	2.22
छठी योजना (1980-85)	5.94	3.01
सातवी योजना (1985-90)	7.55	4.78
दीर्घावधि (1961-90)	3.99	1.22

स्रोत - Draft Eighth Five Year Plan, 1982-87

इस तालिका से ज्ञात होता है कि

- राजस्थान में चतुर्थ योजना से सातवीं योजना तक शुद्ध राज्य आय में सतोषजनक वृद्धि हुई है।
- उपरोक्त अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में सतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक रही है।
- दीर्घावधि दर की दृष्टि से भी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिव्यक्ति आय में कम वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने का परिचायक है।

15 अन्य राज्यों से तुलना (Comparison with other states) - निम्न तालिका से कुल आय एवं प्रतिव्यक्ति आय की राज्यवार स्थिति का ज्ञान होता है-

राजस्थान एवं अन्य राज्यों में वर्तमान एवं प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (1996-97)	
A	राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद - 41872 करोड़ रु
B	भारत में सर्वाधिक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य-
(1)	महाराष्ट्र 152179 करोड़ रुपये
(2)	उत्तर प्रदेश 133170 करोड़ रुपये
(3)	आन्ध्र प्रदेश 72195 करोड़ रुपये
C	राजस्थान की प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद - 8481 रुपये
D	भारत में सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाले प्रमुख राज्य
(1)	महाराष्ट्र 17296
(2)	गुजरात 18719
(3)	पंजाब 18213

Source: Economic Survey 1998-99

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- 1980-81 में शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान था। इस समय सबसे कम शुद्ध उत्पाद सिक्किम का था। राजस्थान की घरेलू आय अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम व त्रिपुरा से अधिक थी।
- 1980-81 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद 4126 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1996-97 में 41872 करोड़ रूपए हो गया। 1996-97 में भी शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का ही था। राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर से अधिक था।

- 1980-81 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1022 रूपए था। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद की दृष्टि से गोआ राज्य का प्रथम स्थान था। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्यों से अधिक था।
- 1980-81 में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 1222 रूपए था जो बढ़कर 1996-97 में 8481 रु हो गया। इस समय प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था। बिहार, केरल, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अधिक था।

राज्य के घरेलू उत्पाद का ढांचा एवं उसकी गणना

STRUCTURE AND MEASUREMENT OF STATE'S DOMESTIC PRODUCT

राज्य की घरेलू आय को ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था को सोलह भागों में विभक्त किया गया है। अर्थव्यवस्था के ये समस्त भाग मिलकर राज्य के घरेलू उत्पाद के ढाँचे का निर्माण करते हैं। राज्य के घरेलू उत्पादन के ढाँचे को निम्नांकित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है-

1. कृषि (Agriculture) - कृषि क्षेत्र को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाँट दिया गया है। प्रथम- कृषि, द्वितीय-पशु सम्पदा एवं उसके उत्पादन और तृतीय

गिराई। कृषि के अन्तर्गत कृषि फसलों, घास, वन्यजीव, खेती का प्रबंध, कृषि से सम्बन्धित मजदूरी तथा वृद्धों से सम्बन्धित विभिन्न मद्दतय क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पशु संपन्न और उन्हे सम्बन्धित उत्पादन तथा, दूध उत्पादन चक्रण एवं छाते, अण्डे शहद रेशम के मछे मुर्गापालन आदि को सम्मिलित किया जाता है। सिचाई से सम्बन्धित क्रियाओं में विभिन्न सारवाग्री जेता से कृषकों को की गई जलपूर्ति सम्मिलित है। इसकी गणना के लिये उत्पादन विधि का अन्तर्गत हुए अनिर्दिष्ट मूल्य सृजन (Value added) ज्ञात किया जाता है।

2 वन (Forest) - वनों के अन्तर्गत इसकी क्रियाओं को पुन तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम वन, द्वितीय लकड़ी एकत्रित करना तथा तृतीय वनों से बाहर लकड़ी एकत्रित करना। वनों के अन्तर्गत वृक्षारोपण और उनका संरक्षण तथा वन उत्पादों को एकत्रित करना आदि सम्मिलित है। लकड़ी एकत्रित करने के अन्तर्गत सामान्य वनों से लकड़ी प्राप्त करना और वन उत्पादों को विक्रय केन्द्रों तक पहुँचाना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार सामान्य वनों के बाहर उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त औद्योगिक लकड़ी और जलाने योग्य लकड़ी आदि दो सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना भी उत्पादन विधि से की जाती है।

3 मत्स्य पालन (Fisheries) - मत्स्य के क्षेत्र को धरेलू उत्पादन की गणना करने के लिये पुन चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम - व्यापारिक मत्स्य पालन जो कि उपलब्ध स्थलीय जल में किया जाता है। उसमें नदियों, नहरों, तालाबों झीलों, खेतों आदि में पकड़े जाने वाली मछलियाँ सम्मिलित हैं। द्वितीय - जीवन निर्वाह हेतु मत्स्य पालन किया जाता है। जो कि छोटे-छोटे कृत्रिम तालाब बनाकर या इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं से सम्पन्न हो पाता है। तृतीय - क्षेत्र के अन्तर्गत समुद्री क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एकत्रित करना सम्मिलित है। इसकी गणना उत्पादन विधि द्वारा होती है।

4 खनन (Mining) - इस क्षेत्र के अन्तर्गत खनिज निष्कालना तथा निर्यात गए खनिजों को मूल्ययुक्त क्रियाओं का मध्यम में ठीक करना आदि सम्मिलित है। ये सभी प्रकार की क्रियाएँ खनन की शक्ति पर ही हानो कारणों से क्रियाएँ खनिज को खोजने, धाने तथा कच्चे, निष्कालन व श्रेणीकरण आदि से सम्बन्धित है। यद्यपि खानों की स्थिति पर विभिन्न क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है ता कि उन्हे क्षेत्र में सम्मिलित न करके विनिर्माण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इसका अन्तर्गत उत्पादन विधि द्वारा होती है।

5 विनिर्माण - पंजीकृत (Manufacturing - Regd) - धारण उत्पादन की गणना के लिए विनिर्माण की क्रियाओं को दो बड़े भागों में विभक्त किया गया है जो कमरा रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। रजिस्टर्ड विनिर्माण क्रियाओं में उन फैक्ट्रियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जो विद्युत का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी प्रकार वे फैक्ट्रियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं जिनमें 20 या अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं लेकिन वे विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस कार्य हेतु विगत 12 महीनों का विवरण देखा जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में वस्तुओं को बनाना सुधारना, पैकिंग करना तोड़ना आदि अनेक क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। इन सब क्रियाओं का उद्देश्य उस वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना होना है। इसी प्रकार प्रिंटिंग, शीतगृहों में वस्तुओं को रखना आदि भी इसी के अन्तर्गत हैं। इनका गणना में उत्पादन विधि प्रयुक्त होती है।

6 विनिर्माण - (निर पंजीकृत) (Manufacturing - Unregistered) - रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र मिलकर समग्र निर्माण क्षेत्र की रचना करते हैं। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विनिर्माण, विधायन, मरम्मत और हर प्रकार के रखरखाव से सम्बन्धित सेवाएँ आ जाती हैं। जो क्षेत्र रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में नहीं आता, उन्हें अनरजिस्टर्ड क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना में उत्पादन विधि से अतिरिक्त मूल्य सृजन ज्ञात किया जाता है।

7 निर्माण कार्य (Construction) - निर्माण क्रियाओं के अन्तर्गत भवन निर्माता मिलित इन्जीनियर और अन्य विशेष ठेकेदार द्वारा ठेके पर किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न मगटनों द्वारा अपने स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत नये कृषारोपण फलों के बगीचे आदि के लिए किए गए निर्माण कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न निर्माण व मूर्त्या व आधार पर इसे प्राप्त धरेलू उत्पादन ज्ञात किया जाता है।

8 विद्युत, गैस और जलपूर्ति (Electricity, Gas and Water supply) - विद्युत का अन्तर्गत विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और उसका वितरण सम्मिलित किया जाता है। गैस व निर्माण के अन्तर्गत इसमें मरम्मत कार्य, जिसमें गैस गैस तथा सम्मिलित है का वितरण सम्मिलित है। यह गैस धारण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इनके अन्तर्गत एन वा जो गैस को भी सम्मिलित किया जाता है। जलपूर्ति के अन्तर्गत जल के मसूराण उसको शुद्ध करना और उसका वितरण व कार्य को सम्मिलित किया जाता है।

विद्युत के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और एटॉमिक पावर प्लाण्ट (आर ए पी पी) मुख्य सगठन है। गैस उत्पादन के सन्ध में खादी प्रयोगो महत्वपूर्ण है। धरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए विद्युत व जलापूर्ति के अतर्गत सकल आय जोड़ी जाती है। गैस के लिये उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मूल्य सूजन ज्ञात किया जाता है।

9 व्यापार, होटल एव जलपानगृह (Trade, Hotels and Restaurants) - इसके अतर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं व फुटकर एव थोक व्यापार सम्मिलित है। इसके अतर्गत आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एजेन्ट, दलाल आदि की क्रियाएँ भी सम्मिलित है। ऐसे स्थान जहाँ पर ठहरा जा सकता है और जहाँ खाने-पीने की सुविधाएँ उपलब्ध है, ऐसे होटल एव रेस्टोरेंट भी इसके अतर्गत आते है। गणना में उत्पादन विधि में मूल्य सूजन ज्ञात किया जाता है।

10 रेल, अन्य परिवहन, सग्रहण और संचार (Railway, Other Transport, Storage & Communication) - यातायात के अतर्गत रेलवे, सड़क जल व वायु यातायात और उसमें सम्मिलित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के भण्डारण में सम्मिलित कार्य भी इसके अतर्गत आते है। डाक तार तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को संचार सेवाओं के अतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें आय विधि का प्रयोग कर धरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात किया जाता है।

11 बैंकिंग एव बीमा (Banking & Insurance) - बैंकिंग के अतर्गत व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बैंकिंग विभाग तथा अशा पत्रों, विभिन्न प्रकार के विनियोगों व ऋणों आदि से सम्बन्धित क्रियाओं में लगी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय मस्याएँ भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

12 स्याई सम्पत्ति, आवासोय गृहों का स्वामित्व एव व्यावसायिक सेवाएँ (Real Estate, Ownership of Dwelling & Business Services) - ज़ापटाट से सम्बन्धित सेवाओं के अतर्गत इसमें सम्बन्धित एजेन्टों और इसी भांति कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आवास के अतर्गत आवासीय भवनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाएँ भी इसके अतर्गत आती है। ज़पटाट के लिये आय विधि और आवासीय भवनों के लिये वार्षिक किराया ज्ञात किया जाता है। वार्षिक किराये में परम्पत आदि के व्यय कम कर दिये जाते है।

13. सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration) - इसमें केन्द्रीय एव राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों, नगर परिषदों, ज़रडिंग बोर्ड, जिला परिषदों, पंचायत राज से सम्बन्धित मस्याओं आदि द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा सेवाएँ सम्मिलित होती है। इन सेवाओं में बरो का मंजूरन, गुदितम, जेत, सामाजिक एव सन्तुल्यिक सेवाएँ तथा कृषि, उद्योग आदि से सम्बन्धित आर्थिक सेवाएँ सम्मिलित होती है। इसकी गणना में आय विधि प्रयुक्त होती है।

14 अन्य सेवाएँ (Other services) - इस क्षेत्र में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य वैज्ञानिक सेवाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा दी जानेवाली अनेक प्रकार की सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जैसे, टि की अंर रेडियो, भी इसी के अतर्गत आते है। इसकी गणना आय विधि से होती है।

राज्य के धरेलू उत्पाद को मापने की विधियाँ

METHODS TO MEASURE S.D.P

राज्य के धरेलू उत्पाद की गणना मुख्यतः उत्पादन विधि और आय विधि के द्वारा की जाती है। व्यय विधि का प्रयोग कम होता है। धरेलू उत्पाद के मापन की प्रमुख विधियाँ निम्नवत है -

1 उत्पाद विधि (Product Method) - राजस्थान में कृषि, वन, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, पञ्जैकृत निर्माण कार्य व खनन आदि क्षेत्र में धरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए 'उत्पाद विधि' का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र की अन्तिम उत्पाद व बाजार मूल्य ज्ञात कर लिया जात है। इसमें में उत्पाद के मापनों का कुल मूल्य (शक्ति, द्रम व कच्चे मूल्य आदि) के व्यय घटा दिया जाता है। इसके सकल आय ज्ञात हो जाते है। इसमें से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध अन्तः राज्य हो जाती है।

2 आय विधि (Income Method) - इन विधि के अतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की आय को जोड़ लिया जाता है, यः उस क्षेत्र की आय होती है। आय विधि का प्रयोग निम्नलिखित दो तरीके से किया जाता है -

(अ) **प्रत्यक्ष आय विधि (Direct Income Method)** - इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों की आय की गणना हेतु किया जाता है जिनके अन्य सम्बन्धी आंकड़े आसानी से उपलब्ध

हो जाते हैं। रेल व सड़क परिवहन, बीमा बैकिंग, जलापूर्ति तथा विद्युत आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विधि आसानी से अपनाई जा सकती है क्योंकि इन क्षेत्रों के आकड़े वार्षिक लेखों में उपलब्ध हो जाते हैं।

(ब) **परोक्ष आय विधि (Indirect Income Method)** - इस विधि के अंतर्गत (i) किसी क्षेत्र विशेष की श्रम शक्ति ज्ञान की जाती है (ii) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिव्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाया जाता है और तत्पश्चात् (iii) श्रम शक्ति को प्रतिव्यक्ति औसत आय से गुणा करके उस क्षेत्र की आय ज्ञात कर ली जाती है। लघु कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, घरेलू सेवार्थ, होटल तथा असंगठित क्षेत्रों की आय की गणना हेतु परोक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है।

3 व्यय विधि (Expenditure Method) - इस विधि के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के व्ययों को जोड़ कर उस क्षेत्र की आय ज्ञात की जाती है। यह विधि मुख्यतः निर्माण कार्यों की आय का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। निर्माण कार्यों के अंतर्गत ईंट, पत्थर चूना, संग्रेन्ट इमारती लकड़ी व इस्पात आदि का मूल्य सैम्पल सर्वे के आधार पर ज्ञात कर लिया जाता है।

राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ

DIFFICULTIES IN THE MEASUREMENT OF GDP

राज्य की घरेलू आय की त्रुटिहीन तरीके से गणना अभी भी सम्भव नहीं हो पाई है, इसके अनेक कारण हैं प्रमुख कारण इस प्रकार हैं -

1 अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - राजस्थान में देश के अन्य भागों की अपेक्षा अशिक्षा अधिक है। यही स्थिति अज्ञानता की है। अशिक्षा के कारण विभिन्न व्यवसायों व कार्यों में लगे लोग पूरा हिमाय किताब नहीं रखते। अनेक प्रकार की भातियों के कारण वे गणना करने वालों को पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं।

2 मूल्य स्तर में परिवर्तन (Change in Price Level) - राज्य की आर्थिक क्रियाओं की गणना इस कारण भी कठिन हो जाती है कि मूल्यों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इस कठिनाई से बचने के लिए किमी आधारवर्ष को लेकर चयन पडता है। राजस्थान तथा भारत में जो निर्देशांक बनाए जाते हैं और उनमें विभिन्न वस्तुओं को जो भार प्रदान किया

जाता है वह पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं है।

3 दोहरी गणना की संभावना (Possibility of Double Counting) - राज्य के घरेलू उत्पाद की गणना में दोहरी गणना की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसा सम्भव है कि व्यक्ति की आय को कई स्थानों पर जोड़ लिया जाए। यही स्थिति उत्पादन के सर्ध में हो सकती है इस कारण राज्य का घरेलू उत्पादन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है किन्तु वास्तविकता वह नहीं होती।

4 विश्वसनीय आकड़ों का अभाव (Lack of Reliable Data) - राजस्थान में ही नहीं समस्त भारत में घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करने में अनेक दोष विद्यमान हैं। इस कारण इन्हें पूर्णतः विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर आकड़े सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं जो अधिक कार्यभार के कारण अथवा शिथिलता के कारण आकड़े एकत्रित करने में पूरा समय नहीं दे पाते। अतः त्रुटियों की संभावना बनी रहती है।

5 क्षेत्रों का वर्गीकरण (Classification) - राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाए गये हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है किन्तु इन विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र तथा इनकी क्रियाएँ परस्पर इस प्रकार से सम्बन्धित होती हैं कि उन्हें अलग करना दुष्कर हो जात है।

6 गणना की विधि (Methods of Measurement) - राजस्थान में घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद निकालने के लिए अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्षेत्र में कुछ उपक्षेत्रों के लिए उत्पादन विधि तो कुछ उपक्षेत्रों के लिए आय विधि आदि का प्रयोग होता है। गणना की विधि बदलने से कुल उत्पाद की गणना में कुछ असंगति उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान के घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के लिए सुझाव

1 कृषि क्षेत्र - राजस्थान में कृषि का विकास करके घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में वर्षा के अभाव को देखते हुए फव्वारा सिंचाई, बूट-बूट सिंचाई व सूखी खेती की विधियों का व्यापक रूप में उपयोग किया जाना चाहिये। राज्य में पशुपालन, वन विनाम फल विनाम आदि कार्यक्रमों को

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ व संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Trends and Structure of S D P
- 2 राज्य आय या राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by State Income of State Domestic Product?
- 3 राजस्थान की राज्य आय में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। समझाईए।
Contribution of Primary Sector is still more in the State Income of Rajasthan Discuss
- 4 राज्य घरेलू उत्पाद की आधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of State Domestic Product
- 5 राजस्थान के घरेलू उत्पाद की आधुनिक प्रवृत्तियाँ बताईए।
Mention the recent trends of Rajasthan s Domestic Product
- 6 राज्य घरेलू उत्पाद की गणना का महत्व बताईए।
Mention the importance of measuring State Domestic Product

B. निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 'राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं?' राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एवं बनावट का वर्णन कीजिए।
What do you understand by 'State Domestic Product'? Discuss the trend and structure of State Domestic Product of Rajasthan
- 2 राजस्थान राज्य के घरेलू उत्पाद की संरचना या स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। इस संरचना (स्वरूप) में पिछले 30 वर्षों में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और उनका मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं?
Explain the structure of State Domestic Product (S D P) in Rajasthan State. Discuss its changes which have been made in last thirty years and its salient trends
- 3 राजस्थान राज्य की घरेलू उत्पाद के अनुमानों की विवेचना कीजिए और उसके ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की संक्षेपात्मक आलोचना कीजिए।
Discuss the estimates of the Domestic Products of Rajasthan state and critically examine the changes occurring in its structure
- 4 राज्य घरेलू आय पर एक निबंध लिखिए।
Write an essay on State Domestic Product
- 5 राज्य घरेलू उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं एवं आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the main characteristics and recent trends of State Domestic Product

C. विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न


(Questions of University Examinations)

- 1 राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ एवं संरचना समझाईए।
What do you understand by State Domestic Product? Give the trends and structure of State Domestic Product in Rajasthan



पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थाई विकास की समस्याएं

ENVIRONMENTAL POLLUTION & PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT



अध्याय एक दृष्टि में

- पारिस्थितिकी का मतुलन
- प्रदूषण
- विश्व में प्रदूषण की स्थिति तथा पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास
- भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास
- राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास
- सुस्थिर विकास की अवधारणा
- पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएं
- अभ्याससर्व प्रश्न

पारिस्थितिकी संतुलन

ECOLOGICAL BALANCE

मानव पर्यावरण में सदैव से ही रूचि लेता रहा है। इस कारण उसके वातावरण सम्बन्धी ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि इसे व्यवस्थित रूप देने के लिए पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान का विकास हुआ। यह विज्ञान इस तथ्य पर टिका हुआ है कि पौधे तथा प्राणी, दोनों ही एक-एक-दूसरे या समन्वित समुदाय के अभिन्न अंग हैं। पारिस्थितिकी (Ecology) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में अर्नस्ट हेल (Ernst Haeckel) नामक एक जर्मन जीव विज्ञानी ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकॉस (Oikos) में लिया गया है जिसका अर्थ है 'घर' या 'रहने का स्थान'। इस दृष्टि से पारिस्थितिकी या इकोलाजी में प्राणियों का उनमें रहने के स्थान पर अध्ययन किया जाता है।

विश्व में सभी प्राणी एक साथ रहते और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे अपने आस-पास के वातावरण से भी सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार ये प्राणी और वातावरण एक तंत्र के अंग बन जाते हैं। इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्राणि के अन्तर्गत जैव और अजैव वातावरण में प्रजातों का निर्माण एवं विनिमय चलता ही रहता है। यह इस

तंत्र के अंतर्गत पदार्थों का चर्मीकरण कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्वचालित होता है। यदि वातावरण में कोई भी बदलाव आता है तो जीवों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इससे पारिस्थितिकी सतुलन बिगड़ जाता है। यदि वातावरण में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है तो भी पारिस्थितिकी तंत्र अपनी क्षमता के फलस्वरूप सतुलन को बनाये रखता है। इस भाँति पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा परिवर्तन का विरोध करते हुये, सतुलन में बने रहने की प्रवृत्ति को ही पारिस्थितिकी सतुलन कहा जाता है।

मौभाग्य या दुर्भाग्य से मानव मस्तिष्क अत्यन्त विकसित हो चुका है। अपनी क्रियाओं के द्वारा वह पारिस्थितिकी सतुलन को नष्ट करने पर तुला हुआ है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वह प्राकृतिक सतुलन के स्थान पर अपना कृत्रिम सतुलन स्थापित करने की चेष्टा, जाने या अनजाने में, निरन्तर कर रहा है। मनुष्य में अभी तक वह क्षमता विकसित नहीं हो पाई है जिससे वह पारिस्थितिकी सतुलन के स्थान पर कृत्रिम सतुलन स्थापित कर सके। न ही मनुष्य को इस बात का पूरा ज्ञान है कि वह पारिस्थितिकी सतुलन से जो छेड़छाड़ कर रहा है, भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। भविष्य को पूरा का पूरा जान पाना मनुष्य की क्षमता और योग्यता से बाहर की बात है। इस कारण पारिस्थितिकी सतुलन में बदलाव की कोई भी चेष्टा उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, विशेषकर प्रदूषण के माध्यम से इस पारिस्थितिकी तंत्र को तोड़ने का जो प्रयास मानव कर रहा है, वह प्रयास अतन्त उसी के लिए घातक होगा।

प्रदूषण

POLLUTION

प्रकृति के पर्यावरण की रचना वायु, पानी, मिट्टी वास्ति, पशु पक्षी एवं समस्त प्राणी जगत् मिलकर करते हैं। ये सभी घटक पारस्परिक सतुलन बनाए रखने के लिए एक - दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग किया जाता है और ऐसा करते समय यदि प्रकृति के सतुलन और विनाश की गति में सामंजस्य नहीं बनाये रखा जाता तो पर्यावरण में ऐसा भीषण असतुलन उत्पन्न होने लगता है जिससे पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों पर संकट मड़राने लगता है। इसी असतुलन से वायु, जल आदि के माध्यम से पर्यावरण की प्राकृतिक जीवन शक्ति में एक विष या घुलन लगता है। प्राकृतिक असतुलन से उत्पन्न इस घातक विष का नाम प्रदूषण है। एम. सी. मित्तल इंदिरा गांधी के अनुसार - "यह दुःख की बात है कि प्रगत प्रकृति

पर आक्रमण की पर्यायवाची बन जाए।" इस संदर्भ में ठीक ही कहा गया है, "यदि हम पियानो पर संगीत की भृश धुन सुनना चाहे तो हमे हमारे दोनों हाथों की दमो अगुनियों का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम उन अगुनियों को क्रमबद्ध न चलाए तो पियानो से निकलने वाली धुन वालाहल में बदल जायेगी। पर्यावरण में जीवन जीने का जो संगीत है, वह भी इसी प्रकार का है।"

स्वच्छ पर्यावरण प्रकृति का अनुशासित व सतुलित रूप है। यह अनुशासन भंग होने अथवा सतुलन बिगड़ने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतः पर्यावरण या पारिस्थितिकीय तंत्र के किसी भी घटक में भौतिक अथवा रासायनिक तत्व जो अन्य घटक (जीव या निर्जीव) पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करें प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण एक ऐसी अवाछनीय स्थिति है जहाँ भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के द्वारा हवा, जल और धरातल अपनी गुणवत्ता खो बैठते हैं। ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं। प्रगति रुक जाती है और सांस्कृतिक जीवन को क्षति पहुँचती है। आजकल मनुष्य स्वयं ही अनेक प्रकार के जहरीले तत्व पर्यावरण में फैला कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण और वायुमण्डल को दोषपूर्ण बना रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण आधुनिकता की देन है। इसके प्रहार से वायु व जल जैसे जीवनदायी तत्व भी अपने गुण खोने जा रहे हैं। वनस्पतियाँ विनष्ट हो रही हैं और मौसम व स्वभाव बदल रहा है। वस्तुतः प्रदूषण आज की सर्वाधिक जलन समस्या है और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है।

प्रदूषण के प्रकार

Forms of Pollution

प्रदूषण की विविधता और इनकी उत्पत्ति की विविध परिस्थितियाँ पर्यावरणीय परिवर्तनों व व्यवस्थाओं तथा प्रकृति के तत्वों की सहज सीमा के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है -

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 वायु प्रदूषण | 2 जल प्रदूषण |
| 3 ध्वनि प्रदूषण | 4 भू प्रदूषण |

(अ) वायु प्रदूषण

Air pollution

यह सभी प्रदूषणों में अधिक हानिकारक प्रदूषण है। पृथ्वी में एक मील ऊपर और एक मील नीचे तक मृष्टि के

लगभग 90% जीव सास लेते हैं। पृथ्वी के इस कटिबंध में उपयोगी गैसों जैसे-ऑक्सीजन, कार्बनडाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि का स्वतंत्र रूप से सतुलन चक्र निरंतर गतिशील रहता है। जनमरुखा के अधिक दबाव, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण यह चक्र असंतुलित होता जा रहा है। डॉ. रघुवर्षी के अनुसार- "वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अव्यक्त परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक उपक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का हानि पहुँचे या हमारी प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हो या उसकी हानि पहुँचे, वायु प्रदूषण कहलाता है।" एक सामान्य मनुष्य अपनी सास के माध्यम से 16 किलो हवा रोजाना ग्रहण करने के लिए 22000 बार नास लेता है। अतः मानव जीवन में वायु प्रदूषण का अर्ध मानव जीवन को नष्ट करना ही होता है। इसके एक मशहूर उदाहरण का वर्णन करते हुये लिखा गया है "एक सुबह आयी, वह अपकारमय सुबह 3 दिसम्बर 1984 की थी। इस दिन एक भी चिड़िया नहीं चहचहाई। ऐसा मनाया फिर आया कि घडकन बंद हो गई। अजीब सी लडपन से स्त्री-पुरुष ही नहीं, नन्हे मुन्ने जो पल भर जहले मंचे से खेल रहे थे, अचानक कराहकर दम तोड़ गये, सब कुछ वीरान हो चुका था। तमाम जानवर गाय, भैंस और बरियारा चुपचाप बे-आवाज मौत की गोद में लुहक गये। नहीं यह किसी दैत्य का श्राप नहीं था, किसी जुड़ैल या जिन का कानामा नहीं था, न ही किसी दुश्मन से जग छोड़ी थी। यह हैरतनाक कहर हमने खुद अपने ऊपर दाया था। यह हकीकत किसी और देश की नहीं, बल्कि हमारे ही शहर भोपाल की है।" वायु प्रदूषण से होने वाली क्षति की तो यह घटना एक सकेत मात्र है, वास्तविक क्षति का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता।

जब वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। वायु प्रदूषकों का मिश्रण अनेक प्रकार के से होता है, जैसे - बड़े-बड़े कारखानों की विमिनियों से उठने वाला विषैला धुआँ स्फूटर, कार, ट्रक, बस रेलवे इंजिनो से निकलने वाली गैस व धुएँ भट्टियों व घर में जलने वाले कोयले से निकलता धुआँ, कार्बन डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक-ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि से युक्त होता है। मानवीय गतिविधियों से उठने वाली धूल आदि भी हमारे आस-पास की वायु को निरंतर दूषित कर रही है। इसमें सास व दिल सददी अनेक बीमारियाँ होने का सम्भावना रहता है। मल्पर-डाई-ऑक्साइड फेफड़ों, आँखों तथा त्वचा के लिए घातक है। जिन नगरो की वायु में कंडामिपम कणों की

सांद्रता अधिक है, वहाँ हृदय रोग से मरने वालों की संख्या भी अधिक है। जापान के टोकियो शहर में नद्योगों से इतनी अधिक मात्रा में धुआँ निकलता है कि फ्यूजी पर्वत वर्ष में केवल 40 दिन ही दिखाई देता है।

वायु प्रदूषण के कारण Causes of Air Pollution

1 प्राकृतिक कारण (Natural Factors) - वनों में आग लगने के कारण उत्पन्न धुआँ तथा तूफान व आंधी के कारण उड़ती हुई धूल और ज्वालामुखियों में निकली राख आदि के कारण वायु प्रदूषित होती है। दलदल भी वायु को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक कारणों से हुये वायु प्रदूषण का मानव समाज पर प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत कम होता है और प्रकृति स्वयं ही कुछ समय में इसका उपचार कर लेती है।

2 उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण (By Industries)
औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। वस्त्र उद्योग, धातुकर्म सबका उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल-शोधन उद्योग, गन्ना उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, बपडा उद्योग तथा शक्कर उद्योग आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इन उद्योगों द्वारा त्पायी गई गैस, धुआँ आदि वायुमंडल में पहुँचकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। उद्योगों के कारण अमेरिका का वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। वहाँ स्कूलों के खुले मैदानों पर लिखी यह चेतावनी, "सावधान! अत्यधिक धुएँ की स्थिति में कमरत न करें या गहरी सास न लें।" वायु प्रदूषण का स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार जापान के टोकियो शहर के घरों को अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण जालीदार मुछौटा पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। भारत में मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर आदि शहरों में उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है।

23 दिसम्बर, 1984 की मध्याह्न में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड के कारखाने के एक मशर से दुर्घटना के कारण निकली गैसों में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस घटना को "भोपाल गैस त्रायदी" की मशर दी जाती है। सत्कारों आकड़ों के अनुसार इस घटना में लगभग 2000 व्यक्ति मारे गये। उस रात भोपाल ने माने एक गैस चैम्बर का रूप ले लिया था। लोहा लोहे-मचौड़े की तरह पर रहे थे।

3 वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण (By Vehicles)
आधुनिक वाहनों जैसे - माटरकार, बस ट्रक स्फूटर आदि

में पेट्रोल व डीजल आदि ईंधनों का प्रयोग होता है। जिनके जलन में निश्चला धुआँ वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों के धुएँ में विभिन्न प्रकार का जहरीला गैस होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। 1952 में लंदन शहर वायु प्रदूषण के कारण भूरा के रासायनिक धुएँ की वृद्धि चारों ओर 5 दिनों तक घिरा रहा। इससे लगभग 4000 व्यक्ति का मृत्यु हो गई और अनेक लोग श्वसन व हृदय रोग में पीड़ित हो गए। जपान की राजधानी टोकियो में वाहनों से इतना अधिक वायु प्रदूषण होता है कि यातायात सिपाही का थोड़ी-थोड़ी दूर में आकस्मिक ग्रहण करने के लिए आक्साजन मशीनों के पास जाना पड़ता है। भारत के सभी बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है।

4 घरेलू कार्यों से वायु प्रदूषण (By Domestic work) भाँजन पकाने व पाना गर्म करने जैसे घरेलू कार्यों में कायला मिट्टी का तल गैस आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके कारण उत्पन्न धुएँ में कार्बन डाई-आक्साइड सल्फर डाई-आक्साइड और कार्बन-मोनो आक्साइड आदि गैस होती है जो वायु को प्रदूषित करता है। दहन प्रक्रिया में वायु की आक्साजन भी उपयोग में लाई जाती है अतः इससे वातावरण में आक्साजन का मात्रा कम हो जाता है। घरेलू कार्यों में उत्पन्न धुएँ के कारण वायु प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इस संबंध में मद्रास राज्य में वर्ष 1972 में एक सर्वेक्षण सम्पन्न (1972) में कहा गया था "ईंधन की लकड़ा गादर कड़ खेतों का कचरा और घास घूम आदि जलन में कार्बन मान-आक्साइड सल्फर डाई-आक्साइड नाइट्रोजन-आक्साइड ओजोनिकम आदि तत्व निकलते हैं व (अन्य तत्वों की तुलना में) बहुत ज्यादा है।"

5 ताप विजलाघरों से वायु प्रदूषण (By Thermal Power Stations) ताप विद्युत्‌गृहों में अत्यधिक मात्रा में कायल का प्रयोग होता है। इसमें उत्पन्न धुएँ में सल्फर डाई-आक्साइड आदि गैस होता है। कोयले की गंध का प्रायः बहर फैंक दिया जाता है जो वायु को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए क्वल टिल्ला में इन्ड्रप्रैश स्थित ताप विद्युत्‌गृह में प्रतिदिन 45 टन कार्बनिक 60 टन सल्फर डाई-आक्साइड और 85 टन फ्लोई एरा आदि व्यर्थ उत्पन्न होता है। भाग में यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। क्या कि देश के अधिकांश ताप विद्युत्‌गृह कायल से ही चलते हैं। विद्युत्‌गृहों से निकलने वाले पदार्थों का फैंकना का सम्मान भाँ गंभीर रूप धरना पड़ता है।

6 कृषि कार्यों से वायु प्रदूषण (By Agricultural Works) आधुनिक युग में फसलों को नुकसान पहुँचाने

वाले कीटों आदि को समाप्त करने के लिए कीटनाशक औषधियों का छिड़काव किया जाता है। एमा छिड़काव वायुमयनों के द्वारा भी किया जाता है। अतः इस छिड़काव में विषैले रसायन वायुमण्डल में फैल कर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों का कचरा जलन व अनाज साक कराने आदि से भी कुछ मात्रा में प्रदूषण होता है।

7 दुर्घटना से वायु प्रदूषण (By Accident) दुर्घटना के कारण होने वाला वायु प्रदूषण प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न कर सकता है क्योंकि रसायन कारखाना आणविक स्टेशन व आयुध निर्माण करने वाले कारखानों में इतनी अधिक विषैली सामग्री होती है कि थोड़ी सी गलती के कारण हुई दुर्घटना से जल जीवन अस्तव्यस्त हो सकता है। भापाल गैस त्रासदी इसका उदाहरण है। इस गैस काण्ड में यहाँ की वायु इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इस सुधार में बहुत समय लगेगा।

8 रेडियोधर्मी प्रदूषण (Radio Activity) परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण हेतु किया जा सकता है लेकिन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में इस शक्ति का प्रयोग करके जर्मन व जापान की व हिरोशिमा को क्षणभंग में दो क्षणों में नष्ट कर दिया। इसमें अनेक किलोमीटर तक समस्त वनस्पतियाँ व जल जल समाप्त हो गए और लाखों व्यक्ति मृत्यु के शिकार हुए। इस विस्फोट का प्रभाव आज तक विद्यमान है। इस संबंध में आइन्स्टीन ने कहा था "मानव परमाणु शक्ति का योग्य नहीं है। विस्फोटक व रेडियोधर्मी किरण निकलती है जो वायु तथा जल तरंगों द्वारा बहुत दूर-दूर तक फैल जाती है और रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करता है। इस विकिरण के प्रभाव से जावधारियों का सतर्क विज्ञान पैदा होता है। यह विकिरण पौधों तथा जानवरों में होकर मानव शरीर में पहुँचकर स्थिर तौर पर क्षति पहुँचता है।

9 अन्य कारण (Others) वायु प्रदूषण के अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं।

- (1) महानगरों की स्थिति व विस्तार वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है।
- (2) बचर का एकत्रित कर जलान में उत्पन्न धुएँ व कचरे वायु प्रदूषण होता है।
- (3) त्यौहार व विवाह के अवसर पर पटाखे आदि जलान से रासायनिक गैस व धुएँ के कारण वायु प्रदूषित होता है।
- (iv) सड़क पट्टियाँ व पौतियाँ के कारण भी वायु प्रदूषित होती है।
- (v) परमाण्विक ऊर्जा परियोजनाओं के कारण भी वायु

प्रदूषित होती है।

- (vi) कच्ची सड़कों पर आवागमन के कारण वायु प्रदूषित होती है।
- (vii) धूलदान से भी वायु प्रदूषित होती है।
- (viii) मार्गजनिक स्थलों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने के कारण वायु प्रदूषित होती है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय Remedies

- 1 घरेलू कार्यों के लिए धुआरहित ईंधन जैसे- विद्युत हीटर कुकिंग गैस आदि का उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- 2 उद्योगों में कम प्रदूषण वाली तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 3 कोयले में जलने वाले गैल इन्जनों के स्थान पर विद्युत इन्जनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 4 कारखानों की विमानियों की ऊँचाई पर्याप्त होनी चाहिये ताकि आम-जन के क्षेत्रों में कम से कम प्रदूषण हो।
- 5 वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक किया जाना चाहिये तथा पुराने वाहनों को मुख्य मार्ग पर चलाने की पावती लाना देनी चाहिये।
- 6 वाहनों के धुएँ का एक निश्चित स्तर तक सीमित रखने के लिए समर्पित कानून बनाया जाना चाहिये।
- 7 नवीन तकनीक के द्वारा ऐसे वाहनों का निर्माण किया जाना चाहिये जिनमें कम-से-कम प्रदूषण हो। भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण (नियंत्रण व नियंत्रण) अधिनियम पारित किया। इसके अतिरिक्त अनेक अनुसंधान व शोध संस्थानों में वायु प्रदूषण से सम्बंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं।

(व) जल प्रदूषण

Water Pollution

यह ज्ञात होना आवश्यक है कि पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल है। स्थानीय भू-संग्रहण एवं स्थितियों के अनुसार जन में विभिन्न लक्षण घुले रहते हैं। कृत्रिम-कारखानों द्वारा प्रयोग के बाद प्रवाहित जल में अनेक लक्षण धारण एवं विरहित गैसें घुल जाती हैं जो जल को दूषित कर प्राणी मात्र की शारीरिक क्रिया पर दुष्प्रभाव डालने लगती हैं। गोधे के अनुसार- "प्रत्येक वस्तु जल में ही उत्पन्न हुई है तथा प्रत्येक वस्तु जल द्वारा ही प्रोत्पन्न होती है।" अतएव जल के बिना जीवन संभव भी नहीं है। मानव स्वतः का 80% भाग भी पानी ही है। यह मानव शरीर में परिभ्रमण करते हुए मानव को शरीर को स्वस्थ रखता है। जब जल में किसी

बाहरी अवाञ्छित पदार्थ का प्रवेश होने से उसके गुणों में कमी आ जाती है तो वह जल प्रदूषण की स्थिति में होता है। औद्योगिक एवं कृषि अवशिष्ट, तेल आदि पदार्थ जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। जल प्रदूषण से मानव तो प्रभावित होता ही है, पौधे व जलीय जीव भी नष्ट हो जाते हैं। डॉ. रघुवर्शी ने जल प्रदूषण का अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है

- (अ) "प्राकृतिक जल में किसी अवाञ्छित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिसमें जल की गुणवत्ता में अवनति आती हो जल प्रदूषण कहलाता है।"
- (ब) "विशिष्ट रूप में किसी जलाशय का प्रदूषण की परिभाषा उसमें ऐसे लक्षणों वाले पदार्थों के प्रवेश तथा इतनी मात्रा में प्रवेश से ही आ सकती है जो उसे दिखावट, गंध या स्वाद में अल्पतमक बना दें।"
- (स) "जल में किसी ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लक्षण की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं जो उसके गुणों को इस प्रकार प्रभावित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाये अथवा उसकी उपयोगिता कम हो जाये।"
- (द) "मानवकृत परिवर्तनों से जल की वास्तविक अथवा संभावित उपयुक्तता में हानिकरण हो जल प्रदूषण है।"
- (य) "जल में किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का जो जो जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को प्रभावित कर, उसे उपयोग विशेष के लिए अनुपयुक्त बना दे जल प्रदूषण कहलाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जल प्रदूषण को चार भागों में बाटा जा सकता है -

- 1 भौतिक प्रदूषण इसमें जल की गंध, स्वाद व ऊष्मीय गुणा में परिवर्तन हो जाता है।
- 2 रासायनिक प्रदूषण यह मुख्यतः जल में विभिन्न उद्योगों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण होता है।
- 3 जैव प्रदूषण यह जल में विभिन्न रोगजनक जीवों के प्रवेश के कारण होता है। इसमें जल मानव के लिए उपयोगी नहीं रहता है।
- 4 शरीर क्रियात्मक प्रदूषण इसका आशय जल के गुणों में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो मानव शरीर की क्रियाविधि को हानि पहुंचाते हैं।

जल प्रदूषण के कारण

Causes of Water Pollution

- (1) घरेलू कार्यों से जल प्रदूषण (By Domestic works) - घरेलू कार्यों (खाना पकाना, नहाना, धोना, सफाई

आदि) से जल प्रदूषित होता है। फल व सब्जियों के छिलके, चूल्हे की राख, कूड़ा-करकट, कपडों के टुकड़े गदा जल आदि नालियों में बहा दिये जाते हैं। ऐसे जल को मलिन जल कहा जाता है। यह जल जब नालियों द्वारा जलस्रोतों में मिल जाता है तो वहां के जल को भी दूषित कर देता है। घरों में मच्छरो आदि के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जल में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। ऐसे पदार्थ यदि किसी जलस्रोत में पहुँच जाते हैं तो वहां काफी समय तक बने रहते हैं।

2 मलमूत्र से जल प्रदूषण (By Human waste) - घरेलू व सार्वजनिक शौचालयों से निकला हुआ मलमूत्र व जल नालियों के द्वारा किसी जल स्रोत में मिलता है तो गंभीर जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। ऐसे प्रदूषण को जैवीय प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे जल से टाइफाइड बुखार, पोलियो, हैजा, पेचिश व आंत्रशाथ आदि रोग हो जाते हैं। यह जल तार्वी रोग को भी बढ़ावा देता है। उष्ण कटिबंधीय राष्ट्रों में इस रोग से लगभग 35 करोड़ व्यक्ति ग्रसित हैं। विश्व की अधिकांश नदियां व झील, महानगरों से निकले हुये गंदे जल व मल-मूत्र से कूड़ापात्र बन गयी है। अनेक नदियां व झीलें तो इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें मछलियों का जीवन दूबर हो गया है।

3 उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण (By Industries) - अधिकांश उद्योगों में जल का अत्यधिक उपयोग होता है। ऐसे उद्योग प्रायः नदियों या जलाशयों के किनारे स्थापित किये जाते हैं। इन उद्योगों का व्यर्थ जल को नदियों व जलाशयों में ही बहा दिया जाता है जिससे उनका जल प्रदूषित हो जाता है। यही कारण है कि भौगोलिक प्रगति के साथ-साथ जलस्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं। उद्योगों से निकले व्यर्थ जल में पारा व लवण जैसे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार टन पारे का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से लगभग 5 हजार किसी-न-किसी रूप में पर्यावरण में प्रविष्ट हो जाता है। मिनीमेटा खाड़ी की दुर्घटना पारा विषकरण की घटना का एक ज्वलन्त उदाहरण है। यह खाड़ी जापान के समुद्री तट की खाड़ी है। 1950 में इस क्षेत्र के मछुआरों मछलियों का उपयोग करने से, अचानक अनेक रोगों से ग्रसित हो गये थे।

4 कृषि कार्यों से जल प्रदूषण (By Agricultural work) - दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी के कटाव को बढ़ावा मिलता है, वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी बहकर नदियों व जलाशयों में पहुँच जाती है जो न केवल

जल को प्रदूषित करती है, वरन् जलमार्गों को भी अवरूद्ध कर देती है। उर्वरकों व कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से भी जल प्रदूषित हो जाता है। रेचल वारस ने अपनी पुस्तक 'साइलेन्ट स्प्रिंग' में लिखा है, 'हमारे द्वारा बिना विचार किये जाने वाले कीटनाशक औषधियों के अंधाधुंध लगातार उपयोग से एक वर्ष ऐसी बमन ऋतु आ सकती है, जिसमें एक भयावह स्तब्धता व्याप्त हो। उदाहरण के लिए, सब चिड़िया कहां गई, लोग उनके बारे में चिन्तित होकर आपस में यह पश्न पूछेंगे।'

5 तापीय प्रदूषण (Thermal pollution) - अनेक रिप्टरों के अति-तापन के निवारण हेतु नदियों व जलाशयों के जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से गर्म हुआ जल पुनः नदियों व तालाबों में छोड़ दिया जाता है जिससे नदियों व तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है। इसे तापीय प्रदूषण कहा जाता है। इससे जलस्रोतों के जल का तापमान भी बढ़ जाता है। परमाणु शक्ति चलित विद्युतउत्पादक मयंत्रों से भी तापीय प्रदूषण होता है।

6 तैलीय प्रदूषण (Pollution by Oil) - विभिन्न उद्योगों से निकले तेल व तैलीय पदार्थों के जल स्रोतों में मिलने से तैलीय प्रदूषण होता है। अमेरिका की क्वारोगा नदी में इतना अधिक तैलीय प्रदूषण हो चुका है कि इसे जलनशील नदी कहा जाता है। समुद्र में तेल प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है। जलयानों द्वारा व्यर्थ पदार्थ का त्याग, तेलवाहक जहाजों में दुर्घटना तथा समुद्र में तेल की खोज आदि कारणों से तेल प्रदूषण बढ़ता है। इराक - अमेरिका युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में खनिज तेल के फैलाव के कारण वहां का जल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। इससे समुद्रों जीवों का जीवन दूबर हो गया है।

जल प्रदूषण निवृत्तन के उपाय

Remedies

- 1 गंदे जल को नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिये।
- 2 पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार बनानी चाहिये, ताकि गदा जल प्रवेश न कर पाये।
- 3 नदियों व तालाबों में पशुओं को नहलाने पर रोक लगा देनी चाहिये।
- 4 जल स्रोतों में नहान व कपड धोने पर रोक लगा देनी चाहिये।
- 5 घरों में निकलने वाले गंदे जल को शाश्वत कर्मों के परधान ही जल स्रोतों में छोड़ा जाये।

- 6 कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं किया जाना चाहिये।
- 7 जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिये तथा पहले से स्थापित उद्योगों के व्यर्थ जल को शोधन के पश्चात् ही जल स्रोत में छोड़ना चाहिये।
- 8 जनसाधारण को जल प्रदूषण के रोकथाम की विधियों की जानकारी दी जानी चाहिये।
- 9 समय समय पर जल स्रोतों की मरवाई की जानी चाहिये।
- 10 ऐसे मछलियाँ जल स्रोतों में छोड़ी जानी चाहिये जो विषैले जीवों (सर्पों व मछुओं के अंडे आदि का) भक्षण करती हों।

भारत में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974 के अनुसार एक केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई है। अनेक राज्यों में भी ऐसे मंडलों की स्थापना की गई है। 1981-90 के दशक को भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता दशक ' के रूप में मनाया था।

(स) ध्वनि प्रदूषण

Noise Pollution

कल-कारखानों यातायात आदि के कारण उत्पन्न शोर पर्यावरण की शान्ति को भंग करता है व मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। 'ध्वनि प्रदूषण' शब्द ही मानव के कार्य आराम नींद व वार्तालाप में व्यवधान डालता है। यह मानव की श्रवण शक्ति को नुकसान पहुँचाता है तथा उम्रमं अनज प्रकार की मनोवैज्ञानिक व शारीरिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती है। किन्तु ध्वनि प्रदूषण की जटिल प्रकृति विभिन्न प्रकार एवं इससे अन्य पर्यावरणीय तत्वों से अजसम्बन्ध व कारण स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को आसानी से नहीं जाना जा सकता। यह तो सत्य है कि यदि व्यक्ति बहुत देर तक शोर में रहे तो कुछ शारीरिक व मानसिक दानरियाँ पर कर लगें हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार - शरणरुद्ध में 35 डेसिबल बाहरी वातावरण में 55 डेसिबल तथा सभागा कक्ष व कक्षाओं में 45 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिये। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गये एक अध्ययन में ज्ञात हुआ कि शोर के कारण व्यक्ति व श्रवण शक्ति के क्षय के अतिरिक्त शैथिल्य अल्प व तनाव आदि भी विकसित हुये। इस प्रकार मनुष्य के लिए अर्वाचित ध्वनि है। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉन का इस संदर्भ में यह कथन किताब सत्य है कि "एक दिन एमा आयोगा जब मनुष्य के स्वास्थ्य के बचने बुरे शत्रु

के रूप में निर्दयी शोर से सघर्ष करना पड़ेगा।"

अवाञ्छित तेज आवाज जो मानव की श्रवणशक्ति, स्वास्थ्य व आराम को वष्टदायी बनाती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण नगरीकरण की देन है। मोटर-कारों, उद्योगों आदि के कारण उत्पन्न शोर मानव जीवन के लिए हानिकारक निम्न हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मानव की नाड़ियों पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसमें हृदय रोग, रक्तचाप आदि कष्ट होने की प्रबल सम्भावना रहती है। विश्व के महानगर ध्वनि प्रदूषण में इतने आक्रांत हैं कि एक बड़ी जनसंख्या बहरी होती जा रही है। डॉ. सेमुअल रोजन ने ठीक ही कहा है, "आप चाहे शोर का क्षमा कर दें पर आपकी धमनियाँ नहीं करेंगी।" शोर की अधिकता से वार्तालाप में विघ्न, कार्यक्षमता में कमी, सन्तानहीनता आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। डॉ. लेविस सोन्टेन के अनुसार- अजन्मे बच्चे पर भी ध्वनि प्रदूषण के घातक प्रभाव हो सकते हैं। प्रबल तीखे शोर द्वारा अजन्मे भ्रूण का समूचा आवरण तथा जीवन के भावी समायोजन का तरीका तक परिवर्तित किया जा सकता है। वस्तुतः शोर मनुष्य को समय से पूर्व ही बूढ़ा कर देता है।

ध्वनि प्रदूषण के कारण

Causes of Noise Pollution

1 प्राकृतिक कारण (Natural Factors) बादलों की गडगडाहट विजली की कड़क, भूकम्प व ज्वालामुखियों से उत्पन्न ध्वनियाँ तूफानी हवाएँ तथा पहाड़ों से तीव्र गति से जल गिरने की ध्वनि आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है लेकिन यह शोर क्षणिक होता है, अतः बहुत अधिक हानिकारक नहीं होता है।

2 उद्योगों व मशीनों से ध्वनि प्रदूषण (Industry & Machines) - आधुनिक युग में कल-कारखानों में विशाल मशीनों व यंत्रों के प्रयोग के कारण शोर प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। इसमें मजदूर वगैरह सर्वाधिक प्रभावित होता है। इनके अतिरिक्त भवन निर्माण व सड़क निर्माण आदि कार्यों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

3 परिवहन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण (Means of transportation) - सड़क परिवहन के अतर्गत मोटर-कार, बस, ट्रक, रेल व स्कूटर आदि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। महानगरों में यातायात बढ़ने के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। सबसे अधिक शोर ट्रकों व भारी वाहनों में होता है। हवाई अड्डों के आस पास वायुयानों का शोर अत्यधिक तीव्र होता

है। जैट विमानों तथा सुपरसोनिक विमानों का शोर क्षेत्र में अधिक व्यापक होता है।

4 मनोरंजन के साधन व सामाजिक कार्यों से ध्वनि प्रदूषण (Entertainment & social work)

ध्वनि जो किसी मानव के लिए आनन्ददायक होती है, किसी दूसरे के लिए शोर सिद्ध हो सकती है। बृद्ध लोग तेज आवाज में गेडियों व टेप अदि सुनते हैं तो इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। सामाजिक उत्सवों में प्रायः तेज आवाज में संगीत व भजन प्रसारित करने का प्रचलन है। विभिन्न अवसरों पर पटाखे भी चलाये जाते हैं, जो भीषण व कर्करा शोर उत्पन्न करते हैं। नृत्य व हड़तालों के समय तेज आवाज में लाउडस्पीकरों के द्वारा भाषण दिये जाते हैं। इन सबमें शोर बढ़ जाता है जो मानव के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
Remedies

- 1 पुराने वाहनों के मुख्य भागों में निक्लन पर रोक लगा देने चाहिये।
- 2 कारखानों की स्थापना शहरों में पर्याप्त दूरी वाले स्थानों पर की जानी चाहिये।
- 3 वाहनों में तेज ध्वनि एवं बहुध्वनि वाले हॉर्न पर रोक लगाई जानी चाहिये।
- 4 उद्योगों से उत्पन्न शोर कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- 5 मशीनों के सन्ने गूठ ग्वाव में शोर को कम किया जा सकता है।
- 6 जिन कारखानों में शोर में कमी करना अगम्य हो, वहाँ के श्रमिकों के लिए कर्णप्लग व कर्ण बन्दकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिये।
- 7 विमानों को विशेष दाय पर उतारा जाना चाहिये तथा हवाई अड्डों पर अधिकतम शोर सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
- 8 कार्यलयों व आवासगृहों में उचित निर्माण सामग्री व उपयुक्त प्लावट व शोर का कम किया जाना चाहिये।
- 9 ध्वनि प्रदूषण का गन्तव्य एवं अनुसंधान पर प्रयास किया जाने चाहिये।

(द) भू- प्रदूषण

Land Pollution

शब्द भूमि में मिट्टी व स्थनाध्वनि का सम्मिलित किया जाय है, लेकिन रिम्नू दृष्टिगत से अनुसंधान इनमें किसी स्थान विशेष के सभी भौतिक लक्षणों का समावेश

किया जा सकता है। हेनरी प्रैडिक एमिल के अनुसार- "कोई भी दृश्य भूमि आत्मा की स्थिति की ही अभिव्यक्ति है।" जब भूमि में प्रदूषित जल रसायनयुक्त कीचड़, कूड़ा, कीटनाशक दवा और उर्वरक अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें भूमि की गुणवत्ता घट जाती है। इसे भू-प्रदूषण कहा जाता है। भू- प्रदूषण की घटना भी आधुनिकता की देन है। डॉ. खुबरी के शब्दों में "भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवाञ्छित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भू-प्रदूषण कहलाता है।" पृथ्वी के धरातल का लगभग चौथाई भाग ही भूमि है, लेकिन इसका केवल 280 लाख वर्ग मील क्षेत्र ही आवास्य व खेती योग्य भूमि के रूप में है। अतः पृथ्वी पर उपयोग योग्य भूमि सीमित है। हर दृष्टि में मानव का भूमि के प्रति दृष्टिकोण समझदागे पूर्ण होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं है। मानव अनेक प्रकार से भूमि को प्रदूषित कर रहा है अतः भू-प्रदूषण मानव का भूमि के प्रति अविदकपूर्ण व्यवहार का ही एक उदाहरण है।

वायु में भू-प्रदूषण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। मेगिस्तान में टीनों का एक स्थान में दूसरे स्थान तक वायु के वेग में स्थानान्तरण एक मामान्य बात है। अधिः आर्द्रता व वर्षा वाले क्षेत्रों में भू-भरण हो जाता है। वायु के वेग से भूमि की कई ऊपरी परतें अपने स्थान से मोलते दूर नली जाती है। अतः भू-प्रदूषण तीव्र गति से होता है।

भू-प्रदूषण के कारण

Causes of Land Pollution

1 कीटनाशक व उर्वरक (Pesticides & fertilizers) - कीटनाशक व उर्वरक भू-प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इनके प्रयोग से फसलों की प्राप्ति ता हो जाती है, लेकिन जब ये तत्व भूमि में एकत्रित हो जाते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं। इससे मिट्टी का तापमान प्रभावित होता है और उसके पोषक तत्वों में गुण कम हो जाता है, विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या व कृषि के व्यापारिकरण व साथ-साथ कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार कीटनाशक अपना रूप बदल कर फसलों में हानि दायक मानव व पशुओं पर पहुँच रहे हैं और म्याम्बू का क्षति पहुँचा रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष कीटनाशक से मरण भ्र जाते हैं।

2 घरेलू अपशिष्ट (Domestic waste) - कूड़ा - फसल गन्ना वृद्धन रूपों काच पत्तिया गन्ना अपशिष्ट लकड़ी, काच व चोना मिट्टा व टूट हुए बर्तन, चुल्ह की

गख कणड क टुकड टान क डरव मडे गल फन व मखररर अडा क डरलक आडर अनक प्रवरर के वर्यर पदर्यर मरटरा म मरलकर भू-प्रदूषण का बढावा दत है। भारत के शहरा क्शा म एस अनक पदर्यर का मात्रा लरभग डड कणड टन प्रतिवर्ष हाता है। मुसुफा कमार तुरुवा के अनुसार गगव दश अरुनरराथार ककर टाकरररर बन गये है।

3 औद्योगरक अपशरषट (Industrial waste) उद्यारगु स नरकले वर्यर पदर्यर करमी न कसरर रूप म भू प्रदूषण का करण बनत है। ये पदर्यर ज्वलनशरल वरथैल व दुर्गन्धयुक्त हात है और सथान घरत है। उद्यारग क प्रवन्धक इन पदर्यर वर गृ हरी भूमर पर फैक दत है। अत औद्योगरक क्शर के आस पाम वर्य पदर्यर का दर लय जात है। वर्यर जल के मथ बहकर आये य पदर्यर दूर-दूर तक का भूमर का प्रदूषरत कर दते है अत भूमर की गुणवत्ता म कमा हात लगता है। वररररर ररषट के महानगरु का कृषर भूमर इतनी अधरक प्रदूषरत ह्य गई है कर वहा वरकसर क प्रति आन्दरलन उभरने लगा है।

4 नगरपालरका अपशरषट (Municipal waste) इसरके अतगत मुखत कूडा-करकट मानव मल सब्बा बाजार क मड गल फन व मखररर का कररर बाग-बागार का कररर उद्यारग मडका नरलरर व गगरर का कररर मास व मडलता बाजार का कररर मर हुय जानर व वनशरधान का कररर आररर का सामानरत कररर जात है। इन मररर भ प्रदूषण हाता है इन अपशरषटा क समपन व व्यवस्था क लरर नगरपालकररर का अत्यधरक धन भा व्यय कररर पडता है।

5 अन्य कररण (Other Causes)

- (1) कृषर अपशरषटा (वर्यर घास फूस तथा उवरक और ककररररर औषधररु) क कररण भा भू प्रदूषण हाता है।
- (2) नगा का कम व अधरररर स भी भूमर प्रदूषरत हाता है एय स्थरत म लवा का मात्रा बट जात है अत भूमर म ऊसर क गुण अररत है।
- (3) भू प्रदूषण क लरर कुछ सूक्ष्म जाव भा उतरगदाय हात है इनर वरकसरररर प्रमुख है।

भू प्रदूषण नरररत्रण क उचार

Remedies

- (1) कृषर ररषट व अपशरषटा क समुकरन शररर कररर जात लरर।
- (2) कृषर कान म डड लरर नरररर एरररर तथा डालडन ककररर लरर लरर रररर लरर लरर लरर।

(3) नगररररु के चाहरर कर वे कूडा-करकट मडक पर न फेंके।

(4) अररररर शरुवालरु के स्थान पर ररररर शरुवालरर का नरररण कररर चाहरर।

(5) अपशरषटरु क नररररर कुर शररररररता दी जाना चाहरर।

(6) नगररररु के सफरई क प्रति चररता जागृत कररर चाहरर।

(7) भू सूकरण कुर ररकने के उचार कररर चाहरर।

वररर म प्रदूषण की स्थरत तथा पाररस्थरतकी सतुलन के प्रचार

POLLUTION IN THE WORLD AND EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थरत

Position

वररर बैक के एक शरष पत्र आटामोटरर एयर पाल्युशन इरयूज एण्ड अपररस पार डैवरनरर कटाड क अनुसार ताररी दुनरर क देशर म तेवी म शहररकरण और माररवाहना का मखरर बढने स प्रदूषण खतरनाक गामा तक पहुच रहा है आर मन् 2000 तक इन देशर क कुछ वड शहरर म प्रदूषण अव से दा गुन हा जाएगा।

शरष पत्र क अनुसार वररर जनसखर 1985 ई का 4 अरर 800 लाख मे बटक 2000 ई तक 6 अरर हो जात का अनुमान है कसरर अधरकरर वाड वरकसररल देशर पर पडता। मन् 1985 मे वररर म एक कणड से अधरक जनमखर वाल 12 महानगर थे करने म आठ महानगर वरकसररल देशर मे थ मन् 2000 तक इनका सखर दागुन हो जाने क सभावना है माररवाहना का सखर भा इना अनुपात म बढगी। यदर समय रहत इनके कररर वयु प्रदूषण रकने क लरर कदम नर उठाय गय ता इस शरषटा क अनर तक ताररर दुनरर के 40 कणड स अधरक ना खतरर क हा तक प्रदूषण स प्ररररत हा।

शरष पत्र क अनुसार अधररन स दत पत्र चला है कर तारर दुनरर क बढत म हातरर म माररररररर म नरकलन वाल गमाररररर हररररररर पदर्यर का मात्रा वररर ररररररर मारटर हाग नरररररर गुणरररर म मररु अधरक है य शरषट है मरररई मरररररर सररर साआ पडता लरर म दैक क बरररर मरररर सारर रररर वरररर रहान बनकरर बुडापकरर और इरररररररर मरररररर

सिटा जहा जनसंख्या का कराड स अधिक है विश्व का मन्मे अधिक प्रदूषित शहर है।

अध्ययन में बताया गया है कि हालांकि प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगापुर भारत थाईलैण्ड और हांगकांग में गाडियों से कार्बनडाई ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों के निस्सर्जन की जाव की जागी है लेकिन यह बड़े शिथिल ढंग से ही हो पायी है।

शोध पर में प्रदूषण को रोकने के लिए तान सूत्री कार्यक्रम पर जोर दिया गया है ईंधन की जाव करने वाली स्पच्छ गाडियों का इस्तेमान माफ ईंधन का प्रयोग और कुशल यातायात प्रथम।

इस शताब्दी के आत तक विकासशील देशों के 40 कराड से भी अधिक शहरी लोगों को वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव का सामना करना पडगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की सडकों पर 60 करोड मोटर वाहन लौड रहे है और अगल लगभग 22 23 वर्षों में इनकी संख्या दुगुनी होने की संभावना है। शहरों की संख्या में अधिवासा वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों में ता पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही नहीं है। कुछ लोगों को वायु प्रदूषण से पर्यावरण या स्वास्थ्य को हानि वानी हानि के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश में प्रदूषण उमक शहरों की समस्याओं भौगोलिक पर जलवायु और वहा इस्तेमान किय जाने वाले वाहनों पर निर्भर करता है।

वर्ष 2000 तक एक करोड की जनसंख्या वान विश्व के शहरों में से तीन चौथाई शहर विकासशील देशों के होंगे। रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों में भाटरकांसा में प्रदूषण का नियंत्रित करने के उपकरण नहीं ला हुये है। रिपोर्ट में जेगाबनी दो गर् है कि वायु में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ग्याषणों से हल्प काली रेजागी वर्षा के वन नष्ट हो सकत है और इणतों का भी हानि पडत मडती है। विविधित देशों में प्रकृति का बहुत बर्दती से शाषण किया है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का साधन का 60% उपयोग इनकी देशों द्वारा होता है तथा प्रीन के (घाटप गृह) प्रभाव के लिए उदारदायी पैसा की बडाना के लिए भी पिछले पचास तान में यनी प्रमत्त दाष है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आवाजा विश्व का कल आत की केवन छह प्रतिशत है पर वायुमण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड की कुल वृद्धि में 23% वृद्धि करने अमेरिका के का है। विश्व के सभी विरगित देश मिलकर 80 प्रतिशत कार्बन डाई-ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार हैं जर्कि सभी

विकासशील देश मिलकर भी 20% की वृद्धि वग्न है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के दिन लगभग 50 करोड पैट्रोल डीजल वाहन हर गमय सडका पर निरन्तर चल रहे है जिनमें 80% वाहन समृद्ध देशों के हैं। यहाँ हानि वायुयानों का है। इन सभी का कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा बढान में योगदान रहता है।

प्रयास

Efforts

पृथ्वी सम्मेलन (Earth summit)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन 3 14 जून 1992 के दौरान रियो दी जेनेरा प्राचीन में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नानु पर्यावरण और वन मंत्री न किया। रिया सम्मेलन में पर्यावरण और विकास के परस्पर संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करने और विज्ञान नीतियां में उनकी एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्व मिला मंगेश उपभाग पदाधिका पर्यावरण और विकास के बीच सक्का का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में उदरत ढंग में महमूम किया गया। इस सम्मेलन में विश्वव्यापी भागादारी के लिए मार्ग प्रशस्त कर के रिया देशों के बीच सामान्य जानकारी के क्षर का भी निर्माण हुआ।

पर्यावरण और विकास पर रिया घोषणा पर में मंगेश और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के शाषण पर के रूप में महत्व विज्ञान के सिद्धान्त दिये गये है। एजेंडा 21 का अपनाया जाना जो पर्यावरण का सुरक्षा और विकास के साथ इसके गिनान के लिए कार्रवाई का व्यापक कार्यक्रम का एक सैट है। सभी प्रकार के वनों के प्रथम संक्षण और महत्व विकास पर विज्ञानशास्त्र महमति व निरप सिद्धान्तों के कानूनो रूप में अशक्यरूप प्राधिकृत विकास मंत्रा वग्न रिया सम्मेलन के दौरान जनजायु परिगति मंगेशी संशुशा और जेगाय विविधाता के संक्षण मन्थी कन्वेंशन कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में उनका रीति गाथा नीति का संस्थापन के लिए प्रमुत किय गय भारत ने रिया दि वनरो में इन दोनों कन्वेंशन पर हगाए किये।

रियो सम्मेलन के बाद जगातवारी विज्ञानशास्त्र तथा पर्यावरण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है पर विज्ञान पर न स पाने लगे हम निरान एक गर् में परती वड घटनाओं का सिद्धान्तगत रूप का हमें एक स्पष्ट संकेत मिलता है।

6 जनवरी 1993 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मालदीव का एक छोटा टापू समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया। मालदीव में 1,196 टापू हैं और इनमें से कई सागर सतह से कुल 2 से 4 मीटर ऊपर हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव से विश्व के औसत तापमान में बढ़ोतरी होने से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ अधिक पिघलती है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पिछली एक शताब्दी के दौरान समुद्र के जल स्तर में केवल 15 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई थी पर वर्तमान दर के अनुसार सन् 2075 तक यह 30 से 219 सेंटीमीटर हो जायेगी। इससे बांग्लादेश, मालदीव, अमेरिका के तटवर्ती प्रदेश, नील डेल्टा, बंगाल, उड़ीसा के तटप्रदेश सभी जलमग्न हो सकते हैं। बांग्लादेश का आधा भाग मागर तट से केवल 4.5 मीटर ऊपर है और सन् 2100 तक इसका 34% भाग जलमग्न हो सकता है। विश्व के कुछ प्रमुख नगर जैसे- न्यूयार्क, लंदन, बर्बई, कोचीन, मद्रास, गोआ के तट आदि अनीत के गर्भ में डूब जायेंगे।

जनवरी, 1993 में बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह के पास डेनमार्क के एक तेलवाहक जहाज को दुर्घटनाग्रस्त होने से इस क्षेत्र के समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा हो गया। जहाज में तीन लाख टन तेल लदा था। इसकी एक बड़ी मात्रा समुद्र के जल से रिमि गयी और इस तेल की परत को नष्ट करने के लिये विशेष अपमार्जकों (डिटरजेंट) का छिड़काव किया गया। इस क्षेत्र में अनेक दुर्लभ समुद्री जीव-जन्तु व पौधे पाये जाते हैं। इनकी तेल की मोटी परत से नुकसान होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार- हाल के वर्षों में बंगाल की खाड़ी समुद्री जहाजों के लिए एक बड़े कूड़ा-घर का काम दे रही है। जला हुआ स्नेहक, भट्टी का तेल और अन्य फालतू सामान यहाँ फेंक दिया जाता है। इससे सुन्दर बन के तटों तथा समुद्री मछलियों के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है।

6 अप्रैल 1993 को साइबेरिया के टॉमस्क-7 नामक नगर में एक भूमिगत स्टोरेज टैंक में रखे रेडियोधर्मी उत्सृष्ट पदार्थ विशेषकर यूरेनियम के मलबे में विस्फोट होने से एक बार फिर परमाणु विस्फोट में पर्यावरण के प्रति गंभीर खतरे की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। स्मरण रहे कि 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में भयंकर दुर्घटना हुई थी। इससे न केवल आसपास के भू-भाग में भारी विनाश हुआ बल्कि दुर्घटना के कई दिन बाद तक आन्वित्र वातावरण यूरोप के बड़े हिस्से में छाये रहे और पर्यावरण मनुलन के लिए महत्वपूर्ण पशुओं और पौधों की अनेक प्रजातियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ठडकडियों भारी पानी के रिसने आदि के समाचार आदि आते रहते हैं। 31 मार्च 1993 को

नरौरा परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जेनरेटर में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई, क्योंकि आग मुख्य संयंत्र से केवल 200 मीटर दूर लगी थी। इसके दो वर्ष पहले काकरापार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। यद्यपि परमाणु ऊर्जा कमीशन के अध्यक्ष डॉ॰ पी के आयपर के अनुसार - भारतीय परमाणु संयंत्रों की रचना में चैरनोबिल की तुलना में बहुत अधिक सन्वधानी बरती गई है पर साथ ही एक सरकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों को खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढ़ते हैं तो यह चिन्ता का विषय है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है। 17 मई, 1993 को बर्बई हाई तेल पाइपलाइन के फटने से समुद्र में 2 मील लंबे और 400 मीटर चौड़े क्षेत्र में तेल फैल गया।

विश्व स्वास्थ्य मगठन (इडब्ल्यू एच ओ) की हाल ही की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली बर्बई और बलकता विश्व के उन प्रमुख नगरों में से है जहाँ का वायुमंडल अत्यन्त दूषित हो चुका है। नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार- राबधानी दिल्ली ने वायु प्रदूषण में भारत में पहला व विश्व में चौथा स्थान ले लिया है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल से चलने वाले 19.67 लाख वाहन हैं, जो प्रतिदिन वायुमंडल में 250 टन कार्बन मोनो ऑक्साइड, 6 टन सल्फर डाई ऑक्साइड 400 टन हाईट्रोकार्बन व 600 किलो सीसा छोड़ते हैं। इन वाहनों के अलावा दिल्ली के थर्मल पावर स्टेशन मल्पर डाई ऑक्साइड तथा सस्सेडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस पी एम) उगालते हैं। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक पुलिस को गैस मास्क देने की योजना बनी है। इन गैसों के बढ़ने से छाती में दर्द, सास लेने में तकलीफ काँक इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं।

भारत में प्रदूषण की स्थिति व पारिस्थितिकी संतुलन के प्रयास

POLLUTION IN INDIA & EFFORTS FOR ECOLOGICAL BALANCE

स्थिति :-

भारत सरकार व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का गविन्दगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। उद्योगों का पल्लो नगर दशक के दूसरे नरक का प्रदूषित शहर है। इनके

अतिरिक्त दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) हावड़ा (पश्चिम बंगाल) तलचर अमूल (उड़ीसा) डिगबोई (असम) धनबाद (बिहार) नजफगढ़ (दिल्ली) वापी (गुजरात) आदि देश के अन्य प्रदूषित शहरों के अंतर्गत आते हैं। महानगरों में होने वाले कुल वायु प्रदूषण का 50 से 60% प्रदूषण वाहनों के माध्यम से होता है। वाहनों के धुएँ में कार्बन मोनो आक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड जैसी जहरीली गैमें और सीसा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1987 के आकड़ों के अनुसार देश के 12 महानगरों में कुल मिलाकर लगभग 3000 टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुएँ के रूप में वायुमंडल में छूटते हैं। 1976 की एक रिपोर्ट के अनुसार बर्दई में कपड़ा मिलों के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है। दिल्ली में अनेक छोटे बड़े 70 000 से अधिक उद्योग वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रकृति वनों के माध्यम से कार्बन डाइ आक्साइड के एक अंश को वृक्षों के भोजन के रूप में काम में लेकर उसके स्थान पर आक्सीजन छोड़ती है जिससे वायुमंडल में इन गैसों के मध्य सतुलन बना रहता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक हक्टेयर वन क्षेत्र लगभग 3 टन कार्बन डाइ आक्साइड ग्रहण करके दो टन आक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में पर्याप्त वन भी नहीं हैं। प्रदूषित भूमिगत जल के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख लोगों की अकाल मृत्यु होती है। इस प्रदूषित भूमिगत जल का क्षति पर भी बुरा असर पड़ता है। भारत में सतही जल भी भारी मात्रा में प्रदूषित है। इसका प्रमुख कारण नदियों व तालाबों में उद्योगों नगरपालिकाओं आदि के दूषित अवशिष्ट को डाल देना है।

प्रयास -

1 भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी अधिकरण Govt Agencies for Environmental Protection in India

पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environmental & Forest) पर्यावरण और वन सर्वद्वयन की आवश्यकता का ध्यान रखते हुये जनवरी 1985 में केंद्र सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय की अलग से स्थापना कर दी गई थी। इसके अधीन पर्यावरण विभाग और वन तथा वन्य जीव विभाग कार्यरत हैं।

पर्यावरण विभाग (Department of Environment) पर्यावरण विभाग पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के नियोजन प्रोत्साहन एवं उनमें सम्मिलित करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (The Central Pollution Control Board) यह बोर्ड जल और वायु प्रदूषण

का पता लगाने और उस पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोपरि राष्ट्रीय निकाय है। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकलापों को भी समन्वित करता है। बोर्ड के पास अपनी एक प्रयोगशाला है जो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों तथा सामान्य पानी की कोटि पर निगरानी रखती है। बोर्ड द्वारा देश में पानी की कोटि की मारिक जांच के लिए केंद्र स्थापित किये गये हैं। जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित अधिनियमों को लागू करने से संबंधित प्रशासनिक दायित्व भी केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली (National Natural Science Museum) इस संग्रहालय की स्थापना पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा उसमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है।

केंद्रीय गंगा प्राधिकरण (Central Ganga Authority) गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य योजना के क्रियान्वयन तथा इस योजना में केंद्र तथा राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियों को सम्मिलित करने का दायित्व केंद्रीय गंगा प्राधिकरण पर है। इस प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1985 में की गई थी।

पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (Ecological Development Board) इस बोर्ड की स्थापना पर्यावरण की दृष्टि से गिरावट वाले क्षेत्रों का सम्भोधन करने की विधियों का प्रदर्शन करने पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं को हल करने में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा छात्रों ग्रामीण युवाओं व महिलाओं में पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय मानव तथा जीवमंडल समिति और पर्यावरण अनुसंधान समिति (Indian National Human & Biosphere Committee & Environmental Research Committee) यह समिति पर्यावरण संबंधी अनुसंधान करने अन्य संस्थानों में प्राण अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा करने तथा परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त प्रस्तावों का सिफारिश करता है और अनुसंधान के परिणामों का उचित क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव भी देता है।

2 भारत में वन्य जीव संरक्षण Wild Life Protection in India

वन्य जीव संततपर्यंत ही संरक्षण विभाग पर जल प्राणियों में है वन्य जीवों का संरक्षण भारत जान ही

कला सिद्धांतों है। म्वाखलम्यन उनका गुण है। सुमधुर वन्य-जीवन के परितोषक है। उनका कलरव गुजन हमारे जीवन में स्मृति का नव सचार करना है। वन्य जीव हमें प्रकृति के सौन्दर्य और उसके माध जीवन क्रिया को आवद्ध कर नैमार्गिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

हमारे गोरवशाली सरकृति में वनों के विकास के माध वन्य जीवों के संरक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है परन्तु पिछले कुछ दशकों में वन्य-जीवों के माध मानव जाति का क्रूर व्यवहार हुआ है और हो रहा है। अवैध शिकार, वना की कटाई आदि के परिणामस्वरूप कई वन्य-जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं अथवा उनकी गच्छा में भारी गिरावट आई है। भारत में जिन वन्य-जीवों का सर्वाधिक हानि हुआ है, उनमें नीलगाय, कम्हूरी मृग सिंह गैंडा मफट शर, जंगली भैंसा, गोडावण आदि के नाम प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। वन्य-जीव हमारी ही तरह ममान रूप में प्रकृति में विद्यमान और स्वतंत्रतापूर्वक जीने के अधिकारी हैं। गत वर्षों में राजकीय स्तर पर वन्य-जीव संरक्षण के लिए कई योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।

राजकीय प्रावधान एवं अभिकरण

वन्य जीव संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार ने 'इण्डियन वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972' पारित करके सर्वप्रथम प्रभावी कदम उठाया। इस अधिनियम में उन वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनकी जाति या उपजाति विलुप्त होने की है। साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के अन्य पशु पक्षियों के संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है तथा इसे एक टण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

42 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण में सर्वप्रथम कर्तव्य भी सम्मिलित किया गया है। 'अन्येक नागरिक का यह भूल कर्तव्य है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन झील नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं रक्षा को और मजबूत करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।'

वर्ष 1983 में वन्य जीवन संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना अपनाई गई। इस कार्य योजना व अंतर्गत यह कदम उठाये गये हैं (i) सभी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों एवं अन्य क्षेत्रों, जिनका संरक्षण अपेक्षित है का सर्वेक्षण किया गया है। (ii)

वन्य जीव भण्डारों की प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए पारदर्शी सिद्धान्त बनाये गए हैं और उन्हें राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया है। (iii) राष्ट्रीय वन नीति का पुनर्संरक्षण करने तथा उसमें संशोधन करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। (iv) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में किये गये संशोधनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। और (v) संरक्षित प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

उपर्युक्त कार्ययोजना में निर्दिष्ट कार्यक्रमा तथा परियोजनाओं को आरंभ कर उन पर निगरानी रखने के लिए 'केन्द्रीय वन्य-जीव संरक्षण निदेशालय और भारतीय वन्य जीव संस्थान', देह्रादून केन्द्रीय अधिकारियों के रूप में कार्यरत हैं। वे यह कार्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों, जो देश में वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबन्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, की सहायता से करते हैं।

3 केन्द्र सरकार की प्रदूषण निवारण नीति, 1992 Central Govt Policy of 1992'

केन्द्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने हेतु फरवरी 1992 में एक नई प्रदूषण निवारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा फैलाये जाने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु नए उपाय किये गये हैं। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने में एकत्रित हेतु किये गये मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं

- (i) उद्योगों की निर्माण-क्रिया के सभी स्तरों पर पर्यावरणीय विषयों का शामिल किया गया है।
- (ii) इस नीति में प्रदूषण को खोत पर हो रोकने पर बल दिया गया है। इस हेतु संकटित तकनीकों का उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है।
- (iii) प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई में क्षतिपूर्ति वसूल करने की बात भी नई प्रदूषण निवारण नीति व अंतर्गत कही गई है।
- (iv) इन नीति में यह भी कहा गया है कि कुनो तरह में प्रदूषित क्षेत्रों को समुचित सुधार को ज़रूरी नहीं है। इन क्षेत्रों को जनता प्रदूषण से प्रभावित नहीं हो।
- (v) इस नीति में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का दाव कही गई है।
- (vi) पर्यावरण ऑडिट के बारे में कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयों को अपने दारिद्रिक वित्तीय व्यौर की प्रति पर्यावरण का भी व्यौर देना अनिवार्य होगा।

(vii) प्रदूषण पर नियंत्रण रखने वाले तरीके अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

प्रदूषण निवारण नीति में औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। ऐसी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -

- (i) पर्यावरण की दृष्टि में खतरनाक किस्म के कोटनशार्कों को क्रमबद्ध तरीके से प्रचलन से हटा लिया जायेगा।
- (ii) उर्वरकों के प्रयोग व उत्पादन हेतु एक नई उर्वरक नीति बनाने की व्यवस्था की गई है।
- (iii) जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है यदि उनमें कोई क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि में सवेदनशील प्रतीत होता है तो वहाँ खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) वाहनों के धुएँ से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कड़े उपाय किये जायेंगे।

इस प्रकार नई प्रदूषण निवारण नीति में उद्योगों तथा अन्य माध्यमों में फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय सुझाए गये हैं। पर्यावरण प्रदूषण की विकलास स्थिति को देखते हुये इन उपायों को लागू करना एक आवश्यकता है। इन उपायों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। स्वयं उद्योगों को भी चाहिये कि वे अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हुये पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली मशीनों व उपकरणों का प्रयोग रोके। उद्योगों में धूल धुआँ गटा पानी व कचरा आदि हेतु ऐसी व्यवस्था करे जिसे कि इनके द्वारा फैला हुआ प्रदूषण आसपाम के वातावरण को दूषित नहीं करे। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसी मशीनों के उपयोग की आवश्यकता है जिनमें आवाज कम से कम हो। जिन मशीनों की आवाज अधिक हो उनमें साइलेंस जैसी उपकरणों को लगाया जाना चाहिये ताकि अनावश्यक ध्वनि को नियंत्रित किया जा सके।

इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है चाहे वह खतरनाक कोटनशार्कों के माध्यम से फैलता हो अथवा उर्वरक उत्पादन से। हमारे कृषक तथा भारी वाहनों के माध्यम से निकलने वाली ध्वनि तथा धुएँ के माध्यम से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास करने जरूरी है। यद्यपि प्रदूषण रोकने हेतु कानून भी है परन्तु पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु नव प्रयासों की नितात आवश्यकता है। कोई भी नीति या कानून तब तक पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि लोग उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन के आत्मगत न कर लें। यही बात पर्यावरण प्रदूषण निवारण

नीति व कानून के साथ लागू होती है। इन नीति की सफलता व्यक्ति, समाज तथा सरकार के सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर है। इस दिशा में गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण स्वयं अपने लिए तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कर सकेंगे।

राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रयास

POLLUTION IN RAJASTHAN & EFFORTS OF ECOLOGICAL BALANCE

राजस्थान में प्रदूषण की स्थिति

Position of pollution in Rajasthan

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान का पाली शहर देश का दूसरे नंबर का प्रदूषित शहर है। प्रदूषण की दृष्टि से देश में जोधपुर का 22 वाँ स्थान है। इस प्रकार राजस्थान में रगाई-छपाई तथा वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात शहर पाली राजस्थान में प्रदूषण की दृष्टि से प्रथम एवं जोधपुर द्वितीय स्थान पर है।¹

रेगिस्तानी क्षेत्र के इन शहरों की इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित रासायनिक जल में बाड़ी नदी के प्रभाव क्षेत्र के किनारे बसे लगभग 20 गांव 10 लाख से अधिक आबादी एवं हजारों पशु प्रभावित हुये हैं। 45 किलोमीटर तक नदी के दोनों किनारों और 50 फीट तक के गहरे कुओं का पानी रगीन हो चुका है। 150 फीट तक भूमिगत जल प्रदूषित होकर पीने योग्य भी नहीं रहा है। राजस्थान का जलवायु चरम वायु प्रदूषण की समस्या में ग्रहित है। जयपुर की शीतकालीन शाम व सुबह सीमा में अधिक प्रदूषित होती है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि झोटावाडा औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में त्रिपोलित्वा की हवा प्रदूषण स्तर के लिए अधिक हानिकारक है। इसका प्रमुख कारण त्रिपोलित्वा में मोटर वाहनों का आवागमन और इनके इन्जनों से निकलने वाला दूषित धुआँ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीरी) के तथ्यों के अनुसार यह निष्कर्ष निकला गया है कि यदि जयपुर में वायु प्रदूषण की यही स्थिति रही तो आगामी 5 वर्षों में जयपुर शहर भी अहमदाबाद व कानपुर जैसा दूषित शहरों की श्रेणी में आ जायेगा और जयपुर वामी भी दिल्ली वालों की तरह फेफड़ों की बीमारियों व कैंसर जैसी खतरनाक बीमारों से ग्रहित हो जायेगा। 'सीरी' जयपुर में 1978 में वायु प्रदूषण जांच के कार्य में लगा हुआ है। वैज्ञानिक श्री मेट

का मानना है कि ग्राम में इस शहर का वायु अधिक प्रदूषित नहीं थी। आज भी महानगरी की दृष्टि से इसका नाम निदोते क्रम के शहर में ही है। लेकिन प्रदूषण वृद्धि का गति को देखते हुए खतरा बहुत नजदीक है। राजस्थान के कोटा शहर में प्रदूषण का समस्या विकरात रूप धारण कर चुका है। यह एक औद्योगिक नगरी है। अब यह शहर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का समस्या में प्रसिद्ध है। कावला कारखाना का वायुन स्तब्ध और इट भट्टों का प्रदूषित वायु न शहर के पर्यावरण का अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। इस प्रदूषण के फलस्वरूप शहर के अनेक व्यक्ति सिंग दूद आवा में जन्म खासो दमा और फफू की वायरियों में ग्रस्त हो रहे हैं। इस प्रकार उदयपुर शहर के जमीन रसायन उत्पादक उद्योगों के कारण लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में सभा जलस्त्रात विपैल हो गये हैं एवं कुओं का पानी लाल व बैंगना हो गया है। एक जाच रिपोर्ट के अनुसार इस पानी में नलक्ष्य खराब हो गए हैं भूमि का उर्वरणपन ममाज हो रहा है तथा एक लम्बे चौड़े इलाके में रगन बद्बूदार पालो फलकर धरता पर अपना परत बिछा गया है। इससे कुठ म्शानों पर धना पुग तरह बाज हो गई है। धानुमिश्रित इस पाना में जमीन का पाव स्थित जल भंडार पर भा वुरा असर पडा है। पानी में सांडियम हाइड्रो आक्साइड भी मिला होगा है। जाच व अनुमाग उद्योगों व अव्यवहारि जल अवशिष्ट मामनी नाला में बहकर पातक असर करता है। इस प्रकार पब्लिक कमाशन आर एनवदामन्ट एण्ड डैवलपमन्ट के अनुमाग राजस्थान व विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय सतुलन का प्रदूषण व कारण गभार खतर का सामना करना पड रहा है।

राजस्थान में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के सतुलन हेतु सस्थाएँ

Agencies for Ecological Balance in Rajasthan

विश्व में पहला बार इस समस्या का वा में 5 जून 1972 को म्याकहम में मानव पर्यावरण पर अयोजित सम्मेलन में गायना प्रारंभ किया गया। 1975 में बलब्रड में विभिन्न गण में यह तय किया कि सभा राष्ट्रा का राष्ट्रीय पर्यावरण नान निर्मित करना चहिया। इसी विचार के कारण पर्यावरण मुद्रा विश्व में वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है। भारत में अपना राष्ट्रीय पर्यावरण नाति तय का है तथा राष्ट्रीय स्तर पर कन्ड्र में पर्यावरण विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्यरत है राजस्थान में भी अक्टूबर 1983 में राज्य स्तर पर पर्यावरण विभाग को स्थापना कर गई था। इस प्रकार राजस्थान में पर्यावरण मंत्रालय के लिए दो प्रमुख सस्थाएँ हैं

(अ) पर्यावरण विभाग राजस्थान

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

(अ) राजस्थान का पर्यावरण विभाग (Department of Environment in Rajasthan) अक्टूबर 1983 में राज्य स्तर पर स्थापित पर्यावरण विभाग राजस्थान में प्राकृतिक मसाधना के साक्षण एवं उनका कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह वायु जल भूमि आदि के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का प्रयाम करता है तथा वन्य जीव वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का देखभाल करता है। यह विभाग पर्यावरणीय चर्चा जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है और भारत सरकार व पर्यावरणीय विभाग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को भी संचालित करता है। राजस्थान व पर्यावरण विभाग की सभी योजनाओं का प्रारूप राज्य पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय मण्डल द्वारा निश्चित किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 4 जून 1984 को इस मण्डल का विधिवत् गठन हुआ। पर्यावरण विभाग के विशेषाधिकारी इस मंडल के पदन सचिव होते हैं। इन कार्यक्रमों की क्रियाविधि के लिए पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर पर स्थायी समिति गठित की गई। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर का अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियाँ बनाई गई हैं। राजस्थान के पर्यावरण विभाग ने 24 जुलाई 1983 से पारिस्थितिकी टास्क फार्म राजस्थान द्वारा राजस्थान नहर के बायें किनार पर 150 किलोमीटर की लंबाई में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्य आरंभ किया गया। पारिस्थितिकीय स्टॉक फार्स ने इस योजना के अन्तर्गत नहर के बायें तट पर अर्धा किलोमीटर चौड़ाई में सघन वृक्षारोपण तथा उसके बाहर डेढ किलोमीटर चौड़ाई में चरागाह विकास का कार्य किया। इस कार्य से वन्य जीवों की वृद्धि हुई तथा अच्छे किस्म का चारा उपलब्ध हुआ एवं पर्यावरण में स्पष्ट सुधार दृष्टिगोचर हुआ। पर्यावरण विभाग ने पर्यावरणोप जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य में विचारविधियों व प्रामोण ध्वज के युवाओं के माध्यम से पारिस्थितिकीय विज्ञान शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में पर्यावरण के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का समावेश होता है शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए पर्यावरण विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि लोगों का पर्यावरण असतुलन की जानकारी हो सके तथा उनसे बचने के प्रभावदाय प्रयास किये जा सकें। पर्यावरण से सम्बंधित विविध समस्याओं के निवारण हेतु सेमानार एवं कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया गया। पर्यावरण विभाग राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है जिनमें पर्यावरणीय चर्चा जागृत हो सके। इन

प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालचित्रकला प्रतियोगिता माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निम्न प्रतियोगिता महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं सभी लोगों के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता प्रमुख है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण के प्रमुख घटकों की जानकारी प्रदान करने के लिए साहित्य तैयार किया जाता है एवं वितरित किया गया है। विभाग के पुस्तकालय में भी पारिस्थितिकीय से संबंधित पुस्तकें एकत्रित की गई हैं। पर्यावरण विभाग फिल्मों व कठपुतली प्रदर्शन स्टिकर आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करता है। यह पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा पारिस्थितिकीय समस्याओं का अध्ययन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुये धार्मिक पर्यटन एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों में पर्यावरण विकास का राक्ष्य निर्धारित कर उन पर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत गलता (जयपुर) पुष्कर (अजमेर) गारान दरगाह (झालावाड़) पूछरी गिरी गोवर्धन (भरतपुर) भाधरता पगरा (उदयपुर) हनुमान जी की खेजडी (सूरतगढ़) राडी के हनुमानजी (झालावाड़) जैन मंदिर (झालावाड़) क्वासरा महादेवजी का मंदिर (झालावाड़) अरलगढ (माउण्ट आबू) ढाई दिन का झोपडा (अजमेर) ब्रह्माजी का मंदिर (पुष्कर अजमेर) रानीजी की बावडी (बूढी) प्रमुख है पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय अनुसंधान प्रोजेक्ट निर्माण एवं उनकी क्रियान्विति औद्योगिक इकाइयों के स्थल चयन से संबंधित अनापति प्रमाण पत्र पर्यावरण माह का आयोजन विश्व एवं राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों आदि का आयोजन भी करता है। यह भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के दिशा निर्देशों का अनुरूप समन्वय तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित मार्फत कर उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश को पर्यावरण में सुधार लाने का कार्य भी करता है। मातदा याचना के अंतर्गत इस विभाग पर 112 57 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 1990 91 में पर्यावरण से संबंधित एक कार्ट की स्थापना भी की गई ताकि इससे संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। आठवीं योजना के अंतर्गत राजस्थान के पर्यावरण विभाग पर 546 00 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है। आठवीं योजना के अंतर्गत 3394 हेक्टर पर भूमि पर भू संरक्षण का कार्य किया जायेगा। लगभग 460 पर्यावरणीय शिल्पा व चेतना कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा 52 मंजर एवं विस्तार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा याचना है। आठवां योजना में 30 नई पर्यावरणीय शाध राक्ष्य में ला जायेगी। केन्द्र सरकार की 1993 की पर्यावरणाय अधिनियम से राजस्थान के पर्यावरणीय विभाग का कार्य अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण

हो गया है।

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल

राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल की समस्त गतिविधियों का समन्वय प्रशासनिक दृष्टि से पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाता है। इस मंडल ने पाली झुझनू कोटा जोधपुर उदयपुर अलवर व भीलवाड़ा जिले में पर्यावरणीय स्थिति का गहन अध्ययन किया है। राजस्थान में प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या से गभीर चिंतित है। प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो इससे विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम जैसे भूमि को उत्पादकता में ह्रास आदि भी वहन करने होते हैं। वायु एवं जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह मंडल कार्य करता है कुछ ही समय पूर्व इसे नुकसान देह पदार्थों एवं बेकार पदार्थों के प्रबंध का कार्य भी सौंपा गया है। यह अपने विभिन्न कार्यों का संपादन विभिन्न प्रदूषण अधिनियमों के अन्तर्गत करता है। इसकी प्रमुख क्रियाओं में प्रदूषण का न्यूनतम करना शहर के गंदे पानी को उचित प्रकार से नियंत्रित करना गंदे पानी का उचित क्रियाविधि में सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लाना नये उद्योगों का इस प्रकार स्थान निर्धारण करने की गलाह देना जिसमें प्रदूषण न्यूनतम हो। यदि आवश्यक हो तो विद्यमान उद्योगों को भी नये स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जा सकती है। मंडल ऐसे उद्योगों का भी पता लगाता है जो नुकसान देह पदार्थों का उपयोग या उनका उत्पादन कर रहे हैं। उनमें निकलन वाला नुकसान देह पदार्थ कौन से हैं और उनका भली भाँति डिम्बात्रल किया जा रहा है अथवा नहीं इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इस मंडल द्वारा परतलू बेकार पानी उगन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी (1) ऐसे सभी शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है। (2) ऐसे शहर जहाँ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के कारण प्रदूषण है तथा (3) ऐसे शहर जो धार्मिक महत्व के हैं। मंडल यह प्रथम करेगा कि सभी गृह एवं मध्यम स्तर के उद्योग प्रदूषण को नियंत्रित करने के उचित प्रयास करें तथा लघु उद्योगों का भी प्रदूषण नियंत्रण का उचित उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल के लिए 750 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में पारिस्थितिकीय सतुलन हेतु वन विकास (Forest Development for Ecological Balance in Rajasthan)

वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जिन क्षेत्रों में 6% में कम वन होते हैं उन क्षेत्रों में सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं एवं

परिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में वन विकास के प्रयास किये गये हैं। इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त किया गया है। इटिया गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान सरकार की सहायता से वृक्षारोपण योजना क्रियान्वित की जा रही है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास के लिए भी जापान सरकार की सहायता से 176 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है। झुगरपुर जिले में स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम हाम में लिया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के माध्यम से चल रही वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों की परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मिला सभाबित है। तैदूपता समग्रण एवं विपणन में आदिवासियों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से तैदूपता समग्रण व विपणन का कार्य आदिवासियों को सहकारी समितियों को निर्धारित राशि पर देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश को हरा भरा करने के उद्देश्य से 'हरित राजस्थान' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के आकलन के अनुसार वृक्षारोपण की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामस्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का गठन किया गया है, ताकि स्थानीय लोग वनों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले सकें। इन समितियों का अंतिम विदोह से प्राप्त होने वाली राशि का 50% हिस्सा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, लघु वन उपत्र, पल-पूल घास आदि का लाभ भी समिति के सदस्यों को मिलेगा। ग्राम्य विवाई में सही अकन नहीं होने के फलस्वरूप कई स्थानों पर वन भूमि को राजस्व भूमि समझकर उमथर आवटन आदिवासियों तथा अन्य किसानों को कर दिया गया। ऐसी भूमियों के करों को लेकर आवटियों के खिलाफ जो मुकदमे चलाने गये थे वे वापस ले लिये गये हैं तथा ऐसी भूमियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। वृषि वानिकी के अर्थात् लगाये गये वृक्षों को काटने व उनकी लकड़ी बेचने पर सगे प्रतिबंधों का शिथिलीकरण किया गया है। अब मात्र वृक्ष प्रजनकों को लकड़ी को काटने तथा बेचने की छूट दी गई है। तैदूपता समग्रण के लिए मजदूरी को दुगना बढ़ाया गया। इसमें आदिवासियों श्रमिकों को 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हुई।

मानिधान निर्माताओं ने 'वन' विषय को राज्य में प्रचारित किया था परन्तु आपत्काल के दौरान इस विषय को ममवर्ती मन्त्रों में ले लिया गया और इसके फलस्वरूप भारत

सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया। इस अधिनियम के कारण वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वन भूमियों में नहर निकालने, बिजली के तार ले जाने और तालाब व सडक निर्माण सरोखे बनापयोगी बायों को भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार से अनुमति मिलना कठिन होने के कारण इन कर्षों के सम्पदन में विलम्ब होता है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस विषय के पुनः राज्य सूची में रखने हेतु अनुरोध किया है। राजस्थान के वनों का विस्तृत विवेचन एक अन्य अध्याय में किया गया है।

राजस्थान में वन्य जीवन एवं उनका संरक्षण

WILD LIFE & THEIR PROTECTION IN RAJASTHAN

प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन-चक्र में वन्य जीवों की अपरिहार्य भूमिका है। मनुष्य पर कई प्रकार में उपकार करने वाले ये पशु-पक्षी वनस्पति जात की आवश्यक प्रक्रियाओं का केन्द्र है और हमारे जीवन का आधार स्तम्भ भी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिये ये जीव भूमि सम्स्कृति से अभिन्न रूप में जुडे हुये हैं।

राजस्थान ने प्रकृति की अमूल्य सरोह इन वन्य जीवों को यथासंभव महोत्र कर रखा है। यही कारण है कि राज्य में वनों का क्षेत्रफल देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में कम होने के बावजूद राजस्थान वन्य जीवों को दृष्टि से देश में अग्रम के बाद, दूसरे स्थान पर है।

राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण निम्नांकित विधियों के अन्तर्गत है	
संरक्षण	उत्तर निगत भोलवाडा झालावाड, झुगरपुर तथा सर्वाईमण्डाना तथा अजमेर।
वन्य	भारतपुर, बीलपुर अजमेर, करौली, शंकरपुर, झुगरपुर तथा झालावाड वृष्य उदयपुर तथा चित्तौडगढ़।
संरक्षण	अजमेर भारतपुर जयपुर उदयपुर तथा चित्तौडगढ़।
संरक्षण	भारतपुर अजमेर सर्वाईमण्डाना चित्तौडगढ़ उदयपुर बरमेडा झुगरपुर अजमेर केरा एवं झालावाड।
संरक्षण	भारतपुर मन्साईमण्डाना निजोद उदयपुर बीलवाडा तथा बटमेर।
संरक्षण	मन्साईमण्डाना भारतपुर उदयपुर चित्तौडगढ़ तथा उदयपुर।

कागज लिम्ब	भरतपुर जयपुर अजमेर मिराठी चाडमर और काटा।
नील गाव	भरतपुर मवाईमाधापुर अजमेर कोटा जोधपुर तथा झा नावडा।
वैश्या हरिण	सिरोही आर भातपुर।
खरफेरा	भरतपुर कवीग मवाईमाधापुर काटा सिरोही भीलवाडा व अजमेर।
शेबरा	बीकानर जैसलमेर नाडमेर जाधपुर और जालौर।
गोडावन	बाडमर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर।
सुतसुत	जानार बाडमर जोधपुर जैसलमेर और श्रीगणानगर।
तीनर	भरतपुर सिरोही टोक भीलवाडा बासवाडा चगीर और अजमेर।
बटेर	जालौर, सिरोही झुणपुर और जोधपुर।

संरक्षण

देश की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान वन्य जीवों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि तत्कालीन देशी राज्य शिकारियों का स्वर्ग माने जाते थे तथापि रियासत शासक वनों एवं वन्य जीवों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित करने थे लेकिन स्वतंत्रता पश्चात् राज्य में वनों तथा वन्य जीवों पर मनुष्य के भयंकर अतिक्रमण के परिणामस्वरूप पशु पक्षियों का तेजी से विनाश होने लगा। वनों की अनियंत्रित कटाई और वन्य जीवों के निष्प्रेरित शिकार की प्रवृत्ति से वनों में विचरण करने वाले पशु पक्षियों की संख्या में तीव्र ह्रास होना लगा। चीता गोडावन लिक्म पिक हैडड डक आदि वन्य जीव लुप्त हो गये। अतः इस शर्मनाक स्थिति में आगाह ह्येकर राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण को मनुचित महत्त्व दिया वन्य जीव संरक्षण को राज्य की योजना में अनिवार्य स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन करते हुये वन्य जीवों के शिकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया गया है। दुर्लभ पशु-पक्षियों के संरक्षण के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी योजनामूढ़ प्रयास किये जा रहे हैं।

वन्य जीवों के मद्दच्छन्द विचरण तथा उनकी संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 23 वन्य जीव अभयारण्य विवक्षित किए जा चुके हैं। जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर व बीकानेर में एक-एक जंतुशाला भी स्थापित की गई है। राज्य के 32 वन्य-क्षेत्रों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मींग खाल तथा पुरों का निर्यात भी प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य-जीव अभयारण्य

NATIONAL PARKS & WILD LIFE SANCTUARIES IN RAJASTHAN

रणथम्भीर राष्ट्रीय उद्यान मवाईमाधापुर जिला में प्रख्यात रणथम्भीर दुर्ग के चारों ओर विस्तृत इस प्राकृतिक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के अन्य वन्य जीव अभयारण्यो का तुलना में सर्वाधिक वन्य जीव विचरण करत है। वर्ष 1974 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत चयनित किया गया। भारत सरकार विश्व वन्य जीव तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के सहयोग से यहा बाघ संरक्षण की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रीय निदेशक प्रोजेक्ट टाइगर रणथम्भीर मवाईमाधापुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है। प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत यहा बाघों के संरक्षण सर्वर्द्धन के साथ साथ अन्य वन्य जीवों तथा वन ममदा और पर्यावरण के संरक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 20 बाघों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में घातल सांभर जंगली भूआर नीलगाय लकड़वाग्या और सियार आदि भी विचरण करत है। उद्यानो में विभिन्न विन्म क फली भी उपलब्ध है।

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान यह उद्यान मना पक्षी अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह फली विहार भरतपुर से दो किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में लगभग 29 वर्ष किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस पक्षी विहार में उधल पानी की झील का फैलाव है जिसमें जलीय वनस्पतिया उगा रहती है। झील के साथ साथ भूमि पर भी कदम्व और अकेशिया के पेड़ों के घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करत है। फली अपना भोजन जलीय वनस्पति एवं जलजल ग आमानी से प्राप्त करत है।

इस विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार में 332 प्रकार के पक्षी दृष्टि जा सकत है। इस अभयारण्य में साइबेरिया नाशकन्द नेपाल चीन जापान मंगोलिया आदि स्थानों से हजारों मील की दूरी तय कर विदेशी पक्षी प्रवातकालीन प्रवास करत आत है। ये वनस्पत स मार्च तक यहा रहत है। इसी पक्षियों में साइबेरियन वन (साइबेरिया का वनस्पत) प्रमुख आवर्षण का वन्द रहता है। इसके अतिरिक्त यहा आने वाले प्रवासी पक्षियों में वाइड स्टर्न पिन्टल मगई बूट पारर्ड टाला गात्र नीलग मैडवन शकलम लैंगडन पीपेटस आदि प्रमुख है। टगो प्रजनिक में बगुले हवा घोल पन्ड स्टर्नके ओपन रिन्ड स्टर्न फर्नसिंग वन्य कोयोरेंट कठथेडवा घाघिना पातो वृजम भावतय शारस आदि प्रमुख है। इत उद्यान में पक्षियों के अतिरिक्त गधर बौदल नीलगाय शिकार आदि वन्य जीव भी है।

राष्ट्रीय मरु उद्यान : मरुभूमि में प्राकृतिक वनस्पति को सुदृष्टि रखने, वन्य प्राणियों की संरक्षण प्रदान करने और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में दबे हुये जीवावशेषों (Fossils) को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे जैसलमेर व बाडमेर जिलों के 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की योजना पर कुल 247 करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान है।

इस उद्यान में गोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड), चिकरा, काला हिरण, चौंसिंघा आदि वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। गोडावण (राजस्थान का राज्य पक्षी) शर्माई स्वभाव का और एकान्त में घूमना पसंद करने वाला पक्षी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आवश्यक वलावण्य व सुविधाएँ उपलब्ध कराके इस दुर्लभ पक्षी की वंशवृद्धि के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

रेगिस्तान के इस भू-भाग पर लाखों वर्ष पूर्व विविधापूर्ण वृक्षों से सम्पन्न सघन वन थे, जिनके अवशेष दल की भूमि के नीचे दबे हुये मिलते हैं उद्यान में 'अकाल' गमक क्षेत्र में ऐसे विशाल जीवाश्म प्राप्त हुये हैं। इन जीवाश्मों का संरक्षण भी मरु उद्यान योजना का प्रमुख प्रयोजन है।

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य : अलवर जिले में, अलवर से 35 मील दूर स्थित सरिस्का अभयारण्य 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य को भी बाघ संरक्षण के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट टाईगर' में सम्मिलित कर लिया गया है। इस अभयारण्य में शेरों व बाघों के अतिरिक्त साभर, चीतल, नीलगाय, चिकरा, चौंसिंघा, स्नाहगोश, जंगली सूअर आदि वन्य पशु स्वच्छन्द विचरण करते हैं।

दर्रा वन्य-जीव अभयारण्य : कोटा से 48 किलोमीटर दूर विन्ध्य पर्वत श्रृंखला की सुगम धारियों में 200 वर्ग किलोमीटर में दर्रा अभयारण्य विस्तृत है। इस अभयारण्य में साभर, नीलगाय, चीतल, हिरण और जंगली सूअर अच्छी संख्या में हैं। यहाँ कुछेक बाघ व शेर भी हैं। इसमें अनेक किम्म के पक्षी भी हैं।

कुम्भलगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ के निकट 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस वन्य जीव अभयारण्य के निकट रणकपुर के मंदिर और कुम्भलगढ़ दुर्ग भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इस अभयारण्य में तमूर बहुलगायत से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त साभर, चीतल, चौंसिंघा, जंगली मुअर,

तेंदुआ, गैड आदि वन्य जीव भी विचरण करते हैं।

जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य : उदयपुर से लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में चीतल, काला भालू, साभर, जंगली सूअर, तेंदुआ आदि वन्य जीव मिलते हैं। यह अभयारण्य जयसमन्द झील के निकट अरावली की घाटी में लगभग 52 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

तालछापर मृग अभयारण्य : चुरू जिले में सुवानगढ में लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः काले हिरणों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ काले हिरणों की संख्या 500 में भी अधिक है।

आवू पर्वत वन्य जीव अभयारण्य : मिरोही जिले में माउण्ट आवू के समीप लगभग 115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में जंगली सूअर, रीछ साभर, नीलगाय, तीतर, जंगली मुर्गा एवं विविध जानियों के पक्षी मिलते हैं।

धौलपुर वन विहार अभयारण्य : धौलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस पर्वतीय अभयारण्य में साभर, चीतल, नीलगाय, चिकरा, मार आदि मिलते हैं। समीप स्थित झील के किनारे विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं।

सीता माता अभयारण्य : यह अभयारण्य चित्तौडगढ़ जिले में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ साभर हिरण, भेड़िया, चौंसिंघा, तमूर, जंगली भालू नील गाय जाती सूअर और बाघ आदि वन्य जीव देखे जा सकते हैं।

नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में स्थित इस अभयारण्य में मुख्यतः चिकरा ही विचरण करते हैं।

जामवा रामगढ़ वन्य-जीव अभयारण्य : जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ के समीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में चिकरा नीलगाय, तमूर चीतल, मोर आदि वन्य जीव देखे जा सकते हैं।

रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य : बूंदी जिले में लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य में कई साधारण वन्य जीवों के अतिरिक्त कुछ बाघ भी उपस्थित हैं।

चम्बल राष्ट्रीय अभयारण्य : कोटा में चम्बल नदी पर स्थित इस अभयारण्य में मारमच्छ और जलचरो का संरक्षण दिया जा रहा है।

अमृतादेवी कृष्णमृग पार्क, जोधपुर जिले के खेडडली में लुप्त हो रही हिरण प्रजाति के लगभग 500 काले हिरण हैं, जिनके संरक्षण के लिए यह मृग वन लगभग 50 हैक्टेयर क्षेत्र में विरमित किया जा रहा है। इन पार्क का नामकरण आज में लगभग 250 वर्ष पूर्व कुशों को बचाने के लिए अपने प्राण देने वाली अमर शहीद अमृतादेवी के नाम पर किया गया है।

सुस्थिर या स्थायी विकास की अवधारणा

CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

सुस्थिर विकास में अभिप्राय उस विकास से होता है जिसे भविष्य में भी जारी रखा जा सका। दूसरे शब्दों में आज का मानव वर्तमान विकास का लाभ उठाते समय यह ध्यान रखे कि वर्तमान विकास के फलस्वरूप भावी पीढ़ी को पर्यावरण का पतन की हानियाँ बहन न करनी पड़े। अतः वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएँ इस प्रकार पूर्ण करना चाहिये कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसलिये सुस्थिर विकास का अवधारणा के अनुसार वर्तमान एवं भावी मानव के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साधनों का विदोहन विकास एवं संरक्षण किया जाता है। इससे न केवल भावी मानव के हितों की रक्षा होगी वरन् मानव कल्याण भी अधिकतम हो जायगा।

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएं

Environmental Pollution & Problems of Sustainable Development

- | |
|--|
| (अ) विश्वव्यापी समस्याएँ (Global Problems) |
| (ब) राष्ट्रीय समस्याएँ (National Problems) |
| (ग) राज्य की विशिष्ट समस्याएँ (State Problems) |

(अ) विश्वव्यापी समस्याएं Global Problems

1. सल्फर में प्रदूषण (Pollution by sulphur emissions) विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की सहकों पर 60 करोड़ टन सल्फर उत्पन्न हो रहा है और आगामी 22-23 वर्षों में इनकी संख्या दुगुनी होने की संभावना है। वाहनों की संख्या में अधिकांश वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है। किसी देश में इन वाहनों के कारण होने वाले

प्रदूषण की गंभीरता का ज्ञान उम शहर विशेष की समस्याओं, भौगोलिक पक्षों, जलवायु और वन प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर निर्भर करता है। अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में मोटरवाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं होता है। विश्व बैंक के प्रतिवेदन में यह चेतावनी दी गई है कि इन वाहनों जो कि निरक्षर ही विकास के साथ-साथ बढ़ते चले जायेंगे के कारण वायु में सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड जैसे रसायनों की मात्रा वातावरण में धूलती चली जायेंगी। वाहनों से निकला हुआ सल्फर डाई ऑक्साइड आंखों व श्वाभ नलिका पर बुरा प्रभाव डालेगा। इससे मनुष्य की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इस गैस के कारण लोगों में हैमर और हृदय रोग जैसी घातक विकारियाँ हो जाती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण शहर में रहने वाले औद्योगिक अवशिष्टों में भी सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी घातक गैस निकलती है। यदि वायुमंडल में कोहल व आर्द्रता होती है तो इस गैस का घातक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मोटरगाड़ियों की बढ़ती संख्या से विशेष रूप से महानगरों में, प्रदूषण गम्भीर रूप धारण कर रहा है। मोटरगाड़ियों के चलने से कई प्रकार के प्रदूषित तत्व धुएँ के रूप में वातावरण में मिलते रहते हैं। 1980 से 1987 के मध्य विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के नगरो न्यूयॉर्क (अमेरिका), मिडनी (आस्ट्रेलिया), भ्लासो (ब्रिटेन), फ्रेकफर्ट (जर्मनी), हैलसिंकी (फिनलैण्ड), बुसैल्स (बेल्जियम), मिलान (इटली) तथा मॉडिड (स्पेन) में सल्फर का उत्सर्जन निर्धारित स्तर से अधिक रहा।

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र बड़ा पर अधिकांश लागू प्रदूषण के प्रति अत्यन्त जागरूक हैं वहाँ भी प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। विवासाशील राष्ट्रों में तो अधिकांश लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक ही नहीं हैं। उनमें पंचार प्रसार के माध्यम में जागरूकता बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। ऐसी स्थिति में विकास के कारण परिवहन साधनों में तीव्र गति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप दुम्बके, कार्बन, होने वाले प्रदूषण भी भविष्य में मानव के लिए चुनौती सिद्ध होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों और अल्पसंख्यक द्वीपों की घातक प्रभाव कुछ कम हो जाता है। जिन क्षति में द्वीपों की घातक प्रभाव घातक होता चला जाता है। गर्मियों की अपक्षा सर्दियों में वायु प्रदूषण का असर और बढ़ जाता है क्योंकि सर्दियों के कारण गैसें वातावरण में फँस नहीं पाती और नीचे ही रह जाती हैं। ये नीचे रहने वाली गैसें अधिकांश

शतक प्रभाव डालता है। अतः इस समस्या का हल इस बात में स्थित है कि मोटर परिवहन प्रदूषण से मुक्त हो। आरम्भ में प्रदूषण का एक न्यूनतम स्तर स्वीकार किया जा सकता है किन्तु अन्ततः वे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त हों, ऐसी अवस्था आवश्यक है। इसके लिए आरम्भ में सर्वाधिक वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बाद में धीरे धीरे विज्ञानोत्सुक व सौम्य चालित आदि प्रदूषणमुक्त शक्ति के माध्यमों में चलने वाले वाहनों का विकास किया जा सकता है।

2 पारम्परिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन (Emissions of Traditional Pollutants) - पारम्परिक प्रदूषकों में धूल धुएँ व गैसों का प्रमुख स्थान है। विकास के सापेक्ष-मात्र इनमें तेज़ गति में वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रदूषण से धीरे धीरे इमारतों और स्मारकों को भी नुकसान पहुँचा है।

औद्योगिक राष्ट्रों के अंतर्गत कनाडा में परम्परागत वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन सर्वाधिक है। तत्पश्चात् क्रमशः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। परम्परागत वायु प्रदूषकों की निर्गत विवासाशाली राष्ट्रों में और भी गंभीर है। चित्र स्थानों पर छोटे-बड़े उद्योग केन्द्रित हो गये हैं, उन स्थानों पर ताँबा धुएँ धूल गैस और बन्दू से संपूर्ण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इन स्थानों पर सदैव शोर-मूस रहता है। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदयगत और श्वसनप्रिया तंत्र हल जाता है। उच्च गन्तव्य और अन्तार की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुमान-परिधि ध्वनि प्रदूषण को निर्मित नहीं किया गया तो सन् 2000 तक महानगरों में रहने वाले अधिकांश नागरिक या तो ऊँचा सुनने लगे या पुण्यता बहरपन के शिकार हो जायेंगे।

पर्वतों की म्यून्ड हवा और जीवनदायी जल टूट-टूट में ताँबा को म्यान्थस लाभ के लिए पहाड़ पर रहने व अनि के लिए आश्रित करत थे। लेकिन अब तो पर्वतों पर भी प्रदूषण का आक्रमण हुआ है। पर्वतों ने नदियों के उद्गम-स्थलों और पहाड़ों के नौरिगों पर वृद्धि के हेतु उमा कर दिये हैं। वडी सडग म पघटने के अनन नदिया के तट मल मे दूषित हो रहे हैं। भूमिखलन और भूक्षय से जल की शुद्धता ममान हो जाती है। खनन कर प्रदूषण को बढ़ावा देता है। कर्मि छाना तथा म छुनिजे के अवरोध पानी के साथ बहकर आते हैं। इनमें उदा एव ओर चूना पत्थर निकालने से धरात व वनस्पति क्षय का क्षम हुआ है जो पानी का मलिन व शुद्धिकरण करण का न दूसरी ओर धूलकण हवा में मिल गये हैं। धूलों को कटाई निर्माण कार्यों और खनिज कार्यों में वातावरण में धूल की मात्रा बढ़ा है। भोजन पकाने अर्थात् विद्युत का उपयोग करने और यहाँ तक कि

शवास क्रिया से भी पर्यावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। इस कारण पारम्परिक प्रदूषकों की स्थिति की दृष्टि में, विकसित एवं विवासाशील, दोनों ही राष्ट्रों के समझ लगभग एक जैसी समस्या विद्यमान है।

परम्परागत वायु प्रदूषकों पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। इसके साथ ही उद्योगों के केन्द्रीयकरण शहरोंकरण की प्रवृत्ति और वन विनाश को रोकना होगा, शक्ति के माध्यमों के रूप में कोयला व लकड़ी आदि का उपयोग धीरे धीरे बंद करना होगा। वृक्षारोपण का गति बढ़ाना होगा और विद्यमान वनों को बचाना होगा।

3 बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण (Growing Population & Urbanisation) - विकास की धुएँ शहरीकरण के दोहन में प्रारंभ होती है। बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण व विस्तार, स्तूप भूमि, बाँधों के निर्माण आदि के कारण वनों की अधाधुन्ध कटाई में आत्र पर्यावरण-असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रकृति ने मानव का पालन-पोसा एव मकारा है, परन्तु आज विज्ञान का युग है जिसमें मनुष्य प्रकृति की गोद छोड़कर सोबी-गरी व अपना बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शहर की आरंभ भाग बला जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या में विचार होकर मानव ने बहुत तावता में वन और पर्वत काटकर वायु-उपयोग तथा आवासीय भूखण्डों का निर्माण किया है। इसमें पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण का सकट गहरा होता जा रहा है। इनकी के अनुपम गावा व शहरीकरण से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। मानव द्वारा विमर्जित मल-मूत्र तथा असंयमित व्यवहार व फलस्वरूप जल, वायु एवं ध्वनि, सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि हुई है।

अज शहरी वातावरण विषाक्त व तनावग्रस्त रहने वाला बन गया है। इससे अधिक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जीवनपर्यायी और मुफ्त में प्राप्त वायु भी अब शुद्ध व स्वच्छ नहीं मिल पा रही है। वाहनों व मशीनों का बढ़ती संख्या से वातावरण में अवाहनीय शोर भर गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक अनुमान - विश्व के 630 काण्ड लोग प्रदूषित वातावरण में सास ले रहे हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण नई तकनीक का विकास एवं उसका उपयोगवद है। ब्रासंख्या वृद्धि से शहरीकरण मशीनीकरण भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का पर्यक्षण एवं वन का अधाधुन्ध विनाश ही प्रदूषण के कारण हैं। प्राकृतिक माध्यमों के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप ही पर्यावरण मनुष्यन गडबडगों से प्रदूषण बढ़ने लगा है। धूलिक जल, वायु धुनि और वृक्ष सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अतः आज वडन

जनमख्या व शहरीकरण नि सदह मानवीय जन जावन के लिय एक चुनौती बन गया है। इस प्रकार जनसंख्या व शहरीकरण बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन गया है।

नगर निगम अवशिष्ट का शहर की जनमख्या स गतरा सबब ह। इन अवशिष्टों का किम प्रकार से प्रयाग किया जाता है इसी पर प्रदूषण की मात्रा निर्भर करती है। यदि यह अवशिष्ट अधिकांश विकासशील राष्ट्रों की तरह शहरा म गटे नालों के रूप म खुला रहता है तो इसस गप्पर डाइ आम्लाइड और कार्बन मानो आक्साइड नैसी गेम निकलती रहती है ता कि मनुष्य के लिए घातक है। मनुष्य के असुरमित व्यवहार के कारण शहरा मे जल की शुद्धता का स्तर भी कम होला जा रहा है। नगर प्रदूषण क प्रभाव के कारण मनुष्य व पशु अनेक प्रकार क रोगा म ग्रसित हो रहे ह। उनम हेजा टाइफाइड परिसा मन्त्रिया आदि गेम प्रमुख ह। इस प्रदूषण म बचने के लिए भ्रकार व नगर निगमा का प्रथम कम्म लोग स्वय मनुष्य का भी मर्यामित व्यवहार करना हागा। उसका अपन आम पास व मफाई व्यवस्था पर ध्यान दना हागा सार्वजनिक जल प्राप्ति क स्थाना पर गदगा फैलाने मे बचना हागा। इन स्थाना पर कुछ फर्कट फैकने बुकने आदि की प्रवृत्ति म बचना हागा उमह मय ही सभी गाये का उचित मस्यल्ला नीति का पालन करना हागा।

4 औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Waste) विरल म प्रदूषण का एक प्रमुख सग्य औद्योगीकरण की प्रवृत्ति ह। औद्योगिक कारखाना एव फकिन्धा का विमनिय म विचनन वान भुए एव गट पानी म वायु व नगर प्रदूषण म निरन्तर वृद्धि ला गने ह। यहा तक कि औद्योगीकरण के क अस्पास का भूमिगत जन भी अत्यधिक प्रदूषित हाता जा रहा ह। औद्योगिक नगर के आसपास से निचलेवाली नदिया भी प्रदूषित हाती जा रहा ह। कीटनाशक उद्योग उर्वरक उद्योग कागज पेपरम चमडा रजिडरम फोटोशियम रेकन बैटरीया एमिड प्लास्टिक गड मागेट एस्बेस आदि अनर उद्योग प्रदूषण म अत्राकृत अधिक योगदान देते ह। औद्योगिक शर्रा म निरन्तर वान जल क कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती जा गी है। विभिन्न उद्योगा द्वारा वैज्ञानिक तरीका का उचित उपयोग नही किए जाने से भी प्रदूषण की स्थिति गभीर हुई है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण विरल मे नीव जलुआ एव वनस्पतिया की कुन 17 लाख प्रजातियों म से जीवा का 1 हजार तथा वनस्पतिया की 20 हजार प्रजातिया विलुत होने की स्थिति म है। इस प्रदूषण म एक दिन म लगभग 25 हजार व्यक्ति मौल से शिकार हा रह ह।

औद्योगीकरण के कारण ठोस अवशेषों की मात्रा निरन्तर बढ़ रहा है और शुद्ध जल एव वायु की कमी होती जा रहा है।

5 अणु ईंधन (Spont Nuclear Fuel) अणुशक्ति को आने वाले वर्षों का प्रमुख शक्ति स्रोत माना जाता रहा है। अणुशक्ति एक ऐसा माधन है जिसके अन्तर्गत बहुत कम ईंधन प्रयुक्त करके भा बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के अनेक साधना की तुलना में यह सस्ता भी है। विश्व की अणुशक्ति का पूर्ण विद्योहन भी अब तक नहीं हो पाया है। इस कारण भविष्य में अणुशक्ति के विकरण का सम्भावनाए व्यक्त की जा रही है। अणुशक्ति का एक दुधारी तत्ववाण माना जा सकता है जा मनुष्य का भा नष्ट करने की क्षमता रखती है। अणुशक्ति के उत्पादन क पश्चात् पद अपशिष्टा का फैकने म अत्यधिक मावधाना बरना जाता है किन्तु अपशिष्ट पदार्थों को जिन प्रकार म फैका जाता है वह प्रतिक्रिया निर्विवाद नहीं है। इन अधिकांश अपशिष्टा का नाल को पेटिया में बंद करके समुद्र म फेका जाता रहा है। कुछ समय पूर्व रूस न भी इस तथ्य का स्वाकार किया है। ज्ञातव्य है कि 1945 म जो एक हजार से अधिक अणु विस्फोट हुए है। उनम से 638 अमेरिका व 398 रूस द्वारा किए गए अणुशक्ति का प्रथम अधिकांशत विस्फित गाटा द्वारा किए जा रहा है किन्तु इनर दुष्प्रभाव केकन इन्ही गाटा वच समाप्त नही रहये वन् संपूर्ण विश्व का क्षति उठाना पड गफनी है। इस तथ्य का समा का ज्ञान है कि 26 अप्रैल 1986 का तत्कालीन सोवियत संघ के चैर्नोबिल परमाणु गियक्टर म भयंकर दुर्घटना घटित हुई थी। इसम आसपास क क्षत्र म भागे विनाश ना हुआ हा दुर्घटना क बाद गई दिना तक आणविक गटल वृषण क एर बहुत उड हिम्म म गाए रह जिमम पर्यावरण सन्तुनन पर दुष्प्रभाव पडा पशुआ आर पाधा की प्रजातिया का अस्तित्व हा खतरा म पड गया। इस प्रकार 6 अप्रैल 1993 का म्हाडरगिया क तामस्क 7 नामक एक भूमिगत स्टारज टैंक म गट रेंडियाधर्मी विशरकर यूरिनियम क मलर म विस्फोट हात म एक बार फिर परमाणु पदार्थ विकिरण शक्ति पर्यावरण का खतरा उत्पन्न हाअ 131 माच 1993 का भारत क नगीर परमाणु रिपेक्टर क युक्ति प्रथम व जनरटर म आग लगन मे एक बडा दुर्घटना हात-हात बन गयी। वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु कार्यन्मा से भूमिगत प्राकृतिक जन भण्डार दूषित हो सकता है आर अनेक गाटों मे ता भूमिगत जल ल पदजन का मुख्य स्रात है।

इसम कोई सल्ल नही कि विकास की प्रक्रिया शक्ति व साधना व रिसा स्कन्धी इण्णी आवश्यकता इस ज्ञान की है कि शक्ति क परम्परागत साधना का विनाश

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याएँ

क्रिया जाए विशेष रूप से सौर ऊर्जा व वायु ऊर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन पर बल दिया जाए। विश्वव्यापी समझौते व माध्यम में विनाशक औद्योगिकियों के हस्तान्तरण पर रोक लगा देनी चाहिए तथा परमाणु परीक्षणों को बुरा प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए।

6 ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन की परत में छेद (Green House Effect & Hole in Ozone Layer) - ग्रीन हाउस से आशय एक ऐसे हाउस अथवा घर से होता है, जिनकी दीवारों और छतों का अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जैसे सूक्ष्म तापरोधी पदार्थों से बनायी जाती है। यदि हम गृह में कोई पौधा लगाया जाता है तो वह हरा-भरा रहता है। ऐसे गृहों का प्रयोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फल व सब्जियों के पौधे लगाने में किया जाता है। शीत ऋतु में इन गृहों में शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली सब्जियों व फलों को उगाई जा सकती है। इन गृहों में सूर्य की विकिरणें अपना विशेषी दीवारों को भेदकर लगभग बचा देती हैं। इस प्रकार शीत ऋतु में भी ऐसे गृहों का तापक्रम बाहरी वातावरण की अपेक्षा अधिक रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और मीथेन आदि गैसों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः वायुमण्डल में अँकमोजन की कमी हुई है। विज्ञानित औद्योगिक राष्ट्रों ने इस तथ्य को मान लिया है कि ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर हो केट कर रकें हैं। फलतः धरातल के तापमान में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या विश्व के सम्पूर्ण एक गम्भीर चुनौती है। इस प्रभाव में आर्कटिक सागर और अण्टार्क्टिका महाद्वीप के विशाल बर्फीले भूखण्ड के पिघल जाने में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के अनेक भू भाग जलमय हो जाएंगे। सूर्य की किरणों में गर्म होने के परभाव जव पृथ्वी ठण्डी होने लगती है तो ऊष्मा पृथ्वी में बाहर की ओर विकिरित होना प्रारम्भ हो जाता है। तबान वातावरण में विद्यमान विभिन्न गैसों इस ऊष्मा का कुछ भाग मोख लेती है ओर इन्हे पुन वायुमण्डल में छोड देता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वायुमण्डल में अतिरिक्त ऊष्मा जमा होने लकने है। विगत वर्षों में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण पृथ्वी के तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है। 1998 में नेशनल ऐंटेनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) अमेरिका ने विगत 100 वर्षों के तापक्रम का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला गया कि विगत 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.6-1.2 सेन्टीग्रेड की वृद्धि हुई। इसी प्रकार नई टिप्पणे में आर्पोजित अन्तर्राष्ट्रीय योजना सम्मेलन,

1990' में वैज्ञानिकों ने कहा था कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जैसे-जैसे बढेगा, वैसे-वैसे वह सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण का तापक्रम बढायेगी। इससे जलवायु में परिवर्तनों के फलस्वरूप बढ व सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि होगी और उत्तरी ध्रुव की बर्फीले क्षेत्रों से भारत के तटवर्ती क्षेत्र, मालदीव और बंगलादेश जैसे अनेक राष्ट्रों के काफी भू-भाग जल में समाहित हो जायेंगे।

वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं प्रथम, औद्योगिकरण और द्वितीय वनों की तेजी से कटाई। आधुनिक युग में उद्योगों के अर्तानि मुख्या कोयला व पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अतः वायुमण्डल में अनेक प्रकार की गैसें पहुँच रही हैं। इन गैसों में से कार्बन डाई ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी मात्रा में औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेजी से वृद्धि हो रही है। मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस गैसों हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड के परधान क्लोरोफ्लोरो कार्बन ही एक ऐसी गैस है, जो पृथ्वी के तापमान को बढाती है और जो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। औद्योगिकरण के कारण वातावरण में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों के समीप वर्षों का जल धरातल पर पहुँचने में पूर्व वायुमण्डल में फैली गैसों में संयोग करके तेजाब में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी वर्षों में अनेक पर्यावरणीय एवं जैविकीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इससे जल एवं मिट्टी में तेजाब की मात्रा बढ़ने में वनस्पति एवं जीवों के मृत अवशेष से दुर्गन्ध फैल जाती है। इसमें मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। फलतः अनेक पेड-पौधों और परपुष्पियों की प्रवर्तियाँ विलुप्त हो जायेंगी। इन सबके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों में तेजी से वृद्धि होगी। आधुनिक युग में औद्योगिकरण के साथ-साथ प्राकृतिक ससाधनों की तेजी से कमी हो रही है। समूर्ण विश्व में वनविनाश एवं मिट्टी के कटाव के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई होगी। पेड-पौधे वायुमण्डल में कार्बन-चक्र को समन्वित करने का काम करते हैं। हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड को ग्रहण करके अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। अतः वृक्षों के अभाव में संश्लेषण क्रिया में कमी हो जाती है और कार्बन डाई ऑक्साइड में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से भी कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती

है। जल कृषि का काटा जाता है तो पृथ्वी के अन्दर का कुछ कार्बन आक्सीकृत हाबर वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता है। अतः वायुमण्डल में कार्बन डाई-आक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। यह कार्बन डाई-आक्साइड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है।

वायुमण्डल विभिन्न हल्की एवं भारी गैसों के सम्मिश्रण से बना है। इसे छह भागों में बांटा जा सकता है। इनमें अतर्गत आज्ञान मण्डल पृथ्वीवासीयों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। यदि यह परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवधारियों का रहना बचिना हो जाता। इस परत का ऊँचाई 32 म. 80 किलोमीटर है। इस प्रकार आज्ञान परत प्रायः पन्ना के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है और पृथ्वी को जनवायु एवं भौसम प्रणाली को नियंत्रित करती है। अतः जीवनोत्थरण व फलस्वरूप उच्च प्रदूषण व कार्बन डायऑक्साइड के कारण उत्पन्न हो गई है। प्रदूषण के फलस्वरूप क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः आज्ञान परत में छेद हो गया है। अणुशक्ति के प्रयोग पर अज्ञान परत में पाया गया छेद एक महाद्वार के समान है। अतः सूर्य की परावैगनी किरणों पृथ्वी पर पहुँचने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। इससे बुढ़ावा मानव की आँखा एवं त्वचा पर भी दुर्घटियों का कारण हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस छेद में प्रत्यक्ष 1 बिलियन टन का कार्बन व लगभग 40 हजार व्यक्ति पर्यावरण को विनाश से उत्पन्न रक्षा व शिक्का दे सकते हैं। यदि हम तेज वृद्धि कर लेते हैं तो पृथ्वी को जीवनोत्थरण में अतिक्रमण नहीं होगा। इसके फलस्वरूप पृथ्वी वातावरण और इसकी भौसम प्रणाली में अनेक परिवर्तन हो पाएँगे।

राष्ट्रीय समस्याएँ

NATIONAL PROBLEMS

1. कृषि विकास एवं प्रदूषण (Agricultural Development & Pollution) कृषि एवं पर्यावरण का गहरा सम्बन्ध है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है। वृषक विकास प्रकाश से फसल उत्पन्न करता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राष्ट्र-विशाल की कृषि उन्नत अवस्था में है अर्थात् नयी प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो कृषि उत्पादकों को अपना स्वयं का परिमिश्रण देना है। गुणवत्ता में विमानन गैसों उत्पन्न विकास करने वाले जीव-जन्तु, जलवायु आदि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य जब इन घटकों में कृषि रूप में परिमिश्रण लाने की कोशिश करता है तो परिमिश्रण देता

दूट जाता है अथवा असंतुलित हो जाता है। मनुष्य न विमानन के साथ-साथ कृषि विकास के लिए अनेक प्रकार के खाद व बीजों की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खादा का उपयोग निरन्तर कम होता जा रहा है। खेता में विद्यमान फसलों का रागो से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। उपपतवारों को नष्ट करने के लिए भी कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। भूमि का क्षमता का अधिफ-स-अधिक उपयोग करने के लिए उसमें तान-तान-तान-तान फसले लिए जाने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है। इन सभी कारणों से भूमि का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो रहा है। कृषि भूमि का अक्षयि कार्य में उपयोग भी कम हो रहा है। मनुष्य न क्षेत्रों की हरियाली को नष्ट करके ध्वंस रूपी पत्तों स्थापित कर दिया है जो पृथ्वी की सीमा के कारण परत में तात्कालिकता का असंतुलित ही करते हैं। अतः आज वायु में भूमि का बड़-बड़ फैलाने पर बचाने का ध्यान लगाते हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती चले रही है। भूमि का कटाव व भी भूमि का मूल स्वरूप बदल रहा है। भूमि का कटाव के कारण नदियों में शून्य की समस्या उत्पन्न होती है जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण का जन्म देता है। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में कृषि के अन्तर्गत मानव का हस्तक्षेप बढ़ा है। सामाजिक उत्थरण में भूमिगत जल व प्रदूषण के शर में इन्डियन मर्यादती आफ एम्प्लाय-रल इन्वेंस्टिमेंट्स द्वारा बचाई में आयाजित सम्मेलन में पर्यावरण तथा क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया था। इसमें पश्चात् एम्प्लाय-रल गुणितिमितों के बीच वैज्ञानिक एएएम चन्द्र इंदरपाल सिंह और विजय सिंह ने रक्षाध्यायन किया कि सामाजिक उत्थरण के अन्तर्गत इन्वेंशन में प्रजाति में भूमिगत जल के प्रदूषण में अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है। इनके अनुसार प्रजाति में कृषि वायु भूमि में नाईट्रट नाईट्राजन की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई आर सुरक्षित माना जाने वाला मात्रा में अधिक पाई गई है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मतानुसार नाईट्रट व रूप में 10 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) नाईट्रोजन माना जाता है। अतः नुम्सन्स में जिसमें दम घूटने जैसी शक्ति रिश्ते में पायी जाती है। इन स्थितियों के अनुसार अधिन क्रम देना चाहिए व अतः स्थिति में ब्रह्मण में ज्ञान माता में सम्पत्ति उत्थरण का सम्मान करने हैं। जिसमें भूमिगत जल का प्रदूषण का कारण बने

यह ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक उत्थरण में 50 प्रतिशत भाग है। परत का पोषण है। इसका 25 परागत भाग मिट्टी में मिश्रित नाईट्रोजन में है। इन्वेंशन जाता है और शक्ति 25 प्रतिशत भाग भूमिगत जल में मिश्रित उच्च प्रतिशत का इन्वेंशन विना स्वास्थ्य संगठन

का एक पत्रिका के अनुसार रासायनिक तत्वों के मिलने से भूमिगत जल का अम्लीकरण हो जाता है। इस अम्लीकरण को वरह में भूमिगत जल मनुष्य द्वारा पीए जाने पर शरीर में विकार पैदा कर सकता है। ऐसे प्रदूषित जल में कैडियम, अल्यूमीनियम, जस्ता और सीसा आदि होते हैं जो शरीर में डायरिया समीचे रोग पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस जल में मौजूद नाइट्रिट पेट के कैंसर जैसे घातक रोगों को भी पैदा कर सकता है।

यह मत्य है कि भारत में कृषि विकास के बिना अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव प्रतात नहीं होता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि फसलों में रासायनिक कीट नाशकों के स्थान पर प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग विग जाए। रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक व प्राकृतिक खाद का उपयोग बढ़ाया जाए तथा भूमि का क्षण रोका जाए।

2 औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण (Industrial Development & Pollution) - भारत के औद्योगिक विकास ने वहा वायु में विद्यमान जल को सल्फर डाई आक्साईड व जरिए तेजाबी बनाया है, वहाँ पृथ्वी पर विद्यमान पाषाणों को विभिन्न किस्मों के कचरे तथा अपशिष्ट से और भी प्रदूषित किया है। अपने देश में भूमिगत जल-संपदा एक मोटे अनुमान के अनुसार वहा हर साल होने वाली वर्षा से कम गुना ज्यादा है। भूमिगत जल संपदा के पूरे आकड़े वहा उपलब्ध नहीं हैं फिर भी अनुमान है कि भारत में 300 माटर की गहराई में करीब 3 अरब 70 करोड़ हैक्टयर मीटर जल भंडार मौजूद है। इस जल भंडार पर रासायनिक उर्वरकों के अलावा उद्योगों वारखानों में भी प्रदूषण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

वर्ष में रेशा उद्योग और तमिलनाडु में चमड़ा शोधन केन्द्र रड़ी मात्रा में भूमिगत जल का प्रदूषित कर रहे हैं। केरल व वान-कोने में नारियल के रेशों को साफ करने व लिए पानी में डुबा कर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में हाईड्रोजन सल्फाइड और ऑर्गेनिक तेजाबों से भूमिगत जल जहरीला हो जाता है। भेटर फॉर अर्थ साइमेज स्टडीज, त्रिवंद्रम के निदेशक डॉ. सी. करुणाकरण के अनुसार, उपलब्ध भूजल भंडार वारषा के पानी से धुलकर साफ हो जाते हैं वगर वहा भूजल भंडार की समस्या गभीर है। भविष्य में पानी का यहाँ मोत काम आएगा। वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय व भूगर्भ वैज्ञानिक डॉ. गिरिश चन्द्र चौधरी ने भी एक अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भूमिगत जल में नैडियम तत्व मौजूद है। वनारस हिन्दू व एक कुए में यूरेनियम के प्रति बिलियन

1/6 अंश मिले और दूयरे कुए में 15 अंश प्रति बिलियन थे। ज्ञातव्य है कि यूरेनियम का मान्य स्तर प्रति बिलियन 15 अंश है। गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और मिर्जापुर जिलों में डॉ. चौधरी ने भूमिगत जल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फस्फेट, सीसा, जस्ता, मैगनेज आदि जहरीली धातुओं को अधिक मात्रा में पाया। देश में इस समय कीटनाशक, उर्वरक, कागज, पेट्स, चमड़ा, सोडियम, पोटेशियम, रेयन, कुछ दवाइयों, फाउड्रीज, बैटरिया, एसिड, एल्कली, प्लास्टिक, रबड, सीमेंट, एसबेस्टर आदि मरह ऐसे उद्योग हैं, जिन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में घोषित किया गया है। इनमें सर्वाधिक खतरनाक सिद्ध हो रहा है, कीटनाशक औषधि-उद्योग जिसमें हर दो मिनट में प्रभावित होने वाला एक व्यक्ति भारतीय है। 1974 में कीटनाशक के उपयोग में तमिलनाडु में न्यूब तीन हजार तथा महाराष्ट्र में 400 लोग मारे गये। भारत जैसे उष्ण देश में कीटनाशक का प्रभाव ज्यादा प्रबल है। आई टी आर सी, लखनऊ की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती भारतीय महिलाओं में क्लोरोनयुक्त हाईड्रोकार्बन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। भारत के छिडकाव-कर्मचारियों में और लोगों के मुकाबले इसके अवशेष ग्यारह गुना अधिक होते हैं। कीटनाशकयुक्त चारा खाने वाली मुर्गियों द्वारा दिए गए 10 अंडों में में 9 में डीडीटी के अवशेष पाये जाते हैं। दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में जापान को छोड़कर भारत पेस्टिसाइड्स का सबसे बड़ा निर्माता है। जाहिर है प्रदूषण भी यहाँ सर्वाधिक है।

1993 में सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजित सगोष्ठी के प्रस्तावों में कहा गया कि औद्योगिक अपशिष्टों के निकास एवं रासायनिक अपशिष्ट को निष्क्रिय करने के लिए नवीनतम तकनीकी का विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जाए वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों का प्रयोग बढ़ाया जाए नये उद्योगों की स्थापना में पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्घटना की अवस्था में वहा चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हों। अन्य प्रस्तावों में कहा गया है कि वानिकी को उद्योग घोषित किया जाए तथा प्रत्येक उद्योग को आवंटित भूमि का एक तिहाई भाग वानिकी के लिए सुरक्षित रहे। जनता को उद्योगों के बारे में जानकारी व अधिकार दिया जाए तथा उद्योगों द्वारा स्वयं की ओर में प्रदूषण सक्ती सभी उपलब्ध जानकारी हर तीसरे माह अखबारों में प्रकाशित कराना आवश्यक किया जाए। इसके साथ ही पर्यावरण ऑडिट में स्वैच्छिक संगठन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, विधिवेताएँ एवं पर्यावरण वैज्ञानिकों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार कराई जाए।

3 परिवहन विकास एवं प्रदूषण (Development of Transport & Pollution) औद्योगिक क्रांति क फलस्वरूप मनुष्य ने अपना मुख सुविधा के लिए अनेक माधन एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास की दर तीव्र होना प्रारंभ हो गई। औद्योगिक विकास के साथ देश में मोटरगाडियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। मोटरगाडिया एक ऐसा माधन है जो शहरी क्षेत्रों में समाज को गति प्रदान करता है। ये औद्योगिक विकास के लिए आधारस्तम्भ भी है। प्रयोग की दृष्टि से इन्हीं दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पेट्रोल में चलने वाले वाहन जैसे स्कूटर मोटर साइकिल कार व मोपेड और द्वितीय डीजल से चलने वाले वाहन जैसे बस टक व मैटैडार आदि। भारत क शहरा क्षेत्रा की जनसंख्या तेजी स बढ़ रही है अत मार्वजनिक परिवहन प्रणाली टन्ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती है। फलत व्यक्तिगत वाहना की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उद्योगों का तेजी से विस्तार तथा महानगरों का सुविभाजित विस्तार नहीं होने के कारण भी व्यक्तिगत वाहनों की संख्या तीव्र गति में बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि स्कूटर मोटर साइकिल व कारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है सम्पूर्ण भारत में कुल मोटर साइकिलों का 60% भाग स्कूटर मोटर साइकिलों और मोपेड आदि वाहन का है इनका लगभग 40% महानगरों में है। मोटरगाडियों की संख्या में वृद्धि क साथ साथ महानगरा में प्रदूषण का समस्या तेजी स बढ़ रहा है। सम्पूर्ण भारत में पजीकृत कुल मोटरगाडिया का लगभग 35% महानगरों की मडकों पर केंद्रित रहता है। इनमें अनेक प्रकार के प्रदूषक धुएँ क रूप में उत्पन्न होते हैं। पेट्रोल से चलने वाला गाडिया में मुख्यत कार्बन मोनो आक्साइड हाइड्रोकार्बन तथा सीसा आदि निकलते हैं। इस प्रकार डीजल स चलन वाली गाडियों में मुख्यत नाइट्रोजन के आक्साइड और आक्साइड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। इसके अतिरिक्त मोटरगाडिया क धुएँ में मल्फर डाई आक्साइड कार्बन मोनो आक्साइड व हाइड्रोकार्बन आदि तत्व निकलते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 1980 में किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली में उत्पन्न होने वाले 1172 729 टन वायु में से 670 605 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन दिल्ली की मडकों पर टूटने वाली 13 लाख गाडिया से उत्पन्न होता था। 1981 82 में पेट्रोल क उपयोग से 24 5 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ 1991 92 में यह मात्रा बढ़कर 52 2 लाख टन हान का अनुमान था। दिल्ली में मोटरगाडियों से उत्पन्न वायु प्रदूषण में लगभग 90 ग्राम प्रदूषक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सामान्य

जाने के लिए पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं। वायु प्रदूषण की यह मात्रा अत्यधिक यातायात वाले क्षेत्रों में और भी अधिक हो सकती है।

1987 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र का राजधानी मुम्बई में पजीकृत कुल मोटरगाडियों की संख्या 520838 थी जिसमें आधी से अधिक कारें आर जेपीं थीं। इन गाडियों से मुम्बई में प्रतिदिन 548 81 टन वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। मुम्बई में पेट्रोल के उपयोग से 1981 82 में 25 9 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ जिसका मात्रा 1991 92 में बढ़कर 52 5 टन हान की संभावना थी। मुम्बई में लगभग 53 ग्राम वायु प्रदूषक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मोटरगाडिया से उत्सर्जित वायु पर्यावरण में फैलता है। इस महानगर में विज्ञानी स चलने वाली तीव्र गति की लोकन गाडिया की सुविधा होने के बावजूद भी यहां क मार्गों पर मोटरगाडियों का दबाव बहुत अधिक है।

भारत में कलकत्ता सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों में स एक है। यहां भी बहुत अधिक संख्या में मोटरगाडिया के यातायात से निकलने वाले वायु प्रदूषक घातक रूप धारण कर चुके हैं। इनके उपयोग से 1981 82 में 14 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ। 1991 92 में यह मात्रा बढ़कर 28 7 टन हान का अनुमान था। कलकत्ता में मोटरगाडियों से उत्सर्जित 23 31 ग्राम प्रतिव्यक्ति वायु प्रदूषक पर्यावरण में मिलते हैं।

मद्रास देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। मद्रास में दो तिहाई स अधिक संख्या हल्का मोटरगाडिया की हैं। इनसे 188 54 टन वायु प्रदूषक प्रतिदिन उत्सर्जित होते हैं यहां प्रतिव्यक्ति 48 58 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाडियों से उत्सर्जित होकर हवा में मौजूद रहते हैं। पेट्रोल की मोटरगाडियों क उपयोग में मद्रास में 1981 82 में 5 6 टन शीशा पर्यावरण में उत्सर्जित हुआ।

लखनऊ में मोटरगाडियों में 69 50 टन वायु प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इस नगर में प्रतिव्यक्ति 65 88 ग्राम वायु प्रदूषक मोटरगाडिया स उत्सर्जित होकर वायु माग सामान्य में घुलता है। वाराणसी में भी मोटरगाडिया स निकलने वाली गैस गंधीर रूपधारण कर रही है वाराणसी में मोटरगाडिया स 71 80 टन वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है।

सड़कों पर चलने वाली गाडियां स उत्सर्जित गैस का मनुष्य जानवरों और पक्षियों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। मोटरगाडियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनो आक्साइड एक जहरीली गैस है। इस गैस की उपस्थिति स रक्त में आक्साजन का कमी हो जाती है। रक्त क द्वारा हो

शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। शरीर में ऑक्साजन की कमी का सबसे बुरा प्रभाव केंद्रीय स्नायुतंत्र पर पड़ता है। इससे स्नायुदुर्बलता तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव होता है। हाईड्रो कार्बन के वातावरण में उत्सर्जित होने से आस और गले में जलन तथा कैंसर होने की सम्भावना रहती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति स खासि सास लेने में दिक्कत और फेफड़ों के खराब होने का भय रहता है। इन गैसों से मिलकर बने फोटोबैमिकल्य बोहर से गास की बीमारी, आँखों में जलन और गले में खराबी होती है। सल्फर डाई ऑक्साइड कई तत्वों में मिलकर जहरोले और कैंसर कारक तत्वों को जन्म देते है। पेट्रोल की गाड़ियों में उत्सर्जित होने वाला सीमा फेफड़ों यज्ञ गुटे और बच्चों के मस्तिष्क को हानि पहुँचाता है तथा महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी क्षीण करता है।

1987 के आकड़ों के अनुसार देश के 12 महानगरो में कुल मिलाकर लगभग 3 हजार टन प्रदूषणकारी तत्व वाहनों के धुएँ के रूप में वायुमण्डल में छूटते है। प्रायः यह माना जाता है कि सबसे अधिक प्रदूषण डीजल की गाड़ियों से होता है, लेकिन स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि दुपहिया व तिपहिया वाहनो की वजह से हाती है। पेट्रोल में निकलने वाला सांसा भारत में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है जबकि यूरोपीय राष्ट्रों में ऐसे इन्जन वाहनो में लगाए जा रहे है जिन्हे सीमा मिले पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। हमारे देश में यह ब्रह्म वाहनो के इन्जनों की जरूरत के लिए मिलाना पडता है। मुम्बई में अनेक स्थानों पर तिपहिया वाहनो की चलाने की मनाही है पर दिल्ली में कोई स्थान उनसे अछूता नहीं है। दिल्ली के वाहनो की कुल संख्या में 70% में अम्पिक दुपहिया वाहन है। इनमें से 2 स्टोक इन्जन होने के कारण कार्बन मोनो आक्साइड जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। नई दिल्ली में निर्धारित किए गए प्रदूषणो के स्तर में यह स्मॉट रूप से पता चलता है कि यातायात नौराशे पर धुन एवं धुएँ का स्तर लगातार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमाओं से भी अधिक बडना जा रह है। मुम्बई में समुद्र और बगलौ की घनी हरियाली बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषणकारी गन्ना को माख लेती है इसलिए उनका अधिक प्रभाव दृष्टिगानर नहीं होता है। बलकनता और अहमदाबाद में न के हीयाता है और न ही बहुत अधिक खुला स्थान है अत्र मारी गैमे मिमट कर रह जाती है और प्रदूषण बढना जाता है। मर्दिशे में वायु-प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि कम तापमान के कारण गैसे पैत नहीं पाते और नीचे हो जाते है।

ताप-विद्युत, गैस व अणु-शक्ति आदि शक्ति के साधनों का तीव्र गति में विकास हुआ है। शक्ति के माधनों से भी प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ी है। म्बतवता-शक्ति के समय डिगवोई तेल शोधनशाला की स्थापना के साथ भारत में तेलशोधन उद्योग शरम्भ हुआ। वर्तमान में अनेक तेलशोधन शालाएँ कार्यरत है। कच्चे तेल की शोधन-प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के तरल, गैसीय और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलते है। ये पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। 'नवभारत टाइम्स-मोड सर्वेक्षण' से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली के दो तापविजलीघरो का भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान है। इनसे 25 हजार टन से भी अधिक सल्फर डाई ऑक्साइड और राख प्रतिवर्ष वायुमण्डल में पहुँचती है। दिल्ली के बदरपुर तापविजलीघर में प्रदूषण को कम करने वाले बहुमूल्य उपकरण लगाये गए है, लेकिन इसकी विमनियो से निरन्तर काला धुआ निकलता रहता है। इससे आसपास के क्षेत्रों के घरों में ककलित जम जाती है। देश के प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में अथवा उनके आसपास ताप विजलीघर होता है। अधिकांश प्रदूषण इसी से होता है। हमारे देश में तेल के साथ निकलने वाली शक्ति गैस की काफी बड़ी मात्रा जलकर गूट कर दी जाती है, क्योंकि उसका भंडारण संभव नहीं है। वायुमण्डल में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर यह नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो बारिश के पानी को अम्लीय बना देता है। ऐसी बारिश से पेड-पौधो, भूमि की उर्वरता और भवनों पर बुरा असर पडता है। मुम्बई के चेंबूर और कल्याण क्षेत्रों में वर्ष 1974 से लगातार अम्लीय बारिश की खबर आती रही है। दिल्ली में इन्ड्रस्स तापविजलीघर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ वर्ष प अम्लीय वर्षा हुई थी।

भारत में समय-समय पर परमाणु ऊर्जा सयत्रों में खराबी के कारण भी प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती रही है। 31 मार्च, 1993 को नरोटा परमाणु रिएक्टर के यूनिट प्रथम के जेनेरेटर में आग लगने में एक बड़ी दुर्घटना होने-होते तल गयी थी, क्योंकि आगे मुख्य सयत्र से वेवल टा सी मीटर दूर लगी थी। उसके दो वर्ष पूर्व कारगरार रिएक्टर में भी आग लग चुकी थी। सरकारी आकलन में परमाणु कार्यक्रम से भूमिगत प्राकृतिक जल भण्डारों को खतरे की चेतावनी दी गई है। यदि भूमिगत जल में रेडियोएक्टिव पदार्थ बढते है तो यह चित्त का विषय है, क्योंकि देश की आधी जनसंख्या के लिए भूमिगत जल ही पेयजल का मुख्य स्रोत है।

4 शक्ति के साधन एवं प्रदूषण (Sources of Energy & Pollution) - भारत में पेट्रोलियम-शाधन

5 खनिजों का विदोहन एवं प्रदूषण (Exploitation of Minerals & Pollution) - औद्योगिक विकास की

दृष्टि से खनिज पदार्थों का अधिक महत्व होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में खनिज पदार्थों का तेजी से निर्यात किया जा रहा है अतः इससे पर्यावरण का सकट गहरा होता जा रहा है। खनिज प्राप्त करने हेतु वन काट दिए जाते हैं। इससे न केवल पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वरन् मिट्टी के कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिकरण के साथ-साथ खनिज पदार्थों की भाग में तेजी से वृद्धि हुई है अतः देश के प्रायः अनेक भागों में खनिजों के निर्यात का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। खनिज प्राप्ति हेतु वन काट दिए जाते हैं। अतः पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खान क्षेत्र में मलबे के बहुत बड़े क्षेत्र में ढेर लग जाते हैं। इससे न केवल कृषि विकास व वन विनाश में बाधा उत्पन्न होती है, वरन् कुछ खनिजों के अत्यधिक वायु के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, उदाहरण के लिए, देश के जिन क्षेत्रों में कोयले की खानें हैं, वहां के आस-पास के क्षेत्रों में कोयले की गंध के छोटे-छोटे कण वातावरण में फैल जाते हैं। अतः साम लेने में कठिनाई होती है और उन क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चर्म रोग व श्वास रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। खनिज प्राप्ति वाले क्षेत्रों में वन-विनाश के कारण मिट्टी का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है। उन क्षेत्रों की भूमि कृषि के योग्य भी नहीं रह पाती है। अतः पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

मानव ने औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक ससाधनों जैसे भूमि खनिज पदार्थ, पर्यु-सम्पदा वन-सम्पदा एवं जल आदि का तेजी से उपयोग किया है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ भूमि का उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। इससे न केवल कृषिभूमि के क्षेत्रफल में कमी हुई वरन् अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने हेतु वन काट दिए जाते हैं। अतः वनों के क्षेत्र में तेजी से कमी हो रही है।

6 शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रदूषण (Urbanisation Growth of Population & Pollution) - विकास के साथ-साथ शहरों के आकार में तेज गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या शहरों का विकास बाधों का निर्माण एवं औद्योगिकरण के लिए वनों की अधाधिक कटाई का कारण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कारण गन्ना के अवसरों में वृद्धि होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति शहरीकरण हेतु शहरों में आकर बस जाते हैं। इससे शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई

जनसंख्या से विपरीत होकर मानव ने बहुत तीव्रता से वन एवं पर्वत काटकर बहु-उपयोगी तथा आवासीय इमारतों का निर्माण किया है। इससे पिछले कुछ दशकों में ही पर्यावरण का सकट गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शहरीकरण में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मानव द्वारा विमर्जित मलमूत्र, धुआ, गैस, धूल के कण और अत्यधिक जल के फलस्वरूप वायु जल एवं ध्वनि आदि प्रदूषणों में वृद्धि हुई है।

वहनों व मशीनों की बढ़ती संख्या से वातावरण में अवांछनीय शोर भर गया है। जनसंख्या-वृद्धि में शहरीकरण मशीनीकरण औद्योगिकरण, भूमि की कमी, वैज्ञानिक आविष्कारों का परीक्षण एवं वनों का अधाधिक विनाश ही प्रदूषण के कारण हैं। प्राकृतिक ससाधनों के अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप ही पर्यावरण असंतुलन विगड़ने से प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस प्रकार बढ़ता हुआ प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक चुनौती बन गया है। इस समस्या का समाधान वनों के विकास में ही निहित है। वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि जिन इलाकों में वन क्षेत्र 6% से कम हो जाता है वहाँ सम्भाव्यताएँ नष्ट हो जाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के वन-क्षेत्रों में तेजी से कमी हुई है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि वनों से अत्यधिक मात्रा में तेजी से कमी हुई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वन-क्षेत्रों का तेजी से विस्तार किया जाए।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के शहरों की जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। शहरों में जनसंख्या में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 तक भारत की शहरी जनसंख्या 35-40 करोड़ तक बढ़ेगी। यूनियन के अनुसार वरुंडी मद्रास बलरुन्दा व दिल्ली विश्व के 30 बड़े नगरे में गिन जाएंगे तथा इनमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। अत्यधिक शहरीकरण के कारण भूमि की उपलब्धता आवास की कमी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जल संकट, अत्यधिक गर्मी की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। शहरों में गर्मी का अत्यधिक प्रत्यक्ष कारण शहरी सुविधाओं में भी कमी आई है। विश्व बैंक व एफ रोड-वर्क ऑर्गनाइजेशन 'एन अग्रसर तीसरे दुनिया के देशों में तेजी से शहरीकरण के कारण प्रदूषण खतरनाक सीमा तक पहुँच रहा है। सन् 2000 तक इन देशों के बड़े नगरे में प्रदूषण का स्तर दुगुना हो जाएगा।

(स) राजस्थान की विशिष्ट समस्याएँ SPECIAL PROBLEMS OF THE STATE

1 राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण (Industrial Development in Rajasthan & Pollution) - गन्तव्यता क पञ्चान्न राजस्थान में भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राज्य के जयपुर, कोटा, अलवर अजमेर, पाली भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर व ग्वालियर आदि क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही है। औद्योगिकरण के कारण इन क्षेत्रों का नजदीकी से विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही साथ इन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या ने भी गम्भीर रूप धारण कर लिया। राज्य के पाली क्षेत्रों में वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई का कार्य प्राचीनकाल से होना आ रहा है। वित्त कुछ वर्षों से इस शहर में रंगाई एवं छपाई उद्योग का तेजी से प्रसार हुआ है। इन कार्यों में लगभग 40 लाख गैलन अपशिष्ट जल प्रतिदिन विनिर्जित होता है। शहर के निकट बाडी नदी है जिसे गन्तव्य का तीन ओर से घेर रखा है। शहर के बाग़खानों का जल इस नदी में जाता है। इस जल में माडियम मिनिरल कंटेंट हाइड्रोकार्बोनाइड स्कोरोइड-नाइ-कॉर्पोरेट कैंगसीन एवं बोरेट आदि तत्व होते हैं। धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ व्यक्ति इस अपशिष्ट जल से कैरोसीन निकालने का कार्य करते हैं। इस अपशिष्ट जल के कारण नदीपत्र की भूमि की उर्वरशक्ति समाप्त हो रही है और एक बहुत बड़े भू-भाग का भूगर्भीय जल भी रसायन तथा प्रदूषित हो गया है। इस जल के सेवन के कारण अनेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो चुके हैं। इन कारखानों में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित हैं। ये प्रायः अत्याचर से हो गन्तव्य व रसायनों का मिश्रण तैयार करते हैं, अतः कुछ रसायन व रसायन आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं जो प्रदूषण को गम्भीर बनाते हैं। सरकार द्वारा जल प्रदूषण के निवारण हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय पर राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेक कारखानों की बंद कर दिए हैं लेकिन यह उपाय उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे राज्य के औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाएगी।

राजस्थान की राजधानी जयपुर का औद्योगिक विकास राज्य के प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से हुआ है। कोटा शहर राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ कोयला कारखानों के कार्बन-स्लैब और ईट-बट्टी की प्रदूषित वायु ने शहर के पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर

दिया है। राज्य के उदयपुर शहर के निकट रमायन उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इन कारखानों के अपशिष्ट जल के कारण लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में भू-गर्भीय जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। इस क्षेत्र की भूमि की उर्वरशक्ति भी समाप्त हो चुकी है। राजस्थान में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के फलस्वरूप चम्बल, पार्वती, काशीसिंध, अलनिया, बाडो और तुण्ड आदि नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं।

2 खनिज विदोहन एवं पर्यावरण अधिसूचना (Mining & Environmental Notification) - राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य के अधिकांश खनिज क्षेत्र पहाड़ी व वन क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः खनिजों का विदोहन करने पर पर्यावरण को क्षति पहुँचती है और यदि खनिजों का विदोहन नहीं किया जाए तो विकास अवरोध होता है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1993 में जारी अधिसूचना का सर्वाधिक प्रभाव खनिज एवं उद्योग क्षेत्र पर पड़ेगा। केन्द्र द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि वन्य-जीवों के लिए आरक्षित अभ्यारण्यों के 5 किलोमीटर क्षेत्र में खनन, भवन निर्माण व व्यवसाय को निषिद्ध क्षेत्र करार दिया है। राज्य में अधिकांश खनन कार्य अरावली पर्वत श्रृंखला में पट्टे-धारकों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। जहाँ इस पर्वत श्रृंखला में सोना, चादी, तांबा आदि बहुमूल्य धातुएँ पाई जाती हैं, वहाँ 30-35 अन्य किस्म के अप्रधान खनिज भी मिलते हैं, जिनमें दबजरी व पत्थर आदि भी शामिल हैं।

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की ओर से जारी वार्षिक प्रतिवेदन में प्रधान खनिजों के पट्टों की संख्या 1413 है, वहीं अप्रधान खनिजों के पट्टों की संख्या 8809 है। पर्वतश्रृंखला में प्राप्त होने वाली धातुओं के जिलेवार आकड़ों की स्थिति से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि खनन कार्य प्रत्यक्ष तौर से प्रदेश के अभ्यारण्यों के अन्दर या नजदीक ही पट्टेधारकों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाली खनन कार्य राष्ट्रीय परियोजना व अभ्यारण्यों में सीधे तौर पर जुड़ा है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में दो राष्ट्रीय पार्क व 23 अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। यह नवम अभ्यारण्य शत प्रतिशत तौर पर अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ते हैं जहाँ कि हरियाली का आभास होता है। राष्ट्रीय पार्क में रजदमौर नेशनल पार्क व केन्दरटव राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनका क्षेत्रफल क्रमशः 392 व 2873 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य में अलवर स्थित मरिचक का 492 कोटा स्थित टर्न 265 धौलपुर स्थित वन विहार 5993 उदयपुर स्थित जयनमद 52 मिश्रहरी स्थित माउण्ट

आबू 288 84, उदयपुर स्थित कुम्भलगढ 578 25, चूरू स्थित तालछापर 7 90 चित्तौडगढ स्थित सीतामाता 422, कोटा स्थित राष्ट्रीय चमल 280, जयपुर स्थित नाहरगढ 50 रामगढ 300, कोटा स्थित जवाहर सागर 100, जैसलमेर स्थित डेजर्ट 3162, बूंदी स्थित रामगढ विषपारी 307, चित्तौडगढ स्थित भैमरोडगढ 229 14, सर्वाईमाधोपुर स्थित कैलादेवी 676 38, कोटा स्थित शेरगढ 98 71, अजमेर स्थित टाडगढ रावली 495 27, पाली एव उदयपुर स्थित फुलवती की नाल 511 41, सर्वाईमाधोपुर स्थित सर्वाई मानसिंह 403 25, भरतपुर स्थित बन्ध बराठा 192 76 तथा उदयपुर स्थित सज्जनगढ 5 19 वर्ग किलोमीटर मे फैले हुए है। वैसे विभाग मे बीकानेर स्थित गजनेर को भी गत कुछ वर्ष पूर्व अभ्यारण्य घोषित कर दिया है।

खनन कार्य व अभ्यारण्य की स्थिति का अवलोकन करने पर विदित होता है कि बहुत कम भू-भाग शेष रहता है, जहा कि खनन कार्य शुरू किया जा सकता है। वस्तुतः 5 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि पर गौर करने पर ज्ञात होता है कि खनन कार्य हेतु कहीं भी भू-भाग शेष नहीं रहता है। खनन कार्य के भू-भाग का प्रश्न है, उसमें निदेशालय के आकड़ों के मुताबिक कच्चे तांबे की खदानें अलवर व नीम का धाना क्षेत्रों में मात की सख्या में कार्यरत है। इसके अलावा पास ही खेतड़ी ताबा पण्डिओजना भी स्थित है। मार्बलजिनिक क्षेत्र में होने के बावजूद नये खननमन्त्रो की मजूरी प्राप्त करने के लिए उसे भी अधिसूचना का पालन करना होगा,

पट्टेधारक खदानों के क्षेत्रों मे स्पष्ट पता लग जाता है कि तमाम पट्टेधारकों को या तो अनापति प्रमाण-पत्र मे गुजरना पडेगा वा फिर उनके दावे खारिज हो जाएंगे। अगर उक्त खनन पट्टे पर्यावरण की ओट में खारिज होते है तो देश का विकास तो अवरूढ होगा ही, साथ ही प्रदेश को दो अरब से भी ज्यादा आय से हाथ धोना पडेगा। इनमे मार्बलजिनिक क्षेत्र सबसे ज्यादा घाटे में रहेगे।

केन्द्र के वन एव पर्यावरण विभाग की अधिसूचना की गिरफ्त में राजस्थान औद्योगिक विकास एव विनियोग निगम (रीको) भी आ चुका है। निगम ने उद्योग विस्तार के उद्देश्य से खनिजप्रधान उद्योगों में प्रवर्तकों के सहयोग से करीब 92 करोड की पूंजी फंसा रखी है। लगता है कि इस राशि पर भी अधिसूचना का असर होगा। इनके अलावा अन्य खनिज आधारित उद्योगों पर कुल मिलाकर तीन-चार सौ करोड की पूंजी लगी हुई है। अब अधिसूचना के अक्रुश ने इतनी बड़ी पूंजी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

रीको के सहयोग मे स्थापित खनिजप्रधान उद्योगों की सख्या 59 है, जिसमें अवधि ऋण के अलावा रीको की भागीदारी भी है। रीको की भागीदारी वाले इन उद्योगों मे ऋण की राशि 26 55 करोड है, वहीं हिस्सा राशि 152 25 लाख है। उद्योगों में 5556 व्यक्तियों को सीधा रोजगार भी मिला हुआ है।

खनिज तत्वों से भरपूर जिलों के आसपास स्थापित औद्योगिक इकाइयों के केन्द्रों में आबू गेड, उदयपुर, मरुगना, राजसमन्द, झालावाड, अलवर, सिंगेही अजमेर, जयपुर बहरोड, काकोली, कुम्भलगढ, बोरगड नाथद्वार, चित्तौडगढ, जोधपुर आदि प्रमुख है। ये तमाम औद्योगिक क्षेत्र न केवल इस अधिसूचना की चपेट में है वरन् प्रदेश में अभ्यारण्यों की महत्ता को देखते हुए कच्चे माल की खरीद के भी उद्योगपतियों को लाले पड सकते है। ऐसे खनिज-आधारित उद्योगों की सख्या 56 के आसपास है।

रीको के सहयोग से क्रियान्वित उक्त तमाम उद्योगों में अधिकतम प्रेनाइट - आधारित इकाइयों की है। प्रेनाइट उद्योग वर्तमान में शैशवकाल के दौर से गुजर रहा है। अग्रधान खनिज की इकाइयों की भरमार गत वर्ष से ही ज्यादा बढी है, खासकर तब से जबकि सरकार ने प्रेनाइट के भण्डारों के बारे में बढ चढकर प्रचार-प्रसार किया है। अब इस खनिज-आधारित इकाइयों की स्थिति यह है कि ये शत-प्रतिशत गौर पर टाइल्स का निर्यात कर रही है। इसके अलावा, रीको से सम्बन्धित कैमिकल व क्वार्ट्ज आधारित कई उद्योग भी 300-400 करोड की पूंजी से उत्पादन कार्य कर रहे है।

3 विकास एवं वन विनाश (Development & Deforestation) - वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ससाधन है जो आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन-संरक्षण के फलस्वरूप वातावरण में सतुलन बना रहता है। वस्तुओं एव सेवाओं के निरन्तर उत्पादन हेतु वन की समुचित सुरक्षा एव प्रबंध की आवश्यकता होती है। यदि मानव औद्योगीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वनों का अत्यधिक प्रयोग करता है तो वनों का विनाश प्रारम्भ हो जाता है। इसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल केवल 9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33 33 प्रतिशत में वन होने चाहिए। राज्य के कुल वनक्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में सघन वन पाए जाते हैं और शेष भाग में झाड़ीदार वनों की प्रमुखता है। राज्य का लगभग 20 मिलियन हैम्प्यर क्षेत्र

शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में है। इसके लगभग 50 प्रतिशत भाग में बातु रेत के टीले विद्यमान हैं। यह क्षेत्र राज्य के सामाजिक-आर्थिक जीवन और पारिस्थिकी पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है, लेकिन इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की समस्या एक बहुत बड़े भू-भाग में विद्यमान है। इन क्षेत्रों की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में चन्बल के गहरे गर्त विद्यमान है। इसके अलावा राज्य का विशाल भू-भाग अरावली, विन्ध्याचल पर्वतमालाओं के अंतर्गत आता है। विकास कार्यों के फलस्वरूप वनों का तेजी से विनाश हुआ है। इससे मिट्टी के कटाव की समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। बिगला इस्टीमेट ऑफ साइंटिफिक रिमर्च के अध्ययन के अनुसार 1972-75 से 1982-84 के मध्य राज्य के 16 जिलों (अरावली पर्वतश्रृंखला व अर्नात आने वाले जिलों) में 41.5 प्रतिशत वनों की कमी आई। वनविनाश की यह गति राज्य के पर्यावरणीय सतुलन के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है। राज्य में वनों का विनाश मुख्यतः वनों का तेजी से कटाई, अत्यधिक चराई वन उपजों का दोषपूर्ण तरीकों से एकत्रीकरण खनिजों का विदोहन, ईंधन हेतु लकड़ी की प्राप्ति तथा वनक्षेत्रों में सड़कों के निर्माण आदि के कारण है। राजस्थान में केवल ईंधन हेतु लकड़ी की प्राप्ति ही वन विनाश का एक बहुत बड़ा कारण है। राज्य के बड़े शहरों और कस्बों के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र तापमान वनविहीन हो चुके हैं। फलतः राज्य में पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या अत्यधिक गंभीर हो गई है। राज्य में घरेलू उपयोग हेतु ईंधन-लकड़ी की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है और भविष्य में भी इसमें वृद्धि होने की सम्भावना है। राजस्थान में 1981, 1991 व 2001 के लिए लकड़ी की मांग का पूर्वानुमान क्रमशः 51.21 लाख टन, 56.03 लाख टन और 67.62 लाख टन निर्धारित किया गया है। राज्य में वन विनाश के कारण ही विगत वर्षों में सामान्य तापक्रम में तेजी से वृद्धि हुई है।

4 शक्ति के साधनों का विकास एवं प्रदूषण (Sources of Energy & Pollution) - राजस्थान में स्वयंत्रता के पश्चात् शक्ति के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इन साधनों के विकास से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। लेकिन इसके साथ गण्य इन साधनों ने प्रदूषण की समस्या को बहुत ही गम्भीर बना दिया है। राजस्थान में लगभग 55 हजार टन कोयला प्रतिवर्ष निराला जाता है जिसका उपयोग मुख्यतः ईंट के भट्टा, सामट व कारखाना स्थापन उद्योगों सूनी मिलों, रक्षा सेवाओं व घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कायना दार स मावाया जाता है। राज्य का ये सभी उद्योग प्रदूषण समस्या का अधिक गम्भीर बना रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के साधनों का विकास करना आवश्यक होता है और यदि शक्ति के साधन विकसित नहीं किए जाते हैं तो औद्योगिक विकास का मार्ग भी अवन्द हो जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में लिम्नाइट कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राज्य में लिम्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युतगृह का स्थापना में केवल इस कारण बाधा आई कि इसमें आगरा स्थित ताजमहल को क्षति पहुंचने की सम्भावना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने कोटा धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, गुरुतगत धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, धौलपुर धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, चित्तौड़ धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, माण्डला धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन की म्योकृति के लिए भेजे गए। इनमें से केवल कोटा धर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए कन्स्ट्रक्शन की म्योकृति प्राप्त हुई। राजस्थान में अणुशक्ति का भी प्रयोग हुआ है। इस हेतु प्राकृतिक युरेनियम तथा भारी पानी के उपयोग के लिए गंगा प्रताप मार अणुशक्ति गृह की म्योकृति गवतभारत सरकार स्थान पर की गई। अणुशक्ति का विस्तार क्यके शक्ति के साधनों की मांग पूर्ण की जा सकता है। लेकिन म्युकृति प्रदूषण का अभाव यह साधन भयकर प्रदूषण एवं मानव विनाश का प्रमुख कारण भी बन सकता है। नरोर अणुशक्ति गृह में आग लगने की दुर्घटना इमका ज्वलत उदाहरण है।

अध्यासाय प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Question)

1. 'अर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा में अंतर्गत संबंध' को विवेकन करें।
"Economic growth and environment protection inextricably linked" Discuss
2. इनका अर्थ पर्यावरण अवक्रमण
Explain - Environment degradation
3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त लिखिए। राज्य में प्रदूषण का समस्या
A short note on the following - Pollution Problem in Rajasthan
4. पर्यावरणिक संदूषण का अवधारण का स्पष्ट करें।

Explain the concept of Ecological Balance

- 5 वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on air pollution
- 6 ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Noise Pollution ?
- 7 भू प्रदूषण से आप क्या समझते हैं?
Define land pollution
- 8 राजस्थान में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of Pollution in Rajasthan
- 9 राजस्थान के पर्यावरण विभाग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the department of Environment in Rajasthan
- 10 राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों का उल्लेख कीजिए।
Write a note on the department in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Question)

- 1 पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके रूप, कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए।
What is Environment Pollution ? Discuss its forms, causes and effects
- 2 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Environment pollution in Rajasthan
- 3 राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी निम्न घटकों को समझाईए
(i) जल प्रदूषण (ii) औद्योगिक विकास एवं प्रदूषण
Explain the following factors of Environmental pollution in Rajasthan
(i) Water Pollution (ii) Industrial Development & Pollution
- 4 राजस्थान में पर्यावरणीय परिस्थितिकी के सन्तुलन की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Describe the Agencies for Ecological Balance in Rajasthan
- 5 पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?
What steps have been taken to control Environment Pollution by you of Rajasthan


C विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(University Questions)

- 1 पर्यावरणीय सन्तुलन से क्या आशय है? पर्यावरणीय सन्तुलन का बनाय रखने के लिए कौन से पाय किए जा सकते हैं?
What is meant by ecological balance ? What measures can be adopted to maintain ecological balance?
- 2 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य तत्त्वों का विकास निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए
(i) आकार (ii) वस्तुगत बनाव (iii) प्रादेशिक फैलाव
(iv) उद्योगों का राज्य के धरेलु उत्पत्ति में योगदान (v) उद्योगों का राज्य के विकास में अंशदान
Describe under the following heading the main features of industrial sector in Rajasthan
(i) Size (ii) Commodity structure (iii) Regional spread
(iv) Share of industries in total S D P (v) Share of industries in total employment
- 3 प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय बताईए।
What do you mean by pollution ? Describe the measures of control on pollution. Discuss the effects of pollution in detail
- 4 "पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न रूप धारण एवं परिणाम" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Environment Pollution - its different forms, causes and effects"

कृषि, भू-उपयोग, फसल प्रारूप एवं प्रमुख फसलें

AGRICULTURE, LAND UTILISATION, CROPPING PATTERN & MAJOR CROPS



“पुराने समय से ही खेती हमारे देश की जिंदगी रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रीति में दौड़ने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा।”

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में फसलों का प्रारूप
- राजस्थान में कृषि जलवायु ऋतु
- राजस्थान में कृषि का महत्व
- राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएँ
- राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें
- राजस्थान में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना/हरित क्रांति हेतु अपनाए गए कार्यक्रम
- राजस्थान में यात्राकाल के अन्तर्गत कृषि विकास
- राजस्थान की आठवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना
- राजस्थान की नवीं योजना में कृषि विकास की व्यूह रचना
- राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान में कृषि का महत्व

IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार “पुराने समय से ही खेती हमारे देश की जिंदगी रही है और अभी बहुत दिनों तक यही हमारी रीति में दौड़ने वाला और हमें शक्ति देने वाला खून रहेगा।” वे शब्द भारत के सदर्थ में कृषि के महत्व को स्पष्ट करते हैं। लगभग यही स्थिति राजस्थान के मदर्भ में है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। नवीं योजना में राजस्थान का कृषि का निम्न प्रमुख विशेषण बतलाई गई है। -

- 1 राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है।
- 2 अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में मानसून का समय लगभग 3 माह है। मानसून देर से आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है।
- 3 राज्य की कुल वर्षा का लगभग 90% वर्षा मानसून से होती है।
- 4 राज्य का कुल खेती का लगभग 85% भाग छरफ की फसल के अर्थात् है और अधिकांश वर्षा पर निर्भर करता है।
- 5 राज्य के सिंचित क्षेत्र का 60% भाग कुओं और नल्लूओं

नीतिया अपनाने का साहस नहीं करती। सामाजिक व राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह क्षेत्र राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत में भी आयकर जैसी व्यवस्था से मुक्त है।

9 परिवहन का विकास (Development of transportation) - यदि परिवहन की दृष्टि से राज्य का अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि जो क्षेत्र कृषि को दृष्टि में अधिक विकसित है वे प्रायः परिवहन का दृष्टि में भी अधिक विवशित होंगे। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन का विकास एक मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कृषि विकास का काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

10 बीमा एवं बैंकिंग का विकास (Development of insurance & banking) - संपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी बीमा एवं बैंकिंग का विकास कृषि विकास में जुड़ा हुआ है। 1969 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार की नीति के अनुसार कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किये गये। कृषि के विकास के साथ-साथ ऋण की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। ऋणों द्वारा इन वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बैंक की शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया गया। इस प्रकार कृषि विकास के साथ-साथ ग्रामीण बैंको की शाखाएं बढ़ी हैं। इसी प्रकार धीरे-धीरे कृषि उपजों पर शुभन आदि का नामा कराने में भी लोच रूचि लेने लगे हैं। इससे ग्रामीणों के अर्थ में नई संभावनाएं बनी हैं।

राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं

MAIN CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राजस्थान में कृषि क्षेत्र का महान अध्ययन व विश्लेषण करने पर राजस्थान को कृषि की कुछ विशेषताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इन विशेषताओं को इन बिन्दुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है -

(1) कृषि जेत का बड़ा होना (Large Agricultural Land Holding) - 1985-86 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में 4.74 करोड़ कृषिशाल जेतों विद्यमान थीं और इनका औसत 205.89 हेक्टेयर भूमि था। 1990-91 की कृषि गणना के अनुसार ये जेतें बढ़कर 5.10 करोड़ और क्षेत्र 209.71 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में 1980-81 में भू-जेत का औसत आकार 4.44 हेक्टेयर था जो 1985-86 में कुछ कम होकर 4.34 हेक्टेयर और 1990-91 में 4.11 हेक्टेयर रह गया। 1990-91 व उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में औसत कृषि जेत बड़ी है। कृषि जेतों

की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। औसत कृषि जेतों का अखिल भारतीय औसत 1.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार राजस्थान में कृषि जेतें राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी हैं। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः पंजाब व गुजरात का है। 1990-91 में राजस्थान की सीमान्त (1 हेक्टेयर से कम) व लघु (1 से 2 हेक्टेयर के मध्य) जेतों के अंतर्गत कुल जेतों का लगभग 49.8% भाग आता है किन्तु उनके अंतर्गत कुल कृषि भूमि की केवल 10.5% भूमि ही आती है। बड़ी जेतों (10 हेक्टेयर एवं उससे अधिक) की मज्जा कुल जेतों की लगभग 9.6% है किन्तु उनके अंतर्गत लगभग 45% भूमि आती है। शेष बची हुई लगभग 41% जेतों में लगभग 44% कृषि क्षेत्र में आता है।

(2) भू-उपयोग (Land Utilization) - राजस्थान में प्रथम योजना (औसत) में कुल फसल क्षेत्र 113 लाख हेक्टेयर था जो 1993-94 में 192 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी इस अवधि में 106 लाख हेक्टेयर से 162 लाख हेक्टेयर के मध्य रहा। स्थायी चारागाहों एवं चराई क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि की मात्रा न केवल कम है बल्कि गत 20 वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है जबकि पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की चराई भूमि पर गिरावट बोल बढता जा रहा है।

(3) वृहद् रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र (Desert & Hilly Area) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग पहाड़ एवं रेगिस्तान के अंतर्गत है। राजस्थान का लगभग 10% भाग पहाड़ी एवं 60% रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी क्षेत्र की मिट्टी में पर्याप्त उपजाऊपन विद्यमान है किन्तु जल के अभाव में यह क्षेत्र कृषियोग्य होते हुए भी बेकार पड़ा है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में वर्षों की कटाई के कारण भूमि लगभग बंजर होकर बेकार होती जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के एक बहुत बड़े कृषि क्षेत्र का उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर रेगिस्तानी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होने की संभावना है।

(4) शुष्क कृषि एवं प्रकृति पर निर्भरता (Dependence on nature & dry farming) - जल संधारण के अभाव में राजस्थान के लिए शुष्क भूमि का महत्व बढ़ गया है। शुष्क कृषि के अंतर्गत उपलब्ध जल संधारण का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि कम से कम जल से अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सके। इस हेतु अनुसंधान व शोध के माध्यम से राजस्थान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये नये बीजों आदि का विकास किया जा रहा है, विशेषतः राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए शुष्क खेती अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है।

(5) **उन्नत कृषि की स्थिति (Situation of improved Agriculture)** - उन्नत कृषि के लिए कृषि के नवीन साधनों जैसे-उन्नत बीज, रासायनिक खाद, परिष्कृत औजार आदि का प्रयोग करना होता है। राजस्थान में इन चीजों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम रहा है क्योंकि उपलब्ध सभी नवीन तकनीक में प्रायः पर्याप्त जल की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि 1994-95 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग 34.8 किलोग्राम था जो कि विभिन्न राज्यों की तुलना में अत्यधिक कम है। इसी अवधि में पंजाब में 174.7 किलोग्राम खाद प्रति हैक्टेयर उपभोग में ती जा रही थी। खाद के उपभोग का राष्ट्रीय औसत भी इन समय 75.7 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था।¹ खाद के उपभोग की दृष्टि में देश में राजस्थान का 13 वा स्थान था।² अन्य नवीन साधनों की दृष्टि से भी लगभग वही स्थिति है।

(6) **महत्वपूर्ण फसलें (Important Crops)** - राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं किन्तु समग्र दृष्टि से देखा जाये तो राजस्थान में खाद्यान्न फसलें सबसे अधिक बोयी जाती हैं। 1970-71 से 1990-91 तक खाद्यान्नों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र लगभग स्थिर बना हुआ था और यह कुल फसल क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग था। राजस्थान देश में एक मुख्य तिलहन उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। सरसों के उत्पादन में तो इसने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये दलहन फसलों के सर्दार में भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान में व्यावसायिक फसलें सामान्यतः उन क्षेत्रों में ही सीमित हैं जहाँ पर्याप्त सिंचाई साधन उपलब्ध हैं। राजस्थान में चारे की फसलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माघ ही केवल चारा उत्पादन के लिए दी जाने वाली कृषि भी अत्यन्त सीमित है।

(7) **एक व दो फसलों के क्षेत्र (Areas of one or two crops)** - राजस्थान में 1993-94 में 192.5 लाख हैक्टेयर भूमि फसलों के अंतर्गत थी। उनमें से केवल 30.2 लाख हैक्टेयर भूमि में एक से अधिक फसलें ली जा रही थीं।³ इस प्रकार राजस्थान में लगभग 85% कृषि क्षेत्र में केवल एक फसल ली जाती है।⁴ और लगभग 15% क्षेत्र में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। इसका प्रमुख कारण राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं का कम होना है। राजस्थान में कुल बोये गये क्षेत्र का एक चौथाई के लगभग सिंचित क्षेत्रफल है। राज्य में सिंचाई के चार प्रमुख स्रोत अर्थात् नहरें, तालाब, कुएँ व नलकूप हैं। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 62.76% क्षेत्रफल कुआँ तथा नलकूपों में और 33.24% नहरों से सिंचित होता है।⁵

(8) **फसलों की उत्पादकता (Productivity of crops)** - राजस्थान में अधिकतर फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता

राष्ट्रीय औसत से कम है। 1989-90 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में केवल मक्का, गन्, सरसों व राई तथा कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से अधिक था।⁶ 1989-90 में ही चावल, ज्वार, बाजरा, चना, मूँगफली, गन्ना आदि का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम था। निकट भविष्य में राजस्थान में तिलहन व दलहन की उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं कृषि में उन्नत आदानों के उपयोग के साथ साथ राजस्थान में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि की वृहद सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

(9) **पशुपालन प्रमुख सहायक उद्योग (Animal Husbandry - main Allied activity)** - राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में निरंतर पड़ते अकालों के कारण कृषकों की दृष्टि में पशुपालन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1992 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में 4.78 करोड़ पशु थे।⁷ इनमें से 60% से भी अधिक सख्खा भेड़ व बकरियों की हैं। राजस्थान में प्रायः पड़ते वाले अकालों से पशु सम्पदा पर प्रतिफल प्रभाव पड़ा है। 1983 की पशुगणना की अपेक्षा 1988 में पशुओं की संख्या लगभग 87 लाख कम हुई। इसका प्रमुख कारण 1987-88 का भयंकर अकाल था जिसे इस शताब्दी का सबसे भीषण अकाल कहा गया है। इस अकाल व कारण गायों की संख्या में लगभग 19% भेड़ों की संख्या में लगभग 26% और बकरियों की संख्या में लगभग 18% की कमी हुई है। 1992 की पशुगणना में ज्ञात होता है कि राज्य में पशुओं की संख्या बढ़ी है। राजस्थान में कृषि के अंतर्गत आज भी मुख्यतः पशुशक्ति का उपयोग होता है और विज्ञान पौष्टिक पदार्थों के लिए सामान्यतः पशुओं पर ही निर्भर है। फसलें खराब हो जाने पर भी उसकी आजीविका का साधन भी पशु ही है।

(10) **कृषि जलवायु क्षेत्र (Agricultural climate zone)** - मपूर्ण देश को 14 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाटा गया है और 14 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। इस वर्गीकरण व अनुक्रम राजस्थान राज्य को 9 खण्डों व उपखण्डों में विभाजित किया गया है। भविष्य में कृषि के लिए बनाई जाने वाली योजनाएँ इसी वर्गीकरण का दृष्टिगत रखने हुये बनाई जायेंगी। राजस्थान में चैतलमेर, पश्चिमी वाडमेर, पश्चिमी जाधपुर, बीकानेर और पश्चिमी चुरू के शुष्क मैदानी भाग को खण्ड 1 ए व

केवल 2 51 लाख टन था जो 1989 90 में 18 45 लाख टन तक पहुँच गया। इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में तिलहन का उत्पादन 7 गुणा बढ़ा है। राजस्थान में तिलहन उत्पादन की प्रगति भारत के अन्य किसी भी राज्य से कहीं अधिक ताब है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भी भारत में इसका विशिष्ट स्थान है। राजस्थान में सूरजमुखी और होबा की पत्ती को भी लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किये जा रहे हैं। राजस्थान में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वन्द सार्वार सहयोग से विशाल प्रयास किये जाते रहे हैं। आरम्भ में राजस्थान में इससे संबंधित वन्द प्रवर्तित योजना विद्यमान थी। 1984 85 से 1985 86 तक शत प्रतिशत कन्द्रीय अंश के आधार पर आर 86 87 से 50 50 केन्द्रीय एवं राज्य अंशों के आधार पर राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरम्भ की गई। 1987 88 में तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अंश के आधार पर एक अतिरिक्त योजना तिलहन उत्पादन घन्ट कार्यक्रम के नाम में आरम्भ की गई थी। ये दोनों योजनाएँ 1989 90 तक लागू रहीं। इन योजनाओं को मिलाकर 1990 91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 75% व्यय वन्द सार्वार एवं 25% व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को वृद्ध प्रदर्शन मिनिस्ट्र उन्नत कृषि एवं पौध संरक्षण एवं टवाइया तथा जिप्सम के उपयोग पर अनुदान उपलब्ध है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 24 जिलों का गठन किया जिनमें अजमेर अलवर बाड़मेर भरतपुर भीलवाड़ा बीकानेर नूदी गिरीडीहगढ़ धौलपुर श्रीगंगानगर जालौर जयपुर झालावाड़ झुझुनू जोधपुर कोटा नगौर बायसवाड़ा पाली सिरोही सीकर मवाड़माधोपुर टोंक और उदयपुर जिले सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने भी दो अतिरिक्त जिलों का गठन किया जिनमें झुझुनू व गुरू जिले सम्मिलित हैं। राजस्थान में कोटा नूदी बालावाड़ व गिरीडीहगढ़ जिलों में सायासीन की खेती को लाकप्रिय बनाने की चेष्टा की जा रही है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए नमी संरक्षण तकनीक जीवाणु खाद का उपयोग समय पर बुवाई एवं प्रवर्धन नियंत्रण पौध संरक्षण आदि उपाय काम में लिए जा रहे हैं। सरसों के प्रयासों के फलस्वरूप तिलहन की फसलों में क्रिमम का उपयोग रूढ़ रहा है और इसके उपयोग से तिलहन फसलों का उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तिलहन के तेज प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। गण्टाय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित बाजों के विराम हेतु सुदरा बिन्दी केन्द्रों की स्थापना की गई है। रबी पत्राख रोगों की

फसल के लिए सोयाबीन तिल अरडी सूरजमुखी भूगफली तथा रबी की फसलों के लिए रायडा एवं सरसों के मिनिस्ट्र वितरण किये जा रहे हैं। भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का वितरण किया जा रहा है। कृषकों को रिप्रकलर सैट उपलब्ध करवाने की चेष्टा की जा रही है। तिलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही पौध संरक्षण का कार्य भी शुरु में किया गया है।

(3) शुष्क खेती (Dry Farming) राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का लगभग 3/4 भाग बरानी एवं अतिरिक्त है। 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। राजस्थान का अधिकांश भाग में 600 मिलीमीटर से कम ही वर्षा प्रतिवर्ष होती है। इस कारण इतनी कम अनिश्चित और अग्रामिष्ट वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की विभिन्न अवस्थाओं में पानी की कमी के कारण सूखे का सामना करना पड़ता है और इसका फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धन के अभाव और किसानों के रूढ़िवादी और परम्परागत विधियाँ अपनाने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। राजस्थान का लगभग 1/4 भाग ही मिर्गिण है। ऐसा अनुमान है कि यदि बहुत अधिक प्रयास किये जाय तो भी निकट भविष्य में 40% से अधिक क्षेत्र में मिर्गिण सुविधाएँ उपलब्ध करना संभव नहीं हो पायेगा। अतः क्षेत्र विशेष के अनुसार शुष्क खेती की उन्नत व उपयुक्त तकनीक के आधार पर ही सुनिश्चित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयत्न स्पष्ट है कि राजस्थान में वर्षा का औसत कम ही है। इस तथा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान के लिए शुष्क खेती का महत्व बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने पानी का कमी का पश्चात् भी अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत कृषि विधियाँ विकसित की हैं। इन विधियों में स अधिक से अधिक विधियों को कृषकों द्वारा अपनाने पर रत दिया जाता है। इन विधियों में गर्मी में गहरी जुताई करना व विपरीत बुवाई बुवाई के पूर्ण उर्वरक का प्रयोग सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ाने कीजोगे। भूमि उपचार आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गन्ना खेती को विभिन्न विधियों का प्रयोग प्रयोग करने के लिए प्रत्येक पत्रायत समिति के गठनित गाँव में 10 10 हेक्टर में एक एक प्रश्न का आयोजन किया जात है। ऐसे गाँव का गठन किया जाता है जिनमें शुष्क उन्नत शुष्क कृषि विधियाँ अपनाने में रूढ़ि रखत हैं तथा जिन क्षेत्रों में गहन एवं प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया गया हो। कृषकों के गठन में लघु सीमान्त अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों को प्रार्थना दी जाती है। गन्ना उर्वरक आदि पर कृषकों का अनुदान भी किया जाता है। शुष्क खेती के लिए आगम की व्यवस्था प्रयोग किये सहयोग समिति धर्म गन्ना

महकारी सगिति या किसी भी अधिकृत सहकारी संस्था में की जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में उपयुक्त उन्नत विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इस हेतु कृषकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में शुष्क खेतों की तकनीकी जानकारी दी जाती है।

(4) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (Special Foodgrain production programme) योजना आयोग की माननीय पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करते हुये यह अनुभव किया कि मातवी यात्रा के अंत तक खाद्यान्नों का उत्पादन 17.5 करोड़ टन होना चाहिये। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 राज्यों के 169 जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किये गये। आरंभ में यह 1988-89 व 1989-90 के लिए तैयार किया गया था किन्तु यह कार्यक्रम 1990-91 में भी जारी रखा गया। 1990-91 में क्रियाशील कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों का चयन करके गेहूँ, चना, मक्का व बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गेहूँ उत्पादन में विशेष वृद्धि के प्रयास के लिए अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा व मवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर व पाली जिलों का चुना गया। चने के उत्पादन में विशेष वृद्धि के लिए अलवर, भरतपुर, चुरू, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक, कोटा व मवाईमाधोपुर जिलों का चयन किया गया। मक्का के उत्पादन का बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बामवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ व अजमेर जिलों का चयन किया गया। बाजरे के उत्पादन में वृद्धि के लिये अलवर, जयपुर, झुझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर, चुरू और बाड़मेर जिलों को उपयुक्त समझा गया। विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अंतर्गत फसलों से संबंधित विभिन्न आदानों पर अनुदान का भी प्रवधान रखा गया।

(5) चारा उत्पादन एवं कृषि वानिकी विकास (Fodder Production & Agricultural forestry development) - इस कार्यक्रम के अंतर्गत चारे की विभिन्न प्रमत्नों की उन्नत विधियों के मिनिस्ट्रट का कृषकों में नि शुल्क वितरण किया जाता है जिससे कृषकों का इनके सन्ध में जानकारी मित तथा मध्य ही मध्य क्षेत्र के पशुओं के लिए पोष्टिक चारा भी उपलब्ध हो सके। इस हेतु विभाग के विभिन्न ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विमानों के खेतों पर हरे चारा की नई विधियों के तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रदर्शन हेतु परियोजना किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में हरे चारे की फसलों की उन्नत विधियों का बीज कृषकों का अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में अधिकतर क्षेत्रों में

जानवरों की चारा काटकर खिलाने का प्रचलन नहीं है जिससे काफी मात्रा में चारा बेकार हो जाता है। चारा काटकर खिलाने के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए हृष से चलने वाली कुड़ी की मशीनों के लिए कृषकों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में कृषि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को पौधे उपलब्ध करवाने के लिए पौलिथीन की थैलियों व बीज की नि शुल्क व्यवस्था की जा रही है। ऐसे तैयार पौधों का आम - पाम के क्षेत्रों के कृषकों में वितरण किया जाता है। इन पौधेपालकों की स्थापना में ग्रामीण कृषक महिलाओं को भी उचित प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया जाता है। घास व वानिकी के बीज सप्रति करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों तथा वेरोजगार युवकों को बीज एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार एकत्रित किये गये बीजों का उचित मूल्य पर क्रय कर लिया जाता है। चारे की फसलों पर विभाग द्वारा अपेक्षित अन्य फसलों की तरह वृहद् प्रदर्शन आयोजित किये जाने का प्रस्ताव भी है। इसके लिए आदानों का कृषि वानिकी के सदस्यों में मुख्यतः तीन प्रकार से प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। प्रथम, जलप्रहण क्षेत्र एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर सामान्य फसल उगाये जाने वाले खेतों में उपयुक्त किस्म के पौधों का कटाई में रोपण किया जाता है। इसमें वृक्ष एवं फसलों का साथ-साथ लगाना होता है एवं वृक्षों की जातियों का इस प्रकार चयन किया जाता है जिसमें फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। द्वितीय, जीवित बाड़ लगाना है जिसके अंतर्गत पर्यावरण में सुधार एवं खेतों में जीवित पाधा के बाड़ कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए काटेदार एवं अन्य उपयुक्त पौधे लगाये जाते हैं। इन पौधों के रोपण के बाद बाड़ के रूप में स्थाई विकास किये जाने हेतु वृक्षारोपण पर अनुदान प्राप्त होता है। तृतीय, वन एवं चरागाहों के सम्मिलित विकास की चेष्टा की जाती है। इस हेतु शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषकों के खेतों पर चरागाहों में उन्नत घास के लिए एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(6) जल वजट योजना (Water Budget Plan) - जल की आपूर्ति एवं सिंचाई की दृष्टि में राजस्थान कमी वाला क्षेत्र है। राजस्थान में राष्ट्रीय जल ससाधनों का मात्र 1% ही उपलब्ध है जबकि देश के क्षेत्रफल का लगभग 10% भू-भाग यह है जिसमें लगभग 5% जनसंख्या निवास करता है। राजस्थान के जल ससाधनों का अधिनत उपयोग करने के बाद भी राजस्थान का लगभग 1/4 कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो पाई हैं। राजस्थान में किसी न किसी भाग में अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा के कारण निम्नतर अकाल की भी स्थिति बनी रहती है।

(9) भू-सर्वेक्षण एवं मिट्टी परीक्षण (Land survey & soil testing) - भू-सर्वेक्षण के अतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। भूमि की क्षमता का पता लगाया जाता है। मिचाई से संबंधित मिट्टी व पानी के विभिन्न प्रकार के गुणों की जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि भूमि की विशेषताओं के अनुरूप उचित फसलों को सिफारिश की जा सके। इस कार्यक्रम के अतर्गत मध्यम एवं लघु मिचाई योजनाओं के सदस्य में सिचाई विभाग को भी नवीन सिचाई योजना बनाने के सदस्य में उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सकती है। भूमि-सर्वेक्षण एवं परीक्षण का कार्य दुर्गापुर (जयपुर), कोटा, सोकर व जोधपुर के केंद्रों में संचालित किया जाता है, भू-सर्वेक्षण संगठन राजस्थान नहर व चमल नहर के क्षेत्रों में कार्यरत है। मिट्टी व पानी के नमूनों के परीक्षण हेतु 6 स्थायी प्रयोगशालायें हैं जो दुर्गापुर (जयपुर), जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, बामवाडा व अलवर में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त छ भ्रमणशील प्रयोगशालायें दुर्गापुर, पाली, सोकर, भरतपुर, भीलवाडा व मिरांही में कार्यरत हैं। 1989-90 में दो और स्थायी प्रयोगशालाओं झलावाड व इगारपुर में तथा 4 और भ्रमणशील प्रयोगशालाएँ मवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर व चित्तौडगढ़ में स्थापित की गईं। 1990-91 में दो और भ्रमणशील प्रयोगशालायें टोंक व उदयपुर जिले में स्थापित की गईं।

(10) मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार 9 खण्डों में विभाजन (Agnculutral Zone) - राजस्थान में सघन कृषि विकास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये जल एवं मिट्टी के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 9 खण्डों व उपखण्डों में इस प्रकार विभाजित किया गया है -

- (i) खण्ड 1 ए शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र
- (ii) खण्ड 1 बी सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
- (iii) खण्ड 2- ए अन्न मध्यम जलात्मकरण के अनर्वाती मैदानी क्षेत्र
- (iv) खण्ड 2- बी तुना नदी का अनर्वाती मैदानी क्षेत्र
- (v) खण्ड 3 - ए अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (vi) खण्ड 3 - बी बाढ़ मभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र
- (vii) खण्ड 4 - ए अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
- (viii) खण्ड 4 - बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
- (ix) खण्ड 5 - आर्द्र-दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र

(11) राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम एवं कृषक प्रशिक्षण (National Agriculture Extension Programme and Farmers Training) - कृषि में मन्द्रित चेतनताम जन का समग्रवृद्ध योजनामद्वे व निर्दिष्ट रूप से विमाने तक पहुंचाने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए

प्रशिक्षण एवं भ्रमण यद्धति पर आधारित कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना नवम्बर, 1977 में अक्टूबर 1982 तक विश्व बैंक की महायता से आरंभ की गई थी। टी एन वी सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध यह प्रणाली कृषि विकास को गति देने में सहायक रही है। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये ही 1984-85 से राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम के अतर्गत पूर्व के 18 जिलों के अतिरिक्त 6 और जिले सम्मिलित किये गये। इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक उपज देने वाले उर्वरकों की जाँच तथा संरक्षण औषधियों आदि के उपयोग पर बल दिया गया और कृषि तकनीक का भी प्रसार हुआ जिसमें उत्पादकता बढ़ी। विस्तार कार्यक्रम के कारण राज्य में उर्वरकों की खपत दुगुनी में भी अधिक हो गई। पौध संरक्षण मसायनों का प्रयोग तेजी में बढ़ा। उन्नत कृषि विधियों का प्रयोग होने लगा जिनमें बीज उपचार, उन्नत किस्मों का प्रयोग, उचित पोष सख्दा बुवाई के पूर्व उर्वरकों का प्रयोग, खडों फसल में उर्वरकों का प्रयोग, समयानुसार खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण मर्मित है। इस प्रकार राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि विस्तार परियोजना एक शीर्ष एवं प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से विभिन्न कृषि विकास परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित व क्रियान्वित किये जाते हैं। कृषि विस्तार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से कृषि में मन्द्रित कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नवीनतम ज्ञान के सपर्क में रहें और उसे किसानों तक पहुंचा सकें। दुर्गापुर एवं टोंक में कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त काजूर, कृषि विश्वविद्यालय, सिचाई प्रबन्ध संस्थान आदि में भी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। राज्य के बाहर सरकार के विभिन्न मस्थानों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(12) प्रबंधन प्रशिक्षण (Managenal Training) - विश्व बैंक के मार्गदर्शन में राज्य में चल रहे कृषि विस्तार कार्यक्रम को प्रगति का समीक्षात्मक विवरण नैपाम करने के लिए प्रबंधन एवं मृत्याकन एक मशकत माध्यम है। इसके अन्तर्गत कृषकों द्वारा अपनाई गई उन्नत कृषि विधियों से संबंधित कार्यों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्षों से परियोजना प्रबन्धकों को आगामी फसल की बुवाई में पूर्व अवगत किये जाते हैं ताकि विकास कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इन निष्कर्षों को विस्तृत रिपोर्ट विश्व बैंक भारत सरकार राजस्थान के समस्त जिलों उपजिलों एवं उन सब मस्थानों जहाँ विस्तार कार्य चल रहा है, पर भेजी जाती है ताकि प्राप्त पुत्राओं के

आधार पर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विस्तार कार्यक्रम में स्पष्ट होता है कि ग्राम विस्तार कार्यक्रमों को संपर्क करने के लिए उनके खेतों का भ्रमण करने लगा है। कृषक भी उपयोगी जानकारी के लिए उससे सम्पर्क करने लगे हैं। प्रबोधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों से विस्तार परियोजना प्रबंधकों का कार्यक्रम में निरंतर सुधार एवं उचित क्रियान्वयन में मदद मिली है जिसके कारण उन्नत कृषि विधियों के कुछ विन्दुओं का तो लगभग शत-प्रतिशत अनुसरण होने लगा है। जैसे - बीज की दर, समय पर निगड़-गुड़ाई आदि। राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम का अनर्गल सभा जिला में मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किये गये हैं। मूल्यांकन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक फसल मौसम में कृषि प्रसार कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषकों द्वारा प्राप्त उपज, आमद व रहन-सहन का प्रभाव आका जाता है। प्रबोधन एवं मूल्यांकन दोनों सर्वेक्षण परस्पर संबन्धित हैं एवं अलग-अलग तरीकों में प्रशासन को लाभान्वित करते हैं। प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रबोधि द्वारा समय-समय पर कृषि में सन्नधि आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन भी किये जाते हैं।

(13) बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं परीक्षण (Seed production, Standardization & Testing) - विभिन्न फसलों एवं किस्मों के बीज विज्ञानों का समय पर उपलब्ध करवाने का कार्य गजस्थान बीज निगम जयपुर करता है। यह निगम अपने स्वयं के फार्मों तथा कृषकों के खेतों पर बीज का उत्पादन करता है। आवश्यकता होने पर बीज निगम अन्य प्रान्तों एवं मस्थानों में भी बीज भण्डारता है। बीज प्रसारण की प्रक्रिया गजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जयपुर के माध्यम से तथा बीज अकृषण समीचीन विभाग से बीज प्राप्त कर प्रशासनिक अधिकारियों से की जाती है। अन्तः राज्य में उत्पादन का प्रालाहित करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को बीज के वाजार भाव में अधिकतर प्रदान करके प्रालाहित किया जाता है। अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के अनाज बीजों का उपयोग गजस्थान में 1966-67 में आरम्भ हुआ। अन्य प्रशासकों के दलदल निरन्तर गवार व कपास आदि फसलों के सुधार हुए बीजों का उपयोग 1978-79 में आरम्भ हुआ। राज्य में इन बीजों के सदन हुए उपयोग का पता इस तथ्य से लगता है कि प्रारंभ में मात्र 2% क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों की बुवाई का गई थी जबकि मातृबीज यंत्रणा अधिनियम में इन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के 31.94% क्षेत्र में बुवाई की गई। बीज उर्वरक व कीटनाशक औषधियों की मात्रा व दर में वृद्धि के कारण इनमें निलंबित की संभावना रहती जा रही है। इस संभावना का गहन तथा

दोषी मस्थानों व व्यवसायियों को दंडित करने हेतु भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985, अनावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अधिनियम, 1966, बीज कानून, 1968, बीज नियंत्रण अधिनियम, 1983 व कीटनाशक अधिनियम 1968 पारित किये हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य अमान्य कृषि आदतों को रोकने पर गुरुत्व लाना व दोषी व्यवस्था पर कानूनी कार्रवाई करके किसानों को उचित मूल्य व मानक मूल्य के बीज प्राप्त व कीटनाशक औषधियाँ उपलब्ध कराना है। बीज विवरण हेतु गजस्थान में गजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय फार्म निगम, निरन्तर गज गजस्थान निजी समूहों के क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना गज आदि कार्यरत हैं। उर्वरक व कीटनाशक औषधियों के वितरण हेतु राजपैड, सहकारी समितियाँ, गजस्थान जनजाति सार कृषि उद्योग निगम तथा निजी समूहों व क्रय-विक्रय सहकारी समितियों कार्यरत हैं। उपरोक्त अधिनियमों व नियमों का प्रभावी रूप में लागू करने के लिए गज सरकार ने गुण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसमें अनर्गल मुख्य रूप में बीज उदाहरण - एनफोर्समेंट एजेंसीज बीज वितरण एजेंसीज व उन्नत दस्ता कार्यरत हैं। बीज उर्वरक व कीटनाशक औषधियों के वितरण के लिए जयपुर व बीकानेर में प्रशासनात्मक है जो गज सरकार द्वारा वितरण के लिए अधिनियमित हैं। उर्वरक वितरण हेतु गज सरकार द्वारा अधिकृत प्रशासनात्मक जयपुर व उज्जैन में कार्यरत हैं। बीज वितरण हेतु तीन प्रशासनात्मक जयपुर, श्रीगणेशपुर व जाटा में स्थित हैं। बीज गुण नियंत्रण के लिए प्रशासनात्मक दुर्गापुर में कार्यरत हैं।

(14) वर्षा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि विधियों का निर्धारण (Suitable Agricultural Strategy in Various Rain Conditions) वर्षा आधारित खेती हेतु विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार शुष्क खेती करने की सिफारिश की गई है। राज में हा नमी व भूमिगत जल के उपाय मुद्रांधे जाते हैं। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में तथा सामान्यतः कम अनियमित व अनिश्चित तापों हैं तथा शायद जल संकट से ज्ञात जा सकता है। एसी अवस्था में जलवायु व मिट्टी के अनुसार फसलों के फेरों की गहरा गिहिन क्षेत्र व सुकारण सीमित नहीं जाना चाहिए तथा उर्वरक का प्रयोग भी आवश्यकता में अधिक नहीं होना चाहिए। एसा करने में फसल में मूल आन व नतीजा वनन की अवस्था में यदि वर्षा जल भी संभावित हो जाती है तो भी पौधा का उपयुक्त नतीजा मिल पायेगा। जिन क्षेत्रों में बहुत या दोषित वस्तु मिट्टी है वहां इस तथ्य का विचार करना है। यह सिफारिश का गई है कि यद्यपि गहन गज में किमी भाग में जलकृषि यंत्रणा वर्षा के जल का उपलब्ध करे। इस

प्रकार के जन वृक्षों का उपयोग वृक्षों के अभाव में फसल की जावन-दायिता मिचाई के रूप में किया जा सकता है। प्रारंभ में मानसून ढग में प्रारंभ हो ता सिचाई सुविधा उपलब्ध होने पर भूमि को समतल करके भक्का मृगफला व सोयाबान का बुवाई समय पर करना चाहिये तथा आवश्यक हो ता फसल के दाना बनन का प्रारंभिक अवस्था पर भा सिचाई करनी चाहिये। तथा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग-अलग कृषि विधिया का अपनाने की सिफारिश का गई है।

(15) जैविक एवं जीवाणु खाद रासायनिक उर्वरकों को बदला हुई सामता को दूरिटागत रखते हुये विभाग ने जैविक खाद के उपयोग का प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है। जैविक खाद में अलग-अलग खाद, ग्रामाण खाद व हरा खाद व प्रयोग का बढावा दिया जा रहा है। जीवाणु खाद, दलहन एवं तिलहन फसल के साथ साथ अनाज वाला फसला व उत्पादन बढान में भा सहायक रहगी। इनके उपयोग में मात्रा में 15-20% का वृद्धि हो जाता है तथा प्रति हेक्टेयर 25 कि ग्रा नाइट्रोजन खाद का वचत हो जाता है। इसके अतिरिक्त जीवाणु खाद से पौधा का जड़ भङ्गकृत होता है तथा इसका फेलाव अधिक होता है। छोटे व सामान कृषक के लिए उत्पादन बढान का यह एक सस्ता साधन है। जीवाणु कल्चर का माग की पूर्ति विभागाय प्रयोगशालाओं द्वारा पूरी नहीं हो पाने के कारण विभाग ने यह निश्चय किया है कि गवर्नर राज्य कृषि उद्योग निगम इस काम को पूरा करने की चेष्टा करेगा।

(16) भू संरक्षण कार्यक्रम (Land Conservation) राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों का अधा प्रदान करने के उद्देश्य में भू संरक्षण कार्य का क्रियान्वित पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भू एवं जल संरक्षण कार्य का पूरे राज्य में विस्तार करन तथा उनके कार्यों में गति लान के लिये भू संरक्षण मण्डल को नया रूप दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में भू संरक्षण का कार्यक्रम मत्त विकास कार्यक्रम, सूखा सहायक भू कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहान संशोधन कार्यक्रम, गटाय जल ग्रहण कार्यक्रम, मैमिब कार्यक्रम, बाह्य सुधार कार्यक्रम, अकाल सहायता एवं एकाकृत जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना व माध्यम में किया जा रहा है।

(17) कृषि सूचना सेवा (Agricultural information service) अनुसंधान पर आधारित कृषि में सम्बन्धित विवरणों का प्रसारण व प्रसारण कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने के उद्देश्य में कृषि सूचना सेवा मण्डल कार्यरत है। गवर्नर कृषि सूचना इकाई एक अलग जिला विभाजन जल सहाय मण्डल, जैम समाचार पत्र कृषि पर परिचय आ अवगणना तथा दूरदर्शन व माध्यम में तर्जना जन को

प्रसार कर रहा है। वहा दूरदर्शन आर तकनीकी साहाय्य का प्रकाशन तथा श्रव्य दृश्य माध्यम का प्रभावा उपयोग भा कर रहा है। राज्य कृषि सूचना इकाई 1986-87 में 1988-89 में मध्य राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की गई। इसे कृषि सूचना परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ बनाया गया है। राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम व प्रशिक्षण पत्र का प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1987-88 में वाडियों का उपयोग किया जाना लगा है। मयूकल राठ संघ के छात्र एवं कृषि मण्डल का तकनीकी सहायता से वाडिया फिल्म का निमाण हो वाडियों इकाई स्थापित की गई है। इस विडियो इकाई द्वारा कृषि तकनीकी शांभक वाडिया फिल्म का निमाण किया जाता है। विभाग का वाडिया इकाई द्वारा दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रम पर भा रचनात्मक योगदान किया जा रहा है। प्रौद्योगिक समाचारों में कृषि समाचारों के वाडियों अंश व कृषि कार्यक्रमों में प्रभावात्मकता लान हो लघु वाडिया कार्यक्रम तैयार करके प्रसारित किये जाते हैं।

(18) सहभागी कृषि विकास योजना (Participatory agricultural development plan) यह अनुभव किया गया कि वर्तमान में कृषि योजना बनाने की प्रक्रिया में कृषि वर्ग का सहभागिता नगण्य है इसलिए 1990-91 में सहभागी कृषि विकास योजना बनाने का एक नया प्रयास आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये दिसम्बर 1989 में 5 दिन का एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न जिला में आयु अधिकारियों को सहभागी योजना बनाने के लिए विचार-विमर्श करके प्रशिक्षण दिया गया। मातृशाला निर्देश पत्र भा तैयार किया गया। इन योजना व अन्तर्गत ग्राम स्तर का योजनाएं ग्राम विस्तार कार्यकर्ता एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्मित की जायगा। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत का बैठक में उप पर चर्चा होगी। इस चर्चा में अग्रणी किसानों व विचार विमर्श कर योजना का अंतिम रूप दिया जायगा। इस प्रकार ग्राम स्तर पर निर्मित योजनाओं का मकानित करके उपजिला स्तर पर पंचायत समिति स्तर का योजनाएं तैयार का जाएगा। इन योजनाओं का पंचायत समिति व बैठक में रखा जाएगा अथवा कृषि समाज समिति का महमति प्राप्त करके योजना का अंतिम रूप दिया जाएगा। उप जिला स्तर पर बना योजनाओं का जिला स्तर पर मकानित करके पंचायत समिति व परम्पक मुहा का दृष्टिगत रखते हुये जिले की योजना तैयार का जायगा जिस पर जिला मन्त्र का बैठक में सहमति प्राप्त का जायगा। इन प्रकार निर्मित योजना में राज्य स्तर पर कृषि निदेशक राज्य मन्त्रालय योजना तैयार करेगा। इन योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन की सुभवनाओं का पहचान करके उपलब्ध मात्रा में

अधिकतम उत्पान लेने का प्रयास करना है। इस योजना में ग्राम विस्तार कार्यक्रमों द्वारा स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे जिन्हें प्राप्त करने की उसकी अधिक प्रतिबद्धता होगी।

(19) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं समन्वित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा उन जिलों में आरम्भ किया गया है जिनकी वार्षिक औसत वर्षा 500 मि.मी. से 1125 मि.मी. तक होती है। यह कार्यक्रम गजस्थान के अलावा अजमेर भरतपुर बायवाडा डूंगरपुर झालावाड कोटा सवाई माधोपुर सिरोही टोंक धौलपुर बूंदी भीलवाडा पाली जयपुर चित्तौड़गढ़ सीकर व उदयपुर जिलों में कृषि विभाग के साथ साथ वन पशुपालन उद्यान तथा अन्य विभागों के कार्यक्रमों को विस्तारों की भागीदारी के साथ समन्वित रूप में सम्पादित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू एवं जल संरक्षण तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कृषि प्रदर्शन यागनी फसल उत्पादन तकनीक राग उत्पादन एवं कृषि वानिकी तथा कृषि विकास समन्वित अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित है। समन्वित जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रमों की भांति कार्यक्रमों के सम्पादन के लिए अजमेर भातवाडा उदयपुर व जयपुर जिले चयनित किये गये है।

(20) राजस्थान की सर्वांगीण कृषि विकास योजना (Overall agricultural development plan of Rajasthan) कृषि एवं संबन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 514 37 करोड़ रुपए की योजना बना कर भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक का सहायता हेतु प्रस्तुत की थी। इस योजना में फसल उत्पादन भूमि सुधार जल विभाग वन विकास फल व सब्जी विकास भूजल उपयोग सिंचाई व्यवस्था पशुपालन भंडारण मछलीपालन महकवरिता आदि के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए थे। विश्व बैंक मिशन ने परियोजना के प्रारूप का अन्तिम रूप देने में पूर्व कुछ अध्ययन प्रस्तावित किए थे। गजस्थान सरकार ने उन पर विचार विमर्श किया और यह योजना अंत करार 300 करोड़ रुपये की होगी। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया। इस परियोजना के शीघ्र लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

(21) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर (Central Arid Zone Research Institute (CAZARI)) गजस्थान राज्य का अधिकारा भूभाग रजिस्तानी है। इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं।

सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् रेगिस्तानी क्षेत्रों को समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट प्रयास किये हैं। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अक्टूबर 1952 के मरूस्थल वनीकरण शांघ केन्द्र जोधपुर की (Desert Afforestation Research Station Jodhpur) स्थापना की। 1957 में इसके अंतर्गत मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया और इस केन्द्र का नाम मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र कर दिया गया। चम्पुत रेगिस्तानी क्षेत्र में विभिन्न गभीर समस्याओं के अनुसार एक एमो मस्या की आवश्यकता थी जो एक शोध संस्थान के रूप में कार्य कर सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये 1959 में मरूस्थल वनीकरण एवं मिट्टी संरक्षण केन्द्र का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात् इस केन्द्र को 'केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर (काजरी)' का नाम म जाना जाता है। 1966 के पूर्व इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता था लेकिन डमक पश्चात् इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किया जाता है। आस्ट्रेलिया सरकार एवं युनस्को ने इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया है। यह संस्थान काजरी का नाम म संपूर्ण भरत में प्रसिद्ध है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वन मस्या का विकास करने हेतु पड़ पाधा मिट्टी जल व भूमि आदि के संबंध में जापक संरक्षण एवं अध्ययन करना है। यह भूमिगत जल तथा वर्षा व बाढ़ व जल का उपयोग की व्यवस्था करता है। यह क्षेत्रीय पर्यावरण का अध्ययन करता है और उसमें सुधार का प्रयास करता है। उदात्ती पेड़ पाधा एवं वनस्पतिया का उपयोग का प्रथम भी करता है। भूमि व जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे वन व वनस्पतियों का विकास सिंचित फसलों का विकास व पशु समुदाय विकास आदि की दृष्टि में किया जाता है। इस संस्थान के अंतर्गत पौध अध्ययन विभाग मृतभूत संस्थानों का अध्ययन करने वाला विभाग जलपु ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग अध्ययन विभाग कृषि आर्थिक एवं मार्केटिंग विभाग पशु अध्ययन विभाग कृषि अभियांत्रिकी विभाग मिट्टी पानी व पौध सम्बन्धी अध्ययन विभाग मानवीय राज्य अध्ययन विभाग तथा प्रसार व प्रशिक्षण विभाग है। ये सभी विभाग संस्थान के विभिन्न कार्यों का सम्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अनेक परियोजनाओं का मर्गांतर करता है। इन परियोजनाओं में माट अनाज के विकास का अखिल भारतीय समन्वित परियोजना 'जल नियंत्रण के लिए अखिल भारतीय समन्वित शांघ परियोजना' का समन्वित केन्द्र हाटीन्तनगत फसल पर शांघ परियोजना हाटीन्त

एव पोस्ट हार्वस्ट नकनीक पर शोध परियोजना, शुष्क खेती भूमि खेती के लिए अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, जल प्रदूषण और मृदा लवणीयता के अनुसंधान पर एकीकृत परियोजना बूट-बूट सिंचाई और शुष्क भूमि प्रबंध पर ऑपरेशनल शोध परियोजना, पौधों की खोज तथा उपयोगिता के तहत अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना, एग्रो-फॉरमस्ट्री पर शोध परियोजना एवं ऊर्जा ससाधनों पर अनुसंधान का परियोजना प्रमुख है

युनको एव देश की अनेक मस्याओं व संगठनों व महयोग व काउंसिल में अनेक शोध परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। यह के वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया है। यह मस्थान इन अनुसंधानों को कृषकों पशुपालकों और संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।

(22) भागीरथ योजना (Bhagirath Yojna) -

परिचय (Introduction) राजस्थान सरकार ने भागीरथ योजना का श्रीगणेश कृषि एवं सहकारिता विभागों से किया है। भागीरथ योजना का शुभारम्भ 24 मई, 1990 का कृषि प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में किया गया। राजस्थान सरकार की इस योजना में राजकीय कार्यों के लिए ऐसे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का आकषण करने की चेष्टा की गई है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अटल सहम का कार्य कर सकें। वे व्यक्ति जो कुछ असामान्य कार्य का म्यन देखते हैं उनके स्वप्नों को कार्यरूप देने की यह योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामस्तर तक कोई अच्छी योजना बनाई जानी है और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक स्वेच्छिक प्रयास है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अमात्याय और अमाधारण कार्य करने का सङ्कल्प ले, है जैसा कि शहीद युग में भागीरथ ने किया था। नए व्यक्ति अकेला उस योजना का मूर्तधार होता है। इस अन्तर्गत सरकार द्वारा विभाग के उन कर्मचारी कर्मचारियों का जो अपने क्षेत्र को परिस्थिति व स्वयं की क्षमता तथा विभागीय प्रवृत्तियों को देखते हुये ग्लेच्छा से कार्य करना चाहते हैं उनसे कहा गया है कि वे अपनी योजना के लिए असामान्य लक्ष्यों का निर्धारण करें और योजना को पुनःपुनः क्रियान्वित करें। संबंधित विकास विभाग ऐसे भागीरथों को उन असामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन व सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है।

मुख्य तथ्य (Main Elements) - इन असाधारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न तो कोई नया पद सृजित किया जाता है और न ही भवन निर्माण के लिए कोई गति उपलब्ध कराई जाता है। इस योजना में चयनित

व्यक्ति को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ भी प्रदान नहीं किया जाता है। यह कार्य तो चयनित व्यक्ति को केवल नि स्वार्थ और समर्पण भावना से करना होता है ताकि वह अपना असामान्य और असाधारण योजना को साकार रूप दे सके। भागीरथ योजना के अन्तर्गत विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रवृत्तियाँ सम्मिलित की जाती है। कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, जिन्हें कृषि भागीरथ कहा जा सकता है, फसलों के लिए उन्नत बीज वितरण, बीजोपचार उर्वक पौधों के वितरण, किमान नर्मों, जलोपयोग कार्यक्रम, शुष्क खेती कार्यक्रम भूमि सुधार कार्यक्रम आदि से जुड़े हुये रहेंगे।

भागीरथ योजना में चयनित व्यक्तियों को विभागीय प्रवृत्तियों में समुचित प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। भागीरथ विकेंद्रित रूप से कार्य करन, अपना योजना स्वयं बनाने एव उनकी क्रियान्वित भी स्वयं करने के लिए म्यतंत्र है। कार्यक्रम के लिए सुविधा सामग्री उपलब्ध कराने का टायिल जिला स्तर पर, जिलामन्तरीय विभागीय अधिकारी एव विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष का है। राज्यस्तर पर विभागीय सचिव द्वारा कार्यक्रम की क्रियान्वित की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार जिलामन्तर पर जिलामन्तरीय अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा का कार्य किया जाता है।

विभिन्न कार्यक्रम (Various Programmes)

- कृषि विभाग में भागीरथों द्वारा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियाँ हाथ से ली गई है जिनमें से कुछ निम्नान्वित से संचालित है

(1) जल ससाधन (Water Resources) - राजस्थान में जल ससाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश में उपलब्ध जल ससाधनों का केवल एक प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। वर्षा का अधिकांश जल भी बह जाता है। जल ससाधनों के लक्षण 70% सतही जल तथा 50% भूजल का दोहन किया गया है जिससे कुल कृषि क्षेत्र का लक्षण 24% भाग में तो सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है जबकि इस क्षेत्र की उत्पादकता 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष होने चाहिये। जल की आवश्यकता में अधिक उपयोग अपव्यय एव जल की कमी का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का 50% भाग फसल तक पहुंचने-पहुंचाने अपव्यय हो जाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जल के अनावश्यक उपयोग तथा अपव्यय को रोकने के लिए भागीरथ कृषि विभाग द्वारा अनुसंधित शुष्क खेती का तकनीक का व्यापक उपयोग करके कृषि उत्पादन की

वृद्धि में योगदान करता है। मतनी जल एवं भू जल स्रोतों से उपलब्ध जल का भागीरथ द्वारा समुचित उपयोग करने का प्रयाग अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

(2) फव्वारा सिंचाई प्रणाली (Sprinkler Irrigation System) फव्वारा सिंचाई राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर मीरठ, बुधनू, नागौर, जालोर, पाली, जाधपुर व बांसवाड़ा जिला तथा अलवर, टाक, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस योजना के लिए आदर्श परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों का फव्वारा सैट उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सामान्य कृषकों को 33.33% तथा लघु व माध्याम कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। प्रति सैट अनुदान का मामला 7000 रुपए तक निर्धारित की गई है। इस योजना में अंतर्गत यदि कृषक बैंकों से ऋण प्राप्त करके सैट खरीदता है तो अनुदान कृषकों के अनुसार उसके खर्च में जमा करा दिया जाता है। यदि कृषक अपने स्वयं से माध्याम में सैट खरीदता है तो अनुदान राशि संबंधित कृषि उपनिदेशक से नियंत्रण करवाकर नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाती है।

(3) पक्की नालियों का निर्माण (Drainage) सिंचाई के उपलब्ध जल को फसल तक पहुँचाने के लिए सिंचाई की नालियाँ कायम करना तथा पानी को पीछे लाने के लिए भी कृषकों को अनुदान दिया जाता है। अनुमान है कि सिंचाई के उपलब्ध जल का लगभग 50% फसल तक पहुँचाने के लिए उपयोग हो जाता है। इस प्रकार बचाये हुये पानी से लगभग 48% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी तथा जल का अपव्यय नही होगा। इस योजना के अंतर्गत सामान्य कृषकों को 25% तथा लघु व माध्याम कृषकों को 50% अनुदान सुलभ कराया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर लंबाई बनाने हेतु यह सुविधा उपलब्ध है।

(4) सामुदायिक नलकूप योजना (Community Tubewell Project) भू जल का विनाश कर अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सामुदायिक नलकूप योजना आरंभ की गई है। भू जल विभाग के अनुसार मीरठ, बुधनू, नागौर, जाधपुर, पाली, जालोर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा टाक जिलों में इस योजना के लिए उपयुक्त है। एक सामुदायिक नलकूप के लिए पांच या अधिक कृषकों का समूह बनाना होता है जिसमें लघु एवं माध्याम कृषक होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस क्षेत्र में जल नलकूप लगाया जाता है किन्तु उपलब्ध है तथा सर्वोत्तम कृषकों को भूमि उस क्षेत्र पर स्थित है। योजना के अंतर्गत कृषकों को 50% अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा राय को 50% राय

कृषक अपनी-अपनी भूमि के अनुपात में स्वयं वहन करने है।

(5) फसल परियोजना (Crop Project) राजस्थान जैसे सीमित मसामान वाले प्रदेश में जन्नी है कि कोई जाने वाली फसलों की विस्तारों में परिवर्तन किया जाये। उदाहरण के लिए अधिक जल चाहने वाली फसलों तथा गेहूँ और जौ की बजाय कम पानी में पकने वाली चना, मूँग, धनियाँ, अलसी जैसी फसलें बोना अधिक लाभप्रद है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल परिवर्तन के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इनके लिए उर्वरक, बीज, पौध, मरखण आदि पर होने वाले व्यय के लिए एक हजार रुपए हैकटेयर की दर से किसानों को अनुदान दिया जाता है। उर्वरकों तथा बीजों का उपयोग कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है।

(6) कृषि यंत्रों का वितरण (Distribution of Agricultural Implements) कृषि में यंत्रों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भागीरथ अपने क्षेत्र में ऐसे उन्नत कृषि यंत्रों के उचित उपयोग रखरखाव आदि की जानकारी देते हैं तथा उनके वितरण पर कृषकों के श्रम एवं समय को बचाते हैं और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

(7) कृषि वानिकी एवं चारा उत्पादन (Agricultural Forestry & Fodder Production) कृषकों की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में कृषि भूमि के अतिरिक्त सीमांत भूमि पर ही फसल उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य के पशुओं को वांछित मात्रा में चारा भी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार का हर वर्ष पट्टीसी प्रदेशों से लाखों टन चारा मगवाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने किसानों का स्वयं अधिक से अधिक चारा उत्पादन करने तथा कृषि यंत्रों के माध्यम से ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आश्रय सहयोग एवं मार्गदर्शन देकर कार्य भागीरथ योजना में सम्मिलित किया है। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को 50% अनुदानित दर पर चारे वाली फसलों का प्रमाणित वाड़ा दिया जाता है। इसी प्रकार कृषि वानिकी का प्रोत्साहन करने के लिए छोटी पत्तों वाले वृक्षों का पौधे 10 पैस तथा बड़ी पत्तों वाले वृक्षों की पौधे 20 पैस प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जीवित पौधों के लिए एक रुपया प्रति पौधे की दर से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के घरों पर भी पौधे लगाए गए विनियम की जाती है। पौधे लगाते वारन वाले किसानों को 50 पैस प्रति पौधे की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। एक किसान अधिकतम 25,000 पौधे एक पौधे लगाते में तैयार कर सकता है।

(8) खाद एवं बीज का वितरण (Distribution of Fertilizer & Seeds) - उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, दलहनों के बीजों, खुरगफ बीजों, रसी बीजों तथा कल्चर पैकेट्स का वितरण किसानों में किया जाता है। इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए डी ए पी, यूरिया सुपर फास्फेट तथा त्रिफसम उर्वरक का वितरण भी भागीरथी योजना के अंतर्गत किया जाता है।

राजस्थान में योजनाकाल के अंतर्गत

कृषि विकास

AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN UNDER FIVE - YEAR PLANS

राजस्थान की सभी योजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कृषि फसलों में अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र आ सकें। दूसरी योजना में कृषि के समुचित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसके अंतर्गत उपयुक्त कृषि आदाना का उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम के विचार को क्रियान्वित करने की चेष्टा की गई। इसका अंतर्गत कुछ चयनित क्षेत्रों और कुछ चयनित फसलों का कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया। 1966 में 1969 के मध्य की वार्षिक योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि हरित क्रांति का आरम्भ होना रहा है। इस काल में अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग आरम्भ किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी इसी नीति को जारी रखा गया। पाचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समन्वित क्षेत्र की नीति को लागू किया गया। विभिन्न कृषि आदानों तथा उन्नत फसल प्रबन्ध को किसानों के हाथों तक पहुँचाने का विचार को कार्यरूप दिया गया। छठी योजना में इस राते पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि आदानों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि मौसम सम्बन्धी परिवर्तनों को कृषि उत्पादन पर अधिक प्रतिकूल असर न पड़ सक। यह भी ध्यान रखा कि कृषि सबधी नई तकनीक को कमजोर नग तक पहुँचाया जाये। सातवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिन्नाट क्षेत्र में वृद्धि करने विद्यमान मिन्नाट क्षेत्रों में कुशासन मिन्नाट प्रबन्ध विकसित करने उन्नत बीज खादों व बीटनाशकों व उपयोग को बढ़ाने एवं शुष्क खेती को लाजप्रिय बनाने तथा कृषि विन्नाट मेकाओं के कुशल उपयोग का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जन अधिग्रहण विकास कार्यक्रम और वीहड सुधार कार्यक्रम का गठन पर हाथ में लिया गया। इस योजना में

कृषि आदानों को मिनिक्विट्स के रूप में तथा व सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराना भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी हाथ में लिये गये जिनका अत्यधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस योजना के अंतर्गत ही कुछ चयनित फसलों के सर्ध में अच्छी सभावनाओं वाले जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

(1) कृषि विकास दर (Agriculture Growth Rate)

1951 में 1990 तक लगभग 40 वर्षों में विभिन्न फसलों के क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता से संबंधित निम्नलिखित विकास दरें प्राप्त की गईं

विकास	प्रथम योजना से सातवी योजना के मध्य विकास दर (प्रतिशत में)		
	प्रथम योजना से सातवी योजना के मध्य प्राप्त विकास दर		
	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
अनाज	3.6	11.4	7.5
दालें	3.4	8.0	4.6
हरी सब्जियाँ	3.6	10.9	6.9
तिलहन	11.2	22.0	13.7
गन्ना	5.4	20.2	14.0
कपास	10.2	24.4	12.1

स्रोत: Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan & Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से निम्नांकित तथ्यों का ज्ञान होता है -

- 1 उपरोक्त सभी फसलों में क्षेत्र की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है।
- 2 खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता तिलहन गन्ना व कपास में लगभग आधी रही है।
- 3 राजस्थान में तिलहन व कपास के अधिक उत्पादन का एक कारण तो इसके क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि होना है तो दूसरी ओर इसकी उत्पादकता भी खाद्य फसलों की तुलना में लगभग दुगुनी होना है।
- 4 गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बाद भी इसका उत्पादन मुख्यतः इस कारण में बढ़ा है कि इसका उत्पादकता बढ़ गई है।

(2) महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (Production of Important Agricultural Crops) -

राजस्थान में खाद्यान्नों तिलहन, कपास तथा गन्ना आदि व उत्पादन में हुई वृद्धि की योजनावार अग्र तर्जिका में प्रदर्शित किया जा सकता है -

महत्वपूर्ण कृषि फसलों का उत्पादन (उत्पादन लाख टन/गांठों में)

योजना अवधि के अंत में	फसलें						
	अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास	गन्ना	ग्वार
1950 51	28 88	4 98	33 86	1 34	1 03	4 14	
प्रथम योजना (1951 56)	32 37	7 61	39 98	2 09	1 31	4 48	
द्वितीय योजना (1956-61)	33 67	12 73	46 40	2 27	1 63	4 91	
तृतीय योजना (1961 66)	37 06	10 51	47 57	2 56	1 72	7 54	
3 वार्षिक योजनाएँ (1966 69)	28 76	6 73	35 49	1 52	1 72	5 24	
चतुर्थ योजना (1969 74)	50 56	12 94	63 50	3 72	2 62	12 82	
पाचवी योजना (1974 79)	52 42	17 94	70 36	4 43	4 31	21 49	5 79
छठी योजना (1980 85)	65 27	14 67	78 94	7 97	4 77	13 76	3 87
सातवी योजना (1985 90)	73 77	11 55	85 32	18 45	9 86	7 16	4 45
आठवी योजना (1992 97)	108 06	22 13	130 19	40 49	13 63	12 90	7 31
नवी योजना (1997 2002)	115 85	18 80	134 65	39 50	15 25	10 00	
लघु							

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992 97 & D after Five Year Plan 1997 2002 Govt of Rajasthan

उत्पन्न तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होना है कि

- 1950 51 से कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी वृद्धि होती रही है किन्तु आम तौर पर खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ने की रही है
- राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन 1994 95 में 117 लाख टन अंकित किया गया।
- 1980 90 के मध्य 1987 88 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन सबसे कम 47 81 लाख टन हुआ। इसका प्रमुख कारण 1987 88 के वर्ष का सर्वाधिक अकालग्रस्त वर्ष होना था।
- शालीम वर्ष की अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग तीन गुना हुआ है जबकि इसी अवधि में तिलहन के उत्पादन में 17 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। 1986 87 में 1995 96 के मध्य ही तिलहन का उत्पादन लगभग चार गुना से अधिक हो गया है। तिलहन में भी मरसों के

उत्पादन में विशेष वृद्धि अंकित की गई है।

- दलहन में अभी तक 1978 79 के उत्पादन 17 94 लाख टन को 1994 95 तक ही पुन प्राप्त किया जा सका है।
- कपास के उत्पादन में 1989 90 में विशेष उत्पादन वृद्धि दखने में आ रही है। इस वृद्धि का निरंतर बने रहने की सम्भावना है।
- गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1978 79 में 21 49 लाख टन हुआ था जबकि 1995 96 में उत्पादन उसका लगभग आधा है।

(3) कृषि आदानों का उपभोग (Consumption of Agricultural Inputs) कृषि विकास में कृषि आदानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें खाद उन्नत बीज काटनाशाक आदि के मदर्थ में हुई प्रगति को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है

राजस्थान में कृषि आदानों का उपभोग

योजना	रासायनिक खाद का उपयोग		उन्नत बीजों का विवरण (हजार किबंटल)	अन्य मुषर हुए बीज का मात्रा (हजार किबंटल)	कोटनाशाक (टन)
	हजार टन	किनोग्राम प्रति हेक्टेयर			
	द्वितीय योजना (1956-61)	1 30	0 09		
तृतीय योजना (1961 66)	7 28	0 48			229
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	30 20	2 12	25 1		
चौथी योजना (1969-74)	57 34	3 51	26 8		915
पाचवी योजना (1974 79)	96 36	5 72	48 1	8 1	1511

छठवाँ योजना (1980-85)	170 96	9 44	125 9	31 8	2704
सातवीं योजना (1985-90)	285 59	15 95	130 9	52.7	2685
आठवीं योजना (1992-97)	701 15	33 81	264 75	137 36	2569
नवीं योजना (1997-2002 लक्ष्य)	1138 50	56 08	446 5		5000

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

तालिका से ज्ञात होता है कि -

1- राजस्थान में अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण 1966-67 से आरंभ हुआ, तत्पश्चात् विभिन्न योजनाओं में इसका उपयोग बढ़ा है।

2- अन्य सुधरे हुये बीजों का उपयोग पाचवाँ पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ आर इसका उपयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।

3- रासायनिक खाद का उपयोग भी 1995-96 में विगत 35 वर्षों की अपेक्षा लगभग 350 गुना हो गया है। प्रति हैक्टेयर रासायनिक खाद के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 1961 में 0.09 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1990-91 में 19.75 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 217 गुना वृद्धि हुई है।

4- 1968-69 की तुलना में 1995-96 में अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण लगभग 8 गुना हो गया है।

5- 1974-79 की तुलना में 1995-96 में अन्य सुधरे हुये बीजों का उपयोग 13 गुना बढ़ गया था। कीटनाशकों का प्रयोग 1961 की तुलना में 1990-91 तक लगभग 25 गुना हो गया था।

(4) राज्य की महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में वृद्धि (Increase in productivity of important crops) - राजस्थान में उन्नत एवं सुधरे हुए कृषि आदानों के उपयोग से महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

फसल	राजस्थान में महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)			
	राज्य का उत्पादकता औसत			
	पाचवीं योजना 1974-79	छठवीं योजना 1980-85	सातवीं योजना 1985-90	आठवीं योजना 1992-97
चावल	1202	1065	1008	1073
ज्वार	377	442	351	375
बाजरा	240	308	277	419
गेहूँ	1334	1642	2205.3	2340
फसल	834	1007	900	958
जौ	1302	1362	1613	1773
चना	788	666	701	722
मूंगफली	640	649	751	901

जिले	140	127	125	174
बराबरी व रुई	541	759	875	890
अलसी	340	380	368	402
कपास	223	215	285	334
चना	42137	40471	42273	47543

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1992-97 & Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से फसलों की उत्पादकता के संदर्भ में इन तथ्यों का पता चलता है -

1- राज्य की महत्वपूर्ण फसलों में से अधिकांश फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत में अभी भी कम है।

2- विगत तीन योजनाओं में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा है।

3- गेहूँ की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में विगत तीन योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लगभग यही स्थिति सरसों व राई के उत्पादन में रही है।

(5) राजस्थान में कृषि पर व्यय (Expenditure on Agriculture in Rajasthan) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में कृषि एवं उसकी सहायक सेवाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से वर्तमान तक किये गये प्रावधान एवं वास्तविक व्यय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

राजस्थान की योजनाओं में कृषि हेतु प्रावधान एवं व्यय योजना	प्रावधान (कोटि रुपये)	व्यय के कुल प्रावधान (कोटि रुपये)	व्यय के कुल (कोटि रुपये)	व्यय के प्रतिशत
प्रथम योजना	3.24	5.02	2.92	4.84
द्वितीय योजना	6.70	6.38	6.32	6.15
तृतीय योजना	16.39	6.91	12.40	5.83
चौथी योजना	11.01	8.20	10.02	7.33
पाचवीं योजना	10.95	3.85	10.28	3.33
पाचवीं योजना	32.83	3.88	31.44	3.67
षष्ठी योजना (1979-80)	12.67	4.61	15.60	5.38
छठवीं योजना	82.33	4.07	96.55	4.55
सातवीं योजना	144.74	4.82	161.90	5.21
आठवीं योजना	1286.92	11.19		

स्रोत - Eighth Five Year Plan 1982-87 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होना है कि -

1 राजस्थान की विभिन्न योजनाओं में तो कृषि के लिए किया गया प्रावधान और न ही योजनाकाल में स्पष्ट किया गया वार्षिक व्यय निरंतर बढ़ा है, चतुर्थ योजना के पश्चात् यद्यपि इन दोनों में ही निरंतर वृद्धि अंकित की गई है।

2 योजना काल में कृषि पर किये गये प्रावधान एवं वार्षिक व्यय के प्रतिगत के सदर्थ में ही चतुर्थ योजना के पश्चात् ही निरंतर वृद्धि हुई है।

(6) राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय (Per Capita Expenditure on Agriculture under plans) - राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गए कुल प्रतिव्यक्ति व्यय एवं कृषि व सम्बन्धित सेवाओं पर किया गया प्रतिव्यक्ति व्यय इस तालिका में स्पष्ट है।

राजस्थान में योजनाकाल में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय		
योजना	प्रतिव्यक्ति कुल व्यय (रुपय में)	प्रतिव्यक्ति कृषि पर व्यय (रुपय में)
प्रथम योजना	34	1 64
द्वितीय योजना	65	3 99
तृतीय योजना	97	5 65
चतुर्थ योजना	120	3 99
पाचवी योजना	332	12 18
छठी योजना	622	28 30
सातवी योजना	875	45 58

स्रोत Eighth Five Year Plan 1952-57 Govt of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होना है कि राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रतिव्यक्ति नगण्य राशि व्यय की गई। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय बढ़ा किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह पुनः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के स्तर पर आ गया। चौथी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा सातवी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति व्यय तीन गुने से अधिक हो गया। पाचवी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा छठी योजना में प्रतिव्यक्ति व्यय दुगुण से अधिक रहा किन्तु सातवी पंचवर्षीय योजना में यह डेढ़ गुने से कट अधिक रहा। आठवी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्रतिव्यक्ति व्यय राजस्थान में सातवी योजना की अपेक्षा पांच गुना अधिक होने की सम्भावना है।

राजस्थान की आठवी योजना में कृषि विकास की व्यूह-रचना

AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGY IN VIII PLAN

आठवी योजना में कृषि पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1 राजस्थान में शुष्क कृषि को अधिक लोकप्रिय बनाने की वृत्ति की गई। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 70-75% एरग क्षेत्र है जहाँ शुष्क खेती को अपनाया जा सकता है। अतः शुष्क कृषि को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया।

2 योजना के अंतर्गत वज्र व पडल भूमि का उपयोग करने के लिए कृषि तकनीकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया।

3 इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 17 94 लाख हेक्टेयर मरुस्थलीय भूमि को दृष्टिगत रखते हुये सुधार की वृत्ति की गई।

4 गमायनिक कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद के साथ साथ भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिए जैविक और हरे खाद का प्रयोग किये जाने का प्रयास किये गये। राजस्थान में पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कृषि उपजों का विविधीकरण कर ऐसी फसलों लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती हो। भूमिगत जल के कुशल उपयोग के लिए बूद-बूद मिर्चाई पद्धति व फव्वारा मिर्चाई को प्रोत्साहित किया गया।

5 सातवी योजना के अंतर्गत कृषि नियोजन में कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया गया। राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से 9 खण्डों तथा उपखण्डों में विभाजित किया गया। आठवी योजना में कृषि जलवायु क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि विकास सत्रों निर्णय किये गये।

6 कृषि एवं उसके सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत कृषि विकास योजना बना कर विश्व बैंक सहित अन्य प्रभुत्व की गई।

7 राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता व कमी को दृष्टिगत रखते हुये किसानों का जातिगत व बजारी व उद्योग में फसल बोमा का विस्तार किया गया।

राजस्थान में आठवी योजना का अंतर्गत खर्चाना के अनुमान का व्यय 113 90 लाख टन निर्धारित किया

गया था जबकि वार्षिक उत्पादन 130 19 लाख टन हुआ। तिलहन का उत्पादन लक्ष्य 39 90 लाख टन, गन्ने का उत्पादन लक्ष्य 11 25 लाख टन एवं कपास का उत्पादन लक्ष्य 11 90 लाख गांठे निर्धारित किया गया। जईक वार्षिक उत्पादन क्रमशः 40 49 लाख टन, 12 90 लाख टन व 13 63 लाख टन गांठ हुआ। आठवीं योजना में 38 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उन्नत बोधों के अंतर्गत लाया गया। याचना की अवधि में 402 1 हजार क्विंटल उन्नत बीज विकसित किये गये। 'गैसाफनिक खाद' का उपयोग भी याचना अवधि में 701 1 हजार टन हुआ।

नवी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की व्यूह-रचना

राजस्थान में इस योजना में कृषि व संबंधित सेवाओं पर 1880 03 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं -

1 प्राकृतिक सम्साधनों के विकास तथा सामुदायिक ढांचागत आधार के निर्माण हेतु मार्गजनिक एवं निजी निर्यातों को बढ़ावा देना। इस कार्य हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे -

(i) ग्रामाण उत्तमों टेक्नालॉजी पार्क उच्च तकनीकी प्रदर्शन एवं उत्पादक फर्मों की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों को सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

(ii) कृषि विभाग को बढ़ावा देने वाली फर्मों को विशिष्ट सहयोग प्रदाता किया जायेगा।

(iii) वाहन एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली तथा दूर परम्परागत आगलों का उत्पादन करने वाली निजी फर्मों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) फर्मों व टांचागत विभाग हेतु वित्तीय सहायता का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

2 फर्मों के ढांचागत विकास हेतु विभिन्न प्रकार की माछ मुक्तिआडे में गृहिकी जायेंगी और कार्य हेतु वित्तीय सहायता का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3 छोटे मागान एवं सों कृषकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम मर्यादित किया जायेगा।

4 कृषि अग्रगण्य एवं प्रथम में सुधार हेतु निम्न कार्य किये जायेंगे

(i) कृषि विभाग को सुदृढ़ करने तथा प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु स्थानीय स्वयंसेवकों एवं दूर मरकागी सहायकों का सहयोग

प्राप्त किया जायेगा।

(ii) कृषि समुदाय के प्रशिक्षण व तकनीकी स्तर को उच्च करने के लिए सहायता ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा।

(iii) निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में क्रेडिट किस्म के बीजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) कृषि आदानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(v) कृषि क्षेत्र में तकनीकी खो एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(vi) कृषि विस्तार में संचार के माधनों का पूर्ण उपयोग किया जायेगा।

राजस्थान में भू-उपयोग

LAND UTILIZATION IN RAJASTHAN

प्राकृतिक ससाधनों में भूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण ससाधन है। अतः उसका उचित उपयोग होना चाहिये। भूमि को अनेक प्रकारों में लिया जा सकता है इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चाहे किस कार्य में भूमि का प्रयोग हो, वह उसका सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिये। इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिये कि सभी भूमि एक जैसी नहीं होती। इस कारण उनका महत्व भी अलग-अलग होता है। भूमि की स्थिति, उसकी बनावट उसका ढाल आदि उसकी उपयोगिता को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। यह भूमि व मिट्टी के सम्साधनों का दुर्भयोग होता है तो इससे राज्य की समग्र उत्पादन में हानि होता है। राज्य के भू सम्साधनों के उपयोग को दृष्टि से जल श्रेणी का भी विशेष महत्व है। इस कारण भूमि के उपयोग का अनेक दृष्टिकोणों से परखा करना चाहिये। इनमें भू-सुरक्षण, भूमि की उत्पादकता, पूर्वी-उत्पाद अनुपात तथा उत्पादक व अनुत्पादक उपयोग सम्मिलित होने चाहिये। भूमि का बुरा उपयोग उसकी उत्पादकता को बर्बाद रखता है व राज्य को लाभ पहुँचाता है। भूमि का बुरा उपयोग या दुर्भयोग भूमि का अत्यधिक विशेषज्ञों को नष्ट कर राज्य का हानि पहुँचाता है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में भूमि-उत्पादकता सर्वेक्षण किया जाये। राज्य में वर्तमान में सनसल भूमि-किन्-किन् कार्यों में प्रयोग में लाई जा रही है। इसका विस्तृत अध्ययन करते भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए भावी नीति निर्धारण का काम चाहिये।

राजस्थान में भू-उपयोग में सर्वोत्तम प्रमुख तथ्य निम्नवत है -

(1) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (Total Geographical Area) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आशय उम क्षेत्र से है जिसके मध्य में भूमि उपयोग वर्गीकरण उपलब्ध है। भूमि उपयोग संबंध आकड़े ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व के

उद्देश्य में निर्मित रिटर्न के आधार पर तैयार किये जाते हैं। राजस्थान का भू-उपयोग की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल व उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग निम्न तालिका से स्पष्ट है।

विवरण	राजस्थान में भू-उपयोग (हजार हेक्टेयर)				
	1970-71	1979-80	1989-90	1994-95	1995-96
1 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल के अन्तर्गत में)	34109	34234	34248	34243	34243
2. भू	1355	2068	2324	2450	2458
3. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि					
(अ) भूमि का अक्षयि जलों से उपजा	162	1509	1624	1667	1680
(ब) बरसात का अक्षयि भूमि	4715	2931	2819	2670	2657
4 अन्य अक्षयि भूमि					
(अ) अर्द्ध पशुपालन तथा अन्य गन्तव्य भूमि	1807	1841	1802	1751	1745
(ब) विभिन्न कृषि फसलों आदि के अर्थात् भूमि	9	9	23	17	16
5 वन्य भूमि (वन्य भूमि का					
6 पट्टा भूमि (गन्तव्य)	6112	6406	5628	5165	5103
(अ) पट्टा भूमि (वायु पट्टा व अर्ध-पट्टा)	2325	2275	2082	1832	1972
(ब) गन्तव्य भूमि	1443	2988	2340	1670	2036
7 गन्तव्य भूमि (गन्तव्य)	15179	14207	15606	17021	16575
8 एक से अधिक बार बनाया गया मरुस्थल	1550	2164	2297	3359	3098
9 वन्य भूमि (गन्तव्य)	16729	16371	17903	20380	19673

Source Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt of Rajasthan A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan 1997-2002 Govt of Rajasthan & Statistical Abstract Rajasthan 1996

(2) वन (Forest) - वनों के अंतर्गत वह सम्पन्न भूमि सम्मिलित की जाती है जो किसी भी वैधानिक अधिनियम के द्वारा वन के रूप में वर्गीकृत की गयी है। चाहे वह सरकारी स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व के अंतर्गत हो। चाहे उम भूमि के वृक्ष हो या वह भूमि वनों की सहायता से युक्त हो। वनों के मध्य आने वाले कृषि क्षेत्र एवं चरागाहों का भी वन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कृषि विभाग व वन विभाग द्वारा दिये गये वन क्षेत्र के आकड़े में सदैव अंतर बना रहता है। राजस्थान में द्वितीय योजना के अंतर्गत औसतन 1067 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वन था। सातवीं योजना के अंतर्गत यह औसतन दुगुने से भी अधिक होकर 2276 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में भौगोलिक वन उदयपुर जिले में है। राजस्थान में वनों की स्थिति एवं जिलेवार वन निम्न प्रकार है।

योजना काल में राजस्थान में वन क्षेत्र	
योजना	वन (हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	1302
द्वितीय योजना का औसत	1067
तृतीय योजना का औसत	975
सातवीं योजना का औसत (1966-69)	1182
चौथी योजना का औसत	1417
पाचवीं योजना का औसत	2069
छठी योजना का औसत	2135
सातवीं योजना का औसत	2276
1995-96	2458

Economic Review 1997-98 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land Use Statistics in Rajasthan and Agricultural Statistics 1994-95, Rajasthan A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(3) भूमि का अक्षयि कार्यों में उपयोग (Area Under Non Agricultural Use) - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वह सम्पन्न भूमि सम्मिलित है जो भवनों, सड़कों, रेलमार्गों, नदियों, नहरों तथा कृषि के आधुनिक अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रही है। राजस्थान में अक्षयि कार्यों में उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। द्वितीय योजना में यह औसतन 1164 हजार हेक्टेयर था जो सातवीं योजना में 1613 हजार हेक्टेयर हो गया है। राजस्थान में अक्षयि कार्यों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उदयपुर जिले में और तत्पश्चात् श्रीगंगानगर जिले में प्रयुक्त की जा रही थी। राजस्थान में योजनावधि में तथा जिलेवार भूमि का अक्षयि कार्यों में उपयोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

योजना काल में राजस्थान भूमि का अक्षयि कार्यों में उपयोग	
योजना	वन (हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	1164
तृतीय योजना का औसत	1137
सातवीं योजना का औसत (1966-69)	1166
चौथी योजना का औसत	1289
पाचवीं योजना का औसत	1509
छठी योजना का औसत	1509
सातवीं योजना का औसत	1613
1995-96	1679

Economic Review 1997-98 1998-99 Govt of Rajasthan
Source Trends in Land Use Statistics in Rajasthan and Agricultural Statistics 1994-95, Rajasthan A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec 1995

(4) बजर एवं अकृषि भूमि (Barren & Un-Cultivable land) - इसके अंतर्गत वह समस्त बजर एवं अकृषि भूमि सम्मिलित है जो पहाड़ों, रेगिस्तान आदि के अंतर्गत आती है। यह वह भूमि है जो बहुत अधिक लागत लगाये बिना कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ऐसी भूमि कृषि जोतों के बीच में हो या उनसे दूर हो सकती है। राजस्थान में 1995-96 में इस प्रकार की 2656 हजार हेक्टेयर भूमि थी जबकि द्वितीय योजना का औसत 4952 हजार हेक्टेयर का था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की मात्रा निरंतर कम होना जा रही है। इस प्रकार की सर्वाधिक भूमि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। बत्परवान, जैमलमेर जिले का स्थान है। राजस्थान में बजर भूमि एवं अकृषि भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है -

बजर एवं अकृषि भूमि	
योजना	वन(हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	NA
द्वितीय योजना का औसत	4953
तृतीय योजना का औसत	5087
चौथी योजना का औसत (1966-69)	4811
पाँचवी योजना का औसत	4684
छठी योजना का औसत	2931
सातवी योजना का औसत	2899
अठारवी योजना का औसत	2821
1995-96	2656

**Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan & Agricultural Statistics 1994-95, Pp. 3 & A Structure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993*

(5) कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र (Area Not Available For Cultivation) - कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र के अंतर्गत अकृषि कर्षों में उपयोग न लायी जा सकी भूमि बजर एवं अकृषि भूमि का सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। यह अच्छी स्थिति कही जा सकता है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक अनुपलब्ध भूमि बम्बस, उदयपुर एवं जैमलमेर जिलों में है। राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र की निम्न कतिपय में दर्जना गया है

योजना काल में राजस्थान में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र	
योजना	वन(हजार हेक्टेयर)
प्रथम योजना का औसत	7644
द्वितीय योजना का औसत	6117
तृतीय योजना का औसत	6225
चौथी योजना का औसत (1966-69)	5977
पाँचवी योजना का औसत	5972
छठी योजना का औसत	5440
सातवी योजना का औसत	4412
अठारवी योजना का औसत	4434
1994-95*	4137

*Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan & Agricultural Statistics 1994-95, Pp. 3 & A Structure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993*

(6) स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि (Permanent Pastures and other Grazing land) - इस भूमि के अंतर्गत सभी चरागाह क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे स्थायी प्रवृत्ति के हों अथवा नहीं। गव को सामान्य चराई भूमि का भा इस वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में इस भूमि का क्षेत्रफल धीमे धीमे घट रहा है। राजस्थान में इस प्रकार की सर्वाधिक भूमि बाडमेर व लोकनेर जिलों में उपलब्ध है। राजस्थान में स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है

योजना काल में राजस्थान में स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि	
योजना	वन(हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	1526
तृतीय योजना का औसत	1771
चौथी योजना का औसत (1966-69)	1618
पाँचवी योजना का औसत	1811
छठी योजना का औसत	1841
सातवी योजना का औसत	1841
1995-96	1745

**Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan & Agricultural Statistics 1994-95, Pp. 3 & A Structure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993*

(7) विभिन्न वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि (Land Under Miscellaneous Tree Crops etc) - इनमें वह समस्त कृषि भूमि सम्मिलित है जो शुद्ध रूप से एक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है लेकिन वह कुछ अन्य कृषि उपयोग में ला जा रही है। कृषि घासों, दाम के बुण्डों एवं ईंधन इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि, जो बगीचों के अंतर्गत नहीं आती इस श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल चौथी योजना में औसतन 9.2 हजार हेक्टेयर रह गया था। सातवी योजना में यह औसत बटकर 28.2 हजार हेक्टेयर हो गया था। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि का स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है

योजना काल में भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग	
योजना	वन(हजार हेक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	24
तृतीय योजना का औसत	14
चौथी योजना का औसत (1966-69)	13
पाँचवी योजना का औसत	9
छठी योजना का औसत	9
सातवी योजना का औसत	43
अठारवी योजना का औसत	28
1995-96	15.6

**Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
Source: Trends in Land use Statistics in Rajasthan & Agricultural Statistics 1994-95, Pp. 3 & A Structure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1993*

(8) बजर भूमि (Cultivable Waste) - इस वर्गीकरण के अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित है जिसे पर कृषि कृषि होती थी लेकिन बाद में किसी कारण से कृषि कार्य बंद करना पड़ा।

ये भूमि निश्चित तौर पर कृषि भूमि रही होती है। इन भूमियों को उचित लागत लगाकर एवं उचित प्रयास करके सुधारा जा सकता है। ऐसी भूमि पडत भूमि हो सकती है या झाड़ियों और जंगल से भरी हो सकती है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार के प्रयासों के कारण इस प्रकार की भूमि का मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। द्वितीय योजना में इस प्रकार का क्षेत्र औसतन 7078 हजार हैक्टेयर था तो सातवीं योजना में घटकर औसतन 5815 हजार हैक्टेयर रह गया। राजस्थान में सर्वाधिक बजर भूमि क्रमशः जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है। राजस्थान में बजर भूमि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है

योजना काल में राजस्थान में बजर भूमि	
योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	7078
तृतीय योजना का औसत	6561
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	6316
चौथी योजना का औसत	6024
पाचवी योजना का औसत	5406
छठी योजना का औसत	6123
सातवी योजना का औसत	5815
1995-96	5103

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(9) अन्य अकृषि भूमि (पडत भूमि को छोड़कर) (Other Uncultivated Land excluding Fallow Land) - इसके अंतर्गत स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई भूमि विभिन्न वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि एवं बजर भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है तथा इसकी मात्रा जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक है। राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति निम्न प्रकार से है।

योजना काल में अन्य अकृषि भूमि (पडत को छोड़कर)	
योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	8924
तृतीय योजना का औसत	8628
चौथी योजना का औसत	8346
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	8148
पाचवी योजना का औसत	7844
छठी योजना का औसत	8258
सातवी योजना का औसत	8007
1995-96	7659
	6933

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(10) पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त) (Fallow Land other current fallows) - इसमें वह

समस्त भूमि सम्मिलित है जो कृषि में प्रयुक्त की जा रही थी लेकिन जिम पर असाई तौर पर खेती नहीं की जा रही है। खेती न किये जाने की अवधि एक वर्ष से कम और पांच वर्ष से अधिक नहीं होती। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। द्वितीय योजना में यह क्षेत्र औसतन 3438 हजार हैक्टेयर था। सातवी योजना में यह क्षेत्र कम होने के बावजूद भी औसतन 2368 हजार हैक्टेयर था जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान के जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में इस प्रकार की भूमि बड़ी मात्रा में विद्यमान है। राजस्थान में इस प्रकार की भूमि की स्थिति को निम्न तालिका की मद्दत से समझा जा सकता है

योजना काल में पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त)	
योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	3438
तृतीय योजना का औसत	2651
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2146
चौथी योजना का औसत	2227
पाचवी योजना का औसत	2275
छठी योजना का औसत	1990
सातवी योजना का औसत	2356
1995-96	1972

**Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan*
 Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(11) चालू पडत भूमि (Current Fallow Land) - इसमें ऐसे फसल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो चालू वर्ष के अंतर्गत पडत रहा हो। राजस्थान में पडत भूमि की मात्रा में सामान्यतः अधिक परिवर्तन नहीं आया है। तृतीय योजना में औसत चालू पडत भूमि 1880 हजार हैक्टेयर थी। 1995-96 में भी यह क्षेत्र 2036 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान में सर्वाधिक पडत जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिलों में विद्यमान है। राजस्थान में चालू पडत भूमि की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है -

योजना काल में चालू पडत भूमि	
योजना	वन (हजार हैक्टेयर)
द्वितीय योजना का औसत	2078
तृतीय योजना का औसत	1860
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	2244
चौथी योजना का औसत	1878
पाचवी योजना का औसत	2988
छठी योजना का औसत	2099
सातवी योजना का औसत	2656
1995-96	2036

Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan
 Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan Vital Agricultural Statistics 1994-95 Raj & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan Dec. 1995

(12) कुल पडत भूमि (Total Fallow Land) - इस भूमि के अंतर्गत पडत भूमि (चालू पडत के अतिरिक्त) एवं चालू पडत भूमि का योग सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में कुल पडत भूमि निम्न प्रकार उपलब्ध है -

योगदान काल में कुल पड़त भूमि	
योगदान	हजार हेक्टेयर
प्रथम योजना का औसत	5741
द्वितीय योजना का औसत	5517
तृतीय योजना का औसत	4531
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	4390
चौथी योजना का औसत	4105
पाचवी योजना का औसत	5263
छठी योजना का औसत	4089
सातवी योजना का औसत 1995-96	5024
	4008

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan. Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan With Agricultural Statistics, 1994-95, Pp 5 & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1993"

(13) बोया गया शुद्ध क्षेत्र (Net Area Sown) - इसके अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें एक दो वर्ष में दो फसलें ली जा रही हों, उस क्षेत्र को एक ही बार जोड़ा जाता है। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है। द्वितीय योजना में यह औसतन 12689 हजार हेक्टेयर था, जो 1995-96 में बढ़कर 16575 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बाड़मेर, श्रीगंगानगर, व झुनझुन जिलों में था। राजस्थान में शुद्ध बोये गये क्षेत्र को निम्न प्रकार है -

योगदान काल में बोया गया शुद्ध क्षेत्र	
योगदान	हजार हेक्टेयर
प्रथम योजना का औसत	10619
द्वितीय योजना का औसत	12689
तृतीय योजना का औसत	13929
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	14235
चौथी योजना का औसत	14873
पाचवी योजना का औसत	14207
छठी योजना का औसत	15591
सातवी योजना का औसत 1995-96	14847
	18575

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan. Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan With Agricultural Statistics, 1994-95, Pp 5 & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1993"

(14) कुल बोया गया क्षेत्र (Total Cropped Area) - इसके अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें फसलें बोयी गयी हैं और इसमें अतिरिक्त फसलों के क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाता है। ऐसी फसलें जो वर्ष में एक से अधिक बार ली जाती हैं, उस क्षेत्र को हर फसल के लिए अलग क्षेत्र मानकर जोड़ लिया जाता है। राजस्थान में कृषि विकास के साथ साथ बोये गये क्षेत्रफल में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। द्वितीय योजनाकाल में राजस्थान में औसतन 13772 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोयी गयी। 1995-96 में यह क्षेत्रफल 19672 हजार हेक्टेयर हो गया। जिले की दृष्टि में कुल बोया गया क्षेत्रफल सबसे अधिक श्रीगंगानगर जिले में है।

इसका एक प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण एक से अधिक फसलें लिया जाना है। राजस्थान में कुल बोया गया क्षेत्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

योगदान काल में कुल बोया गया क्षेत्र (सकल बोया गया क्षेत्र)	
योगदान	हजार हेक्टेयर
प्रथम योजना का औसत	11322
द्वितीय योजना का औसत	13772
तृतीय योजना का औसत	14963
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	15433
चौथी योजना का औसत	16350
पाचवी योजना का औसत	16371
छठी योजना का औसत	18101
सातवी योजना का औसत 1995-96	17168
	19672

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan. Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan With Agricultural Statistics, 1994-95, Pp 5 & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1993"

(15) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र (Area sown more than once) इस क्षेत्रफल से इस बात का आभास होता है कि सिंचाई सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है। राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण द्वितीय योजना में इस प्रकार का औसत क्षेत्र 1084 हजार हेक्टेयर था जबकि 1995-96 में राजस्थान में वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र लगभग त्रिगुना होकर 3098 हजार हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सिंचाई सुविधाओं के कारण श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक है। राजस्थान में इस क्षेत्र की स्थिति निम्न तालिका से दर्शायी गई है -

योगदान काल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	
योगदान	हजार हेक्टेयर
प्रथम योजना का औसत	703
द्वितीय योजना का औसत	1084
तृतीय योजना का औसत	1034
वार्षिक योजनाओं का औसत (1966-69)	1118
चौथी योजना का औसत	1478
पाचवी योजना का औसत	2164
छठी योजना का औसत	2510
सातवी योजना का औसत 1995-96	2318
	3098

"Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan. Source: Trends in Land Use Statistics in Rajasthan With Agricultural Statistics, 1994-95, Pp 5 & A Brochure on some facts on Agriculture in Rajasthan, Dec. 1993"

राजस्थान में फसलों का प्रारूप CROPPING PATTERN IN RAJASTHAN

राज्य में फसलोंय वन में प्रथम योजनाकाल में अब तक कान्ती परिवर्तन हुआ है। निम्नकर सञ्चित विवरण निम्न प्रकार है -

फसले	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		सातवीं योजना		आठवीं योजना	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनाज	65 64	56 04	91 03	50 29	87 14	50 91	90 74	-
माटा अनाज	55 74	47 58	70 81	39 12	69 45	40 58	-	-
गन्ना	9 22	7 88	18 70	10 33	16 50	9 64	-	-
धान	0 68	0 58	1 52	0 84	1 18	0 69	-	-
दलहन	24 60	21 00	35 09	19 39	29 39	17 17	37 96	-
गिलहल	7 23	6 16	14 85	8 20	25 28	14 72	38 77	-
जिन	4 36	3 72	4 20	2 32	4 39	2 56	-	-
मुगफली	0 38	0 32	1 99	1 10	2 76	1 61	-	-
गई व सरसो	1 63	1 39	6 45	3 56	14 64	8 55	-	-
अन्य	19 67	16 80	40 04	22 12	29 43	17 20	-	-
कपास	1 93	1 65	3 77	2 08	4 34	2 54	6 54	-
चागा, चारा फल मन्जी व मसालो	17 74	15 15	36 27	20 04	25 09	14 66	-	-
योग	117 14	100 00	181 01	100 00	171 16	100 00	207 41	-

1 राजस्थान के कृषि विकास प्रति 1991-92 & Economic Review 1997-98 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि राज्य में अन्न फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी आई है और यह कमी मुख्यतः मोटे अनाजों में हुई। प्रथम योजना अवधि में छठी योजना में करीब 8% की कमी आई जबकि गेहूँ व चावल का प्रतिशत क्षेत्रफल लगभग अपरिवर्तित है।

राज्य में दलहनो फसलों का प्रतिशत क्षेत्रफल में भी गिरावट का रूख रहा। मात्र पान्थवी योजना अवधि को छोड़कर सभी योजनाओं में प्रथम योजना की तुलना में क्षेत्रफल कम रहा। प्रथम योजना में 21 प्रतिशत क्षेत्रफल में दलहनो को खेती की गई थी, वह घटकर सातवी योजना के अंत में 17.17% ही रह गई। दलहनो में कमी का मुख्य कारण इसका बागरी क्षेत्रों में बोया जाना है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। दलहनो का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होना भी इसके क्षेत्रफल में कमी का एक कारण है। दलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए ऐसी किस्मों के विकास की आवश्यकता है जो सूखे से प्रभावित हुये बिना भरपूर उत्पादन दे सकें।

राज्य में तिलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। छठी योजना से बाफरी तैल गति से वृद्धि हुई। राज्य में प्रथम योजना में मात्र 6.16 प्रतिशत क्षेत्र में इसकी खेती की जाती थी वह बढ़कर छठी योजना में 8.20 प्रतिशत हो गई। सातवी योजना में यह प्रतिशत 14.72 हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः गई व सरसो के क्षेत्र में वृद्धि होने में हुई जो छठी योजना में 3.56 प्रतिशत से बढ़कर सातवी योजना में 8.55 प्रतिशत हो गई। सरसो के साथ साथ खरगुरु के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती की जाने लगी। वर्ष 1980-81 में जहां मात्र 8000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गई थी वह

बढ़कर 1989-90 में 1.69 लाख हेक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई।

मोटे अनाजों में दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृषक ने कपास, चागा, फल व सब्जिया तथा मसालो के क्षेत्रों में वृद्धि कर पूरा किया। प्रथम योजना अवधि में जहां 16.80 प्रतिशत क्षेत्र में इनकी खेती की गई वह बढ़कर छठी योजना में 22.12 प्रतिशत एवं सातवी योजना के 1989-90 वर्ष में 17.20 प्रतिशत रही। राज्य में कपास, चारा व मसालो के उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुछ फसलों के प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी हुई है। यह कमी मुख्यतः मोटे अनाजों, जैसे- ज्वार, जौ, चावल, दालों व चना आदि में हुई है। गेहूँ के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। छठी योजना के परन्तु चावल के क्षेत्रफल में भी गिरावट का रूख रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चावल की खेती 0.6% क्षेत्र में ही हलां थी जो बढ़कर पांचवी योजना में 1% हो गई। इसके परन्तु चावल के प्रतिशत क्षेत्रफल में गिरावट हुई। गई व प्रतिशत क्षेत्रफल में भी पांचवी योजना के परन्तु कमी होना शरभ हो गया। मुगफली तथा सरसो व गई के प्रतिशत क्षेत्रफल में छठी योजना के परन्तु वृद्धि का रूख रहा।

राज्य में तिलहनो व क्षेत्रफल में परन्तु वृद्धि हुई है। छठी योजना के अन्तर्गत प्रायः सभी प्रकार के तिलहनो के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन सातवी योजना में कुछ तिलहनो के क्षेत्रफल में गिरावट का रूख रहा।

मोटे अनाजों व दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में हुई कमी को कृषकों ने कपास, ज्वार, व चारा फलों व सब्जियों तथा मसालों के क्षेत्र में वृद्धि कर पूरा किया। राज्य में कपास, ज्वार व मसालों के उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त सभावनाएँ विद्यमान हैं।

राजस्थान के कृषि जलवायु खण्ड

AGRICULTURAL CLIMATE ZONES OF RAJASTHAN

संपूर्ण भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों की दृष्टि से 14 भागों में बाटा गया है। इन क्षेत्रों में से क्षेत्र संख्या 6, 8, 9 और 14 के अंतर्गत राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय आधार पर राजस्थान के सर्दम में यह वर्गीकरण अग्र तालिकक के रूप में प्रकृत है -

राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र	
राजस्थान से संबंधित राष्ट्रीय कृषि जलवायु क्षेत्र	कृषि जलवायु क्षेत्रों में आने वाले राजस्थान के जिले
जोन 6 दस-गण्ड मैदान क्षेत्र	श्रीगंगानगर
63 राजस्थान डिवीजन	
जोन 8 मध्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र	
85 पूर्वी राजस्थान मैदानी एक पहाडी सभाग	बयपुर, अजमेर, जाली, टोंक, सिवाईगणेशपुर अलवर, धौलपुर बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा भारतपुर, चित्तौडगढ़
86 दक्षिणी राजस्थानी पठार एवं पहाडी सभाग	बायवाड़ा, डूंगरपुर विजय, उदयपुर
जोन 94 राजस्थान मालवा पठार सभाग	झालानड
जोन 14 परिचनी शुष्क क्षेत्र	
14 1 राजस्थान शुष्क सभाग	बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, चुरू, डूंगर, बड़मेर, जालौर

राजस्थान में इस वर्गीकरण को दृष्टिगत रखते हुये, इन्हीं के अनुरूप राजस्थान को पांच प्रमुख खण्डों में विभक्त किया गया है। इन पांच प्रमुख खण्डों में से 4 खण्डों को पुनः 2-2 उपखण्डों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार राजस्थान का कृषि जलवायु की दृष्टि में कुल 9 खण्डों व उपखण्डों में विभक्त किया गया है और आठवीं योजना में इन खण्डों-उपखण्डों की कृषि जलवायु को दृष्टिगत रखते हुये ही कृषि में सर्वविध निर्णय लिये जायेंगे। राजस्थान के इन 9 खण्डों व उपखण्डों का मक्षिण विवाण निम्न प्रकार है

(1) शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड - 1ए) इस खण्ड में जैसलमेर, पश्चिमी बाडमेर, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर और पश्चिमी चुरू शुष्क मैदानी क्षेत्र सम्मिलित है। इस खण्ड का कुल क्षेत्रफल लगभग 124 37 लाख हैक्टेयर है। और इसका अधिकांश भाग मरुस्थली मिट्टी और रेतीले टीलों से युक्त है। यहाँ की मिट्टी बारीक बलुई दोमट में मोटी रेतीली तक है। इस खण्ड के पश्चिमी भाग में लगभग 100 मि मी और पूर्वी भाग में लगभग 300 मि मी वर्षा होती है। यहाँ पर खेती वर्षा ऋतु में निम्न से लेकर मध्यम ऊँचाई वाले टीलों के ढलान पर होती है। प्रायः बरानी स्थितियों में बाजरा तथा खरीफ दालें जैसे मोट, मूग आदि उगाई जाती है। जिन क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों से पानी उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पर कुओं द्वारा सिचाई करके रबी अनाजों की ऐसी फसलें भी ली जाती है जो लवणता को सहन करती है।

(2) सिंचित मैदानी उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र (खण्ड - बी 1)- लगभग 20 63 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले इस खण्ड में श्रीगंगानगर जिले के नहर अधिकृत क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट से चिकनी दोमट, पीले भूरे रंग की ओर चूना युक्त है। अनेक स्थानों पर इन मिट्टियों में रेवोली मिट्टियाँ भी मिली हुई हैं। सामान्यतः यहाँ की मिट्टियों में घुलनशील लवण एवं सोडियम की मात्रा काफी अधिक है। इस क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लगभग 100 मि मी और पूर्वी भाग में लगभग 350 मि मी वर्षा होती है। श्रीगंगानगर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 20 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 42 1 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इसी प्रकार निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 4 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 28 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। नहरी सिचाई सुविधाओं के कारण क्षेत्र में आवश्यक भूमि विकास के परचातू पेहू, चना सरसों कपास, गन्ना आदि अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं।

(3) अल्प स्थलीय जलोत्सर्जन के अन्तर्गती मैदानी क्षेत्र (खण्ड- 2ए) इस क्षेत्र में नागौर पूर्वी चुरू, सुडूरु, सांकर और अलवर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत-शृंखलाओं के पश्चिम में स्थित इस खण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 36 93 लाख हैक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक हैं। यहाँ मिट्टियाँ खराब जलोत्सर्जन और क्षारीयता की समस्याओं से ग्रसित हैं। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 300 मि मी और पूर्वी भाग में 500 मि मी तक वर्षा होती है। सांकर के उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 22 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 39 7 सेन्टीग्रेड तक है। इसी प्रकार निम्नतम औसत तापमान जनवरी में 5 3 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून 27 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में कृषि की सभावनायें सीमित हैं।

क्योंकि यहाँ की भूमि कम गहरी और चट्टानी धरातल से युक्त है। यहाँ खरीफ में बाजरा, मोट चवला व भूगफली तथा रबी में गेहूँ व जौ प्रमुख फसलें हैं।

(4) लूनी नदी का अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 2) - इस खण्ड में पश्चिमी सिरोहो, पूर्वी जोधपुर, पानी एव जालोज जिले और अरावली पर्वत-श्रृंखलाओं के पश्चिमी तलहटी वाले क्षेत्र आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 29 42 लाख हेक्टेयर है। जोधपुर, जानौर और पाली क्षेत्र की मिट्टियाँ लाल मरुस्थली हैं, जानौर क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय है। इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिम में 300 मि.मी. में पूर्व में 500 मि.मी. तक होती है। कुल फसली क्षेत्र के 27% क्षेत्र में कुआँ और नहर से सिंचाई होती है इस खण्ड की मुख्य फसलें खरीफ में बाजरा, मक्का तथा व खरीफ फसलें हैं। रबी में गेहूँ, जौ सरसों व चना को बुवाई प्रमुखता से की जाती है।

(5) अर्द्ध-शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-ए3) इस क्षेत्र में अजमेर, जयपुर और टाक जिले आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29 48 लाख हेक्टेयर है। जयपुर जिले के पश्चिमी तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग एव अजमेर जिले की भूमि दोपट किस्म की है। टाक जिले के कुछ भागों में भी भूरी मिट्टी पाई जाती है। इस खण्ड का पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा 500 मि.मी. एव दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 600 मि.मी. होती है। उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 22 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 40 6 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 8 3 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 27 3 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में कुल फसली क्षेत्रफल के 28% भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। खरीफ में बाजरा, मूग, नवला व मूगफली तथा रबी में गेहूँ, जौ व चना प्रमुख फसलें हैं। अजमेर जिले में ज्वार, मक्का तथा वपास की फसलें भी ली जाती हैं।

(6) बाढ़-सभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 3) इस खण्ड में दक्षिणी-पूर्वी अलवर, भरनपुर, भोलपुर और सवाई माधोपुर जिले के दक्षिणी भाग आते हैं। इस खण्ड का क्षेत्रफल लगभग 23 60 लाख हेक्टेयर है। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ मुख्यतः दोपट मिट्टियाँ हैं। कुछ स्थानों पर चूनायुक्त दोपट भी पाई जाती है। यहाँ उत्तरी-पश्चिमी भाग में 500 मि.मी. में दक्षिणी पूर्वी भाग में 650 मि.मी. तक वर्षा होती है। इस खण्ड का 14% फसली क्षेत्र सिंचित है। यहाँ बाजरा, गेहूँ, अरहर चना व सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है।

(7) अर्द्ध-आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-ए4) - इस खण्ड में पूर्वी सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 33 59 लाख

हेक्टेयर है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों की अगलगी पहाड़ियों की तलहटी वाले मिट्टी लिथोमोर्टस किस्म की हैं। मैदानी क्षेत्र की मिट्टियाँ युगनी दोपट किस्म की हैं। इस खण्ड के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भागों में 500 मि.मी. दक्षिणी पूर्वी भागों में 700 मि.मी. और दक्षिणी पश्चिमी भागों में 900 मि.मी. तक वर्षा होती है। उदयपुर में उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 24 2 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 38 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 7 8 डिग्री सेन्टीग्रेड से जून में 25 3 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 38% भाग सिंचित है। यहाँ की प्रमुख फसलों में खरीफ मक्का, ज्वार, मूगफली व कपास तथा रबी में गेहूँ, जौ चना व सरसों प्रमुख फसलें हैं। खरीफ में अधिकांश क्षेत्र में मक्का व रबी में अधिकांश क्षेत्र में गेहूँ व जौ की फसलें ली जाती हैं।

(8) आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-बी 4) - इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 17 21 लाख हेक्टेयर है। इसमें डूंगरपुर व बामवाड़ा जिलों के अतिरिक्त उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग व चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग भी सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश मिट्टियाँ मध्यम गठन व अच्छे जल निकास वाली और चूना युक्त हैं। पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्र की मिट्टियाँ कम गहरी और घाटियों वाले क्षेत्रों की मिट्टियाँ गहरी हैं। इस खण्ड के कुल फसली क्षेत्र का 15% क्षेत्र सिंचित है। धान, कपास व मक्का की खेती यहाँ प्रमुखता से की जाती है। खरीफ में मोटे अनाज व खरीफ दालों की फसलें ली जाती हैं। रबी में चने की खेती भी की जाती है।

(9) आर्द्र-दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (खण्ड-5) - इस खण्ड में झालावाड़, कोटा, बूटी और सवाईमाधोपुर का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस खण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 29 13 लाख हेक्टेयर है। इस खण्ड की मिट्टियाँ मूलतः दोपट मूल की हैं और कुछ स्थानों में भूमि क्षारीय है। कुछ क्षेत्रों में भूमि का जल क्षारीयता लिये शुष्क है। वहाँ वर्षा उत्तर-पश्चिम में 650 मि.मी. से दक्षिण पूर्व में 1000 मि.मी. तक होती है। यहाँ उच्चतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 24 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 42 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। निम्नतम दैनिक औसत तापमान जनवरी में 10 6 डिग्री सेन्टीग्रेड से मई में 29 7 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य पाया जाता है। कुल फसली क्षेत्र का लगभग 26 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। यहाँ फसलें में प्रमुखतः ज्वार, मक्का, कपास, चवल व गन् की खेती की जाती है। रबी में गेहूँ, चना व अलसी की खेती प्रमुख है।

राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि फसलें IMPORTANT AGRICULTURAL CROPS

राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का स्थान (1995-96)

फसलें	स्थान
ससों	प्रथम
जौ	"
ग्वार	"
धनिया	"
मोठ	"
बाजरा	द्वितीय
मक्का	"
जौ	"
खरीफ फसलें	तृतीय
चना	"
सोयाबीन	"
गिनहन	"
लिन	चतुर्थ
भिन्दा	पंचम
गेहूँ	षष्ठम्
कपास	"
तंबाकू	"

स्रोत: निदेशक कृषि एवं जलसंधारण, राजस्थान, जयपुर

गेहूँ	गानगर
जौ	जयपुर
चावल	बागवाडा
चना	गानगर
तिल	नागौर
सरसों व खड़	सवाईमाधेपुर
अलसी	झुण्ड
मूगफली	चित्तौडगढ़
अरण्डी	भिन्दा
गन्ना	बूंदी
कपास	गानगर
तंबाकू	अनवर

स्रोत: Statistical Abstract, Raj., 1994

(अ) राजस्थान में रबी की प्रमुख फसलें - गेहूँ, जौ, चना, सरसों, गन्ना, चुकन्दर, तागमीरा, अलसी, तोरिया, कुसुम, जौरा, धनिया, सौंफ, मसूर, मटर, ईसबगोल, आलू, अफीम, आदि।

(ब) राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलें - बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, मूगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी, मूग, मोठ आदि, ग्वार, चावल, गन्ना आदि।

राजस्थान में विभिन्न फसलों के सर्वाधिक उत्पादक जिले (1993-94)

बाजरा	नागौर
ज्वार	बागवाडा
मक्का	चित्तौडगढ़
गेहूँ	गानगर
जौ	जयपुर
चावल	गानगर
चना	गानगर
तिल	नागौर
सरसों व खड़	सवाईपुर
अलसी	झुण्ड
मूगफली	चित्तौडगढ़
अरण्डी	भिन्दा
गन्ना	बूंदी
कपास	गानगर
तंबाकू	झुण्ड

स्रोत: Statistical Abstract, Raj., 1994

राजस्थान में विभिन्न फसलों के अत्यंत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले प्रमुख जिले (1993-94)

बाजरा	बाड़मेर
ज्वार	अजमेर
मक्का	जयपुर

राजस्थान की प्रमुख फसलें MAIN CROPS OF RAJASTHAN

(1) गेहूँ (Wheat)

परिचय व महत्व (Introduction) - राजस्थान में गेहूँ की फसल अत्यधिक होती है। यह रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूँ का प्रयोग मैदा, सूजी, डबलरोटी बिस्किट आदि में किया जाता है। गेहूँ में विटामिन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होने के कारण भोजन समृद्ध हो जाता है। गेहूँ के तने तथा भूसे का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। राजस्थान के विन्मत्त क्षेत्र में गेहूँ की खेती की जाती है।

उपज की दशाएँ (Condition) गेहूँ के लिए 15 डिग्री से से 26 डिग्री में तक वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ बोते समय नमी की आवश्यकता होती है। अकुरण के समय 8 डिग्री में तापक्रम उपयुक्त रहता है। गेहूँ पकाते समय शुष्क मौसम होना चाहिये लेकिन ऊंचे तापक्रम की अवधि अधिक लंबी नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे गेहूँ अतिशीघ्र पक जाता है। पकाते समय 21 डिग्री से से 26 डिग्री से तापक्रम ठीक रहता है। गेहूँ रबी

की फसल है। जिन क्षेत्रों में 50 सेमी से 100 सेमी तक वर्षा होती है, वे क्षेत्र गेहूँ उत्पादन के लिए उत्तम माने जाते हैं जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जनवरी तथा फरवरी में शीतकालीन वर्षा गेहूँ की खेती के लिए लाभप्रद होती है। गेहूँ अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा हो सकता है किन्तु दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन तत्व अधिक होता है, सर्वोत्तम माने जाते हैं। गेहूँ उत्पादन हेतु राजस्थान के अधिकांश जिलों में उपयुक्त तापक्रम पाया जाता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों व गगानगर जिले में अधिकांश गेहूँ उत्पन्न होता है। गगानगर, अलवर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली, सिरोंही, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में व्यापक क्षेत्र में गेहूँ की फसल बोई जाती है। 1995-96 में गगानगर जिले में गेहूँ की सर्वाधिक उपज ली जाती थी। राजस्थान में 1989-90 में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 2060 किलोमीटर थी जो राष्ट्रीय औसत (1998 किग्रा) से अधिक थी। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज 2417 किग्रा थी और इसी वर्ष गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र 23.2 लाख हेक्टेयर था। गेहूँ की उत्पादकता का 1992-97 का राज्य में औसत 2340 किग्रा प्रति हेक्टेयर रहा।

उत्पादन (Production) गेहूँ में मुख्यतः सोना कल्याण, मैक्सिकन, शारबती, कोहिनूर, आदि किस्में बोई जाती हैं। राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन विभिन्न वर्षों में अग्रानुसार रहा -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	39.1
1989-90	34.0
1995-96	54.9
1996-97	67.8
1997-98 (अनुमानित)	67.0
1998-99 (अनुमानित)	64.4

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1993 & Statistical Abstract Rajasthan 1996 & Economic Review 1998-99 Govt. of Rajasthan

राजस्थान में गेहूँ का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) गेहूँ सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाया है -

- (1) गगानगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) बयान
- (4) अलवर

(B) सर्वाधिक गेहूँ हर उत्पादन निम्न जिलों में होइ है -

- (1) गगानगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) अलवर
- (4) बयान

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(2) चावल (Rice)

परिचय व महत्व (Introduction) - चावल दक्षिण भारतीयों का प्रमुख भोजन है। उत्तर भारत में चावल का प्रयोग प्रायः विशेष अवसरों तथा त्यौहारों पर ही किया जाता है। चावल को साफ काने, इससे तेल निकालने आदि कार्यों में कुटीर व लघु उद्योग कार्यरत है। चावल के पौधे का तिनका काफी सख्त होता है। अतः इसका प्रयोग छप्पर, कर्ई, कागज, झाड़ू आदि बनाने में किया जाता है। चावल के भूसे को सीमेंट में मिलाकर ध्वनिरोधक दीवारें बनाई जाती हैं।

उपज की दशाएँ (Conditions) - चावल उष्ण कटिबंध का पौधा है अतः इसे उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए वार्षिक तापक्रम 25° से 26° से तक होना आवश्यक है। पौधे के अंकुरित होने की दशा में 20° से मध्य में 24° से तथा चावल पकाने के समय 25° से से तापक्रम आदर्श मानते हैं। चावल के पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका पौधा अपने के परचात् भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहना चाहिये। इसके लिए 124 सेमी से 200 सेमी तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है अन्यथा सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी देना पड़ता है। इसके लिए हल्की चिकनी, दलदली और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल की खेती में अधिक सख्त में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) बासवाड़ा, गगानगर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, उदयपुर आदि जिलों में प्रमुख रूप से चावल उत्पन्न किया जाता है। चित्तौड़गढ़, सर्वाईमाधोपुर, भरतपुर, बार, झालावाड़ आदि जिलों में चावल की खेती होती है। राजस्थान में 1995-96 में 139 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चावल बोया गया था। 1992-97 में राजस्थान में चावल की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 1073 कि ग्रा थी जो राष्ट्रीय औसत से कम थी।

उत्पादन (Production) - राजस्थान में चावल का उत्पादन विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	1.1
1989-90	1.5
1993-94	1.4
1994-95	1.7
1995-96	1.2
1996-97 (अनुमानित)	1.7
1997-98 (अनुमानित)	1.9

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1998 & 1994 Vial Agricultural Statistics 1994-95 Rajasthan & Indian Economic Survey 1998-99

राजस्थान में चावल हर जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) चावल सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाया है

- (1) बासवाड़ा
- (2) डूंगरपुर

12 Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan
3 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Rajasthan

(3) हनुमानगढ़

(B) सर्वाधिक चावल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

(1) हनुमानगढ़

(2) बूटी

(3) बासवाडा

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(3) ज्वार (Jowar)

परिचय एवं महत्त्व (Introduction) - यह खरीफ की फसल है और वर्षा पर आधारित है। राजस्थान की शुष्क जलवायु में कम वर्षा के बावजूद ज्वार की अच्छी फसल ली जा सकती है। निर्धन व्यक्ति भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं यह पशुओं के लिए चारे की मुख्य फसल है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - यह उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है। यह 30 से मी से 100 से मी तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न की जा सकती है। यह फसल कम वर्षा का सामना करने की भी क्षमता रखती है। सगमय सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी फसल ली जा सकती है किन्तु दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। 22° से से 32° से तक का तापक्रम इस फसल हेतु उपयुक्त रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान के प्रमुख जिलों में ज्वार बोई जाती है किन्तु कोटा, बूटी, झालावाड, सर्वाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाडा, नागौर आदि जिलों में यह बहुतायत में बोई जाती है। राजस्थान में 1995-96 में 5.9 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की गई थी। 1992-97 में राजस्थान में ज्वार की औसत उत्पादकता 375 कि.ग्र प्रति हेक्टेयर थी जो राष्ट्रीय औसत किमा से कम थी।

उत्पादन (Production) - निरन्तर अकाल के कारण ज्वार की फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। विगत वर्षों में ज्वार का उत्पादन इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	9.8	3.7
1989-90	8.2	3.2
1993-94	6.6	1.6
1994-95	6.7	2.7
1995-96	5.9	1.4

Source: Statistical Abstract Raj., 1993 Vol. Agriculture
Statistics, 1994, Rajasthan
Jodhpur, Government of Rajasthan

राजस्थान में ज्वार का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

- (A) ज्वार सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है
- (1) अजमेर
- (2) पाली
- (3) टोंक
- (B) सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
- (1) झालावाड
- (2) कोटा
- (3) बाण

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1994

(4) बाजरा (Bajra)

परिचय एवं महत्त्व (Introduction) - राजस्थान में पश्चिमी भाग में यह प्रमुख फसल खरीफ की फसल है। राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इस पौधे को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मोटे अनाजों की इस फसल को अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - खरीफ की फसल को कम वर्षा वाले व कम उपजाऊ क्षेत्रों में भी आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इस फसल के लिए 40-50 से मी वर्षा आदर्श रहती है लेकिन यह फसल नोडे सूखे का भी सामना कर पाती है। राजस्थान में प्रायः यह समस्त फसल मानसून पर निर्भर करती है। इसके बोते समय भूमि में कुछ नमी व पकने समय ऊंचा तापक्रम उपयुक्त रहता है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जा सकता है किन्तु हल्की दोमट मिट्टी इसके लिये उपयुक्त रहती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - संपूर्ण राजस्थान बाजरे का उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान में यह विशेष रूप से बोया जाता है। बाडमेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि के अतिरिक्त अलवर, जयपुर भरतपुर सर्वाई माधोपुर आदि जिलों में बहुतायत में उत्पन्न होता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएँ हैं वहां सिंचाई के माध्यम से भी बाजरा उत्पन्न किया जाने लगा है। 1995-96 में राजस्थान के 42.7 लाख हेक्टेयर भूमि में बाजरा बोया जाता था। 1992-97 में राजस्थान में बाजरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 410 कि.ग्र था।

उत्पादन (Production) - फसल में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में ही होता है। विभिन्न वर्षों में राजस्थान में

बाजरे का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)
1985-86	7.3
1989-90	18.2
1994-95	25.6
1995-96	11.6
1996-97	21.0
1997-98	25.11
1998-99	11.34

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1989-1997 & 1995 Year Agricultural Statistics, 1994-95 Rajasthan Economic Review 1998-99, Ra

राजस्थान में बाजरे का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) बाजरा सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) दाडपेर
- (2) जोधपुर
- (3) नागौर

(B) सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) नागौर
- (2) बूड़
- (4) सीकर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(5) मक्का (Maize)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - यह राजस्थान में बोई जान वाली खरीफ़ की फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल को भी बाजरा, ज्वार आदि की भाँति प्रायः संपूर्ण राजस्थान में छोटा-बहुत अवश्य बोया जाता है। मक्का खाद्य के रूप में बहुतायत से प्रयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का का प्रयोग ग्लूकोज स्टार्च, एल्कोहल आदि निर्मित करने में भी किया जाता है। मक्का को पशुओं के चारे के रूप में भी कम में लिया जाता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - मक्का के उत्पादन के लिए 20° स से 27° से तक का तापक्रम उपयुक्त रहता है। 50 से मी से 100 से मी वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का आमतौर से उलान की जा सकता है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। दोमट मिट्टी में मक्का की अच्छे उपज प्राप्त होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, बूड़, कोटा, अलवर, टोंक, सिरोंही, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में बहुतायत से मक्का उत्पन्न की जाती है।

उत्पादन (Production) - 1995-96 में 9.11

लाख हेक्टेयर भूमि में मक्का बोई जा रही थी। राजस्थान में मक्का की प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 1393 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 1270 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में मक्का की उत्पादकता राजस्थान में 7.28 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी। 1992-97 के अवधि में मक्का की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 958 किग्रा थी।

राजस्थान में मक्का का उत्पादन इस प्रकार रहा है-

वर्ष	उत्पादन(लाख टन में)
1985-86	6.4
1989-90	1.3
1994-95	6.7
1995-96	8.1
1996-97	10.1
1997-98	12.17
1998-99	6.42

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988 & 1997 Year Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan Economic Review 1998-99, Ra

राजस्थान में मक्का का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) मक्का सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) उदयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) चित्तौड़गढ़

(B) सर्वाधिक मक्का का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) चित्तौड़गढ़
- (2) भीलवाड़ा
- (3) उदयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(6) जौ (Barley)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - जौ राजस्थान की एक प्रमुख खाद्य फसल होने के साथ साथ पशुओं का भी एक प्रमुख पौष्टिक आहार है। राजस्थान में गेहूँ जौ चना आदि मिलाकर खाने के काम में लिया जाता है। जौ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इससे शराब भी बनाई जाती है। उन्नत किस्म के बीजों के कारण उच्च बोटि का जौ भी उत्पन्न किया जाने लगा है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - जौ रबी की एक प्रमुख फसल है और शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए नम ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। 15° से 18° से तापमान आदर्श रहता है। गेहूँ के समान ही उत्पादन दशाएँ होने के कारण गेहूँ उत्पन्न न

करने की दृष्टि में प्रायः जौ का उत्पादन किया जाता है इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है किन्तु कुछ उपजाऊ भूमि में भी इसकी फसल ली जा सकती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - अलवर, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, डुन्डुनू, गगानगर, नागौर, सीकर, उदयपुर आदि जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी जौ उत्पन्न किया जाता है। 1995-96 में 1.96 लाख हेक्टेयर में जौ की खेती की गई। 1989-90 में जौ का उत्पादन 1587 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में जौ की प्रति हेक्टेयर उपज राजस्थान में 1850 कि.ग्रा थी। 1992-97 की अवधि में राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 1773 कि.ग्रा रही।

उत्पादन (Production) - जौ का शराब उत्पादन में प्रयोग बढ़ने के कारण इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग तथा उत्पादन निरन्तर बढ़ने रहने की संभावना है। विगत वर्षों में जौ का उत्पादन इस प्रकार रहा

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1985-86	5.7
1989-90	3.4
1994-95	4.4
1995-96	3.9
1996-97	5.1
1997-98	5.0
1998-99	5.9

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1989-1993 & 1996 Economic Review 1995-99, Raj.

राजस्थान में जौ का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) जौ सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) जयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) अजमेर

(B) सर्वाधिक जौ का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) जयपुर
- (2) भीलवाड़ा
- (3) अजमेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(7) चना (Gram)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - यह रबी में उत्पन्न होने वाली दलहन की एक प्रमुख फसल है। यह राजस्थान के व्यापक क्षेत्र में बोई जाती है और विभिन्न प्रकार से इसे खाने का काम में चिया जाता है। दाल के

अतिरिक्त नमकीन, मिठवाई, देसन आदि में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के दाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - यह कम पानी में भी आसानी से उत्पन्न किया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में, जहाँ तापक्रम प्रायः 20° से 25° से के मध्य रहता है, चने की अच्छी फसल ली जा सकती है। इसके लिए दोमट या बलुई मिश्रित दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल बोते समय जमीन में नमी होना आवश्यक होता है। इसमें खाद का प्रयोग बहुत ही कम होता है।

उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र (Production & Production Areas) - गगानगर अलवर, जयपुर, बुरू, भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बासवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर झालावाड़, सीकर डुन्डुनू आदि में चने की अच्छी फसल ली जाती है। शीघ्र जिलों में अल्प मात्रा में चना बोया जाता है। 1989-90 में राजस्थान में चने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 622 कि.ग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 658 कि.ग्रा में कम था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में चने की उत्पादकता 864 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर थी। विगत वर्षों में राजस्थान में चने का उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन में)
1983-84	17.9	10.8
1985-86	19.4	16.2
1987-88	6.8	5.1
1989-90	11.43	7.11
1991-92	11.0	8.1
1992-93	12.2	7.4
1994-95	15.9	13.7
1995-96	16.2	10.9
1997-98	19.3	-
1998-99	17.3	-

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988-1993 & 1996 New Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99, Raj.

राजस्थान में चने का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) चना सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है

- (1) हनुमानगढ़
- (2) बुरू
- (3) श्री गंगानगर

(B) सर्वाधिक चने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) हनुमानगढ़
- (2) बुरू
- (3) अजमेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(8) कपास (Cotton)

परिचय व महत्व (Introduction) - रेशे वाली फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास ही है। कपास के बीज (बिनाई) का प्रयोग पशुओं के पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है। कपास के पौधे के तने का प्रयोग छप्पर बनाने व ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कपास के निर्यात से हमें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - कपास के लिए 20° से 40° से के मध्य तापक्रम रहना चाहिये। ऊंचे तापक्रम व धूप से रेशे में अच्छी चमक आती है। इन पौधों के लिए पाला हानिकारक होता है। कपास खरीब की फसल है। इसके लिए 70 से 100 से तक की वर्षा ठीक रहती है। अधिक वर्षा से फसल खराब हो जाती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई का सहाय लिया जा सकता है। इसके लिए उपजाऊ तथा नमी बनाये रखने की भी क्षमता वाली मिट्टी उपयोगी रहती है। मिट्टी में चूने की भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। अतः कपास के लिए काली मिट्टी व नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी विशेष उपयोगी होती है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में गगानगर व हनुमानगढ़ जिले के अतिरिक्त अजमेर भीलवाड़ा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर पाली कोटा बूंदी बासवाड़ा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगानगर जिले में होती है। 1998-99 में 6.38 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास की खेती का अनुमान है। 1989-90 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन 386 किलोग्राम था जो राष्ट्रीय औसत 169 किलोग्राम के तुलने से भी अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 306 किलोग्राम था। 1992-97 की अवधि में राज्य में कपास की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 334 किलोग्राम रही जबकि 1952-53 में वार्षिक उत्पादकता मात्र 121 किलोग्राम थी।

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें)
1985-86	4.7
1989-90	1.6
1994-95	1.4
1995-96	2.3
1996-97	13.6
1997-98	8.7
1998-99 (अनुमानित)	9.8

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1985 & 1993 Ver. Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 RJ

राजस्थान में कपास का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) कपास सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) गगानगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक कपास का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) गगानगर
- (2) हनुमानगढ़
- (3) बीकानेर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1996

(9) तिलहन (Oilseeds)

परिचय एवं महत्व (Introduction) - जिन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, उन्हें तिलहन में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में तिल सरसो मूंगफली राई अलसी तारामीरा अरुण्डी आदि मुख्य तिलहन फसलें हैं। तिलहन तेल व खली बनाने के प्रमुख साधन हैं। इनकी भाग खाद्य तेलों के अलावा वार्निश साबुन दवाइया वनस्पति घी सौन्दर्य प्रसाधन रण रोगन आदि के लिए भी की जाती है।

(क) मूंगफली (Groundnut) - मूंगफली के लिए 20° से 30° से तापक्रम तथा 50 से 75 से भी वर्षा और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989-90 में मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 775 किलोग्राम था जो कि राष्ट्रीय औसत 647 किग्रा से कम था। 1994-95 वर्ष (अंतिम अनुमान) में राज्य में मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 790 किग्रा था। 1992-97 की अवधि में राज्य में मूंगफली की औसत उत्पादकता 901 किग्रा रही। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन विगत वर्षों में अमलियित प्रकार से रहा।

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1985-86	1.4
1989-90	2.1
1993-94	2.1
1994-95	1.9
1995-96	1.6

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1986, 1990, 1993 Ver. Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan, Economic Review 1998-99 RJ

राजस्थान में मूंगफली का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) मूंगफली सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) विठोडगढ़
- (2) जयपुर
- (3) बीकानेर

(B) सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) विठोडगढ़
- (2) बीकानेर
- (3) जयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(ख) सरसों व राई (Mustard & Rape seed) - सरसों तथा राई के लिए 100 सेमी तक की वार्षिक वर्षा और 15° से 26° से तक का तापक्रम तथा साव ही दोमट व हल्की मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1989-90 में सरसों व राई का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 872 किग्रा था जो राष्ट्रीय औसत 714 किग्रा से अधिक था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में सरसों व राई का प्रति हेक्टेयर उत्पादन राजस्थान में 887 किग्रा था। 1992-97 की अवधि में सरसों व राई की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता 890 किग्रा रही। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन(लाख टॉन्स)
1985-86	5.9
1989-90	12.7
1995-96	23.5
1996-97	31.0
1997-98	24.4
1998-99 (अनुमान)	24.3

राजस्थान में सरसों व राई का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) सरसों व राई सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) अलवर
- (2) गंगानगर
- (3) भरतपुर

(B) सर्वाधिक सरसों व राई का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) गंगानगर
- (2) अलवर
- (3) भरतपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

Economic Review Raj., 1996-1998

(ग) तिल (Sesame) तिल की फसल के लिए 20° से 22° से तापक्रम और 50 से 75 सेमी वर्षा व हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। 1989-90 में राजस्थान का प्रति हेक्टेयर तिल उत्पादन 287 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में तिल की प्रति हेक्टेयर उपज 227 किग्रा हुई। 1992-97 की अवधि में तिल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 174 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में इसका उत्पादन इस प्रकार रहा-

वर्ष	उत्पादन(लाख टॉन्स)
1985-86	0.2
1989-90	1.28
1993-94	0.54
1994-95	0.92
1995-96	0.34

राजस्थान में तिल का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) तिल सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) पाली
- (2) नागौर
- (3) जोधपुर

(B) सर्वाधिक तिल का उत्पादन निम्न जिलों में होता है

- (1) नागौर
- (2) बीकानेर
- (3) पाली

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(घ) अलसी (Linseed) - अलसी के लिए 75 से 100 सेमी वर्षा तथा काली व दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में अलसी का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1989-90 में 277 किग्रा था। 1994-95 (अंतिम अनुमान) में राजस्थान में अलसी का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 364 किग्रा था। 1992-97 के अंतर्गत अलसी का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 402 किग्रा रहा। राजस्थान में विगत वर्षों में अलसी का उत्पादन इस प्रकार रहा।

वर्ष	उत्पादन(लाख टॉन्स)
1985-86	0.3
1989-90	0.1
1993-94	0.1
1994-95	0.6
1995-96	0.07

राजस्थान में अलसी का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) अलसी सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है

- (1) बारा

(2) रोहि
(3) कोटा
(B) सर्वाधिक अलमो का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) बांस
(2) कोटा
(3) चित्तौड़गढ़

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1978

(द) अरडी (Castor Seed) - अरडी का निर्यात 20⁰ से 25⁰ में वापस कम 60 से 65 सेमी वर्षों व टोमेट सिद्धी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में 1994-95 (अंतिम अनुमान) में अरडी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 816 किग्रा रहा। निम्न वर्षों में अरडी का उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा है -

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1985-86	0.02
1989-90	0.23
1993-94	0.09
1994-95	0.20
1995-96	0.44

Source: Statistical Abstract 1988-1995 & 1996, 5th and 6th Agricultural Survey of States, 1994-95, Raj

राजस्थान में अरडी का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) अरडी सबसे अधिक निम्न जिलों में बोयी जाती है
(1) गिरी
(2) जालौर
(3) बांस
(B) सर्वाधिक अलमो का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) गिरी
(2) जालौर
(3) बांस

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1978

(10) गन्ना (Sugarcane)

गन्ना एक मूल्यपूर्ण व्यापारिक फसल है। प्रमुख रूप से गन्ने का उपयोग गुड, शक्कर, खाण्ड आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो शेष भाग बचता है वह शर्करा एवं सिद्ध बनाने के काम आता है। पशुओं को खिलाते, और जाना के लिए भी इस बचे हुये शेष भाग को काम में लिया जाता है। इस बचे हुये भाग का उपयोग कागज, क्लोरोफा आदि बनाने में भी होता है। चीनी का निर्यात कच्चे विदेशी मुद्रा को अर्जन की जा सकती है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - गन्ने की फसल के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। कटाई के समय उष्ण जलवायु ठीक रहती है। पानी न मर्दाई इस फसल के लिए आवश्यक है। 100 से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा अवधि पर्याप्त सिंचाई की

व्यवस्था होनी चाहिये।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में लगभग सभी जिलों में कम या अधिक मात्रा में गन्ना बोया जाता है। इस दृष्टि से बूंदी, चुरू, गंगानगर, उदयपुर आदि जिले विशेष महत्वपूर्ण हैं। 1996-97 में लगभग 27,000 हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई। 1992-97 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उत्पादन 47543 किग्रा/हेक्टेयर का जो राष्ट्रीय औसत से कम था।

उत्पादन (Production) - राजस्थान में निम्न वर्षों में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1993-94	33.6	14.8
1985-88	29.4	10.0
1987-88	26.6	9.4
1989-90	15.8	7.1
1991-92	31.2	13.6
1993-94	20.5	10.2
1994-95	21.9	9.8
1995-97	27.0	12.9
1997-98	23.0	11.8
1998-99	20.0	9.5

Source: Statistical Abstract 1988 & 1993, Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Rajasthan, Economic Survey 1998-99, Raj

राजस्थान में गन्ने का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

(A) गन्ना सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
(1) बूंदी
(2) चित्तौड़गढ़
(3) गंगानगर
(B) सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
(1) बूंदी
(2) चित्तौड़गढ़
(3) गंगानगर

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1978

(11) तंबाकू (Tobacco)

तंबाकू एक मादक पदार्थ है। इसे विभिन्न प्रकार में खाने-पीने, सूखने आदि के काम में लिया जाता है। तंबाकू के विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है।

उपज की दशाएँ (Conditions) - तंबाकू के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापक्रम होना चाहिये। इसकी उगाते समय 20 से 30 तापक्रम उपयुक्त रहता है। पसलते समय मौसम शुष्क और तापक्रम उच्च हो तो अच्छा रहता है। तंबाकू के लिए 50 से 100 सेमी की वर्षा उपयुक्त रहती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की जाती है। तंबाकू के रोग प्रायः दानू जमीन पर बनाये जाने हैं क्योंकि इसमें जड़ों में यदि पानी का जमाव

हो तो वह इसके लिए हानिकारक रहता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, गंगानगर, झुझुनु, सर्वाई माधोपुर, सोकर आदि जिलों में तबाकू की खेती की जाती है। 1995-96 में 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तबाकू की खेती की गई थी और उस समय राज्य का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1610 किग्रा था।

उत्पादन (Production) - विगत वर्षों में राजस्थान में तबाकू का उत्पादन क्षेत्र निम्नांकित प्रकार से रहा -

वर्ष	उत्पादन क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	उत्पादन (हजार टन में)
1983-84	2.5	2.5
1985-86	2.7	2.7
1987-88	1.8	2.2
1989-90	3.6	4.3
1991-92	1.8	2.2
1993-94	1.4	2.4
1994-95	1.7	2.7
1995-96	1.3	2.1

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988, 1994, 1995, Vital Agricultural Statistics, 1994-95, Rajasthan

राजस्थान में तबाकू का जिलेवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन (1995-96)

- (A) तबाकू सबसे अधिक निम्न जिलों में बोया जाता है
- (1) अलवर
 - (2) झुझुनु
 - (3) दौसा
- (B) सर्वाधिक तबाकू का उत्पादन निम्न जिलों में होता है
- (1) झुझुनु
 - (2) अलवर
 - (3) जयपुर

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1996

(12) दलहन या दालें (Pulses)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में दालों के अर्गत मूग, मोठ, उड़द, चना, मसूर, मटर, रूआर, अरहर आदि की खेती की जाती है।

(अ) खरीफ की दालें (Kharif Pulses)

राजस्थान में खरीफ दालों में मूग, उड़द, मोठ तथा चवला की खेती सामान्यतः बारानी क्षेत्रों में की जाती है। दालों के ये पौधे अपनी जड़ों से भूमि में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वर शक्ति में वृद्धि करते हैं। इन फसलों में सूखे की स्थिति को सहन करने की

क्षमता होती है। क्षारीय व लवणीय भूमि में भी दालों की खेती की जा सकती है अच्छे जल निकास वाली हल्की या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। समव हो तो खेत में नमी की कमी होने पर सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। 1995-96 में 3 22 लाख टन खरीफ की दालों का उत्पादन हुआ।

(ब) रबी की दालें (Rabi Pulses) - राजस्थान में रबी के दालों में चना, मसूर, मटर, आदि की खेती की जाती है।

(1) मटर (Pea) - मटर एक दलहनी फसल है। इसमें फसल संरक्षण के उपाय आवश्यक हैं। मटर के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है भारी मिट्टी व ऐसे स्थान जहाँ पानी का निकास नहीं होता है, फसल अच्छी नहीं होती और सिंचाई के बाद पौधे पीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं। मटर के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। पाले से इसके फूलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। बुवाई करते समय भूमि का तापक्रम 22 सेंटीग्रेड होना चाहिये।

(2) मसूर (Lentil) - मसूर के लिए आरभ में उष्ण एवं ठंड और पक्के समय ठंडा लेकिन खुली धूप वाला वातावरण उपयुक्त रहता है। यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाती। मसूर की अतिरिक्त फसल के लिए भूमि में उपलब्ध नमी एवं सर्दी के मौसम में ओस की वृद्धि पर्याप्त होती है। भारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है किन्तु जल भण्डारण वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

राजस्थान में 1995-96 में अरहर या रूआर का सबसे ज्यादा उत्पादन अलवर जिले में हुआ था। तत्पश्चात् बांसवाड़ा और उदयपुर का स्थान रहा। इसी प्रकार, मूग का उत्पादन मुख्य रूप से नागौर, झुझुनु व अजमेर जिलों में होता है। मोठ उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर, बुरु और बाँकनेर जिले प्रमुख हैं। सर्वाधिक उड़द चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। तत्पश्चात् बांसवाड़ा, झुझुनु और उदयपुर का स्थान है। चवले का सर्वाधिक उत्पादन सीकर, जयपुर, नागौर व झुझुनु जिलों में होता है। सबसे अधिक मसूर भरतपुर जिले में होती है। तत्पश्चात् भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ जिलों का स्थान आता है। सबसे ज्यादा मटर जयपुर जिले में पैदा होते हैं। तत्पश्चात् बाग व कोटा का स्थान है। 1995-96 में दालों का उत्पादन 14 56 लाख टन हुआ।

रबी की प्रमुख फसलें

(Other Rabi Crops)

(*) गरमीय - इस फसल को अनुप्रजाऊ एवं अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें 35% तेल की मात्रा होती है। इससे संबंधित उपयुक्त किस्मों में टी 27 व आर

टी एम ए प्रमुख है। टी-27 किस्म की औसत उपज 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इस किस्म में 36% तेल की मात्रा पाई जाती है। बारानी क्षेत्रों में बुवाई के लिए उपयुक्त यह किस्म सूखे के प्रति सहनशील है। आर टी एस ए भी बारानी क्षेत्र की किस्म है और इसकी उपज भी 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह सूखे के प्रति भी सहनशील है किन्तु इसमें तेल की मात्रा 35% होती है। इस फसल से संबंधित रोगों में मोयला, जुबला, तुलासीता एवं सफेद रोली प्रमुख है।

(2) तोरिया - तिलहनी फसलों में यह सबसे कम समय में पकने वाली और सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है। इसकी खेती फसल की कटाई एवं रबी फसल की बुवाई के बीच के समय में की जाती है। इसमें 42% से 45% तक तेल होता है। यह फसल राजस्थान के सभी जिलों में होती है। किन्तु अलवर, भरतपुर, सर्वाईमाधोपुर एवं गगानगर जिलों में इसकी फसल काफी क्षेत्र में की जाती है।

(3) कुसुम - यह एक नई तिलहनी फसल है। इसका तेल पौष्टिक एवं गुणकारी होता है। हृदय रोग के लिए इस तेल को उपयुक्त माना जाता है कुसुम के बीजों में 30-35% तक तेल होता है। इसमें 3% खनिज लवण 18 से 20 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त विटामिन 'ए' और 'बी' प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके तेल का उपयोग वनस्पति धी बनाने में किया जाता है। तेल निकालने के पश्चात् बची हुई कुसुम की खली में 30-35% प्रोटीन होता है अतः इसका उपयोग पौष्टिक आहार के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग बारानी है। और यहाँ पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसान एक से अधिक फसल नहीं ले पाता। इस कारण कुसुम की खेती का विशेष महत्व है कुसुम की जड़ें जमीन में डेढ़ से दो मीटर तक गहरी जाती हैं। इस कारण सूखे की स्थिति आने पर यह भूमि की गहराई से नमी पी सकती है। इसके साथ ही इस फसल के पत्तों से वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। रबी तिलहनों में यह एक ऐसी फसल है जिसे जल की कम आवश्यकता पड़ती है। बारानी क्षेत्रों में कुसुम को चने के साथ 4:6 (कुसुम चना) के अनुपात में कतारों में 30 सेन्टीमीटर की दूरी पर बुवाई करना लाभदायक रहता है।

(4) चुकन्दर - चुकन्दर की खेती के लिए राजस्थान उपयुक्त है। श्रीगगानगर में चुकन्दर से चीनी बनाने का कारखाना भी है। चुकन्दर की अच्छी वृद्धि के लिए 20 डिग्री मीट्रीड तक औसत तापमान होना चाहिये। चुकन्दर की खेती उन सभी क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ पर शीत ऋतु में करीब तीन महीने रहती है। गन्नी की तुलना में यह फसल पाल को

सहन कर सकती है किन्तु गर्मी जल्दी आने और तापमान बढ़ने से इसके जड़ों की वृद्धि रूक जाती है और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। चुकन्दर उन सभी मिट्टियों में पैदा हो सकता है जिनका चलनिकास अच्छा है तथा पानी सोखने की क्षमता अच्छी है अच्छी वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। क्षारीय मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है। एक खेत में चुकन्दर 3 वर्ष में एक बार ही बोई जानी चाहिये।

(5) ईसबगोल - राजस्थान में ईसबगोल की खेती जालोर व सिरोही जिलों में प्रमुखाता से की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ईसबगोल की भूमि, जिनमें मात्रा बीज के भार में 30 प्रतिशत होती है, सबसे कीमती व उपयोगी भाग है। बाकी भाग एवं चारा पशुओं को छिलाने के काम आते हैं। साधारणतः ईसबगोल की फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप नहीं होता है किन्तु कभी-कभी नूणी फफूंद रोग की रोकथाम करनी होती है।

(6) अफीम - राजस्थान के लिए अफीम की तैलिया, रमजाटक एवं चितौडगढ सलेक्शन किस्में उपयुक्त पाई गई हैं। अफीम के लिए चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह फसल अक्टूबर के अंतिम मन्दाह में लेकर नवम्बर के पहले सप्ताह तक बोई जानी है। अफीम निकालने के समय सिंचाई बंद कर दी जाती है। अफीम के डोडों पर चीरा लगाना शुरू करने के बाद सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक हेक्टेयर में अफीम के लगभग 3 लाख पौधे होने चाहिए। अफीम निकालने के लिए डाडों पर कुल मिलाकर 3-4 बार चीरा लगाना होता है। अफीम की उपज 35 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इसके अतिरिक्त 5 क्विंटल बीज एवं 5 क्विंटल डोडें भी प्राप्त हो जाते हैं।

अफीम के डोडों में भूमिगत चीड़े, मृदु गेमिल, फफूंद, चूर्णी-फफूंद व डोडा लट आदि से बचाव किया जाना चाहिये।

(7) जीरा - जीरा एक प्रमुख नकदी फसल है। कम समय में पकने के साथ ही यह अधिक आमदनी भी प्रदान करती है। राजस्थान में जीरे की खेती मुख्य रूप से अजमेर, पानो, जालोर, मिरापुर, बाडमेर, नागौर, टोंक व जयपुर जिलों में होती है।

(8) धनिया - राजस्थान में धनिया की खेती मुख्यतः नाटा झालावाड, बूंदी, सर्वाईमाधोपुर और जयपुर जिलों में मानी है। सिंचित क्षेत्रों में जैत्रिक खाद की दृष्टि में धनी सभी प्रकार की मिट्टियों में इसे बोया जा सकता है। बागरी फसल के लिए काली व अन्य मिट्टी जिनमें पानी का गैर रखन की क्षमता हो, उपयुक्त है।

(9) सौफ - शरद एवं शुष्क वातावरण इसकी फसल के लिए उपयुक्त है। बलुई मिट्टी को छोड़कर ऐसी सभी मिट्टियाँ में जहाँ जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में हो, इसकी खेती की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए चूना-युक्त दोमट व कासी मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में सौफ अधिकतर टोंक, सिरोही, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा कोटा एवं पाली जिलों में उगाई जाती है। राजस्थान में बुवाई के लिए सौफ की उन्नत किस्म यू एफ 32 उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को झुलसा, छाछ्या व मोयला रोग से बचाया जाना चाहिये।

खरीफ की अन्य महत्वपूर्ण फसलें Other Kharif Crops

(1) सोयाबीन - सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनो एवं दतहनो फसल है। इसमें 80% प्रोटीन एवं 20% तेल होता है। वनस्पति धी वनाने के अतिरिक्त इसका उपयोग पेन्ट, चार्निश, साबुन, स्याही, रबर, ग्लिसरिन आदि उद्योगों में भी किया जाता है। सोयाबीन से दूध, दही व मक्खन बनाये जाते हैं। इसका दूध रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय के दूध के बराबर होता है। 750 से 1250 मि मी वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है।

(2) ग्वार की फसल - इस फसल को प्रमुख रूप से चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है किन्तु गौद के रूप में इसका विशेष औद्योगिक महत्व है। ग्वार की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है।

(3) सूरजमुखी - सूरजमुखी के लिए मध्यम किस्म की भूमि उपयुक्त रहती है। किन्तु पानी में भरे रहने वाले खेत इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त है। सूरजमुखी का तेल जैम जैम खाद्य तेल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है वैसे-वैसे सूरजमुखी की खेती लोकप्रिय होती जा रही है। राजस्थान में सूरजमुखी की उन्नत किस्मों में एम एस एफ एच 8, एम एस एफ एच 17, रमसन रिपोर्ट व ई सी 68415 प्रमुख है। ये किस्में खरीफ ऋतु में 90 दिनों में फल कर तैयार हो जाती है। जायद (बसंत ऋतु) में 100 से 115 दिन व रबी में 125 से 135 दिन की अवधि लेती है। इस फसल के कटवर्ष, पत्ते कुतरने वाली तट, हरतेला, मफेट मकड़ी व पक्षियों से बचाना चाहिये।

(4) होहोवा - यह एक विदेशी पौधा है जो मैक्सिको, वैलिनोविया और ऐरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाता है। उस क्षेत्र को पर्यटकी और ककर वाली भूमि में यह शक्ति

रूप में उगता है। यह दीर्घायु (40 से 200 वर्ष), हमेशा हरा रहने व बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। इसकी ऊँचाई एक से तीन मीटर तक होती है।

यह पौधा एकलिंगी होता है अर्थात् नर व मादा फूल अलग-अलग पौधों पर लगते हैं। नर फूल हमेशा गुच्छों में लगते हैं जिनकी संख्या 7 से 36 तक होती है। मादा फूल शाखा के एक नोड से एक ही निकलता है। फूल प्रायः अक्टूबर या नवम्बर माह में आते हैं जिनमें अप्रैल-मई तक बीज बन जाते हैं। कभी-कभी अप्रैल-मई में भी फूल खिलते हैं, जिनसे अक्टूबर तक बीज प्राप्त हो जाता है परन्तु अप्रैल-मई के बीजों की पैदावार अधिक होती है। इसके बीज की संरचना, आकार, रंग तथा भार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। बीज प्रायः सवा, गोलाईयुक्त व नुकीला होता है। इसके बीजों से करीब 45-85 प्रतिशत तक तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह तेल उच्च तापक्रम व बहुत भारी दबाव वाली मशीनों के गियर्स आदि में प्रयुक्त होता है। इसके तेल के गुण 'स्पर्मवेल' से निकले तेल के समान हैं। प्रसाधन सामग्री उद्योग एवं चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में भी यह तेल प्रयुक्त होता है।

मूलतः रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा होने के फलस्वरूप इसकी खेती के लिए बहुत कम वार्षिक वर्षा वाले (100 से 300 मि मी) स्थान, जहाँ गर्मियों में 40 डिग्री सेन्टीग्रेड से भी अधिक व सर्दियों में 5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। खारे पानी को भी इसकी सिंचाई हेतु उपयुक्त पाया गया है। पथरीले, पहाड़ी, ढलवा स्थान जहाँ वर्षा अधिक होती हो, वे भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। इस विदेशी झाड़ी के फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। अतः फल पकाव के समय पर सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिये। जलवायु की ऐसी परिस्थितियों को देखने से लगता है कि राजस्थान में इसकी खेती के लिए पर्याप्त सभावनाएँ हैं।

अन्य फसलों की तरह होहोवा के बीज की बुवाई सीधे जमीन में नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इससे अकुरण बहुत कम होता है। साथ ही भूमि की ऊपरी सतह को हमेशा नम रखना पड़ता है। अतः पहले पौधशाला में इसकी पौध तैयार कर बाद में खेत में प्रतिरोपण किया जाना चाहिये।

राज्य में अभी होहोवा का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी मोटे तौर पर प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन से आमदनी का आकलन किया जा सकता है। खेत में 3x2 मीटर की दूरी पर पौधरोपण करने एवं अच्छे रख-रखाव से पाच वर्ष बाद प्रति पौधे में करीब 125 से 200 ग्राम बीज एवं दस वर्ष बाद प्रति पौधे से एक

किलोग्राम बीज प्राप्त होने लगता है। खेत में नर व मादा पौधों का अनुपात 1:4 रखने पर प्रति हेक्टेयर करीब (दस वर्ष बाद) 1080 किलोग्राम बीज की प्राप्ति हा मकती है। यदि न्यूनतम दर एक सौ रुपये प्रति किलोग्राम भी बेचा जाये तो प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में करीब 1 08 000 रुपये की आमदनी होती है जो अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा लाभप्रद है। आठवी योजना में इमकी खेती को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्य फसले

Other Crops

(1) मसाले (Spices) राजस्थान में मसालों में सबंधित फसलों में मिर्च, अदरक हल्दी धनिया जीरा अजवाइन सौंफ मेथी आदि का उत्पादन किया जाता है।

राजस्थान में मिर्ची का सबसे ज्यादा (1994-95) जोधपुर जिले में होता है और तत्पश्चात् भीलवाड़ा व सर्वाई माधोपुर जिले आते हैं। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर में और तत्पश्चात् डूंगरपुर जिले में होता है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन (1994-95) उदयपुर जिले में होता है उसके पश्चात् क्रमशः भीलवाड़ा, बूंदी व डूंगरपुर का स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक (1994-95) धनिया बारा जिले में होता है। उसके पश्चात् झालावाड़ व कोटा जिलों का स्थान है। जीरे का सबसे अधिक उत्पादन (1994-95) जालोर जिले में और उसके पश्चात् नागौर जिले में होता है। लहसुन मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा जिले में होता है। सौंफ का उत्पादन सिरोही व जोधपुर जिलों में होता है। मधी का उत्पादन 1994-95 में सर्वप्रथम सीकर और तत्पश्चात् चित्तौड़गढ़ झालावाड़ व जयपुर जिलों का स्थान है।

(2) फल एवं सब्जिया (Fruits & Vegetables) राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में केला और गगानगर जिले में अंगूर की खेती की जाती है। आमरूद की खेती अजमेर, बूंदी, गगानगर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में होती है। पपीते मुख्यतः अजमेर, बूंदी और उदयपुर जिलों में बोये जाते हैं। सब्जिया के अतर्गत आलू मुख्यतः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर गगानगर, जयपुर, जालोर झालावाड़, कोटा, पाली, सर्वाई माधोपुर, सिरोही आदि जिलों में होते हैं। आम मुख्यतः भरतपुर और गगानगर जिले में होते हैं। इसका अनिश्चित अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर बूंदी जाधपुर जिलों में भी छोड़ा बहुत आम उत्पादित किया जाता है। गन्ने राजस्थान में झालावाड़ जिले में उत्पन्न किये जाते हैं। इनो प्रकार मौसमी व माल्टा गगानगर जिलों में होते हैं। नैनू क्रमशः भरतपुर गगानगर और पाली जिलों में होता है। इसके अनिश्चित,

अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर व सिरोही जिलों में भी नींबू का उत्पादन होता है।

(3) मादक पदार्थ (Intoxicants) - मादक पदार्थों में राजस्थान में मुख्यतः अफीम, सिबोना, भाग-गाजा व तंबाकू का उत्पादन होता है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले उनके महत्व के अनुसार क्रमशः चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा व भीलवाड़ा रहे हैं। सर्वाधिक तंबाकू अलवर जिले में उत्पादित की जाती है। तंबाकू का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। मादक द्रव्यों के अतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जालोर और तत्पश्चात् बाडमेर जिले का स्थान रहा है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य में कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाएँ (Natural constraints)

- 1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अर्पाप्त और अनिश्चित प्रकृति की है।
- 2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरुस्थलीय और अर्द्ध मरुस्थलीय है।
- 3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से बर्जोर है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम होती है और यह अपना स्थान बदलती रहती है।
- 4 वर्षा की कमी के कारण भूगर्भीय जल की उपलब्धता सीमित है।
- 5 उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलों को नुकसान पहुंचाती है।

(b) सामाजिक बाधाएँ (Social Constraints)

- 1 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- 2 जोतों के उपविभाजन में वृद्धि हुई है। 1980-81 में जोतों की संख्या 44 87 लाख थी जो वर्ष 1990-91 में 51 07 लाख हो गई।
- 3 माधुरता का स्तर (38%) विशेषतः महिला माधुरता (20%) कम है।
- 4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।
- 5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्य

में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है।

6 जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुसूचित जाते और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की खोजिम उठाने की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नहीं समझ पाते हैं।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 अकाल से लड़ने के उपयुक्त तरीकों का अभाव।
- 2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फ़सलों के विशेषज्ञ सीमित हैं।
- 3 फसल काटने के पर्याप्त कर्मियों की प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
- 4 बायो टेक्नोलॉजी और टीशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।
- 5 विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने संबंधी जानकारी कम है।
- 6 ओरगेनिक फार्मिंग संबंधी शोध का निदान अभाव है।
- 7 अनेक फसलों के लिए समन्वित रोग प्रबन्ध का अभाव है।
- 8 जल की बचत करने वाले प्राचीन उपकरणों जैसे - बूद-बूद कृषि, फव्वारा सिंचाई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।
- 9 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की ब्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 कृषि पर्याप्त संबंधी पुस्तकें दुर्लभ अर्थात् (2450 व्यक्तियों पर एक) हैं।
- 2 वैज्ञानिक सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसंख्या पर 6.5 वैज्ञ) का अभाव है।
- 3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।
- 4 कृषि विपणन और विपणन सरचना का अभाव है।
- 5 कृषि में यंत्रीकरण की गति धीमी है।
- 6 राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।
- 7 बागवानी और सब्जियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की सरचना का अभाव है।
- 8 पशु चिकित्सकों की मांग और पूर्ति के मध्य अन्तर्गत बहुत अधिक है साथ ही पशु चिकित्सक अल्प संख्यक हैं। इनमें पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एवं अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge) - यदि भारत के सदर्भ में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान का कृषक अधिक

अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान में कृषि के अन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान में सहकारी आंदोलन अधिक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वामों और सामाजिक कुरीतियों के अग्रसानी में शिकार हो जाते हैं। सामाजिक रीति-रिवाजों को निभाने के लिए उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिससे कृषि विकास अवरूद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागृकरता उत्पन्न करना है। इस प्रक्रिया में श्रौट शिक्षा का विरोध महत्व हो सकता है।

(f) अपर्याप्त वित्त एवं ऋणग्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness) - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वयं के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समस्याओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण पड़ता है। ये ऋण भी मुख्यतः अनुत्पादक ऋण होते हैं और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीटी-दर-पीटी इन ऋण का बोध बढ़ता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण अपने दाली पीढ़ी के लिए छाड़ जाता है। राजस्थान में कृषकों में असतोष का एक बड़ा कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। डॉ. टॉमसन ने ऋणग्रस्तता के सदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणग्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर ही भीतर बढ़ता हुआ असतोष सदैव खतरनाक होता है।" विज्ञान साधनों की कमी के सदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख भवैक्षण्य समिति ने टोक ही कहा है कि "सहकारिता अमरुत हो चुका है लेकिन सहकारिता मर चुकी है।" ग्रामीण क्षेत्रों में देव शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities) - राजस्थान में जल साधनों का अभाव है। नदियाँ कम हैं और लगभग सभी नदियाँ मानसूनी हैं। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भू-जल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कर्तों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में कृषि

उत्पादन लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि में जल की और भी आवश्यकता होती है। अतः जल के अभाव में प्रायः ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्गोष्ठीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजस्थान नहर ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास है।

(h) कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small Industries) - राजस्थान का कृषक सामान्यतः एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठता रहता है। ऐसा इस कारण से है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के मान लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी एवं निजी प्रयासों से कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) कृषि श्रमिकों की समस्याएँ (Problems of Agricultural Labour) - राजस्थान में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। ये लोग कृषि कार्य में निगुण होते हुए भी अत्यन्त दीन-हीन स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। इस कारण इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। कृषि सुधार समिति, 1950 ने कहा था "कृषि सुधार मसौदा किमो योजना में से कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड़ देना, देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान में बंकर पड़ी भूमि को आर्थिक जोतों के अंतर्गत कृषि श्रमिकों में बाँट दिया जाना चाहिए।"

(j) आदानों का बढ़ता मूल्य (Increasing Prices of Agricultural Inputs) - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद, कीचड़ और आदि की कीमतें निरन्तर बढ़ी हैं। सरकारी प्रयासों के बाद भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है। गमायनिक खाद के मूल्य में तेजा में वृद्धि होने के कारण उपागम को गति दीर्घ नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढ़ते मूल्यों के कारण एक ओर साधनों की लागत तो बढ़ गई है किन्तु दूसरी ओर उपज भी तुलना में कृषि उपजों का मूल्य नहीं

बढ़ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न होने के कारण कृषि को हानि बहन करनी पड़ती है। इस कारण कृषक प्रायः घाटे में रहते हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमत को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms) - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए हैं। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समस्याएँ हल हो गई हैं। वर्षों से खेती करते आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खातेदारों के अधिकारों से वंचित हैं। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप-विभाजन और उप-खण्डन अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जोत का आकार छोटा छोटा चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जोत में बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अनन्त कृषि करना भी बंद कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चकबन्दी के माध्यम में भी अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान में कृषि की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं -

- 1 सतही एवं भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 2 क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 3 भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।
- 4 कृषि जोतों के उप-विभाजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- 5 कृषि कार्य में महिलाओं का योगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- 6 निर्धन, निरक्षर एवं पिछड़े वर्गों के कृषकों का कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी में अवगत कराना चाहिए।
- 7 कृषि विशेषज्ञों की सहायता में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षा का तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए।

- 8 कृषि मन्त्रालय साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 9 कृषि शिक्षण कर्मियों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- 10 कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 12 ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

- 13 कृषि कार्यों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।
- 14 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन एवं विधायन संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- 16 कृषि क्षेत्र में यंत्रोकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- 17 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 "राजस्थान में फसल प्रारूप" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Cropping Pattern in Rajasthan"
- 2 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।
Give an analysis on the land utilisation in Rajasthan
- 3 फसल शक्ति का अर्थ क्या समझते हैं?
What do you mean by Cropping pattern
- 4 राजस्थान में फसल शक्ति का वर्णन कीजिए।
Explain the cropping pattern in Rajasthan
- 5 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the land utilisation in Rajasthan
- 6 राजस्थान में भूमि उपयोग की प्रवृत्तियाँ किन बातों की ओर संकेत करती हैं?
What are the indications from the land utilisation trends in Rajasthan
- 7 भूमि उपयोग में आज क्या समझते हैं?
What do you mean by land utilisation?
- 8 राजस्थान की प्रमुख रबी और खरीफ फसलें बताइए।
Name the principle Rabi and kharif crops of Rajasthan
- 9 राजस्थान किस फसल का मुख्य उत्पादक है?
Rajasthan is the chief producer of which crop?
- 10 राजस्थान की प्रमुख रबी और खरीफ फसलें बताइए।
Name the principle Rabi & Kharif crops of Rajasthan

निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में राजस्थान में कृषि विकास का मूल्यांकन कीजिए।
Review the agriculture development during plan period in Rajasthan
- 2 "राजस्थान में उच्च कोटि के जल वाले प्रमुख खाद्य व अखाद्य फसलें" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Important Food and Non Food crops in Rajasthan"
- 3 राजस्थान में फसल चक्र प्रारूप का वर्णन करते हुए राजस्थान में आज क्या समझते हैं और यह क्षेत्र प्रमुख फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन का विवरण कीजिए।
What do you understand by cropping pattern in Rajasthan and discuss the production and area of major crops in Rajasthan

- 4 राजस्थान में भूमि उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the land utility in Rajasthan
- 5 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेक वीजिए तथा उनके समाधान व सुझाव बताईए।
Discuss the problems and hindrance of agriculture development strategies in Rajasthan and suggest its remedies
- 6 राजस्थान में कृषि विकास व्युत्पन्न करने की प्रमुख विशेषताएं बताईए तथा परंपरागत योजनाओं में राजस्थान के कृषि विकास का विकास दर्शाए।
Describe the salient features of Agriculture development strategies in Rajasthan and discuss the agriculture development of Rajasthan in the Five years plans
- 7 "राजस्थान हरित क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है।" समझाईए।
"Rajasthan is marching towards green revolution" Explain
- 8 राजस्थान में पिकन फार् वर्कों में विभिन्न सिमाय कार्यक्रम की प्रगति एवं उससे संबंध का मूल्यांकन कीजिए।
Assess the programme of oil seeds production and its impact on Rajasthan in last Five years

विश्वविद्यालय प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है।
Describe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain that Rajasthan is marching towards green revolution
- 2 राजस्थान में भूमि प्रयोग पैटर्न (Cropping Pattern) एवं मुख्य कृषि उपजों का उल्लेख करें।
Mention the land utilisation cropping pattern and major agriculture products in Rajasthan
- 3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए। समझाईए कि राजस्थान हरित क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है।
Describe the role of agriculture in the economy of Rajasthan Explain the Rajasthan is marching towards green revolution
- 4 राज्य के कृषि विकास में बाधाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the agriculture development of the state"
- 5 राजस्थान में अपनायी गई कृषि व्युत्पन्न करने की रणनीति का मूल्यांकन करें।
Discuss the Agriculture strategy as adopted in Rajasthan and evaluate its performance
- 6 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का विवेक वीजिए तथा उनके समाधान के सुझाव बताईए।
Discuss the problem and hindrances of agriculture development in Rajasthan and suggest its remedies
- 7 राजस्थान राज्य में कृषि की विशेषताएं तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा उनसे हल करने के उपाय भी सुझाईए।
Discuss the salient features and problems of agricultural development in Rajasthan also give some suggestions for agricultural development in Rajasthan



राजस्थान में भूमि सुधार

LAND REFORMS IN RAJASTHAN



"राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की संस्कृति तिस्रु घाटी सभ्यता जैसे थी।"

अध्याय एक दृष्टि में

- भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य
- राजस्थान में भू-सुधारों की पृष्ठभूमि
- राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-क्षरण प्रणालियाँ
- राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन
- भूमि सुधारों की प्रगति
- राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समीक्षाएं व सुझाव
- राजस्थान सरकारों अधिनियम, 1955
- अभ्यास प्रश्न

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य

MEANING & OBJECTS OF LAND REFORM

भूमि सुधार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भू-स्वामी काररकार के अधिकार, कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा राज्य व भू-स्वामी के संबंधों की विवेचना की जाती है। यह व्यवस्था भूमि के उपयोग एवं प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म देती है। इस प्रकार भूमि सुधारों का संबंध सत्यागत सुधारों में होता है। ये सुधार भू-स्वामी, चाइतदार व सरकार के संबंधों को व्यदक करते हैं। इन सुधारों से सामाजिक न्याय का बालावरण भी निर्मित होता है। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि के बाने व संगठन में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं सुधारों के द्वारा एक नवीन भूमि व्यवस्था विकसित होती है जो पहले की तुलना में अधिक न्यायपूर्ण व कार्यकुशल होती है। अतः भूमि सुधारों से उत्पादन एवं आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह सामाजिक न्याय, समानता, एवं निर्धनता व शोषण के निवारण में भी सहयोग देते हैं। भूमि सुधारों के द्वारा कृषि विकास की वृद्धि तीव्र हो जाती है। राजस्थान में भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं -

(1) उत्पादन वृद्धि (Increased Production) - कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि के विकास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि का विकास जुड़ा होता है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हो तो कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निवारण करना अत्यावश्यक होता है। भूमि सुधार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि संबंधी विभिन्न समस्याओं एवं सरचनात्मक बाधाओं का निवारण करके कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। राजस्थान में कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(2) सामाजिक न्याय (Social Justice) स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में अनेक प्रकार की भू व्यवस्थाएँ एवं प्रणालियाँ प्रचलित थीं। इन व्यवस्थाओं के द्वारा वारसदार का सर्वाधिक शोषण किया जाता था। ये प्रणालियाँ मुख्यतः अंग्रेजी शासनकाल की देन रही हैं। राज्य में सामाजिक न्याय एवं समानता का वातावरण निर्मित करने के लिए इन दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करना आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य सरकार व भागत सरकार द्वारा दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करने हेतु अनेक नियम एवं अधिनियम लागू किये गये। इससे शोषण की समाप्ति एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि हुई है।

(3) तकनीकी परिवर्तनों के आधार (Basis of Technical Changes) भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन नवीन तकनीकों को कुशलता पूर्वक लागू करने और इन तकनीकों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि सुधारों के दौरान भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया गया और उसके पश्चात् विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अतः भूमि सुधारों को तकनीकी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण आधार कहा जाता है।

राजस्थान में भू- सुधारों की पृष्ठभूमि

BACK GROUND OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN

सामन्ती प्रथा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान में भूमि सुधारों को एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है। राजस्थान में शासन तंत्र बदलने पर भी इस प्रकार की


व्यवस्थाएँ जारी रहीं कि कृषक अपनी भूमि का मालिक नहीं बन पाया। भूमि का स्वामित्व सदैव शासकों के पास ही रहा। और उन्होंने कृषकों को केवल जीवनयापन करने के उद्देश्य से भूमि प्रदान की ताकि वह अपने जीवनयापन के साथ अपने मालिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर सकें। स्वतंत्रता के बाद भी यह स्थिति तुरन्त नहीं बदली। राजस्थान में जिन शासकों ने भूमि को अपने आधिपत्य में कर रखा था। उन्होंने अपने सहायकों को जागीरें प्रदान कीं। महायकों की सहायता करने वाले कसे भी भूमि प्रदान की गईं ताकि वे अपने जीवनयापन के साथ अपने स्वामी की भी सेवा व रक्षा कर सकें। राजस्थान में भूमि सुधार लागू होने तक संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हीं शासकों, जागीरदारों आदि के द्वारा निर्देशित होती थी और उनके आदेश ही कानून बन चुके थे। राजस्थान में अनेक रियासतें थीं। इस कारण प्रत्येक रियासत के अपने नियम थे जिससे भूमि से संबंधित कानून एक रूप न होकर भिन्नता के कारण अत्यन्त जटिल हो चुके थे। सारी भूमि पर शासकों का स्वामित्व था, किसान का तो केवल पट्टे पर भूमि दी जाती थी और उसके बदले में उसकी उपज का अधिकांश भाग ले लिया जाता था। अनेक स्थानों पर किसानों को कुछ खातेदारी अधिकार भी मिले हुये थे। इनके अंतर्गत उन्हें वारिसाना अधिकार तो प्राप्त था किन्तु वे भूमि को दूसरों को हस्तारित नहीं कर सकते थे। भूमि का स्वामित्व संबंधित शासक का ही होता था। भू म्दानियों तथा कृषकों में मालिक व नौकर का संबंध होता था और मालिक वारसदार को जब चाहे, भूमि से बेदखल कर सकता था। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की विचारधारा ने जन्म लिया कि भूमि जेतने वाले को भूमि का अधिकार मिलना ही चाहिये। साथ ही भूमि का वितरण समान हो और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित हो तथा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित कानूनों को बदलकर संपूर्ण राज्य में एकरूपता लाई जानी चाहिये।

राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय के पूर्व प्रचलित भू-धारण प्रणालियाँ

LAND TENURIAL SYSTEM OF RAJASTHAN BEFORE MERGER OF VARIOUS STATES

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान राज्य में अनेक रियासतें थीं। वर्तमान राजस्थान में विलय से पूर्व इन रियासतों के

शासकों ने अपनी-अपनी रियासतों की भूमि को जमींदारों, जागीरदारों व बिस्वेदारों को दे रख था। ये व्यक्ति कारशतकारों से लगान वसूल करने का कार्य करते थे उस समय राज्य में निम्नलिखित भू-धारण प्रणालिया प्रचलित थी -



(1) जागीरदारों प्रथा (Jagirdan system) - राजस्थान में विभिन्न रियासतों के विलय से पूर्व जागीरदारी प्रथा राज्य के अधिकांश भागों में प्रचलित थी। जागीरदारों को भू-वसूली के अधिकार प्राप्त थे। वस्तुतः जागीरदार कारशतकार व शासक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा था। वह व्यक्ति कारशतकार से उसकी उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त, देगार आदि के रूप में कारशतकारों का शोषण करता था। जागीरदार को वेदछली का अधिकार भी प्राप्त था। वह अपने क्षेत्र में कारशतकारों को भूमि से वेदछल कर सकता था। जागीरदारों को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन वे फौजदारी व दीवानी अधिकार तथा उम क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के कारण कारशतकारों व कृषि-श्रमिकों पर अनेक अन्याय करते थे। जागीरदार, कारशतकारों के सम्मुख अपने आपकी भू-स्वामी के रूप में प्रकट करता था। जागीरदार द्वारा शासक को कुछ भेंट प्रदान की जाती थी लेकिन इस भेंट का पूरा-राजस्व से कोई संबंध नहीं था। भेंट की राशि का निर्धारण जागीरदारों प्राप्त होते समय किया जाता था। धीरे-धीरे जागीरों की आय में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती थी जबकि भेंट की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था अतः लगान वसूली में जागीरदार प्रायः मनमानी किया करते थे। राज्य की अनेक रियासतों में उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया जाता था। जागीरदार प्रायः उपज का आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेता था। कारशतकारों द्वारा इस व्यवस्था का समय-समय पर विरोध भी किया जाता था। लेकिन अधिकांश कारशतकारों को तत्कालीन भूमिपनों की जानकारी नहीं होती थी। कारशतकारों में स्वेच्छिक कारशतकारों की संख्या अधिक थी। भूमि का आवंटन प्रायः उन कारशतकारों को कर दिया जाता था जो सबसे अधिक लगान देने के लिए तैयार थे।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारों प्रथा (Jaminandan & Biswedan System) - राज्य के कुछ भागों में जमींदारी व बिस्वेदारों प्रथा प्रचलित थी। इन प्रणालियों के अन्तर्गत जमींदार अथवा बिस्वेदार कारशतकारों से लगान वसूल करने का कार्य करते थे। जमींदार अथवा बिस्वेदार शासकों को

प्रायः निर्धारित भू-राजस्व का भुगतान करते थे लेकिन कारशतकारों से प्राप्त किये जाने वाले लगान की राशि का निर्धारण नहीं होता था। अतः ये व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार लगान वसूल करते थे। इस भू-व्यवस्था के कारण जमींदारों व बिस्वेदारों को कारशतकारों के शोषण का अवसर मिल जाता था। ये व्यक्ति प्रायः कृषकों से उनको उपज का लगभग आधे से अधिक भाग लगान के रूप में प्राप्त कर लेते थे। यदि कोई कारशतकार इनका विरोध करता था तो उसे भूमि से वेदछल कर दिया जाता था। वह प्रथा राज्य के अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सिकर, कोटा व भरतपुर जिलों में प्रचलित थी।

(3) रयतवादी प्रथा (Rayatwari System) - इस व्यवस्था के अंतर्गत कारशतकार अपनी इच्छा के अनुसार लगान वसूल करता था। वह कारशतकार को कभी भी भूमि से वेदछल कर सकता था।

राजस्थान में भूमि सुधार के प्रयास एवं क्रियान्वयन

STEPS FOR LAND REFORMS & THEIR IMPLEMENTATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय अनेक दासपूर्ण भू-व्यवस्थाएँ प्रचलित थीं। राज्य में कृषि के विकास हेतु इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक था। अतः स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। यह क्रम प्राथमिकताओं में परिवर्तन के साथ साथ आज भी जारी है। राजस्थान में भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रथम किये गये हैं -

(1) भूमि पर किसानों की वेदछली को रोकना (Stop-page interfere of farmers on land) 1949 में जमींदारों द्वारा कारशतकारों का भूमि से वेदछल करने की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। अतः सरकार द्वारा कारशतकारों को वेदछली रोकने के लिए 'राजस्थान (कारशतकार संरक्षण) अध्यादेश 1949' पारित किया गया। यह भूमि सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास था। इसका उद्देश्य किसानों को किसानों के रूप में मिली हुई भूमि से वेदछल होने में रोकना था। इसमें कहा गया कि जब तक वह अध्यादेश लागू रहेगा कारशतकारों को उनको भूमि से वेदछल नहीं किया जा सकता। इस अध्यादेश का अनुभार अधैतनिक ढाँचा से वेदछल किये गये किसानों को भूमिपनों के अधिकार पुनः प्रदान कर दिये गये। राजस्थान कारशतकारी अधिनियम 1955 में भी उक्त

अध्यादेश सबको प्रमुख व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित कर लिया गया।

(2) लगान का निर्धारण (Determination of Rent) पुरानी व्यवस्थाओं के अतर्गत मनमाने ढंग में बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था। अतः कार्तकारों को शोषण में बचाने तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में लगान वसूली में समानता स्थापित करने के उद्देश्य में 'राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम 1951' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कृषकों से वसूल किया गया लगान उनकी कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं हो सकता था। 1952 में राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1952 पास किया गया। इस अधिनियम के अतर्गत एक जोत पर अधिकतम लगान की मात्रा भू राजस्व व दुगने तक निश्चित की गई। इस अधिनियम को रद्द करके 1954 में एक नया अधिनियम 'राजस्थान कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, 1954' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मध्यमों द्वारा मालगुजारी के दुगने में अधिक की लगान वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान कार्तकारों अधिनियम, 1955 में कार्तकारों को लगान की वसूली में होने वाले शोषण में मुक्त करवाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गईं।

(3) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Mediators) राजस्थान सरकार ने मध्यस्थों की समाप्ति हेतु निम्नलिखित प्रयास किये -

(i) जागीदारी प्रथा का अंत (Abolition of Jagirdari System) - राजस्थान सरकार ने कृषकों और सरकार के मध्य से मध्यस्थों को हटाने के लिए 'राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1952' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार जमींदारों के पास भी केवल वही भूमि छोड़ी गई जो उनकी निजी कार्त के अतर्गत थी। बाकी भूमि इस अधिनियम के कारण सरकार की हो गई। राजस्थान में 'जागीरदारों को विलय के लिए पूर्ण तैयार करने का श्रेय तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाइ पटेल को जाता है। जागीरदारी समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार को जागीरों की आय निर्धारित करनी पड़ी तथा आय के कुछ गुणा तक राशि मुआवजे के रूप में भी देनी पड़ी। उन्हें प्रत्येक प्रकार की पगारानी में बचाने की कोशिश की गई और खुदकारत जमीन कम होने पर जागीरदार को पर्याप्त जमीन देकर उनका पुनर्वास करने की कोशिश की गई। समस्त कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए भू प्रश्न विभाग की स्थापना की गई। जागीरदारों को मुआवजे को राशि फिरतों में दे दी गई और

वकाया राशि पर ब्याज भी देना पड़ा। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को नकद ब्याज व बॉण्ड्स के रूप में लगभग 66 करोड़ रूपये देने पड़े। साथ ही उम समय के जागीरदारों के अतर्गत कार्य कर रहे लोगों की पैशन बांधी गई और उपयुक्त लोगों को सरकार की सेवा में लिया गया। इस अधिनियम के लागू हो जाने पर खुदकारत के अतिरिक्त यही भूमि पर सरकार का कब्जा हो गया। इस अधिनियम के समय जो व्यक्ति भूमि पर खेती कर रहे थे उन्हें खानेदारी व अधिकार मिल गये।

(ii) जमींदारी व विस्वेदारी प्रथाओं का अंत (Abolition of Zamindari & biswedari System) राजस्थान के लगभग 77 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में 299 लाख जागीरें और 383 लाख विस्वेदारिया विद्यमान थी। इन व्यवस्थाओं के उन्मूलन हेतु 'राजस्थान जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959' पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार व कार्तकारों के मध्य विचौलियों का काम करने वाले जागीरदार व विस्वेदार अधिकारी विहीन हो गये और कृषकों व राज्य सरकार का सीधा मार्ग स्थापित हो गया। जागीर ममाप्त हो जाने के बाद भी राज्य में मामती व्यवस्था एकदम समाप्त नहीं हुई थी। इन लोगों ने बड़ी बड़ी भूमि अपने अधिकार में ले ली थी और इस पर वे खुदकारत नहीं करने थे वरन् छोटे किसानों से कार्त करवाने दे तथा उनकी उपज में से अपना हिस्सा ले लेते थे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मध्यम्यों से बची हुई कटौती को समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान भूमि सुधार एवं भू म्यामियों की सम्पदा अर्वाण अधिनियम 1963' पारित किया। इस कानून के अतर्गत राजा महाराजाओं की भूमि पर आवास कर लिया गया एवं कार्तकार द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर श्लेष सञ्चित कार्तकार को खानेदारी अधिकार मिल गये। इस प्रकार मध्यम्यों की अंतिम बड़ी भी ममाप्त हो गई।

(4) खानेदारी अधिकार - 'राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1962' व अतर्गत अधिनियम के प्रभावों होने की तिथि में भूमि पर कार्त करन वाले लोगों को खानेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे किन्तु ऐसा सभी कार्तकारों के मध्य में नहीं हुआ क्योंकि कुछ श्रेणियों के कार्तकारों को यह अधिकार मिले थे। इन कारण राजस्थान के सभी कार्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और राजस्थान में भूमि में सर्वव्यति मन्तवपूर्ण वानुनों का निर्धारण करने के लिए 'राजस्थान कार्तकारों अधिनियम, 1955' व माध्यम में मूलभूत परिवर्तन किये गये। इसके अतर्गत सभी कार्तकारों

को छातेदारी अधिनियम प्राप्त हो गये। इस प्रकार इन्हें वारिसाना और मालिकाना हक तो मिला ही, भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार भी मिल गया। जो व्यक्ति भूमि का गैर छातेदार होता है उसे अपने जेत पर केवल पैतृक अधिकार प्राप्त होता है। 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970' के अंतर्गत कृषक को भूमि गैर कारशकारी अधिकार देकर आर्जिट करी जाती है और जो कृषक आवंटन की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते उन्हें 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर छातेदारी के अधिकार दे दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान कृषक अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किराये पर भूमि जोतने में सवधित प्रतिबन्ध लगाये गए लेकिन सैनिकों, विधवाओं, अपाहिषों अल्प वयस्कों आदि को कुछ छूट दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गई कि किसान अपनी भूमि के कुछ भाग पर कृषि के विकास के लिए व अपनी सुविधा हेतु कुछ निर्माण कार्य कर सके। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों को जमीनें अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरित न हो पाए, इस बात की व्यवस्था की गई। अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से भूमि हस्तान्तरित करने को अवैध बनाकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यदि इसके बाद भी भूमि हस्तान्तरित की जाती है तो खरोददारों को बेदखल किया जा सकता है। इसके सवधित प्रावधानों में हाल में ही कुछ परिवर्तन किये गये। इसी प्रकार लोगों को शोषण में बचाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कारशकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके भूमि को रहन आदि रखने की अवधि 10 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दी है। अब कारशकार को भूमि को 5 वर्ष से अधिक रहन नहीं रखा जा सकता। 5 वर्ष पूरे होने पर भूमि रहन से मुक्त मानी जायेगी और यदि कोई ऐसी मुक्त भूमि को वापस नहीं लाया तो उसे दण्ड या कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं। यह भी व्यवस्था की गई कि जिस भूमि को रहन रखने की अवधि खत्म हो चुकी है उस भूमि को पुनः दो वर्ष तक रहन नहीं रखा जा सकता है। इस अधिनियम में कारशकारों को भूमि की अदलाबदली और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जोन में सुधार करने के अधिकार भी दिये गये। जमीन केवल जमीन जोतने वाले व्यक्तियों के पास ही रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुये छातेदार कारशकार को एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए अपनी जमीन मय लॉज पर देने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार गैर छातेदार कारशकार को अपनी जेत की भूमि को केवल एक वर्ष तक के लिए मय लॉज पर देने का अधिकार दिया। इस बात को भी व्यवस्था की गई कि एक बार लॉज देने के पश्चात् दो वर्ष तक वह भूमि पुनः लॉज पर नहीं दी जा सकती।

(5) कृषि व अकृषि भूमि के अन्य उपयोगों को छूट - कृषकों, बेरोजगारों युवकों व वारीगरी को आवास सुविधा देने एवं छोटे उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से ही 'कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1971' एवं 'कृषि भूमि व अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग अधिनियम, 1961' बनाये गये। इन नियमों के अनुसार किसान अपनी भूमि आवास तथा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए परिवर्तित कर सकता है। पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए किसानों को जोतों पर लगाये गये पेड़ों को काटने पर 'राजस्थान कारशकारी अधिनियम, 1955' में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये। इन प्रतिबन्धों के अनुसार-कृषक एक कैलेंडर वर्ष में उसकी भूमि पर लगे हुये वृक्षों के 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष नहीं काट सकता है। राजकीय बजर भूमि, अनुसूजाऊ व अकृषि भूमि पर वन विकास योजना के अंतर्गत निजी वन विकास हेतु बजर भूमि का आवंटन नियम, 1986 बनाया गया। इन नियमों के अनुसार भूमि के आवंटन में मशीन निर्धनों, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों, सहकारी समितियों व अर्द्ध-सारकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने हेतु कारशकारी अधिनियम में कुछ प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार, सड़क के किनारे लगाए गये पेड़ों व उनको उर्ख पर किसानों को मालिकाना हक दिया जाता है।

(6) चकबंदी कृषकों के खेतों की अनार्षिक जोत एवं उनकी जोतों का विखर लेना, कृषि भूमि की एक महत्वपूर्ण बाधा थी। इस बाधा को चकबंदी अधिनियम लागू करके दूर करने की कोशिश की गई। इसके माध्यम से दूर-दूर विखरे हुये तथा छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों की समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया गया। इससे कृषि में नवीन विधियों को प्रोत्साहन मिला और कृषि विकास को गति तीव्र हुई। 1982-83 तक लगभग 60 लाख हैक्टेयर भूमि चकबंदी के अंतर्गत आ चुकी थी।

(7) भूमि की अधिकतम सीमा भूमि सुधार के अंतर्गत राजस्थान को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। इस अधिकतम सीमा के पश्चात् अधिग्रहण योग्य भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया जाता है। इस हेतु 'राजस्थान कारशकारी अधिनियम, 1955' के अंतर्गत 1963 में संशोधन किया गया। भूमि की उर्वर शक्ति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई। इस प्रावधान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1973 में एक नया संशोधित अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार

परिवार की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। पुराने काश्तकारी अधिनियम में परिवार में आशय एक ऐसे परिवार से था जिसमें पति, पत्नी, उनके बच्चे और उन पर निर्भर पौत्र, पौत्रिया तथा पति की विधवा मा, जो उन पर अश्रित हो, को सम्मिलित किया जाता था। 1973 के अधिनियम के अनुसार अब 'परिवार' से आशय पति-पत्नी व अवयस्क सतानों (नाबालिग विवाहित पुत्री को सम्मिलित न करते हुये) में है। पिछले कानून की तुलना में अब परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई है, जिससे राज्य सरकार द्वारा सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत कृषिभूमि का अधिग्रहण करना संभव हो सका है। अधिग्रहण की गई भूमि को भूमिहीन कृषकों, भूतपूर्व सैनिकों, कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों व ग्रामीणों में आवंटन हेतु 'राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970' बनाया गया।

राजस्थान में भूमि सुधार संधी महत्वपूर्ण नियम व अधिनियम

- 1 राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टैनेन्स) अध्यादेश 1949
- 2 राजस्थान भूमि सुधार एव जमीन पुनर्वसन अधिनियम 1952
- 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- 4 राजस्थान जमींदारी व विस्वैदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959
- 5 1963 का 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' में संशोधन
- 6 सीलिंग अधिनियम, 1973
- 7 राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का आवंटन नियम, 1970
- 8 कृषि भूमि का आवासीय एव वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1971
- 9 कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नियम, 1961
- 10 निजी वन विकास हेतु बजर भूमि का आवंटन नियम, 1986

राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम' में 1966 में संशोधन करके राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में सीलिंग कानून क्रियान्वित कर दिया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अर्थदण्ड व भूमि से बेदखली का प्रावधान किया गया। नये सीलिंग कानून के अंतर्गत व्यक्ति अपने बयस्क पुत्र के लिए भी अपनी भूमि में से निर्धारित सीमा तक भूमि का चुनाव कर सकता है। राजस्थान सीलिंग कानून के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण की गई है वह अधिकांशतः घटिया किस्म की है। अतः जिन लोगों को ऐसी भूमि आवंटित की जाती है, उन्हें भूमि के विकास के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितम्बर, 1986 तक इस अधिनियम के अंतर्गत

86,156 मामले निपटारे गये और 5,95,874 एकड़ भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया। रसमें में 5,40,149 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके लगभग सवा चार लाख एकड़ भूमि को आवंटित भी कर दिया गया। इस आवंटन में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को प्राथमिकता दी गई।

(8) पाम बुक अधिनियम खालेदारों द्वारा खुदकाशत की भूमि, भूमि सीमा तथा लगान के लिए 'राजस्थान पामबुक अधिनियम, 1983' पाम किया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसानों को उनकी भूमि के संबंध में मपूर्ण जानकारी के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। इससे कृषकों को अपनी भूमि का विकास करने हेतु वित्तीय सहायता व बैंकों से ऋण लेने में सुविधा हो गई है। इस प्रकार अब कृषकों को भूमि संधी रिकार्ड प्राप्त करने की एक लची प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है। कृषकों के भूमि-अभिलेखों को सही रखने के लिए राजस्व अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों में कृषकों द्वारा किये गये भूमि के हस्तांतरणों व विरासत आदि के परिवर्तनों को उसकी पाम बुक में अंकित किया जाता है।

(9) राजस्व प्रबंध व्यवस्था का आधुनिकीकरण (Modernization of Revenue Administration) - रेनेन्सू बोर्ड जिला प्रशासन की प्रमुख संस्था होती है। राज्य में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में भनेत समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को विद्वान् स्वीकार करके नवी योजना में राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ़ करने के लिए 1294.78 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया है।

(10) राजस्थान राजस्व शोध प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (Rajasthan Revenue Research Training Institute, Ajmer - RRTI) - इस संस्था की स्थापना मार्च 1996 में प्रशिक्षण संस्थाओं की एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई। यह संस्था टोंक, गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर) डेवारी, उदयपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर की राजस्व शोध प्रशिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करेगी। नवी योजना में इस संस्था के निर्माण हेतु 412 लाख रुपये कम करने का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्व प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

भूमि सुधारों की प्रगति

भूमि सुधार कर्मियों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य भूमि का समान वितरण करना है क्योंकि ग्रामीण

पूर्ति हेतु भूमि सुधारों में 30 जून, 1997 तक निम्न प्रगति हुई है -

भूमि के मूल्यों में वृद्धि तथा भूमि का अधिकतम

अधिक्य घोषित क्षेत्र	608163 एकड़
अधिशुद्धि क्षेत्र	565432 एकड़
विक्रित क्षेत्र	454961 एकड़
लभ उठाने वाले की संख्या	79009

उपयोग करने के लिए उपग्रह क्रियाओं का महत्व बढ़ा है। राज्य के प्रत्येक तहसील में 20 वर्ष पश्चात् उपग्रह क्रियाओं की आवश्यकता होती है लेकिन राज्य में उपग्रह ससाधनों का अभाव होने के कारण 107 तहसीलों का उपग्रह सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। वर्तमान में 14 उपग्रह दल क्रमशः जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, कोटा, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा, सिरोंही और झुंझारपुर मुख्यालय से कार्यरत हैं। शेष उपग्रह कार्यों को पूर्ण करने के लिए 4 उपग्रह दल बनाये जायेंगे जिनके मुख्यालय बाड़मेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, और पाली होंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना में उपग्रह कार्यों पर 968 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में भूमि सुधारों की समीक्षा, समस्याएं एवं सुझाव

EVALUATION OF LAND REFORMS IN RAJASTHAN, PROBLEMS & SUGGESTIONS

राजस्थान में भूमि सुधार हेतु राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय प्रयास किये हैं इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में जमींदारी, जगदारी एवं बिस्देदारी प्रथाओं का उन्मूलन हो चुका है। भू-धारण को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। लागत वसूली संबंधी दोषों एवं समस्याओं का निवारण हो चुका है लेकिन फिर भी बटती हुई परिस्थितियों के कारण अनेक नवीन समस्याएं एवं दोष उत्पन्न हो गये हैं। कृषि के समुचित विकास हेतु भूमि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत इन दोषों एवं समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत राजस्थान में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है -

(1) कृषकों की स्थिति में सुधार Improvement in tenant's condition - स्वतंत्रता से पूर्व कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं व रीतियों के कारण कृषक समुदाय का अत्यधिक शोषण होता था। राज्य सरकार ने विभिन्न

अधिनियम पारित करके कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया लेकिन इन अधिनियमों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण आज भी कृषक वर्ग के शोषण की प्रक्रिया जारी है। उपकारकर्तारों के सवध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, प्रमुख कृषक आजीव भी उपकारकर्तारों का जमींदारों व जागीरदारों के समान शोषण करते हैं। प्रमुख कृषक आजीव भी ऊँची लगान वसूल करता है और कभी भी उपकारकर्ता को भूमि से वेदखल कर सका है। अतः इस समस्या के निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये और कृषक आजीव की सही अर्थ में भूमि का स्वामी बनने का अवसर देना चाहिये। राज्य में फसल बढ़ाई प्रथा आज भी प्रचलित है। राज्य सरकार के पास अनेक महत्वपूर्ण आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उदाहरण के लिए, मध्यस्थों के पास कितनी भूमि है, कितनी भूमि पर कृषक आजीव ने ज़ातेंदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं आदि। वस्तुतः भूमि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण इसी प्रक्रिया में निहित है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार को चाहिये कि भूमि सुधार संबंधी विभिन्न समस्याओं का निवारण करे। ऐसा करके ही राज्य सरकार कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक न्याय में वृद्धि कर सकेगी

(2) राजस्व में वृद्धि Increase in Revenue - भूमि सुधार संबंधी प्राचीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भू-राजस्व का अधिकतम भाग मध्यस्थों को प्राप्त होता था अतः भूमि की इस आय का समुचित उपयोग नहीं हो सका। यह धन मध्यस्थों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग कर लिया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार राजस्व की प्राप्ति, राज्य की आय का अंग है। भू-राजस्व से सरकार को पर्याप्त आय की प्राप्ति होती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, विशेषतः छोटे कृषकों व छोटी-छोटी मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतः सरकार भू-राजस्व संबंधी आय का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, विशेषतः कृषि विकास हेतु कर सकती है। विगत कुछ वर्षों के आर्थिक योजनाओं में कृषकों के आर्थिक विकास हेतु अनेक योजनाओं का अद्ययन करने से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार भू-राजस्व का उपयोग कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कर रही है। राज्य सरकार को इस तथ्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व की राशि को व्यय करने के कारण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में कितनी वृद्धि हुई है।

(3) जागीरदारों की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव Impact on Economic activities of Jagirdars - स्वतंत्रता के पूर्व भू-राजस्व जागीरदारों की आय का प्रमुख साधन था।

भूमि सुधार प्रक्रिया के अतर्गत जागीरदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। इससे जागीरदारों का आर्थिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। अनेक जागीरदार पहले से ही ऋणी थे। अतः जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् वे और अधिक ऋणी हो गये। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पर अत्यधिक व्यय करते थे। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के पश्चात् भी उन्होंने अपने खर्चों में मितव्ययता नहीं बरती। अतः इनके ऋणों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही। कुछ जागीरदारों ने कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया। अतः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ जागीरदार व्यावसायिक कार्यों में भी सफल हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में ठीक हो गई लेकिन कुछ जागीरदारों का ऋण प्रसन्नता के कारण नैतिक व मानसिक दृष्टि से पतन हो गया। राज्य के कुछ क्षेत्रों में सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले जागीरदारों अथवा उनके दराजों का आज भी प्रभुत्व बना हुआ है। कुछ जागीरदारों ने राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया। अतः वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो गये। ऐसे अनेक व्यक्ति प्रामोक्ष्य क्षेत्रों में आज भी कृषकों का अनेक तरीकों से शोषण करते हैं। व्यापक सर्वेक्षण करके इनकी दोषपूर्ण क्रियाओं पर प्रभावशाली दण्ड से नियंत्रण स्थापित करना चाहिये। ऐसा करके ही कृषकों को पुरानी जागीरदारी व्यवस्था के चंगुल से पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है।

(4) भूमि का असंतोषजनक वितरण Unsatisfactory Distribution of land स्वतंत्रता के पूर्व जमींदार एव जागीरदार स्वयं को भूमि का मालिक मानते थे। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत कर्षतकारों को खातेदारी अधिकार मिल

गये। अतः वैधानिक दृष्टि से कर्षतकार भूमि के मालिक बन गये। जागीरदारों एव जमींदारों न इस नवीन व्यवस्था का अत्यधिक विरोध किया और इसके विरुद्ध उन्होंने न्यायालय में शरण ली। अतः लंबे समय तक भूमि सुधारों को कानूनी बाधाओं के कारण लागू नहीं किया जा सका। इस अवधि में जमींदारों व जागीरदारों ने अपनी अधिकारा भूमि बेच दी उपहार में दे दी अथवा अन्य तरीकों से भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। भूमि सुधार कानून लागू होने के पश्चात् भूमि उपजाऊ उन्होंने अपने पास रखी और शेष बचकर एव कृषि योग्य भूमि सरकार को प्राप्त हुई। इस प्रकार भूमि सुधारों के अतर्गत किये गये भू वितरण से विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ा। जमींदारों व जागीरदारों ने प्रत्येक स्थिति में लाभ उठाने का प्रयास किया। अतः भू वितरण से कर्षतकारों में असंतोष की भावना बढ़ गई। वर्तमान कानूनों के अतर्गत अन्य वर्गों व्यपारियों अधिकारियों राजनीतिज्ञों आदि को भी खुदक़ारत के लिए भूमि का अधिकार प्रदान करती है। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये और भू स्वामित्व का अधिकार वास्तविक कृषकों को ही दिया जाना चाहिये। वास्तविक कृषक से आशय उस व्यक्ति से होता है जो स्वयं खेत जोता है और प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य करता है। भूमि सुधार कानूनों के अतर्गत वितरित की गई भूमि का पुनः एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और विभिन्न अनिश्चितताओं एव समस्याओं का नियमों के अनुसार निवारण किया जाना चाहिये।

(5) क्रियाशील भूमि जोत (Operational Holding)- राजस्थान में कार्यशील जोतों का वितरण अत्यधिक असमान है। इस तथ्य की जानकारी निम्नलिखित तालिका से होती है

क्रियाशील भूमि जोत

विवरण	सीमान्त (1.5 हेक्टेयर से कम)	लघु (1 से 2 हेक्टेयर)	अर्द्ध मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)	मध्यम (4 से 10 हेक्टेयर)	बृहत् (10 हेक्टेयर से ऊपर)	योग (हेक्टेयर)
1980-81						
जोतों की संख्या (हजार में)	1317	877	917	884	489	4487
क्रियाशील क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	633	1270	2620	5524	5884	10932
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.48	1.45	2.86	6.24	20.18	4.44
1985-86						
जोतों की संख्या (हजार में)	1357	920	978	986	500	4742
क्रियाशील क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	641	1325	2791	6152	9679	20589
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.47	1.44	2.85	6.24	19.34	4.34
1990-91						
जोतों की संख्या (हजार में)	1517	1019	1067	1017	493	5107
क्रियाशील क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	725	1469	3021	6334	9422	20971
औसत आकार (हेक्टेयर में)	0.48	1.44	2.85	6.23	19.13	

तात्त्विक के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

- 1 राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण असमान है।
- 2 1980-81 से 1985-86 के मध्य 1 हेक्टेयर से कम की जोतों की संख्या में 3.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में क्रियाशील क्षेत्र में 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हो गई लेकिन जोतों के औसत आकार में 2.08 प्रतिशत की कमी हो गई। 1991 में क्रियाशील क्षेत्र में वृद्धि हुई।
- 3 1-2, 2-4 व 4-10 हेक्टेयर तक की जोतों की संख्या व कार्यशील क्षेत्रफल में वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार नहीं बढ़ा।
- 4 10 हेक्टेयर से अधिक की जोतों की संख्या लगभग स्थिर रही लेकिन क्रियाशील क्षेत्र तथा औसत आकार में कमी हुई।
- 5 1980-81 व 1990-91 के मध्य जोतों की संख्या व क्रियाशील क्षेत्र में प्रायः वृद्धि हुई लेकिन जोतों का औसत आकार कम हो गया।
- 6 फसल बटाई प्रथा द्वारा शोषण (Exploitation by Crop Sharing System) - राजस्थान में पर्याप्त भूमि सुधारों की व्यापक व्यवस्था के परचाम भी फसल बटाई प्रथा राज्य के प्रायः सभी भागों में आज भी जारी है। राज्य सरकार ने समय-समय पर इस संबंध में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये हैं। इन स्पष्टीकरणों से ज्ञात होता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों (जैसे भू-स्वामी का बीमार होना तथा कारखाने द्वारा अन्य कारखाने से भूमि सवधी उपकरण व कच्चे माल प्राप्त करना आदि) के कारण फसल बटाई प्रथा पर रोक लगाना सदैव संभव नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण से भी ज्ञात होता है कि राज्य में फसल बटाई प्रथा जारी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बटाईदार प्रायः कुल उपज का 50 प्रतिशत लगान के रूप में देता है अतः शोषण की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए फसल बटाई प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है। भूमिहीन दल से लगान वसूली पर कड़ी मजबूती की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे भूमिहीन कृषकों की रक्षा की जा सकती है।
7. बेनामी हस्तांतरण (Fictitious Transfers) - भूमि के समुचित वितरण हेतु सीलिंग कानून लागू किया गया लेकिन इस कानून की राज्य में अत्यधिक अवहेलना हुई। सीलिंग व्यवस्था लागू होने के पूर्व ही जमींदारों, जागीरदारों व बड़े भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का बेनामी हस्तांतरण कर दिया। यह कार्य व्यापक पैमाने पर किया गया था। अतः राज्य सरकार को तुलनात्मक रूप से कम भूमि प्राप्त हुई।

वास्तव में सरकार को बचर एव कृषि के अयोग्य भूमि ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। भू-स्वामियों द्वारा ऐसी भूमि का मुआवजा उपबाऊ भूमि के बराबर प्राप्त कर लिया गया था। इससे भू-स्वामी लाभ में रह लेते हैं सरकार पर इसका अनावश्यक भार बढ़ गया। 3 नवम्बर 1969 को अनुपगढ़ में भूमि की नीलामी के द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से वृद्धि करना चाहती थी लेकिन कृषकों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थितियों के कारण भूमि के वितरण में अनेक समस्याएँ उदित हुईं। इस कार्य में अनेक अनियमितताएँ भी बरती गईं। इससे कारखानों की अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त हुआ। इन्हीं समस्याओं, बाधाओं व अनियमितताओं के कारण राज्य की कार्यशील जोतों में आज भी अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। सीलिंग नियमों में आवश्यक सुधार एव संशोधनों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

8 भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड उपलब्ध न होना (Non-Availability of New Land Records) - राज्य में भूमि के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था अत्यधिक प्राचीन एवं दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था में भूमि सवधी नवीनतम तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार में हर रिकॉर्ड की एक लघु, नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ विधि को अपनाया चाहिये, ताकि आवश्यक तथ्यों की कमी भी जानकारी प्राप्त की जा सके।

9 प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव (Lack of Effective Implementation) - राजस्थान में भूमि सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहेगी। वास्तव में भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न कानूनों को प्रभावशाली ढंग में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका एक कारण सरकारी नियमों को ज्यादातर में चुनौती देना भी रहा है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार सवधी विभिन्न कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कुछ अधिनियमों में अपूर्णता भी है। इन अपूर्णताओं का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया और कानून से बचने हेतु उपाय अनायास गये। भूमि सुधार कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए इन्हें अदालतों में चुनौती देने के अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिये। भूमि सुधार कानूनों को अविलम्ब लागू किया जाना चाहिये। राज्य प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिये। कर्मचारियों को पर्यप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण लगाया चाहिये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955

भारतीय किसान सदियों से अज्ञान व अधविश्वास से ग्रसित रहा है। उसका दृष्टिकोण भी सदैव भाग्यवादी रहा है। अपने मालिक के आदेश को उसने कानून के रूप में स्वीकार किया और शोषण का शिकार होता रहा। समय के परिवर्तन के साथ-साथ उसे अपने अधिकार का ज्ञान हुआ और 'जो बोये उसकी जमीन' का नारा लोकप्रिय होने लगा। इस कारण से कानून बदलने लगे। 'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' उन्हीं में से एक है। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि भूमि से संबंधित कानूनों को एक जगह एकत्रित करना तथा उनमें सशोधन करना रहा है। यह अधिनियम 15 अक्टूबर, 1955 से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत भूमि सुधारों के सबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं -

प्रमुख परिभाषाएँ :

- 1 इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी गई हैं। 'कृषि' के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी, मुर्गापालन और उद्यान कार्य को सम्मिलित किया गया। 'कृषि वर्ष' 1 जुलाई से 30 जून तक माना गया। 'कृषक' अथवा 'काश्तकार' से आशय ऐसे व्यक्ति से लिया गया जो मुख्यतः कृषि में अपना व आश्रितो का जीवन निर्वाह करता है। 'बिस्वेदार' ऐसे व्यक्ति को माना गया जिसे कोई गांव या उसका भाग बिस्वेदारी प्रथा के अनुसार दिया गया हो। भूमि के सदस्यों में 'सुधार' का अभिप्राय भूमि क्षेत्र में रहने के लिए बनाये गये मकान तथा पशुओं के बाड़ा, भण्डारगृह या कृषि कार्यों के लिए किये गये निर्माण से है। 'सुधार' से आशय ऐसे कार्य से भी लिया गया जिसे करने पर उसे भूमि के मूल्य में वृद्धि हो। इसमें बाघ तालाब व कुओं आदि का निर्माण, भूमि को समतल करना, बाड़ बनाना आदि कार्य सम्मिलित हैं। 'जागीरदार' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जागीर कानून के अंतर्गत जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त हो और 'जागीर भूमि' एसी भूमि कहायगी जिसमें जागीरदार को भू-राजस्व या अन्य राजस्व के विषय में अधिकार प्राप्त हो। 'खुदकाश्त' से आशय भू मरहदारी द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि से है।
- 2 इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में किसानों को खानेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

3 अधिनियम के अनुसार कृषकों को तीन भागों में विभक्त किया गया- खानेदार काश्तकार, खुदकाश्त के लिए काश्तकार एव गैर खानेदार काश्तकार।

4 काश्तकारों को रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया।

5 भू-स्वामियों से लीज पर भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई।

6 बेगार व नजमे पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

7 खानेदार काश्तकार को अपनी भूमि को भूमि बंधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

8 काश्तकार को उसकी भूमि को भूमि बंधक बैंक तथा सहकारी समिति के पास गिरवी रखने का अधिकार दिया गया।

9 अधिनियम के अनुसार खानेदार काश्तकार पांच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराये पर दे सकते हैं।

10 लगान का भुगतान नकद रूप में करने की व्यवस्था की गई। लगान की राशि कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिये। लगान का भुगतान नहीं करने पर काश्तकार को भूमि से बेदखल करने की व्यवस्था की गई।

राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 को संपूर्ण राजस्थान में 15 अक्टूबर, 1955 से लागू कर दिया गया। लेकिन उसके पश्चात् इस अधिनियम में तत्कालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक संशोधन भी किये गये।

अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

यह अधिनियम राजस्थान के काश्तकारी कानूनों में समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इसने राज्य के काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि संपूर्ण राज्य में एक साथ ही अनेक काश्तकारों को खानेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस व्यवस्था से राज्य के काश्तकार भूमि के मालिक बन गये। काश्तकारी अधिनियम, 1955 ने राज्य के काश्तकारों को अनेक अनुचित व्यवहारों से भी रक्षा की। अब भू-म्यामी काश्तकार को भूमि से बेदखल नहीं कर सकता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 आर्थिक क्षेत्र का अर्थ बताइए।
Define economic holding
- 2 भू-खोज की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different concept of land holding
- 3 भूमि-सुधार से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by land reforms?
- 4 राजस्थान में भू-दातों पर सीमा निर्धारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on the fixation of land ceiling in Rajasthan
- 5 राज्य में भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण बताइए।
Explain the causes for the slow progress of land reforms in Rajasthan

B निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में भूमि सुधारों के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। इस दिशा में राज्य को कहीं तक सफलता मिली है? समझाइए।
Explain various efforts made for Land Reforms in Rajasthan. How far the State succeeded in this direction? Discuss
- 2 "राजस्थान कृषकरी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" समीक्षा कीजिए।
"Rajasthan Tenancy Act, 1955 is the important step in the direction of land reforms in the state". Comment.
- 3 भूमि सुधार उपायों से आप क्या समझते हैं? स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान में भूमि सुधार नीति की आलोचना कीजिए।
What do you mean by Land Reforms? Give a critical account of the land reforms programme in Rajasthan after independence.

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)


- 1 जागीरदारी उन्मूलन, राजस्थान कृषकरी अधिनियम तथा भू-दातों पर सीमा निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए।
Write short notes on the following - Abolition of Jagirdary, Rajasthan Tenancy Act, Ceiling on land
- 2 स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में किए गए भूमि सुधारों उपायों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
Explain the basically the measures adopted for land reforms in Rajasthan after independence
- 3 निर्माण-आधार पर लक्षित टिप्पणीय लिखिए
(i) ग्राम आधार योजना (ii) गोपाल योजना
Write short note on the following
(i) Village base programme (ii) Gopal Yozana
- 4 कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति की विवेचना कीजिए।
Examine the position of Rajasthan in respect of agriculture holdings
- 5 राजस्थान में भूमि सुधारों की समस्या और उनके हल करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।
Explain the problem of land reforms in Rajasthan and the measures adopted to solve these problems



अध्याय - 10

राजस्थान में पशु-पालन

ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN



“राजस्थान का उल्लेख प्रागैतिहासिक समय से मिलता है। ईसा पूर्व 3000 और 1000 के बीच के समय में यहाँ की सस्कृति सिन्धु घाटी सभ्यता जैसी थी।”

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशु गणना 1997
- राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण
- राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु
- राजस्थान में पशुपालन के विकास से सम्बंधित विभिन्न योजनाएँ कार्यक्रम व सुविधाएँ
- योजनाकाल में पशु पालन का विकास
- राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु सम्पदा का महत्व
- राजस्थान में कुक्कुट पालन
- राजस्थान में मत्स्य पालन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

“भारत में बिना पशुओं के खेत जाते व बोए बिना पड़े रहते हैं खलिहान खानान के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखनायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी दूध आदि पौष्टिक पदार्थ भी मिलना कठिन हो जाता है। डार्लिंग की इन पंक्तियों से पशुपालन का महत्व स्पष्ट होता है। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। पशुधन से नालस्य उन सभी पशुओं में लगाया जाता है जिनसे मनुष्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ वस्तुएँ प्राप्त करता है। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार के पशुओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। राजस्थान में पशुपालन एक जीवनशैली बन गया है अतः पशुधन के सर्वांगीण विकास एवं विस्तार के लिए प्रयास करना एक अनिवार्यता हो गयी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी कहा गया है “पशुधन का विकास कृषि की सर्वांगीण प्रगति का एक आवश्यक अंग है। कृषि का पशुपालन के साथ उचित सामन्तम्य अत्यन्त आवश्यक है।” रोजगार पतिवहन अवसर कृषि कार्य पौष्टिक पदार्थों की उपलब्धता आदि के मदद में पशुपालन राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान में पशुओं की संख्या व पशुगणना, 1997 LIVESTOCK IN RAJASTHAN & LIVESTOCK CENSUS, 1997

राजस्थान में पशुओं की संख्या में 1951 से 1983 तक निरंतर वृद्धि हुई है। 1988 की पशुगणना

से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या 87 लाख के लगभग कम हुई लेकिन 1992 में लगभग 69 लाख की वृद्धि हुई। 1997 में पशुओं की संख्या लगभग 66 लाख बढ़ी। निम्न तालिका से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है

राजस्थान में पशुओं की संख्या								
संख्या (लाख में) और कुल पशु संख्या का प्रतिशत (कोष्ठक में)								
पशु	1951	1961	1972	1977	1983	1988	1992	1997
गाय	107.87 (42.26)	131.35 (39.20)	124.70 (32.07)	128.96 (31.18)	135.04 (27.20)	109.16 (26.69)	115.95 (24.27)	121.58 (22.37)
भैंस	30.45 (11.93)	40.19 (11.99)	45.93 (11.81)	50.72 (12.26)	60.43 (12.17)	63.40 (15.50)	77.46 (16.21)	97.56 (17.95)
भेड़	53.67 (21.11)	73.61 (21.97)	85.56 (22.01)	9.38 (24.03)	134.31 (27.05)	99.13 (24.24)	121.68 (25.47)	143.12 (26.33)
गर्जरी	55.62 (21.80)	80.52 (24.03)	121.62 (31.25)	123.07 (29.76)	154.80 (31.18)	125.93 (30.79)	150.62 (34.52)	169.35 (31.16)
ऊट	3.41 (1.34)	5.70 (1.70)	7.45 (1.92)	7.52 (1.82)	7.56 (1.52)	7.21 (1.76)	7.30 (1.52)	6.68 (1.22)
अन्य	3.99 (1.56)	3.71 (1.11)	3.53 (0.90)	3.94 (0.95)	4.36 (0.88)	4.18 (1.02)	4.74 (1.01)	5.45 (0.97)
कुल	255.21 (100.00)	335.09 (100.00)	388.78 (100.00)	413.59 (100.00)	496.50 (100.00)	409.01 (100.00)	477.73 (100.00)	543.48 (100.00)

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan Livestock Census, 1987 & Various Statistical Abstracts of Raj.

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि -

(1) गाय व बैलों की संख्या में 1951 से निरंतर उतार-चढ़ाव होता रहा है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर इनकी संख्या 1983 की तुलना में 26 लाख कम हुई है। 1951 में कुल पशुओं में इनका अनुपात 42.26 प्रतिशत था जो 1988 में घटकर 26.69 और 1992 में 24.27 और 1997 में 22.37 प्रतिशत रह गया।

(2) भैंसों (नर व मादा) की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1951 की तुलना में इनकी संख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है जबकि इसी अवधि में गाय व बैलों की संख्या लगभग समान रही है। पशुओं का कुल संख्या में भैंसों का अनुपात 1951 में 11.93 प्रतिशत था जो 1988 में 15.50 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(3) भेड़ों का संख्या में 1951 से 1983 तक निरंतर वृद्धि हुई है किन्तु 1988 की पशुगणना के आधार पर 1983 की अपेक्षा लगभग 35 लाख भेड़ें कम रहीं। कुल पशुओं में भेड़ों का अनुपात लगभग स्थिर रहा है। 1951 में यह 21.11 प्रतिशत था जो 1988 में बढ़कर 24.24 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में भी भेड़ों की संख्या में लगभग 22 लाख की वृद्धि हुई।

(4) भेड़ों की भांति बकरियों की संख्या भी 1951 से 1983 तक निरंतर बढ़ी किन्तु 1988 में इसमें लगभग 29 लाख की कमी अधिक की गई। पशु-सम्पदा में बकरियों की संख्या का अनुपात 1951 के 21.80 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 30.79 प्रतिशत हो गया। 1992 में बकरियों की संख्या में लगभग 25 लाख और 1997 में लगभग 19 लाख बढ़ोतरी हुई।

(5) ऊँटों की संख्या 1951 से 1972 तक निरंतर बढ़ी किन्तु उसके पश्चात् 1992 तक वह लगभग स्थिर बनी हुई है। कुल पशु-संख्या में इनका योगदान 1951 में 1.34 प्रतिशत था जो 1988 में 1.76 प्रतिशत हो गया। 1992 व 1997 में घट कर यह क्रमशः 1.52% व 1.22% रह गया।

(6) राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या 1951 में 255.21 लाख थी जो निरंतर बढ़ते हुए 1983 तक 496.50 लाख हो गई। 1988 में यह आंकड़ा केवल 409.01 लाख रह गई। 1992 में पशुओं की संख्या बढ़कर 477.73 लाख हो गई। 1997 में यह संख्या 543.48 लाख थी।

(7) 1997 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या का 55.49 प्रतिशत से अधिक भेड़ व बकरियों का है।

राजस्थान में पशुधन का जिलानुसार वितरण

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF LIVE STOCK IN RAJASTHAN

राजस्थान की पशु सम्पदा का जिलानुसार वितरण एक समान नहीं है और न ही सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के पशुओं का एकसा महत्व है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को अधिक महत्व देते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पशुओं का जिलानुसार मक्षिण विवरण निम्नानुसार है

पैसों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
जयपुर	77
अलवर	76
भरतपुर	52

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

2. गाय (Cattle) - राजस्थान में गाय की मुख्य नस्लें साहीवाल, लालसिंधी, गिर, धारपरकर, मेवाणी, नागौरी, मालवी आदि हैं। राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में धारपरकर नस्ल बहुनायत से पाई जाती है तो जोधपुर क्षेत्र की ओर नागौरी गाय अधिक मिलती है। मालवा के पठारी क्षेत्र में मालवी और राजस्थान को अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में मेवाणी नस्ल अधिक पाई जाती है। राजस्थान में गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन तो है ही साथ में कृषि कार्यों के लिए बैलों का प्रयोग करना भी है। राजस्थान में धीरे-धीरे देशी नस्लों के साथ-साथ विदेशी नस्लें भी धनपने लगी हैं। गौ-पालन की दृष्टि में भीतवाड, उदयपुर, चित्तौडगढ़, जोधपुर, नागौर आदि प्रमुख हैं। विदेशी नस्लों में हॉलस्टीन व जर्सी प्रमुख हैं।

गायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
उदयपुर	97
भीतवाडा	69
चित्तौडगढ़	75

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

- 1997 की पशुगणना के आधार पर बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु हैं। दूमरा व तीसरा स्थान क्रमशः नागौर व भीतवाडा जिलों का है। राजस्थान में सबसे कम पशु धौलपुर जिले में हैं।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक गाय-बैल उदयपुर जिले में हैं। दूमरा व तीसरा स्थान क्रमशः कोटा एवं भीतवाडा एवं चित्तौडगढ़ जिलों का है। इनकी सबसे कम संख्या धौलपुर जिले में है।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भैंसे जयपुर जिले में एवं सबसे कम जैसलमेर जिले में हैं।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक भेड़ें जोधपुर जिले में तथा सबसे कम भीतपुर जिले में हैं।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान की सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर जिले में हैं एवं सबसे कम धौलपुर जिले में हैं।
- 1997 की पशुगणना के आधार पर राजस्थान के सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर जिले में एवं सबसे कम धौलपुर जिले में हैं।

स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997

राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु

IMPORTANT ANIMALS IN RAJASTHAN

1 भैंस (Buffalo) - राजस्थान में दूध प्राप्ति के लिए भैंसे बहुतायत में पाली जाती हैं। राजस्थान में जो भैंस पाली जाती हैं उनकी मुख्यतः चार नस्लें हैं - मुर्रा, जाफरावादी, नागपुरी और बदावरी। इनमें से मुर्रा एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह नस्ल दूध की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है और लगभग सार उत्तरी भारत में बहुतायत में देखी जा सकती है। जाफरावादी नस्ल, काठियावाड और जाफरावाड में सर्वाधिक होने के कारण जाफरावादी कहलाती है। इस भा दूध के लिए पाला जाता है। नागपुरी नस्ल और बदावरी नस्ल भी दूध के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

राजस्थान में गौ वरा की प्रमुख नस्लें (Main Breeds of Cattles) निम्नलिखित हैं -

नागौरी (Nagauri) - मुख्यतः नागौर जिले में प्राप्त होने वाले गाय व बैल, इसी जिले में वरा उत्पत्ति के कारण 'नागौरी नस्ल' के नाम से प्रसिद्ध है। इनका रंग सफेद या भूरा होता है। ये लंबे मुह तथा पतली लेकिन मजबूत टांगों वाले होते हैं। नागौरी बैल दौड़ने में तेज और कृषि कार्यों में उतम क्षमता एवं मजबूती वाला है। इसके अद्वितीय गुणों तथा कार्यक्षमता के कारण इनकी मांग संपूर्ण देश में सर्वाधिक है लेकिन इन नस्ल की गायें अपेक्षाकृत कम दूध देती हैं। नागौरी नस्ल जोधपुर जिले के पूर्वी भाग, शेवापेर जिले की नोखा तहसील तथा जयपुर के निकट रूपनगढ़ तक फैली हुई है।

काकरेज (Kankrej) - यह नस्ल भारतवन व माघ की दुग्ध-उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस नस्ल के बैल अधिक योद्धा होने, बटोर भूमि को जोतने तथा तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध हैं। गाय सामान्यतः 5 से 10 किलोग्राम दूध

प्रतिदिन देता है। इनके योग मजबूत तथा काफी ऊँचाई तक खाल में दूध दूँये होते हैं। भारत के केन्द्रीय तथा पश्चिमी भागों में यह नस्ल मुख्यतः जालौर वाडमेर सिरोही तथा पाली जिलों में मिलती है।

थारपारकर (Tharparakar) - इस नस्ल के बैल भारवहन क अधिक उपयुक्त नहीं हैं। बैला की तुलना में गायों की बहुत मातृ रहती है। क्योंकि वे अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। यह नस्ल पश्चिमी शुष्क प्रदेश विशेषतः पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर वाडमेर तथा नाचौर (जालौर) में ही मुख्यतः पाई जाती है। जैसलमेर का मालाणो गाव इसका मूल उत्पत्ति स्थल होने के कारण यह नस्ल मालाणो नस्ल भी कहलाती है। इस नस्ल क मवेशी अपने प्रदेश के प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसरण शुष्क वनस्पति पर निर्भर करते हैं।

साचौरी (Sanchoi) - वाकरेज नस्ल में मिलती-जुलती साचौरी नस्ल की गाय, बैल की तुलना में अधिक प्रसिद्ध है परन्तु यह दूध कम देती है। यह नस्ल मुख्यतः जालौर जिले की साचौर तामील और उदयपुर पाली तथा सिरोही जिलों में मिलती है।

राठी (Rathi) - इस नस्ल के पशु श्रीगाणगर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसलमेर जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग और बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग में बहुतायत में हैं। राठी बैल कम भार ढ़ा पाने हैं लेकिन राठी गाय आहार कम लेने तथा अधिक दूध देने के कारण अत्यन्त उपयोगी हैं। यह नस्ल साहिवाल और लायनिधो नस्लों की मिश्रित जाति है।

हरियाणा (Haryana) - इस नस्ल के पशुओं का गठन आकर्षक होता है। बैल परिश्रमा होने क कारण भिचार्ड, जुगाई तथा भारवहन के लिए उपयुक्त है। गाय भी औसत से अधिक दूध देती है। श्रीगाणगर चुरू सीकर जयपुर टाक तथा नासिर जिलों में हरियाणा नस्ल के पशु अधिक हैं।

मालवी (Malvi) इस नस्ल क गाय व बैल मध्यम परत नस्ल नस्ल और मजबूत वन नस्ल है अतः यह मजबूत भारवहन नस्ल के रूप में धरत व बुवाई और तथा वन क लिए उपयोगी नस्ल उपयुक्त है। इस नस्ल की उत्पत्ति मालवा प्रदेश नस्ल के मालवी मध्यप्रदेश से कायम है। जिलों में पाई जाती है। इनका जन्म इण्डिया ग्रामवाडा तथा गिलोडगट जिले मानजरा का-बैल के लिए प्रसिद्ध है।

गीर (Gir) - इस या अजमेर नामों से पुकारी जान वाली नस्ल अजमेर भातवाडा पाली कंठा तथा उदयपुर

जिलों में पाई जाती है। मूलतः यह गुजरात के गिर वन में पायी जाने वाली जाति है। इस नस्ल के बैल सुदृढ़ हैं परन्तु धीरे-धीरे काम करते हैं। गायें अधिक दुधारू हैं और प्रतिदिन 5 से 9 किलोग्राम तक दूध देती हैं।

मेवाती (Mewati) - इस नस्ल के बैल परिश्रमी होने हैं और गायें भी दुधारू होती हैं। मेवाती जाति के पशु मुख्यतः भरतपुर और अलवर जिलों में मिलते हैं।

3 भेड़ (Sheep) - राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण लोग कृषि की भांति पशुपालन पर भी निर्भर हैं और इसमें भेड़पालन का एक विशेष स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में तो भेड़पालन आजीविका का प्रमुख अंग है। राजस्थान में उपलब्ध भेड़ों की आठ मुख्य नस्लें हैं चौकला, मगरा, पूगल, नाली, मारवाडी, जैसलमेर, मालपुरी एवं सोनाडी। चौकला नस्ल मुख्य रूप से चुरू, डुडुन व सीकर जिलों में तथा बीकानेर जयपुर एवं नागौर जिलों का सीमाओं पर पाई जाती है। मगर नस्ल बीकानेर जिले में तथा नागौर एवं जैसलमेर जिलों की सीमाओं में पाई जाती है। पूगल नस्ल बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग पूगल क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र एवं जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग में मिलती है। नाली नस्ल राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भागों में पाई जाती है। मारवाडी नस्ल वाडमेर जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाडा अजमेर, जयपुर एवं नागौर जिलों में देखी जा सकती है। जैसलमेरी नस्ल जैसलमेर जिला तथा जोधपुर एवं वाडमेर की पश्चिमी सीमाओं पर बहुतायत में मिलती है। मालपुरा नस्ल जयपुर, टाक मवाईमाधपुर आदि जिलों में तथा इनके साथ लगते अजमेर, भीलवाडा एवं बूटी जिलों की सीमाओं पर मिलती है। सोनाडी नस्ल उदयपुर खण्ड में पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ मुख्यतः उन एवं माम उत्पादन के लिए पाली जाती है।

भेड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)		
जिला	बछ्वा (लक्ष)	/
जयपुर	156	
वाडमेर	151	
पाली	130	
Source: Board of Revenue, Livestock Census 1997		

4 बकरी (Goats) - राजस्थान में बकरीपालन मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में ही प्रचलित है। बकरों का दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। बकरों का दूध एक लक्ष्य बना कर पकाया जाता है। राजस्थान में बकरों का प्रमुख नस्ल पड़ जाती है उनमें चतुर्भुजा व नरगा नस्ल प्रमुख हैं। राजस्थान में सभी जिलों में ये बर्डा बना में पाई जाती हैं।

बकरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	186
जोधपुर	129
नागौर	108
स्रोत Board of Revenue, Livestock Census 1997	

5 ऊँट (Camel) - राजस्थान में ऊँट मुख्यतः आवागमन में सुविधा की दृष्टि से पाला जाता है, साथ ही इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी बढ़तायत स किया जाता है। मरुजर्ज देश में ऊँटों की संख्या की दृष्टि में राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट है।

राजस्थान में जैसलमेर व निकट स्थित नाथना नामक स्थान का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस क्षेत्र का ऊँट मुन्दर व लंबे समय तक तंत्र डौलन वाला होता है। यही कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में मवेशी के लिए इम नम्ल के ऊँट का अधिक प्रयोग किया जाता है। फलौदी के पाम गोमट नामक स्थान का ऊँट भी मवेशी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त कैरू, बाल व गुडा आदि स्थानों के ऊँट भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। जाधपुरी, बीकानेरी व जैमलमेरी ऊँट अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन ऊँटों का प्रयोग मुख्यतः बोझा देने के लिए किया जाता है।

ऊँट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
बाड़मेर	11
जोधपुर	07
बीकानेर	06
स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997	

6 कुक्कुट (Poultry) - राजस्थान में मुर्गीपालन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषकों को खेती समय में गेजगाय प्रदान करने का यह एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इस व्यवसाय ने शहरी क्षेत्र व लोगों का भी अपनी आर आकर्षित किया है। मुर्गीपालन का मुख्य उद्देश्य अण्डा व मांस उत्पादन है। राजस्थान में अजमेर जिला अपनी जलवायु की उपयुक्तता के कारण मुर्गीपालन में प्रथम स्थान पर है।

कुक्कुट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)	
जिला	संख्या (लाख)
अजमेर	149
उदयपुर	43
बांसगढ़	42
स्रोत Board of Revenue Livestock Census 1997	

राजस्थान में पशुपालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम व सुविधायें

VARIOUS PLANS, PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

1 एकीकृत पशुधन विकास योजना (Integrated Live stock Development Project) - आठवीं पंचवर्षीय योजना से यह योजना जयपुर एवं बीकानेर सभाग में लागू की जा रही है। इस योजना का अंतर्गत गोपाल योजना को तरह पशुधन के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृषि मर्गाधान, बेकार पशुओं का बहिष्कारण एवं अधिक नार के लिए उन्ना चारा बीजों का वितरण सम्मिलित है। इस योजना में पशुओं का सुसुलित आहार पर बल दिया जायेगा। अब तक जो विभिन्न योजनाएँ कार्यरत थी वे प्रायः पशु स्वास्थ्य का ही अधिक महत्व देती थी किन्तु यह योजना पशुओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

इस योजना का अंतर्गत प्रत्येक 2000 प्रजनन योग्य पशुओं पर सचन रूप से नम्ल सुधार का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण प्रदान किये जायेंगे। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के सम्बन्धित प्रयासों में यह एकीकृत पशु विकास योजना निर्मित कर क्रियान्वित की जा रही है। डेयरी फैडरेशन इस योजना के अधीन अपनी मुगनी डेयरी महवागी समितियाँ का गठन करेगा और कुछ नई डेयरी महवागी समितियाँ का गठन करेगा। डेयरी द्वारा गोपाल योजना की भाँति प्रजनन योग्य पशुओं को कृषि मर्गाधान सुविधा उपलब्ध करायेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यतः डेयरी एवं पशुपालन विभाग को साझादारी में क्रियान्वित होगा।

2 देशी गौ नम्ल सुधार परियोजना (Indigenous Breed Development Project)

राजस्थान के प्रमुख गौ वंश में नागौर कास्युज शागावकर, गार गटा आदि सुविख्यात नम्ल हैं। ये वंश मुख्यतः राजस्थान व पड़ोसी राज्यों में वितरित हैं। यद्यपि पशुपालकों का जीवन सामान्यतः इन्हीं पर निर्भर है इमनिय पशुपालन विभाग में देशी गौ नम्ल सुधार परियोजना बनायी है। इस योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ नम्ल व गाँडा के माध्यम में नम्ल सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम का जिन गाँव में अपनाया जायेगा उन्हीं गाँव के शिक्षित प्रामाण युवक का चयन करके, उन्हीं कृषि मर्गाधान एवं बहिष्कारण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। चयनित प्राणी

युवक को 2000 प्रजनन योग्य पशुओं में यह सुविधा प्रदान करनी होगी। इस योजना के तहत बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर और अजमेर जिलों में गौ-वश का विकास कार्य हथ में लिया जायेगा।

3 ग्राम आधार योजना (Village Based Project) - ग्राम आधार योजना राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पशुपालन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाना है। ग्राम आधार योजना एक सघन योजना है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच बातों को सम्मिलित किया गया है -

a प्रजनन (Breeding) - उन्नत नस्ल के पशु विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन को मुख्य आधार बनाया गया है। इससे नस्ल सुधारने के साथ-साथ उत्पादन भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार का प्रयास 1966-67 से ही किया जा रहा है। आरंभ में यह राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही लागू किया गया था किंतु बाद में पूरे राजस्थान को इसके अन्तर्गत ले लिया गया। राजस्थान में प्रजनन कार्यक्रम को भली-भांति चलाने के लिये 1984 में एक प्रजनन नीति अनुमोदित की गई। यदि कोई अन्य मस्या इस प्रकार का प्रजनन कार्य करती है तो उसे भी इस नीति के अनुरूप कार्य करना होगा। राज्य में पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास करने के लिए उन्नत नस्ल के नर पशु उपलब्ध कराये गये। दूधिये गर्भाधान की सुविधा भी प्रदान की गई। 1956 से ही दूधिये गर्भाधान कार्यक्रम आरंभ हो गया था। इसके अंतर्गत अनेक कठिनाइयाँ थीं। इनको दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किये गये। इस प्रकार की चेष्टा को गई कि उन्नत नस्ल में किसी प्रकार की विकृति न आये अथवा वह बर्बाद न हो। 1979-80 से 1983-84 तक मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जिलों में दूधिये गर्भाधान के लिए 108 उपकेंद्रों की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 1983-84 से भारत सरकार के अनुदान द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत दासवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ बूंदी, कोटा झालवाड़ राजसमन्द उदयपुर नागौर आदि जिलों में दूधिये गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयास के बतमान में एक लाख से भी ज्यादा दूधिये गर्भाधान प्रतिवर्ष किये जा रहे हैं।

b सन्तुलित पशु आहार व्यवस्था एवं चारा उत्पादन (Balanced Diet & Fodder Production) - पशुओं में शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादन में प्रजनन क्षमता को बनाये रखने के लिए सन्तुलित आहार अत्यन्त आवश्यक है। सन्तुलित आहार का आराध पशु का आवश्यकतानुसार

प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल (खनिज) और विटामिन का नियमित रूप से व उचित मात्रा में मिलना है। सन् 1980-81 से ग्राम आधार योजना के अंतर्गत इसकी समस्त इकाइयों के माध्यम से बिना लाभ बिना हानि के आधार पर पशु आहार वितरित करने की व्यवस्था की गई। उन्नत किम्प का पौष्टिक चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा उत्पादन एवं संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम हथ में लिये गये। अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए राजस्थान में छ बीज गुणनखण्ड लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं जिनसे 300 क्विंटल से भी अधिक बीज प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। ग्राम आधार योजना की इकाइयाँ इस बीज का वितरण करती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रबी व खरीफ की फसलों के अनुसार पशुपालकों की भूमि पर उन्नत किम्प के बाग प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु नि शुल्क बीज वितरित किये जाते हैं जिससे फसलों के उत्पादन और उनकी उपयोगिता को पशुपालक स्वयं परख सकें और भविष्य में उच्च उत्पादन के लिए प्रेरित हो सकें। चारा उत्पादन अधिक से अधिक हो और उसकी उन्नत किम्पें लगाई जायें। इस उद्देश्य से भारत सरकार भी 1979-80 से 1/4 एकड़ क्षेत्र में निजी पशुपालकों के यहाँ प्रदर्शन चामन हेतु योगदान दे रही है। इसमें नि शुल्क बीज वितरण व तकनीकी जानकारी दी जाती है। प्रतिवर्ष इस प्रकार के लगभग 2500 मिनीकट लगाये जाते हैं। बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणित होने के पश्चात् ही वितरित किया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वृक्ष लगाने पर भी ध्यान दिया गया है जिससे पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए वन विभाग के अतिरिक्त पशुपालन विभाग भी वृक्ष एवं बीज नि शुल्क उपलब्ध करावा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग एक लाख वृक्ष प्रतिवर्ष लगाये जाते हैं।

c उचित प्रवन्ध व्यवस्था (Management) - उन्नत प्रजाति के पशुओं को स्वस्थ रखना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस हेतु सक्कमक रोगों के प्रकोप से बचाने के लिये पशुओं को समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टीके लगाये जाते हैं। ऐसी पशु जो बंकर हो गये हैं उनका बन्धनकरण कर दिया जाता है ताकि दूसरे पशुओं की नस्ल खराब न हो। प्रजनन योग्य पशुओं में से अनेक पशु रोगग्रस्त होने के कारण समय पर प्रजनन नहीं कर पाते। इस हेतु उन्हें चिकित्सा प्रदान कर प्रजनन योग्य बनाया जाता है। इस आशय से प्रत्येक ग्राम आधार योजना के अंतर्गत समय-समय पर शिविर आयोजित किये जाते हैं ताकि ग्रामीण पशुपालकों को उनके निवास के समीप ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

पशुओं का दिन प्रतिदिन का खोना खोनी बीमारियों का भा पूरा ध्यान रखने का प्रयत्न की जाता है। इन इकाइयों द्वारा लगभग एक लाख रुपये पशुधन का उपचार एवं चिकित्सा किया जाता है।

d समुचित विपणन व्यवस्था (Marketing) इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना था है। यह तभी मंजूर है जबकि पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह चेष्टा की जाती है कि दूध के बिना मध्यस्थों के राधा उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके। यह चेष्टा की जाती है कि दूध का विक्रय दुग्ध उत्पादक महकागे समितियों के माध्यम में हो। पशुओं का विक्रय के लिए पशु मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें क्रान्ति एवं विक्रेता भोद्ये मर्कट कर सकते हैं। यह क्रय-विक्रय उचित मूल्य पर मंजूर हो सके। अब अनेक ग्राम पंचायत व पंचायत समितियाँ भी इस प्रकार के मंत्रों का आयोजन करने लगी हैं। राज्य में 10 राज्यस्तरीय मेला व दार्जिले लाख पशु एकत्रित होते हैं। इन मेला में पशुपालकों को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये के क्रय विक्रय का लाभ मिलता है।

e शिक्षा एवं प्रसारण (Education & Extension)

पशुपालकों को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से परिचित रखने के लिए समय समय पर प्रदर्शनी शिविर एवं गांधिया आयोजित की जाती है। इनके अतिरिक्त आकाशवाणी से वार्ता हेण्डबिल आदि के माध्यम से जनवर्द्धन के प्रयास किये जाते हैं। दूरदर्शन व भी ग्राम आधार पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रसारित की जाती है। विभिन्न राज्य स्तरीय पशु मेलों के अवसर पर स्थानीय नस्लों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जो पशुपालकों का शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखिल राजस्थान गौर एवं सकर पशु प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। इस प्रतिवर्ष पुष्कर मेले के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस प्रदर्शनी में गौर वंश की उत्पत्ति उत्पादन शक्ति एवं नस्ल के मरक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। इस प्रदर्शनी के परिणामस्वरूप अग्रमर के गौर गौ वंश व दश आर विंश व चारप्रियता प्राप्त का है। बहुत ही गौर पशुओं का विदेश में विशेषकर बाजीन व भेजा गया जाता है। इनका सकर चाली इन्डो ब्राजिल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। सकर प्रजनन के प्रोत्साहन के लिए और अधिक प्रचार प्रसार के लिए सन् 1972 में अखिल राजस्थान स्तर की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताओं को गौर प्रदर्शनी के नाम से जोड़ा गया। इसका बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुआ और लोगों में सकर नस्ल के पशुओं के प्रति भ्रम दूर हुआ। सन् 1964-65 से ही अखिल भारतीय प्रदर्शनीया में गौर वंश के पशुपालकों व पशुओं का भजन का प्रयास

है। इससे पशुपालकों का अन्य राज्य में पशु विकास के प्रथम तकनीकी ज्ञान व अन्य नस्लों के पशुपालकों के विकास के आदान प्रदान का अवसर मिलता है। राजस्थान में अखिल भारतीय पशु प्रतियोगिता 1957 में नागौर में 1973 में जयपुर में तथा 1981 में भरतपुर में आयोजित की गई थी। उन्नत निम्न के पशुओं का प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध प्रतियोगिता व अपाजन भी किया जाता है एवं विभिन्न नस्लों के अनुभवा अधिकारियों दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं का पुग्धकृत किया जाता है। पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन संबंधी ज्ञान नवीनतम तकनीक की जानकारी उनके विकासों का ज्ञान व उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर शिविर एवं गांधी का आयोजन किया जाता है। ग्राम आधार योजना इकाइयाँ आयोजित की जाती है इस कार्यक्रम में संचालन अधिकारियों व कर्मचारियों को आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान करने के लिए 1963-64 में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र पर पशु चिकित्सा को एक माह व पशुधन महायक को 45 दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने पशुपालकों का विभिन्न मुक्तिपूर्ण प्रयत्न करने की चेष्टा की है। पशुओं की नस्ल एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि के साथ साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति का सुधरी ही है। ग्रामीण विकास का भी वन मिलता है।

4 गोपाल योजना (Gopal Yojna) राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवकों की भागादागी को महत्वपूर्ण और उपयोगी मानने एवं राज्य सरकार द्वारा यह योजना बनाई गई। उमर 17 वर्ष के गाय व गुराणों का उन्नत करने के लिए स्वयंसेवा मन्था एवं प्रामाण स्तर पर पशुपालकों का सहयोग किया जाता है। राज्य सरकार ने पशुधन के विकास एवं उमर के सुवर्द्धन के लिए 1989-90 में नक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में यह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत चयन समिति द्वारा स्थानीय जिलों के शिक्षित युवकों जिनकी आयु 20 व 25 वर्ष मध्य है को प्रशिक्षित करने पशुधन विज्ञान व भागीदार बनाया गया है। इनके अंतर्गत अनुभूति ज्ञान एवं अनुभूति जन ज्ञान युवकों का ज्ञान में परिचयना दी गई है।

a उद्देश्य (Object) योजना का उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य पशुधन के सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर को उन्नत करना है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि इस योजना व माध्यम में किसान अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करके आर्थिक रूप में अधिक मजबूत बन सकें। इस

लोगों को नस्त सुधार के लिए पर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः पशुपालन विभाग इम रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेषतः जैसलमेर, बाडमेर और बीकानेर जिले में पशुपालकों को नस्त सुधार के लिए उन्नत नस्त के साण्ड उपलब्ध कराता है।

6 सूअर विकास कार्यक्रम (Pig Development Project) - पशुपालन विभाग ने कमजोर आय वर्ग के परिवारों को उन्नत नस्त के विदेशी सूअर अनुदान पर उपलब्ध करने की योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ की है। अलवर एवं भरतपुर जिले में सूअर पालकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अलवर में एक सूअर विकास फार्म भी स्थापित किया गया है। इस फार्म में विदेशी नस्त के सफेद सूअरों का आधुनिक तरीके से पालन-पोषण करके उन्हें निजी सूअरपालकों को वितरित किया जाता है। राजस्थान में प्रयोग के तौर पर अलवर व भरतपुर में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 924 निर्धन परिवारों को बैक से ऋण अनुदान दिलाकर विदेशी नस्त की सूअर इकाइया वितरित की गई।

7 बकरी विकास परियोजना (Goat Development Project) - बकरीपालन से आर्थिक स्रोतों का विकास करना और बकरीपालक परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने स्विट्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना आरम्भ की है। अजमेर जिले के रामसर गांव में इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। स्विट्जरलैण्ड से अल्पाईन एवं टोगन किम्म की उन्नत नस्त को राजस्थान की सिराही नस्त से मिलाकर उन्नत बकरे-बकरियों का उत्पादन कर बकरीपालकों को दिया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में यह कार्यक्रम अजमेर भीलवाड़ा एवं मिराही जिलों में आरम्भ किया गया है।

8 अश्व विकास कार्यक्रम (Horse Development Project) - भारत में मालानी और काठियावाड़ी नस्त के घोड़े सर्वाधिक लावप्रिय हैं। इनमें से मालानी नस्त के घोड़े बाडमेर जिले की सिवाना तहसील में पाये जाते हैं। ये शारीरिक दृष्टि से सुडील व ताकतवर होते हैं। राजस्थान का पशुपालन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ घोड़ों का आधिक्य है अच्छी नस्त के घोड़े उपलब्ध कराने की ध्वां कर रहा है ताकि उन्नत नस्त के ह्यम को रोक जा सक। विभाग द्वारा इस सदर्थ में विभिन्न पशु चिकित्सालयों में सुविधाय प्रदान का जा रही है अभी तक उदयपुर पॉलिक्लिनिक तथा झानाबाड जालौर तथा पाली स्थित

पशु चिकित्सालयों को मालानी नस्त के घोड़े उपलब्ध कराये गये हैं। यहाँ सुविधा गुडामालानी (बाडमेर), जयपुर पॉलिक्लिनिक, बिलाड (जोधपुर) तथा बाली (पाली) पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई है। इनसे संबंधित रोगों के उन्मूलन और स्वास्थ्य के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

9 ऊँट विकास कार्यक्रम (Camel Development Project) - भारत के कुल ऊँटों का 70 प्रतिशत राजस्थान में है। यहाँ ऊँटों की दो मुख्य नस्ले हैं जैसलमेरी और बीकानेरी। बीकानेरी नस्त के ऊँट भार वहन करने की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं और जैसलमेरी ऊँट तेज रफ्तार के लिये विख्यात है। ऊँटों में आमतौर पर रोग कम होते हैं। इनमें मुख्यतः सर्वा रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने सर्वा नियंत्रण इकाइया स्थापित की है। इस मदर्थ में पशुपालकों को भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। ऊँटों का प्रजनन कार्य शीत ऋतु में नवम्बर से फरवरी तक होता है। ऊँटों की उन्नत नस्त को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बीकानेर के समीप जोहड बोड में ऊँट प्रजनन कार्य संचालित किया जा रहा है।

10 खाद्य एवं चारा विकास योजना (Food & Fodder Development Project) - नस्त सुधार के साथ साथ पौष्टिक आहार पर भी विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुये पशुपालन विभाग द्वारा 1959 से खाद्य एवं चारा विकास योजना चलायी जा रही है। इस योजना के द्वारा पशुओं के लिए पौष्टिक एवं सतुलित आहार और चारा उत्पादन की नवीनतम तथा उपयोगी जानकारी पशुपालकों को दी जाती है। माग के अनुसार उन्नत किम्म के प्रमाणित चारा बीज खरीद कर खरीद भुक्त पर ही उपलब्ध करने की व्यवस्था है। राजस्थान में उन्नत चारे के बीजों की कमी की पूर्ति के लिए 1990-91 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक बृहद् चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना ग्राम मोहनगढ (जैसलमेर) में की गई है और 100 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गई है। पशु प्रजनन केन्द्रों एवं गौशालाओं के माध्यम से उन्नत चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। चारा प्रदर्शन योजना के अंतर्गत मिनिक्विट्स भारत सरकार तथा क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र मूरतगढ से भी प्राप्त होते हैं। इनसे प्राप्त बीज पशुपालकों को निःशुल्क वितरित किये जाते हैं अच्छे उपलब्ध चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन उपचारित करने के प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

व्यवस्था की है। पशुपालन विभाग में कार्य कर रहे पशु चिकित्सकों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अल्पकालीन मुख्यालय पर एक कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को आधुनिकतम उपकरणों में सुसज्जित मोबाइल वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजनाकाल में पशुपालन का विकास DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN PLANS

1 पहली योजना से छठी योजना तक पशुधन का विकास (Development of Animal Husbandry from First to Sixth Plans) - पहली से छठी पंचवर्षीय योजनाओं तक राजस्थान में पशु विकास सबंधी अनेक आधारभूत एवं विकासात्मक कार्य सम्पन्न किये गये। इस अवधि में नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। गाय व बैलों को नस्लें उन्नत करने हेतु राज्य के अनेक भागों में गो-शालाएँ स्थापित की गईं। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मेवात, हनुमानगढ़ और नागौर नस्लों के विकास हेतु नागौर बम्मों और अलवर में शाखाओं की स्थापना की गई। कुम्भार सबर्द्धन फार्म में हरियाणा नस्ल विकसित की जाती है। 1964 में जैसलमेर जिले के चादन ग्राम में बुलमटर फॉर्म की स्थापना की गई। इस फॉर्म में थारप्रकारक नस्ल के मांड तैयार किये जाते हैं। नस्ल सुधार कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बुलमटर फॉर्म को मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को सौंप दिया गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत रामसर व चन्दनदेवल (जैसलमेर) में शाखाओं की स्थापना की गई है। मांड विकास के लिए राज्य में गौदम्य परियोजना केन्द्रों की स्थापना की गई। इस केन्द्र द्वारा तैयार किये गये मांड पचापत्तों को वितरित कर दिया जाये है।

इस अवधि में पशुधन की वीमरिटो में स्थूल एवं शेड्यूलिंग के अनेक प्रयास किये गये। राज्य के विभिन्न भागों में चिकित्सालयों, दल चिकित्सालयों एवं चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की गई। गिन्डर पेस्ट के नियन्त्रण हेतु बन्दा वा स्थापना की गई। इसका अलावा पदायत समितियों द्वारा भी पशु चिकित्सालयों का संचालन किया जाता है। द्वितीय योजना में जयपुर व बीकानेर में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। जोधपुर में जन व भेड प्रशिक्षण स्कूल प्रारंभ किया गया। मूरतगढ व बीकानेर में भारतीय वृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भेड अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया। इससे पशुओं के स्वास्थ्य

में सुधार हुआ। विदेशी नस्ल के माण्डों के उपयोग में वृद्धि हुई लेकिन भारतीय परिस्थितियों में इनका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुमेरपुर, रावसिंह नगर, ब्यावर, किरानाढ-बम्म, झालावाड़ कंकडी, बम्मसी, अलवर व नागौर आदि में कृषि गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की गई। द्वितीय व तृतीय योजनाओं में भी कुछ केंद्रों, उपकेंद्रों व विशिष्ट इकाइयों की स्थापना की गई। चतुर्थ योजना से छठी योजना के मध्य पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। 1959 में चारा विकास को एक विशिष्ट योजना निर्मित की गई जिसके अंतर्गत चारे की विशेष फ़मले उत्पन्न करने पर जोर दिया गया। इसमें राज्य में चारे के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई।

2 सातवी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन का विकास (Animal Husbandry Development in Seventh Plan) - सातवी योजना में विभिन्न पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा देशी पशुओं व सुधार पर बल दिया गया। इस योजना में पशुपालन विकास हेतु 31 82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जबकि योजनाकाल में वास्तविक व्यय 37 62 करोड़ रुपए हुआ। लक्ष्य से अधिक व्यय का प्रमुख कारण सरकार द्वारा कुछ पशुपालन कार्यक्रमों का हस्तांतरण था। सातवी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन पर किये गये वास्तविक व्यय में पशुपालन पर 2180 30 लाख रुपए, विश्वविद्यालय पर 101 05 लाख रुपए, भेड व जन पर 234 64 लाख रुपए, मत्स्य पर 295 12 लाख रुपए व डेयरी विकास पर 915 00 लाख रुपए व्यय किये गये।

3 आठवी पंचवर्षीय योजना (Animal Husbandry in Eighth plan) - आठवी योजना में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादकता में तेजी से वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नस्ल सुधार कार्यक्रम मुख्यतः पर्याप्त चारे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उन क्षेत्रों में नस्ल सुधार पर अधिक बल दिया गया जहाँ चारे का पर्याप्त उत्पादन किया जा सकता है। पशु स्वास्थ्य तथा कार्यक्रम को तेजी में लागू करने के लिए पशु चिकित्सा केंद्रों में निदान किया गया पशु टीका व्यवस्था का व्यापक प्रचार एवं लक्ष्य किया गया। पशुपालन संबंधी शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ करने तथा आवश्यकतानुसार उसका विस्तार करने का निश्चय किया गया। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के द्वारा पशुओं की श्रेष्ठ किस्में विकसित करने की चेष्टा की गई। चरागतों का विकास करने, चारे के उन्नत बीजों का उत्पादन करना तथा एकीकृत वृषि व्यवस्था का प्रचलन बढ़ाना गया। मुर्गी पालन को तेजी से विस्तार दिया गया ताकि

लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। योजनाकाल में पशु विकास हेतु 8500 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

4 नवी योजना में पशुपालन (Animal Husbandry in Ninth plan) - पशु मूल्य सुधार पशु आहार और पशु प्रबंध में आधुनिकतम वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुये पशुओं की किस्म का सुधार व पशु उत्पादकता में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नवी योजना में पशुपालन पर 12429.92 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु-सम्पदा का महत्व

IMPORTANCE OF ANIMAL HUSBANDRY IN ARID AND SEMI ARID REGIONS

राजस्थान में पशुओं का कृषि परिवहन व पशु उत्पाद की दृष्टि से विरोध महत्व है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। ऐसे स्थानों पर तो पशुपालन का महत्व और भी बढ़ गण्य है। इन क्षेत्रों में पशु पालन के महत्व का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1 रोजगार (Employment) - राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लोग मुर्गीपालन दुग्ध व्यवसाय, चमड़ा उद्योग आदि में लगे हैं। परिवहन के साधन के रूप में भी पशुओं का प्रयोग कर रोजगार प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में बड़ा कृषि के लिए अत्यन्त विषम परिस्थितियों तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि उपज लेना अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन है उन क्षेत्रों में पशुपालन द्वारा लोगों को रोजगार मिला है।

2 परिवहन (Transport) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ऊट परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त बैल भी बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। मुख्यतः ऊटों का प्रयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने पर बहुतायत से होता है। ऊटों का अकेले और उटगाडियों के अन्तर्गत परिवहन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।

3 अकाल एवं कम वर्षा (Famines & Draughts) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अकाल एवं सूखे की स्थिति प्रायः बनी रहती है। वर्षा कम होने से अकाल व सूखे की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी फसलें लेना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रायः पशु ही इनके जीवन का आधार बनते हैं। एग्रे क्षेत्र जहाँ पर अकाल एवं सूखे की स्थिति होना है तथा वनस्पति प्रायः नहीं के बराबर पाई जाती है उन क्षेत्रों में भेड़ व

बकरियों का विशेष महत्व हो जाता है। भेड़ एवं बकरियाँ अत्यन्त बागीक घास तथा विम्बुत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी म्ब्य रह सकती हैं और अपने पालकों को पर्याप्त सर्वोत्तम लाभ दे सकती हैं। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ऊन की किस्म सर्वोत्तम होती है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा होती है और जो हरे-भरे होते हैं, वहाँ ऊन की किस्म निम्न कोटि की होती है। इस प्रकार शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुओं ने मनुष्य को जीवित रहने का आधार प्रदान किया है। यही कारण है कि राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं की अपेक्षा भेड़ एवं बकरियाँ अधिक मात्रा में पाले जाते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा व उपलब्ध आकड़ों में स्पष्ट होना है कि इन क्षेत्रों में कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है।

राजस्थान के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा प्रायः सामान्य से कम होती है। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से कम होती हैं। कम वर्षा के कारण फसलें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालन एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है।

4 कृषि कार्य (Agricultural work) - राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में ही नहीं वरन् मण्डल प्रदेश में पशु कृषि कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान में पशु भूमि को जोतने के लिए पानी निकालने फसलें पकने पर अनाज निकालने तथा कृषि फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जान में इनका बहुतायत में काम आता है। इन पशुओं के कारण ही किसानों को अधिक मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती। ये पशु निरंतर कार्य करने रहते हैं। इस कारण मशीनों के रखरखाव में आने वाली समस्याओं से किसान बचा रहता है। इन पशुओं का जोर कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान होता है इस खाद को अन्य रासायनिक खादों की अपेक्षा उत्तम माना जाता है। पशुओं के गोबर के अतिरिक्त उनकी हड्डियाँ व खून आदि भी खाद का कार्य करते हैं। इन पशुओं से प्राप्त खाद का प्रयोग करने में सिचाई की आवश्यकता रासायनिक पदार्थों खादों की अपेक्षा कम होती है। यह खाद भूमि को उर्वरता को भी बनाये रखती है।

5 पौष्टिक पदार्थ (Nutrition) - राजस्थान के अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं। इस कारण पशुओं से प्राप्त होने वाले पौष्टिक पदार्थ जैसे - दूध, दही, घी आदि का महत्व बढ़ जाता है। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ विषम हैं, वहाँ इन पौष्टिक पदार्थों का महत्व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। ये पौष्टिक पदार्थ मनुष्य का मनुष्यित आहार उपभोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ अधिकांशतः छोटे अनाज का प्रयोग किया जाता है उन क्षेत्रों व लिये पशु उत्पाद प्रोटीन के अन्धे

स्रोत सिद्ध हुए हैं। खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में पशुओं में प्रायः अनेक पदार्थ जैसे दूध, मांस व अण्डे आदि खाद्यान्नों के विकल्प का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान के लोगों को स्वस्थ बनाये रखने में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

6 चमड़ा, खाल व ऊन आदि (Hides Skin & Wool)

- राजस्थान में पशुओं की एक विशाल संख्या विद्यमान है। साथ ही राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के पशु पाये जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के आकड़ों पहले दिये जा चुके हैं। संपूर्ण राजस्थान में विभिन्न पशुओं की स्थिति के आधार पर ही इनसे प्राप्त पदार्थों का आभास मिल सकता है, उसका समीक्षा की जा सकती है।

राजस्थान में लगभग 5.43 करोड़ पशु हैं। इन पशुओं से बड़ी मात्रा में चमड़ा, खाल एवं ऊन प्राप्त होते हैं जिन्हें अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इस कार्य से जहाँ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहाँ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इसके माध्यम से चमड़ा उद्योग पनपता है। चमड़े एवं खालों के जूते, पानी खींचने के घास, दस्ताने, रस्मे, शैले अटेची, कोट आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना संभव है। ऊन से दुश्माले, कबल स्टेटर गर्म कांडे आदि बनाये जाते हैं। पशुओं से प्रायः मींग व बालों का भी प्रयोग किया जाता है। इनके बाल बुना आदि बनाने के काम आते हैं तो इनके मींग व हड्डियाँ बटन खाद, कपड़े खोल का सामान आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार पशु जटा शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं वहीं स्थिति संपूर्ण राजस्थान के लिए भी है।

राजस्थान में पशु पालन की समस्याएं

तथा सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS ABOUT ANIMAL HUSBANDRY IN RAJASTHAN

राजस्थान में यहाँ की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर ही पशुओं की संख्या है। यह स्थिति सरकार का पशुपालन के विकास के लिए प्रेरित करने के लिये पर्याप्त है। इस मदर्श में सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं। किन्तु फिर भी राजस्थान में पशुओं की विभिन्न समस्याएँ विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1 अनार्थिक पशु (Uneconomic Live Stock) - राजस्थान के अधिकांश पशुओं की उत्पादकता इतनी कम है कि वे अपने मूल्यों से अधिक खर्च करते हैं। इस प्रकार के

अनार्थिक पशुओं के कारण पशुपालन व्यवसाय को भी धक्का पहुँचता है। राजस्थान सरकार ने सरकार नस्लों का विकास करके इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। राजस्थान में सरकार नस्लों के पशुओं की संख्या मुख्यतः गायों से बढ़ी है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Lack of Grazing Lands) -

राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी है। इसके पश्चात्, काफी अधिक क्षेत्र में क्षुब्ध की जाती है। इस कारण ऐसे चरागाहों का अभाव है जो पूरे वर्ष भर चरागाह का काम दे सकें। पर्याप्त चरागाह न होने के कारण पशु अस्वस्थ रहते हैं। सरकार को चाहिये कि वह उन वन क्षेत्रों में, जहाँ वृक्ष पर्याप्त रूप में पनप चुके हैं तथा उन क्षेत्रों में जहाँ पशुओं से अधिक हानि होने की संभावना नहीं है, चरागाहों के लिए भूमि उपलब्ध कराये।

3 अपर्याप्त पोषाहार (Lack of Nutrient Food) -

पशुओं को उचित पोषाहार उपलब्ध नहीं होता। उन्हें बहुत कम चारा उपलब्ध करवाया जाता है तथा चारे के साथ बाटा तथा पर्याप्त खनिज नहीं दिये जाते हैं। वर्षा काल को छोड़कर प्रायः उन्हें हर चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इन सब कारणों से दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार को पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना चाहिये तथा घास के अच्छे मैदान उपलब्ध कराये जाने चाहिये। हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालकों को अपने चारे का उपचारित करने की विधि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

4 मिश्रित फसले (Mixed Cropping) -

वृक्ष अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये फसलों का चयन करता है। इस सदर्भ में वह पशुओं की आवश्यकताओं पर प्रायः ध्यान नहीं देता। उनवें लिए कुछ चारा प्रायः करने के लिए अपनी फसलों में ही कुछ और फसलों का मिश्रण कर लेता है। इस कारण उसे उत्पादन कम मिलता है और पशुओं के लिये चारा कम उपलब्ध होता है। इन फसलों के बीच-बीच में कुछ जहरीले पौधे भी उग आते हैं जो कि फसल के साथ ही कट जाते हैं। इनको खाने में पशुओं का हानि पहुँचती है। अनेक बार अज्ञानवशात् कुछ ऐसे पौधे पशुओं को खिला दिये जाते हैं जो उन्हें फसल की प्रारंभिक अवधि में नहीं खिलाने चाहिये। उदाहरण के लिये - छोटी अवस्था में ज्वर के पौधे खिलाना पशुओं के लिये घातक सिद्ध हो सकता है और यहाँ तक कि उनको मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मजरा को दक्षिण कि वह मिश्रित फसलों की उचित रूप देता वृक्ष के मजरा प्रस्तुत करें, जिससे एक ओर तो उनकी आवश्यकता पूरी होती और दूसरी ओर पशुओं को पर्याप्त

पौष्टिक जारा उपलब्ध हो सकेगा।

5 पशु स्वास्थ्य (Animal Health) राजस्थान में पशु सामान्यतः अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं अधिकांश पशु अमनुष्यजनित भोजन के कारण अस्वस्थ हो जाते हैं अमनुष्यजनित पोषण के कारण कारोहाइडेट और प्रोटीन का अनुपलब्धता नही बना रह पाता इस कारण पशुओं के खून में कीलिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और वह बीमारी में ग्रसित हो जाता है इसी प्रकार कैल्शियम स्रोत चांग खाने रहने से भी वह स्वस्थ नही रह पाता पशु को प्रायः दुग्धा छोड़ दिया जाता है और वे अनेक प्रकार की अवाञ्छित वस्तुओं को खा कर रोगग्रस्त हो जाते हैं इन सब समस्याओं का समाधान पशुपालकों में जागृति उत्पन्न करके एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है

6 चार्जिक प्रबन्ध का अभाव (Lack of Scientific Management) राजस्थान में पशुपालक पशुओं का पालने समय प्राथमिक दृष्टिकोण में न मानते हैं कारण है कि उन्हें पशुओं से सम्बंधित पूरा विवरण प्राप्त नही होता पशुओं से आय प्राप्त करने के लिए कितनी चारा आनी चाहिए इसका भी उन्हें पूरा आभास नही होता वे अनुत्पादक पशुओं का भी निरन्तर अपने पास रखते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यावसायिक नही होता नैदानिक प्रबंध का अभाव में अपत्यय अधिक होता है और आय कम हो जाती है पशुपालकों में इस संदर्भ में रचित उपनयन करने के लिए पशुपालन विभाग का कर्मचारी व अधिकारियों को पशुपालकों से जागरूक मार्गदर्शन करना चाहिये

7 निर्धनता एवं अशिक्षा (Poverty & Illiteracy) राजस्थान में ही नही बल्कि सम्पूर्ण भारत में पशुपालक अप्रशिक्षित निर्धन वर्ग में हैं इस कारण वह इस क्षेत्र में हानि जनक परिवर्तन से भयभीत बनने लगे रह पाते हैं और जो हानि के कारण उसे पशुओं की एक नष्ट करने के बारे में जानकारी नही मिलती पशुओं का रख रखाव की वैज्ञानिक विधियों से उनका परिचय नही होता वह शरीर के अभाव में पशुओं को पौष्टिक चारा नही दे पाते इस प्रकार ही परिस्थितियाँ दृश्य बन रही हैं सरकार को चाहिये कि वह पशुपालकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे साथ ही उचित पशुपालन का ओपन स्टाफ व अनुसंधान में आने पर सहायता दे

8 सरकारी कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ न मिलना (Lack of full use of Govt Programme) सरकार पशुपालन के संदर्भ में जो शायद ही अनुसंधान कार्य करवाता है वह रहने वाले समय तक पशुपालकों तक नही

पहुंच पाते इसी प्रकार सरकार पशुपालकों के लिए पशुपालन विकास हेतु जो योजनाएँ बनाती हैं उनकी जानकारी भी पशुपालकों को नही होती कुछ प्राथमिक पशुपालक ही इन योजनाओं का लाभ उठाते रहते हैं जबकि एक बहुत बड़ी संख्या इन मुविधाओं से वंचित रहती है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को अपने कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रसार करना चाहिये

9 सहकारिता का अपर्याप्त विकास (Under Development Co-operatives) राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका अत्यंत सीमित रही है यदि दूध व वितरण में छोड़ दिया जाये तो सहकारिता की भूमिका नगण्य ही रह जाती है सामूहिक रूप में आर्थिक आधार पर एवं वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के विनियम सहकारिता का नही अपेक्षाकृत गया इस समस्या का समाधान पशुपालकों में सहकारिता का प्रसारण करके किया जा सकता है कार्य संगठन और सामंजस्य प्रदान करने द्वारा तथा सहायता मिलना है

10 कम उत्पादकता (Low Productivity) राजस्थान में पशुओं की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है यदि राजस्थान की तुलना विदेशों से की जाय तो उत्पादकता बहुत ही कम प्रतीत होगी है इसका कारण पशु के स्वास्थ्य एवं पोषण पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना नस्ल सुधार की विशेष प्रेरणा न करना तथा इस संदर्भ में शोध एवं अनुसंधान का अभाव जाता है कम उत्पादकता का प्रवृत्ति का बदलने के विनियम प्रसार के माध्यम से पशुपालकों की मनोवृत्ति का बदलना चाहिये

11 सूखा एवं अकाल (Draught and Famine) राजस्थान में आधा आधा कम वर्षा होती है अतः राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में शय सूखा एवं अकाल का स्थिति बनी रहती है सूखा एवं अकाल के क्षयों में पशु मारने पाने की संलाश में राज्य के अन्य विभागों में न जाये जाते हैं जब व जारे के अभाव में अनेक पशुओं की मृत्यु हो जाती है पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के कारण भी ओह समस्याएँ उत्पन्न होती हैं इस समस्या का समाधान करने का आशय है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त चारा एवं पानी का व्यवस्था की जाय

12 उत्पादन एवं वितरण में समन्वय न होना (Lack of Co-ordination between Production & Distribution) पशुओं से मुख्यतः दूध प्राप्त करने के लक्ष्य आदि अनुसंधान होती है इन वस्तुओं का समुचित वितरण का अभाव देखा रहता है उत्पादन व वितरण शीघ्रता से दूध समय पर निर्माण सम्पन्न पर नही पाता अतः

दूध के खराब होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं जिससे पशुपालकों का हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पशुओं से श्राव विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन व वितरण में समुचित समन्वय स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

13 पशु आधारित उद्योगों की कमी (Lack of Animal Based Industries) - राज्य में पशु आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। उन पशुओं से प्राप्त वस्तुओं की प्रायः कच्चे रूप में ही देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। इससे पशुपालकों को अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार का पशु आधारित उद्योगों के विकास पर पर्याप्त बल देना चाहे कि पशुपालकों की आय व राज्य की आय में वृद्धि हो सके।

राजस्थान में कुक्कुट पालन

POULTRY IN RAJASTHAN

यह पशुपालन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का सुनियोजित एवं आदर्श ढंग में विकास दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि 1983 की अस्था 1988 में जब अधिकांश पशुओं को संख्या कम हुई तो उस समय भी कुक्कुट सम्पदा में वृद्धि अर्जन का गई। राजस्थान में कुक्कुट विभाग के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् भी विरासत प्रशासक किये गये। 1960 में जयपुर और अजमेर में राजकीय कुक्कुट शालाओं की स्थापना की गई। इस समय तक आधुनिक तरीकों में कुक्कुटपालन नहीं करके घोंसे में थोड़ी-बहुत मुर्गियाँ पाली जाती थीं इसी कारण अण्डों का उत्पादन सीमित था। 1960 के दशक में उन्नत किस्म की नस्लों का पालन शुरू किया गया और कुक्कुट सम्पदा निरन्तर बढ़ने लगी। राजस्थान में कुक्कुट सम्पदा का विकास निम्न तालिका में दृष्टिगोचर होता है।

राजस्थान की कुक्कुट सम्पदा (लाख में)			
वर्ष	मत्स्य	वर्ष	मत्स्य
1966	1.65	1983	22.12
1972	12.90	1988	25.85
1977	15.35	1992	29.86
		1997	43.80

स्रोत: Board of Revenue for Rajasthan Livestock Census 1997 & Statistical Abstract

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुक्कुट सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हो रहा है एवं उन्नत किस्म की मुर्गियाँ का पालन कर प्रशुन बट रही हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुक्कुट सम्पदा का निर्माण की दृष्टि से अजमेर जिले में सर्वाधिक कुक्कुट सम्पदा वितरित है। सर्वाधिक

उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ अजमेर जिले में और सर्वाधिक देशी मुर्गियाँ बागवाड़ा जिले में हैं। देशी मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा श्रीगणानगर का तीसरा और झुगरपुर का चौथा स्थान है। उन्नत नस्ल की मुर्गियों की दृष्टि से उदयपुर का दूसरा, भीलवाड़ा का तीसरा, जयपुर का चौथा और अलवर का पाचवाँ स्थान है। राजस्थान में 1983 की कुक्कुट सम्पदा 22.12 लाख में 25 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हो रहा था। 1988 में 25.85 लाख मुर्गियों में 61.92 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्राप्त हुआ। वह आकड़े कुक्कुट सम्पदा की नस्लों में अपेक्षित सुधार की ओर संकेत करते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में द्रायलर (मम के लिए मुर्गीपालन) के उत्पादन में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। बड़े-बड़े शहरों के आम पाम द्रायलर पालन का महत्व बढ़ता जा रहा है। द्रायलर की निम्नतम बढ़ती हुई मम की दृष्टिगत रखते हुये राज्य की चार कुक्कुट शालाओं में द्रायलर की उन्नत नस्ल के एक-दिवसीय चूबों का उत्पादन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी यह उत्पादन आरंभ किया गया है।

राजस्थान निर्माण के समय राज्य में कवल एक ही कुक्कुटशाला जयपुर में कार्यरत थी। अजमेर राज्य के राजस्थान में वितरण के साथ 1956 में इसमें और एक कुक्कुट शाला जुड़ गई। राजस्थान में जयपुर और अजमेर का कुक्कुट शालाएँ राज्य स्तरीय हैं। अजमेर कुक्कुटशाला में उन्नत नस्ल का परत स्टॉक और जयपुर में द्रायलर के उन्नत नस्ल का परत स्टॉक रखा गया है। राज्य में 4 जिलामुक्त कुक्कुटशालाएँ अलवर, जाधपुर, कोटा और टोंक जिलों में कार्यरत हैं। इनमें से अलवर, जाधपुर व कोटा में उन्नत नस्ल का द्रायलर परत करके रखा जा रहा है। राजस्थान कुक्कुटशालाएँ टोंक के एकदिवसीय चूबों का पालन बड़ा करके निजी कुक्कुटपालकों को वितरित किया जाता है। जनजाति क्षेत्र के निजी कुक्कुट पालकों को एक दिवसीय चूब पालन एवं बड़ा करके वितरित करने की दृष्टि से दो चूबापालन केंद्र क्रमशः झुगरपुर और बागवाड़ा में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के कुक्कुटपालकों को तकनीकी सेवाएँ विभाग व्यवस्था का मार्गदर्शन वैकल्पिक की स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग, प्रशिक्षण तथा कुक्कुट फलकों का प्रदान करने के उद्देश्य से 1963 में वैश्व कार्यक्रम के अंतर्गत कुक्कुट विकास अण्डों की स्थापना की गई। राज्य के जयपुर, अलवर, झुगरपुर, टोंक, सर्वाधिक मुर्गपुर, कोटा, जाधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बागवाड़ा, श्रीगणानगर आठ रोड (मिराहरी) और बीकानेर में मसन कुक्कुट विकास केंद्र कार्यरत हैं। व्यावर (अजमेर) में एक नया विकास केंद्र तथा झुझरू में भी प्रयोग के रूप में

कुक्कुट पालन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। विज्ञान खण्डों के माध्यम में कुक्कुटपालकों को चूजों के रख-रखाव उनके पालन-पोषण, टीकाकरण आदि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कुक्कुट सम्पदा के सर्वेक्षण एवं निवास के लिए गोठियों का आयोजन करके कुक्कुटपालकों का नवीनतम जानकारी दी जाती है।

राजस्थान में अण्डों और कुक्कुट पक्षियों के विपणन का कार्य सम्पादित करने के लिए जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा एवं अजमेर में सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। राजस्थान वर्तमान में 10 से 12 अण्डे प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष प्राप्त करता है जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 23 अण्डे प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इससे राजस्थान में कुक्कुट विकास की भावी सभावनाओं का ज्ञान होता है। कुक्कुटपालन के माध्यम में लोगों को प्रोत्तानयुक्त आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1965-66 में राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से एवं ग्रामीण सहयोग से पोषण कार्यक्रम का अंतर्गत कुक्कुट शालाएँ स्थापित की थीं अब केवल ग्राम मंचक प्रशिक्षण केन्द्र भण्डार (जोधपुर) में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। इस केन्द्र से स्तूली बच्चों और गर्भवती माताओं को अण्डों का वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के आधार पर सन् 1976 में राजस्थान के दो जिलों उदयपुर व अजमेर में विशिष्ट पशुधन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से 200 मुर्गियों को इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है। 1981 में जयपुर एवं टोंक में पायलट प्रोजेक्ट का स्वीकृति प्राप्त हुई जिससे 1983 से क्रियान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का चयन करके 200 मुर्गियों की कुक्कुटशाला के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाया जाता है। इस योजना में लघु मोगान्त एवं भूमिहीन कृषक श्रमिकों का चयन करके प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्व-रोजगार के अंतर्गत भी 500 मुर्गियों को इकाई या 850 डॉयलर चूजों से कुक्कुटशाला स्थापित करने का प्रावधान है।

ग्रामीण कुक्कुट सम्पदा के सर्वेक्षण एवं विकास की विभिन्न योजनाएँ जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। सन् 1974 में हाफ एक मिलियन जाव ग्रामों के अंतर्गत बेरोजगार स्नातकों को ज्ञानवापन के लिए कुक्कुटपालन व्यवसाय प्रारम्भ करने के उद्देश्य में राज्य के जयपुर व कोटा में भूलडा का आवंटन किया गया तथा बेनी में ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर कुक्कुट शालाएँ स्थापित की गईं। कुक्कुट पक्षियों के विभिन्न

रोगों की रोकथाम के लिये जयपुर में एक राज्य स्तरीय रोग निदान केन्द्र है। कुक्कुटपालकों की सुविधा के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रोग-निदान, जाच आदि के लिए प्रयोगशाला विद्यमान है। कुक्कुटपालकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नियमित कुक्कुट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से अजमेर में एक विद्यालय कार्यरत है।

कुक्कुट पालकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण 3 दिवसीय 10 दिवसीय तथा एक माह के होते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट विकास एवं उससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सुधार के लिए उत्पादन सर्वेक्षण की प्रक्रिया निरन्तर अपनाई जाती है। इस सर्वेक्षण के आधार पर भावी नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं।

वर्तमान में बतखपालन भी कुक्कुटपालन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बतखपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से बासवाडा में बतख चूजा उत्पादन केन्द्र की स्थापना का निश्चय किया है। इसके स्थापित हो जाने पर चूजा उत्पादन फार्म, हिसार गट्टा (बगलौर) पर राजस्थान की निर्भरता लगभग समाप्त हो जायेगी। राज्य के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मत्स्य जलक्षेत्र उपलब्ध है उन्हीं क्षेत्रों में बतख पालन व्यवसाय अच्छा पनप सकता है। इसके लिए कैम्पवेल नस्ल की खाकी बतखें अण्डों के उत्पादन की दृष्टि में लाभदायक मानी जा रही हैं जो कि एक वर्ष में 300 और इससे अधिक अण्डे देती हैं। राज्य के डुंगरपुर, बासवाडा, चित्तौड़गढ़, आनूगेड (मिरोली) एवं उदयपुर के जनजाति क्षेत्रों के निरर्थक परिवारों की पाच मादा एवं नर पक्षी बड़ा करके उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 1987-88 में चल रहा है।

राजस्थान में मत्स्य पालन FISHERIES IN RAJASTHAN

प्राचीनकाल से ही मत्स्य उद्योग का प्रचलन रहा है। रामायण व महाभारत युगों में तो मत्स्य अत्यधिक सम्पन्न थे। मत्स्यपालन व्यवसाय का समाज में एक विशिष्ट स्थान था। यह तथा मत्स्य उद्योग की उत्पत्ति का परिचायक है। सम्राट अशोक के समय में शिलालेखों से भी स्पष्ट होता है कि भारत में मत्स्य उद्योग को विशेष मान्यता प्राप्त थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मत्स्यपालन व्यवसाय का

उत्पन्न मिला है। दैनिक सामाजिक जीवन में मत्स्य की अत्यधिक माँग थी। भारत नदियों का देश है। अतः अनेक स्थानीय जल संधन व आधार पर इस उद्योग का व्यापक प्रसार हुआ है। देश का लगभग 5000 किलोमीटर विस्तृत समुद्र तट मत्स्य व्यवसाय में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में मत्स्य व्यवसाय का पर्याप्त विकास हो चुका है। राजस्थान में भी जल जलन उपलब्ध है वहाँ मत्स्य व्यवसाय निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य में मछली उत्पादन में वृद्धि कर रहा है तथा इस उद्योग का पूर्ण विकास करने के उद्देश्य में 1982 में मत्स्य निदेशालय का स्थापना की गई है।

राजस्थान में वर्षा का अभाव है। अतः इस राज्य में मत्स्यपालन व्यवसाय अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित है। यहाँ क उपलब्ध जलस्रोतों का उपयोग कर इसका बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्यपालन व्यवसाय का एक आदर्श उद्योग का रूप में अपनाया जा चुका है लेकिन अभी तक अनेक क्षेत्रों में इसका विकास करना बाकी है। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् इस उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना प्रारम्भ किया। राज्य में मत्स्यपालन सहाय विकसित तकनीक का अभाव रहा है। अतः मत्स्य वैज्ञानिकों को कार्यन्वित है कि वे राज्य के विभिन्न कमजोर एवं जनजाति वर्गों के उत्थान के लिए मत्स्य उद्योग का प्रचार तकनीक एवं ज्ञान प्रदान करके इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करे। राजस्थान में वर्षापात रहने वाला नदियों एवं जलमयता का अभाव है लेकिन सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन तथा पशुपालन व्यवसाय के अन्तर्गत विभिन्न ब्राह्मणों में नदियों का दाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न सिंचाई योजनाओं आ इतिहासिक नहर परियोजना तथा काटा क्षेत्र में उपलब्ध नहरों पानी का मत्स्यपालन के लिए उपयोग किया जा सकता है। राज्य में मत्स्यपालन व्यवसाय के क्रमिक विकास हेतु विभिन्न जिलों में मत्स्यपालन विभागों के अन्तर्गत का स्थापना का पड़। इनके द्वारा राज्य में मत्स्य व्यवसाय के विकास की गति तेज करने का उद्देश्य है।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन Fish Production in Rajasthan

मत्स्य उत्पादन हेतु राजस्थान में कुल 725 जलाशय हैं। इनमें 71 अश्रणीय जलाशय तथा 254 अश्रणीय

जलाशयों का मछली प्रमत्त 82 88 तथा 555 है। वर्षा के अभाव के कारण राज्य के अनेक जलाशय सूख जाते हैं। अतः मछली उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए वर्षा जून 1988 89 से पूर्व निरंतर 3-4 वर्षों तक अश्रणीय सूख की स्थिति के कारण मई जून 1988 में राज्य के बड़े-बड़े जलाशय सूख गये थे। इनमें रामगढ़ व जवाई बांध जैसे जलाशय भी सम्मिलित थे। अश्रणीय व सूख की स्थिति के कारण 1988 में राज्य के मत्स्य उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गई। मई-जून द्वारा 1988 89 में मत्स्य विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये। अतः 1987 88 की तुलना में 1988 89 में मत्स्य उत्पादन में मछली तीन गुना वृद्धि हुई। 1990 91 में सरकार द्वारा लाज पद्धति में अनेक सुधार किये गये। केवल अश्रणीय के 63 जलाशयों का लाज पर दान से ही सरकार को 1 89 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

राजस्थान में 1990 91 के अर्जात 6020 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। 1995-96 में दिग्मय 1995 तक 6000 मैट्रिक टन का हा उत्पादन हुआ।

राजस्थान में मत्स्य उत्पादन हेतु जलाशय Reservoirs for Fish Production in Rajasthan

राजस्थान में वृहद् जलाशय चित्तौड़गढ़ श्रावणपुर गजनेर बमवाडा इंदूरपुर व उदयपुर जिलों में पाये जाते हैं। मध्यम जलाशय मुख्यतः पाना धौलपुर, भालवाडा चित्तौड़गढ़ उदयपुर बूढा टोक सवाई माधोपुर जयपुर अलवर व भरतपुर जिलों में हैं। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान के कुछ प्रमुख जलाशय व उनके जल पैलाद क्षेत्रफल के अनुसार निम्न तथ्यों का ज्ञान होना है

- (1) अश्रणीय के सर्वाधिक जलाशय उदयपुर जिले में है। तत्पश्चात् क्रमशः सवाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं।
- (2) अश्रणीय के सर्वाधिक जलाशय बूढा जिले में है तथा साश्रणीय के सर्वाधिक जलाशय टाक जिले में है।
- (3) अश्रणीय के सर्वाधिक जलाशय का मछली पैलाद जिले में है। तत्पश्चात् उदयपुर व राजसमन्द का स्थान है।
- (4) राजस्थान के प्रमुख नदी-वेमिन पवन बनाव और लूनी में मत्स्य है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान में पशु पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Animal Husbandry in Rajasthan
- 2 राजस्थान में पशु पालन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the salient features of live stock census in Rajasthan
- 3 राजस्थान में पाई आन बल्सी, गौ बरा की चार महत्वपूर्ण किस्म बताईए तथा वे भत्र बताईए जहां वे पाई जाती हैं।
Name four famous breeds of cattle in Rajasthan and area where they are found ?
- 4 राजस्थान के लिए पशुधन के महत्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
Write short note on economic importance of cattle wealth for Rajasthan
- 5 राजस्थान में पशुधन के वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of live stock in Rajasthan
- 6 राजस्थान में पशुधन का निम्नानुसार वितरण बताईए।
Explain the distribution of live stock in Rajasthan
- 7 राजस्थान में मुर्गा पालन पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Poultry in Rajasthan
- 8 गौपाल योजना क्या है ?
What is Gopal Yojna?
- 9 राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भूभाग में पशु पालन का महत्व स्पष्ट कीजिए।
Explain the importance of Animal Husbandry in Arid and semi arid regions of Rajasthan
- 10 राजस्थान में मत्स्य पालन पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on fisheries in Rajasthan

B निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में पशु पालन के महत्व पर शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में प्रकाश डालिए।
Explain the importance of Animal Husbandry in the special reference of arid and semi arid regions of Rajasthan
- 2 राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्याएँ हैं ?
Why live stock is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of sheep and goat Husbandry?
- 3 ग्राम आधार योजना व गौपाल योजना के विशेष संदर्भ में पशुधन विकास में राजस्थान सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए।
Discuss the efforts of Govt. of Rajasthan for the development of live-stock in the context of Gopal Yojna and village base programme
- 4 राजस्थान में पशुधन के विकास की समस्याएँ क्या हैं ? पशु पालन के विकास में सरकार ने क्या कदम प्रदान किए हैं ? इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
What are the problems of live-stock development in Rajasthan? What efforts are made for the development of livestock by the Govt. of Rajasthan? Give suggestions for the solution of this problem
- 5 राजस्थान राज्य में पशुधन सुधार के लिए अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
Describe the different programmes adopted in state of Rajasthan to improve the live stocks
- 6 पशुधन विकास के लिए एच.वी.ए. योजना में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the programme adopted for the development of live stock in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का महत्व स्पष्ट कीजिए। राज्य में पशुधन के विकास के लिए क्या कारण हैं ?
Explain the importance of Animal Husbandry in arid and semi arid regions of Rajasthan. What are the reasons for inferior condition of cattle wealth in the state?


- 2 राजस्थान में पशुधन की वृद्धि का स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा यहां के शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पशुधन वृद्धि के क्या कारण हैं? स्पष्ट करें।
 Explain the position of Growth of live stock in Rajasthan. What are the reasons for the growth of live stock in the arid and semi-arid regions of Rajasthan?
- 3 राजस्थान में पशुपालन की समस्याओं पर भेड़-बकरी पालन की विशिष्ट समस्याओं सहित प्रबन्ध लिखिए।
 Give a focus on the problems of Animal Husbandry with special context of sheep and goat problems in Rajasthan
- 4 राजस्थान में पशुधन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।
 Write an essay on the structure of live stock in Rajasthan
- 5 राजस्थान में पशुपालन की संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।
 Critically analyse the steps of Govt. for the development of Animal Husbandry in Rajasthan
- 6 राजस्थान में पशुओं का हीन दशा का कारण क्या बतलाईए। राजस्थान सरकार द्वारा एकदलीय योजनाओं के अन्तर्गत इनके लिए किए गए कार्यों का विवरण दें।
 Explain the reasons for the inferior conditions of cattle wealth in Rajasthan. Describe the programmes adopted by the government in various plans to improve their conditions



अध्याय - 11

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम

DIARY DEVELOPMENT PROGRAMME IN RAJASTHAN



'सूद संशुद्धि अथवा एक कार्यक्रम पा है।'

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में डेयरी विकास की पृष्ठभूमि
- राजस्थान के डेयरी नस्ल
- राजस्थान के पशु आहार मात्र
- विभिन्न दुग्ध मालाई, सत एव राजस्थान सरकारों परियोजना
- डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कार्यक्रम
- आठवीं व नवें दशक में डेयरी विकास
- राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएँ व समाधान के उपाय
- अन्तर्गत प्रश्न

उचित मूल्य दिलाना है। साथ ही उपभोक्ताओं तक अच्छे दूध का वितरण सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। ऑपरेशन फ्लड को आनन्द सहकारी सघ में प्रेरणा लेकर आरम्भ किया गया। यह सम्पूर्ण भारत में डेयरी के विकास हेतु एक मॉडल योजना है।

राजस्थान में डेयरी विकास अथवा श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि

BACKGROUND OF DAIRY DEVELOPMENT OR WHITE REVOLUTION IN RAJASTHAN

ऑपरेशन फ्लड ने सम्पूर्ण भारत में श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी। भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 10 राज्यों में 117 करोड़ रुपये व्यय करके आरम्भ किया। इन दस राज्यों में राजस्थान भी एक है। अतः ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से राजस्थान में भी श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी गयी। 1978 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण आरम्भ किया जिसमें विश्व बैंक की सहयता से पशु व डेयरी विकास योजनाएँ चलाई गईं। इस समय ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण सफलतापूर्वक चिह्नित किया जा चुका है। राजस्थान को दस परियोजना का पूरा लाभ मिला है क्योंकि इस राज्य में डेयरी विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पहले से ही विद्यमान था। राजस्थान में लगभग 5 करोड़ पशु हैं और पशुधन की दृष्टि से भारत में इसका तीसरा स्थान है। उत्पादक पशुओं की दृष्टि में देखा जाये तो राजस्थान का देश में छठा स्थान है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से राजस्थान को डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने के लिए 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। राज्य में डेयरी विकास का कार्यक्रम गुजरात में आनन्द के अनुभवों के आधार पर चल रहा है। इस चरण राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ हैं। ये समितियाँ जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी परिषद के सदस्य होती हैं। सभी जिला सहकारी सघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिषद के सदस्य होते हैं। इस प्रकार राज्य में सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ एक दूसरे से सम्पर्क सम्बद्ध होती हैं। राजस्थान में डेयरी विकास को गति देने में ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय दुग्ध मिड को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण राजस्थान में उत्पादित अतिरिक्त दूध आसानी से देश के

अन्य क्षेत्रों में इस मिड के माध्यम से भेजा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास के लिए गठित टेक्नोलॉजी मिशन भी राजस्थान में डेयरी विकास को प्रोत्साहित करता है। इस मिशन का उद्देश्य डेयरी उद्योग को क्षमता का अधिक से अधिक दोहन करना है। इसलिए डेयरी उद्योग में प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए यह मिशन आरम्भ किया गया। इस मिशन के अन्तर्गत देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सहकारी दूध परिषदों आदि की गतिविधियों में समन्वय लाने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रयास के बाद जो नई तकनीक विकसित होगी, उसका मानकीकरण किया जायेगा और इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी से सम्बन्धित लोगों तक पहुँचाया जायेगा। इस प्रयास से राजस्थान के डेयरी विकास को बल मिलेगा। राजस्थान में डेयरी विकास का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है

(अ) राजस्थान के डेयरी सघ

(ब) राजस्थान में पशु अन्न सघ

(ग) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ एवं राजस्थान सहकारी डेयरी परिषद

(द) डेयरी विकास में सहायक प्रमुख कारक

(ध) आठवीं योजना में डेयरी विकास के प्रयास

(ड) डेयरी विकास का सम्पूर्ण व नवगणना के उपाय

राजस्थान के डेयरी संयंत्र

DAIRY PLANTS IN RAJASTHAN

दिसम्बर, 1997 तक राजस्थान में 10 डेयरी सघ कार्य कर रहे थे। ये अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, रानीवाड़ा व उदयपुर में स्थित थे। राजस्थान में दूध को सुखाने की सुविधा अजमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, श्रीगणानगर, जालौर व जोधपुर में उपलब्ध थी। राजस्थान के डेयरी सघों की कुल विधायन क्षमता 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन विधायन करने की थी। इनकी कुल अवशोषण क्षमता 4.8 लाख लीटर दूध ठण्डा करने की थी। राजस्थान में दूध को सुखाने की कुल क्षमता 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की थी। राजस्थान में 25 अवशोषण केंद्र थे। राजस्थान के डेयरी सघों के सदस्यों में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार राजस्थान में म्यानीय माण की अपेक्षा अधिक दूध एकत्र होता है। इस दूध का लगभग 1/4 भाग राष्ट्रीय दुग्ध मिड हेतु दिल्ली भेज दिया जाता है। राजस्थान

पास दौड़ा, मालपुर, कोटपूतली और गणपुर सिटी में वार अवशीतन केन्द्र है। इस दूध में से अधिकतर दूध स्थानीय बाजार में ही विप्रेय कर दिया गया। राजस्थान में इस डेयरी सयत्र की स्थानीय माग सर्वाधिक है। इस सयत्र द्वारा लगभग सभी प्रकार के प्रचलित दूध उत्पाद निर्मित किए जाते हैं।

7 जोधपुर डेयरी सयत्र (Jodhpur Dairy Plant) : 'स डेयरी सयत्र की स्थापना 1975-76 के वित्तीय वर्ष में की गई। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। इसे जोधपुर सयत्र द्वारा दूध प्राप्त होता है। इसके पास पोकरण, नागौर, मेडाता सिटी बाडमेर, बालोतरा, और फलौदी में 6 अवशीतन केन्द्र है। जिसमें से अधिकतर दूध का उपयोग स्थानीय माग का पूरा करने के लिए किया गया। इस सयत्र में विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादन भी निर्मित होत है।

8 कोटा डेयरी सयत्र (Kota Dairy Plant) : इस सयत्र की स्थापना 1984 में हुई। इसकी दूध प्राप्ति की क्षमता ववल 0.25 लाख टन प्रतिदिन की है। यह कोटा दुग्ध सघ में प्राप्त करता है। इसके पास कोई अवशीतन केन्द्र नहीं है। जिसका प्रयोग मुख्यतः स्थानीय माग के लिए किया गया। इसमें सभी प्रमुख प्रकार के दूध उत्पादन निर्मित किए जाते हैं।

9 रानीवाड़ा डेयरी सयत्र (Raniwara Dairy Plant) यह सयत्र 1986 में निजी व्यक्तियों से प्राप्त किया गया। इसकी क्षमता 0.5 लाख लीटर दूध प्राप्त करने की है। यह जलौ व घाला दुग्ध सघों से दूध प्राप्त करता है। इसके पास फाल्गु में एक अवशीतन केन्द्र है। यह अनेक प्रकार के दुग्ध उत्पाद भी बनाता है।

10 उदयपुर डेयरी सयत्र (Udaipur Dairy Plant) इस सयत्र का स्थापना 1983 में की गई। इसकी क्षमता मात्र 0.25 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एकत्र करने की है। यह उदयपुर और बामवाड़ा दुग्ध सघों से दूध प्राप्त करता है। इसके पास बामवाड़ा व झारपुर में दो अवशीतन केन्द्र है। इस सयत्र की स्थानीय माग इसके द्वारा एकत्र दूध की तुलना में अधिक है। यह अनेक प्रकार के दूध उत्पादों का निर्माण भी करता है।

वाले प्रदेशों में खात क्षेत्रीय केन्द्र खोले गये हैं, इनमें से एक राजस्थान के मूरतागढ़ में है। केंद्र सरकार चारे के अच्छी किस्म के प्रमाणित बीज विकसित करने के अतिरिक्त गावों में उनके प्रदर्शन का योजना भा बना रही है। इस प्रकार राजस्थान में केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रयास से उद्युक्त पशु आहार पर्याप्त मात्र में उपलब्ध हान की संभावना है। राजस्थान में पशु आहार के क्षेत्र में ये सयत्र कार्य कर रहे हैं।

1 झोटावाड़ा (जयपुर) पशु आहार सयत्र [Jhotwara (Jaipur) animal feed plant] यह सयत्र 1 अगस्त, 1978 को लॉन्च पर लिया गया। नवंबर 1988 में इस सयत्र को राजफेड (RAJFED) को हस्तांतरित कर दिया गया। इस सयत्र की पशु आहार निर्मित करने की क्षमता 40 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

2 नदवाई (भरतपुर) पशु आहार सयत्र [Nadba (Bharatpur) animal feed plant] इस सयत्र की स्थापना 1979-80 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

3 तवीजी (अजमेर) पशु आहार सयत्र [Tabuji (Ajmer) Animal Feed Plant] इस सयत्र की स्थापना 1980-81 में की गई। इसकी पशु आहार उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। यह सयत्र U, LA MOLASSES BRICK का भी उत्पादन करता है।

4 जोधपुर पशु आहार सयत्र [Jodhpur Animal Feed Plant] यह सयत्र 1982 में स्थापित हुआ। इसकी क्षमता 100 मीट्रिक टन पशु आहार प्रतिदिन निर्मित करने की है।

राजस्थान में इस प्रकार इन मनकों द्वारा पशु आहार का विप्रेय एवं उत्पादन विभिन्न वर्षों में इस प्रकार रहा

वर्ष	पशु आहार का उत्पादन (मीट्रिक टन)	पशु आहार का विप्रेय (मीट्रिक टन)
1987-88	83420 (मीट्रिक टन)	94695 (मीट्रिक टन)
1997-98	44795 (मीट्रिक टन)	44472 (मीट्रिक टन)

दिसम्बर 97 तक

स्रोत: Economics Review 1997-98 Rajasthan

जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी सघ एवं राजस्थान सहकारी परिसंघ लि. DISTRICT DIARY CO OPERATIVES & RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD

राजस्थान में ग्राम स्तर पर दुग्ध महसूबय समितियों है। 31 दिसम्बर, 1997 का इनका सज्ज 3797 की जिनमें

राजस्थान में पशु आहार संयंत्र ANIMAL FEED PLANTS IN RAJASTHAN

राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं को पोषक तत्वों से युक्त आहार व चारा मिले। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में 4 पशु आहार सयत्र लाय गये हैं। केंद्र सरकार ने भी इस दृष्टिकोण में प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक विधि से चरु उत्पादन को तकनीक विकसित करके क लिए देश के विभिन्न जलवायु

3 85 लाख सदस्य थे। सभी सहकारी समितिया राजस्थान में विद्यमान 16 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों की सदस्य हैं। ये संघ अजमेर, बासवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बोंकोनेर, चूरू, गगानगर, जयपुर, जालौर - मिरोही, जोधपुर, कोटा पाली भोकर, टोंक, मवाईमाधोपुर और उदयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पशु आहार के वितरण के अतिरिक्त, पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा हेतु चल चिकित्सालय कृषि मर्भणान की सुविधा, उन्नत चारे के बीजों का विक्रय, किमान व ग्राम वन आदि को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करते हैं। सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राज्य स्तर के राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड के सदस्य हैं। राजस्थान में यह परिसंघ डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष सन्धा है। परिसंघ का मुख्य कार्यालय जयपुर में है।

डेयरी विकास में सहायक प्रमुख

कार्यक्रम

MAIN PROGRAMMES OF DAIRY DEVELOPMENT

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों में ऑपरेशन फ्लड एवं पशु विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है

1 ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) - ऑपरेशन फ्लड विश्व में डेयरी विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह आनन्द डेयरी सहकारी समितियों के स्वरूप का आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों एवं शहरी उपभोक्तकों में समन्वय स्थापित करना है। भारत में श्वेत क्रांति का आगमन इसी कार्यक्रम के द्वारा हुआ है। इस कार्यक्रम के दो चरण पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा चरण भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। दिसम्बर, 1990 में यह कार्यक्रम भारत के 22 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रहा था। 62800 डेयरी सहकारी समितियों के अन्तर्गत देश के 73 लाख कृषि परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों में लगभग 14 प्रतिशत स्त्रिया हैं। ये समितिया प्रतिदिन औसतन 9.4 लाख किलोग्राम दूध एकत्रित करती हैं।

ऑपरेशन फ्लड I (Operation Flood I)

भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 में प्रारम्भ हुआ। भारत सरकार ने देश के 10 राज्यों में इस कार्यक्रम

हेतु 117 करोड़ रुपये व्यय किए। इन 10 राज्यों में राजस्थान भी एक है। अतः ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण से ही राजस्थान में श्वेत क्रांति और डेयरी विकास की नींव रखी गई। राजस्थान में पर्याप्त पशुधन है अतः ऑपरेशन फ्लड के द्वारा डेयरी विकास का पर्याप्त अवसर मिला है। डेयरी विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान में 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना हुई। यह चरण 1981 में पूर्ण हुआ।

ऑपरेशन फ्लड II (Operation Flood II)

भारत सरकार ने 1978 में ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया। द्वितीय चरण के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से पशु व डेयरी विकास योजनाएं चालू की गईं। राज्य में यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो जाने के पश्चात् 1980 में आरंभ किया गया। यह चरण 1985 में पूर्ण हो गया।

ऑपरेशन फ्लड-III (Operation Flood-III)

ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण राजस्थान में भी सततवै योजनाकाल में क्रियान्वित किया गया। ऑपरेशन फ्लड तृतीय का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का विस्तार करना था। भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के लिए टेक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ किया। अतः आठवीं योजना में ऑपरेशन फ्लड III के कार्यक्रमों को टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया।

2 विश्व बैंक की सहायता से पशुपालन विकास (Development of Animal Husbandry with the Assistance of World Bank) राजस्थान में पशुपालन के विकास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य का मरुस्थलीय क्षेत्र कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अधिकारियों ने अत्युत्पन्न कृषि विकास की समीक्षा करते हुए यह अनुभव किया कि कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन का विकास करना भी आवश्यक है अन्यथा कृषि विकास कार्य पूर्ण नहीं होगा। राजस्थान में 1983 की पशुगणना के अनुसार 496 लाख पशु उपलब्ध थे लेकिन 1985 व 1987 के अवसरों के कारण पशुओं की संख्या घटकर 1988 में 409 लाख रह गई। 1983 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में देश का लगभग 7 प्रतिशत पशुधन उपलब्ध था। देश के दुग्ध उत्पादन में राज्य का हिस्सा 10.9 प्रतिशत था। देश के मांस उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान उपलब्ध करता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण विश्व बैंक ने राजस्थान को पशुपालन के विकास हेतु

लगभग 24 करोड़ रुपए की महायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने मुख्यतः पशु नस्ल सुधार, पशु चिकित्साको एवम् कार्याचारियों के प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। यह राशि 4 वर्षों में उपलब्ध कराई जायेगी/ बीकारे पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय को 4.31 करोड़ रुपये की सहायता भी प्रदान की गई है। एक विशाल पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक करोड़ की सहायता भी प्रदान की गई है। पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 4 पशुपालन विद्यालय क्रमशः जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में विद्यमान हैं। इन विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। अतः विश्व बैंक द्वारा पशुपालन विद्यालयों के सुदृढीकरण हेतु लगभग 1.30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। विश्व बैंक के अनुसार पशु चिकित्सा का भार मुख्यतः निजी क्षेत्र में रहना चाहिए। अतः विश्व बैंक की सहायता में निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा संस्थाएँ स्थापित करने के लिए पशु चिकित्सकों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। एक पशु चिकित्सा संस्था के लिए 50 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से "गोपाल योजना" को राज्य के प्रत्येक जिले में फैलाने की व्यवस्था की गई है। गोपाल योजना मधुमत्त कार्यक्रमों पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। कृषि विभाग बोर्ड के माध्यम से पशुपालन विभाग में एक योजना विश्व बैंक से स्वीकृत कराई है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पदायत मर्मित स्तर से राज्यस्तरीय स्तर तक के स्थान पर पशुओं के क्रय विक्रय विपणन की एक विशाल योजना तैयार की गई है। विश्व बैंक ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता दी है। पशु चिकित्सकों की जानकारी के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सकों को देश व विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। इस योजना के लिए एक करोड़ रुपए का अभाव है। विश्व बैंक ने विदेशी निदेशालय स्तर से जिला स्तर तक प्रचार प्रसार सामग्री व उपकरणों की व्यवस्था हेतु एक करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है।

आठवीं व नवीं योजना में डेयरी विकास DAIRY DEVELOPEMENT IN EIGHTH & NINTH PLAN

आठवीं योजना में डेयरी विकास - इसका लिए निम्नलिखित उद्देश्यों व व्यूह रचना का निर्धारण किया गया था।

उद्देश्य (Objects) उन तक प्रान किए गए लक्ष्यों को सुनिश्चित करना। अब तक विद्यमान की गई क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करना। महकरो आधार को और अधिक

सुदृढ करने के लिए सहायगी मर्मितिया, दूध मगटनों और फेडरेशन को आर्थिक सहायता प्रदान करना। विभिन्न तकनीकों का आधुनिकीकरण करना। डेयरी पशुपालन और इनमें संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करके लागतों में कमी करना।

भारत सरकार ने डेयरी विकास हेतु टेक्नॉलॉजी निर्यात प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करना तथा परिष्कृत लातों में कमी करना और दूध व दूध उत्पादों की उपलब्धि में तेजी से वृद्धि करना भी इसका लक्ष्य है।

आठवीं योजना के लिए व्यूह रचना (Strategy for Eighth Plan) आठवीं योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का डेयरी व्यवस्था के साथ इस प्रकार समन्वय किया जा रहा है कि सहाकारी मरचना के द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को उनके द्वारा किए गये विनियोजन का अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त हो सके। डेयरी व्यवस्था छोटे एवं मीमांन कृषकों को लाभदायक रोजगार प्रदान करती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मद्दत सख्या 4.6 लाख से बढ़ाकर 5.60 लाख तक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डेयरी विकास के मध्य-स्थ रोजगार क प्रच्छेद एवं अत्यल्प अवसरों में भी वृद्धि हुई है। आठवीं योजना का अंत तक 50000 में अधिक जनसंख्या वाले जिला मुद्रालय पर विभिन्न डेयरी उत्पादों को वाजिब दामों पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे। आठवीं योजना में पशु सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा। उन क्षेत्रों में जहाँ दुग्ध विधायन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, वहाँ प्रोत्साहन नीति प्रकलाओं की द्वारा क्रॉस प्रजनन का विकास किया जायेगा। राठ, शारदा और नगीरा नस्लों का तेजी से विकास किया जायेगा। अनुसूचित जाति-बहुलता वाले दक्षिणी जिलों में पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। डेयरी विकास कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए जनसहयोग प्राप्त किया जायेगा। विधायन सुविधाएँ अब तक फेडरेशन द्वारा सम्पन्न की जा रही हैं। इनके द्वारा उत्पादक महकरो सघों का इम्तान्तरित कर दिया जायेगा। इसमें हजारों दुग्ध उत्पादक विधायन सुविधाओं के स्थायी हो जायेंगे और व दूध की प्रति उत्पदन पशु चिकित्सा और विपणन आदि व सम्बन्ध में सुसुचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चाा विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जायेगा। वर्तमान में चाा व उत्पदन आवश्यकता में कम है। अतः चाा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी। कृषकों को निश्चित खेती की जानकारी दी जायेगी तथा बरकर भूमि में चाा की खेती पर बल दिया जायेगा। चाा के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रभावित बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। टेक्नॉलॉजी निर्यात कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में तेजी से लागू किया जायेगा जहाँ ऑरगेनिक फीड कार्यक्रम लागू नहीं

किए गये हैं। ये दो क्षेत्र हैं जहाँ परिवहन की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं अतः दूध को एवत्रित करना कठिन होता है। दूध शीघ्र नाशवान वस्तु है अतः इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए ठण्डा रखना पड़ता है। अतः सहकारी समितियों को परिवहन एवम् शीत सुविधाओं का अभाव होने के कारण हानि उठानी पड़ती है। दुग्ध सघ एव फैंडरेशन भी पूँजीगत खर्चों, उँची ब्याज दरों एवं धमताओं के अपूर्ण उपयोग के कारण हानि की स्थिति में है। राज्य में किसी भी नये कार्यक्रम को लागू करने के पूर्व ऐसी स्थितियों को समाप्त किया जायेगा। अतः आठवीं योजना में डेयरी विकास के लिये 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

नवी योजना में डेयरी विकास (Dairy Development in 9th Plan) - नवी योजना में डेयरी प्रबन्ध को सुदृढ़ करने, तकनीकों का आधुनिकीकरण करने, दूध उत्पादनक्षमता में वृद्धि करने तथा डेयरी उद्योग को उद्यमियों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य निर्धारित किये गये। योजनाकाल में डेयरी विकास कार्यक्रमों पर 2000 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। योजनाकाल में दूध विपणन व्यवस्था पर 134 लाख रुपये, प्लांट व भशोनी पर 350 लाख रुपये, प्रशिक्षण पर 90 लाख रुपये, पशु विकास पर 75 लाख रुपये और राजीरो फार्म विकास पर 48 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

राज्य का लगभग 2/3 भाग शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में आता है। इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ किस्म के पशुधन का विकास हुआ है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृषि की तुलना में पशुधन का विकास अधिक हुआ है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में पशुधन का अंशदान 28% में अधिक है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो यह और भी अधिक है। रेगिस्तानी अर्थव्यवस्था में पशु सम्पदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अतः मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक धन के प्रावधान की आवश्यकता है।

राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याएं

व समाधान के उपाय

PROBLEMS & SOLUTIONS OF DAIRY DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

1 पशुओं से सम्बन्धित समस्याएँ (Problems Relating to Animals) राजस्थान में पशुओं की उत्पादकता कम है यद्यपि कि राज्य में अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव है। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते हैं। उनकी देखभाल व आवास व्यवस्था भी निम्न स्तर की होती है। पशुओं की चिकित्सा के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सालय भी नहीं हैं। यही स्थिति वृषि गर्भाधान केंद्रों के सदर्भ में भी है। इस समस्या का निवारण पशुपालकों में शिक्षा व पशुपालन के प्रति जागरूकता

उत्पन्न करके किया जा सकता है। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था उचित मूल्यों पर की जा सकती है।

2. मूल्यों की समस्या (Problems of Prices) पशुपालन में प्रयुक्त चावल, पशु आहार निकाला व्यय आदि के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसकी तुलना में दूध के मूल्यों में उचित वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण पशुपालक को पशुपालन अनार्थिक प्रतीत होता है। इस समस्या का समाधान दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं की समिति बनाकर एव दोनों पक्षों की राय का व्यापक मर्मक्षण कर किया जा सकता है।

3 दुग्ध उत्पादों की सीमित मांग (Limited demand of milk products) - दूध के अनेक उत्पादों की मांग केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है। इस कारण दूध के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहन नहीं मिला है। इस समस्या के लिए सम्बन्धित उत्पाद का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये तथा उनके मूल्य भी उचित होने चाहिये।

4 परिवहन की समस्या (Problem of transportation) : दूध उत्पाद केंद्रों से दूध को डेयरी सयंत्र तक लाने में परिवहन सुविधाओं के अभाव में कठिनाई अनुभव होती है। इस कार्य के लिए जो वाहन प्रयोग में लिए जाते हैं उनके खर्च होने या देरी से पहुँचने के कारण, दूध खराब हो सकता है। ऐसे वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो अवशीतन कार्य भी कर सकें।

5 सहकारी समितियों के दर्शन को न समझना (Lack of understanding of co-operative philosophy) : राजस्थान में डेयरी विकास का आधार सहकारिता की मूल भावना के अनुरूप किया गया है। इन सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बहुत कम है। साथ ही इसके सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित नहीं होते। इस कारण इस व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हो गये हैं। दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों, कर्मचारियों व अधिकारियों को इससे सम्बद्ध होने से पूर्व एक अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

6 भ्रष्टाचार (Corruption) : इससे सम्बन्धित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य अनुचित तरीके अपना कर अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस कार्य में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भी उनका साथ देते हैं। भ्रष्टाचार, पशुपात व राजनीति के प्रवेश में प्रबन्ध अथम हो जाता है और दोष पनपने लगते हैं। इस प्रक्रिया को तभी उल्टा जा सकता है जबकि सहकारी समितियों के सदस्य जागरूक और अपने हितों के लिए सघर्ष करने वाले हों।

7. अन्य (Others) - डेयरी सयंत्रों के अन्तर्गत अवशीतन केंद्रों का अभाव है। इस दूर किया जाना चाहिये। बिना सगौ

के द्वारा दूध का उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। पशुओं से सम्बन्धित शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनके लाभों को ग्रामीणों तक पहुँचाना सटस्यों तक पहुँचनी चाहिये। डेयरी से सम्बन्धित उपकरण व चाहिए।

अध्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज्य का अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the role of dairy industry in the Economy of Rajasthan
- 2 राजस्थान में श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on white revolution in Rajasthan
- 3 क्षेत्र में राजस्थान के डेयरी प्लांटों का विवरण दीजिए।
Describe the dairy plants in Rajasthan
- 4 ऑपरेशन फ्लड क्या है?
What is operation flood?
- 5 राजस्थान में डेयरी विकास की क्या समस्याएँ हैं?
What are the problems of dairy development in Rajasthan
- 6 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के उद्देश्य बताईए।
Explain the objectives of dairy development in Eighth Five Years Plan of Rajasthan
- 7 राजस्थान सहकारी परिसंघ लि. पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd

B. निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 "राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Role of Dairy Industry in the Economy of Rajasthan"
- 2 "राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note "Dairy Development Programme in Rajasthan"
- 3 राजस्थान में डेयरी विकास की समस्याओं तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Describe the problems and achievement of Dairy Development in Rajasthan
- 4 राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Explain the development, present position and problems of Dairy industry of Rajasthan
- 5 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
Describe the programmes of Dairy Development in Rajasthan


C. विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए। (अप्रैल 1992)
Write an essay on Dairy Development Programme in Rajasthan
- 2 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए।
Determine the role of Dairy industry in the Economy of Rajasthan. Describe the efforts made by the State Govt. for Dairy Development.
- 3 टिप्पणी लिखिए
Write note on
(i) An mal feed plants in Rajasthan (ii) राजस्थान के डेयरी प्लांट
(ii) Dairy plants in Rajasthan

राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन

SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN



"राजस्थान में पाये जाने वाले पशुओं में आधे से अधिक भाग भेड़ बकरियों का है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में भेड़ा व बकरियों का सटण
- भेड़ा व बकरिया का जिलानुसार वितरण
- राजस्थान में भेड़ा का प्रमुख नस्लें
- भेड़ व बकरी पालन में संबंधित विभिन्न याजनाएँ कायम व सुविधाएँ
- भेड़ व बकरी पालन का विशिष्ट समस्याएँ व मुद्दाएँ
- अध्यायार्थ प्रश्न

राजस्थान के अधिकांश भाग में रेगिस्तान है अतः राजस्थान की शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति व जनबाध आदि भेड़ व बकरी पालन के लिए उपयुक्त है। भेड़ व बकरी पालन व्यवसाय से राज्य में अनेक व्यक्तियों का रोजगार की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन निर्वाह की अनेक वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। भेड़ा में मुख्यतः ऊन की प्राप्ति होती है। भेड़ व बकरिया अत्यधिक बागक घास और विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में भी चराने रह सकती हैं और अपने पालकों को पर्याप्त लाभ दे सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भेड़ों में श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग में ऐसा परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में अन्य पशुओं का अपेक्षा भेड़ एवं बकरीया अधिक मरूटा में पाली जाती हैं। राज्य की भेड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन में केवल कच्चा गम कपड़े दुशाले आदि बनाए जाते हैं वस्तु-ऊन का निर्यात भी किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। भेड़ व बकरी पालन में राज्य के चमड़ा उद्योग का तब तक विकास हुआ है। चमड़ा व खान में नूतन दमन रम्य धैतव्य को न अटोचिया आदि अनेक प्रकार का वस्तुएँ बनाई जाती हैं। राज्य में अनेक स्थानों पर एका वस्तुएँ बनाने के कारखाने

स्थापित किये गये हैं। राज्य से चमड़े का निर्यात भी किया जाता है। भेड़ व बकरियों से प्राण सींग, हड्डियों व बालों का प्रयोग भी किया जाता है। बालों से बुनाई बनाये जाते हैं और सींग व हड्डियों का प्रयोग मुख्यतः बटन, कपड़े व तेल का मामान तथा खाद आदि वस्तुएँ बनाने में किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि भेड़ व बकरियाँ न केवल राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के निवासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है वरन् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग भी दे रही है।

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या

NUMBER OF SHEEP & GOATS

राज्य में 1951 के पश्चात् भेड़ व बकरीया दोनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही लेकिन 1983 के पश्चात् भेड़ व बकरियों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य में निरन्तर सूखे व अकाल की स्थिति का बने रहना है। भेड़ों व बकरियों की दृष्टि से 1987-88 का वर्ष इस शताब्दी का निकृष्टतम वर्ष रहा था। 1983 की तुलना में 1988 में भेड़ों की संख्या में 26.19 प्रतिशत तथा बकरियों की संख्या में 18.65 प्रतिशत की कमी हुई। अग्रे तालिका में भेड़ों व बकरियों की संख्या को दर्शाया गया है।

राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की संख्या				
वर्ष	भेड़ों की संख्या (लाखों में)	कुल पशुधन का प्रतिशत	बकरियों की संख्या (लाखों में)	कुल पशुधन का प्रतिशत
1951	53.87	21.11	55.62	21.80
1961	73.61	21.97	80.52	24.03
1972	85.56	22.01	121.62	31.28
1977	99.38	24.03	123.07	29.76
1983	134.31	27.05	154.80	31.18
1988	99.13	24.24	125.93	30.79
1992	121.68	25.47	150.62	31.53
1997	143.12	26.33	169.38	31.16

स्रोत: Board of Revenue Rajasthan Livestock Census 1997

भेड़ों व बकरियों का जिलानुसार वितरण

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF SHEEP & GOAT

राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में भेड़े पाली जाती हैं लेकिन राज्य के शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भेड़पालन व्यवसाय अधिक उत्तम है। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिवर्ष अकाल एवं सूखे की स्थिति चली रहती है अतः इन क्षेत्रों की भेड़े चारे व पानी की कलश में राज्य के अन्य जिलों में ले

जायी जाती है। भेड़ों व बकरियों के जिलानुसार वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

भेड़ व बकरियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले (1997)		
जिला	संख्या (लाख)	
अ. भेड़	1 जोधपुर	15.6
	2 बाड़मेर	15.1
	3 पाली	13.6
व. बकरी	1 बाड़मेर	18.6
	2 जोधपुर	12.9
	3 नागौर	10.8

स्रोत: Board of Revenue Rajasthan, Livestock Census 1997

राजस्थान में भेड़ों की प्रमुख नस्लें

MAIN BREEDS OF SHEEP

1 चोकला (Chokla) अधिकतर यह नस्ल शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, अतः इस नस्ल को शेखावटी नस्ल भी कहते हैं। डुड्डू और सीकर जिलों में यह काफी अधिक संख्या में विद्यमान है। इस नस्ल की भेड़ के चेहर पर गहरे भूरे व काले धब्बे होते हैं। इसके ऊपर के रेशों की लम्बाई 5.5 सेंटीमीटर होती है।

2 जैसलमेरी (Jaisalmeri) इस नस्ल की भेड़ मुख्यतः जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों में मिलती है। यह लम्बे कानों वाली व पुष्ट शरीर की होती है। देशी नस्लों में यह सबसे अधिक ऊँचे देने वाली नस्ल है। इसका रेशा 5.7 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

3 पूगल (Pugal) - इसका मूल स्थान पूगल होंसे के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। पूगल, बीकानेर जिले की एक नस्ल है। यह भेड़े जैसलमेर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। जोधपुर व नागौर के कुछ क्षेत्रों में भी ये विद्यमान हैं। ये शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं। इनसे प्राप्त ऊँचे रेशा 5.9 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

4 मगरा (Magra) जैसलमेर बीकानेर व नागौर जिलों में पाई जाने वाली यह नस्ल सुन्दर व मजबूत होती है। इसकी ऊँचाई का रेशा 5.9 सेंटीमीटर लम्बा होता है।

5 मारवाडी (Marwarai) राजस्थान की अधिकांश भेड़े इसी नस्ल से सम्बन्धित हैं। ये भेड़े जोधपुर, पाली नागौर, जयपुर, बाड़मेर, डुड्डू, सीकर आदि जिलों में पाई जाती हैं। यह राजस्थान की अन्य नस्लों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधी है। इस भेड़े के कान लम्बे तथा मुह काला होता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पुष्ट होती है। इसकी की ऊन के रेशों की लम्बाई 5.2 सेंटीमीटर होती है।

6 नाली (Nal) श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में मुख्यतः यह नस्ल विद्यमान है। इस नस्ल की भेड़ों का चेहरा हल्का भूराभन लिए हुए होता है। इसके कान लम्बे होते हैं। इस नस्ल की ऊन के रेशों की लम्बाई 6.5 सेंटीमीटर होती है।

7 मालपुरा (Malpura) जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह नस्ल पाई जाती है। टाक और सर्वाईभाधेपुर जिलों में भी यह पाई जाती है। इसका मुँह हल्के भूरे रंग का तथा कान छोट होते हैं। इसके ऊन के रेशों की लम्बाई 6.2 सेंटीमीटर होती है।

8 मोनाड़ी (Sonari) अपेक्षाकृत लम्बी पूछ वाली यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। बिलौडगढ बामवाडा उदयपुर डगपुर भोलवाडा आदि जिलों में यह पाई जाती है। इस नस्ल के ऊन के रेशों की लम्बाई 7.2 सेंटीमीटर होती है।

भेड़ व बकरी पालन के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, कार्यक्रम व सुविधाये

VARIOUS PLANS PROGRAMMES & FACILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SHEEP & GOAT HUSBANDRY IN RAJASTHAN

अ भेड़पालन

Sheep Husbandry

राज्य प्राथमिक अर्थव्यवस्था में भेड़पालन तबों में एक महत्वपूर्ण घटक बनना जा रहा है क्योंकि यह व्यवसाय राज्य की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय एवं राजस्व के अवसर प्रदान करता है। राज्य के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भागों में कमजोर वर्गों के लिए भेड़पालन उनकी आजीवनिका का मुख्य साधन है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 143.12 लाख भेड़ थीं जो कि दश में भेड़ा की कुल संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 170 लाख कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन होता है। भेड़ों में बीमारियाँ की रोकथाम हेतु दवाइयों की खुराकें छिड़काव एवं टीकाकरण आदि कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। बीमारियाँ की रोकथाम के उपायों के अतिरिक्त अच्छी किस्म के ऊन उत्पादन के लिए उन्नत भेड़ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयनित एवं वर्षसंकर नस्लों के प्रजनन एवं

प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी राज्य में तीव्रता से चलाए जा रहे हैं। पानी व चारे की कमी के कारण भेड़े पश्चिमी राजस्थान से राज्य की सीमा में जुड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में चलाए जाते हैं। भेड़ों के उद्धार के दौरान उचित एवं तुरंत उपचार देने हेतु अनेक स्थाई निगरानी चौकियाँ स्थापित की गई हैं।

1 स्वास्थ्य रक्षा (Health Protection) भेड़ व ऊन विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भेड़पालकों को भेड़ा की उचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। इस जानकारी के अन्तर्गत भेड़पालकों को उन्नत एवं नवीन विधियों के बारे में बताया जाता है। भेड़ों को स्वस्थ रखने तथा गर्भों में बच्चे के लिए नियमित रूप से दवा देने व टीके लगाने की जानकारी भी दी जाती है। औषधि वितरण एवं टीके लगाने का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है। भेड़ व ऊन विभाग के कर्मचारी भेड़पालकों के घरों पर ये सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।

2 भेड़पालक प्रशिक्षण (Training) भेड़पालकों को प्रशिक्षित करने हेतु भेड़ व ऊन विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भेड़पालकों को भेड़पालन सम्बंधी नवीनतम जानकारी से अवगत कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। भेड़ व ऊन विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा भेड़ों की स्वास्थ्य तथा प्रजनन उत्पादन विषयों पर चर्चा विकास तथा कृषारापण एवं सकारिता आदि की जानकारी दी जाती है।

3 चल राग अनुसंधान कार्यशाला (Mobile Disease Research Workshop) राज्य में भेड़ विकास का ध्यान में रखते हुए जयपुर काटा बीकानेर जोधपुर भावनगर तथा उदयपुर में एक एक चल रोग-अनुसंधानशाला स्थापित की गई है। ये अनुसंधानशालायें टीके लगाने दवा पिताने दवा छिड़कने तथा बंध्याकरण आदि कार्य करती हैं। इनके द्वारा ऊन प्रशिक्षण युवकों की जान तथा फार्मास्यूटिकल आदि कार्य भी किये जाते हैं। ये नियमित भेड़ा की स्वास्थ्य तथा भी कार्य करता है।

4 संकर प्रजनन कार्यक्रम (Cross Breeding) देशी नस्ल की भेड़ा में बहुत कम ऊन प्राप्त होता है। इनमें प्राप्त ऊन घटिया किस्म की होती है। अतः श्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न नस्लों के भेड़ों से देशी नस्ल की भेड़ा में संकर प्रजनन कार्य किया जाता है। यह कार्य राज्य के 4 भेड़ प्रजनन फार्मों पर किया

जाता है। कार्यक्रम के अनुसार भेड़पालकों को सकर मेडे दिये जाते हैं। इन सकर मेडों से देशी नस्ल की भेड़ों के माध्यम से 25 प्रतिशत विदेशी गत की सकर सतनि प्राप्त की जाती है। सकर नस्ल की भेड़ों से न केवल अधिक ऊन प्राप्त होता है वरन् उनसे प्राप्त ऊन श्रेष्ठ किस्म की भी होती है। भेड़ व ऊन विभाग द्वारा मकर प्रजनन का कार्यक्रम राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, पाली, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक तथा श्रीगंगानगर जिलों में चलाया जा रहा है।

5 चयनित प्रजनन (Selective Reproduction)

यह कार्यक्रम बाड़मेर, पाली जालौर, जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर जिलों में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं

(i) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊन भेड़पालकों का परीक्षण किया जाता है जिनके पास 50 से 100 भेड़े हैं।

(ii) भेड़ व ऊन विभाग द्वारा भेड़पालकों को मारवाडी जैसलमेरी तथा मगरा नस्ल के मेडे प्रजनन हेतु दिये जाते हैं।

(iii) मेडों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है। इन मेडों में उत्पन्न मेमनों को भी 18 माह तक पौष्टिक आहार निःशुल्क दिया जाता है।

(iv) जब मेमने प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो विभाग इन्हें 17 रुपये प्रति किलोग्राम के जीवित भार की दर से क्रय कर लेता है और इन्हें अन्य भेड़पालकों को वितरित कर देता है।

(v) श्रेष्ठ किस्म के व अधिक ऊन वाले 20 प्रतिशत चयनित नर मेमनों का भेड़पालकों द्वारा बीमा करवाना आवश्यक होता है।

6 भेड़ प्रजनन केन्द्र (Sheep Reproduction Centre)

सकर प्रजनन कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से राज्य के चार स्थानों पर भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर विदेशी नस्ल की भेड़ एवं मेडे खरीदकर प्रजनन के उद्देश्य से पाले जाते हैं। राज्य के चार भेड़ प्रजनन केन्द्र निम्नलिखित हैं

(i) भेड़ प्रजनन फॉर्म, फतेहपुर (सोकर)

(ii) भेड़ प्रजनन फॉर्म, जयपुर

(iii) भेड़ प्रजनन फॉर्म चित्तौड़गढ़

(iv) भेड़ प्रजनन फॉर्म, दाकलिया (सागर)

7 भेड़ इकाइयाँ (Sheep Units) :

यह योजना परीक्षी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि हेतु लागू होती है। यह कार्यक्रम 1976-77 से प्रारंभ किया गया। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों को 30 भेड़े और एक मेडे की इकाई उपलब्ध कराई जाती है। भेड़पालक को भेड़ों की कुल राशि में से तलु कूपकों को 25 प्रतिशत,

मीषान कूपकों एवं कृषि श्रमिकों को 33 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह कार्यक्रम अनेक निर्धन व्यक्तियों की जीविका का प्रमुख साधन बन चुका है।

8 जनजाति हेतु भेड़ विकास सुविधाएँ (Facilities for Tribes)

आदिवासी परिवारों को ऊन व भेड़पालन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उदयपुर व बागवाडा में 2 जिला भेड़ व ऊन कार्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, तीन नये कुविम गर्भधान प्रसार केन्द्रों की स्थापना भी की गयी है। अनेक स्थानों पर मकर प्रजनन के लिए विदेशी एवं सकर मेडों के पालन पोषण की व्यवस्था भी की गई है।

9 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला (Wool Analysis Laboratory) :

ऊन की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बीकानेर में एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। यहाँ पर ऊन के नमूनों की वैज्ञानिक विधि से भौतिक एवं रासायनिक जाँच की जाती है। ऊन की किस्म की जाँच के आधार पर भेड़पालकों को श्रेष्ठ नस्ल के मेडे वितरित किये जाते हैं।

10. भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान (Sheep & Wool Training Institute) :

भेड़ व ऊन सम्बन्धी तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिये एक भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। यह संस्थान भेड़ व ऊन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेड़ व ऊन सम्बन्धी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य गण्यों से आने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी भेड़ व ऊन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ विदेशी रो भी अनेक व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये आते हैं।

11 भेड़ों का निष्क्रमण एवं घरागाह कार्यक्रम (Outgoing Sheep & Pastures)

राजस्थान में भेड़ों की संख्या अधिक है जबकि चरागाह सीमित है। अतः अकाल व सूखे की स्थिति में भेड़पालकों का निष्क्रमण होता है। राज्य की लगभग 30-35 लाख भेड़ें प्रतिवर्ष मन्खेत्रों से राज्य के अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों को निष्क्रमण कर जाती हैं। भेड़ों को यह संख्या अकाल की स्थिति पर निर्भर करता है। भेड़ा के निष्क्रमण से वानरु व व्यवस्था सम्बन्धी अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चरागाह विकास के लिये एक योजना प्रस्तावित की गई है। यदि यह योजना समुचित रूप से पूर्ण हो जाये तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

12 सघन जलग्रहण परियोजना सघन जलग्रहण परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बनाई गई है। इस योजना में भंड व ऊन विकास कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अनुसार भेड विकास सबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है।

13 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भेड व ऊन विकास कार्यक्रम (Sheep & Wool Development Programme in Indira Gandhi Canal Project) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत वाकनेर व नैसलमर चिना में लगभग 2.50 लाख भेडों के लिये भंड व ऊन विकास कार्यक्रम की एक योजना प्रस्तावित है।

14 मरु विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चरागाह विकास के लिये 160 हैक्टेयर क्षेत्र में चांग उत्पन्न किया जाता है 1991-92 में भेड व ऊन विभाग के अधीन यह योजना सीकर फतेहपुर तथा तूरू में चानू की गयी।

15 सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (Draught Prone Area Programme) इस कार्यक्रम के अंतर्गत डूंगरपुर तथा बासवाडा जिलों में 1991-92 में चरागाह विकास कार्यक्रम चालू किया गया

16 राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड इस संस्थान की स्थापना 1977 में की गई है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भेडपालकों को राहकारिता के माध्यम से उनका उन व मेडा का उचित मूल्य प्रदान करना था। फेडरेशन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है अतः उचित विपणन व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाना है।

17 भेड जिले (Sheep Districts) राजस्थान को 17 भेड जिलों में विभक्त किया गया है। ये भेड जिले हैं अजमेर जयपुर कामकाडा टोंक गडमेर भीलवाडा बीकानेर टोंक चूरू मूगतगढ़ जालौर झुझुनू बोधपुर नागौर पाली उदयपुर व सीकर। भेड प्रजनन फार्मों की स्थापना चित्तौड़गढ़ जयपुर व फतेहपुर में की गई है। जयपुर में भेड व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। जोधपुर में भेड व बकरियों की बीमारियां के लिये प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। व्यावर व बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गयी हैं। अजमेर भीलवाडा बीकानेर जोधपुर बारा नालौर उदयपुर बांसमे व कौन्ती में चानू प्रशिक्षण शालाएँ कार्यरत हैं।

अ बकरीपालन Goat Husbandry

राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बकरियां पाली जाती हैं। अरावली पर्वतमालाओं के निकटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा अलवर व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में बकरीपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। यह व्यवसाय प्रायः निर्धन एवं कमजोर वर्गों द्वारा अपनाया जाता है। यही कारण है कि बकरी को गरीब की भाँसी की संज्ञा प्रदान की जाती है। बकरियों में दूध मांस चमड़ा बाल आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। बकरी का दूध बच्चों के स्वास्थ्य हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। राज्य के शुष्क व अर्द्धशुष्क भागों में बकरियों की संख्या अधिक है। राज्य में पाये जाने वाली बकरियों को उन की नस्ल की दृष्टि में दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम दुधारू नस्ल की बकरियाँ और द्वितीय माम वाली नस्ल की बकरियाँ दुधारू नस्ल के अन्तर्गत जमनापारी अलवारी मिर्गोती जखाराना व बरबरी नस्लें अधिक लोकप्रिय हैं। मांस वाली नस्लों के अंतर्गत लोही और मारवाडी नस्लें प्रमुख हैं। स्थानीय नस्ल की बकरियों की उत्पादन क्षमता कम होने से पशुपालकों को पर्याप्त लाभ नहीं होता है अतः राज्य में उन्नत किस्म की प्रकृति की नस्लें तैयार की जाना चाहियें। इसके लिये उन्नत किस्म के बकरे वितरित किए जाने चाहियें। नस्लासुधार हेतु विदेशी नस्लों के द्वारा मकर प्रजनन से भी बकरियों की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। बकरियों हेतु चारे की व्यवस्था हेतु सामाजिक कानिनी कार्यक्रम में एसे भेड पौधे व झाड़ियाँ लगाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये जो बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हों। खेजड़ी बोरडी अरइ आदि पौधे बकरियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। राजस्थान में मामाहागी खादियों द्वारा मुख्यतः बकरों के मांस का मेहन किया जाता है। बकरों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। राज्य के प्रमुख शहरों में इसकी माँग है। बकरियों के बालों से कम्बल व दरिया आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं इनके चमड़े में भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। राज्य सरकार ने बकरियों के विकास पर अपभ्रान्त धन ध्यान दिया है अतः इनसे सम्बंधित अनेक समस्यायें विद्यमान हैं।

बकरीपालन से आर्थिक स्रोतों का विवाग करने और बकरीपालन परियोजनाओं का कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मिन्टजरलेण्ड सरकार के सहयोग से राजस्थान में बकरी पालन एवं चारा उत्पादन परियोजना प्रारंभ की है। अजमेर जिले में रामनगर ग्राम में इस परियोजना पर कार्य करने के लिये एक फार्म का विनास किया गया है। आर्पाईन एवं टागन वर्ग के उन्नत नस्ल के बकरों एवं

राजस्थान की सिरोही नस्ल की बकरियों के माध्यम से उन्नत नस्ल के बकरे बकरियों का उत्पादन कर इन्हें राज्य के बकरी पालकों को वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में अजमेर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिलों को लिया गया है। इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल के बकरे व बकरियों का वितरण करने के माध्यम से चारा विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

भेड़ व बकरी पालन की विशिष्ट समस्याएँ एवं सुझाव

SPECIAL PROBLEMS RELATING TO SHEEP & GOAT AND SUGGESTIONS

1 निष्क्रमण राजस्थान में भेड़ व बकरी पालक अपने पशुओं को लगभग प्रतिवर्ष 6-7 माह राज्य से बाहर तथा राज्य में ही उन स्थानों पर घूमाते रहते हैं जहाँ उन्हें पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है। चारा समाप्त होने पर पुनः वे अन्य स्थानों के लिये चल देते हैं। यह क्रिया लगातार दोहराई जाती है। इस स्थिति के कारण भेड़ एवं बकरी पालकों पर विशेष ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। सरकार इस समस्या का समाधान पर्याप्त मात्रा में चारा एवं चरागाह उपलब्ध कराकर कर सकती है।

2 अपर्याप्त चरागाह (Inadequate Pastures) जो लोग बाहर निष्क्रमण नहीं करते, उन लोगों के लिये भी पर्याप्त चरागाह नहीं है। भेड़ एवं बकरी पालकों को काफी बड़े क्षेत्र में चरागाह की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण अभियान के कारण, जब तक पेड़ छोटे होते हैं उस समय वे क्षेत्र भी जो उनके नियमित चरागाह रहे हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन पशुपालकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि वह भेड़ एवं बकरी पालकों के लिये चरागाह निर्धारित कर दे और यदि इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाए तो वृक्षों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

3 विकास कार्यक्रमों की अनुपालना न हो पाना (Lack of Implementation of Development Programmes) राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन के विकास के लिये जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं वे कार्यक्रम सरकारी प्रयासों में एक बार आरम्भ तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें निरन्तर बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि भेड़ एवं बकरी पालक वर्ष में लगभग 6 माह तो

अपने स्थान पर रहते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, आरम्भ किये गये कार्यक्रम का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इस स्थिति को बदलने के लिये सरकार द्वारा पशुओं के निष्क्रमण को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

4 अच्छी नस्ल का अभाव (Lack of good Breeds). राजस्थान में भेड़ एवं बकरीयों की अनेक नस्ले पाई जाती हैं किन्तु इनमें से जो सर्वोत्तम नस्ल है उसे नहीं अपनाया गया है। भेड़ एवं बकरीयों में उनकी नस्ल की अपेक्षा उनकी अधिक मात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे पशुपालक हानि में रहते हैं। विदेशी नस्लों को मिला कर जो मकर नस्ले तैयार की जाती हैं उन पर भी भेड़ एवं बकरी पालक अधिक ध्यान नहीं देते हैं इस कारण उनके पशुओं की नस्ल खराब बनी रहती है। इस समस्या का समाधान पशुपालकों से निरन्तर सम्पर्क करके उन्हें सकार नस्लों और उन्नत नस्लों की जानकारी देना है।

5 पर्याप्त देखभाल का अभाव एवं बीमारियाँ (Lack of Proper Maintenance and Diseases) भेड़ एवं बकरी पालकों का दृष्टिकोण व्यावसायिक नहीं है। इस कारण वे अपने पशुओं की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते और जो कुछ भी उन पशुओं से मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहते हैं। अपर्याप्त देखभाल की वजह से उनके पशु रोमाप्रस्त भी हो जाते हैं। वे रोग कई बार तो उनके समस्त पशुओं में फैल जाते हैं। समय पर दवाइयाँ और टीके आदि लगाने पर भी वे ध्यान नहीं देते। इसमें एक बाधा उनका प्रतिवर्ष दूसरे स्थानों को निष्क्रमण भी है। इस समस्या का समाधान तो पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करके ही किया जा सकता है।

6 निर्धनता एवं अशिक्षा (Poverty and Illiteracy) अन्य पशुपालकों की अपेक्षा भेड़ एवं बकरी पालक अधिक निर्धन हैं साथ ही वे अशिक्षित भी हैं। इन दोनों कारणों से उनके विकास के लगभग सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भेड़ एवं बकरीयों के आवास की उचित व्यवस्था, उनको पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, अच्छी नस्ल का विकास करना आदि वर्गों में कुछ धन की भी आवश्यकता होती है। वे पशुपालक ऐसे वर्गों को स्वीकार करते रहते हैं, जिनमें धन लगाना आवश्यक हो। सरकार को चाहिये कि वह पहले भेड़ एवं बकरी पालन के विकास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करे। इससे पशुपालकों की पशु विकास में रूचि जागृत होगी तथा वे सधरता की ओर अग्रसर होंगे।

अध्यासाय प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राज की अर्थव्यवस्था में भेड़ एवं ऊन का महत्व बताईए।
Explain the importance of Sheep and Wool in the economy of Rajasthan
- 2 'गर्भ योजना का अर्थ में राजस्थान में भेड़पालन एवं ऊन उत्पादन के महत्व का उद्घार कीजिए।
Highlight the importance of Sheep rearing and Wool production in Rajasthan during the current plan period
- 3 राजस्थान में भेड़ों व बकरियों की वर्तमान स्थिति बताईए।
Mention the present position of Sheep and goats in Rajasthan
- 4 राजस्थान में भेड़ा का जिलानुसार वितरण बताईए।
Mention the districtwise distribution of Sheep
- 5 भेड़ों का प्रमुख नस्ल क्या है?
What are the main breeds of Sheep
- 6 राजस्थान के भेड़ प्रजनन केंद्रों का उल्लेख कीजिए।
Mention the Sheep reproduction centres of Rajasthan
- 7 राजस्थान में बकरी पालन पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on "Goat Husbandry in Rajasthan"
- 8 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन की विशेष समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the special problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पशुधन क्यों महत्वपूर्ण है और भेड़ एवं बकरी पालन की क्या समस्याएँ हैं?
Why livestock is important in arid and semi arid regions of Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry
- 2 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन का क्या महत्व है और उनके पालन में प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? विवरण दीजिए।
What is the importance of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan and what are the problems of Sheep and Goat Husbandry? Discuss
- 3 राज्य सरकार द्वारा भेड़ व ऊन विकास पर किए गए कार्यों को ब्याख्या कीजिए।
Examine the efforts made by Govt. of Rajasthan for Sheep and Wool development
- 4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Sheep and goat Husbandry in Rajasthan
- 5 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं कार्ययोजनाएँ एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए।
Explain the various plans programmes & facilities for the development of Sheep-Goat Husbandry in Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)


- 1 राजस्थान में भेड़ उद्योग पालन के विकास तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।
Critically analyse the Govt. efforts for the development and solution of problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan
- 2 "राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याओं" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विवरण दीजिए।
Write a short note on "Problems of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan"
- 3 "राज्य व शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भेड़ एवं बकरी पालन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Role of Sheep and Goat Husbandry in arid and semi arid regions of the state"
- 4 राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन के निम्न तथ्यों का वर्णन कीजिए
(i) भेड़ों व बकरीयों की मुख्य (ii) भेड़ा का जिलानुसार वितरण
(iii) भेड़ा की प्रमुख नस्लें (iv) भेड़ व बकरी पालन की समस्याएँ
Describe the following factors of Sheep and Goat Husbandry in Rajasthan
(i) Number of Sheep & Goat (ii) Districtwise Distribution of Sheep
(iii) Breeds of Sheep (iv) Problems of Sheep and Goat Husbandry



अध्याय - 13

राजस्थान का संरचनात्मक विकास

INFRA STRUCTURAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



“संरचनात्मक ढांचा विकास का आधार है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में सिंचाई
- राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ
- योजनाकाल में सिंचाई का विकास
- राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में सिंचाई सम्बन्धी समस्याएँ व सुझाव
- राजस्थान में शक्ति
- राजस्थान में ऊर्जा विकास के सदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका
- ऊर्जा के सारनों की समस्याएँ और समाधान
- राजस्थान में सड़कों का विकास
- राजस्थान में रेल परिवहन
- अभ्यासार्थ प्रश्न

संरचनात्मक ढांचा विकास का आधार होता है। इसके सुदृढ़ होने पर ही बहुमुखी उन्नति संभव होती है। संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत सिंचाई शक्ति परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा स्वास्थ्य आदि भी इसके महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं क्योंकि मानव-सम्पदा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। राजस्थान में ढांचागत विकास जैसे ऊर्जा सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में समझौते एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है -

(अ) राजस्थान में सिंचाई

(ब) राजस्थान में शक्ति

(स) राजस्थान में सड़कों व परिवहन के अन्य माध्यम

राजस्थान में सिंचाई

IRRIGATION IN RAJASTHAN

राजस्थान के विकास के लिए जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में स्थलीय व भूमिगत जल की कमी

(iii) **मीठा पानी (Potable Water)**- कुएँ प्रायः मीठे पानी वाले क्षेत्रों में खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि मीठे पानी से सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। खारे पानी में कुछ हा फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं तथा खारे पानी से लगातार सिंचाई करने से कुछ समय परचात भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है।

(iv) **ऊँचा जल स्तर (High Water Level)** कुएँ प्रायः ऊँचे जलस्तर वाले क्षेत्रों में खोदना उपयुक्त रहता है क्योंकि पानी भूमि को सतह से अधिक गहराई पर होने में कुएँ खोदने की लागत भी अधिक आती है और सिंचाई में भी कठिनाई होता है।

(v) **उपजाऊ मिट्टी (Fertile Soil)** उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कुएँ खोदकर सिंचाई करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जबकि अनुपजाऊ और बेकार भूमि वाले क्षेत्रों में कुएँ खोदना लाभदायक नहीं होता है।

क्षेत्र (Area)

कुओं से सिंचाई का दृष्टि से उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र और राजस्थान प्रमुख हैं।

नलकूपों का अधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश पंजाब गुजरात बिहार मध्य प्रदेश तथा परिषद बंगाल में होता है।

लाभ (Merits)-

- (1) कुओं स्वतंत्र व विश्वसनीय साधन हैं।
- (2) कम व्यय के कारण किसानों के लिए सिंचाई का सरल व सुगम साधन है।
- (3) खेतों में पानी भरने व लवणीकरण को समस्या उत्पन्न नही होती।
- (4) जल का उपयोग आवश्यकतानुसार ही होता है।
- (5) कृषक फसलों के चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है।
- (6) मत्स्य प्रतिकूल होने पर नहरों व तालाबों में पानी नही होगा उस समय कुओं से सिंचाई की जा सकती है।
- (7) नलकूपों के माध्यम से विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है।
- (8) कुओं के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती।

दोष (Demerits)

- (1) सिंचाई का क्षेत्र सीमित ही होता है।
- (2) वर्षा अपत्यान्त होने पर सामान्यतः कुएँ भी सूख जाते हैं।
- (3) यदि कुएँ में खारा जल निकल आये तो सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं होता।

(4) अन्य साधनों की अपेक्षा इसमें अधिक परिश्रम व व्यय करना होता है।

(5) नलकूप में शक्ति के साधनों का प्रयोग होने के कारण संचालन व्यय अधिक आता है।

राजस्थान में नलकूपों द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई की प्रगति अग्रानुसार रही है

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	9.85	4.66

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की स्थिति 1995-96 में इस प्रकार रही है

कुओं से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले-1995-96	
(1) अलवर	3.45 लाख हेक्टेयर
(2) जयपुर	3.23 लाख हेक्टेयर
(3) जालौर	2.91 लाख हेक्टेयर
(4) जौहार	2.14 लाख हेक्टेयर
(स्रोत: Statistical abstract Raj 1996)	

(2) **तालाब (Tanks)** वे भू भाग नहीं वषा का जल इकट्ठा हो जाता है तालाब कहलाते हैं। यदि भू भाग काफी बड़ा हो तो वह झील के नाम से जाना जाता है। तालाब व झील कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकती हैं।

उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ या तत्व

(Favourable Geographical Conditions)-

तालाबों के निर्माण हेतु प्रायः निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है

(i) **पथरीला जमीन (Rocky land)**- पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण करना उपयुक्त रहता है क्योंकि पथरीली भूमि अधिक पानी नहीं सोख पाता है जिससे तालाबों में पानी अधिक समय तक भरा रहता है।

(ii) **प्राकृतिक ढाल (Natural Slope)** तालाबों का निर्माण भूमि के प्राकृतिक ढाल वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए ताकि वर्षा होने पर पर्याप्त मात्रा में जल बहकर आ सके।

(iii) **प्राकृतिक गड्ढे (Natural Depression)** तालाबों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाना चाहिए जहाँ पहले से ही प्राकृतिक गड्ढे विद्यमान हैं ताकि निर्माण-लागत कम हो जाये।

(iv) पर्याप्त वर्षा (Sufficient Rain) तालाबों का निर्माण करत समय वर्षा की पर्याप्तता का भी ध्यान रखना चाहिये। ऐसे स्थान जहाँ वर्षा कम समय कम मात्रा तथा मूसलाधार रूप में हाती हो तालाबों के लिए उपयुक्त रहते हैं।

(v) सिंचाई के अन्य साधन न हो (Other Sources of Irrigation are not Available) तालाबों के निर्माण उन स्थानों पर भी उपयुक्त हैं जहाँ सिंचाई के अन्य साधनों का विकास न हुआ हो या वे अत्यन्त महंगे हैं।

लाभ (Merits)

- (1) प्राकृतिक वनावट के कारण थोड़े से प्रयत्नों से भू-भाग का तालाब का रूप दिया जा सकता है।
- (2) खेत का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत नहीं हो तो सिंचाई के लिए तालाब पर्याप्त है।
- (3) चट्टानी भूमि के कारण जल संग्रह क्षमता अधिक होती है।
- (4) धरातल असमतल व चट्टानी होने के कारण वहाँ न तो कुआँ और न ही नहरों के लिए उपयुक्त धरातल विद्यमान होता है।
- (5) नदियाँ बरसाती होती हैं अतः वर्षा सिंचाई हेतु स्थान-स्थान पर जल संग्रह करना आवश्यक होता है जो तालाबों द्वारा ही संभव होता है।
- (6) तालाबों का निर्माण कम व्यय में संभव है।
- (7) वर्षा का पानी तालाबों में एकत्र होता है अतः सदैव माटा-जल ही उपलब्ध होता है।
- (8) तालाबों से वर्षा सिंचाई संभव है।
- (9) कम लागत वाले प्राकृतिक तालाबों से सिंचाई कार्य संभव है।
- (10) तालाबों में मछली पालन व्यवसाय भी संभव सकता है जो स्थानांतरण आवश्यकता का पूर्ति कर सकता है।
- (11) वर्षा का पानी तो बहकर समुद्र में चला जाता है उसका उपयोग संभव हो सकता है।
- (12) पानी के लिए माटा-पानी उपलब्ध हो जाता है।
- (13) बेकार पठार और चट्टानी भूमि का भी उपयोग संभव हो पाता है।
- (14) जहाँ अन्य साधन संभव नहीं हैं तालाबों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।

दाय (Demerits)

- (1) यदि तालाबों के ऊपर नाच की आर-एक क्रम में हो तो ऊपर का एक भी तालाब टूटने पर नाच के

अन्य तालाबों के टूटने का भय रहता है जिससे जन-धन की हानि संभव है।

- (2) ढालू भूमि पर से पानी बहकर आने से मिट्टी का कटाव होता रहता है और मिट्टी एकत्र होती रहती है जिससे तालाब उथले हो जाते हैं।
- (3) वर्षा कम होने पर तालाबों में पर्याप्त पानी एकत्र नहीं हो पाता और वर्षा-सिंचाई नहीं हो पाती।
- (4) तालाब खुल जाने के कारण सूर्य के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं अतः जल का एक बड़ा भाग वाष्प बनकर उड़ जाता है।
- (5) तालाबों का अनेक कार्यों में उपयोग करने से ब्यामारियों के फैलने का भय सदैव बना रहता है।
- (6) अधिक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई संभव नहीं है।
- (7) तालाबों से खेती तक पानी पहुँचाने में व्यय अधिक होता है।
- (8) तालाब बहुत अधिक स्थान घेरते हैं।

राजस्थान में तालाबों द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई का स्थिति अग्रानुसार रही है

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	2.55	2.18

राजस्थान के विभिन्न जिलों में तालाबों द्वारा सिंचाई का स्थिति वर्ष 1995-96 में इस प्रकार रही

तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) गाल	0.55 लाख हेक्टेयर
(2) भीकानेर	0.36 लाख हेक्टेयर
(3) उदयपुर	0.23 लाख हेक्टेयर
(4) टांग	0.13 लाख हेक्टेयर

(Raj. Statistical Abstract, Raj. 1996)

(7) नहर (Canals) सिंचाई का कृत्रिम साधन में नहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। नहर मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों का होता है

(1) बरसाती नहर (Rainy Canals) ये केवल वर्षाकाल में सिंचाई करता हैं। नदियों के अतिरिक्त जल का निकासन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है।

(2) नित्यवाही नहर (Perennial Canals)- इनमें नियमित रूप से वर्षा-जन्य प्रवाह बना रहता है। इस नहर वर्ष भर बहने वाली नदियों से निकाला जाती है।

(3) पोषक नहर (Feeder Canals)- ऐसी नहरों का निर्माण दूसरी नहरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु किया जाता

1. Trends in Land Use Statistics & Districts Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Rajasthan Statistical Abstract 1996-97

है। इन नहरों से बोच में पानी लिया जाता है।

(4) बंद नहरें (Covered Canals)- वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचने के लिये नहरों को ऊपर से बंद भी कर दिया जाता है।

(5) लिफ्ट नहरें (Lift Canals)- इन नहरों में जलापूर्ति हेतु बाधों का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि नदी के पानी को मशीनों से ऊंचा उठाकर सिंचाई की जाती है।

उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ या तत्त्व (Favourable Geographical Conditions)-

(i) समतल भूमि (Plain Land)- नहरों का निर्माण समतल भूमि में किया जाना उपयुक्त रहता है क्योंकि असमतल भूमि होने पर ऊपरी भागों में सिंचाई नहीं की जा सकती है। अतः सिंचाई के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये नहरों का निर्माण समतल भूमि में किया जाना आवश्यक है।

(ii) जमीन पथरीली न हो (Absence of Rocky Land)- नहरों के निर्माण वाले क्षेत्रों की भूमि पथरीली नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे नहरों की निर्माण लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः नहरों के निर्माण के लिए नर्म धरातल होना उपयुक्त रहता है।

(iii) नित्यवाही नदियाँ (Perennial Rivers)- नहरों की जल की प्राप्ति मुख्यतः नदियों या बाधों से होती है। यदि नहरों या बाधों का निर्माण नित्यवाही नदियों पर नहीं किया गया तो नहरों को सदैव पानी नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः नहरों से वर्ष पर्यन्त जल की प्राप्ति हेतु नहरों का निर्माण नित्यवाही नदियों पर ही किया जाना उपयुक्त रहता है।

(iv) उपजाऊ भूमि (Fertile Land)- नहरों का निर्माण उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये ताकि भूमि निमाण व्यय वहन कर सके।

(v) पर्याप्त श्रमशक्ति (Adequate Manpower)- नहरों के निर्माण क्षेत्रों में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध होने से नहरों के निर्माण की लागत में कमी आ सकती है। नहरों क्षेत्र में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध न होने पर अन्य स्थानों से श्रमिकों को बुलाना पड़ता है जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है।

(vi) भूमि का ढाल (Gentle Slope of Land)- ढालू भूमि वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई की सुविधा रहती है, अतः नहरों का निर्माण ढालू भूमि वाले क्षेत्रों में करना उपयुक्त रहता है।

लाभ (Merits)

(1) यह एक स्थायी व्यवस्था है जो वर्षों की

अनिश्चितता से बचाती है।

- (2) बाधों के निर्माण से सिंचाई के अतिरिक्त जलविद्युत, मछलीपालन आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।
- (3) नहरों के किनारे वृक्षरोपण व चरागाहों का निर्माण संभव है।
- (4) इससे विस्तृत क्षेत्र सॉंचा जा सकता है- अतः खेतों का आकार बढ़ाया जा सकता है।
- (5) अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों की उगाना संभव हो सकता है।
- (6) नहरों में मीठा पानी होने से पानी की समस्या भी हल हो जाती है।
- (7) इनका उपयोग आतंरिक परिवहन में किया जा सकता है।
- (8) बाढ़ का पानी नहरों से निकल कर जन-धन की हानि से बचा जा सकता है।
- (9) रेगिस्तान में अन्य सिंचाई के साधन सफल नहीं हो पाते अतः नहर निर्माण आवश्यक हो जाता है।
- (10) वर्ष भर में इच्छानुसार दो-तीन फसलें ली जा सकती हैं।
- (11) इरिगेशन को सफल बनाने में नहरों का योगदान सराहनीय रहा है।
- (12) उपयुक्त परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई समीच व सुगम होती है।
- (13) क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय एवं सरकारी आय में वृद्धि होती है।
- (14) इनके द्वारा अकालों का निवारण संभव है।

दोष (Demerits)-

- (1) नहरों के स्थान-स्थान पर टूट जाने के कारण आस-पास के क्षेत्र में पानी भर जाता है और वहाँ कृषि संभव नहीं हो पाती।
- (2) लवणीकरण की समस्या नहरों का मुख्य दोष है।
- (3) नहरों से सिंचाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है और स्वतंत्रता नहीं रहती।
- (4) जलप्रसार से बीमारियों का भय बना रहता है।
- (5) कृषकों में आपसी झगड़ों और मुकदमोंवालों की संभावना बढ़ती है।
- (6) नदियों के मार्ग-परिवर्तन पर विद्यमान नहरें बेकार हो जाती हैं।
- (7) शुल्क निश्चित होने के कारण पानी के दुरुपयोग की संभावना रहती है। राजस्थान में नहरों द्वारा विभिन्न वर्षों में सिंचाई की स्थिति निम्न प्रकार रही है।

वर्ष	1959-60	1996-97
सिंचित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	4.21	22.0

नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) गंगानगर	5.46 लाख हेक्टेयर
(2) हनुमाननगर	3.09 लाख हेक्टेयर
(3) जोध	1.19 लाख हेक्टेयर
(4) बूंदी	1.09 लाख हेक्टेयर
(स्रोत : Statistics in Rajasthan 1996)	

(4) अन्य साधन (Other Sources)- उपर्युक्त मुख्य साधनों के अतिरिक्त नदियों में बहते जल को खेतों में मोड़कर भी सिंचाई की जाती है। वर्षाकाल में नदियों का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है लेकिन इस जल की समाप्ति के पश्चात् पाट बहुत ही सकरा हो जाता है। अतः पाट के शेष भाग में नमी के कारण कृषि की जाती है। छोटे-छोटे पहाड़ी झरनों और नदियों से पम्प द्वारा जल उठाकर भी सिंचाई होती है।

अन्य साधन से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले प्रमुख जिले 1995-96	
(1) राजवाड़ा	0 लाख हेक्टेयर
(2) गंग	0.08 लाख हेक्टेयर
(3) काठ	0.07 लाख हेक्टेयर
(4) भरतपुर	0.03 लाख हेक्टेयर
(स्रोत : Statistics in Rajasthan 1996)	

राजस्थान की प्रमुख नहर

(Important canals of Rajasthan)

1 गंग नहर (Gang Canal) इस नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने करवाया था। इनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना था। इसका निर्माण कार्य 1927 ई. में प्रारम्भ हुआ। यह नहर फिरोजपुर के निरुद्ध हुई हुसेनवाला से निकाली गई है। यह नहर पञ्जाब राज्य में बहने के पश्चात् राजकोटा के पास बीकानेर गंगानगर में प्रवेश करती है। इसके निर्माण पर 3 30 70,336 रूपए खर्च हुये। यह नहर शिवपुर गंगानगर जोरावरपुर पदमपुर रायसिंह नगर और सरूपसर के पास अनुपगढ तक जाती है। फिरोजपुर इन्डवक से नहर की कुल लम्बाई 292 किलोमीटर है यह 144 किलोमीटर तक पञ्जी है। इसकी अनेक शाखाएँ व उपशाखाएँ हैं सन् 1980 में 91 किलोमीटर लम्बी एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। इस गंग नहर लिफ्ट चैनल कहते हैं। यह चैनल दूरीग नहर में मुख्य नहर से जोड़ी जायेगी। उद्घाटन के समय गंगानगर निरुद्ध की सबसे लम्बी पकी नहर था। पाकिस्तान

के बहावलपुर प्रदेश से होती हुई यह नहर गंगनहर पट्टणवी है। इस नहर से बीकानेर व गंगनहर क्षेत्र की लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब यह नहर जर्जर हो चुकी है अतः इसका पुनः निर्माण कराया जाना चाहिये।

गंगनहर द्वारा सिंचित मकल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)			
जिला	1980-81	1990-91	1993-94
गंगानगर	331.42	328.99	320.14
(स्रोत : Transfer of Land and Revenue in Rajasthan 1994-95 Rajp. Impo)			

2 भरतपुर नहर (Bharatpur Canal)- इस नहर का निर्माण 1906 ई. में प्रारम्भ हुआ और यह 1963-64 ई. में बनकर तैयार हुई थी। यह नहर यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से निकाला गई थी। इस नहर की कुल लम्बाई 28 किलोमीटर है और इससे राज्य के पूर्वी भागों की लगभग 11000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

3 गुडगाव नहर (Gurgaon Canal)- यह नहर यमुना नदी से ओखला नामक स्थान के पास से निकाली गई है। यह राजस्थान व हरियाणा के समुक्त प्रयासों का परिणाम है। इससे राजस्थान की 500 क्यूसेक जल की प्राप्ति होगी। यह नहर भरतपुर जिले की कामा तहसील में जुरेस गाव के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर में राज्य की लगभग 28.2 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होने का अनुमान है। गुडगाव नहर का प्रमुख उद्देश्य यमुना नदी के वर्षाकालीन जल का उपयोग करना है नहर का निर्माण 1985 में पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में इस नहर की कुल लम्बाई 58 किलोमीटर है।

4 इंदिरा गांधी नहर परियोजना (Indira Gandhi Canal Project)- प्रारम्भ में इसे राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। यह नहर पञ्जाब में सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बाध से निवृत्त की गई। इसका विस्तृत विवेचन अगले पृष्ठों में किया गया है।

राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ

MAIN RIVER VALLEY PROJECTS OF RAJASTHAN

राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर
RAJASTHAN CANAL OR INDIRA
GANDHI CANAL

राजस्थान नहर परियोजना विश्व की विशालतम नहरों में से एक है। यह मानवीय श्रम के माध्यम से एक बड़े

भू-भाग में फैले थार मरुस्थल को पुनः हरे-भरे क्षेत्र में बदलने का एक प्रयास है। सदियों से जोरान पड़े इस रेगिस्तान के लिए मानव का यह प्रयास सफल होगा, इस बात की आशा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जागृत होती है। राजस्थान नहर परियोजना जिस भू-भाग पर बनी है वह मरुस्थलीय क्षेत्र वास्तव में उपजाऊ भूमि है। यह केवल जल के अभाव में बेकार पड़ी रहती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होने से ही जल का अभाव बना हुआ है। एक समय था जबकि इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी और यह क्षेत्र सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से काफी उन्नत था। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी के इन्हीं किनारों पर वेदों की रचना की गई। इस क्षेत्र में कालीयगा की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, वे मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता के समकालीन हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक विकसित व समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र के विकास के लिए 1951 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रथम सर्वेक्षण किया गया। 1954 और 1956 में राजस्थान सरकार ने स्वयं इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया। इन सर्वेक्षणों के आधार पर 1957 में प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किया गया और 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना पर औपचारिक रूप से कार्य आरम्भ हुआ। 31 मार्च, 1958 को इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने किया था।

हिमालय के पानी को थार रेगिस्तान में लाने का पहला प्रयास बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने 1920 में गानहर के निर्माण के द्वारा किया। 1948 में राजस्थान नहर परियोजना के जनक कवरसेन ने अपने पत्र 'बीकानेर राज्य के लिए जल आवश्यकता' में इस बात पर बल दिया कि इस क्षेत्र में अच्छी फसलें ली जा सकती हैं बशर्ते यहाँ पानी उपलब्ध हो। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के समय जब दोनों देशों की नदियों के पानी को बाटने के सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा था उसी समय भारत में भाखड़ा नाल परियोजना पर कार्य हो रहा था जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है। यह पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों की सिंचाई की योजना थी। 1955 में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से रावी और व्यास के पानी में राजस्थान का हिस्सा तय किया गया और राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा तय किया गया। उसी के पश्चात् राजस्थान नहर परियोजना को सुदृढ़ आधार मिला। राजस्थान नहर परियोजना का नाम स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है।

परियोजना के उद्देश्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य

OBJECTS & MAIN WORKS

इंदिरा गांधी परियोजना के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है—

1 इंदिरा गांधी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के बहुत बड़े रेगिस्तान को पुनः पुरातन स्वरूप प्रदान करना है जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र एक हरा भाग क्षेत्र हुआ करता था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

2 इस मरुभूमि में बहुत दूर-दूर तक पानी उपलब्ध नहीं है। कुआ में पानी का स्तर अत्यधिक गहरा है। लोगों को पीने के पानी की खोज में दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है।

3 इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। कृषि और उद्योग धन्य भी अधिक नहीं पनप पाये हैं। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से कृषि एवं उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे जनसंख्या की विरलता भी कम होगी।

4 इस परियोजना के अंतर्गत यथासंभव जल विद्युत उपलब्ध करने की चेष्टा भी की जायेगी। इस हेतु इस परियोजना में मुख्य रूप से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्रयोग किया जायेगा और उन पर लघु जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

5 इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने का प्रयास किया जायेगा जिनमें मुख्य रूप से सड़क, विद्युत एवं सिंचाई तथा मत्तार व्यवस्था प्रमुख हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस परियोजना में यह कदम उठाना प्रस्तावित है।

1 सर्वप्रथम राजस्थान फीडर का निर्माण किया जाना ताकि राजस्थान नहर को जल उपलब्ध हो सके।

2 राजस्थान नहर का निर्माण किया जाना ताकि एक बड़े भू-भाग को जल उपलब्ध कराया जा सके।

3 परियोजना के पूरे कमाण्ड क्षेत्र तक पहुंचने के लिये राजस्थान नहर की शाखाओं और उपशाखाओं का जाल बिछाना।

4 ऐसे क्षेत्रों जहाँ जल के सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नदी

आ पाते उन क्षेत्रों तक पहुँचने तक लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सहारा लिया जायेगा।

5. परियोजना के अतर्गत लघु जल विद्युतगृहों का निर्माण भी किया जायेगा ताकि कुछ मोमा तक अन्य रोज़ों से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सके। इन लघु जल विद्युत गृहों का निर्माण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के स्थान पर किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी परियोजना की प्रमुख बातें Important Features

1. उद्गम (Origin) - 1952-53 में जब हरिके बैराज बनकर तैयार हो गया तो केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिये प्रयास किये गये। वैसे केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने 1951 में इस परियोजना हेतु सर्वेक्षण किया था। इस परियोजना का श्रेय बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता श्री ववरसेन को भी दिया जाता है क्योंकि उन्हें इस परियोजना के मसौदा में रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था। 1927 में निर्मित गहननहर के प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये उन्होने अपनी रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार ने भी इस परियोजना का सर्वेक्षण करवाया और अन्त में 31 मार्च 1958 को इस नहर का शिलान्यास तत्कालीन गृहमंत्री के हाथों हुआ। आरंभ में जब यह योजना बनाई गई थी तो उस समय इस परियोजना के अतर्गत पंजाब हरियाणा राजस्थान को बाडला नदगंगा से जोड़ने का लक्ष्य था। अपर्याप्त साधनों और वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस प्रयास को छोड़ दिया गया।

2. जल आवंटन (Water Allocation) - जनवरी 1955 में हुए अन्तर्राज्यीय सम्मेलनों के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास के उपलब्ध 19568 मिलियन क्यूबिक मीटर जल में से 9876 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आवंटित किया गया। रावी और व्यास नदियों के प्रवाह के सतर्प में 1921-22 से 1970-71 तक उपलब्ध आकड़ों के अनुसार राजस्थान का भाग 10617 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राजस्थान नहर परियोजना के अतर्गत 9383 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग होगा।

3. परियोजना के दो चरण (Two Stages) - इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्रियान्वयन चारू जैसलमेर, श्रीगणगढ़ बीकानेर जोधपुर और दाडर में किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार राजस्थान को रावी और व्यास नदियों के जल से 8.6 मिलियन एकड़ फुट जल उपलब्ध हुआ है। इसमें से इस परियोजना के

माध्यम से 7.59 मिलियन एकड़ फुट जल के उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर इसका कमाण्ड क्षेत्र 15.37 लाख हेक्टेयर का होगा जिसमें से प्रतिवर्ष 13.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रथम चरण (First Stage)¹ - इंदिरा गांधी परियोजना के प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर का निर्माण किया गया है। यह फीडर नहर पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान में मसीतावाली तक बनाई गई है। प्रथम चरण के अतर्गत राजस्थान के मसीतावाली से लेकर छतरगढ़ तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। इसकी वितरण प्रणाली 3075 किलोमीटर लंबी है। इसका कमाण्ड क्षेत्र 5.25 लाख हेक्टेयर का है। इस चरण का कार्य 1991-92 में पूरा हो गया है। इस चरण के अतर्गत तीन प्रमुख शाखाओं मूरतगढ़ शाखा अनुपगढ़ शाखा नौशंग शाखा एवं लूनकरनसर बीकानेर लिफ्ट नहर का निर्माण सम्पन्नित है।

द्वितीय चरण (Second Stage)² - द्वितीय चरण में छतरगढ़ से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण प्रस्तावित था। दिसम्बर 1986 में इसका निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही इंदिरा गांधी परियोजना की 649 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर पूरी हो गई। इस मुख्य नहर को पूरी करने में लगभग 28 वर्ष लगे। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर की वितरण प्रणाली 3152 किलोमीटर लम्बी है और इसका कमाण्ड क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर है। इसी चरण में 6 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर है और उनका कमाण्ड क्षेत्र 3.21 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है व 5112 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली है और कुल कमाण्ड क्षेत्र 10.12 लाख हेक्टेयर है। 80% सिंचाई गहनता पर इस चरण की सिंचाई क्षमता 8.10 लाख हेक्टेयर है। परियोजना के द्वितीय चरण के अतर्गत 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसम्बर 1986 में पूरी हुई एवं 1 जनवरी 1987 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया।

आठवीं योजना में परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण पर 700 करोड़ (284 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित) उपलब्ध कराये गये। नवी योजना में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।³ द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण की 189 किलोमीटर लम्बी नहर के अतिरिक्त शेष बची मुख्य नहर दहोत शाखा, विमिलपुर शाखा

¹ & ² Data from Eighth Five Year Plan 1992-97, Govt. of Raj.
³ & ⁴ Data from Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj.

चारणवाली शाखा नाचना शाखा गडरा रोड उपशाखा लिफ्ट योजनायें व वितरण प्रणाली का कार्य सम्मिलित था। मार्च 98 तक 6256 कि मी लम्बी शाखाओं तथा वितरिकाओं का निर्माण किया जा चुका है जबकि लक्ष्य 9180 कि मी तक का था इस कार्य पर 1746 करोड़ रु का (प्रथम चरण पर 343 करोड़ तथा द्वितीय चरण पर 1403 करोड़ रुपये) व्यय किये जा चुके हैं।

4 इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण की जलोत्थान सिंचाई योजना (Lift Irrigation Projects in First Stage) कवरसेन लिफ्ट सिंचाई योजना (लूनकरणमर बीकानेर जलोत्थान नहर) (Kanwar Sen Lift Irrigation Project) यह प्रथम चरण की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बीकानेर को पेपजल उपलब्ध कराने के साथ ही 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इस नहर में पानी को 60 मीटर ऊंचा उठाया गया है।

5 इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ (Lift Irrigation Projects in Second Stage)

(i) नोहर साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना (Nohar Sahawa Lift Irrigation Project)- इस नहर से गगानगर व चुरू जिलों को लाभ पहुंचेगा। इस जलोत्थान नहर में पांच स्थानों पर पानी को पंपों से उठाया जायेगा। साहवा नहर से 750 मीटर लंबी वितरण प्रणाली से प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई जायेगी। यह नहर 109 किलोमीटर लंबी है।

(ii) गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजना (Gajner Lift Irrigation Project)- बीकानेर जिले के अंतर्गत 32 किलोमीटर लंबी इस नहर की वितरण प्रणाली 240 किलोमीटर होगी। इसमें 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जायेगी तथा इस योजना में पानी को छ स्थानों पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(iii) कोलायत लिफ्ट सिंचाई योजना (Kolayat Lift Irrigation Project) बाकानेर जिले की यह नहर 31 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी वितरण प्रणाली की लंबाई 382 किलोमीटर होगी। इसमें 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई जा सकेगी। इस नहर में भी जल को छ स्थानों पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(iv) फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना (Phalodi Lift Irrigation Project) नोयपुर जिले की यह नहर 32 किलोमीटर लंबी होगी। इसका वितरण प्रणाली की लंबाई 400 किलोमीटर तथा इसकी सिंचाई क्षमता 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि होगी। इस योजना में जल को 7 स्थानों पर ऊंचा उठाया जायेगा।

(v) पोकरण लिफ्ट सिंचाई योजना (Pokharan Lift Irrigation Project)- जैसलमेर जिले की यह

नहर 26 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी वितरण प्रणालियाँ 170 किलोमीटर लंबी होगी इसमें 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई जा सकेगा।

(vi) बांगड़सर लिफ्ट सिंचाई योजना (Bangarsar Lift Irrigation Project) यह परियोजना सन् 2004 में 2500 करोड़ की लागत से पूरी होने की संभावना है।

6 लागत (Cost)- 1957 में इस परियोजना के निर्माण की लागत 66.46 करोड़ रूपए आने की संभावना थी। परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन और कीमतों में वृद्धि के कारण 1970 में इस योजना के पूरा होने पर 207.70 करोड़ रुपये लगने की संभावना थी। 1975 में यह लागत बढ़कर 331.10 करोड़ रुपये तक आ गई। 1978 में यह पुनः 415 करोड़ रुपये हो गई। परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों पर 31 मार्च 1992 तक 277 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। राजस्थान नहर परियोजना का द्वितीय चरण सन् 2005 में लगभग 2267 करोड़ रूपये की लागत से पूरा होने की संभावना है।

7 राजस्थान फीडर (Rajasthan Feeder) सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरिके बाध बनाया गया है। वहां से राजस्थान फीडर निकाली गयी इस राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। इस फीडर का 150 किलोमीटर तक का भाग पंजाब में और उसके पश्चात् 19 किलोमीटर तक का भाग हरियाणा राज्य में है। राजस्थान फीडर का उद्देश्य राजस्थान नहर को पानी उपलब्ध कराना है। इस फीडर में पंजाब और हरियाणा में कहीं भी पानी नहा लिया जाता है। राजस्थान फीडर एक पक्का और पलस्तरयुक्त नहर है जो कि प्रथम श्रेणी चरण के अंतर्गत पूरी हो चुकी है।

8 राजस्थान नहर (Rajasthan Canal) जहाँ राजस्थान फीडर समाप्त होती है वहां से राजस्थान नहर का कार्य आरम्भ हो जाता है। राजस्थान नहर को कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। प्रथम चरण में राजस्थान नहर का 189 किलोमीटर का भाग और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर नहर का निर्माण कार्य पूरा करना था। राजस्थान की मुख्य नहर का कार्य अर्थात् सम्पूर्ण 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर पूर्ण हो चुकी है। राजस्थान नहर का पैदे की चौड़ाई 38 मीटर और नहर के ऊपरी भाग में इसकी चौड़ाई 67 मीटर है। राजस्थान नहर की गहराई 6.4 मीटर है। इस कारण इस नहर में 523 घन मीटर पानी प्रति सेकेंड प्रवाहित हो सकता है।

9 प्रवाह एवं जलात्थान क्षेत्र (Flow and Lift Area)- राजस्थान नहर परियोजना के समस्त क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का कार्य दो प्रकार का प्रवाह क्षेत्र में बटा हुआ है। सामान्य प्रवाह क्षेत्र के अर्थात् पानी स्वतः अपने दल पर बहता है। राजस्थान

1 Economic Survey 1998-99 Ra

2 नवम्बर 1995 5 मं 1993

3 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2000 Govt of Ra

नहर परियोजना का पश्चिमी भाग स्वतः ढाल लिये हुये है। इस कारण उस क्षेत्र में शाखाओं और उपशाखाओं का जाल आसानी से सामान्य प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से बिछाया जा सकता है। इस परियोजना में ऐसा भी किया जा रहा है। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्वी क्षेत्र सामान्य प्रवाह क्षेत्र में नहीं आता है। इस कारण जलोत्थान योजनाएँ बनाई गई हैं। जलोत्थान योजनाओं के अंतर्गत प्रथम चरण में लूणकरणसर चौकानेग लिफ्ट मिचर्ड द्वारा पानी उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। इसके अंतर्गत जल को चार पम्पिंग स्टेशनों के द्वारा 60 मीटर तक उठाया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत नोहर साहवा गजनेग कोलायत फलोदी पोकण तथा बागडसर लिफ्ट नहरे मुख्य जलोत्थान परियोजनाएँ हैं।

10 वितरण प्रणाली (Distribution System)

राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत कुल 9 शाखाओं और 21 उपशाखाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के अंतर्गत प्रथम 3 शाखाओं अर्थात् सुरतगढ़ अनुपगढ़ आर नारोरा शाखा का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में शेष सभी शाखाओं पर कार्य करना था। राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत वितरण प्रणाली का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है

विभाग	इकाई	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग
सामान्य				
प्रधान क्षेत्र	कि.मी.	2743	352	5895
जलोत्थान क्षेत्र	कि.मी.	332	1460	2292
योग	कि.मी.	3075	512	8187

11 कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development)

विदेशी सहायता से प्रथम चरण के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्यक्रम आरंभ किया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से जून 1983 तक 1.87 लाख हेक्टेयर भूमि में पक्के जल प्रवाह मार्ग बनाये गये। द्वितीय कृषि विकास के अन्तर्राष्ट्रीय कोष की सहायता से दिसम्बर 1988 तक 1.73 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनः इसी प्रकार के कार्य के अंतर्गत लाया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत 92911 हेक्टेयर भूमि पर इसी प्रकार का कार्य पूरा किया गया। रेत कटीला का स्थिर करने और नहरों में रेत उड़कर एकत्रित होने जैसी स्थिति को समाप्त करने की चेष्टा की गई। वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया गया। कमाण्ड विकास क्षेत्र में मडका की स्थिति में सुधार किया गया। चरागाहों का विकास किया गया। उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिये पर्याप्त कृषि सहायक सेवाएँ प्रदान करने की कांशिश की गई। नितरण नहरों को पक्का किया गया। पेयजल उपलब्ध करवाया

गया। भूमि को समतल बनाने की चेष्टा की गई। क्षारीय भूमि को सुधारने की चेष्टा की गई। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों और कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये अनेक विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

12 विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme)

1968 से विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि इन पदार्थों को श्रमिकों व कम वेतन वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बाजार मूल्य की आधी दर से बेचा जा सके। इस विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उस राशि से एक कोष निर्मित किया जाएगा। इस कोष पर ब्याज भी देय होगा। इस कोष की राशि श्रमिकों के कल्याण व विभिन्न कार्यों और कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक संरचना को सुधारने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकेगा।

1968 में विश्व खाद्य कार्यक्रम आरंभ होने से लेकर मार्च 1990 तक खाद्य पदार्थों के विक्रय 24.14 करोड़ के कोष निर्मित किये गये। इस राशि में से विद्यालयों अस्पतालों पशु चिकित्सालयों बच्चा के उद्यान सामुदायिक केन्द्र विपणन केन्द्र शरण स्थली डिग्री प्लली सड़के नालिया वृक्षारोपण चरागाह विकास और चली फिलती चिकित्सा इकाइया आदि पर 19.62 करोड़ रूपए व्यय किये गये। दो करोड़ रूपए का एक ऐसा कोष भी बनाया गया है जिससे क्षेत्र में घसने वाले लोगों को बिना ब्याज के ऋण प्रदान किये जायेंगे जो कि उन्हें दो वर्षों की अवधि के परचात चार किस्तों में चुकाने होंगे।

13 आवास (Housing) राजस्थान नहर परियोजना के अनेक उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि लोगों को उस क्षेत्र में बसने को प्रेरित करे। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र में 112437 लोगों को 8.39 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। ऐसा किया जाने के परचात भी इस दशा में इसकी प्रगति धीमी है। इसका कारण इस क्षेत्र में जलवायु की विषमताओं के साथ साथ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का विद्यमान न होना है। इन बाधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में लोग बड़ों मात्रा में बसने हेतु प्रेरित हो सकें।

14 पेयजल आपूर्ति (Supply of Drinking Water)

इस परियोजना के अंतर्गत जो जल उपलब्ध है उसका 11.5 प्रतिशत भाग पेयजल के लिए निर्धारित किया गया है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

जन- स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से 11 मरुस्थलीय जिलों का पेयजल उपलब्ध करने की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। कवर सेन लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से जोधपुर के 10 और जैसलमेर के 30 गावों सहित कुल 140 गावों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जोधपुर जल-आपूर्ति योजना के पूर्ण होने पर जोधपुर शहर और इसके आस-पास के 158 गावों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में गगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल रहा है।

15 परियोजना अध्ययन (Project study) - राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के संदर्भ में जल एवं विद्युत कन्सल्टेन्सी सेवा द्वारा सम्भाव्य सहायता के लिये सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ताकि इस प्रतिवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिये प्रस्तुत किया जा सके। इस परियोजना पर 15 और भी प्रतिवेदन हाथ में लिये जा चुके हैं ताकि इस परियोजना क्षेत्र की स्थिति एवं निवेदन को और प्रभाव्य बनाया जा सके। साथ ही उपलब्ध जल का अधिकतम प्रयोग इन सभी अध्ययनों को जल एवं विद्युत कन्सल्टेन्सी सर्विसज द्वारा बनाये गये प्रतिवेदन में स्थान दिया जावेगा।

16 लघु जल विद्युत गृह (Small Hydroelectricity Projects) - परियोजना के अतगत आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में जल-विद्युत उत्पन्न का जा सकता है। वर्तमान में इस परियोजना के अतगत अनूपगड व मूरतगड शाखाओं पर जल विद्युतगृह निर्माण क्रिय जा रहे हैं। इन विद्युतगृहों की कुल क्षमता 13 मेगावाट होगी। जल विद्युत उत्पादन की गति प्रदान करने के लिये चारणवाली और शहोद बोरवल शाखा को भी इस उद्देश्य में जांचा परखा जा रहा है।

17 रोचक तथ्य (Interesting facts) - राजस्थान नहर परियोजना की विशालता का अनुमान इस बात से लगता है कि इसका निर्माण में की जाने वाली खुदाई व दुलाई लगभग 1200 करोड़ घन फुट है। इस मिट्टी से विश्व के चारों ओर चार फुट माटी और 20 फुट चांटी सड़क निर्मित की जा सकती है। इस नहर में जो इटे लगी है, उन पर लगभग 72 घेसे प्रति इंच की औसत दबाव लगाना है। इस परियोजना के अतगत मूरतगड में एक स्थान पर नीचे घग्घर नदी की डाइवजन चैनल का पानी प्रवाहित हो रहा है और उसके ऊपर राजस्थान नहर का पानी प्रवाहित हो रहा है। इस परियोजना में मुख्य नहर के ऊपर हर टाइ किलो मीटर की दूरी पर पुल है। हरपुल पर एक खात भी बनाया गया है। परियोजना

के अतगत हर 5000 फुट पर सौदिया बनाई गई हैं। नहर के साथ-साथ टेलीफोन सुविधा और पक्की सड़कें बनाई गई हैं। इस परियोजना पर यदि 15-20 करोड़ रुपये और व्यय किये जायें तो इस परियोजना को आंतरिक जल परिवहन के योग्य भी बनाया जा सकता है।

इंदिरा गांधी परियोजना की सफलताएं या इसके लाभ

ADVANTAGES

इंदिरा गांधी परियोजना मानवीय परिश्रम से प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को अपने पक्ष में करने का अनुपम उदाहरण है। परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी इसका आभास वर्तमान में प्राप्त लाभों से हो सकता है। राजस्थान नहर परियोजना की सफलताएं और उनके लाभों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अतगत किया जा सकता है-

1 सिंचाई (Irrigation) - राजस्थान नहर परियोजना के पूरा होने पर लगभग 74.77 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचा जा सकगा। सिंचाई के कारण अधिक फसल ली जा सकती है, साथ ही वनस्पति की मात्रा भी बढ़ेगी। फलस्वरूप रेगिस्तानी मिट्टी में जीवाणु का प्रतिशत बढ़ेगा। इस परियोजना के अतगत अभी तक 10.38 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है और उसके माध्यम से 8.76 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा रही है। इस परियोजना के विद्यमान सिंचाई क्षमता और सिंचित क्षेत्र इस प्रकार हैं

(लाख हेक्टेयर में)				
विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल योग	
निर्मित सिंचाई क्षमता	5.76	1.50	7.26	
निर्मित क्षेत्र	5.53	0.17	5.70	
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित सकल क्षेत्रफल				
(हजार हेक्टेयर)				
जिले	1980-81	1985-86	1990-91	1993-94
गंगानगर	292.79	342.47	406.20	262.14
हनुमानगढ़	-	-	-	129.80
बीकानेर	33.70	64.16	124.00	141.47
जैसलमेर	0.00	1.52	6.20	6.20
योग	326.49	406.63	531.72	539.56

Source: Trends in Land Use Statistics & LUS 1993-94

2 कृषि उत्पादन (Agricultural Production) - राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण गगानहर के माध्यम से हुये विकास की दृष्टिगत रखते हुये किया गया था। गगानहर ने यह सिद्ध कर दिया था कि पैमाने पर प्राकृतिक नहीं बल्कि

कृत्रिम है। यहाँ की भूमि पहले काफी उपजाऊ रही है। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में गेहूँ और गन्ना कपास और अनेक प्रकार की व्यवसायिक और खाद्य फसलें लेना संभव हो सकेगा। जैसा अनुमान है कि परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रूपए के कृषि सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस परियोजना के फनाण्ड क्षेत्र में कृषि भूमि की लागत लगभग 5000 करोड़ रूपए आकी गई हैं। इस परियोजना में खाद्यान्तों का उत्पादन प्रथम चरण के अंतर्गत 14.5 लाख टन द्वितीय चरण में 22.5 लाख टन और इस प्रकार संपूर्ण परियोजना के द्वारा 37 लाख टन खाद्य फसलें लेना संभव हो सकेगा।

3 सूखे व अकाल का सामना (Check on Draughts & Famines) - राजस्थान का यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सदैव ही अकाल व सूखे से ग्रस्त रहा है। राजस्थान के गठन के पश्चात् के 4 5 वर्षों को छोड़ दिया जाये तो शेष सभी वर्षों में यह क्षेत्र अकाल व सूखे से पीड़ित रहा है। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में फसल एवं घनसतियों के माध्यम से जीवाश की मात्रा बढ़ने की संभावना है। ऐसा होने पर क्षेत्र की मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन होगा। इस क्षेत्र की जलवायु भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग सकता है लेकिन अल्पावधि में मूषू एवं अकाल की समस्या का सामना करने की क्षमता इस परियोजना ने प्रदान कर दी है।

4 रेगिस्तान प्रसार पर रोक (Control over Desert) - इस परियोजना के अंतर्गत व्यापक रूप से किये जा रहे वृक्षारोपण के माध्यम से मरुस्थल के प्रसार का रोक जा सकेगा। मिट्टी के टीलो को स्थिर बनाया जा सकेगा। वनों के माध्यम से वर्षा के आकर्षित होने से यह क्षेत्र धीरे धीरे जलवायु की विषमता से मुक्त हो सकेगा। रेगिस्तान प्रसार को रोकने का सर्वाधिक ज्ञात एवं प्रभावी उपाय वृक्षारोपण ही है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये विश्व में पहली बार यहाँ एक वन जेना गठित की गई है जो सर्मापित होकर वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है। इस वृक्षारोपण का प्रभाव आगामी 15-20 वर्षों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा।

5 रोजगार (Employment) राजस्थान नहर परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस परियोजना पर पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से कार्य चल रहा है। आगामी 10 वर्षों तक तो इस पर कार्य चलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यह परियोजना बहुत बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस परियोजना के माध्यम से अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। उन प्रभावों के कारण भी रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। इस परियोजना में बहुत बड़ी संख्या में अमिका ऊटागाडिया गंधों आदि का मिट्टी ढलानों में प्रयोग किया

गया है और किया जा रहा है।

6 जलापूर्ति (Water supply) - जैसा की सभी को ज्ञात है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल की सदैव कठिनाई रहती है इसका कारण जलस्तर का बहुत नाँचा होना है। इस प्रकार एक ओर तो इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा दूसरी ओर औद्योगिक कार्यों के लिये भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत 1200 घन मीटर जल पेयजल और औद्योगिक कार्यों के लिये निर्धारित किया गया है। परियोजना के प्रथम चरण में 300 और द्वितीय चरण में 900 घन मीटर जल उपरोक्त उद्देश्यों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। कंबर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर व पास के 99 गावा तथा गधेली महावा लिफ्ट योजना चूरू जिले के 175 गावों तथा जोधपुर लिफ्ट योजना से जोधपुर शहर तथा गावों को पाने का पाने उपलब्ध कराया जा रहा है।

7 कस्बों व मंडियों का विकास (Development of Towns & Mandis) - उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। इस कारण इस क्षेत्र में कस्बों व मंडियों का विकास नहीं हो पाया। मंडियों का विकास न होने का एक कारण इस क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक विकास का भी अभाव रहा है। राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से कृषि एवं औद्योगिक विकास की गति मिलेगी। इस प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत आवास को प्रोत्साहित करने के लिये नौ सुविधाएँ दी जा रही हैं। उससे लोग उस क्षेत्र में बसने को प्रेरित हान। इस प्रक्रिया में कस्बा व मंडियों का विकास होगा तथा जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा।

8 औद्योगिक विकास की संभावनाएँ (Possibilities of Industrial Development) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्तमान में कायला आरामक दो प्रमुख खनिज विद्यमान है। तेल की खोज के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनसे इस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने की संभावनाएँ और बढ़ी हैं। इस क्षेत्र में गन्ना तो मिली ही हैं भविष्य में बड़ी मात्रा में तेल भी मिल सकता है। इस तथ्य का दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। साथ ही राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है उमका लाभ भी उद्योगों को प्राप्त होगा। कृषि के विकास के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग भी विकसित हान। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से भी औद्योगिक विकास प्रोत्साहित होगा।

9 संचार साधना का विकास (Development of Communication) - राजस्थान नहर परियोजना की

प्रगति के साथ-साथ इस क्षेत्र में विशेषकर नहर के आस-पास के क्षेत्रों में टेलीफोन और मडकों की सुविधा का विकास किया जा रहा है। यह किसी भी विकास के लिये मूलभूत आवश्यकता वहाँ जा सकती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवहन के माधनों के विकसित न होने का मूल कारण रेगिस्तानी क्षेत्र की प्रकृति है। इनमें धीरे-धीरे परिवर्तित किया जा सकेगा और उसके साथ-साथ ही संचार के साधन विकसित हो पाएंगे।

10 सीमा सुरक्षा (Border Security) - राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होगा, वैसे वैसे लोग यहाँ बसने के लिये आकर्षित होंगे। परियोजना के क्षेत्र में अवकाश प्राप्त सैनिकों व अन्य लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है। इससे पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर वर्तमान में क्षेत्र के निर्जन होने के कारण जो समस्याएँ आ रही हैं, उनका समाधान हो सकेगा। इस क्षेत्र में संचार माधनों का पर्याप्त विकास होने के पश्चात् सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाया जा सकेगा। साथ ही घनत्व में वृद्धि के साथ-साथ प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था विकसित होने से सीमा सुरक्षा उपायों को बल मिलेगा।

11 जल-विद्युत (Hydro-electricity) - जिस प्रकार समुद्र में लहरों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसी प्रकार नहर के बहन हुये पानी से आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल-विद्युत उत्पादित करना संभव है। राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत इस तकनीक का प्रयोग कर परियोजना को पूर्ण जल-विद्युत उत्पादन क्षमता न तो विकसित हो गई है, न उसमें सुबद्धित पूर्ण योजना बनाई गई है। वर्तमान में परियोजना के लिए आवश्यक जल-विद्युत प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। यदि सम्पूर्ण परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जाये तो इस परियोजना से कम रेगिस्तानी क्षेत्र का तो जल-विद्युत उपलब्ध कराई ही जा सकती है।

12 पशुपालन व मत्स्यपालन (Animal Husbandry & Fisheries) - इस परियोजना के अंतर्गत पशुपालन को प्रेरित करने के लिये चरागाहों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। खेलियों का निर्माण किया गया, डिगिया बनाई गई वृक्षारोपण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया घनत्व की विरलता को दूर करने की कोशिश की गई। इस सभी कारणों से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से नहर के अतिरिक्त, डिगिया व परियोजना के जल से निर्मित छोटे-छोटे तालाबों आदि में मत्स्यपालन भी संभव हो सकेगा।

13 पर्यटन विकास (Tourism Development) -

मरुभूमि हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर आदि की स्थापत्य कला भी उनके आकर्षण का केंद्र है। यह परियोजना रेगिस्तान में उन्हें स्वर्ग का सा अहसास करायेगी। वैसे भी यह परियोजना अपने आप में एक आकर्षण का केन्द्र होगी क्योंकि यह मानव के महत्त्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। इस कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

14 भूमि सुधार (Land Reforms) - इस परियोजना के अंतर्गत इसके कनाण्ड क्षेत्र में भूमि को समतल करने की चेष्टा की जा रही है। इस क्षेत्र की क्षारीय भूमि को ठीक करने की चेष्टा की गई है। कनाण्ड क्षेत्र में एककी नालियों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों को जो भूमि आवंटित की गई है, उसका आकार, आर्थिक आकार रखा गया है। यह सभी प्रयास भूमि सुधार की ओर सराहनीय प्रयास कहे जा सकते हैं।

15 समग्र विकास (Overall Development) - इस परियोजना के पूर्ण होने पर सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास होने की संभावनाएँ बनी हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का विकास होगा। इसके फलस्वरूप सरकारी व राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्षेत्र के निवासियों का पिछड़ापन व गरीबी दूर हो सकेगी, लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा। संक्षेप में यह परियोजना उस क्षेत्र के निवासियों के लिये ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश के लिये वरदान सिद्ध होगी।

राजस्थान की अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

OTHER IMPORTANT IRRIGATION PROJECTS OF RAJASTHAN

1. चम्बल नदी - घाटी परियोजना

Chambal River - River Valley Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) - चम्बल नदी मध्य प्रदेश राज्य में विन्ध्यचल पर्वत से निकलकर 1045 किलोमीटर बहने के पश्चात् यमुना नदी में मिल जाती है। वर्षा ऋतु के समय इस नदी में प्रायः बाढ़ें आती थीं। नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण आस-पास के क्षेत्रों में गहरे गलों का निर्माण हो गया था। अब चम्बल की विनाशालीला पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से चम्बल नदी घाटी परियोजना के निर्माण का निर्णय किया गया। 1943 व 1946 में इसके निर्माण का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुये। 1950 में केंद्रीय

जल शक्ति व नाकायान आयोग ने इस परियोजना को अंतिम रूप प्रदान किया। वर्ष 1953-54 में चम्बल नदी घाटी परियोजना प्रारम्भ हुई। वह राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यों की समन्वित परियोजना है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य (Main Object) - चबल नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे

- (1) बाढ़ों पर नियंत्रण लगाकर जल धन की हानि को रोकना।
- (2) मिट्टी के कटाव की समस्या का समाधान करना।
- (3) बाधों व नहरों के निर्माण से राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना।
- (4) जल विद्युत की पूर्ति में वृद्धि करना ताकि राज्य को विद्युत सबंधी आवश्यकता पूर्ण की जा सके।
- (5) मलेरिया नियंत्रण व मच्छली पालन को बढ़ावा देना।
- (6) चबल क्षेत्र की जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।
- (7) अकाल पर रोक लगाना तथा कृषि का स्थायी स्वरूप प्रदान करना।

परियोजना के प्रमुख कार्य (Main Works) उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए चबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

- (1) मध्यप्रदेश राज्य के मद्रास जिले में चबल नदी पर गांधीसागर बांध का निर्माण करना।
- (2) चबल नदी पर काटा नगर में कोटा सिंचाई बांध का निर्माण करना।
- (3) कोटा सिंचाई बांध के दाना तरफ दो नहर बनाना।
- (4) राणासागर बांध का निर्माण करना।
- (5) जवाहर सागर बांध बनाना।
- (6) सभा बांध (काटा सिंचाई बांध के अलवा) पर जल विद्युतगृह का निर्माण करना।

चबल नदी घाटी परियोजना सबंधी प्रमुख तथ्य (Main Features of the Project)

(अ) **परियोजना का प्रथम चरण (First Stage of the Project)** परियोजना के प्रथम चरण में गांधीसागर बांध काटा सिंचाई बांध व काटा सिंचाई बांध के दाना तरफ दो नहरों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। प्रथम चरण में निम्नलिखित कार्य पूरे किये गये

(1) **गांधीसागर बांध (Gandhi Sagar Dam)** चबल नदी पर मध्यप्रदेश राज्य के मद्रास जिले में राजस्थान राज्य की सीमा के निकट गांधी सागर नामक

बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई 513.5 मीटर व चौड़ाई 62 मीटर है। इस बांध के जलाशय का कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य 1959 में पूर्ण हुआ था। इस बांध पर 5 मीटर चौड़ा एक सड़क भी बनाई गई। बांध से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु 10 फाटक बनाये गये हैं।

(ii) **कोटा सिंचाई बांध (Kota Barrage)** कोटा के पास चबल नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 438 मीटर व 42 मीटर है। यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। दाईं मुख्य नहर की लंबाई 372 कि.मी. तथा बाईं मुख्य नहर की लंबाई 170 कि.मी. है।

(iii) **नहरों का निर्माण (Construction of Canals)** कोटा बांध के दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। बाय किनार की नहर 95 किलोमीटर लंबी है और इस नहर की शाखाओं एवं उपशाखाओं सहित कुल लंबाई 182 किलोमीटर है। यह नहर बूंदी नगर के निकट मेजा नदी में मिल जाती है। दायें किनारे की नहर की लंबाई 425 कि.मी. है। शाखाओं व उपशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। राजस्थान में यह 120 किलोमीटर बहने के पश्चात् मध्यप्रदेश में प्रवेश करता है।

(ब) **परियोजना का द्वितीय चरण (Second Stage of the Project)** इस चरण में राणाप्रताप सागर बांध तथा विद्युत गृह बनाने का निश्चय किया गया। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। राणाप्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध के उत्तर में 33 किलोमीटर दूर चबल नदी पर बनाया गया। इस बांध की लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 1100 मीटर व 41 मीटर है।

(स) **परियोजना का तीसरा चरण (Third Stage of the Project)** इस चरण में जवाहर सागर अथवा काटा बांध तथा इसके विद्युत गृह का निर्माण किया गया। जवाहर सागर बांध अथवा कोटा बांध काटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बनाया गया है। इसकी लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 440 मीटर व 45 मीटर है।

(द) **परियोजना से सिंचाई (Irrigation)** - चबल नदी घाटी परियोजना के काटा सिंचाई बांध में निकासी गई बाय किनार की नहर से राज्य की 1.70 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। दायें किनारे से नहर से राजस्थान व मध्यप्रदेश की 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई। इन नहरों की सम्बंधित सिंचाई भूमि 4.98 लाख हेक्टेयर है।

चबल नदी नहरों से बोलारपुर जिला का सिंचित भूमि इस प्रकार है

चबल नहर से सिंचित सकल क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)				
ज़िले	1980-81	1985-86	1990-91	1993-94
काठ	121.14	145.73	152.70	131.49
बाण	-	-	-	45.19
बूंदी	95.05	101.87	92.36	107.50
कुल बाण	216.19	247.61	245.06	284.20

(य) परियोजना में जल-विद्युत का उत्पादन (Hydro-electricity) - गांधीसागर बांध में 5 विद्युत जनन इकाइया हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1,15,000 किलोवाट है। गणप्रताप सागर बांध में 4 विद्युत जनन इकाइया हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1,72,000 किलोवाट है। इसी प्रकार जवाहरसागर बांध के 3 विद्युत जनन इकाइया हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99,000 किलोवाट है। इस प्रकार चबल नदी घाटी परियोजना का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,86,000 किलोवाट है।

(र) नवी योजना (1997-2002) में चबल परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों पर 67.8 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे।

परियोजना के लाभ (Advantages) - प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं -

(i) सिंचाई एवं जलापूर्ति (Irrigation and Supply of water) - इस परियोजना के अंतर्गत कोटा सिंचाई बांध से निकाली गई नहरों से लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अतः राज्य में खाद्यान्नों व व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। चबल क पानी से कोटा बाण, बूंदी व सवाई माधोपुर की जलापूर्ति होती है।

(ii) बाढ़ों पर नियंत्रण (Flood Control) - इस परियोजना से चबल नदी की बाढ़ों पर नियंत्रण कर लिया गया है। अतः क्षेत्र के जन धन व कृषि फसलों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। इससे वर्षा के जल का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है।

(iii) कटाव पर रोक (Check on Soil Erosion) - चबल नदी ने लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि में कटाव की समस्या उत्पन्न कर दी थी। कटाव वाली भूमि के क्षेत्र में गहरे गर्तों का निर्माण हो चुका है। इस भूमि को समतल करने में लगभग 3000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है लेकिन इस परियोजना के कारण भूमि के कटाव पर रोक लग चुकी है।

(iv) विद्युत उत्पादन (Electricity Generation) - यह परियोजना कृषि विकास के साथ साथ राज्य के औद्योगिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। इससे राजस्थान व मध्यप्रदेश को 3.86 लाख किलोवाट जल-विद्युत प्राप्त हुई

है तथा इसमें विद्युत सबंधी घरेलू आवश्यकताएं भी पूर्ण हो रही हैं।

(v) मण्डियों का विकास (Development of Mandies) - इस परियोजना में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होने के कारण राज्य में तेजी से कृषि का विकास हुआ है। अतः अनेक कृषि मण्डियों की स्थापना हो चुकी है। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा है।

(vi) औद्योगिक विकास (Industrial Development) - इस परियोजना का क्षेत्र विद्युत माधनों की कमी के कारण पिछड़ा हुआ था लेकिन इस योजना से पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है। राज्य का कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र बन चुका है।

(vii) वनों व चरागाह का विकास (Development of Forests & Pastures) - चबल नदी घाटी परियोजना से जल की पर्याप्त पूर्ति के कारण वनों व चरागाहों का तेजी से विकास हो रहा है। इससे पशुपालन व्यवसाय भी प्रगति कर रहा है। इस परियोजना क्षेत्र में फलों की बागवानी भी संभव हुई।

(viii) मछलीपालन (Fisheries) - चबल नदी घाटी परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपए की मछलीपालन पकड़ना संभव हो सकेगा। इससे न केवल खाद्य पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि होगी वरन् अनेक लोगों को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

2 भांखड़ा-नांगल परियोजना

Bhakra Nangal Project

पृष्ठभूमि व परिचय (Background & Introduction) - यह राजस्थान पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह एक विशाल परियोजना है जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर भांखड़ा व नांगल नामक स्थानों पर दो बांध बनाये गये हैं। सर्वप्रथम मई 1909 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस डेन ने सतलज नदी पर एक बांध बनाने का विचार प्रस्तुत किया लेकिन इस परियोजना पर स्वतंत्रता के पश्चात् ही कार्य आरंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना के सर्वधर्मोक्ताया भांखड़ा बांध का निर्माण एक चमत्कार एक विराट वस्तु है इसे देख कर शान्ति हो जाती है। इस योजना पर 236 करोड़ रुपए व्यय किये गये जिनमें व्यवस्थापन, राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा काय गई थी।

परियोजना के उद्देश्य (Objects) :- इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- (i) सिंचाई सुविधाओं के लिए नहरों का निर्माण आदि व सरहिंद नहर को जल की पर्याप्त पूर्ति करना।
- (ii) बाढ़ों पर रोक लगाना।
- (iii) राजस्थान पंजाब व हरियाणा के लिए पर्याप्त जल विद्युत का उत्पादन करना।
- (iv) राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके रेंगमत्तान के प्रसार पर रोक लगाना।
- (v) दलों व चरागाहों का विकास करना।
- (vi) मछलीपालन व्यवसाय का विकास करना।
- (vii) सतलज के मैदानी क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करके खेतों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करना।

परियोजना के प्रमुख कार्य (Main Works) :-

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाखड़ा-नागल परियोजना के अंतर्गत ये कार्य करने का निश्चय किया गया-

- (i) भाखड़ा नामक स्थान पर भाखड़ा बांध का निर्माण करना।
- (ii) भाखड़ा बांध पर दो विद्युत गृहों का निर्माण करना।
- (iii) नागल नामक स्थान पर नागल बांध का निर्माण करना।
- (iv) नागल बांध पर जल-विद्युत उत्पादन के लिए नहर का निर्माण करना।
- (v) नागल जल विद्युत नहर पर तीन विद्युत गृहों का निर्माण करना।
- (vi) नागल बांध की मुख्य नहर शाखाओं व उपशाखाओं का निर्माण करना।
- (vii) रिस्त दो-आब तथा सरहिन्द नहर का विकास करना।

परियोजना की प्रमुख बातें (Main Features of the Project)

- (अ) बांधों का निर्माण (Constructor of Dams)
इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया गया -
- (i) भाखड़ा बांध (Bhakra Dam) - यह बांध पंजाब राज्य के सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध की लंबाई 518 मीटर है और नदी तल से बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। इसके जलाशय का नाम गोवर्द्धनासागर है। इस जलाशय में जल एकत्र होने की क्षमता एक करोड़ घन मीटर है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है।
- (ii) नागल बांध (Nangal Dam) - भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर नीचे की ओर नागल नामक स्थान पर नागल बांध का निर्माण किया गया है। बांध की लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 305 मीटर व 29 मीटर है। इस बांध के जलाशय

में 26000 एकड़ फुट पानी एकत्रित किया जा सकता है। इस बांध से 64 किलोमीटर लंबी जल विद्युत नहर निकाली गई है। यह नहर न केवल जल विद्युत उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भाखड़ा बांध की मुख्य नहर व शाखाओं को जल की पूर्ति भी करती है।

(ब) परियोजना की नहरी व्यवस्था (Canal System of the Project) -

(i) भाखड़ा की मुख्य नहर (Main Bhakra Canal) - यह नहर रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है। यह पंजाब राज्य में बहती हुई हरियाणा के हिसार जिले में दोहाना करके तक जाती है। मुख्य नहर व शाखाओं की कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है और उपशाखाओं की लंबाई लगभग 3400 किलोमीटर है। 565 किलोमीटर नहर पलस्तर युक्त है।

(ii) सरहिंद नहर (Sarhind Canal) - भाखड़ा नागल परियोजना में सरहिंद नहर में लगभग 10 गुना पानी बढ गया है। इसमें पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अतः इस क्षेत्र में कृषि का तेजी से विकास हुआ है।

(iii) नरवाना शाखा नहर (Narwana Branch) - यह नहर भाखड़ा की मुख्य नहर के 50वें किलोमीटर में निकाली गई है यह नहर पलस्तरयुक्त है और इसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। इसका प्रमुख उद्देश्य मिरसा नहर को जल प्रदान करना है लेकिन इससे हरियाणा राज्य के करनाल जिले में कुछ सिंचाई भी की जाती है।

(iv) बिस्त-दो-आब नहर (Bist-do-Aab Canal) - यह नहर रोपड़ के दाहिनी ओर से निकाली गई है। इसमें पंजाब राज्य के जालंधर व होशियार पुर जिलों में सिंचाई की जाती है।

(स) परियोजना से जल-विद्युत का उत्पादन (Generation of Hydro-Electricity) -

(i) भाखड़ा बांध के जल विद्युत केन्द्र (Hydro Electricity Power Station of Bhakra Dam) - भाखड़ा बांध के दोनों ओर दो विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। बाई ओर के विद्युत गृह में 45 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइयाँ हैं। दाई ओर के विद्युत गृह में 120 लाख किलोवाट क्षमता की 5 इकाइयाँ हैं।

(ii) नागल बांध के जल-विद्युत केन्द्र (Hydro-Electricity Stations of Nangal Dam) - नागल बांध में विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से एक नहर निकाली गई है। इस नहर की लंबाई 64 किलोमीटर है। इस पर विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है। यहाँ नागल बांध में

15 किलोमीटर दूर एक विद्युत जनन केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका जनन क्षमता 77 000 किलोवाट है। कोटला बांध से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित विद्युत केन्द्र की क्षमता भी 77 000 किलोवाट है। भाखड़ा व नागल बांधों पर बनाये गये विद्युत जनन केन्द्रों की कुल क्षमता 12 04 लाख किलोवाट है।

(द) परियोजना के रोचक तथ्य (Interesting Facts of Project) भाखड़ा नागल परियोजना के कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं

- (i) बांधों का नाव कहीं कहीं पर 67 मीटर तक गहरे है।
- (ii) भाखड़ा बांध की ऊंचाई कुतुबमीनार से लगभग तीन गुना है।
- (iii) भाखड़ा बांध के क्षेत्रफल में एक लाख कमरों वाला 60-मंजिला इमारत का निर्माण किया जा सकता है।
- (iv) यदि भाखड़ा बांध में लगाई गई ईंटों को एक सीध में रख दिया जाये तो पृथ्वी का लगभग सात परिक्रमाए हो जायेगी।
- (v) भाखड़ा की नहरों आदि के लिये खोदी गई मिट्टी में 18 मीटर चौड़ी व 1 मीटर ऊंची सड़क नई दिल्ली से न्यूयार्क तक बनाई जा सकती है।

(vi) भाखड़ा बांध में जितनी कंकरीट का प्रयोग किया गया है उससे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों तरफ आठ फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा सकता है।

(घ) परियोजना के लाभ (Advantage) भाखड़ा नागल परियोजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं

- (i) कृषि विकास (Agricultural Development) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि व जल विद्युत पूर्ति में वृद्धि के कारण विभिन्न कृषि पसलों का उत्पादन में वृद्धि हुई। खद्यान कायम व किलहना का उत्पादन में क्रमशः 1 14 लाख टन 3 8 लाख टन तथा 4 1 लाख टन का वृद्धि हुई है।
- (ii) सिंचाई (Irrigation) इस परियोजना में हरियाणा पंजाब व राजस्थान को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रहा है। परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता लगभग 28 लाख हैक्टर है।

भाखड़ा नहर द्वारा राजस्थान का सिंचित सकल क्षेत्र (एक हैक्टर में)				
वर्ष	1980-81	1985-85	1990-91	1993-94
पंजाब	331.47	302.64	422.63	85.29
हरियाणा				328.83
कुल क्षेत्र	331.47	360.64	422.63	413.69

(iii) सिंचाई लागत कम होना (Low Cost of Irrigation) - इस परियोजना की सिंचाई लागत अन्य परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम है। इस परियोजना की प्रति एकड़ सिंचाई लागत केवल 287 रुपये है जबकि नागार्जुन व तुंगभद्रा परियोजनाओं की प्रति एकड़ सिंचाई लागत क्रमशः 798 रुपए व 717 रुपए है।

(iv) जल विद्युत (Hydro Electricity) भाखड़ा नागल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 12 04 लाख किलोवाट है। इसका प्रयोग मुख्यतः उद्योगों में किया जाता है। विद्युत उपयोग अप्रलिखित प्रकार किया जाता है

भाखड़ा नागल परियोजना की विद्युत का उपयोग	
उपयोगकर्ता	विद्युत उपभोग किलोवाट
पावला-नागल उद्योग कारखाना	1 75 000
दिल्ली	80 000
इशानगर	10 000
राजस्थान	68 880
हिमाचल प्रदेश	14 330
पंजाब	2 03 350
हरियाणा	1 47 380
बिहार	13 070

(v) अकालों पर नियंत्रण (Control of Famines) भाखड़ा नागल परियोजना से जल का पर्याप्त पूर्ति के कारण इस क्षेत्र में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। इस क्षेत्र पर मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव नही पड़ता है। इस प्रकार अकालों पर नियंत्रण सम्भव हो गया है।

(vi) चरगाह (Pastures) इस परियोजना के कारण पंजाब हरियाणा आदि राज्यों के पशुओं को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में हरा चारा प्राप्त हो जाता है। इसी के कारण पंजाब में श्वेत क्रान्ति सफल हुई है।

(vii) औद्योगिक विकास (Industrial Development) कृषि विकास एवं जल विद्युत की पर्याप्त पूर्ति के कारण औद्योगिक विकास का बढावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पूर्ति के कारण लघु एवं मध्यम उद्योगों का तेजा से विकास हुआ है।

(viii) रोजगार में वृद्धि (Employment) इस परियोजना में अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार का अवसर बढ है।

(ix) मण्डियों का विकास (Development of Mandies) इस योजना के कारण कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्रों में वृद्धि से व्यापारिक मण्डियों का भी तेजी से विस्तार

एन एजी से निराम हुआ।

(x) जीवन स्तर में वृद्धि (Rise in Standard of living)-परियोजना क्षेत्र के निवासियों की आय में वृद्धि हुई है। अतः लोगो के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है।

3 माही बजाज सागर परियोजना

Mahi Bajaj Sagar Dam

माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों के सहयोग से निर्मित की गई है। यह एक सिंचार्थक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का लाभ मुख्यतः राजस्थान के बासवाड़ा जिले को होगा। सर्वप्रथम 1958 में योजना आयोग ने इस परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का शिलान्यास 1960 में एक मध्यम सिंचार्थ परियोजना के रूप में हुआ था लेकिन 1971 में योजना आयोग ने इसके वर्तमान स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके पश्चात् परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। परियोजना द्वारा सिंचार्थ का शुभारंभ नवम्बर 1983 में किया गया। सशोधित स्वरूप व अनुसार इस परियोजना से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचार्थ सुविधा उपलब्ध होगी।

माही नदी मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में विन्ध्य पर्वत से निकलती है। 169 किलोमीटर बहने के पश्चात् यह नदी बासवाड़ा व निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह नदी लगभग 171 किलोमीटर बहती है। वनास सोम इराऊ इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी राजस्थान से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। अतः यह खम्भात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। राज्य वा बासवाड़ा जिला पथरीली मिट्टी भूमि वाला है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 80 सेंटीमीटर है। जिले की मिट्टी उपजाऊ है लेकिन पर्याप्त सिंचार्थ सुविधाओं के अभाव में मुख्यतः खरीफ की फसल की जाती है। इस सिंचार्थ परियोजना का निर्माण के पश्चात् भू जल की सतह ऊँची होने एवं सिंचार्थ के साधनों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है अतः बासवाड़ा क्षेत्र में कृषि एवं उद्योगों का भविष्य उज्वल होने की संभावना है। माही बजाज सागर परियोजना को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(i) प्रथम इकाई (First Unit) योजना की प्रथम इकाई के अंतर्गत बासवाड़ा क्षेत्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरछाड़ा नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है। बांध की जनग्रहण क्षमता 1840 लाख घन मीटर है। इस बांध से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर एक मिट्टी के बांध का निर्माण भी किया गया है।

(ii) द्वितीय इकाई (नहरे जल परिवहन और नालियों का कार्य आदि) (Second Unit)-सिंचार्थ सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बांध से नहरे निकाली गई हैं। बासवाड़ा के पास कागदी पिकअप वियर से दो नहरे निकाली गई हैं-प्रथम-दोई मुख्य नहर जिसकी लंबाई 71.72 किलोमीटर है द्वितीय बाँई मुख्य नहर जिसकी लंबाई 36.12 किलोमीटर है। इन दोनों नहरों की वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इन नहरों से बासवाड़ा जिले की लगभग 90800 हेक्टेयर भूमि में सिंचार्थ होने लगी है।

(iii) तृतीय इकाई (Third Unit)-माही परियोजना की तृतीय इकाई के अंतर्गत 2 विद्युत इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन विद्युतगृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। इन विद्युतगृहों से विद्युत आरंभ हो चुका है। योजना आयोग ने माही बजाज सागर की स्वीकृति 12-11-1971 को दी थी। इसकी अनुमानित लागत 3046 लाख रूपए निर्धारित की गयी जो प्रथम इकाई के कार्यों के लिए 2293 लाख रूपये द्वितीय इकाई के कार्यों के लिये 743 लाख रूपये तथा तृतीय इकाई के कार्यों के लिये 100 लाख रूपये में विभाक्त है। कच्चे माल व श्रम आदि की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण योजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई। 1976 में योजना की नवीन लागत इस प्रकार निर्धारित की गई प्रथम इकाई 6735 लाख रूपए द्वितीय इकाई 3581 लाख रूपए व तृतीय इकाई-3823 लाख रूपए तथा कुल योग-14137 लाख रूपए।

श्रम व कच्चा माल आदि के मूल्यों में पुनः वृद्धि हो जाने के कारण योजना की लागत में वृद्धि हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय परियोजना की प्रथम इकाई की लागत 80.02 करोड़ रूपए निर्दिष्ट की गई। अद्य तात्काल में योजना की अनुमानित लागत एवं व्ययों को दर्शाया गया है।

आठवीं योजना में माही बजाज सागर परियोजना पर 120 करोड़ रूपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। यह समस्त धारणा निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय की जानी थी। अद्य योजना में 20 हजार हेक्टेयर में सिंचार्थ की क्षमता का निर्माण प्रस्तावित था। 1997-98 के अंत में 98.8 हजार हेक्टेयर में सिंचार्थ सुविधा उपलब्ध होने लगी है। नवी योजना में इस परियोजना पर 40 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान है। 1 मार्च 1997 तक परियोजना के विभिन्न कार्यों पर 530.92 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है।

माही खड़ाज सागर परियोजना								
अनुमानित लागत एवं सातवीं योजना तक व्यय (लाख रुपये में)								
	अनुमानित लागत				सातवीं योजना तक व्यय			
	सिंचाई		विद्युत	योग	सिंचाई		विद्युत	योग
	राजस्थान	गुजरात			राजस्थान	गुजरात		
प्रथम इकाई	4512	5812	244	10568	4354	5620	244	10218
द्वितीय इकाई	30350	-	3150	33500	12212	-	772	12984
तृतीय इकाई	-	-	7752	7752	(-)	-	6626	6603
चतुर्थ इकाई	200	-	-	200	292	-	-	292
पंचम इकाई	-	-	-	-	500	-	-	500
योग	35062	5812	11146	52020	17335	5620	7642	30597

स्रोत Eighth Five Year Plan, 1981-87, Govt. of Rajasthan.

4 व्यास परियोजना

Beas Project

यह पंजाब राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सतलज, रावी एवं व्यास नदियों के जल का उपयोग करना है।

इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया गया है।

(i) प्रथम चरण (First Stage) - योजना के प्रथम चरण में व्यास-सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया है।

(ii) द्वितीय चरण (Second Stage) योजना के द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोग नामक स्थान पर पोग बांध बनाया गया है। पोग बांध का निर्माण हो चुका है। इस बांध की नहरों से पंजाब हरियाणा व राजस्थान की भूमि पर सिंचाई की जाती है तथा जल विद्युत का उत्पादन भी किया जायेगा। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर के शतकाल में जल की आपूर्ति नियमित बनाये रखना है। व्यास व सतलज पर दो बांधों के निर्माण की योजना भी है।

रावी-व्यास जल विवाद (Conflict over Ravi-Beas Water)

रावी-व्यास जल विवाद लंबे समय से चल रहा है। मूलप्रश्न इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1955 में एक समझौता किया गया। इसके अंतर्गत पंजाब हरियाणा राजस्थान उष्ण व कश्मीर तथा दिल्ली के लिए जल का आवंटन किया गया। 1981 में पुनः एक समझौता हुआ किमंत अनुसार विभिन्न राज्यों के हिस्से का पुनः निर्धारण किया गया। जुलाई 1985 में यह विवाद पुनः उभरा। भारत सरकार ने 23 जनवरी 1986 का इस विवाद के मध्यम समझौते का न्यायधिकरण का गठन किया। यह अद्योत न्यायमूर्ति इगडा का अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का हिस्सा 50 लाख एकड़ फुट जल निश्चित किया गया जबकि इस राज्य का पूर्व अंश 42.2 लाख एकड़ फुट था। हरियाणा राज्य के लिये 38 लाख 30 हजार एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया जबकि इसका पूर्व अंश 35 लाख एकड़ फुट था। राजस्थान के लिए 88 लाख एकड़ फुट जल का निर्धारण किया गया, पूर्व अंश भी 86 लाख एकड़ फुट था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंजाब व हरियाणा के हिस्से में वृद्धि हो रही है जबकि राजस्थान के जल हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें राज्य में असंतोष बढ़ा है। वास्तव में राज्य में सूख व अकाल की स्थिति को देखते हुये राजस्थान के जल हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक था।

5. जाखम परियोजना

Jakham Project

प्रायःपण्ड तहसील में छोटी सादडी के निकट जाखम नदी का उद्गम-स्थल है। इस नदी के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये जाखम परियोजना बनाई गई। राज्य सरकार ने 1962 में जाखम परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना में चित्तौड़गढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कृषि का विकास होगा वरन् योजना का जल-विद्युत की प्राप्ति होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी त्वरित से हो सकेगा।

जाखम परियोजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रायःपण्ड तहसील व अन्नपुरा गांव के निकट एक मुख्य बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का लम्बाई 253 मीटर व चौड़ाई 81 मीटर है। फिक-अप विद्युत (छोटा बांध) का निर्माण

मुख्य बाध पानी का मिचार्ड जाने जाता जाने के बिना किया गया है। मुख्य बाध व पिच-अप विंगर क मध्य लगभग 13 किलोमीटर की दूरी है। 1969-70 में मुख्य बाध एव नहरों का विस्तृत गर्भण किया गया। गेटे बाध की रूपरेखा केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई है। इस बाध में दो नहरें निकाली गई हैं दाहिनी व बायीं नहर की नर्मा क्रमांक 24 व 40 किलोमीटर है। परिवहन सुविधा में वृद्धि करने के उद्देश्य में सड़कों का निर्माण किया गया है। उत्पन्न सभ्यता और प्रतापगढ़ से मुख्य बाध तक पानी मड़नों का निर्माण किया गया है। यह परियोजना आर्वासी व नौवर्षीय अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस योजना से मिचार्ड सुनिश्चिता में गर्भण वृद्धि हुई है। मुख्य बाध पर 4.5 मेगावाट क्षमता का एक त्रियुतमृत् बनाने का भी प्रस्ताव है इस परियोजना पर 43 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

6 बीसलपुर परियोजना

Bisalpur Project

बीसलपुर परियोजना सिंचाई एव पीने योग्य जल की पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गई। राजस्थान सरकार ने 1962 में इस योजना का प्रोजेक्ट केंद्रीय जल आयोग का भेजा। इस परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई तथा अजमेर किरानगढ़ व ब्यावर आदि नगरों में पीने योग्य पानी की उपलब्धि हो सकेगी। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बनाम नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। बनाम नदी पर बीसलपुर नामक स्थान पर एक बाध का निर्माण किया जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा एव पेयजल योजना का निर्माण भी किया गया। योजना की अनुमानित लागत 327.03 करोड़ रुपए है। योजना की प्रथम इकाई पर 202.03 करोड़ रुपए एव द्वितीय इकाई पर 125 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। बीसलपुर योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पेयजल योजना को भी पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इस पेयजल योजना के अंतर्गत अजमेर, ब्यावर, किरानगढ़ आदि शहरों को पेयजल की पूर्ति की जाएगी। पेयजल योजना का निर्माण कार्य शरभ किया जा चुका है। नसीराबाद से ब्यावर व किरानगढ़ तक पाइपलाईन बिछाने का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना पर बाध का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। योजना का प्रथम चरण (इकाई प्रथम बाध का निर्माण एव उससे संबंधित कार्य) आठवीं योजनाकाल में पूर्ण हो जायेगा। योजना का द्वितीय चरण (इकाई द्वितीय नहरों व्यवस्था का निर्माण) 1999-2000 तक पूर्ण होने की संभावना है। द्वितीय इकाई की अनुमानित लागत 125 करोड़ रुपए है जिसमें से 97.78 करोड़ रुपए

आठवीं योजना के अंत तक व्यय किये जाने का प्रावधान है। शेष 27.22 करोड़ रुपए नवीं योजना में व्यय किये जायेंगे। इस परियोजना से 69300 हेक्टेयर भू-क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ होने का अनुमान है। आठवीं योजना के अंत तक लगभग 20000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी। बीसलपुर योजना दो दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है प्रथम इससे राज्य के एक विशाल भू-भाग में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी जिससे परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि एव उद्योगों का तेजी से विकास हो सकेगा। द्वितीय योजना के अंतर्गत राज्य के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में पेयजल की पूर्ति की जायेगी। ये सभी नगर औद्योगिक दृष्टि से जननी पूर्ति में वृद्धि हो जान के फलस्वरूप इन नगरों का तेजी से औद्योगिकरण होने की संभावना है। योजना के कारण राज्य के अनेक लोगों का रोजगार मिल रहा है और संपूर्ण योजना के पूर्ण हो जान के परिणामस्वरूप राज्य के और अधिक अवसर सृजित होने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

7 नर्मदा परियोजना

Narmada Project

इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी के 5 लाख एकड़ फुट जल का उपयोग करने के लिये किया गया। इस जल का आवंटन नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया। इस परियोजना से 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो सकीं और इसका कमाण्ड एरिया सांचौर व गुडामलानी होगा। जननी प्राप्ति हेतु मरदास मरोवर परियोजना (गुजरात राज्य में निर्मित) से 460 किलोमीटर नर्मदा मुख्य नहर के द्वारा की जायेगी। मरदास मरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान का संयुक्त प्रयास है। राजस्थान इस परियोजना की प्रथम इकाई पर कुल लागत पर 2.31 प्रतिशत तथा द्वितीय इकाई की कुल लागत का 11 प्रतिशत वहन करेगा। नर्मदा परियोजना के लिए 64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से जालौर जिले के 76 एव बाडमेर जिले के 7 गावों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

8 सिद्धमुख परियोजना

Siddmukh Project

इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में व्यापक नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग कर सकेगा। यह जल राजस्थान के हिस्से में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के राज 1981 में एक समझौते के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जल भाखडा नागल हेडवर्क में भाखडा मुण्ड नहर पंजाब राज्य में होने वाले पतनबाद शाखा व किरानगढ़ उपशाखा हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा प्राप्त जायेंगा। इस परियोजना से

गगानगर जिले को भादरा व नोहर तहसीलों तथा चुरू जिले की तारानगर व राजगढ तहसीलों को जल की प्राप्ति हो सकेगी। इस जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई के लिए किया जायेगा। मिट्टीमुख परियोजना की अनुमानित लागत 103 करोड़ रूपए है। इस परियोजना से गगानगर व चुरू जिलों में कृषि का विकास होगा।

9. नोहर परियोजना

NOHAR PROJECT

यह परियोजना भी सिद्धमुख परियोजना का एक अंग है। परियोजना के अंतर्गत श्रीगगानगर जिले में नोहर तहसील की जल की प्राप्ति होगी। यह जल भी रावी एवं व्यास नदियों से प्राप्त अतिरिक्त जल होगा। इस परियोजना की कुल लागत 40.60 लाख रूपए होने का अनुमान है।

10. इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना

INDIRA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह राजस्थान के मवाई माधोपुर जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत चबल नदी के जल को कसेंड ग्राम के निकट 124 मीटर ऊंचा उठाकर हिण्डौन, करौली, गगानगर, टोडाभीम, नादौती, बामनवास, बयाना आदि स्थानों पर पहुंचाया जाना है। इस लिफ्ट योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध करना है। इस लिफ्ट योजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। इस क्षेत्र में अनेक पहाडिया हैं। अतः जल को कृषि योग्य भूमि तक पहुंचाने के लिये लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना आवश्यक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग पचास करोड़ रूपए है। जलोत्थान के लिये पर्याप्त विद्युत की भी आवश्यकता होगी। परियोजना से राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

11. पीपलडा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

PIPLADA LIFT IRRIGATION PROJECT

यह सवाईमाधोपुर जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत चबल नदी से गण्डावर गांव के निकट जल को 58 मीटर ऊंचा उठाया जायेगा। इस योजना से खण्डार तहसील (सवाईमाधोपुर जिला) के लगभग 34 गांवों में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी। खण्डार तहसील में लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इस सिंचाई योजना की अनुमानित लागत 5.29 करोड़ रूपए है।

12. सोम-कमला-अम्बा सिंचाई योजना

SOM KAMLA- AMBA IRRIGATION PROJECT

इस परियोजना का निर्माण राज्य के डूंगरपुर जिले

में किया गया है। इससे डूंगरपुर जिले की लगभग 18 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी।

13. पांचना परियोजना

PANCHNA PROJECT

यह सवाईमाधोपुर जिले की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। पांचना सिंचाई क्षेत्र गुडला गांव के निकट है। इस स्थान पर णच नदियों का संगम है। भद्रावती, अटा, बारखेडा, भेसावट और भाचो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

14. विलास सिंचाई योजना

BILLAS IRRIGATION PROJECT

यह कोटा जिले की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अंतर्गत मानगढ गांव के पास विलास नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। विलास नदी पार्वती नदी की सहायक नदी है। इस बांध से एक नहर भी निकाली गई है। यह बांध मिट्टी से बनाया गया है। मुख्य नहर की लंबाई 20 किलोमीटर है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 25 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकगी।

15. छापी सिंचाई परियोजना

CHAPPI IRRIGATION PROJECT

यह झालावाड जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। अकरला के पास एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध की प्रस्तावित लंबाई 344 फुट और ऊंचाई 120 फुट है। इस परियोजना में झालावाड जिले की लगभग 7000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी।

16. जवाई बांध परियोजना

JAWAI DAM PROJECT

1956 में पाली जिले में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जवाई बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 923 मीटर व 34 मीटर हैं। इस बांध से 24 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। वित्तिकार्षे 224 किलोमीटर लंबी हैं। इस बांध की जल को आवक बटाने के लिए 1971 में सेई बांध बनाया गया। सेई बांध का पानी जवाई बांध में लाने हेतु, पहाड से 7 कि.मी. लम्बी सुरंग तैयार की गई है। इससे पाली व जलौर में क्रमशः 26,550 हेक्टेयर व 14,860 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसकी नहरों का विस्तार और उन्हें पक्का करने का कार्य किया जा रहा है।

17. पार्वती परियोजना

Parwati Project

1959 में धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 122 लाख रुपए की लागत से एक बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई 7 किलोमीटर है तथा इसकी मुख्य नहर की कुल लंबाई 56 किलोमीटर है। इससे लगभग 12 100 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।

18. ओरई परियोजना

Oral Project

चित्तौड़गढ़ जिले में ओरई नदी पर एक बांध बनाया जायेगा जिससे भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सिंचाई होगी।

19 अन्य परियोजनाएँ

Other Project

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य में अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। इनमें बाकली बांध (नागौर व पाली) मोरैल बांध (सवाई माधोपुर) गुढा बांध (बूंदी) खारी बांध (आसोद के पास) मेजा बांध (भीलवाड़ा) परिचमी बनास योजना (सिरोही) अडवान बांध (शाहपुरा) गम्भीरी योजना (चित्तौड़गढ़) इदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना (सवाईमाधोपुर) विलाम सिंचाई योजना (कोटा) सोम कागदर सिंचाई योजना (उदयपुर) पीपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना (सवाई माधोपुर) बीमलपुर परियोजना (टोंक) सोम-कमला-अम्बा सिंचाई परियोजना (झगरपुर) व पाचना परियोजना (सवाई माधोपुर) आदि प्रमुख हैं।

प्रमुख नहरों से सकल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

नहरें	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1993-94
1 इदिरा गांधी नहर परियोजना	328 46	406 63	459 97	332 30	530 15	490 87	531 72	539 58
2 गंग नहर	275 97	292 12	336 06	262 88	319 96	322 44	328 99	320 14
3 भाखला नहर	331 42	360 64	357 43	326 67	397 67	389 51	422 63	413 98
4 चम्बल की नहर	216 19	247 61	273 15	278 44	267 67	295 60	245 06	284 20
5 अन्य नहरें	107 72	197 04	207 98	176 74	217 54	172 53	239 74	277 43
योग	1257 81	1511 06	1634 61	1377 04	1733 01	1670 97	1768 18	183532

स्रोत Trends in Land Use Statistics & VAS 1994-95, Rajasthan.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि

1 राजस्थान की नहरों से सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1987-88 में सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक कमी हो गई लेकिन इसके पश्चात् वृद्धि का क्रम पुनः आरंभ हो गया।

2 गंग नहर से सिंचित क्षेत्र में 1987-88 तक उतार चढ़ाव होता रहा लेकिन इसके पश्चात् सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई।

3 चम्बल की नहर से भी राज्य के पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई होती है। सिंचाई क्षेत्र में कमी वृद्धि होती रही है। सिंचाई की दृष्टि से इदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्थान है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की प्रमुख नहरों के अतिरिक्त अन्य नहरों से भी सिंचाई की जाती है। अन्य नहरें राज्य के शायद सभी जिलों में विद्यमान हैं। अन्य नहरों से 1980-81 में सिंचित क्षेत्रफल 107 72 हजार

हेक्टेयर था जो 1990-91 में 239 74 हजार हेक्टेयर हो गया।

योजनाकाल में सिंचाई का विकास

DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN PLAN PERIOD

प्रथम योजना (First Plan) इस योजना में सिंचाई व बांध नियंत्रण पर 31 31 करोड़ रुपए व्यय किये गये। भाखला नगर चम्बल नदी घाटी परियोजना तथा अनेक छोटी योजनाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया। 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 11 74 लाख हेक्टेयर था जो बढ़कर 1955-56 में 13 6 लाख हेक्टेयर हो गया।

द्वितीय योजना (Second plan) इस योजना में सिंचाई व बांध नियंत्रण पर 27 86 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजनाकाल में इदिरागांधी नहर का निर्माण प्रारंभ किया गया तथा अपूर्वी योजनाओं को पूर्ण किया गया। योजना के अंत में कुल सिंचित क्षेत्र 17 6 लाख हेक्टेयर हो गया।

तृतीय योजना (Third plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 87 88 करोड़ रुपए व्यय किये गये। अधूरी योजनाओं को पूर्ण किया गया। योजना के अंत में कुल सिंचित क्षेत्र 22 6 लाख हेक्टेयर हो गया।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) (Three One-Year Plans) - इस अवधि में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 46 59 करोड़ रुपए व्यय किये गये। इन योजनाओं के अंत में सिंचित क्षेत्र 23 5 लाख हेक्टेयर हो गया।

चतुर्थ योजना (Fourth plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण का 105 26 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 26 24 लाख हेक्टेयर हो गया।

पाचवी योजना (Fifth plan) - योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 271 17 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 30 लाख हेक्टेयर हो गया।

छठी योजना (Sixth plan) - छठी योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 547 08 करोड़ रुपए व्यय किये गये।

सातवी योजना (Seventh Plan) - इस योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 690 51 करोड़ रुपए व्यय किये गये। योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 44 61 लाख हेक्टेयर हो गया।

आठवी पंचवर्षीय योजना (Eighth Plan - 1992-97) - आठवी पंचवर्षीय योजना में 1,70 623 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का निश्चय किया गया। वास्तव में आठवी योजना के अंतर्गत 3 07 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई।

नवी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विकास (1997-2002) - कृषि विकास के लिये सिंचाई का नियोजित ढंग म विकास करना नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति का ध्यान में रखते हुए सिंचाई के क्षेत्र में निम्न वृद्ध रचना अपनाई गई

- (i) सिंचाई की विद्यमान क्षमता में पर्याप्त मरम्मत के द्वारा वृद्धि करना।
- (ii) सिंचाई क्षमता का विस्तार करना।
- (iii) सिंचाई की चालू परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- (iv) छोटी मध्यम एवं बड़े आकार की चयनित सिंचाई परियोजना का कार्य आरंभ करना।

(v) विदेशी सहयोग में प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

(vi) इस योजना में 1336 02 करोड़ रूपये कम करके 470 62 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति

PRESENT POSITION OF IRRIGATION IN RAJASTHAN

(i) सिंचाई क्षमता (Irrigation Potential) - राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विकास - विस्तार कर एक सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिये अनेक बहु-उद्देश्यीय, वृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। मार्च, 1992 तक 99 वृहद् और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएँ तथा 4307 लघु सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका था। इन वृहद् एवं मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं से अर्जित 20 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का 96 8 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका था। उपयोग का यह प्रतिशत देश में अधिकतम था। इसी प्रकार लघु सिंचाई परियोजनाओं में 3 34 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी थी। किन्तु 50% क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है। सृजित एवं उपयोग हुई क्षमता में अन्तर का मुख्य कारण सीमित वर्षा के कारण राज्य के बांधों में पानी की भारी क्षमता में अपेक्षाकृत कम जलसंग्रह होना रहा।

राज्य में पूरी हुई सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने में पूर्व यदा मात्र 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी।

(ii) चालू परियोजनाएँ (Ongoing Project) - प्रदेश के सिंचित रकबे में और बढ़ोतरी हो सके, इनके लिये तेजी से प्रयास जारी है। वर्तमान में कई बहु-उद्देश्यीय, वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त, विभिन्न सिंचाई परियोजनाएँ निश्चित प्रायोजकों और पंचायतों द्वारा ह्रास में लिये गये विकास कार्यों के तहत क्रियान्वित की जा रही है।

वर्तमान में बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के तहत माहें बजाज सागर, रामप्रसाद सागर, जवाहर सागर और चदल परियोजना के शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

इनमें माही बजाज सागर का कार्य नवी पंचवर्षीय योजना तक पूरा होने का अनुमान है जब कि शेष परियोजनाओं का आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा होने के प्रयास हैं। इसी प्रकार वृहद् परियोजनाओं के अतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के तहत 6 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इनमें जाखम, गुडगाव, बीमलपुर, नर्मदा, नोहर व सिद्धमुख नहरें मुख्य हैं। जाखम व गुडगाव परियोजनाएँ आठवें पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरा होगी जबकि नर्मदा सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं के नवी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना के तहत जिन परियोजनाओं का काम प्रगति पर है उनमें भीमसागर सोम वरागढ़, विलास, सोम-अम्बा-कमला, पाचना, सावन भादों, छापी, हरीशचन्द्र सागर और परवान लिफ्ट योजना मुख्य हैं। इन सभी परियोजनाओं को आठवें योजनाकाल में पूरा होने का प्रयास जारी है। राज्य में चल रही 88 लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करने के कार्यक्रम हैं।

(iii) सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम (Community Lift Irrigation Programme) - राजस्थान में सीमित जलस्रोत हैं। राज्य के लघु व सीमान्त कृषक इन जलस्रोतों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में नदियों, नालों एवं नदी क्षेत्र आदि के रूप में पर्याप्त जलस्रोत विद्यमान हैं। सीमान्त व लघु कृषकों की सहायता के लिए इन जलस्रोतों का समुचित उपयोग करने के लिए राजस्थान सरकार ने 1980-81 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतर्गत सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम आरंभ किया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना है ताकि वे गरीबी रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि सीमान्त व लघु कृषक किसी समिति अथवा समूह के अतर्गत इस योजना को संचालित करेंगे। योजना की लागत का 10 प्रतिशत भाग कृषक द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा शेष राशि के लिये सरकार अनुदान प्रदान करेगी। इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता से ऋण की व्यवस्था भी की गई है। यह योजना ग्रामीण जिला विकास सहायता के तकनीकी विभाग द्वारा बनाई जाती है तथा इसका संचालन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यह योजना कोटा बूढ़ी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मिरोही, धौलपुर, टोंक आदि जिलों में आसानी से चालू की जा सकती है।

(iv) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड - यह निगम 1984 में स्थापित किया गया। इसका प्रमुख कार्य भू-जल एवं सतही जल के विभिन्न कार्यों में उपयोगों को निर्धारित करना है। यह जल को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिये ऊर्जा स्रोतों की भी व्यवस्था करता है। इस निगम को प्रभावी बनाने हेतु इसकी स्थिति एवं प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

राजस्थान में सिंचाई संबंधी समस्याएँ व सुझाव

PROBLEMS & SUGGESTIONS REGARDING IRRIGATION IN RAJASTHAN

(1) अपर्याप्त जल संसाधन (Inadequate Water Resources) - राज्य में वर्षा बहुत कम होती है अतः जल संसाधन अपर्याप्त है। इसलिये जल संसाधनों का कुशलता व मितव्ययिता से प्रयोग करना चाहिये।

(2) कुओं में पर्याप्त जल (Inadequate Water in Wells) - राज्य में कुओं में कम पानी की समस्या है। पानी बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। अतः कुओं वाले क्षेत्रों में बाधों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि जल स्तर ऊंचा हो सके।

(3) मरम्मत सुविधा का अभाव (Lack of Repair Facilities) - राज्य में तालाबों, नहरों व बाधों की मरम्मत की पर्याप्त सुविधा नहीं है अतः जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए तालाबों, नहरों व बाधों के निरीक्षण व सुधार संबंधी व्यवस्था की जानी चाहिये।

(4) वित्तीय सहायता का अभाव (Lack of Financial Resources) - राज्य में वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने से बहुत अधिक समय लग जाता है अतः केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

(5) सामग्री का अभाव (Lack of Material) - राज्य में नदी-घाटी परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अभाव रहता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की धीमी प्रगति का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः ऐसी सामग्री का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।

(6) भ्रष्टाचार (Corruption) - सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्थान के चयन, उसके निर्माण एवं जल के वितरण आदि के पक्षपात, भ्रष्टाचार व तालपतीताशाही का

बोलबाला है। जन-जागरण ही इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है।

(7) जल ससाधन का दुरुपयोग (Misuse of Water Resources) - किसानों द्वारा जल ससाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। इसके जलाधिक्य व लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः आवश्यकतानुसार ही जल का वितरण व प्रयोग किया जाना चाहिये।

(8) कृषकों के विवाद (Conflicts in Farmers) - जल ससाधनों के वितरण को लेकर कृषकों में प्रायः विवाद बना रहता है। कभी-कभी इसका कारण अधिकारियों की फलपात पूर्ण नीति भी होती है। निश्चित समय पर पर्याप्त जल का वितरण न करने पर भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसके लिये निश्चित नियमों का निर्माण किया जाना चाहिये।

(9) रोगों का प्रकोप (Diseases) - बालाशेष व नहरों के क्षेत्र में मच्छरों के कारण मलेरिया जैसी बीमारियाँ तेजी से बढ़ती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा जल ससाधनों का सदुपयोग करना चाहिये।

(10) विद्युत प्रयोग का अभाव (Lack of Power Utilization) - डीजल पम्प की तुलना में विद्युत पम्प मितव्ययी होते हैं अतः उपभोक्ताओं को विद्युत पम्प से अधिक प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये तथा विद्युत की पूर्ति लगातार बनाये रखनी चाहिये।

(11) अनुसंधान की दीर्घकालीन प्रक्रिया (Longrun Process of Research) - सिंचाई परियोजनाओं के अनुसंधान में काफी लंबा समय लगता है। अतः पहले से जांचा हुई योजनाओं को तैयार रखना चाहिये ताकि साधनों के अनुसार उनमें से किसी को भी चयन किया जा सके।

(12) भौगोलिक विकास (Geographical Disparities) - सिंचाई की आवश्यकता व साधन क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा, वृषि, फसलों के प्रकार आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों में नहरों आदि का निर्माण करते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये, न कि सभी क्षेत्रों के लिये समान मानव निर्धारण किये जाने चाहिये।

(13) जनसहयोग का अभाव (Lack of Public Co-operation) - सिंचाई साधनों के विकास के अर्थात् विशेष रूप से बांधों व नहरों के निर्माण में जनसहयोग का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कल्ले-कल्ले तो जन विरोध

का भी सामना करना पड़ता है। सिंचाई परियोजना सबधी सभी वास्तविक तथ्यों को अवगत करते हुये जन सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

(14) जन-धन की हानि (Loss of Property & Lives) - बांधों, नहरों या तालाबों आदि के टूट जाने पर जन-धन की हानि अत्यधिक क्षति होती है। इन साधनों के निर्माण में पर्याप्त सावधानी बरतकर व उचित देख-रेख में इस समस्या का समाधान संभव है।

(15) अन्तर्राज्यीय विवाद (Inter State Disputes)- विभिन्न जलस्रोतों को लेकर विभिन्न राज्यों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिससे सिंचाई साधनों के विकास में बाधा पड़ती है। राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुये इमका कोई हल निकाला जाना चाहिये।

(16) अधिक सिंचाई लागत (High Irrigation Cost)- मुद्रा प्रसार के कारण निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। सिंचाई साधनों के दुरुपयोग में ये लागतें और भी बढ़ गई हैं। बढ़ी हुई लागतों को पूर्ति सिंचाई शुल्क वृद्धि करके की जानी चाहिये।

राजस्थान में शक्ति

POWER IN RAJASTHAN

सभी आर्थिक कार्यकलापों में ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। ऊर्जा का उत्पादन एक बहुत ही खर्चीला कार्य है और ऊर्जा की मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति के लिये भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कारण राज्य की योजना मंदा में ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना प्रावधान का लगभग 28.31 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के लिये निर्धारित था।

प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिये राज्य क लिमिटेड भंडारों को खोल दिया गया है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से निजी क्षेत्र में 4280 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु करीब 100 करोड़ रुपए की जा चुकी है। विद्युत की कमी, जो राज्य की विकास गतिविधियों को प्रभावित कर रही थी, वह निकट भविष्य में हल कर ली जायेगी।

दिसम्बर, 1997 तक प्रामाण्य विद्युतीकरण कार्यक्रम

ने अतर्गत राज्य में 34528 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 5.44 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) - राजस्थान में नैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य में जनवरी 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) की स्थापना की गई। यह सभ्य राज्य में सौर-ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण महयोग प्रदान करता है। नौर ऊर्जा को बढ़ावा देना हेतु राज्य के मल्लखलीय क्षेत्र विशेषतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाडमेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (सौर) की स्थापना कर रही है।

राजस्थान विद्युत मंडल (RSEB) - यह मंडल विभिन्न विजर्नी परियोजनाओं की स्थापना खोज एवं उनका क्रियन्वयन तथा विद्युत महहन एवं वितरण क कार्यों में मलम है। कोटा ताप विजलीघर माती जल विद्युत परियोजना, व्यास, चबल एवं मनुपुडा परियोजनाए राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अपुराक्ति मिमगोली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द अन्ता औरैया नौरा एवं दादरी गैस, ऊचरार ताप विद्युत एवं टनकपुर परियाजना राज्य का विद्युत आपूर्ति में योगदान करत हैं।

प्रानीय विद्युतीकरण राजना के अर्गत वर्ष 1995-96 व अत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हा चुका है। इसी तरह वर्ष 1996-97 में दिसम्बर 96 तक 25535 कुओं को विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल 5.26 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन विद्युत उपभोग को तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट होना की सम्भवा है। इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट हान का अनुमान है।

1950-51 में विद्युत की स्थिति क्षमता 13 मेगावाट थी जो सातवी योजना के अत तक बढ़कर 2711.42 मेगावाट हा गइ। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी।

आठवी योजना में शक्ति पर वार्षिक व्यय 3081.4 करोड रुपए हुआ है और नवी योजना में 5510 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिमने अपने राज्य विजली बोर्ड की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य में एक ऑपरेशनल एवं फाइनेंसियल एकरान प्लान (ओएफपी) अपनाता स्वीकार किया है। विश्व बैंक एवं ऊर्जा वित्त निगम को दिए गए आश्वासन की अनुपालना हेतु कृषि कनेक्शनों के लिए खम्भों पर अनुदान में क्रमिक कमी सहित कुछ अन्य उपाय प्रारम्भ कर दिए हैं।

राजस्थान में शक्ति के साधन

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) **कोयला (Coal) -** राजस्थान में उतम किस्म के कायले के अधिक भण्डार नहीं हैं। कायला मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, विटुमिंस और एथेसाइट। एथेसाइट कायला सर्वोतम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अंश 80% में 95% तक होता है। इसका रंग चमकीला काला होता है तथा इसमें कम धुआ तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। विटुमिंस कायला द्वितीय श्रेणी का कायला है जिममें कार्बन का अंश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रंग काला होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआ प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कायला है जिसमें कार्बन का अंश 45% में 55% के मध्य होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें ताप व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआ अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कायला अर्थात् लिग्नाइट कायला पाया जाता है। संपूर्ण भारत व कायला उत्पादक क्षेत्रों का जरा दो भागों में बाटा जाता है तो प्रमथश गोंडवाना क्षेत्र और टरशिखरी क्षेत्र हमारा सम्पन्न आते हैं। राजस्थान इसी टरशिखरी क्षेत्र के अतर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक कायला पाया जाता है जिमने अतर्गत पलाना, खाग आदि क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिने में गणसंगर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कायला पलाना की कायला खानों में प्राप्त होता है। लिग्नाइट कायला यद्यपि निम्न श्रेणी का कायला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कायलों में तो राजस्थान में प्राप्त

लिमाइट श्रेष्ठ किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें हैं। यहाँ पर लगभग 2 करोड़ टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अतिरिक्त गणसरोवर, चानेरी, खारी केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिलते हैं किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं किये जा रहे हैं। मेडाना में भी लिमाइट कोयला मिलने की संभावना है। इस क्षेत्र में धार्य किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युत्गृहों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविदोहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी संभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर से कोयला मगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षों में ईटों के भट्टों, सीमेंट के कारखानों, रसायन उद्योगों, सूती मिलों, रक्षा संकाओं, धातु कार्यों आदि विभिन्न उपयोगों के लिये कोयला वितरित किया गया जा इस बात का द्योतक है राजस्थान में कोयले की पर्याप्त मात्रा है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल राजनीति में जिम प्रकार से विश्व को प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविभाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान कर रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने के कारण प्रकृति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी परंपरा चट्टानों में संचित करके रखा है। खनिज तेल की बढ़ती कीमतों के कारण राजस्थान में तेल मिलने की संभावनाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एवं गैस के भण्डार होने का अनुमान है। हाल ही में ऑयल इण्डिया लिमिटेड की राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर नागौर बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुएँ में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 20 कुएँ खोदे जाने की योजना है। इस हेतु राजस्थान परियोजना को कुल 135 करोड़ रुपये का बजट

भी आवंटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआँ न - 1 में चूने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशा है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की कयापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस कारण, इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरंभ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा में खनिज तेल मिलने का संकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुएँ में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के संकेत मिले हैं। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रंग डायमर जैसा है और यह अति उच्च लक्ष्मीत्व किये हुये है। इस कुएँ की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन चट्टानों में यह तेल मिला है, वे सम्भवतः कैम्ब्रियन युग की हैं जो लगभग 80 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी चट्टानें भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती हैं। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि.मी. है और 70 वर्ग किमी. क्षेत्र में सरचनाओं के समूह बने हुये हैं। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड़ टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भण्डार 18 करोड़ टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आसान नहीं है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलता-जुलता है। इस क्षेत्र में गाँव खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुआँ में भी खनिज तेल के भण्डार होने के संकेत मिले हैं। डाडेवाला के कुआँ न 1 तथा 2 में खनिज तेल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इन कुआँ में प्राथमिक गैस के साथ ही थोड़ी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुआँ की खुदाई पूरी हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुएँ खोदे गये हैं। छोटे गूँ कुआँ में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुआँ में पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक गैस के भण्डार उपलब्ध हैं। तनोट क्षेत्र के चौथे कुएँ का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले संकेतों से ज्ञात होता है कि इस कुएँ में भी प्राथमिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

ने अतर्गत राज्यों में 34528 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।¹ इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 तक 544 लाख कुओं को भी विद्युतीकृत किया गया है।²

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) - राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के उद्देश्य से जनवरी, 1995 में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (REDA) की स्थापना की गई। यह संस्था राज्य मंत्री-ऊर्जा, वायु-ऊर्जा और बायो गैस के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र विशेषतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बाडमेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (सीज) की स्थापना कर रही है।³

राजस्थान विद्युत मंडल (RSEB) - यह मंडल विभिन्न विजली परियोजनाओं की स्थापना, रोज एवं उनके क्रियान्वयन तथा विद्युत सवला एवं वितरण के कार्यों में मलम है। कोटा ताप विजलीघर भारी जल विद्युत परियोजना, व्यास, चबल एवं सतपुडा परियोजनाएं राज्य में विद्युत आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के राजस्थान अणुशक्ति, मिगरोली ताप विद्युत परियोजना, रिहन्द-अन्ता औरिया नदी एवं दादरी गैस, ऊँचाहार ताप विद्युत एवं टनवरपुर परियोजना राज्य की विद्युत आपूर्ति में योगदान करते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतर्गत वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में 33827 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।⁴ इनके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 188 ग्रामों का और विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 96 तक कुल 34015 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।⁵ इसी तरह वर्ष 1996-97 में, दिसम्बर 96 तक 25535 कुओं को विद्युतीकृत किया गया। अब तक कुल 526 लाख कुओं का विद्युतीकृत किया जा चुका है।⁶

वर्ष 1995-96 में 13079.73 मिलियन विद्युत उपभोग की तुलना में वर्ष 1996-97 में 14213.43 मिलियन यूनिट होने की संभावना है।⁷ इस प्रकार प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 1995-96 में 265 यूनिट की तुलना में वर्ष 1996-97 में 281 यूनिट होने का अनुमान है।⁸

1950-51 में विद्युत की स्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी जो सातवीं योजना के अंत तक बढ़कर 2711.42 मेगावाट हो गई। 1995-96 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3049 मेगावाट थी।⁹

अठवीं योजना में शक्ति पर वार्षिक व्यय 3081.4 करोड़ रुपए हुआ है और नवी योजना में 5510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।¹⁰

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सुधार

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जिनमें अपने राज्य विजली बोर्ड की क्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑपरेशनल एवं फाइनेंसियल एक्शन प्लान (ओफेप) अपनाया स्वीकार किया है। विश्व बैंक एवं ऊर्जा वित्त निगम को दिए गए आश्वासन की अनुपालना हेतु वृषि कनेक्शन के लिए छम्पो पर अनुदान में क्रमिक कमी सहित कुछ अन्य उपाय शरम्य कर दिए हैं।

राजस्थान में शक्ति के साधन

POWER RESOURCES IN RAJASTHAN

(1) **कोयला (Coal) -** राजस्थान में उत्तम किस्म के कोयले के अधिक भण्डार नहीं हैं। कोयला मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। लिग्नाइट, ट्रिटुमिन्स और एन्थेसाइट। एन्थेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें कार्बन का अंश 80% से 95% तक होता है। इसका रंग चमकीला कांता होता है तथा इसमें कम धुआं तथा अधिक ताप प्राप्त होता है। ट्रिटुमिन्स कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 75% से 80% के मध्य होता है। इसका रंग कांता होता है। इसमें भी अधिक ताप व कम धुआं प्राप्त होता है। लिग्नाइट निम्न किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 45% से 55% के मध्य होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें ताप व शक्ति अपेक्षाकृत कम व धुआं अधिक होता है। राजस्थान में यही निम्न किस्म का कोयला अर्थात् लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों को जब दो भागों में बांटा जाता है तो क्रमशः गोंडवाना क्षेत्र और टरशिपरी क्षेत्र हमारे समक्ष आते हैं। राजस्थान इसी टरशिपरी क्षेत्र के अतर्गत आता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में सर्वोत्तम कोयला पाया जाता है जिनके अतर्गत पलाना, छारी आदि क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिले में गंगामरोवर क्षेत्र प्रमुख है। राजस्थान में सबसे अधिक कोयला पलाना की कोयला खानों में प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला यद्यपि निम्न श्रेणी का कोयला होता है किन्तु लिग्नाइट श्रेणी के कोयलों में तो राजस्थान में प्राप्त

लिग्नाइट श्रेष्ठ किस्म का माना जाता है पलाना में औसतन 6 मीटर मोटी कोयले की परतें हैं। दश पर लगभग 2 करोड़ टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है। पलाना के अतिरिक्त गगामरोवर, चानेरी, खारी केसर, दसेर आदि स्थानों पर कोयले के भण्डार मिले हैं किन्तु व्यापारिक स्तर पर उत्पादित नहीं किये जा रहे हैं। मेड़ता में भी लिग्नाइट कोयला मिलने की संभावना है। इस क्षेत्र में शर्ष किया जा रहा है।

उत्पादन (Production)

राजस्थान में लगभग 55,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है। कोयले के निम्न श्रेणी के होने के बावजूद भी इन भण्डारों को यों ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस कारण इन क्षेत्रों के आस-पास विद्युतगृहों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। शक्ति के साधनों की कमी के साथ-साथ राजस्थान के इन अविद्योहित कोयला भण्डारों का भी प्रयोग होने लगेगा, ऐसी संभावना है। राजस्थान में अभी भी विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बाहर में कोयला भगवाया जाता है। विगत कुछ वर्षों में ईटों के भट्टे, सीमेंट के कारखाने, रसायन उद्योगों, सूती मिलों, रक्षा सेवाओं, धरेलू कार्यों आदि विभिन्न उपशायों के लिये कोयला निर्यात किया गया जो इस बात का द्योतक है राजस्थान में कोयले की पर्याप्त मांग है।

(2) खनिज तेल (Crude Oil) - खनिज तेल संपूर्ण विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। तेल गहनता से त्रिम प्रकार से विश्व को प्रभावित किया है वह इसके महत्व का परिचायक है। खनिज तेल ऐसा सुविधाजनक ऊर्जा साधन है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होकर मानव को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व जैव-जंतुओं और वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने के कारण प्रकृति ने अपनी प्रक्रिया से उसे खनिज तेल में परिवर्तित कर अपनी परतदार चट्टानों में संचित करके रखा है। खनिज तेल की बढ़ती कीमतों के कारण राजस्थान में तेल मिलने का संभावनाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में तेल एवं गैस के भण्डार होने का अनुमान है। हाल ही में ऑयल इण्डिया लिमिटेड के राजस्थान परियोजना द्वारा बीकानेर प्रांत बेसिन में खोदे जा रहे पहले कुएँ में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 20 कुएँ खोदे जाने की योजना है। इन हेतु राजस्थान परियोजना का कुल 135 करोड़ रुपये का बजट

भी आवंटित किया गया है। बीकानेर - नागौर बेसिन के बागेवाला कुआँ न - 1 में चुने की छिद्रदार सरचना में खनिज तेल मिलने की पूरी आशा है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान को कार्यापलट हो सकती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजस्थान की इस प्रकार की सरचना अरब राष्ट्रों की तेल सरचना से मिलती जुलती है। इस क्षेत्र, इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीकानेर के पश्चिम में 140 किमी दूर बागेवाला में 1 जुलाई, 1991 को खुदाई का कार्य आरंभ हुआ है। खुदाई के मध्य किये गये परीक्षण से भारी मात्रा में खनिज तेल मिलने का संकेत मिला है। नागौर बेसिन के इस कुएँ में करीब 920 मीटर की गहराई पर काफी मात्रा में तेल के संकेत मिले हैं। लगभग 1095 मीटर गहराई में कुछ मात्रा में खनिज तेल भी प्रवाहित हुआ है। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार इस खनिज तेल का रंग डामर जैसा है और यह अति उच्च लसोलापन किये हुये है। इस कुएँ की 1380 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और आगे खुदाई का कार्य चल रहा है। जिन चट्टानों में यह तेल मिलता है, वे सम्भवतः कैम्ब्रियन युग की हैं जो लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ऑयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार ऐसी चट्टानें भारत में तटीय तलहटी बेसिन की होती हैं। बागेवाले सरचना का हवाई विस्तार लगभग 18 वर्ग कि.मी. है और 70 वर्ग किमी. क्षेत्र में सरबनाओं के समूह बने हुये हैं। बागेवाला सरचना में, निगम के अनुसार 3 करोड़ टन खनिज तेल के भण्डार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में खनिज तेल का भण्डार 18 करोड़ टन हो सकता है। निगम के अनुसार इस खनिज तेल का उत्पादन कार्य आसान नहीं है। उनके दृष्टिकोण में यह उत्तरी गुजरात में उत्पादित किये जा रहे खनिज तेल से मिलना-जुलता है। इस क्षेत्र में गांठे खनिज तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बागेवाला में खनिज तेल मिलने से पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के दो कुओं में भी खनिज तेल के भण्डार होने के संकेत मिले हैं। डाडेवाला के कुआँ न - 1 तथा 2 में खनिज तेल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इन कुओं में प्रायः प्राकृतिक गैस के साथ ही थोड़ी मात्रा में हल्के किस्म का खनिज तेल भी मिला है। जैसलमेर बेसिन में अब तक 10 कुओं की खुदाई पूर्ण हो चुकी है। जैसलमेर बेसिन में तनोट तथा अन्य पूर्वी तनोट सरचना में कुएँ खोदे गये हैं। खोदे गए कुओं में से 3 का विस्तृत परीक्षण भी किया जा चुका है। परीक्षण से पता चलता है कि इन कुओं में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस के भण्डार उपलब्ध हैं। तनोट क्षेत्र के चौथे कुएँ का परीक्षण जारी है किन्तु खुदाई के दौरान मिले सनेलें से ज्ञात होता है कि इस कुएँ में भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। तनोट के दक्षिण में

करीब 4 किलोमीटर पर स्थित जलालवाला में खोदा गया पहला कच्चा मफल संचित होने की संभावना है। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल और गैस की खानों के प्रयामों को बढ़ाने की दिशा में एक और रिंग को गतिशील किया है। यही रिंग बागेवाला कुआं न 1 की खुदाई का कार्य कर रही है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मई 1991 में फ्रांस की भूकम्पी कंपनी 'फ्रॉंजाइन जनरल डी ज़िआपिबक द्वारा भूकम्पी के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण का कार्य आरंभ किया गया है। इस चरण में भूकम्पी सर्वेक्षण के लिये लगभग 2500 वर्ग किमी क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य करने की योजना है। इन सर्वेक्षणों से तनोट डांडेवाला एव इमके आस पास के क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन गैस भण्डार का पता लगाया जा सकेगा। आयल इण्डिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के धार के भू गर्भ में तेल खोजने का कार्य 1982 ई में आरंभ किया था। इस पर अब तक ११५ करोड़ रुपये व्यय हो चुका है।

उत्पादन (Production) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अभी तक राजस्थान में दो जगह तेल मिलने की घोषणा की जा चुकी जा है। प्रथम डांडेवाला में और द्वितीय बागेवाला में। डांडेवाला में गैस के साथ तेल भी मिला है परन्तु इसकी मात्रा बहुत कम है। इस क्षेत्र में खोजे गये भारी खनिज तेल का उपयोग सदिग्ध है। ऐसा अनुमान है कि इसका उपयोग आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ेगा। बागेवाला में खनिज तेल उत्पादन होने की संभावना है। यद्यपि वह खनिज तेल पेट्रोल एव मिस्ट्री का तेल उत्पादन करने योग्य नहीं है। आयल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार बागेवाला में मिला तेल पेट्रो-केमिकल्स उद्योग के काम आ सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में खनिज तेल के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

जल विद्युत (Hydro-electricity) - राजस्थान में जल

विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान में कोयले का अधिक उत्पादन नहीं होता और इसी प्रकार अभी तक खनिज तेल का उत्पादन भी आरंभ हो पाया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पास जो विकल्प विद्यमान हैं उनमें जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में कोयले के अभाव के कारण तापीय विद्युत गृह निर्मित नहीं किये जा सकते थे और न ही खनिज तेल पर आधारित विद्युत गृह विकसित किये जा सके थे। इस कारण राजस्थान सरकार ने अपने सराधारों को दृष्टिगत रखते हुये अपने पड़ोसी राज्यों से इस प्रकार के सम्झौते किये कि उसे पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होती रहे। जल विद्युत कभी समाप्त न होने वाला साधन है। इससे वातावरण का प्रदूषण भी नहीं होता किन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान में 12 महाने बहने वाली अधिक नदियाँ नहीं हैं। इस कारण राजस्थान की अपेक्षा के अनुसार जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाया है। जल विद्युत उत्पादन की कम लागत इसका कभी सम्मान न होने वाला स्वरूप प्रदूषण रहित और कम पूँजी के कारण इतना महत्व बन गया है। राजस्थान में उसोंगा के विद्युत्कीकरण लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास और रेगिस्तान में सिंचाई साधनों के विकास के लिये जल विद्युत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना राजस्थान सरकार के लिये अनिवार्य हो गया है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) राजस्थान सरकार ने अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखा हुये विभिन्न राज्यों से साझेदारी में जो योजनाएँ बनाई हैं उनमें राजस्थान को जल विद्युत उपलब्ध होती है। इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, नवल परियोजना व्याम परियोजना और सतपुडा विद्युतगृहों की स्थापना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही विद्युत परियोजना अन्ना विद्युत परियोजना सगरोली विद्युतगृह एव बरई हाई गैस पर आधारित योजनाओं से ही विद्युत प्राप्त हो रही है अथवा होने की संभावना है।

राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं से 1995-1996 में प्राप्त विद्युत			
विद्युत गृह	विद्युत उत्पादन (किलोवाट)	कुल प्राप्त विद्युत	उत्पादन व क्रम
	जल विद्युत	विद्युत-क्रय/प्राप्ति (किलोवाट)	
1. भाखड़ा			4081.4
2. सतपुडा	329.7		388.9
3. अजमेर	4.8		4.8
4. फुलवाड़ा	0.8		3.4
5. पूना	1.3		1.0
6. मण्डल	11.5		6.1
(ग) जल विद्युत परियोजनाओं से			
उत्पादन व क्रम)			
1. भाखड़ा नागल		1024.2	1024.2

2	चुंबकीय शक्ति	-	-	790 8	790 9
3	सन्तुलित शक्ति	650 0	-	-	650 0
4	आवृत्ति शक्ति	-	1690 9	1690 9	1690 9
5	मूल	-	-	1593 0	1593 0
6	सन्तुलित शक्ति	14 8	-	-	-
7	विद्युत शक्ति	-	-	9985 5	9985 5

Source: Statistical Abstract 1986, Govt. of Rajasthan

2. अणु शक्ति (Atomic Power) - डॉ राजा रमणा के अनुसार, अणुशक्ति भविष्य में अनेक वर्षों तक शक्ति का प्रमुख स्रोत रहेगी। डॉ एच एन सेठना के अनुसार 'वर्तमान ज्ञान अवशेषों के दायरे में बने ईंधन मनु 2010 तक समाप्त हो जायेंगे। अब डॉ सेठना के अनुसार अणुशक्ति भविष्य का एक महत्वपूर्ण शक्ति स्रोत हो गया है। अणुशक्ति एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत बहुत कम ईंधन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के अन्य सधनों की तुलना में यह सस्ता भी है। इसके द्वारा निर्मित प्रति किलोवाट विद्युत तागत खनिज तेल तथा कोयले की अपेक्षा कम है तथा इसमें विनियोग भी कम होता है।

उत्पादन क्षेत्र (Production Area) - राजस्थान में कोयले एवं तेल के अभाव होने तथा राज्य में 12 महीने बढ़ने वाली नदियों के न होने के कारण अणुशक्ति के विकास की भी चेष्टा की गई है। इस हेतु प्राकृतिक दुरेनियम तथा भारी पानी के उपयोग के लिये राणा प्रताप सागर अणुशक्तिगृह की स्थापना, राणा प्रतापसागर बांध पर खतनाभाटा नामक स्थान पर की गई है। इसमें 220-220 मेगावाट के दो रिएक्टर हैं जिनमें से एक 1973 में और दूसरा 1978 में आरम्भ हो चुका है। राजस्थान में स्थापित इन दो इकाइयों ने में प्रथम इकाई प्रायः खराब होती रहती है। इस कारण वह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने का पा रही है। राजस्थान में दामवाड़ा के पास एक परमाणु विद्युतगृह स्थापित करने की योजना दो जो अभी तक क्रियाविरत नहीं हो पाई है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा अणुशक्ति उत्पादन को चार इकाइयाँ और लगभग क्षेत्र अणु-विद्युतगृह का विस्तार किये जाने की भी योजना है।

3. सौर ऊर्जा (Solar Energy) - संपूर्ण ब्रह्माण्ड के अनेक सौर मंडलों में हवावा सौर मण्डल है, जिसमें सबसे बड़ा केन्द्र सूर्य है। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और जिसका वजन पृथ्वी से 3 30,000 गुना अधिक है। आकाश में यह पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य अनेक गैसों का भण्डार है जिसमें परत 16 000 किलोमीटर मोटी है। सूर्य प्रति घण्टा अपनी 58 करोड़ 40 लाख टन हाइड्रोजन को जलाकर 56 करोड़ टन हीलियम में परिवर्तित करता रहता है। अनुमानतः यह प्रक्रिया पिछले पाच अरब वर्षों से चल रही है। उच्चतम

के अनुसार हाइड्रोजन के नष्ट होने तथा अपनी शक्ति को वितरित करने की अगर यन्त्र गति आठे 150 वर्षों तक और चलती रही तो भी सूर्य अपनी शक्ति का एक प्रतिशत से कम खर्च कर पायेगा। इस वितरण में सूर्य की प्रचण्ड ऊर्जा का सहज अनुमान लाया जा सकता है।

सूर्य के प्रकाश में मौजूद सात रंगों में से लाल रंग के पास अवलोकन विकिरण (इन्फ्रारेड) हो सूर्य के प्रकाश को उत्पन्न देने वाला घटक है। हमारी पृथ्वी को सूर्य से 46,70,000 अरब शक्ति की ऊर्जा शक्ति प्रति वर्ग मील प्राप्त होती है। सूर्य में पृथ्वी को दी जाने वाली वाष्पक शक्ति इससे भी लगभग चार गुना अधिक है मगर इसके तीन-चौथाई में अधिकांश भाग को वायुमण्डल मोछ लेता है। अनुमान लाया जाता है कि यदि विश्व में उपलब्ध संपूर्ण ईंधन को एक साथ पलायन जाये तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ऊर्जा सूर्य से केवल दस दिनों में प्राप्त हो जाती है।

सौर ऊर्जा एक न समाप्त होने वाला शक्ति का साधन है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सूर्य ताप में 162 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। विश्व में इसमें 17 5 करोड़ मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है जबकि इसका 2% ही विश्व की ऊर्जा-आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। हमारे देश में वह सूर्य 300 से अधिक दिन आकाश में साफ चमकता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग की अच्छी सभावनाएँ विद्यमान हैं। भारत में उत्पन्न संपूर्ण सौर ऊर्जा का प्रयोग होने पर प्रति व्यक्ति 8000 किलोवाट विद्युत उपलब्ध हो सकती है। डॉ सेठना के अनुसार - "भारत की सौर शक्ति प्रकृति का वादान है।" राजस्थान में विशेषतः उत्तरी परिधर्मों में सौर शक्ति के उत्पादन की अच्छी सभावनाएँ हैं। अनुमान है कि धार का यह मन्मथल सौर ऊर्जा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से अभी तक कोई ऐसी तकनीक विकसित नहीं की जा सकी है जिसमें सौर ऊर्जा को कम लागत में विद्युत में परिवर्तित किया जा सके और आवश्यकता पर उसे संग्रहित किया जा सके। हम दृष्टिकोण से अनेक अनुसंधान कार्य संपूर्ण विश्व में चल रहे हैं।

उत्पत्ति में सौर ऊर्जा उत्पादन को विद्युत सभावनाएँ हैं। राजस्थान एक बड़ा एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों की बहुलता

ऊर्जासम्पदा प्राप्त वैज्ञानिक बंधन हलांकि मुक्त एव आश्चर्यजनक ऊर्जा मिनट्ययी मशीन है। वह दिनभर जिनकी ऊर्जा ग्रहण करता है वह औसतन एक 100 वॉट को बिजनी के घन्के के लिय आवश्यक ऊर्जा से अधिक नहीं होती। भोजन के रूप में पचाई गई इन ऊर्जा से ही वह मो शारीरिक काम करता है। जहाँ तक मानसिक कार्य का प्रश्न है, वे इसमें लागत नहीं व कदाता ऊर्जा खपती है किन्तु प्रश्न यह है कि मस्तिष्क के उन्नत जैवगतिक देश '100 वॉट को मानवीय वस्ती को जगमग रखने के वितनी ऊर्जा खन करते है?'

वाता प्रदेश है जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति की विपुल सम्भावनाएँ हैं। जनवरी 1996 तक जोधपुर, जैसलमेर तथा बाडमेर जिलों में क्रमशः 200 मेगावाट 50 मेगावाट एव 50 मेगावाट क्षमता के 3 सौर ऊर्जा प्लेन्ट स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किये गये हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुये हैं। इन सौर ऊर्जा वालित प्रयोगों, सामुदायिक टर्निविक्रन सैटों की स्थापना, एस पी बी लाइट आदि मुख्य हैं। राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एव सौर ऊर्जा सुलभ करने का कार्य राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण (ग्व) द्वारा किया जा रहा है। सौर शक्ति के क्षेत्र में 300 मेगावाट की शक्ति परियोजनाओं के लिए 3 कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया है। ये सभी कम्पनियाँ सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र (Solar Energy Enterprises Zone) बाडमेर जैसलमेर और जाधपुर जिलों में स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार न म्यानिआ और तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए नवी योजना में 980 करोड रुपए का प्रावधान किया है।

4 वायु शक्ति (Wind Power) - विश्व मोटिअरोलॉजी संगठन के अनुसार विश्व में अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में 20 बिलियन किनावाट विद्युत, वायुशक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किये गये अध्ययन से वायुशक्ति के मध्य में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये हैं

वायु का गति कि मी प्रति घटा	वार्षिक विद्युत उत्पाद प्रति घटा
13-17	10 200
9.5-12.5	8,000
6.5-9.6	4 500

यह ध्यान रखने योग्य है कि एक पवन चक्की उस समय कार्य करती है जबकि वायु की गति 8 कि मी प्रति घटा हो। मर्षी और मानसूनो में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, असम, पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में वायु का शक्ति के रूप में प्रयोग सम्भव है। इन काल में मराठा मुजरात व राजस्थान

के कुछ क्षेत्र तथा उड़ीसा व पंजाब के तटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गति 15 कि मी प्रति घटा से भी अधिक होती है। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र तथा राजस्थान में जैसलमेर-फाल्गुनी क्षेत्रों में तो विद्युत उत्पादन भी सम्भव है। शीत ऋतु तथा मानसून के पश्चात् के समय में वायु में कम उत्पादन प्राप्त होगा। भारत में राजस्थान का शुष्क प्रदेश तथा दक्षिण भारत के तटीय प्रदेश वायुशक्ति प्रजनन के लिये आदर्श है।

राजस्थान में ऊर्जा-विकास के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका

ROLE OF PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF POWER SECTOR IN RAJASTHAN

राजस्थान सरकार ने 4300 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया है जो निम्न प्रकार हैं -

- 1 कपुरडी परियोजना** - 1800 करोड रुपए की लागत से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की जायेगी। इसमें विद्यमान दो इकाइयाँ में से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना लिग्नाइट पर आधारित होगी।
- 2 जानीया परियोजना** - इस परियोजना में 3600 करोड रुपए की लागत से 1000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जायेगी। इस परियोजना में विद्यमान 4 इकाइयों में से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट होगी। यह परियोजना भी लिग्नाइट पर आधारित होगी।
- 3 सूरतगढ ताप बिजलीघर** - कोयले पर आधारित इस परियोजना की प्रथम इकाई का कार्य राज्य विद्युत मंडल पूरा करेगा। जिसकी क्षमता 250 मेगावाट होगी। इसके दूसरे चरण के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता की दो इकाइयाँ होगी - तिसरे में प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट होगी। - इस पर 1600 करोड रुपए की लागत आने की सम्भावना है। द्वितीय चरण के लिये निजी क्षेत्रों में संपर्क किया जा रहा है।

4 धौलपुर ताप बिजलीघर - ताजमहल की सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुये विवाद के कारण प्रसिद्ध धौलपुर ताप बिजलीघर को अब केन्द्र की स्वीकृति मिल गई है। 1300 करोड रुपयों की लागत से पूरे होने वाली इस परियोजना की क्षमता 788 50 मेगावाट है। इसे निजी क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जाएगा और तरल ईंधन (Liquid Fuel) से विद्युत उत्पन्न की जायेगी।

5 धौसलपुर बिजलीघर - 1800 करोड रुपए की लागत से 480 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जायेगी, इसमें दो विद्युत

इकाइया होगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 240 मेगावाट होगी। इसमें लिम्साइट के भंडारों का प्रयोग किया जायेगा।

6. नेथा आधारित विद्युत सयंत्र - राजस्थान सरकार में हुये समझौते के अनुसार ब्रिटिश पावर इण्डस्ट्रीज कंपनी 40 मेगावाट क्षमता के 10 विद्युत सयंत्र लगायेगी। इनमें से प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार 1000 करोड़ रुपए की लागत से 400 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

7 सौर ऊर्जा - सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के मन्स्थलीय क्षेत्र विशेषत जैसलमेर, जोधपुर एवं बाडमेर जिलों में राज्य सरकार एक सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र स्थापित कर रही है। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाओं को ह्य में लिया गया है। बाडमेर के आगोरिया गांव के सन्मोर्ग इंडिया लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना की जा रही है। जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। जैसलमेर में एनएन इटरनेशनल कंपनी 200 मेगावाट का एक सयंत्र लगायेगी। जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट होगी। जोधपुर से मखानिया गांव में एनके तथा एनएन कंपनी साझा रूप से 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करेंगे।

8 राज्य विद्युत मंडल में निजीकरण की प्रवृत्ति - राजस्थान राज्य मंडल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए राज्य विद्युत निगम में बदला जा रहा है। मंडल में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम ह्य में लिये जा रहे हैं। बिजली का उत्पादन उसका वितरण तथा बिल वसूली आदि कार्य निजी क्षेत्र को ठके पर देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ऊर्जा के साधनों की समस्याएं और उनका समाधान :-

ऊर्जा की पूर्ति एक राष्ट्रीय समस्या है। अतः ऐसी समस्याओं का समाधान जन-साधारण के सहयोग से ही किया जा सकता है। राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का निरंतर प्रयोग हो रहा है। लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। अतः आधुनिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाना चाहिये। शक्ति के माधनों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं -

1 शक्ति के प्रमुख स्रोतों का अभाव - राज्य में शक्ति की मांग की तुलना में शक्ति स्रोतों की पूर्ति बहुत कम है। राज्य में कुछ मात्रा में कोयले पर निर्भर किया जाता है। वर्षों के दमि के कारण जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण की

गति धीमी है। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार भी सीमित हैं। अतः राज्य में अशक्ति के अभाव को दूर करने के लिये सूर्य शक्ति के स्रोत का पूर्णतः उपयोग किया जाना चाहिये।

2 परिवहन के साधनों का अभाव - राज्य में रेल एवं सड़क यातायात का धीमी गति से विकास हुआ है। अतः ऊर्जा स्रोतों विशेषतः कोयले के आवागमन में कठिनाई होती है। फलतः ऊर्जा संबंधी अनेक कार्य अवरूढ़ हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान राज्य में परिवहन के साधनों का विकास करके ही किया जा सकता है।

3 वर्षा का अभाव - राज्य के एक बहुत बड़े भू-भाग मरुस्थल में वर्षा का नितान्त अभाव रहता है। राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा का सामान्य क्रम प्राप्त जागे रहता है। अतः इस क्षेत्र में बांधों का निर्माण करके जल विद्युत की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। इस कार्य में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। राज्य में पूंजी ससाधनों का भी अभाव है। अतः केन्द्र सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय मन्थाओं से ऋण प्राप्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

4 शक्ति सरचना का अभाव - राज्य में पूंजी के ससाधनों की अपर्याप्तता के कारण शक्ति के साधनों का आधारभूत ढांचा अत्यधिक कमजोर है। यही कारण है कि राज्य में शक्ति की पूर्ति की तुलना में मांग निरंतर बनी रहती है। इस समस्या का समाधान करने के लिये निजी विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

5 अपव्यय एवं चोरी - राज्य में शक्ति के साधनों का वितरण मुख्यतः सरकारी सस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शक्ति स्रोतों की चोरी होना एक आम बात हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिये शक्ति संबंधी सस्थाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिये तथा नियमन एवं नियंत्रण प्रक्रिया सुदृढ़ किया जाना चाहिये। शक्ति के साधनों के मितव्ययतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

6 शक्ति की बढ़ती हुई मांग की समस्या - राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विकास की तीव्र गति ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ते हुये यंत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य में शक्ति की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। बड़े नगरों में विशेषतः औद्योगिक नगरों में आये दिन शक्ति कटौती के कारण न केवल उत्पादन कार्य अवरूढ़ हो जाता है वरन् नगर में अंधेरे का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस समस्या को समाधान के लिये शक्ति आपूर्ति की एक दीर्घकालीन योजना निर्मित की

जानी चाहिये और उसी के अनुरूप शक्ति के माधमों का विकास किया जाना चाहिये।

7. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास न हो पाना - राज्य में शक्ति के अपरम्परागत स्रोतों का विकास या धीमी गति से विकसित हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन आधारभूत संरचना एवं पूंजी के अभाव के कारण इस शक्ति का उपयोग नगण्य रहा है। सौर ऊर्जा के विकास हेतु निजी विनियोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये शक्ति के साधन राज्य अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले हैं। इनका विकास बरक ही राज्य अर्थव्यवस्था का चौमूठी विकास किया जा सकता है। फलतः शक्ति के साधनों का विकास प्राथमिकता क्रम में किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान में सड़कों का विकास

DEVELOPMENT OF ROADS IN RAJASTHAN

1. सड़कों की लंबाई (Length of Roads) - राजस्थान भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ सड़कों की लंबाई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। वर्ष 1998-99 के अंत तक राज्य में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किमी तक मात्र 42.68 किमी होने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय औसत 73 किमी प्रति 100 वर्ग किमी से बहुत कम था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई वर्ष 1998-99 में बढ़कर 84958 किमी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों व अभिकरणों द्वारा भी 64403 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है। गणपुर रोड का अनुसंधान प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 42 किलोमीटर लंबी सड़कें होनी चाहिये थीं और यह लक्ष्य 1961 तक प्राप्त किया जाना था किन्तु राजस्थान में यह लक्ष्य 1998-99 तक प्राप्त किया जा सके है। नवीं योजना के अंतर्गत परिवहन पर 1353 करोड़ रुपये सड़क क्षेत्र में लिये रखे गये हैं। राजस्थान में त्रेणोपार सड़कों की लंबाई इस प्रकार है -

राज्य में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लंबाई				
क्र. सं. प्रकार	किलोमीटर	1998-99		
		किलोमीटर	योग	
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	2464	-	2464
2	राज्य सड़कें	9956	34	9990
3	पुराने सड़कें	5660	129	5789
4	अपभ्रंश सड़कें			
	सड़कें	52345	11031	63976
5	सड़कें	2229	-	2229
	योग	73164	11794	84958
अपभ्रंश सड़कें				64403
योग				149361

Source: Economic Review 1998-99 Rajasthan

2. जिले वार सड़क (Districtwise Roads) - राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर जिले में है। द्वितीय स्थान उदयपुर जिले का है और तृतीय स्थान पाली जिले का है। राजस्थान में विभिन्न जिलों में सबसे कम सड़कें भीलपुर व टोंक जिले में हैं।

3. सड़क मार्ग का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Routes) - राजस्थान में अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य का परिवहन निगम का स्थापना की गई। साथ ही राष्ट्रीय मार्गों पर निगम की ही परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। विशेषतः माल परिवहन का कार्य मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर यात्रा परिवहन का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जा रहा है।

4. मोटर परिवहन (Motor Transport) - वर्ष 1996 में कुल 19.29 लाख पंजीकृत मोटर वाहनों की तुलना में वर्ष 1997 में बढ़कर यह संख्या 21.27 लाख हो गई है जो कि 10.3 प्रतिशत की वृद्धि से दर्शाता है। विगत वर्षों में राज्य में परिवहन विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की संख्या अग्र क्रम में दर्शाई गई है -

राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या			
क्र. सं. परिवहन साधनों का प्रकार	वर्ष में वाहनों की संख्या		वर्ष 1998
	1997	1998	
1	ऑटो रिक्शा	90	90
2	ऑटो वाहन (नारंगी) सहायक एवं सड़क	14.24	14.75
3	ऑटो रिक्शा	5346	5496
4	टैक्सी (सहायक एवं सड़क) टैक्सी (राष्ट्रीय सड़क)	2672	2812
5	बस व ट्राइलर (बस, ट्राइलर)	0.98	1.2
6	ऑटो रिक्शा	0.82	0.85
7	टैक्सी	2.87	2.78
8	टैक्सी	0.47	0.48

1-3 Economic Review 1998-99 Govt of RAJ

की तुलना में कम है। अतः राज्य में सार्वजनिक परिवर्तनों के द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगीकरण विकास आवश्यक है। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन आधारभूत सुविधाओं (जल एवं शक्ति) के अभाव के कारण औद्योगिक उत्पादन पिछड़ा हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य का औद्योगिक विभाग, रीका, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी एवं ग्राम उद्योग मण्डल निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। रीको औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह निगम आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि का आवंटन आदि कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करता है। नवीन औद्योगिक नॉल्टि के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही हैं। राज्य में औद्योगिक भूमि की मांग निरन्तर बढ़ रही है अतः रीको द्वारा अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और पूर्वस्थापित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने भी धौलपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ व आबूरोड में विकास केन्द्रों की स्थापना की है। इन विकास केन्द्रों पर दो चरणों में लगभग 5800 एकड़ भूमि आवंटित करने की योजना है। प्रथम चरण में 85 करोड़ रुपये और द्वितीय चरण में 65 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत भिवाड़ी चरण-3 परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस परियोजना के लिए 9.57 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। राजस्थान वित्त निगम लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह निगम कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। निगम ने खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त निगम शिल्पियों महिला उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यशील पूँजी की व्यवस्था हेतु निगम 'सिगल विण्डो स्कैम' का मंचालन करता है। निगम द्वारा सृष्टि औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन में लाने का भी प्रयास किया जाता है। निम्न तालिका में राज्य में उद्योगों का कुल राजस्व आय में भाग दर्शाया गया है।

उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि -

1 प्रचलित कीमतों पर पंजीकृत कारखानों की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में इन कारखानों का प्रतिशत भाग कम हो रहा है।

2 प्रचलित कीमतों पर पंजीकृत विनिर्माण का राष्ट्रीय आय में योगदान कुल राशि की दृष्टि में निरन्तर बढ़ रहा है किन्तु प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि स्थिर कीमतों की अपेक्षा अधिक रही है।

3 गैर पंजीकृत विनिर्माण का कुल राशि की दृष्टि से राष्ट्रीय आय में योगदान निरन्तर बढ़ा है किन्तु प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर इन दोनों का ही राजस्व आय में प्रतिशत भाग कम हुआ है।

4 विनिर्माण (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) का 1990-91 में राज्य आय में भाग प्रचलित कीमतों पर 9.26 था जो 1998-99 में 7.78 रह गया। लगभग यही स्थिति स्थिर कीमतों पर इनके योगदान को रही है। इस दृष्टि से 1990-91 में इन दोनों का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान 10.25 था जो 1998-99 में 11.01 हो गया।

2. उद्योगों का रोजगार में भाग अथवा रोजगार सृजन

Contribution of Industries in Employment or Employment Generation

बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु औद्योगिक इकाइयों को लागत कम होती है और इनमें अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इस दृष्टि से औद्योगिक विकास में इनका विशिष्ट स्थान है। औद्योगिक इकाइयों का तेजी से विकास करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन, रियायतें और विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है। इन इकाइयों के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जिला उद्योग केंद्र 'सिगल विण्डो' योजना का अंतर्गत इन इकाइयों को निरन्तर सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। नाबार्ड पुरावित योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। पूजा विनियोजन अनुदान योजना के अंतर्गत भी इन इकाइयों को ऋण दिया जाता है। अनेक इकाइयों का भारतीय मानक संस्थान में पंजीकरण हो चुका है। खादी व ग्रामोद्योग कम पूँजी विनियोजन से अपेक्षाकृत अधिक रोजगार सृजन करते हैं। इस बात को पुष्टि सरकार द्वारा गठित व्यास समिति ने भी की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में

उद्योगों का कुल राजस्व आय में भाग				
वर्ष	विनिर्माण प्रचलित कीमतों पर	पंजीकृत निरंतर कीमतों पर	गैर पंजीकृत निरंतर कीमतों पर	
1990-91	85998 (4.89)	40498 (4.93)	76804 (4.37)	43682 (5.32)
1998-99 (अंशिक)	25502 (5.12)	80769 (6.94)	13560 (2.86)	47542 (4.08)

1. District Study 1992-93 & Economic Review 1993-94

खादी व ग्रामोद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे लाखों व्यक्तियों को खादी उद्योग में रोजगार उपलब्ध हुआ है और इसी प्रकार ग्रामोद्योगों में भी अनेक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

कुल रोजगार में धीमी गति से निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1981 में पञ्जीकृत विनिर्माण में कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1 66 लाख थी जो बढ़कर 1991 में 2 60 लाख हो गई। अतः रोजगार की दृष्टि से उद्योगों का महत्व निरन्तर बढ़ रहा है। दिसम्बर 1997 तक ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में 7 39 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।¹

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL SECTOR OF RAJASTHAN

1 आकार (Size) - स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान के औद्योगिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों के साथ साथ मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी की गई है।

पञ्जीकृत कारखाना की संख्या की दृष्टि में राजस्थान एक औद्योगिक आकार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1981 में पञ्जीकृत कारखानों की संख्या 1 608 थी जो बढ़कर 1996 में 13665 हो गई। राज्य में रोजगार की दृष्टि से ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को अधिक प्राथमिकता दिया जाता है। अतः इन इकाइयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1990 91 में ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1 53 लाख थी जो बढ़कर दिसम्बर 1997 में 1 90 लाख हो गई।²

रोजगार की दृष्टि में भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का आभास होता है। 1981 में पञ्जीकृत निमाणों की कुल संख्या 8608 थी जिनमें 1 66 लाख व्यक्तियों का रोजगार प्राप्त हो रहा था। 1991 में पञ्जीकृत निर्माणों की संख्या 10792 हो गई जिनमें 2 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था।³ इस प्रकार रोजगार में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि का दलाली है। ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में भी रोजगार के अत्यन्त तेज से बढ़ रहे हैं। 1990 91 में ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों में 5 71 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था जो बढ़कर दिसम्बर 1997 में 7 39 लाख व्यक्ति हो गए।⁴

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में भी राज्य के

औद्योगिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि का आभास होता है। 1971 में राज्य में चीनी का कुल उत्पादन 11 3 हजार टन था जो बढ़कर 1998 में 58 7 हजार टन हो गया। 1984 में राज्य का सीमेंट का उत्पादन 3 01 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर 1998 में 6206 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार 1984 में राजस्थान में नमक का उत्पादन 8 20 लाख टन था जो बढ़कर 1998 में 11 00 लाख टन हो गया। इस प्रकार राज्य के प्रायः विभिन्न छोटे व बड़े उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह उत्पादन वृद्धि राज्य के औद्योगिक आकार में वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में पूँजी के विनियोजन सस्ती गतिविधियों से भी औद्योगिक आकार में वृद्धि का आभास होता है। राज्य के पञ्जीकृत उद्योगों के साथ लघु व ग्रामोद्योग इकाइयों में भी पूँजी विनियोजन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के विभिन्न औद्योगिक स्थानों औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पूँजी विनियोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। दिसम्बर 1997 तक 1 90 704 ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का पञ्जीयन किया जा चुका था और इनमें 2184 43 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश हुआ था तथा 7 39 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।⁵

2 वस्तुगत ढाँचा (Commodity Structure)

राजस्थान में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये वस्तुएँ मुख्यतः फैक्ट्री क्षेत्र व गैर फैक्ट्री क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। फैक्ट्री क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी उद्योगों के वार्षिक संश्लेषण से हो जाती है। विभिन्न उद्योगों द्वारा भरे गए विवरणों के अनुसार राजस्थान में 1994 के अन्त में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 606 उद्योग सन्तुप्त थे। इनमें सर्वाधिक खाद्य तेल में संवर्धित कारखाने थे। मृत्त वस्त्र के निर्माण में संवर्धित 1250 कारखाने थे जिनमें से अधिकांश मृत्त वस्त्र की छपाई में संवर्धित थे। अर्थात् खनिज में संवर्धित 1045 कारखानों में लगभग 40 प्रतिशत पथर के सामान व निर्माण में संवर्धित थे। मशीन और मशीन उपकरण बनाने वाले 310 कारखाने थे जिनमें से एक-तिहाई क्षति उपकरणों का उत्पादन कर रहे थे। विद्युत् उपकरण से संबंधित कार्यों में 151 कारखाने कार्यरत थे जिनमें से अधिकांश विजली के तारों के उत्पादन में लगे हुए थे।

राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयों कार्यरत हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अतः राज्य के औद्योगिक उत्पादन

में विविधता दृष्टिगोचर होती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने उद्योगों को पाच समूहों में विभक्त किया है। राज्य के उद्योगों को भी इन्हीं समूहों के अनुसार बाटा जा सकता है। प्रथम समूह, गैर धात्विक खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ इसके अंतर्गत ग्रेनाइट, मार्बल, सीमेन्ट, चीनी मिट्टी, अभ्रक से बनी वस्तुएँ तथा काच आदि को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय, बेसिक धातु व अर्थात् उद्योग इसके अंतर्गत तांबा, जस्ता, लोहा, एल्युमीनियम व अन्य अलौह धातु उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय, रेशम, ऊन तथा सिन्थेटिक रेशों के वस्त्र इसके अंतर्गत ऊन की बनाई तथा कटाई रेशम व सिन्थेटिक वस्त्रों से संबंधित क्रियाएँ आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ, सूती वस्त्र। इसके अंतर्गत कलाई, बुनाई, रंगाई व छपाई आदि कार्यों का समावेश किया जाता है। पंचम, परिवहन उपकरण एवं कलपुर्जे इसके अंतर्गत रेल, सड़क के उपकरण तथा स्कूटर व माइक्रोऑटो आदि के कल-पुर्जे सम्मिलित किए जाते हैं। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूध तथा खाद्यान्न से बनी वस्तुओं गुड-चीनी नमक-तेल आदि का उत्पादन किया जाता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के रसायन व रसायनिक पदार्थों, प्लास्टिक एवं रबड़ आदि का उत्पादन किया जाता है। विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार की मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार उद्योगों के वस्तुगत ढांचे को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(i) खाद्य वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Food Products) दूध पाउडर, आइसक्रीम, ची फलों का जूस, आटा दाल ब्रैड विस्कुट आदि गुड व खाण्डसारी शर्करा, नमक वनस्पति तेल एवं घी पशुओं के खाद्य पदार्थ पापड व खाद्य पदार्थों से संबंधित अन्य विधायन सुविधाएँ।

(ii) तम्बाकू (Manufacturing of Beverages, Tobacco & Tobacco Products) मिस्ट शराब, तम्बाकू और इनसे संबंधित अन्य वस्तुएँ।

(iii) सूती वस्त्र (Manufacturing of Cotton Textiles) चिन्नेले निजालना, कश्मी की ञाठे दाधाना वनाय को माफ वगना, कलाई-बुनाई धागा बनाना रंगाई-छपाई खाटी के वस्त्र और वस्त्रों को अंतिम रूप देने संबंधी क्रियाएँ सम्मिलित करना।

(iv) ऊन रेशम व सिन्थेटिक धागे का निर्माण (Manufacturing of Wool Silk and Synthetic Fibre Textile) ऊन का माफ बनाना, धागे बनाना, बुनाई तथा

कलाई, कम्बल व शॉल बनाना, सिन्थेटिक धागे बनवाना और उनसे संबंधित विधायन क्रियाएँ आदि रेशम और रेशम संबंधी चीजें।

(v) जूट (Manufacturing of Jute Hemp & Mesta Textile) जूट से संबंधित वस्तुओं का निर्माण एवं हेम्प व मेस्ता संबंधी वस्तुएँ बनाना।

(vi) टेक्स्टाइल संबंधी वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing of Textiles Products) कपास की कलाई, कपडा बनाना, धागा बनाना, जूट व हेम्प से रस्सी आदि बनाना, दरिया बनाना, वस्त्र बनाना, छतरिया बनाना आदि।

(vii) लकड़ी व लकड़ी से बनी वस्तुएँ (Manufacturing of Wood and Wood Products) प्लाईवुड बनाना और प्लाईवुड से विभिन्न निर्माण तथा अन्य प्रकार की लकड़ों में औद्योगिक वस्तुएँ बनाना।

(viii) कागज बनाना (Manufacturing of Paper & Paper Products, Printing, Publishing etc.) छपाई व प्रकाशन कागज व कागज से संबंधित वस्तुओं का निर्माण, छपाई व प्रकाशन अभ्ययन।

(ix) चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुएँ (Manufacturing of Leather & Fur Products) चमड़ा तैयार करना और चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाना।

(x) रबड़ प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद (Manufacturing of Rubber, Plastic, Petroleum & Coal Products) टायर-ट्यूब बनाना, रबड़ के जूते, प्लास्टिक और पी पी सी संबंधित वस्तुएँ रबड़ व प्लास्टिक शॉटल पॉलिथिन बैग आदि वस्तुएँ बनाना।

(xi) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (Manufacturing of Chemicals & Chemical Products) विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियाँ, पेंट, कर्मिश एन्जेनैरिक, अग्युवैटिक एवं डून्नी औषधियाँ डिजॉेंट, विभिन्न प्रकार के तेल, फ़ेरो रसायन आदि।

(xii) गैर धातु उत्पाद (Manufacturing of Non-metallic Mineral Products) ईंट, टाइल्स, कैंच व कैंच का विभिन्न प्रकार का सामान, सीमेन्ट, चूना, अभ्रक व अभ्रक से बनी वस्तुएँ, पत्थर व पत्थरों के विभिन्न उत्पाद, एम्बेस्टोज, सीमेन्ट एवं एम्बेस्टोज संबंधी विभिन्न उत्पाद, लोहा एवं इस्पात एवं इनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण, धातुओं को शुद्ध करना, स्लैब बनाना, औद्योगिक बनाना, बरतन बनाना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ, जैसे प्रेशर कुकर, रेवर ब्लेड, मशीनें ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, बॉयलर्स, विभिन्न उद्योगों संबंधी मशीनें।

(xiii) विद्युत मशीनें एवं सबधित उपकरण (Manufacturing of Electrical Apparatus & Appliances) ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावर केबल्स एण्ड वायरिंग, ड्राई सैल, पखे, लैम्प्स, रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ सबधो उपकरण, कम्प्यूटर आदि।

(xiv) परिवहन सम्बन्धी उत्पाद (Manufacturing of Transport Equipments & Parts) रेलवे वाहन और रेलवे सबधो उपकरण साइकिल एवं मबधित उपकरण तथा परिवहन सबधो अन्य उपकरण।

3 विकास केन्द्र (Growth Centres) अक्टूबर, 1989 में भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। राजस्थान में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य में 5 विकास केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है। इन चार विकास केन्द्रों के लिए क्रमशः भीलवाड़ा, बीकानेर व आबूरोड व धौलपुर का चयन किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र पर विद्युत, रेल, सड़क आदि परिवहन के साधन, संचार एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने हेतु 30-30 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इन औद्योगिक केन्द्रों पर सघनतात्मक सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ न केवल इन केन्द्रों पर औद्योगिक गतिविधियाँ तीव्र हो जाएँगीं। वरन् इन केन्द्रों के आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास हो सकेगा। इन औद्योगिक केन्द्रों का विकास दो चरणों में किया जाएगा। इसके लिए लगभग 5800 एकड़ भूमि प्राप्त करने की योजना है। योजना के प्रथम चरण पर 85 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण पर भी 85 करोड़ रुपये विनियोजित किए जाने की संभावना है। वर्ष 1995-96 में केन्द्र प्रवर्तित योजनागत चार औद्योगिक विकास केन्द्रों-बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ एवं आबूरोड पर कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है तथा 1995-96 में माह दिसम्बर तक 1178 करोड़ रुपये खर्च किये गये। जोधपुर में एक लघु विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया तथा माह दिसम्बर 1995 तक 105 करोड़ रुपये व्यय किये गये। भीलवाड़ा में भी विकास केन्द्र की घोषणा ही केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है।

4 औद्योगिक नीति (Industrial Policy) अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए उपयुक्त औद्योगिक नीति का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में केन्द्र के समान औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। राज्य में औद्योगिक नीति की घोषणा सन् 1977 में की गई लेकिन औद्योगिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हो जाने के कारण राजस्थान सरकार के नवीन औद्योगिक नीति, 1990 की घोषणा की। इस नीति

का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, क्षेत्रीय वियमता को समाप्त करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एवं वित्तीय स्रोतों में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नीति के प्रस्ताव के अंतर्गत खादी, ग्रामीण उद्योग, दमनकारी व चमड़ा उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों पर सरचनात्मक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा। मानवीय ससाधनों के विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। भौतिक स्रोतों की जानकारी हेतु एक नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के विनियोग के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न करों में रियायतें प्रदान की जाएँगीं, विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, औद्योगिक उत्पादों के क्रिस नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाएगा तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5 औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) राजस्थान सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन योग्य बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम शुल्क और पाँच वट से मुक्त कर दिया गया है। रुग्ण औद्योगिक इकाई को पाँच वट से छूट दी जाएगी। राज्य में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा और इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन के प्रयास किए जाएँगे। 1990 की औद्योगिक नीति में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन योग्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

6 सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) राजस्थान में केन्द्र सरकार के कुछ उपक्रम कार्यरत हैं। इन उपक्रमों के अंतर्गत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सागर माल्ट्स लिमिटेड तथा मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड आदि सम्मिलित हैं। राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उपक्रमों की स्थापना की है। दो गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट वैमिकल्स वर्क्स, डोंडवाना, राजकीय लकड़ स्रोत, डोंडवाना, पंचादरा व जावदीनगर, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड, बीकानेर, वस्टेंड सिगनिंग मिल्स, चून् व लाडनू, पतोसवार इम्पान वैनिफिशियेशन सयर्, मैन्सूल इडिया मेन्सुफैक्चरिंग कम्पनी आदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए सार्वजनिक उपक्रम हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लिमिटेड और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएँ हैं।

7 औद्योगिक विकास में योगदान देने वाली संस्थाएँ (Organisations for Industrial Development) राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है। इनमें से राजस्थान विन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीके) राजस्थान लघु उद्योग निगम उल्लेखनीय है। इन संस्थाओं द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। बड़ व मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास में राजस्थान विन निगम व रीके तथा लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में राजस्थान लघु उद्योग निगम महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इन संस्थाओं के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप ही राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई है।

8 राज्य के प्रमुख उद्योग (Major Industries of Rajasthan) राजस्थान में बड़े व मध्यम उद्योगों के साथ साथ लघु व ग्रामीण उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। बड़ उद्योगों में अर्जेंट प्रेनाइट उद्योग, मूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, नमक उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, काच उद्योग ऊन उद्योग सामरसर उद्योग, इञ्जीनियरिंग उद्योग गमामरनिङ्ग उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं। राज्य में खादी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तेल घासी उद्योग, गुड व खड्डाने उद्योग सोहरे व ताकड़ी का कार्य, बेत व बाम उद्योग वाड व गुड उद्योग मक्खन व आरकली उद्योग, फलों व सब्जियों का संरक्षण चूना उद्योग अल्पमूल्यनियम उद्योग, रेशम उद्योग धान कूटने का उद्योग, मधुमक्खी पालन, पॉट्रिज उद्योग, चमड़ा उद्योग अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग, हाथ में बना कागज रेशम उद्योग दाल बनाने का उद्योग, ग्वार गम उद्योग हथकरघा उद्योग हड्डि पीसना ऊनी वस्त्र उद्योग टरी व निवार उद्योग पीतल व ताँबे के बर्तन बनाना एवं पीतल की खलाई हथौड़े दात का कार्य बीडी उद्योग स्वर्ण व चाँदी के आभूषण व बर्तन बनाना चित्रकारी गाटा उद्योग हस्तशिल्प आदि लघु व ग्रामीण उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास

INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

(अ) स्वतंत्रता के पूर्व औद्योगिक विकास Industrial Development Before Independence

स्वतंत्रता के पूर्व राज्य के अनेक क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के अलग-अलग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का

निर्माण किया जाता था। राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में 1889 का वर्ष औद्योगिक विकास के शुभारंभ का वर्ष रहा। इस वर्ष राज्य के ब्यावर शहर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। यह राज्य में प्रथम संगठित औद्योगिक इकाई थी। यह 19वीं शताब्दी की एक मात्र पंजीकृत औद्योगिक संस्था थी। वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। 1908 में कृष्णा मिल्स, ब्यावर, 1915 में एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी, ताखेरी तथा 1938 में महात्मनी मिल्स, ब्यावर की स्थापना की गई। इसके पश्चात् वर्तमान राजस्थान निर्माण के पूर्व, स्टेट महागजा मिल्स लिमिटेड पाती, जयपुर स्विनिंग मिल्स, जयपुर, श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, फोटा तथा मेवाड टैक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के समय राज्य के विभिन्न भागों में अनेक छोटे-छोटे कारखाने कार्यरत थे।

(ब) स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगिक विकास

Industrial Development after Independence

स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में अनेक उद्योगों का विकास हुआ लेकिन राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह नाग्य था। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। अतः राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की गति प्रदान करने व लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तथा राज्य में औद्योगिक संरचना का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए।

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Plan) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक संरचना के निर्माण पर विशेष दल दिया गया। योजनाकाल में 46 लाख रुपये उद्योग व खनिज पर व्यय किए गए। राज्य में शक्ति के अभाव के कारण अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं हो सकी। 1951 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 207 थी जो बढकर योजना के अंत में 365 हो गई।

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Plan) द्वितीय योजनाकाल में अध्यापृत एवं भाग्ये उद्योगों का तीव्रगति से विकास करने का निश्चय किया गया। इस योजना में भरतपुर में वैगन फैक्ट्री की स्थापना तथा सर्वईमधापुर में

मॉनेट फैक्ट्री का विस्तार किया गया। योजनाकाल में औद्योगिक विक्रम एव नियम व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 51 नए लाइसेंस जारी किए गए। अतः राज्य में सामायनिक खाद कारखाना, कोटा, त्रिक स्मैल्टर प्लान्ट उदयपुर, नायलॉन फैक्ट्री, वॉलशियन कार्बाइड फैक्ट्री पी.वी.सी तथा कास्टिक सोडा प्लान्ट कोटा मॉनेट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ आदि की स्थापना की गई। 1960 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 885 हो गई। इस योजना में उद्योग व खनिज पर 3.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Plan) तृतीय योजना में भाखड़ा-नागल व चम्पल परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया। 1955 में विद्युत की कुल प्राप्ति 4000 मेगावाट थी जो बढ़कर 1960 में 65 मेगावाट हो गई। राज्य में सड़क यातायात का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। इसी प्रकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण जल की पूर्ति में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। अतः राज्य में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं। योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों में देश का तेजी से विकास हुआ लेकिन इसके पश्चात् राज्य में मानसून का अभाव तथा चान व पवित्रता में सुदोष के कारण औद्योगिक विकास कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 3.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

4 वार्षिक योजनाएँ 1966-69 (Annual Plans 1966-69) इस अवधि में लघु एवं कृषि उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, जोधपुर कोटा अलवर एवं भीलवाड़ा के विकास हेतु अनेक सुविधाओं की घोषणा की गई। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक रियायतों एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की। अतः राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया। 1986 के अंत में पंजीकृत कारखानों का संख्या 1846 हो गई। वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनिज पर 2.06 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

5 चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Plan) इस योजना में राज्य का तीव्र गति में विकास हुआ। योजनाकाल में वनस्पति तेल मॉनेट पॉवर व बल्लभ मूर्ती धागे मशीन टूल चोखा और नायलॉन व धागा आदि में सबूद उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में विद्युत का अभाव बना रहा लेकिन फिर भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। चतुर्थ योजनाकाल में राज्य की 1065 इकाइयों

को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 15.37 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। राज्य सरकार ने इस योजना में भी आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने का क्रम जारी रखा अतः राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया। इन जिलों में रियायतों दरो पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इनमें से 6 जिलों में मन्थिडी भी प्रदान की गई। चतुर्थ योजना के प्रारंभ में राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1846 थी जो बढ़कर योजना के अंत में लगभग 2800 हो गई।

6 पांचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Plan) पांचवी योजना काल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक उपाय किए गए। मसूरी साख-सुविधाएँ, कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, तकनीकी सहायता तथा रियायतों दरो पर जल व शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था की गई। योजनाकाल में उद्योग व खनिज पर 34.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सांख्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत माडिगम सन्धट फ़ैक्ट्री डोंडवाना लॉस्टेक प्लान्ट फ़ैक्ट्री धौलपुर राजस्थान वूलन मिल्ल रोज़ाना बस्टेड वूलन मिल्ल, धूम तथा लाडन के विकास पर बल दिया गया। गगानगर शुगर मिल्ल का विस्तार किया गया और टाक व लहर टर्नी की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में पांचवी योजना के अन्तर्गत अनेक विकासोन्मुख कार्य किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में राज्य में कुल 7 मूला वस्त्र मिलें थीं तथा 1967 के अंत तक 3 मॉनेट कारखानों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। 1967 तक राज्य में कुल एक वनस्पति मिल भातवाड़ा में थी। पांचवी योजनावधि में जयपुर में 4 चिनोडगढ़ में 1 तथा उदयपुर में 1 वनस्पति धागे कारखाने स्थापित किए गए। योजना के अंत तक 1814 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया और 252 औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए गए।

7 छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Plan) छठी योजना में उद्योग व खनिज पर 83.66 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय हुआ। योजनाकाल में औद्योगिक विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए जैसा कि ऊपर मॉनेट मना पावर मन्थिडी टैस्तिंग इक्विपमेंट मन्थिडी कैपिटल इन्वन्टमेंट मन्थिडी डोंडवाना जगदल सैटम खगेदल हेतु मन्थिडी पॉल्स उद्योगों का विकास तथा महकाने क्षेत्र में इंडलुम उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। स्व-योजना योजना के अन्तर्गत 1983-84 में 15045 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ। 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत 15382 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

इस दृष्टि में इस वर्ष देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान रहा। 1984-85 के अंत में पंजीकृत कारखानों की संख्या 1,12,241 हो गई। योजनाकाल में मगमगर व प्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इन उद्योगों के अंतर्गत 13 मध्यम श्रेणी की इकाइयों की स्थापना की गई। इस अवधि में उदयपुर, राजसमंद अन्तर किरानागढ़ और आवूरोड में मगमगर व प्रेनाइट उद्योग का तेजी से विकास हुआ। योजनाकाल में 6 बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई। भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकास हुआ और यह राज्य के वस्त्र उद्योग का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया।

8 सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Plan) सातवीं पंचवर्षीय योजना में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा पशुओं पर आधारित औद्योगिक इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक सुविधाएं एवं रियायतों की घोषणा की गई। 1987-88 में टेम्पाररी की सहायता एक योजना रिफाइनेंस स्कीम लागू की गई। 1985-90 की अवधि में 35112 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। अतः योजनाकाल के अंत में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 1 48,353 हो गई जिनमें 5,39 487 व्यक्ति कार्यरत थे। इस समय इन पंजीकृत कारखानों में 761 53 करोड़ रुपये की पूंजी विनिवेशित थी। योजनाकाल में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इस अवधि में स्पिनिंग मिलों व विधानय गृहों का पर्याप्त विकास हुआ। पावरलूम व्यवसाय किरानागढ़ के अतिरिक्त भीलवाड़ा, गुलाबपुरा अलवर, जयपुर उदयपुर तथा पाली आदि स्थानों पर विस्तृत हो गया। योजनाकाल में 97 बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। इनमें से 23 औद्योगिक इकाइया भीवाड़ी में, 12 उदयपुर में 8 अलवर में 8 भीलवाड़ा में तथा शंभु गज्य के अन्य भाग में स्थापित की गई। उद्योग व खनिज पर इस योजना में 145 57 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

9 1990-92 की वार्षिक योजनाएं (Annual Plans 1990-92) 1990-91 के अंत में छोटे पैमाने की पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1 53,060 थी जिनमें 5 17 लाख व्यक्तियों का रोजगार प्राप्त था और इन इकाइयों में 85 993 लाख रुपये विनियोजित थे। 1990-91 तक 1 13 055 इकाइयों को खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम व अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। ये 2 85,000 व्यक्तियों का अंशित रोजगार उपलब्ध करा रहे थे। इस समय राज्य में 30 000 हेण्डलूम कार्यरत थे जिनमें लगभग 90 000 व्यक्तियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 3197 व्यक्तियों का राजस्थान लघु उद्योग द्वारा प्रायोजित पल्लवा प्रशिक्षण

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 1991 तक राज्य में 181 औद्योगिक केंद्रों का विकास किया गया। राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का सबसे सीमेंट, सिथेटिक यार्न, कागज, स्लायोडसोल इलैक्ट्रॉनिक्स, टूक वेसिम, कॉपर फॉइलम, टी वी अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स सामान, घड़िया और रसायन से था। राज्य-स्वामित्व की औद्योगिक इकाइयों में सोडियम सल्फेट, नमक व्यापार, हाइड्रिक ग्लास फैक्ट्री, गोटन स्पिनिंग व चीनी इकाइया प्रमुख हैं। उद्योग व खनिज पर इन योजनाओं में क्रमशः 88-72 व 62 22 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Plan) आठवीं योजना में उपभोक्ता सामान का विशाल स्तर पर उत्पादन करने, राज्य में मरचनात्मक सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने, पंजीगत माल की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा निर्यातयोग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का निरचय किया गया। राज्य के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी उद्योग निदेशालय, खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राजस्थान हथकरघा विकास निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम, ब्यूरो ऑफ स्टेट एन्टरप्राइजेज, राजस्थान वित्त निगम तथा राजी पर है।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में मरचनात्मक सुधारों और श्रेष्ठ विनियोग नीतियों के कारण राज्य की औद्योगिक स्थिति का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 515 से अधिक बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइया हैं जिनमें लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य में 1 84 लाख लघु उद्योग इकाइया कार्यरत हैं जिनमें लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 1032 16 करोड़ रुपये था इसी प्रकार बड़े व मध्यम आकार की इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 8983 54 करोड़ रुपये था। इस प्रकार 223 बड़ी व मध्यम इकाइयों और 27468 छोटी इकाइयों में निजी क्षेत्र का कुल विनियोग 9995 70 करोड़ रुपये हो गया। राज्य की मुद्रुद औद्योगिक स्थिति को देखते हुए निजी उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के लिये उत्सुक हैं। ऐसे निजी उद्योगपतियों की संख्या 1545 है। जिनमें से 344 ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना में अपनी औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं। शेष 1201 उद्योगियों को 9 वीं योजना में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने की सलाहना है। इनमें से 602 उद्योगियों के औद्योगिक कार्यकलाप प्रारम्भ हो चुके हैं जिनमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का विनियोग होगा। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे उद्योगियों की

गन्ना में प्रतिवर्ष लगभग 300 की वृद्धि होने की संभावना है।

11 नवी पंचवर्षीय योजना (Ninth Plan) नवी पंचवर्षीय योजना में राज्य व बड़े व मध्यम उद्योगों में लगभग 27000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्रों द्वारा विनियोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार नवी योजना में छोट उद्योगों में निजी क्षेत्र का विनियोग लगभग 3000 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार नवी योजना में राज्य की औद्योगिक क्षेत्र में कुल विनियोग 30000 करोड़ रुपये होगा जो 8 वीं पंचवर्षीय योजना के विनियोग का 3 गुना से भी अधिक है।

नवी योजना में औद्योगिक विकास की व्यूह रचना

राज्य का नवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की निम्न व्यूह रचना अपनाने का निश्चय किया गया -

- 1 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत भाग निर्माण भद्र में प्राप्त करना।
- 2 राजस्व व अतिरिक्त एवं पर्याज अवसर सृजित करना।
- 3 राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग का वातावरण निर्मित करना।
- 4 राज्य की आय एवं सम्पत्ति में वृद्धि करना।
- 5 राज्य के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।
- 6 राज्य के उद्योगों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- 7 राज्य की औद्योगिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिये समाज का सहयोग प्राप्त करना।
- 8 मानवीय संसाधनों के विकास पर ध्यान देना।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं

POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान के उद्योगों का संक्षेप अनेक सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इनमें भी अधिकांश में राज्य के औद्योगिक विकास की अच्छी संभावनाएं विद्यमान हैं। राजस्थान में औद्योगिकीकरण की दृष्टि से निर्माणित मुख्य महत्वपूर्ण हैं-

1 खनिज (Minerals) खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान 8 धात्विक व 25 अधात्विक खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जस्ता, सोडा, टंगस्टन, चादी तथा गैक फॉस्फेट, चूना, पत्थर, फेल्टपाथर, एम्बेस्टोन, कैल्साइट, गारनेट, जिप्सम, सोप स्टोन, ग्रेनाइट, गंगरमरर व अन्य इमारती पत्थर की दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है। देश में उत्पादित जस्ता, सोडा, एमर्गल, गैक फॉस्फेट का लगभग शत प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में ही होता है। भारत के कुल सोपस्टोन व जिप्सम का 90 प्रतिशत एम्बेस्टोन का 83 प्रतिशत फेल्टपाथर का 76 प्रतिशत व चादी का 94.5 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में ही प्राप्त होता है।

2 पशुधन (Animal Wealth) पशु सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की आय का 15 प्रतिशत भाग पशु-सम्पदा से ही प्राप्त होता है। देश के दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग राज्य के पशुओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देश में मांस उत्पादन का 30 प्रतिशत और ऊन उत्पादन का 40 प्रतिशत राजस्थान के पशुओं द्वारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के पशुओं से चमड़ा व हड्डि आदि वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। पशुओं से प्राप्त वस्तुएं कच्चे रूप में देश के अन्य राज्यों को भेजी जाती हैं। अतः राज्य में पशुओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त संभावना है।

3 कृषि फसलें (Agricultural Crops) राजस्थान नहर और अन्य वृष्टि, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं व कुओं व व्यापक विद्युतीकरण से खाद्यान्नों व व्यावसायिक फसलों का अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1950-51 में राजस्थान में 33.8 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता था जो 1997-98 में बढ़कर अनुमानतः 128.55 लाख टन हो गया।

4 वन-सम्पदा (Forests) वन सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। वनों से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। राज्य में इन वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों का अभाव है। अतः राज्य के विभिन्न भागों विरापल आदिवासी क्षेत्रों में वन आधारित उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं।

5 कुशल श्रमिक (Skilled Labour) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के लिए दूराल श्रमिक परम्परागत रूप से उपलब्ध हैं, उदाहरणार्थ, जयपुर, सागानर व बाडमेर में गार्ड टाई, मोहर, जयपुर, जोधपुर आदि में कपड़ा

9	टैक्स	15172	15593
10	बम एवं निनि बर	38764	40231
11	ट्रक एवं अन्य यानन दोने कन्वे वाहन (लकड)	1 13	1 66
12	अन्य	2945	2962
	योग	2127494	2199799

Source Economic Review 1988-89 Govt of Raj

उपलब्ध जिलेवार आकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक वाहन जयपुर जिले में है। इसके पररात क्रमशः जोधपुर, कोटा गगनगर, उदयपुर, अजमेर व अलवर का स्थान है।

5 सडक दुर्घटना (Road Accidents) - राजस्थान में सडक दुर्घटनाओं की सख्या बाहनों की सख्या के साथ-साथ निरन्तर बढ़ती जा रही है। राजस्थान में सडक दुर्घटना की स्थिति अम्र तालिका में स्पष्ट है-¹

वर्ष	दुर्घटनाए	मृत व्यक्त	घायल व्यक्त
1993	12757	3893	15325
1994	13920	4129	16756
1995	16610	4863	20432
1996	18891	5430	24214

Source Statistical Abstract 1996 Rajasthan

राजस्थान में सबसे अधिक सडक दुर्घटनाए जयपुर जिले में हुईं, इसके परचाज अजमेर और कोटा का स्थान है।

6 सडक नीति (Road Policy) - सडकों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1994 में सडक नीति की घोषणा की गई है जिसकी मुख्य विशेषताए निम्न प्रकार है-

(i) 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो टी सडकों से जोडना।

(ii) 1981 एवं 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 या अधिक आबादी वाले ग्रामों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सडकों से जोडना।

(iii) नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पंचायत मुख्यालयों को दो टी सडकों से जोडना।

(iv) ऐसे सभी जनजाति/मनुष्यक्षेत्र क्षेत्र के ग्रव जिनकी जनसंख्या 750 से अधिक है को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो टी सडकों से जोडना।

(v) मुख्य शहरी केन्द्रों का बाईं पाम निर्माण।

(vi) राज्य उच्च मार्ग (हाइवे) एवं जिला मार्गों को चौड़ा करना।

(vii) राज्य उच्च मार्गों पर अन्तर्जातीय सडकों, मिश्रित लिक्म एवं सी डी वर्क्स का निर्माण।

सडक निर्माण के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जवाहर रोडगार योजना, रोडगार गांन्टी योजना, तीस त्रिले तीस काम आदि में उपलब्ध वित्तीय मसाधनों का उपयोग भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य पुलों, सुरगों एवं बाईं पाम आदि के निर्माण हेतु वित्तीय मसाधनों एवं नवीं विनियोजकों का भी सहयोग लिया जायेगा। इस कार्य में लगी पूंजी की वसूली टोल टैक्स के माध्यम से की जाएगी। विश्व बैंक सहयता कार्यक्रम के अन्तर्गत चार राज्य उच्च मार्गों को चौड़ा करने एवं उनका दर्जा बढ़ाने का कार्य भी प्रगति पर है।

सडक विकास का मास्टर प्लान (1981-2001)

सडक विकास के मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषताए निम्न हैं -

1 राज्य के पंचायत मुख्यालयों को सडक मार्गों से जोडना।

2 दो मार्ग वाली सडकों का निर्माण करना।

3 एक हजार और इससे अधिक बनमसखा (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले ग्रामों को सडक मार्गों से जोडना।

4 अन्तर्जातीय सडके बनाना।

5 जिला सडकों पर पुल बनाना।

6 धार्मिक स्थलों को सडक मार्ग से जोडना।

7 पर्यटन की दृष्टि में सडकों का निर्माण करना।

8 रेलवे स्टेशनों को सडक मार्ग से जोडना।

9 खनन-मडकों का निर्माण करना।

10 गण्डियों को सडक मार्गों से जोडना।

11 औद्योगिक केन्द्रों को सडक मार्गों से जोडना।

राजस्थान में सडक क्षेत्र के सुधार²

सडक तन्त्र के श्रुत प्रदन्धन, अतिव्रमण रोकने एवं उच्च मार्ग के साथ-साथ पट्टिका विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाइवे अधिनियम, 1994 पारित किया गया है। सडकों के विकास हेतु धन की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभागा ने लुडकों एवं बैंकों से मसखान वित्त प्राप्त करने की व्यवस्था की है। पुलों, सुरगों एवं बाईं पामों के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाए बनाकर उन्हें निर्णय मसखानों के समूह रूप प्राप्ति हेतु रखा गया है। सडक परियोजनाओं के निम्ना हेतु संडे मनी उपनथ करने

के उद्देश्य में राज्य में एक स्टेट रोड इम्पूवेंट फण्ड बनाया गया है। टोल टैक्स के रूप में प्राप्त धन राशि को इस कोष में जमा कर फिर इस राशि को इस कोष द्वारा मीड मनी के रूप में सड़क परियोजनाओं के निर्माण के काम में लिया जाएगा।

नवी योजना में सड़क विकास

राज्य की नवी योजना में सड़क विकास हेतु 1353 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। राज्ज में 1996-97 में कुल सड़क मार्गों की लम्बाई 74229 किलोमीटर थी जो बढ़कर नवी योजना के अन्त में 94229 किलोमीटर हो जायेगी। अतः योजना काल में 20,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

इस निगम की स्थापना 1964 में की गई। निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं - (i) राजस्थान में सड़क परिवहन का विकास करके राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करना। (ii) परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना। (iii) राज्य में सड़क परिवहन का विस्तार करना और सड़क परिवहन सेवा का कुशलता पूर्वक संचालित करना।

राजस्थान में रेल परिवहन

रेल की लाइनें मात्र लौह पटरियां नहीं हैं अपितु विकास के वर्तमान मटर्मों में ये हमारे जीवन रेखाएँ हैं। जहाँ-जहाँ स जीवन रेखाएँ जुड़ती, उन्हीं क्षेत्रों और अर्थशास्त्र के साथ-साथ निवासियों का भाग्य ही बदल गया। वहाँ के जन जीवन को जीने की सजीवनी मिली और इन भाग्य रेखाओं में जुड़े गाँव, कर्म्य और शहर विकास की नई हलचल में आनन्दित हो उठे। इतिहास इस बात का गवाह है कि धरती के जिम हिस्से की हथेली पर स पौलार्दी भाग रेखाएँ छाँपी गईं, वहाँ के बेरोजगार हाथा का राजगार का दस्तक मिला विकास की क्षीण रेखाएँ भी प्रवाह की प्रश्रु भाग्य बन गईं और वह क्षेत्र विनाशमयक परिवर्तितियों का मगन बन गया। इन निर्जीव पटरियों पर दश-आध्यात्म विनाश के पहिले टौडने लग और इनमें जुड़ा छोटा सा गाँव कम्पों के, कम्पा शहर के और राज्य महानगर के रूप में अगड़ाई लेने लगा।

राजस्थान में रेल परिवहन का इतिहास

राजस्थान में रेल विकास की प्रक्रिया 1842 ई में प्रारम्भ हुई। अंग्रेज सरकार एवं देशी रिगामतों के मध्य वानचित के कारण रेल विकास का कार्य धीमा रहा। राज्ज में प्रथम मीटर गेज रेलवे लाइन 14 फरवरी, 1873 को दिल्ली में रेवाड़ी एवं फारूकनगर के बीच राजपूत रेलवे के रूप में प्रारम्भ की गई। अजमेर में मीटर गेज लाइन मार्ग अगमा, 1875 को, अजमेर, ब्यावर राजपूताना लाइन 15 मई, 1878 को एवं ब्यावर-हरिपुर-सोजत रेलमार्ग पर कार्य शुरू किया गया। राजपूताना रेलवे के दक्षिणी भाग में अहमदाबाद - पालनपुर मार्ग 15 नवम्बर, 1879 को खोला गया। जोधपुर रेलवे के अधीन खरचो-याली 20 मील रेल निर्माण का कार्य 16 फरवरी, 1881 को शुरू हुआ तथा 28 फरवरी, 1882 को पूरा कर लिया गया। 24 जून, 1982 को यह मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया।

जून, 1884 में 25 मील लम्बे फली लूनी मार्ग पर यातायात शुरू हो गया। 9 मार्च, 1885 को जोधपुर शहर रेल से जुड़ गया। जोधपुर-मेडता गेड रेलमार्ग को 8 अप्रैल, 1891 तथा नागौर-बीकानेर 72 मील रेलमार्ग को 9 दिसम्बर 1891 को प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरवाग में मेडता रोड से कुचामन रोड तक 73 मील लम्बी लाइन का निर्माण करवाया। इसे 13 मार्च, 1893 को यातायात के लिए खोल दिया गया। बीकानेर-दुलमेग 42 मील लम्बा रेलमार्ग 2 जून, 1896 को, दुलमेग -सुरतगड 72 मील रेलमार्ग 1 जनवरी, 1901 को तथा सूरतगड भटिण्डा 88 मील रेलमार्ग 9 मितम्बर, 1902 को यातायात के लिए प्रारम्भ कर दिया गया। जोधपुर दरवाग तक बालोनगर-बाडमेर 60 मील रेलमार्ग 15 मई, 1899 को तथा बाडमेर-साडीपल्लो 143 मार्ग को 2 दिसम्बर, 1900 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार स्वतन्त्रता के पूर्व राज्य में रेल परिवहन का पर्याप्त विस्तार हुआ। अप्रैल 1950 में जोधपुर रेलवे का प्रथम राजस्थान सरकार का हस्तान्तरित कर दिया गया। इसे 14 अप्रैल 1952 को उत्तरी रेलवे में सम्मिलित कर दिया गया।

राजस्थान में रेल परिवहन की वर्तमान स्थिति

(1) रेलमार्ग - राज्य में रेलमार्गों का तेजी से विकास हुआ है राज्य के अनेक स्थानों पर छोटी रेलवे लाइनें की बड़ी लाइनें में बदलने का कार्य चल रहा है। राजस्थान की मुख्यभूमि जोधपुर को, मुम्बई, दिल्ली एवं कच्छला से जोड़ दिया गया है तथा जाधपुर और बीकानेर भी बड़ी लाइनें में जुड़ चुके हैं। अणु शक्ति में राज्य में रेलमार्गों का स्थिति का दर्शाया गया है -

राजस्थान में रेलमार्ग		
गेज	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
	1990-91	1993-94
1 ग्रांड गेज	1235 37	1950 04
2 मीटर गेज	4505 52	3773 57
3 नैप गेज	86 51	84 45

स्रोत: Statistical Abstract, Rajasthan 1994

उदयपुर फुलपुर-55- कि मी	नवी पंचवर्षीय योजना
फुलेपुर-बोधपुर-254- कि मी	लुनी-मुनाबाब-297 कि मी
मेडना रोड-मेडना सिटी-14 कि मी	सुरवाड-हुमनाबाद (त्रिनाल-वृष) - 205- कि मी

स्रोत: राजस्थान नूतन

(2) भारतपुर सिमको लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भारतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 मालवाहन डिब्बों का निर्माण करती है यह मालवाहक डिब्बों को लगभग एक-तिहाई भाग पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के नागौर जिले के मेडता शहर से मेडता रोड के बीच 12 अक्तूबर, 1994 को देश की पहली डॉड गेज रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुर, सर्काईमाधोपुर, आगस-किता, टुडला, बरनपुर, इलाहाबाद गुनसराय और पटना होती हुई 36 घण्टों में अपना यात्रा पूर्ण करती है।

इसमें राजस्थान के प्रवासी उद्यमियों का राज्य में उद्योग लगान के प्रति रुझान बढ़ेगा और परिवहन की सुविधा के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास - वार्दीकुई-आगरा तक बढ़ी लाईन का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज का बड़ी लाईन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 109 करोड़ रुपए, फुलेपुर-मावाड-अहमदाबाद-मेहमाणा के लिए 92 करोड़ रुपए, लुनी-मावाड के लिए 30 करोड़ रुपए, सर्वाई-माधोपुर-जयपुर फुलेरा के लिए 26 करोड़ रुपए, जोधपुर-कोकानेर-मेडता के लिए 8 करोड़ रुपए तथा मधुग-अलवर नई बड़ी गल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन

1991-92	1994-95
सुरवाड-पट्टा 81 कि मी	दुलरा अजमेर-81 कि मी
सुरवाड-अजमेर 78 कि मी	रेवाडी बरुन 225 कि मी
मुनाबाब-बजरार 178 कि मी	जोधपुर-जैसलमेर 295 कि मी
1992-94	1995-96
लुनी-मावाड 177 कि मी	अजमेर दरवाड 140 कि मी
लुनी-सियालदाह 45 कि मी	दरवाड-मेहमाणा 203 कि मी
नई बड़ी गल लाइन 125 कि मी	अहमदाबाद 113 कि मी

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतन्त्रता के पश्चात, राजस्थान राज्य में नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि में मावनी खेरटा (1947-48), खेरटा-काकोड (1948-49), सांगनेर-श्रीगी (1949-50), काकोड-बड़ी सादडी (1949-50), पार्ना-डिंग्गी (1950-51), डिंग्गी-टोडा रायसिंह (1953-54) फनेहपुर-चुरू (1956-57), रानीवाडा-भीलडी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62) उदयपुर टिम्मतनार (1965-66) पंकरज-जैसलमेर (1966-67), त्रिभूतमलकोट-श्रीगाणनार (1969-70), डाबल-सिधना (1974-75) कोटा-नन्देरिया (1988-89), चन्देरिया-चिन्ताडगड (1989-90), चिन्ताडगड-नौमच (1990-91), मधुग-डाय (1992-93), तथा डींग-अलवर (1993-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेलवे वर्कशॉप - इस वर्कशॉप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो सन् 1879 के अन्त तक पूरा हो गया। यह इन्जनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जान लगा। 1881 में भण्डार विभाग तथा 1884 में माल डिब्बों और सवारी डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में नुहानी कार्य, चक्का (Wheel) तथा दाबलर शाप की आग में कार्यशालाएँ स्थापित की गईं। यह भारत का एक मात्र रेलवे वर्कशॉप है जहाँ इन्जन बनते हैं। 1937 तक यहाँ 375 रेल इन्जनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी रेल मरम्मत एवं नवीनीकरण की दृष्टि से रेलवे वर्कशॉप, अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - इस स्कूल का शिनान्दार 25 मार्च 1955 को महामाणा भूपाल सिंह ने किया तथा 9 अक्तूबर 1956 का तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उदघाटन किया। यह स्कूल न केवल पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों का प्रशिक्षण देता है वरन् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का यरने बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1993-94 में 5713 देशी तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चों की रेल - यह रेल उदयपुर में है इसका संचालन गल रेलवे उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

का कार्य 5 मई, 1972 को प्रारम्भ हुआ और 8 अप्रैल, 1973 को भारत सरकार के वलसालीन रेलमन्त्री बाबू जगजीवन राम ने इसका उद्घाटन किया। इस रेलमार्ग की लम्बाई 1 79 कि मी है। यह रेल गुलार बाग में बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख माधन है।

(10) धौलपुर की नैरो गेज रेल - धौलपुर जिले में यह रेल लाइन धौलपुर से जाड़ी होते हुए आगरा जिले के तातपुर तक तथा इसदा धौलपुर में मरमथुरा तक जाती है इस क्षेत्र क लोग इसे डी बी आर कहते है यह राजस्थान की एक मात्र नैरो गेज लाइन है। इस रेल लाइन का निर्माण 1908 (धौलपुर रियासत के महाराजा रामसिंह के शासनकाल में) प्रारम्भ हुआ और 1929 में पूर्ण हो गया। अभी तक इस रेल के मौलिक स्वरूप एव मंचारान में परिवर्तन नहीं आया है।

(11) कोटा-चित्तौड़-नीमच रेलमार्ग - कोटा चित्तौड़-नीमच बड़ी रेल लाइन के निर्माण से राजस्थान में प्रगति का एक और मार्ग खुल गया। इस रेलमार्ग पर 30 मार्च, 1968 से ही मालगाडियों का आवागमन शुरू हो गया तथा अक्टूबर, 1989 में पहली बार सवारी गाडी चली। राजस्थान के कोटा, बूदी, भीलवाडा और चित्तौड़गढ़ जिलों में होकर यह लाइन मध्यप्रदेश में नीमच तक जाती है। इस रेल मार्ग में सीमेंट, कोयला, इमारती पत्थर और अन्य वस्तुओं की सप्लाई में सुविधा हो गई। यह रेल मार्ग चित्तौड़गढ़ जिले के पिछड़े इलाकों के लिए दरदान सिद्ध हुई है।

(12) पैलेस ऑन व्हील्स अथवा पहियों पर राजमहल - यह रेल 1982 में प्रारम्भ हुई। इसका निर्माण पुरानी रियासतों के शासकों द्वारा उपयोग में लाये गए विभिन्न रेलों के डिब्बों से किया गया। इसकी लोकप्रियता के कारण 1991 में नवीं पैलेस ऑन व्हील्स का निर्माण किया गया। इस रेल को लागत लगभग 8 करोड़ रुपए आईं। यह रेल प्रत्येक बुधवार को दिल्ली में रवाना होकर जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुन बुधवार की प्रात दिल्ली पहुंचती थी। लेकिन सितम्बर, 1994 में यह आगरा-भरतपुर के स्थान पर बीकानेर जाने लगी है और इसमें 13 डिब्बे हैं। इस रेल में प्राय सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(13) प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग - राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई 17 02 किलोमीटर है। इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 12 वा स्थान है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्यान क्रमश पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा राज्यों का है। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्गों का अधिकतम भारतीय औसत 19 00 कि मी है। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में रेलों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है।

(14) नया रेल क्षेत्र - 1996-97 के केंद्रीय बजट में 6 नये रेल क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिनमें उत्तर पश्चिम रेलवे भी एक है। इसका मुख्यालय जयपुर को बनाया गया है।

राजस्थान के प्रमुख रेलमार्ग

राज्य के प्रमुख रेलमार्ग निम्नलिखित हैं -

(1) दिल्ली-अहमदाबाद रेलमार्ग यह रेलमार्ग राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर तथा आबू रोड आदि नगरीय से होकर गुजरता है। यह एक व्यस्त रेलमार्ग है। इस मार्ग का अर बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जा रहा है।

(2) बीकानेर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग बीकानेर में आरम्भ होकर चुरू लोहारू होता हुआ दिल्ली पहुंचता है।

(3) जोधपुर-दिल्ली रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर, फुलेग, रिगस होता हुआ दिल्ली जाता है।

(4) अजमेर-खण्डवा रेलमार्ग . यह रेलमार्ग अजमेर से आरम्भ होकर नसीरवादा, भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा व इन्दौर होता हुआ खण्डवा पहुंचता है।

(5) जोधपुर-आगरा रेलमार्ग यह रेलमार्ग जोधपुर से फुलेग, जयपुर, वादीकुई तथा भरतपुर होता हुआ आगरा पहुंचता है।

(6) कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच रेलमार्ग - यह रेलमार्ग कोटा, बूदी भीलवाडा और चित्तौड़गढ़ जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नीमच तक जाता है।

राज्य में भीलवाडा-केकड़ी-टोडा रेलमार्ग का सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त (i) अजमेर कोटा रेलमार्ग (ii) यादमेर-जैसलमेर रेलमार्ग (iii) फालना-बडी सादडी रेलमार्ग तथा (iv) रतलाम वासवाडा-डूंगरपुर रेलमार्ग के निर्माण की योजनाएँ विचारधीन हैं।

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याएँ

गद्यपि रेलों के माध्यम में राजस्थान देश के सभी प्रमुख नगरों से जुड़ चुका है किन्तु कुछ ऐसे जिले हैं जो इस सेवा से नदी जुड़ पाय है। राज्य में रेलों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(i) राजस्थान का अधिकांश भू-भाग रंगिस्तानी एव पहाडी है। समतल क्षेत्र एव मैदानों का अभाव अतः रेलमार्गों का

निर्माण करना कठिन होता है। रेलमार्गों के निर्माण की लागत भी अधिक आती है।

(ii) राज्य के पूर्वी भाग में प्रायः वर्षा ऋतु में रेलमार्ग जल में डूब जाते हैं अतः रेल यातायात अवरूद्ध हो जाता है। रीगन्यानी क्षेत्र में रेलमार्ग बालू मिट्टी के कारण अवरूद्ध हो जाते हैं।

(iii) ग्लू दुग्धराओं के कारण जान-माल की हानि होती है। इसका कारण रेल व्यवस्था पर आर्थिक एवं प्रशासनिक

दोनों ही प्रकार से पड़ता है।

(iv) राज्य में रेलमार्गों की लम्बाई आवश्यकता से बहुत कम है। रेलमार्गों की लम्बाई को दृष्टि में भारत में राजस्थान का 12 वा स्थान है।

(v) राज्य में रेलमार्गों के वितरण में असमानता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम रेलमार्ग है जबकि पूर्वी मैदानी भागों में रेलमार्गों का विस्तार अधिक हुआ है। पहाड़ी जिलों में भी रेलों का विकास नहीं हुआ है।

अध्यासात्मक प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 चम्बल घाट परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Chambal Valley Project
- 2 राजस्थान नहर या इन्दिरा गांधी नहर पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal
- 3 इन्दिरा गांधी नहर में मिलने वाले सम्भावित लाभ का वर्णन कीजिए।
Explain the possible gains out of Indira Gandhi Canal
- 4 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का सम्भावित कमाण्ड क्षेत्र कितना है?
What is the expected command area of Indira Gandhi Canal Project?
- 5 "इन्दिरा गांधी नहर श्वेतसूत्र अभियानों का समय पारदर्शक-कार्यक्रम के साथ सुपुर्द कर दी जानी चाहिए" क्या?
"Indira Gandhi Canal should be handed over to military engineers with a timebound programme" Why?
- 6 आणविक शक्ति क्या है? तथा ऊर्जा से यह किस प्रकार भिन्न है?
What is Nuclear Power? How does it differ from Thermal Power?
- 7 राजस्थान में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की व्याख्या कीजिए।
Explain Solar Energy as a good source of energy in Rajasthan
- 8 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत के रूप में बायो गैस की व्याख्या कीजिए।
Explain Bio-Gas as a good source of energy in the rural areas of Rajasthan
- 9 राजस्थान में कहा-कहा विद्युत उत्पादन हो रहा है?
Where are the sources of power located in Rajasthan?
- 10 वर्तमानक ऊर्जा स्रोतों का आन्वयनात्मक विवरण कीजिए।
Examine critically the alternative sources of energy

B निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 चम्बल घाट परियोजना का एक विवरण दीजिए। इसमें राजस्थान को क्या आर्थिक लाभ है?
Give an account of the Chambal Valley Project. What are its economic benefits to Rajasthan
- 2 राजस्थान नहर परियोजना का विवरण दीजिए। इसका क्या आर्थिक लाभ है? व्याख्या कीजिए।
Give details of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project. What are its economic achievements? Explain
- 3 राजस्थान में आणविक शक्ति के विकास के लिए किए गए विद्युत के विकास पर प्रकाश डालिए।
Discuss the development of Atomic Power and Road in the light of infrastructural development in Rajasthan

- 4 राजस्थान में आधारभूत आर्थिक मरचना के विकास के लिए बिए गए बिदुत के विकास पर इकाश डालिए।
Discuss the development of Power in the light of Infrastructural Development in Rajasthan
- 5 राजस्थान राज के अध सराना विकास पर मक्षित टिपणी लिखिए।
Write a short note on the structure facilities of the State of Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान नहर परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? इसके प्रमुख बने क्या हैं? राजस्थान का इससे क्या लाभ लेंगे?
What are the objects of Rajasthan (Indira Gandhi) Canal Project? What re the salient features? What will be its utility for the economic development of Rajasthan
- 2 राजनावास में राजस्थान में सिवाई मभव्यता के विकास पर एक लेख लिखिए।
Write an eassy on the development of irrigation potential in the plan-era in Rajasthan
- 3 राजस्थान में ऊर्जा तथा सड़कों के विकास के क्षत्र में हुई प्रगति का आलाचनान्तरक परीक्षण कीजिए।
Critically analyse the development of Roads and Power sectors in Rajasthan
- 4 इन्दिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान के लिए वादान मिद्ध होगी।" समझाइए।
Indira Gandhi Nahar will be a blessing for Western Rajasthan " Discuss
- 5 "राजस्थान में अध मरचना का विकास अभी शिशु अवस्था में है।" विवेचना कीजिए।
"Infra structural facilities in Rajasthan is in its infant stage," Discuss



राजस्थान में औद्योगिक विकास

एवं उद्योग

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INDUSTRIES IN RAJASTHAN

"प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर पाया।"

अध्याय एक दृष्टि में

- औद्योगीकरण का अर्थ
- राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व
- राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएँ
- राजस्थान में औद्योगिक विकास
- राजस्थान में औद्योगिक विकास को सम्भावनाएँ
- राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण/पैलाव/असमानताएँ
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की जिलावार क्षेत्रीय असमानताएँ
- राजस्थान के वृहत् उद्योग
- राजस्थान में सर्ववर्गिक धरो र उद्योग
- अध्यात्मर्ष धरन

औद्योगीकरण का अर्थ

MEANING OF INDUSTRIALIZATION

औद्योगीकरण का सम्बन्ध उद्योग से लगाया जाता है। उद्योग से आशय किसी वस्तु अथवा सेवा के निर्माण से होता है परन्तु मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण अथवा मृज्ज नहों कर सकता है। मानव केवल किसी वस्तु को रूप उपयोगिता में वृद्धि करके उसे अधिक उपयोगी बना सकता है। मानव जब इस प्रक्रिया को व्यापक रूप प्रदान कर देता है तो औद्योगीकरण की सज्ञा प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से औद्योगीकरण की तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था के अर्थात् प्राथमिक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ निर्मित की जाती हैं उदाहरण के लिए, बमडा राना गेहूँ पोसना मूल करना आदि। द्वितीय अवस्था के अर्थात् कच्चे माल के रूप में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, उदाहरण के लिए वृत्त बनाना, भोजन तैयार करना कपडा व फर्नीचर बनाना आदि। तृतीय अवस्था के अर्थात् ऐसी मशीनों एवं पूजायन यंत्रों के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है या भावों उत्पादन किया को अधिक सुविधाजनक बनाने है। औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अर्थात् महत्वपूर्ण उत्पादन कार्यों में परिवर्तन की एक शृंखला का जन्म होता है। औद्योगीकरण में

उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी प्रतिष्ठान के यंत्रोपकरण किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नवीन बाजार में प्रवेश एवं किसी नदीन क्षेत्र के विदोहन के कारण घटित होते हैं। हॉफमैन के अनुसार औद्योगीकरण की अवस्थाओं के क्रम में औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में उद्योग वस्तु उद्योगों का सर्वाधिक महत्व रहता है और शुद्ध उत्पादन पूँजी वस्तु उद्योगों के उत्पादन में पाच गुना होता है। द्वितीय अवस्था में यह अनुपात 2.5:1 हो जाता है और तीसरी अवस्था में यह केवल 1:1 हो जाता है। इस प्रकार औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूँजी का गहनतप उपयोग करके यंत्रोपकरण एवं बड़ पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान अनेक छोटी-छोटी रियासतों में विभक्त था। उस समय यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य का पुनर्गठन हो गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राजस्थान औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर गया। प्रथम योजना में तत्कालीन समस्याओं व परिस्थितियों के कारण राज्य का औद्योगीकरण तीव्र गति में नहीं हो पाया लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना से राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। राजस्थान में अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में राज्य का औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ औद्योगिक विकास की पर्याप्त सभ्यताएँ विद्यमान हैं अतः राजस्थान में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। राज्य में पर्यटन को पालाहान नियांतोन्मुखी इकाइयों का स्थापना और विशेष रूप से विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य में टेक्स्टाइल चीनी सोमेट, ग्लाम सोडियम कोटनाशक कार्बोस्टिक सोडा और औद्योगिक रसायन, जैम उद्योग आदर्श रूप में स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में निर्यात सब्सिडी क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में औद्योगीकरण का समुचित ढांचा विद्यमान है। यहाँ प्रायः सभी प्रकार की अनुकूलताएँ भी विद्यमान हैं। अतः राज्य के अनेक क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। जयपुर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं व निर्यात में सुविधा होगी। यह हवाई अड्डा दिल्ली व राई अड्डा का महायुक्त भी हो सकता है। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करके तथा कार्यदिबसों में जमीन कर राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिशेणितान्मक स्थिति में आ सकता है। इसके लिए प्रबंधकों की श्रमशक्ति सहित ईश्वर मन्थनों का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार

दिया जाना चाहिए। इससे विदेशी निवेश के आकर्षित होने की सम्भावना भी बढ़ जाएगी। राज्य में जिस प्रकार के प्राकृतिक शोध विद्यमान हैं उन्हें देखते हुए यह देश के ही नहीं बल्कि विदेश के उद्योगपतियों को भी आकर्षित करने में मक्षम है।

व्यापार एवं उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आर्थिक नीति में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कानूनों में भी सुधार किया जाना चाहिए। भारत सरकार की तरह राज्यस्तर पर भी औद्योगिक नीति में उद्योगकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रीवे राजस्थान वित्त निगम उद्योग निदेशालय तथा ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयासों में राज्य में औद्योगिक निवेश के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पेट्रोकैमिकल क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी म्पिक ने राजस्थान में 70 करोड़ रुपए की लागत में फूड प्रोड फॉस्फोरिक एमिड सयट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य में रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं। अतः इस कम्पनी के भव्य विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसी प्रकार कार्बोरेडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की लागत की रिफ्रेक्टरी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रमुख कपडा उत्पादक विन्नी लिमिटेड ने भी सीमेन्ट क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा प्रकट की है। यह कम्पनी राजस्थान में 10 करोड़ रुपये की लागत में एक सीमेन्ट कारखाना स्थापित करना चाहती है। मद्रासी सीमेन्ट लिमिटेड ने भी राजस्थान में 350 करोड़ रुपये की लागत से पोर्टलैण्ड सीमेन्ट उत्पादन की एक परियोजना बनाई है। त्रुतीकेरन अल्कालिज भी राजस्थान में 500 करोड़ रुपये की लागत का एक सोडा-शेरा कारखाना स्थापित करना चाहती है। इसके अतिरिक्त अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी राज्य में अपने उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। राजस्थान में औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का अप्रतिखित बिन्दुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है।

राजस्थान में आय एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगीकरण का महत्व

IMPORTANCE OF INDUSTRIALIZATION FROM INCOME & EMPLOYMENT POINT OF VIEW

1. उद्योगों का कुल राज्तीय आय में भाग Contribution of Industries in SDP of Rajasthan

राज्य की अधिकांश आय वृत्ति व उममें मन्थन कार्यों में होती है। राज्तीय आय में उद्योगों का भाग वृत्ति क्षेत्र

कैथून में कोटा डोरिया, नागौर में हाथ के औजार तथा बीगोद व डींग आदि में लुहारि उद्योग के कुशल दम्भकार व श्रमिक उपलब्ध है।

6 अनुकूल औद्योगिक नीति (Favourable Industrial Policy): राज्य के औद्योगिक विकास के इतिहास में 1990 की नई औद्योगिक नीति विक्रमोन्मुखी सिद्ध हो रही है। इस नीति में आर्थ-वृद्धि, गेजराज के अक्सर बढ़ाने, समुचित क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक मसाधनों के अधिकतम उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति, 1991 को ध्यान में रखकर कार्यप्रणाली को सरल एवं उदार बनाया है। 50 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने तथा वितरित करने के अधिकार त्रिलासत्र तक दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय समिति में अनुमति लेने की दायिदा समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवटन हेतु एक लाज-डोड जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केंद्र को दिए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गतिविधिया तीव्र हुई है।

7 मानव-सम्पदा (Human Wealth) राजस्थान की जनसंख्या 4.4 करोड़ है। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय भी देश के अनेक राज्यों को तुलना में अधिक है। अतः औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य में पर्याप्त श्रमशक्ति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त राज्य की जनशक्ति विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने में भी सक्षम है।

8 बृहद् क्षेत्रफल (Large Area) राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 11 प्रतिशत है और क्षेत्रफल का दृष्टि से मध्यप्रदेश के पश्चात् इसका द्वितीय स्थान है। अनुभव यह बताना है कि विस्तृत क्षेत्रफल विस्तृत संभावनाओं का जनक है।

9 पर्याप्त पूंजी (Sufficient Capital) राजस्थान की पूंजी देश के अनेक राज्यों में विनिर्दोजित है। पर्याप्त सुविधाएँ व इन्फ्रास्ट्रक्चर इस पूंजी के प्रवाह की दिशा राजस्थान का ओर भी मोड़ा जा सकती है। नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों देकर राज्य के औद्योगिकरण के लिए उद्यमियों को अर्कषित किया है। राज्य में अधिक विनिर्दोजन के लिए सरकार ने उद्योगों को उदार वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई है।

10 विख्यात उद्यमी (Famous Industrialists) भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने, दय विडला, पेंडार

गोलेठा साहू जैन आदि, राजस्थान के ही मूल निवासी हैं अतः यदि इन्हें प्रेरित किया जाए तो ये राजस्थान के प्रभावी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

11 प्राकृतिक गैस व तेल के बृहद् भण्डारों की संभावना (Possibilities of Large Deposits of Oil & Natural Gas) जैसलमेर से 160 किलोमीटर दूर धातरु नामक स्थान पर 10 अप्रैल 1983 को 3554 मीटर की गहराई पर गैस के पर्याप्त भण्डार मिले थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जो खुदाई कार्य आरम्भ किए हैं उनसे भी अच्छे संकेत मिले हैं। गैस का प्रयोग शक्तिगृह स्थापित करने लघु उद्योगों के लिए व खाना पकाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान प्राकृतिक मसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी कुछ बाधाओं के कारण औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सरकार की वर्तमान औद्योगिक एवं खनिज नीति राजस्थान के औद्योगिकरण के उज्वल भविष्य की ओर सकेत करती है।

राजस्थान में उद्योगों का क्षेत्रीय

वितरण / फैलाव / असमानताएँ

REGIONAL SPREAD OF INDUSTRIES

1 राजस्थान की औद्योगिक स्थिति

प्राप्त टिर्न्स के आधार पर- 1993-94	
अ राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रमुख जिले 1993-94	
1 जयपुर	4 जयपुर
2 जयपुर	5 जयपुर
3 जयपुर	6 जयपुर
ब राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रमुख जिले 1993-94	
1 जयपुर	4 जयपुर
2 जयपुर	5 जयपुर
3 जयपुर	

सं. Statistical Abstract, May 1995

1993-94 उपलब्ध टिर्न्स के विश्लेषण में ज्ञात होता है कि -

- 1 राज्य में कारखानों का वितरण समान नहीं है।
- 2 सर्वोच्च कारखाने जयपुर जिले में हैं। तदनुसार क्रमशः पाली, मगानगर, जयपुर उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर व दीकनेर जिलों का स्थान है।

3 राजस्थान में उद्योग प्रमुख रूप से खेतड़ी जयपुर क्षेत्र महानगर-अनगर व्यापार क्षेत्र अलवर क्षेत्र भीलवाड़ा जिलाडण्ड क्षेत्र कांटा बूंदी सर्वाईमाधपुर क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र व राजपूर क्षेत्र में वद्विंत है।

4 राज्य के डूंगरपुर जालार अजमेर व धौनपुर जिला का औद्योगिक दृष्टि में बहुत कम विकास हुआ है।

5 टोक सिंगहा गकर सकाईमाधोपुर झालावाड बाडमेर बागवाडा रूरू जादि जिला में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया शरूभ हो चुका है अत अन्य जिला की तुलना में इन जिला का भाग औद्योगिक विकास अधिक नहा हो पाया है।

राजस्थान में उत्पादन पूजी की स्थिति

अ राजस्थान में राष्ट्रीय प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों में प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों 1993-94			
1	राजपूर	3473	करोड़ रु
2	जयपुर	1376	करोड़ रु
3	जालार	1156	करोड़ रु
4	उदयपुर	1069	करोड़ रु
5	बिलासपुर	946	करोड़ रु

ब राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों में प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों 1993-94			
1	राजपूर	242	करोड़ रु
2	जयपुर	46	करोड़ रु
3	जालार	53	करोड़ रु
4	उदयपुर	67	करोड़ रु

राजस्थान में विकास प्रवृत्ति उद्योगों में 1993

94 में 5065.81 करोड़ रुपये की पूजा लगती हुई था पूजा वित्तियोजन की दृष्टि से भा राज्य में अत्यधिक विपमता दृष्टिगाचर होती है। इस तथ्य का ज्ञान निम्न तथ्या से हाता है

1 राजस्थान में 1993-94 में पत्राकृत उद्योगों में कुल पूजा वित्तियोजना का लगभग 40 प्रतिशत भाग केवल जयपुर जिले में वित्तियोजित था। इस तथ्य में नात हाता है कि राज्य में पूजा वित्तियोजन की दृष्टि में अत्यधिक आर्थिक विपमता रिद्यमान है।

2 राज्य में गरम कम पूजा पैसामेर जिन्ने में वित्तियोजित है वमता पूजा का लटि में जालार वृन् पैसामेर सकाईमाधपुर डूंगरपुर भोजपुर बागवाडा जडमेर अदि जिला में कम विकास हुआ है।

3 राजपूर अतिरिक्त सिरोडण्ड कोटा उदयपुर अजमेर आदि जिला में भा पर्याप्त पूजा वित्तियोजित की गई है।

सिम्बर 1997 में 190704 नवु उद्योग स्थापित हो नुन 4 जियमे 218443 करोड़ रुपये की पूजा वित्तियोजित था। ये लतु उद्योग 73 लाख व्यक्तियों का रजगार मुनभ रर रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन एवं आदान

अ सर्वाधिक मूल्य और औद्योगिक उत्पादन वाले प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों 1993-94			
1	जयपुर	3633	करोड़ रुपये
2	अजमेर	1561	करोड़ रुपये
3	जालार	1401	करोड़ रुपये
4	उदयपुर	1241	करोड़ रुपये
5	भिलवाडा	1075	करोड़ रुपये

ब सर्वाधिक मूल्य और औद्योगिक उत्पादन वाले प्रमुख वित्तिय क्षेत्रों 1983-94			
1	जयपुर	2566	करोड़ रुपये
2	अजमेर	1267	करोड़ रुपये
3	जालार	1123	करोड़ रुपये
4	उदयपुर	913	करोड़ रुपये

(संलग्नक 5 राजस्थान औद्योगिक आदान-आदान, राज 1996)

मूल्य आदान व मूल्य उत्पादन के आंकड़ों में स्पष्ट हाती है कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक विपमता व्याप्त है। इस तथ्य की जानकारी निम्न तथ्या से हाती है

1 राजस्थान के पत्राकृत उद्योगों ने 1993-94 में 11013 करोड़ रुपये के विभिन्न आदानों का प्रयोग करके 13957 करोड़ रुपये का उत्पादन किया।

2 सर्वाधिक मूल्य के आदानों का प्रयोग जयपुर जिले द्वारा किया गया राज्य में सर्वाधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन भा इसी जिले द्वारा किया गया।

3 अनेक जिला में अपत्राकृत कम मूल्य के आदानों का प्रयोग करके अपत्राकृत अधिक मूल्य का उत्पादन प्राप्त किया।

4 कुछ जिला जैसे रूरू धौनपुर जैसलमेर जालार आदि में बहुत कम आदानों का प्रयोग किया और उनका उत्पादन भी कम रहा।

5 आदान व उत्पादन का दृष्टि से भा राज्य में आर्थिक विपमता की स्थिति दृष्टिगोचर हाती है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की जिलावार क्षेत्रीय असमानताएं व वर्तमान स्थिति³

DISTRICTWISE REGIONAL DISPARITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & PRESENT SITUATION OF RAJASTHAN

राजस्थान के राज्य में औद्योगिक विकास में नातर गति में उर्ध्व गति का कृत्रिम और औद्योगिक विकास की दृष्टि में पिछड़ गया है। राजस्थान के विभिन्न जिलों की

Economic Review 1997-98, Pt. 3, Tables 2, Abstracts, pp. 395-398.
 An. 3, Economic Review 1997-98, Pt. 3, Tables 2, Abstracts, pp. 395-398.

समीक्षा का औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति व विषमता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

1 अजमेर जिला (Ajmer District) 1993-94 में अजमेर में 8 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका क्षेत्रफल 732 87 एकड़ था। इसमें से 377 95 एकड़ का विकास किया जा चुका था। अजमेर जिले की औद्योगिक वस्तियों में मालुपुरा, बालुपुरा, फरवपुरा एवं एम टी, व्यावर, विशनाट, केंकड़ी और विजयनगर हैं। अजमेर जिले की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में से कैम्ब्रिज एण्ड वेगन वर्कशॉप, एच एम टी, एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स व कृष्णा मिल्स प्रमुख हैं।

2 टोंक जिला (Tonk District) 1993-94 में टोंक जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 328 30 एकड़ था जिसमें से 163 17 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। इस जिले में मालुपुरा टाक, निवाई आदि औद्योगिक क्षेत्र हैं। रीको द्वारा निवाई (टाक) में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र (मिनी प्रोथ सेंटर) स्वीकृत किया गया है।

3 उदयपुर जिला (Udaipur District) 1993-94 में उदयपुर जिले में 6 औद्योगिक इकाइया थीं। इनका कुल क्षेत्रफल 1308 54 एकड़ था। जिसमें से 765 78 एकड़ का विकास किया जा चुका था। राजनगर, सुखर, मेवाड़, फरवपुरा आदि जिले की औद्योगिक इकाइया हैं। इस जिले में कपास कलाई मिल, शराब चेंकड़ा, जिक मेटल, लकड़ी के छिल्लों से बनाने के कारखाने तथा रसायन व औषधियों के निर्माण के कारखाने हैं। उदयपुर सूती मिल व आयुर्वेद सेवकम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त सीमेंट व चूने में अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। लोहे व स्टील की टलाई के द्वारा बर्तनों का निर्माण भी किया जाता है। रीको द्वारा कालखम्म (उदयपुर) में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है।

4 जोधपुर जिला (Jodhpur District) 1993-94 में जोधपुर जिले में 12 औद्योगिक इकाइया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2323 41 एकड़ था। इसमें से 2245 29 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। जिले में भवनिदा, फतेहो मन्थर, त्रिवन, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया रोन्स्टा, मण्डौर भाग की कोठी आदि औद्योगिक इकाइया थीं। उन्म, गलत कारखाना जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है। जिले में जधपुर दुर्लभ मिल्स, हीरा क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड, एल्का वैगम, मैटलम प्राइवेट लिमिटेड तथा पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक लिमिटेड आदि

प्रमुख संस्थान हैं। जिले में सूती वस्त्र, खाद्य तेल, रसायन निर्माण आदि के कारखाने भी कार्यरत हैं। लघु उद्योगों का विकास करने हेतु राज्य में इजीनियरिंग व प्लास्टिक उद्योगों का एक इजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स निर्मित किया गया है। रीको द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र (मिनी प्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा है।

5 कोटा जिला (Kota District) 1993-94 में कोटा जिले में 12 औद्योगिक इकाइया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 2279 11 एकड़ था। इसमें से 2140 27 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में मुमराज मण्डी, गोविन्दपुर दावडी इन्द्रप्रस्थ गेल्स क्रॉसिंग, रामाज मण्डी आदि औद्योगिक इकाइया थीं। यह जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत है। यहां श्रीराम रेफरन्स जे के सिन्थेटिक लिमिटेड, ओरियन्ट पावर वेविल्स, श्रीराम वायनिल एण्ड पैनिक्ल्स इण्डस्ट्रीज आदि प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। भारत सरकार द्वारा कोटा में मूल्य यंत्र बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। यहाँ दूध की बोतलों का निर्माण, चावल व दाल मिलें, खाण्डसारी व तेल का उत्पादन, वस्त्र निर्माण सम्बन्धी कारखाने, रानो का निर्माण, कागज बोर्ड का निर्माण, प्लास्टिक के सामान का निर्माण, रामादिक खाद का निर्माण, सीमेंट व चूना, फर्निचर, भारी मशीनें व धातु उपकरण आदि के कारखाने हैं।

6 नागौर जिला (Nagaur District) 1993-94 में नागौर जिले में 3 औद्योगिक इकाइया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 383 87 एकड़ था। इसमें से 383 87 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा चुका था। मकराना, नागौर व भडवा मिठी जिले की औद्योगिक इकाइया हैं। कारखाने मुख्यतः मार्बल चूना, ननक प्रिंटिंग प्रेस, अँदोल मशीन, इजीनियरिंग वर्कर्स वसी के निर्माण, कैनिक्ल्स वर्कर्स, ऊनी मिल, ग्वागम तथा प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण से सम्बन्धित थे। रीको द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत से नागौर में एकीकृत आधारभूत विकास केंद्र (मिनी प्रोथ सेंटर) विकसित किया जा रहा है।

7 जैसलमेर जिला (Jaisalmer District) 1993-94 में जैसलमेर जिले में 3 औद्योगिक इकाइया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 161 86 एकड़ था। इसमें से 52 66 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइया जसलमेर ही है। कारखाने मुख्यतः पत्थर उद्योग व दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित थे।

8 जालौर जिला (Jalore District) 1993-94 में

जालौर जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 393 40 एकड़ था। इसमें से 128 82 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में विशाखा सातौर व जालौर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। कारखाने मुख्यतः दुग्ध बोतल निर्माण तेल मिलने, सूती वस्त्रों की बुनाई, लकड़ी का काम, मुद्रण व प्रकाशन तथा उत्पादन के कार्यों में सम्बन्धित थे।

9 झालावाड़ जिला (Jhalawar District)

1993 94 में झालावाड़ में 9 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 787 38 एकड़ था। इसमें से 4 20 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में झानरापाटन पवारी मण्डो झालावाड़ आन्स आदि औद्योगिक इस्तिया थीं। कारखाने में मुख्यतः ची व तन उत्पादन काटन क्लीनिंग काटन जिनिय व बनिंग पिटिंग गइलो वे निर्माण स्टेन टेमिंग एण्ड ब्रशिंग तथा स्टील निर्माण में सम्बन्धित थे। कन्दू सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 में विकास केंद्रों की नीति के अन्तर्गत झालावाड़ का 30 करोड़ रूपय की लागत से विकास किया जा रहा है।

10 झुझुनू जिला (Jhunjhunu District)

1993 94 में झुझुनू जिला में 4 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 253 73 एकड़ था। इसमें से 173 67 एकड़ का विकास जा चुका था। जिले में मिलानी सिडावा झुझुनू व सिधाणा (खनडी) औद्योगिक इस्तिया थी। शैलीय खेतड़ी कापर कॉम्पलक्स गदमारी ताम्र अभियोजना इस जिले के प्रमुख औद्योगिक सम्मान है। इस जिला में तेल कोल्ड ड्रिफ्ट लकड़ी का काम बेरिब हैंगी आर्थेनिक कैमिकल्स इन्वॉनिक फर्टिनाईजर आदि के पञ्जीकृत कारखाने थे।

11 डूंगरपुर जिला (Dungarpur District)

1993 94 में डूंगरपुर जिला में 2 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 75 60 एकड़ था। इसमें से 54 93 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में औद्योगिक इस्तिया गामवाड़ा व डूंगरपुर है। कारखाने शीमेर वस्त्र तथा रिपेर आफ शोपन्नीस एण्ड माटर सारविन से सम्बन्धित थे।

12 गंगानगर जिला (Ganganagar District)

1993 94 में गंगानगर जिले में 15 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 1482 83 एकड़ था। इसमें से 779 17 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में श्रीगंगानगर हात्तागाठ मुक्तगाठ सरना मण्डो फरमपुर फरमाना गोरे अनुपगाठ आदि औद्योगिक इस्तिया थी।

इस जिले में मार्दुल टैकराटाइल्स मिल्स गंगानगर शुगर मिल्स डिस्ट्रिक्ट गंगानगर फर्टिनाईजर मॉनोपोरेशन तथा गुणा इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन आदि प्रमुख औद्योगिक सम्मान हैं। कारखाने मुख्यतः टान पीनी मैटल आयर्न फनार मिल्स तथा उत्पादन आदि से सम्बन्धित थे।

13 जयपुर जिला (Jaipur District)

1993 94 में जयपुर जिले में 19 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 4131 72 एकड़ था। इसमें से 2893 22 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिले में विरारमा शाटावाड मालवीय मुद्रशापुस बराम मनान शाहापुरा दौगा तालमाट दूद पुनाग बरकपुरा जैपुरा आदि औद्योगिक इस्तिया थी। जिले में इंजीनियरिंग उद्योग मान इण्डस्ट्रियल मारपोरेशन जयपुर स्पिननिंग एण्ड गीविंग मिल्स रिमिटेड गामर रिमिटेड पोसर स्पिननिंग मिल्स रिमिटेड वमान इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स आदि प्रमुख औद्योगिक सम्मान हैं। इस जिले में अनेक प्रजा के छोटे एर बड़े आकार के उद्योग का विकास हुआ है। देश का प्रथम निर्गत सवर्दी औद्योगिक पार्क (EPIP) की स्थापना जयपुर के सीतापुर में 47 एग्रेड रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा चुका है। निर्यातानुग्रे इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

14 चित्तौड़गढ़ जिला (Chittorgarh District)

1993 94 में चित्तौड़गढ़ जिले में 7 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 605 98 एकड़ था। इसमें 406 73 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ निम्नांदा वामन आदि औद्योगिक इस्तिया थी। इस जिले में विरना सीमेण्ट वर्क चित्तौड़गढ़ जे के सीमेण्ट वर्क निम्नांदा मेवाड शुगर मिल्स भागवतगढ़ तथा मेवाड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इस्तिया आदि प्रमुख औद्योगिक सम्मान हैं। कारखाने मुख्यतः ग्राउन्डरी डिस्ट्रिक्ट वस्त्र वस्त्र मिल्स वस्त्र रिपेर सीमेण्ट कारीट एग्री मशीन तथा पाइप निर्माण आदि में सम्बन्धित थे।

15 चुरू जिला (Churu District)

1993 94 में चुरू जिले में 6 औद्योगिक इस्तिया थी जिनका कुल क्षेत्रफल 556 98 एकड़ था। इसमें से 259 68 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। इस सम्बन्ध में गदमठ चुरू सुवानगठ मार्दुलपुर आदि औद्योगिक इस्तिया थी। ये कारखाने मुख्यतः लू (डिस्ट्रिक्ट) का खोप नेन गम मार्मेट पापुस रॉस प्रेशर एण्ड रॉस एण्ड वन्दूक व उत्पादन में सम्बन्धित थे।

16 धौलपुर जिला (Dholpur District) 1993 94 में धौलपुर जिले में 4 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 351 64 एकड़ था। इसमें से 98 42 एकड़ क्षेत्रफल को औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले के औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर व राडी है। धौलपुर का कौच उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ धौलपुर ग्लाम वर्कर्स हाईटैक ग्लास फैक्ट्री तथा गजस्थान एकमप्लान्टिव एव कैमिकल लिमिटेड प्रमुख औद्योगिक मस्थान है। जिले में फायवर्क विद्युत उत्पादन दाल व तेल मिल प्रिंटा प्रेम तथा बर्फ फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया कार्यरत है। धौलपुर को कन्द्र प्रवर्तित योजना व अनर्गत 30 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक विकास कन्द्र के रूप में चिन्हित किया जा रहा है।

17 भोलवाडा जिला (Bhilwara District) 1993 94 में भोलवाडा में 6 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 619 24 एकड़ था। इसमें से 379 82 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका था। इस जिले में भोलवाडा जयजय विनायक रायल अण्डि औद्योगिक बस्तिया थीं। भोलवाडा राज्य का प्रमुख औद्योगिक कन्द्र बनता जा रहा है। यहाँ मूल वस्त्र मिले ऊनी मिल स्पिनिंग एव वीविंग मिल वनस्पति धाँ व कारखाने अन्नक आरा मशीन इंटी का उद्योग दाल फैक्ट्री आदि औद्योगिक इकाइया है।

22 अक्टूबर 1989 को केंद्र सरकार की नीति (विकस केंद्रों की स्थापना) के अनुसार भोलवाडा का भी विकास केंद्र के लिए चयन किया गया। इस क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये का लागत से तीन विद्युत परिवहन व संचार आदि मरचनात्मक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी और वस्त्र नगरी के रूप में इनका विकास किया जायगा।

18 बीकानेर जिला (Bikaner District) 1993 94 में बीकानेर जिले में 7 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 1390 03 एकड़ था। इसमें से 512 95 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में क्लोथिंग नगर नूतनगर आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। उज्ज्वल डायंग तथा वृक वूलन मिल परत को प्रमुख औद्योगिक मस्थान है। इस जिले में बिजली के उद्भरण बैटरी का तंत्राव प्रसिद्ध जल आयुर्वेदिक फार्मसी तथा इन वन व रसायन आदि बस्तान के कारखाने हैं।

22 अक्टूबर 1989 का विकास केंद्रों की केंद्र प्रवर्तित नीति व अनर्गत योजना का भी चयन किया गया है। इन विकास केंद्र पर 30 करोड़ रुपये का लागत से

मरचनात्मक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

19 बूंदी जिला (Bundi District) 1993 94 में बूंदी जिले में 5 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 151 76 एकड़ था। इसमें से 71 22 एकड़ का औद्योगिक विकास किया जा चुका था। जिले में बूंदी (वा सी आर) बूंदी (बी एन आर), बूंदी (बी पी आर) आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। इस जिले में सीमेन्ट के दो प्रमुख कारखाने लाखनी में कार्यरत है। जिले में मुख्यतः तेल मिलें चावल मिलें पावरलूम आदि औद्योगिक मस्थान कार्यरत है।

20 अलवर जिला (Alwar District) 1993 94 में 10 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 6043 11 एकड़ था। इसमें से 4169 07 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले की औद्योगिक बस्तियों में भिवाडी शाहजहापुर, खरली दररोड मत्स्य गजगढ़ व खेरथल है। राठी अलॉयज एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड त्रयपुर मिथेटिक, माडन सिन्थेटिक इण्डिया लिमिटेड, अरावली फॉर्म त्रिक्स लिमिटेड सुपर ड्रल्स इण्डिया भारत एलम एण्ड कैमिकल लिमिटेड अलवर इजन प्लांट तथा यूनिवर्सल मिलगड लिमिटेड आदि जिले के प्रमुख औद्योगिक मस्थान हैं। दश का दूसरा निर्यात मकदान औद्योगिक पार्क भिवाडी (अलवर) में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसका लागत लगभग 55 34 करोड़ रुपये होगी।

21 बांसवाडा जिला (Banswara District) 1993 94 में बांसवाडा जिले में 4 औद्योगिक क्षेत्र थे। जिले का कुल औद्योगिक क्षेत्र 366 08 एकड़ था। जिले में से 207 13 एकड़ का विकास किया जा चुका था। कुशलापट यहाँ की प्रमुख औद्योगिक बस्ती है। इस जिले में कॉटन जिनिंग एण्ड बलिा खाने योग्य तेल व घा दिराई उद्योग पैमशक्ति आर्दूरी राइस मॉलिंग स्टोन टमिंग एव इरिशिग सिन्थेटिक फाइबर्स दवाइये का निर्माण आदि प्रकाशन कारखाने थे।

22 बाडमेर जिला (Barmer District) 1993 94 में बाडमेर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्र थे जिनका कुल क्षेत्रफल 733 80 एकड़ था। इसमें से 383 89 एकड़ का विकास किया जा चुका था। इस जिले में बाडमेर बालिया सनदडा आदि औद्योगिक क्षेत्र थे। काउन् बंविा एण्ड बलिा डायंग एण्ड क्वादिा आर बाउन टैकमप्राइन आयन मिनि प्रिंटा प्रेम लून एव गिताडो निना तथा बमिज हवी इन्डस्ट्रियल कंमिजन्ल् आदि प्रकाशन कारखाने थे।

23 भरतपुर जिला (Bharatpur District) 1993 94 में भरतपुर जिले में 5 औद्योगिक बस्तिया थीं। जिनका कुल क्षेत्रफल 511 50 एकड़ था। इसमें से 398 44 एकड़ क्षेत्रफल का विकास किया जा चुका है। भरतपुर डींग व बयाना आदि इस जिले की औद्योगिक बस्तिया हैं। परपैक्टम पाटोज लिमिटेड तथा सैन्टल इण्डिया मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (गिमको) इस जिले के प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं। कारखाने मुख्यतः दूध व दूध में बना वस्तुएं दाल मिल खाद्य तेल चर्क टायर ग्युव आयुर्वेदिक व यूनानी मसादान आथमन एण्ड मटीन आदि में सम्बन्धित थे

24 पाली जिला (Pali District) 1993 94 में पाली जिले में 9 औद्योगिक बस्तिया थीं। इनका कुल क्षेत्रफल 829 18 एकड़ था। इसमें से 829 18 एकड़ का विकास किया जा चुका था जिले में मात्र मीठी मारवाड़ जकशन सुमेरपुर पाली मण्डिया राड तरुणगढ आदि प्रमुख औद्योगिक बस्तिया हैं कारखाने मुख्यतः दुग्ध बोटलों का निर्माण ग्राह्य तेल शान निर्माण छाता व वस्त्र निर्माण लकड़ी का काम परा का निर्माण पेपर बोर्ड गत्ते का निर्माण गमयन व औषधियों का निर्माण विद्युत लैम्प का निर्माण पेन व बान पेन का निर्माण गडियो निर्माण आदि से सम्बन्धित हैं

25 सवाईमधोपुर जिला (Sawai Madhopur District) 1993 94 में सवाईमधोपुर जिले में 8 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 606 48 एकड़ था। इसमें से 468 75 एकड़ का विकास किया जा सका था। जिले में गगापुर सिटी रोड रोड हिण्डान गणधमौर आदि औद्योगिक बस्तिया थीं जिले में गजल मिले दाल मिल खाद्य तेल मिले लकड़ी का काम प्रिंटिंग प्रेस शीमट निर्माण शीमट की वस्तुओं का निर्माण आदि उद्योग कार्यरत थे।

26 सीकर जिला (Sikar District) 1993 94 में सीकर जिले में 6 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 431 56 एकड़ था। इसमें से 288 97 एकड़ का विकास किया जा चुका था। जिला में मोरर खण्डेला श्रीमधोपुर गमगढ नामझथाना आदि औद्योगिक बस्तिया थीं। ये कारखाने चर्क उत्पादन खाद्य तेल का उत्पादन खादी उत्पादन रूना व पम्पर आदि वस्तुओं के निर्माण में सम्बन्धित थे।

27 सिरोही जिला (Sirohi District) 1993 94 में

सिरोही जिले में 7 औद्योगिक बस्तिया थीं जिनका कुल क्षेत्रफल 818 02 एकड़ था। इसमें से 724 80 एकड़ का विकास किया जा चुका था। शिवगज सिरोही रोड स्वरूपगज आबूरोड मण्डार सिरोही आदि इस जिले की प्रमुख औद्योगिक बस्तिया हैं। कारखाने तेल दाल व खाद्य पदार्थों का निर्माण कपाम की सफाई व गठे बनाने कपडे व रेशम की रगई सूती वस्त्रों की युनाई लकड़ी का काम मुद्रण व प्रकाशन प्लास्टिक का उत्पादन पत्थरों की कटाई व छाटाई सीमट व ककरीट का उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन आदि में सम्बन्धित थे। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 1989 की विकास केन्द्रों की नीति के अन्तर्गत आबूरोड का चयन किया है। इस क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये की लागत से मरगनात्मक मुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

28 बारा जिला (Baran District) 1993 94 में बारा जिले में 2 औद्योगिक बस्तिया थीं जिसका कुल क्षेत्रफल 211 16 एकड़ था। इसमें से विकसित किये गये क्षेत्र के आठ डे उपलब्ध नहीं है।

29 दौसा जिला (Dausa District) 1993 94 में दौसा जिले में 6 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 490 93 एकड़ था। इसमें से 291 38 एकड़ का विकास किया गया।

30 राजसमन्द जिला (Rajsamand District) 1993-94 में राजसमन्द जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र थे। इनका कुल क्षेत्रफल 278 49 एकड़ था। इसमें से 191 73 एकड़ का विकास कार्य हाथ में लिया गया।

31 हनुमानगढ जिला (Hanumangarh District) हान ही में गगानगर जिले को विभाजित कर अलग किए गए इस जिले के प्रथम में आठ डे उपलब्ध नहीं है।

32 करौली जिला (Karauli District) हाल ही में सवाईमधोपुर जिले को विभाजित कर बनाये गये इस नये जिले के प्रथम आठ डे उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन¹

राज्य में चयनित महत्वपूर्ण वस्तुओं के वर्ष 1997 एन 1998 के उत्पादन की तुलनात्मक मिति निम्नांकित सारणी में दर्शाई गई है।

चयनित मर्दों का औद्योगिक उत्पादन

क्र.सं.	मर्द	इकाई	उत्पादन		1996 की तुलना में 1997 में परिवर्तन % / करोड़
			1997	1996 (प्राथमिक)	
1	रस्म	टन	26375	58895	+122.54
2	सिमेंट (सभी प्रकार)	000 टन	24525	29278	+13.38
3	वनस्पति घी	टन	24995	24935	0.20
4	नमक	लाख टन	12	11	-8.33
5	यूरिया	000 टन	398	385	3.27
6	सुपर फॉस्फेट	000 टन	25	9	-6.70
7	सोनेट	000 टन	6493	6206	-4.17
8	अम्ल की डी	000 सख्खा	472	202	57.20
9	बस्ते की छडे	000 टन	90	104	+15.56
10	कैडमियम अतिम उत्पाद	टन	149	154	+3.36
11	रैतव वैनर	सख्खा	1754	1703	-2.57
12	हाल विद्युति	लाख सख्खा	228	214	-6.14
13	पानी के मोटर	सख्खा	40776	40883	+19.88
14	रेडिप्टर्स	सख्खा	4186	1839	-55.07
15	तेपित एवं पुन तेपित पत्तर	000 स्क्वायर मीटर	167	165	-1.20
16	बिजली के मोटर	लाख सख्खा	4.80	1.95	59.36
17	गुदगोन घाग	टन	2121	-	--
18	पेलिएस्टर घाग	टन	4473	-	--
19	कॉस्टिक सोडा	टन	38767	39735	+2.50
20	कैल्शियम कार्बाइड	टन	37951	35677	-5.99
21	पी वी सी रेजिन	टन	29318	25458	13.17
22	पी वी सी काउण्ड	टन	3199	5030	57.24
23	सल्फ्युरिक एसिड	000 टन	213	249	16.90
24	वॉपर कैमोइल	टन	26238	26232	-0.02
25	सूती कपडा	लाख मीटर	505	472	6.52
26	सूती घाग	000 टन	77	75	-2.60

Source: Economic Review, 1998-99, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त सारणी से प्रकट होता है कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में चयनित वस्तुओं के उत्पादन में मिश्रित प्रवृत्ति रही।

राजस्थान के वृहद् उद्योग

LARGE SCALE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 11 वृहद् इकाइयाँ और 207 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीयाँ थीं। मार्च, 1998 में वृहद् एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या 531 थी जिनमें 13740 करोड़ रुपये विनियोजित थे और 1.70 लाख व्यक्ति कार्यरत थे। राजस्थान के प्रमुख वृहद् उद्योग निम्न प्रकार हैं -

राजस्थान के वृहद् उद्योग मुख्यतः कृषि एवं खनिज सम्पदा पर आधारित हैं। राज्य के इन उद्योगों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है -

अ. कृषि पर आधारित उद्योग (Agriculture Based Industries)

1. सूती वस्त्र उद्योग
2. चीनी उद्योग
3. वनस्पति घी उद्योग

ब. खनिजों पर आधारित उद्योग (Mineral Based Industries)

1. सीमेंट उद्योग
2. नमक उद्योग
3. कोयला उद्योग
4. सोना उद्योग
5. बेराल्ट उद्योग

घ. अन्य उद्योग (Other Industries)

1. ऊन उद्योग
2. इस्पात उद्योग
3. रसायन उद्योग

(अ) कृषि पर आधारित उद्योग

Agriculture-Based Industries

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industries)

1 इतिहास एवं विकास (History & Development)

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का अति प्राचीन उद्योग है। प्रारम्भ में यह उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था लेकिन राज्य में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना के पश्चात् यह दोनों ही रूपों में विद्यमान है। लघु उद्योग के रूप में यह मुख्यतः दरियों, निवार आदि वस्तुओं के निर्माण तक ही सीमित रह गया है। राजस्थान राज्य के बड़े उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है।

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास 19 वीं शताब्दी के अंत में प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम ब्यावर नगर में सन् 1889 ई में दी कृष्णा मिल्स लि. की स्थापना की गई। इसके पश्चात् ब्यावर नगर में ही सन् 1908 और 1925 में क्रमशः एडवर्ड मिल्स लिमिटेड तथा महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। सन् 1938 में मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा तथा 1942 में महाराज उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली की स्थापना हुई। 1946 में सार्दूल टैक्सटाइल्स लिमिटेड गगानगर की स्थापना की गई। कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स, ब्यावर रुग्ण इकाइयाँ घोषित कर दी गईं। अतः इनकी प्रबन्ध व्यवस्था को राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप दिया गया। इस प्रकार ये मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित हो गईं। इसके पश्चात् राज्य में बौकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा तथा भवानीमण्डी स्थानों पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। वर्ष 1956 में जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया राजस्थान में 11 सूती वस्त्र मिलें थीं।

2 इकाइयों की संख्या एवं इनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें गगानगर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, पाली, जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, कोटा विजयनगर, बौकानेर, उदयपुर, किरानगढ़ तथा भवानीमण्डी आदि स्थानों पर स्थापित की गई है। राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें इस प्रकार हैं

राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें - 1

कृष्णा मिल्स, ब्यावर 2 एडवर्ड मिल्स, ब्यावर 3 महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर 4 कॉटन स्पिनिंग मिल्स, भवानीमण्डी 5 स्वदेशी कॉटन मिल्स, उदयपुर 6 श्री गोयल इण्डस्ट्रीज, कोटा 7 जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग लिमिटेड, जयपुर 8 विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर 9 राजस्थान भीलवाड़ा मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा 10 मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा 11 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा 12 महाराज उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली 13 पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर 14 सार्दूल टैक्सटाइल्स मिल्स, श्रीगगानगर 15 राजस्थान सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा 16 गगानगर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गगानगर 17 गगानगर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गगानगर 18 आदित्य मिल्स, किरानगढ़ 19 बासवाड़ा फैब्रिक्स, बासवाड़ा 20 बासवाड़ा सिन्टैक्स, बासवाड़ा 21 मॉडर्न सिन्टैक्स, अलवर 22 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, खारीग्राम, भीलवाड़ा 23 सुरदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा 24 मॉडर्न थ्रेड्स, रायला भीलवाड़ा 25 डबी टैक्सटाइल्स, जयपुर 26 भीलवाड़ा सिन्टैक्स, भीलवाड़ा 27 राजस्थान पॉलियेस्टर्स लिमिटेड, भिवाडी-अलवर 28 आधुनिक पॉलिटैक्स आबूरोड।

सार्दूल टैक्सटाइल्स लिमिटेड, गगानगर की स्थापना 1946 में की गई। कोटा टैक्सटाइल्स 1956 से श्री निवास कॉटन मिल्स मुम्बई की सहायक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा की स्थापना 1960 में की गई थी। आदित्य मिल्स, किरानगढ़ की स्थापना 1960 में की गई थी। यह मुम्बई में स्थित पोद्दार मिल्स लिमिटेड की इकाई है। जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स भी इसकी सहायक मिल के रूप में कार्य कर रही है। उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर की स्थापना 1961 में की गई। यह स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर की इकाई के रूप में कार्य कर रही है। सन् 1968 में भवानी मण्डी में एक झूती मिल की स्थापना की गई। अतः स्पष्ट है कि राज्य का सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः ब्यावर, पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, किरानगढ़, श्रीगगानगर, विजयनगर, उदयपुर, भवानी मण्डी एवं कोटा में स्थित है।

निम्न तालिका में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के विकास को बताया गया है

वर्ष	राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों का विकास ¹					
	स्पिनिंग मिल्स	कम्पोजिट मिल्स	कुल मिलें	स्थापित इकाई	रोटरी	क्रमशः की संख्या
				स्थापित इकाई	रोटरी	सब इकाईयें में
1962	16	7	23	651	-	2939
1983	26	8	34	824286	-	3024
1994	32	5	38	905368	3080	2232
1995	34	7	41	986116	3944	2262
1996	38	7	45	1084980	8712	2145

Source: Statistical Abstract, 1988-1994 & 1995

उत्पत्ति तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

1 राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यह स्थिति राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के पर्याप्त विकास की द्योतक है।

2 राज्य में कम्पोजिट मिल्स की संख्या में कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण राज्य में पूर्वी का अभाव होना है।

3 राजस्थान में स्पिनिंग मिल्स की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

4 राज्य की मिलों में अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। 1996 के अंत में राज्य की 38 मिलों में 56176 व्यक्ति कार्यरत थे।

5 राजस्थान में समस्त सूती व्यवसाय में लगभग दो तिहाई विनियोग राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रीके के माध्यम से किया गया है।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है। राजस्थान में गगानगर के अतिरिक्त अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, पाली, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा आदि जिलों में कपास उत्पन्न की जाती है। सर्वाधिक फसल गगानगर जिले में होती है। गगानगर जिले में ब्रेड किस्म की लम्बे रेशों वाली कपास भी उत्पन्न की जाती है।

राज्य के गगानगर जिले में सर्वाधिक कपास उत्पन्न होती है। इसके पश्चात् भीलवाड़ा, बैकानेर, बांसवाड़ा, नागौर, पाली व अजमेर जिले प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य की अधिकांश मिलें इन्हीं जिलों में स्थापित की गई हैं। इन जिलों में कपास के बढ़ते हुए उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उद्योग का भावी विकास इन्हीं क्षेत्रों में होगा। 1996-97 में राजस्थान में कपास का उत्पादन 136 लाख गांठे था। राजस्थान कपास उत्पादन की दृष्टि से निरन्तर विकास कर रहा है अतः यह सूती वस्त्र उद्योग का भाविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

राज्य की जनसंख्या में स्वतंत्रता के पश्चात् त्वर गति से वृद्धि हुई है। 1981 में राज्य की कुल जनसंख्या 3.42 करोड़ थी जो बढ़कर 1991 में 4.40 करोड़ हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति रोजगार की तलाश में प्रायः

शहरों में आते हैं अतः राज्य के सूती वस्त्र उद्योग की श्रम सम्बन्धे आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। उद्योग को प्रायः सस्ता श्रम प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors of Localisation) राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है अतः सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। उदाहरण के लिए, श्रीगगानगर में कपास की सर्वाधिक खेती होती है अतः सार्दूल टैक्सटाईल मिल्स, श्रीगगानगर को पर्याप्त मात्रा में कपास स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है। भीलवाड़ा अजमेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि जिलों में भी कपास की पर्याप्त खेती की जाती है। अतः इन क्षेत्रों की मिलों को भी कच्चे माल की आवक आसानी से हो जाती है। माही सिचाई परियोजना के फलस्वरूप बांसवाड़ा जिले में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। अतः इस जिले में भी कपास की खेती को प्रोत्साहन मिला है। बांसवाड़ा फेब्रिक्स को कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय एवं बाहरी दोनों स्रोतों में होती है। इसी प्रकार ब्यावर, विजयनगर व गुलाबपुरा की मिलों को भी स्थानीय स्तर पर ही कपास उपलब्ध हो जाती है।

राज्य की मिलों को सस्ता श्रम भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति प्रायः रोजगार की तलाश में आते हैं। राज्यों में मिलों की स्थापना प्रायः शहरी क्षेत्रों में की गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की पर्याप्त पूर्ति है और बैंकिंग सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये क्षेत्र परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी धनी हैं। अतः निर्मित माल देश एवं विदेश की मण्डियों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। मिलों को कोयला बाहर से मगाना पड़ता है लेकिन राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। राज्य में डीजल की पूर्ति भी पर्याप्त है। अतः राज्य की मिलों की शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। राज्य के मिल क्षेत्र विशाल बाजारों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं अतः मिलों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में हो जाती है।

5 राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की मिलों द्वारा मुख्यतः धागे एवं सूती वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विगत कुछ वर्षों के उत्पादन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान में सूती वस्त्र एवं धागे का उत्पादन

वर्ष	इकाई	वस्त्र उत्पादन (हजार मीटर)	धागे का उत्पादन (मैट्रिक टन)	पॉलियस्टर धागे (हजार मैट्रिक टन)	नायलोन धागे (हजार मैट्रिक टन)
1985		43972	51308	5 46	-
1992		41100	54000	14 59	3 99
1997		50500	77000	4 47	2 12
1998 (अनुमानित)		47200	75000		

Source: S. Statistical Abstract 1998 Rajasthan & Economic Review 1998-99, Raj.

6 **रूई एवं सूती वस्त्रों का आयात निर्यात (Import and Export)** राजस्थान के श्रेष्ठ किस्म की कपास का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है अतः श्रेष्ठ किस्म की कपास अन्य राज्यों से आयात करनी पड़ती है। देशी किस्म की रूई अन्य राज्यों को निर्यात की जाती है।

7 **राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएँ व समाधान (Problems & Solutions)**

(i) **कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material)** राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास मुख्यतः श्रीगंगानगर जिले में बोई जाती है। शेष क्षेत्रों में आज भी प्रायः अच्छी किस्म की कपास बोई जा रही है। देशी किस्म की कपास के रेशे छोटे जबकि विदेशी कपास के धागे प्रायः बड़े होते हैं। इसके साथ ही विदेशी किस्में उच्च स्तर की व मुलायम होती हैं। इस कारण ऐसी कपास से बने वस्त्र अच्छी किस्म के एवं अधिक मूल्य के होते हैं। इस कारण राजस्थान में अच्छी किस्म की कपास के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। राजस्थान के मिचित क्षेत्रों में अच्छी किस्म की कपास बोये जाने की पर्याप्त सम्भावनाएँ भी विद्यमान हैं। अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन बढ़ जाने से इसके लिए विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी।

(ii) **शक्ति के साधनों का अभाव (Lack of Power Resources)** राजस्थान में शक्ति के साधनों का अभाव है अतः राज्य की कुल मिलें तो प्रायः बंद रहती हैं। राज्य की सभी मिलों को विद्युत शक्ति की सुविधा प्राप्त नहीं है। अनेक मिलें स्टीम प्लांट तथा डीजल जनरेटिंग सेट से विद्युत उत्पन्न करती हैं अतः उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के हल के लिये देशी व विदेशी विनियोजकों को राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(iii) **नवीनीकरण का अभाव (Lack of Modernisation)** राज्य की अधिकांश मिलों की पराीनें अत्यन्त पुरानी हैं जिनसे न केवल वस्त्रों का कम उत्पादन होता है वरन् ये बार-बार खराब भी होती रहती हैं। अतः वस्त्र उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में पूँजी

के अभाव के कारण ही वस्त्र उद्योग सम्बन्धी नवीनीकरण कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। नवीनीकरण के इस कार्य के लिए विशेषतः राजस्थान के प्रवासी उद्योगपतियों से सहायता ली जा सकती है।

(iv) **शुष्क जलवायु (Dry Climate)** राजस्थान की जलवायु प्रायः शुष्क है जबकि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आर्द्र या नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग की कृत्रिम साधनों के द्वारा कृत्रिम वातावरण निर्मित करना पड़ता है जिससे वस्त्र उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में शोध अनुसंधान की आवश्यकता है।

(v) **कम उत्पादकता (Low Productivity)** राज्य की सूती वस्त्र मिलों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता अन्य राज्यों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ 100 घण्टों के पीछे 12-15 श्रमिक कार्य करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु केवल 8-9 श्रमिक ही रखने पड़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ 100 कर्षों के लिये लगभग 80-85 श्रमिक रखने पड़ते हैं जबकि अन्य राज्यों में केवल 60-66 श्रमिक ही रखे जाते हैं। राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(vi) **अन्य (Others)** दोषपूर्ण प्रबंध के कारण अनेक सूती वस्त्र मिलें बंद पड़ी रहती हैं। राज्य की कुछ मिलें ही लाभार्थ को घोषणा कर पाती हैं। इसी प्रकार मिलों का छोटा आकार भी समस्या का एक कारण है। छोटे आकार के कारण ये मिलें बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं कर पातीं, अतः सूती वस्त्र की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इन मिलों के समक्ष सदैव पूँजी की समस्या बनी रहती है अतः उपरोक्त सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान में सहकारी मिलें (Co-operative Mills)

1 **राजस्थान सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गुलानपुर**
भीलवाड़ा 1965 में स्थापित यह मिल कपास का उत्पादन

करने वाले सदस्य-कृषकों व अन्य कृषकों से कपास खरीदने तथा कटाई-युनाई व रगाई आदि कार्यों को सम्पन्न करती है। यह मिल धागे की बिन्नी करके कृषकों को उनके द्वारा उत्पन्न कपास के लाभप्रद मूल्य दिलाने का कार्य करती है।

2. गगानगर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, श्रीगगानगर 1978 में स्थापित की गई इस मिल का कार्यालय हनुमानगढ़ जवशन नगर में है। यह मिल गगानगर जिले में उत्पन्न कपास का उपयोग करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इस मिल द्वारा पॉवरलूम व हथकरघों को भी कच्चे माल की पूर्ति की जाती है।

3. गगापुर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड, गगापुर भीलवाड़ा जिले के गगापुर कस्बे में गगापुर सहकारी कटाई मिल लिमिटेड की स्थापना सन् 1981 में की गई है। इस मिल का प्रमुख उद्देश्य समिति के सदस्यों के लाभ के लिए महावक उद्योगों का संचालन करना है।

चीनी उद्योग

SUGAR INDUSTRY

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में सर्वप्रथम सन् 1932 में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भोपालसागर चित्तौड़गढ़ में की गई है। इस मिल में उदयपुर सम्भा में उत्पन्न गन्ने का उपयोग किया जाता है। राज्य में चीनी का दुसरा कारखाना 1937 में श्रीगगानगर में स्थापित किया गया। इस कारखाने का नाम गगानगर शुगर मिल है। इस मिल में सन् 1946 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में बीकानेर के श्री लाल व्यास व श्री पोखरदाम ने गगानगर शुगर मिल्स में 3 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित की लेकिन 8 वर्षों तक इस मिल में उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। 1946 में इसे बीकानेर इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। मिल में उत्पादन कार्य तो प्रारंभ हो गया लेकिन फिर भी इस मिल का संचालन असतोषजनक रहा। अतः 1953 के अंत में राजस्थान सरकार ने इस मिल को तीव्र पर ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना 1968 में प्रारंभ की गई। यह प्रयोग अल्पधिक मफल रहा है और चुकन्दर से चीनी बनाने का कार्य निरन्तर बंद रहा है। राज्य में चुकन्दर की खेती को बढ़ावा देने के निचे जापान जर्मनी तथा युगोस्लाविया आदि राष्ट्रों से चुकन्दर के

उत्पन्न किस्म के बीज आयात किये जाते हैं। राज्य के बूटी जिले के केशोरायपाटन में भी सन् 1932 में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की गई।

2. इकाइयों की संख्या एवं उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में अग्रलिखित चीनी मिलें कार्यरत हैं

(i) दी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपालनसागर (चित्तौड़गढ़)- इस मिल की स्थापना 1932 में की गई थी। यह राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल है। इसमें राज्य क उदयपुर सम्भा में उत्पन्न गन्ने से चीनी बनाई जाती है।

(ii) दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड- यह चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। इसके 97 प्रतिशत अंशों का राज्य सरकार का तथा शेष 3 प्रतिशत पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है। इस मिल में गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। मिल के अधीन एक शराब बनाने का कारखाना भी है जिसके केन्द्र अजमेर, अटारू, प्रतापगढ़ व जोधपुर में हैं। यह कारखाना मिश्र बनाने का कार्य भी करता है। राज्य की अन्य चीनी मिलें इनके द्वारा उत्पन्न शीघ्र शराब कारखानों को बेच देती हैं। मिल के अधीन धोलपुर में एक ग्लास फैक्ट्री भी कार्यरत है जिसमें काच का सामान व बोतलें आदि बनाई जाती हैं।

(iii) श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड (बूटी)- सहकारी क्षेत्र की इस मिल की सहकारी स्थापना 1970 में की गई। यन्त्रा उत्पादक कृषक इसके सदस्य हैं। अतः इस मिल का एक उद्देश्य गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3. "युक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राज्य की अधिकारा चीनी मिलें चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग करती हैं लेकिन गगानगर शुगर मिल में चुकन्दर से भी चीनी बनाई जाती है। राजस्थान यन्त्रा उत्पादन की दृष्टि में देश व अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुल कृषिक्षेत्र में 1 प्रतिशत से भी कम भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन सम्पूर्ण भारत का लगभग 1 प्रतिशत है लेकिन मानसून की अनिश्चितताओं के कारण राज्य के गन्ना उत्पादन में भी उतार-चढ़ाव होता रहता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः कोटा बूटी भरतपुर, गगानगर, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिलों में होता है। अग्रलिखित में वित्तु कुल वर्षों का गन्ना उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान का उत्पादन : लाख टन में			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950-51	4.14	1980-85	13.76
1951-58	4.48	1985-88	10.10
1956-61	4.91	-	-
1961-66	7.54	-	-
1966-67	3.93	-	-
1967-68	3.12	1989-90	7.16
1968-69	5.24	1990-91	12.01
1969-74	12.82	-	-
1974-79	21.49	1996-97 अंतिम	12.00
1979-80	11.60	1997-98	11.59
		1998-99 (सर्वांकित)	9.54

Source Eighth Five year plan 1992-97 Govt of Raj & Economic Review 1997-98 Raj

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

(i) राज्य के गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहे हैं। 1967-68 के पश्चात् गन्ना उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और 1979 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसके पश्चात् गन्ना उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहे हैं।

(ii) गन्ने का उत्पादन मुख्यतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस वर्ष राज्य में वर्षा अच्छी हो जाती है, गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है लेकिन वर्षा के अभाव में गन्ने का उत्पादन भी कम होता है।

(iii) गन्ने का उत्पादन इसके मूल्य से भी प्रभावित होता है। राज्य की मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही गन्ना खरीदती हैं अतः जिस वर्ष राज्य में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है तो कृषकों को बाध्य होकर कम मूल्य पर गन्ना बेचना पड़ता है। 1979 में राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों को बहुत कम मूल्यों पर गन्ना बेचना पड़ा। इस प्रवृत्ति के कारण भी गन्ने की खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(iv) राजस्थान में सिंचाई साधनों का विस्तार करके गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। 1951, 1956 और 1961 की तुलना में विगत कुछ वर्षों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। इसका प्रमुख कारण राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना है। राजस्थान नहर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर गन्ने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की सम्भावना है।

(4) राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) गन्ना चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यह ऐसा पदार्थ है जो निर्माण

प्रक्रिया में अत्यधिक भाग खो देता है। लगभग 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी का उत्पादन होता है। इसका भार अधिक होता है। अतः इसे अधिक दूरी तक लाना-ले जाना अनर्थिक होता है। गन्ने को काटने के पश्चात् चीनी बसाने के लिये इसका प्रयोग भी शीघ्र करना पड़ता है, क्योंकि काटने से एक दिन के पश्चात् ही इसमें उपलब्ध रस की मात्रा में कमी प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि चीनी मिलें मुख्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आस-पास ही स्थापित की जाती हैं। राज्य की चीनी मिलें मुख्यतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई हैं। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर आदि जिलों में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है। चीनी मिलों को ईंधन चूना-पत्थर व सल्फर आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। राज्य के चीनी मिल क्षेत्रों में जनसंख्या भी पर्याप्त है अतः चीनी मिलों को मसत श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। गन्ने की खेती के कार्य में भी अनेक व्यक्ति सलग्न हैं। विगत कुछ वर्षों में राज्य में चुकन्दर की खेती भी होने लगी है। चीनी मिल क्षेत्रों में जल पूर्ति व बैकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं और ये क्षेत्र देश व विदेश के प्रायः सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों से तोड़गामी परिवहन के साधनों के द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः इन मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी को देश एवं विदेश की मण्डियों तक पहुँचाया जा सकता है। स्वयं राजस्थान चीनी का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। अतः चीनी मिलों द्वारा उत्पन्न चीनी का आसानी से विक्रय हो जाता है। राज्य में विद्युत शक्ति की पर्याप्त सुविधा है लेकिन कबला अन्य राज्यों से भगवाना पड़ता है।

4. चीनी उद्योग का उत्पादन (Production) राज्य की चीनी मिलों द्वारा मुख्यतः चीनी एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अत्र तालिका में राज्य की चीनी मिलों के उत्पादन को दर्शाया गया है।

राजस्थान में चीनी का उत्पादन			
(हजार मीट्रिक टन)			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1985	19.6	1990	13.27
1986	-	1997	26.37
		1998	58.69

Source Eighth Five year plan 1992-97 Govt of Raj & Economic Review, 1997-98, Raj

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

(i) 1984 के पश्चात् राजस्थान में चीनी के उत्पादन में कमी हुई। 1987 में चीनी का उत्पादन विगत कुछ वर्षों की तुलना में अधिक रहा लेकिन 1988 में चीनी के उत्पादन में अत्यधिक कमी हो गयी। इसके पश्चात् चीनी के उत्पादन में पुनः तीव्र गति से वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया। वस्तुतः चीनी का

उत्पादन वर्षा का प्रवृत्ति और गन्ने के उत्पादन का मात्रा पर निर्भर करता है। गन्ने के उत्पादन में उतार चढ़ाव के साथ-साथ चाना के उत्पादन में भी कमी अथवा वृद्धि होता रहता है।

(ii) राजस्थान में चाने के उत्पादन के साथ-साथ शराब व मिश्रित का उत्पादन भी किया जाता है। यह कार्य मुख्यतः गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा किया जाता है। इस मिल के द्वारा शराब बनाने के अनेक कारखाने मंचालित किये जाते हैं।

6 गन्ना एवं चीनी का आयात व निर्यात (Import & Export) राज्य चाना मिलों द्वारा मुख्यतः अपने-अपने क्षेत्रों में उन्नत गन्ने का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दूरी में गन्ने का परिवहन करना अनर्थिक होता है राज्य का चाना मिन चानी की समूची आवश्यकता का पूर्ण नहीं कर पाता है अतः राज्य का चाना का मांग का पूर्ति हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों से गंगानगर क्षेत्र काठा व दूध क्षेत्र तथा दासवाड़ा व उदयपुर क्षेत्रों में मिचाई का पर्याप्त सुव्यवस्था होने के कारण गन्ना एवं चुकन्दर का पर्याप्त खेत होने लगा है। भविष्य में राज्य का चाना एवं चुकन्दर उत्पादन में वृद्धि होने का सम्भावना है।

7 राजस्थान में चीनी उद्योग का समस्यायें व समाधान (Problems & Solutions)

(i) गौण पदार्थों का उपयोग (Use of Minor Products) राज्य का चाना मिला में प्रायः शराब का प्रयोग शराब व मिश्रित बनाने तथा खाई का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दस्तुतः खाई का प्रयोग कागज, स्टा वर्ड तथा खाद बनाने में किया जाना चाहिए। इन कार्यों के लिए पृथक् कारखाना का स्थापना की जा सकती है। लेकिन राज्य में पत्रों का अभाव के कारण ही यह कार्य अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है अतः राज्य के चाना उद्योगों के सहायक कारखानों का स्थापना का पर्याप्त सम्भावनायें विद्यमान हैं।

(ii) सरकार नियंत्रण एवं नीति (Govt Control & Policy) स्वतंत्रता के परचम तन् 1947-1949-1954-58 तथा 1961-62 के वर्षों की छठक प्रथम श्रेणी में चाना पर प्रायः पूर्ण अथवा अंशिक नियंत्रण रहा है। चाना पर अन्वेषण नियंत्रण के फलस्वरूप चाना उत्पादन में कुछ समय के लिए सुधार हुआ है। लेकिन इनमें अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाते हैं। वस्तुतः इस समस्या के समाधान हेतु गन्ने निर्यात एवं दावकालन नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार चाना के मूल्य पर नियंत्रण रखती है। जबकि गुड व खाडसारी पर किन्हीं प्रकार के नियंत्रण नहीं होता है। अतः इन दोनो उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है। सरकारी नियंत्रण के कारण चाना के

मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में इस समस्या का समाधान हेतु एक उचित नीति का निर्माण किया जा चाहिए।

(iii) गन्ना उत्पादन एवं मूल्य सम्बन्धी समस्या (Problems of Relation Between Sugarcane Production and Price) जिस वर्ष राज्य में चाना की हा जाता है तो गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है जिससे वर्ष वर्षा कम होता है तो राज्य में गन्ने का अभाव हो जाता है। राज्य में कम गन्ना उन्नत होने पर चाना मिला को गन्ने का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। जबकि गन्ने का अधिक उत्पादन होने पर कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सन् 1977-78 में राज्य में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप कृषकों का कम मूल्य पर गन्ना बचना पड़ा। दस्तुतः सरकार को गन्ने का नियंत्रण मूल्य निर्धारण कर देना चाहिए जिससे न तो कृषकों का और न चाना मिला का हानि उठाना पड़े।

(iv) कम उपभोग (Low Consumption) राज्य में चाना का प्रतिव्यक्ति उपभोग लगभग 5.00 किलोग्राम है। यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए गुड व खाडसारी के स्थान पर चाना के उपभोग का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

8 भवी सम्भावनाएँ (Future Prospects) राज्य का चाना मिला मिलों द्वारा क्षमता का पूरा प्रयोग करने के पश्चात् भी राज्य के समूची गन्ने के उत्पादन का दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त चाना मिला की स्थापना का जा सकती है। इससे न केवल चाना के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि हजारा व्यक्तियों का रोजगार भी प्रदान किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में चुकन्दर का खेत का क्षेत्रों में प्रयोग किए जा चुके हैं। यहाँ का भूमि एवं जलवायु चुकन्दर का खेत के लिए लाभा उपयुक्त है। अतः चुकन्दर के उत्पादन में होने वाला भावा वृद्धि का मध्यनजर रकते हुए राज्य में नई मिला का स्थापना का प्रयत्न सम्भावनायें विद्यमान हैं। राज्य सरकार को चुकन्दर का खेत के लिए विशिष्ट कार्यक्रम अभियान चालाने चाहिए।

वनस्पति घी उद्योग

VEGETABLE GHEE INDUSTRY

1 इतिहास एवं विकास (History & Location) भारत में वनस्पति घी का उत्पादन सन् 1950 में ही प्रारम्भ हो गया था। लेकिन राजस्थान में उद्योग का प्रारम्भ तमिस्र क्षेत्र में ही हुआ है। सर्वप्रथम भतगण्डा में एक वनस्पति घी का कारखाना खोला जा। इसके पश्चात् तमिस्र

उदयपुर कोटा भरतपुर, गगानगर, अलवर आदि नगरों में इस उद्योग का विकास हुआ।

2 इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में वनस्पति धी के नौ कारखाने कार्यरत हैं जो राज्य के भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गगानगर आदि स्थानों पर स्थित हैं।

3 प्रमुख औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में तिलहन व कपास की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। तिलहन को अंतरगत सरसों, तिल, मूंगफली आदि प्रमुख है। कपास से प्राप्त बिनौले में भी वनस्पति धी बनाया जाता है। तिल राज्य के अजमेर-भिलवाड़ा बूंदी चित्तौड़गढ़ जालोर झालावाड़, कोटा पाली आदि जिला में पर्याप्त मात्रा में बोया जाता है। मूंगफली व बिनौला राज्य के जयपुर, गगानगर भीलवाड़ा, टोंक चित्तौड़गढ़, पाली अजमेर कोटा बूंदी आदि क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं। विगत कुछ वर्षों में सम्मों का उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अग्रतालिका में तिलहन उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन (लाख टन में)			
वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1950	51.34	1979	80.25
1951	56.20	1980	85.79
1955	61.22	1985	86.91
1956	66.25	1986	87.88
1966	67.20	1987	88.12
1967	68.32	1988	89.19
1968	69.52	1989	90.19
1969	74.37	1990	91.23
1974	79.44	1996-97	24.35
		1997-98	26.32
		1998-99 (अनुमानित)	58.35

Source: Eighth Five year plan 1992-97 Govt of Raj & Economic Review 1998-99 Raj

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में तिलहन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। 1987-88 के परचात तिलहन उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

4 राजस्थान में वनस्पति धी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation)

राजस्थान का वनस्पति धी उद्योग मुख्यतः भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और गगानगर में केंद्रित है। इन जिलों में तिलहन का पर्याप्त उत्पादन होता है। अतः वनस्पति धी

उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। राज्य में प्रायः विद्युत् की पूर्ति बनी रहती है। लेकिन वनस्पति धी कारखानों में जेनरेटर सैट्स की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के विभिन्न कारखानों को सस्ता धन उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी राज्य के अनेक जिलों की अपेक्षा अधिक है। यह सभी धेर परिवहन की दृष्टि से उन्नत है और राज्य व देश की प्रायः सभी मण्डलों एवं व्यावसायिक केंद्रों से जुड़े हुए है। अतः माल का आवागमन भी आसानी से हो जाता है। इन क्षेत्रों में बीमा व बैंकिंग व्यवसाय भी उन्नत है अतः वनस्पति धी उत्पन्न करने वाले औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी भी आसानी से प्राप्त हो जाती है।

5 राजस्थान में वनस्पति धी का उत्पादन (Production) राजस्थान में वनस्पति धी की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः राज्य में इसका उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के वनस्पति धी उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में वनस्पति धी उत्पादन (हजार टन में)							
वर्ष	1971	1973	1985	1989	1990	1994	1997 (अनुमानित)
उत्पादन	19.8	20.7	61.7	62.0	50.3	39.61	24.99

Source: Statistical Abstract of Rajasthan 1998-99 Economic Review 1998-99 Raj

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 1985 में वनस्पति धी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, लेकिन उसके पश्चात् धी के उत्पादन में क्रमशः कमी होती चली गई। वनस्पति धी के उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण राज्य में वर्षा की अनिश्चितता से मूंगफली व बिनौले के उत्पादन में कमी होना रहा है।

6 वनस्पति धी का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान में वनस्पति धी की मांग की तुलना में इसका उत्पादन कम होता है, अतः वनस्पति धी देश के अन्य राज्यों से तथा विदेशों से आयात किया जाता है। राज्य में वनस्पति धी मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तथा उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से मंगवाया जाता है।

7 राजस्थान में वनस्पति धी उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions)

1 कच्चे माल का अभाव (Lack of Raw Material) राज्य के वनस्पति धी कारखानों को मूंगफली व बिनौले तेल का देश के अन्य राज्यों से आयात करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में धी उत्पादन लागत में वृद्धि से जाती है और वे देश के अन्य राज्यों के वनस्पति धी उत्पादक कारखानों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इस

समस्या के समाधान हेतु राज्य में मूंगफली व कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ii) रासायनिक पदार्थों का अभाव (Lack of Chemicals) बेलगामधन हेतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रदान किया जाता है। भारत में रासायनिक उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है अतः राजस्थान में भी रासायनिक पदार्थों की कमी दनी रहती है। इसमें वनस्पति घी उत्पादन पर विपणन प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान रासायनिक उद्योग के विकास में ही है।

(iii) कुराल श्रमिकों का अभाव (Lack of Efficient Labour) राजस्थान में कुराल श्रमिकों का अभाव है जिससे घा उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती रहती है। राज्य के घी उत्पादक कारखाने प्रायः देश के अन्य राज्यों से कुराल श्रमिक लाते हैं। उन्हें अधिक बतन देना पड़ता है अतः वनस्पति घी लागत में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उच्च मनुष्यगत सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) घी की किस्म (Quality of Ghee) वनस्पति घी उत्पादकों का मन्वज द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही घी का विक्रय करना पड़ता है। इससे घी उत्पादकों के लाभ में कमी आ जाती है अतः व घा की किस्म गिरा देता है। इस समस्या का समाधान हेतु वनस्पति घी के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। घी के किस्म की गूँच की पदाङ्ग व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) सहायक उद्योगों का अभाव (Lack of Sub-Industries) राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के सहायक उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है अतः वनस्पति घी उत्पादकों का कुलनात्मक रूप में हानि उठानी पड़ती है। वनस्पति घी के निर्माण के साथ-साथ यंत्र साधन आदि का उत्पादन भी किया जाए ता लाभ में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य में घी के निर्माण के साथ-साथ उभर मन्वस्थित सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए।

(vi) पूँजी का अभाव (Lack of Capital) राजस्थान में पूँजी का अभाव है अतः घा उद्योग का मनुष्यगत विकास नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पदाङ्ग धन उधार केंद्रों का प्रदान किया जाए तथा इस उद्योग में पूँजी विनिवेशन हेतु विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की व्यवस्था की जाना चाहिए।

8. भावी सम्भावनाएँ (Future Prospects) राजस्थान में घी की माग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः इसके भावी

विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। राजस्थान नहर के पूर्ण हो जाने पर राज्य में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। वर्तमान मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। कच्चे माल के अतिरिक्त राज्य में शक्ति के साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं अतः इस उद्योग का भविष्य उज्वल है।

ब खनिजों पर आधारित उद्योग Industries based on Minerals

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

1. इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में चूने का पत्थर व लिग्नाइट पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं अतः राज्य में सीमेंट उद्योग की पर्याप्त सम्भावना विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में सीमेंट बनाने का कारखाना सन् 1915 में बूंदी के निकट लाखेरी में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में सीमेंट उद्योग व विकास पर विशेष जोर दिया गया। अतः राज्य में अनेक सीमेंट उत्पादक इकाइयों की स्थापना हुई। 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। सन् 1967-1970 तथा 1974 में क्रमशः चिन्नीडाड उदयपुर तथा निम्बाहेडा में सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई। 1981 में मोडक (काटा) में एक सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य में मिनी सीमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं।

2. इकाइयों की संख्या एवं उनकी स्थिति (Units & Location) सीमेंट कारखानों में प्रयुक्त माल अत्यधिक भारयुक्त होता है अतः सीमेंट कारखानों की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति स्थलों के निकट करने का प्रयत्न किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट कारखाने लाखेरी सवाईमाधोपुर निम्बाहेडा मोडक बूंदी तथा काटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। इन क्षेत्रों का आसपास चूना पत्थर व लिग्नाइट के पर्याप्त भण्डार विद्यमान हैं। जैसलमेर जिले में तुलन राम की दानी खोया खिनसर क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड लाइनस्टोन का दोहन किया जा रहा है और 261 33 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइनस्टोन संरक्षित पाये गए हैं। अन्वयन व आधार पर जैसलमेर जिले का खोया खिनसर क्षेत्र में 3 वड सीमेंट संयंत्र स्थापित विद्ये जायेगा। राजस्थान में मुख्यतः निम्नलिखित सीमेंट कारखाने कार्यरत हैं।

(अ) ए सी सी लिमिटेड, लाखेरी (बूंदी) - यह ए सी सी ग्रुप का कारखाना है जो 1915 में स्थापित किया गया

है।

(ii) सवाईमाधोपुर सीमेंट कारखाना यह कारखाना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। यह मानू जैन समूह का है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। यह कारखाना विशून छाप सीमेंट का निर्माण करता है।

(iii) विडला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना विडला समूह का है।

(iv) चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ यह कारखाना राजू ग्रुप सीमेंट उत्पादन करता है।

(v) भगतमू सीमेंट भोड़क (कोटा) यह कारखाना विडला समूह द्वारा स्थापित किया गया।

(vi) श्री सीमेंट ब्यावर यह कारखाना बागड प्रतिष्ठान का है।

(vii) जे के सीमेंट निम्बहेडा यह कारखाना जे के समूह का है। इसका उत्पादन कार्य 1982 में प्रारम्भ हुआ।

(viii) स्या प्राइवटम बनारस (सिरोही जिला)

(ix) श्रीराम सीमेंट श्रीरामनगर कोटा

(x) डी एल एफ विनानी आदि और भी बड़े सीमेंट कार्य स्थापित हुए हैं।

(xi) मिनी सीमेंट प्लांट राज्य के सिरोही भीमकपासा (सीकर) तथा बागड (अलवर) में मिनी सीमेंट प्लांट भी स्थापित किए गए हैं।

3 औद्योगिक प्रयुक्त कच्चा माल (Industrial Raw Material) सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम व चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है जिप्सम व चूने पत्थर का 1350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1650 डिग्री सेल्सियस की क्षमता वाली भट्टियों में टांकर सीमेंट बनाई जाती है। अतः सीमेंट बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु के आवश्यकता होती है। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और राज्य में उच्च किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। जालंधरी सीमेंट कारखानों में शैल मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इस क्षेत्र में पाया जाने वाला चूना पत्थर शैल मिट्टी की जगह काम में लाना जाता है। जिप्सम राजस्थान के बाँसवाड़ क्षेत्र में गणपत नगर जैसलमेर जालंधरी नगर व पाली क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर राज्य के

अजमेर बामवाड़ा वृद्धी चित्तौड़गढ़ चूना पत्थर जयपुर जैसलमेर बुधनूर, जोधपुर बाटा नगौर पाली सवाईमाधोपुर मोकर सिरोही व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना चूना पत्थर क्षेत्रों के आस पास ही की गई है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त है। यहाँ श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है तथा चूने के पत्थर की परत भी मोटी है। यहाँ गम्बल की जल विद्युत शक्ति भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

राज्य में जिप्सम व चूना पत्थर का पर्याप्त विद्यमान होता है। राज्य में सीमेंट कारखानों में जिप्सम व चूना पत्थर की आवश्यकताएँ स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सीमेंट कारखानों को कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला मुख्यतः बिहार की कोयला खानों से मंगवाया जाता है। राज्य के सीमेंट कारखानों में चूना पत्थर प्रायः स्थलों के नजदीक ही स्थापित किए गए हैं और जिप्सम की प्राप्ति राज्य के विभिन्न जिलों से हो जाती है।

विरलपण में ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है जो चित्तौड़ में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण रहा है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखानों में चूना-उत्पादक जिलों में ही स्थापित किए गए हैं। जिप्सम भी राज्य के विभिन्न जिलों से आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। सर्वाधिक जिप्सम गणपत नगर जिले से प्राप्त की जाती है। चूना पत्थर का उत्पादन तथा जिप्सम व अन्य आवश्यक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में राजस्थान में सीमेंट उद्योग का तीव्र विकास होगा।

4 राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राजस्थान में चूने का पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चूने का पत्थर अत्यधिक भारयुक्त होता है अतः सीमेंट कारखानों की स्थापना प्रायः उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ पर चूना पत्थर निकाला जाता है। राज्य में चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग व स्थानीयकरण का प्रमुख कारण श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है। राज्य के अन्य सीमेंट कारखानों की स्थापना भी चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्रों में ही की गयी है। राज्य का प्रायः सभी जिले परिवहन व संचारों का दृष्टि में देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं मण्डल में जुड़ चुके हैं अतः सीमेंट का आसानी से आगमन हो सकता है। चित्तौड़गढ़ व बाँसवाड़ में जुड़ जाने व कारण परिवहन सुविधा में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसमें सीमेंट का आसानी से आगमन हो पाया है। राज्य के सीमेंट कारखानों का कार्य करने के लिए अन्य राज्य पर निर्भर

रहना पड़ता है। कोयले का आयात मुख्यतः बिहार से किया जाता है। कारखानों को विद्युत-शक्ति भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान में विद्युत की पूर्ति में होने वाले उच्चावचनों से बचने के लिए सीमेंट कारखानों ने अपने विद्युत उत्पादन सैंटर्स भी लगा रखे हैं। राजस्थान में पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। राज्य के प्रायः सभी जिले बीमा व बैंकिंग संस्थानों की दृष्टि से भी विकसित हैं। राजस्थान में नागौर जिले में उच्च कोटि का चूना-पत्थर उपलब्ध होने के कारण सफेद सीमेंट का कारखाना इसी क्षेत्र में केंद्रित हो गया है।

5 राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन (Production)

सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रमुख स्थान है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों के सीमेंट उत्पादन को दर्शाया गया है

राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन					
(इकाई मीट्रिक टन में)					
वर्ष	1985	1990	1995	1997	1998
उत्पादन	3939 70	426340	6469 00	6489 00	8206 00

Source: Statistical Abstract, 1988, Pp. Budget Study, 1992
1993, Economic Review 1995-96, 1997-98 & 1998-99
Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य में सीमेंट के उत्पादन में 1984 से 1988 के मध्य उतार चढ़ाव आता रहा है। 1985-88 के मध्य सीमेंट का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, किन्तु 1990 के पश्चात् इसके उत्पादन में तीव्र गति आई है। 1998 में सीमेंट के उत्पादन में 1990 की अपेक्षा लगभग 20 लाख टन की वृद्धि हुई। राजस्थान में मिनी सीमेंट प्लांट की कई इकाइयाँ आरम्भ की गई हैं। इनके कारण घने के पत्थर के छोटे भण्डारों का भी उपयोग सम्भव हो सकगा। 1 अप्रैल, 1989 से सरकार द्वारा सभी निवृत्त हटा लिए गए हैं। 1994 की नई औद्योगिक नीति से भी इस उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी।

6 सीमेंट का आयात-निर्यात (Import & Export)

राजस्थान से सीमेंट पर्याप्त मात्रा में देश के अन्य राज्यों में भेजी जाती है। राज्य में कुछ मात्रा में सीमेंट अन्य राज्यों से भी मंगाया जाता है। मार्च 1995 में 26 लाख क्विंटल नॉर्मेट देश के अन्य राज्यों में भेजी गई तथा 1.47 लाख क्विंटल सीमेंट देश के अन्य राज्यों से आयात की गई।

7 राजस्थान में सीमेंट उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions)

(1) पूँजी का अभाव (Lack of Capital) सीमेंट कारखाने

की स्थापना के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में अन्य उद्योगों की तुलना में लाभ भी कम होता है। अतः उद्योगपति सीमेंट उद्योग में पूँजी विनियोजित नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान में पूँजी का अभाव है अतः नए कारखानों की स्थापना करना कठिन होता है। अतः राज्य में सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग में पर्याप्त पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए। राज्य में पूँजी के अभाव को देखते हुए मिनी सीमेंट प्लांट लगाना भी उपयुक्त रहेगा। इन कारखानों में अपेक्षाकृत कम पूँजी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल के छोटे छोटे स्रोतों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अतः मिनी सीमेंट प्लांट्स की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) शक्ति का अभाव (Lack of Power) राजस्थान में

कोयले का अभाव है, यहाँ कोयला मुख्यतः पश्चिम बंगाल बिहार व उड़ीसा आदि राज्यों से मंगाया जाता है। अतः कोयले पर अत्यधिक परिवहन व्यय आता है जिसके कारण सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। परिवहन लागत में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होती रही है। इसके अतिरिक्त, समय पर गैलवे वेगन नहीं मिलने के कारण भी राज्य में कोयले का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीमेंट निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। कभी-कभी कोयले के अभाव में सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो जाती है। इस समस्या के समाधान परिवहन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करके ही किया जा सकता है।

(iii) दोषपूर्ण नीति (Defective Policy) सीमेंट के

मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति बार-बार बदलती रहती है। अतः सीमेंट उद्योग में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। राज्य में प्रायः सीमेंट का अभाव बना रहता है। अतः उपभोक्ताओं को उच्च मूल्यों पर खरीदनी पड़ती है। इस समस्या का समाधान एक निश्चित एवं उचित नीति के निर्माण में निहित है।

(iv) कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Trained Labour)

राज्य में अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं लेकिन कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। अतः कुशल श्रमिकों के लिए भी अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे भी सीमेंट की लागत में वृद्धि हो जाती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का अभाव दूर करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(v) कम उत्पादन क्षमता (Low Production Capacity)

राजस्थान में अनेक सीमेंट कारखाने पुराने हैं। उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है अतः सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान

हनु पुराने सीमेंट कारखाने का नवीनीकरण बिना जाना चाहिए एवं उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

8 भावी सम्भावनाएँ (Future Prospects) राजस्थान में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसकी मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यहाँ पर गुने का पत्थर जिसका तथा जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में तीन और मिनी सीमेंट प्लांट लगाये जाने के प्रस्ताव आये हैं। इनमें से दो प्रस्ताव इण्डियन वैमिन्स इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली के हैं और एक अन्य मैसर्स जयन्तीलाल तातानन्द शाह का है। इण्डियन वैमिन्स ने अपने प्लाण्ट क्रमशः भिवाड़ी और आठराड में लगाने का प्रस्ताव किया है। इन दोनों की क्षमता नौ नौ हजार टन वार्षिक रहने की योजना है। मैसर्स शाह अपना प्लाण्ट किवाली में लगाना चाहते हैं जिसकी वार्षिक क्षमता 50 हजार टन रहने का कार्यक्रम है। मैसर्स कंसल्ट सीमेंट का उदयपुर जिले का एक प्रस्ताव भी है जिसकी क्षमता 20 हजार टन वार्षिक रहने की योजना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा उन्नत विकास निगम के नाम 5 मिनी सीमेंट प्लाण्ट के लिए आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। यह प्लाण्ट क्रमशः जयपुर पाली जोधपुर सीकर तथा मिराठी जिलों में लगाये जायेंगे। राजस्थान में छठा सीमेंट कारखाना भवलम् सीमेंट लिमिटेड के नाम से कंटा से 70 किलोमीटर दूर मोड़क में स्थापित हो चुका है और इसमें 1 मार्च 1981 से उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। इसका निर्माण कार्य रिवाड समग्र अर्थात् 24 महीनों में पूरा हुआ और इस पर 24 करोड़ रुपये लागत आई है। निम्न कुछ वर्षों में अनेक नई सीमेंट इकाईयों की स्थापना हुई है और विद्यमान उत्पादन क्षमता का भी विस्तार हुआ है।

नमक उद्योग

Salt Industry

1 इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में प्राचीन सेनास भारतपुर तथा लूणी और लूणकरण आदि स्थानों पर देशी तरीके से नमक उत्पन्न किया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा साभर पापद्रा तथा डीडवाना में आधुनिक तरीके से नमक उत्पादन शुरू 1887 में आरम्भ हुआ। नमक उद्योग राज्य के बड़े उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख स्थान है। यह देश का नमक उत्पादन का लगभग 10% नमक उत्पन्न किया जाता है। भारत में यह उद्योग एक प्रकार की घाटी के समान है। यहाँ अर्धवृत्त के आकार के जलवायु क्षेत्रों में एकर उत्पन्न किया जाता है।

पानी को भाप बनकर उड़ जाता है और पपड़ी के रूप में गढ़ा नमक रह जाता है जिसे नमक कारखानों में शुद्ध कर दिया जाता है। शुद्ध नमक का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है जबकि अधुन नमक का उपयोग पशुओं व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

2 इकाईयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में चार पानी की पीठें हैं जिनमें नमक बनाया जाता है। राज्य के नमक कारखानों सार्वजनिक व निजी दोनों ही में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने डीडवाना पापद्रा व साभर में हैं। कुतागन व फलोदी सुजानगढ़ पोकरण आदि में छोटे आकार के कारखाने निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। राज्य के कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र से व शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।

3 औद्योगिक वच्चा माल (Industrial Raw Material) राजस्थान में नमक प्राप्ति के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं।

(i) साभर झील (Sambhar Lake) यह राज्य का सबसे बड़ा नमक स्रोत है। यहाँ राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत नमक उत्पन्न किया जाता है। यह नगर आधुनिक मशीनों से सहायता में निराला जाता है। यह उद्योग के नमक का उत्पादन किया जाता है। साभर झील जयपुर जोधपुर रेनार्मा पर जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस झील में 65 मिलियन टन नमक होने का अनुमान है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य साभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में 1964 में की गई। इस प्रतिष्ठान के नियंत्रण में 4200 हेक्टर भूमि है।

(ii) पापद्रा झील (Pachpadra Lake) जयपुर से लगभग 128 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस झील का विस्तार लगभग 83 वर्ग कि.मी. है। यह क्षेत्रगत सामग्री पीसाही आदि स्थानों पर नमक का उत्पादन है। यहाँ का नमक समुद्री नमक के समान होता है। यह उत्पादन करने के लोग नमक बनाने का कार्य करते हैं।

(iii) डीडवाना झील (Didwana Lake) यह नगर साभर जिले में लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 10 वर्ग कि.मी. है। यहाँ नमक बनाए गए हैं। यह नमक उत्पादन का कार्य निम्न

सस्याओं द्वारा किया जाता है जिन्हें देवल के नाम से जाना जाता है। नमक उत्पादन का कार्य पुराने तरीकों में किया जाता है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन की दृष्टि में इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां नमक उत्पादन को लागत अन्य क्षेत्रों से कम आती है।

(iv) पोकरण झील (Pokaran Lake) - यह उत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है जो कि देश के प्राय सभी भागों में भेजा जाता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 6000 टन नमक तैयार किया जाता है।

(v) फलौदी झील (Phalodi Lake) इसी झील में प्रतिवर्ष में लगभग एक लाख टन नमक का उत्पादन होता है।

(vi) कुचामन झील (Kuchaman Lake) यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12000 टन नमक का उत्पादन होता है।

(vii) सुजानगढ़ झील (Sujanagarh Lake) इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 24000 टन नमक प्राप्त होता है।

4 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के नमक कारखाने (Public Sector Salt Industries)

(i) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री) इस कारखाने की स्थापना 1966 में की गई। यह सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग चमड़े व रंगई उद्योग में किया जाता है।

(ii) राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) इस कारखाने की स्थापना सन् 1964 में की गई। यहाँ कूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री द्वारा किया जाता है।

(iii) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, डीडवाना - इस कारखाने की स्थापना सन् 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में की गई। यह मुख्यतः चार प्रकार का नमक बनाया जाता है (1) खाद्य नमक (2) अखाद्य नमक (3) औद्योगिक नमक (4) आयोडिन-युक्त नमक

(iv) राजस्थान सरकार साल्ट्स वर्क्स, पचपदरा - इस कारखाने की स्थापना 1960 में की गई। इस कारखाने में भी खाद्य-अखाद्य औद्योगिक तथा आयोडिन युक्त नमक तैयार किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में नमक का उत्पादन साभर झील, पचपदरा व डीडवाना में किया जाता है। निम्न क्षेत्र में फलौदी, पोकरण, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ इसके प्रमुख स्थान हैं। कुचामन, फलौदी और सुजानगढ़ में कुओं

से भी नमक प्राप्त किया जाता है।

(5) नमक उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation): राज्य की खारे पानी की झीलों राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में केन्द्रित हैं। अतः नमक उद्योग का विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में नमक उद्योग के अन्तर्गत कार्य करने वाले विशेष प्रकार के श्रमिक भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इन खारे पानी की झीलों में वर्षा का जल एकत्रित होता है, वह प्रतिवर्ष नमक के नए भण्डार अपने साथ बहाकर लाता है। अतः ये क्षेत्र नमक के अक्षय भण्डार कहे जा सकते हैं। फलस्वरूप नमक उद्योग का भावी विकास इन्हीं केन्द्रों में केन्द्रित रहेगा।

6 राजस्थान में नमक का उत्पादन (Production)
निम्न तालिका में राजस्थान के नमक उत्पादन को बताया गया है।

राजस्थान में नमक उत्पादन					
(लाख टन)					
वर्ष	1985	1990	1995	1997	1998 (अंश)
उत्पादन	10.92	10.55	14.93	12.00	11.00
1 Statistical Abstract 1988 Ref. Budget Study 1992 53 Economic Review 1995 36 & 1998 99 Rajasthan					

राजस्थान का सर्वाधिक नमक साभर झील से प्राप्त होता है। साभर का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

7. नमक का आयात-निर्यात (Import & Export)
मार्च, 1995 में 3.9 लाख क्विंटल नमक अन्य राज्यों को भेजा गया तथा देश के अन्य राज्यों से 0.14 लाख क्विंटल नमक आयात किया गया।

8 नमक उद्योग की समस्याएँ व सुझाव (Problems & Suggestions)

(i) वर्षा (Rain) नमक उद्योग के लिए कम व अधिक वर्षा, दोनों ही हानिकारक हैं। राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति रहती है। इस कारण नमक का उत्पादन भी मूखे की इस स्थिति से प्रभावित होता रहा है।

(ii) परिवहन (Transport) राजस्थान नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर उत्पादित नमक को विभिन्न राज्यों में भेजना होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में परिवहन सुविधाओं के अभाव से नमक को नियमित रूप से भेजे जाने में असुविधा अनुभव की जाती है। समस्या के समाधान के लिए नमक उत्पादन केन्द्रों को रेल व सड़क मार्गों से जोड़ना चाहिये तथा पर्याप्त मात्रा में वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिये।

1 Statistical Abstract, 1988, Ref. Budget Study 1992 93, Economic Review, 1997 58 Rajasthan.
* 2 Statistical Abstract, Rajasthan, 1995

(iii) निश्चित नीति का अभाव (Lack of Firm Policy) राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग के विकास के लिए कोई भी भू-संरचना निर्धारित नहीं की है। इस कारण नमक के स्रोतों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस उद्योग में लगे कर्मचारियों में भी निरन्तर अमतोष की स्थिति बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि इस उद्योग के विकास के लिए कोई निश्चित कार्ययोजना निर्धारित करें।

(iv) लीज की प्रवृत्ति (Lease Tendency) नमक उत्पादन करने वाले मार्बलिनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को लीज पर उपलब्ध कराया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा समय पर लीज का भुगतान नहीं करने से उद्योग के समक्ष वित्तीय संकट उपस्थित हो जाता है और उसे उत्पादन बंद करना होता है या उसे स्थगित करना पड़ता है। अतः लीज पर दिये जाने की प्रवृत्ति की ममीक्षा कर इसमें विद्यमान दोषों को दूर किया जाना चाहिये।

काँच उद्योग

Glass Industry

1. इतिहास एवं विकास (History & Development) राजस्थान में छोटे पैमाने पर काँच का सामान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर आदि स्थानों पर समय-समय में किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर काच का सामान धौलपुर के कारखानों में बनाया जाता है। राज्य में काँच बनाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कच्चे पदार्थों का बाह्य है। अतः राज्य में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

2. इकाइयों की संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) काँच का सामान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, पाली व बीकानेर आदि स्थानों पर बनाया जाता है। राज्य में काँच उद्योग की दो इकाइयाँ कार्यरत हैं।

(i) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह कारखाना निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसमें 90 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित की गई है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काच के सामान का उत्पादन किया जाता है। इसमें 800 से अधिक श्रमिकों की रोजगार प्राप्त है। यहाँ मुख्यतः काँच की बोतलें बनाई जाती हैं।

(ii) टी हाईटेक्नीकल प्रीमिज ग्लास वर्क्स, धौलपुर यह कारखाना 50 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से मार्बलिनिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपये है। कारखाने में काच के सामान का उत्पादन मार्च 1964 में किया जा रहा है। यहाँ

मुख्यतः बोतलें, बीकर्स, बॉयलर्स, कवर ग्लाम व फ्लाम्क आदि का निर्माण किया जाता है। 1965-66 के औद्योगिक संघर्ष के कारण कारखाने को 1967 में बन्द करना पड़ा, लेकिन 1968 में इसे पुनः चालू कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ 750 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

3 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) काँच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ एवं शक्ति के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। बालू मिट्टी अत्यधिक भारी होती है। अतः काँच के कारखाने मुख्यतः बालू मिट्टी के प्राणस्थलों के नजदीक ही स्थापित किए जाते हैं। काच का सामान बनाने के लिए श्रेष्ठ किस्म की बालू की आवश्यकता होती है। राजस्थान बालू मिट्टी उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक धनी है। राज्य के जयपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर आदि जिलों में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पायी जाती है। काच का सामान बनाने के लिए बालू मिट्टी को 1600 सेटीमेट्रिड से 1650 सेटीमेट्रिड ताप पर पिघलना पड़ता है। अतः पर्याप्त विद्युत-शक्ति अथवा कोयले की आवश्यकता होती है। राज्य में कोयले का आयात मुख्यतः बिहार से किया जाता है। काच बनाने में सोडा मिट्टी, सोडा सल्फेट और शोरे की आवश्यकता होती है। ये वस्तुएँ मुख्यतः राज्य के रेगिस्तानी जिलों से प्राप्त हो जाती हैं। राज्य में चूने का पत्थर चित्तौड़गढ़, लाखेरी तथा सवाईमाधोपुर में बहुतायत से पाया जाता है।

4 राजस्थान में काच उद्योग के स्थानीयकरण के कारण स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य का काच उद्योग मुख्यतः धौलपुर में केन्द्रित है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में श्रेष्ठ किस्म की बालू मिट्टी पाया जाना है। यह शहर परिवहन की दृष्टि से भी उन्नत है और राज्य का प्रायः सभी प्रमुख केन्द्रों से जुड़ा हुआ है। धौलपुर के कारखानों का कुशल श्रमिक भी आगरा से प्राप्त हो जाते हैं। आगरा शहर की विभिन्न जातियाँ प्राचीनकाल से ही काँच का सामान बना रही हैं। व जग इस कार्य में प्रवीण हैं। काँच का सामान बनाने में काम आने वाली वस्तुएँ भी राज्य के विभिन्न भागों से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। कोयला मुख्यतः बिहार की खानों में मंगाया जाता है।

5 राजस्थान में काँच उद्योग का उत्पादन (Production) धौलपुर ग्लास वर्क्स में प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन काँच का सामान तैयार किया जाता है। टी हाईटेक्नीकल प्रीमिज ग्लास वर्क्स धौलपुर न 1988-89 में 65 लाख बोतलें का उत्पादन किया।

6 कच्चे के सामान का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान से कच्चे का सामान देश के विभिन्न राज्यों को भेजा जाता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चे का सामान देश के विभिन्न राज्यों से आयात किया जाता है। सन् 1987 में 613 क्विंटल कच्चे का सामान देश के विभिन्न राज्यों में भेजा गया तथा देश के विभिन्न राज्यों में 524 क्विंटल कच्चे का सामान आयात किया गया।

7. राजस्थान में कच्चे उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राजस्थान में कच्चे का सामान बनाने सम्बन्धी विभिन्न वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है फिर भी राज्य में इस उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। राज्य में पूँजी का अभाव इसका प्रमुख कारण है। अतः राज्य सरकार को इस उद्योग में पूँजी विनियोजित करनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को पूँजी विनियोजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस उद्योग में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। राज्य में कुशल श्रमिकों का निराना अभाव है अतः कुशल श्रमिकों को उपलब्ध हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य के दोनों कच्चे उत्पादक कारखानों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है और इनकी प्लांट तथा मशीनरी भी अत्यधिक पुरानी है। अतः इन कारखानों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा इनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

सगमरमर उद्योग (Marble Industry)

1 परिचय (Introduction) मकराना में उपलब्ध सगमरमर अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में इटली के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ का सगमरमर देश के हर हिस्से में जाने के साथ विदेशों को भी निर्यात किया जाता रहा है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोफो खंडों पहलड़ियों में सगमरमर के अथाह भण्डार मौजूद हैं। नवीं शताब्दी में निर्मित सोमानाथ के प्रसिद्ध मंदिर के अलावा अपनी वामसुकता से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले विश्व प्रसिद्ध आराधन का ताजमहल व कलकत्ता का प्रसिद्ध विकटोरिया मेमोरियल में लगा मार्बल इसी मकराना क्षेत्र ही से है। मकराना क्षेत्र में गुनावटी, धौली, डूंगरी, काली डूंगरी व कुमारी पहलड़ियों में प्रमुख मिलने वाले सगमरमर की लगभग सैकड़ों छानों में पाया जाने वाला यह सगमरमर तीन तरफ का होता है। इसमें 45 प्रतिशत सफेद, इतना ही गुलाबी व शेष 10 प्रतिशत सगमरमर काला होता है। मकराना कन्वे में लघु व मध्यम श्रेणियों के उद्योग स्थापित हैं। इनमें पच्चीस हजार श्रमिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत

है। इस उद्योग में 2 अरब 13 करोड़ से अधिक की पूँजी विनियोजित है तथा इस उद्योग में सरकार की विक्री कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क व रॉयल्टी के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आय होती है। मकराना में सगमरमर की चिराई, पॉलिशिंग का काम बहुतायत से होता है जिससे ऐतिहासिक स्मारकों व भूतियों के निर्माण में सगमरमर का काम काफी बढ़ा है। सगमरमर के निर्यात सबस्टेन की काफी संभावनाएँ मौजूद हैं और सरकार की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को विकास के लिए बनाई गई नीतियों से मकराना के इस खनिज उद्योग को बल मिलेगा। वहाँ के मार्बल उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए एक मार्बल मण्डी की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रारूप बनकर तैयार है।

2 प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) - सगमरमर बॉक्स इस उद्योग का कच्चा माल है। बॉक्स की प्राप्ति मुख्यतः मकराना, भेंसलाना व राजनगर में होती है। इस उद्योग में पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर उद्योग को मस्ते श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अन्न तालिका में सगमरमर बॉक्स के उत्पादन को दर्शाया गया है।

सगमरमर बॉक्स का उत्पादन		
वर्ष	उत्पादन (हज़ार टन)	वैयत (रुपये)
1985	712.80	1130391.70
1990	949.00	557494.00
1993-94	1875.40	1923327.68
1994-95	2324.24	2407899.39
1995-96	2840.08	3099884.00

1. Statistical Abstract, 1988, Ray Budget Study, 1992-93.

3 सगमरमर उद्योग के स्थानीयकरण के कारण / स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) मकराना की खानों से सगमरमर प्राचीनकाल से प्राप्त किया जाता रहा है अतः इन खानों से सगमरमर सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन भेंसलाना व राजनगर में सगमरमर की खानों की खोज के परवाह कच्चे माल की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। यह उद्योग मुख्यतः मकराना व किरानागढ़ में केंद्रित है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मकराना से इस उद्योग के किरानागढ़ की ओर आने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। विगत कुछ वर्षों में भी किरानागढ़ में अनेक डायमण्ड कटर-मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण सगमरमर की एक बड़ी मण्डी के रूप में विकसित होता जा रहा है।

4 सगमरमर का उत्पादन (Production) सगमरमर ब्लाक्स को चीरने व विचोर्ष करने के पश्चात् अनेक प्रकार की इमारती वस्तुओं (सामान) का निर्माण किया जाता है। सगमरमर से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। सगमरमर उद्योग द्वारा सगमरमर ब्लाकम का उपयोग कच्चे उपयोग में लाय जाने योग्य जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनमें निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सगमरमर स्लैब्स प्रमुख हैं।

5 सगमरमर का आयात निर्यात (Import & Export) सगमरमर से बनी वस्तुओं का देश एवं विदेश के अनेक भागों को निर्यात भी किया जाता है।

6 सगमरमर उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राज्य में पूँजी का अभाव उद्योग के विकास में बाधक रहा है। पूँजी के अभाव के कारण उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस उद्योग में शोध एवं अनुसंधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इस उद्योग द्वारा मुख्यतः मोटर परिवहन का उपयोग किया जाता है। समय पर माटर गाड़ियाँ की प्राप्ति न होने के कारण माल के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। टक यूनिट्स एवं मालिकों के मध्य भाड़े को लेकर प्रायः विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षित श्रमिकों का भी अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। उद्योग के पर्याप्त विकास हेतु विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जाना चाहिये। परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये तथा सरकारी स्तर पर शोध एवं अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रेनाइट उद्योग

Granite Industry

राजस्थान के बाह्य तिलों में 1120 मिलियन घन मीटर ग्रेनाइट का भण्डार पाये गये हैं। इनके रंग आकार तथा गुण भिन्न भिन्न हैं। कुछ रंग व डिजाइन तो इतने आकर्षक हैं कि मन को मोहित कर देते हैं। जैसे माकलमर (वाडमर) रायल ग्रे (अजमेर) पैपर पिंक हरमोरा (अलवर) लहरिया पिंक जेसरा ग्रे (भीरवाडा) ग्रीना पिंक-एरा ग्रे तथा गज्ज पिंक (जालौर) मरीना कनामिक-शेलावटी पिंक व इपीरियन रैड (भाखर झुझुन) गाल्ड येलो एवं सनफ्लावर (पानो) मिल्कर एवं प्यटिनम वाइट (पिरोहा) लवो म-टो रेड व मालपुरा ग्रे (टाक) आदि प्रमुख हैं।

राजस्थान में ग्रेनाइट का विशाल भण्डार है लेकिन अभी तक मात्र 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक (कुन

प्रनाइट भण्डार का) ही खनन हेतु उपयोग हो रहा है। यह राजस्थान के लिए एक विकासशील उद्योग है। आशा है कि अगले 10 वर्षों में राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर का सर्वोत्तम बाजार तैयार हो जायेगा और ग्रेनाइट टाइलों के अलावा ग्रेनाइट से निर्मित अन्य सामान का भी निर्माण होने लगेगा।

राजस्थान में हाल ही में ग्रेनाइट खनन के पट्टों के आवंटन की नयी नीति तैयार की गयी है। इसके तहत पट्टे उन्हीं को दिये जाने का प्रावधान है जो खनन के साथ साथ चीरने एवं पॉलिशिंग करने के उद्योग भी स्थापित करेंगे। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ने निर्धारित नीति क तहत ही खनन पट्टों का आवंटन किया है और आशा की जाती है कि इस उद्योग में 350 करोड़ रुपये से भी अधिक पूँजी का विनियोजन होगा। इसमें निर्यातनुमुखी व्यवसाय को अधिक प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रेनाइट के खनन एवं पॉलिशिंग का काम करने की एकीकृत परियोजनाओं की स्थापना का काम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रोको) के माध्यम से किया जायेगा।

ग्रेनाइट प्रसस्करण (प्रोसेसिंग) उद्योग

राजस्थान में लगभग 215 करोड़ रुपये की लागत में दस ग्रेनाइट प्रसस्करण (प्रोसेसिंग) परियोजनाएँ लगाने के समझौते बड़े उद्योगपतियों से किये गये हैं। यद्यपि अभी तक ग्रेनाइट उद्योगों के जरिये 45 करोड़ रुपये के पूँजी विनियोजन का काम हुआ है। इसमें नौ ब्लाक वाटने की नौ गोला आरी की तथा 3000 टाइल बनाने के कारखाने हैं।

राजस्थान में वर्तमान में ग्रेनाइट टाइल व ब्लाक वाटने आदि के लगभग 1000 उद्योग कार्यरत हैं। ये उद्योग शाहपुरा (जयपुर) सोकर भदनगज (किशनगड) एवं च्यावर (अजमेर) उदयपुर झुझुनू जालौर चितौड भीलवाडा चोरवड एवं मकराना (नागौर) जयपुर आदि स्थानों पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजस्थान के राजमार्ग पर हैं तथा ये ग्रेनाइट के मुख्य बाजारों तथा देश के बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान वित्त निगम रोको तथा वाणिज्यिक बैंक इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं जिस पर ये नियमानुसार ब्याज लते हैं। इन उद्योगों का विद्युत पानी एवं कैल्सियम तल की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

राजस्थान में पहली म्वदशा ग्रेनाइट गैंगसा मशीन का 125 दिन तक मफल परीक्षण किया गया है। इससे देश को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस भारतीय ग्रेनाइट गंगसा मशीन का निर्माण सौ प्रतिशत भारतीय पूँजी और माल

मे किया गया है। इस गैस का इकाई लगाने वाले उद्यमियों का काम और पैसा कभी भी आयातित पुर्जों के इंतजार में बेकार नहीं होगा क्योंकि इस गैस का स्पेयर पार्ट्स और कम्पनेट्स भारतीय बाजार में ही उपलब्ध है। प्रेनाइट के झासी ब्लॉक या इलाहन ब्लॉक पर परीक्षण करने पर औसत मशीनों का प्रयोग केवल 3.8 किलोग्राम स्टील शाट्स और केवल 1.8 किलोग्राम ब्लड का प्रयोग होगा। साथ ही इन गैस का कार्यक्षमता आयातित विदेशी मशीनों के समकक्ष 10 हजार में 12 हजार वर्गफीट प्रतिमाह होगा। इस मशीनों की लागत लगभग 37 लाख रुपये आती है। आशय है कि भविष्य में इसका निर्यात किया जा सकता।

विश्व में प्रेनाइट पत्थरों की खपत 75 हजार करोड़ रुपये मालाना है जिसमें भारतीय निर्यात 1990-91 में 150 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1991-92 में 175 करोड़ रुपये हुआ। यह निर्यात प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपये का होना चाहिये।

राजस्थान में प्रेनाइट उद्योग का निरन्तर विकास तो हो रहा है लेकिन इस उद्योग से जुड़े हुए खनन कम्पाने दात उद्योगों एवं उद्यमियों की अनेकविध समस्याएँ एवं परेशानियाँ हैं।

राजस्थान में किमी केन्द्र स्थान पर प्रेनाइट उद्योग में सम्बन्धित मजदूरों एवं मशीनों ऑपरेटोर्से तथा पत्थर की कटाई करने व मशीनों ऑपरेटोर्से पालिशिंग करने वाली मशीनों के ऑपरेटोर्से की ट्रेनिंग को व्यवस्था समकार द्वारा की जानी चाहिये। एक प्रयोगशाला स्थापित की जाये जिसमें प्रेनाइट पत्थर की गुणगता का जांच की जा सके। इन उद्योगों को पानी विडली और कैंग्रामिन गन वॉ समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। कम ब्याज दर पर राजस्थान वित्त निगम तथा गको द्वारा रूप उपलब्ध कराया जाना चाहिये। प्रेनाइट में विविध प्रकार के आइटम (माथान) ज्ञान हनु एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। वक्तान समग स यदि सरकार द्वारा ये सुविधाएँ दिलवाई जायगा तो हम नान इंडोनेशिया समुक्त अन्य अमीरात तथा गजानन सम तथा में प्रतिस्पर्धा कर सकते है और इसस टरा व जनरल जनपाल स हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा व हमस टरा व अपरिच विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

(स) अन्य उद्योग

OTHER INDUSTRY

ऊन उद्योग

Wool Industry

1. इतिहास एवं विकास (History & Develop-

ment) . राजस्थान में ऊन का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत है। राज्य में लगभग 1 करोड़ भेड़ें हैं लेकिन फिर भी राजस्थान में ऊन उद्योग अधिक विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ का ऊन मोटा एवं अधिक खुरदुरा होता है। राजस्थान में ऊन की प्रमुख मण्डियाँ बीकानेर, पाली, केकड़ी, ओसियाँ और व्यावर में हैं। राज्य सरकार ने सन् 1963 में पृथक रूप से भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत 14 जिलों में भेड़ विकास कार्य चल रहा है। ये जिले हैं बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली उदपुर, बाडमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालौर, कोटा व जोधपुर। जोधपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। जोधपुर (जिला सीकर) में भी एक भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहा है। मानपुरा के निरुद्ध अविकसित भेड़ प्रजनन केन्द्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है। विदेशों से उन्नत किस के भेड़ें भी यहाँ मगाये गये हैं। अन ब्रॉम-ब्रीडिंग से देशों नरल को भेड़ों में सुधार हुआ है।

2. इकाइयों को संख्या व उनकी स्थिति (Units & Location) राजस्थान में ऊन उद्योग के अनेक संस्थान वार्यत है। गज्य को प्रमुख इकाइय निम्नलिखित है

- (i) स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर . यह मिल बीकानेर शहर में मोजारी क्षेत्र में स्थापित की गई है। इस मिल में ऊनी धागा तैयार किया जाता है।
- (ii) जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर इस मिल की स्थापना जोधपुर शहर में की गई। यहाँ ऊनी धागा, वालीन व वस्त्रन बनाए जाते हैं।
- (iii) वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, चुरू यह मिल राजस्थान रेशु उद्योग निगम द्वारा चुरू में स्थापित की गई है।
- (iv) वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, लाडनू यह मिल राजस्थान रेशु उद्योग निगम द्वारा लाडनू में स्थापित की गयी है।
- (v) नागपाल कॉम्बिंग मिल्स, कोटा
- (vi) राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर
- (vii) बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर
- (viii) फ्रेण्ड्स वूलन मिल्स, बीकानेर
- (ix) भारत वूलन मिल्स, बीकानेर
- (x) फारिन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट मिल्स, कोटा

राजस्थान में ऊनी कपड़ा बनाने के छ बारखाने कार्यरत है जिनमें से 3 काखने भीलवाड़ा में है जो कम्यल लेन के धागे का उत्पादन करते है। इन बारखानों में शॉन, प्लेजमं ट्वोइम अटि ऊनी कपडों के लिए धागा तैयार किया जाता है। राजस्थान में उत्पादित कुल ऊनी धागे में

भीलवाड़ा की मिलों का भाग लगभग 50 प्रतिशत है। राज्य में ऊनी कपड़े के विधायन का एक भी कारखाना नहीं है अतः ऊनी कपड़े को विधायन हेतु लुधियाना व अमृतसर ले जाया जाता है। भीलवाड़ा में एक विधायन घर की स्थापना की गई है जिसकी विधायन क्षमता 6 लाख कम्बल प्रतिवर्ष है। जोधपुर में केन्द्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना की गई है अतः ऊन उद्योग का व्यवस्थित विकास हो सकेगा।

3. प्रयुक्त औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) ऊन इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है जो भेड़ों से प्राप्त की जाती है राजस्थान में भेड़-पालन व्यवसाय अत्यधिक विकसित है। राज्य के कृषक खेती कार्य के साथ-साथ भेड़ें पालने का व्यवसाय भी करते हैं। राज्य की भेड़ों से मुख्यतः मोटे व खुरदरे ऊन की प्राप्ति होती है लेकिन श्रेष्ठ किस्म की ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राजस्थान में भेड़े मुख्यतः अवमेर, बाडमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, विठौरगढ़, गणानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर व पाली जिलों में पाली जाती है। इन जिलों से राज्य के ऊन उद्योग को ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन का उपयोग करने हेतु बीकानेर, जोधपुर, नवलगढ़, कोटा, चूरू, लाडनू, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर कारखानों की स्थापना की गयी है।

4 राजस्थान में ऊन उद्योग के स्थानीयकरण के कारण/स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors of Localisation) राज्य में ऊन उद्योग का केन्द्रीयकरण मुख्यतः ऊन उत्पादक क्षेत्रों में ही हुआ है। बीकानेर, भीलवाड़ा व जोधपुर आदि स्थानों पर ऊन उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। कच्चे माल के अतिरिक्त इन स्थानों पर सस्ते श्रमिक, बीमा व बैंकिंग सुविधाएँ, परिवहन की सुविधाएँ एवं शक्ति के साधनों की सुविधाएँ होना है। इन क्षेत्रों में वस्त्र व्यवसाय पहले से ही उन्नत है। अतः ऊन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनें व उपकरण तथा प्रशिक्षित श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भीलवाड़ा में अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊनी वस्त्र व्यवसाय का तेजी से स्थानीयकरण हुआ है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विशेषतः वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विकसित होना है। शक्ति, जल, परिवहन तथा बीमा व बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उद्योग को इस स्थान पर आन्तरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की बचत प्राप्त हो जाती है। भीलवाड़ा में ऊन उद्योग के विकास हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा यहाँ पर विधानय घरों की स्थापना की जानी चाहिये। दूतन कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करना चाहिये ताकि ऊन उद्योग का तेजी से

विकास हो सके।

5. ऊन उद्योग का उत्पादन (Production) खादी उद्योग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऊनी वस्त्रों का उत्पादन 1984-85 में 28 37 लाख स्क्वायर मीटर था। जिसका कुल मूल्य 17 78 करोड़ रुपये था। खादी उद्योग के ऊनी उत्पाद 1993-94 में 22 73 लाख वर्ग मीटर और इनका मूल्य 21 97 करोड़ रुपये ही रहा। इससे इस प्रवृत्ति का आभास मिलता है कि विगत वर्षों में ऊनी उत्पादों की कीमतों में कमी आयी है।

6 ऊन का आयात-निर्यात (Import & Export) राजस्थान में वस्त्रों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। अतः कुछ ऊनी वस्त्र देश के अन्य राज्यों को भेजा गया तथा अधिक ऊनी उत्पाद देश के अन्य राज्यों से मगवाया गया।

7. राजस्थान में ऊन उद्योग की समस्याएँ एवं समाधान (Problems & Solutions) राजस्थान में अच्छी नस्ल की भेड़ों का अभाव है, इस कारण ऊन उद्योग को मोटी एवं खुरदरी ऊन प्राप्त होती है, जिसका विक्रय मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। सरकार को चाहिए कि विदेशी सरकारों की मदद से भेड़ को नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति प्रदान करे ताकि अच्छी किस्म की मुलायम व लम्बे रेशे वाली ऊन प्राप्त हो सके। इस हेतु भेड़पालकों को भी विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भेड़ों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, विशेष रूप से अकाल के समय में, विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। ऊन उद्योग में ऊन के विधायन की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इंजीनियरिंग उद्योग Engineering Industry

1. परिचय (Introduction) राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना हुई और इसके पश्चात् बॉलबियरिंग बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। अतः योजनाकाल में राज्य के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी अनेक कारखानों की स्थापना की गई।

प्रमुख इकाइयाँ - इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ अमलिखित हैं

(i) कैप्टन मोटर कम्पनी, जयपुर व पाली : यह कम्पनी

पानी के मोटर बनाती है।

(ii) जयपुर मेटल्स, जयपुर यह कम्पनी बिजली के मोटर बनाती है।

(iii) इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा - यह यंत्रों एवं यंत्रों का उत्पादन करती है।

(iv) मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जयपुर यह लोहे का सामान तथा इमारती खिडकियाँ आदि वस्तुएँ बनाने का कार्य करती है।

(v) सिमकों वैगन फैक्ट्री, भरतपुर इस कारखाने में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं।

(vi) नेशनल इजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर - यह कम्पनी बियरिंग बनाती है और बियरिंग बनाने की दृष्टि से यह एशिया की सबसे बड़ी कम्पनी है।

(vii) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जयपुर इस कम्पनी में टेलीविजन बनाये जाते हैं।

(viii) फ्लोर्सपार सयंत्र, झुगरपुर इस कारखाने में स्पार्क, एल्यूमीनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार का निर्माण किया जाता है।

उपर्युक्त कारखानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य से आन्ड्रगेड, सिरोहे, विताडगढ व सोजत आदि में कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य का इजीनियरिंग उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहा है। कारखानों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

उत्पादन-अद्यत्तकाल में कुछ प्रमुख इजीनियरिंग उत्पादों का उत्पादन दर्शाया गया है।

आदि वस्तुओं के कारखाने स्थापित किए गए हैं। सोडियम सल्फेट का कारखाना राज्य सरकार द्वारा डीडवाना में स्थापित किया गया है। सोडियम सल्फेट का प्रयोग सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ों तथा कॉब बनाने में किया जाता है। डीडवाना व साभर की झीलों से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। पहले सोडियम सल्फेट निवाला जाता है और शेष बचे हुए जल से शुद्ध नमक बनाया जाता है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा की स्थापना निजां क्षेत्र में की गई। इसमें रासायनिक खाद बनाई जाती है। उदयपुर के निकट देवापी जिक स्मेल्टर तथा खेतडी कॉपर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। हाल ही में कोटा में चन्दल फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है।

क्र. सं. मद	1987	1990	1997	1998
रासायनिक पदार्थ				
1 क्लोरिक बेस	2575	39418	3278	39735
2 कैल्शियम कार्बाइड	23445	30819	3781	35577
3 सोडाशी काउड	6429	3494	3189	5000
4 एच डी टैंग	17575	29923	23078	25459
5 क्लोरिड एसिड	12819	158120	208000	249000
6 फ्लोरिड एसिड				
कुल	29196	377980	398000	385000
स्रोत: राज. बजट	86054	76380	25000	6000

[सूत्र संशोधित]

1 Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997 98
 2 Economic Review 1998 99 Rajasthan

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

Public Sector Undertakings of Rajasthan

राजस्थान में कार्यरत उपक्रमों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है

- (अ) राजस्थान में केन्द्र सरकार के उपक्रम
 - (ब) राजस्थान सरकार के उपक्रम
 - (स) सहायक उपक्रम
- (अ) राजस्थान में केन्द्र सरकार के उपक्रम (Undertakings of Central Govt. in Rajasthan)

(अ) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) सोसा व जस्ता सारनिक महत्त्व की धातुएँ हैं। इस तथा को दृष्टिगत रखते हुए 10 जनवरी, 1966 को भारत सरकार ने मैटर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया का अधिग्रहण

क्र. सं. मद	इकाई	1990	1997	1998
1 बिजली के मोटर (एचपी में)	193828	48301	19510	
2 बॉल बियरिंग (संख्या)	30115	40776	44863	
3 पंप-बियरिंग (संख्या)	15713	22800	214	
4 टेलीविजन सेट्स (संख्या)	654	एनए	-	
5 रेलवे वैगन (संख्या)	1954	1754	1709	

Source: Statistical Abstract, 1988 Raj Budget Study 1997 98, Economic Review 1998-99 Raj

रासायनिक उद्योग (Chemical Industry) योजनाकाल में रासायनिक उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है। राज्य में सोडियम सल्फेट, रासायनिक खाद, क्लोरिड एसिड, सोडाशी काउड, क्लोरिड एसिड, सोडाशी काउड, क्लोरिड एसिड

रू लिया और इस मर्यादा के स्थान पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई वर्तमान में यह कम्पनी जार सीरा आदि खानों से जस्ता निचालकर देवारी स्थित परिशोधन संस्थान में इसका परिशोधन कर रही है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग एक हजार टन शुद्ध जस्ता तैयार किया जाता है। इसका प्रधान कार्यालय उदयपुर में है। देवारी का शासन सयत्र पाठ भाग फलूओलोतिड रेक्टर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लीनिंग और ज्यूरीफिकेशन प्लांट इलेक्ट्रोलाइसिस और मैलिंग प्लांट तथा सुपर पास्फेट प्लांट में स्थित है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों की इकाइयों को भी संचालित करता है। इसके अन्तर्गत पाठ इकाइयाँ हैं (1) जार की खानें (गज) (2) जस्ता सयत्र देवारी (गज) (3) बिहार का गीको सयत्र (4) गणपुर देवारी खाने (5) शोहन सयत्र विशाखापट्टनम् (अन्धप्रदेश)। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक नवीन एकीकृत परियोजना के अन्तर्गत इन परिशोधन सयत्रों की स्थापना की है। (1) रामपुर-आगुवा खाने परिसर यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी दैनिक क्षमता 3 हजार टन है। (2) जनेरिया गीसा व जस्ता परिशोधन सयत्र यह तिरौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसकी दैनिक क्षमता 70 हजार टन जस्ता व 35 हजार टन सीरा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 670 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के पल्लवरूप हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की गणना विश्व की गीसा व जस्ता परिशोधन करने वाली बड़ी कम्पनियों में हो गई है।

(iii) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) इसकी स्थापना 1967 में सुजुनु जिले की छेतडी नामक स्थान पर हुई। इसकी स्थापना रायक गजप अमेरिका की वेस्टर्न मैंग इजीनियरिंग कम्पनी की सहायता से की गई। यह उपक्रम राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी परियोजनाओं का सञ्चालन करता है। छेतडी के दो ताप भण्डारों माधवराधन और कोलीदान में ताप का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड कलकत्ता के अधीन निर्माणाधीन परियोजनाएँ हैं

a गजस्थान की खोजनाएँ

छेतडी कॉपर शाखान्त खण्डनीनगर (जिला सुजुनु)

दरीस नाम परियोजना अजमेर

तामारी ताम परियोजना सुजुनु

छेतडी नाम परियोजना हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को सबसे बड़ी इकाई है।

b बिहार में भारुडा नामक स्थान पर हिन्दुस्तान ताप सयत्र

c अन्धप्रदेश में अग्निगुण्डाना नाम गीसा परियोजना

d मध्यप्रदेश में मताजखण्ड नाम गीसा परियोजना

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मुख्यतः गार वार क्लिस्टर कापर बाग रोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सेलेनियम स्वर्ण व तादी रिगल सुपर पास्फेट तथा निचल पास्फेट आदि वस्तुओं का निर्माण करती है। यह उपक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर (Hindustan Machine Tools, Ajmer) इस कारखाने की स्थापना 1967 में नेवोरलोकागिया के सहयोग से की गई। इस कारखाने में विभिन्न प्रकार की प्रशीजवा हाइण्डिंग मशीनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में नए हाइण्डिंग मशीनों के आरिर्तन भी अनेक प्रकार के यंत्र व मशीनें बनाई जाती हैं। इन मशीनों का उपयोग मुख्यतः इजीनियरिंग व आटोमोबाइल उद्योगों में किया जाता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की समस्त भारत में छ इकाइयाँ हैं और यदि घड़ी व डेयरी मशीनें को सम्मिलित कर लिया जाये तो इसकी समस्त भारत में 13 इकाइयाँ हैं।

(iv) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा (Instrumentation Ltd Kota) इस उपक्रम की स्थापना मार्च 1964 में राज्य के कोटा नगर में की गई। राज्य में इस उपक्रम की स्थापना के साथ ही उद्योग तकनीक माने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास प्रारम्भ हो गया। इस कारखाने में शक्ति उत्पन्न करने वाले व रासायनिक सयत्रों के लिए यंत्रों का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः मैकेटिक और इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रुमेंटेशन रिजिडिंग एण्ड बन्डोल इन्स्ट्रुमेंटेशन इन्फ्रारेड और ऑटोमेटिक इन्स्ट्रुमेंटेशन ट्रांसमीटर तथा फर्मल पावर व वैरियल प्लांटों में काम करने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इस कम्पनी ने बड़ी बड़ी इस्पात परियोजनाओं का प्रक्रिया नियंत्रण इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रणालियाँ उपलब्ध कराई हैं। राजस्थान इन्फ्रारेड एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड जगपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है। इस सहायक कम्पनी की स्थापना 1982-83 में की गई। इसकी एच ईआई नेरल राज्य में भी कार्यरत है।

(v) सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर (Sambhar Salts Ltd Sambhar) 1964 में हिन्दुस्तान साल्ट्स की सहायक सञ्घा के रूप में सांभर साल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसमें 40 प्रतिशत अंश राजस्थान सरकार के हैं। यह सञ्घान विभिन्न प्रकार के नमक का उत्पादन करण

है। इस उपक्रम के नियंत्रण में 4200 हेक्टेयर भूमि है।

(vi) **मॉडर्न बेकरीज इण्डिया लिमिटेड, जयपुर (Modern Bakeries India Ltd, Jaipur)** इसकी स्थापना मॉडर्न फूड्स इण्डिया लिमिटेड के अधीन जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई है। इस संस्था द्वारा भारत में अनेक इकाइयों का संचालन किया जाता है।

(व) राजस्थान सरकार के उपक्रम Undertakings of Rajasthan Govt

राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख उपक्रम निम्नलिखित हैं

(i) **दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगगानगर** इस संस्थान के अन्तर्गत राजस्थान में ये इकाइया कार्य कर रही है -

- दी गगानगर शुगर मिल्स इस मिल में बुकन्दर व गन्ने में चीनी का उत्पादन किया जाता है।

श्रीगगानगर व अट्ठरू में स्थापित कारखानों में मट्टि व मिश्र का उत्पादन होता है। अट्ठरू का कारखाना लम्बे समय में बंद है।

- कोटा व उदयपुर क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों में गगानगर शुगर मिल्स द्वारा शराब की दुकानों का संचालन किया जाता है।

- **हाईटैक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर** इस कारखाने में मुख्यतः बोटलों का व के सामान रेलवे जार तथा प्रयोगशालाओं में काम आने वाले उपकरणों का उत्पादन किया जाता है।

(ii) **राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना** इस संस्थान के अन्तर्गत ये कारखाने कार्यरत हैं

- **सोडियम सल्फेट वर्क्स** इस कारखाने में क्रूड सोडियम सल्फेट से सल्फेट सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है।

- **सोडियम सल्फेट संयंत्र** इस कारखाने द्वारा शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है।

- **सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री** इस कारखाने में सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फाइड का मुख्यतः उपयोग राई उद्योग व चमड़ा उद्योग में होता है।

(iii) **राजकीय लवणस्रोत** - राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित लवणस्रोत हैं

- **राजकीय लवणस्रोत डीडवाना** प्रारम्भ में यह लवणस्रोत केन्द्र सरकार के अधीन था लेकिन 1965 में इसे राजकीय उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया है। यहाँ मुख्यतः अखाद्य नमक और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। सोडियम सल्फेट भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, जावदीनगर** यहाँ खाद्य नमक बनाया जाता है।

- **राजकीय लवणस्रोत, पचपदरा** यहाँ खाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है।

(iv) **राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड** इस उपक्रम का प्रधान कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा यह टोक में स्थित कारखाने का संचालन करता है। कारखाने में मुख्यतः चमड़ा पीप व खालें आदि का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं के निर्माण में मुख्य रूप से भेड़ की खाल का उपयोग किया जाता है। इस कारखाने द्वारा उत्पादित अधिकांश माल निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ के चमड़े का उपयोग मुख्यतः बैग, दस्ताने व चमड़े के वस्त्र बनाने में किया जाता है। राज्य में पशुओं की पर्याप्तता के कारण कारखाने को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है।

(v) **स्टेट वूलन मिल्स, वीकानेर** इस मिल की स्थापना मुख्यतः ऊनी धागा बनाने के लिए की गई। यह इकाई घाटे में चल रही है अतः इसे रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित कर दिया गया है।

(vi) **वस्टेंट स्पिनिंग मिल्स, चूरू व लाडनू** राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चूरू व लाडनू में दा स्पिनिंग मिल्स की स्थापना की गई। इन मिलों में मुख्यतः ऊन की कताई की जाती है।

(vii) **फ्लोसंपार इस्पात वेनीफीसिएशन संयंत्र, डूंगरपुर** यह कारखाना माण्डों की पाल डूंगरपुर में स्थापित किया गया। इस कारखाने में स्टील व पाउडरों में काम आने वाला ऐंसिड किन्स का फ्लोसंपार इस्पात तैयार किया जाता है।

(viii) **राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड** इस निगम की स्थापना 1979 में कम्पाने अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य राजस्थान में खनिज सम्पदा का विवेकान एवं विनियम करना है।

(ix) राजस्थान राज्य टगस्टन विकास निगम लिमिटेड इस निगम की स्थापना 1983 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की सहायक कम्पनी के रूप में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य डेगाना को टगस्टन खानों को आधुनिकतम तकनीक से विकसित करना है। यह टगस्टन एव इसके साथ पाये जाने वाले सभी खनिज पदार्थों के नये भण्डारों को खोज करने का कार्य करता है।

(x) राजस्थान राज्य खान एव खनिज निगम लिमिटेड इस निगम की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। निगम का प्रमुख कार्य उदयपुर जिले के डामर, कोटडा क्षेत्र से रॉक फास्फेट का विदोहन, परिशोधन एव विपणन करना है। यह निगम चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर व पाली जिलों में जिप्सम एव सैलेनाइट के विदोहन एव विपणन का कार्य भी करता है। उच्च ग्रेणी के प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति निगम द्वारा विदोहित सैलेनाइट से होती है।

(स) सहकारा उपक्रम Co-Operative Undertakings

राज्य के सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित मस्थान कार्यरत है

- केशोरावागटन शुगर मिल्स, केशोरावागटन (बूदी)
- राजस्थान सहकारी स्मिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाडा)
- पशु आहार कारखाना, जयपुर
- चावल मिलें - बारा उदयपुर बूदी, बामवाडा कोटा हनुमानगढ़
- शीत भण्डार-जयपुर अलवर
- कीटनाशक जयपुर

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक ढांचे का वर्णन कीजिए।
Explain the industrial structure of Rajasthan
- 2 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Examine the progress made by industries of Rajasthan during the plan period
- 3 राज्य के औद्योगिक विकास की क्या सम्भावनाएँ हैं?
What are the potentials of industrial development in Rajasthan?
- 4 पञ्चवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों की जाँच कीजिए।
Examine the main trends of industrial development of Rajasthan during plan period
- 5 राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए।
What are the main problems of industrialisation in Rajasthan?
- 6 राजस्थान सरकार के तीन औद्योगिक उपक्रमों के नाम बताईए।
Name the three industrial undertakings of Rajasthan Government
- 7 राजस्थान में कृषि पर आधारित कौन कौन से प्रमुख उद्योगधन्धे स्थापित किए जा सकते हैं?
What are the important agro based industries which can be set up in Rajasthan?
- 8 राजस्थान में स्थित चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के नाम बताईए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Name four Central Public Sector undertakings located in Rajasthan and describe their functions

(B) निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय भिन्नता विषय पर संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए।
Write a brief and capital essay on Regional variation in industrial development of Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्रमुख विभागों का विवेचन कीजिए।
Discuss the main features of industrial sector in Rajasthan
- 3 राजस्थान में कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Agriculture based and mineral based industries
- 4 आजादी के बाद राजस्थान में हुए औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राजस्थान में औद्योगिक विकास में कौनसा पूर्ण बाधाएँ हैं।

Critically evaluate the industrial development of Rajasthan since independence. List out main obstacles in industrial development in Rajasthan.

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न
(University Examinations Questions)

1. राजस्थान के औद्योगिक विकास में अंतर (Regional Variation) विनमता विषय पर संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a brief and critical essay on Regional Variation in Industrial Development of Rajasthan
2. राजस्थान के औद्योगिक विकास में अंतर अन्वयन का विस्तारपूर्वक समझाइए।
Explain in detail the regional imbalance in industrial development of Rajasthan
3. राज्य में औद्योगिक विकास के स्तर व राजस्थान अन्तर्गत में उद्योगों के हिस्से का विश्लेषण विवेचना कीजिए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation
4. राज्य में औद्योगिक विकास के स्तर व राजस्थान अन्तर्गत में उद्योगों के हिस्से को विस्तार से विवेचना कीजिए।
Discuss in detail the level of industrial development in the state and share of industries in employment generation
5. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में सम्बन्धित प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से बताइए।
Discuss the main features of Industrial sector in Rajasthan
6. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों का विस्तार पूर्वक अन्वयन कीजिए।
(i) आकार (ii) वस्तुमान ढांचा
(iii) प्रादेशिक प्रसार (iv) उद्योगों का राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान
(v) उद्योगों का राज्य के राजस्व में अंशदान
Describe under the following headings the main features of industrial sector in Rajasthan
(i) Size (ii) Commodity structure
(iii) Regional spread (iv) Share of industries in total S D P
(v) Share of industries in total employment



राजस्थान में लघु व ग्रामीण उद्योग तथा हस्तकलाएं

SMALL SCALE & VILLAGE INDUSTRIES AND HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

"कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अशकालिक व्यवसाय के रूप में पूर्णतः या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- लघु व कुटीर उद्योग का अर्थ
- लघु व कुटीर उद्योग में अंतर
- लघु व कुटीर उद्योग का महत्व या भूमिका
- लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में महात्वांक समस्याएँ
- राजस्थान के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग
- राजस्थान में इनक्यूबेशन
- राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों का समस्याएँ
- अभ्यासार्थ प्रश्न

लघु व कुटीर उद्योग

SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

प्रसुक्त आयोग 1949-50 के अनुसार 'कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णकालिक या अशकालिक व्यवसाय के रूप में पूर्णतः या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है।' दूसरी ओर "लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः भाड़े के मजदूरों सामान्यतः 10 से 53 मजदूरों के द्वारा चलाए जाते हैं। ये श्रमिकों के घर पर नहीं चलाए जाते। इसमें वे सब इकाइयाँ शामिल हैं जिनमें 7.5 लाख रुपये से कम पूँजी लगी होगी।" इन परिभाषाओं में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। इन परिवर्तनों के अनुसार साढ़े सात लाख रुपये से कम पूँजी वाले सभी संस्थानों को छोड़कर केवल ही कम श्रमिक काम करना करते हैं। जो लघु उद्योग कहा गया है। 1975 से पूर्व की इस परिभाषा में साढ़े सात लाख से कम पूँजी विनियोजन को मापदंड बनाया गया तो 1975 में भारत सरकार ने 10 लाख रुपये तक पूँजी वाले औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योग कहा। 1980 में घोषित औद्योगिक नीति में अति लघु क्षेत्र Tiny Sector में विनियोजन की सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई। लघु इकाइयों में

विनियोग की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। सहायक उद्योगों (Ancillary) में विनियोग की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। मार्च 1985 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों का विनियोग सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी। सहायक उद्योगों में यह सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दी गई। 1990 में भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के अंतर्गत मयत्र एवं मशीनरी में विनियोग की सीमा 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई। अति लघु क्षेत्र के लिए यह सीमा दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई।

जनवरी 1997 के अन्तिम सलाह में लघु उद्योगों के संबंध में गठित डा. आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगों के लिये निवेश सीमा में वृद्धि करने सेवाओं संबंधी लघु उद्योगों के लिये निवेश सीमा समाप्त करने किंसा क्षेत्रीय बैंक के अन्तर्गत आने वाली समान प्रकृति का इकाइयों को एक समूह मानते लघु उद्योगों के लिये बुनियादी सेवा ढांचे में मशीनरी, बेंच को अपने प्राथमिकता वाले ऋण का 70% अति लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित रखने एवं लघु उद्योग इकाइयों की वर्ष में केवल एक बार जांच करने आदि के संबंध में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण सिफारिशों को है।

डा. आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 फरवरी 1997 को केन्द्रीय मंत्री मंडल की आधिकारिक मामला की समिति ने लघु उद्योगों के अन्तर्गत मयत्र एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी। इसी प्रकार सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तथा अति लघु उद्योगों में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इसमें अतिरिक्त लघु क्षेत्र के लिये निवेश की सीमा 75% से घटाकर 50% कर दी। इसके अलावा सरकार लघु उद्योगों में उत्पादन के लिये वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने पर भी विचार कर रही है।

29 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को 3 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि लघु

उद्योगों के लिये उत्पादनों के आरक्षण की व्यवस्था आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार समाप्त नहीं की जायेगी। इस घोषणा पर 5 अगस्त 1998 तक क्रियान्वयन नहीं हुआ था।

आठ उपक्षेत्र Eight Sub-Sectors

ग्रामीण और लघु उद्योग आठ उपक्षेत्रों में बंट हुए हैं जो क्रमशः खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, हस्तकला, जूट, लघु उद्योग और विद्युत चालित करघा क्षेत्र हैं। इनमें से अंतिम दो आधुनिक लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शेष छह उपक्षेत्र परम्परागत उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। आधुनिक लघुस्तरीय उद्योग और हथकरघा क्षेत्र आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ये सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं और श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी ओर परम्परागत उद्योग मुख्यतः ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं जो कि पूर्णकालिक अथवा अशकालिक रोजगार प्रदान करते हैं। ये भारतीय कलाओं को सुरक्षित रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से आय भी प्राप्त करते हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों में अन्तर DIFFERENCE BETWEEN SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRY

कुटीर उद्योग प्रायः परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं जबकि लघु उद्योग मुख्य व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है लेकिन लघु उद्योगों में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। कुटीर उद्योगों द्वारा मुख्यतः परम्परागत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और ये उद्योग मुख्यतः स्थानीय भागों की पूर्ति करते हैं। इसके विपरीत लघु उद्योगों द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और ये उद्योग विस्तृत क्षेत्रों की मांग को पूरी करते हैं। कुटीर उद्योगों में बहुत कम मात्रा में पूजा विनियोजित की जाती है जबकि लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक पूजा का विनियोजन किया जाता है। कुटीर उद्योगों द्वारा प्रायः स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत लघु उद्योगों के लिए प्रायः अन्य स्थानों से कच्चा माल मांगा जाता है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका या महत्त्व

ROLE OR IMPORTANCE OF SMALL SCALE & COTTAGE INDUSTRIES IN RAJASTHAN

1 **रोजगार (Employment)** - राजस्थान में विद्यमान अत्यधिक बेरोजगारी का समाधान बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से निहित नहीं है। इसके विकास से कुछ ही क्षेत्रों में श्रमिकों का केन्द्रीयकरण होना सम्भव है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ जन्म लेगी। इस समस्या को लघु एव कुटीर उद्योगों के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस क्षेत्र द्वारा उपलब्ध रोजगार कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों से अधिक है। इस कारण इन उद्योगों का विकास राजस्थान की बेरोजगारी समस्या को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान में दिसम्बर 1997 तक कुल पचीसकृत लघु एव दसकरी इकाइयाँ 1,90,704 हो गई हैं जिनमें 2184.3 करोड़ रुपये के निवियोजन से 7.39 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजित हुआ।¹

2. **उत्पादन (Production)** - राजस्थान में 1983-84 में ग्रामीण उद्योगों का कुल उत्पादन 59.18 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995-1996 में 357.67 करोड़ रुपये हो गया।² इन उद्योगों द्वारा परम्परागत वस्तुओं के निर्माण के साथ नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादन में विभिन्न प्रकार के शोध एव अनुसंधान के माध्यम से निरन्तर विविधता दृष्टिगोचर हो रही है। उत्पाद की इस विविधता के कारण यह क्षेत्र राजस्थानवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन जाएगा, ऐसी सम्भावना है।

3 **निर्यात (Export)** राजस्थान ने लघु क्षेत्र में कुछ विशेष सफलताएँ प्राप्त की हैं। इस क्षेत्र द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा सिलेसिलाये वस्त्रों, रिजिन्स, चमड़े का सामान, चमड़ा, आदि का निर्यात किया जा रहा है। इस उद्योग को विशेष श्रेय दिया जा सकता है कि यह परम्परागत निर्यातों के बदले गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। निर्यात सामान में पर्याप्त विविधता होने के कारण इस क्षेत्र का महत्त्व निरन्तर बढ़ने की सम्भावना है।

4 **औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों का विकेन्द्रीयकरण (Decentralization of Industrial & Economic Activities)** - ग्रामीण व लघु उद्योग क्षेत्र ने राज्य की औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को शहरी केन्द्र में केन्द्रित होने से बचाया है। राज्य की अधिकांश इकाइयाँ ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस विकेन्द्रीयकरण के कारण

राज्य आय के वितरण की विषमता में कमी आई है और राज्य बड़े उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की बुराइयों से बच सका है।

5. **स्थानीय ससाधनों व कुशलता का उपयोग (Use of Local Resources & Efficiency)** : लघु एव कुटीर उद्योग राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस कारण यह उन क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय एव प्राकृतिक साधनों व उनकी कुशलता का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान में विद्यमान समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए लघु व कुटीर उद्योगों ने जहाँ साहसियों को राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया है, वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों व मानवीय कलापूर्ण चातुर्य का भरपूर उपयोग भी किया है।

6 **ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन (Balance between Rural & Urban Economies)** : योजनाकाल के प्रारम्भ से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के कुल साधनों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार सरकार की नीति ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने को है। लघु व ग्रामीण उद्योग इस क्षेत्र में पहले से ही अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की इस नीति के कारण उनका विकास प्रोत्साहित होगा।

7 **पिछड़े क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in Per Capita Income of Backward Regions)** राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली जनसंख्या विभिन्न अनुमानों के अनुसार 1.25 करोड़ से 1.50 करोड़ के मध्य है। इसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को ग्रामीण व अर्द्धशहरी क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देना होगा। लघु एव ग्रामीण उद्योगों का कार्यक्षेत्र भी मुख्यतः यही है। अतः सरकार की नीतियों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

8 **कृषि जनसंख्या का भारकम करना (Lessening the Load of Population on Agricultural Sector)**. राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के अधिकांश व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं। कृषि क्षेत्र की मानसून पर निर्भरता व पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषक वर्ष भर खेती के काम में नहीं लगा रह सकता। ये प्रायः 4 से 6 माह तक बेकार रहते हैं। इस अवधि का उपयोग कुटीर एव लघु उद्योगों के विकास से किया जा सकता है। इससे जहाँ उनके बेकार समय का उपयोग होगा वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इन उद्योगों के विकास के

साथ-साथ लोगों की मनुवृत्ति में भी परिवर्तन आया और धीरे-धीरे जनसंख्या कृषि क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित होगी। भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम लगा हुआ है। इस कारण कृषि पर से जनसंख्या के भार को इन क्षेत्रों के विकास से कम किया जा सकता है।

9 पूँजी उत्पादन अनुपात (Capital Output Ratio) बड़े उद्योगों का भाति कुटार उद्योगों में बहुत अधिक पूँजी का आवश्यकता नहीं होती। वे पूँजा प्रधान न होकर श्रम प्रधान होते हैं। भारत एक गरीब राष्ट्र है। इस कारण यहाँ मजदूर ही पूँजा का कमी रहा है। इस कारण राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र द्वारा राजस्थान में न केवल बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वरन् साथ ही उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की चेष्टा की जाती है। यह कारण है कि बड़े उद्योगों में श्रम का कुशलता की तुलना में लघु एवं कुटीर उद्योगों की विकसित करना एक उचित कदम है।

10 आपातकाल में सहायक (Useful in Emergency) बड़े उद्योग केंद्रीयकरण का प्रवृत्ति का प्रोत्साहित करते हैं। इस कारण जहाँ अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ दूसरी ओर राष्ट्र की सुरक्षा हा खतरे में पड़ सकती है। युद्ध की स्थिति में शत्रु द्वारा ऐसे क्षेत्रों को निराना बनाकर अधव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इस कारण उद्योगों के विकेंद्रायकरण के इस कार्य में लघु एवं कुटीर उद्योग सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार वहाँ ये सुरक्षा के खतरे को सन्तुष्ट करते हैं वहाँ दूसरी ओर आपातकाल में अधिक उत्पादन करके राष्ट्र की अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

11 श्रम एवं पूँजी में मधुर सम्बन्ध (Cordial Relations Between Capital & Labour) श्रम के अर्थशास्त्रिक युग में श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुरता न होना औद्योगिक अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े उद्योगों में मजदूरों एवं प्रबंधकों के मध्य साधा संबंध नहीं रह जाता। पूँजापतियों व मजदूरों के मध्य का संपर्क की संभावना पनपन लगती है। इसी कारण हड़ताले व दान-बंदी हाता हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर श्रम एवं पूँजा के मध्य लगभग कोई भेद ही नहीं है। स्वामी व मजदूर का भेद नहीं पनपती। इस कारण इस क्षेत्र में हड़ताले व दान-बंदी की घण्टी बज नहीं पाती। बड़े उद्योगों में श्रमकों की क्या दृष्टि स्वतंत्रता एवं अस्तित्व ही समझ प्रिय हो जाते हैं। इस कारण इनकी काम करते में जो विचार आते भी नहीं आता किन्तु लघु एवं कुटीर उद्योगों में उद्योगकार ने श्रम का अनुभव करने है। अतः इन उद्योगों में श्रम करने वाले में ही जाते हैं।

लगता है। शोषण से मुक्त होने के कारण वे अधिक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।

12 अर्थव्यवस्था का समग्र विकास (Overall Economic Development) लघु एवं कुटार उद्योग सभी विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो अथवा निर्यात का देश की आर्थिक गतिविधियों के विवैदेशीकरण का प्रश्न हो या राज्य का पूँजी का अधिक कुशलता से उपयोग करने का लघु एवं कुटीर उद्योग सभी में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं। इस क्षेत्र में जहाँ नगरकरण की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है वहाँ कृषि जनसंख्या का भी कम हुआ है। लघु एवं कुटार उद्योगों ने कुछ क्षेत्र में बड़े उद्योगों में कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा का है। इन क्षेत्रों में घरेलू व कार्यालय फर्नाचर, सिले, सिलाए, बस्तू, सजु, हंड, निस्कुट, खाद्य तेल, प्लास्टिक का सामान, टेलीविजन, रेडियो, असम्बली का व सामान, रबड़ का वस्तुएँ व बोट, आपूर्ण बनाया आदि प्रमुख हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक संस्थाएँ

INSTITUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL & COTTAGE INDUSTRIES

(अ) राष्ट्रीय संस्थाएँ National Institutions

1 लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग (Department of Small Industry and Agriculture & Village Industries) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का स्थापना उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने में सहायक कार्यक्रम एवं न्यायिक विभाग विभिन्न कार्यों में समन्वय प्रदान करने का करना है। यह अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्ध बनाए रखता है। लघु एवं कुटार उद्योगों में सहायता अनेक प्रकार की है। इनमें योजना विभाग, राज्य सरकार, विविध संस्थाएँ, स्वैच्छिक संस्थाएँ और अन्य सहायक संस्थाएँ प्रमुख हैं। विभाग द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह विभाग नजीक के तत्संबंधी प्रादेशिक विभागों से बड़ा सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त के सहायक उद्योगों देने का काम करता है।

सहायता 27 छोटे उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा 31 शराखा कार्यालयों द्वारा 37 विस्तार केन्द्रों द्वारा एवं 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती है। इस विभाग के अंतर्गत एक उत्पाद विधायन विकास केन्द्र (रांची) दो केन्द्रीय फुट-प्रिगर टेनिंग सेन्टर 4 उत्पादन केन्द्र और 19 फील्ड टैरिन्ग स्टेशन कार्यरत हैं।

2 राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड और राष्ट्रीय उद्यमशीलता व लघु व्यापार विकास संस्थान [National Board for Entrepreneurial Development and National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development (NIESBUD)] 1983 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यापार विकास संस्थान का गठन किया। यह प्रतिनिधिधारेत करने का कार्य करता है। यह इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनमें सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है। इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह देश के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यक्रमों का निर्माण करता है एवं परीक्षाएं आयोजित करता है। इस क्षेत्र से संबंधित आकड़े एकत्र करता है तथा अनुसंधान के माध्यम से लाभ पहुँचाने की चेष्टा करता है। संक्षेप में यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संस्थान विभिन्न एजेंसियों और उद्यमों के मध्य परस्पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है।

3 लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation) यह संगठन लघु उद्योगों को पवधकीय तकनीक व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। लघु उद्योगों की समस्याओं के समर्थन में परामर्श सेवा देने के साथ ही उनके उत्पादित माल के विपणन में भी मदद करता है। इस संगठन ने लघु उद्योगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य में नई तकनीकी संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। यह मुख्य रूप से लघु उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया प्रशिक्षण डिजाइन व अनुसंधान व स्वयंसेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्पाद विकास केन्द्र आजारा कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र आदि स्थापित कर सहायता कर रहा है।

4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corp) इसका स्थापना 1955 में हुई। यह लघु उद्योग इंसिडियों का निगम। ग्रामर दायजता के अंतर्गत मशीनों उपकरण वगैरह और मरकाम जाईर प्राप्त करने में सहायता करता है। यह लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण आयोजित सामग्री धारादानी और उनके उत्पादों को विदेशों में बेचने में भी मदद करता है। यह निर्रध के राष्ट्रीय में पूर्णतै तैयार परियोजना निर्यात कारने का प्रयास भी करता है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस संस्थान द्वारा लघु उद्योगों के

अतर्गत काम आने वाली मशीनों और आजासे के नमूने भी तैयार किए जाते हैं और उन्हें परिष्कृत करने के पश्चात् उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

5 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [Small Industries Development Bank of India (SIDBI)] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत भारतीय विकास बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक का प्रमुख कार्य लघु व ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करना उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना और लघु उद्योगों का विकास करना है। इस बैंक ने 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारंभ किया। बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों व्यापारिक बैंकों और राज्यों के औद्योगिक निगमों के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है। बैंक की प्रदत्त पूंजी 125 करोड़ रुपये है जो पूर्णतै भारतीय औद्योगिक विकास द्वारा प्रदान की गई है।

(ब) राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक संस्थाएं Institution for Development of Small & Cottage Industries in Rajasthan

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) उद्योग निदेशालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निदेशालय द्वारा छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगों व लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय दस्तकारी क्षेत्र के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु निदेशालय द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक याजनाएं बनाई जाती हैं। यह लघु एवं शिल्पकार आर्थोगिक इकाइयों का पंजीकरण करता है। यह रोजगार में वृद्धि का प्रयास करता है और स्थानाय साधनों के उपयोग पर बत देता है। इस प्रकार निदेशालय प्रादेशिक समुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक अभियान औद्योगिक सर्वेक्षण तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। जनजाति व मर प्रदेश में औद्योगिक विकास का प्रावसाहन देता है। निर्यात सवर्द्धन के लिए प्रयास करता है। स्थण औद्योगिक इकाइयों का पुनः चालू कराने में सहयोग प्रदान करता है।

2 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centers) यह एक जिला स्तरों केन्द्र है जो उद्योगों की स्थापना व लिए निर्माण प्रयास की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। राज्य के प्रत्येक सभी जिला में जिला उद्योग केन्द्रों की

स्थापना की गई है। राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (अ) स्पेशल श्रेणी- जयपुर (ब) 'ए' श्रेणी-अलवर अजमेरा कोटा पाली उदयपुर जोधपुर भालवाडा (स) 'बी' श्रेणी-वासवाडा भरतपुर झुझुनू, नागौर बाकानेर चित्तौडगढ़ टोंक गणगणर सोकर और सवाईमाधोपुर (द) सा श्रेणी-चूरू सिरौही धौलपुर झालावाड बूंदी बाडमेर जांजर जसनमेर और डूंगरपुर। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी ब्यावर आबूरोड हनुमानगढ़ फालना बालोतरा तथा मकराना में उपकेन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई है लेकिन इनका संचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना में केन्द्र सरकार भी आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

3 लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute) इस संस्थान की स्थापना राज्य के उद्योगियों को विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए की गई। इस उद्देश्य का पूर्ति हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान के पास विभिन्न उद्योगों सम्बन्धी पत्रियोंजनाओं की परियोजना रिपोर्टें उपलब्ध है। इन परियोजना रिपोर्टों के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि किसी उद्योग विशेष में कितनी पूंजी विनियोजित की जानी चाहिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होगी और वह कहा से प्राप्त किया जा सकेगा उत्पाद वस्तु का बाजार किन किन स्थानों पर उपलब्ध है प्रशिक्षित श्रमिक कहा से प्राप्त किए जाएंगे आदि। इन तथ्यों की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भी अंतर्गत प्रदान की जाती है।

4 राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (Rajasthan State Handloom Development Corporation) निगम की स्थापना 1984 में की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हथकरघा उद्योग का विकास करना है। इसके निगम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। निगम विपणन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करता है। निगम अपने विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन का रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है। निगम ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में विधायन गृह की स्थापना की है। यह जनजाति भ्रष्टाचार विकास निगम के सहयोग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। यह पंजाब निगम वामनाथ डूंगरपुर और उदयपुर केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

5 राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम (RAJSICO) राजस्थान में लघु उद्योगों व हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य में 1961 पर राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की। इसका विस्तृत विवरण अन्य अध्याय में किया गया है।

6 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बॉर्ड 'राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड' अपेक्षाकृत कम मूल्य विनियोजन से अधिकवाधिक रोजगार अवसर के सृजन में विशेष रूप से सहायक है। बोर्ड की देखरेख में इस प्रकार की इकाइयों के सर्वोद्वेग का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के दौरान खादी उद्योग में 45.85 करोड़ रुपये कोषित का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के उत्पादन वर्ष 1996-97 में 324.60 करोड़ रुपये का था। खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों में वर्ष 1994-95 में 4.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था 1995-96 में 30,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 95 तक 12042 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 1996-1997 में 32631 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

7 राजस्थान वित्त निगम (RFC) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय में किया गया है।

8 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO) इसका विस्तृत विवेचन अन्य अध्याय में किया गया है।

राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग IMPORTANT SMALL & COTTAGE INDUSTRIES OF RAJASTHAN

(अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Agriculture Based)
1 खड़ा उद्योग (Khadi Industry)
2 तेल घण्टा उद्योग (Ghani Oil Industry)
3 गुड़खांडसरा उद्योग (Gur Khandsan Industry)
4 फल व सब्जियों का संरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)
5 रेशा उद्योग (Fibre Industry)
6 धान कुटने का उद्योग (Hand Pounding Rice Industry)
7 मधुमक्खन पालन (Bee Keeping)
8 अखंड तेल में बना मद्युत उद्योग (Non edible Oil Soap Industry)
9 दाल बनाने का उद्योग (Pulse Making)
10 पिसाद उद्योग (Grinding)
11 ग्वार गम उद्योग (Guar Gum Industry)
12 हथकरघा उद्योग (Handloom Industry)
(ब) खनिज पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Mineral Based)
1 चूना उद्योग (Lime Industry)

2	एल्यूमीनियम उद्योग (Aluminium Industry)
3	पोल्ट्री उद्योग (Poultry Industry)
(स) वनी पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग (Forest Based)	
1	लोहे व लकड़ी के कार्य (Back Smith & Carpentry)
2	बैंग व बांस उद्योग (Cane & Bamboo Industry)
3	ताड़ गुठ उद्योग (Palm Gur Industry)
4	माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti Industry)
5	हाथ से बना कागज उद्योग (Handmade Paper Industry)
6	रेगम उद्योग (Sensu'lure)
7	बीड़ी उद्योग (Bidi Industry)
(द) पशुआ पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग	
1	चमड़ा उद्योग (Leather Industry)
2	ऊनी वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)
3	हड्डी पीसना (Bone Crushing Industry)

(अ) कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग Agriculture Based Small & Cottage Industries

खादी उद्योग (Khadi Industry)

खादी के अन्तर्गत मुख्यतः सूती ऊनी व सिल्क आदि का कार्य किया जाता है। यह कार्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित होता है। हजारों व्यक्ति हाथ करघे पर कार्य करते हैं। हाथ करघे के द्वारा भोज्य कपड़ा साजिया व तैलिये आदि अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जुलाहे खादी के रूप में अपने घरों पर ही तैयार करते हैं। खादी ग्रामोद्योग में अनेक व्यक्तियों को अशकलिक एवं पूर्णकालिक रोजगार की प्राप्ति होती है। यह कार्य स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है। ऊनी खादी के अन्तर्गत जैसलमेर की बरडी व रेजी घीकानेर के ऊनी कम्बल तूरु के रोस आदि प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मेरिनो वस्त्र की भेड़ों से प्राप्त ऊन से खादी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं जिनकी संपूर्ण भारत में मांग रहती है। निम्न तालिका में राजस्थान के खादी उद्योग का दर्शाया गया है।

राजस्थान में खादी उद्योग उत्पादन व कीमत

मद	इकाई	1984-85	1987-88	1992-93	1995-96
1	खादी उत्पाद				
	लाख वर्ग मीटर	63.71	77	18.94	92.19
	लाख रुपये	1696.34	217.34	1180.13	3941.64
1.1	सूती				
	लाख वर्ग मीटर	35.74	37	6.67	39.04
	लाख रुपये	507.96	675.01	250.17	1531.58
1.2	ऊनी				
	लाख वर्ग मीटर	28.37	77	10.17	48.12
	लाख रुपये	1778.38	1500.33	939.96	2133.63
2	खादी की बिक्री				
2.1	थोक	3205.43	4023.17	1998.02	8905.83
	लाख रुपये	2084.64	2472.64	1051.12	5132.19
2.2	फुटकर	1120.79	1550.53	946.53	3773.64
	लाख रुपये				

स्रोत: Statistical Abstract for 1988, 1996 RA & Economic Review 1995-96 RA & RA

तेल घाणी उद्योग (Ghani Oil)

जनसंघर्षी उद्योग की भाँति यह उद्योग भी तिलहनो के उत्पादन पर निर्भर है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, धौलपुर, गगानगर, पाली आदि में अलसी, मूँगफली, सरसों, तिल आदि का उत्पादन होता है। अतः जयपुर, कोटा, गगानगर, पाली आदि में ही तेल घाणी उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तेल मुख्यतः कोल्ड एण्ड गार्णो के द्वारा निकाला जाता है। लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में यह राजस्थान में काफी विस्तृत है। इस व्यवसाय से राज्य के लगभग 37 हजार परिवारों को रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में तेल घाणी उद्योग के उत्पादन, मूल्य एवं बिक्री मूल्य को दर्शाया गया है।

राजस्थान में तेल घाणी उद्योग का उत्पादन व मूल्य

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983-84	1559.55	1722.17
1984-85	2336.40	2571.45
1985-86	2780.74	3041.05
1986-87	3150.00	3360.00
1987-88	3501.18	3736.71
1991-92	2439.30	2666.93
1993-94	65.23	2832.05
1994-95	274.77	3152.79
1995-96	1124.58	172.64

स्रोत: Statistical Abstract for RA 1983, 1993, 1994 & 1996

विगत वर्षों में राज्य के तेल-घाणी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण विद्युत चालित तेल-घाणियों का प्रचलन होना है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत चालित तेल घाणियों की तेजी से स्थापना हुई।

गुड़-खाडसारी उद्योग (Gur-Khandsari)

राजस्थान में गन्ने से गुड़ व खाडसारी बनाने का कार्य प्राचीनकाल से हो रहा है। कुटीर उद्योग के रूप में यह कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ़, धौलपुर, झारपुर, गगानगर, जयपुर, झालावाड, कोटा, सर्वाई माधोपुर व उदयपुर में होता है। अतः इन जिलों में गुड़ व खाडसारी उद्योग भी विकसित है। इस उद्योग में राज्य के लगभग 55,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। निम्न तालिका में राजस्थान में गुड़-खाडसारी उद्योग के उत्पादन एवं मूल्य को दर्शाया गया है।

राजस्थान का गुड़-खाडसारी उद्योग का उत्पादन तथा विक्री मूल्य (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	371.00	450.00
1984-85	380.58	471.82
1985-86	419.47	527.12
1986-87	297.16	397.12
1987-88	30.43	35.39
1992-93	47.39	610.12
1993-94	108.7	160.91
1994-95	133.75	173.51
1995-96	230.69	342.56

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993 & 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गुड़ व खाडसारी के उत्पादन में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं। वास्तव में राजस्थान में वर्षों के अपर्याप्तता के कारण गन्ने का उत्पादन कम-ब्यादा होता रहता है। अतः इससे चीनी उद्योग के साथ गुड़ व खाडसारी उद्योग भी प्रभावित होते रहे हैं।

फलों व सब्जियों का संरक्षण (Fruit & Vegetable Preservation)

राजस्थान में सभी प्रकार की सब्जियाँ उत्पन्न की जाती हैं। उसी वष में पश्चिमी राजस्थान में सब्जियों का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन भी होता है। विगत कुछ वर्षों से राजस्थान के विभिन्न भागों में अग्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। राज्य में फलों का संरक्षण मुख्यतः कोटा, जयपुर व गगानगर में किया जाता है। अग्र तालिका में संरक्षित फल एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

रेशा उद्योग (Fibre)

राजस्थान में अनेक प्रकार की कृषि फसलों से रेशे की

फलों का संरक्षण : उत्पादन व विक्री मूल्य² (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	1.23	1.62
1984-85	2.26	2.88
1985-86	4.20	5.08
1986-87	4.47	6.12
1987-88	2.12	2.95
1992-93	13.39	17.53
1993-94	19.67	25.96
1994-95	27.04	34.83
1995-96	16.71	25.20

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993, 1994 & 1996

प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः रस्सिया बनाने में किया जाता है। ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के रेशा उत्पादन को दर्शाया गया है।

रेशा उद्योग : उत्पादन व विक्री मूल्य¹ (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	169.66	225.69
1984-85	158.39	241.14
1985-86	244.38	237.92
1986-87	286.49	398.77
1987-88	440.53	547.81
1992-93	1667.59	2036.50
1993-94	1670.21	2041.41
1994-95	1774.10	2154.77
1995-96	1865.50	2353.25

Source: Statistical Abstract Rajasthan, 1988, 1993, 1994 & 1996

धान कूटने का उद्योग (Hand Pounding Rice)

यह उद्योग राजस्थान के मुख्यतः नासवाडा, झारपुर, गगानगर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौडगढ़, सर्वाई माधोपुर, भरतपुर व झालावाड आदि जिलों में विकसित हुआ है। प्रदेश के विभिन्न भागों में यह उद्योग लघु इकाइयों द्वारा असंगठित उद्योग के रूप में चलाया जाता है। धान उत्पादक क्षेत्रों में अनेक लघु इकाइयों कार्यरत हैं। गगानगर जिले में धान की भुसी से तेल निकालने का कार्य भी किया जाता है। अग्र तालिका में इस उद्योग के उत्पादन व मूल्य को दर्शाया गया है।

धान कूटने का उद्योग : उत्पादन व विक्री मूल्य² (लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	78.40	91.50
1984-85	171.57	122.53
1985-86	125.78	145.31
1986-87	132.66	164.88

1987-88	97.62	116.06
1990-91	207.11	274.30

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1993 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि धान के उत्पादन मूल्य में 1983-84 से 1986-87 तक निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन 1987-88 में उत्पादन में कमी आयी है। तत्पश्चात् उत्पादन बढ़ा है।

मधुमक्खी पालन (Bee Keeping Or Honey)

राजस्थान में मधुमक्खी पालन का कार्य प्राचीनकाल से किया जाता रहा है। मधुमक्खियों से मुख्यतः शहद एवं मोम की प्राप्ति होती है। शहद शक्तिवर्द्धक पदार्थ है। इसका उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी किया जाता है, वर्तमान में कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन को उपयोगी माना जाता है। निम्न तालिका में शहद के उत्पादन एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

शहद का उत्पादन व विक्री मूल्य ³ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	0.23	0.22
1984-85	0.17	0.37
1985-86	0.08	0.32
1986-87	0.09	0.14
1987-88	0.12	0.16
1989-90	0.54	0.38

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शहद के उत्पादन मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आया है। 1983-84 में शहद का उत्पादन 0.23 लाख रुपये का था जो बढ़कर 1989-90 में 0.54 लाख रुपये का हो गया।

अखाद्य तेल से बना साबुन उद्योग (Non-edible Oil Soap)

अखाद्य तेल का उपयोग मुख्यतः साबुन बनाने में किया जाता है। इस कार्य में राज्य के अनेक व्यक्ति सलग्न हैं। राज्य में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इस उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। निम्नतालिका में अखाद्य तेल से बने साबुन उत्पादन एवं उसके मूल्य को दर्शाया गया है।

साबुन का उत्पादन एवं विक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	123.28	117.92
1984-85	155.72	138.15

1985-86	188.48	186.13
1986-87	256.37	259.00
1987-88	303.98	299.40
1992-93	236.73	230.43
1993-94	329.28	278.80
1994-95	400.01	459.02
1995-96	511.89	543.32

Source: S.M. & Abstract Rajasthan, 1988 1992 1994 & 1998

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में अखाद्य तेल से बने साबुन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि को इस प्रवृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य में इस उद्देश्य का तेजी से विकास होगा।

पिसाई उद्योग (Grinding Industry)

राजस्थान में गगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, काटा सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी, पाली, टोक अजमेर भीलवाड़ा आदि जिलों में पिसाई उद्योग विकसित है। राज्य में प्रत्येक नगर में गेहूँ पर आधारित आटा मिलें हैं जिनमें गेहूँ से आटा सूजी व मैदा तैयार किए जाते हैं। कुटीर, गृह उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में प्रत्येक गाव में आटा चकिया गेहूँ पीसने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार गेहूँ पीसने के उद्योग में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी है जो हजारों लोगों का आजीविका उपलब्ध कराती है।

दाल बनाने का उद्योग (Pulses making Industry)

राजस्थान में अरहर, मूंग, उड़द व मोठ का दाल बनाने का कार्य काफी प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। यह कार्य स्त्रियों द्वारा घरों पर किया जाता था, लेकिन अब इसने उद्योग का रूप ले लिया है। राजस्थान में दाल मिल उद्योग अजमेर, कोटा, उदयपुर, गगानगर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर व टोक जिलों में बहुत विकसित हुआ है क्योंकि इस उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल दलहन इन जिलों के आसपास के कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है।

ग्वार गम उद्योग (Guar-Gum Industry)

राजस्थान में ग्वार गम उद्योग का विगत कुछ वर्षों से तेजी से विकास हुआ है। जयपुर व अजमेर आदि स्थानों पर इस उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए हैं। राज्य में ग्वार का पर्याप्त उत्पादन होता है। अतः उद्योग के कच्चे माल संबंधी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है।

हथकरघा उद्योग (Handloom)

राजस्थान हथकरघा उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें चादर, छद्दी, साडिया, तौलिये, धोती व पगडिया आदि प्रमुख हैं। यह उद्योग मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जालौर व

कपौली आदि स्थानों पर केंद्रित है। जयपुर व जोधपुर की चुनरिया और कोटा की ममूरिया साड़ी प्रसिद्ध हैं। कपौली, गोविन्दगढ़ व जालोर का बना हुआ कपडा भी प्रसिद्ध है। बालोतरा, गुड्डा, सुमेरपुर और फालग में धोती व खेसले बनाए जाते हैं। जयपुर व उदयपुर की फाड़िया व खेस प्रसिद्ध हैं। बधाई, छपाई व रगाई राजस्थान को प्राचीन कलाएँ हैं। इस उद्योग ने राज्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। बधेज के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा तथा छपाई के लिए जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर व जाली आदि प्रमुख हैं। यह उद्योग राज्य के प्रायः सभी बड़े गावों व नगरों तक विस्तृत है। बधाई का कार्य प्रायः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रगाई का कार्य प्रायः पुरुष करते हैं।

(व) खनिजों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग

Minerals based Small Scale & Cottage Industries

चूना उद्योग (Lime Industry)

चूने का उपयोग मुख्यतः निर्माण कार्य में किया जाता है। राज्य में सीमेंट की तुलना में निर्माण कार्य हेतु चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पदार्थ सीमेंट की अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ता है तथा इसकी प्राप्ति स्थानीय स्तर पर आसानी से हो जाती है। चूना पकाने के लिए चूना भट्टों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के चूना उत्पादन व उसके विक्रय को दर्शाया गया है

चूना उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	414.76	555.60
1984-85	301.76	418.00
1985-86	524.18	731.95
1986-87	753.72	960.75
1987-88	682.43	1053.09
1992-93	1237.61	1570.37
1993-94	1833.29	2295.18
1994-95	2026.84	2542.75
1995-96	2256.05	2712.11

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994, 1996

तालिका से स्पष्ट है कि चूने के उत्पादन व विक्री मूल्य में 1983-84 से निरन्तर वृद्धि हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि चूना उद्योग प्रागति पथ पर चल रहा है।

एल्युमीनियम उद्योग (Aluminium)

राज्य में एल्युमीनियम से बर्तन व डिब्बे आदि बस्तुएँ बनाने का कार्य भी किया जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में तेजी से विकसित हुआ है। इससे अनेक व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। अग्र तालिका में एल्युमीनियम उद्योग के उत्पादन व उसके विक्री

को दर्शाया गया है :

एल्युमीनियम उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य ¹ (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	-	-
1984-85	0.45	0.28
1985-86	5.18	5.69
1986-87	6.53	7.05
1987-88	8.69	9.73
1992-93	1.72	1.82
1993-94	1.80	2.03
1994-95	2.82	3.30
1995-96	2.18	2.40

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एल्युमीनियम में बनी वस्तुओं के उत्पादन मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। यह प्रगति विकास की संभावनाओं को भी व्यक्त करती है।

पाँटी उद्योग (Pottery)

राजस्थान में पाँटी बनाने का कार्य भी छोटे पैमाने पर किया जाता है। विगत वर्षों में इस उद्योग का तेजा से विकास हुआ है। शिक्षा प्रसार के साथ साथ प्रामाण्य एवं शहरी क्षेत्रों में पाँटी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है। अग्र तालिका में पाँटी के उत्पादन एवं उसके मूल्य दर्शाए गए हैं

पाँटी उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य ² (लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	295.43	375.07
1984-85	430.97	565.29
1985-86	476.34	609.24
1986-87	559.30	681.76
1987-88	652.67	797.46
1992-93	1107.09	1365.74
1993-94	1370.44	1793.72
1994-95	1426.3	1950.11
1995-96	1581.53	2111.83

Source: Statistical Abstract Rajasthan 1988 1992 1994 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में पाँटी के उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस उद्योग संबंधी कच्चा माल व आवश्यक सामग्री राजस्थान में उपलब्ध है। अतः इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

(स) वनों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग Small Scale & Cottage Industries Based on Forests

लौहे व लकड़ी का कार्य (Blacksmith & Carpentry)

राज्य के प्रायः प्रत्येक नगर व गाँव में लौहे का कार्य किया जाता है। चकू, कैची, उस्ताह आगठे इत्यादी अर्ध

अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। गड़िया लुहार यह काय प्रमुख रूप से करते हैं। राज्य में लकड़ी व इससे बने उत्पादों के निर्माण में हजारों व्यक्ति कार्यरत हैं। यह उद्योग राहरी क्षेत्र के फर्नीचर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बेलगाड़ी तक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदयपुर के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। भवाईभाभीपुर व जोधपुर में भी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। अग्र तालिका में लोहे एवं लकड़ी में बनी वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री मूल्य का दर्शाया गया है।

लोहे व लकड़ी की वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री मूल्य*
(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	513 90	715 30
1984 85	624 79	642 15
1985 86	694 25	725 22
1986 87	785 50	841 40
1987 88	892 87	932 24
1992 93	2121 59	2869 98
1993 94	2430 97	3313 59
1994 95	2809 97	3713 19
1995 96	3104 41	3918 87

Source: S & A Abs. of Rajasthan 1988, 1991, 1994 & 1996

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि लोहे एवं लकड़ी में बनी वस्तुओं के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है।

बेत व बांस उद्योग (Cane & Bamboo)

बांस में मुख्यतः कारीगरों की जरूरतों में तथा अनेक प्रकार के वस्तुओं बनाई जाती हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर व अजमेर जिलों में यह कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का सामान बनाने का कार्य किया जाता है। अग्र तालिका में उत्पादन व बिक्री के आंकड़े हैं।

बेत व बांस उद्योग का उत्पादन व बिक्री मूल्य*
(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	77 57	113 32
1984 85	128 86	176 38
1985 86	160 84	1-0 00
1986 87	214 60	247 00
1987 88	281 09	331 22
1992 93	966 00	1597 79
1993 94	1027 00	1686 00
1994 95	1101 90	1774 35
1995 96	1150 70	1763 90

Source: S & A Abs. of Rajasthan 1988, 1991, 1994 & 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में बेत व बांस के उत्पादन मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। बेत के फर्नीचर व फर्निचर वस्तुएं अत्यधिक पसंद की जाती हैं। अतः इस उद्योग के विकास का पर्याप्त संभावनाएं हैं।

ताड़-गुड़ उद्योग (Palm-Gur)

राजस्थान में ताड़ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ताड़ के वृक्षों से प्राप्त फलों से गुड़ का निर्माण किया जाता है। इस व्यवसाय में भी राज्य के ओक लोगों का रोजगार की प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के ताड़-गुड़ उत्पादन एवं उसके मूल्यों को दर्शाया गया है।

ताड़-गुड़ उद्योग का उत्पादन व बिक्री*
(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	3 37	7 60
1984 85	5 92	9 74
1985 86	6 31	10 78
1986 87	9 54	17 59
1987 88	12 33	18 70
1992 93	79 34	106 03
1993 94	103 39	154 73
1994 95	128 44	189 78
1995 96	188 97	258 20

Source: S & A Abs. of Rajasthan 1988, 1991, 1994 & 1996

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि ताड़-गुड़ उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है क्योंकि ताड़ गुड़ के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है।

माचिस व अगरबत्ती उद्योग (Cottage Match & Agarbatti)

अजमेर व अलवर में माचिस बनाने के छोटे-छोटे कारखाने हैं। अलवर जिले में माचिस बनाने हेतु 'मालर वुड' पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। राजस्थान में अगरबत्ती उद्योग का भी कुनौर उद्योग के रूप में तेजी से विकास हुआ है। इन उद्योगों को दृष्टि से अजमेर व जयपुर आदि जिलों में अग्रणी रहे हैं। राज्य में अगरबत्तियों का निर्यात भी किया जाता है। निम्न तालिका में माचिस व अगरबत्तियों के उत्पादन व उनके मूल्यों को दर्शाया गया है।

राजस्थान का माचिस व अगरबत्ती उद्योग उत्पादन व बिक्री
(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन मूल्य	बिक्री मूल्य
1983 84	1 11	0 98
1984 85	0 01	0 02
1985 86	1 06	1 00
1986 87	0 52	0 44
1987 88	0 73	0 56
1992 93	14 71	17 26
1993 94	4 85	6 65
1994 95	6 20	9 50
1995 96	9 14	12 91

Source: S & A Abs. of Rajasthan 1988, 1991, 1994 & 1996

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माचिस व अगरबत्तियों के उत्पादन मूल्य में निरंतर उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही है।

हाथ से बना कागज (Hand made Paper)

राजस्थान में अनेक स्थानों पर हाथ से कागज बनाने का कार्य किया जाता है। जयपुर के सागनेर कस्बे में हाथ से कागज बनाने का कार्य लंबे समय से किया जा रहा है। यहाँ का कागज सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस व्यवसाय से अनेक लोगों को रोजगार का प्राप्ति होती है। निम्न तालिका में हाथ से बना कागज का उत्पादन एवं उसके मूल्यों का दशाया गया है।

उत्पादन व विक्री मूल्य ²		
(लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1983-84	39.91	46.42
94-85	38.31	45.31
95-86	41.70	47.49
1986-87	44.49	45.15
87-88	44.82	49.51
89-92	105.13	120.50
1993-94	66.88	76.74
1994-95	94.39	117.30
1995-96	95.02	125.30

Source: Statistics of the Rajasthan 1995, 1993, 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि हाथ से बने कागज का उत्पादन मूल्य में कुछ उतार-चढ़ाव होता रहा है। लेकिन कागज के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

रेशम उद्योग (Sericulture)

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में है। अतः राज्य सरकार ने बीकानेर और उदयपुर संभाग में रेशम उत्पादन को एक योजना प्रारंभ की। राज्य के लगभग 6000 बुनकरों को कोटा डोरिया व मसूरिया मण्डियों का निमण करते हैं। इनमें लगभग 16-20 मॉडर्न टन धागा का प्रयोग किया जाता है। यह धागा देश के विभिन्न राज्यों से आयात किया जाता है। राज्य में हाथ धागे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्योग विभाग जनजाति क्षेत्रों में विकास विभाग और केंद्रीय रेशम बोर्ड संयुक्त रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। रेशम के उत्पादन के अतिरिक्त रेशम के कांडों के लिए शहदूत का खरीना रेशम के कांडों को पालकर कागज के उत्पादन तथा कोशा से धागा बनाना और धागा से रेशम तैयार करना आदि सम्मिलित हैं। इस उद्योग से जनजातों के परिवार के सभी समस्याओं का निपटारा रूप से रोजगार की प्राप्ति होती है। इस उद्योग में अपेक्षाकृत कम पूँजी निवेश का आवश्यकता होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति इस व्यवसाय का आसानी से मकालित कर सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वा क्षेत्र उदयपुर एवं कोटा संभाग का भूमि और जलवायु रेशम उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन स्थानों पर वयस काया को तान फसल आपत्ती से प्राप्त कागज मजदूरी है।

बीडी उद्योग (Bidi Industry)

राजस्थान में बीडी उद्योग का तबी से विकास हुआ है। राज्य में तदुपरोक्त का पर्याप्त उत्पादन होता है। लेकिन इन तदुपरोक्त में सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। अतः तदुपरोक्त का देश के अन्य राज्यों से आयात भी किया जाता है। बीडी बनाने का कार्य मुख्यतः स्त्रियाँ द्वारा किया जाता है। नसीरगढ़ अजमेर ब्यावर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जोधपुर व कोटा आदि स्थानों पर बीडी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। बीडी बनाने के अनेक छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किए गए हैं।

(द) पशुओं पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग

Small Scale & Cottage Industries based on Animals

चमड़ा उद्योग (Leather)

राजस्थान में पशुओं की सख्या अधिक है अतः राज्य में चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। चमड़े से जूते, अटैचिया, थैल, मशक व चरस आदि बस्तुएँ बनाई जाती हैं। यह उद्योग राज्य के जयपुर, जोधपुर व बीकानेर आदि क्षेत्रों में पूर्णतः विकसित है। चमड़ा पालन के पदार्थ राज्य में उपलब्ध हैं। चमड़े को साफ करके मुख्यतः कानपुर आगव व मद्रास भेजा जाता है। चमड़ा उद्योग में जूतियाँ का महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर व जोधपुर इसके प्रमुख केन्द्र हैं। निम्नलिखित तालिका में चमड़े के उत्पादन एवं उसके मूल्यों का दशाया गया है।

चमड़ा उद्योग का उत्पादन व विक्री मूल्य		
(लाख रुपये में)		
वर्ष	उत्पादन मूल्य	विक्री मूल्य
1981-85	2770.7	2422.83
90-9	7276.8	1034.73
1993-94	1902.99	20670.33
1994-95	9369.33	14350.51
1995-96	10741.09	16120.4

Source: Statistics of the Rajasthan 1995, 1994 & 1996

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में चमड़े के उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई। बस्तुतः राज्य में पशुपालन व्यवसाय विकसित होने के कारण चमड़ा उद्योग का नामा विकास हुआ है। राज्य के चमड़ा उद्योग से बना बस्तुओं की अन्य राज्यों के विभिन्न भागों में अत्यधिक मांग है अतः इस उद्योग के विकास की प्रवृत्ति सहायक विद्यमान है।

ऊना वस्त्र उद्योग (Wool Garments Industry)

राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में भेड़ों की सख्या अधिक है। अतः उन की प्राप्ति आसानी से हो पाती है और इन क्षेत्रों की जलवायु भी ऊना उद्योग के अनुकूल है।

ऊन वे नमदे कम्बल आसन घोड़े व ऊट का जीनें व मोटा कपड़ा बनाया जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से बीकानेर जोधपुर जैसलमेर व जयपुर में विकसित हुआ है।

हड्डी पीसना (Bone Crushing)

हड्डियों को पोसकर उनका विभिन्न कार्यों की दृष्टि से उपयोग किया जाता है। पशु अधिक होने के कारण राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में हड्डियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। हड्डी पीसने से भुज्यत घोन मि न प्राप्त होता है। जोधपुर जयपुर मेगल कोटा पलाना आदि में इसके कारखाने हैं।

हाथी दात का कार्य (Ivory Work)

हाथी दात से अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षों में हाथी दात पर चित्रकारी का कार्य भी किया जाता है। हाथी दात का काम मुख्यतः जयपुर माली जोधपुर व अजमेर जिले में किया जाता है। हाथी दात से बनी वस्तुओं का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है।

राजस्थान में हस्तशिल्प HANDICRAFTS IN RAJASTHAN

राज्य के कारीगरो व कलाकारों द्वारा अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। मिट्टी पत्थर पीतल हाथी दात सूती व रेगमी कपड़े लकड़ी व चमड़ आदि पदार्थों पर हाथ से काम करके अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पाली बगरु व सागानेर में हाथ से वस्तुओं का रंगाई व छपाई का कार्य किया जाता है। नाथद्वार की पिछवाड़ा और बाडमेर की अजरक प्रिट सम्पूर्ण राज्य एवं अनेक राज्या में प्रसिद्ध है। जयपुर व जोधपुर की बन्धेज की चुनरिया ओढनिया व लहरिये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। राज्य की राजधानी जयपुर में अनेक प्रकार की विश्व प्रसिद्ध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 250 ग्राम रूई से बनी रजाई स्वर्ण व चादी के आभूषण विभिन्न प्रकार के रत्न पीतल के बर्तनों पर चुनाई व रंगाई लाख से बनी चुड़िया मीनाकारी के बर्तन सलामा मितारो की कारीगरी से बनी जूतिया सागरमेर की मूर्तिया मिट्टी व लकड़ों के आकर्षक खिलौने बन्धु पाटी से बनी वस्तुएँ ऊनी गलीचे चन्दन व हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ खम के पानदान ऊँट की छाल में बनी धनुएँ आदि राज्य के विभिन्न भागों में कलाकारों व कारीगरो द्वारा निर्मित की जाती हैं। राज्य के कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ व बून्दी जिलों में रेशम उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। उदयपुर कोटा व बासवाडा जिलों में कृत्रिम रेशम (टसर) का भी विकास हो रहा है। कृत्रिम रेशम के उत्पादन हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें न केवल पर्यावरण सन्तुलित रहता है चरन

रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम का निर्माण भी किया जाता है। राज्य से विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। अतः राज्य का हस्तशिल्प व्यवसाय विदेशी मुद्रा प्राप्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हस्तकलाएँ सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अनेक प्रकार की हस्तशिल्प कलाएँ प्राचीनकाल से लेकर अब तक प्रचलित हैं। अनेक कलात्मक कृतियाँ सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प के उद्योग के लिए अनेक पथस किए हैं। प्रमुख प्रायस हैं

1 हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना (Handicrafts Board) हस्तशिल्प उद्योग योजनाएँ उत्पादन एवं निर्यात की दृष्टि से राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए 1990 की औद्योगिक नीति में विशेष बल दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गयी। 27 फरवरी 1991 को राज्य विधानसभा ने हस्तशिल्प बोर्ड विधेयक को पारित कर दिया।

2 आठवीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प (Handicrafts and Eighth Plan) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कम पूँजी विनियोजित करके बड़े पैमाने पर राजगार का सृजन किया जा सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प का विकास किया जा रहा है। हस्तशिल्प की यह इकाईयाँ पूरे प्रदेश में फैली हुयी हैं और य अधिकशत ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। इन शिल्पकारों का अपनी उत्पाद का उचित बाजार उपलब्ध नहीं होता साथ ही उनमें बाजार में विपणन करने की योग्यता की कमी भी पाई जाती है। इन कर्मियों को दूर करने के उद्देश्य से एव शिल्पकारों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत चयनित वस्तुओं के बाजार का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी दक्षता में सुधार लाया जाएगा तथा प्रचार एवं प्रदर्शन के माध्यम से उनकी वस्तुओं के विपणन की चला की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10 हजार कारीगरो व शिल्पकारों को लाभ पहुँचाने की सम्भावना है। इस कार्य हेतु आठवीं योजना में 1.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आठवीं योजना में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए 1.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत कला विकास केन्द्र कार्यशालामय निवास शिल्प कुटीर एवं हस्तशिल्प की बिक्री पर चूट आदि योजनाएँ सम्मिलित हैं। शिल्पकारों को विपणन में सहायता करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक विपणन समिति बनाने की भी योजना है। इस हेतु 3.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया

है। आठवाँ योजना के अन्तर्गत हर वर्ष छ जिलों में और इस प्रकार योजना क पाँच वर्षों में सभी 30 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

3 हस्तनिर्मित कागज क लिए सागानेर में राष्ट्रीय सस्थान' (National Institute of Handmade Paper in Sanganeer) यह राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज सस्थान हस्तनिर्मित कागज के देश में उत्पादन के विकास में सहयोग देगा। इस सस्थान में हाथ से बने कागजों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह के कागज के निर्माण में प्रौद्योगिकी परामर्श व्यापारिक सहायता प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास का कार्य यह सस्थान करेगा। उद्देश्यनाय है कि सागानेर देश भर में हाथ से बने कागज का प्रमुख उत्पादन केंद्र है और इस सस्थान का स्थापना सागानेर में इसीलिए का गयी है। सस्थान को समुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की आर से दो करोड़ रुपये और खादा तथा ग्रामोद्योग आयोग से 1.30 करोड़ रुपये की सहायता एशि प्राप्त हुई है। सस्थान के लिए इंग्लैण्ड जर्मनी जापान स्वीडन स्विटजरलैण्ड और अमेरिका से मशीन और उपकरण मंगाए गए हैं। सागानेर में निर्मित कागज की बिक्री में बड़ी सारक है और गत वर्ष जून में न्यूयार्क में कागज की एक प्रदर्शनी में सागानेर के कागज की श्रेष्ठ कागज का पुरस्कार भी मिल चुका है।

4 राजस्थान लघु उद्योग निगम एवं हस्तशिल्प (Handicrafts and Rajasthan Small Industries Corporation) राजस्थान में लघु उद्योग इजाडों तथा हस्तशिल्पियों के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम विभिन्न कर्मचारी एवं प्रोत्साहनत्मक गतिविधियाँ चला रहा है। भारतय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 3 जून 1961 को स्थापित निगम को 7 फरवरी 1975 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया था। निगम की बतमान अधिभूत पूजा सात करोड़ तथा प्रदत्त पूजा 4 90 करोड़ रुपये हैं। निगम का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष प्रथम निदेशक एवं 9 अन्य निदेशक हैं। प्रथम निदेशक मुख्य अधिशासी है। इनके अधीन कार्यकारी निदेशक महाप्रबंधक एवं सहायक उप महाप्रबंधक वार्षिक प्रबंधक एवं प्रबंधक कार्यरत हैं। निगम की ई एक दशक तक घाटे में रहने के बाद वर्ष 1991-92 में लाभान कर सका।

राजस्थान में हस्तकलाओं का अपनी ही विशेषता है। इन परम्परागत कलाओं को पीढ़ा दर पीढ़ा कायम रखने और विकसित करने के लिए राजस्थान के हस्तशिल्पियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। परम्परागत हस्तशिल्प के समुचित विकास एवं प्रचार प्रसार का निगम में यह निगम सन्तु प्रयासरत है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन हेतु

निगम द्वारा प्रदेश में व अन्य राज्यों में प्रमुख नगरों में राजस्थली एम्पोरियम जयपुर आमेर (जयपुर) उदयपुर जैसलमेर भाउट आवु, नई दिल्ली मुंबई कलकत्ता गरियाहट (कलकत्ता) आगरा अशोक होटल नई दिल्ली प्रगति मेदान नई दिल्ली एवं होटल ओबेक्षय टावर्स मुंबई में संचालित हैं। प्रदेश के दर दर क्षेत्रों में हस्तशिल्पियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने तथा उन्हें आवश्यक जानकारी डिजाइन विकास मार्गदर्शन तथा विपणन सहयोग प्रदान किया जाता है।

विपणन के अतिरिक्त निगम द्वारा समय समय पर विभिन्न स्थानों पर देश के कोने कोने में एच विदेशों में भी विज्ञापन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है। इनमें स्वयं कलाकारों व उत्पादकों की सक्रिय भागीदारी रहती है। निगम हस्तशिल्पियों के साथ सीधा सम्पर्क रखता है तथा माल की छाराद उत्पादकों व हस्तशिल्पियों से सीधी का जाती है। निगम द्वारा कतिपय लघु प्राय हस्तशिल्पियों को पुनर्निर्मित करने के भी विशेष प्रयास किए गए हैं। जोधपुर बाडमेर उदयपुर एवं कोटा व भजमेर में हस्तशिल्प उपार्जन एवं प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों द्वारा हस्तशिल्पियों को बाजार में लोगों की अभिरूचि और आवश्यकता के अनुरूप कार्य हेतु प्रेरणा भागदर्शन एवं सहयोग दिया जाता है। निगम के जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र की गतिविधि को अधिक प्रभावता बनते हुए इसके माध्यम से विशिष्ट कलाओं की समुन्नत आधार पर विकासमान बनाया जा रहा है।

हस्तशिल्प के प्रति मुख्यतः पर्यटकों में प्रमुख आकर्षण रहता है। इसी दृष्टि से हाल ही में दिल्ली तथा जयपुर स्थित राजस्थली एम्पोरियम का नवनाकरण किया गया है। निगम के जयपुर स्थित राजस्थली शौल्म की प्रथम मात्रत प्रदर्शनी स्थल के रूप में उपयोग करत हुए वहां समय समय पर विशिष्ट प्रकार की हस्तशिल्प वस्तुओं की विशेष प्रदर्शनाय समयबद्ध रूप में आयोजित करने की व्यवस्था है। विगत अवधि में टैगोर्टा क्लयु पाँटा हाथ का रेशम के कपड व साट्टियाँ कलात्मक फर्निचर ग्लासे व फर्श आद का प्रदर्शन किया गया।

राज्य स्तरय पुरस्कार उत्कृष्ट कलात्मक कार्य एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अब तक राजस्थान की 53 हस्तशिल्पियाँ राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित हुए हैं। निगम द्वारा हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार की तरह राज्य स्तरय पुरस्कार तथा दक्षता प्रमाण पत्र देने की योजना वर्ष 1994 से प्रारंभ का गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रेष्ठ शिल्पियों को ताम्रपत्र अग वस्त्र तथा 5 हजार रुपये का नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है तथा अन्य

हस्तशिल्पियों को दशता पुरस्कार स्वरूप एक हजार रुपये अग वस्त्र तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

पैंशन योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हस्तशिल्पियों में से अधिकांश व्यक्तियों को ये लाभ नहीं मिल पाता अतः भारत सरकार की योजना की भांति ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 10 राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता हस्तशिल्पियों को वृद्धावस्था पैंशन देने की योजना प्रारंभ की गई है।

सामूहिक बीमा योजना राजस्थान में हस्तशिल्पी प्रदेश भर में सुदूर अचलो में बसे हुए हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सतोषप्रद नहीं है। भारत सरकार की नीति के अनुसार ऐसे हस्तशिल्पियों के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की गई जिसके अनुसार सामान्य मृत्यु होने पर रुपये तीन हजार तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर उह हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम द्वारा परिवार के सदस्य को देने का इस योजना में प्रावधान है।

डिजाइन विकास एवं शोध केन्द्र हस्तशिल्प में डिजाइन विकास तकनीक को ध्यान में रखते हुए निगम के डिजाइन विकास केन्द्र में पुराने डिजाइनों को नए रंगों के साथ तालमेल कर नए डिजाइनों का विकास किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर परिसिद्ध जयपुरी रजाइयाँ बंधेज का कार्य बत्ताक प्रिटिंग आदि नये डिजाइनों में उत्पादन विकास पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प ब्ल्यू पाट्टी भाडना साड़ियों टेराकोटा क कलात्मक सृजन में नए तकनीक में डिजाइन विकास एवं उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। राज्य में ऊनी गलीचा उद्योग के विकास की त्रिपुल सभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा 28 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को 250 रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिया जाता है। निगम द्वारा बीकानेर में उस्ता कैमिता हाइड प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित चालू रखा गया जहाँ पात्र प्रशिक्षणार्थी केंद्र की छान पर सोने की निर्रकारी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। त्रिशष्ट कन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जजार्जि श्वर में निगम द्वारा दरी बुनाई एवं फर्नीचर बनाने में प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं।

निर्यात राज्य में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने काबत निगम द्वारा आयात निर्यात की प्रक्रिया विपणन तथा अन्य उपकार्य सुविधा की जानकारी देने के साथ साथ वर्ष 1979 में सागनेरी (जयपुर) में स्थापित एयर कारगो काम्पनरूम के माध्यम से सीधे ही निर्यात को सुविधा प्रदान की जा रही है जिसका लाभ राजस्थान के हस्तशिल्पियों की वस्तुओं मिते सिन्हाए वस्त्र गलीचा मूल्यवान एवं

अर्द्धमूल्यवान जवाहरात आदि के निर्यातक प्राप्त कर रहे हैं।

5 प्रमुख राजस्थानी हस्तशिल्प (Important Handicrafts in Rajasthan) प्राचीन काल से ही राजस्थानी हस्तशिल्प का देश विदेश में महत्व रहा है। राजस्थान हस्तशिल्प की दृष्टि से एक धनी राज्य है। राजस्थान में हाथ से बनाई गई अनेक वस्तुएं विषय भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी हस्तशिल्प की प्रसिद्ध वस्तुओं में मूल्यवान रत्नों को कटाई जड़ाई सोने चांदी के कलात्मक आभूषण पीतल पर खुदाई भराई पत्थर व लकड़ी पर खुदाई ब्ल्यू पॉट्टी लाल व हाथीदात का सामान चन्दन की वस्तुएं सागनेरी प्रिट के कपड़े पाली व मारवाड के रगाई छपाई के वस्त्र दोटा की डारिया साड़िया बीकानेर के कार्तीन व कम्पत्त जयपुर की मूर्तिया उदयपुर सर्वाभूषण व झगरपुर के लकड़ी के खिलौने शाहपुरा की फड पैन्टिंग जैसलमेर व बाडमेर में जाती के कपड़े पर हाथ की छपाई नाथद्वारा ज्योती जयपुर व जोधपुर की बधोज की साड़िया उदयपुर की हाथीदात की वस्तुएं सलमा सितारो व गोटे किनारी के काम से युक्त परिधान तागोर के लोहे के औजार आदि प्रमुख हैं।

राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकराए निम्नलिखित हैं

(1) **हाथी दात का काम** हाथी दात से कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। राज्य में उदयपुर जयपुर तथा भरतपुर में हाथी दात पर खुदाई व कटाई करके कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जोधपुर में हाथीदात से कलात्मक वृद्धिया बनाई जाती हैं जिन पर लाल काली व हरी धारिया होती हैं। हाथी दात के टिनाने शतरंज की मोहर कपड़े मूर्तिया महिलाओं के चूड़ मंगिया पहुँचिया अगूठिया व कर्णाभूषण बनाए जाते हैं।

इनके अतिरिक्त गिलास हुये दानी पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंगा पखिया पशु पक्षी फूल पतिया बारीक जातीदार कटाई से युक्त कलात्मक वस्तुएं भी हाथी दात से बनाई जाती हैं।

(2) **चमड़े का काम** पशुधन की दृष्टि से राजस्थान एक सम्पन्न राज्य है। हस्तशिल्पियों पशुओं की खाल पर अनेक प्रकार की कलात्मक एवं उपयोगी वस्तुएं तैयार करती हैं। जयपुर में गण्डे की कलात्मक जूतिया तथा जूते बनाए जाते हैं। जयपुरी जूतिया (भोजवी) कलात्मक व सजावटी होने के साथ साथ हल्केपन के कारण लोकप्रिय हैं। पर्स बैल्ड जैम आसन आदि भी चमड़े से बनाए जाते हैं।

ऊट की खाल से तल व घी रखन की कपिया शेरतानना मुगहिया कलात्मकतापूर्ण रौम्य रोड व आसन बनाए जाते हैं।

(3) **वस्त्र पर रगाई छपाई का कार्य** जस्ता पर रगाई

वस्तियों से मिले प्रमाण इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण है। राजस्थान में मूर्तिकला कालान्तर में भी फलती फूलती रही लेकिन उसका वह व्यापक स्वरूप नहीं रहा जो ईसा की चौथी शती तक था। आधुनिक राजस्थान में भी मूर्तियां बनाने का कार्य विशाल पैमाने पर किया जाता है। अधिकांश मूर्तियां पत्थर विशेषतः सगमरमर के पत्थर से निर्मित की जाती हैं। सगमरमर से सजावटी मूर्तियां कलात्मक निर्माण की वस्तुएं महापुरुषों की प्रतिमाएं पञ्चारे आदि बनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं महापुरुषों सतो महात्माओं आदि की सगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ की सगमरमर के पत्थर से बनी मूर्तियों का देश एवं विदेश में निर्यात किया जाता है। इस व्यवसाय में हजारों कारीगर कार्यरत हैं। वर्तमान में जयपुर मूर्तिकला का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों पर धातुओं एवं लकड़ियों से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनाने में अत्यधिक समय धन एवं शक्ति खर्च होता है जबकि कारीगर को उतनी मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। अतः कारीगर हतोत्साहित होता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा कारीगरों का शोषण भी किया जाता है। इसलिए अनेक कारीगर इस उद्योग के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं। सरकार को राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहिये।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ

1 कच्चे माल का अभाव - राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः वान्छित माल उत्पन्न करना कठिन होता है। इन उद्योगों को एक ही किस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पादित माल का किस्म में भिन्नता होती है।

2 शक्ति की कमी - विद्युत की अपर्याप्त पूर्ति के कारण न केवल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वरन् इसमें श्रमिक भी प्रभावित होते हैं। अतः उद्यमियों को आर्थिक हानि होती है। नवीन इकाइयों को विद्युत वनेक्षण क्षेत्रों में मिलने के कारण इन उद्योगों का तीव्र विकास नहीं हो पाता है।

3 वित्त का अभाव - राज्य के बैंक लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्यशील पूंजा सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अतः वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

4 नवीन तकनीक का समस्या - लघु एवं कुटीर उद्योगों नवीनतम तकनीक अपनाना कठिन होता है क्योंकि नई तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। अतः पुरानी तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें उनी लागतों के कारण अधिक रहती हैं। अतः उत्पादित माल का बिक्री कठिन होता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा - लघु व कुटीर उद्योगों का कच्चे माल की खपत एवं निर्मित माल में बिक्री में बड़े

उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में लघु व कुटीर उद्योग नहीं टिक पाते हैं फलतः उन्हें हानि होती है।

6 कुशल प्रबंध का अभाव - इन उद्योगों में परिष्कृत प्रबंधकों के अभाव के कारण कुशल प्रबंध का अभाव बना रहता है। अतः साधनों का अपच्यय एवं आर्थिक हानि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

7 निर्मित माल की बिक्री की समस्या - इन उद्योगों का सदैव बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा बरनी पड़ती है अतः निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 औद्योगिक रूपांतरण - वित्तीय संसाधनों में प्रावधान का दुरुपयोग प्रयत्नहीन अकुशलता आदि कारणों से अनेक औद्योगिक इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की मात्रा में कमी के कारण भी औद्योगिक रूपांतरण में वृद्धि हुई।

(viii) **पीतल की कलात्मक वस्तुएं** - जयपुर व अलवर में पीतल पर फूटा पत्तियों व प्राकृतिक दृश्यों की खुदाई व जडाई का काम किया जाता है। राज्य में पीतल की धिसाई तथा पॉलिश करके अनेक प्रकार की सजावटी चीजें तैयार की जाती हैं। पीतल से देवी देवताओं के सिंहासन पशु पक्षी दीपदान फूलदान जालीदार झाड़ पानूस गुलदस्तों टोम्पस्टेण्ड तथा अन्य विविध प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं।

पीतल की वटाई करके मीठकारी का कार्य भी किया जाता है। पीतल पर पेड पोथो बेल चूटे पशु पक्षी युक्त बाग तथा राजा की महपिल आदि को निर्माकित किया जाता है।

(ix) **ब्ल्यू पाट्टी** - राजस्थान में बीकानेर जयपुर तथा अलवर में काच गोद मुक्तता में मिट्टी व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नीले सफेद हरे व काले रंग में विभिन्न बेलबूटों से युक्त डिजाइनदार बर्तन फूलदान एण्ड मुण्डरी व कलात्मक खिलौने भी बनाए जाते हैं। अलवर में बहुत फाले परतदार कागजी बर्तन बनाए जाते हैं। बीकानेर में सुनहरी पेंटिंग वाले शीशी मिट्टी के कलात्मक सजावटी बर्तन व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। बलात्मक स्मृति चिह्न भी ब्ल्यू पाट्टी से बनाए जाते हैं।

(x) **वागज** - सागनेर (जयपुर) में गजगुण व टिगारु कागज बनाया जाता है। यह नामक प्राचीनकाल से ही बहुतायत रूप से मत्स्यपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा है। सर्वादि माधोपुर में भी हाथ से वागज बनाया जाता है।

(xi) **लाछ व काका काम** - राज्य में जयपुर व जापुर में लाछ का काम अधिष्ठित किया जाता है। लाछ से खिलौने निर्माण लगाने के लक्ष्य के लिए लाछ गुलदस्तों ईयर रिंग गले काफिर अगूठी घाँटनी मूर्तियाँ, पण्डो आदि बनाए जाते हैं। लाछ की चूड़ियाँ चक्रे तथा पाट्टों महिनाओं में विभिन्न प्रकार के

है। महिलाओं का रचित के अनुसार लाख से बचाए जाने वाला बहारांगी चूड़िया व चूड़ा पर काच के गोल चाकोर तथा विविध आकार के दार विपकन्य जात है। जिससे इनके स्वरूप में आकर्षक बदलाव आता है। लकड़ी पर लाख का लेपन करके बहुत ही कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। लाख के स्थान पर काच व प्लास्टिक की चूड़ियों के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण विभिन्न प्रकार की कलात्मक चूड़ियाँ भी बनाई जाने लगी हैं।

(xii) **आभूषण** - सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए जयपुर जाधपुर अजमेर व उदयपुर राज्य में प्रसिद्ध हैं। जयपुर में रत्ना कां कटाव व जड़ाई का काम बहुत सुन्दर होता है। वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम रत्ना का व लघु कलात्मक कटाई व पॉलिश करने का काम बढ़ रहा है। सोने चांदी तथा प्लेटिनम के खूबसूरत आभूषण भी बनाए जाते हैं।

(xiii) **ओढ़निया एवं चुनडिया** - महिलाओं के परिधान की चुनडिया ओढ़निया तथा लहरिये आदि भी सुन्दर ढंग से बनाए जाते हैं। राज्य में बधज की ओढ़नियों का विशेष प्रचलन है जिन्हें चुनडिया का नाम से जाना जाता है। जोधपुर में उत्कृष्ट क्रिस्म की ओढ़निया व चुनडिया बनाई जाती हैं। राज्य में पाला ब्राजिनर वाडमेर जयपुर उदयपुर व नाथद्वारा में भी बधज साडियों का काम होता है। घुघट की डुगरगाहा भादरिये का विशेष प्रचलन ग्वाथों में है। मावन भाटा व गणगौर पर्वों पर 'लहरिये' पहने जाते हैं।

राजस्थान में ही राजस्थान में हस्तकलाओं की विभिन्न पद्धतों की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्य में हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रोत्साहन देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की समस्याएँ

1 कच्चे माल का अभाव - राज्य के लघु एवं कुटीर उद्योगों का उचित मूल्य पर पराम माग्य में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः बचिच माल उत्पन्न करना मुश्किल होता है। इन उद्योगों को एक ही क्रिस्म का कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण उत्पादित माल का क्रिस्म में भिन्नता होती है।

2 श्रमिकों का काम - विद्युत का उत्पादन पतन के कारण उत्पन्न व बिजली प्रभाव पड़ता है वगन इससे श्रमिक भी प्रभावित होते हैं। अतः उद्योगियों को अधिक रहाने देना है। नवान इकाइयों में विद्युत कनेक्शन देरी से मिलने के कारण इन उद्योगों का लक्ष्य विकास नहीं हो पाता है।

3 रित का अभाव - राज्य के क्षेत्र लघु एवं कुटीर उद्योगों को कायमता प्रदान करने के लिए आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाता है। अतः वित्तीय अभाव के कारण इन उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन पर विपणन प्रभाव पड़ता है।

4 नवान तकनीक की समस्या - लघु एवं कुटीर उद्योगों में नवान तकनीक अपनाया कठिन होता है। अतः नई तकनीक को लागत बहुत अधिक होता है। अतः नवान तकनीक से उत्पादित माल की कीमतें उच्च लागतों के कारण अधिक रहती हैं। अतः उत्पादित माल को बेचना कठिन होता है।

5 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा - लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की खरीद एवं निमित्त माल की बिक्री में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में लघु व कुटीर उद्योग नहीं टिक पाते हैं। फलतः उन्हें हानि होता है।

6 कुशल प्रबन्ध का अभाव - इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों के अभाव के कारण कुशल प्रबन्ध का अभाव बना रहता है। अतः साधनों का अपव्यय एवं अधिक हानि की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

7 निर्मित माल की बिक्री की समस्या - इन उद्योगों को सदैव बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ती है। अतः निर्मित माल को बेचना कठिन होता है।

8 औद्योगिक रण्यता - वित्तीय सम्पत्तियों से प्राप्य धन का दुरुपयोग प्रबन्धकों की अकुशलता आदि कारणों से अनेक औद्योगिक इकाइयों बन्द हो जाती हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की भाग में कमी के कारण भी औद्योगिक रण्यता में वृद्धि हुई।

लघु व कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सुझाव

- इन उद्योगों के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं
- 1 सरकार द्वारा कच्चे माल का आपूर्ति समय पर की जाना चाहिए।
 - 2 इन उद्योगों के लिए कायशाल पूजा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
 - 3 विद्युत का पर्याप्त पूर्ति हेतु राज्य का विद्युत क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।
 - 4 लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल को बिक्री हेतु दश एवं विदेशों में बाजार का खोज को जाना चाहिए।
 - 5 नवान तकनीक अपनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिक सहायता प्रदान की जाना चाहिए।
 - 6 एक विशिष्ट योजना के द्वारा औद्योगिक रण्यता को समस्या का हल किया जाना चाहिए।
 - 7 इन उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
 - 8 इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल को क्रिस्म में सुधर किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान के लघु उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the Small Scale Industries in Rajasthan
- SIDBI राजस्थान में लघु उद्योगों को इकट्ठा करने में मदद कर रहा है।
How SIDBI has helped SSI units in Rajasthan?
- राजस्थान के गांवों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कैसे हो सकती है? इनका विकास कैसे किया जा सकता है?
What village industries may be set up in villages of Rajasthan? How they may be developed?
- राजस्थान की हस्तकलाओं पर टिप्पणी लिखिए।
Write about hand crafts of Rajasthan
- लघु एवं कुटीर उद्योगों के उदाहरण बताइए।
Mention the sub-sectors of Small Scale and Cottage Industry
- लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है?
What is the difference between Small Scale & Cottage Industry?
- राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on village industries in Rajasthan?
- राजस्थान की पट्टी उद्योगों की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।
Mention the present position of Pottery industry in Rajasthan
- "राजस्थान का बूढ़ा उद्योग राजगढ़ का मलखपुरा मानो" बयान को समझिए।
Bidi Industry of Rajasthan is an important source of employment. Discuss
- राजस्थान के प्रमुख हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए।
What are the main handicrafts of Rajasthan?

(B) निवृत्त प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान में लघु उद्योगों एवं हस्तकलाओं की महत्त्व का स्पष्ट कीजिए। लघु उद्योगों का समस्याओं का निवारण कीजिए तथा उन्हें दृढ़ करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
Explain the importance of Small Scale industries and Hand crafts in Rajasthan. Analyse the problem of Small Scale Industries and also suggest the measures to improve them
- लघु एवं कुटीर उद्योगों में आर्थिक समझौता है? लघु एवं कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में महत्त्व बताइए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Describe the importance of cottage & small scale industries in the economy
- राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सम्बन्धित संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Discuss the different institutions involved in the development of small and cottage industries in Rajasthan
- राजस्थान के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए।
Explain the main small scale & cottage industries of Rajasthan
- राजस्थान की हस्तकलाओं पर एक निवृत्त प्रश्न लिखिए।
Write an essay on Hand crafts of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न


(University Examination Questions)

- राजस्थान में लघु उद्योगों एवं हस्तकलाओं पर एक निवृत्त प्रश्न लिखिए।
Write a short note on Small Scale Industries and Hand crafts in Rajasthan
- लघु एवं कुटीर उद्योगों में आर्थिक समझौता है? लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए।
What do you understand by cottage and small scale industries? Differentiate between cottage & small scale industries
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सम्बन्धित संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
Explain in brief the different cottage and small scale industries development in the state economy
- लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में आर्थिक समझौता है? लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए।
Explain the problems of cottage and small scale industries. Discuss the measures to overcome them

अध्याय - 16

राजस्थान की औद्योगिक नीति, सुविधाएं व रियायतें

INDUSTRIAL POLICY, FACILITIES AND CONCESSIONS
IN RAJASTHAN



एक औद्योगिक नीति का अर्थ है किताब का अर्थ है कि

औद्योगिक नीति का अर्थ व महत्व

NING &

किरी) भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र के विभिन्न सप्ताहों को एकीकृत करना, उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करके औद्योगिक विकास को गति देने सम्बन्धी कार्य प्रायः सरकार द्वारा ही किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन सरकार स्वयं करती है और शेष कार्य निजी उद्योगपतियों के लिए छोड़ दिये जाते हैं। कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। अतः सरकार स्वयं के साधनों के द्वारा ऐसे कार्यों का सम्पन्न करती है। औद्योगिक विकास की प्राथमिक अवस्था में औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया जाता है। विभिन्न सरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः निजी व्यक्ति ये कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। ये कार्य प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। इसी प्रकार विदेशी सहायता विदेशी ऋण एवं सहायण सम्बन्धी गतिविधियाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्गत ही सम्पन्न की जाती हैं किन्तु खुली अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि राज्य की कोई म्यारत औद्योगिक नीति नहीं होती है। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाता है और राज्य सरकार उसी के अनुरूप औद्योगिक नीति का संचालन करती है। केन्द्र सरकार के प्रारूप के अनुसार ही राज्य सरकार उसी के अनुरूप औद्योगिक नीति का संचालन करती है। केन्द्र सरकार के प्रारूप के अनुसार ही राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये एक ऋण रचना बनाती है। इसे ही राज्य की औद्योगिक नीति कहा जाता है। इस प्रकार राज्य केन्द्रीय विभागाध्यक्ष का ही अनुसरण करता है।

1985-86 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1985-86) इस नीति में सेक्टर में वृद्धि करने वाले उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता क्रम के अन्तर्गत खानों व दामिण उद्योगों का विकास प्राथमिकता प्राप्त किया गया। विनियोग सॉल्यूशंस को जारी रखा गया और राजस्थान वर को योजना को अधिप आर्थिक बनाया गया। राजस्थान लघु उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र, टर्मिनलियों एयर वार्गो हॉस्पिटल और विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा विकास निगम (1984) के माध्यम से वृद्धि का निरक्षण किया गया। रेशम व टार के विकास को प्रोत्साहन एवं विशेष दर दिया गया। रक्षा को प्रोत्साहन देना प्रस्तावित

और रीवो द्वारा तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया गया। राजस्थान वित्त निगम के कार्यों के विस्तार करने का निश्चय किया गया और पूँजी विनियोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक रियायतों की घोषणा की गई। राज्य में छोटे रेत लाइन को बंद कर बड़ी रेत लाइन के निर्माण हेतु रेत मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया।

1986-87 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1986-87) 1987 में राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम अर्थात् औद्योगिक नीति में रीवो के अधीन व विण्डो सर्विस चालू करने की घोषणा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्योगपतियों को सभी सुविधाएँ एवं ही स्थान पर उपलब्ध करना है। उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम एवं रीवो के समुच्चय सहयोग से उद्योगों के विस्तार का निश्चय किया गया। उद्योगों के विकास हेतु 1987-88 में रीवो योजना में राजस्थान वित्त निगम व रीवो द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यापक की गई। यह ऋण तत्पु एन मध्यम श्रेणियों के उद्योगों का प्रदान करने का निश्चय किया गया। नाराई के सहयोग से 1987-88 में 10,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। खनिज आधारित उद्योगों में विकास हेतु खनिज पट्टे स्वोच्च करने का कार्यक्रम तैयार किया गया। वृषि व पर्यटन समदा पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये विद्युत शक्ति भूमि आरक्षण की सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का निश्चय किया गया। हावल जेनेरेटिंग प्लांट के लिये एन आर जी की प्रणाली को सरल बनाने तथा नवीन इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए अनुदान में वृद्धि करने पर बल दिया गया। रक्षा औद्योगिक उद्योगों को कर्मों से रियायत करने और संचालन को प्रोत्साहन देना प्रस्तावित करने का निश्चय किया गया और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहन पर भी प्रस्तावित

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1990 एवं उद्योगों को रियायतें व सुविधाएँ

INDUSTRIAL POLICY OF RAJASTHAN, 1990 & CONCESSIONS AND FACILITIES TO INDUSTRIES

1. उद्देश्य (Objectives) राजस्थान में औद्योगिक नीति को प्रस्तावित 1977 में हुई सर्वोच्च प्राथमिकता क्रम में राज्य की औद्योगिक नीति में अन्तर्गत प्रस्तावित राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति का प्रस्तावित

अ राजस्थान राज बुजार सहकारी सघ यह सघ मराठी क्षेत्र में सम्बन्धित है।

ब राजस्थान हस्तकरमा विकास निगम यह निगम व्यक्तिगत बुनकरों का है और राज्य में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास करता है।

राजस्थान में हैण्डलूम क्षेत्र का विकास व्यावसायिक एव सार्वजनिक आधारों पर किया जायेगा। बुनकरों को उचित बीमत पर बच्चे माल तथा धान उपज बढ़ाने की सुविधा व्यवस्था की जायेगी। नवीन डिजाइनों की खोज तथा हैण्डलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जायेगा। हैण्डलूम उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन व्यवस्था से और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। बमबोर का अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बुनकरों की आय में सुधार करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जायेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में एस एचआर नये हैण्डलूम स्थापित किए जायेंगे जिनसे लगभग 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। उद्योग निदेशालय में हैण्डलूम प्रबोधि को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

7. हस्तकलाएँ (Handicrafts) राजस्थान की हस्तकलाएँ सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं यह क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं व उत्पादन निर्गत एव रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के विकास हेतु अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में हस्तकलाओं के विकास हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जायेंगे

(अ) हस्तकलाओं का वैज्ञानिक आधार पर विकास करने हेतु एक डिजाइन कवियाम केन्द्र की स्थापना की जाएगी। राज्य के बजारों में तो कच्चा माल उपज बढ़ाने तथा हस्तकलाओं से सम्बन्धित वस्तुओं पर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जायेंगे हैण्डलूम विकास केन्द्रों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जायेगी जहाँ कलाकारों की अधिकता है। यह विकास केन्द्र कलाकारों को कच्चे माल विपणन एव मार्दशीय पूजा आदि की सुविधाएँ प्रदान करने से राजस्थान लघु उद्योग निगम हस्तकलाओं के निर्माण हेतु विशेष प्रयास करेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम निर्माणों से आवश्यकता मूनाएँ व विपणन प्रणाली आदि सबकुछ आकर्षक उपलब्ध करेगा। राज्य में परम्परागत बजारों व हस्तकलाओं का विकास करने के उद्देश्य से हस्तकला समसूचक की स्थापना की जायेगी। शिल्पकलाई योजना (राजस्थान चित्र निगम द्वारा मालिका) के अन्तर्गत राज्य के

विभिन्न स्थानों पर नवीन शिल्पकलाईयों की स्थापना की जायेगी। कलाकारों के लाभार्थी तलाये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा और उनमें सुधार किया जाएगा। राजस्थान में हस्तकलाओं के विकास हेतु एक हस्तकला बोर्ड की स्थापना की जायेगी। यह एक सलाहकारी संस्था होगी। वर्तमान में 'गड' व स्थानों विधायन हेतु देश के अन्य राज्यों को भेजी जात है। राज्य में ही 'गड' व स्थानों के विधायन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। राज्य एव राष्ट्रीय स्तरों पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत वृद्धवस्था प्रेशन स्कीफ्ट की जायेगी। उन क्षेत्रों में जहाँ कलाकारों की संख्या अधिक है समूह बीमा योजना व स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने की योजना विचारणीय है। राजस्थान में कलाओं एव हस्तकलाओं का पूर्णतः सर्वेक्षण किया जायेगा।

8 औद्योगिक क्षेत्रों का रख रखाव व संरचनात्मक सुविधाएँ (Infra Structure facilities and Maintenance of Industrial Areas) औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु विशेष बल दिया जायेगा। विकास केन्द्रों के समन्वित विकास पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि आगामी दशक में इन केन्द्रों का तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। जिन क्षेत्रों का पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका है वहाँ सलाहकारी समितियों की स्थापना की जायेगी इन समितियों में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि भी होंगे। ये समितियाँ औद्योगिक क्षेत्रों के रख रखाव एव विकास हेतु अपने सुझाव देंगी। राज्य सरकार मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र सरकार से बराबर अनुरोध करती रहेगी। 'वीरो' विकास केन्द्रों पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं में सुधार करने हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक केन्द्रों के विकास हेतु विशेष स्कीमा का निर्माण करके केन्द्र सरकार को भेजेगी। भारत सरकार ने आबू रोड पालापाड पीलवाडा रोकरने व पीलतुर का विकास केन्द्रों के लिए प्रथम क्रिया है आठवीं योजना में प्रत्येक विकास केन्द्र पर संरचनात्मक सुविधाओं के विकास एव विकास हेतु 30 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। राज्य सरकार रूट और विकास केन्द्रों की रीति प्रथा करने का प्रयास करेगी। मुख्य मंत्रि की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जायेगी जो राज्य के विभिन्न विकास केन्द्रों का संरचनात्मक सुविधाओं का अध्ययन करेगी। यह समिति स्थानात्मक उद्योग समितियों व उद्योगों में प्रतिनिधि मण्डल के पश्चात् मित्रों के समक्ष आकर विकास केन्द्रों की स्थापना में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों व समस्याओं का समाधान किया जा सके।

एमे उपभोक्ताओं को इस अवधि के लिए न्यूनतम निर्माण व्ययों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक इकाइयों से गत तीन माह के अधिकतम उपभोक्ता पर आधारित 15 दिन के उपभोग के बराबर कैश सिक्कुरिटी वसूल की जायेगी। 'गार्जल जनरेटिंग सैटम' लगाने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को नई इन्फ्रस्ट्रक्चर दी जायेगी। यह सिक्कुरिटी डीजल सैट्स की लागत के 25 प्रतिशत अथवा 50 000 रुपये जो भी कम होगा तक म्बोकृत की जायेगी।

11. मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण एवं विकास (Survey & Development of Human & Physical Resources)

(अ) भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण (Survey of Physical Resources) राजस्थान में भौतिक संसाधनों का जिला-स्तरीय सर्वेक्षण 1986 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया था। राज्य सरकार एक नया सर्वेक्षण करेगी जिसके अंतर्गत जिलानुसार औद्योगिक सम्भावनाओं का सर्वेक्षण व उसके नवीन पारि-योजना तैयार की जायेगी। प्रत्येक जिले के लिए उद्योग की स्थिति व अनुसार सुचनाएं एकत्रित की जायेगी। राज्य के विभिन्न उद्योगी कॉमिश्नर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट जिता उद्योग केन्द्रों में प्राप्त कर मकेगे। उद्यमियों को खादी व ग्रामीणोद्योग बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, राजस्थान कन्सल्टेंसी और अन्य मन्थ्याओं द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी। रीको के द्वारा भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी और विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ब) मानवीय संसाधनों का विकास (Development of Human Resources) औद्योगिक इकाई को ध्यान में रखते हुए इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट्स के द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जायेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम, गलीचा निर्माण तथा प्लास्टिक प्रिंटिंग के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह निगम अन्य हस्तकलाओं के लिए भी नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगा। राज्य के जनजाति क्षेत्रों में छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मरुत्वा में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी और नये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जायेंगे। हैण्डलूम बुनकरों के लिए जयपुर में बुनकर सेवा सभ की स्थापना की गई है। यह सभ बुनकरों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी

सलाह प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी फेडरेशन, राजस्थान राज्य हैण्डलूम विकास निगम द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। हाऊमहोल्ड इण्डस्ट्रीज प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा निर्धन स्त्रियों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 22 प्रशिक्षण केन्द्र चलायें जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इनकी सहायता में वृद्धि की जायेगी। राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राज्य के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है। यह बोर्ड अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार करेगा। राज्य सरकार उन कलाकारों एवं कर्तियों को सहायता प्रदान करेगी जो प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य में राज्य से बाहर भेजे जाते हैं। वर्तमान में कुछ बुनकर हैण्डलूम के प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे जाते हैं। इनके स्टूडिण्ड दिया जाता है। राज्य में उच्चतर-स्तरीय विकास करने हेतु एक उद्यमशीलता का विकास मन्थ्या की स्थापना की जायेगी। नागौर में परम्परागत तरीकों से हाथ के और तैयार किये जाते हैं। नागौर में हैण्डलूम डिजाइन डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। यह संस्था ग्रीष्म ऋतु अपना कार्य प्रारंभ करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ऐसी ही अन्य संस्था की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। इसी प्रकार यह प्रस्ताव भी भेजा गया है कि ट्रेनिंग फॉर प्लास्टिक एण्ड इन्जीनियरिंग टूल्स, मद्रास का एक शाखा कार्यालय राजस्थान में खोला जायें। रीको ने भी एक टूलरूम स्थापित करने का प्रयास किया है। अजमेर में एक सेरेमिक ट्रेनिंग सेन्टर तथा जयपुर में आपूर्ण डिजाइन सेन्टर की स्थापना की जायेगी। राज्य में निर्मित परिधानों के निर्यात की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने परिधान डिजाइन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है।

12. सार्वजनिक एवं समुक्त क्षेत्र (Public & Joint Sectors) राज्य सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि केन्द्र सरकार, राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अधिक पूंजी का विनियोजन करे। राज्य सरकार उपलब्ध साधनों, के अनुसार राज्य के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में पूंजी विनियोजित करेगी। रीको, अशापूजी के माध्यम से समुक्त क्षेत्र में विनियोग करता है। इसके अतिरिक्त, रीको, बड़े उद्योगों में अशापूजी के माध्यम से विनियोग करने का प्रयास करेगा। विभागीय आधार पर राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जायेगी। घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लाभ की स्थिति लाने के प्रयास किए जायेंगे। यदि इस कार्य में मरुत्वा नहीं मिलती है तो

ऐसे मार्जिनिक उपक्रमों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा।

13 एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (Ancillary Industries) - वर्तमान में राजस्थान राज्य में 69 एन्सिलरी इकाइयाँ कार्यरत हैं, इनमें से 42 इकाइयाँ इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा 14 इकाइयाँ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर, 8 इकाइयाँ हिन्दुस्तान वॉर्म लिमिटेड, खेतड़ी और 6 इकाइयाँ हिन्दुस्तान पिच लिमिटेड उदयपुर पर आधारित हैं। एन्सिलरी उद्योगों के विकास हेतु राज्यस्तर पर एक मण्डल विद्यमान है। राज्य में एन्सिलरी उद्योगों का समर्थन किया जायेगा और इन उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। राज्य सरकार निजी क्षेत्र व मार्जिनिक क्षेत्र में और अधिक एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज की स्थापना का प्रयास करेगी।

14. प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सिंगल विण्डो सिस्टम (Simplification of Procedure and Single Window system) - प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के प्रयास किए जायेंगे। बितास्तर पर उद्यमियों को सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चयनित क्षेत्रों पर नवीन योजना चालू की जायेगी। यदि यह योजना सफल रही तो इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जायेगा। गैसों में राज्यस्तर पर सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने का उद्देश्य से, व्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन नामक एक पृथक प्रकल्प की स्थापना की गई है। यह प्रकल्प अपना वर्तमान स्थिति में सिंगल विण्डो सेवा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अतः राज्य स्तर पर एक पृथक व्यूरो और इण्डस्ट्रियल प्रमोशन स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा मध्यम बड़े उद्योगों के उद्यमियों को सिंगल विण्डो सेवा का सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जायेंगे। विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागों के अर्जात बनाई गई मण्डल के मध्यम व उच्चियों को प्रदान की जायेंगी ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों विभागों व बोर्ड्स में नहीं जाना पड़े। इस क्रम में एक डाटा बैंक की स्थापना भी की जायेगी जहाँ विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्रोजेक्ट प्रोपोजिट्स साक्यूलर्स भूमि जल व शक्ति की उपलब्धता आदि की जानकारी हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य व जिला स्तर पर संचालक मण्डलों का पुनर्गठन किया जायेगा और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये प्रयास किए जायेंगे।

15 ऋण सुविधाएँ (Loan Facilities)

अ) राजस्थान वित्त निगम 2 हजार रुपये से 90 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत कर सकता है। इन ऋणों पर व्याज की दर 10 से 14 प्रतिशत के मध्य रहती है जबकि डोबल जनेरेशन प्रकल्प पर यह 17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं

जनजाति के लोगों को एक लाख रुपये तक के ऋण पर व्याज दरों में 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। उन्हें 5 प्रतिशत के मार्जिन पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान वित्त निगम ने ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया है एवं ओर मजबूत बना दिया है। 7 50 लाख रुपये तक के ऋण त्रिना एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 40 लाख रुपये तक के ऋण अन्न जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर वितरित किये जा सकते हैं। भूतपूर्व मैनिकों और विकलांगों को निगम द्वारा कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ब) रोकें भारत के औद्योगिक विकास बैंक की नीतियों के अनुरूप मध्यम स्तर के उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। निगम 150 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है। विशेष परिस्थितियों में राजस्थान वित्त निगम एवं रोकें समुचित रूप से भी उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार राज्य में ही 2 4 करोड़ रुपये तक के ऋण उद्योगों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में बैंक भी 50 लाख रुपये तक के ऋण अतिरिक्त प्रदान कर सकता है। इस प्रकार उद्यमियों को लगभग 3 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध हो जाता है।

(स) कभी-कभी नये उद्यमों के लिये मार्जिन मनी बुटलन मुश्किल हो जाता है। कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए भारत का औद्योगिक विकास बैंक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड और राजस्थान वित्त निगम व माध्यम से बीबीपूजी योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अर्जात औद्योगिक इकाई को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक बीबीपूजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी एरिा अधिकतम 15 लाख रुपये तक हो सकती है।

(द) रोकें के माध्यम से कुछ चुने हुए मध्यम व बड़े आवरों के उद्योगों में राज्य सरकार भी पूँजी विनियोजित कर सकती है। कुछ मामलों में निगम अरों के अधिवहन की भी सुविधा प्रदान करता है तथा वाणिज्यिक बैंक से भी इन हेतु प्रार्थना की जा सकती है।

(ए) बैंक मुख्यतः कार्यशाला पूँजी के लिए ऋण प्रदान करते हैं। राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि उद्योगों को समय पर एवं पर्याप्त कार्यशाला पूँजी उपलब्ध हो सके। राजस्थान वित्त निगम ने कम्पोजिट लोन की योजना आरम्भ की है जिसमें 7 50 लाख रुपये तक ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं। उनमें से 5 लाख रुपये स्थायी पूँजी विनियोग और 2 5 लाख रुपये कार्यशाला पूँजी के लिये हो सकते हैं। इस योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति प्राप्त हो चुके हैं भारत सरकार ने हाल ही में कम्पोजिट लोन

की राशि को 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है।

(र) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 50 हजार रुपये तक के ऋण अब जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किए जायेंगे।

16. पूँजी विनियोग अनुदान (Capital Investment Subsidy) :

(अ) राज्य में स्थापित किये जाने वाले नये मध्यम वृहद् आकार के उद्योगों को उनके स्थायी पूँजी विनियोग का 15 प्रतिशत भाग पूँजी विनियोग अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। क्रमिक अधिकतम राशि 15 लाख रुपये होगी।

(ब) लघु एवं सहायक उद्योगों, राज्य के स्वतंत्र पर आधारित कुछ चयनित उद्योगों, अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा शत-प्रतिशत निर्यात वाले उद्योगों को नये उद्योग को स्थापना करने पर उनके स्थायी पूँजी विनियोग का 20 प्रतिशत पूँजी विनियोग अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम राशि 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(स) ऐसे उद्योगों को स्थायी पूँजी विनियोग का 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा जो 1948 के फेक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एवं नये श्रमप्रधान उद्योग होंगे। इन उद्योगों का प्रति श्रमिक पूँजी विनियोग 35 हजार रुपये से कम होना चाहिये। इनको उपलब्ध होने वाले अनुदान की अधिकतम राशि 2 लाख रुपये हो सकती है।

(द) पूँजी विनियोग अनुदान राज्य में सभी जगह उपलब्ध होगा किन्तु जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भोलवाडा, जयपुर, कोटा की शहरी सीमा में उपलब्ध नहीं होगा। कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि को पूँजी विनियोग अनुदान पूरे राज्य में उपलब्ध होगा।

(घ) अब भी केन्द्रीय विनियोग अनुदान योजना लागू होगी, उमा व अनुरूप राज्य पूँजी विनियोग अनुदान योजना को परिष्कारित किया जायेगा। जिस सीमा तक केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है, उस सीमा तक राज्य अनुदान उपलब्ध नहीं होगा।

17. विक्री कर की रियायतें (Sales Tax Concessions) : राजस्थान की विक्री कर प्रोत्साहन और 'डेकरमेंट' योजनाएँ 1987 व 1989, जो नई इकाइयों और व्यापक विस्तार एवं विविधीकरण करने वाली इकाइयों के लिए लागू थीं तथा 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली थीं, उन्हें 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को

दूर करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार की योजनाएँ भी बनाई गईं जिसमें शत-प्रतिशत विस्तार और विविधीकरण करने, अपने उत्पादन को शत-प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ाने पर भी विक्री कर रियायतों की घोषणा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए विक्री कर प्रोत्साहन योजना 1986, 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई थी। अब 1987 और 1989 की योजना में आवश्यक सुधार कर उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर लागू किया गया। बीमार इकाई के पुनरुद्धार के लिए भी रियायत प्रदान की गई। आठवीं योजना के अंतर्गत मीमेन्ट, तन्वाक्, टैक्सटाईल्स, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य विधायन एवं खनिजों पर आधारित इकाइयों को मशीनरी क्रय करने पर विक्री कर नहीं देना होगा। उद्योगों की एक अतिरिक्त 'वैरी प्रेस्टिजियम इण्डस्ट्रीज' को विक्री कर में रियायत देने के लिए चुना गया है। ऐसे उद्योग जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की स्थायी पूँजी लगी हो उन्हें 'अधिक सम्मानित उद्योग' श्रेणी में रखा गया है। हारे एवं जवाहरात उद्योगों को भी कम में छूट प्रदान की गयी है। आठवीं योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए 'विक्री कर बटले में ब्याजमुक्त ऋण' की एवं नई योजना आरम्भ की जा रही है इसमें इकाई द्वारा दिये गये विक्री कर के बटले में उसे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसका लाभ वे ही इकाइयाँ उठा सकेंगी जो अन्यत्र विक्री कर रियायतों का लाभ नहीं ले पा रही हैं।

18. चुगी से मुक्ति (Octroi Exemption) : आठवीं योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले नये उद्योगों को व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर चुगी नहीं देनी होगी। इन नई औद्योगिक इकाइयों को आयातित प्लाट एण्ड मशीनरी पर भी चुगी नहीं देनी होगी। पहले से ही विद्यमान उद्योगों द्वारा, आठवीं योजना के अंतर्गत विस्तार के उद्देश्य से, अप्रत्यक्ष कर ई एण्ड एण्ड मशीनरी पर भी चुगी देय नहीं होगी।

19. मण्डी कर से मुक्ति (Exemption from Mandi Tax) : कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मण्डी कर से मुक्ति देने का निश्चय किया गया बशर्ते वे अपनी आवश्यकता का सामान सीधे कृषक से क्रय करें। यह मुविधा उन्हें व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी।

20. अन्य वित्तीय रियायतें (Other Financial Concessions) : राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक

रहेगा। यह सुविधा भी आठवीं पारम्पर्य योजना के अन्तर्गत जारी रहेगी। राज्य में ब्यूरो आफ इंडियन स्टेडिअम (बी आई एस) की कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। इसमें उद्योगों विशेषकर लघु उद्योगों को अनेक त्रुटिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ब्यूरो में राज्य में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना प्रारम्भ है ता राज्य सरकार उस हस्तसम्भव सहायता प्रदान करेगी। इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर जयपुर में एक प्रयोगशाला चला रहा है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध पर विचार करेगी कि इजीरियरिंग कॉलेज व अन्य सर्जनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अधिकृत परीक्षण वेन्ट्री में परिवर्तित कर देने का विचार जो बड़ी मात्रा में व्यय करते हैं उन्हें परमाणु उपकरण बनाये जायेंगे। राज्य सरकार उन वाणिज्य और बुनवरो को परामर्श अनुदान देने पर विचार करेगी जो किसी अधिकृत संग्रहण में अपनी उत्पादन के डिजाइन और सिम्स का सुधारने के लिए परामर्श करेंगे।

24. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों का विशेष सहायता (Special Assistance to S C & S T Enterproneurs) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। इन उद्यमियों का वित्त व औद्योगिक क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर पर्यन्त क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। इन उद्यमियों का गजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रत्येक एक लाख रुपये तक व्यय पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इन 25 प्रतिशत के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत मॉर्निंग मनी की ही आवश्यकता होती है। इन उद्यमियों के लिए मेल्टेक एम्प्लॉयमेन्ट टू एन्क्रेटेड युवा योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है। इस श्रेणी के उद्यमियों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेंगा। ट्राईबल मरुभूमि क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को भी अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

25 महिला उद्यमी (Women Enterproneurs)

'महिला शक्ति एवं महिला उद्यमी कोष' योजना एक 'हाऊसहोल्ड इण्डस्ट्री रीम' का इस प्रकार से विचार किया जायेगा कि इसमें अधिकांश संचालित महिला उद्यमी आ पायें। उद्यमी विचार कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए अलग से प्रस्तावित जाएगा और उन्हें ऋण एवं भूमि आदि में प्राथमिकता दी जायेगी। उद्यमी विचार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को विशेष ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। वीको इन महिला उद्यमियों को भूमि प्राप्ति में दूर

दूरी के प्रभाव पर विचार करेगा।

26. औद्योगिक रूग्णता (Industrial Sickness)

राज्य सरकार रूग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए प्रवृत्त है। इन हेतु विनियमित ऋण उठाये जा रहे हैं।

(अ) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रूग्ण इकाइयों को न्यूनतम शुल्क और वारंट वट से मुक्ति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार राज्या राज्य वित्त निगम या 'ए' आई एफ आर द्वारा ग्रीडिंग पैन्च के आधार पर उद्योगों को रूग्णता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब यह सुविधा वैश्व और केन्द्रीय विभाग सम्बन्धी द्वारा ग्रीडिंग पैन्च के आधार पर प्रदान होगी। राज्य सरकार इस प्रणाली पर भी विचार करेगी कि रूग्ण लघु उद्योग इकाई इन प्रकार का प्रमाण पत्र जिताकर 17 वीं प्रायः कर सके। इसके अतिरिक्त रूग्ण इकाई का वारंट वट से 2 वर्षों के लिए छूट भी प्रदान की जायेगी।

(ब) राज्य में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का मर्मण कराना जायेगा और उद्यमियों के आधार पर ही इकाइयों के पुनरुत्थान के प्रयास किए जायेंगे। रूग्णता के कारण से पत्राचार में जायेंगे और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जायेंगे।

(ग) जो जिला सरकार पर एक परिधि बनाई जायेगी ता कि उद्योग इकाइयों के पुनरुत्थान की योजनाएँ बनायेंगी ता उन जिम्मेदार होंगे। यह मर्मण विनियमों के अन्तर्गत मरुभूमि क्षेत्रों का उपमर्मण के रूप में कार्य करेगा ताकि निश्चयता में एक अलग प्रशासक स्थापित किए जायेंगे ता रूग्ण इकाइयों की समस्याओं का समाधान और उन समस्याओं को दूर करने में सहायता देगा।

(द) ऐसी रूग्ण इकाइयाँ जिनका मालिक बी आई एफ आर के सम्बन्धित उद्यमी हैं उन्हें मामला की प्रकृति एवं पुनरुत्थान पर केंद्रित आधार पर विनियमित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

(e) पुनरुत्थान के लिए विशेष सुविधाएँ उद्योगों को प्रदान की जायेंगी ताकि उन्हें पुनरुत्थान में सहायता मिले।

(f) वीको इन महिला उद्यमियों को भूमि प्राप्ति में दूर दूरी के प्रभाव पर विचार करेगा।

(g) रूग्ण इकाई का पुनरुत्थान के लिए एक आरक्षण पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। वीको इन महिला उद्यमियों को भूमि प्राप्ति में दूर दूरी के प्रभाव पर विचार करेगा।

31 उद्यमियों से अपेक्षा (Expectation from Entrepreneurs) राज्य सरकार उद्यमियों से आशा करती है कि उद्यमी बिक्री कर आयकर एवं राज्य में उपलब्ध कच्चे मान का उपयोग कर राज्य के सराफों में वृद्धि करेंगे। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अधिार के अधिन कुराल एवं अकुशल श्रम राज्य से ही प्राप्त करेंगे उद्यमियों से आशा की जाती है कि वे प्रदूषण नहीं फैलायेंगे। उद्यमियों से यह भी आशा है कि वे अपने शौचालय व मरम्मत रहे विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

राजस्थान की औद्योगिक नीति की समीक्षा EVALUATION OF INDUSTRIAL POLICY OF RAJASTHAN

राज्य के औद्योगिक इतिहास में 1990 की औद्योगिक नीति उद्यमिण मन्त्रालय द्वारा सिद्ध हुई है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1991 को ध्यान में रखकर इस को उन्नत एवं उदार बनाया है। पचास लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने के अधिकार जिलास्तर पर दिये गये हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्यस्तरीय समिति से अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-आवकत व लिए लीज डीए जारी करने के अधिकार जिला उद्योग केंद्र को दिये गये। राज्य एवं राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने में राजस्थान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 1991-92 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। अनेक नए वर्ष में सर्वाधिक सफल उद्यमियों एवं औद्योगिक घरानों ने राजस्थान आकर छात्र एवं मध्यम श्रेणी उद्योग लगाये हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधाएँ प्रियायतें देकर राज्य के औद्योगीकरण के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया है। राज्य में अधिन विनियोजन के लिए सरकार ने उद्योगों को उदार वित्तीय सुविधाएँ सुनिश्चित की हैं। नये उद्योगों को पूँजी विनियोग अनुदान में 15 से 35 लाख रुपये की छूट दी है। बिक्री कर स्थगित करने की सुविधा डीजल जेनरेटिंग सेट पर 50 हजार तक अनुदान तथा जान सवों पर 20 हजार रुपये अनुदान जैसे महत्वपूर्ण ऋण उठाये गये हैं। कलाकार व शिल्पकार योजना के तहत राज्य सरकार वर्षों से आयुर्विहीनता व लिए अनुदान देती है। यह अनुदान भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत इकाइयों को सुलभ कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक इकाइयों को भी यह सुलभ कराया जा रहा है। इसी प्रकार नई औद्योगिक इकाइयों को राज्य में मान की खरीद व नई परियोजना के लिए मशीनरी प्रदान करने पर पात्र लोगों के जुगो से मुक्ति देने जैसी सुविधाएँ राज्य में उपलब्ध कराई जा रही हैं। लघु उद्योगों में उत्पादित मान

पर सरकारी खरीद में 15 प्रतिशत की विपणन सहायता उपलब्ध कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने उद्योगविहीन जिलों एवं आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली सभी वृद्ध, मध्यम एवं लघु इकाइयों को विनियोजन अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना में दिया जाने वाला अनुदान अन्य योजनाओं में मिलने वाले अनुदान से अधिक है।

वृद्ध एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा कुछ क्षेत्रों में 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये हो गई है। लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अनुदान की सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। शेष पूरे राज्य में पूर्व घोषित 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अग्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा राज्य में उद्योग लगाए जाने पर 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 35 लाख रुपये के अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को विशेष मामलों में रियायतें एवं सुविधाएँ दी जा रही हैं। राज्य के बाहर के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए रीको रिज निगम तथा उद्योग विभाग की ओर से आयोजित दिये जाने वाले मधुकर अभियान नियमित रूप से जारी है। राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन व्यूटों की स्थापना की गई है जो मध्यम एवं वृद्ध श्रेणी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर सम्पर्क में है। उद्योग विभाग में रूपण इकाइयों को तुलना शुरू करने के लिए प्रवोष्ठ बनाया गया है। जिनास्तर पर भी ऐसे ही प्रवोष्ठ बनाये गये हैं। रीको ने अप्रैल 91 तक 36 रण इकाइयों का पंजीयन किया। इनमें से 16 औद्योगिक इकाइयों में पुन उत्पादन शुरू हो गया है। इन इकाइयों में उत्पादन शुरू कराने के लिए 25 करोड़ के लगभग के मुआवले में 36.8 करोड़ रुपये का ऋण सुलभ कराया गया है। ऋण के अलावा इन इकाइयों को अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। आठवीं पाँचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज के लिए 536 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है। योजनागत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली 50 औद्योगिक इकाइयों में 1 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार सुलभ हो सकेगा। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्धमूकताओं के लिये योजना में विशेष प्रवस्थाएँ की गई हैं। इनके अतिरिक्त आठवीं योजना में 10 हजार एकलक नयाय जायगे जिनसे 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तई बिक्री कर तथा व्याजमुक्त योजना शुरू की जा रही भारत सरकार ने अपनी विभाग के नये योजना के अन्तर्गत आयुर्विहीनता के अलावा एन भीतराडा का नये विभाग है। शौचालय में भी विकास कार्य स्थापित करत की

स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। रोको व राजस्थान वित्त निगम राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोको ने 185 औद्योगिक क्षेत्रों में 18679 औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये हैं। इसी प्रकार रोको ने वर्ष 1992-93 में 64 बड़े उद्योगों की स्थापना में भूमिका निभाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों का इकाई को सन्ध्यागत प्रोत्साहन देने में सतत है। निगम ने ग्रामीण दस्तकारी को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की एक योजना प्रारम्भ की है। मद्रास में 'रजस्थाली' की स्थापना क विय 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिकरण की प्रगति को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भी राजस्थान में अपनी परियोजनाएँ लगाने में काफी रुचि दिखाई है। कुछ परियोजनाएँ विदेशी मदद से संचालित हो रही हैं। प्राण आकड़ों के अनुसार रोको की मदद से 16 नई परियोजनाएँ राज्य में लगाई जायेंगी। इनमें लगभग 1400 करोड़ रुपये का निविद्योग होगा। इनमें से सात परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। राज्य की अधिकतर रेलवे लाइनें गॉटर-गेज हैं, जो अब बदली जा रही हैं। ब्रॉड-गेज हो जाने के बाद रेलवे लाइनों के समीपवर्ती शहरो व कस्बों में औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ जायेंगी। वर्ष 1995-96 के अन्त तक दो हजार किलोमीटर रेलवे लाइन ब्रॉड गेज में बदली जानी थी। वर्ष 1991-92 में 1 58 252 लघु उद्योग राज्य में स्थापित हो चुके थे जिनमें 1,00 182 करोड़ रुपये का निविद्योग हो चुका है। ये लघु उद्योग 5,94 005 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करा रहे हैं। वडे व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या बढ़कर 287 हो गई है। जिनमें 1 31 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 72 औद्योगिक इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और पाली जिले औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित हो गये हैं जबकि भिवाड़ी क्षेत्र देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जहाँ हर उद्योगी उद्योग लगाना चाहता है क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक है और यहाँ पर नई आधारभूत सुविधाएँ मौजूद हैं। इन प्रकार राजस्थान जो पूर्व में मरुस्थलीय राज्य के रूप में जाना जाता था अब औद्योगिक परियोजनाओं का केन्द्र बन गया है। अब राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य में उद्योगों की भरमार हो जायगी।

राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगीकरण के संदेश का खण्ड

स्त' पर पहुँचाने का निश्चय किया है ताकि औद्योगिक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। राजस्थान सरकार ने 115 प्रकार की लघु व अलघु स्तर की इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में बाहर निकालने का निश्चय किया है। इन इकाइयों को अब राज्य नियंत्रण अर्थात् रियो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने उन उद्योगों के लिये भी कुछ कदम उठाये हैं। जिनमें अधिक प्रदूषण होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के उद्योगों को वर्गीकरण किया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्वरित गति में निरीक्षण करने से उद्योग में उच्चस्तर पर मर्मित की स्थापना की गई है। वर्तमान प्रणाली को भी मर्मत बनाया जा रहा है। जिलास्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों को उद्योगियों में प्रभावी सम्पर्क बनाने के लिये क्रियाशील बनाया जा रहा है। गजराकर पर अन्तर-संस्थागत मर्मित (आई आई सी) जिसमें सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जायेगा। भूमि रूपान्तरण के नियमों को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सरल बनाया जा रहा है ताकि उद्योगियों को अधिक पेशानी व देगी न हो। राजस्थान सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्थानीय समाप्तों पर आधुनिक विन्मृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जायेंगे।

राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति- 1994*

नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 15 जून, 1994 को की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भागत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अनुरूप राज्य की नीति में परिवर्तन करना था। राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र की औद्योगिक उद्योगीकरण नीति का अनुसरण किया। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति, 1994 के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं।

उद्देश्य

Objectives

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 का मुख्य उद्देश्य कार्यविधि में मरुतीकरण, शीघ्रता में प्रकरणों का निम्नरण आर्थिक प्रोत्साहन एवं विभिन्न उपायों द्वारा राज्य में शीघ्र औद्योगिक विकास करना है। नवीन औद्योगिक नीति में राज्य के लघु एवं ग्रामीण उद्योग, रोजगारोत्पन्न उद्योग एवं महिला उद्योगियों हेतु पर्याप्त महयोग दिये जाने की व्यवस्था की गई है। निर्यातवर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात वृद्धि पर विशेष महत्व दिया गया है। इस औद्योगिक नीति से नये उद्योगों को प्रोत्साहन एवं रिदायने उपलब्ध होंगे।

- (i) राजस्थान का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना।
- (ii) राजस्थान के विभिन्न ससाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना।
- (iii) रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करना ताकि अनिश्चित अवसरों का सृजन हो सके।
- (iv) प्रादेशिक अमनुलनों को समाप्त करना।
- (v) निर्यातों में वृद्धि करना।
- (vi) खादी, हथकरघा प्रामोण उद्योग दस्तकारी लघु उद्योग तथा अतिलघु उद्योगों का विकास करने हेतु सहायता प्रदान करना।

व्यूह-रचना

Strategy

- (i) विनियोगों में वृद्धि के लिए प्रयास करना।
- (ii) औद्योगिक आदानों की तेजी से पूर्ति करना।
- (iii) म्योकृतियों के मामलों को शीघ्र निपटाना।
- (iv) भौतिक एवं सामाजिक आधार-संरचना को सुदृढ़ करना एवं इसका विस्तार करना।
- (v) नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना।
- (vi) सरवनात्मक विकास में निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना।
- (vii) रोजगार वृद्धि की दृष्टि से विनियोग करना तथा श्रमीण एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।
- (viii) दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार करना।
- (ix) अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

व्यूह रचना एवं नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं

(अ) आधार-संरचना (Infra-structure)

- 1 सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी लेकिन ऐसा औद्योगिक क्षेत्र रीकी के क्षेत्र से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए।
- 2 औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि का रूपान्तरण किया जायेगा। 5 हैक्टेयर तक के भू-क्षेत्र का रूपान्तरण सम्बन्धित अधिकारी आवदन प्राप्त के 30 दिन की अवधि में कर देगा अन्यथा स्व। म्योकृति माना जायेगी। 5 म 20 हैक्टेयर भू-क्षेत्र के रूपान्तरण का अधिकार खण्ड कमिश्नर को होगा नमक भंडा क आवंटन हेतु मरल नियम बनाय जायगा। मरकाय नमक वाले भू-क्षेत्रों की लीज व अवधि 10 वर्ष में बढ़ाकर 20 वर्ष कर रहा है।

3 शक्ति-क्षमता में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने के लिए एक पूरक समिति गठित की गई है। औद्योगिक इकाइयां अथवा शक्ति मयंत्रों की स्थापना कर सकेगी।

4 यमुना जल समन्वयन से राज्य के पूर्वी भाग का 1119 करोड़ घनमाटर जल उपलब्ध होगा इन्दिरा गंधी नहर चम्पल एवं मारी परियोजनाओं से राज्य के अनेक क्षेत्रों को जल प्राप्त होगा।

5 1995-96 तक लगभग 2000 किलोमीटर लम्बे मीटरगाज रेलमार्ग को बाड़गेज में बदल दिया जायेगा। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6 रीकी ने मॉनेट बैकिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया है अतः योजनाओं के लिये अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेगी। निजी उद्यमियों को इक्विटी के रूप में अधिक सहायता दी जायेगी।

7 सरकार आधार मरचना व विकास हेतु निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन देगी। सरकारी स्वामित्व के प्राचीन भवनों का छूटता का रूप देना हेतु मरकार निजी क्षेत्र को आमन्त्रित करेगी।

(ब) शीघ्र स्वीकृतियां एवं प्रणाली का सरलीकरण (Speedy clearances and simplified systems)

1 115 उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनवरत प्रमाण पत्र लेने में मूत्रत किया गया 26 उद्योगों का लाल श्रेणी (सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) में रखा गया तथा 32 उद्योगों को 'नारंगी श्रेणी' (कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) में रखा गया। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 15 वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करेगा लेकिन लाल श्रेणी व नारंगी श्रेणी के लिये यह अवधि क्रमशः 3 वर्ष व 5 वर्ष होगी स्वीकृति के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा।

2 उद्योगों के निरीक्षण का आवृत्ति में सुधार किया गया वर्तमान में 14 श्रम जानूने के अनवरत उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है। अब पूरक-पूरक निरीक्षण को समाप्त कर एक सामान्य व्यवस्था लागू की जायेगी। 20 व्यक्तियों से कम व्यक्तियों का रोजगार प्रदान करने वाले अति लघु आवागमक इकाइयां में मध्यम आकार पर 5 प्रतिशत इकाइयां का निरीक्षण किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों व सामान्य निरीक्षण हेतु निरूपण प्रक्रिया को लिखित में पूरक-पूरक बनाया गया है।

महिला उद्यमियां द्वारा रणनीति इकाइयों को विक्री कर में शत प्रतिशत छूट (13 वर्षों के लिये) दी जाएगी।

ग्लोबल साइडिंगम गैस गैलियम स्टार्क तथा मेल इत्रनों का स्थिर परिवर्तनयिता में सम्मिलित कर लिया गया।

गाफ्टायर इकाइया (10 करोड़ से अधिक निवेशगत वाहनों) को इस योजना का नकारात्मक मुद्रा से निष्काट दिया गया।

आस्थागत योजना में विक्री कर को एकदिवस गरीब मुविधा मात्र हानि के 5 वर्ष बाद दाय होगे।

श्रमगत इकाइया को स्थिर मूली निवेशजन के अलावा 20% तक लाभ दिया जाएगा।

आर्थिक अन्वयन तथा स्थिर देशांतर का यह मुविधा प्रथम ही जायगा।

यदि जनजाति उद्योगाला को मध्यमिक माध्यम उद्योग 100 करोड़ रुपया में अधिक निवेशगत शक्ति से आस्थागत योजना में लाभ 25 प्रतिशत में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जायगा।

ईसरोशन पर क्रय कर 25 प्रतिशत में कम करके 1 प्रतिशत किया जायगा।

राज्य मान 3 प्रतिशत गियायरी कर टकरे का निर्यात कर करेगा।

माध्यमिक से खुदरा पर विक्री कर में छूट दी गई है।

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ता को विशेष सहायता प्रदान की गई है।

रीको-औद्योगिक क्षेत्र में पहाडी (4000 मीटर तक) के आवेदन पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

गाइयान वित्त निगम द्वारा किए गये ऋण (5 लाख रुपये तक) पर योजना में 2 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

जनजाति उद्योगाला क्षेत्र में योजना में 1 प्रशिक्षण से अधिकित छूट दाय होगा। इन ऋणों पर मार्गदर्शन मुद्रा 25 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत होगा।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण का श्रमगत धोम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जानी है।

प्रधानमंत्री राजस्व योजना में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

पूर्व उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम का सहायन किया जायगा।

(v) महिला उद्यमयोजना के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का है-

2000 वर्गमीटर आर्थिक भूमि पर 10 प्रतिशत तक विशेष छूट दी जाएगी। सहायता को निम्नलिखित

(War widows) को 25 प्रतिशत छूट दी जायगा।

महिला उद्यम निधि योजना के अन्तर्गत नई परिवारयोजनाओं (15 लाख रुपये की लागत तक) के लिये 1 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी।

शहरी निर्धन महिलाओं का घरलु उद्योग का प्रशिक्षण दिया जायगा।

अति लघु उद्योगों को पढी हुई रण में विक्री कर में छूट दी जायगी।

उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम का लाभ महिला उद्यमियां को भी प्राप्त होगा।

6 विशेष उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये-

(i) लडा आधारीत उद्योगों के लिये श्रान विधियों के स्थान पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के कार्यक्रम बनाये जायेंगे। इस उद्योग की नवीन इकाइया के लिये विक्री दर की देयताओं का सामा 75 प्रतिशत में 90 प्रतिशत तथा पुरानी इकाइयों के विस्तार हेतु 60 प्रतिशत 75 प्रतिशत कर दी जायगी। बच्चे मान पर क्रय कर 3 प्रतिशत में घटाकर 1 प्रतिशत किया जायगा।

(ii) पौनी मिट्टा व कार उद्योग वाली औद्योगिक इकाइयों (5 से 25 करोड़ रुपये निवेशगत वाली) का विक्री कर लाभ 7 वर्षों में बढ़ाकर 9 वर्ष किया जायगा। 25 से 100 करोड़ रुपये निवेशगत वाली इकाइया का विक्री कर लाभ 9 वर्षों में बढ़ाकर 11 वर्ष कर दिया जायगा। इन दोनों श्रेणियों के लिये वरदेयता में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत में बढ़ाकर 90 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जायगी।

(iii) उच्च उद्योगों का गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण उन को प्रोड्यक्ट्स सुविधिकरण तथा क्रय कर में छूट आदि सुविधाएं प्रदान की जायगी।

(iv) इन्फ्रान्स्ट्रक्चर उद्योगों का कार उद्योगों के समान सुविधाएं प्रदान की जायगी। क्रय कर 2 प्रतिशत दाय होगा। ब्राउ टांगर की सुविधा दी जायगी।

(v) सुविधा आधारीत उद्योग खनन पट्टों का वित्तीय सहायता के लिये निर्यात टकरे ऋण श्रान कर में छूट इस शक्ति पर 2 वर्ष पश्चात् पुनः विचार किया जायगा। प्रारम्भिक इकाई योजना तथा उद्यमियां को तीन महीने तक में सहायता दी जायगी।

(vi) रण व खाण प्रसंस्करण उद्योगों का वांड स्टार्क तथा मैन टारम व लिये महिजा प्रदान का प्रावधान विशेष कर पर पट्टा का मूल से सहायन किया जायगा। इन

भू-पट्ट के लिए छोड़ दिये गये है। ऐसे औद्योगिक उपक्रम गज्जों के औद्योगिक दिग्गम में अनेक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं अतः राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुये ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में अदिलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिये।

निकर्षित राजस्थान की औद्योगिक नीति एवं प्रयास उद्योगों को आकर्षित करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। आवश्यकता इन इस बात की है कि औद्योगिक विकास को अवरोधक बनने वाले तत्वों तथा अनावश्यक देरी लालफीतारानी व भ्रष्टाचार में मुक्ति पाई जाये।

नई औद्योगिक नीति, 1998

राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 4 जून, 1998 में की गई। इस नीति के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2003) में 20 हजार करोड़ रुपये का विनियोग किया जायेगा ताकि औद्योगिक उत्पादन की दर का 12 प्रतिशत किया जा सके।

उद्देश्य -

- 1 गजस्थान में औद्योगिक विकास की गति का तेज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
- 2 1994 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो कमियाँ अनुभव की गईं उन्हें नई औद्योगिक नीति में दूर करने का प्रयास किया गया है।

विशेषताएँ -

- 1 आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- 2 निजा क्षेत्र की महभागिता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- 3 बड़ा परियोजनाओं के लिये आधारभूत एवं विनियोजन मंडल का विकास किया जायेगा।
- 4 परियोजना विकास निगम की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि रूपान्तरण प्रक्रिया का सरल बनाना है।
- 5 गिरावट भूमि को उद्योगों के उपयोग में लाने के लिये अधिभूमि की विन्म में परिवर्तन किया जायेगा।
- 7 उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये चालू विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूर्ण किया जायेगा।
- 7 वैश्विक वातावरण प्रदाय नीति की घोषणा की जायेगी।
- 8 निर्यातानुसूची इकाइयों का औद्योगिक विवाह अधिनियम की धारा 2 (एन) के अन्तर्गत 'पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस' प्रदान किया जायेगा।

9 31 मार्च, 2003 तक लगाने वाले उद्योगों को 5 साल के लिये बिना कर मुक्ति दी जायेगी।

10 बिक्री कर सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

11 निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (365 एकड़) जयपुर (सीतागम) के समान एक पार्क की स्थापना भिवाड़ी में की जायेगी। इसके लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

12 जयपुर जेधपुर कोटा और उदयपुर के समान भीलवाड़ा भिवाड़ी और श्रीगंगानगर में इनलैंड कटनर डिपॉ का स्थापना की जा रही है।

13 गलती एवं दस्तकारी की निर्यातक इकाइयों के लिये जयपुर में 'कम्प्यूटर एड्ड डिजाइन सेक्टर' 'बुडनरेयर सर्विस सेक्टर' स्थापित किये जायेंगे।

14 राधु उद्योगों का 70 प्रतिशत माल सरकार खरीदेगी।

15 150 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुपति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में छूट दी जायेगी।

16 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राजमार्गों में 150 मीटर की दूरी पर जंगल का प्रावधान किया गया।

17 प्रशिक्षण एवं विशिष्ट पर चल देने के लिये नए नये संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

18 पूंजी विनियोजन अनुदान योजना के अन्तर्गत पांच वर्षों की अवधि के लिये व्याज अनुदान योजना आरम्भ की गई। यह पांच वर्ष प्रतिशत की दर में अनुदान दिया जायेगा।

19 नई इकाइयों को प्लाट एवं मशीनरी एवं कच्चे माल पर राहतों क्षेत्र में 5 वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 7 वर्ष के लिये बुनियादी सुविधा प्रदान की जायेगी।

20 रीका द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र का मार्च 2003 तक नगर पालिका सीमा में बालर रखा जायेगा।

21 डा. जी. गट खरीदने पर 25 प्रतिशत की दर में (अधिष्णन 2.5 लाख रुपये) अनुदान दिया जायेगा।

22 भूमि एवं भवन कर से उद्योगों की मुक्ति की सीमा को 5 लाख रुपये में बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

23 कस्टम ब्रांड पर स्टम्प ड्यूटी 25 हजार रुपये में घटाकर एक हजार रुपये कर दी गई।

24 गलत व घबराहट - गाने पर आधारित परियोजनाओं का 100 प्रतिशत बिक्री कर व चुनौती मुक्ति दस वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी।

25 बीमार औद्योगिक इकाइयों के लिये एक राजस्थानीय संस्था की स्थापना हो जायेगी।

अधिकतर उद्योग इभी जिले में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पञ्चकृत उद्योगों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय अमृतलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकर की तुलना में मैलों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाईनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में हो पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कें भी नहीं हैं। अतः माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं वरन् परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय मस्याओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) वर्षों के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य वच्चे माल का सदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति धी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक विकास की गति मन्द बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) - राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति बना रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का होना

है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों में भी तेजी में विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) - एक उद्योगों की पंजीकरण अनुज्ञा पर भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एवं विपणन इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों का सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल हैं जिनमें अनैवश्यक विलम्ब होता है। अतः विभिन्न विभागों में सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) - राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कोयले व खनिज तेल का निदान अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के गैर परम्परागत साधनों के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन पूँजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूँजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अतः राजस्थान में पूँजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिसमें सदैव पूँजी का अभाव बना रहता है। पूँजी के अभाव के कारण राज्य का नेत्रों में औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या का समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और लोगों में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदत विकसित की जानी चाहिए। इसमें पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) - राज्य के औद्योगीकरण के प्रति उद्योगपति प्रायः उदासीन बन रहे हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि राजः यम नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसृत वातावरण न देने के कारण व अपनी पूँजी को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों का आकर्षित करने के लिए

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14. अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। श्रम समस्याएँ, समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है। इससे उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वेक्षण नहीं हो पाया। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है अतः 5 राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है अतः राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रूग्णता को समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

- 1 वित्तीय साधनों में वृद्धि** - राज्य की प्रथम मात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास का गति बहुत धीरी रही। राज्य की 18 वी व 9 वी योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहिये।
- 2 आर्थिक सर्वेक्षण** - राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अतः राज्य यही आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग परिवहन और खनिज विकास की भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।
- 3 सिंचाई के साधनों का विकास** - राजस्थान में शीघ्र अकाल एवं सूखे की स्थिति बन रही है। इस समस्या का

समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं अतः अर्थव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकासके लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से निवेश करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है अतः प्रदेश में वर्षा का अभाव रहता है टैरर भूशरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भूशरण को रोकने के लिये पेड़ पौधे लगाये जाने चाहिये और वर्षा को अवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एवं परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के परचात भी राज्य में पेयजल का संकट विद्यमान है। यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्वाद क्षारीय और पीने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेयजल की व्यवस्था दे लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैकिंग विक्रम सेक्टर वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक मसाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Industrial Policy?
- 2 औद्योगिक नीति का महत्व बताइए।
Explain the importance of Industrial Policy.
- 3 राजस्थान के 1990 के औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan.

अधिकारा उद्याम इसी जिल में विद्यमान है। इसी प्रकार राज्य के पञ्चोत्तर उद्यामों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिल में विनियोजित है। क्षेत्रीय असंतुलन की ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में राज्यों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाइनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में ही पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़क भी नहीं है। अतः माल के आवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं बल्कि परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों का विस्तार करने हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास गण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप में विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) वर्षा के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य करने माल का मंदैव अभाव बना रहता है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति घी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजी से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक विकास की गति मन्द बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts) राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति मनी रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा है। राज्य में अकाल की स्थिति होने रहने का प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का होना

है। इन्हीं गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बढ़ते हुए रेगिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं व कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) एक उद्योग को पंजीकरण अनुज्ञापत्र भूमि जल बिजली वित्त कच्चा माल एवं विपणन इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या सस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल व त्रिसरो अनीवश्यक क्लिम्ब होता है। अतः विभिन्न विभागों के मध्य व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के माध्यम से देश के कारण ही औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कायले व खनिज तेल का निदान अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के गैर पर्याप्त साधनों के विकास की पर्याप्त गमावना विद्यमान है लेकिन पूँजी के अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पूँजी विनियोजन के द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है इससे अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से तुलना करने पर प्राप्त होता है कि राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है अतः राजस्थान में पूँजीनिर्माण की गति भी धीमी बनी रहती है। जिसमें मुख्य पूँजी का अभाव बना रहता है। पूँजी के अभाव के कारण राज्य में तेजी से औद्योगीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या का समाधान हेतु राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए और लोगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए राजस्व वित्तिकर्मित की जमीन वित्तियोग पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि लाना प्रारम्भ हो जाए।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) राज्य के औद्योगीकरण व प्रति उद्योगपति प्रायः उद्योगीन मन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसंधान व विकास न होने के कारण व अपने पूँजी का देश व अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझा है राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों का आकर्षित करने के लिए

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करना चाहिए।

14. अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कुशल श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का अभाव है। इसमें उत्पादन कार्य में अवरोध बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से जाच नहीं हो पाती है अतः 5 राज्य में अपसृजित घटिया वस्तुओं की पर्याप्त रूप में जाच नहीं हो पाती है अतः राज्य में अपेक्षाकृत घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रूग्णता की समस्या से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि - राज्य की प्रथम सात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 8 वी व 9 वी योजना का आकार पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है लेकिन राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहिये।

2 आर्थिक सर्वेक्षण - राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षणों की गति धीमी है अतः राज्य की आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में की जानी चाहिये ताकि कृषि उद्योग, परिवहन और खनिज विकास की श्रद्धा सम्भवनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास - राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या का

समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं अतः अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से निवेश करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेशों का उपयोग - राज्य का एक बड़ा हिस्सा शुष्क प्रदेशों का है अतः राज्य में वर्षा का अभाव रहता है टैम्पेड भूराज्य का प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेशों का उपयोग करने के नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भूराज्य को रोकने के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से निवेश करना आवश्यक है।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र राजस्थान की पूर्वी ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्रों का पर्यावरण एवं परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

6 पेशवाजी की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी राज्य में पेशवाजी का संकट विद्यमान है। यह विविध विद्यमान है कि कुछ स्थानों पर पेशवाजी उपलब्ध हो रही है और अनेक स्थानों पर पेशवाजी का स्वाद क्षारीय और पाने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेशवाजी की व्यवस्था दे लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण, बैकिंग विकास, रोजगार वृद्धि आदि की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक साधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(A) संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by Industrial Policy?
- 2 औद्योगिक नीति का महत्व बताइए।
Explain the importance of Industrial Policy.
- 3 राजस्थान की 1990 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the Industrial Policy 1990 of Rajasthan.

- 4 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1998 का उद्देश्य बताईए।
Mention the objectives of New Industrial Policy 1998 of Rajasthan
- 5 राजस्थान में औद्योगिक उदारीकरण की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए।
Mention the trend of industrial liberalisation in Rajasthan

(B) निबन्धात्मक प्रश्न**(Essay Type Questions)**

- 1 राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Rajasthan
- 2 राजस्थान की 1998 की औद्योगिक नीति पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Industrial Policy 1998 of Rajasthan
- 3 औद्योगिक नीति में आप क्या समझते हैं? 1994 का औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ बताईए।
What do you mean by Industrial Policy? Explain the main characteristics of Industrial Policy 1994
- 4 राजस्थान के औद्योगिक विकास में औद्योगिक नीति का भूमिका सिद्ध कीजिए।
Prove the Role of Industrial Policy in the industrial development of Rajasthan

(C) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न**(University Examination s Questions)**

- 1 राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरामसिंह शेखावत की नवीन औद्योगिक नीति 1994 का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the New Industrial Policy 1994 of Chief Minister Shri Bharoan Singh Shekhawat of Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं रियायतों का वर्णन कीजिए।
Describe the various incentives and facilities provided by the Government of Rajasthan for Industrial Development
- 3 औद्योगिक नीति में आप क्या समझते हैं? औद्योगिक नीति का महत्व बताईए।
What do you mean by Industrial Policy? Describe the importance of Industrial Policy?



राजस्थान में औद्योगिक वित्त एवं विकास में संस्थागत योगदान

ROLE OF VARIOUS INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL FINANCE AND DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

"वित्त उद्योगों का जीवन रूढ़ है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान राज्य वित्त निगम
- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम
- राजस्थान लघु उद्योग निगम
- राजस्थान में औद्योगिक विकास का प्रावधानित करने वाले अन्य विभाग/निगम
- भारत का औद्योगिक वित्त में सम्यक्स्थित राष्ट्रीय संस्थाएँ
- राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएँ व मुद्दाएँ
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है फिर भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। अतः एक विकासशील राज्य का आवश्यकताओं के अनुसार राजस्थान को भी आवश्यक औद्योगिक संस्थानों का तेजी से निर्माण करना होगा ताकि राजस्थानवासियों का जीवनस्तर ऊँचा उठ सके, रोजगार की अवसरों में वृद्धि हो सके और सरकारी आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य का अर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकास करना भी आवश्यक होगा। राज्य के सकल उत्पादन की दृष्टि में औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम सहयोग दे रहा है। स्वयंसेवक पश्चात् राजस्थान का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अलग-अलग चरणों में उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य के तारक औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति का घोषणा की। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को राज्य में नये उद्योग स्थापित कर सके। इस नीति के अन्तर्गत अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्त व प्रावधानों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, वायोटैक्नालॉजी एण्ड प्रोसेसिंग तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। विद्युत व जल का कम खपत वाले तथा रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को स्थापना

को प्राम्ताहन दिया जायेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है अतः इसे भी अन्य उद्योगों के समान सुविधाय एव रियायत प्रदान की जायेगी। राज्य में अनेक प्रभाग व वित्तीय संस्थाएँ कार्यरत हैं। औद्योगिक वित्त प्रदान करने में निम्नलिखित संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है

- | |
|---|
| (1) राजस्थान राज्य वित्त निगम (RFC) |
| (2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (RIICO) |
| (3) राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) |
| (4) राज्य का उद्योग विभाग |
| (5) अन्य (i) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (iv) केन्द्र व राज्य सरकारों एवं (v) व्यापारिक बैंक। |

इनका विवेचन निम्नवत् है

राजस्थान राज्य वित्त निगम

RAJASTHAN STATE FINANCE CORPORATION

निगम की स्थापना

Establishment

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 17 जनवरी 1955 को की गई। इस निगम ने 8 अप्रैल 1955 से कार्य प्रारम्भ किया। राजस्थान राज्य वित्त निगम का केन्द्रीय कार्यालय जयपुर में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, बीकानेर, जापुर, उदयपुर व काठ में स्थित हैं। निगम के 37 शाखा कार्यालय भी हैं।

उद्देश्य

Objects

राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो सके। निगम ने केवल कार्यरत उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है वरन् नए उद्योगों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

पूजा संरचना

Capital Structure

संसाधनों की गतिशीलता हेतु निगम ने अपने व्यापार नियंत्रण एवं सम्पन्न पूर्वानुमान के अनुसार प्रयत्न किये हैं।

निगम की अधिकृत पूजा 100 करोड़ रुपये है जो 100 रुपये मूल्य के एक करोड़ अंशों में विभक्त है।

निगम का प्रबन्ध

Management

निगम का प्रबन्ध संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक मण्डल में 13 सदस्य होते हैं। संचालक की सहायता के लिए 6-सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। यह समिति प्रबन्ध संचालक की अध्यक्षता में कार्य करती है। संचालक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

एक अध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक प्रबंध संचालक	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक जनरल मैनेजर	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
एक महालक	रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत
दो संचालक	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मनोनीत
एक संचालक	अनुसूचित बैंकों द्वारा मनोनीत
एक संचालक	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मनोनीत
एक संचालक	सहकारी बैंकों द्वारा मनोनीत
एक संचालक	जनप्रतिनिधि

निगम के कार्य

Functions

राजस्थान राज्य वित्त निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- (i) राज्य को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
- (ii) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा यदि अन्य संस्थाओं से ऋण लिये जाते हैं तो निगम से ऋणों को गारन्टी देने का कार्य करता है।
- (iii) निगम औद्योगिक इकाइयों के अंश व ऋणपत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान भी करता है।
- (iv) यह केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- (v) निगम द्वारा अंश व ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य भी किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम वर्तमान में इन योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कर रहा है .

- (1) सिंगल विन्डा स्क्रीम चल व अचल दाना प्रकार की सम्पत्तियों पर निगम ऋण उपलब्ध कराता है।
- (2) इन्क्यूमेट रिफाईनेंस वर्तमान में चार वर्ष से लाभ

में चल रही इकाइयों को यत्र व सयत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) लघु उद्योग इकाइयों में निर्मित उत्पादों को विक्रय करने हेतु दुकानों एवं शोरूम पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(4) रिसेट होटल पब्लिक एंड मरिज हाल पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(5) छोटे अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर ऋण दिया जाता है।

(6) खनन एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों पर ऋण दिया जाता है।

(7) महिला उद्यम निधि योजना में महिलाओं को ऋण दिया जाता है।

(8) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(9) व्यावसायिक याप्यता वाले व्यक्तियों को कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों पर ऋण दिया जाता है।

(10) फ्लोरो-कल्चर फिश कल्चर, पॉल्ट्री-फॉर्म आदि पर ऋण दिया जाता है।

(राशि करोड़ में)		
उपलब्ध वर्ष	ऋण स्वीकृतियाँ	ऋण वितरण
1955-56 (प्रथम वर्ष)	0.97	0.02
1946-65 (दसवाँ वर्ष)	0.73	0.63
1974-75 (चौथा वर्ष)	7.06	2.83
1979-80 (पन्चोत्तम वर्ष)	31.54	17.94
1984-85 (सोसा वर्ष)	54.19	39.39
1989-90 (सैतौत्तम वर्ष)	110.25	64.96
1994-95 (आठवाँ वर्ष)	177.55	120.72
1995-96 (इकतालीसवाँ वर्ष)	163.44	131.66
1996-97 (बयालीसवाँ वर्ष)	167.45	122.09
1997-98 (जनवरी 1998 तक)	98.75	95.58
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98		

निगम द्वारा उद्यमियों को वेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1997-98 में क्रियान्वित किये गये प्रशासनिक निर्णयों का विवरण

1. वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति की शक्तियों का और अधिक विकेन्द्रीकरण किया गया है जिसका अतर्गत अब शाखा प्रबंधक द्वारा 5 लाख रुपये का ऋण एवं उप महाप्रबन्धक (क्षेत्रीय) द्वारा 20 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसके साथ ही ये अधिकारी निगम की गुड ओपेअस योजना के तहत इनकी ही राशि का ऋण अतिरिक्त में स्वीकृत कर सकेंगे। परियोजना को शीघ्र उत्पादन में लाने की दृष्टि से निगम ने स्वीकृत ऋण के 20 प्रतिशत तक उचित कॉस्ट ओवर रन के लिए अतिरिक्त ऋण देने का लिए भी शाखा प्रबन्धकों को अधिकृत किया है।

2. निगम द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया गया है। ऋण वितरण की सरलीकृत करने के लिए सनदी लक्ष्यकार के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत तक का वितरण निगम द्वारा किया जा सकेगा। परिवर्तन ऋण योजना के तहत बॉन्डो बनाने के लिए ऋण वितरण चेसिस लाने का पश्चात् एडवांस में किया जा सकेगा।

3. वित्त निगम द्वारा सर्वोत्तम के दौरान विहित उन ऋण इकाइयों जिनमें 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति गेजगार में हैं के पुनर्वास हेतु प्रत्येक इकाई की फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार का जाएगा। इकाई के उद्यमों से विचार विमर्श के पश्चात् पुनर्वास पैकेज बनाया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की छूटें एवं भविष्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

राजस्थान राज्य वित्त निगम की प्रगति Progress of R F C

राजस्थान राज्य वित्त निगम के कारण राज्य में औद्योगिक वातावरण का सृजन हुआ है। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योग भी विकसित हो चुके हैं। निगम ने अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय केन्द्र एवं राज्य की औद्योगिक नीतियों को ध्यान में रखा है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीतियों को घोषणा की गई है, जिनके अन्तर्गत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। सरकार द्वारा इसमें अनेक सशोधन भी किये गए हैं। निगम इस नीति के अनुरूप एक नवीन दिशा अपना चुका है। निगम की प्रगति का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

कार्य व्यापार एवं प्रगति

निगम द्वारा अपनी स्थापना से माह जनवरी, 98 तक लगभग 65825 औद्योगिक इकाइयों का 2017.89 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं 50251 औद्योगिक इकाइयों को 1361.98 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। निगम ने अपने कार्य व्यापार में जा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है -

4 निगम द्वारा महिला उद्यमियों समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए दो योजनाएँ हाथ में ली जाएगी महिला उद्यमियों को शाश्वत ऋण उपलब्ध कराने के लिए निगम में अलग से महिला उद्यम निजी प्रकौष्ठ की स्थापना की गई है जिसके द्वारा महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निगम द्वारा महिला उद्यमियों को परियोजना लागत की जिसको अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है 15 प्रतिशत वीज पूँजी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

5 इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम के समुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु 50 000 रु तक की ऋण सहायता दी जाएगी। इसमें 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 10 000 रु की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी एवं अधिकतम 6 000 रु तक का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

6 निगम ने राज्य के दस्तकारों अतिलघु उद्यमियों तथा हैण्डलूम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर हैण्डलूम एवं हैण्डिक्राफ्ट प्रकौष्ठ की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत परियोजना के चयन परिशासना का प्रतिवेदन बनाने एवं ऋण सुविधा हेतु आवेदन पत्र संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी।

7 निगम द्वारा पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन उद्योग (उद्योग मोटल हैरिटेज होटल पेइंग गेस्ट आदि) लगाने वाले उद्यमियों को प्रचलित ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार निगम द्वारा संचालित गुड बोरोअर्स योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले उद्यमियों से प्रचलित ब्याज दर से दो प्रतिशत कम ब्याज दर ली जाएगी।

8 निगम द्वारा नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियों को वर्तमान में दी जा रही आधा प्रतिशत ब्याज में छूट को बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। यह छूट आरम्भ में एक वर्ष के लिए दी जाएगी।

9 शाखा स्तर पर ऋण प्राप्तकर्ताओं को उनके खाना के विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा धीरे धीरे सभा शाखा कार्यालय पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं अथवा अधिकृत व्यक्ति को खाते के विवरण की प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

वर्ष 1997-98 की उपलब्धियाँ

निगम द्वारा वर्ष 1997-98 में माह जनवरी 98 तक 98.75 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए एवं 95.68 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किये गये। वर्ष के दौरान खनिज

आधारित उद्योगों वस्त्र उद्योग एवं सूक्ष्म तकनीकी आधारित उद्योगों को विशेष बढ़ावा दिया गया। पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न भागों में होटल/हैरिटेज पेइंग गेस्ट आवास हेतु ऋण सहायता प्रदान की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने के लिए सामान्य से 2 प्रतिशत कम ब्याज पर 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लघु उद्योगों का विस्तार

वर्ष 1996-97 की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को जो कि कुल ऋण स्वीकृतियों के मुख्य अंश थे सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। कुल ऋण स्वीकृतियों का 96.36 प्रतिशत इस क्षेत्र के उद्यमियों को स्वीकृत किया गया। वर्ष 1997-98 में भी लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है जो कि नियम सारणी से परिलक्षित होती है

(राशि करोड़ों में)					
		1996-97	1997-98		
		(जनवरी, 98 तक)			
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	सद्व्य.	राशि	
1	लघु परिवहन	1383	149.38	791	91.11
2	अन्य	23	18.07	11	7.64
स्त्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997-98					

सहायता की परियोजनाएँ

निगम द्वारा दस्तकारों समाज के कमजोर वर्गों जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भी शामिल हैं तथा बहुत कम पूँजी वाले उद्यमियों और इकाईयों को प्रामाण्य एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से विरोध योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। विभिन्न सहायता परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में माह जनवरी 98 तक अर्जित की गई उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है

(राशि करोड़ों में)			
क्र.सं.	योजना का नाम	पर्य्याय	राशि
1	कम्पोजिट ऋण योजना	53	11.97
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए सहायता	40	115.45
3	भूतपूर्व सैनिकों के निर-सैनिकता योजना	13	44.42
4	महिला उद्यम निधि योजना	6	22.50
5	सिंगल विण्डो स्कीम	37	223.76
6	होटल उद्योग	23	418.94
7	हॉटल उद्योग	4	42.50
8	परिवहन ऋण	27	99.98
9	मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों के तहत लघु सार्वभौमिक ऋण	34	805.11
स्त्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997-98			

राज्य सरकार के अधिकर्ता की भूमिका

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को व्याज मुक्त ऋण एवं पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत करने की दिशा में वित्त निगम राज्य सरकार के अधिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित पूंजी विनियोजन अनुदान योजना के अंतर्गत निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों को वर्ष 1996-97 में 804 इकाइयों को 27.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये एवं 1130 इकाइयों को 23.91 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

ऋण वसूली एवं अनुसरण प्रयास

वित्त निगम ने वित्तीय वर्ष 1996-97 में 194.78 करोड़ रुपये की वसूली कर एक नया क्षेत्रीय स्थापित किया है। यह उपलब्धगत वर्ष की तुलना में 10.31 प्रतिशत अधिक रही।

वर्ष 1997-98 में वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एच उद्यमियां से अधिक से अधिक वसूली के लिए निगम द्वारा विशेष नीतिगत नियम लेकर उद्यमियां द्वारा अपनी बकाया राशि एक मुश्किल करने पर विशेष रियायत देने का नियम लिया गया। अधिग्रहित इकाइयों के मामले में शोधप्रतिष्ठानों के अतिरिक्त एवं अधिक से अधिक पुनर्जीवन हेतु नीतिगत नियम लेकर क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय स्तर पर और अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन सभी प्रयामों के फलस्वरूप निगम द्वारा आलोच्य वर्ष में माह जनवरी 98 तक 139.16 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जो कि आलोच्य वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 61.85 प्रतिशत है एवं गन वय का इसी अवधि में 7.65 प्रतिशत अधिक है।

ऋण इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा 1996-97 में ऋण इकाइयों को

पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। इन प्रयासों के अंतर्गत 44 इकाइयों के मामलों में किराने का पुनर्निर्धारण किया गया 173 इकाइयों को 6.51 करोड़ रुपये को दण्डनीय ब्याज में छूट दी गई 160 अधिग्रहित इकाइयों को चेचकर इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा 10 ऋण इकाइयों को भारतीय पैकेज तय कर पुनर्जीवित किया गया। इनको 0.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

वर्ष 1997-98 में माह जनवरी 1998 तक 155 अधिग्रहित इकाइयों का निगम का 10.01 करोड़ रुपया बकाया था मूल ऋणों को लौटाकर, परिस्थितियों का विचार कर प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनर्जीवित किया गया। इसी प्रकार पुनर्वास योजना के अंतर्गत जनवरी, 98 तक 9 इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया।

वित्तीय संसाधन एवं लेखा-जोखा

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अनुसार वर्तमान में वित्त निगम की अधिकृत पूंजी (अश पूंजी) 100 करोड़ रुपये है एवं प्रदत्त पूंजी 65.52 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जो पूंजीगत ऋण और अग्रिम दिये गये थे वे विभिन्न चरणों में पूंजी के रूप में परिवर्तित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अश पूंजी, ऋण एवं वित्तीय सहायता आदि के लिए वार्षिक योजना 1997-98 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1997-98 में निगम द्वारा माह जनवरी 98 तक 10.50 करोड़ रुपये के बाण्ड्स निर्गमित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 90.00 करोड़ रुपये का पुनर्जीवित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में प्राप्त किया जाएगा।

गत पांच वर्षों में निगम की उपलब्धियों का लेखा-जोखा सलग तालिका में दर्शाया गया है।

गत पांच वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93
1	ऋण स्वीकृति	165.45 (1406)	163.44 (1770)	177.5 (1794)	165.77 (2169)	168.00 (2830)
2	ऋण निवाराण	122.09 (1266)	131.66 (1411)	120.72 (1534)	106.32 (1804)	107.45 (2306)
3	वसूली	194.78	178.53	156.17	131.47	110.95
4	अश पूंजी					
	(क) (1) अधिकृत	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(2) प्रदत्त	67.52	67.52	67.52	63.02	60.17
	(ख) वर्षान्त में रिजर्व	40.76	34.26	27.26	25.41	24.52
	(ग) बाण्ड्स गैर	244.82	232.37	227.17	208.17	191.17
	(घ) धातु नि बैंक से प्राप्त पुनर्जीवित	3.73	3.74	4.49	3.00	4.00
	(ङ) भास टच बैंक से प्राप्त पुनर्जीवित	54.09	72.74	60.67	53.99	53.73

5	सरत लाभ	43 61	45 04	34 08	27 06	20 98
6	कार्य परिचालन व्यय	29 37	26 43	22 95	17 67	13 37
7	लाभ	13 54	15 70	1 90	0 61	0 79
8	शुद्ध लाभ	9 88	11 58	1 90	0 61	0 79

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

व्यापार प्रोन्नति

निगम द्वारा राज्य में उद्योग लागाने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये हैं। निगम द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर व्यापार प्रोत्साहन शिबिरो का आयोजन किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य के ग्रामीण एवं सभावित उन्नत क्षेत्रों में समाज क फमजोर वर्गों के उत्थान हेतु निगम को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अच्छा प्रदेश है। पर्यटकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सक, इसके लिए वित्त निगम द्वारा होटल, मोटल, रैस्टोटे होटल आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। निगम द्वारा मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों के अंतर्गत निगम स वित्त पोषित इकाइयों के गुड बॉगर्स को कार्यशील पूंजी एवं अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अल्पावधि ऋण व्यवहृत गति से स्वीकृत किये जाते हैं। निगम ने अभी हाल ही में गोल्ड कार्ड योजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत निगम द्वारा ऋणों का नियमित भुगतान करने वाले उद्यमियों को 38 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु प्रदान की जाती है। निगम की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 में वित्त निगम द्वारा 210 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने एवं 165 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऋण एवं बंद इकाइयों के पुनर्जीवित हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित उन ऋण इकाइयों जिनमें 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति राजगार में हैं के पुनर्वास हेतु प्रत्येक इकाई का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इकाई के उद्यमों से विचार निमार्श के पश्चात् पुनर्वास पैकेज बनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न प्रकार की छूट एवं भविष्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि का समावेश होगा।

शाखा स्तर पर ऋण प्राप्तकर्ताओं को उनके खाता का

विवरण देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। धीरे धीरे सभी शाखा कार्यालयों पर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं अथवा अधिकृत व्यक्ति को खातों के विवरण को प्रति प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।

हैण्डलूम क्षेत्र में बुनकरों को रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से करीब 10 000 बुनकरों को हैण्डलूम कारपोरेशन के सहयोग से कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको)

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL & INVESTMENT CORPORATION

निगम की स्थापना Establishment

28 मार्च, 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं राजिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1979 में इस निगम के राजिज साधनों से सार्वभूमिक कार्यों को एक पत्रागठित संस्था 'राजस्थान राज्य राजिज व्यापार निगम' को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा जनवरी 1980 से राजस्थान राज्य उद्योग एवं राजिज विकास निगम का नाम 'राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम' (रीको) कर दिया गया। अतः औद्योगिक ऋण उपलब्ध कराने में रीको की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई।

रीको राज्य सरकार व भारतीय औद्योगिक निगम बैंक की ओर से एक विकास बैंक के रूप में कार्यरत है। इस रूप में यह संस्था अनेक योजनाओं को संचालित करती है और उन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं।

(I) रीको उन योजनाओं में सहयोग करती है जिनकी निर्माण लागत 10 करोड़ रुपये तक होती है। इन योजनाओं में रीको अंश के माध्यम से धन का विनियोजन करती है।

(II) यह 150 लाख रुपये तक के अग्रिम ऋण स्वीकृत करती है। रीको राजस्थान में कहीं भी औद्योगिक परियोजनाओं को विवरित करने हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं बैंकों के साथ मिलकर भी कार्य करती है।

(iii) रोको उपकरण पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत प्रति औद्योगिक इकाई को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत करता है। ऐसे ऋण की स्वीकृति में 7 दिन का समय लग जाता है।

(iv) रोको द्वारा ब्याज मुक्त विक्री कर ऋण तथा राज्य पूंजी विनियोग अनुदान भा प्रदान किया जाता है।

(v) रोको द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अशुभियों में सहयोग प्रदान किया जाता है। राका प्रायः मयुक्त क्षेत्र एवं निम्नो क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय महयोग प्रदान करते समय रोको इस बात का पर्याप्त ध्यान रखती है कि कोई औद्योगिक इकाई वित्तीय समाधान के अभाव के कारण तो अपना उत्पादन काम प्रारंभ नहीं कर पा रही है।

(vi) राका द्वारा बोज पूंजी का भी व्यवस्था का जाता है। बोज पूंजी का व्यवस्था राका उन शक्तिशालक एवं तकनीकी क्षमता वाले उद्यमियों के लिए की जाता है जो वित्तीय सहायकों के अभाव में उद्योग की स्थापना करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

निगम के उद्देश्य

Objects

राको के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(i) **तांत्रिक औद्योगिक विकास** निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तांत्रिक गति से औद्योगिक विकास करना है। इस उद्देश्य को पूरित हेतु निगम उन संस्थाओं को स्थापना में सहायक करती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। निगम प्रायः औद्योगिक उपकरण व मशीनों का निर्माण करने वाला संस्थाओं का सहयोग प्रदान करता है।

(ii) **प्रवर्तन व योगदान** निगम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य कम्पानियों पर तथा नवजात संस्थाओं के प्रवर्तन में योगदान देना है। इसमें राज्य में औद्योगिक बालावर्ण के सृजन को बढ़ावा मिलता है।

(iii) **वित्तीय सहायता** निगम द्वारा वित्त व सांख्यिक क्षेत्र की संस्थाओं का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह महापल अंश का अधिगोपन अवधि ऋण बाज पूंजी तथा ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाता है।

(iv) **नवान वाजनाओं का निर्माण व संचालन** निगम राज्य के तांत्रिक औद्योगिक विकास के लिये नवान वाजनाओं का नया करना है और उनका संचालन करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त हेतु निगम विभिन्न वाजनाओं सम्बन्धी परामर्श प्रदान करता है और इन वाजनाओं का रिफाई

तैयार करता है।

(v) **सयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना** निगम का प्रमुख उद्देश्य सयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना भी है। इस औद्योगिक क्षेत्र की नवीन प्रवृत्ति करा जा सकता है। निगम सयुक्त क्षेत्र के विकास एवं विस्तार में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

रोको का प्रबन्ध एवं संगठन Management & Organisation

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड जयपुर (रोको) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मरामिलित एवं सार्वजनिक संस्था है। राजस्थान सरकार इसकी मुख्य अंशधारी है। रोको के कार्य का नियंत्रण एवं निर्देशन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में निहित है जिसका वर्तमान संख्या सभ्यपति एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए 14 है। बोर्ड में निदेशक शासन सचिव को समता वाले वरिष्ठ प्रशासक एवं अनुभवा उद्योगपति हैं। निगम का उच्चतम दक्षता के साथ संचालन करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये हैं।

वर्तमान युग में प्रजातन्त्र का युग है जिसमें सभी कार्यों को पराम्पर परामर्श द्वारा किया जाता है। इसा उद्देश्य को पूर्ण हेतु विशिष्ट गतिविधियों में सम्बन्धित निर्णयों को गति प्रदान करने के लिये निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों को सम्बन्धित मामलों में नियंत्रण लेने हेतु पर्याप्त अधिकार एवं दायित्व सौंपे जाते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह होता है किन्तु इस शत पर कुछ कार्य सौंपे जाते हैं कि वे उन कार्यों को मिलाकर तथा सम्मिलित रूप से करें। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा तान समितियों का गठन किया जाता है (1) कार्यकारिणी समिति कार्यकारिणी समिति जा कि स्थायी प्रवृत्ति की होता है तथा निरन्तर उत्तरदायित्व का भार वहन करता है। इस प्रकार इस समिति को रोका के सामान्य पणामन एवं वार्षिक सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेने एवं उनके अनुसार कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। (2) औद्योगिक समिति औद्योगिक समिति का कार्य क्षेत्र केवल उद्योगों को वित्तीय सहायता हेतु स्वाकृति प्रदान करना एवं विनियोग सम्बन्धी नियंत्रण लेने तक ही सीमित है। (3) आधारभूत विकास समिति औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना भूमि खर्चित करना उद्योगों के सफल संचालन करने हेतु आधारभूत संविधान (नल विद्युत यंत्रणा, डाक एवं तार) उपलब्ध करवाना इसा समिति के कार्यक्षेत्र में आता है।

निगम के कार्य

Functions

निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये निगम निम्नांकित कार्य करता है

(1) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना फैक्ट्री सड़कों का निर्माण करना एवं इस हेतु आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना निगम के मुख्य कार्य हैं।

(2) राज्य में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित सम्भावित व्यवसायों का पता लगाना एवं उन पर शोध करना तथा साध्यता विवरण तैयार करना।

(3) समूक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना जिसमें तकनीकी योग्यता प्राप्त अनुभवी उद्योगपतियों को विशेष रूप से उत्साहित करना शामिल है।

(4) वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। निगम निर्माणाधीन प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है

- (i) अरापूर्जी मे हिस्सा एवं अंशों का अभिगोपन करना
- (ii) अवधि ऋण
- (iii) बीज पूँजी
- (iv) ब्याजमुक्त ऋण (राज्य सरकार की बिक्री कर योजना के अन्तर्गत)

रीको के वित्तीय स्रोत

Financial Resources

(अ) अशपूर्जी (Equity) 31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त पूँजी 140 40 करोड़ रुपये तथा अधिकृत पूँजी 150 करोड़ रुपये थी।

(ब) बाण्ड (Bonds) निगम समय समय पर बाँड जारी करके भी आवश्यक धनराशि प्राप्त करती है।

(स) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं लघु भारतीय उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्त (Refinance) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक रीको के लिए वित्तीय सहायता प्राप्तिका प्रमुख

स्रोत हैं। रीको ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत राशि प्राप्त की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रीको को अवधि के द्वारा भी वित्तीय सहयोग प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। रीको द्वारा पुनर्वित्त सहायता के अतिरिक्त उपकरण पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता प्लान्ट व उपकरणों हेतु प्रदान की जाती है। यह सहायता सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली औद्योगिक इकाइयों को ही प्रदान की जाती है। ऐसे ऋण प्रायः 7 दिन में स्वीकृत कर दिए जाते हैं।

निगम की प्रगति

Progress of RIICO

राजस्थान में पूँजी का अपेक्षाकृत अभाव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी संस्थाएँ ऐसी नीतियों का अनुसरण करें कि उद्योगों में पूँजी के विनियोजन को प्रेरणा मिल सके। इस दृष्टि से रीको महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नवीन औद्योगिक नीति के पश्चात् राज्य सरकार की नीतियों में भी अनेक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। रीको बीजपूँजी प्रदान करके प्रभावशाली व तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को उद्योगरूपी वृक्ष का बीज बाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह औद्योगिक इकाइयों को अशपूर्जी में हिस्सा देता है और उनके अंशों का अभिगोपन करता है। यह निगम औद्योगिक इकाइयों को आसान शर्तों पर ऋण भी प्रदान करता है।

1 आयोजना बजट - आवटन एवं प्राप्ति

निगम को योजनामद में वर्ष 1996-97 में प्रावधानिक एवं स्वीकृत/प्राप्त राशि 3060 लाख रुपये रही जबकि वर्ष 97-98 में बजट प्रावधान 3500 लाख रुपये का रखा गया था जिसमें से जनवरी 98 तक 3300 लाख रुपये प्राप्त हुए। प्रोध सेन्टर हेतु अशपूर्जी के 200 लाख रुपये प्राप्त होने शेष हैं। रिस्कुत सूचना निम्न तालिका में उपलब्ध है।

1 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

राज्य सरकार द्वारा आवटित एवं प्राप्त राशि				
	(रुपि लाख में)			
शेषक / विकास योजना	1996-97	1997-98	1997-98	1997-98
	बजटिक प्राप्ति	बजट प्रावधान	जनवरी 98 तक प्राप्ति	हनु शेषित राशि/अनुमान
राज्य योजनामद				
1 शेषक पूँजी अंशदान				
अ सा राशि	1427 00	1220 00	1220 00	1220 00
ब जनजीन उपकरण	208 00	280 00	280 00	280 00

2	ग्राम मेन्टर हेतु विवरण अंत पूरा		200 00			
3	प्लान रहित बिजली का ऋण	200 00	100 00	100 00		100 00
4	सांभलिक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रावधान	30 00	30 00	30 00		30 00
5	उद्योग श्री योजना	100 00				
6	हाथव्यार टेक्नोलॉजी पार्क	65 00				
7	साफ़ावेयर टेक्नोलॉजी पार्क	50 00				
8	आधारभूत संरचना विकास		975 00	975 00		315 00
9	बचत आधारभूत सुविधा विकास		100 00	100 00		
10	औद्योगिक क्षेत्र के पंच तल संसाधन विनिर्माण		175 00	125 00		25 00
11	व्यवसायनिरत औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अनुदान	200 00	150 00	150 00		150 00
12	श्रीलक्ष्मी क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु अनुदान	500 00				
13	औद्योगिक प्रस्तावों का अनुदान	30 00	20 00	20 00		10 00
14	उद्योग प्रतिष्ठान जिला में आधारभूत संरचना विकास	50 00				
15	विनिर्माण संवर्द्धन औद्योगिक पार्क भिवाड़ी	200 00	100 00	100 00		100 00
16	भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण		100 00	100 00		100 00*
17	श्रीलक्ष्मी भिवाड़ी निक बंड					60 00
18	देलाकाना बी मट सुविधा विकास हेतु		50 00	50 00		50 00
19	अर्थ स्थान हेतु अनुदान					100 00
20	मनकित आधारभूत विकास कर्ज (आई आर डी)		50 00	50 00		50 00
	योग	3060 00	3500 00	3300 00		2300 00

* भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 100 लाख रु. साध हा पी डी खाने में स्वागतनिरत

स्रोत: राज्यांक प्रतिवेदन 1997-98

विक्रम की भावश्यकताओं को ध्यान रखते हुए निगम वर्ष 1997-98 के लिए 3300 लाख रुपये की वार्षिक योजना के अन्तर्गत हा संशोधित व बट प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्यतः धारुहेड़ा, भिवाड़ी लिंक रोड एव अर्थ स्टेशन के लिये हाल ही में स्वीकृत 860 लाख रुपये का अनुदान औद्योगिक संरचना विकास हेतु स्वीकृत योजना ताल से परिवर्तित किया जाने के प्रस्ताव का अनुमान किया गया है। इसका आर्थिक निगम के आन्तरिक स्रोतों में वर्ष 1997-98 की आयोजना सीमा में 3700 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल किए हुए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 के लिये 7200 लाख रुपये की वार्षिक योजना सामानियत जा गई है।

2. वार्षिक लक्ष्य एवं कार्य परिणाम

राजा के अच्छे कार्य परिणामों का फलस्वरूप लाभान्वित हुआ है तथा वर्ष 96-97 में कर पक्ष में 1182 लाख रुपये का लाभ हुआ है। राज्य सरकार को 221.36 लाख रुपये का भाग वर्ष 1996-97 के लिए दिया गया।

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

राज्य में मार्च 97 तक स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 225 थी जो जनवरी 98 तक बढ़कर 245

हो गई। वर्ष 96-97 में औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कुल 4827 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी जबकि 97-98 में 4000 एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 98 के अंत तक 3214 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है जो कि लक्ष्यों के मुकाबले 80.35 प्रतिशत है। इस प्रकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक कुल 48260 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है।

वर्ष 96-97 को राकने द्वारा उत्तम आधारभूत सुविधा वष के रूप में मनाया गया तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं रखरखाव आदि कार्यों पर वर्ष 96-97 में निगम द्वारा 14212 लाख रुपये खर्च किये गए जराक चालू वष में जनवरी 98 तक डम मद पर 9877 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। आलोच्य वष 97-98 में लगभग 200 करोड़ रु. व्यय किए जाने की योजना है।

वर्ष 96-97 में 3140 एकड़ भूमि विकसित की गई तथा 1339 भूखण्ड आवंटित किए गए और उत्पादन में इकाइयों का संख्या 688 रही जबकि चालू वष में 2180 एकड़ भूमि विकसित की गई 693 भूखण्ड आवंटित किए गए तथा 359 और इकाइयों उत्पादन में आई। विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है।

आधारभूत सुविधाएँ (सारांश)

(यसि लाख रु में)

विवरण	वास्तविक प्रगति 1996-97	प्रस्तावित लक्ष्य 1997-98	वर्ष 19 -99 में प्रगति (जनवरी 98 तक)
1 अवाप भूमि (एकड़)	4827.47	4000.00	3213.68
2 विकसित भूमि (एकड़)	3139.35	2000.00	2180.33
3 विकसित भूखण्ड (सज्या)	1338	-	3290
4 शुद्ध आवंटित भूखण्ड (मल्या)	1339	3000	689
5 उत्पादन में इन्फ्रिया (सज्या)	688	-	359

स्रोत: रीको वार्षिक प्रतिवेदन 1997-98

मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में और उनके आसपास सामाजिक आधारभूत सुविधाओं यथा आवास विद्यालय, अस्पताल आदि का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों के लिये आकर्षक एवं रहने योग्य हो सकेगा। रीको का अनुभव रहा है कि अधिकाधिक विनियोजन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये उत्तम एवं एकोकृत आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। तदनुसार सभी सामाजिक आधारभूत सुविधाओं से युक्त समेकित औद्योगिक शहरो (इण्डस्ट्रियल टाउनशिप) को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें निजी क्षेत्र का भी सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

उद्योग विशेष समूह के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रीको द्वारा अनेकानेक विशिष्ट औद्योगिक पार्क्स एवं थीम पार्क्स के सृजन पर ध्यान दिया गया है। गन्ध में एक ओर राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 8 पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों (शहजहापुर, नीमगना बहरोड, सोतानाला, कोटपुतली, कूकस, बगरू, मिशनगढ ब्यावर राजसमन्द उदयपुर) पर निगम द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भिवाडी औद्योगिक क्षेत्रों में सिरमौर के रूप में उभरा है जहां कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी अपने उद्योग स्थापित किए हैं। यातायात सुधार हेतु धारुहेडा-भिवाडी सड़क को चार लेन का बनाया जा रहा है। सौफ्तवयर के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ई पी आई पी, सीतापुर (जयपुर) में एक अर्थ स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

4 विकास केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टर) की स्थापना

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय अममानना को दूर करन हेतु भारत सरकार द्वारा (केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत) स्वीकृत चार ग्रोथ सेन्टर (बोकानेर, आनूरोड, ज्ञानावाड एवं भालपुर) परियोजनाओं पर वर्ष 96-97 में कार्य

विभिन्न चरणों में प्रगति पर रहा और प्रारम्भ से मार्च, 97 तक कुल विनियोजन 2245 92 लाख रुपये का हुआ था। चालू वर्ष में अब तक ग्रोथ सेन्टरो के विकास पर 178 41 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। पाचवें ग्रोथ सेन्टर भीलवाडा की स्वीकृत भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, जिस वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।

5. मिनी ग्रोथ सेन्टर्स

ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्रों में लघु उद्योगों को एकोकृत आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पाच-पाच करोड रुपये की लागत से जोधपुर एवं नागौर में लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इसमें से जोधपुर मिनी ग्रोथ सेन्टर हेतु सागरिया में कुल 88.31 एकड भूमि अवाप्त की गई है। मार्च, 97 तक इसके क्रियान्वयन पर 193 लाख रुपये व्यय किए गए तथा अप्रैल से जनवरी, 98 तक 150 लाख रुपये और व्यय किये जा चुके हैं। इसमें नियोजित 574 प्लाट्स में से 567 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

नागौर जिले के गोगेलाव ग्राम में मिनी ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने का निर्णय दिनांक 18.3.97 का हुआ है। इस हेतु 78 8 एकड भूमि अवाप्त कर ली गई है एवं विकास कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इस पर जनवरी 98 तक 83 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

राज्य में तीसरे एवं चौथे मिनी ग्रोथ सेन्टर निवाई (टोक), कल्लडवास (उदयपुर) की परियोजना पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अप्रेजल किया जा रहा है।

6 औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

सावधि ऋण एवं अरापूजो की स्वीकृतितथा निरण निगम की महत्वपूर्ण विकास वित्तिय गतिर्वाध हैं, परन्तु

विद्युतबिनी औद्योगिकमदी के चलते हुए देश म औद्योगिक विकास की दरगत वर्षके मुकाबले इसवर्ष घटकर लगभग आधी रह गई है। निगम द्वारा वर्ष 96-97 म 86 औद्योगिक परियोजनाओं को 8924 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 96-97 में उद्योगों को 5591 लाख रुपये के सावधि ऋण वितरण किए गए जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 3660 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार अशपूजी सहायता मद में वर्ष 96-97 में 451 लाख रुपये की स्वीकृति तथा 189 लाख रुपये का वितरण किया गया जबकि वर्ष 97-98 में माह जनवरी, 98 तक 85 लाख रुपये की स्वीकृति और 35 लाख रुपये का ही वितरण हुआ है।

ब्याज रहित विक्री कर ऋण के मद में वर्ष 96-97 में 85 लाख रुपये की स्वीकृति तथा 92 लाख रुपये का वितरण किया गया, जबकि चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 98 तक इस मद में 500 लाख रुपये की स्वीकृति एव 43 लाख रुपये का वितरण किया गया है। राज्य सरकार की ओर से उद्यमियों को वर्ष 96-97 में पूजी विनियोजन अनुदान के रूप में 711 लाख रुपये की स्वीकृति एव 507 लाख रुपये का वितरण किया गया। इस मद में चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 189 लाख रुपये की स्वीकृति एव 289 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। विस्तृत विवरण निम्न तालिका में उपलब्ध है।

उद्योगों को वित्तीय सहायता			
(रुपि लाख में)			
विवरण	वार्षिक प्रगति	संक्षेप 97-98	वर्ष 1997-98 में प्रगति (जनवरी, 98 तक)
1 सावधि ऋण / विन ऋण			
स्वीकृत	8924.18	6500.00	4175.62
वितरित	5591.12	5000.00	3659.96
2 अशपूजा			
स्वीकृत	451.15	400.00	85.00
वितरित	189.33	150.00	35.00
3 ब्याज रहित विक्रीकर ऋण			
स्वीकृत	85.04	550.00	500.19
वितरित	91.51	500.00	42.56
4 केन्द्रिय / राज्य अनुदान			
स्वीकृत	710.85	150.00	189.35
वितरित	507.00	50.00	278.82

सं. टि. 202 अधि. प्र. वि. 1997-98

वर्ष 96-97 में 5864 लाख रुपये के सावधि ऋण को वसूली का गई है। ब्याज मुक्त विक्री कर ऋण को वसूला भी वर्ष 96-97 में 46 लाख रुपये हुई जो एक कातिमान है। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 4046 लाख रुपये के सावधि ऋण तथा 217 लाख रुपये के ब्याज रहित विक्री कर ऋण का वसूली का गई है।

निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में 232 लाख रुपये अशपूजी के अप-विनियोजन के रूप में प्राप्त किए गए, जबकि वर्तमान बाजार स्थिति में भी चालू वर्ष में अब तक 66 लाख रुपये का अशपूजी का अप विनियोजन किया जा चुका है।

7. निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई.पी.)

राज्य के निर्यातमुखी औद्योगिक विकास हेतु जयपुर के भातापुर औद्योगिक क्षेत्र में नियत सवर्द्धन

पार्क विकसित किया जा चुका है। इस पार्क की कुल लागत 47.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस पार्क के लिये 10 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार तथा 3.33 करोड़ रुपये राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

इस पार्क हेतु 365 एकड़ भूमि विक्रमिनी को गड़ जिमम 385 भूखण्ड प्लान किय गए हैं। अब तक 122 उद्यमियों को 154 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं जिनमें 12 यूनिटों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 3 यूनिटों में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। जनवरी, 1998 तक पार्क पर लगभग 36.23 करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका है।

इसकी प्रगति से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार ने राज्य में भिवाडों के सन्धी दूसरा निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान

की है जिसका लागत लगभग 55-34 करोड़ रुपये होगी तथा इसमें 715 एकड़ भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही काग्य रही है। इसका विकसित करने हेतु एन सी आर पा बा स 24 लाख रुपये ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

8 ग्गाईं छपाई उद्योग-सागानेर

ग्गाईं छपाई उद्योग के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सागानेर के निकट ही एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये लगभग 800 एकड़ भूमि का जग्गा किया गया है। इस भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण के बाद इस क्षेत्र के विकास को गतिमाना की जायेगी आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की विस्तृत तकनीकी/वित्तीय परियोजना बनाने के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ की सहायता के रूप में मसम चाणक्य कन्सल्टेंट्स से विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है ताकि प्रदूषण निवारण हेतु सयक्त उपचार संयंत्र की स्थापना में नवीनतम उपलब्ध तकनीकी का उपयोग किया जा सके।

9 माथल मण्डी किशनगढ़

किशनगढ़ में राज्य का प्रथम मार्बल मण्डा विकसित का गई है। यह मण्डा 16 बीघा भूमि पर स्थापित की गई है तथा इसमें 109 माथल गादाम 34 दुकानें एक शॉटल पट्टाल यम्य बैंक भवन आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10 इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क

नयपुर के निकट सागापुर में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क हेतु 41 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। इस पार्क में फ्लैट फेक्टो कामप्लेक्स में उच्च गति की डेटा संचार सुविधा सेवा द्वारा स्थापित का जायेगा जिस पर कुल 3-96 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इस हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना की आशा है। इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी पार्क में अथा तक संचार उद्योग परिवर्तन का अपनी इकाईया लगान हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस क्षेत्र में 64 के बी पा एम इंटर्नेट लीज लाइन उद्योग भवन के सामने निम्न भवन में लगा दी गई है तथा कार्यरत है। उक्त योजना पर अथा तक लगभग रुपये 0-15 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। भवन निर्माण का योजना पर कार्य चल रहा है। इस दिशा में आर्टिस्टिक से नक्शा बनवाकर भवन निर्माण स्वीकृति दे दी गई है।

उक्त पार्क में अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिये साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया में एम ओ यू (Memorandum of Understanding) किया जा रहा है।

11 भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण - (बीडी)

औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 11-3-97 का अधिभूचित कर अध्याय को दिनांक 21-3-97 को नियुक्ति की गई। राज्य सरकार ने जून 97 में इसके पांडी खाते में एक करोड़ रुपये की राशि हस्तान्तरित कर दी है। प्राधिकरण के कार्यकलाप को मूल रूप देने के लिए प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 14-5-97 को तथा द्वितीय बैठक 18-11-97 को सम्पन्न हुई बैठक के लिए गए निर्णयों को अनुपालना में भिवाडी की मुख्य सड़क की सफाई व्यवस्था एवं भिवाडी क्षेत्र में अग्नि शमन सेवाय उपलब्ध कराई जा रही है। भिवाडी क्षेत्र में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी की नियमित सफाई व्यवस्था नालियों की मरम्मत का कार्य भलवा इत्यादि हटाने के कार्य कलापा की व्यवस्था हेतु निर्विदाये प्राल कर स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। भिवाडी क्षेत्र में नगराय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय मार्ग का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मार्ग पर वाहन चलाने हेतु एक अनुज्ञापत्र भी स्वीकृत हो गया है। भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन कार्यों पर जनवरी 98 तक 9-27 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है।

12 औद्योगिक प्रोत्साहन गतिविधिया

निगम द्वारा वित्त निगम औद्योगिक प्रोत्साहन व्यापक एवं उद्योग विभाग व सहायता से राज्य में औद्योगिकरण के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिखर लागू किए हैं। वर्ष 1996-97 में 13 एम ओ यू हस्ताक्षरित हुए। चालू वर्ष में जनवरी 98 तक एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया है। इस वर्ष अतः 14-4 बृहद एवं मध्यम उद्योगों का टारट अप किया गया है जिसमें राज्य में 1939 करोड़ रुपये विनियोजन का सभापनाएं और बनी हैं।

13 नियोजन (रोजगार)

निगम में 31 मार्च 1997 का कुल 1508 अधिकारिया एवं कमकारिया के स्वीकृत पत्र पर 1366 कार्यरत थे। निगम में सहायक प्रांत इकाईया में 14

96-97 में 814.27 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन के फलस्वरूप 4372 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 87.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन से 1361 व्यक्तियों को और रोजगार उपलब्ध करने के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीको के औद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में सृजित रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 96-97 में क्रमशः 5948 तथा 14800 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा अगस्त वर्ष में जनवरी, 98 तक औद्योगिक प्रोत्साहन से टाई-अप उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में करीब 6000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

14 जनजाति उपयोजना क्षेत्र

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निगम द्वारा 96-97 में सावधि ऋण पर मार्जिन राशि के रूप में 8.20 लाख रुपये की अंश पूजो का भुगतान किया गया। चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 25.76 लाख रुपये सावधि ऋण मार्जिन के रूप में वितरण किये गये।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आबू रोड विकास केन्द्र के विकास पर वर्ष 96-97 में 85.27 लाख रुपये व्यय किए गए, जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक इस मद पर 98.75 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

15. अनुसूचित जाति संगठक योजना

इस योजनान्तर्गत निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किए जाने हैं। वर्ष 96-97 में 260 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किए गए जबकि चालू वर्ष में संशोधित लक्ष्य 100 उद्यमियों में से जनवरी 98 तक 93 उद्यमियों का भूखण्ड आवंटित कर 10460 लाख रुपये की रियायत दी गई है।

16 वॉच फैक्ट्री की गतिविधिया

रीको की अजमेर स्थित वाच फैक्ट्री में वर्ष 96-97 में 149260 घड़िया असेम्बल की गई थी जबकि चालू वर्ष में जनवरी, 98 तक 56870 घड़िया असेम्बल की गई हैं। कमी का कारण एच एम टी की घड़ी के कम्पोनेन्ट (कलपुजो) को आपूर्ति कम होना रहा है।

17. रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार

औद्योगीकरण के बढ़ते हुए दौर पर कुछ उद्योग रूग्ण होते ही हैं। रीको द्वारा अब तक कुल 708 इकाइयों को सावधि ऋण/अंशपूजी सहायता स्वीकृत की गई है, इनमें से वर्तमान में 58 इकाइया रूग्ण हैं जिनके सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है -

अ. रूग्ण इकाइयों का वर्गवार विवरण :

रूग्ण इकाइयों का वर्गवार विवरण	इकाइयों की संख्या
बी आई एफ आर में पंजीकृत इकाइया	8
ए ए आई एफ आर में पंजीकृत इकाइया	3
रीको आर एफ सी ट्रप सैन्स 29 के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाइया	35
समापन हेतु निर्णित/डो आर आई के अधीन इकाइया की संख्या	12
कुल	58

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

बी आई एफ आर सम्बन्धी इकाइयों में से एक की ड्राफ्ट पुनर्जीवन योजना तैयार कर ली गई है तथा 7 कम्पनियों के प्रस्ताव ओपरेटिंग एजन्सी/बी आई एफ आर के पास विचाराधीन हैं।

ब. अधिगृहीत इकाइयाँ :

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 के अन्तर्गत कुल 35 इकाइया अधिगृहीत की गई है, इनमें से 7 इकाइया इसी वर्ष 1997-98 में अधिगृहीत की गई हैं। इन इकाइयों का परिमर्पणियों के अंशदान के सम्बन्ध में रीको प्रयत्नशील है।

वर्ष 96-97 में रीको ने 4 इकाइयों का पूर्ण अंशदान एक इकाई की मशीनरी एवं दो इकाइयों को भूमि व भवन का बेचान कर दिया है तथा कुछ अन्य इकाइयों का बेचान वर्ष 1997-98 में होने की संभावना है।

एस एफ सी एक्ट की धारा 29/30 के अन्तर्गत अधिगृहीत इकाइयों को परिमर्पणियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में रीको पूर्णतः सजग है। सुरक्षा व्यवस्था के लिये रीको द्वारा चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं। यदा कदा आवश्यकतानुसार प्राइवट एजन्सिया की मदद भी ली जाती है।

दो अन्य सहायता प्राप्त इकाइया - सर्जिवनी फोर्डर्स प्रा लि की परिमर्पणियों का डाइरेक्टर रवेन्डू इण्टेलीजन्स, भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया गया

हे। इनमें रीको की बकाया राशि 856 50 लाख रुपये हैं। इन इकाईयों के सम्बन्ध में मामला चैम्बर्ड उच्च न्यायालय में लम्बित है।

स वसूली के लिये एक बारीय समझौते के प्रयास

कुछ ऐसी इकाइयाँ जो रूग्णता की स्थिति में हैं व जिनमें बकाया ऋण एवं ब्याज की वसूली करने में कठिनाईयाँ हो रही हैं, से भी एक त्रयीय समझौता करके पसूला के प्रयास किए जाते हैं। यह समझौता करते समय यह प्रयास किये जाते हैं कि ऋण की मूल राशि के साथ-साथ अधिकतम ब्याज की राशि भी वसूल कर ली जाए एवं कुछ ही छूट दी जाए जिससे प्रलोभित होकर प्रवर्तक एक बारीय समझौता कर ले व निगम को अधिग्रहण एवं ध्वंसन में जाने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

वर्ष 95-96 में 10 व 96-97 में 8 इकाइयों से इस प्रकार से वसूली के प्रयास सफल भी हुए हैं तथा कुछ अन्य इकाइयों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

द उद्योगों में रूग्णता रोकने के प्रयास

उद्योगों में रूग्णता विभिन्न कारणवश नैसर्गिक रूप से होती है। जहाँ तक रीको द्वारा महावत्ता प्रदत्त इकाइयाँ में रूग्णता के प्रश्न हैं उसका एक प्रमुख कारण यह है कि रीको द्वारा दत्त पोषित इकाइयाँ अधिकतर फस्ट जेनरेशन के उद्योगों द्वारा लगाई गई हैं। इन उद्योगों का ससाधन सामान्यतया समाप्त ही होते हैं एवं कार्यशाला पूजा के लिए भी वे पूरी तरह से बैंका पर ही निर्भर होते हैं और समय पर यदि कार्यशाला पूजा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो इस कारण से भी ये उद्योग रूग्ण हो जाते हैं। रीको प्रयासरत है कि कार्यशाला पूजा के लिए परियोजना अप्रजल करते समय बैंक से विचार-विमर्श कर लिया जाए तथा पर्याप्त कार्यशाला पूजा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाए जिससे इस कारणवश होने वाला रूग्णता का यथाशक्ति गैरक जा सके।

सुधार के विशेष प्रयास एवं अभिनव योजनाएँ

1 राज्य में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका आकर्षण बढ़ाने हेतु सी ड्रास (सन्टर फार डेवलपमेंट आफ़ स्ट्रान्स) के नाम से एक विशिष्ट संस्था बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इस पर कुल 20 करोड़ रु की लागत आने की सम्भावना है। रीको ने इसके लिए 30 एकड़ भूमि सतारपुरा जयपुर में आरक्षित कर दी है।

2 राजस्थान में पहली बार राजस्थान पत्राव हरियाणा तथा दिल्ली सरकार ने मिलकर काडला में बन्दरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है तथा इस बन्दरगाह की स्थापना से राजस्थान के निर्यातकों को सामान आयात निर्यात करने में बहुत-बड़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

3 राज्य में प्रथम बार ग्रामीण सुविधा विकास कोष एवं कौशल विकास कोष की स्थापना की गई है। कौशल विकास कोष की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि उद्योगों हेतु भूमि अधिगृहित करने के उपरान्त वहाँ के बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देकर रोजगार हेतु तैयार किया जाए। ग्रामीण विकास कोष के माध्यम से जिन ग्रामों की भूमि अधिगृहित की जाती है उनके विकास कार्य को करवाया जाता है। इन दोनों बोधों में अधिगृहित भूमि की कीमत की एक एक प्रतिशत राशि जमा करवाई जाती है। रीको द्वारा भिवाडी एवं जयपुर के आस-पास कई ग्रामों में विकास योजना को हाथों में लिया जा चुका है।

4 भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र को रेल से जोड़ने हेतु रेवाडी में भिवाडी रेल लिंक का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है। इस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति भी दी जा चुकी है तथा आश्वासन दिया गया है कि इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रु की लागत आने की सम्भावना है।

5 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए रीको द्वारा सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना की गई है। पार्क में भारत सरकार की मदद से एक अर्थ स्टेशन लगाए जाने की योजना भी स्वीकृत की गई है जिसकी लागत करीब साठे चार करोड़ रु होगी। इसके लगने से सॉफ्टवेयर के निर्यात की अत्यन्त बढ़ावा मिलेगा।

6 प्रथम बार राज्य में प्रदूषण रालाहकार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को प्रदूषण सम्बन्धी सवाल देना तथा इससे रोकथाम हेतु मदद करना है।

7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों की संभावना को दर्शाने हेतु एक योजनाबद्ध तालिका से योजना का विवरण किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 70 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की गई है तथा निर्धारित राशि के प्रस्तावों पर काम भिजवाए जा चुके हैं। इस पर करीब 100 करोड़ रु का महावत्ता भेन्ड से प्राप्त हो सकेगा जो कि किना अन्य प्रदेश के मुजाबन औद्योगिक विकास हेतु प्राप्त की गई राशि पर राशि है।

8 औद्योगिक क्षेत्रों के समीप सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं तथा आवासीय एवं अन्य सुविधाओं को विकसित किया गया है।

9 उद्यमियों को सहायता के रोकों के विभिन्न नियमों का सरलीकरण किया गया है। जैसे कि -

- 40000 वर्ग मीटर भूमि तक के नवरो स्वीकृत करने की अनिवार्यता समाप्त।

भूखण्ड के ट्रांसफर को सरल बनाना।

आवृत्ति समितियों में उद्यमियों की भागीदारी।

- प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य चार्ज को वहीं खर्च करना।

राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)

RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION

स्थापना एवं उद्देश्य

Establishment & Objects

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1965 के अनुसार राजस्थान लघु उद्योग निगम को स्थापना 3 जून 1961 को की गई। इसे फरवरी 1975 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का रूप प्रदान कर दिया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य का लघु इकाइयों एवं छोटे छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना है ताकि लघु उद्योगों की दृष्टि में राज्य का नाब्र गति से औद्योगिक विकास हो सके।

कार्य

Functions

राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

(1) राज्य में निगम के पास कई कच्चे माल के भंडार हैं। इन भंडारों से लघु उद्योगों को कच्चा माल वितरित किया जाता है।

(2) निगम हस्तशिल्प की बिक्री अपने एम्पोरियमों के द्वारा करता है।

(3) निगम चूरू व लाडनू की ऊन मिलों तथा जयपुर स्थित फर्नीचर उत्पादन केन्द्र का संचालन करता है।

(4) निगम द्वारा गलीवा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। उन् की छाल पर मनोवत के काम की विशिष्ट कला को जावित रखने के लिये बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।

(5) जयपुर स्थित हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध

केन्द्र का संचालन निगम द्वारा ही किया जाता है।

(6) सामान्य एयरपोर्ट पर स्थापित एयर कारगो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यातकों को सुविधायें सुलभ कराई जाती हैं।

(7) हाथकरघा उद्योग के विकास हेतु निगम अनेक कार्य करता है।

(8) निगम मयूर भामक बाड़ी का उत्पादन करता है। यह बीडी फैक्ट्री टाक में स्थित है।

(9) निगम राज्य की हस्तकला का प्रचार करता है।

निगम की पूंजी

Capital

राजस्थान लघु उद्योग निगम की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपये है जो 100 रुपये के अंशों में विभक्त है। 31 मार्च 1992 को निगम की प्रदत्त पूंजी 4.69 करोड़ रुपये के बराबर था।

निगम की वित्तीय स्थिति

Financial Position

राजस्थान लघु उद्योग निगम की वित्तीय स्थिति का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से प्राप्त किया जा सकता है

(राशि 5 लाख ₹ में)		
क्र. वर्ष	व्यापारवर्त	लाभ हानि
1	1993-94	2588 52 ()14 00
2	1994 95	3803 40 ()22 73
3	1995-96	5001 11 (+)219 49
4	1996-97	7130 43 (+)349 65
5	1997 98	4473 87 (+)347 31
दिसम्बर 97 तक		
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98		

प्रगति 1997-98

हस्त शिल्प हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कच्चे माल, प्रशिक्षण सुविधा एवं विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में सन्दिभित अवधि में अनेक कदम उठाये गये हैं। हस्तशिल्पियों से साथे माल खरीदन का प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी है।

1 **हस्तशिल्प** - हस्तशिल्प वस्तुओं का उचित बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गत वर्ष शिल्पग्राम मजबूत मने व अन्य प्रदेशों तथा देश के प्रमुख शहरों में आयोजित का गया है जो हस्तशिल्पियों के लिये सार्थक सिद्ध हुई है।

हस्त शिल्प वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने में प्रदर्शनियों के साथ ही एम्पोरियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तशिल्प की कलात्मक वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त एवं उचित स्थान के साथ ही सुरक्षित एवं सुविधा सम्पन्न स्थान होना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से राजस्थालियों के नवीनीकरण को योजनाएँ बनायी जा रही हैं तथा इस हेतु प्रशिक्षित आर्कोअेक्ट का पैनल भी अपनाया गया है। इन नवीनीकरण प्रोजेक्ट में राजस्थली, नई दिल्ली, आमेर व उदयपुर स्थित एम्पोरियम का नवीनीकरण सम्मिलित हैं।

उत्तरोत्तर बढ़ती हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के क्रम में 1996-97 में रूपये 749 54 लाख की बिक्री की गयी जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 की जनवरी, 1998 तक रूपये 613 12 लाख की बिक्री हुई है।

बिक्री की भाँति ही निगम द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं के क्रय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1996 97 में रूपये 165 30 लाख की वस्तुओं का क्रय किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनवरी, 98 तक रूपये 192 95 लाख की हस्तशिल्प वस्तुओं का क्रय किया गया है।

एम्पोरियम के माध्यम से निगम द्वारा क्रय किये समान का विक्रय करने के साथ ही न्यूनतम विक्रय गारन्टी के साथ कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत वर्ष 1996 97 में रूपये 433 45 लाख की न्यूनतम गारन्टी प्राप्त की है। इस स्रोत से निगम की आय में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में दिल्ली, आगरा उदयपुर के एम्पोरियमों के नवीनीकरण के कारण कन्साइनमेन्ट सेल के अन्तर्गत रूपये 172 43 लाख की न्यूनतम गारन्टी जनवरी, 98 तक प्राप्त हुई है।

हस्तशिल्प का विपणन (रूपये लाख में)		
वर्ष	क्रय	विक्रय
1992 93	187 69	540 06
1993 94	140 45	661 22
1995-96	223 02	662 87
1995-96	213 56	781 14
1996-97	165 30	749 54
1997-98	192 25	613 12
(जनवरी 98 तक)		
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997 98		

राजस्थान में हस्तशिल्प विकास की दिशा में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन निर्यात-मुद्रा गतिविधियों को सफल देने व समृद्ध आधारभूत संरचना

उपलब्ध कराकर निर्यात सवर्द्धन की गतिविधि में प्रमुख भूमिका निभाई है।

जयपुर में एयरकारगो कॉम्प्लेक्स व आई सी डी को स्थापना व जोधपुर में आई सी डी की स्थापना से हस्तशिल्प निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला है।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात, गलीचो सहित (राशि लाख रूपयें)				
वर्ष	एयर कारगो कॉम्प्लेक्स		आई सी डी	
	जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर
1993 94	557 58	2281 42	-	-
1994-95	671 58	3307 72	-	-
1995-96	956 58	5719 98	2691 40	
1996-97	1002 36	5715 41	10149 83	
स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1997 98				

2. कच्चे माल का उपार्जन एवं वितरण - राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जैसे लोहा-इस्पात, पिग आइरन, कोक/कोल, मोम आदि का उपार्जन व वितरण, निगम की स्थापना से ही एक प्रमुख गतिविधि रही है।

जनवरी, 1992 से विनियत्रण एवं भारत-सरकार की उदारीकरण नीति के कारण लोहा-इस्पात के व्यापार में काफी मन्दी का दौर आ गया था। वर्ष 1993-94 व 1994-95 में तो ठहराव-सा आ गया था। परन्तु निगम द्वारा अथवा प्रयास कर इस व्यवसाय को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। वर्तमान में लोहा-इस्पात के व्यवसाय में वृद्धि करने एवं अधिक से अधिक मात्रा का उपार्जन एवं वितरण करने काबत निगम के समस्त कच्चा माल आगारों पर माल की वितरण नीति के अनुसार राज्य में सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित करने की मशा है। इसके तहत इकाइयों राज्य में सम्बद्ध आगारों पर सिक्यूरिटी राशि जमा करवाकर इच्छुक माग की बुकिंग करवा सकती हैं ताकि अधिकतम अवधि एक माह में माल की पूरी राशि जमा करवाकर माल प्राप्त कर सकती हैं। इसमें निगम के व्यवसाय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पिछले वर्षों में कच्चे माल का व्यापारार्थ निर्र प्रकार रहा -

उपार्जन

वर्ष	लाह-इस्पात	पिप श्रावरन	पैराफिन वेक्स	वाच/कोक मै टन म	कुल व्ययपारवर्जन रु लाखो म
1993-94	474	2308	600	16827	1050 68
1994-95	2116	7833	547	8490	3547 10
1995-96	8912	4246	610	8863	2526 04
1996-97	12252	1454	583	12830	3164.22
1997-98	12469	-	427 5	6258	2695 95

स्रोत: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1997-98

3 निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएँ- राज्य में निर्यातोन्मुखी गतिविधि को सफल देने व समृद्ध आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। निगम द्वारा जयपुर व जोधपुर में संचालित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, (शुष्क बन्दरगाह) एवं जयपुर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को राज्य में निर्यात सवर्द्धन की

गतिविधि में प्रमुख भूमिका रही है। जयपुर व जोधपुर में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के पश्चात राज्य से किये जा रहे निर्यात में निरन्तर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछले वर्षों में आई सी डी व जोधपुर एव एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को परिलब्धियाँ तालिका में दर्शायी गयी हैं।

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर (AIR CARGO COMPLEX JAIPUR)

(Qty in MT./Value Rs in Lacs)

Year	Export Quantity	Value	Import Quantity	Value	Total Quantity	Value
1980-81		700				700
1981-82		1132.05				1132.1
1982-83		593.47	-	524		1517 5
1983-84		1421	-	1054		2475
1984-85		1634		1568		3202
1985-86		2107		2044		4151
1986-87		2986		3026		6012
1987-88		4742		3369		8111
1988-89	518 2	11685 1		4615	518 2	16300
1989-90	544	16874			644	16874
1990-91	613	16520 5			618	16521
1991-92	621 6	15175 1	151 1	7656	772 7	22331
1992-93	321 2	15058 3	120	7646 59	441 2	22705
1993-94	410 9	16803 5	92 6	6357 04	503 5	23161
1994-95	361 8	27122 2	152 8	8852 3	514 6	35975
1995-96	441 2	35368 5	210 6	13896 65	651 8	49863
1996-97	368 2	41725	269	16301 21	636 2	58026
1997-98	682 5	36919 4	216 9	13363 71	899 4	50288

(Jan 98)

इनलैण्ड कन्टेनर डिपोज (INLAND CONTAINER DEPOTS)

Year	Jaipur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value	Jodhpur Export Teus	Value	Import Teus	Value	Total Teus	Value
1989-90	69	222 42	-		69	222 42						
1990-91	296	-	11		306							
1991-92	589	2628 65	87	124 22	676	2752 87						
1992-93	743	4015 79	32	186 44	775	4202 23						
1993-94	820	8666 85	69	443 07	889	5109 92						
1994-95	1714	11430 73	80	361 01	1794	11691 74						
1995-96	3077	19572 81	197	1079 36	3274	20651 17	815	2788 02	24	340 0	939	3129 92
1996-97	3672	22931 64	313	2005 2	3985	24988 84	3014	10407 05	31	233 3	3045	10640 3
1997-98	3263	21627 75	177	1150 69	3440	22978 44	4035	15033	28	214	473	15248

(Jan 98)

स्रोत: राजस्थान वार्षिक प्रगतिवेदन, 1997-98

कमियाँ एवं इन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास

1 सागानर हवाई अड्डे पर स्थित निगम के एयर कारगो काम्प्लैक्स की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाने व सुविधा विस्तार की प्रक्रिया में यथेष्ट स्थान की कमी दृष्टिगत हुई है। हवाई अड्डे पर एयर कारगो की काम्प्लैक्स के लिये अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के विषय में माह मितम्बर 1997 में जयपुर में आयोजित स्कोप एयर 'की बैठक के दौरान समस्या से अवगत करवाने पर अतिरिक्त वाणिज्य सचिव, भारत- सरकार एवं निदेशक केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा स्थानीय हवाई अड्डा अधिकारियों के साथ एयर कारगो कॉम्प्लैक्स का समुक्त निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के पश्चात यह मुनिश्चित किया गया है कि केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण द्वारा अतिरिक्त स्थान का आवंटन करने पर स्थानाभाव की समस्या का निदान हो सकता है। निगम ने भावी आवश्यकताओं का दृष्टिगत रखकर अतिरिक्त स्थान हेतु एक माचित्र भी तैयार करवाया है जिसे केन्द्रीय विमानपत्तन अधिकरण को भिजवाया जा चुका है।

2 इण्डियन एयर लाईन्स के विमानों की सीमित भार क्षमता के परिणामस्वरूप जयपुर के इन्दिग गांधी अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली तक बोण्डेड ट्रक के जरिये निर्यातित सामान भेजने की सुविधा प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में समस्त प्रकार की वस्तुएं बोण्डेड ट्रकिंग सेवा के माध्यम से भिजवाया जाना संभव नहीं है परन्तु निगम समस्त वस्तुओं को बोण्डेड ट्रकिंग सेवा के माध्यम से भेजे जाने हेतु अधिसूचित किये जाने के लिये वाणिज्य मंत्रालय व सीमा शुल्क विभाग में सम्पर्क रखे तथा शीघ्र निर्णय की आशा है।

3 सुरक्षात्मक प्रावधान के अन्तर्गत एयर कारगो कॉम्प्लैक्स के निर्यात किये जा रहे सामान का विमान में लदान से पूर्व 24 घण्टे का 'कूलिंग पीरियड' निर्धारित है। इस कारण निर्यात में विलम्ब एवं निर्यातकों की परेशानी को दृष्टिगत रखकर क्रिटिकल इन्फ्राम्बुक्चर स्कीम के तहत एयर कारगो कॉम्प्लैक्स में एक्सप्रेस मशीन स्थापित करने हेतु एक योजना निगम ने तैयार की है, जिसे राज्य-सरकार स्तर से भारत सरकार को भिजवायी गयी है। एक्सप्रेस मशीन स्थापित होने पर कूलिंग पीरियड के कारण हो रही समस्या से निर्यातकों को राहत मिलेगी।

4 आई सी ड. से बन्दरगाह तक कन्टेनेर्स का परिवहन

सडक यातायात के माध्यम से हो रहा है। प्राकृतिक विपदा, वाहन में खराबी व कतिपय अन्य कारणों से मार्गीय विलम्ब के फलस्वरूप वाहन की मार्गीय स्थिति का पता करना अभी संभव नहीं है। इस समस्या के निदान के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक अपनाये जाने की औचित्यता की संभावना पर निगम ने मालवीय रीजनल इजीनियरिंग कॉलेज से कम्प्यूटराइज्ड ऑटोमोबाइल ट्रेकिंग सिस्टम की योजना पर प्राथमिक अध्ययन भी करवाया है। इस योजना का क्रियान्वयन निगम के विचारार्थीन है।

5 आयात-निर्यात नीति में आई सी डी, जयपुर व जोधपुर का नाम 'पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन' के रूप में उल्लेखित न होने के कारण डी ई ई सी स्कीम के प्रावधानों के अन्तर्गत आयात/निर्यात में व्यवसायियों को अनावश्यक कार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप असुविधा होती है क्योंकि ऐसे मामलों में पृथक से सीमा शुल्क विभाग से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। निगम द्वारा यह प्रकरण हाल ही 'स्कोप शीपिंग' की बैठक में उठाया गया है तथा आयात-निर्यात नीति में आई सी डी जयपुर व जोधपुर सहित नये आई सी डी खुलने पर स्वमेव उनका नाम अधिसूचित हो इसकी मांग की गयी है। इस मांग पर शीघ्र निर्णय की आशा है।

अन्य प्रमुख प्रयास

1 निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से निगम ने आई सी डी जयपुर व जोधपुर के माध्यम से निर्यात पर निर्यातकों हेतु वोल्यूम ब्रेस्ट इन्सेन्टिव स्कीम लागू की है।

2 आई सी डी के संचालन में सुझाव एवं समस्याओं पर विचार एवं समुचित निदान के उद्देश्य से एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निर्यातक एवं कस्टम हाउस एजेंट के प्रतिनिधि भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

3 जोधपुर में एयर कारगो की स्थापना की संभावना पर अध्ययन करवाया जा रहा है। निगम ने राजस्थान कन्सलटेन्सी ऑर्गनाइजेशन को इसकी सम्भाव्यता पर अध्ययन का कार्य सौंपा है। अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रतर कार्यवाही की जावेगी।

इन्टरनेट पर ऑन लाईन ट्रेडिंग सुविधा

निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 'इण्डियाजार कॉम' से ऑन लाईन ट्रेडिंग जान का शुभारम्भ किया है, जिससे भारतीय

निर्यातकों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रेताओं को भारतीय उत्पादों के बारे में विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। यही नहीं, इंटरनेट पर ही विचार-विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारियों यथा सहायता, सुविधाएँ, शिपिंग, होटल, हवाई यात्रा सम्बन्धी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत में यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

नवीन योजनाएँ

1. आई सी डी भीलवाड़ा - भीलवाड़ा में आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास से आजाद नगर योजना में 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, शेड, चार-दीवारी व अन्य आवश्यक निमाण कार्य राजस्थान राज्य पूल निर्माण निगम को आवंटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

2. आई सी डी भिवाड़ी - भिवाड़ी में आई सी डी की स्थापना हेतु निगम द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्ग मीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनांक 6 नवम्बर, 97 को इसका शिलान्यास कर आवश्यक निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाये जाने के प्रयास जारी हैं।

3. रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन - निगम ने आई सी डी, जयपुर से मुम्बई स्थित बन्दरगाह तक रेल मार्ग से कन्टेनर परिवहन की योजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र को सहभागिता में करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से निगम द्वारा आमन्त्रित निविदाएँ विचारधीन हैं। इस कार्य में रेलवे का भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है, अतः निगम ने रेलवे से भी अधिमूचित दरो पर रोक आवंटन की मांग की है।

अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति देश के विभिन्न स्थानों पर आई सी डी का संचालन पृथक पृथक संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अतः आकड़ों के अभाव में तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। देश में राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य कोई लघु उद्योग निगम आई सी डी संचालन की गतिविधि में सलाह नहीं है। एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स के बारे में वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त देश के विभिन्न 9 एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति की विवेचना करने पर यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1995 में नियातित वस्तुओं के मूल्य की दृष्टि से एयर कार्गो

कॉम्प्लैक्स जयपुर का स्थान बैंगलोर के पश्चात् दूसरा था। मात्रा की दृष्टि से इसका स्थान चौथा था।

3. विपणन सहायता - राज्य की विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के संवध में वर्ष 1996-97 में दो मेले 'कन्जुमैक्स-96' एवं 'सजावट मेला-96' प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96' का आयोजन भी प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-96 में राजस्थान मण्डप को रजत पदक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उपलब्धि 17 वर्षों पश्चात् अर्जित की गयी है। माह जनवरी, 1997 व मार्च 1997, में राजस्थान हैण्डोक्राफ्ट्स फेयर, 1997 प्रगति मैदान, नई दिल्ली एवं आई एस ओ 9000 तथा टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट कार्यशाला आयोजित की गई। वर्ष 1997-98 के अगस्त माह में पैकेजिंग पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला को जयपुर में आयोजित किया गया।

राज्य सरकार ने निगम को अपने विभिन्न विभागों को काटेदार तार पौलिथीन थैलिया, टेन्स-त्रिपाल, चिप्स, टाईल्स, पी वी सी वायर्स और केबल, आर सी सी पाइप्स, डेज़र्ट कूलर्स, उन्नत किस्म के औजारों के किट आदि की पूर्ति करने के लिए एक मात्र स्त्रोत माना है।

वर्ष 1996-97 में रु 804 करोड़ का व्यापारावर्त किया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष की माह जनवरी, 98 तक रु 506 करोड़ का व्यापारावर्त किया गया है।

विपणन सहायता अन्तर्गत विगत 5 वर्षों का व्यापारावर्त निम्न प्रकार है -

	रु. लाख में					
वर्ष	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	Jan 98 तक
व्यापारावर्त	635.88	854.82	941.57	803.81	506.00	
स्रोत: राजकीय, प्रगति प्रतिवेदन 1997-98						

प्रोत्साहन गतिविधियाँ

1. गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र - राजस्थान में ऊनी गलीचों के विकास की संभावना को मध्यनजर रखते हुए इस उद्योग को कुशल कारीगर उपलब्ध करवाने की दिशा में वर्ष 1976-77 में निगम द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97 में आयोजना मद से

10 केन्द्र चलाए गए जिम मे 224 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। वर्ष 1997-98 में 180 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 98 तक 156 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा 112 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में इस मद में 13.00 लाख का प्रावधान किया गया था जबकि चारू वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 15.00 लाख ही स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध माह जनवरी 98 तक ₹ 21.86 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय वृत्त विकास बोर्ड जाधपुर की वित्तीय सहायता से 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किये गए जिनमें कुल 165 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए। इन केन्द्रों पर माह मार्च 97 तक 131 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अनुसूचित जाति विकास महकारी निगम की वित्तीय सहायता से वर्ष 1996-97 में 8 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किए गए जिनमें 240 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया जिनमें 190 प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1997-98 के लिए दोनों ही योजनाओं में किसी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

2 हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग कार्यक्रम हाथ छपाई उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा 10 माह का हाथ छपाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में तीन प्रशिक्षण केन्द्र 25 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले ग्राम रूपनगढ़ मसूदा एवं श्रीनगर (अजमेर) में चलाए गए।

3 ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग ऊट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग को कला के विकास हेतु वर्ष 1976 से बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 8 बच्चे प्रशिक्षण हेतु चयन किए गए तथा इस मद हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 1.00 लाख का लगभग पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। चारू वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु इस मद में ₹ 100 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिसमें विरुद्ध माह जनवरी 98 तक ₹ 0.76 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

4 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार हस्तशिल्पियों को पुरस्कार से सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 1983 से जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से राज्य स्तरीय विजेताओं को दी जाने वाला राशि

₹ 5000.00 व दक्षता पुरस्कार विजेताओं को ₹ 1000.00 से बढ़ाकर ₹ 3000.00 कर दी गयी है।

वर्ष 1995-96 में 1991-92 व 1992-93 के 17 राज्य स्तरीय व 28 दक्षता पुरस्कार इस प्रकार कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 1996-97 में 1993-94 के लिए 30 हस्तशिल्पियों का चयन किया गया है। वर्ष 1997-98 में इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 8.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

5 डिजाइन विकास समय के अनुसार प्रत्येक कला को परिवर्तन को आवश्यकता रहती है जिम्के अनुरूप ही कला को आगे विकसित कर जन साधारण में प्रचार प्रसार किया जा सकता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में डिजाइन विकास तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है एवं इसी लक्ष्य को मध्यमजर रखते हुए डिजाइन विकास केन्द्र द्वारा पुराने डिजाइनों को नए रंगों एवं तकनीक के साथ मल कर नए डिजाइनों का विकास किया जा रहा है। केन्द्र पर पसिह रजाइयाँ बन्धेज का कार्य ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का उत्पादन के साथ साथ नये प्रिंटिंग डिजाइन भी तैयार किये जाते हैं। हैण्ड ब्लॉक प्रिंटेड सिल्क की रजाइयाँ तैयार की जा रही हैं तथा जयपुर रजाइयों को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में एक सफल प्रयास है। वर्ष 1996-97 में टेरा कोटा एवं पेपरमशी हेतु 20 तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 1997-98 के लिए इस मद में ₹ 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध जनवरी 98 तक ₹ 4.16 लाख व्यय हुआ।

6 हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम हस्तशिल्पियों के समुचित विकास हेतु 1991-92 में हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम में हस्तशिल्पियों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर कला को संरक्षण प्रदान करना कला के क्षेत्र में नवीनतम जानकारीयों से हस्तशिल्पियों को अवगत करवाना हस्तशिल्पियों को कच्चा माल उपलब्ध करवा कर उन्हें आर्थिक संरक्षण देना एवं उन्हें विपणन सुविधा देने के लिए प्रदर्शनियाँ मेले व हाट बाजारों का आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1996-97 में टेराकोटा एवं चित्रकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का माध्यम से 23 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इन समस्त सुविधाओं के साथ हस्तशिल्पियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सीमित ससाधनों की पूर्ति हेतु उन्हें कच्चा माल भी उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में हस्तशिल्पियों को छपाई हेतु ₹ 15.46 लाख का मलमल कोटा

डोरिया, ग्रे-क्लाथ आदि का कपडा उपलब्ध करवाया गया तथा तैयार माल पुनः उनके उनकी मेहनत की उचित कीमत प्रदान करते हुए प्राप्त किया गया। चालू वर्ष 1997-98 के जनवरी, 98 तक हस्तशिल्पियों को छपाई हेतु रु 6.36 लाख का मालम व कोटा डोरिया आदि कपडा उपलब्ध करवाया गया।

हस्तशिल्पियों को सामाजिक सुरक्षा

1 **वृद्धावस्था पेन्शन** - वर्ष 1991-92 में राज्य स्तरीय पुष्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को वृद्धावस्था पेन्शन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 तक 24 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गयी। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम हेतु रु 1.50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, इसके विरुद्ध रु 1.44 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 1997-98 के लिए इस मद में रु 2.00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा 26 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया गया है।

2 **सामूहिक बीमा योजना** - निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामूहिक बीमा कार्यक्रम के तहत दस्तकारों को लाभान्वित किया जा रहा है जिससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह योजना वर्ष 1991-92 से चलायी जा रही है। इसके तहत वर्ष 1996-97 तक 10687 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु चालू वर्ष में भी रु 2.00 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। इस वर्ष 10683 दस्तकारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 1997-98 के कार्यक्रम

1 **हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स** - जयपुर में हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु राजस्थली जयपुर के पीछे स्थित भूमि नगर निगम जयपुर से रु 3.00 करोड़ में क्रय की गयी है। अब तक इस हेतु रु 2.50 करोड़ का भुगतान नगर निगम जयपुर को कर दिया गया है। प्रस्तावित हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार करवाने का कार्य प्रगति पर है।

2 **बुडमिजनिग प्लान्ट की स्थापना** - बुडन फर्नीचर को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से यह आवश्यकता है कि लकड़ियों की पहले सिजनिग की जगह अन्यथा यह हो वह क्रेक हो जाती है या सिंकुड जाती हैं जिससे फर्नीचर की साख बाजार में कम हो जाती है। इस हेतु जाधपुर में बुड मिजनिग प्लान्ट व कॉनन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस प्लान्ट

की ऊंची लागत होने के कारण निजी इकाईयाँ इसको स्थापित करने में असमर्थ होती हैं।

उक्त प्लान्ट को स्थापित करने हेतु नेशनल इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है, जिसके अनुसार इस प्लान्ट की स्थापना पर पूंजीगत व्यय रु 85.81 लाख व्यय होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में इस हेतु रु 20.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।

3 **भीलवाडा व भिवाड़ी में आई सी डी की स्थापना** - जयपुर एवं जोधपुर स्थित आई सी डी की सफलता को देखते हुए वर्ष 1997-98 में भीलवाडा व भिवाड़ी में आई सी डी की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु भीलवाडा में आई सी डी की स्थापना के लिए निगम द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाडा से 25,000 वर्ग गज भूमि क्रय की जा चुकी है। उक्त भूमि पर भवन, शेड, चार दीवारी व अन्य आवश्यक निर्माण हेतु राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को कार्य आवंटित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है।

आई सी डी भिवाड़ी की स्थापना हेतु भी निगम ने नगर विकास न्यास, अलवर से 15,000 वर्गमीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा दिनांक 6 नवम्बर, 97 को शिलान्यास कर आवश्यक निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम को आवंटित कर दिया गया है। निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

विशिष्ट गतिविधियाँ

1 निगम ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड लाभ कमाया। वर्ष 1995-96 में रु 219.49 लाख का लाभ अर्जित किया था वहीं 1996-97 में यह बढ़कर रु 349.65 लाख हो गया।

2 निगम ने वर्ष 1996-97 के लिए राज्य सरकार को रु 25.72 लाख का लाभांश प्रदान किया।

3 सरकार के आर्थिक उदारोत्तरण व विनियंत्रण नीति के फलस्वरूप कच्चे माल के उपार्जन व वितरण में जो उधराल आ गया था वह वर्ष 1996-97 से पुनः इस गतिविधि को तीव्रता से सम्पादित किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 14067 मै टन साहा-इस्पात व 12830 मै टन कोयले का विक्रय किया गया। इस वर्ष अब तक (जनवरी 98 तक) 14237 मै टन साहा-इस्पात

- व 6258 मै टन कोयले का विक्रय किया गया।
- 4 रेल द्वारा कन्नेन्स का बन्दरगाह तक परिवहन की योजना का कार्य प्रगति पर है।
- 5 आई सी डी नवाडो व भोलवाडा हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 1997-98 में ही प्रारम्भ होने की आशा है।
- 6 जयपुर में अजमेरी गेट स्थित राजस्थली के पीछे की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर आधुनिक हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दा गयी है।
- 7 दिल्ली स्थित राजस्थली एम्पोरियम का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है।
- 8 देश के महानगरो में राजस्थली प्रदर्शनियों के अतिरिक्त फ्रेन्चाईस स्कीम के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं की विक्री के प्रयास जारी हैं। प्रयोग के रूप में जैतलमेर में इसे प्रारम्भ किया गया है। अन्य प्रमुख नगरो में इस सबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।
- 9 कार्य की सरलता व तीव्र गति लाने को दृष्टि से निगम मुख्यालय व अन्य इकाइयों को कंप्यूटराइजेशन किए जाने का कार्य वर्ष 1997-98 में ही पूर्ण कर लिया जावेगा।
- 10 इन्टरनेट पर आन लाइन ट्रेडिंग सुविधा निगम ने 2 फरवरी 1998 को इन्टरनेट इलैक्ट्रॉनिक मॉडिया पर इण्डोबाजार काम से आन लाइन ट्रेडिंग जोन का शुभारम्भ किया है जिससे भारतीय निर्यातकों से अन्तराष्ट्रीय बाजार में क्रेताओं का भारताय उत्पादों के बारे में विस्तृत सूचना व जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा यही नहीं इन्टरनेट पर ही विचार विमर्श की सुविधा तथा अन्य व्यापारिक जानकारियों यथा सहायता सुविधाएँ शिपिंग हाटल हवाई यात्रा सबंधी जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो सकेगी। भारत में यह सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का श्रेय निगम को प्राप्त हुआ है।

राजस्थान में आद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य विभाग/संगठन/निगम

1 उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) राज्य में उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न रियायत व सुविधायें प्रदान करने वाली यह प्रमुख संस्था है। यह लघु उद्योगों नमर क्षेत्रों हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास व प्रोत्साहन के लिए भी उत्तरदायी है।

2 औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (Bureau of Industrial Promotion Policy) 1991 से फेरलु विनियोग चहुगुण्ट्रीय निगमो अप्रवासी भारतीया के विनियोगो को राज्य में आकर्षित करने क उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। यह राज्य की विनियोग प्रोत्साहन एजेन्सी वही जा सकती है। यह सूचना प्रदान करके व्यापार व मेलो में भाग लेकर औद्योगिक संगठनो तथा दूतावासा से सम्पर्क करके अपन लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करती है। यह निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियो के लिए भी उत्तरदायी है।

3 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre) जिला स्तर पर केन्द्र संचालित यह जिला उद्योग केन्द्र लघु कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहित कर रोजगार क अवसर उपलब्ध कराता है। ये वित्तीय सस्थाओ औद्योगिक विकास में सलग्र विभिन्न निगमो/संगठन आदि में समन्वय व सम्पर्क कटी का कार्य भी करती है।

4 सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises) यह ब्यूरो सार्वजनिक उपक्रमो के कार्यों की समीक्षा कर सझाव देता है। विभिन्न उपक्रमो की नीतियों में समरूपता लाने का प्रयास करना है। प्रशिक्षण और कल्याणकारी सुविधाओ की व्यवस्था करता है तथा सार्वजनिक उपक्रमो के सदर्थ में सूचनायें एकत्र कर प्रसारित करता है। मुख्य सचिव इम ब्यूरो का अध्यक्ष तथा सदस्यो के रूप में वित्त सचिव उद्योग सचिव राजकीय उपक्रमो के दो अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ होते हैं।

5 राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड (Khandi & Village Industries) 1955 में स्थापित यह बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में खादी व ग्रामीण उद्योगो के विकास में सलग्र ह। इस हेतु यह वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण उपनब्ध कराता है।

6 राजस्थान हथकरघा विकास निगम (Rajasthan Handloom Development Corporation) 1984 में स्थापित यह निगम विशेषत ममाज के कमजोर वर्ग में स्वधित हथकरघा बुनकरा को रोजगार प्रदान करता है। यह बुनकरा को प्रशिक्षण आधुनिकीकरण उत्पादन व विपणन में भी सहायता करता है।

7 क्राफ्ट संस्थान (Institute of Craft) 20 अप्रैल 1995 को स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। संस्था का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के प्रोफेशनलस का विकास करना है जो अपनी कुशलता ज्ञान व व्यवहार से क्राफ्टमैन और समाज का इम

क्षेत्र के विकास के माध्यम से लाभ पहुंचायेगे।

8 ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (Rural Non-Farm Development Agency RUDA) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि सहायताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने जून, 1995 में ग्रामीण गैर-कृषि विकास क्षेत्र के लिए नई नीति का घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति देश में प्रथम बार बनाई गई। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नवम्बर, 1995 को राज्य सरकार ने RUDA की स्थापना की। इस नीति के अनुसार, चयनित 10 क्षेत्रों के विकास के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करने हेतु RUDA द्वारा विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी मगठनों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, प्रशिक्षण व विपणन की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा।

भारत की औद्योगिक वित्त से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाएं

National Institutes for Industrial Development

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) देश के औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति हेतु 30 जून, 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। निगम 25 वर्ष की अवधि तक के लिये ऋण दे सकता है। यह ऋणों की गारण्टी भी देता है और अभिगोपन का कार्य भी करता है। निगम का प्रबंध संचालक मण्डल द्वारा किया जा सकता है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके द्वारा प्रदत्त सहायता को तीन भाग में विभक्त किया जा सकता है-

(अ) परियोजना वित्त (ब) वित्तिय सेवा (म) विकसाम्त्मक सेवाएं।

(2) भारतीय औद्योगिक साख व वित्तियोग निगम (ICICI) इसकी स्थापना 1955 ई में एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य भारतीय औद्योगिक सस्य'ओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह भारतीय एवं विदेशी मुद्राओं में अग्रधि ऋण प्रदान करता है, अगो व ऋण-पत्रा का अभिगोपन करता है अशा व ऋण पत्रा में प्रत्यक्ष रूप से विनियोजन करता है।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी। बैंक का प्रमुख कार्य भारतीय उद्योगों को साख उपलब्ध करना और अन्य सेवाएं प्रदान

करना है। यह बैंक वित्तीय कार्यों में सलतः विभिन्न सस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। यह दश के बडे एवं मध्यम उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है और कुटार व लघु उद्योगों को बैंकों तथा राज्य-स्तरीय सस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करता है।

(4) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) छोटे-छोटी बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 19०4 का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाना है। ट्रस्ट के द्वारा 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की यूनिट्स बेची जाती हैं। यूनिटों के माध्यम से एकत्रित धन का प्रयोग मुख्यतः देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के द्वारा जीवन बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। जीवन बीमा निगम दश के नारिकरि के जीवन पर पोलिसिया जारी करके धन एकत्रित करता है। निगम द्वारा इस धन का विनियोग देश के औद्योगिक विकास हेतु किया जाता है। निगम देश के विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत की वित्तीय सस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता (करोड़ रुपये में)			
सस्था	स्वीकृत महायना	वितरित सहायता	
	1990-81	1997-98	1980-81 1997-98
1 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	206.6	1082.6	108.9 5650.1
2 भारतीय औद्योगिक वित्त ऋण और वित्तियोग निगम लिमिटेड	314.1	25132.0	185.3 15806.9
3 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1277.0	94198.5	101.1 15165.3
4 भारतीय औद्योगिक वित्तियोग बैंक	19.4	2051.0	16.9 1149.6
5 राज्य वित्त निगम	370.5	3304.6	248.0 2670.4
6 भारतीय यूनिट ट्रस्ट	40.4	422.91	51.0 3449.7
7 भारतीय जीवन बीमा निगम	70.0	3563.1	65.6 3971.4
8 भारतीय साख व वित्तियोग निगम	30.8	834.6	44.0 587.9
9 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक		742.8	
10 भारतीय पर्यटन वित्त निगम		310.1	
			186.8

Source: Economic Survey 1998-99

(6) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना एक वैधानिक निगम के रूप में मार्च 1985 में की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करके उन्हें उत्पादन योग्य बनाना था।

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास की सहायक संस्था के रूप में की गई। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास एवं उन्हें सहायता प्रदान करना है। बैंक ने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से प्रारंभ किया। बैंक मुख्यतः राज्य वित्त निगमों व्यापारिक बैंकों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रदत्त पूंजी पूर्णतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई है।

(8) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (TFCI) इस निगम की स्थापना एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में 1989 में की गई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं को आर्थिक सहायता एवं ममुचिन कोषों को व्यवस्था करना है। इसकी प्रदत्त पूंजी देश की वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई है।

(9) राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) राज्य वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अन्तर्गत की गई। यह देश की विभिन्न औद्योगिक वित्त प्रदान करती संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। वर्तमान में 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं जो अर्वाधिक ऋणों के माध्यम से छोटे व मध्यम उद्यमकर्तृओं को सहायता प्रदान करते हैं। निगम विशिष्ट पूंजी एवं बीज पूंजी की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है।

(10) सामान्य धीमा निगम (GIC) भारत में 1971 में सामान्य धीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने 1972 में सामान्य धीमा व्यवसाय के लिए एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की। यह कम्पनी भारतीय सामान्य धीमा निगम के नाम से जाना जाती है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व देश में अनेक देशी एवं विदेशी धीमा कम्पनियाँ थीं जिन्हें वर्तमान में क्रियाशील 4 कम्पनियाँ में सम्मिलित कर लिया गया। (i) नेशनल इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (ii) न्यू वट्टिया इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (iii) अरियण्टल इश्योरस कम्पनी लिमिटेड (iv) यूनाइटेड इंडिया इश्योरस कम्पनी लिमिटेड। ये चार कम्पनियाँ भारतीय सामान्य धीमा

निगम की सहायक कम्पनियाँ हैं।

(11) केन्द्र व राज्य सरकारें (Centre & State Governments) केन्द्र व राज्य सरकारें औद्योगिक विकास हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती हैं। सरकारी प्रोत्साहन के कारण राज्य का सतुलित औद्योगिक विकास सम्भव हुआ है। राज्य व केन्द्र सरकारें मुख्यतः ऋण व अनुदान प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

अग्र तालिका में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये स्वीकृत किये गये ऋण व अनुदान को दर्शाया गया है।

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उद्योगों की सहायता (हजार रु में)		
	वर्ष 1995-96	
	ऋण	अनुदान
1 खाद्य तेल	333	
2 गुट्ट खाइमार	130	
3 गन्धक बना कागज	50	
4 चबल अत्र व दारु (हाथ से साफ करना)		
5 चपड़ा	588	
6 अखाद्य तेल	700	
7 मिट्टी के बर्तन	1235	21
8 धागे	1109	
9 एल्यूमिनियम के बर्तन		
10 चूक	130	
11 फल संरक्षण		
12 भाँवण व जगमनी (जनीर)	30	
13 धातु गुड	123	
14 बैर चात	265	
15 लुगा सबंधी कार्य	865	
योग अन्य मिला	6490	177

स्रोत : State Statistical Abstract 1996-97

राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा लघु उद्योगों को भी सहायता प्रदान की जाती है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों की वित्तीय सहायता को दर्शाया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योगों की सहायता (लाख रु में)		
विवरण	1983-84	1995-96
(अ) ऋण		
जिला उद्योग केन्द्र द्वारा	54.13	
(i) धातुमय धातु व दारु	94.17	25.05
(ii) अन्न व फल	12.91	7.60
(ब) अनुदान		
(i) इन्डियन ज्वेलरी सर्विस		201.87
(ii) केन्द्रीय विज्ञान	387.20	
अनुदान		

(iii) राज्य विनियोग		
अनुदान	97.75	4809.60
जॉब उपकरा	5.25	19.10
आई एस आई माक		
अनुदान	0.15	1.25

Source: Statistical Abstract 1996 Rajasthan

राजस्थान में औद्योगिक वित्त की समस्याएँ व सुझाव

(1) पूजा का अभाव राज्य में औद्योगिक विन की माग अधिक है जबकि राज्य की वित्तीय सस्थाओं का चुकता पूजी बहुत कम है। अतः ये सस्थाएँ सभी उद्यमियों को माग को पूर्ण करने में असमर्थ रहती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि वित्तीय सस्थाओं को पूजी में आवश्यक वृद्धि की जाये।

(2) विशेषज्ञों का अभाव राज्य की वित्तीय सस्थाओं में तकनीक विशेषज्ञों का अभाव है अतः ऋणों का उचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। अनेक परियोजनाय केवल इसी कारण चालू नहीं हो पाते हैं। अतः राज्य में तकनीकी ज्ञान का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इसके लिये समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था की जाना चाहिये।

(3) परम्परागत उद्योगों को अधिक सहायता राज्य का वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्रायः परम्परागत उद्योगों जैसे चानी व कपड़ा मिलों को ही अधिक ऋण प्रदान किये जाते हैं। अतः आधुनिक उद्योगों को भी पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिये ताकि राज्य में सभी प्रकार के उद्योगों का तेजी से विकास हो सके।

(4) उदार दृष्टिकोण का अभाव वित्तीय सस्थाओं की ऋण नीतियाँ व जमानत आदि के नियम अत्यधिक कठोर हैं

अतः अनेक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि ऋण देन में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये।

(5) लाच का अभाव राज्य की वित्तीय सस्थाओं में लोभ का अभाव है। अनेक आवश्यक क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय सस्थाओं की नीतियों व कार्यविधि का पुनः निर्धारण किया जाये।

(6) ख्याति प्राप्त सस्थाओं का अधिक ऋण राज्य की वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्रायः ख्याति प्राप्त व्यक्तियों या सस्थाओं को अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। अतः अन्य उद्यमों सहायता में बचन रह जाते हैं। वित्तीय सस्थाओं व ऋणों का वितरण समान रूप से करना चाहिए।

(7) पिछड़े जिलों को कम सहायता वित्तीय सस्थाओं द्वारा राज्य के पिछड़े जिलों में बहुत कम सहायता वितरित की जाती है जिससे अन्य जिलों को तुलना में वे पिछड़े हुए रहने रहते हैं। अतः सभी जिलों में समान रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

(8) स्वीकृति की तुलना में कम वितरण राज्य की वित्तीय सस्थाओं द्वारा ऋणों की स्वीकृति तो पर्याप्त मात्रा में कर दी जाती है लेकिन ऋणों का वास्तविक वितरण कम होता है। अतः ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण में समानता लाई जाना चाहिए।

(9) लालफीताशाही राज्य की वित्तीय सस्थाओं में अफसरशाही भाई भतानावाद धूसखोरो व लालफीताशाह का बोलबाला है अतः ऋणों की शीघ्र स्वीकृति नहीं हो पाता है। इसके लिये प्रशासनिक कुशलता व वृद्धि की जानी चाहिए।

(10) कमचारियाँ व असतोष राज्य की वित्तीय सस्थाओं के कर्मचारियों में असतोष पाया जाता है अतः उनके कार्यक्षमता कम होता है। कर्मचारियों में व्याप्त असतोष को समाप्त किया जाना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short type Questions)

1 राजको (RIICO) की चार प्रमुख उपलब्धियों का नाम बताइए।

Name four of the outstanding achievements of the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO)

2 RFI RIICO व उद्योग विभाग के कार्यालय अत्र तहसील स्तर पर स्थानान्तरित कर दिये जाने चाहिये क्यों? RFI RIICO and Industries Development Offices Should now be shifted to Tehsil Level Why?

3 राजस्थान के वित्त विभाग तथा राजस्थान वित्त निगम के अंतर स्पष्ट कराइए।

What is the difference between the Finance Department of Govt. of Rajasthan and Rajasthan Finance Corporation?

4 निम्नलिखित सस्थाओं के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं

(i) काजी (ii) बार एफ मा

Where are the headquarters of following institutions located -

(i) CAZRI

(ii) R F C

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में आर एफ सी तथा रीको का योगदान समझाईए।
Discuss the role of R F C and RIICO in the Industrial Development in Rajasthan
- 2 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्न वित्तीय मस्याओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the Industrial development of Rajasthan
- 3 राका क्या अपने उद्देश्य में सफल रहा है? इस सन्दर्भ में उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
Is RIICO successful in its operations? Describe the working performance of RIICO in this context.
- 4 राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe in brief the different type of loans granted by Rajasthan Financial Corporation
- 5 राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन के क्रियाकलापों का संक्षेप वर्णन कीजिए।
State Briefly the function of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न


(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान के औद्योगिक विकास में R F C RIICO एवं RAJSICO की भूमिका की विवेचना करें।
Discuss the role of R F C RIICO and RAJSICO in the industrial development in Rajasthan
- 2 राजस्थान के औद्योगिक विकास में राजस्थान राज्य वित्त निगम तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
Explain the role of Rajasthan State Finance Corporation and Rajasthan State Industrial and Investment Corporation in the Industrial Development of Rajasthan
- 3 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्न वित्तीय मस्याओं का वर्णन कीजिए।
Describe the different financial institutions involved in the Industrial Development of Rajasthan



राजस्थान में पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN



“पर्यटन भविष्य का महत्वपूर्ण उद्योग है।”

अध्याय एक दृष्टि में

- पर्यटन का महत्व
- राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति
- राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास
- आठवें योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- नवी योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास
- राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ
- राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएँ व समाधान
- राजस्थान की पर्यटन नीति
- राजस्थान पर्यटन विकास निगम
- राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
- अध्यासार्थ प्रश्न

पर्यटन का महत्व

IMPORTANCE OF TOURISM

विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में धीरे-धीरे पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग का रूप लेता जा रहा है। इसका प्रभाव मात्र आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों पर भी देखा जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान से भी किसी अन्य अथवा राष्ट्र के विकास की सम्भावना का पता चलता है। राजस्थान में पर्यटन की भूमिका का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है -

(1) पर्यटकों से आय (Income From Tourists) - राजस्थान अपनी विभिन्नताओं, प्राकृतिक ससाधनों, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों व वन्य जीवों के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैले और उत्तमकों में भाग लेने भी लोग राजस्थान में आते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख पर्यटक राज्य में आते हैं, उनमें से लगभग 9 प्रतिशत विदेशी पर्यटक होते हैं। एक विदेशी पर्यटक औसतन 800 रुपये और देशी पर्यटक 400 रुपये प्रतिदिन व्यय करते हैं। 1996-97 में 62.87 लाख लोग राजस्थान आये जिनमें से 5.61 लाख विदेशी पर्यटक थे। 1973-74 में केवल 20 लाख पर्यटक ही राज्य में आये

थे। नई दिल्ली के टाटा सलाहकार सेवा के सहयोग से राज्य सरकार ने 2005 तक पर्यटन विकास हेतु 1999-8 करोड़ रुपये का एक मास्टर प्लान भी निर्मित किया है। मास्टर प्लान के अनुसार 2002 में राजस्थान में 86 लाख पर्यटक आने की संभावना है जिसमें से 11 लाख विदेशी पर्यटक होंगे। वर्तमान में राजस्थान में घरेलू व विदेशी पर्यटकों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 7 व 5 प्रतिशत है। पर्यटन के महत्व व संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने नवी योजना (1997-2002) में 303.10 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर तत्पश्चात् क्रमशः उदयपुर, जोधपुर, रणपुर, भरतपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, झुझु, भीकानेर, सर्वाई, माधोपुर व भजमेर में आते। अन्य पर्यटक स्थलों पर आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कम रहा।

(2) व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकास (Development as Trade Centre) राजस्थान में जैसे-जैसे पर्यटन स्थलों का विकास होता जा रहा है वैसे-वैसे उन स्थलों पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। धीरे-धीरे ये क्षेत्र आस-पास के क्षेत्रों के आकर्षण का केन्द्र भी बनते जा रहे हैं। इससे इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ पुनः बढ़ी हैं। कालान्तर में इन पर्यटन स्थलों के अच्छे व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित होने की संभावनाएँ हैं।

(3) निर्यात की संभावनाएँ (Export Possibilities) विदेशों से आनेवाले पर्यटक पर्यटन के साथ-साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों में भी जुड़े हो रहे हैं। राजस्थान के उद्योगपति व व्यापारियों को उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। इस कारण विदेशों में राजस्थान की वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अनेक उद्योग विदेशों की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने के लिये भी इन पर्यटकों में संपर्क का उपयोग करते हैं।

(4) परिवहन का विकास (Development of Transportation) राजस्थान में लार्ज पैकेज प्रतिवर्ष आते हैं। इतने लोगों का परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को कार्य करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में परिवहन व्यवसाय का विकास होता है। राजस्थान में इसी कारण पर्यटन क्षेत्रों में विशेषतः निजी क्षेत्र में परिवहन व्यवसाय तेजी से चल रहा है।

(5) रोजगार (Employment) पर्यटन उद्योग के विकास के साथ-साथ राजस्थान में एक नया क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बनी हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों व

व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होने, परिवहन सुविधाओं के विस्तार आदि के कारण नये रोजगार के अवसर बनने लगे हैं। पर्यटन उद्योग में नये कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है।

(6) राज्य के प्रति आकर्षण (Attraction Towards State) पर्यटन के विकास के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है और पूर्व में फैली अनेक प्रतियोगिताएँ दूर हुई हैं। इस प्रवृत्ति के कारण राज्य के बाहर के लोग भी अपने व्यवसाय और सगठना की स्थापना राजस्थान में करने के लिए प्रेरित हुए। इससे राज्य के विकास के अवसर और बढ़े।

(7) निर्माण कार्यों द्वारा सम्पत्ति में अभिवृद्धि (Increase in Assets by Construction Activities) विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। इस हेतु मुख्य रूप से आवास सुविधाएँ जुटानी होंगी और परिवहन के माध्यमों के विकास के लिए सड़क, रेलमार्ग आदि का विकास करना होगा। इस प्रकार के निर्माण कार्यों द्वारा राज्य की सम्पत्ति में भी वृद्धि होगी। ये निर्माण कार्य आस-पास के क्षेत्रों के विकास को भी गति प्रदान करेंगे।

(8) पर्यटन—एक उद्योग (Tourism—An Industry) राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए 1988-89 के अंत में (मार्च 1989 में) पर्यटन को उद्योग घोषित किया। सरकार को इस निर्णय से पर्यटन के क्षेत्र में सलग सभी इकाइयों व व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा। एक उद्योग के रूप में व्यापक सुविधाएँ जुटाना सम्भव हो सकेगा। इस कारण पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से होगा। यह विकास राज्य के अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक अनुकूल प्रभाव डालेगा। ऐसा अनुमान है कि यदि पर्यटन उद्योग का विवेकयुक्त प्रयोग किया जाय तो राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है।

राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास

RAJASTHAN GOVERNMENT'S EFFORTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

राजस्थान में पर्यटन विभाग मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। प्रथम—पर्यटन स्थलों का विकास नये पर्यटन स्थलों की रोजगार प्रचार-प्रसार के माध्यम से पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करना राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों में मेलों एवं त्यौहारों के माध्यम से लोकमगी।

और लोककला को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य, पर्यटन कला एवं सस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। द्वितीय-पर्यटकों को आवास एवं परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है :

(1) पर्यटन प्रचार-प्रसार साहित्य (Tourism Publicity Literature) राज्य के पर्यटन आकर्षण केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को राज्य की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक एवं रमणीय पर्यटन साहित्य प्रकाशित करता है जिससे पर्यटकों को राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यह साहित्य पर्यटन स्थलों, राज्य के मेला व त्यौहारों, राज्य की लोक एवं हस्तकलाओं तथा वन्य-जीवों के सम्बन्ध में होता है।

(2) विज्ञापन द्वारा प्रचार (Publicity by Advertisements) - पर्यटन साहित्य के अतिरिक्त पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को राज्य की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इन विज्ञापनों में विभिन्न पर्यटक स्थलों, सुविधाओं, पैकेज टूरों आदि की जानकारी दी जाती है। विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटकों को विभाग से सम्पर्क करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

(3) फिल्म प्रदर्शन (Film Show) - पर्यटन विभाग विशेष अवसरों पर तथा विभिन्न होटलों या अन्य स्थानों पर, प्रायः किये जाने पर अपने द्वारा राज्य के पर्यटन पर बनाई गई फिल्में उपलब्ध कराने के लिये पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध में 24 फिल्मों का निर्माण किया है जो राज्य के पर्यटन स्थलों, रीति-रिवाजों, वन्य-जीवों एवं मेले-त्यौहारों आदि से सम्बन्धित हैं।

(4) पर्यटन स्थलों का विकास (Development of Tourist Places) ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं अथवा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा के लिये आवास एवं परिवहन सुविधाओं के अलावा उस स्थान के पयावर्ण विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देता है। यद्यपि पयावर्ण विकास का कार्य अन्य विभाग भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्य पर्यटन विभाग द्वारा विशेष रूप से किये जाते हैं। राज्य के अविश्रुत पर्यटन स्थलों के विकास, उनके मौन्दर्यीकरण एवं पयावर्ण सुधार ऐतिहासिक स्थलों को मरम्मत आदि की योजनाएँ भी

पर्यटन विभाग तैयार करता है।

पर्यटन स्थलों के विकास के अन्तर्गत ये कार्य हाथ में लिये गये-पुष्कर घाटों का विकास, आनासागर, अजमेर हेतु चार सीट एवं दो सीट की एक-एक पैडल नौकाओं का क्रय, जिला कारागार, बून्दी के समीप कुण्ड का विकास, आमेर टाउन का मौन्दर्यीकरण व विद्युतीकरण, केसर क्यारी, आमेर का विकास, आमेर दुर्ग की चारदीवारी की मरम्मत, जयपुर एवं आमेर के विभिन्न पर्यटन स्थानों का मौन्दर्यीकरण, मीरा मंदिर, जैतारण (पाली) का सुधार, गणेश्वर एवं बालेश्वर (जिला सीकर) का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास एवं मौन्दर्यीकरण, दूधतलाई, उदयपुर का विकास, गुलाब बाग, उदयपुर का विकास, रक्तलाई बादशाही बाग, चेतक समाधि, चावण्ड, गोगुन्दा व कुम्भलगढ में विकास कार्य। केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओं को स्वीकृत किया, जैसे कैमल सफ़र, गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, बरेली (जिला चित्तौडगढ) में किमोस्क का निर्माण, झालावाड में एक पर्यटक विश्रामगृह का निर्माण, ओसिया (जिला जोधपुर) में कैफेटेरिया का निर्माण, मैनाल (जिला चित्तौडगढ) में पर्यटक कॉम्प्लेक्स का निर्माण।

(5) सांस्कृतिक गतिविधियाँ व कार्यक्रम (Cultural Activities & Programmes) - राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने हेतु तथा उन्हें कला एवं सस्कृति का दिग्दर्शन कराने के लिये पर्यटन विभाग मेले एवं त्यौहारों का आयोजन करता है। पर्यटन विभाग द्वारा 'राजस्थान आमंत्रित कर रहा है' समारोह का भी आयोजन किया जाता है। पर्यटकों के लिये मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। इनमें परम्परागत लोकगीत एवं लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन मेलों व त्यौहारों में ख्यातिप्राप्त पत्रकारों, छायाकार, लेखकों एवं यात्रा अभिकर्ताओं को विभागीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इन मेलों व त्यौहारों में जयपुर का गणगीर उत्सव, तीज मेला एवं हाथी समारोह, पुष्कर मेला तथा जैसलमेर का मरु मेला काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेवाड समारोह (उदयपुर) ग्रीष्म समारोह (माउण्ट आबू), कजरी मेला (बून्दी), मारवाड समारोह (जोधपुर), चन्द्रभागा मेला (झालावाड), बोकानेर समारोह (बोकानेर), नागीर मेला (नागीर) बेगेश्वर मेला (बेगेश्वर, डूंगरपुर), ब्रज समारोह (भारतपुर) भी धीरे-धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। देश के अन्य प्रदेशों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये 'राजस्थान आमंत्रित कर रहा है' नामक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार पर्यटन आकर्षण के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदर्शनियों के अन्तर्गत राज्य के स्मारक मेले एवं त्यौहार लोककला एवं संस्कृति लोक जीवन एवं रीति रिवाजों से सम्बन्धित चित्र मॉडल आदि का प्रदर्शन किया जाता है।

(6) परिचयात्मक भ्रमण (Introductory Travelling)

राज्य के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन प्रचार प्रसार को अधिक सशक्त बनाने के लिये विभाग देश विदेश के व्यापक पर्यटन लेखकों छायाकारों दूरदर्शन दलों यात्रा अभिकर्ताओं छायाचित्रकारों एवं पर्यटन से सम्बन्धित अन्य लोगों को परिचयात्मक भ्रमण हेतु आमंत्रित करता है तथा इन्हें विभागीय आतिथ्य प्रदान कर अपने व्यय पर राज्य के पर्यटन स्थलों एवं मेले त्यौहारों का भ्रमण करवाता है ताकि इन्हें राज्य के पर्यटन आकर्षण की विस्तृत जानकारी हो सके और इनके लेखों चित्रों एवं भ्रमण अनुभवों के माध्यम से राज्य के पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार से अधिकाधिक लोगों को राज्य के बारे में जानकारी मिल सके और इसके माध्यम से अधिकाधिक पर्यटकों राज्य के प्रति आकर्षित हो सके।

(7) हाथी रोटेशन (Elephant Rotation)

जयपुर आने वाला प्रायः प्रत्येक विदेशी पर्यटक आमेर में हाथी की सवारी को आनन्द लेना चाहता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हाथी रोटेशन की व्यवस्था की गई है। पहले यह व्यवस्था पुरतत्व विभाग द्वारा संचालित की जाती थी किन्तु इसका संचालन पर्यटन विभाग ही कर रहा है। इस कार्य के सम्पादन हेतु आमेर में पर्यटन सूचना केन्द्र कार्यरत है जहाँ पर्यटन अधिकारी इस व्यवस्था का संचालन करते हैं।

(8) होटलों का वर्गीकरण व दुकानों का पंजीयन (Classification of Hotels and Registration of Shops)

राजस्थान में होटलों को एक व दो सितारा होटलों में वर्गीकृत करने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस कार्य के लिये पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय वर्गीकरण समिति बनी हुई है जो इस कार्य को सम्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग से सम्बन्धित दुकानों का पंजीकरण भी पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है ताकि पर्यटकों में इन संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहे मन्त्र और उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

(9) होटल निर्माण को प्रोत्साहन (Promotion to Hotel Construction)

पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में मार्चजनिक क्षेत्र में आवास सुविधाएँ नहीं बढ़ पा रही हैं। इस हेतु निजी क्षेत्र द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिणामस्वरूप

निजी क्षेत्र में काफी होटलों का निर्माण भी हुआ है। पर्यटन विभाग निजी क्षेत्र में होटल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें भूमि चयन एवं नक्शों की स्वीकृति आदि में सहयोग देने के अलावा उन्हें वित्तीय सहायता से ऋण दिलाने तथा आवकारी विभाग से बार लाइसेन्स दिलाने में सहयोग प्रदान करता है। इसके लिये विभाग इन्हीं अनार्षित प्रमाण पत्र देता है।

(10) आवास सुविधाएँ (Housing Facilities)

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए आवास सुविधाएँ बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। 1989-90 में निगम के अधीन 36 इकाइयाँ कार्यरत थीं। इस वर्ष दो इकाइयाँ-मिडवे देवगढ़ तथा पर्यटन ग्राम पुष्कर में पर्यटक रिसोर्ट्स आरम्भ किए गए। इस वर्ष रतनगढ़ शोकरण सिलीमेड जैसलमेर जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ स्थित पर्यटक विश्राम गृहों में नये कमरों के निर्माण करवाए जाने एवं दो नई इकाइयों के प्रारम्भ होने से वर्ष के अन्त में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इकाइयों में कुल क्षमता जो 1988-89 के अन्त में 1861 थी बढ़कर 1989-90 में 1983 तक पहुँच गई।

(11) परिवहन सुविधाएँ एवं पैकेज टूर (Transport Facilities and Package Tours)

पर्यटन विभाग इस बात की चेष्टा करता है कि पर्यटकों को सस्ती दर पर आरामदेय परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हों। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम न जयपुर उदयपुर मारुफट आबू, सरिस्का चित्तौड़गढ़ जैसलमेर जोधपुर व सर्वाई माधोपुर में दृश्यबल्लोक की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधीन जयपुर में पृथक से एक यातायात इकाई संचालित की जा रही है। दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा भी परिवहन व्यवस्था संचालित की जाती है। पर्यटन मौसम (अक्टूबर से मार्च) के दौरान दिल्ली से विभिन्न पैकेज टूर प्रारम्भ किए जाते हैं। निगम द्वारा जयपुर दिल्ली जोधपुर एवं उदयपुर से अवकाश यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा संचालित निम्न पैकेज टूर काफी लोकप्रिय हो गए हैं

दिल्ली से संचालित

गौल्डन ट्राईएंगल (3 दिवसीय)

हवामहल टूर (3 दिवसीय)

पेवाड पैकेज टूर (6 दिवसीय)

डेजर्ट पैकेज टूर (6 दिवसीय)

राजस्थान पैकेज टूर (15 दिवसीय)

चयन जीव अभयारण्य टूर (4 दिवसीय)

उदयपुर से संचालित .

उदयपुर माऊट आबू-उदयपुर

उदयपुर हल्दीघाटी-कुम्भलगड-रणकपुर-उदयपुर

(12) पर्यटक सूचना केन्द्र (Tourists Information Centre) राजस्थान और राजस्थान से बाहर पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने में कठिनाई न हो। वर्तमान में राज्य के बाहर आगरा, अहमदाबाद, मुम्बई, फलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में ये पर्यटक सूचना केन्द्र स्थित हैं। राजस्थान में ये जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माऊण्ट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा-बून्दी, सर्वाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, आमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा और झुझुनू में कार्यरत हैं।

(13) हाऊस बोट (House Boat) - राजस्थान की झीलों में कश्मीर की भांति हाऊस बोट का सुविधा उपलब्ध करने की चेष्टा की जायेगी। यह हाऊस बोट राजस्थान की अपनी शैली और शिल्प में तैयार कराये जायेंगे। झीलों में हाऊस बोट पर्यटकों के लिये अच्छे व आरामदायक सिद्ध होने की सभावना है। झीलों में ही 'वाटर-स्पोर्ट्स' की गतिविधियाँ आरम्भ करने की चेष्टा की जा रही है।

(14) स्वागत केन्द्र (Reception Centre) - राजस्थान में पर्यटक स्वागत केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करने की योजना है। इन पर्यटक स्वागत केन्द्रों की स्थापना के पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायें, जैसे पर्यटन स्थलों की जानकारी, होटलों का आरक्षण यात्रा के लिये आरक्षण, टूरिस्ट टैक्सो गाइड, विदेशी मुद्रा आदि। इन केन्द्रों पर आरक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर से की गयी है और टेलीक्स फैक्स, एस टी डी, आई एस डी आदि की सुविधाएँ भी इन केन्द्रों पर उपलब्ध रहगी। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली सहित राजस्थान के 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। दिल्ली के बीकानेर हाऊस के अतिरिक्त जयपुर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, माऊण्ट आबू, कोटा, चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर में यह केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(15) पेईंग गैस्ट योजना (Paying Guest Project) - पर्यटक स्थानीय लोगों की जीवन शैली एवं उनके जीवनस्तर के बारे में जानने हेतु उत्साह रखते हैं। साथ ही, कुछ पर्यटक धोलू वातावरण में रहना पसन्द करते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान में पेईंग गैस्ट योजना जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में प्रारंभ की गई है। अब यह योजना

अजमेर, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एवं भरतपुर में भी आरम्भ की गई है। राजस्थान की पेईंग गैस्ट योजना को भारत सरकार ने भी सहायता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पेईंग गैस्ट निर्देशिका को पूरे देश के पर्यटन कार्यालयों और विदेशों में स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों में भिजवाया गया है।

(16) निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन (Incentives to Private Enterprenuer) - राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के किलों, हवेलियों आदि को, जो पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र रहे हैं, होटलों में परिवर्तित करने हेतु एक नई श्रेणी 'हेरिटेज होटल' का नाम दिया गया है। इससे इन किलों, दुर्गों एवं हवेलियों का रख-रखाव होने के साथ-साथ राज्य की धरोहर को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिये निजी उद्यमियों को इनमें विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(17) हॉर्स सफारी (Horse Safan) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त पुष्कर मेला हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां के लोकजीवन की जीती-जगती झांकी पर्यटकों को मोह लेती है। प्रतिवर्ष कार्तिक में हजारों लायों की सख्या में दूर-दूर से लोग पवित्र सरोवर में स्नान करने हेतु आते हैं। पुष्कर मेले के इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन एवं आकर्षण हेतु घुड़सवारी (हॉर्स सफारी) आयोजित की जाती है। 7 दिन एवं 6 रात्रियों की यह घुड़सवारी प्रतिदिन औसतन 35 कि.मी. सफर तय करती है।

(18) शाही रेलगाडी (Royal Train-Shahi Rail) - पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शाही रेलगाडी का भी संचालन किया जाता है। पर्यटन विकास निगम की ओर से चलायी जा रही शाही रेल 'पैलेस ऑन व्हील' ने विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। लन्दन से प्रकाशित समाचार पत्र सण्डे टाइम्स ने पैलेस ऑन व्हील को समार की 10 सर्वश्रेष्ठ रेलयात्राओं में से एक माना है।

(19) कैनाल बोटिंग (Canal Boating) - राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य के 5 जलाशयों-जम्बा रामगढ़, आमेर, फतेहसागर, जयसमद व सिल्लिसेड-में पर्यटकों के मनोरंजन के लिये नौकायन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। महसूली क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर में कैनाल बोटिंग को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके अंतर्गत छोटी नावों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है जिससे राजस्थान नहर के किनारे को नुकसान न हो।

(20) डैजर्ट ट्राईएंगिल या मरु त्रिकोण (Desert Triangle) राजस्थान में पर्यटकों के लिए मरु त्रिकोण विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। इस त्रिकोण के अतर्गत जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया गया है। जैसलमेर में फरवरी महीने में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मरु मेले में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। विश्व पर्यटन संगठन के सलाहकार रॉड हेगिल्टन के अनुसार मरु त्रिकोण की पर्यटन योजना के अतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्यटन विकास की वृद्धि सम्भावनाएं विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार ने मरु त्रिकोण योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाई है। केन्द्र सरकार ने इस योजना को विश्व पर्यटन संगठन को भेजा है। बीकानेर डैजर्ट ट्राईएंगिल योजना का प्रवेशद्वार होगा। ओ.ई.सी.एफ. की सहायता से मरु त्रिकोण परियोजना 1996-97 में क्रियान्वित करना प्रस्तावित था।

(21) राजस्थान पर्यटन कानून (Rajasthan Tourism Regulation of Travel Trade Act) राजस्थान टूरिज्म एक्ट के प्रारूप को राज्य के विधि विभाग द्वारा निर्मित कर केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय के पास भिजवा दिया गया है। वहां से पारित होने के बाद गृह व विधि विभागों से पारित होकर 6 माह के भीतर इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम का पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म रेग्यूलेशन ऑफ ट्रेवल ट्रेड एक्ट है। इसके प्रभाव में आने से देशी व विदेशी पर्यटकों के मध्यस्था के चणुल में फसने का डर समाप्त हो जायेगा। नियमों को तोड़ने वाले ट्रेवल एजेंट्स टैक्सी चालक, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर कानून के प्रावधानों के अतर्गत अकुशल लगेगा। इससे राजस्थान पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता भी आयेगी।

(22) भूमि बैंक (Land Bank) पर्यटन इकाइयों/परियोजनाओं के मरचनात्मक विकास हेतु एक भूमि बैंक की स्थापना की गई है जो नयी योजना में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को 450 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगा।

(23) खाद्य कला संस्थान (Food Craft Industry) पर्यटन में खाद्य कला में प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग निरन्तर बढ़ने के कारण अजमेर और जोधपुर में दो नये खाद्य कला संस्थान आरम्भ किये गये हैं। उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार के संस्थान आरम्भ किये गये हैं। बीकानेर और माउन्ट आबू में एक एक होटल खोलने का प्रस्ताव है। पर्यटन प्रबन्ध हेतु जोधपुर में एक केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

इन कार्यों के लिये नयी पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(24) जयपुर हवाई अड्डे का विकास जयपुर हवाई अड्डे का विकास एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में किया गया है। इस हवाई अड्डे के रन वे (Runway) का विस्तार 7000 फीट से बढ़ाकर 9000 फीट किया जायेगा।

राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं एवं समाधान

MAJOR PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TOURISM INDUSTRY IN RAJASTHAN

राजस्थान में पर्यटन उद्योग अभी परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाया है। यह विकास के प्रारम्भिक चरणों में है। इस कारण इस उद्योग को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है

(1) अपर्याप्त प्रचार-प्रसार (Lack of Sufficient Publicity) पर्यटन स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए उन क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस ओर अनेक प्रयास किए हैं किन्तु फिर भी पूरे देश में राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत अधिक उत्सुकता पैदा नहीं की जा सकी है। विदेशों में तो अधिकांश लोगों को राजस्थान के सदर्थ में जानकारी ही नहीं है। राजस्थान का पर्यटन विभाग को पर्याप्त वित्तीय साधन और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(2) नये पर्यटन स्थलों का विकास (Development of New Tourist Places) राजस्थान के गौरवमयी इतिहास और प्राकृतिक भिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए सांभाला जाये तो यहाँ पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि विभाग को इन स्थलों के सदर्थ में पूर्ण जानकारी जुटानी होगी तथा ऐसे स्थल जिन पर देशी व विदेशी पर्यटकों की सज्जा अपेक्षाकृत कम रहती है उन पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल देना होगा। नये पर्यटन स्थलों के विकास के लिये पुरातत्व विभाग को तथा इस क्षेत्र में शोधकार्य कर रहे लोगों की सहायता सी जानी चाहिये। विभाग को स्वयं ही व्यापक सर्वेक्षण कर इन स्थानों का पता लगाना चाहिये।

(3) पर्यटन स्थलों की देख रेख व विकास कार्य (Maintenance & Development of Tourist

Places) पर्यटकों को प्रेरित करने के लिये यह भी आवश्यक है कि पर्यटन स्थल आकर्षक लगे। इस हेतु उनको पर्याप्त देखभाल किया जाना आवश्यक है। ऐसे स्थलों पर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए विकास कार्य भी करने होंगे। नये पर्यटन स्थलों के सर्द्धर्ष में जहा देख रेख की सुविधाओं का अभाव है तथा अधिक विकास कार्य भी नहीं हो पाए हैं वहा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(4) भोजन व आवास सुविधाओं का अभाव (Lack of Lodging & Boarding Facilities) राजस्थान में सभी पर्यटन स्थलों पर भोजन व आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। आवास सुविधाएँ प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। निजी उद्यमी भी अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। अतः विभिन्न सुविधाएँ प्रदान कर निजी क्षेत्र को आवास सुविधाओं के विस्तार के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को उनकी इच्छा के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के लिये भी निजी उद्यमियों को प्रेरित किया जाना चाहिये।

(5) अपर्याप्त परिवहन सुविधाएँ (Lack of Sufficient Transport Facilities) राजस्थान में पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा वायु परिवहन के विकास का न होना भी है। विदेशी पर्यटक समय अभाव के कारण उन क्षेत्रों में नहीं जा पाते जहाँ उन्हे परिवहन के साधनों के कारण अधिक समय लगता हो। इस स्थिति को सुधारने के लिये राज्य के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को वायुसेवाओं तथा अन्य उपयुक्त तौरागमों पर परिवहन सुविधाओं से युक्त किया जाना चाहिए। इस हेतु सड़क मार्गों का निर्माण भी किया जा सकता है।

(6) आकर्षक पैकेज टूर का अभाव (Lack of Attractive Package Tours) राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूर का संचालन मुख्य रूप से दिल्ली से किया जाता है। ये पैकेज टूर राज्य के सभी जिलों से आरम्भ किये जाने चाहिए साथ ही ये पैकेज टूर इस प्रकार के होने चाहिए ताकि वे राजस्थान के निर्वासियों को भी आकर्षक प्रतीत हों। ऐसा तभी सम्भव है जबकि एक उपयुक्त अवधि में राज्य के लगभग सभी प्रमुख व गौण पर्यटन स्थलों को इस पैकेज टूर में सम्मिलित किया जाए।

(7) अधिक लागत (High Cost) वित्तीय बाधाओं के कारण भी पर्यटन के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रदान की जाने वाली आवास व भोजन सुविधाओं की लागतें इतनी कम होनी चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी पर्यटन पर जाने की सौच सकें। पर्यटन विभाग द्वारा पैकेज टूरों की आर लोणों को आकर्षित करने

के लिए भा अपनी लागत को कम करना होगा। ये पैकेज टूर विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति के लोगों को दृष्टिगत रखत हुए भी बनाए जा सकते हैं।

(8) पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र का कम योगदान (Low Contribution of Private Sector) पर्यटन उद्योग पर मुख्यतः सरकार प्रभुत्व ही प्रतीत होता है। निजी उद्यमी अनेक कारणों से पूरी तरह इस क्षेत्र में नहीं आ पाये हैं। वास्तव में पर्यटन में उद्योग घोषित कर दिए जाने के पश्चात् इस क्षेत्र को मिलने वाले सुविधाओं से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र के उद्यमी अब इस व्यवसाय की ओर आने लगे हैं लेकिन उनका योगदान अभी भी अपर्याप्त है। निजी क्षेत्र को उन योजनाओं का भी हाथ में लेना चाहिए जिनमें अधिक पूँजी विनियोजन आवश्यक है।

(9) भूमि का व्यवस्था (Arrangement of Land) पर्यटन क्षेत्रों में होटल व अन्य पर्यटन सुविधाएँ जुटाने के लिए भूमि मिलना कठिन हो गया है। नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों के कारण भी भूमि के विकास में अनेक बाधाएँ आती हैं। सरकार को इस समस्या के हल के लिए पर्यटन स्थलों व सम्भावित पर्यटन स्थलों में इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उस क्षेत्र के मास्टर प्लान में पहले से ही निर्धारित कर देनी चाहिए व इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों को कम लागत पर विकसित भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(10) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) वित्तीय सहायताओं द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण अन्य उद्योगों की भाँति ही हैं। इस सर्द्धर्ष में विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी करने होती हैं। उद्यमियों में ली जाने वाली मार्जिन राशि भी अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायताओं की अशुभता में भागीदारों भी निश्चित का जानी चाहिये ताकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण पर्यटन का विकास नहीं रहे। पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए अनुदान व सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है और कम व्याजदर पर पूँजी उपलब्ध कराई जा सकती है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि को लम्बा किया जा सकता है।

(11) विपणन की व्यवस्था (Marketing Arrangements) बाहर से आने वाले पर्यटक स्थानाय वस्तुओं को खरीदने में प्रायः रुचि रखते हैं किन्तु उनको अच्छे विक्रेता केन्द्रों का ज्ञान नहीं होता अथवा अच्छे विक्रेता केन्द्र उपलब्ध ही नहीं होते। ऐसी स्थिति में सरकार का यह दायित्व है कि वह पर्यटकों की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी वस्तुओं को जुटाए और उचित माध्यम से उचित मूल्य पर पर्यटकों को उपलब्ध कराए। समुचित विपणन व्यवस्था

होने पर पर्यटक सतुष्ट रहते हैं व पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है।

राजस्थान की पर्यटन नीति¹

TOURISM POLICY OF RAJASTHAN

'पर्यटन' आधुनिक विश्व में तेजी से बढ़ता उद्योग है। विश्व के पर्यटकों की कुल संख्या लगभग 520 बिलियन प्रतिवर्ष है जो लगभग 321 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। विश्व का प्रत्येक नया व्यक्ति यात्रा एवं पर्यटन में व्यस्त है। इस उद्योग से विश्व के लगभग 112 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। भारत सरकार ने मई 1992 में पर्यटन नीति की घोषणा की थी। इस नीति में निर्धारित किया गया कि सन् 2000 तक भारत विश्व पर्यटन में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर लेगा। पर्यटन उद्योग विदेशी विनिमय प्राप्ति का प्रमुख साधन है। 1994-95 में पर्यटन उद्योग से भारत को लगभग 7400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस शताब्दी के अन्त तक पर्यटन उद्योग 10 000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में भी पर्यटन की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। यहाँ प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या लगभग 63 मिलियन है।

पर्यटन नीति के उद्देश्य

राजस्थान की पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों का अनुकूलतम उपयोग करना।
- (2) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए राज्य के पर्यटन उद्योग का विकास करना।
- (3) दस्तकारी एवं कुटीर उद्योग के लिए एक विकसित बाजार का विकास करना।
- (4) राजस्थान की प्राकृतिक ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना।
- (5) निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन उद्योग का विकास करना।
- (6) धार्मिक पर्यटन के माध्यम से विभिन्न सस्कृतियों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
- (7) पर्यटक को सतुष्ट करना।
- (8) पर्यटन उद्योग को 'जनसाधारण का उद्योग' का रूप देना।
- (9) पर्यटन उद्योग की समस्याओं को समाप्त करना।

(10) पर्यटन उत्पादों में विविधता लाना।

पर्यटन नीति की विशेषताएँ

- (1) पर्यटन संरचना—राजस्थान भारत का दूसरा बड़ा राज्य है और यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु आवास, यातायात सुविधाएँ, संचार के साधन तथा अन्य सुविधाओं का होना आवश्यक है। अतः राज्य में सरचनात्मक विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास करेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार और विदेशी स्रोतों से वित्तीय साधन प्राप्त किए जायेंगे। राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए सरचनात्मक विकास हेतु सरकार ने एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया है। सभी व्यक्तियों एवं सस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र का विकास किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटकों के आवास की समस्या है। राज्य के 772 होटलों में लगभग 15,280 कमरे हैं। राज्य के पर्यटन विभाग ने 20 000 कमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। शताब्दी के अन्त तक लगभग 45 000 कमरों की आवश्यकता होगी। सरकार होटल उद्योग के विकास हेतु निजी विनियोग को प्रोत्साहन देगी। राज्य के महलों एवं हवेलियों को होटल का रूप देने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारों होटल उद्योग के विकास हेतु समिन्डी, करों में कमी आदि सुविधाएँ प्रदान करती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए कैम्पो की व्यवस्था की जाती है। राज्य के पर्यटन विभाग ने 27 सितम्बर, 1991 से "पेयिंग गैस्ट स्कीम" (Paying Guest Scheme) चालू की है। यह योजना राज्य के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बून्दी, अजमेर, पुष्कर, माउण्ट आबू, अलवर तथा भरतपुर में प्रारम्भ की गई है। राज्य में रास्ते की सुविधाएँ (Mid way Hotels) कम हैं अतः इनमें वृद्धि की जाएगी। सरकारी स्वामित्व वाले प्राचीन म्मारकों, हवेलियों आदि को पर्यटन होटल अथवा पर्यटन कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाएगा। होटलों के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उचित दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) पर्यटन संरचना में विनियोग—राजस्थान में होटल उद्योग के विकास हेतु सस्थागत वित्त प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। होटलों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक 'प्रभावी तंत्र' (Effective Mechanism) विकसित

किया जाएगा। अनेक सरकारी इमारतों का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। इन इमारतों का होटल के रूप में उपयोग संयुक्त उपक्रमों (सरकार एवं निजी क्षेत्र) के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार ने 1993 में नवीन पर्यटन इकाइयों के लिए अनेक सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा की थी। सरकार ने इस उद्योग के विकास हेतु समय-समय पर अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करने का निश्चय किया। राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास हेतु 1993-94 में 6 करोड़ रुपये तथा 1994-95 में 12 करोड़ रुपये व्यय किए थे। वर्ष 1995-96 में 15 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग की संरचना में सुधार हेतु केन्द्र सरकार से भी सहायता प्राप्त की जाती है।

(3) पर्यटन परिवहन-राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण नगर रेल परिवहन से जुड़े हुए हैं। 'शताब्दी' और अन्य ट्रेनों के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और अजमेर नगरों को दिल्ली से जोड़ दिया गया है। बड़ी लाइन पर "Palace on Wheels" 1995 में चालू की गई। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य से गुजरने वाले राजमार्गों का सुधार किया जाएगा तथा सड़क रोड बनाने हेतु बाह्य सहायता प्राप्त की जाएगी। अच्छे मार्ग बनाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखा जाएगा। उतम किस्म की बसों की प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा मार्गों के राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया जाएगा। घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों से समुचित किराया वसूल किया जाएगा। स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ताकि पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। एयर टैक्स और हेलीकॉप्टर सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि कम से कम समय में पर्यटक अधिक पर्यटन स्थलों में भ्रमण कर सकें। राज्य के अनेक स्थानों पर हेलीपैड और हवाई पट्टियाँ विद्यमान हैं। इनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण हेतु निम्न क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए अनेक रियायतों की घोषणा की गई है।

(4) पर्यटन सूचना एवं प्रचार-पर्यटन उद्योग के विकास में सूचना एवं प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए राज्य के सभी प्रवेश बिन्दुओं पर पर्यटक स्वागत केन्द्रों का होना आवश्यक है। जोधपुर और बीकानेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा राज्य के जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झुझु, मारुण्ड आबू, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा

है। पर्यटकों के आगमन काल में दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मारुण्ड आबू के पर्यटक स्वागत केन्द्र 24 घण्टे सेवाएँ प्रदान करेंगे। साहित्य, फिल्म, वीडियो तथा अन्य साधनों के माध्यम से पर्यटन उद्योग का प्रचार किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन पर जवाहर कला केन्द्र द्वारा एक फिल्म बनाई जाएगी। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार माध्यमों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। पर्यटन साहित्य फ्रेन्च, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटैलियन, ऑस्ट्रिक तथा अंग्रेजी भाषाओं में सभी पर्यटन स्वागत केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रकाशन विभाग के प्रकाशन 'अतिथि' को अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाएगा।

(5) राजस्थान के पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा-राजस्थान में दस्तकारी, हैंडलूम तथा विभिन्न कारीगरों द्वारा अनेक प्रकार की आकर्षक और सुन्दर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन वस्तुओं के विपणन को प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कारीगरों को अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए बाजार में स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्यटन केन्द्रों पर विभिन्न सस्थाओं के सहयोग से शिल्पग्राम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। एक दस्तकारी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। किलों, महलों तथा प्राचीन इमारतों को सुधार जाएगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से इनमें होटल बनाए जाएंगे। राजस्थान के मेले और उत्सव पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। पुष्कर मेला और रेगिस्तानी उत्सव, जोधपुर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अतः राज्य के विभिन्न मेलों एवं उत्सवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। जिलाधीशों को ऐसे मेलों एवं उत्सवों की व्यवस्था हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान में सरिस्का, घना और रणथम्भौर जैसे स्थानों को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा तथा वन्य जीव स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। राजस्थान के रेगिस्तानी फ्लोरा (वनस्पति) और घना (जंगल-जन्तु) पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। अतः राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में पर्यटक म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। कुशल एवं प्रशिक्षण गाइडों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। घरेलू पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बगाली और गुजराती पर्यटकों में राजस्थान अत्यधिक लोकप्रिय है। अतः पर्यटन साहित्य बगाली एवं गुजराती भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर खेल कूद, घुड़सवारी, ऊट सवारी, तैराकी, बोटिंग आदि की

व्यवस्था की जाएगी। चम्पल और इन्दिरा गांधी नहर में जल परिचहन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटक स्थलों की पहचान बनाए रखने एवं उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य में पर्यटन का विकास करने हेतु राज्य सरकार पड़ोसी राज्य में भी सहयोग प्राप्त करेगी। पर्यटन स्थलों पर सायकल मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पर्यटन सम्बन्धी सहायक सेवाओं में सुधार तथा विस्तार किया जाएगा।

(6) पर्यटन में सहायक सेवाओं का विकास करना- पर्यटन में मानवीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्षेत्र में बुद्धिमान एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भारत में होटल प्रबन्ध की 18 संस्थाएँ और भोजन व्यवस्था सम्बन्धी 16 संस्थाएँ कार्यरत हैं जिनमें से केवल दो संस्थाएँ (Institute of Hotel Management Jaipur Food Crafts Institute Udaipur) ही राज्य में हैं। अतः सरकार निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं की स्थापना का प्रयास कर रही है। World Tourism Organisation (W.T.O.) के सहयोग से उदयपुर में होटल प्रबन्ध की एक संस्था स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। राज्य में केवला जोधपुर विश्वविद्यालय पर्यटन एवं होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा प्रदान करता है। सरकार ने पर्यटन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो राज्य में पर्यटन शिक्षा के विस्तार पर सुझाव देगी। आमेर और जैसलमेर में ए.ए.ए. पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गई है। अन्य स्थलों पर भी पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। जल, गैस और विद्युत कनेक्शनों में पर्यटन इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोटला में शराब की व्यवस्था हेतु आयकारी नीति को सरल बनाया गया है। पर्यटन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्यटन त्रिप भी पढाया जाएगा।

(7) प्रशासनिक सहयोग-प्रशासनिक सहयोग के उद्देश्य से राज्य पर्यटन मन्त्रालय बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु एक अधिकृत समिति (Empowered Commission) का गठन किया गया है। प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर के अधीन ऐसी समितियाँ का गठन किया गया है जो पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। प्रत्येक जिलाधीश की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली समिति कार्य करती है।

(8) पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना-पर्यटन विभाग द्वारा मारुट आनू, पुष्कर, जैसलमेर तथा आमेर जैसे स्थलों की पर्यटन क्षमता की विशेष जांच की जाएगी। इन

क्षेत्रों में पर्यटन ट्रैफिक को नियमित किया जाएगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उद्योग के अनियन्त्रित विकास के कारण इन स्थानों पर सांस्कृतिक प्रदूषण न बढ़ पाए।

राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति¹

PRESENT POSITION OF TOURISM IN RAJASTHAN

इस शताब्दी के अंत तक अनुमान है कि राजस्थान में हर वर्ष लगभग एक करोड़ पर्यटक आने लगेंगे। एक अध्ययन के अनुसार राज्य में आने वाला एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन 800 रुपये तथा भारतीय पर्यटक औसतन 400 रुपये व्यय करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सन् 2000 तक हर वर्ष राजस्थान में आने वाले एक करोड़ पर्यटक अनुमानतः प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय करेंगे। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने की सम्भावना है। आज विश्व में तेल उद्योग के पश्चात् पर्यटन दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व का हर सोलाहवा व्यक्ति किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा हुआ है। भारत को 1992-93 में पर्यटन से लगभग 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जो इस शताब्दी के अंत तक 10 000 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। वर्तमान में विश्व पर्यटन बाजार के अन्तर्गत भारत का भूगोल केवल 0.9% है। राजस्थान में पर्यटन के भागी विकास में दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन के आधारभूत ढांचे तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान इस्टीमेटेड ऑफ ट्रेवल मैनेजमेन्ट की स्थापना की है और इसके तहत 1993-94 में 5 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई। पर्यटन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु राजस्थान पर्यटन अधिनियम में परिवर्तन भी किया जा रहा है। राजस्थान में पर्यटन से जुड़े राजस्थान पर्यटन विकास निगम का वार्षिक व्ययसाय बढ़ा है और इसने लाभ अर्जित किया। राजस्थान की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पर्यटन विकास का वृहत्संभावनाएँ विद्यमान हैं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD

1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को आवास, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गई। निगम राजस्थान में पर्यटन को

विकसित करने के उद्देश्य से योजनाएँ निमित्त करता है व उन्हें प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेष्टा करता है। निगम द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु निगम द्वारा टूरिस्ट बगले, होटल, युवा होस्टल आदि चलाये जाते हैं। सड़कों के किनारे यह मिडचे आदि की व्यवस्था भी करता है। पर्यटन स्थलों में भ्रमण के लिए यह परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है तथा पैकेज टूर भी आयोजित करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौकायन सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। शाही रेलगाड़ी का मचालन भी यह भारतीय रेलवे से मिलकर करता है। पर्यटकों के मनोरंजन व उनके लिये वस्तुओं के क्रय की व्यवस्था करता है। पर्यटन स्थलों को सुन्दर बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार-सामग्री प्रकाशित कर उसे वितरित करता है।

आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN EIGHTH PLAN . 1992-97

राजस्थान अपनी भूमि एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक गौरव एवं दुर्लभ वन्य-पशुओं के कारण पर्यटन के विश्व मानचित्र में अपना स्थान बनाता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। साथ ही पर्यटन को उद्योगों का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। राजस्थान में पर्यटन की विशाल सभावनाओं को देखते हुए राजस्थान की आठवीं योजना के अंतर्गत 38.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में पर्यटन के बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान्य मुख्यालयों पर पर्यटक सूचना ब्यूरो को सुदृढ़ किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित पर्यटक सूचना ब्यूरो को भी और सुदृढ़ किया गया। आठवीं योजना के अंतर्गत पर्यटकों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजसमन्द तथा जोधपुर के रेलवे स्टेशनों और जयपुर के हवाई अड्डे पर नये पर्यटक कार्यालय खोले गये। राजस्थान का पर्यटन विभाग ने आठवीं योजना - अंतर्गत में ही एव उत्सवों में भाग लेकर राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित किया। राजस्थान में पर्यटकों को रवि का दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन स्थलों के विकास के लिये 'सर्किट एप्रोच' अपनाई गई। राज्य को निम्नलिखित 9 पर्यटक सर्किटों में बाँटा गया .

राजस्थान के पर्यटक सर्किट	
पर्यटक सर्किट	जिले/पर्यटक स्थल
1 शेरखावाटी सर्किट	सीकर, झुंझरू व चूरू
2 हाडौनी सर्किट	दूरी, कोटा झालावाड
3 मेवाड़ सर्किट	हत्थियाटी, गाम्वा, चावण्ड, कुम्भलगड एव समीर के क्षेत्र
4 रेगिस्तान सर्किट	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर
5 अलवर, भरतपुर, धौलपुर सर्किट	अलवर, भरतपुर, धौलपुर
6 जयपुर टॉन, सर्वाई-माधोपुर सर्किट	जयपुर टॉन, सर्वाईमाधोपुर
7 मारुण्ड आबू सर्किट	मारुण्ड आबू
8 जयपुर, अजमेर सर्किट	जयपुर, अजमेर
9 जयपुर जैसलमेर, बीकानेर सर्किट	जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर

स्रोत Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Raj.

राजस्थान के पर्यटन स्थलों में 'मरुत्रिकोण' (जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर) विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए स्वाकृति प्राप्त होने की सभावना थी। ये विभिन्न योजनाएँ मेवाड़ सर्किट, शेरखावाटी सर्किट, अलवर, भरतपुर सर्किट जयपुर-टॉन सर्वाईमाधोपुर सर्किट जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर सर्किट, मारुण्ड आबू सर्किट तथा जयपुर-अजमेर सर्किट से सम्बन्धित हैं। आठवीं योजना में भी एक करोड़ रुपये की अंशपूर्वी से राजस्थान होटल निगम बनाने की योजना थी जो कि होटल आनन्द भवन, उदयपुर का पर्यटकों की भाग के अनुरूप विस्तार करेगा।

नवीं योजना (1997-2002) के अंतर्गत पर्यटन विकास

TOURISM DEVELOPMENT IN NINTH PLAN 1997-2002

पर्यटन विभाग नई दिल्ली की राय सलाहकार सभा के माध्यम से एक मास्टर प्लान 2005 की अवधि तक का निर्मित किया है। मास्ट प्लान के अनुसार राज्य में पर्यटन के प्रस्तावित विनियोग 1991.8 करोड़ रुपये का है। प्लान के अनुसार नवीं योजना के अंत तक राज्य में 86 लाख पर्यटक आँवेंगे जिनमें 11 लाख विदेशी पर्यटक होंगे। नवीं योजना (1997-2002) में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 303 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN RAJASTHAN

राजस्थान का इतिहास अत्यन्त गौरवमयी है। इस इतिहास से जुड़े हुए राजस्थान के ऐतिहासिक किले, विद्यमान प्राचीन हवेलियों एवं मंदिरों के वास्तुशिल्प, राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित शौर्य एवं धीरता की गाथाओं के केन्द्र, कला एवं सस्कृति की उच्च परम्पराएँ राजस्थान के रंग-बिरंगे मेले व त्यौहार तथा राजस्थान की हस्त तथा लोककलाएँ, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस अथाह सम्पदा का पूरा लाभ उठाने में ही राजस्थान के पर्यटन विकास या पर्यटन का भविष्य छिपा हुआ है। राजस्थान में एक बड़ा भू-भाग पर्यटन के क्षेत्र है तो एक ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ अपा आकर्षण समेटे हुए हैं। राजस्थान में प्राकृतिक सरचना की विविधता भी पर्यटन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पशु एवं पक्षियों की अथाह सम्पदा और विविधताओं के कारण भी राज्य में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। राजस्थान का इतिहास उमकी सस्कृति एवं कला, विदेशी पर्यटकों को निरन्तर आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं का प्रयोग करने के लिए पर्यटकों को पर्याप्त आवास एवं यातायात सुविधाएँ उपलब्ध करना भी आवश्यक है। इस हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी सामने आना होगा। इसके साथ ही ऐसे पर्यटन स्थल जो अब तक देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए अज्ञात रहे हैं, उन्हें उपयुक्त प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से लोगों के समक्ष लाना होगा। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने से भी राजस्थान में पर्यटन की सम्भावनाओं को बल मिला है।

भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनना जा रहा है। राज्य में अगले पांच वर्षों में पर्यटन विकास हेतु 1700 करोड़ रुपये के निनियोजन की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में पर्यटन विकास का मूल ढाँचा तैयार करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा राज्य के सभी बड़े पर्यटक स्थलों सहित सात बड़े पर्यटन केन्द्रों का विकास करना आदि हैं। इन सभी पर्यटन केन्द्रों का विकास जयपुर आगरा और दिल्ली के 'त्रिकोण पर्यटन त्रिकोण' के समान होना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में, वर्तमान परिस्थितियों का दृष्टिगत

रखते हुए राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन, सभा या सम्मेलन पर्यटन, खेलकूद से सम्बन्धित पर्यटन तथा वन्य-जीव पर्यटन की वृहद् संभावनाएँ विद्यमान हैं। सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की तो यहाँ अथाह सम्भावनाएँ विद्यमान हैं क्योंकि राजस्थान ऐतिहासिक वास्तुशिल्प, कला एवं सस्कृति की उच्च परम्पराओं के लिए विख्यात है। इस अथाह सम्पदा को उजागर करके देशी व विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आजकल अच्छे स्थानों पर सभा व सम्मेलन करने की परम्परा-सी आरम्भ हो गयी है। इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया जा सकता है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि को इन सभा व सम्मेलन पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। राजस्थान में खेल-कूद तथा साहसिक कार्यों से सम्बन्धित पर्यटन के विकास की भी अच्छी संभावनाएँ विद्यमान हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग अरावली पर्वत-श्रृंखला से जुड़ा है। इस क्षेत्र में पर्वतारोहण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तान है। इसके किसी क्षेत्र को मर्यादा के लिए विकसित किया जा सकता है। हाथी व ऊँट आदि की सवारी भी इन साहसिक अभियानों में सम्मिलित की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हैण्ड ग्लाइडिंग आदि के विकास की संभावनाओं का भी पूरा लगाया जाना चाहिए। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वन्य-जीव उपलब्ध हैं। अतः इन क्षेत्रों में वन्य-जीव पर्यटन विकास की संभावनाएँ हैं। विशेष में, राजस्थान में विद्यमान विभिन्न अभयारण्य इस दृष्टि से उपयुक्त कहे जा सकते हैं। अतः राजस्थान में विद्यमान पर्यटन विकास की संभावनाओं का विद्वहन करने की आवश्यकता है।

राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल IMPORTANT TOURIST CENTRES OF RAJASTHAN

जयपुर-अमेर (Jaipur-Amer) - जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। यह एक नियोजित नगर है। यह नगर कथियों शिल्पियों तथा अपने गौरवमयी इतिहास के कारण सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सी वी रमण ने इसे 'आयलैण्ड ऑफ ग्लोरी' की सज़ा प्रदान की है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में हथामहल, रामनिकस बाग, सिटी पैलेस, गलता का पवित्र कुण्ड, नाहराट का विशाल दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग, अमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, बिरला मंदिर, सागानेर के प्राचीन जैन मंदिर, सिसोदिया रानी का महल आदि प्रमुख हैं। ये

पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि नगर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सदैव भीड़ दृष्टिगोचर होती है।

अजमेरा-पुष्कर (Ajmer-Pushkar) अजमेरा शहर को हिन्दू मुस्लिम तीर्थों का संगम कहा जा सकता है। यह शहर राज्य की राजधानी से 135 किलोमीटर दूर है। यह आराबलो पर्वत की घाटी में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर का हिन्दू तीर्थस्थान, तारागढ़ का किला, ढाढ़ दिन का झोंपड़ा, आनामागर झील, सोनीजी की नसिया आदि प्रमुख हैं। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर एव अजमेरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगने वाले मेले देशी व विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन मेलों में अत्यधिक सख्या में व्यक्ति भाग लेते हैं।

जोधपुर (Jodhpur) - यह शहर राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। जोधपुर का निर्माण 1469 में राव जोधाजी ने करवाया था। यह नगर अपने गौरवपूर्ण इतिहास, भव्य महलों की वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। यहां जसवत मेमोरियल उम्मेद भवन महल, मण्डौर के उद्यान, जसवत घड़ा, बालसमद झील जैन मंदिर हरिहर के मंदिर तथा सूर्य मंदिर आदि पर्यटन स्थल हैं। यहां के पर्यटन स्थल वास्तुकला व शिल्पकला, दोनों ही दृष्टियों से प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर (Udaipur) इस शहर की स्थापना 1589 में मेवाड़ के महाराज उदयसिंह द्वार की गई थी। यह नगर झीलों की नगरी पर्यटकों का स्वर्ण, प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रतीक झीलों का जादू, वेनिस ऑफ़ दी ईस्ट और राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से जाना जाता है। यह नगर पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में लेक पैलेस, पिछोला झील, फतहसागर झील, लेक गार्डन पैलेस उदयपुर का मिठी पैलेस, सहेलिया की बाड़ी, जगदीशजी का मंदिर महाराणा प्रताप कोस्मारक, गुलाबबाग, मानोचगरा नेहरू पार्क, सुबान निवास आदि प्रमुख हैं। उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर ब्यास नदी पर श्रानाथजी का मंदिर एकालगजी का मंदिर प्रसिद्ध हैं। उदयपुर में नाथद्वारा के मध्य अनेक मंदिर हैं। नाथद्वारा से 11 किमी दूर रपकपुर का जैन मंदिर, हल्दीघाटी और चेतक घोड़े की समाधि है। कुम्भलगढ़ का किला भी दर्शनीय स्थल है।

बीकानेर (Bikaner) बीकानेर शहर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहां एक विशाल दुर्ग है जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। आधुनिक बीकानेर की स्थापना महाराजा गणसिंह द्वार की गई।

उन्होंने गगनहर का भी निर्माण करवाया। यहां के दर्शनीय स्थलों में बीकानेर का किला, प्राचीन महल, मंदिर, मस्जिद, शम्भुगृह चन्द्रमहल, शूर महल, कर्ण महल, शोश महल, छनर महल, तालगढ़, करपीमाना का मंदिर, कोलायन तालाब तथा कपिलमुनि का आश्रम प्रमुख हैं।

अलवर (Alwar) - अलवर शहर की स्थापना 1775 में राव प्रतापसिंह द्वार की गई। यह शहर दिल्ली के दक्षिण में तथा जयपुर के उत्तर-पूर्व में पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहां के पर्यटन स्थलों में विजयसागर झील, निजुम्हमहल, सलीमसागर, मथुरापीथ का मंदिर, सूरजमहल, सूरजकुण्ड, अलवर का विशाल किला, महाराणी की छतरी तथा विनयविलास महल में स्थित अजायबघर आदि प्रमुख हैं। मिलीसेठ झील, सरिस्का अभयारण्य, पाण्डुपील, राजा भुनहरी का समाधि स्थल तथा नीलकण्ठ महादेव भी दर्शनीय स्थल हैं।

भारतपुर (Bharatpur) - यह नगर राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरजमल द्वार करवाया गया था। यहां का किला मिट्टी से बना हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में, धना पक्षी विहार प्रमुख है। भारतपुर से 35 किलोमीटर दूर डोंग शहर है। डोंग मुख्यतः उद्यानों, महलों, ऐतिहासिक दुर्ग व रंगीन फव्वारों के लिये प्रसिद्ध है। भारतपुर के दक्षिण में बयाना भी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है।

बूंदी (Bundi) इस शहर की स्थापना राव देव द्वार की गई। यहां का महल एक पहाड़ी पर स्थित है। यह महल अपनी सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है। यह शहर प्रसिद्ध कवि सूरजमल की जन्मस्थली है। यहां के दर्शनीय स्थलों में दीवाने-आम, छत्र महल, नवलसागर, फूलसागर, सुखमहल तथा चौरासी स्तम्भों की छतरी आदि प्रमुख हैं।

माऊण्ट आबू (Mount Abu) यह नगर अरावली श्रृंखला की लगभग 1200 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित है। यह राज्य का एकमात्र 'हिल स्टेशन' है। इसे राजस्थान का शिमला कहा जा सकता है। यहां के दर्शनीय स्थलों में नन्की झील, दिनवाड़ा के जैन मंदिर, बुलार्क टॉवरक, ननार्क कैम्पन, सनसेट पॉइंट, गौपुख, हर्नीमून पॉइंट तथा अचलगढ़ के जैन मंदिर आदि प्रमुख हैं।

चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) : यह एक ऐतिहासिक नगर है। यह राजपूतों के शौर्य और मोरा को भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहां एक विशाल दुर्ग है जो भारत के विभिन्न किलों में अत्यधिक प्राचीन एवं भव्य है। यहां के दर्शनीय स्थलों में कीर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, महाराणी पद्मिनी का जलमहल, महाराणा कुम्भा के महल, जौहर

कुण्ड गौमुख नौख्य खजाना तोपखाना काली का मंदिर बनवीर की दीवार भीमतल मीरा मंदिर तथा जैन मंदिर प्रमुख हैं।

जैसलमेर (Jaisalmer) यह नगर राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1156 में जैसलसिंह द्वारा की गई। यहां का किला पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यह किला 85 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहां के पर्यटन स्थलों में

मोतामहल विलासमहल, रंगमहल पटुओ की हवेली, राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख हैं।

कोटा (Kota) यह नगर चम्बल नदी के किनारे पर स्थित है। यह राज्य का पमुख औद्योगिक नगर है। पर्यटन स्थलों में छतर निवास जग मंदिर आधारशिला अमर निवास भितारिया कुण्ड छत्र निवास बाग चम्बल गार्डन आदि प्रमुख हैं। कोटा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दत्त गेम्स सैन्युरी है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

1. शीघ्र लिखिए (i) पैलेस ऑन व्हील्स (ii) कम लागत के होटल तथा घरेलू पर्यटन
Write short notes on (i) Palace on Wheels (ii) Low Cost Hotels and Domestic Tourism
2. पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन का भविष्य उज्ज्वल है। समझाईए।
Tourism in Western Rajasthan has a bright future. Explain.
3. निम्नलिखित क बारे में आप क्या जानते हैं? जैसलमेर एक पर्यटन स्थल।
What do you know about the following? Jaisalmer as a tourist place.
4. निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखिए।
राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल।
Write explanatory notes on important tourist places in Rajasthan.

B निवन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

1. राजस्थान में पर्यटन विकास पर एक निवन्ध लिखिए।
Write an essay on the Development of tourism in Rajasthan.
2. राज्य में अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित सम्भारनायक व समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Discuss the role, prospects and problems of Tourism industry in the economy of the State.
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्त्व को बतनाईए। इस उद्योग के विकास की भारी सम्भारनायक एवं समस्याएँ क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism industry in the economy of Rajasthan. What are the prospects and problems of this industry?
4. राजस्थान में पर्यटन के विकास की कानूनी सम्भारनायक है। क्या आप इनसे सहमत हैं? विवेचना कीजिए।
Rajasthan has immense potentials for tourism development. Do you agree with it? Analyse.

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्त्व को बतनाईए। इस उद्योग के विकास की भारी सम्भारनायक एवं समस्याएँ क्या हैं?
Discuss the importance of Tourism industry in the economy of Rajasthan. What are the prospects and problems of this industry?
2. राजस्थान में पर्यटन उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Tourism industry in Rajasthan.
3. राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका समझ कीजिए। राज्य में पर्यटन के विकास की सम्भारनायक एवं समस्याएँ बतनाईए और विकसित भविष्य में इस उद्योग के विकास के लिए सुझाव भी दीजिए।
Describe the Tourism development under planning in Rajasthan.
4. राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास के सम्भारनायक है।
Describe the Tourism development under planning in Rajasthan.
5. राज्य में पर्यटन के विकास में राज्य सरकार और आगामी वर्षों में इसके विकास के लिए उद्योगों सुझाव दीजिए।
Mention the problems of tourism in Rajasthan and also make suggestions for its development in near future.

अध्याय - 19

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

SPECIAL AREA PROGRAMMES

"क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से ही सम्भव है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP
- मूल सम्भार क्षेत्र कार्यक्रम DPAP
- मरु विकास कार्यक्रम DDP
- जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम TADP
- अरावली विकास कार्यक्रम ADP
- अन्य कार्यक्रम
- सन्दर्भ ग्रन्थ

राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन राजगार के अभाव में वृद्धि व विकास के उद्देश्य से संचालित प्रमुख कार्यक्रम अग्रानुसार हैं

- (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- (2) ग्रामीण युवाओं को स्व राजगार हेतु प्रशिक्षण (TRYSEM)
- (3) ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)
- (4) नवाहर राजगार योजना (JRY)
- (5) जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (TADP)
- (6) मरु विकास कार्यक्रम (DDP)
- (7) मूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)
- (8) अन्वयोद्य योजना
- (9) बास सूत्री कार्यक्रम
- (10) अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)
- (11) मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना (Mewar Regional Development Project)
- (12) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Programme)
- (13) न्यूनतम विकास कार्यक्रम (Minimum Needs Programme)

- (14) महिला विकास कार्यक्रम (Women Development Programme)
 (15) दस्युग्रस्त क्षेत्रों में डीकोल्ट सुधार कार्यक्रम (Decolt Prone Ravine Improvement Programme)
 (16) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(I R D P)

INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978-79 में देश के चुने हुए 2300 विकास खण्डों में आरम्भ किया गया था। वर्तमान में इसको सम्पूर्ण भारत में विस्तृत कर दिया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है ताकि वे परिवार बेरोजगारी एवं निर्धनता के अभिशाप से मुक्त हो सके। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार की योजना है जिसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों आधी आधी धनराशि प्रदान करते हैं।

उद्देश्य

Objects

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उपनिर्गत परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत उन्हें आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ जुटाने का अवसर दिया जाता है। जिसमें कार्यशील पूँजी भी सम्मिलित है। उपनिर्गत परिवारों को एक मुश्किल सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सस्थागत ऋणों अथवा अनुदान के रूप में होती है।

मुख्य अवधारणाएँ

Main Concepts

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्यक्रम को स्पष्ट समझने के लिए इससे सम्बन्धित शब्दावली को भी समझना होगा।

गरीबी की रेखा (Poverty Line) गरीबी की रेखा को परिवार की वार्षिक आय के स्तर में परिभाषित किया गया है। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 11060

रुपये या इससे कम है उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक उपनिर्गत परिवार को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह 11060 रुपये वार्षिक आय के स्तर तक पहुँच जाए। इसमें भी सबसे पहले कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। जब ऐसे परिवारों को सहायता दी जा चुकी होती है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सफल चेष्टा हो चुकी होती है तो उसके पश्चात् उससे अधिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।

लक्ष्य समूह (Aimed Group) इस कार्यक्रम का लक्ष्य लघु कृषक, सीमा कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगरों एवं अन्य व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। लघु कृषक से आशय उस कृषक से है जिसके सम्पत्तियों के ब्यट्टेयर वह उससे कम भूमि है। यदि किसान के शतक प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है तो यह सीमा एक हैक्टियर या उससे कम होती है। जहाँ पर भूमि सिंचित हो किन्तु वह प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि न हो तो राज्य सरकार यह सीमा निर्धारित करती है लेकिन यह दो हैक्टियर से अधिक नहीं हो सकती। कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमान्त कृषक उस व्यक्ति को माना गया है जिसके पास एक हैक्टियर या उससे कम भूमि हो। जिस कृषक के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि है वह सीमा कृषक की भू-सीमा अलग से निर्धारित की जाती है। कृषि श्रमिकों से आशय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों से है जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जो अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि मजदूरी से कृषि श्रमिक के रूप में प्राप्त कर रहे हो।

विशेष लक्ष्य समूह (Specially Aimed Group) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाजाति महिलाओं आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कहा गया है कि अधिकतर गरीबी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समूहों में विद्यमान है। अतः यह निर्धारित किया गया है कि सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति से हों। यह न्यूनतम प्रतिशत किसी जिले अथवा राज्य में औसत रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएँ होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने परिवारों की मुखिया हैं।

भौतिक लक्ष्य (Physical Targets) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य 1995 तक गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का प्रतिशत 10

प्रतिशत तक लाना है। भारत में गरीबी को रखा के नीचे निवास कर रहे लोगों के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। इस कारण सातवीं योजना में राज्यों में गरीबी के आधार पर परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस संदर्भ में अधिक गरीब राज्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सख्या में वृद्धि के कारण कार्यक्रम को गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया Process of Implementation of Programme

आय के समूह के आधार पर चयनित परिवारों को एक सूची विकास खण्ड अथवा ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है। यह सूची विकास खण्ड अधिकारों द्वारा बुलाई गई ग्राम सभा में रखी जाती है। इस ग्राम सभा में स्थानीय प्रतिनिधि, गैर सरकारी व्यक्ति, विकास अधिकारी एवं बैंक अधिकारी उपस्थित होते हैं। यदि कोई स्वैच्छिक सक्रिय समूह हो तो उसे भी इस बैठक में बुलाया जाता है। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। यदि किसी नाम पर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को ग्रामीण विकास अधिकरण का परियोजना अधिकारी विकास खण्ड अधिकारों से विचार-विमर्श कर निर्णय लेता है। ग्रामसभा का उपयोग इस हेतु भी किया जाता है जिससे लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप भी लाभार्थियों को प्राथमिकता, उसको इच्छा और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जा सके। अन्य बातों को समान रखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनको भू-समा से अधिक अधिग्रहण की हुई भूमि आवंटित की गई हो, साथ ही मुक्त कर एवं बन्धुआ मजदूर और आर्थिक क्रियाओं को करने योग्य विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा महिला लाभार्थियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

योजना का चयन

Selection of Scheme

चयनित परिवार को, उस परिवार की मानसिकता, आवश्यकता और स्थानीय ससाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रदान की जाती है। इसमें, परिवार में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान अथवा प्राप्त किए जा सकने वाले तकनीकी ज्ञान तथा जिस आर्थिक योजना व क्रिया को हाथ में लिया जा रहा है, उसको स्थापना के पूर्व एवं पश्चात् की सुविधाओं एवं स्थितियों को भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी सम्पत्ति परिवार को एक इकाई मानते हुए प्रदान की जाती है। इसका

आशय यह है कि परिवार के एक से अधिक सदस्यों का सहायता दी जा सकती है लेकिन इसमें यह देखना पड़ता है कि गरीबी को रखा से ऊपर उठाने के लिए क्या यह आवश्यक और अनिवार्य है। जहां तक अनुदान को अधिकतम सीमा का प्रश्न है, यह परिवार पर एक इकाई की भांति तय की जाती है। इसी प्रकार आय के अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए चयनित परिवारों को एक या एक से अधिक योजनाएं या आर्थिक क्रियाएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि गरीबी को रखा से उस परिवार को ऊपर लाने का लक्ष्य एक से अधिक योजनाओं से पूरा होता है तो कम लागत की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उपलब्ध ससाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके।

कार्यक्रम की मुख्य आर्थिक क्रियाएं व योजनाएं

Main Economic Activities & Schemes of the Programme

सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित कोई भी आर्थिक क्रिया हाथ में ली जा सकती है जो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हो और जिसमें पूंजी-उत्पाद अनुपात अनुकूल हो। कृषि क्षेत्र पर जो अत्यधिक भार आ गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि चुनी हुई आर्थिक क्रियाएं कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योगों, सेवाओं व व्यावसायिक क्रियाओं की ओर विकेंद्रित हों किन्तु ऐसा करने से पूर्व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। योजना का चयन करते समय उपलब्ध ससाधनों का ध्यान रखा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक क्रिया के लिए जो आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है वह इस क्षेत्र में बहुत थोड़े से विद्यमान अन्तर को घटाने के लिए होती है न कि पूरा का पूरा आधारभूत ढांचा निर्मित करने के लिए होती है। दृष्ट कारण यदि किसी आर्थिक क्रिया के सबंध में आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी आर्थिक क्रिया को हाथ में नहीं लिया जाता है। आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए समूह की क्रियाओं की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। समूह की क्रियाओं की सफलता के अधिक अवसर होते हैं क्योंकि समूह के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं चुटाना अधिक सरल होता है। साथ ही समूह को सौदेबाजी करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सूची प्रदान की गई है जो कि लाभार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। इस सूची में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं को

दर्शाया गया है

प्राथमिक क्षेत्र की सूची (List of Primary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जिन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है उनमें बीज उत्पादन एवं विपणन फल नर्सरी व उत्पादन बागयानी एवं फूलों की रोनी खुम्बो का उत्पादन मात्स्य पालन गहलियों के बीज का उत्पादन शहद उत्पादन जडी बूटियों की छोटी मुर्गी पालन सूअर पालन भेड़ व बकरी पालन कृषि सिंचाई योजनाएँ आदि प्रमुख हैं।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) इस क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधियाँ आती हैं उनमें निम्न प्रमुख हैं माचिस का निर्माण पटाखों आदि का निर्माण अणुवैद्यकीय का निर्माण अखण्ड पदार्थों और साबुन उद्योग चमड़े से सज्जित उद्योग नैल घण्टी उद्योग हाथ से बने कपड़ों से सम्बन्धित उद्योग गुड और ट्राण्डमार्स निर्माण ट्रायल और गलों का विधायन फलों एवं सब्जियों का विधायन एवं संरक्षण बेकरी हैण्डलूम हस्तकला खादी जूट के सामान रेशम की बुनाई वूला उद्योग एल्यूमीनियम के बर्तन का निर्माण नकडों और लोहे से बने धरेलू सामान बास से सम्बन्धित उद्योग आदि।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) इस क्षेत्र में कृषि पशुपालन आदि से सम्बन्धित सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कृषि के अंतर्गत बीज उत्पादन और जल व कीटनाशकों की पूर्ति कृषि उपकरणों की पूर्ति एवं मरम्मत कुआँ की खुदाई और ट्यूबवेल खोदना जल प्रबन्धन एवं कृषिगत उत्पादनों का संग्रहण भण्डारण एवं विपणन आदि। इसी प्रकार पशु सम्पदा के लिए चारा एवं बाटे की पूर्ति उन्नत नस्ल के पशुओं की पूर्ति रेशम के कोठों के अडों की पूर्ति रेशम से सम्बन्धित उत्पादों का संग्रहण भण्डारण और विपणन। दूध एवं दूध के सामान की बिक्री अण्डे मांस चमड़े हड्डियों आदि का संग्रहण भण्डारण और विपणन ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ निम्न से सम्बन्धित हो सकती हैं - ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक आदारा की पूर्ति उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण भण्डारण एवं विपणन इनमें सम्बन्धित रखरखाव एवं मरम्मत के कार्य धरेलू उपकरणों की मरम्मत और रक्षा राश्वज जैसे टी वी रेडियो घडियाँ बिजली के उपकरण साईकिल वाहन स्टोव सिलाई मशीन आदि। बायो गैस सुपत्रों की स्थापना मरम्मत व रक्षा रखाव बायो गैस सयंत्रों के लिए मीटर एवं अन्य कच्चा माल एकत्रित करना आदि। इसी प्रकार निर्माण कार्यों के अंतर्गत भवनों का निर्माण मरम्मत और रख रखाव यातायात के अंतर्गत पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन साईकिल रिक्शा हाथ के ठेले आँटी रिक्शा सहनरिता के आधार पर मेटाडोर टेम्पो आदि

वाहन ड्राईविंग का कार्य आदि। फुटकर व्यापार के अंतर्गत कोई भी फुटकर व्यापार जिसकी वार्षिक बिक्री 50 000 रुपये से अधिक न हो कोई भी लघु व्यवसाय जिसमें 10 000 रुपये से अधिक का निवेश न हो राशन की दुकान आदि बैंकिंग एवं बीमा के क्षेत्र में बैंक के कनेक्शन एजेंट जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा के ग्रामीण एजेंट आदि। अन्य के अंतर्गत चलता फिरता पुस्तकालय लाउड स्पीकर किराए पर देना गैस बत्ती उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्मिलित हैं। उपरोक्त सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं।

कार्यक्रम का नियोजन एवं परियोजना का निर्माण

Programme Planning & Project Preparation

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर उसे पूरा करने तक अनेक कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है। इस कारण स्थानीय ससाधनों के विश्लेषण एवं नियोजन के लिए गहन कार्य किया जाता है। जिसे, एवं विकास खण्ड स्तर पर दो तरह की योजनाएँ बनाई जाती हैं ताकि कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सम्भव हो सके। प्रथम योजना मार्गदर्शी योजना होती है एवं द्वितीय योजना वार्षिक योजना कहलाती है। मार्गदर्शी योजना स्थानीय ससाधनों से परिचिन करती है। इसके आधार पर वार्षिक कार्य हाथ में लिए जाते हैं।

मार्गदर्शी योजना (Pilot Projects) सर्वप्रथम विचार खण्ड स्तर पर यह योजना बनाई जाती है और इसके पश्चात् इसे समन्वित करके जिला योजना का निर्माण होता है। मार्गदर्शी योजना में स्थानीय ससाधनों का लेखा जोखा होता है जिसमें विशेष रूप से जनसंख्या का प्रवृत्तियाँ ससाधनों का क्षेत्र एवं स्थिति इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं की आर्थिक क्रियाएँ क्षेत्र में उपलब्ध सामाजिक और स्वास्थ्यन ढांचे का उल्लेख होता है। इसमें योजना और गैर योजना मदों में चल रही योजनाओं व कार्यक्रमों का भी उल्लेख होता है। साथ ही आगामी पांच वर्षों में विकास विभाग द्वारा हाथ में ली जाने वाली सम्भावित क्रियाओं की भी परीक्षा होती है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने वाले अग्रसरो का विशेष उल्लेख होता है। इस मार्गदर्शी योजना को जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा समीक्षा व स्वीकृत कर अपनाया जाता है।

वार्षिक योजना (Annual Plan) मार्गदर्शी योजना के पश्चात् वार्षिक योजना अपनाई जाती है। यह वार्षिक योजना ससाधनों की स्थिति और लाभार्थियों की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है। वार्षिक योजना में विकास खण्ड व जिले में अपनाए जाने वाले क्षेत्रों का आर्थिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार लाभार्थी परिवारों का उनकी आवश्यकताओं व मानसिकताओं आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उनके लिए चयनित योजनाओं का उल्लेख होता है। इसमें यह भी उल्लेख किया जाता है कि अन्य विभागों के साथ कैसे व किस सीमा तक समन्वय किया जायेगा। साथ ही कच्चे माल प्राप्त करने के स्रोत एवं तरीके तथा निर्मित माल के विपणन सम्बन्धी जानकारी भी होती है। इस वार्षिक योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के लाभार्थी परिवारों की आय पर तथा क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी समीक्षा की जाती है। वार्षिक योजना में माडल प्रोजेक्ट का भी उल्लेख होता है, साथ ही निर्धारित वर्ष में किन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है उसकी भी एक सूची दी जाती है। खण्डोंय जिला स्तर पर बनाई गई वार्षिक योजना को जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथाकथित ही इसका क्रियान्वयन आरम्भ होता है। स्वीकृत की गई जिला योजना को राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाता है जहाँ वह इसकी समीक्षा करती है।

वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Schedule) राज्य सरकार और जिला ग्रामीण विकास अधिकरण मिलकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करते हैं। यह एक विस्तृत कार्य योजना होती है। जिसमें एक पखवाडे अथवा माह के आधार पर ली जाने वाली क्रियाओं एवं उन्हे पूर्ण किए जाने का उल्लेख होता है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के आधार पर ही अधिकरण के अतर्गत कार्यगत सगठनों को कुशलता से मापा जाता है।

याजनाओं की स्वीकृति (Acceptance of Projects) लाभार्थियों का ऋण के लिए प्रर्थना पत्र एक कैम्प में पूरा किया जाता है। इस कैम्प में विकास खण्ड के अधिकांश एवं अन्य सम्बन्धित विभाग जैसे रा पस्व विभाग और बैंक आदि भाग लेते हैं। कैम्प के आयोजन को इस कारण उपयुक्त माना जाता है कि इससे लाभार्थी के समय एवं शक्ति का बचत होता है और उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगान पड़ते। आवेदन पत्र पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें बैंक को भेजा जाता है। बैंक को भेजने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सार आवेदन पत्र एक साथ न भेज जाए वल्कि वे कुछ समान अंतर पर निरन्तर भेजे जाते रहें। खण्ड स्तर के कार्यालय में इन आवेदन पत्रों का पूरा विवरण रखा जाता

है। इस विवरण में योजना की प्रकृति के अतिरिक्त वह धनराशि भी उल्लेखित होती है जिसके लिए आवेदन किया गया है एवं बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् इसका विवरण भी रखा जाता है। बैंक को भेजे जाने वाले प्रार्थना-पत्र वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप होते हैं। लाभार्थियों को वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र लगाने होते हैं प्रथम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण का आवेदन एवं समीक्षा पत्र। द्वितीय, परिसम्पत्ति को गिरवी रखने एवं समझौता पत्र। तृतीय धनराशि की टिकट लगी रसीद। चतुर्थ, प्रोन्ट। पाचवा, समूह जीवन बीमा योजना का प्रपत्र। बैंक मैनेजर का यह दायित्व है कि वह खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भेजे गए ऋण आवेदन पत्रों को दिना किसी देरी के देखे एवं निर्णय लें। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्रों का निपटारा एक पखवाडे के भीतर कर दिया जाना चाहिए। इस ऋण से जो परिसम्पत्ति क्रय की जाती है वह एक अच्छे स्तर की और उचित कोशों पर दी जानी चाहिए। यह जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का दायित्व है कि वह लाभार्थी को इन आधारों पर परिसम्पत्ति उपलब्ध कराए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए एक क्रय समिति का गठन किया जा सकता है। जिसमें लाभार्थी, विद्वीय सस्यो सम्बन्धित विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक प्रतिनिधि हो सकता है। जहाँ तक सम्भव हो इस समिति द्वारा ही सभी परिसम्पत्तियां क्रय की जानी चाहिए। इन परिसम्पत्तियों को भलीभांति चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि उस सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो सके और न ही उसे हस्तान्तरित किया जा सके। यह बीमा के उद्देश्य के लिए भी उचित रहता है।

वित्त

Finance

छठी पंचवर्षीय योजना के अतर्गत राज्य में विद्यमान विकास खण्डों की संख्या के अनुसार ऋण आवंटित किए गए थे किन्तु भारतवर्षीय योजना में ये ऋण राज्य में गरीबों की स्थिति के अनुसार आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम के अतर्गत आर्थिक क्रियाओं को साख एवं अनुदान के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि आधी आधी केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। 1986 से भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक बजट बनाना आरम्भ किया गया है। त्रैमासिक बजट के अनुसार आवंटित राशि का 15 प्रतिशत वर्ष को प्रथम तिमाही में प्रमुक्त हो जाना चाहिए तथा द्वितीय तिमाही में आवंटित राशि का 20 प्रतिशत काम में ले लिया जाना चाहिए। इस प्रकार 6 माह में 35 प्रतिशत राशि का प्रयोग हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आनुपतिक रूप में आवंटित राशि को कम कर दिया

जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आवंटित धनराशि का 15 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों में प्रशासकीय सरचना बनाने पर व्यय किया जा सकता है। यदि अधिकरण में 5 से 7 विकास खण्ड हैं तो साढ़े 12 प्रतिशत और यदि 8 या 8 से अधिक खण्ड होने पर आवंटित राशि का 10 प्रतिशत तक व्यय में लिया जा सकता है। लाभार्थी को जो अनुदान दिया जाता है उसके दुरुपयोग को रोकने और सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थी से एक बॉण्ड अपना प्रोनोट लिखाया जाता है। यदि दुरुपयोग को कोई शिकायत होती है तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

खाते रखना

Accounts

यह ज्ञात करने के लिए कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप धनराशि व्यय की जाती है अथवा नहीं, खाते रखना आवश्यक है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, रजिस्टर्ड सोसायटीज होने के कारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार खाते रखती है। अधिकरण का परियोजना अधिकारी 30 जून तक खाते तैयार कर लेता है। इन खातों को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अकेचक्र से इनका अंकेक्षण कराया जाता है। इस अकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति भारत सरकार को और राज्य सरकार को 30 सितम्बर तक भेज दी जाती है। भारत सरकार का कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल अधिकरण के खातों की जांच करने का पूरा अधिकार रखता है।

प्रशासकीय व्यवस्था

Administrative System

इस कार्यक्रम में नीति निर्धारण नियंत्रण और मूल्यांकन का कार्य भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग करता है। केन्द्रीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके सहायक कार्यक्रम (ट्रांसम एव मरिलिट एव बाल विकास कार्यक्रम) के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की गई है। इस समिति का अध्यक्ष, ग्रामीण विकास विभाग का सचिव होता है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग या अन्य कोई विभाग जिसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है, वह इस कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का कार्य करता है। इस हेतु राज्य स्तरीय एक समन्वय समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव अथवा कृषि उत्पादन कमिश्नर या विकास कमिश्नर होता है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा किया जाता है। यह अधिकरण सोसायटीज एक्ट के

अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटीज होती हैं। इनका अध्यक्ष प्रायः जिले का कलेक्टर होता है। जिला समिति का सदस्य सचिव, अधिकरण का परियोजना अधिकारी अथवा निदेशक होता है। विनास खण्ड स्तर पर मार्गदर्शी और वार्षिक कार्य योजना बनाई जाती है। साथ ही स्वोक्त योजना के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम के प्रभावों की जानकारी भी इसी स्तर से प्राप्त होती है। खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य समन्वयक का कार्य करता है और यह देखता है कि योजना समय पर बनाई जाए और समय पर प्रभावी तरीके से क्रियान्वित की जाए।

निरीक्षण एवं मूल्यांकन

Monitoring & Evaluation

इस हेतु एक प्रपत्र (विकास प्रतिका) भरा जाता है। इसको दो प्रतियां होती हैं। एक प्रति लाभार्थी के परिवार को दी जाती है तथा दूसरी विकास खण्ड मुख्यालय पर रखी जाती है। इस प्रति को पूर्णतः पूर्ण रखने का प्रयास किया जाता है ताकि परियोजना की पूर्ण जानकारी सदैव उपलब्ध रह सके। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस हेतु कोई नयी विधि भी अपना सकती है। प्रतिवर्ष परिसम्पत्ति का निरीक्षण रोगा है और इस निरीक्षण के परिणाम आगामी वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति को मासिक मुख्य सूचकों मासिक एवं त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों से परखा जाता है। कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थानों और समूहों द्वारा किया जाता है। ये मूल्यांकन केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा कराए जा सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण इस प्रकार की मूल्यांकन अध्ययन के लिए 40 हजार रुपये प्रति वर्ष तक व्यय कर सकता है किन्तु इस प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की स्वोक्ति प्राप्त होना आवश्यक है।

कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त

Institutional Finance for the Programme

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्थात् लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता ऋण व अनुदान के रूप में होती है। इसमें ऋण का भाग बड़ा होता है। यह राशि साख-संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह ऋण लाभार्थी की किसी परियोजना पर प्रदान किया जा सकता है। परियोजना के लिए ऋण, स्याई पूंजी या कार्यशील पूंजी के रूप में अथवा समुक्त रूप में हो सकता है। कार्यशील पूंजी परियोजना की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

यदि कोई परिवारजना केवल कार्यशील पूजी के आधार पर ही बनाई जाती है तो ऐसी दशा में अनुदान को सम्मिलित करते हुए यह राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सहायता लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। जो वित्तीय समस्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त प्रदान करते हैं उन्हें नाबाई से अपने आप पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। लाभार्थी से कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र में 10,000 रुपये तक के विनियोजित ऋण पर कोई सहायक प्रतिभूति नहीं मागी जाती है। केवल उन्हें ऋण से प्राप्त की गई परिसम्पत्ति को रखना होता है। उद्योग, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में 25,000 रुपये की सोमा तक कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती। ऋण के लिए आवेदन-पत्रों का प्रारूप लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक जैसा बना दिया गया है। ऋण के वितरण के लिए बैंक में एक विशिष्ट दिन भी निर्धारित कर दिया जाता है।

पुनर्भुगतान Repayment

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए ऋणों की माध्यकालीन ऋण माना जाता है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान तीन वर्ष से पांच वर्ष के मध्य समान्यतः हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋणों का पुनर्भुगतान निर्धारित समयावधि में हो जाए। इस हेतु राज्य सरकार, बैंक अधिकारियों को कार्यक्रम के लाभार्थियों से पुनर्भुगतान के लिए यथासम्भव सहायता प्रदान करती है। इस हेतु समय समय पर कैम्प भी आयोजित किए जाते हैं। बैंक मैनेजर, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकास खण्ड अधिकारी को प्रतिमाह इस बात की सूचना प्रदान करते हैं कि कार्यक्रम में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए कितने स्विकृत किए और कितने अव्यक्त हुए। साथ ही संबंधित सलाह देने के लिए केन्द्रीय, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का निर्माण किया गया है।

पूरक सहायता Supplementary Assistance

कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हें पूरक सहायता देने का प्रावधान भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, बशर्ते वे अपने पूर्ण प्रयासों के बाद भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हों। दैविक प्रकोप अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से जिनमें सम्बन्धित परिवारों का कोई दोष नहीं है, के कारण यदि वह परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है तो उसे पूरक सहायता देकर इस रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है।

प्रगति

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना एवं चिन्हित लक्षित समूहों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। वर्ष 1996-97 तक 27,02 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 1997-2002 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 184.5 करोड़ रुपये राज्य द्वारा व्यय किया जायेगा। इतनी ही राशि केन्द्र से भी प्राप्त होगी।

ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम) TRAINING OF RURAL YOUTH FOR SELF EMPLOYMENT

यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1979 में आरंभ की गई थी। ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसम) योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक घटक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कुरालता प्रदान करना है ताकि वे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के व्यापक क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार कार्यकलापों में स्व-रोजगार अथवा मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार/मजदूरी/रोजगार उपलब्ध करना है। केवल प्रशिक्षण दिया जाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है।

उद्देश्य Objects

वैसाकि अभी बताया गया है कि ट्राईसम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को तकनीकी योग्यता प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। ये रोजगार कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों, उद्योगों, सेवाओं अथवा व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के मध्य के ग्रामीण युवकों को लिया जाता है। कार्पेट बुनने की गतिविधियों में यह आयु 14 से 35 वर्ष तक रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत प्रशिक्षित युवक अनुसूचित जाति और जनजातों से सम्बन्धित होने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं का एक-तिहाई भाग महिलाओं का होना चाहिए। ट्राईसम के उद्देश्यों को मजदूरी रोजगार तक विस्तृत कर दिया गया है। मजदूरी रोजगार की

परियोजनाओं को राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इस योजना में चयनित युवकों को एक अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थी को अनुदान और सस्थागत साख समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

चयन

Selection

ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन के मापदण्डों में वे युवा ही चयन के पात्र होते हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों के सदस्य हैं। सामान्यतः 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं का चयन किया जाता है। इस आयु में गलीचा बनाई हाथमण्ड कर्टिंग एव पॉलिशिंग के लिए आयु सीमा 14 से 35 वर्ष रखी गई है। विधवाओं बधक श्रमिकों विस्थापितों उपचारित कोड के शीमारों के लिए आयु की ऊपरी सीमा 45 वर्ष तक है। अनाथों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष है। चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम विकास अधिकारों क्षेत्र के ग्राम सेवकों अथवा ग्रुप सचिवों को जिले के विभिन्न प्रशिक्षण सस्थानों में कौन कौनसे व्यवसायों में प्रशिक्षण चल रहे हैं इस बात की जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात् ग्राम सेवक अथवा ग्रुप सचिवों के माध्यम से प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं के प्रार्थना पत्र विकास अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तदुपरान्त निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार पत्रों को जांच की जाती है। इसके बाद एक प्राथमिक सूची ब्लॉक स्तरीय समिति के विचारार्थ रखी जाती है। ब्लॉक स्तरीय ट्राईसम कमेटी में पचायत समिति का प्रधान अध्यक्ष तथा विकास अधिकारी सदस्य सचिव होता है। इसके अतिरिक्त लीड बैंक अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत बैंक का प्रतिनिधि औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रतिनिधि जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि पचायत समिति में कार्यरत उद्योग प्रसार अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रतिनिधि तथा जिला नियोजन अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। प्राथमिक सूची में जिन युवाओं के नाम होते हैं उन्हें साक्षात्कार हेतु इस समिति के समक्ष बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के योग्य युवाओं का चयन तथा किस व्यवसाय अथवा किस प्रशिक्षण सस्थान में किस किस युवा को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है इसका निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है। व्यवसाय के निर्धारण में क्षेत्र की आवश्यकता युवा की अभिरुचि प्रशिक्षण सस्थान में स्थान की उपलब्धता और प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार की

सुनिश्चिता का ध्यान समिति द्वारा रखा जाता है। समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची बनाई जाती है।

प्रशिक्षण सस्थाओं में प्रशिक्षणार्थी Trainees in Training Institutions

1 अप्रैल 1990 के पूर्व मास्टर क्राफ्ट्स मैन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना बंद कर दिया गया है। इस कारण अब चयनित युवाओं को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सस्थाओं से ही प्रशिक्षण दिलाया जाता है। एक व्यवसाय में 15 से 20 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। जिला राज्य या राज्य के बाहर के प्रशिक्षण सस्थान में कौन कौनसे व्यवसाय में प्रशिक्षण सत्र कब कब से आरम्भ हो रहे हैं इस बात की जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पचायत समितियों को दी जाती है। प्रशिक्षण हेतु भेजे गए प्रशिक्षणार्थियों का विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एव पचायत समिति स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्ट्रो में किया जाता है। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यतः प्रशिक्षण अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती। यदि यह अवधि 6 माह से अधिक होना आवश्यक हो तो इसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय समन्वय समिति से ली जानी आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 6 माह तक का निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिकरण स्तर पर किया जाता है। काष्ठ सिक्क व्यवसाय की प्रशिक्षण अवधि 9 माह की निर्धारित की जाती है।

प्रशिक्षण हेतु देय वृत्तिका एव मानदेय Stipend in Training

यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के गांव में ही दिया जाना है तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति माह 100 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के गांव के अलावा अन्य स्थान पर दिया जाता है और मुफ्त आवास की व्यवस्था की जाती है तो प्रतिमाह 200 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण अवधि एक माह से कम हो तो 8 रुपये दैनिक या अधिक से अधिक 125 रुपये तक देय होते हैं। यदि प्रशिक्षणार्थियों को गांव के अलावा अन्य स्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है और मुफ्त आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो प्रतिमाह 250 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रशिक्षण की अवधि ऐसी स्थिति में एक माह से कम हो तो 9 रुपये दैनिक या अधिकतम 125 रुपये तक देय होते हैं।

प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षण देने वाली सस्था

को प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय के रूप में 75 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रति माह की दर से देय होते हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा माल, बिजली, पानी, भवन, किराया, कार्यालय व्यय आदि के लिए 50 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण सस्त्रान को राशि दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के मध्य अधिक से अधिक 500 रुपये की सीमा तक मुफ्त औजार किट दिया जाता है। यह किट प्रशिक्षार्थियों द्वारा कुछ निपुणता प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण में रुचि दिखाने पर दिया जाता है। प्रशिक्षण देने हेतु अनुदेशक की तथा कच्चे माल आदि की व्यवस्था करने का दायित्व प्रशिक्षण सस्त्रा का ही होता है।

टूल किट Tool Kit

विभिन्न व्यवसायों के लिए 500 रुपये तक की सीमा का औजार किट प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करने का प्रावधान है। किस व्यवसाय हेतु औजार किट के अन्तर्गत क्या-क्या सामान दिया जाना है, इसका निर्धारण ट्राईसम कार्यक्रम हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त सामान को अनुमानित कीमत के आधार पर, प्रत्येक व्यवसाय के लिए औजार किट के राशि, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ व्यवसायों के लिए औजार किट की आवश्यकता नहीं होती। वहा औजार किट नहीं दिए जाते। औजार किट प्रशिक्षण सस्त्रा द्वारा क्रय किए जाते हैं। इस हेतु राशि अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। क्रय करते समय सस्त्रा के समिति में एक सदस्य अभिकरण या पंचायत समिति का अधिकारी होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को औजार किट का वितरण अधिकारियों या कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण Implementation & Supervision

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सस्त्रा को सौंपे हो अथवा पंचायत समिति के माध्यम से प्रशिक्षण आरम्भ होने से पूर्व के उपस्थिति पत्रक उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस उपस्थिति पत्रक में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति नियमित रूप से अंकित की जाती है। इस उपस्थिति पत्रक के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। यदि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में अवकाश के दिनों के अतिरिक्त अनुपस्थित रहते हैं तो अनुपस्थित दिनों की वृत्तिका 8 रुपये प्रतिदिन की दर से काट ली जाती है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी माह में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे उस माह की वृत्तिका नहीं दी जाती है। अवकाश के दिनों के

अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों को एक माह में अधिकतम दो आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। ऐसे अवकाशों पर भुगतान भी किया जाता है।

मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण Training for Wage Employment

मजदूरी रोजगार के लिए भी ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इसे सीमित रखा गया है। ट्राईसम योजना के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत से कम को, केवल द्वितीय एवं तृतीय कार्यकलापों में ही मजदूरी रोजगार दिलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि पहले उन औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओं का पता लगाया जाए जहां मजदूरी रोजगार उपलब्ध होना सुनिश्चित है। इसके पश्चात ही औद्योगिक इकाइयों या परियोजनाओं को मांग के अनुसार व्यवसाय में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बिना औद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओं से जुड़े जो युवा प्रशिक्षण के पश्चात् स्वयं के स्तर पर मजदूरी रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें रोजगार से लाभान्वित नहीं माना जाता है। इस कारण जहां पहले से ही मजदूरी रोजगार मिलना सुनिश्चित होता है, तभी मजदूरी रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है अन्यथा नहीं।

अन्य बातें (Other Things)

सामान्यतः एक परिवार के एक सदस्य को ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि परिवार के एक सदस्य को इस योजना में लाभान्वित करने के बाद भी वह परिवार गरीबों को रखा से नीचे रहता है तो एक और सदस्य को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना में प्रशिक्षण ममास करने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण सस्त्रा द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। किन्तु ये प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार अभिकरण द्वारा छपवाए जाते हैं। ट्राईसम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सस्त्राओं द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं अवलोकन समय-समय पर पंचायत समिति अथवा अभिकरण अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान ही ऋण आवेदन पत्र तैयार कर लिए जाते हैं तथा सम्बन्धित बैंकों से ऋण स्वीकृति की कार्यवाही पूरी कर दी जाती है। ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के तुरन्त पश्चात् प्रशिक्षणार्थी को स्वरोजगार हेतु ऋण मिल सके तथा वह अपना कार्य आरम्भ कर सके। ऋण

आवेदन पर तैयार करवाने व ऋण वितरण कराने का दायित्व अभिकरण व पचायत समिति के अधिकारियों का होता है। योजना के अन्तर्गत ऋण व अनुदान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार हो देय होते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर जिन जिलों में सहायक परियोजना अधिकारी (उद्योग) का पद है, वहा वही ट्राईसम कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होते हैं। जहा यह पद नहीं है वहा अभिकरणों में जिला आयोजना अधिकारी को ट्राईसम कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाता है। ये अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के अधीन एव मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन एव दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

प्रगति

ट्राईसम योजना के अन्तर्गत, जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है, बेरोजगार ग्रामीण युवकों को मजदूरी एव स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक 2397 युवकों को प्रशिक्षित किया गया तथा 3536 युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 1988-99 में ट्राईसम के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या 10500 होने का अनुमान है।

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (द्वारका)

DEVELOPMENT OF WOMEN & CHILDREN IN RURAL AREAS

सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया कि सहायता का प्रवाह महिलाओं की ओर लगभग नगण्य है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों की दशा को सुधारने के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। इस कारण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायक योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया गया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि महिलाओं की आय का परिवार के पोषाहार और शिक्षा की स्थिति में सुधार से सीधा सम्बन्ध है। इस कारण महिला की आय में वृद्धि होने से परिवार की स्थिति में सुधार होने के अधिक अवसर होते हैं। इस कारण महिलाओं को अधिक आय प्राप्त करने के अवसर देने का निर्णय लिया गया।

उद्देश्य

Objects

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय जिला स्तर पर महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उनकी आय बढ़ाने वाले कार्यों के अवसर उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य समूह वही है जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत है अर्थात् वे परिवार जिनकी वास्तविक आय 4,800 रुपये प्रति वर्ष से कम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तियों की सहायता एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तरीके से एव उसी के बजट में से की जाती है। इस कार्यक्रम को 1982-83 में भारत के 50 चुने हुए जिलों में पायलेट परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया था। 31 मार्च, 1992 तक यह 241 जिलों में विस्तृत हो चुका था।

समूह का निर्माण

Formation of Group

इस कार्यक्रम में 15 से 20 ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाने की चेष्टा की जाती है जो कि पारस्परिक हित की क्रियाओं में सलग्न होती हैं। आरम्भ में हो सकता है कि यह समूह की आय प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाओं में न लगा हो किन्तु यह इसका एक आवश्यक तत्व है। ऐसे समूह के निर्माण में काफी समय लग सकता है। इस हेतु लोगों से सम्पर्क करना होता है। उन्हें इसका महत्व समझना होता है। इस समूह का निर्माण ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऐसे समूह की 15,000 रुपये की सहायता भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ के द्वारा बराबर-बराबर मात्रा में दी जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और शेष यूनिसेफ प्रदान करता है। इस धनराशि को एक कार्यशील कोष के रूप में कच्चा माल खरीदने और विपणन आदि में काम में लिया जा सकता है। समूह के संगठक को अधिकतम 50 रुपया प्रति माह एक वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। इसी प्रकार यह धनराशि आय प्राप्त करने के गतिविधियों के सार्वनात्मक ढांचे को विकसित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। इस राशि का उपयोग बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित सुविधाओं पर एक बार किए जाने वाले व्यय के रूप में भी किया जा सकता है। 15,000 रुपये के अतिरिक्त समूह के संगठक को 200 रुपये प्रति वर्ष का यात्रा भत्ता दिया जाता है।

आय प्रदान करने वाली क्रियाएं Income Generating Activities

सभी सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत गतिविधियों को चिन्हित करने का कार्य समूह द्वारा किया जाता है और इस कार्य में ग्राम सेविका आदि उसकी सहायता कर सकते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक क्रिया के पूर्व और उसके पश्चात् की गतिविधियों पे सम्बन्धित तात्पर्य उस क्षेत्र में उपलब्ध हो ताकि उन क्रियाओं को आरम्भ करने से पूर्व तथा आरम्भ करने के पश्चात् सभी प्रकार की सन्तुष्टि सहायता और सहयोग मिल सकें। भारत सरकार द्वारा प्रति ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एव बाल विकास कार्यक्रम ब्लॉक में प्रति ब्लॉक को दर से सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की योजना है। यह केन्द्र अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रशिक्षण व उत्पादन आदि में भी सहयोग करेगा। इसके अन्तर्गत ग्राम सेविका के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार के सामुदायिक विकास केन्द्र को उपयुक्त तकनीकों के विकास हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सामुदायिक केन्द्रों पर 1.90 लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ी और काली कपास की मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह धनराशि 2.30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रशिक्षण Training

इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाता है ताकि मानसिक दृष्टिकोण में तथा जागरूकता में परिवर्तन लाया जा सके और प्रेरणा प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम उन समस्याओं या निकारों का उत्तरदायित्व है जो इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उठारदायी हैं। राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों को एक सूची बना सकती हैं जो एक निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षण दे सकें। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारियों के स्तर तक के व्यक्ति साल में एक बार अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त करें।

कर्मचारी

Employees

राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व उप सचिव स्तर के एक अधिकारी के पास होता है जो यदि महिला हो तो अधिक उपयुक्त रहेगा। जिला स्तर पर एक महिला अधिकारी को सहायक परियोजना अधिकारी,

महिला विकास नियुक्त किया जा सकता है जो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी की सहायता कर सके और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को निकट से देख व समझ सके। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्य, फिल्म आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि मांगने पर वह धनराशि यूनिसेफ द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्त

Finance

यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बना समूह सोसायटीज एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है तो यह आर्थिक क्रियाओं के लिए बैंक से एक समूह के रूप में ऋण प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत महिला सदस्य समूह, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि समूह अनौपचारिक है और यह बैंक से एक समूह के रूप में ऋण लेने की स्थिति में नहीं है तो एक सामूहिक ऋण को व्यक्तिगत ऋण एव अनुदान में बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में समूह को ऋण की समस्त राशि को गारंटी देनी होगी। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों, बच्चों में सम्बन्धित सुविधाओं आदि के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ समान अनुपात में धनराशि प्रदान करते हैं। केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में भारत सरकार और यूनिसेफ के वित्त प्रदान करने का अनुपात 2:1 का होता है। समूह के सगठक को जो यात्रा भत्ता दिया जाता है वह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आधा-आधा प्रदान किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों में यात्रा भत्ते की समस्त राशि केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारी की लागत हेतु यूनिसेफ कोष उपलब्ध होता है। बहुउद्देशीय केन्द्रों के उपकरण एव अन्य पूर्ति के लिए पचास हजार रुपये प्रति केन्द्र तक की राशि यूनिसेफ प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण वर्कशॉप और सेमिनार आदि के लिए यूनिसेफ के कोष उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता है उसे ट्राइसम द्वारा उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाती है। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण देने वालों से, प्रशिक्षणाधियों को भुगतान की दर, ट्राइसम योजना के मानदण्डों के अनुसार हो होती है।

नियंत्रण एवं मूल्यांकन

Monitoring & Evaluation

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक सेवाओं के लिए सरकार के अन्य कार्यक्रमों का भी

सहयोग लिया जा सकता है जो कि दूसरे सगठनों और दूसरे विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं जैसे प्रौढ शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बालवाडी, बच्चों का टीकाकरण आदि। इस हेतु प्रशासकीय अधिकारियों का परस्पर सम्पर्क में रहना होगा। इस ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का परस्पर सहयोग से मूल्यांकन करने के लिए प्राप्त सेविका, मुख्य सेविका और समूह के सदस्यों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। अर्द्ध वार्षिक अवधि में यह कार्य किया जा सकता है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि वे अपने लक्ष्यों को कहा तक प्राप्त कर सके हैं और उनके सभक्ष कौनसी समस्याएँ आ रही हैं। इन सब का लेखा-जोखा ग्राम सेविका द्वारा रखा जाना चाहिए जिसे समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यक्रम पर व्यय से सम्बन्धित विवरण भेजा जाता है।

1997-98 में दिसम्बर 1997 तक द्वारा योजना के अन्तर्गत 51 महिला समूहों का गठन किया गया।

अपना गांव-अपना काम' योजना 'APNA GAON-APNA KAM' YOJNA

परिचय

Introduction

राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ 1 जनवरी 1991 से किया है। विशिष्ट योजना सगठन व एकिकृत ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य करवाते हैं। राज्य के ग्रामों में बसे गरीबों की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 'अपना गांव-अपना काम' योजना आरम्भ की है।

अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में जवाहर रोजगार या अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत होते रहे हैं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण गांवों में सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए यह अनुभव किया गया कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ ग्रामीण जनता को भी विकास कार्य में सहभागिता बनाया जाए। यह तभी सम्भव है जबकि जनता की इच्छा से विकास की प्राथमिकताओं

का चयन हो तथा उसके द्वारा भी विकास कार्यों में आर्थिक योगदान दिया जाए। पूर्व अनुभवों से भी यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण जनता के योगदान से कई स्थानों पर स्थानीय जनता द्वारा धनराशि एकत्रित कर विद्यालयों, औषधालयों, पंचायत घरों, पुस्तिकाओं, नालियों, वाचनालयों के भवनों, पेयजल कुूपों, खेलमैदानों, आदि का निर्माण किया गया। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने जनसहयोग की इस योजना को आरम्भ किया।

कार्यक्रम

Programme

राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत जनसमुदाय की सहायता से किए जाने वाले कार्यों से बेरोजगारी को समाप्त करने का कुछ हल निकलेगा तथा नियोजन के नये अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना में जलसमुदाय की सुविधा के लिए सड़क निर्माण, शाला भवन निर्माण, औषधालय, पुस्तिका, पक्की नालियों का निर्माण, बालवाडी भवन, आगनबाडी भवन का निर्माण, महिला मडल भवन, पंचायत भवन वाचनालय भवन, सामुदायिक केन्द्र भवन, पीने के पानी के कुएँ, टकी, खेली, गाव का तालाब, एनीकट सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, शौचालय, बस स्टैण्ड आदि निर्माण कार्यों के लिए तत्परता से सरकार द्वारा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कार्य के चयन में उन गावों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ पहले राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण नहीं हुआ हो तथा सम्बन्धित ग्रामवासी अपने स्तर पर निर्धारित राशि का योगदान उपलब्ध कराने को तैयार हो।

माध्यम

Medium

इस योजना के निर्माण कार्यों के लिए 30 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय, ग्रामीण पंचायत या पंचायत समिति उपलब्ध कराएगी तथा शेष 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति को उपलब्ध कराएगी। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति तथा सरकार द्वारा उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग हो, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक चयनित कार्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। यदि पंचायत समिति स्वयं किसी कार्य को करना चाहे और उसके लिए निर्धारित योगदान राशि उपलब्ध करए तो पंचायत समिति को भी चयनित करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

योजनान्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया है कि यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है कि उसके द्वारा पारित प्रस्ताव

को मनोनीत 5 सदस्यों को भवन निर्माण समिति द्वारा करवाया जाए तो निर्माण कार्य इस प्रकार गठित पाच सदस्यीय भवन निर्माण समिति से भी करवाया जा सकेगा। भवन निर्माण समिति को व्यय का लेखा-जोखा पचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राजकीय वित्तिय अनुदान की राशि पचायत के माध्यम से भवन निर्माण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनान्तर्गत प्रावधानुसार सर्वप्रथम ग्राम पचायत द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अपने हिस्से की 10 प्रतिशत योगदान राशि जमा करानी होगी और लिखित में देना होगा कि शेष 20 प्रतिशत राशि उसके द्वारा सामग्री या नकद द्वितीय या तृतीय किस्त लेने से पूर्व जमा करा दी जाएगी। सामुदायिक निर्माण में व्यय होने वाली कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा होने पर ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्य के लिए स्वीकृति जारी करेगा और ग्राम पचायत द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत राशि सहित कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि स्वीकृति के साथ ही कार्य सम्पन्न करने वाली ग्राम पचायत या पचायत समिति को सुलभ करा दी जाएगी। द्वितीय व तृतीय किस्त लेने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पचायत या पचायत समिति को 10 प्रतिशत राशि दो किस्तों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा करानी होगी और उसी के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल लागत की 30 प्रतिशत राशि द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में उन्हें उपलब्ध करेगा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि निमाण कार्य की समाप्ति पर उपयोगिता पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि कोई धर्मार्थ ट्रस्ट या पञ्जीकृत समिति किसी निर्माण कार्य को करना चाहे तो 30 प्रतिशत वाछित राशि का योगदान उसे देना होगा। ऐसी सस्था या ट्रस्ट को निमाण की लागत पुनर्भरण के आधार पर जैसे-जैसे काम सम्पादित होगा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी पञ्जीकृत समिति या धर्मार्थ ट्रस्ट को नियमानुसार कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि स्वीकृति कार्य के पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा करानी होगी। अन्तिम किस्त को अनुदान राशि देते समय सस्था द्वारा जमा कराई गई 10 प्रतिशत राशि लौटा दी जाएगी। किसी भी स्थिति में धर्मार्थ ट्रस्ट या पञ्जीकृत समिति को रकम अग्रिम रूप से नहीं दी जाएगी। उभे राज्य के हिस्से की राशि उसके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य के आधार पर 3 किस्तों में दी जाएगी।

स्वीकृति

Acceptance

कार्य की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी जाएगी। यदि किसी कारण से 15 दिन की अवधि

में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण वाछित कार्य की स्वीकृति जारी नहीं कर पाता है तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर निजी तौर पर सतुष्ट होकर ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्राम पचायत, पचायत समिति, धर्मार्थ ट्रस्ट, पञ्जीकृत समिति अथवा सगठन को सीधे ही कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रगति¹

ग्रामीण क्षेत्रों में जनोपयोगी सम्पदा के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के सृजन हेतु एक जनवरी, 1991 से¹ अपना गांव अपना काम योजना¹ लागू की गई थी। वर्ष 1997-98 के दौरान दिसम्बर, 1997 तक 1350 आधारभूत जनोपयोगी कार्य पूर्ण किए गए। इनके अतिरिक्त 2728 कार्य प्रगति पर थे।

जवाहर रोजगार योजना

JAWAHAR ROZGAR YOJNA

भारत में रोजगार से सम्बन्धित दो कार्यक्रम क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) पूर्व में ही चल रहे थे। इन दोनों कार्यक्रमों को समाप्त करके भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1989 से जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की। इस योजना के मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि को 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य

Objects

जवाहर रोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- (1) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करना है।
- (2) कार्यक्रम में रोजगार जुटाने के साथ-साथ ऐसी परिसम्पत्तियाँ बनाने की चर्चा की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएँ और उससे निर्धन लोगों को लाभ हो।

(3) योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगो जो रोजगार चाहते हैं, प्राथमिकता दी जाती है। योजना में रोजगार देते समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो को पहले अवसर दिए जाने की चेष्टा की जाती है। यह चेष्टा होती है कि योजना में जो रोजगार उपलब्ध कराया जाए उसमें 100 में से कम से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए।

(4) योजना के अन्तर्गत जब भी आवश्यकता हो उस समय लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इस कारण योजना के अन्तर्गत कभी भी काम शुरू किए जा सकते हैं लेकिन उन दिना में कार्यो को प्राथमिकता दी जाती है जब खेतों में काम कम होता है। ये कार्य खेतों के दिनों के पश्चात् पुन जारी रखे जा सकते हैं।

योजना में किए जाने वाले कार्य

Works in the Plan

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, किसी भी ऐसे काम को चुन सकती है जो ग्राम सभा से सलाह करके निर्धारित किया गया हो और गांव के हित में हो। सामान्यतः ऐसे कार्य पहले आरम्भ किए जाते हैं जिससे टिकाऊ आर्थिक स्वरूप की उत्पादक परिसम्पत्तियां बन सकें। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में निम्न कार्य प्रमुख हैं।

(1) भूमि विकास (Land Development) इसके अन्तर्गत ऐसे छोटे तथा सीमान्त कृषक, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर में दर्ज हैं, उनकी अपनी भूमि का विकास जवाहर रोजगार योजना की धनराशि से किया जा सकता है। भूमि विकास के कार्यो में भूमि को समतल करना, जल निकासी हेतु नालो का निर्माण करना, खेत की नालियां बनाना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। भूमि विकास पर किए जाने वाले व्यय, जिसमें भूमि सुधार की लागत (जैसे जिप्सम और सिचाई के साधन आदि) जवाहर रोजगार योजना की धनराशि में से दी जा सकेगी बशर्ते भूमि विकास के खर्च का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के रूप में दिया जाए। भूमि विकास पर यदि सामान का खर्च 60 प्रतिशत से ज्यादा है तो इसके लिए अन्य साधनों से पैसा जुटाया जा सकता है। भूमि विकास परियोजना में बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, जैसी मटों पर बार-बार आने वाली लागत पर व्यय की अनुमति नहीं दी जाती चाहे यह उस परियोजना का हिस्सा ही क्यों न हो। जवाहर रोजगार योजना में केवल वही भूखण्ड आने चाहिए जिनमें कम से कम 10 किसान हों या कम से कम 50 प्रतिशत भूमि-धारक छोटे तथा सीमान्त कृषक हों या कम से कम 25 प्रतिशत भूमि छोटे तथा सीमान्त कृषको से हो। इस प्रकार ऐसी कोई भी

परियोजना भूमि विकास परियोजना कही जा सकती है जिसमें जल विभाजक अथवा आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि हो। छोटे तथा सीमान्त कृषकों से भूमि विकास की लागत वसूल नहीं की जाती। ग्राम पंचायत बड़े किसानों से उस दर पर वसूली करती है जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

(2) सामाजिक वानिकी (Social Forestry) इस योजना के अन्तर्गत वानिकी के केवल वही कार्य हाथ में लिए जाते हैं जिनसे ग्रामीण लोगो और खास तौर पर गांव के निर्धन लोगो को लाभ मिले। भूमि तथा जल संरक्षण उपायो में ऐसे कार्य जिनसे पौधों की सुरक्षा हो सके, सामाजिक वानिकी के कार्य माने जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना में सामाजिक वानिकी कार्य सरकारी और सामुदायिक भूमि, सड़कों, महारों तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर किए जा सकते हैं बशर्ते कि अच्छी सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हो तथा गांव के लोगो को उन पेड़ों के लाभ उठाने का अधिकार हो। ग्राम पंचायतें क्षेत्र विशेष को आवश्यकता तथा भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखने हुए पौधों का चुनाव करती हैं। ईंधन-चारा, छोटी इमारती लकड़ी के तेजी से बढ़ने वाले पौधे तथा दूसरे पेड़ों की तुलना में स्थानीय किस्म के फलों के पेड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक वानिकी में, पौधा लगाने से तीन वर्ष की अवधि तक सामुदायिक भूमि पर और सामुदायिक लाभ के लिए लगाए गए वृक्षों के रख-रखाव की लागत का जवाहर रोजगार योजना के पैसे से पूरा किया जा सकता है।

(3) फार्म वानिकी (Farm Forestry) फार्म वानिकी के कार्य केवल उप ग्रामीण निर्धनों की भूमि पर ही किए जा सकते हैं जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वे रजिस्टर में लिखे हुए हों। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर तथा अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भूमि, भूदान की भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के वे सभी भू-स्वामी सम्मिलित हैं जिनकी भूमि जाति छोटें किसानों से अधिक न हों तथा उस भूमि पर जिसके लिए वृक्ष-पट्टा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार निम्नलिखित श्रेणियों के सभी चुने हुए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगो को लाभ पहुंचाने के कार्य किए जा सकते हैं-

- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग

- मुक्त बंधुआ मजदूर

- अधिकतम सीमा से फलतू भूमि, भूदान भूमि, बजर भूमि, सरकारी भूमि के सभी आवंटियों को चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हों अथवा न हों।

फार्म वानिकी के अन्तर्गत बुनियादी चीजों की

सुविधाओ के विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए मकान बनाना उन्हें दी गई भूमि पर विकास निजी भूमि पर इधन की लकडा तथा चार उगाने जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लघु सिंचाई कुए तथा सामुदायिक कुए पाने के पानी के कुए यादि कार्य भी सम्मिलित हैं।

(4) इन्दिरा आवास योजना (Indra Housing Plan) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को आवास उपलब्ध कराए जाएं जो गरीबों को रेखा स नीचे निवास कर रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य इन वर्गों के सदस्यों को नि शुल्क मकान देना है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान के निर्माण पर 8000 रुपये स्वच्छ शौचालय और धुआ रहित चूल्हे के निर्माण पर 1400 रुपये और आधारभूत ढाचा तथा सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध करने को लागत 3300 रुपये तक हो सकती है। पहलुओं जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत 8000 रुपये के स्थान पर 9800 रुपये तक हो सकती है। इन्दिरा आवास योजना में मकानों का कोई डिजाइन निर्धारित नहीं किया है। किन्तु यह निर्धारित किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना में मकानों का कुर्सी क्षेत्र 17 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। मकान का डिजाइन जलबन्धु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। बने हुए मकानों के डिजाइन में लोगों को सहमति से सुधार किए जा सकते हैं। मकानों में रसोई धुआ रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। इन्दिरा आवास योजना में जहा तक सम्भव हो पेटेरी ढोटे बसठयों अथवा समूहों में मकान बनाने का नीति अपनाई जाती है जिसमें बस्तियों को सामुदायिक सुविधाएँ दी जा सकें। यदि भूमि के न मिल पाने अथवा लाभार्थियों के भूखण्ड पूरे गात्र में बिखरे होने अथवा किसी कारण से समूहों को नीति का पालन न हो पाए तो भी इस योजना के अन्तर्गत मकान बनए जा सकते हैं।

(5) दस लाख कुआ की योजना (Project of Ten Lakh Wells) इस योजना को 1988 89 अनुसूचित जाति/जनजाति का गरीब छोटे तथा सीमान्त कृषकों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को नि शुल्क खुले सिंचाई कुए उपलब्ध करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। दस लाख कुआओं का योजना के वित्त से केवल खुले कुए बनए जा सकते हैं और ट्यूबवेल और बोर वाले कुए इस योजना में नहीं आते। जहा जमान की बनावट का कारण कुए नहीं खोदे जा सकते हैं वहा इस योजना के अन्तर्गत दिया गया वित्त सिंचाई तालाबों जल एकट्टा करने के ढाचों जैसे लघु सिंचाई कार्य को अन्य यानत्र आ पर व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बन्धुआ

मजदूरों की भूमि जिनमें अधिकतम सीमा से फालतू भूमि और भूदान की भूमि आदि सम्मिलित हैं के विकास की योजनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इस धनराशि को अन्य योजनाओं अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त बन्धुआ मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के कार्यों पर व्यय नहीं किया जा सकता। योजना का लाभ उठाने वालों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे तथा सीमांत कृषकों व मुक्त बन्धुआ मजदूर होने हैं जा गरीबों की रेखा से नीचे जावनवापन कर रहे हैं और जिनके नाम गाव के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रजिस्टर में दर्न हैं।

इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य राजगार के अवसर जुटाना है और उसका परचाएँ योजना के लाभार्थियों के लिए नि शुल्क खुले सिंचाई कुए बनाना है। जवाहर राजगार योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की दी गई धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि इस योजना के लिए रखा गई है जवाहर राजगार योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्यों पर व्यय किए जाने के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत धनराशि को भी इस योजना के काम में लाया जा सकता है। योजना में बनाया गया प्रत्येक कुआ या सिंचाई का साधन लाभार्थी के हित में होना चाहिए और इसका ब्यौर गजम्ब रिकार्ड में दर्न किया जाना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को लघु सिंचाई के लिए पहले ही सहायता प्राप्त हो चुकी है उन्हें इस कार्यक्रम में सहायता नहीं दी जाती है। लाभार्थियों को स्वयं अपने श्रम और स्थानीय श्रम से कुए खोदने को प्रेरित किया जाता है। निम्नके लिए उन्हें मजदूरों भी दी जाती है। इस कार्य में ठेकेदारों को सम्मिलित नहा किया जाता है। पानी कम निकलने के कारण अथवा पटिया किस्म के पानी के कारण अथवा कुआँ को बनावट सम्बन्धा खराब के कारण यदि कुआँ असफल रहता है तो उसका पानकारी डाँ और री ए या जिल्ड परिकर्न को दी जाता है और यदि यह एजन्सिया इस निष्कष पर पहुचता है कि कुआँ असफल हो गया है तो कृषक द्वारा कुआँ खोदने के लिए जो खर्च किया गया है उसका शत प्रतिशत मुआयना दिया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य टिकाऊ होने चाहिए और सरकार द्वारा निर्दिष्ट उचित तकनीकी मानकों के अनुसार होने चाहिए।

जवाहर राजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी Wages

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किसी वर्ष में किए गए व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत भाग अकुशल मजदूरों का मजदूरी पर खर्च किया जाना चाहिए। अकुशल

मजदूरों के अतिरिक्त दूसरे मजदूरों को दी गई मजदूरी को मजदूरी के मद में नहीं गिना जाता है उसे गैर मजदूरी (सामान) मद में गिना जाता है। रोजगार की प्रत्येक श्रेणी के लिए वही मजदूरी दी जाती है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। मजदूरी का कुछ भाग नफ़द और कुछ भाग अनाज के रूप में दिया जा सकता है। अनाज के वितरण की दर 1.5 किलोग्राम प्रति मानव दिवस से अधिक नहीं हानी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना में श्रमियों को जो 1.5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है उसकी वितरण दर गेहूँ के लिए 2.09 रुपये राधारण चावल के लिए 2.64 रुपये अच्छी किस्म के चावल के लिए 3.24 रुपये और सबसे अच्छी किस्म के चावल के लिए 3.45 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। जवाहर रोजगार योजना में मजदूरी में अनाज का हिस्सा यथासंभव काम के स्थान पर ही उपान्यत करवाया जाता है।

निर्माणकार्यकीयोजनाओरक्रियान्वयन Planning & Implementation

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य हाथ में लिए जाते हैं तथा उनका आकार लागत तथा स्वरूप ऐसा निर्धारित किया जाता है कि उनको स्थानीय स्तर पर पूर्ण किया जा सके और उनमें उच्च स्तर की तकनीक वी आवश्यकता न पड़े। इसमें घड़े और अधिक लागत वाले कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जिनमें बड़ी मात्रा में कुशल मजदूर तथा सामग्री की आवश्यकता हो। नये कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व ऐसे कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा की जाती है जो अधूरे पड़े हों। इस योजना में प्रायः ऐसे कोई कार्य आरम्भ नहीं किए जाते जिन्हें दो वर्ष में पूरा न किया जा सके। शुरू किए जाने वाले कार्यों पर ग्राम पंचायत की बैठक में गहराई से विचार विमर्श होता है तथा उसके आधार पर कार्य की योजना बनाई जाती है। योजना निर्मित करते समय गांव के कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान में रखा जाता है। इनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं तथा ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लाभ के कार्यों को सबसे पहले आरम्भ किया जाता है। कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्यों के सदर्भ में ग्राम सभा में कम से कम दो बार कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। ग्राम सभा में ऊपर स्थित जिला परिषद् आदि द्वारा ग्रामीण कार्य योजना की तकनीकी जांच की जाती है। तकनीकी आधार पर सरल कार्यों को ग्राम पंचायत स्वयं आसानी से पूरा कर सकती है। तकनीकी स्टाफ की कमी तथा अन्य स्थिति में ग्राम अधिकारियों को यह अनुमति होती है कि वे परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन निजी व्यक्तियों से भी करा सकें।

ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर योजनाएँ बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तकनीकी देख रेख का उत्तरदायित्व ब्लाक एजेन्सियों और जिला स्तर के निकायों पर होता है। इस कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्यों के निरीक्षण देख रेख तथा निगरानी के लिए ग्राम पंचायतें हर गांव के लिए एक समिति बनाती हैं। इस समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाता है।

जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित अन्य तथ्य

Other Facts

जवाहर रोजगार योजना को भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से होती है। यह कार्य राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होता है। पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम में बनाई गई परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सौंप दिया जाता है और उनकी देख रेख उसी विभाग द्वारा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ परिसम्पत्तियों की देख रेख का कार्य राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा नहीं किया जाता हो वहाँ पंचायतों को उसकी देख रेख के लिए योजना में से खर्च करने की अनुमति दी जाती है। योजना पर मामूजिक नियंत्रण रखने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक हर माह एक निर्धारित दिन समय तथा स्थान पर होती है जिसमें योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इन बैठकों में गांव का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और अपने विचार रख सकता है। ग्राम सभा में भी जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की प्रगति के बारे में बताया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यक्रम में बनाई गई परिसम्पत्तियों का पूरा विवरण रखती है। ग्राम पंचायतें योजना के विस्तार अथवा परिसम्पत्तियों के टिकारूपन के लिए एव गैर मजदूरी खर्च के लिए धन की आवश्यकता होने पर दान स्वीकार कर सकती हैं। ऐसे कार्यों में ग्राम समुदाय से सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त बाजार समिति सहकारी समितियों मन्ना समितियों अथवा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं व व्यक्तियों जैसे अन्य माध्यमों से मिलने वाली धनराशि को भी जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें उन्हें दिए गए पैसे और उनके द्वारा चुने हुए कार्यों के बारे में स्वयं निर्णय लेती हैं। पंचायत द्वारा लिया गया निर्णय किसी वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर बदला नहीं जाता। ग्राम पंचायतों को नियमावली में दी गई कार्य की स्वतंत्रता में भी किसी

अधिकारी का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। योजना में श्रमिकों के पीने के पानी, आराम करने के शैड और काम पर आने वाली महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु गृह जैसी सुविधाएँ देने की चेष्टा भी की जाती है। इन सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय योजना के गर-मजदूरी मद में से पूरा किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना में चल रहे कार्यों में पचायत क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों को पहले काम दिया जाता है। यदि उस गाव में श्रमिक नहीं मिलते हैं तब साथ वाले दूसरे गावों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार में अनुमूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन एवं महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाव में एक प्रमुख दीवार चुनकर उस पर ग्रामवासियों के लिए वह सब बाने लिखवा दे जो गाव के निवासी जवाहर रोजगार योजना के बारे में जानना चाहते हैं। इससे योजना को ठीक प्रकार से चलाने में मदद तो मिलती ही है, ग्रामीणों के मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी भी उत्पन्न नहीं होती।

प्रगति

जवाहर योजना का मूल उद्देश्य ग्रामाण क्षेत्र में बेरोजगार एवं अर्द्ध-बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं हेतु रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना है। वर्ष 1997-98 के दौरान माह दिसम्बर, 1997 तक 109 77 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजा किया गया।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम

TRIBAL AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

जनजाति विकास के लिए भारतीय सविधान में विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी संदर्भ में पाचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्र एकीकृत विकास के लिए एक नवीन मापदण्ड अपनाया गया जिससे जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए जा सकें। इस उद्देश्य को पूरित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जनजाति क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ये क्षेत्र निम्न प्रकार हैं

- (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र
- (2) परिवर्तित क्षेत्र विक्रम उपायगमन (माडा)
- (3) माडा कलस्टर योजना
- (4) बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या

(5) सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए निम्न संस्थाएँ भी कार्यरत हैं

- (1) जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी सच
- (2) माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था
- (3) स्वच्छ परियोजना (समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना)
- (4) विभागीय प्रशासन

(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र

Tribal Subplan Area

राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित पाच जिलों में जनजातियों का सघन आवास है। इस क्षेत्र में कुल 4409 गावों का 19770 14 वर्ग कि मी क्षेत्र सम्मिलित है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 27 57 लाख थी जिसमें जनजाति संख्या 18 30 लाख थी जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 66 39 प्रतिशत थी। उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित पाच जिलों में से इसमें बासवाड़ा व डूंगरपुर संपूर्ण जिले सम्मिलित थे। उदयपुर की 6 पूर्ण तहसीलें व उसकी एक तहसील गिरवा के 91 गाव सम्मिलित थे। चित्तौड़गढ़ जिले की आनोद व प्रतापगढ़ तहसील इसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार म्निरोही जिले का आवू उडखण्ड इस में सम्मिलित है। इस प्रकार इस क्षेत्र में पाच जिलों की 19 तहसीलें व 23 पचायत समितियाँ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील मीणा, गणसिया व डामेर प्रमुख हैं। यह योजना राजस्थान में 1974 75 से क्रियान्वित की जा रही है।

कार्यक्रम (Programmes) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जा रहे हैं -

- (1) कृषि (Agnculture) कृषि विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन एवं दलहन योजनाओं में नवीनतम तकनीकी एवं प्रति यूनिट अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम पर व्यापक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत फल विकास संञ्जी की उन्नत विस्म के बीजों का वितरण, वेर बडिंग, किभिन्न फसलों के प्रदर्शन, शुष्क खेती प्रदर्शन, कल्चर वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आदिवासी कृषकों के यहाँ फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फलदार पौधों का बगीचे लगाए गए। इस हेतु नि शुल्क पौधे वितरित किए गए तथा उन्नत बीज के पैकेट्स का वितरण किया गया।
- (2) पशुपालन तथा दुग्ध विकास (Animal Husbandry) - इन कार्यक्रमों में भेड़ विकास एवं प्रजनन,

जा रहा है। बासवाडा में एक नर्स प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कम्पाउंडस प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयुर्वेद डिस्पेंसरियों के विस्तार का लक्ष्य है और समय समय पर आयुर्वेद कैम्पो का आयोजन किया जाता है। जनजाति उपयोगना क्षेत्र में गाव पेयजल की समस्या से ग्रसित थे। इन क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई है। जनजाति उपयोगना क्षेत्र के लोगों का नियोजन कार्यालयों में प्रजीवन किया गया है। जनजाति उपयोगना के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में आदिवासियों को भर्ती करने की चेष्टा की गई है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर पशु धन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र व एक महिला निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र बामवाडा तथा उदयपुर (गढी) बासवाडा मारुप्ट आबू व झुगरपुर म एस टा मी केन्द्र तथा बा एड प्रशिक्षण केन्द्र डबोक उदयपुर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उपयोगना क्षेत्र के पांचे जिलों में छ आई टी आई केन्द्र भी कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार का शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है तथा उन्हें नियोजन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाती है।

(12) वित्त आयोग (Finance Commission) आठवें वित्त आयोग के अन्तगत 1985-86 से 1988-89 तक की चार वर्षों की अवधि में आधारभूत सुविधाएँ जुटाने इस क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों हेतु गृह निर्माण आदि का चेष्टा की गई। आधारभूत सुविधाएँ जुटाने के लिए इस अवधि में स्वास्थ्य शिक्षा मंचार एवं अन्य कार्य करवाए गए। जनजाति उपयोगना क्षेत्र में सतत रूप से कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास गृह निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया। आवास गृह निर्माण कार्य को अकाल रहते कार्यों से जोड़कर रोजगार भा उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतगत गन्व कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति भत्ते का भी प्रावधान रखा गया।

1997-98 के कार्यक्रम जनजाति उपयोगना क्षेत्र

1997-98 में जनजाति उपयोगना क्षेत्र का विकास करने के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं

- 1 1997-98 में जनजातियों के विकास पर 283.9 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में स जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना पर 38.6 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- 2 इस अवधि में जनजाति उपयोगना क्षेत्र में 14 नये आश्रम

छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।

- 3 15 छात्रावासों की क्षमता को दुगुना किया जायेगा।
- 4 छात्रावासों में छात्रों (कक्षा 10 में 12) को पोशाक पुस्तक एवं स्टेशनरी आदि पर प्रत्येक के लिये 1000 रुपये वार्षिक व्यय किये जायेंगे। विज्ञान सक्काय के छात्र के लिये यह राशि 1200 रुपये होगी।
- 5 1997-98 में जनजाति उपयोगना क्षेत्र में 13 जनजाति वस्तियों का विद्युतीकरण 1456 कुआ को गहरा कराने 250 डाजल पम्प सेटों का वितरण 25 एनीकट और 30 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 6 अनुसूचित जनजाति के होशियार छात्रों के लिये औद्योगिक व प्रबन्धशास्त्र में उच्च शिक्षा के लिये योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने पर प्रति छात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
- 7 पहल परियोजना (झुगरपुर जिला) पर 8-9 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ब) परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) कार्यक्रम

Modified Area Development Approach

इस योजना के अंतगत 16 जिलों अलवर धालपुर भालवाडा बूटी चितौडगढ जयपुर झालावाड कोटा पाली मण्डई माधोपुर सिंगेही टोक तथा उदयपुर आदि में 44 माडा खण्डों का गठन किया गया है। यह योजना 1978-79 स क्रियान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र में मोणा जनजाति का बाहुल्य है। माडा कार्यक्रमों हेतु नवीं योजना में 30-50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

इस कार्यक्रम के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराया जाती है वह सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम के अंतगत व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य माडा क्षेत्र में विद्यमान जनजाति परिवारों के आर्थिक स्तर को इस क्षेत्र में विकास करने वाले गैर जनजाति परिवार के समकक्ष लाना है। आदिवासियों के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति में व्यक्ति से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में निम्न कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है

- (1) शिक्षा (Education) शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माता योजना में उपयोजना के साथ साथ मुफ्त पोशाक पुस्तक व स्टेशनरी। वितरण एवं बुक बैंक कार्यक्रम चल रहा है। माडा क्षेत्र में अब तक कुल 24 आश्रम स्कूल

या छात्रावास भी स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 30 पूरे भी हो चुके हैं। माडा क्षेत्र के जिन गावों में प्राथमिक शालाओं के भवन नहीं थे उनमें प्राथमिक शाला भवन बनवाए गए हैं।

(2) पेयजल एवं सिंचाई (Drinking Water & Irrigation) माडा कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नए कुआं वा निष्पाण किया गया है। अनेक हैण्डपम्प इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा चुके हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 308 एनीकटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष अनेक स्थानों पर कार्य चल रहा है। जलोत्थान मिर्चाई योजनाएँ और सिंचाई कुओं को गहरा करने के भी प्रयास किए गए हैं।

(3) चिकित्सा (Medical) जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर एतापेथिक एवं आयुर्वेदिक दानों प्रकार की चिकित्सा से सम्बन्धित हैं।

(4) फलदार पौधे (Fruit Trees) माडा योजना के अंतर्गत आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनजाति के कृषकों को 25 पौधों की इकाई पर 5 रुपये प्रति जोधित पौधा तीन वर्ष तक अनुदान दिया जाता है। इन फलदार पौधों के माध्यम से ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति बढतर बना सकते हैं।

(5) सामुदायिक पम्प सैट (Community Pump Set) माडा योजना के अंतर्गत कृषकों के समूह को सिंचाई कार्य के लिए डीजल पम्प सैट दो वर्ष के लिए निशुल्क प्रदान किया जाता है। दो वर्ष बाद मजदूर द्वारा उसको सफलतापूर्वक चलाए जाने के पश्चात् मजदूर के लिए यह पम्प सैट उक्त समूह को दे दिया जाता है। इस कार्य के लिए योजना में अलग से व्यय का प्रावधान रखा गया है।

(6) व्यक्तिगत लाभ योजनाएँ (Individual Benefit Schemes) माडा क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की निर्धनता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में पुराने कुओं को गहरा करना सहायकारी संस्थाओं का सदस्य बनाने के लिए हिस्सा पूंजी अनुदान आदि कार्यक्रमों में अनुदान किया जा रहा है। माडा क्षेत्र में ग्रामीण गृह निर्माण योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इन क्षेत्रों में जो आदिवासियों छोटी छोटी परचूनों की दुकान लगाना चाहते हैं उन्हें 2000 रुपये तक का सामान दिनांग हेतु अनुदान देने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 मिनी आई टी आई अलग-अलग जिलों में स्थापित की गई है जिन्हें अंतर्गत 1200 युवाओं को प्रतिवर्ष 6 माह की अवधि में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें स्वयंसेवाओं के लिए प्रेरित किया जाता है।

(7) माडा क्लस्टर (MADA Cluster) ऐसे क्लस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जाजाति की है उनमें माडा क्लस्टर योजना लागू की गई है। राज्य के नौ जिलों में 11 माडा क्लस्टर स्वीकृत हैं। नवीं योजना में क्लस्टर कार्यक्रमों हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(8) बिखरी जनजाति (Scattered Tribal Population) जाजाति उपयोजना माडा खण्डों एवं माडा क्लस्टरों के अतिरिक्त जनजाति 30 जिलों में बिखरी हुई है।

(स) सहरिया आदिम जनजाति क्षेत्र Sahariya-The Most Primitive Tribal Area

राज्य की एकमात्र आदिम जाति सहरिया है जो कोटा जिले की किरानगज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दानों ही तहसीलों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित करके सहरिया वर्ग के विकास के लिए सहरिया विकास समिति का गठन किया गया। इस क्षेत्र की जनजाति संख्या सहरिया वर्ग को सम्मिलित करते हुए 1981 की जनगणना के अनुसार 40,000 है जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 32.84 प्रतिशत है। सहरिया जनजाति की जनसंख्या 31,000 है जो परियोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 23.52 प्रतिशत है। सहरिया विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में योजना निर्माण क्रियान्वयन दिशा-निर्देश व समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सहरिया विकास समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कोटा के जिलाधीश हैं और क्षेत्र के विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य, सहरिया जाति के प्रतिनिधि एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारों इसके सदस्य हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि लघु सिंचाई पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल राजस्व रिकार्ड में सुधार कार्यक्रम पुनर्वास सहायता मुक्त कानूनी सहायता आदि सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में कृषि प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सहरिया कृषकों को कृषि आदान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। एनीकट के निर्माण और जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समूह डीजल पम्प सैट द्वारा कृषकों को लाभान्वित किया गया है। कृषि कुओं को गहरा कराया गया है। गुर्गापालन को प्रोत्साहित किया गया है। आश्रम छात्रावास की व्यवस्था की गई है। सहरिया विद्यार्थियों को निशुल्क पोशाक वितरित की जाती है। समय-समय पर सहरिया संगियों को लाभान्वित करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा

है। आवश्यकता पडने पर उन्हें गृह निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी के मौसम में समस्याग्रस्त ग्रामों में डीप वॉल हैण्डपम्प स्विकृत किए गए। अनेक गावों में राजस्व रिकार्ड में सुधार का कार्य पूरा किया जा चुका है। सहरिया विकास क्षेत्र पर 1997 से 2002 तक 5.62 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

(द) जनजाति क्षेत्र में रेशम कीटपालन कार्यक्रम Senculture

जनजाति क्षेत्र में लाभ के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के साथ साथ रेशम कीटपालन कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसका महत्व निरन्तर बढ़ रहा है। क्षेत्र के आदिवासी कृषक जिनके पास भूमि है एवं सिंचाई के साधन भी सीमित हैं तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। ऐसे आदिवासी कृषक रेशम कीटपालन कार्यक्रम को अपनाकर अपने खाली समय में अतिरिक्त स्थाई आय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाएँ जिनके पास काफी समय रहता है घर पर रहते हुए भी इस कार्यक्रम को अपना सकती हैं। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर द्वारा कई वर्षों तक परीक्षण के बाद इस कृषि आधारित उद्योग के लिए उदयपुर बासवाडा डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ के जिलों की मिट्टी और जलवायु को उपयुक्त पाया गया और इन क्षेत्रों के यहाँ व्यापक रूप से आरम्भ करवाने की सिफारिश की। उपरोक्त सफल प्रशिक्षणों के आधार पर राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सयुक्त राष्ट्र महिला कल्याण कोष एवं विशेष क्षेत्रीय सहायता के आर्थिक सहयोग द्वारा रेशम कीटपालन कार्यक्रम को लघु अवधि 3 वर्षीय परियोजना के रूप में अगस्त 1983 में आरम्भ किया था और इसका कार्यक्षेत्र उदयपुर जिले की गिरवा एवं झाडोल पंचायत समितियों को रखा गया था। शहतूत की फसल रेशम के कीड़े को पालने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों का शहतूत की उन्नत किस्म उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें नर्सरी लगाने में सहायता दिया जाता है। आदिवासियों को तकनीकी स्टाफ की देख रेख में 10-12 दिन तक शिशु रेशम कीटपालन का व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उसके पश्चात् कृषकों को उनके खेतों में उपलब्ध शहतूत की पत्तियों के अनुसार इन शिशु कीटों का विवरण कर दिया जाता है। इनका पालन कर कृषक रेशम के कोये प्राप्त करते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनके रेशम के कोयों को उचित दर पर खरीद लेता है। कृषकों को स्वच्छ बातावरण में रेशम कीटपालन करने के लिए व्यक्तिगत रेशम

कीटपालन गृह बनाने हेतु 1500 रुपये का अनुदान भी विभाग द्वारा दिया जाता है। विभाग द्वारा सिसारगा में एक शीलागि केन्द्र भी स्थापित किया गया है जो रेशम के कोये से धागा तैयार करता है। गिरवा पंचायत समिति में स्थापित यह केन्द्र गावों की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा धागा तैयार करवाता है। प्रत्येक महिला को उसके कार्य के आधार पर धागे का मूल्य दिया जाता है। रेशम कीटपालन के कार्य में बास के उपकरणों का प्रयोग होता है। इनमें टूट फूट भी बहुत होती है। इनको बाजार से क्रय करने और ठीक करवाने में काफी धन व्यय होता है। इस कारण इस मामले में आदिवासी कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपकरण निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन्हीं लोगों की सहकारी समिति बनाकर इन उपकरणों का निर्माण करवाया जाता है और इसे विभाग क्रय कर लेता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक कृषक को शहतूत की खेती रेशम कीटपालन ककून (कोया) उत्पादन एवं बास उपकरण निर्माण आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण एक माह का अवधि का होता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक कृषक को 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

(य) स्वच्छ परियोजना (समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना) Clean Project

स्वच्छ परियोजना राजस्थान सरकार व यूनिसेफ का एक सम्मिलित प्रयास है। इस परियोजना हेतु स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता यूनिसेफ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना हेतु राजस्थान सरकार व यूनिसेफ के सहयोग से 30 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है। यह परियोजना उपयोजना क्षेत्र के 3 जिलों उदयपुर बासवाडा और डूंगरपुर में चल रही है। इस परियोजना का मुख्यालय उदयपुर में है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त इस परियोजना के समन्वयक हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्राथमिक क्षेत्र डूंगरपुर व बासवाडा जिलों के लिए 12 करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय योजना 1986 से आरम्भ की गई। उदयपुर जिले की 18 करोड़ रुपये की परियोजना को भी परियोजना क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि के लिए 1987 से सम्मिलित कर लिया गया। इस स्वाकृत राशि का 60 प्रतिशत भाग यूनिसेफ के माध्यम से स्वीडन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा एवं शेष 40 प्रतिशत भाग राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं एवं बालकों के स्तर में सुधार पेयजल के सम्पादन के विकास में सामुदायिक भागीदारी का विकास स्वच्छता

का नाम सशोधित कर वर्तमान में राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विवरण एवं विवास सचकारी निगम रखा गया है। निगम द्वारा इस समय मुख्य रूप से शहरी उर्बर प्रमाण के रूप में दो तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति

सविधान क अनुच्छेद 46 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के उत्थान हेतु उदारताया बनाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्र के विकास एवं जनजाति परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु आधारभूत रूपरेखा तय की गई थी। क्षेत्रीय आधार पर जनजाति बहुल क्षेत्रों का मूल आधारभूत रूपरेखा वर्ष 1974-75 में जनजाति क्षेत्रीय उपयोग योजना बनाने समय निर्धारित की गई थी। जनजातियों में मुख्य रूप से भूल मण्डल गरासिया डामर एवं कर्धाडों राजस्थान में निवास करने हैं। घाँघिन उपमंडल क्षेत्र में बासवाडा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर एवं सिरोही की कुल 23 पंचायत हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनजातियों की संख्या 54.75 लाख है। जिसमें से 24.01 लाख व्यक्ति जनजाति उपयोग क्षेत्र में निवास करते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं अन्य विभागों द्वारा जनजातियों के विकास आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु नवौं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 167.92 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

जनजाति उपयोग क्षेत्र में स्थानांतरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वनपाल सिपाही कनिष्ठ लिपिक अध्यापक एवं वाहन चालक के पदों पर भर्ती हेतु 45% पदा का आक्षण किया गया है। 'नार' उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वामवाडा जिले को पूरा रूप से नाब रोगमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा यह आशा की जाती है कि डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों को भी इस रोग से शीघ्र मुक्ति मिल सकेगी।

मरु विकास कार्यक्रम

DESERT DEVELOPMENT PROGRAMME

पृष्ठभूमि व उद्देश्य

Background & Objects

राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में आरम्भ किया गया। यह वन्द्य प्रवर्तित राजना के रूप में

श्री पतिशत केन्द्रीय महायता के आधार पर आरम्भ हुआ। 1979-80 में इस वित्तीय सहायता का आधार बदलकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर की राशि देने का प्रवधान रखा गया। 1985-86 से केन्द्र सरकार द्वारा पुनः इस शत प्रतिशत सहायता दी जाने लगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्रशासनिक सुधारों, उपलब्ध ससाधनों को आर्थिक विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार को सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। यह कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के 16 रेगिस्तानी जिलों अजमेर जयपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर जोधपुर जैसलमेर जालौर झुंझनू बीकानेर बाडमेर चुरू पाली साकर नागौर तथा गणनागर जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग मरुस्थल है। इसमें मरु क्षेत्रों के अलावा मरुस्थल नहीं है जहाँ राजस्थान के धार मरुस्थल जिला, सख्त मनुष्य व पशु रहते हैं। इस मरुस्थल के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना बनाई गई है। 1974-75 में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के नाम में राज्य के 9 जिलों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। 9 जिलों थे—जाधपुर नागौर पाला जालौर बाडमेर जैसलमेर बीकानेर चुरू व झुंझनू। 1977-78 में इस क्षेत्र में विकास को गति को त्वरित कराने आवश्यक समझा गया। अतः 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ जिसमें उपरोक्त 9 जिलों के अतिरिक्त गणनागर व सीकर जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रामाणिक विकास अधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मरु जिला पर व्यय			
[आरम्भ (1974-75 से 1996-97 तक)]			
(करोड़ रुपये में)			
(अ)	पारदर्शी पंचवर्षीय राजना		
(1)	सूखा सभाविन क्षेत्र कार्यक्रम	1974-75 से 1979-80	37.27
(11)	मरु विकास कार्यक्रम	1978-79 से 1979-80	17.31
(ब)	छठी पंचवर्षीय योजना		
(1)	सूखा सभाविन क्षेत्र कार्यक्रम	1980-81 से 1984-82	15.97
(11)	मरु विकास कार्यक्रम	1983-84 से 1984-85	55.33
(स)	सातवीं योजना		
	मरु विकास कार्यक्रम	1985-86 से 1999-90	145.45
(द)	वार्षिक योजनाएँ		
	मरु विकास कार्यक्रम	1991-92	45.20
	मरु विकास कार्यक्रम	1991-92	36.58

(घ) आठवीं योजना		
मरु विकास कार्यक्रम	1992-93	36.47
मरु विकास कार्यक्रम	1996-97	14.46
(दिसम्बर 1996)		
(र) नववीं योजना		
सूखा सभाविन क्षेत्र कार्यक्रम	1997-2002	46.50
(प्रावधान)		
मरु विकास कार्यक्रम	1997-2002	669.75
(प्रावधान)		
स्रोत Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Govt. of Raj		

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में तक हुई भौतिक उपलब्धियों का मदवार विवरण			
क्र.सं.	मद	इकाई	प्राप्ति
1	भू संरक्षण	हेक्टेयर	12283
2	जल सभाविन-(अ) सिंचाई	हेक्टेयर	7597
3	वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास-(अ) वृक्षारोपण	हेक्टेयर	10666
4	अन्य कार्य-(अ) खली-कोटे/पौण्ड/टैंक निर्माण सञ्चालना		752+1032
स्रोत Desert Development Programme Annual Plan 1993-94 & 1994-95			

विभिन्न कार्यक्रम

Various Programmes

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण, भू-गर्भ जलदोहन विद्युतीकरण, सिंचाई भेड एवं चरागाह विकास, मरु क्षेत्र में वृक्षारोपण, पशु एवं दुग्ध मार्गों का सुधार, पशु स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इन कार्यक्रमों का सक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है -

(1) कृषि (Agriculture) इस मरुस्थलीय क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोग गावों में बसे हुए हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। इस मरुप्रदेश में सामान्यतः एक फसल ली जाती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा कम होने के कारण यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग किया जाए। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये भू संरक्षण का कार्य तथा भू-सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया। पानी का सदुपयोग करने के लिए फव्वारे मेंट वितरित किए गए। मिट्टी को जाच करने के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए जो कृषकों को उनकी कृषि भूमि में उपयोग में आने वाले ठर्रकों का ज्ञान कराते हैं और लवणीय तथा क्षारीय भूमि के दोषों को दूर करने का उपाय बताते हैं।

(2) भू जल दोहन (Use of Ground Water) इस

मरु प्रदेश में जल की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यदि इस क्षेत्र में जल उपलब्ध हो जाए तो अधिकांश समस्याओं का निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, पेयजल और कृषि के लिए भू-गर्भ में छिपी जल सम्पदा का पता लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया। इस हेतु आवश्यकतानुसार नलकूपों का निर्माण भी किया गया। ये नलकूप सिंचाई के साथ-साथ पेयजल भी उपलब्ध कराते हैं। भू-गर्भ में छिपी जल का विम्यूत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। मरुप्रदेश की एकमात्र नदी लूनी के सहारे-सहारे परीक्षण और सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिए गए हैं।

(3) वन सम्पदा का विकास (Development of Forest) मरु प्रदेश के खेतों पर खेजड़ी, जाल, बबूल, रोहिडा, बेर आदि के वृक्ष लगाने की परम्परा रही है। दुर्भाग्य से वनों के 15 प्रतिशत भाग पर ही वन रह गए हैं। अतः बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए वन विभाग क्रियाशील है। इन जिलों में स्थान-स्थान पर वन व चरागाह विकास के कार्य हाथ में लिए गए हैं। मुख्य रूप से गावों के जंगल, जलाऊ लकड़ी, वन पौधशालाये, टीलो का स्थिरीकरण, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना आदि कार्य हाथ में लिए गए हैं। कृषकों को उनकी निजी भूमि पर छायादार एवं फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) दुग्धविकास (Dairy Development) राजस्थान के मरु क्षेत्र में पशुधन के रख-रखाव को वैज्ञानिक रूप देने और व्यावसायिक दृष्टि से दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने के लिए दुग्ध विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इसके अन्तर्गत अर्र्ची नस्ल के पशु खरीदना, सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध करवाना, दुग्ध संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध सहकारी संघों को प्रोत्साहित करना, आदि प्रमुख कार्य हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में दुग्ध विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(5) भेड विकास (Sheep Development) भेड व चरागाह विकास, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख योजना है। इस मरु क्षेत्र में भेडों काफ़ी अधिक मात्रा में हैं जो कि कुल पशुओं का लगभग 30 प्रतिशत हैं। इसलिए भेड विकास कार्यक्रम को समुचित महत्व दिया गया। इस कार्यक्रम में भेडों के रख-रखाव, चारे की व्यवस्था, नम्ल सुधार आदि कार्य हाथ में लिए गए हैं। भेड व चरागाह विकास खण्ड स्थापित किए गए हैं। सहकारी समिति इन खण्डों की देखभाल करती है। इन खण्डों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भेडों का रख-रखाव किया जा रहा है। भेड-पालकों को यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वे भेडों को किस प्रकार से रखें तथा इसी को व्यवसाय के रूप में अपनाएं।

(6) पशु स्वास्थ्य (Animal Health) मरु क्षेत्र में

पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य हैं प्रायः उतने ही मछली में पशुधन भी है। इस पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल को आवश्यक मानते हुए इसे कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि प्रति 20,000 पशुओं पर एक स्वास्थ्य केन्द्र हो। इस हेतु नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। पशु चिकित्सालय इकाइया आरम्भ की गई हैं। रेगिस्तान में ऊट का विशेष महत्व है। अतः इसकी देखभाल एवं रोग नियन्त्रण के लिए इकाइया स्थापित की गई हैं। गौ-शलाओं को पशु क्रय करने चारे व पानी की उत्तम व्यवस्था करने, आदि के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

(7) सिंचाई (Irrigation) रेगिस्तान में सिंचाई की कल्पना करना एक अद्भुत बात है। इस कार्यक्रम में तालाबों और जल संधियों के अभाव के कारण वर्षों के जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए छोटे-छोटे तालाब बांध व एनीकट बनाकर जल का पूरा उपयोग करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटी एवं मध्यम श्रेणी की योजनाएँ पूरी की गई।

(8) विद्युतीकरण (Electrification) जब भूगर्भ के जल का पता लगा लिया जाता है तो उस जल को प्राप्त करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। सामान्यतः एक नलकूप की गहराई 200 मीटर होती है। परम्पगत कुएँ भी 100 से 200 मीटर गहरे होते हैं। इन कुओं से पानी निकालना अत्यन्त कठिन कार्य है किन्तु मनुष्य को इसे सुलभ करना भी नितान्त आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का योजना को हाथ में लिया गया। इस क्षेत्र में विद्युत की स्थिति दयनीय थी। इसलिए अब गाँवों में बिजली पहुँचाई जा रही है ताकि विकास की गति तीव्र हो सके। घरेलू उद्योग धर्मों को बिजली मिल सके और साथ ही पेयजल उपलब्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(9) ग्रामीण जलप्रदाय योजना (Rural Water Supply Projects) मरु जिलों में बहुत कम गाँवों में पेयजल उपलब्ध था। शायद गाँव समस्यग्रस्त गाँव थे। इन क्षेत्रों में वर्षा आने पर ही पेयजल उपलब्ध हो पाता था और वर्षा न आने पर नलकूप खोदते जाते थे तथा टैंकरो से पानी भिजवाया जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण पेयजल योजना आरम्भ की गई है।

(10) दूध मार्गों का सुधार (Improvement of Dairy Routes) - ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का एकमात्र साधन सड़क है किन्तु इस मरुप्रदेश में सड़कें भी बहुत कम हैं। दूध को एकत्रित करके अवशीतन केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए सड़क के छोटे-छोटे टुकड़े बनाए गए हैं ताकि दूध बिना खराब हुए अवशीतन केन्द्र तक पहुँच जाए। यह कार्यक्रम अभी भी जारी है।

(11) राष्ट्रीय मरु उद्यान (National Desert Garden) राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करने की योजना है। इसमें नैसर्गिक वनस्पति को सुरक्षित रखना, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना और करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के भूगर्भ में दबे हुये जीवाणु अवशेषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2.47 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए योजना बनाई गई है।

कार्यक्रम की प्रगति

PROGRESS

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से वन विकास, भू-जल विकास तथा सिंचाई पशु स्वास्थ्य, भेड़ विकास, जल प्रदाय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन सातवीं योजनावधि के वर्ष 1987-88 से केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास एवं आर्द्रता संरक्षण, जल संचायकों का विकास वन व चरागाह विकास एवं पशु जल प्रदाय योजनाएँ भी स्वीकृत की हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का 15 प्रतिशत भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि सम्पन्न व्यय हेतु दी जाती है। कार्यक्रम के आरम्भ से छठी योजना तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 125.90 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 147.06 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 146.48 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सातवीं योजनावधि में 42.637 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य 10,367 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन, 68,443 हैक्टेयर क्षेत्र में वन एवं चरागाह विकास आदि तथा 4926 अन्य कार्य कराए गए। मरु विकास कार्यक्रम जो शत-प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है, के अन्तर्गत नयी योजना 1997-2002 के लिए 66975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

DROUGHT PRONE AREA PROGRAMME

राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 से आरम्भ किया गया। प्रारंभ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान व आठ जिलों जोधपुर, नागौर, पाली जालौर बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर बुरु तथा दक्षिणी राजस्थान के झरखुर तथा ताम्बाडा क्षेत्रों में आरम्भ किया गया। इस

कार्यक्रम को धीरे धीरे 13 जिलों के 79 विकास खण्डों में विस्तृत कर दिया गया। जिन तीन जिलों को इस कार्यक्रम में ओर सम्मिलित किया गया वे हैं - अजमेर, झुझु व जयपुर। 1982-83 में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर रेगिस्तानी क्षेत्र में 9 जिला के 61 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के 4 जिलों - बासवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा अजमेर के 18 विकास खण्डों में ही यह कार्यक्रम जारी है। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 1985-86 से राजस्थान के चार नये जिलों के 12 विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को आरंभ करने की केन्द्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1985-86 से यह कार्यक्रम राजस्थान के आठ जिलों क्रमशः अजमेर बासवाडा उदयपुर कोटा, डूंगरपुर, टोंक, सर्वाई माधोपुर व झालावाड में 30 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा था। 1995-96 में यह कार्यक्रम 10 जिलों के 32 विकास खण्डों में चल रहा है।

सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से विकास कार्य करना है जिसमें सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य रूप से कृषि वन विकास भू जल विकास, लघु सिंचाई, पशुस्वास्थ्य भेड विकास पशु जलप्रदाय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को क्रियान्वित किया जाता था। 1987-88 के केन्द्र सरकार ने भूमि विकास तथा आर्द्रता संरक्षण, जल संसाधनों का विकास वन एवं चरागाह विकास तथा पशु जलप्रदाय कार्यों के क्रियान्वयन की ही स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं -

1 भू-संरक्षण कार्य (Land Conservation Work)- सातवीं योजना में 21471 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य किया गया।

1991-92 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 4755 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 3104 हेक्टेयर क्षेत्र में ही भू संरक्षण कार्य सम्पन्न किये गये। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सके।

2 सिंचाई क्षमता सृजन (Generating Irrigation)- सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2398 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई क्षमता सृजन की गई।

1991-92 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 1681 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य निर्धारित किया गया, लेकिन वास्तव में दिसम्बर 1991 तक 465 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई कार्य सम्पन्न किये गये।

3 वृक्षारोपण (Plantation) - सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 10918 हेक्टेयर क्षेत्र में वन एवं चरागाह विकास का कार्य किया गया।

1991-92 में राज्य के विभिन्न जिलों में 4196 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन वास्तव में दिसम्बर, 1991 तक 3466 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किये गये।

4 अन्य कार्यक्रम (Other Programmes) - सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 1516 अन्य कार्य भी सम्पन्न किये गये जिनमें गांवों का विद्युतीकरण, छेतियों का निर्माण, कुओं का विद्युतीकरण आदि कार्य सम्मिलित है।

1997-98 में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया

- भूमि के मानचित्र बनाने की योजनाएं और मिट्टी के संरक्षण की योजनाएं
- जल स्रोतों का विकास
- वनीकरण
- पशुओं के लिये जल की व्यवस्था मत्स्य एवं चारा विकास

प्रोफेसर हनुमान राव की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार जलसंधन विकास के लिये अप्रैल 1995 में प्रत्येक ग्राम की लगभग 500 हेक्टेयर भूमि के लिये चरणबद्ध रूप में कोनों की व्यवस्था की जायेगी।

5 वित्तीय प्रावधान (Financial Provisions) - सातवीं योजनावधि में सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिये 22 88 करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे किन्तु वास्तव में 23 78 करोड़ रुपए व्यय हुये। सूखा सभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में दिसम्बर, 1996 तक नये कार्यों पर 1 35 करोड़ रुपए व्यय किये गये। यह कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो 50 प्रतिशत केन्द्र एवं 50 प्रतिशत राज्य की सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। 1997 से 2002 तक के लिये राज्य द्वारा 46 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अन्त्योदय योजना

ANTYODAYA YOJNA

राज्य के साधन और स्रोतों का लाभ निर्धनता के आँखिरी छोर पर बैठे व्यक्तियों को देने के लिये 'अन्त्योदय' योजना का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती 2 अक्टूबर 1990 से राज्य भर में पुनः शुरू किया गया है।

अन्वोदय योजना राजस्थान में पूर्व में वर्ष 1977 से 1980 में भी क्रियान्वित की गई थी। पूर्व में योजना के आशतीत परिणामों को ध्यान में रखते हुये इस बार पुन सरकार ने इस योजना को परिष्कृत और परिमार्जित रूप से लागू किया है।

उद्देश्य

Objects

अन्वोदय कार्यक्रम का मुख्य ध्येय निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्ति को रोजी-रोटी का साधन उपलब्ध करवा कर उसे अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाना है। इस योजना का सफल क्रियान्वित के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि वे सभी सरकारी विभाग जिनकी योजनाओं का लाभ प्रामाण्य परिवारों को मिलना है, वे यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनकी योजनाओं का लाभ अन्वोदयी परिवारों को प्रथम प्राथमिकता में मिले। अन्वोदय कार्यक्रम का लाभ चयनित अन्वोदयी परिवारों को ही मिल रहा है यह देखने के लिए सभी विभाग नोडल अधिकारियों भी मनोनीत करते हैं।

चयन के मानदण्ड

Standards of Selection

अन्वोदय परिवारों का चयन पांच श्रेणियों में किया जायेगा

प्रथम श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों।
- परिवार में 15 से 59 वर्ष की आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति न हो एव
- अशक्त, अपंग अथवा वृद्धावस्था के कारण जो परिवार जीवनयापन की स्थिति में नहीं है।

द्वितीय श्रेणी

- भूमिहीन परिवार जिनके पास पशु व अन्य आय के कोई साधन न हों, एव
- परिवार में एक या अधिक कमाने योग्य व्यक्ति है किन्तु वार्षिक आय सभी भानों से 2 250 रूपय में कम है।

तृतीय श्रेणी

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत का सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 रूपय से कम है।

चतुर्थ श्रेणी

- ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में एकीकृत ग्रामांज विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत लाभान्वित किया

जा चुका है एव जो ससाधन इन्हें दिलाये गये है, से खुर्द-खुर्द नहीं किये गये है व परिवार की कुल वार्षिक आय 3 500 रूपय से कम है।

पचम श्रेणी.

- ऐसे परिवार जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत का सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3 500 में 4,800 रूपय के बीच है।

चयन की प्राथमिकता व संख्या

Preference in Selection & Number

परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। प्रथम श्रेणी के परिवार चयनित होंगे एव स्थान उपलब्ध होने पर ही क्रमशः द्वितीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के परिवार चुने जायेंगे। साधारणतया पाचवी श्रेणी के परिवार चुनने से पहले यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रथम चार श्रेणियों का कोई परिवार नहीं बचा है।

ऊपर बताई गई श्रेणियों में विधवा परिवार एव वेसहारा लोगों को प्राथमिकता का आधार पर चयनित एव लाभान्वित किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव महिलाओं को विशेष ध्यान रखा जाये।

चयनित परिवारों की संख्या ग्राम की जनसंख्या पर आधारित होगी।

जनसंख्या	चयनित परिवारों आरक्षित सूची में परिवारों की संख्या	की संख्या
500 से कम	3	2
501 से 1000	5	2
1001 से 2000	7	3
2001 से ऊपर	10	5

प्रथम चरण में केवल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से चयनित परिवार लाभान्वित नहीं हो सक तो आरक्षित सूची के परिवार को चयनित परिवार के स्थान पर लाभान्वित किया जायेगा।

परिवारों का प्राथमिक चयन

Primary Selection of Families

सबसे पहले सर्वोपेक्षित परिवारों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर गांव के ताला में जनवरी प्रथम को चयनित होने योग्य परिवारों की श्रेणीवार प्राथमिक सूची बनायेंगे। इस प्राथमिक सूची में सम्मिलित परिवारों का संख्या चयनित आरक्षित सूची के परिवारों से तुलना होगा। उदाहरणार्थ 100 को जनसंख्या

वाले ग्राम के लिये प्राथमिक सूची दस परिवारों की होगी। किन्तु दस परिवार यदि उपलब्ध न हो तो सूची कम मख्या की होगी। प्राथमिक सूची ग्राम सभा की बैठक के दस दिन पहले पटवारी द्वारा विकास अधिकारी एवं मरपव को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम सभा की बैठक

Meetings of Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाई जायेगी। निश्चित तिथि की सूचना 15 दिन पूर्व गांव में डोंडी पिटवाकर करा दी जायेगी एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड व मुख्य स्थानों पर भी नोटिस लगवाये जायेंगे। ग्राम सभा में सबंधित सासद, विधायक, प्रमुख व मरपव भी आमंत्रित किये जायेंगे। इन्हे भी 15 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।

बैठक बुलाने के समय से दो घंटे पहले भी गांव में डोंडी पिटवाकर गांव वालों को बैठक में भाग लेने के लिये निमंत्रण दिया जायेगा।

ग्राम सभा की बैठक में ग्रामवासियों व जन-प्रतिनिधियों के अलावा विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, तहसीलदार नाबब तहसीलदार आदि अधिकारियों में से कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सबंधित उपखण्ड अधिकारी इस व्यवस्था के लिय जिम्मेदार होंगे।

ग्राम सभा द्वारा चयन

Selection by Gram Sabha

ग्राम सभा की बैठक में गांव के पटवारी चयन के लिये निर्धारित मापदण्डों को पढकर सुनायेंगे। पटवारी द्वारा तैयार की गई प्राथमिक सूची की पूर्ण जानकारी भी ग्राम सभा में पढकर सुनाई जायेगी। ग्राम सभा में प्राथमिक सूचना पर चर्चा के बाद निर्धारित संख्या में अन्त्योदय परिवारों व आरक्षित सूची का चयन किया जायेगा।

यदि ग्राम सभा का यह मत है कि कोई परिवार चयन के लिए पूर्ण रूप से योग्य है किन्तु प्राथमिक सूची में उसका नाम छूट गया है तो ऐसे परिवार का चयन भी किया जा सकेगा। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को अंतिम माना जायेगा।

अन्त्योदय परिवारों के विकल्प

Alternatives

अन्त्योदय परिवारों के चयन के पश्चात् ग्राम सभा की बैठक में पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा अन्त्योदय योजना में दिये जाने वाली सहायता का विवरण दिया जायेगा। चयनित

परिवारों के मुखियाओं से सलाह करने के बाद उनके विकल्प प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं इसी आधार पर अग्रिम योजना बनाई जायेगी। बाद में यदि विकल्प के अनुसार परिवार को लाभान्वित करना संभव न हो तो परिवार की राय से विकास अधिकारी द्वारा विकल्प में उपयुक्त परिवर्तन किया जायेगा।

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण

Minutes of Gram Sabha

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण सबंधित पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा मौक पर मौजूद सभी लोगों के सामने लिखा जायेगा और ग्राम सभा में मौजूद सभी ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधियों व प्रभारी अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण को विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जायेगा और उसकी सही प्रति के साथ रसीद लेकर उसे ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जायेगा। पटवारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ गांव के सबंध में परिशिष्ट-2 में वर्णित सूचनाएं और चयनित परिवारों की परिशिष्ट-3 में वर्णित सूचनाएं तैयार कर विकास अधिकारियों को बैठक की तारीख से 7 दिन में भेजी जायेंगी।

विकास अधिकारी द्वारा सूचना का सकलन

Collection of Information by B D O

चयनित परिवारों की सूचना के आधार पर परिशिष्ट-4 (क) व (ख) के अनुसार रजिस्टर पंचायत समिति द्वारा सघारित किया जायेगा और उसके पूरा रखने की जिम्मेदारी सबंधित विकास अधिकारी की होगी। इस रजिस्टर में चयनित परिवारों के सबंध में दी गई आर्थिक सहायता और उसके बाद प्रगति के सबंध में जानकारी होगी। परिवारों की सहायता के लिये जो विकल्प प्राप्त हुये हैं उनके आधार पर परिशिष्ट-5 (क) व (ख) के अनुसार योजना तैयार की जायेगी और चयन की तारीख के एक माह के भीतर जिला प्राचीन विकास अभिकरण को भेजना होगा। विकास अधिकारी द्वारा चयनित परिवारों की सूचिया (परिशिष्ट-6) के अनुसार तैयार कर सबंधित बैंकों, विभागों एवं त्रि प्रा वि अभिकरण को भेजी जायेंगी।

परिचय-पत्र

Identity Card

सभी चयनित परिवारों को एक परिचय-पत्र दिया जायेगा। यह परिचय-पत्र ग्राम सभा में चयन का कार्य पूर्ण होने के दो माह के अंदर विगारित करने की जिम्मेदारी सबंधित विकास अधिकारी की होगी। इस कार्य के लिये ग्राम सेवक और

पटवारी को सहायता ली जायेगी।

चयन की जिम्मेदारी

Responsibility of Selection

अन्त्योदय परिवारों के चयन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की होगी। सभी गावों में चयन के लिए विस्तृत कार्यक्रम कलेक्टर बनायेंगे एवं उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रसार अधिकारी, गिग्दावर, पटवारी व ग्राम जेबक इस कार्यक्रम को सम्पादित करवायेंगे। यह ममस्त व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

भाष ही जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं अन्य समकक्ष अधिकारीगण ग्राम सभा की कम से कम 5 प्रतिशत बैठकों में स्वयं भाग लेंगे एवं यह मुनिश्चित करेंगे कि चयन सही रूप से हो रहा है। जिला कलेक्टर एवं उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी कम से कम 10 ग्राम सभा की बैठकों में इस प्रकार भाग लेंगे।

प्रत्येक अधिकारी के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 7 पर उपलब्ध है।

उपसंहार

Conclusion

अन्त्योदय योजना के मुख्य बिन्दुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है। जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसकी क्रियान्विति निश्चित निधि तक हो, यह दायित्व नीचे से लेकर ऊपर तक उन सबका है, जो इस योजना का लाभ निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए इनसे जुड़े हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता का कार्यक्रम है। इसकी सफल क्रियान्विति प्रशामन व मवेदनशीलता का प्रतिबिम्ब होगी। इसकी प्रगति हर स्तर पर गंभीरता से होनी चाहिये।

अन्त्योदय चयन प्रक्रिया के अतर्गत विभिन्न स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्य

Duties of Officials

1 कलेक्टर (Collector)

1 चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित निर्देशानुसार अपने जिले में यह कार्य समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम मुनिश्चित कराना।

2 चयन दौर के प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजस्व / विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर क्षेत्रों का विभाजन करना।

3 क्षेत्रीय पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के सम्मन्त पटवारी/ग्राम सेवकों की चयन तिथि से 10 दिन पूर्व बुलाई जाने वाली बैठकों का पर्यवेक्षण करना।

4 चयन प्रक्रिया के दौरान समस्त जिले में कार्यरत अधिकारियों द्वारा पूर्व निश्चित कार्यक्रमानुसार प्रश्न सभाओं की बैठकों की चयन कार्य सम्पन्न कराये जाने की पूर्णरूपेण देख-रेख करना।

5 चयनोपरान्त सम्मन्त संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों/ विकास अधिकारियों से चयनित परिवारों की पूर्ण सूची मय खण्ड-स्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के लिए एकत्रित करना।

6 एकत्रित सूचियों व खण्डन्तरीय प्रयोजनवार योजनाओं के आधार पर जिलामन्तरीय योजना बनाकर जिला प्रांतीय विकास अधिकारण से अनुमोदित करवाना एवं विशिष्ट योजना संगठन को समय पर प्रेषित करना।

II उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer)

1 अपने क्षेत्र के समस्त ग्रामों के निर्धारित कार्यक्रमानुसार ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करवाने एवं अधीनस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जिलाधीश के निर्देशानुसार विकास प्रसार अधिकारियों के बीच एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग लेने हेतु उपक्षेत्र आवंटित करना।

2 ग्राम सभाओं की बैठकों की तिथिया तय करवाकर सदस्यित दिकस अधिकारी से विधिवत् नोटिस जारी करवाना।

3 ग्राम सभाओं के निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयाजन का पूर्ण पर्यवेक्षण करना एवं सभी बैठकें निश्चित समय पर सम्पन्न कराना।

4 ग्राम सभाओं की बैठकों का स्वयं भाग लेने पर निरीक्षण करना।

5 बैठकों में चयनित व्यक्तियों की सूचिया, मय निर्धारित प्रश्नों में रूचनाएँ एकत्रित करवाकर विकास अधिकारियों को निर्धारित समय में भेजने के लिए अधीनस्थ स्टाफ के पाबंद लगाना।

III विकास अधिकारी (B D O)

1 जिलाधीश के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र के चयन का पर्यवेक्षण/संचालन करवाना एवं अधीनस्थ प्रसार अधिकारियों को उन्हें आवंटित क्षेत्र में चयन कार्य सम्पन्न करने हेतु पाबंद करना।

2 उप खण्ड अधिकारी/ तहसीलदार के परामर्श से नोटिस जारी कर अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त ग्रामों की ग्राम सभाएं आयोजित करना।

3 ग्राम सभाओं में चयनित परिवारों की सूचिया एवं विकल्पों

रूप में उपलब्ध कराई जायगी। इन जातियों के लोगों का आर्किटेक्ट जमीन पर उन्हें कच्चा ढिलाने का पत्रक। इतना ही किया जायेगा तथा भूमि आउटलेट के कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाया जायेगा। उनके शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का गठन किया जायेगा तथा एस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उचित महासभा दी जायगी। गिर पर येना उठाने की प्रथा का समाप्त किया जायेगा तथा गफार्ड कर्मचारियों के प्रस्थापन के लिए विराय राज्य में अमल में लाये जायेंगे। विशेष असा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त भन और हेतार निर्देशन की व्यवस्था की जायेगी। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के समाज व अन्य वर्गों के साथ और अधिा एपीकरण के लिए आवश्यक कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे तथा विस्थापित आदिवासीयों को फिर से बसाने की व्यवस्था की जायेगी।

12 महिलाओं की समानता - गाँव की गरिमा और मर्यादा को ऊँचा उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे तथा उनकी समस्याओं का प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। महिलाओं के लिए मेजबान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम लागू किये जायेंगे तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरण पैदा करने के प्रयत्न किये जायेंगे। राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान को बढ़ावा दे दिया जायेगा। एकेज प्रथा के विनाश के लिए कानून का उपायन तथा दण्ड विधायी कानून का लागू करने की कारगर व्यवस्था की जायेगी।

13 युवा वर्ग के लिए अवसर - युवाओं के छल पूरक गतिविधियाँ करायें और मारकृति गतिविधियों का विनाश किया जायेगा और उनके शारीरिक स्वास्थ्य का सुधारने के प्रयत्न भी किये जायेंगे। राज्य के विकास में बड़ी भूमिका लेने वाली युवाओं का भूमि सुधार कार्यक्रम पर्यावरण का संरक्षण तथा रक्षा शिक्षा को अधिकारों में समाविष्ट करने के प्रयत्न किये जायेंगे। हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक भारतीय युवाओं का पुनः वर्ग उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने और विभिन्न स्तरों के लिए व्यवस्था की जायेगी। आम जनता का राष्ट्रीय अखण्डता, सांस्कृतिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक रचना करने के कार्यक्रम युवा वर्ग का शामिल किया जायेगा। नरक युवा वन्दन का विनाश किया जायेगा तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय कैम्प वीर का सुदृढ़ बनाया जायेगा। प्राचीन युवाओं के विकास में कार्यक्रमों को समाज में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

14 राबके लिए मकान - प्राचीन क्षेत्रों के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जायेगी तथा घर बनाने के कार्यक्रम का विनाश किया जायेगा। अनुसूचित जातियों

और जनजातियों के व्यधियाँ के लिए घरों के निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा घरों को बनाने की सरती सामग्री का विनाश किया जायेगा।

15 तंग बस्तियों का सुधार - तंग बस्तियों की सख्त को बढ़ाने से रोका जायेगा तथा वर्तमान तंग बस्तियों में सुविधाएँ सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। इससे अलावा शारीर इलाकों में सुनिश्चित गृह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

16 वन विस्तार - अधिक से अधिक पेड़ बोधे लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। नए वन लगाए जायेंगे और नए वनों का लगाने में जनता का भी शामिल किया जायेगा। आदिवासीयों और स्थानीय समुदाय के उन अधिकारों की रक्षा की जायेगी जिनके अधीन इन वनों की रक्षा और जंगलों की अन्य उपज प्राप्त करने हैं परती जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जायेगा और पर्यटकों तथा वैज्ञानिकों को इलाकों को हरा भरा बनाया जायेगा।

17 पर्यावरण की रक्षा - पर्यावरण के प्रदूषण से रक्षा करने के लिए जनता का और ज्यादा संज्ञक बनाया जायेगा तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए आम जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जायेगा। सभी नागरिकों में इस मान्यता को पनपाया जायेगा कि श्वेतों विनाश का अर्थ प्राकृति संतुलन का नाश करना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक परिशोधनों को लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयन किया जायेगा।

18 उपभोक्ता कल्याण - गरीब समूहों के लिए आवश्यक उपकरणों का उपलब्ध बनाने के लिए महत्व और सुरक्षित व्यवस्था को जायेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वितरण व्यवस्था का पैसा रूप दिया जायेगा। विनाश अधिक महत्व का समर्थन अधिक लाभ उत्पन्न करने का प्राय हो सके। इसके अलावा सरकारी विभागों को समाज का सुदृढ़ बनाया जायेगा।

19 गाँवों के लिए ऊर्जा - ग्रामीणों में उपलब्ध सूर्य के लिए विद्युत की मालाई का विनाश किया जायेगा। उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों विशेषकर गैस के साथ का विनाश किया जायेगा और विविध प्राणिक क्षेत्रों में उर्जा का विनाश व पर्याप्त कार्यक्रमों का प्रोत्साहन किया जायेगा।

20 संवेदनशील प्रशासन - प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरल बनाया जायेगा तथा हर स्तर पर अधिकारियों का समुचित अधिकार बोध जायेंगे। हर स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा तथा राज्य स्तर में नए राष्ट्रीय स्तर तक योजनाओं के परिष्कार को व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा जनता की शिक्षाओं पर ध्यान देने का समुचित कार्यक्रमों का जायेगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की हैं और राजस्थान का स्थान देश के अग्रणी देशों में रहा है।

अरावली विकास

ARAVALI DEVELOPMENT

भारत की पाचवी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को एक योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण का विकास, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना था। यह कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि लोगों को सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

वर्तमान में यह योजना 3 क्षेत्रों में सम्मिलित करती है-

- (1) हिमालय व अन्य पहाड़ी क्षेत्र (2) पश्चिमी घाट (3) नीलगिरी

राजस्थान सरकार, अरावली पहाड़ी क्षेत्र को भी इस योजना में सम्मिलित करने का आग्रह करती रही। 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस दल के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान में अरावली पर्वत क्षेत्र के कुछ भागों को पहाड़ी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित करने योग्य माना गया। अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं उत्तरप्रदेश के लिए विशेष महत्व है। यह जल के वितरण व रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला में पहले काफी घने जंगल थे। उसमें बड़े-बड़े पेड़ों के साथ वन्य जीवन भी बहुतायत में पाये जाते थे। इस क्षेत्र में वनों के विनाश ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिछले कुछ दशकों में मानव एवं पशुओं के बढ़त दबाव, वन विनाश, खनन कार्य, जलवर्षण की लागत पर कटौती जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य, वनों के प्रसार से पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में ह्रास, अरावली क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार धार के रेगिस्तान को उत्तर-पूर्व में गंगा के मैदान की ओर बढ़ने से रोकने, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत पहाड़ियों पर पुनः लगाकर राजस्थान के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वन विनाश और भूमि के कटाव को रोककर अरावली क्षेत्र में पहाड़ियों के चट्टानी क्षेत्र को बाहर निकालने से रोकने, पहाड़ी क्षेत्र में परिस्थितिकी स्थिरता को बरकरार करने एवं दक्षिणी अरावली जनजाति क्षेत्र में रह रहे जनजातियों को संरक्षण देने हेतु अरावली क्षेत्र का विकास

आवश्यक हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अरावली पर्वत क्षेत्र के 41447 वर्ग किलोमीटर भाग को सम्मिलित किया गया है। यह क्षेत्र 16 जिलों के 120 खण्डों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 1178 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उन अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है, जिनका ढाल 30% से कम है। इस प्रकार अरावली पर्वत का मुख्य क्षेत्र तो लगभग 29661 वर्ग किलोमीटर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये निम्नांकित सुझावों के आधार पर कदम उठाये गये -

1. ममस्त परिस्थितिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के प्रयास करना। इसमें स्थानीय स्रोत और विक्रम सभावनाओं को भी ध्यान रखा जाना चाहिये।
2. यह विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के सर्द्ध को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना चाहिये।
3. इस क्षेत्र के विकास के लिए वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
4. भू एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
5. ईंधन व चारे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे पेड़ लगाने चाहिये जो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दें।
6. वनों पर बढ़ते हुए दबाव को दृष्टिगत रखते हुये ईंधन के वैकल्पिक साधनों का विकास किया जाना चाहिये।
7. उद्यान के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
8. क्षेत्र में चारे की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुये पशु पालन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. अरावली पर्वत क्षेत्र में विद्यमान कम ऊँचे क्षेत्रों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे रेगिस्तान को रोका जाना चाहिये।
10. बंजर एवं बेकार भूमि विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिये।
11. जिन समुदायों के लाभ के लिये यह कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, उनका सक्रिय सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त किया जाना चाहिये। अरावली पर्वत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, भिन्न क्षि जलवायु दशाओं, आधारभूत सुविधाएँ जुटाने की ऊँची लागत एवं इस क्षेत्र में निवास कर रहे विभिन्न समुदायों के भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुरूप अरावली विकास के कार्यक्रमों का सुझाव दिया है। योजना-आयोग के कार्यवाही दल ने राज्य सरकार का यह सुझाव

मान लिया है कि अरावली क्षेत्र को राष्ट्रीय पहाड़ी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाये। दल ने यह सिफारिश भी की है कि वृक्षारोपण भूमि एवं जलमयुक्त आदि कार्यक्रमों पर अरावली क्षेत्र में जो भी व्यय होगा उसे राज्य एवं कन्द्र सरकारों 1:3 में वहन वरेगी। जय के इस भार के लिए योजना आयोग और राजस्थान सरकार विचार कर रहे हैं। अरावली पर्वत विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं गमन्य के लिए वन विभाग मुख्य भूमिका निभायेगा। आठवीं योजना में राजस्थान सरकार ने अरावली क्षेत्र विकास हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था कि राज्य सरकार का व्यय का अंश लिया जा सके। परिभाषित कर इसकी सम्भावधि 1999 तक 1:1 की गई है। 1998-99 में 26600 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना MEWAT REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT

राजस्थान सरकार ने फरवरी 1987 में अलवर और भरतपुर जिला के मेवात क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की। इन मेवात क्षेत्रों में अलवर जिले की सात पंचायत समितियाँ त्रिजारा रामगढ़ किसानकडवास लक्षणगढ़ मझरा उमैन कदमर और भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियाँ कामा नगर डोंग सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम जिला प्रामाण्य विकास एजेंसियाँ द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इन मेवात क्षेत्रों में मेवा समुदाय के लोगों के विकास हेतु आठवीं योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

मेवात क्षेत्रीय विकास परियोजना पर आठवीं योजना में व्यय	
प्रकार	प्रावधान (लाख रुपये में)
सड़क निर्माण	188.70
मिचार्ड	87.10
पंचायत	66.75
सुख	14.00
पर्याप्त	12.70
निर्मित एवं गमन्य	32.00
शिक्षा	11.90
वन वृक्षारोपण	17.45
दल व विभाग	4.40
योग्य	35.00
कुल	400.00

स्रोत: Eighth Five Year Plan 1992-97 Raj

इस योजना में मिनीकीट का वितरण उद्यान का विकास देवाईये आदि का वितरण हथ में लिया गया। पशुपालन हेतु पशुओं का आयोजन किया गया। सार्वजनिक शिक्षा केन्द्रों में अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों को पुस्तकें व वर्दी नि:शुल्क वितरित की गईं। स्व-मेवात हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान था। साथ ही एक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित थी। मेवात विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मत बहुल क्षेत्रों पर लगभग 1997 तक 2.59 करोड़ रुपये का राशि व्यय की गई।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम COMMAND AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सृजित क्षमता और उसके उपयोग के अंतर को कम करना है। ऐसा सिरिखित क्षेत्रों में गमन्य विकास के माध्यम में ही संभव है। इसके अंतर्गत मिट्टी भू-उपयोग जल प्रबंध आदि को नियोजित कर उत्पादकता में वृद्धि करता है। राजस्थान में 1974 में गमन्य एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिये कार्य आरंभ किया गया था। उसके पश्चात् गणनहर और भाउडा के कमाण्ड क्षेत्रों में भी विकसित करने की गृह्य की गई लेकिन पर्याप्त धन का अभाव ने यह जारी नहीं रह पाई। 1983-84 में जारी परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रबंध सड़क निर्माण वृक्षारोपण कृषि विस्तार कार्यक्रम आदि का नियोजन मत्स्य पालन पशुपालन सहकारिता आदि के कार्य हथ में लिए जाते हैं। कमाण्ड क्षेत्र में नगर सार्वजनिक व विकास नियोजन के विभिन्न विन्दुओं का अध्ययन दृष्टि रीत नृत्वों का प्रशिक्षण गृह्य का विकास एवं राजस्थान कोलानाईजेशन एक्ट 1954 के अंतर्गत कोलानाईजेशन का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कमाण्ड क्षेत्र विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यों पर 580.55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MINIMUM NEEDS PROGRAMME

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गमन्य माध्याम में विकास के लिये आवश्यक

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

अधरभूत सुविधाएँ जुगुने का चेष्टा की गई। इस कार्यक्रम में वनन में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है वनांक वारिकी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण सड़कें वनाय शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण सरसई ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों का आवास सहायता शहरा वच्चा बलियो में पर्यावरण सुधार पोषाहार एव खाद्य एव नारिक पूर्ति। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम अधरवक्ता कार्यक्रम के लिये 1217 17 करोड रुपए का अंशदान किया गया था इससे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम पर निम्न प्रकार के व्यय किये जाने का प्रावधान था।

क्षेत्र/ कार्यक्रम	प्रस्तावित प्रावधान (करोड रुपए में)
सामाजिक सुविधाएँ	15 00
ग्रामीण विद्युतीकरण	93 50
ग्रामीण सड़कें	182 00
ग्रामीण शिक्षा	386 63
सड़क शिक्षा	12 00
ग्रामीण स्वास्थ्य	134 62
ग्रामीण जलापूर्ति	296 50
ग्रामीण सड़कें	2 00
अल्प सहायता	20 16
पर्यावरण सुधार	20 40
पोषाहार	47 21
खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	7 15
योग	1217 17

आधारभूत न्यूनतम सेवायें कार्यक्रम BASIC MINIMUM SERVICES PROGRAMME

के कार्यक्रम प्रदान करने की प्रेरणा पर आरंभ किये गये हैं और सान आधारभूत न्यूनतम सेवाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। य सवाय है

- 1 सभा निवासियों को राष्ट्रीय मानक क अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- 2 5000 तक क समूह को कुराल प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।
- 3 बेकार गराव व्यक्तियों को सावजनिक आवास सहायता उपलब्ध कराना।
- 4 हर गाव को बाजार अथवा बाजार से जोडने वाली और वष पर्यन्त आवागमन वाला सड़क से जोडना।
- 5 विद्यालय से पूव और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निर्धन

परिवारों के बच्चों को पोषाहार सहायता देना।

- 6 प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण की दुकान खोलना।
- 7 सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक गाव में विशेषकर महिलाओं व लडकियों को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना।

सन् 1996-97 में इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से 87 63 करोड रूपये राज्य सरकार का प्राप्त हुय । इस कार्यक्रम पर जून 1997 तक 95 24 करोड रुपए कम किये गये।

महिला विकास कार्यक्रम WOMEN DEVELOPMENT PROGRAMMES

1984 म राजस्थान म महिला विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया इसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार का ध्यय रखा गया यह अनुभव किया गया कि विकास कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका होनी चाहिये। ऐसा उनकी शिक्षा प्रशिक्षण और मूचनाओं के सवहन एव सामूहिक प्रयासों से हा सभव है। महिला विकास परियोजना राजस्थान के 10 जिलों जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर बामवाडा भालवाडा काटा झगरपुर साकर दीकरेण म क्रियान्वित की जा रहा है। विभिन्न चरण के अंतर्गत इस परियोजना का विकास राजस्थान के सभी जिलों में किये जाने का योजना है। आठवीं योजना में इसक अंतर्गत चार और जिला को सम्मिलित किया जाना था आठवीं योजना में महिला विकास परियोजना के लिए 11 33 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।

दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों में वीहड सुधार कार्यक्रम

DACOIT PRONE REVINE IMPROVE MENT PROGRAMME

राजधान में केन्द्रा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि डाकूग्रस्त इन क्षेत्रों में य केन्द्राये अपने आस-पास का उपजाऊ कृषि भूम में विस्तृत नहीं हो पाय साथ हा इन केन्द्रा क्षेत्रों को पुन सुधार कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना था इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। राजस्थान म ये कार्यक्रम 5 डाकूग्रस्त जिला कोटा वृदी सवाईमधुपुर भरतपुर एव धौलपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसम केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राशि दो जा रही है। आठवां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 54 07 करोड रुपए व्यय करके

24100 हैक्टर क्षेत्र में वन लगाने एवं अन्य विक्रम कार्यक्रम हाथ में रखे जाने की योजना थी।

वंजर भूमि विकास कार्यक्रम

BARRÉN LAND DEVELOPMENT PROGRAMME

पर्यावरण सुधार तथा ईंधन चारा फल एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धि के उद्देश्य में राष्ट्रीय स्तर पर बजड़ भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में बजड़ भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल राष्ट्रीय बजड़ भूमि विकास बोर्ड के अनुसार 1.8 बरगड हैक्टेयर है। अतः राजस्थान में भी बजड़ भूमि विकास कार्यक्रम के माध्यम से विशाल क्षेत्र में विस्तृत बजड़ भूमि पर वृक्षारोपण व घास के उत्पादन द्वारा पर्यावरण सुधार के साथ आर्थिक आय बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित भूमियों का वृक्षारोपण द्वारा विकास किया जा सकता है -

- 1 कृषि के अयोग्य भूमि जो पहले से ही पचायती राज सस्याओं में निहित है जैसे चरागाह भूमि व गवई भूमि
- 2 राजकीय विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं के पास कृषि के अयोग्य भूमि
- 3 कृषि के अयोग्य पड़त भूमि जिसका वृक्षारोपण हेतु व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को आवंटन हो सके तथा
- 4 खानेदारी भूमि जो कृषि के अयोग्य या कम थाय्य हो और जिस पर वृक्षारोपण द्वारा अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग 'कर्ता विभाग' बनाया गया है जो वन, राजस्व, विशिष्ट योजना संगठन कृषि सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण आदि विभागों के समन्वय एवं सहयोग से कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन पचायती राज सस्याओं के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्यक्रम के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता राज्य जिला स्तर पर ग्राम स्तरों पर वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

इस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कानून एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम मूरुखा प्रदूषण क्षेत्र कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति विकास, सामाजिक वानिकी अनुसूचित जाति संपत्क यात्रा आदि परतने से चली आ रही योजनाओं से अर्थात् तथा बैंक व वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान में इस कार्यक्रम के अर्थात् वंजर भूमि विकास के लिये 1986-87 से एक 'कार्यकारी योजना

बनाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक गांव पचायत समिति द्वारा कम से कम 25 से 40 हैक्टेयर बजड़ भूमि को ग्राम्य वन के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पचायत समिति में कम से कम दस घाम पचायते 10-10 हैक्टेयर भूमि पर ग्राम्य वनों के विकास की योजना हाथ में लेगी। पचायत समिति स्तर पर कम से कम एक पौधशाला की स्थापना की जायेगी जिसमें एक लाख पौध तैयार किए जायेंगे इसके अलावा क्षेत्र की ग्राम पचायतों विद्यालय आदि में कम से कम 20 पौधशालाएँ तैयार की जायेंगी।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

सातवाँ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिये पूर्णतः केन्द्र की सहायता में एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी सीमान्त क्षेत्रों के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करके स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान पंजाब, गुजरात को सम्मिलित किया गया है। बाट में जम्मू कश्मीर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। सातवाँ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस पर 200 00 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। इस कार्यक्रम का वार्षिक क्रियान्वयन 1986-87 में आरंभ हुआ। आरंभ में इस कार्यक्रम की देखभाल गृह मंत्रालय को करनी थी, बाद में इसे मानव समाधान विकास मंत्रालय को दे दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरूप के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मुख्य सिन्धु सम्मिलित हैं। प्रथम इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को फौदा परिचय-पर निर्मित करना। द्वितीय शिक्षा तृतीय मियाई एवं चतुर्थ सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। 1990-91 एवं 1991-92 में सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए क्रमशः 86 एवं 85 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह कार्यक्रम आठवीं राज्या में भी जारी रहा और इसके अंतर्गत पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया। आठवीं योजना में इन समन्त वादों पर केन्द्र ने 640 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के चार जिलों (बाणरस, दैमनगर, बाजपुर एवं बगानगर) में चलाया जा रहा है। 1997-98 में दिसम्बर 1997 तक इस कार्यक्रम पर 16 79 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए मरु-विकास कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए।
Explain the Desert Development Programme adopted in Seventh Five-Year Plan of Rajasthan
- 2 राजस्थान में मरु-विकास कार्यक्रम के क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं?
What are the specific objective of the Desert Development Programme in Rajasthan
- 3 जवाहर राजांगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Explain the main features of Jawahar Rojgar Yojna
- 4 राजस्थान के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।
Point out the Special Schemes and Programmes for development of Special Areas in Rajasthan
- 5 ट्राइसेम क्या है?
What is TRYSEM ?
- 6 'DWCRA' पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on DWCR A
- 7 'मदा' क्या है?
What is MADA ?
- 8 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Minimum Need Programme

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए हैं?
Point out the special schemes and programmes for development of special areas in Rajasthan. To what extent these have been proved beneficial?
- 2 राज्य में मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम का साक्षात् समझाइए। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये।
Mention the government's efforts to develop the tribes in Rajasthan. Specify the role of sub-plan in the context.
- 3 अरवाली विकास का क्या महत्व है? इसके सम्भवित लाभों पर प्रकाश डालिए।
What is the importance of Aravalli Development? Analyse the possible gains of this programme
- 4 राजस्थान में जनजाति क्षेत्त्र विकास कार्यक्रम को स्थान में व्याख्या कीजिए।
Analyse in brief the Tribal Area Development Programme (TADP) in Rajasthan
- 5 जवाहर राजांगर योजना पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on Jawahar Rojgar Yojna (JRY)
- 6 निम्नलिखित पर 100 शब्दों (शब्दों) में टिप्पणी कीजिए।
(i) राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
Write short notes on the following in 100 words for each -
(i) Role of National Development Council (ii) Desert Development Programme

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)


- 1 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
(i) सूखा सम्बन्धि क्षेत्र कार्यक्रम (ii) मरु-विकास कार्यक्रम
(ii) जनजाति क्षेत्र तथा अरवाली विकास (iv) सम्बन्धित शहरी विकास कार्यक्रम
(v) जवाहर राजांगर योजना
Write short notes on the following
(i) Drought Prone Area Programme (ii) Desert Development Programme
(iii) Tribal Area and Aravalli Development (iv) Integrated Rural Development Programme
(v) Jawahar Rojgar Yojna

- 2 राजस्थान में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन वाजिह। भविष्य में इसको कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?
Describe the Drought Prone Area Programme (DPAP) in Rajasthan. How it can be more effective in future?
- 3 मक्षिण दिग्दर्शी लिखिए -
(i) राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (ii) अरावली विकास कार्यक्रम
(iii) राज्य में मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम
Write short notes on -
(i) Drought Prone Area Programme in the State (ii) Aravalli Development Programme
(iii) Desert Development Programme in the State
- 4 राजस्थान में शरीरी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समीक्षा कीजिए।
Review the Integrated Rural Development Programme as a specific programme to eradicate the poverty in Rajasthan



राजस्थान में आर्थिक नियोजन

ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN



* राजस्थान में जिला नियोजन 1988-89 से आरंभ हुआ। *

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान का नियोजन तंत्र
- विकेंद्रित नियोजन
- राजस्थान में आर्थिक नियोजन
- राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना
- अन्त्यासूच्य प्रकरण

राजस्थान का नियोजन तंत्र

PLANNING MACHINERY IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्रभावपूर्ण नियोजन के लिए जो तंत्र विकसित किया गया है उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ और विभाग महत्वपूर्ण हैं

1 योजना आयोग (Planning Commission) - योजना आयोग भारत में योजना के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। इसका गठन सन् 1950 में किया गया था। आयोग संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विकास की रूपरेखा बनाता है। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।

2 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) - राज्य स्तर पर सभी राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया है। इस परिषद् में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना के सभी सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं व कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है।


3 राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) योजना के सदर्भ में निर्णय लेने के लिए यह एक उच्चस्तरीय

अनुभव वाला बोर्ड है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए सलाह देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्यमान होते हैं।

4 योजना विभाग (Planning Department) - राजस्थान में योजना विभाग राजस्थान की योजना के निर्माण

एव क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अन्तर्गत योजनागत वित्त, जनशक्ति आदि के नियोजन, समन्वय, निरीक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। इसके प्रभावी संचालन से राजस्थान में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। राजस्थान में योजना विभाग का संगठन आक्रांत चित्र में समझा जा सकता है -

राजस्थान में योजना विभाग का संगठनात्मक ढांचा



5 जिला योजना प्रकोष्ठ (District Planning Cells)- प्रत्येक जिले में जिला विकास अधिकारी को सहयोग देने के लिए जिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं ताकि योजना के क्रियान्वयन के वास्तविक स्तर पर नियोजन को सुदृढ़ बनाया जा सके। यह 'नीचे से नियोजन' प्रोत्साहित करता है। जिला योजनाओं को माध्यम से राज्य के लिए प्रभावी और वास्तविक योजना का निर्माण संभव है।


6 निरीक्षण एव मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) - राज्य योजना विभाग के अन्तर्गत निरीक्षण एव मूल्यांकन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि समय रहते योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हो सके और आगामी योजनाओं में सुधार किया जा सके। योजना के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त कुशलता लाने की चेष्टा की गई है। योजनाओं को लागत लाभ की दृष्टि से भी देखा जाता है ताकि विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सुविधा हो सके।

7 विशिष्ट योजना संगठन (Special Scheme Organisation) - राजस्थान सरकार ने इस संगठन की

स्थापना लघु सिंचाई, भूमि विकास और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में सत्यागत वित्त को आवर्षित करने के लिए की थी क्योंकि इसकी स्थापना से पूर्व ऐसा कोई संगठन नहीं था जो विभिन्न वित्तीय राशियों की आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण कर सके। इस संगठन ने डेम्पिंग, पशुपालन, विपणन आदि में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इस संगठन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर, उन क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। इस संगठन के अन्तर्गत अनेक विराय योजनाओं का निर्माण किया गया है।

8 निर्वन्ध जिला योजना (Untied District Plan Fund) - राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को निर्वन्ध जिला योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराई है। यह जिलाम्तर पर योजना निर्माण की ओर एक कदम है। इनके अन्तर्गत निर्धारित राशि को जिले द्वारा भेजी गई योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् उनके क्रियान्वयन पर व्यय किया जाता है।

इस प्रकार राजस्थान में समय रूप से देखा जाए तो नियोजन की प्रक्रिया को इस चित्र में स्पष्ट किया जा सकता है



विकेंद्रित नियोजन

DECENTRALISED PLANNING

राजस्थान में नियोजन के अंतर्गत राज्य की केंद्रीय भूमिका रही है। जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से स्थानीय माथनों एवं प्रतिभओं को उपयोग करने के लिए जिला स्तर एवं उसमें मिले नियोजन अपरिहार्य हो जाता है। इससे लोगों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का सही आकलन किया जा सकता है एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। निर्धना निवारण और रोजगार के कार्यक्रमों को गति कुछ वर्षों से जिला स्तर पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इससे ऐसा अनुभव हुआ कि नियोजन के कुछ कार्यों को राज्य स्तर से जिला स्तर पर हस्तान्तरित किया जा सकता है ताकि नियोजन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग मिल सके। राज्य सरकार ने ट्रायबल मन्-मन्स, कम्पाउंड एरिया डवलपमेन्ट, सूखा सम्भावित कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से क्षेत्रीय नियोजन से सम्बन्धित कुछ कदम भी उठाये। जिला स्तर पर जिला प्रायोगिक विकास अभिकरण कार्य कर रहे हैं। इन अभिकरणों का यह दायित्व है कि वे सन्धित प्रायोगिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार योजना मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित कार्यक्रम आदि प्रायोगिक रोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें। इन अभिकरणों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है। और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जिले में जिला नियोजन समिति का गठन

पाचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उस समय किया गया था जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। उस समय इन समितियों का केवल सलाह और समीक्षा का कार्य दिया गया था किन्तु इन्हें कोई क्रियात्मक एवं वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं की गई है। सरकारी क्रियाओं में जिले का विशेष प्रयत्न महत्व है। इसके भविष्य में भी बन रहने की संभावना है। इसमें एक सुसंगठित एवं समन्वित प्रशासनिक तंत्र विद्यमान होता है जिसमें जिलाधीश के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद, प्लानिगिगल कौंसिल एवं बोर्ड आदि चयनित संस्थाएँ होती हैं। विधानमंडल की सभी सौटें भी जिले की सीमा के भीतर होती हैं। ऐसी स्थिति में जिला विकेंद्रित नियोजन के लिए एक उचित माध्यम व आधार है।

राजस्थान में जिला नियोजन का आरम्भ 1983-89 से हुआ जबकि झालावाड़ जिले की व्यापक जिला योजना निर्मित की गई। ऐसी योजनाएँ पाली, भीलवाड़ा, सर्वाई, माधोपुर आदि में भी निर्मित हो रही हैं। इन सबका मुख्य उद्देश्य नियोजन की क्रियविधि को कुराल बनाने से है। राजस्थान में राज्य स्तर पर नियोजन विभाग के अन्तर्गत एक अलग जिला नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया है जो राजस्थान में जिला नियोजन से सम्बन्धित है। जिला स्तर पर भी नियोजन प्रकोष्ठ बनाये गए हैं। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेंगे। जदपुर के राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जिला नियोजन के विभिन्न फलों से

परिचित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रकोष्ठों को जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाओं के दौर्भाग्यविधि एवं अल्पावधि योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों द्वारा निर्मित योजनाओं को राज्य योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। ये प्रकोष्ठ जिलाधीश के अन्तर्गत कार्य करेंगे। ये प्रकोष्ठ जिला नियोजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी सहयोग देंगे। इन प्रकोष्ठों का कार्य मुख्य नियोजन अधिकारी के नाम से निर्मित पद के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। राज्य का नियोजन विभाग राज्य स्तर पर, जिला नियोजन का मुख्य विभाग होगा। जिला नियोजन प्रकोष्ठों को ग्राम स्तर के आकड़े इकट्ठे करने का कार्य भी सौंपा जायेगा। इन आकड़ों का प्रयोग जिला नियोजन के अन्तर्गत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आकड़े इकट्ठा करने का कार्य एवं उम्र सूचना को कम्प्यूटर में भरने का कार्य प्रगति पर है। ये प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले के समाधनों का विवरण भी निर्मित करेंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही जिलों को निर्वन्ध कोष (Untied Funds) भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को उचित महत्व दिया जा सके। इन कोषों का उपयोग पेयजल, विद्यालय भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, बूड बैक, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ही जा सकता है वरतों इन कार्यों के कारण भविष्य में रोजगार दायित्व उत्पन्न न हो। आठवीं योजना के अन्तर्गत इन कोषों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1991-92 के वर्ष से 30 जिले 30 काम नाम की एक नई योजना प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये जिलों को निर्वन्ध कोषों की भाँति एवं उसी आधार पर आवंटित 30 जिले 30 काम का उद्देश्य यही है कि जिले द्वारा अल्प अवधि में स्थानीय मस्याओं का कुशलता उपयोग कर सके। साथ ही यह राशि इस प्रकार से विनियोजित की जाये कि स्थानीय समाधनों के उपयोग के साथ साथ जिले का विकास भी संभव हो सके। इस हेतु जिले को इस गतिविधियों में से एक को चुनना होता है लिफ्ट सिंचाई, स्मिक्लर, एनोक्रट, लघु सिंचाई, पर्यटन विकास, पशुपालन विकास, विद्यालय भवन का निर्माण अस्पताल के भवन का निर्माण चरागाह एवं वन विकास, क्षारीय भूमि विकास, विद्युत पयजल, सड़क हस्तकला, परिवार कल्याण सक्षरता, कमजोर वर्ग का कल्याण। उपरोक्त में से किसी एक क्रिया का चयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि स्थानीय नियोजन की प्रक्रिया एवं विकास में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सक्रिय

भाग्यदार हो सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण मुख्य नियोजन अधिकारी द्वारा जिलाधीश के अधीन किया जाता है। 30 जिला 30 काम के लिए आठवीं योजना में 190 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्यस्तरीय नियोजन विभाग ने अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, हनुमन्त राव समिति की सिफारिशों एवं झालावाड जिला योजना के निर्माण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य में विकेंद्रित नियोजन की क्रियाविधि निर्धारित कर ली है।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन ECONOMIC PLANNING IN RAJASTHAN

राजस्थान में योजनाबद्ध विकास 1951 में आरम्भ हुआ। सन् 1950 में देश में योजना आयोग की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर सभी राज्यों के अन्तर्गत समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राजस्थान में अब तक पूरे देश की भाँति सात पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात् 1990-91 और 1991-92 के लिए दो वार्षिक योजनाएँ बनाई गई हैं क्योंकि आठवीं योजना 1 अप्रैल, 1992 में आरम्भ हुई। राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five-Year Plan (1951-56))

राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मटों पर 6450 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु योजना के अन्त तक केवल 54 14 करोड़ रुपये ही व्यय हो पाए।

योजना के उद्देश्य Objectives

इस योजना के अन्तर्गत सबसे कठिन कार्य राजस्थान के जनमानस का नियोजन के लिए तैयार करना था क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के लिए जनता में आवश्यक जनचेतना का वित्कुल अभाव था। इसी प्रकार न तो अल्प-अल्प टुकड़ों में बँटे हुए रजवाडों की सहायताओं और समस्याओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी तथा न ही रजवाडों की अर्थव्यवस्था का माछिकीय विरलेषण उपलब्ध था। इस

विभाग	योग	शुद्ध एवं संचालित गणपद	प्रमाणिकता	सामर्थ्य (रिज)	अवकाश एवं कार्य विस्थापन	शक्ति	उपग्रह एवं चयनित	यातायात	वैज्ञानिक केन्द्रों का अनुसंधान	शैक्षणिक एवं सांख्यिकीय केन्द्रों	आर्थिक सेवाएँ	सांख्यिकीय सेवाएँ	कुल योग
प्रथम योजना	①	3.24	3.12	0.28	29.83	9.58	0.55	6.27		11.07	0.56	-	64.50
	②	2.62	3.04	0.26	31.31	1.24	0.46	5.55	-	9.11	0.55	-	54.14
द्वितीय योजना	①	6.70	7.27	1.64	29.56	19.89	5.57	9.57	-	24.67	0.10	-	105.27
	②	6.32	12.52	1.94	27.86	15.15	3.37	10.17	-	25.05	0.11	0.25	102.74
तृतीय योजना	①	16.30	17.80	4.00	52.70	35.00	8.95	13.20	-	47.75	0.30	-	236.00
	②	12.40	14.48	2.43	87.88	39.36	3.31	9.75	-	42.86	0.23	-	212.70
चारितीय योजना	①	11.01	4.27	0.85	39.65	47.29	2.35	3.74	-	23.43	0.13	-	132.72
	②	10.02	4.15	0.93	46.59	46.82	2.06	4.41	-	21.67	0.11	-	138.70
पांचवी योजना	①	10.95	3.19	5.00	102.64	90.37	7.95	9.78	-	73.77	0.51	1.85	308.21
	②	10.28	3.00	5.32	105.26	93.98	8.55	9.99	-	72.07	0.34	-	308.79
षष्ठी योजना	①	32.83	18.06	14.18	276.45	242.30	33.67	79.59	-	146.19	0.94	2.95	847.16
	②	31.44	19.24	1.41	271.17	248.97	34.53	8.20	-	149.05	0.83	0.83	857.62
सातवी योजना	①	12.67	9.30	4.50	81.25	90.00	12.54	24.50	-	38.59	0.21	1.44	275.00
	②	15.60	16.12	4.75	76.31	100.00	11.87	22.57	-	39.74	0.16	1.07	290.19
आठवी योजना	①	82.33	112.26	24.38	539.98	650.61	83.50	136.50	-	386.13	1.31	8.00	2025.00
	②	96.55	124.51	26.53	547.08	566.14	83.60	243.95	0.15	420.10	1.50	10.28	2120.45
नववी योजना	①	159.24	130.07	46.20	682.07	927.48	190.69	140.36	8.40	674.71	17.54	23.24	3000.00
	②	161.90	209.42	41.51	690.51	921.77	145.57	142.47	2.41	736.26	15.17	39.19	3106.19
दशवी योजना	①	71.10	57.91	12.57	181.73	238.41	66.61	46.65	1.90	237.70	16.63	10.32	961.53
	②	67.93	64.39	11.63	177.49	275.13	88.72	42.40	1.76	222.31	15.49	8.32	975.57
ग्यारहवी योजना	①	82.03	75.59	15.00	232.57	317.51	61.77	60.75	2.60	288.14	24.30	5.74	1166.00
	②	80.19	67.74	15.08	218.14	347.11	62.22	60.30	2.48	278.44	43.18	9.55	1184.41
बारहवी योजना	①	1288.62	1021.75	84.00	1919.08	3255.48	536.01	783.96	19.96	2461.61	71.72	58.55	11500.00
	②	1124.48	871.59	38.98	1840.48	3090.11	649.94	870.90	16.63	3093.92	72.40	186.63	11865.06

① व ② शतक

③ व ④ शतक

⑤ व ⑥ शतक

कारण साधन जुटाने के साथ-साथ साधनों की गणना करना भी कठिन था। इसलिए विभिन्न रियासतों से मन्द्रन्धित जानकारी अनुमान के रूप में ही तैयार की गई। इस पंचवर्षीय योजना के अतर्गत केवल वे ही कार्यक्रम हाथ में लिए गए जो तत्कालीन प्रशासनिक स्तर पर अनुभवों के आधार पर उचित समझे गए। जब यह योजना आरम्भ हुई तो राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी हुई थी। कृषक की हालत दयनीय थी और कृषि जेतों का आकार छोटा और बिट्टा हुआ था। किमान को खानेदाग्री अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस कारण वह अपनी पैदावार से भी वंचित था। सिंचाई के साधन लगभग नहीं के बराबर थे। इस कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस हेतु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, का विशेष प्रयास किया गया। इसके पश्चात् सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का अतर्गत शिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया।

उपलब्धिया

Achievements

राजस्थान में विकासशील अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना इसी योजनाकाल में आरम्भ की गई। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भाखडा एवं अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से कार्य आरम्भ किया गया। कृषि विस्तार के कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण योजना व्यय का 65 प्रतिशत व्यय किया गया। सिंचाई साधनों में वृद्धि एवं सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतर्गत 3 35 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकी। योजना के अंत में खाद्यान्न का उत्पादन 42 42 लाख टन हुआ। इसी प्रकार 1950-51 में जो सिंचित क्षेत्र 11 71 लाख हैक्टेयर था, योजना के अंत में बढ़कर 15 93 लाख हैक्टेयर हो गया। इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा राजस्थान में भविष्य की योजना के लिए सुदृढ़ आधार बना। यहां के आगोजकों ने राजस्थान की डिग्री हुई सभ्यताओं का पता लगाया। विद्युत के विकास के लिए प्रयास आरम्भ किए गए। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय राज्य में केवल मामूली शासना की राजधानियों में ही विद्युत थी। उद्योग-धन्धे कम होने के कारण राज्य में विद्युत की मांग कम थी। प्रथम योजना के आरम्भ में 42 बस्तियों में विद्युत उपलब्ध थी। विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या 1955-56 के अंत में 1242 हो गई। इसी प्रकार विद्युत की क्षमता इसी मध्य 8 मेगावाट में बढ़कर

96 मेगावाट हो गई। प्रथम योजनाकाल तक कुओं पर विद्युतचलित पम्पसेट लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से यह सभव हो सका। इस योजना में शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया जिससे 1951 में साक्षरता की दर बढ़ी। प्रथम योजनाकाल में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रयत्न किए गए और इस हेतु एक करोड़ रुपये से अधिक का राशि व्यय की गई। चम्बल नदी से सिंचाई के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से चम्बल नदी पर एक बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना क्रियान्वित की गई जो कि आगे चलकर तीन चरणों में पूरी हुई। भाखडा-नागल तथा चम्बल की दो बहु-उद्देशीय योजनाओं के अतिरिक्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 111 वृहद् एवं मध्यम परियोजना और 244 लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य भी आरम्भ किए गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजनाकाल में राजस्थान में दो चीनी मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रिया, एक काच फैक्ट्री 10 मृत्ती कपडा मिलें, एक बॉल बियरिंग फैक्ट्री और एक इलेक्ट्रिकल एवं एक मेटल फैक्ट्री मुख्य रूप से क्रियाशील थीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

SECOND FIVE-YEAR PLAN - 1956-61

राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1956 में आरम्भ हुई और 31 मार्च 1961 का पूरी हुई। इस योजना के अतर्गत विभिन्न मदों पर 105 27 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तव में 102 74 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए।

योजना के उद्देश्य

Objectives

राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत का सामूहिक एवं पूंजक विकास इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया गया। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के द्वारा विकास का वातावरण बनाने का प्रयास भी किया गया। एक प्रकार से यह योजना पुनः कृषिप्रधान योजना थी।

उपलब्धियाँ

Achievements

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में जमींदारी, जागीरदारी एवं बिस्वेदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन हुआ। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था जिससे कृषकों को विशेष सहित मिली। जागीरदारी उन्मूलन से एक सामाजिक ब्यथि का भी सूरपात हुआ। भूमि जोतने वालों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए और लम्बे समय से चला आ रहा भूमिपतियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। इन व्यवस्था में कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। योजनाकाल में 48 प्रतिशत भाग, कृषि एवं मिर्चाई कार्यक्रम पर व्यय हुआ। इसमें मुख्यतः राजस्थान नहर पर केन्द्र द्वारा किया गया 13 करोड रुपये का व्यय भी सम्मिलित है। इस योजना में 10.30 लाख टन खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास हुआ। प्रथम योजना में यह क्षमता केवल 3.35 लाख टन ही थी। इस योजना में पर्याप्त वर्षा के अभाव में भी 3.11 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। इस योजना से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। कृषि में उन्नत विधियों के बारे में सोचा जाने लगा। सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ। विद्युत व्यवस्था सुदृढ और उद्योग एवं व्यवसाय को नये अवसर उपलब्ध हुए। इन योजनाकाल में सम्यक्त परियोजना के अंतर्गत कोटा बैराज का निर्माण-कार्य किया गया। इससे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मदद मिली। कोटा का औद्योगिक विकास राजस्थान से दूरकर जाने वाली इमाँ एक-मात्र नदी के कारण संभव हो सका। इस योजनाकाल में भारत सरकार ने कोटा में नायलॉन फैक्ट्री, उदयपुर, भवानीमण्डी, किशनगढ तथा भीलवाड़ा में सूती मिलें और देवारी में त्रिक स्मेल्टर सयार आदि अनेक महत्वपूर्ण उद्यमों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान किए। कुटीर एवं लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इमाँ अवधि में राजस्थान खादी एवं प्रानोबोगा मण्डल, राजस्थान कर्षा मण्डल, राजस्थान हस्तकला मण्डल, राजस्थान लघु उद्योग मण्डल, राजस्थान विन्त निगम आदि का स्थापना की गई। इन योजना के अन्त तक विद्युत उत्पादन क्षमता 109 हजार किन्टोवाट तक पहुँच गई जबकि पहली योजना के अंत में यह केवल 35 हजार किन्टोवाट तक ही थी। खेतड़ी में हावा और जावर खानों के जम्मे का व्यवस्थित रूप से खनन, इसी योजना में अग्रन्त हुआ। मरुस्थल क्षेत्र में बटनाव लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण कार्य भी इसी योजना में अग्रन्त हुआ। इनके अतिरिक्त गोा दाध, माहें देजाज सागर, जाहम दैडच, बगस, उारी आदि परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया। 2 अक्टूबर

1959 को राज्य का संपूर्ण ग्रामीण जनता को 232 विकास खण्डों में बाटा गया। पंचायती राज का म्यापना से ग्रामीण विकास को गति मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

THIRD FIVE-YEAR PLAN - 1961-66

राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 के मध्य क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर 236 करोड रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक रूप 212.70 करोड रुपये का रहा।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भांति सर्वाधिक महत्व कृषि का ही प्रदान किया गया। साधन कृषि के अन्तर्गत उन्नत बीज, यांत्रिक खेतों और मिर्चाई पर विशेष दत्त दिया गया। कृषि, मिर्चाई तथा विद्युत व्यवस्था पर समस्त योजना व्यय के 66 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया।

उपलब्धियाँ

Achievements

इस योजना में 1962 में चीन के आक्रमण के बाद कृषि के उत्पादन कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू लुप्त चुने हुए कृषि क्षेत्रों में अधिक निवास पर ध्यान दिया गया ताकि उतने ही व्यय से सर्वाधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जिला स्तर पर सघन कृषि कार्यक्रम जैसे कार्य आरम्भ किए गए। चीन के आक्रमण के पश्चात् देश की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और सभी राज्य अधिक से अधिक वित्तीय साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील हो गए। लेकिन चीनी आक्रमण के साथ-साथ ही प्रकृति की प्रतिकूलता भी बनी रहनी। राजस्थान में सूखे और अकाल के कारण अर्थव्यवस्था पर दुग प्रभाव पडा। इन योजना-वधि में अधिकारशात अकाल व सूखे ही स्थिति रहनी। इन कारण मारे विलोय सधन इन प्राकृतिक प्रकोप पर कच्चा पान के लिए प्रयुक्त किए गए। विकास कार्यों की जाह सहित कार्यों को प्राथमिकता भी गई। योजना के अन्त में खाद्यान्न का उत्पादन 38.39 लाख टन ही रह गया। तृतीय योजना के अन्त में विद्युत क्षमता 65 मेगावाट से बढ़कर 96 मेगावाट हो गई। इस योजना में सामाजिक

सेवाओं में काफी कार्य किया गया। इसी योजना में दो नये विश्वद्यालय राज्य में खोले गए। शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा में गति स्वास्थ्य एवं थिंकिन्स की नई सुविधाएँ और नये उद्योगों के विकास से राज्य में आर्थिक विवाम का वातावरण बना।

वार्षिक योजनाएं

ANNUAL PLANS - 1966-69

तीसरी पंचवर्षीय योजना के परचात् चौथी योजना वर्ष 1966 में आरम्भ नहीं हो पाई। इस कारण 1966 67, 1967 68 और 1968 69 के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में कुल 132 72 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तविक व्यय 136 76 करोड़ रुपये हो गया।

योजना के उद्देश्य

Objectives

तीन वार्षिक योजनाओं ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इस योजना में सर्वाधिक महत्व पुन कृषि एवं सिंचाई को ही प्रदान किया गया। शक्ति के साधनों के विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। राजस्थान के अधिकांश भागों में तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल से ही सूखे की ही स्थिति बनी हुई थी। अतः इन योजनाओं में चेष्टा की गई कि अग्रे पड़े कार्यों को पहले पूरा किया जाए।

उपलब्धियां

Achievements

वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत सूती धागा, सीमेन्ट आदि औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हुई। कल्याणकारी कार्यों के फलस्वरूप समाज में नई चेतना का आभास हुआ। औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप पञ्जीकृत इकाइयों की संख्या 1509 में बढ़कर 1968 में 1753 हो गई। इस योजनाकाल में कई प्रमुख कारखाने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जैसे जस्ता परिश्रवक (जिक समेन्टर), उदयपुर कॉपर स्मेल्टर खेतडी, इस्ट्रुमेंटेशन लि, कोटा, फर्टीलाइजर एण्ड फाइबर प्लांट कोटा, वूलन स्पिनिंग मिल बीकानेर, बस्टेड वूलन मिल, चूरू बस्टेड वूलन मिल, लाडनू, फ्लूगोइड बेनिफिकेशन प्लाण्ट माण्डवी की पाल, हिटेची प्रीमोजन स्पास फैक्ट्री भीलपुर सोडियम सल्फेट प्लाण्ट डीडवाना रोमेट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़, कॉपर

एलाय टयूब्स फैक्ट्री, कोटा, कोवा-कोला फक्ट्री, जयपुर, ट्रान्समोशन हाईड्रोपिनेटिड आइल्स फैक्ट्री, भीलवाडा आदि। इस योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन क्षमता 96 मेगावाट से बढ़कर 174 मेगावाट हो गई। राज्य में छाछान की विषम स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन का गहन कार्यक्रम भी इन्हीं वार्षिक योजनाओं में आरम्भ किया गया। इस योजनाकाल में 300 या इससे अधिक जनसंख्या के सभी गावों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी थी। कुछ पर्वतीय या मरुस्थली क्षेत्रों को छोड़कर राज्यभर में हर ढाई किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

FOURTH FIVE-YEAR PLAN - 1969-74

राजस्थान की चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974 तक क्रियान्वित की गई। इस योजना के अन्तर्गत 306 21 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था किन्तु वास्तविक व्यय 308 79 करोड़ रुपये का हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस योजना में विगत योजनाओं की भांति कृषि व सिंचाई पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, शक्ति के साधनों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने का उद्देश्य रखा गया। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार करने की योजना भी बनाई गई।

उपलब्धियां

Achievements

इस योजना में तीन बड़ी एवं मध्यम परियोजनाएँ पूरी की गईं। साथ ही 1 63 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई। चतुर्थ योजना में राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में विशेष प्रगति हुई। विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उत्तरोत्तरीय वृद्धि होने में विद्युत उत्पादन 174 मेगावाट से बढ़कर 400 मेगावाट हो गया। अनेक ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया और अधिक कुओं को बिजली प्रदान की गई। उन्नत कृषि प्रणाली के कारण छाछान के उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में वनस्पति तेल, रोमेट पावर केंद्रित, उन्नत सूती धागे, मशीन टूल, चीनी एवं नायलोन के धागे आदि के उत्पादन में

सम्बन्धित महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। तिलहन एवं उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा। सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि से लगभग 2500 किलोमीटर लम्बी सड़कें, 2100 से अधिक प्राथमिक शालाएँ आदि स्थापित किए गए।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

FIFTH FIVE-YEAR PLAN - 1974-79

राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक लागू की गई। इस योजना में 847.16 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया किन्तु वार्षिक व्यय इससे कुछ अधिक 857.62 करोड़ रुपये हुआ।

उद्देश्य

Objectives

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरचनात्मक ढांचे को विकसित एवं सुदृढ़ करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी कारण योजना में सर्वाधिक व्यय निचोड़ और शक्ति के क्षेत्रों में किया गया। इससे कृषि एवं अन्य सम्बन्धित व्यवसाय भी स्वतः ही प्राथमिकता की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को पुनः महत्व प्रदान किया गया। यातायात, उद्योग एवं खनिज को विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियां

Achievements

इस योजनावधि में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन 67.21 लाख टन से बढ़कर 77.80 लाख टन पर पहुंच गया। इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन 3.39 लाख टन से बढ़कर 5.5 लाख टन तक पहुंच गया। इस योजनावधि में उन्नत कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। सिंचाई के क्षेत्र में 4.54 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई। इस योजना में लघु उद्योगों, हस्तकला लगा खादी एवं ग्रामोद्योग को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कारण ग्रामोद्योगों का उत्पादन 5.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 10.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। राजस्थान के सभी जिलों में विला उद्योग केंद्रों को स्थापना कर दी गई।

वार्षिक योजना

ANNUAL PLAN - 1979-80

पांचवीं योजना के पश्चात् छठी योजना समय पर आरम्भ नहीं हो पाई। इस कारण वार्षिक योजना बनाई गई। इस योजना में 275 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वास्तव में व्यय 290.19 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

इस वार्षिक योजना का उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि तैयार करना था व इन हेतु सरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने की चेष्टा की गई। इसके कारण इस योजना में सबसे अधिक व्यय सिंचाई और शक्ति के माध्यमों पर किया गया जो कि राज्य के योजनागत व्यय का 54.76 प्रतिशत था। इसके साथ ही कृषि को भी महत्व दिया गया तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ और अधिक विकसित की गईं।

उपलब्धियां

Achievements

इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन 1978-79 की अपेक्षा अकाल की स्थिति के कारण कम हुआ। यद्यपि स्थिति तिलहन और अन्य कृषि उत्पादनों की रहती। ऐसा होने पर भी उन्नत कृषि के अन्तर्गत भूमि 15.77 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.63 हेक्टेयर हो गई। सिंचित क्षेत्र में अकाल के कारण कुछ कमी आई। ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन बढ़ा और वह 1978-79 में 10 करोड़ रुपये की अपेक्षा 1979-80 में 12 करोड़ रुपये हो गया। राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, पोसाहार अर्दी, पर भी ध्यान दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

SIXTH FIVE-YEAR PLAN - 1980-85

छठी पंचवर्षीय योजना राजस्थान में 1 अप्रैल, 1980 से आरम्भ हुई और 31 मार्च, 1985 का पूरी हुई। इस योजना में विभिन्न मंजूर पर 2025 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया किन्तु वार्षिक व्यय 2120.45 करोड़ रुपये हुआ।

उद्देश्य

Objectives

छठी योजना में तीव्र ग्रामीण विकास के माध्यम से निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रोजगार सृजित करने वाले कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इस योजना के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए साधनों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने की चेष्टा की गई। शक्ति के साधनों के विकास एवं संरक्षण पर बल दिया गया। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का चेष्टा भी की गई।

उपलब्धिया

Achievements

मूलभूत संरचना, उत्पादन और सामाजिक सेवाओं से समन्वित नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। गरीबी में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा लघु एवं सीमांत क्षेत्रों की उन्नति के विशेष प्रयास किए गए। सिंचाई के क्षेत्र में भाखड़ा व चम्बल व्यवस्था तथा इन्दिरा गांधी नहर व माटी परियोजनाओं का विकास किया गया। शक्ति के साधनों के दृष्टिकोण से भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं में अधिक विद्युत के लिए जल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। छठी योजना के अन्तर्गत 2120 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि इससे पूर्व की प्रथम योजना से पाचवी योजना तक राजस्थान में केवल 1963 करोड़ रुपए विनियोजित किए गए थे। इस प्रकार छठी योजना में जो विनियोग किया गया वह विगत 30 वर्षों के विनियोग में अधिक था। इस पंचवर्षीय योजना में 2.24 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विवभिन की गई खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। विभिन्न फसलों के प्रति हैजे पर उपज बढ़ी। मध्यकालक दालों अधिक सुदृढ़ हुआ। मडकों की लम्बाई योजना के अन्त में 48811 किलोमीटर हो गई। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ी। नाप से उत्पन्न विद्युत उत्पादन 1105.1 मिलियन किलोवाट हो गया। विद्युत का उपयोग भी बढ़ा। योजना के अन्तर्गत में यह 4386.5 मिलियन किलोवाट तक पहुँच गया। योजना के अन्त तक 201 बस्से और 20287 गाव विद्युतीकृत हो चुके थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

SEVENTH FIVE-YEAR PLAN - 1985-90

यह योजना 1 अप्रैल 1985 में 31 मार्च 1990 तक विनियमित की गई। इस योजना में 3000.00 करोड़

रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 3106.18 करोड़ रुपये हुआ।

योजना के उद्देश्य

Objectives

सातवीं योजना में भोजन, कार्य व उत्पादकता को विशेष प्राथमिकता दी गई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। गरीबी दूर करने के उद्देश्य में रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इस प्रकार सातवीं योजना में राजस्थान के विकास के लिए नई प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं। विद्युत, जल, इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण, अकाल की समस्या का निवारण, पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं तीव्रगति में औद्योगिकीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया। इस प्रकार से योजना बनाई गई कि सतुलित विकास को बल मिले।

उपलब्धियाँ

Achievements

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मन्सूखल की रोकथाम के लिए सघन प्रयास किया गया तथा 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और उनमें सिंचाई, पेयजल, रिजली, लघु उद्योग, शिक्षा आदि के कार्यक्रम भी सक्रमतापूर्वक सन्तुलित किए गए। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वनों की कमी और भूमि के कटाव को देखते हुए अरावली पर्वतीय क्षेत्र को पुनः विकसित करने का निश्चय किया गया। सोमावली क्षेत्रों के विकास की भी चेष्टा की गई। 20-सूत्रीय कार्यक्रम का अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए गए। २०-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा। इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन का गूचकाक 1984-85 में 127.27 से बढ़कर योजना के अंत में 165.87 हो गया। इसी प्रकार मिश्रित क्षेत्रफल जो 1984-85 में 3204 हजार हैक्टेयर था, बढ़कर 3481 हजार हैक्टेयर हो गया। ग्नी एवं खगिफ, दोनों फसलों में अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 27.27 लाख हैक्टेयर हो गया। इस योजनाकाल के अन्त में विद्युत का उत्पादन 6102 मिलियन युनिट तक पहुँच गया। मडकों की लम्बाई भी 56956 किलोमीटर हो गई।

वार्षिक योजनाएं

ANNUAL PLANS - 1990-91 & 1991-92

31 मार्च 1990 को सातवीं योजना अवधि पूर्ण

हुई। इसके पश्चात् आठवीं योजना तुरन्त आरम्भ नहीं की जा सकी। आठवीं योजना को 1 अप्रैल '92 से आरम्भ किया गया। इस कारण राजस्थान में 1990-91 व 1991-92 की दो वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं। 1990-91 की योजना में 951 53 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय 975 57 करोड़ रुपये हुआ। 1991-92 की योजना में 1166 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था। इस योजना में सम्भावित वार्षिक व्यय 1184 41 करोड़ रुपये था।

वार्षिक योजनाओं के उद्देश्य

Objectives

ये वार्षिक योजनाएँ आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थीं। इन योजनाओं में शक्ति के साधनों को विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी के साथ कृषि एवं सिंचाई के साधनों को विकसित करने की चेष्टा की गई। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर एक बड़ी राशि खर्च करके उनका विस्तार करने का लक्ष्य भी रखा गया। उद्योग एवं खनिजों के विकास के लक्ष्य पर भी ध्यान दिया गया। शक्ति एवं सिंचाई पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उपलब्धियाँ

Achievements

1990-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन 109 लाख टन तक पहुँच गया। 1991-92 में तिलहन का उत्पादन 27 लाख टन हो गया। विद्युत की स्थापित क्षमता 1991-92 में 2775 30 मेगावट तक पहुँच गई व विद्युतीकृत गाँवों की संख्या 28564 हो गई। सड़कों की लम्बाई 1991-92 में बढ़कर 59913 किमी हो गई और 11536 गाँवों का सड़कों के माध्यम से सम्पर्क सम्भव हो गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना - 1992-97

EIGHTH FIVE-YEAR PLAN - 1992-97

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1990 से आरम्भ होगी थी किन्तु विभिन्न कारणों से यह 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ हो गई।

उद्देश्य

Objectives

(i) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति के साधनों के विकास एवं प्राणीय विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया गया। इस उद्देश्य से परिवहन एवं

संचार साधनों को विकसित किया गया। आर्थिक विकास के लिए खाद्यान्न दालों आदि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे कि न केवल राज्य की आवश्यकताएँ पूरी हो पाएँ वरन् उनका निर्यात भी किया जाये।

(ii) मानवीय ससाधन के विकास के लिए रोजगार के सृजन के विशेष प्रयास किए गये। जम्माछा की प्रभावी तरीकों में नियंत्रित करने की चेष्टा की गई। माझराता का प्रयास किया गया। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ एवं प्रत्येक गाँव को पेयजल उपलब्ध करने की चेष्टा की गई।

(iii) कृषि के विकास के लिए सिंचाई साधनों पर विशेष बल दिया गया। अकाल एवं सूखाग्रस्त तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवन्ध को विशेष महत्व दिया गया, कृषि विविधिकरण की चेष्टा की गई तथा जल प्रवन्ध के साथ ही बजर भूमि के विकास का कार्य भी किया गया।

व्यूह रचना

Strategy

अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये गये

(i) प्रतिव्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत और राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय में विद्यमान अंतर को कम करने का प्रयास किया गया। इस हेतु उच्च विकास दर अपनानी थी। उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन, जल प्रवन्ध और विद्यमान क्षमता का पूरा प्रयोग किया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे पर्यटन, हस्तकला, हस्तशिल्प आदि पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया गया।

(ii) सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। इस सदर्भ में शोषण क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया गया।

(iii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें अधिव रोजगार की सम्भावना विद्यमान है, जैसे कृषि एवं प्राणीय कार्यक्रम, छोटी सिंचाई योजनाएँ, वा विकास, पशुपालन का विकास, हस्तकला, प्रामाण्य एवं सघु उद्योग आदि।

(iv) जनसंख्या की विकास दर को कम करने की चेष्टा की गई।

(v) विभिन्न परियोजनाओं में निश्चित समयावधि से ज्यादा समय लगने पर परियोजना लागत दृष्टिगत है। इस प्रकृति को रोकने का प्रयास किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर सिंचाई के क्षेत्र में क्षमता के पूरे उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(iv) कृषि में विविधकरण तान की चेष्टा की गई। इस हेतु पशुपालन, मत्स्यपालन कृषि विधायन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार ही विभिन्न योजनाएँ बनाई गईं।

(vii) राजस्थान में जल की कमी है अतः इस सीमित साधन के सर्वाधिक कुशल उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

(viii) सूखा एवं अकाल राजस्थान की प्रमुख समस्या रहे हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्हें सामान्य योजना कार्यक्रमों में स्थान दिया गया।

(ix) शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान की स्थिति में सुधार के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया जिससे वे राज्य के विकास में अधिक योगदान कर सकें।

(x) समाज के एक पिछड़ा वर्ग-अनुसूचित जाति एवं जनजाति को निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी गई।

(xi) आधारभूत सुविधाएँ जुटाने के उद्देश्य से प्रत्येक गाँव को पेयजल उपलब्ध कराने की चेष्टा की गई। छूत की बीमारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि 'सन् 2000 में सबके स्वास्थ्य' का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मानव एवं पशु की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण वातावरण पर पड़ने वाले प्रतिफल प्रभावों को रोकने तथा अनेक क्षेत्रों में मरुस्थल प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये।

(xii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य की आवश्यकताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(xiii) सड़कें और विकास मंदों पर किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करने की चेष्टा की गई।

(xiv) आठवीं योजना में जिला नियोजन पर विशेष बल दिया गया।

योजना का आकार

Size of the Plan

राजस्थान की आठवीं योजना के अंतर्गत 11500 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। विभिन्न मंदों पर किए जाने वाले व्यय के आधार पर ज्ञात होता है कि -

(1) योजनाकाल में शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई

(2) व्यय के प्राथमिकताक्रम के अंतर्गत द्वितीय व तृतीय स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण को दिया गया। कृषि एवं सहायक सेवाओं और ग्रामीण विकास हेतु भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अन्य पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में अधिक है।

(4) राज्य की अन्य पंचवर्षीय योजनाओं के समान आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी उद्योग एवं खनिज विकास हेतु अन्य मंदों की अपेक्षा कर्म धन का निर्धारण किया गया।

(5) परिव्यय के आवंटन से ज्ञात होता है कि राज्य में सरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु सर्वाधिक धन व्यय किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन Review of 8th five Year Plan

आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण चालू परिवोजनाओं के शीघ्र पूरा करने और कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्यपालन, व कृषि विधायन (Agro-processing) आदि में प्राथमिकता प्रदान की गई। राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का परिव्यय 11500 00 करोड़ रुपये था। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक था। आठवीं योजना का वास्तविक व्यय 11865 06 करोड़ रुपये रहा। ऐसा करना राज्य के तुलनात्मक पिछड़ेपन की दृष्टि से भी उपयुक्त था। क्षेत्रानुसार सर्वाधिक प्राथमिकता शक्ति क्षेत्र को प्रदान की गई जिसके लिये योजना के कुल परिव्यय का 28 31 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया। सामाजिक व सेवाओं के लिये 21 41 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये 16 70 प्रतिशत, कृषि और सहायक गतिविधियों के लिये 11 19 प्रतिशत, यातायात के लिये 6 82 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिज के लिये 4 66 प्रतिशत विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 0 73 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं व वैज्ञानिक सेवाओं के लिये 1 30 प्रतिशत भाग निश्चित किया गया था।

आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम

Basic Minimum Services programme

आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधा, सड़कों का निर्माण पोषाहार,

अधिक मूल्य की दुकानें, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता तथा सक्षरता में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर व्यय करेंगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ एवं असफलताएँ निम्न हैं।

(1) कृषि और सम्बन्ध सेवाएँ (Agriculture & Allied Services) - राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आधुनिकीकरण प्राप्त कर ली है। 1996-97 तक खाद्यान्न का कुल उत्पादन 130 19 लाख टन के स्तर तक पहुँच चुका है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन मानसून की स्थिति पर निर्भर करता है। राजस्थान देश एक बड़े तेल उत्पादक के रूप में उभरा है। 1991-92 में तेल का कुल उत्पादन 27 08 लाख टन था जो बढ़कर 1996-97 में 40 49 लाख टन हो गया। कृषि विकास परियोजनाएँ (Agriculture Development Project) विश्व बैंक की सहायता से 1992-93 में प्रारम्भ की गईं। यह परियोजना कृषि और सम्बन्ध सेवाओं में क्रियान्वित की जा रही है। 1996-97 में 7 01 लाख टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया जो 6 25 लाख टन वितरण लक्ष्य से अधिक है। इसलिये वितरण लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। आठवीं योजना में 'गोपाल' योजना को सुदृढ़ किया गया। यह राज्य के 12 जिलों की 40 पंचायत समितियों में चल रही है। आठवीं योजना में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) द्वारा 72 2 लाख लीटर दूध का संग्रह किया गया जब दूध संग्रह का लक्ष्य 12476 लाख लीटर था। इसका प्रमुख कारण दुग्ध व्यवसाय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा है। योजना काल में अल्प-कालीन, मध्यम-कालीन तथा दीर्घ-कालीन साख वितरण के लक्ष्य क्रमशः 250 करोड़ रु., 10 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रु. के जबकि माख वितरण की वास्तविक रकम क्रमशः 508 करोड़ रुपये, 151 करोड़ रुपये तथा 185 90 करोड़ रुपये रही। राज्य के 10 जिलों में जापान के सहयोग से 1992-93 में अरावली वनीकरण परियोजना (Aravalli Afforestation Project) प्रारम्भ की गई। इसी प्रकार राज्य के 14 जिलों में जापान के सहयोग से ही वन विकास परियोजना (Forestry Development Project) 1994-95 में प्रारम्भ की गई।

(2) ग्रामीण विकास (Rural Development) - गरीबी निवारण कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाकाल में 4 89 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया जबकि लक्ष्य 7 45 लाख परिवारों को लाभान्वित करना था। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना काल में 1819.20 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना राज्य के 237 ब्लॉक्स में अप्रैल 1997 में प्रारम्भ की गई। 1996-97 में यह योजना

204 ब्लॉक्स में लागू थी। योजनाकाल में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 148871 आवासों तथा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 22734 कुओं का निर्माण किया।

(3) सिंचाई (Irrigation) - 1992-93 में कुल सिंचित क्षेत्र 52 64 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1995-96 में 63 61 लाख हैक्टेयर हो गया। योजनाकाल में 3 05 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया जबकि लक्ष्य 4 35 लाख हैक्टेयर था।

(4) शक्ति (Power) - योजना के अन्त में शक्ति सृजन क्षमता 3049 56 मेगावाट तक पहुँच गई। योजनावधि में 3703 गावों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 3750 गावों को विद्युतीकृत करना था। योजना में 125278 कुओं/पम्पसेटों को विद्युतीकृत किया गया जबकि लक्ष्य 1,25,000 कुओं को विद्युतीकृत करना था। राज्य के निजी क्षेत्र ने 7230 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(5) उद्योग एवं खनिज (Industries & Mineral) - योजनाकाल में 13594 लघु उद्योग इकाइयाँ तथा 13874 दस्तकारी इकाइयों का पंजीकरण किया गया जबकि दोनों का लक्ष्य 10,000 इकाइयों का पंजीकरण करना था। राज्य वित्त निगम ने योजनाकाल में 10005 इकाइयों को 842.27 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। राज्य सरकार द्वारा 1994 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास करना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना की गई है। खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिये नवीन खनिज नीति का घोषणा की गई है।

(6) यातायात (Transport) - योजनाकाल में 4022 गावों को सड़क से जोड़ा गया जबकि योजनाकाल में 6600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 1089 गावों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था।

(7) सामाजिक एवं समुदाय सेवाएँ (Social & Community Services) - योजनाकाल में 5730 प्राथमिक स्कूलें, 2649 उच्च प्राथमिक स्कूलें, 442 सेकण्डरी स्कूलें, 340 सीनियर सेकण्डरी स्कूलें खोली गईं जबकि लक्ष्य क्रमशः 3498, 1400, 300 और 200 स्कूलें खोलने का था। योजनाकाल में 15 नवीन महाविद्यालय खोले गये जबकि लक्ष्य केवल 3 महाविद्यालय खोलने का था। राज्य के सभी जिलों को सक्षरता अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। योजनाकाल में 505 स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में 288 स्वास्थ्य 'केंद्र' खोले गये। राज्य में एक महत्वपूर्ण

विकास यह है कि 1995-96 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना 'विकल्प' (Vikalp) के नाम से आरम्भ की गई। सरकार विकल्पसालों के निर्माण में निजी विनियोग को बढ़ावा दे रही है। योजनाकाल में 143068 ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये आवासों की व्यवस्था की है जबकि लक्ष्य 1,34,000 आवासों का निर्माण था। योजना काल में 88.8 हजार अनुमति प्राप्त की जाने के लिये, 68.7 हजार अनुमति प्राप्त जनशक्ति के छात्रों तथा 5.6 लाख जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1990-91 तक 34818 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई थी जो बढ़कर मार्च, 1997 में 37414 हो गई। इस प्रकार आठवीं योजना में 3668 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई। 1995 तक राज्य में 52.49 लाख घरेलू और 5.35 लाख विदेशी पर्यटक आना प्रारम्भ हो गए। सितम्बर 1995 में 'पटिया पर राजमहल' नामक रेलगाड़ी प्रारम्भ की गई।

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य

GENERAL OBJECTIVES OF FIVE-YEAR PLANS IN RAJASTHAN

राजस्थान में भी भारत के समान पंचवर्षीय योजनाएँ संचालित की जाती हैं। वस्तुतः राज्य सरकारें केन्द्र सरकार का अनुसरण करती हैं। अतः राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में समानता दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। अतः राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यह उद्देश्य राज्य की प्रायः सभी योजनाओं पर अपनाया गया है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्यों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(1) शक्ति के साधनों का तीव्र गति से विकास (Development of Power Resources) - राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक संचयन का अभाव था। इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही संचयनात्मक ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। राज्य की प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शक्ति के साधनों, विशेष रूप से त्रिजुल शक्ति के विकास एवं विस्तार का उद्देश्य रहा है। राज्य में शक्ति के साधनों का अभाव दूर करने के लिए दीर्घकालीन नीति का अनुसरण किया गया है। फलतः

शक्ति के साधनों का समुचित विकास हुआ है।

(2) औद्योगिक विकास (Industrial Development)

- राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिकीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। इस क्षेत्र के विकास हेतु खनिज उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। यही कारण है कि राज्य में सीमेंट, सगमरमर, इमारती पत्थर, तांबा, सोमा व जम्ना आदि खनिज आधारित उद्योगों पर तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य के औद्योगिकीकरण का स्तर भी पहले की तुलना में ऊँचा हुआ है। राज्य में रासायनिक उद्योग, इंजनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और अन्य उपभोग्य उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का उद्देश्य भी निश्चित किया जाता है। फलतः इन उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हुआ है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(3) कृषि विकास (Agricultural Development)

- राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र का विकास क्रांति के रूप में किया गया और इस क्रांति को भारत के समाज में हरित क्रांति के नाम से ही संबोधित किया जाता है। हरित क्रांति के अन्तर्गत राज्य में कृषि संबंधी विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नवीनतम कृषि तकनीक के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, सिंचाई के माध्यम से तीव्र गति से विस्तार करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। फलतः राज्य में सिंचाई के साधन विशेष रूप से नहरों व बहु-उद्देशीय परियोजनाओं का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ। इंदिरा गांधी नहर जैसी विशाल नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लक्ष्य का ही परिणाम है कि राज्य के इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अनेक सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं।

(4) पशु सम्पदा का विकास (Development of Animal Wealth)

- राज्य के पशुधन को रोजगार एवं दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। अतः विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पशु सम्पदा का विकास एवं डेयरी व्यवसाय को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार हेतु महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। डेयरी उद्योग का विस्तार एवं विस्तार हेतु

ऑपरेशन फ्लड प्रथम व द्वितीय सबसे उद्देश्य पूर्ण कर लिए गए हैं और ऑपरेशन फ्लड तृतीय चालू है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वेल्फोर्लॉजी मिशन कार्यक्रम के द्वारा डेपथ विकास किया जा रहा है।

(5) परिवहन व संचार के साधनों का विकास (Development of Transport & Communication) - सार्वनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से परिवहन व संचार के साधनों का भी विकास करना आवश्यक होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। इसके साथ-साथ संचार के साधनों पर भी तेजी से विकास हुआ है। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में परिवहन व संचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। संचार के साधनों में आधुनिकता के रूप से वृद्धि हुई है। राज्य के पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं का विस्तार एवं जनकल्याण कार्यों में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कमजोर वर्गों को उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

(6) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने के प्रयास (Efforts to Lessen the Regional Disparities) - राज्य में अत्यधिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं, इन असमानताओं में कमी करके ही आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने के उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करने हेतु सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रयास किए हैं। फलतः राज्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से प्रारम्भ हो रही हैं।

(7) अकाल एवं सूखे की समस्या का समाधान (Solution of Famine & Draught) - राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है अतः राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस समस्या के समाधान सम्बन्धी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता रहा है। योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इस समस्या की गभीरता में कमी आयी है। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया है और पेयजल की व्यवस्था हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

(8) बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण (Eradication of Poverty & Unemployment) - राज्य की प्रायः

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है। फलतः निर्धनों व बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ने बेरोजगारी एवं निर्धनता निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं प्रयोजनाओं का संचालन किया। समय-समय पर इन कार्यक्रमों सम्बन्धी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राज्य की छठी, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता एवं बेरोजगारी सबसे विभिन्न कार्यक्रमों का विशेष स्थान प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन के प्रावधान सर्वथा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आठवीं योजना की व्यूह-रचना इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सन् 2000 तक लगभग सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

योजनाओं का आकार

SIZE OF PLANS

व्यय की दृष्टि से राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का क्रम प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः क्षुब्ध पर आधारित थी। योजनाओं के अंतर्गत कृषि का साथ-साथ उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। अतः उत्तरोत्तर अधिक धनराशि की आवश्यकता अनुभव की गई। यही कारण है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ही योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है। निम्न तालिका में राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के परिव्यय एवं वास्तविक व्यय की दर्शाया गया है -

राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का परिव्यय व वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)			
योजना-वर्ष	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय में वृद्धि (प्रतिशत)
प्रथम पंचवर्षीय (1951-56)	64.50	54.15	63.2
द्वितीय पंचवर्षीय (1956-61)	105.27	102.74	63.2
तृतीय पंचवर्षीय (1961-66)	236.00	212.70	124.1
चतुर्थ पंचवर्षीय (1966-69)	132.72	135.75	-
पंचम पंचवर्षीय (1969-74)	306.21	308.79	29.7

प्रथम पंचवर्षीय (1974-79)	849.16	857.62	176.6
द्वितीय पंचवर्षीय (1979-80)	275.00	290.19	-
तृतीय पंचवर्षीय (1980-85)	2025.00	2120.45	139.0
चतुर्थ पंचवर्षीय (1985-90)	3000.00	3108.18	48.1
पंचम पंचवर्षीय (1990-94)	961.53	975.57	-
षष्ठ पंचवर्षीय (1991-95)	1160.00	1178.46	-
सातम पंचवर्षीय (1995-99)	11500.00	11965.06	283.3

Source: Eighth Five Year Plan 1995-2000, Govt. of Rajasthan
Dr. Ninth Five Year Plan 1999-2002, Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका के परीक्षण से ज्ञात जाता है कि-

- (1) राज्य के विभिन्न योजनाओं के आकार में तीव्र गति में वृद्धि हुई है।
- (2) प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक व्यय केवल 54.15 करोड़ रुपये था जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11865.06 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- (3) राज्तीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का आभास इस तथ्य से भी होता है कि प्राथमिक पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में वार्षिक योजनाओं में भी तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय किया गया।
- (4) राज्तीय योजनाओं के आकार में वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि के साथ-साथ उद्योग परिवहन एवं व्यापार आदि क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना है।

योजनाओं के आकार में वृद्धि से यह भी ज्ञात होता है कि राज्य के आर्थिक विकास की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

योजनाकाल में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय

SECTOR WISE EXPENDITURE IN PLANNING PERIOD

राज्य की विभिन्न योजनाओं में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकताक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण राज्य की तत्कालीन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इन समस्याओं के निवारण हेतु लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इसी प्रकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए मरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हेतु मिचाई शक्ति एवं परिवहन के साधनों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इस तथ्य का ज्ञान राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजना में किए गए क्षेत्रवार वास्तविक व्यय में किया जा सकता है। क्षेत्रवार वास्तविक व्यय को अप्रकृत तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार वास्तविक व्यय (प्रतिशत में)

क्षेत्र	पंचवर्षीय योजनाएं									
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	छठी	सातवीं	आठवीं	नववीं	दशवीं
कृषि एवं सहसहक सेक्टर	4.84	6.15	5.83	3.33	3.67	4.55	5.21	11.24	5.21	11.24
प्राथमिक उद्योग	5.61	12.19	6.81	0.97	2.24	5.87	6.74	6.71	6.74	6.71
महकमरिता	0.48	1.89	1.14	1.72	1.80	1.25	1.34	0.38	1.34	0.38
निचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	57.82	27.12	41.31	34.09	31.62	25.80	22.23	18.40	22.23	18.40
शक्ति	2.29	14.75	18.50	30.43	29.03	26.70	29.68	30.99	29.68	30.99
उद्योग एवं उद्योग	0.85	3.28	1.56	2.77	4.03	3.95	4.69	6.49	3.95	6.49
परिवहन	10.25	9.90	4.53	3.24	9.82	11.50	4.59	8.70	11.50	8.70
वैज्ञानिक सेक्टर एवं उद्योग	-	-	-	-	-	0.01	0.07	0.18	0.01	0.07
मानविक एवं सामुदायिक सेवाएं	16.84	24.38	20.15	23.34	17.39	19.61	23.70	30.93	19.61	30.93
अर्थिक सेवाएं	-	0.11	0.11	0.11	0.10	0.07	0.49	0.72	0.10	0.72
सामान्य सेवाएं	-	0.24	-	-	0.32	0.48	1.20	1.85	0.32	1.85
कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	54.15	102.74	212.70	308.79	857.62	2120.45	3108.18	11865.06	857.62	2120.45
कुल प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Source: Eighth Five Year Plan 1982-87 Govt. of Rajasthan and Ninth Five Year Plan 1992-2002, Govt. of Rajasthan.

तालिका के परीक्षण से स्पष्ट है कि -

- (1) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण व्यय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इन मद पर योजना के कुल व्यय का 57.82 प्रतिशत व्यय किया गया। मानविक व सामुदायिक सेवाओं एवं परिवहन पर व्यय क्रमशः 16.84 प्रतिशत एवं 10.25 प्रतिशत रहा।

योजनाकाल में वैज्ञानिक शोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उद्योग एवं खनिज विकास सहकारिता व आर्थिक सेवाओं पर बहुत कम धनराशि व्यय की गई।

(2) द्वितीय योजना में पुन सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, शक्ति एवं ग्रामीण विकास का रहा। परिवहन के विकास हेतु भी पर्याप्त धन व्यय किया गया। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास हेतु सरचनात्मक ढाने के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा शक्ति का रहा। शक्ति के विकास हेतु प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की तुलना में अधिक धनराशि का निर्धारण किया गया। सहकारिता, उद्योग एवं खनिज पर अपेक्षाकृत बहुत कम धन व्यय किया गया।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः शक्ति और सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। योजनाकाल में अन्य योजना की तुलना में ग्रामीण विकास पर बहुत कम धन व्यय किया गया। इसी प्रकार कृषि और सहायक क्रियाओं तथा परिवहन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

(5) पाचवी पंचवर्षीय योजना पर भी सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान शक्ति एवं सामाजिक सेवाओं का रहा। शक्ति के साधनों पर तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यय किया गया। उद्योग एवं खनिज विकास पर विगत योजनाओं की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना में शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा। कृषि एवं सहायक सेवाओं तथा ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में सर्वप्रथम वैज्ञानिक सेवाओं एवं शोध कार्यों के लिए कुछ धन व्यय किया गया।

(7) सातवी पंचवर्षीय योजनाओं में भी सर्वोच्च प्राथमिकता शक्ति को प्रदान की गई। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के रहे। कृषि, ग्रामीण विकास तथा उद्योगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया।

(8) राजस्थान की आठवी योजना का व्यय सातवी योजना के व्यय से लगभग 4 गुना है। निम्न 7 क्षेत्रों में यह व्यय किया गया कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण, शक्ति, उद्योग एवं खनन, यातायात तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं। कुल व्यय का मात्र 2.85 प्रतिशत विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम, वैज्ञानिक शोधन सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय किया गया। आठवी योजना में सर्वाधिक व्यय 26.12 प्रतिशत शक्ति के क्षेत्र में किया गया। यह व्यय सातवी योजना में किए गए व्यय का लगभग नौ गुना है लेकिन प्रतिशत-व्यय की दृष्टि से इसका भाग लगभग 3.2 प्रतिशत कम हुआ है। आठवी योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय (26.08 प्रतिशत) सातवी योजना की तुलना में राशि की दृष्टि से 'चारह गुना से अधिक हो गया। सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण पर सातवी योजना की तुलना में लगभग नौ गुना राशि व्यय की गई है लेकिन कुल व्यय के प्रतिशत में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। आठवी योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सातवी योजना की तुलना में इस पर आठ गुना से अधिक राशि व्यय की गई है।

(9) राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक धन सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण शक्ति तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय किया गया। योजनाकाल में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु व्यय किए गए धन में उतार-चढ़ाव रहा। पाचवी और सातवी योजनाओं में अन्य योजनाओं की तुलना में उद्योग एवं खनिज पर अधिक ध्यान दिया गया।

योजनाओं में प्रतिव्यक्ति व्यय

PER CAPITA EXPENDITURE IN PLANS

भारत व राजस्थान का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति व्यय की स्थिति को भी अग्रकित तालिका से समझा जा सकता है -

प्रतिव्यक्ति योजना व्यय			
योजना	भारत (रुपये)	राजस्थान (रुपये)	राज्य और कर्ण की तुलना (रुपये)
प्रथम योजना	38	34	4 से कम
द्वितीय योजना	51	65	14 से अधिक
तृतीय योजना	92	97	5 से अधिक
चतुर्थ योजना	142	120	22 से कम
पाचवी योजना	362	332	30 से कम
छठी योजना	718	622	96 से कम

सातवी योजना	1157	875	282 से कम
आठवी योजना*	5129	2614**	2516 से कम

*आठवी योजना में परिव्यय न 1991 की जनगणना का भाग दिया गया है। अप्रैल, 1992 को अनुमानित जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति व्यय कम हो जायेगा।

* Economic Review 1995-96 Rajasthan

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान की प्रथम योजना से लेकर अब तक आठवी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत (283.3%) की वृद्धि हुई है। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय अधिक रहा है किन्तु इसके पश्चात् अर्थात् चतुर्थ योजना से लेकर सातवी योजना तक यह निम्नतर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। साथ ही राष्ट्रीय औसत की तुलना राजस्थान का प्रतिव्यक्ति योजना व्यय तेजी से पिछड़ता जा रहा है। यह चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय औसत से 22 रुपये कम था किन्तु सातवी योजना में यह इस औसत से 282 रुपये कम था। राजस्थान की आठवी योजना का प्रतिव्यक्ति परिव्यय राष्ट्रीय औसत से 2516 रुपये कम प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग SHARE OF RAJASTHAN IN NATIONAL PLAN EXPENDITURE

राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का भाग भी परिवर्तित होता रहा है। इस परिवर्तन का आभास इस तालिका से होता है -

योजना	राष्ट्रीय योजना परिव्यय में राजस्थान का प्रतिशत भाग
प्रथम योजना	3.29
द्वितीय योजना	2.25
तृतीय योजना	2.75
चतुर्थ योजना	1.94
पाचवी योजना	2.15
छठी योजना	2.07
सातवी योजना	1.67
आठवी योजना	2.65

Source: Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या के आकार की दृष्टि से नवा व क्षेत्रफल के आकार की दृष्टि से दूसरा स्थान है किन्तु राष्ट्रीय योजना परिव्यय में इसका भाग कभी भी 3% (प्रथम योजना को छोड़कर) से अधिक नहीं रहा। राजस्थान की सातवी योजना के परिव्यय (1.67%) की तुलना में आठवी योजना के

अन्तर्गत (2.65%) लगभग 1% की वृद्धि अंकित की गई है।

प्रमुख विकास कार्य¹

IMPORTANT DEVELOPMENT WORK

योजनाकाल के आरम्भ से अब तक किए गए विकास कार्यों की सक्षिप्त समीक्षा निम्न प्रकार है-

(1) राजस्थान ने खाद्यान्नों में लगभग आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 1950-51 में 33.8 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता था जो 1998-99 में बढ़कर 112.25 लाख टन हो गया। कृषि क्षेत्र में विशेष प्रयास के बावजूद भी कृषि उत्पादन में मानसून की अनुकूलता का गहरा प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान अग्रणी राज्य हो गया है। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र 1951-52 में 11.7 लाख हेक्टेयर था जो 1996-97 में 67.43 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान में आज भी आधे से अधिक भाग कुओं से सींचा जाता है यद्यपि नहरों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। बोई गई कृषि भूमि का लगभग एक-तिहाई (32.6%)² भाग ही सिंचित है जो कि चिंता का विषय है।

(2) शक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है। 1951-52 में विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 13 मेगावाट थी जिसमें असाधारण वृद्धि हो चुकी है। यह क्षमता आठवी योजना के अंत में 258.65 मेगावाट हो गई।

(3) राजस्थान के औद्योगीकरण के परिवेश में परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक उत्पादों का विविधीकरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान में 1949 में 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थीं जो 1994 में बढ़कर 13395 तथा 1996 में बढ़कर 13665 हो गईं²।

(4) योजनाकाल में राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की गई है और उनके विशाल भण्डार खोजे गए हैं। इस संदर्भ में रॉक फॉस्फेट, इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला चूना-पत्थर, लिग्नाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, जस्ता-सीसा, सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाला चूना-पत्थर, चिप्पम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

(5) परिवहन की दृष्टि से सड़कों की लम्बाई 1951-52 में 17339 किलोमीटर थी। 1998-99 में बढ़कर 84958 किलोमीटर हो गई है।³

(6) शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। 1950-51

¹ Data from Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Rajasthan & Eighth Year Plan 1997-2 Economic Review 1998-99, Rajasthan

में 4436 श्राईमगे विद्यालय थे ये आठवी योजना के अंत में बढ़कर 33829 तथा 1998-99 में 34093 हो गये हैं। मरवाड़ के प्रयासों से आठवी योजना के अंतर्गत 37889 गावों में से 37540 गावों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी।

(7) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान सुदृढ़ सरचनात्मक आधार बनाने पर दिया गया। इसलिए सिंचाई एवं शक्ति के साथ सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर धन केंद्रित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल योजना परिव्यय का 60% से भी अधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था। आठवी योजना में यह प्रतिशत कम होकर 41.6 रह गया है। दूसरी ओर, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 16.84% था जो कि आठवी पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 26.08 प्रतिशत हो गया। दूसरे क्षेत्रों पर प्रतिशत व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मूलभूत संरचना के विकास के लिए सिंचाई, शक्ति यातायात पर किया जाने वाला व्यय प्रथम योजना के परिव्यय का 70.63% था जो आठवी योजना में कम होकर 48.97% रह गया।

(8) योजनाकाल के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद भी राज्य का घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत से नीचे है। 1980-81 की कीमतों पर 1980-81 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय (1222 रुपये) राष्ट्रीय औसत (1630 रुपये) से लगभग 400 रुपये से कम थी। 1995-96 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (2051 रुपये) राष्ट्रीय औसत (2573 रुपये) से लगभग 500 रुपये कम थी। 1998-99 में भी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2275 रुपये थी। संक्षेप में, राजस्थान ने विगत चार दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन फिर भी राज्य के विकास की अदाह विकास को सम्भावनाएं अभी विद्यमान हैं बिनका उपयोग किया जाना चाहिए।

राजस्थान की नवी पंचवर्षीय

योजना (1997-2002)

NINTH FIVE YEAR PLAN OF RAJASTHAN

आजादी की 50वीं रजत-जयन्ती के सुनहरे अवसर पर राजस्थान में नवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 में प्रारम्भ की गई जो 31 मार्च सन् 2002 में पूर्ण होगी। इस योजना के लिये 27,443.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो आठवी पंचवर्षीय योजना में व्यय की

गई राशि के दुगुने से भी अधिक है। अतः योजनाकाल में राज्य की आर्थिक विकास की दर में तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है। नवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्वों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा रहा है

A. नवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य Objects of Ninth Five Year Plan

नवी योजना के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये -

- 1 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय औसत के अन्तर को कम करने के लिये उच्च विकास दर को प्राप्त करना।
- 2 सेवा क्षेत्र (ग्रामीण) तथा जन समाजनों के प्रबन्ध में जनसहभागिता को बढ़ावा देना।
- 3 सरचनात्मक विकास की चालू योजनाओं को पूर्ण करना तथा जल व शक्ति के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण करना।
- 4 कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन तथा कृषि-विद्ययन को प्राथमिकता प्रदान करना।
- 5 जल के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल उपयोग नीति का निर्माण करना।
- 6 सिंचाई संरचना को सुदृढ़ करने के लिये एक नीति का निर्माण करना।
- 7 किन्हीं परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही उसके विस्तार पर विचार करना ताकि समय व लागत में बचत हो सके।
- 8 औद्योगिक विकास पर विशेष बल देना।
- 9 पर्यटन, हेन्डलूम और दस्तकारों का तीव्र विकास करना।
- 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु प्रभावी प्रयास करना।
- 11 राज्य की जनसंख्या यदि वर्तमान दर से बढ़ती रही तो यह 2045 ई में स्थिर होकर लगभग 11 करोड़ हो जायेगा। अतः जनसंख्या नियोजन के ऐसे प्रयास किये जायेंगे ताकि जनसंख्या 2021 ई में ही स्थिर हो जाये।
- 12 सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्धनता निवारण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा।
- 13 रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये कृषि ग्रामीण कार्यक्रम, छोटी सिंचाई योजनाओं, वन, पशुधन, दस्तकारों तथा ग्रामीण उद्योगों का तेजी से विकास करना।
- 14 समय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- 15 महिला विकास कार्यक्रमों को प्रभाव टा से लागू करना।

- 16 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।
- 17 मरूस्थल प्रसार पर गेक लगान के प्रभावपूर्ण प्रयास करनी।
- 18 ग्रामीण विकास के लिये राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी विकास को सुदृढ़ किया जायेगा।
- 19 सतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए कमी वाले क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा।
- 20 कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जायेगा।

योजना का आकार Size of Ninth Plan

यह योजना 27 44380 रुपये की है। इस राशि का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है -

नवी पंचवर्षीय योजना में व्यय (करोड़ रुपये)		
क्र. सं.	क्षेत्र	व्यय प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाएं	1880.04
2	ग्रामीण विकास	1979.68
3	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140.60
4	सिंचाई	2876.67
5	शक्ति	6534.88
6	उद्योग एवं खनिज	2127.59
7	परिवहन (सहायता)	2689.18
8	पैदाइय सेवाएं	38.40
9	सांघातिक एवं सामुदायिक संगण	7452.31
10	अर्थिक सेवाएं	349.72
11	सापत्न्य संगण	674.73
12	कन्द प्रयोजित योजनाएं	700.00
योग		27443.80
स्रोत Ninth Five Year Plan 1997-2002 Govt. of Raj		

वर्ष	0-20	10-00
वर्षास (लाख गांठे)	6.00	15.25
स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Govt. of Raj		

इस योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं के लिये 1880.4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुधन Animal Husbandry

नवी योजना में पशुधन के विकास हेतु उत्पादकों में वृद्धि की जायेगी। पशु आधारित उद्योगों का विकास किया जायेगा। दूध व्यवसाय में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। पशुओं के लिये चारा उत्पादन में वृद्धि की जायेगी। योजनाकाल में पशुओं से प्राप्त वस्तुओं के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये-

नवी योजना में पशु आधारित उत्पादों के उत्पादन लक्ष्य	
उत्पाद	संख्या (2001-2002)
जन (लाख किलोग्राम)	200
आण्डे (मिलियन)	600
दूध ('000 टन)	6200
घास ('000 टन)	60
स्रोत Ninth Five Year Plan, 1997-2002 Govt. of Raj	

योजनाकाल में पशु विकास पर 12429.92 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन Fisheries

राजस्थान में मत्स्य पालन की पर्याप्त सम्भावनाएं उपलब्ध हैं। इसमें को ध्यान में रखते हुए नवी योजना में 3.30 लाख हैक्टेयर में मत्स्य पालन का कार्य किया जायेगा। 1.2 लाख हैक्टेयर में बाधों से 1.8 लाख हैक्टेयर में ताताओं से तथा 0.30 लाख हैक्टेयर में नदियों से मछलियों पकड़ी जायेगी। योजनाकाल में मत्स्य पालन पर 944.40 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

वन Forests

नवी योजना में वन विकास हेतु निम्न कार्यों पर बल दिया जायेगा -

- (i) वन प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जायेगा।
- (ii) वन सुरक्षा के विराग प्रयास किये जायेंगे।
- (iii) पारिस्थितिकी सन्तुलन बनाये रखने के लिये विराग

कृषि Agriculture

योजनाकाल में कृषि उत्पादन की दर में वृद्धि करने, अधिक स्थिर एवं समान विकास को बढ़ावा देने, कृषि तकनीक का विकास करन तथा कृषि विधायन के द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। योजना में निम्न फसलों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये -

नवी योजना में कृषि उत्पादन (लक्ष्य)		
फसल	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
छाछान	124.25	134.65
जिलहन	39.00	39.50

प्रबन्ध किये जायेंगे।

(iv) परम्परागत तरीकों एवं नवीन तकनीक के आधार पर वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी।

(v) वन विस्तार की योजना बनाई जायेगी।

जल संसाधन

Water Resources

नवी योजना में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार का कार्य जारी रखा जायेगा। अकालग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई साधन का विस्तार किया जायेगा। जल प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जायेगा। राज्य की 29 13 लाख हेक्टेयर मर्यादित सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जायेगा। भूगर्भीय जल के अत्यधिक विदोहन को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया जायेगा। बाढ़ के पानी को रोकने लिये छोटे तालाबों का निर्माण किया जायेगा। जल विकास कार्यक्रमों में विनियोग के लिये निजी-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

शक्ति

Energy

राज्य में शक्ति की मांग एवं पूर्ति में अन्तर बना हुआ है। सन् 2001-02 तक राज्य में शक्ति की मांग लगभग 5606 मेगावाट होगी। इस मांग को पूर्ण करने के लिये 8000 मेगावाट शक्ति विकसित करने होंगी। राज्य की वर्तमान शक्ति क्षमता 3050 मेगावाट है। अतः 4900 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सूरतगढ़ व रायदा-गैस आधारित शक्ति परियोजनायें निर्माणस्थान हैं जिनकी शक्ति क्षमता लगभग 600 मेगावाट होंगी। शेष 4300 मेगावाट शक्ति क्षमता का सृजन करने के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में 6184 50 मेगावाट शक्ति क्षमता के लिये प्रयास प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इस कार्य की वर्तमान मूल्य पर लागत लगभग 18845 करोड़ रुपये होगी। नवी योजनाकाल में निजी क्षेत्र में 2265 मेगावाट शक्ति क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाकाल में राज्य के ग्रामों को विद्युतीकृत करने का कार्य किया जायेगा। नवी योजना में 300 मेगावाट क्षमता की सौर-ऊर्जा विकसित की जायेगी। योजनाकाल में शक्ति के विकास पर 6534 88 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

उद्योग एवं खनिज विकास

Industry & Mineral Development

आय एवं आर्थिक सामाजिक मूल्यों के राज्य-एव राष्ट्रीय स्तरों में विद्यमान अन्तरों को समाप्त करने के लिये नवी योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान

की गई है। नवीन औद्योगिक नीति का शीघ्र निर्माण किया जायेगा। निर्धनता निवारण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर बल दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र क उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। इसके लिये प्रशिक्षित श्रम शक्ति विकसित की जायेगी। ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये नवीन प्रौद्योगिकी विकसित की जायेगी।

नवी योजना में उन खनिजों के विदोहन पर विशेष बल दिया जायेगा जिनका देश में अभाव है और जिनका निर्यात बढ़ाया जा सकता है। योजना में आधारभूत धातुओं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट सीमेन्ट बनाने का पत्थर, मार्बल ग्रेनाइट, फायर क्ले, फ्लोराइट, पोटाश, रॉक फॉस्फेट स्वर्ण, टंगस्टन आदि को खोज एवं विदोहन पर बल दिया जायेगा। इस योजना में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु 2127 59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

परिवहन के साधनों का विकास

Development of Communication Network

राज्य के ग्रामों को ग्रामीण सड़कों के द्वारा जोड़ा जायेगा। सड़क नीति 1994 के अनुसार राज्य में सड़कों का तेजी से विकास किया जायेगा। सड़क भरवना के विकास में निजी विनियोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। रेल-विकास में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में परिवहन प्रदूषण को सुदृढ़ किया जायेगा। योजनाकाल में परिवहन के साधनों के विकास में 2689 18 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

अन्य क्षेत्र

- (1) नवी योजना में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।
- (2) शिक्षा-संस्थानों (तकनीकी शिक्षा सहित) का तेजी से विस्तार किया जायेगा।
- (3) योजना में 'ममि के लिये स्वास्थ्य' के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।
- (4) सम्पूर्ण राज्य में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
- (5) शहरी क्षेत्र के विकास पर बल दिया जायेगा।

प्रस्तावित नवी पंचवर्षीय योजना राजस्थान की आर्थिक प्रगति में अत्यधिक महायक सिद्ध होगी क्योंकि (i) यह योजना विगत पंचवर्षीय योजना की तुलना में बड़े आकार की है। (ii) योजना कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। (iii) राज्य के गूदकों की राष्ट्रीय स्तरों से तुलना करके विकसित का प्रयास किया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- 1 राजस्थान की छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताएँ बताईए।
Point out the main priorities of the Sixth and Seventh Five-Year Plans of Rajasthan
- 2 राजस्थान की विकास राजगणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
Write a short note on development plans of Rajasthan
- 3 आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कीजिए।
Evaluate the 8th Five Year Plan of Rajasthan
- 4 राजस्थान की नवीं योजना के क्या उद्देश्य हैं?
What are the objects of 9th Five Year Plan of Rajasthan?
- 5 राजस्थान की वर्तमान नियोजन तंत्र क्या है?
What is the present Planning Machinery in Rajasthan?
- 6 विकेंद्रित नियोजन क्या है?
What is Decentralised Planning?

B निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- 1 राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
What are the objectives of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress made during the planning period
- 2 राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं? उनको व्यवहार में कहीं तक प्राप्त किया जा सका है? विवेचना कीजिए।
What are the main objectives of Economic Planning in Rajasthan? How far have these been achieved in practice? Analyse
- 3 राजस्थान राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically examine the objectives and targets of Eighth Five Year Plan of Rajasthan State
- 4 राजस्थान में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Discuss the main achievements of Planning in Rajasthan and review the economic progress under the planning period
- 5 '45 वर्ष के नियोजित नियोजन के बाद राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है।' व्याख्या कीजिए।
'Rajasthan is a backward state despite of its regular planning of 45 years' Discuss

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
What are the objectives of Economic Planning in Rajasthan? Review the economic progress under the planning period
- 2 राजस्थान में नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए।
Review the economic progress during the planning period in Rajasthan
- 3 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
Critically explaining the Draft of Eighth Five Year Plan of Rajasthan
- 4 आर्थिक नियोजन किम कहते हैं? आधुनिक युग में इसके महत्व को समझाईए।
What is Economic Planning? Explain its importance in present age
- 5 नियोजन काल में राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये।
Analyse the main trends in economic development during plan period in Rajasthan
- 6 राजस्थान में नियोजन तंत्र का वर्णन कीजिए।
Discuss the Planning Machinery in Rajasthan



राजस्थान का आर्थिक विकास : विशेषताएं एवं बाधाएं

ECONOMIC DEVELOPMENT IN RAJASTHAN CHARACTERISTICS & CONSTRAINTS

'बधाओं का इन, उनके निराकरण हेतु आवश्यक है।'

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
- राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं व समाधान
- राजस्थान के तौर विकास हेतु सुझाव
- अभ्यासार्थ प्रश्न

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

MAIN CHARACTERISTICS OF ECONOMY OF RAJASTHAN

राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है यही कारण है कि देश अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अपेक्षाकृत धीमी गति से विकास हुआ। वस्तुतः राजस्थान निर्माण का कार्य 1956 में पूर्ण हुआ। अतः विकास प्रक्रिया में विलम्ब होना स्वाभाविक था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज ससाधनों, पशु सम्पदा और मानवीय श्रम की विशेष भूमिका रही है। राज्य व केंद्र सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी नियोजित ढंग से विकास किया जा रहा है। भारत के समान राजस्थान में भी नियोजन प्रक्रिया का प्रभाव निरन्तर बना हुआ है। राज्य सरकार वर्तमान में नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 का संचालन व निर्देशन कर रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(1) कृषि की प्रधानता एवं कृषि का आधुनिकीकरण (Dominance of Agriculture & Modernisation of Agriculture) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह राज्य-आय का प्रमुख स्रोत है और राज्य की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन परंपरागत व डेयरी विकास, वन विकास तथा मत्स्य व्यवसाय आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रारम्भ में राजस्थान में कृषि मुख्यतः परम्परागत तरीके में की जाती थी लेकिन हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं गीली क्रांति के फलस्वरूप राज्य की कृषि में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। इन न्वातिकारी उपायों के माध्यम से उत्पादन विधियों में सुधार किया गया, वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाया गया और कृषि क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक धन व्यय किया गया। राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण का क्रम आज भी जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कृषि में संचालित विभिन्न कम्प्लेक्सों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र का विकास अन्य राज्यों की तुलना में कम हुआ है लेकिन कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में सिंचाई एवं शक्ति के साधनों के विकास पर विशेष धन दिया गया है। राजस्थान नहर जैसी सिंचाई परियोजनाओं को राज्य की ही नहीं बरन सम्पूर्ण भारत के लिए एक उत्तेजनोपलब्धि कहा जा सकता है।

2 अपर्याप्त औद्योगिकीकरण एवं खनिज विकास (Insufficient Industrialisation & Mineral Development) - किमी भी क्षेत्र, राज्य अथवा देश के औद्योगिक विकास हेतु एक आधारभूत ढांचे के निर्माण की पूर्व शर्त होती है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक छिन्न-छिन्न अवस्था में थी। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव था। इसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं में सार्वनात्मक ढांचे के निर्माण पर विशेष धन दिया गया। यह क्रम वर्तमान में भी जारी है। अब तो भारत सरकार ने भी राजस्थान को इस समस्या को अनुभव करते हुए राज्य के कुछ औद्योगिक केंद्रों में सार्वनात्मक सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य में सार्वनात्मक ढांचे सम्बन्धी समस्या के विद्यमान होते हुए भी योजनाकाल में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य के जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, गानगर बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसमें राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक विपन्नताओं में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य में औद्योगिकीकरण की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम रही।

राज्य में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक विपन्नताओं के आधार पर भी कहा जा सकता है कि राज्य में औद्योगिक विकास अपर्याप्त है।

(3) जनसंख्या वृद्धि एवं पर्याप्त श्रमशक्ति (Growth of Population & Sufficient Labour Force) - राजस्थान में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या विश्व के अनेक छोटे राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। राज्य की जनसंख्या का एक उत्तेजनोपलब्धि बिन्दु यह है कि यहां का जनसंख्या घनत्व केवल 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत के जनसंख्या घनत्व के औसत से बहुत कम है। राज्य की जनसंख्या पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध करने में सक्षम है लेकिन राज्य की संपूर्ण जनशक्ति का नियोजित ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। मानवीय श्रमशक्ति का पर्याप्त उपयोग न हो पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य में पूँजी का अभाव है। राज्य के जनसंख्या घनत्व का वितरण अत्यधिक असमान है। रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं अगवली पर्वत-श्रृंखलाओं वाले क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। अतः इसमें राज्य के आर्थिक विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य में जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र है, जबकि आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत कम है।

(4) कम वर्षा व सीमित जल ससाधन (Less Rain & Scarce Water Resources) - राजस्थान में भी मानसून के दृग वर्षा होती है। राज्य में वन अत्यधिक सीमित क्षेत्र में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊँचे पहाड़ों का भी अभाव है। अतः मानसून में राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो वर्षा का प्रायः अभाव ही बना रहता है। इस स्थिति में राज्य के कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु सिंचाई के साधनों का विस्तार करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी इसे राज्य की संपूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राज्य में वर्षा पर्यन्त बढ़ने वाली नदियों का अभाव है। राजस्थान के आन्तरिक सतही जलस्रोतों से उपलब्ध जल देश के सतही जलस्रोतों का 1/16 प्रतिशत ही है। वर्षा की कमी और मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहां लगभग 75 लाख एकड़ फीट भूगर्भीय जल और 158 60 लाख एकड़ फीट भूतटी जल की क्षमता है। इस स्थिति में राज्य में सिंचाई के लिए खिने पानी और माध्यमों की जरूरत है उसमें हम वर्षा पीते हैं।

(5) सामाजिक संरचना (Social Structure) राज्य में सामाजिक सुविधाओं का स्तर निम्न है अतः योजनाकाल में आधारभूत सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। आधारभूत सामाजिक सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य की पाचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों को समाज के अन्य वर्गों के समान आगे लाने के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की रचनात्मक योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इसी प्रकार बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण कार्यक्रम, वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और शोषण को समाप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं युगकदम जातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसी प्रकार अतिवर्धित माताओं के बच्चों की देख रेख हेतु जयपुर और जोधपुर में शिशु गृहों की स्थापना की गई है। पिछड़े वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने एवं सामाजिक न्याय दिलाने सम्बन्धी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है। निर्धनता निवारण के लिए एक विशिष्ट योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति विकास सहायता निगम अनुसूचित जाति के परिवारों के व्यक्तिगत लाभ व आय वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसी प्रकार, विकलांगों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्य में अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(6) राजनैतिक विचारधाराओं का प्रभाव (Effect of Political Ideologies) राज्य अर्थव्यवस्था विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं में भी प्रभावित होती रही है। राजनैतिक विचारधारा के साथ-साथ योजनाओं के निर्माण और उनकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन हो जाता है। सरकारों बदलने पर कभी आवर्ती योजनाएँ अपनाई जाती हैं तो कभी पंचवर्षीय योजनाएँ। राजनीति के कारण ही प्रायः राज्य और केंद्र में विवाद उत्पन्न होते हैं। राजनैतिक विचारधाराओं में भिन्नता के कारण आर्थिक विकास के धार्य में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब केंद्र एवं राज्य में विभिन्न विचारधारा वाली सरकारें होती हैं तो प्रायः राज्य में आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मत विभिन्नता के कारण अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन नहीं हो पाया है। अतः राज्य अर्थव्यवस्था भी राजनीति के प्रभावों से मुक्त नहीं है।

(7) प्रदूषण के प्रति निश्चेत अर्थव्यवस्था (Irresponsible Economy Towards Pollution) - योजनाकाल के पश्चात् राजस्थान में पर्याप्त औद्योगिक एवं वृष्टि विकास हुआ है किन्तु आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं किए गए। यह मान लिया गया कि आर्थिक विकास और प्रदूषण साथ-साथ चलते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं किन्तु वे किसी प्रकार से पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। इस कारण आर्थिक विकास एवं प्रदूषण के साथ-साथ चलने की संभावना है। विगत कुछ वर्षों से राज्य के पाली, जोधपुर, कोटा, जयपुर आदि शहरों में प्रदूषण की समस्या गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। पाली में तो प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने न केवल अनेक कारखानों को बंद कर दिया वरन् नवीन कारखानों की स्थापना पर रोक लगा दी है। यह प्रवृत्ति राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है।

(8) भ्रष्टाचार व लालफीताशाही (Corruption & Red Tapism) - राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गई है। भ्रष्टाचार व लालफीताशाही इस हद तक बढ़ गई है कि इसके मानवीकरण की मांग की जाने लगी है। गुनार मिर्डल ने भी इस संदर्भ में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार की अनदेखी की जाती रही है। राजस्थान में किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। दुर्भाग्य से, इसमें मूल्य विभाग, अधिकारी व कर्मचारी पूर्ण कर्मठता व लगन से कार्य नहीं करते।

(9) व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी व क्षेत्रीय विषमता (Poverty, Unemployment & Regional Disparities) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था इन तीनों ही समस्याओं से ग्रस्त है। राजस्थान में प्रतिव्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। बेरोजगारी एक आम समस्या है और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास अत्यन्त ही धीमा है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी होने के कारण यहाँ का विकास आरम्भ से ही अवरूढ़ सा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान नहर के कारण स्थिति के बदलने की संभावना है। साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्र में खनिज तेल की संभावना के कारण सम्पूर्ण राजस्थान का आर्थिक विकास तीव्र हो सकता है।

(10) परिवहन व संचार (Transport Communication) - राजस्थान में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए परिवहन व संचार के माध्यमों का विकास

करना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न पारंपरिक योजनाओं में परिवहन व सार के साधनों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाती रही है अतः राज्य के अधिकांश भागों में परिवहन व संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र एर पहाड़ी क्षेत्र अभी भी इन सुविधाओं में बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। इन सुविधाओं के अभाव के कारण पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्र का औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत नाण्य रहा है। यह स्थिति राज्य के पिछड़ेपन की ओर मकेत करती है।

(11) निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका (Increasing Role of Private Sector) स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास भी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रारम्भ हुआ। जुलाई 1991 के पूर्व तक इसी नीति का अनुसरण किया गया लेकिन जुलाई 1991 की नवीन औद्योगिक नीति में गतरीष्टीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी खुली एवं उदार अर्थव्यवस्था के विचार को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया। भारत सरकार की इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार राजस्थान में भी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आठवीं पारंपरिक योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन इसी तथ्य का ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में ताव गति से विकास की सम्भावना है।

(12) पर्यटन का बढ़ता महत्व (Increasing role of tourism) राजस्थान में भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है यह उद्योग राज्य-आय में वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के ऐतिहासिक स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैसलमेर दुर्ग और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जयपुर के स्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में एक सारह सदस्यी समिति गठित की गई। अजमेर में टरगाह क्षेत्र के विकास के लिए योजना स्वीकृत की गई। भारत सरकार के माध्यम से जोधपुर बाडमेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पर्यटन विचार व लिए विश्व बैंक सहायता से सहायता प्राप्त करने तथा अजमेर को वायुसेवा से जोड़ने के प्रयास जारी हैं।

(13) अकाल एवं सूखा (Famines & Droughts) राजस्थान में वर्षा के अभाव के कारण अकाल एवं सूखा की स्थिति बनी रहती है। इसका सार्वधिक प्रभाव राज्य का निर्धन जनता पर पड़ता है। राज्य सरकार ने इस समस्या को समाधान हेतु निर्गमिता सहायता के विकास पर पर्याप्त ध्यान

दिया है लेकिन यह व्यवस्था राज्य की आवश्यकताओं से बहुत कम है। अकाल एवं सूखे के कारण राज्य के अनेक भागों में पंचजल का अभाव उत्पन्न हो जाता है। राज्य में प्रोत्पन्न होने वाले पेयजल आपूर्ति की स्थिति ठीक रहे तथा लोगों को मकट व सामान्य व वरना पड़े इस दृष्टि से समुचित प्रबन्ध विये जाते हैं। पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध किया जाता है। जर्मन सरकार के सहयोग से राज्य के गणानगर चुरू और दुधनू जिलों के खारे पानी वाले क्षेत्रों में गांवों को पंचजल मुक्त करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को 75 लीटर पेयजल सुलभ करवाया जायेगा। योजना अन्तर्गत पेयजल के लिए पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध करवाया जायेगा। वर्तमान में साहज व पण्डूसर में जल शोधन संयंत्र लगे हुए हैं। तीन और जल शोधन संयंत्र चरणसर करमसाणा और ताराणगर में बनाए जायेंगे। यूनिसेफ के सहयोग से भूमिगत जल विकास के लिए योजना बनाई जा रही है। बीसलपुर जयपुर परियोजना के लिए सहायता जुटाने की एक योजना विश्व बैंक को भेजी गई है।

(14) सम्पन्नता में दरिद्रता (Poverty in Plenty) राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक धनी प्रदेश है लेकिन फिर भी यहाँ के निवासियों की प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्राकृतिक संसाधनों या समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य में अनेक प्रकार की विषमताएँ विद्यमान हैं। राज्य के कुछ व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रायः निर्धन है। राज्य के शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र विकास का इंतजार कर रहे हैं। ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं और भव्य इमारतों की तुलना में झोपड़ियों की बाहुल्यता राज्य में सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता को दर्शाती है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है लेकिन राज्य की तेज गति से बढ़ती जनसंख्या इन सरकारी प्रयासों को असफल कर देती है।

(15) राजस्थान में बढ़ता विदेशी पूंजी निवेश (Increasing Foreign Capital Investment in Rajasthan) आर्थिक विषमताओं के चलते राजस्थान का विकास अतः केवल राज्य सहायता पर निर्भर है। इसके लिए राज्य सरकार की उम्मीदें विदेशी आर्थिक सहयोग पर टिकी हैं। सरकार ने अभी विश्व बैंक सहित विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थाओं से जो ताराम्य विद्याया है उसके मुआविक

करीब सवा छह हजार करोड़ रुपए की विदेशी सहायता और ऋण मिलने की सभावना है। अगले पाच वर्षों में यह सहायता कृषि, भूमि सधारण, वनीकरण, ग्रामीण विकास सिंचाई, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्यों के लिए मिलेगी। इनमें से कुछ के लिए विदेशी वित्तीय सस्थाओं से समझौते कर लिए गए हैं तथा अन्य के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार 1992-97 के 1055 करोड़ रुपए विश्व बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियों से लिए गए हैं। विदेश में आने वाला यह ऋण भारत सरकार के जरिए आता है, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण और तीस प्रतिशत अनुदान होता है। ऋण की अदायगी की अवधि बीस वर्ष है। राजस्थान को आम तौर पर विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान की ओडीसीएफ, जर्मनी के के डब्ल्यू एफ, स्वीडन की सीडा और कनाडा की सीआईडीए वित्तीय सस्थाओं से ऋण प्राप्त हो रहा है। इनमें कुछ वित्तीय सस्थाओं की परियोजनाएँ इस वर्ष पूर्ण होने वाली हैं आंध्र प्रदेश के पश्चात राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ इन वित्तीय सस्थाओं ने अपना रुपया लगाना स्वीकार किया है। उधर गैर सरकारी सूत्रों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं में प्राप्त ऋण से हालात सुधरने की बजाय बिगड़े। राज्य सरकार पर फिलहाल जितने ऋण हैं उन पर 1865 करोड़ रुपये इनका ब्याज चुकाने में ही चले जाते हैं, जबकि राज्य की बिक्री से आमदनी ही 2050 करोड़ है। यानी जितनी राजस्व प्राप्ति है उसका तीन-चौथाई ब्याज के चुकाने में ही जा रहा है। कर्ज इस तरह बढ़ते रहे तो भावी स्वरूप क्या होगा यह सोचना जा सकता है। राजस्थान ने अभी तक कर्ज चुकाने के लिए पूरे साधन तलाश नहीं किए हैं। सरकार जुटी अवश्य है, पर रास्ते सूझे नहीं हैं। राज्य सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में बाह्य सहायता की जो परियोजनाएँ तैयार की हैं उसे उसे 6327 करोड़ रुपए मिलने की सभावना है। इसमें सर्वाधिक 16965 करोड़ रुपये ऊर्जा के क्षेत्र में है, जिसमें 660 करोड़ रुपये बिजली सुधार, पारेषण और वितरण पर और 980 करोड़ रुपये मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना के भी शामिल हैं। इसी तरह कृषि विकास परियोजनाओं के लिए 203 करोड़, भूमि एवं जल सधारण के लिए 145 करोड़ 88 लाख की परियोजनाएँ हैं। वनीकरण के लिए 547 करोड़, 91 लाख की योजना में अरावली पौधरोपण परियोजना के लिए 367 करोड़ और ओसीएफ की 180 करोड़ की वन विकास परियोजना है। इसी तरह ग्रामीण विकास की 401 करोड़ की तथा सिंचाई की 402 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। इसमें 198 करोड़ का राजस्थान वाटर कमोन्डिशन प्रोजेक्ट है। कमांड एरिया डवलपमेंट की 76 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। मडकों के लिए 353

करोड़ का राजस्थान स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट है, जबकि शिक्षा के लिए डीपीईपी परियोजना भी 880 करोड़ की है। पाच सालाना इस परियोजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की 211 करोड़ की परियोजना है, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 601 करोड़ की परियोजनाएँ हैं। इनमें बीसलपुर से जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने की 243 करोड़ की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने की 164 करोड़ की परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

(16) विकास के लिये विदेशी सहायता पर बढ़ती निर्भरता (Increasing dependence on foreign Assistance for development) - राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों एवं अनिवासी भारतीयों द्वारा पूँजी विनियोजन में 10 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 तक राज्य में सीधे व अनिवासी भारतीयों में 10 इकाइयों में कुल 15 करोड़ 10 लाख रुपय की विदेशी पूँजी निवेशित थी। वर्ष 1990-97 की अवधि में 54 इकाइयों में सीधे अनिवासी भारतीयों के माध्यम से कुल 159 करोड़ 85 लाख रुपये की विदेशी पूँजी का विनियोजन हुआ जो 1990 तक हुए विदेशी पूँजी निवेश की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। राज्य में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भारत सरकार को अगस्त, 1991 से जुलाई, 97 तक 1638 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञान प्रस्तुत किए गए जिनमें 25 हजार 700 करोड़ रुपये का पूँजी विनियोजन प्रस्तावित है तथा जिनसे 3 लाख 3 हजार 698 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो सकेगा।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में वर्ष 1990-97 की अवधि में 35 हजार 764 लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयों स्थापित हुईं। इनमें 13 अरब 81 करोड़ रुपये से अधिक का पूँजी विनियोजन हुआ। इसके विपरीत वर्ष 1985-90 के मध्य 35 हजार 112 लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयों की स्थापना हुई जिनमें 3 अरब 29 करोड़ 71 लाख रुपय का पूँजी विनियोजन हुआ।

राज्य में इस वर्ष सितंबर तक एक लाख 89 हजार लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हो चुके हैं जिनमें 21 अरब 42 करोड़ 61 लाख रुपय का पूँजी विनियोजन हुआ है।

वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में भी राजस्थान में पिछले वर्षों में सरहनीय प्रगति हुई है। मार्च, 1990 तक राज्य में वृहद एवं मध्यम स्तर की इकाइयों की संख्या 225 थी तथा उनमें 22 अरब 23 करोड़ 37 लाख रुपये का पूँजी विनियोजन हुआ था। आर्थिक उदारीकरण एवं राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषण के उपरान्त वर्ष

1990 से 1997 के मध्य 290 बूट एव मध्यम स्थापित हुए। जिनमें 99 अरब 84 करोड़ 38 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ।

राज्य म वर्ष 1985-90 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख 33 हजार 968 व्यक्तियों को रोजगार मुलभ हुआ जबकि 1990-97 की अवधि में इस क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार 930 व्यक्तियों को रोजगार मुलभ हुआ है।

राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ MAJOR PROBLEMS OF AGRICULTURE IN RAJASTHAN

राज्य में कृषि की समस्याओं का अध्ययन निम्न शार्थकों के अनन्तर्गत किया जा सकता है।

(a) प्राकृतिक बाधाएँ (Natural constraints)

- 1 राजस्थान में वर्षा अत्यधिक अर्पाण और अनिश्चित प्रवृत्ति की है।
- 2 राज्य का 61 प्रतिशत भाग मरुस्थलीय आर अर्द्ध मरुस्थलीय है।
- 3 इस क्षेत्र की मिट्टी उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कम होती है और यह अपना स्थान बदलता रहती है।
- 4 वर्षा की कमी के कारण भूगर्भीय जल की उपलब्धता सामित है।
- 5 उच्च तापमान और वायु की तीव्र गति फसलों को नुकसान पहुंचाता है।

(b) सामाजिक बाधाएँ (Social Constraints)

- 1 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- 2 जल का उपविभाजन में वृद्धि हुई है। 1980-81 में जोतों का संख्या 44-87 लाख था जो बढ़कर 1990-91 में 51-07 लाख हो गई।
- 3 महिलाओं का स्तर (38%) विशेषतः महिला साक्षरता (20%) कम है।
- 4 महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कम है।
- 5 महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि कृषि कार्यों में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होता है।
- 6 जनसंख्या का अधिकांश भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (30%) से सम्बन्धित है। इनमें अधिकांश व्यक्ति निर्धनता रेखा में नीचे जाकर खपन कर रहे हैं। एम व्यक्तियों की जेखिम उठाने की क्षमता कम होती है और ये लोग नवीन प्रौद्योगिकी को जल्दी नहीं समझ पाते हैं।

(c) शोध सम्बन्धी बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 अकाल से लड़ने के उपयुक्त तरीकों का अभाव।
- 2 कृषि विधायन, बागवानी और चारा फसलों के विशेषज्ञ मीमित है।
- 3 फसल काटने के पश्चात की क्रियाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी साहित्य और जानकारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
- 4 बायो टेक्नोलोजी और टीशू कल्चर शोध सुविधाओं का अभाव है।
- 5 विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने मन्धी जानकारी कम है।
- 6 ओरगेनिक फार्मिंग सम्बन्धी शोध का नितान्त अभाव है।
- 7 अनेक फसलों के लिए मरुस्थित रोग प्रबन्ध का अभाव है।
- 8 जल की बचत करने वाले प्राचीन उपायों जैसे - बूट बूट कृषि फव्वारा मिचाई आदि के क्षेत्र में शोध का अभाव है।
- 9 समस्या प्रमत्त मिट्टियों के प्रभावी प्रबन्ध की ब्यूह रचना का अभाव है।

(d) सरचनात्मक बाधाएँ (Research Constraints)

- 1 कृषि पदार्थों सम्बन्धी फुटकर दुकानें अपर्याप्त (2450 व्यक्तियों पर एक) है।
- 2 वैकिंग सुविधाओं (सितम्बर, 1993 तक एक लाख जनसंख्या पर 6-5 बैक) का अभाव है।
- 3 शक्ति की पूर्ति अपर्याप्त है।
- 4 कृषि विपणन और विधायन मरचना का अभाव है।
- 5 कृषि में यंत्रोपकरण की गति धीमी है।
- 6 राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति चौ वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध राष्ट्रीय औसत का 55 प्रतिशत है।
- 7 बागवानी और सच्चियों सम्बन्धी फसलों के विपणन की मरचना का अभाव है।
- 8 पशु चिकित्सका की मांग और पूर्ति के मध्य अन्तराल बहुत अधिक है साथ ही पशु बाजार असंगठित है। इममें पशु पालकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(e) कृषक की अशिक्षा एव अज्ञानता (Illiteracy & Lack of Knowledge)

- यदि भारत के मरुध में राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान का कृषक अधिक अशिक्षित प्रतीत होता है। इसी कारण राजस्थान में कृषि के अनन्तर्गत नवीन विधियों का अधिक प्रयोग नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण कृषक साहसियों के घुसल में फसे हुए हैं। अशिक्षा के कारण ही राजस्थान में महत्कारी आंदोलन अधिक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। अशिक्षित कृषक अधविश्वामों और सामाजिक कुरीतियों का आमानी से शिकार हो जाते हैं। सामाजिक गति र्गिवाजों को निभाने के लिए उन्हें विनीय कठिनाईया का सामना करना पड़ता है जिसमें कृषि विकास

अवरूद्ध हो जाता है। इस समस्या का समाधान कृषकों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रक्रिया में श्रेष्ठ शिक्षा का विशेष महत्व हो सकता है।

(f) **अपर्याप्त वित्त एवं ऋणप्रस्तता (Lack of Finance & Indebtness)** - राजस्थान का कृषक अशिक्षित होने के साथ-साथ निर्धन भी है। इस कारण वह अपने स्वयं के साधनों के कृषि विकास के लिए पर्याप्त वित्त नहीं जुटा पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायताओं का अभाव आज भी बना हुआ है। इस कारण उसे साहूकारों द्वारा ऊँची ब्याज दरों पर ऋण पड़ता है। ये ऋण भी मुख्यतः अनुत्पादक ऋण होते हैं और इन अनुत्पादक ऋणों के कारण कृषक पर पीढी-दर-पीढी इस ऋण का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपना ऋण आने वाली पीढी के लिए छोड़ जाता है। राजस्थान में कृषकों में असतोष का एक बड़ा कारण उनकी ऋणप्रस्तता है। डॉ. टॉमस ने ऋणप्रस्तता के संदर्भ में उपयुक्त ही कहा है, "ऋणप्रस्त समाज अनिवार्य रूप से एक सामाजिक ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के समाज में विभिन्न वर्गों में असतोष उत्पन्न होना अनिवार्य है और भीतर ही भीतर बटता हुआ असतोष सदैव खतरनाक होता है।" वित्तीय साधनों की कमी के संदर्भ में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख संवर्धन समिति ने ठीक ही कहा है कि "सहकारिता असफल हो चुके हैं लेकिन सहकारिता सफल होने चाहिए।" ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अनुत्पादक ऋण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

(g) **सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता (Lack of Irrigation Facilities)** - राजस्थान में जल संसाधनों का अभाव है। नदियाँ कम हैं और लगभग सभी नदियाँ मानसून हैं। मानसून के अभाव में इनमें भी पानी नहीं रहता है। अनेक स्थानों पर भू-जल का स्तर बहुत नीचा होने के कारण भी कृषि कर्मियों में उसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण जल के अभाव में राजस्थान में छि नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में कृषि उत्पादन लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा। रेगिस्तानी भूमि में जल की और भी आवश्यकता होगी है। अतः जल के अभाव में प्रायः ऐसे क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है। सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजस्थान नहर ऐसा ही एक उपहोनायक प्रयास है।

(h) **कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव (Lack of Cottage & Small Industries)** - राजस्थान का कृषक

सामान्यतः एक फसल लेता है और इस प्रकार वर्ष के लगभग 4 माह कार्य करता है। शेष अवधि में वह बेकार बैठा रहता है। ऐसा इस कारण से है कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के सात लाख ग्रामों को नष्ट कर देगा।" कुटीर व लघु उद्योग न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी एवं निजी प्रयासों से कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास हो। इस हेतु सरकार को आकर्षक औद्योगिक नीति बनाकर लोगों को इस ओर आकर्षित करना होगा।

(i) **कृषि श्रमिकों की समस्याएँ (Problems of Agricultural Labour)** - राजस्थान में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। इनमें से भी बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। इस कारण वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। ये लोग कृषि कार्य में निपुण होते हुए भी अत्यन्त दैन-हीन स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। इस कारण इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान से ही कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। कृषि सुधार समिति 1950 ने कहा था, "कृषि सुधार सन्धी किमी योजना में से कृषि श्रमिकों की समस्या को छोड़ देना देश की समस्या को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान में बेकार पड़ी भूमि को आर्थिक जेतों के अंतर्गत कृषि प्रगियों में बाँट दिया जाना चाहिए।

(j) **आदानों का बढ़ता मूल्य (Increasing Prices of Agricultural Inputs)** - कृषि में काम आने वाले सभी साधनों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद, बीज, औजार आदि की कीमतें निरन्तर बढ़ी हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद यह प्रवृत्ति बनी हुई है। ग्राम्यात्मिक खाद के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के कारण उपभोग की गति तीव्र नहीं हो पाई है। कृषि आदानों के बढ़त मूल्यों के कारण एक ओर साधनों की लागत ता बढ़ गई है किन्तु दूसरी ओर उसकी तुलना में कृषि उपजों का मूल्य नहीं बढ़ पाया है। कृषि उपजों के मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि न हो पाने के कारण कृषि को हानि वहन करनी पड़ती है। इस कारण कृषक प्रायः घाटे में रहते हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह साधनों की कीमत को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करे।

(k) **अपर्याप्त भूमि सुधार (Lack of Sufficient Land Reforms)** - राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक कानून बनाए हैं। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा

सकता कि सभी समस्याएँ हल हो गई हैं। वर्षों से खेती करने आ रहे किसान आज भी भूमिहीन किसानों की तरह खेतदाजी के अधिकारों में वंचित हैं। व्यवस्था के दोषपूर्ण होने के कारण ही कृषकों में भूमि का वितरण अत्यन्त असमान है। भूमि का उप विभाजन और उप खण्डन अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जोत का आकार छोटा होता चला जाता है और एक समय के बाद वह अनार्थिक जोत में बदल जाती है। ऐसी भूमि पर अन्ततः कृषि करना भी बंद कर दिया जाता है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यही कहा जा सकता है कि समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। एकबन्दा के माध्यम में भी अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सकता है।

राजस्थान में कृषि की समस्याओं का समाधान

राजस्थान में कृषि की विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं

- 1 सतह एवं भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने के लिए बाधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 2 शारीरिक भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 3 भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए।
- 4 कृषि जोतों के उप-विभाजन का प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून का निर्माण करके उस प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- 5 कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- 6 निर्धन निगर एवं पिछड़े वर्गों के कृषकों का कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत कराना चाहिए।
- 7 कृषि विशारदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कृषि शिक्षण का स्तर से प्रचार किया जाना चाहिए।
- 8 कृषि मरुपी साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 9 कृषि शांति कार्य में गतिमान किया जाना चाहिए।
- 10 कृषि विवास के लिए मिटाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाना चाहिए।
- 11 समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रकार प्रत्येक की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 12 ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

13 कृषि कार्यों के लिए शक्ति की पर्याप्त पूर्ति की जानी चाहिए।

14 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन एवं विधायन मरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

15 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

16 कृषि क्षेत्र में यंत्रोपकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17 ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की बाधाएँ व इनके निराकरण हेतु सुझाव

CONSTRAINTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN RAJASTHAN & SUGGESTIONS TO OVERCOME THEM

राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं फिर भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से देश के ओक राज्यों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। राज्य के कुछ ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ है एवं राज्य के अधिकांश क्षेत्र औद्योगिकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 1969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पांडे समिति ने राजस्थान राजस्थान का ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा प्रांत किया था आज भी पिछड़पन की स्थिति रही हुई है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिकरण मरुधा विभिन्न बहिष्कारों अथवा बाधाओं का उपस्थित होना है राजस्थान के औद्योगिकरण की विभिन्न बाधाओं का निवारण अग्र दिशाओं के अंतर्गत किया जा सकता है

1 आधारभूत सुविधाओं का अभाव (Lack of Infrastructure) विद्यमान औद्योगिक भूमि विजरा पाण्डक रेल इत्यादि में सशक्त आधारभूत समस्याएँ उद्योगों के समक्ष हैं। राजस्थान के 38 हजार से अधिक गाँवों और शहरों में से रीको द्वारा केवल कुछ स्थानों पर ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने विजरा पाण्डक मरुध में नाईने डालने व टॉक्सिक लक्षणों में अत्यधिक अग्रिम है। रेलवे की अधिशेष नाईने मीटर गज की है। राजस्थान में प्रति एक सौ वर्ग कि.मी. पर मरुध का क्षेत्र 17.02 कि.मी. मरुध है। इसी प्रकार प्रति वर्ग कि.मी. के क्षेत्रों की खनन मरुध का कम है।

2 कच्चे माल की कमी (Lack of Raw Material) राजस्थान में कुछ विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल की

अभाव है। लोहा, कोयला, अलौह धातु, रसायन, पी वी सी आदि वस्तुएँ राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं। अतः इन वस्तुओं से संबंधित उद्योगों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इन कच्चे पदार्थों का राजस्थान में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र में अभाव है। ऐसी स्थिति में आयातों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3 वित्तीय कठिनाईयाँ (Financial Difficulties) - राजस्थान में वित्त संबंधी अनेक कठिनाईयाँ विद्यमान हैं। अतः अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास कम हुआ है। बैंकों ने इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया है। वित्त संबंधी दूसरी समस्या असा पूँजी जुटाने की है। देश की विनियोजन सस्याओं का इस क्षेत्र में बहुत कम योगदान है। उन्होंने विनियोजित पूँजी का 2/3 प्रतिशत भाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है। छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सस्याओं द्वारा जो ऋण मार्ग निर्धारित किया जाता है, वह भी उद्यमी कई बार नहीं जुटा पाते हैं। केन्द्र सरकार ने भी अपने कुल विनियोगों का अल्पभाग ही राजस्थान में विनियोजित किया है।

4 विपणन समस्या (Marketing Problem) - राजस्थान स्वयं में एक बहुत बड़ा विपणन क्षेत्र नहीं है। यहां विशाल बाजारों व विकसित मंडियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त यह बंदरगाह व अन्य केंद्रों, जैसे कलकत्ता, बर्मा, मद्रास, कानपुर इत्यादि से बहुत दूर है। अतः कच्चा माल मगाना व निर्मित माल भेजना महंगा पड़ता है। राज्य की विभिन्न सस्याओं द्वारा भी स्थानीय उद्योगों से अपेक्षित खरोट नहीं होती। विक्री कर की भी समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य के कुछ स्थानों पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करके मण्डियों की स्थापना की जा सकती है।

5 सुविधाओं में अंतर (Difference in Facilities) - नवीन उद्योगों की स्थापना मुख्यतः अधिक सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। सरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त जिन स्थानों पर बीमा, बैंकिंग व तकनीक संबंधी सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों की ओर नए उद्योगपरि सहज आकर्षित होते हैं। कच्चे माल का अभाव व विपणन समस्या उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करती है। यही कारण है कि अन्य राज्यों में राजस्थान की अपेक्षा अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने अपनी विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुछ स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाएँ विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य के आबू रोड, बीकानेर, झालावाड़, भोलावाड़ा और धौलपुर का चयन विकास केंद्र योजना के अंतर्गत किया गया है। राज्य सरकार भी इसी तरह की अन्य

योजनाओं के माध्यम से राज्य में सुविधाओं का विस्तार कर सकती है।

6 क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) - सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में संतुलन नहीं रहा है। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान दिया गया है जबकि अधिकांश क्षेत्रों को अद्वैलना की गई है। फलतः क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या निरन्तर बढ़ रही है। राज्य के अन्य सभी जिलों की अपेक्षा जयपुर जिले का सर्वाधिक विकास हुआ है। राज्य के अधिकांश उद्योग इन्हीं जिलों में विद्यमान हैं। इसी प्रकार राज्य के पड़ोसी उद्योगों में विनियोजित पूँजी का लगभग आधा भाग जयपुर जिले में विनियोजित है। क्षेत्रीय असंतुलन को ऐसी स्थिति शायद ही देश के किसी राज्य में विद्यमान हो। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध सधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए कम विकसित क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन की आवश्यकता है।

7 परिवहन की कठिनाई (Difficulty in Transportation) - राजस्थान में परिवहन के साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ है। राज्य के आकार की तुलना में रेलों का बहुत कम विकास हुआ है। बड़ी रेल लाइनों का विकास एक सीमित क्षेत्र में ही पाया है। राज्य के सभी भागों में पर्याप्त सड़कें भी नहीं हैं। अतः माल के अवागमन में न केवल अनेक कठिनाईयाँ आती हैं वरन् परिवहन लागत भी ऊँची रहती है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिवहन के विभिन्न सधनों का विस्तार करन हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान परिवहन की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यह कारण है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नागण्य हो रहा है। अतः औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सड़क व परिवहन का विशेष रूप से विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए।

8 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) - वर्षों के अभाव में राजस्थान की कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। अतः राज्य में कृषि जन्य कच्चे माल का सदैव अभाव बना रहना है। राज्य के कृषि पर आधारित अनेक उद्योगों, जैसे सूती वस्त्र तथा वनस्पति घी आदि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अतः राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का भी अन्य राज्यों की तुलना में कम विकास हुआ है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए 'हरित क्रांति' का मार्ग अपनाया गया लेकिन पर्याप्त जल के अभाव में इसका पूरा लाभ सम्पूर्ण

राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राज्य में सिंचाई के साधनों का तेजा से विस्तार करके ही कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास की गति स्वतः बढ़ जाएगी।

9 अकाल व सूखा (Famines & Draughts)

राजस्थान में प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक है। राज्य में अकाल की स्थिति बने रहने का प्रमुख कारण मामसून की अनिश्चित प्रकृति व राज्य के एक बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान का हाना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अकाल एवं बूढ़े हुए रेगिस्तान पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अकाल व सूखे को समझना व समाधान हेतु ऐसी परियोजनाओं का शीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। एमपी परियोजनाओं के कारण कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी तेजी से विकास होता है।

10 प्रणाली संबंधी समस्याएँ (Problems relating to the System) एक उद्यमी को पंजीकरण अनुज्ञापत्र भूमि जल बिजली वित्त का मान एवं विपणन इत्यादि सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विभागों या मंत्रालयों से सम्पर्क करना पड़ता है। ये प्रणालियाँ अत्यन्त जटिल हैं जिन्हें अनावश्यक क्लिष्टता है। अतः विभिन्न रियायतों सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सरल रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

11 शक्ति की अपर्याप्तता (Insufficient Energy Sources) राजस्थान में पर्याप्त शक्ति के साधन न होने का कारण है औद्योगिक विकास की गति धीमी रही। राज्य में कोयला व खनिज तेल का निदान अभाव है और विद्युत का उत्पादन भी राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य में शक्ति के उपयुक्त परम्परागत साधनों व विद्युत की पर्याप्त संधारण व्यवस्था है। लेकिन पूजा व अभाव के कारण इन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। अतः पर्याप्त पानी विनियोजन व द्वाग शक्ति के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

12 प्रति व्यक्ति कम आय (Low Per Capita Income) राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी कम है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में तरल वस्तु का ज्ञान होता है कि राज्य का प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है। अतः राजस्थान में पूजनियोजन की गति भी धीमी बनी रहती है। निम्न गृहव्यय पूजा का अभाव बना रहता है। पूजा का अभाव के कारण राज्य का तेजी से आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। इस समस्या का समाधान हेतु राज्य में वैज्ञानिक एवं विज्ञान सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और ज्ञान व

विशेषज्ञ ज्ञानीय क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की आदत विकसित की जानी चाहिए। इससे पूजा निर्माण की गति में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाएगा।

13 उद्योगपतियों की उदासीनता (Indifferent Attitude of Industrialists) राज्य के औद्योगिकरण के प्रति उद्योगपति प्रायः उदासीन बन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण न होने के कारण वे अपनी पूजा को देश के अन्य भागों में विनियोजित करना अधिक लाभदायक समझते हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत रियायतों व सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए।

14 अन्य समस्याएँ (Other Problems) - उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। ग्राम सम्बन्धी समस्याओं के अन्तर्गत कृषक श्रमिकों का अभाव तथा मधुर औद्योगिक सम्बन्धी अभाव है। इसमें उत्पादन कार्य में अवरुध्द बना रहता है। राज्य का अभी तक पूर्णतः औद्योगिक सर्वोक्षण ही नहीं हो पाया। उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त रूप से ज्ञान नहीं हो पाती है। अतः 5 राज्य में अपर्याप्त घटिया वस्तुओं का पर्याप्त रूप से ज्ञान नहीं हो पाती है। अतः राज्य में अपर्याप्त घटिया वस्तुओं का उत्पादन होता है। राज्य के अनेक उद्योग रण्यता को समस्या में प्रवृत्त हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करके राज्य में आधुनिकीकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है।

राजस्थान में तीव्र विकास के सुझाव

राज्य अर्थव्यवस्था के तेज गति से आर्थिक विकास हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 वित्तीय साधनों में वृद्धि राज्य की प्रथम सात योजनाओं का आकार बहुत छोटा था अतः राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत धीमी रही। राज्य की 8वीं व 19वीं योजना का आकार परन्तु की योजनाओं का तुलना में अधिक है। लेकिन राज्य की समस्याओं और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजनाओं में वृद्धि का ज्ञान आवश्यक है।

2 आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान में विभिन्न सर्वेक्षणों का ज्ञान धीमी है। अतः राज्य के आर्थिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। अतः राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में हो जाना चाहिए ताकि कृषि उद्योग परिवहन और खनिज विकास की

भावी सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जा सके।

3 सिंचाई के साधनों का विकास राजस्थान में प्रायः अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या का समाधान केवल सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके ही किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई के वर्तमान साधन अपर्याप्त हैं। अतः अर्धव्यवस्था के तीव्रगामी आर्थिक विकास के लिये सिंचाई के साधनों में तेजी से विकास करना आवश्यक है।

4 राज्य के शुष्क प्रदेश का उपयोग - राज्य का एक बहुत बड़ा भू-भाग मरुस्थल है अन्तर्गत आता है। प्रदेश में वर्ष का अभाव रहता है और भू-क्षरण की प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसी स्थिति में शुष्क प्रदेश का उपयोग करने के लिये कृषि की नवीन तकनीकों की खोज पर बल दिया जाना चाहिये। भू-क्षरण को रोकने के लिये पेड़ पौधे लगाये जाने चाहिये और वर्षा की आवश्यकता वाली फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिये।

5 अरावली क्षेत्र का विकास - राज्य का अरावली क्षेत्र रेगिस्तान को पूर्व का ओर बढ़ने से रोकता है लेकिन विगत दशक में इन क्षेत्र का पर्यावरण एवं परिस्थिति की अत्यधिक कमजोर हो गई है। अतः अरावली क्षेत्र के विकास पर विशेष

बल दिया जाना चाहिये।

6 पेयजल की व्यवस्था - आर्थिक विकास की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी राज्य में पेयजल का संकट विद्यमान है। यह विचित्र विडम्बना है कि कुछ स्थानों पर पेयजल उपलब्ध ही नहीं है और अनेक स्थानों पर पेयजल का स्याद क्षारीय और पीने योग्य नहीं है अतः राज्य में पेयजल की व्यवस्था के लिये क्रान्तिकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

7 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास - राजस्थान में कृषि आधारित परम्परागत कुटीर व लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन राज्य में खनिज आधारित आधुनिक उद्योगों का अभाव है अतः राज्य में खनिज आधारित उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विकास - इस क्षेत्र में कृषि उद्योग नगर निर्माण बैंकिंग विकास राजगार वृद्धि आदि को विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करके इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये। ताकि राज्य की विकास की दर बढ़ सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A. संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? उनको दूर करने के साधन दे क्या उपाय किए हैं। स्पष्ट बखिजिए।
What are the constraints in the Economic development of Rajasthan State? Explain the steps which have been taken by the Govt. of Rajasthan to remove the constraints
- राजस्थान के आर्थिक पिछड़पन का स्थापित करने के लिए आर्थिक सूचकों का उल्लेख बखिजिए।
Identify the important economic indicators to establish the economic backwardness of Rajasthan
- राजस्थान के विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?
What are the main constraints in the economic development of Rajasthan?
- उन पाँच प्रमुख विषयों/क्षेत्रों का उल्लेख बखिजिए जो 21वीं सदी में राजस्थान के विकास में अति महत्वपूर्ण होंगे।
Mention five major sectors/areas which would be crucial in the development of Rajasthan in 21st Century. Explain why?
- राजस्थान अब भी आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। इसके पिछड़पन के क्या कारण हैं?
Rajasthan continues to be an economically backward state. What are the reasons for it?
- स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए पाँच प्रमुख सकारात्मक एवं सकारात्मक बिन्दु उल्लेखित करें।
Write five main positive and negative points in assessing the development of Rajasthan after independence

B. निव्यात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान राज्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? उनको दूर करने के साधन दे क्या उपाय किए हैं? स्पष्ट बखिजिए।
What are the constraints in the economic development of Rajasthan state? Explain the steps which have been taken by the Govt. of Rajasthan to remove the constraints

- 2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आलाचनात्मक वर्णन कीजिए।
Critically describe the economic development of Economy of Rajasthan after Independence
- 3 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए।
Describe economic development of Rajasthan during five year plans


C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न (Questions of University Examinations)

- 1 राजस्थान में अर्थव्यवस्था की धीमी गति के क्या कारण हैं? भविष्य में राज्य में तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव दीजिए।
What are the causes of slow growth of the Economy of Rajasthan? Give Suggestions for rapid economic growth in future in the State
- 2 "गन्तव्य के आर्थिक विकास में अबाध" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "Constraints in the Economic Development of Rajasthan"
- 3 गन्तव्य के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? इन बाधाओं का रूस दूर किया जा सकता है?
What are the main constraints in the economic development of Rajasthan. How can these constraints be removed?
- 4 स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का आलाचनात्मक विवेचन कीजिए।
Critically explain the economic development of Economy of Rajasthan prior to Independence and post Independence



राजस्थान में अकाल एवं सूखा

FAMINE & DRAUGHT IN RAJASTHAN



अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान में अकाल व सूखे के अध्ययन का महत्व
- राजस्थान में अकाल व सूखे का इतिहास
- अकाल व सूखा प्रदम्य की अलकालीन व दीर्घकालीन व्यूह मचना
- राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण व निवारण के उपाय
- अन्तर्सर्ष प्रश्न

राजस्थान सदियों से अकाल एवं सूखे की समस्या से जूझता चला आ रहा है। मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करने के हर सम्भव प्रयास किए हैं किन्तु वह इसमें पूर्ण रूप से अभी तक सफल नहीं हो पाया है। अकाल एवं सूखे की समस्या वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान की समस्या है किन्तु विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र इस समस्या से अधिक ग्रसित है। यह क्षेत्र आरम्भ में ही रेगिस्तानी नहीं है। इस क्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व दैविस महासागर हुआ करता था, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आज जो खारे पानी की झीलें विद्यमान हैं वे उसी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। अति प्राचीनकाल में यह क्षेत्र काफी हरा भरा और समृद्ध था। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते बनों के अवशेषों से भी इस बात की पुष्टि होती है। मानव जैसे जैसे इस क्षेत्र के बनों को नष्ट करता गया, वैसे वैसे इस क्षेत्र में समृद्धि लुप्त होने लगी। इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। वह भी भौगोलिक उथल पुथल के कारण लुप्त हो गई। इस कारण यह क्षेत्र धीरे धीरे हरियाली खोता चला गया और कालान्तर में रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान के दुष्प्रभावों के कारण सम्पूर्ण राजस्थान की जलवायु अत्यधिक विषम हो गई व वर्षा की मात्रा भी कम होती चली गई। फलस्वरूप अकाल एवं सूखे की समस्या अपनी जड़े बमाती चली गई। आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि

अकाल एव सूखे की समस्या राजस्थान में सदैव से विद्यमान है।

राजस्थान में अकाल एव सूखे के अध्ययन का महत्व

IMPORTANCE OF THE STUDY OF DRAUGHTS & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में प्रायः अकाल एव सूखे की स्थिति, स्वरूप व विस्तार आदि का अध्ययन करना विभिन्न प्रभावों एव निम्न कारणों से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है -

1 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान के समस्त क्षेत्र को मोट तौर पर अरावली पर्वत श्रृंखला ने दो भागों में बांट दिया है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में जलवायु अत्यन्त विषम है तथा वर्षा की मात्रा बहुत कम है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व राज्य के औसत से कम है। जनसंख्या काफी घिरी हुई है। ऐसी स्थिति में जब यह प्रायः अकाल एव सूखे से जूझता रहता है तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के लगभग 60 प्रतिशत भाग का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति भी गतिरूप में प्रभावित होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र का इस समस्या से मुक्त कराने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में अकाल एव सूखे की समस्या का प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में पूर्ण अध्ययन किया जाए और अध्ययन में निम्नलिखित बिंदुओं को क्रियान्वित करके इस समस्या की सम्मोचना का यथासम्भव काम किया जाए।

2 कृषि प्रधान राज्य (Agriculturally dominated State) - राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा कृषि का विशेष महत्व है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश भूमि अगिणित है तथा जो भूमि सिंचित है उसमें भी मुख्यतः कुएँ की सिंचाई के प्रमुख माध्यम हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में रबी और खरीफ की जो फसल ली जाती है उनमें खरीफ की फसल तो प्रायः पूर्णतः वर्षा पर आश्रित रहती है। रबी की फसल में बहुत कम क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। रबी की फसल की सिंचाई भी मुख्यतः कुओं के माध्यम से की जाती है। जब अकाल एव सूखे की स्थिति होती है तो इन कुओं का जल स्तर भी बहुत नीचा गला जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह स्तर तीन मी फीट से पान मी फीट तक गहरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुओं में

भी पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। इस प्रकार राज्य के कृषि प्रधान होने के कारण एव सूखे का प्रभाव राज्य के बहुत बड़े हिस्से और जनसंख्या पर पड़ता है। इस कारण इस समस्या का अध्ययन अनिवार्य प्रतीत होता है।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। साथ ही पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है। विशेषकर उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुपालन काफी महत्वपूर्ण है। 1983 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 4 करोड़ पशु हैं जो कि एक बड़ी संख्या माने जा सकते हैं। इन पशुओं को अकाल एव सूखे के कारण पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण राजस्थान से पशुओं का अन्य राज्यों व क्षेत्रों की ओर भारी मात्रा में पलायन होता है। इस पलायन के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि अकाल एव सूखे के स्वरूप को समझा जा सके तो पशुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

4 ग्रामीण जनसंख्या (Rural Population) - राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं। गावों में प्रमुख व्यवसाय कृषि एव पशुपालन है। अकाल एव सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि एव पशुपालन पर ही होता है। इस कारण राज्य की बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रहण एव अकाल से प्रभावित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र पहले ही विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत एव राज्य की अधिकांश निर्धन जनसंख्या गावों में निवास करती है। अतः ये निर्धन ग्रामीण लोग ही अकाल एव सूखे में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। शहरी जनसंख्या पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य केंद्र मानते हुए अकाल एव सूखे की समस्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

5 आर्थिक भार (Economic Burden) - राजस्थान में अकाल एव सूखे की समस्या प्रायः बनी रहती है। राजस्थान के लोगों को विभिन्न विधियों में इस समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के निर्माण के परिणाम 1995-96 तक केवल 7 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी वर्षों में राजस्थान इस समस्या से पीड़ित रहता है। जिन वर्षों में इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा व वर्ष हैं 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1983-84, 1990-91 और 1994-95। इस प्रकार मई

इन समस्या के निवारण एवं राहत कार्यों पर व्यय करना होता है। 1987-88 में तो इस शताब्दी का सपने भयंकर अकाल रहा है। इस कारण विकास के लिए उपलब्ध धन-राशि ऐसे कार्यों में भी व्यय हो जाती है जो अपेक्षाकृत कम उत्पादक या अनुत्पादक होते हैं। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति धीमी होती है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 2200 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी राज्य के एक भी जिले को अकाल से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकी है।

6 रोजगार (Employment) - सूखे एवं अकाल के कारण राज्य में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कि यह तो स्पष्ट ही है कि अधिकांश लोग कृषि में लगे हैं लेकिन साथ ही राज्य के विभिन्न रोजगार अवसरों का विज्ञापन किया जाए तो वे सभी प्रत्यक्ष रूप में कृषि से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि सभी क्रियाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पन्नता से शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। अकाल एवं सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने मानवीय साधनों का कुशलतम उपयोग करे किन्तु सूखे एवं अकाल के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सूखे एवं अकाल की समस्या पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7 पेयजल (Drinking Water) - राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी पेयजल की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पेयजल मनुष्य को जीवित रखने के लिए एक अनिवार्यता है। यह पेयजल शुद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि इसका अभाव में मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। यह पूर्णतः सत्य है कि जिनके लोग शराब पीने से नहीं मरते, उससे भी अधिक लोग दूषित जल के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कुएँ व तालाब पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। गन्नाबों में तो पशु और मनुष्य सभी उनका उपयोग करते हैं। सूखे एवं अकाल के कारण कुओं का पानी सूख जाता है। इमने लोगों को पेयजल के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। शहरी क्षेत्रों में जो पानी उपलब्ध करवाया जाता है वह भी वर्षों में ही प्राप्त होगा है चाहे वह बाध बनाकर रोका गया पानी हो या भूमिगत जल। दोनों ही दशाओं में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की इस मूलभूत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अकाल एवं सूखे की समस्या का

अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।

8 मूल्यवृद्धि (Inflation) - अकाल एवं सूखे के समय प्रायः मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ता है क्योंकि कृषिगत उत्पादन कम हो जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल महंगा हो जाता है, व्यापारियों व उत्पादकों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पनपने लगती है तथा ऐसे ही विभिन्न कारणों से लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य सूचकांक से इस प्रवृत्ति को पुष्टि की जा सकती है। मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव राज्य में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी पड़ता है क्योंकि उन विकास परियोजनाओं को लागत बढ़ जाती है। इससे और अधिक वित्तीय प्रावधान करने होते हैं जो कि राज्य के आर्थिक भार में वृद्धि कर देते हैं। मूल्य वृद्धि से जनता भी पीड़ित रहती है। इसके राजनैतिक दुष्परिणाम भी सरकार को भुगटने पड़ते हैं। इस कारण अकाल एवं सूखे की समस्या का उचित अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

राजस्थान में अकाल व सूखे का

इतिहास

HISTORY OF FAMINES & DRAUGHTS IN RAJASTHAN

राजस्थान के पर्यावरण पर अकाल एवं सूखे की समस्या का गहरा प्रभाव रहा है। राजस्थान में जलवायु की विषमता, वर्षा की स्थिति, वनों का स्वरूप, धरातल की स्थिति, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा आदि का अकाल एवं सूखे की समस्या से आदिकाल से सम्बन्ध रहा है। राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थिति अन्न का अभाव, चारे का अभाव या जल का अभाव होने के कारण या अन्न, जल व चारे के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। जिस अकाल में अन्न, जल व चारे तीनों का अभाव रहता है वह अकाल अत्यन्त भीषण माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सन्दर्भ में लिखते हुए 11वीं शताब्दी के एक अकाल का वर्णन किया है जो लगभग 12 वर्ष तक चला। इसी प्रकार मन् 1291 (वि स 1348) में राजस्थान में भयंकर अकाल का उल्लेख मिलता है। 1309 से 1313 के मध्य भारतवाट क्षेत्र में भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। 1335 1485 1570 1577 1578 1694, 1695 1696, 1755 1796 1811 1843 1844 1848, 1851 1860 1868 1877, 1891 1895, 1899 1917 1939 आदि वर्षों में राजस्थान भयंकर अकालों से ग्रस्त था। इमने से 1899 (वि स 1958) जो कि "छप्पनकाल" के नाम से

विलान है अपनी भयकर विभीषिका के लिए आत्र भा याद किता जाता है। लगभग एसी ही स्थिति 1939 (वि म 1998) के दिनवेकाल क मन्दर्भ म रही है। राजस्थान के निर्माण क पश्चात क्वल 5 वर्षों को छोड़कर यदा हमशा अफाल एव सूखे की स्थिति देखने में आई है। इस स्थिति का मयम बड़ा कारण वर्षा का कम होना है। राजस्थान म पिछले दो दशका म अकाल एव सूखे म प्रभावित जिला का मखन राज्य की अधिकांश जनसख्या पर पडन थान प्रभाव व राज्य की आर्थिक क्षति को निम्न दर्जना म दर्शाने की चष्टा की गई है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति

अ प्रभावित ग्रामों की संख्या को दृष्टि से भयकर प्रभाव के वर्ष

1 1987 88	36252 गाव
2 1986 87	31936 "
3 19 9 80	31095 "
4 1991 92	30041 "

ब अकालों से प्रभावित सर्वाधिक जनसंख्या वाले वर्ष

1 1987 88	3 17 बगड
2 1991 92	2 89 बगड
3 1995 96	2 73 बगड
4 1986 87	2 52 बगड

स राजस्थान के निर्माण के पश्चात् 1996 97 के ये वर्ष निराम अफाल व सूखा नहीं रहल

1 1950 60
2 1973 74
3 1975 76
4 1976 77
5 1983 84
6 1990 91
7 1994 95

द शताब्दी का सबसे भयकर अकाल का वर्ष 1987 88

*The Economic Review 1987-88 1988-99 a 4
Ann. of Reports of the Department*

जना कि पहले बताया गया है कि राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण वर्षा का कम होना है। वर्षा का अध्ययन के लिए गवेषस्थान में 1901 से 1950 तक का वर्षों हुई उमा के आधार पर राजस्थान के विभिन्न जिलों व क्षेत्र के लिए आगत सामान्य वर्षों निर्धारण का गई है। राजस्थान के विभिन्न जिला म औसत वर्षा आग विगत वर्षों म हुई वर्षा का स्थिति से अकाल एव सूखे का ममगन अ अध्यन में सुविधा होगा।

राजस्थान में वर्षा का वितरण

अ राजस्थान के औसत (57 51 से मी) से अधिक सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1 बायलगा	95 03	से मी
2 बाग	87 38	से मी
3 सर्दारकापोर	87 34	से मी
4 झांगवाड	84 43	से मी
5 जिकेद पड	84 15	से मी

ब राजस्थान के औसत (57 51 से मी) के लगभग बराबर सामान्य वार्षिक वर्षा वाले जिले

1 अजमेर	60 18	से मी
2 गिगत	59 12	से मी
3 राजसमन्	56 78	से मी
4 जयपुर	56 38	से मी
5 जैसल	56 10	से मी

स राजस्थान के औसत (57-51 से मी) से कम सामान्य वार्षिक वर्षा वाले प्रमुख जिले

1 जैयन्गर	18 55	से मी
2 गणानर	22 64	से मी
3 बीकानर	24 30	से मी
4 नागौर	26 57	से मी
5 नागौर	31 17	से मी
6 जयपुर	31 37	से मी

स्रोत (Statistical Abstract Raj 1996)

अकाल के प्रमुख क्षेत्र अथवा जिले -

राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रायः अकाल की स्थिति बना रहती है। इस क्षेत्र में राज्य के जिला सम्मिलित है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है और इसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राज्य में अकाल से प्रभावित जिला के नाम इस प्रकार हैं बाडमेर जैसलमेर जांबपुर जालौर नागौर चूरू पाटी श्रीगंगानगर बीकानर भीकर और झुजुन। इन जिला में वर्षा बहुत कम होती है तथा तब अधिकांश व कारण मिट्टी की कटाव होता रहता है।

अकाल एव सूखे के राज्य अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव -

1 अकाल एव सूखे से राज्य अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती है। आय एव राजगार का म्तर निम्न है और राज्य में उकाय भुखमगी एव निर्धनता की स्थिति बना रहता है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल तक अभाव की स्थिति बना

राजस्थान में रेलमार्ग		
वेब	रेलमार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)	
	1990-91	1995-96
1 ग्रह पथ	1235.37	2283.03
2 सिटीय	4505.52	3551.22
3 नोरेर	86.51	84.45

स्रोत: Statistical Abstract, Rajasthan 1996

जयपुर-जयपुर 55 कि मी	नवीन पटवर्धन एजन्स
जयपुर-जयपुर 254 कि मी	सुवेत-मुनराम 297 कि मी
मैडल टैड, 14 कि मी	दू. नन्दुनी (सु.उ.पु.) 209 कि मी
मैडल सिटी	

स्रोत: राजस्थान सरकार

(2) भरतपुर सिमको लिमिटेड - यह कम्पनी 31 जनवरी, 1957 को भरतपुर में प्रारम्भ की गई। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 3000 माल वाहन डिब्बों का निर्माण करती है। यह मालवाहक डिब्बों की लगभग एक-द्विगुण मात्रा पूरी करती है।

(3) रेल बस - राजस्थान के जगौर जिले के मेडना शहर से मेडना रोड के बीच 12 अक्टूबर, 1994 को देश की पहली ब्रॉड गेज रेल-बस सेवा प्रारम्भ हुई। इस रेल बस में 71 यात्री बैठकर तथा 15 खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इस रेल बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घण्टा है।

(4) जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस - 3 जुलाई, 1994 को जयपुर-सियालदाह एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। यह प्रतिदिन दुर्गापुर, सवाईमाधोपुर, आगरा-किला, टुडला, कम्पुर, इले-बन्दर, मुलमयय और पटना होते हुए 38 घण्टों में अपनी यात्रा पूरी करती है।

इससे राजस्थान के श्रवणी उर्जाओं का राज्य में उद्योग लगाने के प्रति रुझान बढ़ेगा और परिवहन की सुविधा के विनाम के साथ-साथ औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास - बाँदा-कुई-आगरा तक बड़ी लाईन का कार्य आठवीं योजना में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 1994-95 में मीटर गेज की बड़ी लाईन में बदलने के कार्यक्रम में जोधपुर-जैसलमेर के लिए 109 करोड़ रुपए, फुलेर-भारखाड-अहमदाबाद-मेहसाणा के लिए 92 करोड़ रुपए, लुनी-भारखाड के लिए 30 करोड़ रुपए, सवाई-माधोपुर-जयपुर-सुलेरा के लिए 26 करोड़ रुपए,

राजस्थान में मीटर रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन	
1991-92	1994-95
सुलेर-अहमदाबाद 81 कि मी	फुलेर-अहमदाबाद 81 कि मी
सुलेर-अहमदाबाद 78 कि मी	मेडना-जयपुर 225 कि मी
सुलेर-जैसलमेर 178 कि मी	जोधपुर-जैसलमेर 295 कि मी
1992-94	1995-96
सुलेर-मेडना रोड 177 कि मी	अजमेर-भारखाड 140 कि मी
सुलेर-जैसलमेर 145 कि मी	भारखाड-इले-बन्दर 203 कि मी
जयपुर-जयपुर 125 कि मी	आगरा-किला 113 कि मी

जोधपुर-बीकानेर-मेडना के लिए 8 करोड़ रुपए तथा जयपुर-अलवर नई बड़ी रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

(6) राजस्थान में नई रेल लाइनें - स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान राज्य में नवीन रेलमार्गों के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। राज्य में 1947 की अवधि में भावली खेरदा (1947-48) खेरदा-कानोड (1948-49), साभनेर-झागी (1949-50), कानोड-बड़ी सादहों (1949-50), झागी-डिगण (1950-51), डिगण-रोडा रफसह (1953-54), फतेहपुर-बुरु (1956-57), रानीवाडा- भीतडी (1957-58), उदयपुर-उदयपुर सिटी (1961-62), उदयपुर- हिम्मतनगर (1965-66), पंकरजन-वैमलमेर (1966-67) हिन्दमलकोट-श्रीगानगर (1969-70), डारहा-मियास (1974-75), कोटा-बन्देरिया (1988-89), बन्देरिया-चित्तौड़गढ़ (1989-90), चित्तौड़गढ़-नौमच (1990-91), मथुरा-डीग (1992-93), तथा डीग-अलवर (1993-94) नवीन रेलमार्ग बनाये गये।

(7) अजमेर का रेलवे वर्कशॉप - इस वर्कशॉप का निर्माण 1877 में प्रारम्भ हुआ जो मई 1879 के अन्त तक पूरा हो गया। यह इकोमाल डिब्बों और सवारों डिब्बों की सभी प्रकार की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य किया जाने लगा। 1881 में मज्दार विभाग तथा 1884 में माल डिब्बों और सवारों डिब्बों को अलग किया गया। 1885 में लुहरी कार्य, चक्का (Wheel) तथा बाँयलर शाप को अलग से कार्यशालाएँ स्थापित की गईं। यह भारत का एक मात्र रेलवे वर्कशॉप है जहाँ इत्र बनते हैं। 1937 तक यहाँ 375 रेल इत्रों का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी रेल मरम्मत एवं नवीनीकरण की दृष्टि से रेलवे वर्कशॉप, अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है।

(8) रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर - इस स्कूल का शिलान्यास 25 मार्च, 1955 को महाशया भूपाल सिंह ने किया तथा 9 अक्टूबर, 1956 को उत्कल्लोनी एष्टपति यशेन्द्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। यह स्कूल न केवल पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है वरन् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और विदेशी रेल कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। वहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। 1993-94 में 5713 देशी तथा 246 विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) बच्चों की रेल - यह रेल उदयपुर में है इसका संचालन नगर परिषद, उदयपुर द्वारा किया जाता है। इस रेल

का पूर्ण विकास हुआ व नये पद सृजित करके व्यापक स्तर पर राहत कार्य की व्यवस्था की गई।

सहायता विभाग राजस्थान प्रशासन का एक स्थायी विभाग है जो सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव के अन्तर्गत कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है तथा इसके अधीन कोई कार्यालय या शाखा नहीं है। प्रारम्भ में राहत कार्य राजस्व अभिकरण के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते थे। अब यह कार्य विभिन्न अभिकरणों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग वनविभाग भू संरक्षण विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचायत राजस्व आदि के माध्यम से सम्पन्न कराए जाते हैं। विनाशोपशान्त एवं तहसीलदार तथा जिला मरीय अन्य विभागीय अधिकारी अपने-अपने जिलों में सहायता विभाग के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों का नियंत्रण प्रशासनिक एवं समन्वय अधिकारों के रूप में कार्य करते हैं।

विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के आकड़ों को यथाशीघ्र आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से संचालित करने एवं सूचनाओं को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने के उद्देश्य में माह निसम्बर 1987 में एक कम्प्यूटर यूनिट का स्थापना की वर्तमान राजगार की व्यवस्था सिवाई व्यवस्था पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था इत्यादि अनेक क्षेत्रों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण सम्पादन एवं विश्लेषण कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। पूर्व में यह सब कार्य मानव श्रम शक्ति द्वारा किया जाता था जिसमें अधिक श्रम व समय लगने के उपरान्त भी अपेक्षित कार्य नहीं हो पाते थे। भविष्य में इस यूनिट के द्वारा अकेले अपने-अपने गहन कार्यों में सम्बंधित विभिन्न शिकायतों एवं कर्मचारियों के वृत्त भुगतान व सेवा मशौं विभिन्न सूचनाओं का कम्प्यूटरकरण करने की योजना है।

4 प्राकृतिक आपदा सहायता निधि कोष (Fund for Natural Calamity) वर्ष 1990-91 में दौवीं विधायकियों में राहत प्रदान करने के मकसद में केन्द्रीय सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु नव दिनांक आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में एक प्राकृतिक आपदा सहायता निधि की स्थापना की गई। इस निधि में हर वर्ष 93 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा एवं 31 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। यह व्यवस्था 5 वर्षों तक जारी रहेगा। राज्य में इस व्यवस्था के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले भयानक व्यय को घटाने के लिए उन्नत राजस्थान सरकार का है। यदि एक वर्ष में कम बार स कम अथवा अधिक राशि का व्यय किया जाता है तो उम्मा सामान्य वाद क वर्षों में किया जाएगा।

5 रोजगार व्यवस्था (Employment Generation)

राज्य सरकार द्वारा 25 जिलों के अभावग्रस्त लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य विभागों की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया। रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विशिष्ट योजना गठन की प्राकृतिक आपदा सहायता निधि से उपलब्ध करवाई गई।

6 पेयजल व्यवस्था (Arrangement of Drinking Water)

अभाव स्थिति में पेयजल की समस्या से निपटने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों की पर्यवेक्षण एवं सिवाई व्यवस्था करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राकृतिक आपदा सहायता निधि पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु सिवाई व्यवस्था हेतु तथा टैंकरों की मरम्मत हेतु प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल समस्या से निपटने हेतु राशि आवंटित की गई।

7 सिवाई व्यवस्था (Irrigation Facility) राज्य के पश्चिमी जिलों में क्रमशः बाडमेर नैमलमेर जालौर धूम्र बीकानेर गंगानगर नागौर एवं जोधपुर में सिवाई द्वारा पेयजल व्यवस्था करने हेतु राशि का आवंटन किया गया।

सिवाई हेतु अनुदान की 150 फीट से 200 फीट जल स्तर वाले कुओं के लिए 50 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन तथा 200 फीट से अधिक गहरे जल स्तर वाले कुओं के लिए राशि 75 रुपये प्रति कुआ प्रतिदिन रखी गई।

8 पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था (Animal Protection & Fodder Arrangement) राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून पूर्व की वर्षा होने के कारण चारे की स्थिति सामान्य रहने एवं पशुपालकों को कठिनाई नहीं होने पर वन विभाग का चाम सुरक्षित रखने एवं हरे चारे का उत्पादन करने की कार्य योजना शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होता है। इसके अलावा पशु शिविर योजना पशु पाषण कन्द्र गठन तथा साडा का अनुदान देने सहायता कोश गठन आ आरम्भ नहीं की जाती है। अन्यथा यह कार्य किए जाते हैं।

राजस्थान में अकाल एवं सूखे की स्थिति के कारण

FACTORS RESPONSIBLE FOR DRAUGHT & FAMINES IN RAJASTHAN

राजस्थान में अकाल व सूखे का स्थिति व कारण मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण उत्पत्तीय है। साथ ही मानसून प्रत्यामा में भी कमी रहता है। राजस्थान में अकाल व सूखे के लिए उत्पत्तीय कारण इस प्रकार हैं।

1 अरावली पर्वत की स्थिति (Situation of Aravali Range) - अरावली पर्वत राजस्थान को लगभग दो भागों में विभक्त करता है। इसके एक ओर मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा दूसरी ओर मैदानों और पठारी क्षेत्र है। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ है और यहाँ दिशा दक्षिणी पश्चिम मानसून की है। इस कारण मानसूनी हवाएँ इस पर्वत के सहारे सहारे बिना कोई विशेष वर्षा किए आगे की ओर निकल जाती हैं। दूसरी ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बगल की खाड़ी को झाँखा जब तक राजस्थान में पहुँचती है तो उसमें विशेष पानी नहीं रह जाता। इस समय अरावली पर्वत इन हवाओं को रोकता है। इस प्रकार कम वर्षा के कारण प्रायः राजस्थान को अकाल व सूखे का सामना करना पड़ता है।

2 रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Area) - राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की जलवायु अत्यन्त विषम है। इस क्षेत्र में वन लगभग नहीं के बराबर है। इस कारण यह क्षेत्र मानसून को आकर्षित नहीं कर पाता। इस क्षेत्र में गर्मी के कारण जो निम्न वायु भार की स्थिति बन जाती है, उसमें आकर्षित होकर जो मानसून यहाँ पहुँचता है, उन्क मार्ग में कोई ऐसी अवरोध नहीं है जो इस क्षेत्र में वर्षा बनाने में सक्षम हो सके। इस कारण राजस्थान में सबसे कम वर्षा रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। साथ ही अकाल एवं सूखे की स्थिति का सर्वाधिक सामना भी इस रेगिस्तानी क्षेत्र को ही करना पड़ता है।

3 वनों का अभाव (Lack of Forest) - सम्पूर्ण राजस्थान में वनों की मात्रा बहुत कम है। यह भारत के औसत वनों की मात्रा की भी लान्घा आधी है। विभिन्न अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में वन के अभाव के कारण एक ओर तो वर्षा कम होती है दूसरी ओर वन कम होने के कारण जलवायु विषम होती चली जाती है।

4 फसलों में रोग (Crop Diseases) - जैसे तो सम्पूर्ण भारत के कृषकों में निश्चिन्ता का साम्राज्य है किन्तु राजस्थान में यह अपेक्षाकृत अधिक ही है। आज भी कृषक प्राचीन विधियों को ही अपनाता है। वह फसल को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक औषधियों के प्रयोग का बहुत आदी नहीं है। इस कारण अनेक बार फसलों रोगों से नष्ट हो जाती है। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण टिड्डियों का प्रकोप भी होता रहता है। इस कारण फसलों के नष्ट होने से भी अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

5 अतिवृष्टि व अनावृष्टि (Deluge & Draught) - राजस्थान मुख्यतः अनावृष्टि से पीड़ित रहता है किन्तु

अनेक बार अच्छी वर्षा बाढ़ का कारण बन जाती है। इस कारण फसलें उगाना सम्भव नहीं हो पाता और कई बार खेती फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों ही अकाल की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं।

6 जल का समुचित उपयोग न होना (Lack of Full utilisation of Water) - अनावृष्टि की स्थिति में फसलें मिचाई द्वारा ही ली जा सकती हैं। राजस्थान में जल का समुचित उपयोग न हो पाने के कारण मिचाई का पर्याप्त जन उपलब्ध नहीं हो पाता। राजस्थान में नदियों पर तो बांध आदि बनाने के प्रयत्न किए गए हैं किन्तु छोटे छोटे नालों और मिचाई साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अधिकांश जल बह जाता है और जो जल भूमिगत जल में परिवर्तित होता है वह भी अनावृष्टि के कारण सूख जाता है।

7 मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) - राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा द्वारा मिट्टी का कटाव एक आम बात है। इस कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बरकर भूमि में बदल जाती है। रेगिस्तान के प्रसार के साथ साथ यह स्थिति अनुभव की जाने लगी है। वर्षा के कारण भी कटाव उत्पन्न होता है। चम्बल के ब्रीहड इमक एक उदाहरण है। मिट्टी के कटाव के कारण फसलों का क्षेत्र कम होता है वन नष्ट होते हैं। तथा वर्षा कम होती है और फलस्वरूप अकाल एवं सूखे की सम्भावना बढ़ जाती है।

8 कुटीर व लघु उद्योगों की कमी (Lack of Cottage & Small Scale Industries) - कुटीर व लघु उद्योग वैकल्पिक रोजगार व आय के स्रोत माने जाते हैं। कृषि काय मौसमी प्रवृत्ति का होता है। अतः कृषक वर्ग कुटीर व लघु उद्योगों के द्वारा अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। राजस्थान में मन्त्रतता के परिणाम व बड़े उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया अतः राज्य के लघु व कुटीर उद्योगों का लगभग पतन हो चुका है। रोजगार के इस वैकल्पिक स्रोत के समाप्त हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की आय में कमी हुई है। यह स्थिति अकाल व सूखे की समस्या को अधिक गंभीर बनाएगी।

9 विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याएँ (Various Social & Economic Problems) - राजस्थान में निर्धनता की समस्या अत्यधिक व्यापक है। निर्धन वर्ग अकाल व सूखे से उत्पन्न आर्थिक भार को वहन नहीं कर सकता है। बेरोजगारी की समस्या ने भी लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। अतः वे अकाल का सामना नहीं कर पाते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वित्तीय स्रोतों के

Describe the main causes for famine and drought in Rajasthan. Discuss the short term and long term famine & drought management strategies of Govt. of Rajasthan.

4 राजस्थान में अकाल व समाधान पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक लेख लिखिए।

Write a short critical essay on the famines in Rajasthan "Causes and Remedies."


5 अकाल के कारण राज्य को होने वाले क्षति का वर्णन हुए इन अकालों के कारण का भी समझाइए।

While giving an account of losses due to famine and explain the reasons for droughts/famines in Rajasthan.



राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ

STATE BUDGETARY TRENDS



"राज्य बजट से राज्य का स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।"

अध्याय एक दृष्टि में

- बजट का अर्थ
- राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ
- राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार के मुद्दा
- वन्द्य राज्य विनय मन्त्र
- राज्य योजना का वित्तीय व्यय
- एम.एन.ए. 1993-99
- अनुमान प्रश्न

बजट का अर्थ

MEANING OF BUDGET

भारत के मन्त्रिमण्डल में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व व्यय का विवरण राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करें। आय-व्यय के इन विवरण को ही बजट अथवा आय-व्यय कहा जाता है। राज्य द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर यह "राज्य सरकार का बजट" व वन्द्य सरकार द्वारा प्रस्तुत करने पर "वन्द्य सरकार का बजट" कहलाता है। बजट का सम्बन्ध एक वित्तीय वर्ष में होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और राज्य का वित्तमन्त्री हा प्रायः इस राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। बजट का बजट विवरण का नाम भी दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट आकड़ों 'बजट अनुमान' (Budget Estimates) होते हैं। तब वर्ष के बजट के आकड़ों 'संशोधित अनुमान' (Revised Estimates) और इसके पूर्व के वर्षों के आकड़ों 'वास्तविक' (Actual) होते हैं। लोक सभा नियम के विनियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि मन्त्रिमण्डल में अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में जाना जाता है समझ में एम.एन.ए. पेश किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दे। वन्द्य सरकार का बजट दा भागों गल और सामान्य बजटों के रूप में पेश किया जाता है। सामान्य बजट में

राज्य एक सप्ताह पूर्व रेल बजट पेश किया जाता है। सामान्य बजट सामान्यतया फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस का पेश किया जाता है। जो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है उन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। यह भा उल्लेखनीय है कि बजट लोकसभा में उम समय पेश किया जाता है जब न तथा वित्तीय कार्यभारी मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः लोकसभा में मंत्रियों के भाषणों का समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है। तब रासदान में सरकारी कार्य के आवाहन के अंश के रूप में सरकारी कार्य मंत्रालय सामान्य बजट यदि कोई राज्य बजट हा ता उम संहिता उन पर सामान्य तथा अनुदान की मांगों पर चर्चा और भुनदान तथा वित्त विधेयक पर विचार और पारित वान के लिए अग्यार्द लागू नियत करता है। सामान्य बजट का प्रस्तुति के बाद समदोय काय मंत्रा द्वारा उन मंत्रा तथा का चयन करने के लिए जिनको अनुदान मांगों पर चर्चा का जानी है। नरसभा में विभिन्न दला/पुपा के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है।

राजस्व तथा पूजात कुल प्रतियाँ एव व्यय का अतर बजट घाटा (Budget Deficit) कहलाता है। राजस्व प्रतियों एव राजस्व व्यय का अतर राजस्व घाटा (Revenue Deficit) दर्शाता है। मौद्रिक घाटा (Monetary Deficit) भारतीय िजव बैंक द्वारा वन्द सरकार के लिए गए ऋण में मकूल वृद्धि का प्रतीक है जा कि भारताय रिजर्व बैंक के सरकार वित्तों तथा सरकार के ऋण उधार में इसके यागदान का जाड हूण है उधार दे गई गरिा सहित कुल व्यय राजस्व प्रतिया अनुदान और गैर ऋण पूजो प्रतियों के याग स जितना अधिक जाता है वह राशि राजकाय घाटा (Fiscal deficit) कहलाता है। इम राजकाय घाटे में स व्याज का अदायगी के वान तथा गणि मूल घाटा है।

राज्य बजट की प्रवृत्तिया

STATE BUDGETARY TRENDS

राज्य बजट का विश्लेषण करन फ राज्य बजट की अनेक प्रवृत्तिया दृष्टिगोचर जाता है। राजस्थान क बजट विश्लेषण में निम्न प्रवृत्तिया का जान जाता है

1. राजस्व खाते में आय की प्रवृत्ति

Trend in Revenue Receipts in Revenue Account

राजस्व प्रतिया में राज्य सरकार का कर राजस्व अकर राजस्व एव महासुधार अनुदान में प्रान हान वाना

आय का दर्शाया जाता है। राजस्थान के बजट में विगत वर्षों में राजस्व प्राप्ति की स्थिति निम्न प्रकार रही है

राजस्व प्राप्ति	
वर्ष	राजस्व प्राप्ति (कोड रु)
1994-95	6321 7
1995-96	7629 6
1996-97	7559 7
1997-98 (संगठित अनुदान)	8713 7
1998-99 (बजट अनुदान)	10189 4
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण 1998-99 राजस्थान सरकार, जूलाई 1999	

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि राजस्व प्रतिया में निरन्तर वृद्धि होती रही है। राजस्व प्रतिया 3 खालों में हाता है। इनका विवेचन निम्नानुसार है

(i) कर राजस्व (Tax Revenue) - राजस्व प्रतियों के समान राज्य के कर राजस्व स प्रतिया भी विगत वर्षों से निरन्तर बढ़ रही है। कर राजस्व का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है केन्द्रीय करों का अंश एव राज्य कर राजस्व। केन्द्रीय करों के अंशों में सार्वभौम यागदान मधीय आदकारी करों का रहा है। तत्पश्चात दूसरा स्तर आयकर का है। राज्य के कर राजस्वों में भू राजस्व मुद्राक एव पञ्जीयन शुल्क राज्य सरकार द्वारा कर वानों पर कर सामान और यात्रियों पर कर मिनली पर कर और शुल्क आदि सम्मिलित है।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में कर राजस्व का दर्शाया गया है।

कर राजस्व		
वर्ष	कर राजस्व (कोड रु)	कुल राजस्व प्रतियों में कर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	3598 85	56 93
1995-96	4213 81	55 23
1996-97	4889 60	64 68
1997-98 (संगठित अनुदान)	5794 51	66 50
1998-99 (बजट अनुदान)	7212 80	70 79
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण 1998-99 राजस्थान सरकार, जूलाई 1999		

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कर राजस्व में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का भाग आधे से अधिक रहा। निम्नलिखित तालिका में राजस्व प्राप्तियों को राज्य के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों के अंश के रूप में अन्त किया गया है।

वर्ष	कुल कर राजस्व	राज्य कर राजस्व	केन्द्रीय कर का अंश
1994-95	3598.85	2307.16	1291.68
1995-96	4266.78	2783.56	1483.22
1996-97	4983.35	3276.56	1706.79
1997-98	5794.51	3768.78	2025.73
(सशर्षित अनु)			
1998-99	7212.80	4440.87	2771.93
(बजट अनु)			

स्रोत: परिवर्तित आय व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्व का हार
जुलाई 1998

तालिका स निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होता है।

- (1) कुल कर राजस्व में केन्द्रीय करों का अंश राज्य कर राजस्व से कम है।
- (2) केन्द्रीय करों के अंश में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (3) राज्य कर राजस्व भी निरन्तर बढ़ रहा है और कुल कर राजस्व में राज्य कर राजस्व का भाग केन्द्रीय करों के अंश की तुलना में अधिक है।
- (4) केन्द्रीय करों के अंश के अर्थात् आयकर, भू-सम्पत्ति कर तथा मध्यम आवकाश कर से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है।
- (5) राज्य कर राजस्व में मुख्यतः भू-राजस्व, मुद्राक एवं पञ्जीयन शुल्क राज्य आवकाश विभाग कर वाहनों पर कर सामान व यंत्रियों पर कर, विजली पर कर व शुल्क तथा अन्य करों व महसूलों आदि में प्राप्त होता है।
- (6) राज्य के कर राजस्व को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों की दृष्टि से बांटा जा सकता है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय की दृष्टि से ज्ञात होता है कि

- (1) राज्य को प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में अधिक आय प्राप्त होती है।
- (2) प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (3) अ-कर राजस्व (Non Tax Revenue) राज्य

सरकार के अ-कर राजस्वों में व्याज का प्राप्ति लाभारा एवं लाभ सामान्य सेवाओं समाजिक सेवाओं (शिक्षा कला एवं संस्कृति विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जलापूर्ति सफाई आवास और शहरी विकास आदि) आर्थिक सेवाएँ (लघु सिंचाई बचत और वन्य जीव उद्योग प्रामोद्योग व लघुउद्योग वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ, खनन आदि) व सहायताएँ अनुदान की राशि सम्मिलित होती है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक राजस्व सहायताएँ अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। तत्परचात् सामान्य सेवाओं आर्थिक सेवाओं व व्याज की प्राप्ति लाभारा लाभ आदि का स्थान है। इस प्रकार कुल अ-कर राजस्व एवं सहायताएँ अनुदान मिलकर अ-कर राजस्व के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा भाग बन जाता है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों के अ-कर राजस्व एवं कुल राजस्व में अ-कर राजस्व के प्रतिशत भाग को दर्शाया गया है।

अ-कर राजस्व (करोड़ रुपये में)		
वर्ष	अ-कर राजस्व	कुल राजस्व में अ-कर राजस्व का प्रतिशत भाग
1994-95	1295.56	20.49
1995-96	2250.74	29.08
1996-97	1361.11	18.00
1997-98	1437.99	16.50
(सशर्षित अनु)		
1998-99	1444.84	14.18
(बजट अनु)		

स्रोत: परिवर्तित आय व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्व का हार
जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में अ-कर राजस्व से भी एक बड़ा अंश प्राप्त होता है।

अ-कर राजस्व के सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय हैं।

- (1) व्याज की प्राप्ति लाभारा एवं लाभ से प्राप्त आय में उन्मत्त बढ़ावा होता रहा है।
- (2) सामाजिक सेवाओं में प्राप्त आय का मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है।
- (3) शिक्षा कला एवं संस्कृति इससे प्राप्त आय विगत कुछ वर्षों से बढ़ रही है। (1) विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्राप्ति से आय भी बढ़ रहा है। (2) जलपूर्ति

सर्वाई आवास और शहरी विकास इनसे प्राप्त आय भा वित्तगत वर्षों में निरन्तर बढ़ रही है (iv) अन्य इस शीर्षक व अंतर्गत प्राप्त आय के खानों में कमी हुई है।

(3) आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत निम्न का समावेश किया जाता है।

- (i) लघु सिंचाई (ii) वानिकी एवं वन्य जीवन (iii) उद्योग प्रमोदनाग एवं लघु उद्योग (iv) वृहद एवं सिंचाई परियोजना
(v) अनाई धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग (vi) अन्ना।

सहायताार्थ अनुदान (करोड़ ₹)		
वर्ष	सहायता अनुदान	राजस्व प्रविष्टि में % भाग
1991-92	1427.30	22.58
1992-93	1257.54	16.22
1996-97	1337.06	17.79
1997-98	1481.28	17.00
(संशोधित अनु.)		
1998-99	1531.81	15.03
(वज्रट अनु.)		
स्रोत: परिवर्धित आय व्ययक अभ्यन्त 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998		

तालिका से स्पष्ट है कि सहायताार्थ अनुदान की राशि में 1994-95 के परभाव कमी हुई लेकिन इसके परभाव इस राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1992-93 में कुल राजस्व प्रविष्टियों में सहायताार्थ अनुदान का भाग 21.99 प्रतिशत था जो परवर्ष 1995-96 में 16.22 प्रतिशत हो गया।

2 राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्ति

1 Trends in Revenue Expenditure in Revenue Account

सरकार द्वारा राजस्व व्यय भी निरन्तर बढ़ रहा है कुल राजस्व व्यय को राज्य के वज्रट में 3 शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाता है वे शीर्षक हैं (i) सामान्य सेवाओं पर व्यय (ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा (iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय। राजस्थान व वज्रट में विगत वर्षों में कुल राजस्व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही है

कुल राजस्व व्यय	
वर्ष	कुल राजस्व व्यय
1994-95	6746.47
1995-96	8331.55
1996-97	8425.67
1997-98 (संशोधित अनुभव)	9209.72
1998-99 (वज्रट अनुभव)	11521.56
स्रोत: परिवर्धित आय व्ययक अभ्यन्त 1995-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि कुल राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। सूचनाओं की प्रवृत्ति भी राजस्व व्यय में वृद्धि को दर्शाती है राजस्व व्यय का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

(i) सामान्य सेवाओं पर व्यय (Expenditure on General Services) सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा कुल राजस्व में सामान्य सेवाओं पर व्यय व प्रतिशत भाग का निम्न तालिका में दर्शाया गया है

सामान्य सेवाओं पर व्यय		
वर्ष	व्यय	प्रतिशत
1994-95	2502.57	37.09
1995-96	3465.82	41.60
1996-97	3064.09	36.37
1997-98 (संशोधित अनुभव)	4558.93	36.37
1998-99 (वज्रट अनुभव)		
स्रोत: परिवर्धित आय व्ययक अभ्यन्त 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998		

तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय का छ भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) राज्य के अंग इसमें अंतर्गत विधानसभा सत्र परिषद न्यायिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय में उतार चढ़ाव होता रहा है। (ब) राजकीय सेवाएं राजकीय सेवाओं का मुख्यतः सम्पत्ति एवं प्रजीगत लेनदेनों और वस्तुओं एवं सेवाओं पर बने के संरक्षण अन्य शीर्षक में दर्शाया जाता है। राजकीय सेवाओं के व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (स) व्याज का भुगतान और ऋण परिशोधन इस शीर्षक के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय भागों में वृद्धि रहे हैं। (द) प्रशासनिक सेवाएं प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत एक मवा आयाय मन्त्रालय जिला प्रशासन कार्यालय पुलिस जल मुद्रण आदि का सम्मिलित किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय भी विगत वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। (य) पेशान विधि सामान्य साएँ इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय भी तेजी से बढ़े हैं। (र) सहायता अनुदान और अज्ञान इस शीर्षक के अंतर्गत किए गए व्यय में विगत वर्षों का प्रायः स्थिरता बनाई है।

(ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on Social Services) सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा खनन तथा एवं सम्पत्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पूर्णतः सहाय आवास व राज्य विद्यालय श्रमिक और श्रमिक कल्याण अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा मामूली

कल्याण व पोषाहार आदि को सम्मिलित किया गया।

सामाजिक सेवाओं पर विगत वर्षों में किए गए व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

सामाजिक सेवाओं पर व्यय		
वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय का प्रतिशत
1994-95	2525.84	37.44
1995-96	3024.38	36.30
1996-97	3467.73	41.15
1997-98 (संशोधित बजट)	3840.25	41.70
1998-99 (बजट अनुमान)	4972.74	42.29

स्रोत - वित्तिकीर्तन और अर्थव्यवस्था 1998-99, राजस्थान सरकार, जूलाई, 1998

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि

- (1) सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होती रही है।
 - (2) सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत 1994-95 में 37.44 प्रतिशत था जो बढ़कर 1998-99 में 42.29 प्रतिशत होने का अनुमान है।
 - (3) शिक्षा कला व संस्कृति पर किया गया राजस्व व्यय चार भागों में विभक्त किया जा सकता है - (अ) सामान्य शिक्षा पर किया गया व्यय विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है। (ब) तकनीकी शिक्षा पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (ग) खेल और युवा सेवाओं पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। (द) कला एवं संस्कृति पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।
 - (4) चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है - (अ) ऐलोपैथी इसके अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन और चिकित्सा सहायता, जनजाति क्षेत्र उपयोजना चिकित्सा, शिक्षा व प्रशिक्षण कर्मचारों राज्य बोधा योजना चिकित्सा भण्डार डिपो और विभागीय भौत निर्माण आदि को सम्मिलित किया जाता है। ऐलोपैथी पर विगत वर्षों में किया गया व्यय निरन्तर बढ़ रहा है। (ब) अन्य चिकित्सा प्रणालियों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक जनजाति क्षेत्र उपयोजना होम्योपैथी, यूनानी और अन्य पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्षों में इन चिकित्सा पद्धतियों पर किए गए व्यय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन चिकित्सा प्रणालियों में सर्वाधिक व्यय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर किया गया है। (स) जन स्वास्थ्य पर किया गया व्यय भी निरन्तर बढ़ रहा है। परिवार कल्याण पर किया गया व्यय प्रारम्भ में तुलना से बढ़ा लेकिन विगत वर्षों में इसमें स्थिरता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है।
- (iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय (Expenditure on

Economic Services) - आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, ग्रामीण विकास एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, उद्योग एवं खनिज निचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सामान्य आर्थिक सेवाएँ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है।

वर्ष	आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कोटि रुपये)	आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत
1994-95	1718.06	25.47
1995-96	1841.34	22.10
1996-97	1893.83	22.48
1997-98 (संशोधित बजट)	1843.63	19.69
1998-99 (बजट अनुमान)	2083.88	18.14

स्रोत - वित्तिकीर्तन और अर्थव्यवस्था 1998-99, राजस्थान सरकार, जूलाई, 1998

तालिका के विश्लेषण से ज्ञान होता है कि -

- (1) विगत वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय लगभग स्थिर बना हुआ है।
- (2) आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत घटा है।
- (3) कृषि और सम्बद्ध कार्यों में कृषि कार्य भू-जल संरक्षण, पर्याप्तता, मत्स्य उद्योग वनिकी और वन्य जीवन, खाद्य व भण्डारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा महत्वांगिता तथा अन्य कृषि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है।
- (4) उद्योग पर राजस्व व्यय का दो भागों में बाँटा जा सकता है - प्रथम सामान्य व्यय - इसके अन्तर्गत निर्देशन व प्रशासन औद्योगिक उत्पादन और प्रौद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित किया जाता है द्वितीय उद्योगिक उद्योग - इसके अन्तर्गत नमूने का व्यापार का योजना, माडियम मन्फैस्ट का व्यापार की योजना, राजकीय उच्च मिन, स्टेशन तथा नदीन सेवा आदि को सम्मिलित किया जाता है।
- (iv) विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय (Development & Non-Development Expenditure) - राजस्व व्यय को विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में भी विभक्त किया जा सकता है। निम्न तालिका में विकास व्यय एवं अ-विकास व्यय को दर्शाया गया है।

लेख का शीर्षक	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
कुल राजस्व व्यय	6746 47	8331 55	8425 67	9209 72	11521 56
(1) विकास व्यय	4243 90	4865 73	5361 57	5653 68	6962 63
(2) गैर विकास व्यय	2502.57	3465 82	3064 09	3555 83	4558 93
कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत	62.91	58 40	63 63	61 39	60 43
सूचकांक (आधार 1980-81=100)					
(क) विकास व्यय	883	1012	1115	1176	1448
(ख) गैर विकास व्यय	1210	1676	1482	1720	2206

स्रोत - वित्तिकृत आय व्ययक अभ्यन्तर 1998-99, राजस्थान सरकार जुलाई, 1998

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि-

- (1) विकास व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
- (2) गैर विकास व्यय शीघ्र गति से बढ़ रहा है।
- (3) कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत जो 1994-95 में 62.91% था जो 1997-98 में 61.39 प्रतिशत रहा।
- (4) गैर विकास व्यय के सूचकांक गैर-विकास व्यय में वृद्धि को दर्शाते हैं। इसी प्रकार विकास व्यय के सूचकांक विकास व्यय में वृद्धि को बताते हैं।

(v) राजस्व व्यय का उद्देश्यानुसार वर्गीकरण (Objective wise Revenue Expenditure) - राजस्व व्यय को उद्देश्य के अनुसार ही वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय को मजदूरी एवं वेतन, यात्रा एवं चिकित्सा व्यय, किराया सॉपल्टी, प्रकाशन, विज्ञापन, कार्यालय व्यय, सहायताार्थ अनुदान, छात्रवृत्ति एवं निर्वाह भत्ता वृहद एवं लघु निर्माण कार्य, मशीन एवं सयंत्र मोटर गाडिया एवं हास विनियोग/ऋण/व्याज लाभांश, पेंशन और प्रेच्युटी आदि भागों में विभक्त किया जा सकता है। विगत वर्षों में मजदूरी एवं वेतन सम्बन्धी व्ययों में तेजी से वृद्धि हुई है इसी प्रकार यात्रा एवं चिकित्सा व्यय किराया व सॉपल्टी, छात्रवृत्ति एवं निर्वाह भत्ता, वृहद एवं लघु निर्माण कार्य मशीन एवं सयंत्र और पेंशन व प्रेच्युटी सम्बन्धी व्ययों में निरन्तर वृद्धि हुई; 3 राजस्व खाते में बचत(+) अथवा घाटा (-) निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों के राजस्व खाते में बचत अथवा घाटा दर्शाया गया है -

वर्ष	बचत (+) अथवा घाटा (-)
1994-95	(+)109 49
1995-96	(-)300 68
1996-97	(-)424 75
1997-98	(-)546 90
(संशोधित अनुमान)	
1998-99	(-)624 41
(बजट अनुमान)	

स्रोत - वित्तिकृत आय व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व खाते में सभी वर्षों में घाटे की प्रवृत्ति रही है।

4. राजस्व खाते के अतिरिक्त लेनदेन

Transaction outside the Revenue Account

(i) प्राप्तियां (Receipts) : राजस्व खाते के अतिरिक्त प्राप्तियों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया जा सकता है। (1) स्थाई ऋण निम्न तालिका में प्राप्त स्थाई ऋण, स्थाई ऋणों का भुगतान एवं शुद्ध प्राप्तियों को दर्शाया गया है -

वर्ष	स्थाई ऋण (करोड़ रुपए)
1994-95	314 27
1995-96	394.27
1996-97	433 69
1997 98	522 18
(संशोधित अनुमान)	
1998-99	649 02
(बजट अनुमान)	

स्रोत - वित्तिकृत आय व्ययक अभ्यन्तर 1998-99 राजस्थान सरकार जुलाई 1998

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1994 95 में स्थाई ऋण 314 27 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 522 18 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार द्वारा स्थाई ऋणों का भुगतान भी किया जाता रहा है। भुगतान किए गए ऋणों की राशि में कमी वृद्धि होती रही है।

(ii) अल्पकालीन ऋण (Floating debt) : राज्य सरकार प्रायः अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है निम्न तालिका में विगत कुछ वर्षों में अल्पकालीन ऋणों की स्थिति को दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	अल्पकालीन ऋण
1994-95	1343 00
1995-96	2478 90
1996-97	4657 81
1997-98 (समाप्त अनुमान)	3335 83
1998-99 (बजट अनुमान)	1200 00
स्रोत - वित्तिकृत आर्य व्यवस्था 1998-99 राजस्व आकांक्षा दुर्गा 1998	

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्राप्त की गई अल्पकालीन ऋणों की मात्रा में कमी-वृद्धि होती रहा है। सरकार अल्पकालीन ऋणों का भुगतान भी करती रही है। भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहने की सम्भावना है।

(iii) केन्द्र सरकार का ऋण (Loans From Central Government) राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से भी ऋण प्राप्त करती है। अग्र तालिका में विगत कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण को दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	प्राप्त ऋण
1994-95	887 46
1995-96	1140 22
1996-97	1489 88
1997-98 (समाप्त अनुमान)	2033 58
1998-99 (बजट अनुमान)	1866 91
स्रोत - वित्तिकृत आर्य व्यवस्था 1998-99 राजस्व आकांक्षा दुर्गा 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से प्राप्त किए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि होती रहा है। राज्य सरकार द्वारा समुचित मात्रा में केन्द्र से धन प्राप्त किया जाता है। ऋणों के भुगतान में भी निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

(iv) सार्वजनिक लेखा (Public Account) इस श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त की गई राशि को अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपये)	
वर्ष	सार्वजनिक लेखा
1994-95	13942 14
1995-96	16179 96
1996-97	15632 49
1997-98	19765 19
(समाप्त अनुमान)	
1998-99 (बजट अनुमान)	20817 61
स्रोत - वित्तिकृत आर्य व्यवस्था 1998-99 राजस्व आकांक्षा दुर्गा 1998	

तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक लेखों के अंतर्गत प्राप्ति बढ रही है।

(v) ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances) इस श्रेणी के प्राप्त आय में कमी वृद्धि होती रही है। सरकार द्वारा भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प-बचत सभ्य एवं एमो ही अन्य जमाओं की प्राप्ति को ला- खाते में दिखाया जाता है और सम्बन्धित खर्च इसी खा- में से रकम निकाल कर किया जाता है। सरकार इन लेन- देनों के सम्बन्ध में मोटे तौर पर एक बैक- के रूप में कार्य करती है। यदि देखा जाए तो लोक- खाते में दिखाई जाने वाली रकम सरकार की आय नहीं होती क्योंकि इस धनराशि का किसी न किन्हीं समय उन लोगों को लौटाना होता है जो ऋण जमा करते हैं। कभी कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जहाँ सरकार को विधानसभा की स्वीकृति मिला से पूर्व भी ऋण ऐसा व्यय करना पड़ जाता है जिसका पहले से पूर्व-गस नहीं होता। इस तरह का व्यय आकस्मिकता निधि में किया जाता है। इस निधि में से जो राशि व्यय की जाती है उसके बारे में विधानसभा से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। स्वाकृति मिलन पर उतनी ही राशि पुन- आकस्मिकता नि- में डाल दी जाती है। पुञ्जीगत व्ययों में स्थापना मशीन- सय- व अन्य उपकरण निर्माण विनियोग प्रतिभूतियों ए- ऋण पत्रों का क्रय आदि को सम्मिलित किया जाता है। पुञ्जीगत व्यय का सबसे अधिक भाग निर्माण कार्यों पर व्यय होता है। इसके परिचाय- राज्य सरकार निगमों और अन्य संस्था- को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम पर व्यय करती है।

राजस्व खाने के अतिरिक्त बचत (+) अथवा घाटा (-) को अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

राजस्व खाने के अतिरिक्त बचत (+) अथवा घाटा (-) करोड़ रुपये में			
विवरण	(समाप्त अनुमान)	(बजट अनुमान)	
	1996-97	1995-96	1997-98
राजस्व खाने के अतिरिक्त बचत (+) का घाटा (-)	(+)987 33	(+)976 34	(+) 580.29
स्रोत - वित्तिकृत आर्य व्यवस्था 1998-99 राजस्व आकांक्षा दुर्गा 1998			

5. बचत अथवा घाटा Surplus or Deficit

राज्य सरकार की अनेक प्रकार की प्राप्ति और व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व खाने के बजट का घाटा अथवा बचत ज्ञात की जाती सकती है। इस मा-र्ष में विगत

कुछ वर्षों की स्थिति इस प्रकार रही है।

वर्षों का औसत	(सशोधित अनुमान)(बजट का अनुमान)		
	1996-97	1997-98	1998-99
(i) राज्य खेखे की प्रतिशत एव व्यव	-865 94	-495 93	-1332 09
बचत(+)या घाटा(-)			
(ii) गवस खाते के अतिरिक्त सेनदन	+987 33	+976 34	+1560 29
बचत(+)या घाटा(-)			
(iii) घर्षोंपर शुद्ध	+121 38	+480 41	+228 20

स्रोत : वित्तीय आय व्ययक अन्वय 1995-99 राजस्थान सरकार
दुण्ड, 1999

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस शीघ्रक के अतर्गत शुद्ध बचत व शुद्ध घाटे का प्रभाव विभिन्न वर्षों में अलग-अलग रहा है।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति में

सुधार के लिए सुझाव

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT IN FINANCIAL POSITION OF RAJASTHAN

राजस्थान की वित्तीय स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कमजोर है। राज्य अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान बनी हुई है। राज्य आय का लगभग आधा हिस्सा कृषि एव कृषि संबंधी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अनिश्चित प्रवृत्ति के है। अतः मानसून की प्रवृत्ति के अनुसार ही राज्य की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। राज्यों में औद्योगिक विकास के स्तर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन विकास स्तर बहुत धीमा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य में अनेक प्रकार की विषमताएँ विद्यमान हैं। राज्य में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1990-91 में 183 यूनिट था जो वर्ष 1991-92 में लगभग 215 यूनिट प्रतिव्यक्ति हो गया। लेकिन यह देश की विशिष्ट राज्यों की तुलना में बहुत कम है। अतः राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत शक्ति के अभाव के कारण भारी क्षति उठानी पड़ती है। राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों की समस्या लम्बे समय से बनी हुई है। अतः राज्य के उपभोक्ता बढ़ती हुई महागाई के कारण परेशान है। 1989-90 तथा 1990-91 के मध्य प्रति व्यक्ति राजस्थानी आय (1980-81 की स्थिर कीमतों के अनुसार) में 12.72% की वृद्धि हुई लेकिन 1991-92 में प्रतिव्यक्ति आय में 1990-91 की तुलना में 7.09% की कमी हो गई। 1991-92 के लिए बाटू

कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय 3983 रुपए थी।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन राज्य की आर्थिक स्थिति मापने का एक प्रमुख पैमाना है। स्थिर कीमतों (1980-81) पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 के 7104 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1990-91 में 8213 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया। इस प्रकार इसमें 15.61 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई, जो कि मुख्यतः कुल राज्य आय के कृषि अनुभाग में तीव्र वृद्धि के कारण है। कृषि में वृद्धि वर्ष 1990-91 में अनुकूल मौसम तथा समय पर वर्षा के कारण हुई है। वर्ष 1991-92 के त्वरित अनुमान इंगित करते हैं कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 7825 करोड़ रुपए होगा जो कि गत वर्ष की तुलना में 4.73 प्रतिशत कम है। वर्ष 1991-92 के राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों में 1990-91 वर्ष के विपरीत कमी का कारण कृषि उत्पादन में गिरावट रही है अधिकांश जिलों में विलम्ब से एव औसत से कम वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट हुई। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1989-90 में 13848 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था जो 1990-91 में 26.94 प्रतिशत से बढ़कर 17578 करोड़ रुपए हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 18.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के त्वरित अनुमानों के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 19151 करोड़ रुपए था जो 1990-91 की अपेक्षा 8.95 प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान प्राकृतिक समाधनों, औद्योगिक क्षमताओं और श्रमशक्ति आदि की दृष्टि से एक धनी राज्य है। अतः कुछ सक्रिय प्रयासों के माध्यम में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं -

(1) कृषि क्षेत्र का विकास (Development of Agriculture) - राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र को पर्याप्त विस्तार एव विकास करके राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में धू राजस्व का महत्व निरन्तर कम हो रहा है। सरकार भू-जोत कर अथवा कृषि पर आयकर और मिचार्ड की दरों में वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि कर सकती है। इस कार्य में सरकार को जन विरोध का सामना करना पड़ सकता है लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि राज्य का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है।

(2) कर वसूली में सुधार (Improvement in tax Collection) - राज्य की कर वसूली व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण है। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार एव कर चोरी का बढ़ाया मिला। समय पर कर वसूल नहीं किया जाता है। अतः बकाया

वर्षों की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। अतः विक्री कर एवं अन्य करों की वसूली व्यवस्था में सुधार करके राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को समस्या के निवारण हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस कार्य हेतु निरीक्षण व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। कर वसूली में सुधार करके राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इस तथ्य का संकेत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न बजट प्रस्तावों से भी होता है। विक्री कर की दरों में वृद्धि करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। विक्री करों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्रणाली लागू की जा सकती है।

(3) उद्योगों का तीव्र गति से विकास (Rapid Development of Industries) - राज्य सरकार उद्योगों का तीव्र गति से विकास करके राज्य आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है। राज्य में खनिज सम्पदा एवं पशु सम्पदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः खनिज आधारित उद्योगों, पशु सम्पदा पर आधारित उद्योगों एवं कृषि पर आधारित उद्योगों का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इन उद्योगों के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और चयनित स्थानों पर सरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अतः औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया।

(4) राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों में सुधार (Improvement in Govt Undertaking) - राजस्थान में परिवहन, विद्युत एवं सिंचाई संबंधी सस्वाओं/राजकीय उपक्रमों को प्रबंध व्यवस्था में सुधार करके भी राज्य आय में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में इन उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में अनेक दोष दिखलाई देते हैं। इनमें क्षिपणता का अभाव है। इनकी दरों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः राज्य में महंगाई की समस्या बढ रही है। इसके विपरीत ये उपक्रम प्रायः घाटे की स्थिति दर्शाते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक अनुशासनात्मक एवं भ्रष्टाचार है। अतः राज्य सरकार के इन उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में किन्हीं विशिष्ट योजना के अंतर्गत सुधार करके राज्य की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। इन उपक्रमों में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी आवश्यक है।

(5) ऋण भार में कमी (To lessen the burden of Loans) - राज्य सरकार अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय-समय पर केन्द्र

सरकार से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किए हैं। अतः राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए केन्द्र सरकार से ऋण माफी का अनुरोध कर सकती है। लेकिन यह राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का केवल सामयिक उपाय है।

(6) अल्प बचत कार्यक्रमों का विस्तार (Extension of Small Saving Programmes) राज्य सरकार अल्प बचतों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति का सुधार कर सकती है। विभिन्न आकर्षक योजनाओं के माध्यम से राज्यों में बचत की जाती है। अल्प बचत में जमा राशि का 3 चौथाई भाग राज्य को वापस लम्बी अवधि के ऋण के रूप में प्राप्त होता है। अतः अल्प बचत कार्यक्रमों से राज्य की आय में वृद्धि होगी।

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध CENTRE-STATE FINANCIAL RELATIONS

संघीय प्रकृति द्वि-स्तरीय सरकार की प्रतीक है। इस प्रकार के राष्ट्र में सत्ता केन्द्र व राज्यों में बटी हुई होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र राज्यों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। वस्तुतः किसी भी संघीय सरकार में केन्द्र व राज्यों के कार्य, कारोपण के अधिकार तथा व्यय करने के अधिकार देश के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए हुये होते हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैण्ड आदि में यह प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र व राज्यों में सौहार्द्रपूर्ण तथा सुदृढ़ सम्बन्ध होने पर देश का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य सहयोग को बढ़ाया जाए। प्रो. वी. एन. गुप्ता के अनुसार "संघ को एक सयुक्त परिवार की भाँति कार्य करना चाहिए व केन्द्र को परिवार के मुखिया की भाँति कार्य करना चाहिए जिसका कार्य अपने सदस्यों का आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।" इसी प्रकार प्रो. आर. एन. भार्गव के अनुसार "संघीय वित्तीय सम्बन्धों का आशय देश व राज्य सरकारों के विनीय सम्बन्धों तथा उन दोनों के मध्य समन्वय से लगाया जाता है।"

संघीय वित्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -
 - केन्द्र व राज्य सरकारों के संविधान के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में कर लगाकर आय प्राप्त कर सकते हैं।
 - केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किए गए कुछ करों में राज्यों के हिस्से वा भी निर्धारण किया जाता है।
 - केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को विकास कार्य हेतु अनुदान देती है।

भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों की विशेषताएँ

CHARACTERISTICS OF CENTRE & STATE FINANCIAL RELATIONS IN INDIA

भारतीय संविधान (26 नवम्बर 1949) में केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन किया गया है इसके अतिरिक्त प्रत्येक पांच वर्ष पर्यन्त वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है जो केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में मुझाव देता है। भारतीय मध्य व राज्यों के पारम्परिक मन्वथों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 245 से 300 के अन्तर्गत समाविष्ट है। अनुसूचा 7 में केन्द्र राज्य तथा दोनों के सम्बन्धित अधिकारों से सम्बन्धित तीन तालिकाएँ दी गई हैं। केन्द्र व राज्यों के बीच भा वित्तीय सम्बन्ध मदेव विवाद का विषय रहे हैं। आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्यों के दायित्वों में निरन्तर होने वाली वृद्धि की पूर्ति वित्त के बिना सम्भव नहीं लगती। संविधान निर्माताओं को भी भविष्य में उठने वाले विवादों का आभास था। अतः संविधान के अनु 280 के तहत गणराज्य को प्रति पांच वर्ष परचात एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(अ) आय के साधनों का वितरण

Distribution of Sources of Income

भारतीय संविधान के अन्तर्गत आय के विभिन्न साधनों का वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गई है

(i) केन्द्र के आय स्रोत (Centre's Sources of Income) आय के प्रमुख सघीय साधन इस प्रकार हैं (1) निगम कर (2) मुद्रा सिकके और वैधानिक मुद्रा विदेशी विनिमय (3) चुगी निर्यात कर सहित (4) तम्बाकू एवं अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (5) सम्पत्तियों पर लगन वाला कर (कृषि भूमि को छोड़कर) (6) फीम (केन्द्राय भूरा व अनुसूची) (7) विदेशी ऋण (8) लाटरी (9) डाक घर बचन बैंक (10) डाक तार टेलिफोन व मत्तार व अन्य साधन (11) केन्द्र सरकार की सम्पत्तियाँ (12) केन्द्र सरकार व वरगवर्जनिक ऋण (13) रेल्वे (14) विनिमय चिन चेक तथा प्रतिज्ञा पत्र पर मुद्राक कर (15) भारतीय गिन्तव तक म आय (16) आयकर (कृषि आय व अतिरिक्त) (17) सम्पत्ति कर (18) विनिमय याजार क कर (19) समाचार पत्र व क्रय विक्रय एवं उन्म दिए गए विज्ञापनों पर कर (20) जल स्थल एवं वायु मार्ग द्वारा ढाए गए माल व यात्रियों पर कर।

(ii) राज्यों के आय स्रोत (State's Sources of Income) राज्य सरकारों का आय स्रोत इस प्रकार -

(1) भूमि पर लगन (2) कृषि भूमि व उत्तराधिकार पर कर (3) भूमि तथा मकानों पर कर (4) राज्यों में निर्मित मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर (5) माल के क्रय विक्रय पर कर (6) स्थानीय क्षेत्र वस्तुओं का आन पर कर (7) गाड़ियों पर कर (8) आन्तरिक जल तथा स्थल मार्गों के बाँधियों ल् माल पर कर (9) स्टाम्प शुल्क (मुद्राक कर) (10) कृषि आय पर कर (11) कृषि भूमि पर सम्पदा कर (12) खनिज पर कर (13) विद्युत उत्पादन एवं उपयोग पर कर (14) विज्ञापन पर कर (समाचार पत्रों व अतिरिक्त) (15) मनोरंजन कर शर्त एवं जुए पर कर (16) जानवरों पर कर तथा नाशे पर कर (17) व्यापार व व्यवसाय पर कर (18) कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त राज्य सूची में सम्मिलित किसी विषय पर शुल्क आदि।

(iii) केन्द्र द्वारा लगाए गए तथा एकत्र किए गए कर जो राज्य सरकारों के मध्य वितरित किए जाते हैं (Taxes levied & collected by the centre and distributed among state) (1) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार का सम्पत्ति पर लगन वाला उत्तराधिकार कर (2) रत किंगए तथा भांटे पर कर (3) समाचार पत्र तथा विज्ञापन पर लगन वाला कर (4) यात्रियों व मगान पर लगन वाला टर्मिनल टैक्स (5) मट्टा वाजार में किए गए खोदों पर कर (6) अन्तर्गंश्रीय व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं पर बिक्री कर।

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र व उपयोग किए जाने वाले कर (Taxes levied by the centre but collected & used by States) स्टाम्प शुल्क टवाइयों व मौन्दर्य प्रसाधनों की वस्तुओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है लेकिन एम कर राज्य सरकारें वमूल करती हैं और इन का स प्राण आय का वितरण उन्हीं के मध्य कर दिया जाता है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए एवं एकत्रित किए गए कर जिनसे प्राप्त आय का वितरण केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है (Taxes levied and collected by the centre but income is distributed among centre by states) एम करों में दो कर प्रमुख हैं प्रथम कृषि आय व अतिरिक्त अन्य आय पर कर तथा द्वितीय वृष्ट वस्तुओं पर लगाए गए उत्पादन कर। वे दोनों पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कर किए जाते हैं। इन करों में प्राप्त आय का वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है।

(ब) अनुदान

Grants-in Aid

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी करो व ऋणों की राशि एक भारतीय सचिव निधि में तथा राज्यों द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण करो व ऋणों की राशि सचिव निधि में जमा होती है। आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र राज्यों को प्रतिवर्ष कुछ राशि अनुदान के रूप में देता है क्योंकि उनके विकास के लिए वांछित वित्त कर्षों द्वारा वसूल नहीं हो पाता है। केन्द्र अपनी आय के लिए अधिभार द्वारा राज्यों में विभाजित होने वाले करो में वृद्धि कर सकता है क्योंकि अधिभार की आय पर केन्द्र का अधिकार होता है। धारा 282 के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकारें अनुदान दे सकती हैं। ऐसे अनुदान उन कार्यों के लिए दिए जाते हैं जो केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(स) ऋण

Loan

मविधा के अनु 293 (2) के अनुसार केन्द्र किसी भी राज्य सरकार को ऋण अथवा उनके द्वारा लिए गए ऋणों की गारन्टी दे सकता है। केन्द्र से ऋण लेने वाली राज्य सरकार पर यह नियंत्रण होता है कि केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना वह अन्यत्र ऋण का उपयोग नहीं कर सकती तथा केन्द्र यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन देता है। राज्यों को प्रायः योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ऋण दिए जाते हैं।

(द) वित्तीय समायोजन

Financial Adjustment

केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय व आवश्यकताओं में अनुकूलन बनाए रखने के लिए संविधान में "वित्तीय समायोजन" का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार कर लगती है और उनको वसूली भी करती है लेकिन कर्षों से प्राप्त आय का राज्य सरकारों में वितरण कर दिया जाता है।

(य) सचिव निधि

Reserve Fund

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त करो व ऋणों की राशि भारतीय सचिव निधि में जमा करा दी जाती है तथा राज्यों द्वारा प्राप्त करो व ऋणों की राशि राज्य सचिव निधि में जमा करा दी जाती है। इन निधियों की राशि को लोकसभा अथवा विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात् ही खर्च किया जा

सकता है।

(र) वित्तीय आपातकाल का प्रावधान

Provision of Financial Emergency

संविधान के अनु 360 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में वित्तीय कारणों से संकट उपस्थित हो सकता है तो वह देश में वित्तीय आपात काल की घोषणा कर सकता है।

(ल) सम्पत्ति कर

Property Tax

संविधान के अनु 285 व 289 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें उनके राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सम्पत्ति पर कर नहीं लगाएंगी। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों की सम्पत्ति पर कर नहीं लगाएगी।

(व) अन्य प्रावधान

Other Provisions

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत राज्य सरकारों के कर से मुक्त रहती है। 2 केन्द्र सरकार द्वारा उत्पन्न जल एवं विद्युत (नदी घाटी योजनाओं द्वारा अथवा अन्य योजनाओं द्वारा) पर कोई भी राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है।

(श) वित्त आयोग

Finance Commission

संविधान के अनु 280 व 281 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कभी भी वित्त आयोग की स्थापना कर सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं - (1) केन्द्र व राज्य सरकारों में विभाजित कर्षों से प्राप्त आयक के सम्बन्ध में सुझाव देना कि उस आय का विभाजन किस अनुपात में किया जाए (2) देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देना (3) भारत सरकार की सचिव निधि में से राज्य सरकारों को अनुदान देने की नीति का सुझाव देना (4) राष्ट्रपति द्वारा चाहे गये विषयों पर सुझाव देना। वित्त आयोग के सदस्य प्रायः अर्द्धशास्त्री, न्याय शास्त्री,

प्रणामक तथा राजनैतिक होते हैं। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति उसका ससद द्वारा अनुमोदन करवाता है।

राज्य योजना की वित्तीय व्यवस्था

STATE PLAN FINANCING

राज्य की योजनाओं के लिए वित्त दो माध्यमों से प्राप्त होता है

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तान्तरण द्वारा

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा)

2 योजना हस्तान्तरण (गाइडिंग फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा)

3 एक्चक्र हस्तान्तरण द्वारा

(ब) राज्य के स्वयं के स्रोत अथवा राजस्थान का योजना ससाधन में भाग।

(अ) राज्य को केन्द्र से प्राप्त ससाधन या राज्य को केन्द्रीय हस्तान्तरण

Central Resources to States of Central Transfers to State

वे राज्य जो वित्तीय दृष्टि में कमजोर होते हैं उनके लिए केन्द्र द्वारा राज्य का हस्तान्तरित वित्तीय ससाधनों का विशेष महत्व होता है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं है। अतः केन्द्र से प्राप्त अधिक ससाधन राज्य के आर्थिक विकास का गति द सकत है। केन्द्र द्वारा राज्य वित्तीय ससाधन का हस्तान्तरण तीन प्रकार में किया है।

1 वैधानिक हस्तान्तरण (वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा) (Statutory Transfers By Central Govt on the recommendation of Finance commission) वित्त आयोग द्वारा राज्यों को आर किए गए हस्तान्तरण का वैधानिक हस्तान्तरण का नाम दिया जाता है। इनके अंतर्गत केन्द्रिय करा में राज्य का भाग तथा उसे दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुदान सम्मिलित हैं। वैधानिक हस्तान्तरण वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा किए जाते हैं।

विभिन्न वित्त आयोग एवं राजस्थान को किए गए वैधानिक हस्तान्तरण

गठन के लिए प्रति पाठ वर्ष पर राज या आवश्यकता

पडने पर इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह एक सवैधानिक अनिवार्यता है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अब तक दस वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। वित्त आयोग केन्द्रीय करा का किना अंश केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य वितरित है यह निर्धारित करता है साथ ही यह भी देखता है कि विभिन्न राज्यों में इस अंश या राशि का वितरण किम प्रकार हो। यह राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रिय अनुदानों के सिद्धान्त निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त वित्त आयोग उन मामलों में भी सिफारिश करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंप जाते हैं।

इस प्रकार वित्त आयोग राज्य को वित्तीय ससाधन उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के आय स्रोत सीमित होते हैं अतः वे वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अधिक से अधिक धन राशि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी कारण विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों प्रायः अलग-अलग होती हैं क्योंकि परिस्थितियों में भी निरन्तर बदलाव आता रहता है। भारत में अब तक 10 वित्तीय आयोगों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें सम्बन्धित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं।

1 प्रथम वित्त आयोग नवम्बर 1951 (First Finance Commission November 1951)

इस आयोग की स्थापना श्री क. सी. नियागी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर 1952 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आयकर का वितरण (Distribution of Income tax) आयकर से प्राप्त राशि में राज्य सरकार के हिस्से का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया। आयकर की विभाज्य राशि में से 20 प्रतिशत राज्यों की वसुली के आधार पर और 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। वित्त आयोग ने 'क' वर्ग के राज्यों के लिए 3.25 प्रतिशत से 17.50 प्रतिशत तथा 'ख' वर्ग के राज्यों के लिए 0.75 प्रतिशत से 4.50 प्रतिशत और 'ग' वर्ग के राज्यों के लिए 2.75 प्रतिशत भाग निश्चित किया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) इस आयोग ने तथ्याक्तियों के तल और दियाम नार्ड 57 लगाए गए उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 40 प्रतिशत भाग का राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की।

राज बजट की प्रवृत्ति

अनुदान (Grants-in-Aid) आयोग ने बजट आवश्यकताओं व समाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए मात्र राज्यों को सामान्य अनुदान देने का सुझाव दिया। आठ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा तीन राज्यों को उनकी आय में कमी को पूर्ण करने के लिए अनुदान दिए जाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त जुट उत्पन्न करने वाले राज्यों के अनुदान में वृद्धि करने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1950-51 से 1955-56 के अन्तर्गत राजस्थान को 18.6 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 2.6 प्रतिशत था।

2 द्वितीय वित्त आयोग - जून 1956 (Second Finance Commission June, 1956) - इस आयोग की स्थापना श्री के. मन्थानम की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1957 में प्रस्तुत की। आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार हैं -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में से राज्य सरकारों को 55 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। आयकर से प्राप्त एक प्रतिशत भाग केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने उत्पादन कर से प्राप्त रकम के 25 प्रतिशत भाग को राज्य सरकारों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित किया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid) - द्वितीय वित्त आयोग ने 11 राज्य सरकारों को उनकी विकासशील आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1957-58 से 1960-61 के मध्य राजस्थान को 55 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4.57 प्रतिशत था।

3 तृतीय वित्त आयोग दिसम्बर, 1960 (Third Finance Commission Dec, 1960) - तृतीय वित्त आयोग की स्थापना श्री ए. के. चट्टोपपाध्याय की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने दिसम्बर, 1961 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income tax) - तृतीय वित्त आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों के हिस्से को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 66.67 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में से 2.5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने की सिफारिश की।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त रकम में राज्य सरकारों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया लेकिन उत्पादन कर वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई।

अनुदान (Grants-in-Aid) - इस आयोग ने दस राज्यों को 110.25 करोड़ रुपये का अनुदान देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, दस राज्यों को मंडक परिवहन के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1961-62 में 1965-66 के मध्य राजस्थान को 123 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया गया।

4 चतुर्थ वित्त आयोग मई, 1964 (Fourth Finance Commission May, 1964) - इस आयोग की स्थापना श्री पी. वी. रावमन्नार की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट आगस्त 1965 में प्रस्तुत कर दी। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित थे -

आय कर का विभाजन (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में राज्यों का हिस्सा 66.67 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। आयकर की विभाज्य रकम में से 80 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 20 प्रतिशत राज्यों में आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य राशि में से 2.5 प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया गया।

केन्द्रीय उत्पादन कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) इस आयोग ने उत्पादन करों से प्राप्त रकम में राज्य सरकारों का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। अतिरिक्त उत्पादन कर की राशि में से एक प्रतिशत केन्द्रशासित प्रदेशों, 0.05 प्रतिशत नगरीय, 1.5 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर तथा शेष 3254 लाख रुपये विभिन्न राज्य सरकारों में वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grant InAid) - आयोग ने दस राज्यों को 121 89 करोड़ रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया। इस आयोग ने अन्य पूर्व आयोगों की तुलना में राज्यों को अधिक अनुदान देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1966-67 से 1970-71 के मध्य राजस्थान का 130 4 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 52 प्रतिशत था।

5 पाचवा वित्त आयोग - अक्टूबर, 1968(Fifth Finance Commission Oct 1968) - इस आयोग की स्थापना श्री महावीर की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत कर दिया। पाचवें वित्त आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं -

आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) इस आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत के पूर्व स्तर पर ही रखा लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों के हिस्से को बढ़ाकर 2 60 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त राशि में राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया। इस राशि को राज्यों की जनसंख्या आर्थिक विकास के स्तर तथा प्राप्त व्यक्ति आय के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants-in-Aid) इस आयोग ने दस राज्यों को 637 85 करोड़ रुपए की रकम अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) 1969 70 से 1973 74 के मध्य राजस्थान को 265 करोड़ रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4 99 प्रतिशत थी।

6 छठा वित्त आयोग जून, 1972 (Sixth Finance Commission June, 1972) - इस आयोग की स्थापना श्री क. ब्रह्मनंद रेडडी की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 1973 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे -

आयकर का वितरण (Distribution of

Income Tax) - आयोग ने आयकर से प्राप्त रकम में से राज्यों के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से 1 79 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों को देने का सुझाव दिया तथा आयकर की विभाज्य राशि में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत राज्यों की आयकर वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of central Excise Duty) इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त रकम में राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत निर्धारित किया और इसका 75 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया। उत्पादन कर में प्राप्त शुद्ध आय में से 1 41 प्रतिशत केन्द्र शासित प्रदेशों व शेष राशि को राज्यों के मध्य वितरित करने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants-in-Aid) - इस आयोग ने कुछ राज्यों को 2509 61 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1978-79 के मध्य राजस्थान को 536 9 करोड़ रुपए की राशि का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 5 87 प्रतिशत था।

7 सातवा वित्त आयोग जून, 1977 (Seventh Finance Commission June, 1977) - इस आयोग की स्थापना श्री जे. एम. शैलट की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1978 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे -

आयकर का विभाजन (Distribution of Income Tax) - इस आयोग ने आयकर से प्राप्त राशि में से राज्यों के हिस्से को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की रकम में से केन्द्रशासित प्रदेशों को 2 19 प्रतिशत देने की सिफारिश की। आयकर की विभाज्य रकम में से 90 प्रतिशत राज्यों की जनसंख्या और 10 प्रतिशत आयकर की वसूली के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - केन्द्रीय उत्पाद करों से प्राप्त राशि में से राज्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत में बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने 1 मार्च

1979 से विजली के उत्पादन पर लगाए गये कर्गों की राशि राज्यों को देने का सुझाव दिया।

अनुदान (Grants In Aid) - इस आयोग ने 2156 करोड़ रुपए ऋणों में रहते एक 437 करोड़ रुपए फिंडे हुए राज्यों के विकास के लिए अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1974-75 से 1983-84 के मध्य राजस्थान को 902.8 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण हुआ जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4.33 प्रतिशत था।

8-आठवा वित्त आयोग : जून, 1982 (Eighth Finance Commission June, 1982) - इस आयोग की स्थापना श्री जर्ज वे चह्वाण की अध्यक्षता में की गई। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1984 में प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग के प्रमुख निम्नलिखित हैं

आयकर का वितरण (Distribution of Income) - इस आयोग ने राज्यों के लिए आयकर के हिस्से को 85 प्रतिशत ही रखा। केन्द्र शासित प्रदेशों का हिस्सा 1.79 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। आयकर की विभाज्य राशि में से 10 प्रतिशत आयकर वसूली के आधार पर तथा शेष 90 प्रतिशत एक नवीन प्रावधान के अनुसार वितरित करने का सुझाव दिया। इस नवीन प्रावधान के अनुसार 25 प्रतिशत राशि का आवंटन जनसंख्या के आधार पर और 25 प्रतिशत का आवंटन प्रति व्यक्ति के व्युत्क्रम का जनसंख्या के गुणफल (प्रतिव्यक्ति x जनसंख्या) के आधार पर तथा 50 प्रतिशत का आवंटन अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों व सम्बन्धित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अंतर के गुणफल के आधार पर करने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद करों में राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। एक अक्टूबर, 1984 से विजली पर लगाए गए उत्पादन कर का 5 प्रतिशत भाग घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया।

अनुदान (Grants in Aids) - इस आयोग ने गैर योजनात्मक राजस्व ऋण की पूर्ति के लिए सन 1985 से 1989 तक को अर्द्ध के लिए 1555.83 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया। राज्यों की विशेष समस्याओं का मनाधान करने व प्रशासनिक स्तर में सुधार करने व उद्देश्य में 17 राज्य सरकारों का 800 करोड़ रुपए का अनुदान देने का सुझाव दिया गया।

राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) - 1984-85 से 1988-89 के मध्य राजस्थान को 1676.2 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण किया गया जो केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित कुल राशि का 4.25 प्रतिशत था।

9 नवा वित्त आयोग - जून, 1987 (Ninth Finance Commission June, 1987) - इस आयोग की स्थापना 17 जून 1987 का समद श्रीएन के पी साल्वे की अध्यक्षता में की गई। न्यायमूर्ति श्री अब्दुल सत्तार सुरेशी डॉ राजा जे चैलया, लालचन्दावला व महेश प्रसाद इसके अन्य 4 सदस्य थे। आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन नितम्बर, 1988 में प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन 1989-90 के लिए था। इस मन्त्रि ने अपना दूसरा प्रतिवेदन मन्त्रि ने अपना दूसरा प्रतिवेदन 1990-95 को अर्द्ध के लिए प्रस्तुत किया। **प्रथम प्रतिवेदन, सितम्बर, 1988 (First Report) Sept, 1988)**

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा गया और राज्यों को जो अधिक रकम मिलेगी वह अधिक करारोपण अथवा कर वसूली के कारण होगी। आयकर की रकम में से केन्द्रशासित प्रदेशों को 1.004 प्रतिशत देने का सुझाव दिया। आयकर की राशि में से राज्यों का कुल हिस्सा 2990.38 करोड़ रुपए होगा।

(ब) केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) - राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद कर का 40 प्रतिशत तथा उत्पाद कर की कुल राशि का 5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों को देने का सुझाव दिया गया है। इस आयोग ने राज्यों को रेत वाली भाड़ों में कुल 95 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया गया। अतः केन्द्रीय उत्पाद करों में राज्य सरकारों को 11785.64 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया गया।

(स) अनुदान (Grants-in Aid) इस आयोग ने राजस्व व्यय में घाटे की पूर्ति के लिए 13 राज्यों को 984.06 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया। 1986-87 व 1987-88 के लिए देय मूलधन व ब्याज की राशि को माफ करने का सुझाव दिया गया। रहते करों की राशि 240.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 330 करोड़ कर दी गई। इस आयोग ने राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के लिए 551.55 करोड़ रुपए अनुदान देने का सुझाव दिया।

(द) राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) नव वित्त आयोग ने देश के सभी राज्यों को 13662 करोड़

रुपए स्थानान्तरित किए। इसमें से राजस्थान 651.3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह राशि सभी राज्यों को हस्तांतरित होने वाली राशि का 4.77 प्रतिशत रही। इस राशि में से 143 करोड़ रुपए आयकर के हिस्से के रूप में, 326 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के भाग के रूप में, 32 करोड़ रुपए घाटे में चल रहे राज्यों को उत्पाद शुल्क की राशि में से दिए जाने वाले हिस्से के रूप में, 69 करोड़ रुपए बिक्री कर के बदले में उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त राशि में से प्राप्त हुए। रोप राशि रेल यात्री किंगेय के निरस्त की गई राशि के बदले, राजम्व घाटे की पूर्ति हेतु रहत व्यय की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

द्वितीय प्रतिवेदन, दिसम्बर, 1989 (Second Report, Dec 1989)

नवे वित्त आयोग ने 1990-95 के लिए द्वितीय प्रतिवेदन दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया।

(अ) आयकर का वितरण (Distribution of Income Tax) - इस प्रतिवेदन में भी आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रखा गया किन्तु राज्यों के मध्य उनके वितरण का आधार परिवर्तित कर दिया गया। अब यह आधार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

- 10 प्रतिशत 1985-86 से 1987-88 की अवधियों में आयकर निर्धारण द्वारा तय अग्रदान के आधार पर

11.25 प्रतिशत पिछड़ेपन के मिश्रित निर्देशांक के आधार पर

- 11.25 प्रतिशत राज्य की 1971 में जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय का प्रतिशत का गुणा करने के आधार पर

- 22.5 प्रतिशत - 1971 में राज्य की जनसंख्या की आधार पर

- 45 प्रतिशत - प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य और राज्य विगेष की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर की तुलना के आधार पर

(ब) केन्द्रीय उत्पाद कर का वितरण (Distribution of Central Excise Duty) राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद कर की शुद्ध प्राप्तियों का 45 प्रतिशत वितरित करने का सुझाव दिया गया। इस वितरण का निम्नलिखित आधार निश्चित किया गया

- 12.5 प्रतिशत आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर

- 12.57 प्रतिशत पिछड़ेपन के निर्देशांक के आधार पर

- 16.5 प्रतिशत घाटे वाले राज्यों के अन्तर्गत

- 25.0 प्रतिशत राज्य की 1971 की जनसंख्या के आधार पर

- 33.5 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय (1982-83 में 1984-85 तक प्रति व्यक्ति आय की नई श्रृंखला के आधार पर) एवं प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाले राज्य से उसके अंतर को ज्ञात करके उससे राज्य की 1971 की जनसंख्या को गुणा करने के आधार पर।

(स) अनुदान (Grants in-Aid) आयोग ने मन्विधान के अनु 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान की सिफारिश की है। भोपाल गैस रिसाव कांड के पीड़ितों को रहत पहुंचाने के लिए भी अनुदान देने की सिफारिश की है।

(द) राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan) नवे वित्त आयोग ने राज्यों को 106036.4 करोड़ रुपए की राशि हस्तान्तरित करने का सुझाव दिया। इसमें से राजस्थान सरकार को 6525.6 करोड़ देने की सिफारिश की गई। यह राशि राज्यों को हस्तान्तरित होने वाली कुल राशि का 6.15 प्रतिशत है। नवे वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान को केन्द्र से प्रतिवर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।

नवे वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा

EVALUATION OF RECOMMENDATIONS OF IX FINANCE COMMISSION

केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध पिछले दो दशकों से गहन विवाद के विषय रहे हैं। इस विवाद को सतोषजनक रूप में हल करने में सरकारिया आयोग भी विफल रहा है। वर्तमान ढांचे के अन्दर केन्द्र आर्थिक रूप से अत्यन्त शक्तिशाली है जबकि राज्यों के पाम समाधान प्राप्त करने के माधन सीमित है। अतः केन्द्र पर उनकी निर्भरता अपरिहार्य है। वित्त आयोग इसी निर्भरता को परिभाषित करने का सवैधानिक प्रयास है लेकिन आयोग की भी अपनी सीमा है। वह अपनी इच्छानुसार सभी कर्तों से राज्य को हिस्सा नहीं दिला सकता। आयकर ही एक ऐसी मद है जो अनिवार्यतः राज्यों तथा केन्द्र में बांटी जा सकती है। भारत तेजी से विकास कर रहा है परन्तु आयकर उम अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। विकास को हम कार्पोरेट या निगम उन्मुख विकास कह सकते हैं। कर्पणियों की आमदनी में वेनहारता वृद्धि हो रही है। अतः उनके शेरों तब ऋण पत्रों में निवेशकों की आस्था भी बढ़ गयी है। परन्तु उनकी बढ़ती आमदनी में दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों के खजाने को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। वाण्य, कर्पणियों की आमदनी पर जो कर लगाया जाता है वह आयकर नहीं कहलाता,

“लिक कर्पोरेशन टैक्स, (निगम कर) कहलाता है और वित्त आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह निगम कर को भी राज्यों तथा केन्द्र के बीच बाँटे। केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय मन्त्रियों के सदस्यों में जब भी वित्त आयोग की चर्चा होती है तो मिडलान्त यह माना जाता है कि आयोग का मूल उद्देश्य राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है लेकिन व्यवहारतः इसका ठीक उल्टा होता है। वित्त आयोग पहले केन्द्र के खर्चों में अनेक खर्च अनुत्पादक है लेकिन उन पर अकुश्र लगाने की मलाह वित्त आयोग नहीं दे सकता। दूसरी ओर वित्त आयोग राज्यों के खर्चों की प्रत्येक मद की गहरी छानबीन करता है। आयोग को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह केन्द्र के खर्चों पर भी ऐसी ही निगाह रखे क्योंकि राज्यों को अधिक से अधिक वित्तीय मसाधन जुटाने के लिए केन्द्र के अनावश्यक खर्चों में कटौती आवश्यक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से वित्त आयोग की गज्यों के हितों की रक्षा करने वाले एक निकाय के रूप में विश्वसनीयता बढ़ जायेगी।

10 दसवा वित्त आयोग : जून, 1992 (Tenth Finance Commission June, 1992) - पूर्व रक्षा मंत्री के सो

एत की अध्यक्षता में दसवें वित्त आयोग का गठन 15 जून, 1992 में किया गया। आयोग के अन्य चार सदस्य हैं - डॉ. देवीप्रसाद पाल, श्री पी. आर. विहूल, डॉ. मी. रमणजन और एम. सी. गुप्ता। आयोग केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बटवारे का निर्धारण करने और विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व बटवारे के मापदण्ड तय करेगा। दसवा वित्त आयोग विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों के बारे में भी नीति निर्देश तय करेगा। आयोग अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आवंटन सम्बन्ध में परिवर्तन के सुझाव दे सकता है। 1957 के रेलवे यात्री भाडा वारंट का रद्द किए जाने के एवज में राज्यों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी यह सुझाव देगा। जिन राज्यों के बारे में अनुदान और आवंटन जनसंख्या के आधार पर तय किया जात है उनके मामले में 1971 की जनसंख्या का आधार माना जाएगा। वित्त आयोग प्राकृतिक आपदा निधि योजना में परिवर्तन और 31 मार्च 1994 को राज्यों के ऋणों के सदस्यों में निदान सुझा सकता है। अधिसूचना के मुर्नाई राजस्व मन्त्री मिश्ररिशी करते हुए आयोग राजस्व प्रतिष्ठ और खर्चों के बीच समुलन पूर्ण निवेश के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जन तथा वित्त में कर्मों करने की आवश्यकता ध्यान में रखेगा। मिश्ररिशी का आधार यह भी होगा कि किसी राज्य ने अपना राजस्व बढ़ाने को कितनी कोशिश की है तथा सिचार्ड ऊर्जा परिवहन एच सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक उपक्रमों में पूर्ण निवेश व राजस्व अर्जन का क्या अनुपात है। अयोग बहतर वित्त प्रगथ अनवश्यक मरकारि खर्चों में कटौती राजस्व बढ़ाने

के उपायों और बजट घाटे पर नियंत्रण के बारे में भी सुझाव देगा। दसवें वित्त आयोग ने सन् 1995 से 2000 तक के लिए अपना प्रतिवेदन 26 नवम्बर, 1994 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रतिवेदन को 14 मार्च 1995 को मसद के दोनो सदस्यों में रखा गया।

दसवें वित्त आयोग की मुख्य बातें निम्न हैं -

- 1 राजकोषीय समुलन स्थापित करने के लिये पूंजीगत विनियोगों में वृद्धि तथा राजस्व खर्चों में समुलन स्थापित करना होगा।
- 2 उत्पादन शुल्क का 47.5% तथा आय कर का 77.5% भाग राज्यों में बाँटा जायेगा।
- 3 कर नीति को एकीकृत रूप में लागू करने के लिये मसम केन्द्रीय कर्मों का एक निश्चित अनुपात राज्यों में वितरित करना उचित होगा।
- 4 भविष्य में चालू परिसम्पत्तियों के रख रखाव व्यय को भी महत्व देना होगा।
- 5 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिये अनुदान की व्यवस्था करनी होगी।
- 6 सर्वांगिक उपक्रमों के अंशों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग पुराने ऋणों का भुगतान करने में करना उचित होगा।
- 7 वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय का राजस्व सन्धने में समायोजन करना होगा।
- 8 राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये अनुत्पादक व्ययों में बर्बाद करनी होंगी।
- 9 गैर योजना राजस्व व्यय के साथ-साथ योजना राजस्व व्यय पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।
- 10 खाद्यान्नों एवं उर्वरकों के अनुदान को गिरावों को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कम करना होगा। राज्यों को दिशित मसमयों के लिये अनुदान दिये जायेंगे।

राष्ट्रपति के अन्तर्गत न प्रो. ए. एम. खुमरो की अध्यक्षता में 11वा वित्त आयोग गठित कर दिया है। श्री टी. एन. श्रीधरमनव इमके मन्त्र्य सचिव होंगे। विन्मन्त्री दशवत सिन्हा ने आत्र लोकसभा में यह घोषणा कर ए वक्तव्य कि आयोग के अन्य सदस्यों में सर्व श्री एन. सी. जैन, जे. सा. जेतना और डॉ. अमरेश बाराणे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 1994 में प्रस्तुत की गई मिश्ररिशी मार्च 2000 तक वैध है। म्यारहवें वित्त आयोग को 31 दिसम्बर 1999 तक अपनी रिपोर्ट दे देने के लिए कहा गया है ताकि उनकी मिश्ररिशी पर सरकार के निर्णय को पहले अगस्त 2000 में लागू किया जा सके। श्री मिन्हा

ने कहा कि सविधान के अनुच्छेद 280 के अनुरूप आयोग के विभागों विषयों में केंद्रीय वगे को प्राप्तिगो की भागीदारी और राधा को अनुदान सहायता शामिल है विन आयोग को पहली बार सविधान के 73वे और 74 वे संशोधन के संदर्भों में राज्या में पचाया और नगर्पातिदाओं के मसामों को अनुपूर्ति क लिए गन्ध की गमक्ति निधि वा नराने हेतु आवश्यक उपाय को सुनाने का भी दायित्व सौंप गया है। इमय उल्लास गन्धे कून प्रमत्ता आपन गदत मानसों के उनयन वा आवश्यकताओं और गज्य सरवार के कर्मचारियों के पान गणाधत अदि जैस गज्यो के पित मे मरधर्धत अर्थिक मु-1 को चर करे व लिए आयोग को वरा गया है

प्रो खुमरो देश के जाने मान कृषि अर्थशास्त्री है और ग्रामीण भाग में विशेष रूप में परिचित है। व देश के स्थानाय निकाया वा आर्थिक रूप में सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान दे सकते है। यहा इस तथ्य को उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सविधान के नवे खण्ड के प्रावधान पाच वर्ष से अस्तित्व में आये है और इन पाच वर्षों में लगभाग सभी राज्यों में निर्वाचित स्थानिय निकाय बन गये है।

इस कारण पहले जहा नेवल 5000 सासद और निधावक सम्पूर्ण देश वा प्रतिनिधित्व करते थे वहा अब निकायों के चुनावो वे कारण जनप्रतिनिधियों की मज्या 30 लाख हो गई है जिनमें 10 लाख महिलाए है।

योजना हस्तान्तरण (गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा) PLAN TRANSFERS (BY PLANNING COMMISSION ON THE BASIS OF GADGIL FORMULA)

योजना हस्तान्तरण योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानकडों के आधार पर तथा उसके द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के लिए होता है। योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले हस्तान्तरण का वर्तमान अक्षर गाडगिल फार्मूला है। आ इस स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

गाडगिल फार्मूला (Gadgil Formula) - केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली मतायता समान पंचवर्षीय योजना तक योजना आयोग के नियमा पर आधारित होती थी और इस निर्णय का वर्तमान आधार नया हुआ करता था। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्धन महायन्त्र के अंतर्गत राज्यों का वितरित किए जाने वाले वित्तीय समर्थन का गाडगिल फार्मूले के माध्यम से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा

की गई। इस फार्मूले के अंतर्गत केंद्र के मसामों का 60 प्रतिशत राज्य की जसखला 10 प्रतिशत राज्य के पिछडेपन को स्थिति (जिसका ज्ञान राज्य की प्रति व्यक्ति आय में हो जाता है) 10 प्रतिशत राज्य के लोगों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति कर, 10 प्रतिशत चालू सिचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और ओप 10 प्रतिशत राज्य का विभिन्न सामाजिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य का महत्त्व प्रदान की गई। इस फार्मूले में भी धीरे-धीरे अनेक दोष दृष्टिगोचर होने लगे। इस सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यह मसामों के वितरण की बात वा करता है किन्तु उमा आगर के बारे में कुछ नहीं करता। इस सूत्र में दोष होने पर भी केंद्रीय मतायता उपलब्ध कराने का अभी भी यह महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि छोटी योजना से केन्द्रीय मतायता उपलब्ध कराने का नया आधार विवक्षित किया गया। इसे आय समायोजित कुल जनसंख्या (Income Adjusted Total Population) सूत्र कहा गया। इसके अंतर्गत 10 प्रतिशत के स्थान पर राज्य के पिछडेपन के आधार पर 20 प्रतिशत सहायता दी गई। यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत भाग विद्यमान सिचाई व विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दती जाने वाली मतायता को बट करक प्राप्त किया गया। जिन गज्या को प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में कम थी उन्हें 1000 कगेड रुपए मार्जिनिक कृणा में स वितरित करने का निश्चय किया गया। निष्कर्षतः कहा जाता सकता है कि गज्या में आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर विशेषतः राजस्थान जैसे पिछडे राज्या के विकास के लिए अधिक धन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1969 का मूल गाडगिल सूत्र (Original Gadgil Formula of 1969) योजना आयोग व कलासीन उपाय्यता प्रो वी आर गाडगिल के नाम में यह सूत्र प्रसिद्ध है यह सूत्र 1969 में लागू किया गया। इस सूत्र का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में मध्य मतायन हानि का वण्टा जाना था। इस सूत्र के आधार पर राज्या आयोग ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में गज्या को राशि का हस्तान्तरण किया था। मूल गाडगिल सूत्र के अंतर्गत राज्या को 1971 में जनसंख्या को 60 प्रतिशत भाग प्राप्त किया गया प्रति व्यक्ति आय चालू सिचाई व शक्ति परियोजनाएं पर प्रथम तथा विशेष समस्याओं के गभी आधाण को 10 10 प्रतिशत भाग प्रदान किया गया।

1980 का संशोधित गाडगिल सूत्र (Revised Gadgil Formula of 1980) इस सूत्र में 1971 की जनगणना का ही आधार ग्रहण रखा गया और उपाय्यता भाग भी 60 प्रतिशत का बनाए रखा। प्रति व्यक्ति आय का मूल सूत्र के अन्तर्गत अधिक भाग प्रदान किया गया। इसका

भारत के 10 प्रतिशत को अर्थात् 20 प्रतिशत कर दिया गया व प्रथमा द विशेष समस्याओं का भाग 10 प्रतिशत पहले का हूँ भाग बने रहने दिया गया। चालू सिंचाइ व शाक्त परियोजनाओं को संशोधित सूत्र में कोई भार प्रदान नहीं किया गया।

1990 का परिवर्तित गाडगिल सूत्र (Modified Gadgil Formula of 1990) इस सूत्र के अंतर्गत भा 1971 का जनगणना को ह आधार बनाए रखा गया। इस आधार बनाए रखे जाने का प्रमुख कारण यह रहल है कि जिन गन्ना में जनसंख्या नेत्री में बढ़ रही है वे इसका अनुचित लाभ न उठाया। यदि यह आधार बनाए रखा गया तो राज्या का जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। परिवर्तित सूत्र अनुसार 1971 का जनसंख्या को पहले के 60 प्रतिशत का अर्थात् केवल 55 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। प्रति व्यक्ति आय को 1980 के 20 प्रतिशत का अर्थात् 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया। इसमें प्रथमा का वाई भार नहीं दिया गया। विशेष समस्याओं का भाग 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 1990 में प्रथमा का स्थान पर राजकापाय प्रबंध का विचार लाया गया। इसके अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाएगा कि राज्य विशेष में योजना आयोग में स्वीकृत कराए गए सधन समूह को राज्य के सधन में वास्तव में कितना सधन समूह किया है। इस सूत्र में तय क्षेत्र विशेष पर्यावरण प्रश्नों वाड व सुखा सभावत क्षेत्रों विशेष रूप में कम या अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्रों महत्वपूर्ण समस्याओं शाहप की दवा बन्धिया व न्यूनतम वाछत योजना आकार प्रदान करने में अपने ढाला विशेष विचार समस्याओं का आर ध्यान आकृत किया गया।

राजस्थान व गाडगिल सूत्र (Rajasthan & Gadgil Formula) भारत के राज्य को विशिष्ट व गैर विशिष्ट राज्य में बांटा किया गया है। विशिष्ट श्रेणी के राज्य में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर नागालैण्ड त्रिपुरा व नािकम का शामिल किया गया है। राजस्थान गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्य में एक है। अतः राजस्थान को अतः गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्य का मानि राजना हस्तानगत कर गिरि का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत रूप के रूप में प्रदान होता है। विशिष्ट श्रेणी के राज्य में वर अंश वनश 90 व 10 प्रतिशत है। 1990 के सूत्र में प्रति व्यक्ति आय को जो 25 प्रतिशत भार प्रदान किया गया है उसमें 20 प्रतिशत गिरि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय व राज्य का प्रति व्यक्ति आय के अंतर (वचन विधि Deviation method) के आधार पर व 5 प्रतिशत भार में अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में विशेष का अर्थ अंतर (दूसरे विधि

Distance method) के आधार पर वितान होगा। गाडगिल सूत्र में यदि राज्य के क्षेत्रफल का भा उचित भार प्रदान किया जाता है तो राजस्थान लाभ का स्थिति में रहेगा।

(ब) राज्य के स्वयं के स्रोत अधवा राजस्थान का योजना ससाधनों में भाग State's Own Resources or Rajasthan's Contribution in Plan Resources

राज्य को तेज म विकास करने के लिए स्वयं के वित्तिय सधनों का विकास करना होता है। राज्य के वित्तिय ससाधन के अन्तर्गत वजत्र में बचत व सार्वजनिक उपकरण द्वारा वधत प्रमुख है। वजत्र में बचत की दृष्टि से दो बात महत्वपूर्ण है। प्रथम विद्यमान राजस्व का शेष कितना है? राज्य सरकार के व अ-वैज राजस्व तथा सरकार के गैर राजना राजस्व व्यय का अंतर विद्यमान राजस्व का शेष होता है। द्वितीय वजत्र उपाया से अतिवित्तिय सधन का निमाण भा महत्वपूर्ण है नये वजत्र उपायों के अन्तर्गत नये कर लगाना विद्यमान करों में वृद्धि करना प्रमुख है अतिवित्तिय ससाधन जुगान में राज्य विद्यत मंडल राज्य परिवहन निगम आदि वड निगमों का भाग देना गण्य है। य निगम विद्यमान दरो या क्रियाय आद से हा हा समाधान जुटाते हैं। इसका विशेष महत्व है। ये निगम समाधान लड़ने के लिए अपना दरा या क्रियाय आद में वृद्धि कर सकते हैं।

राजा वचता को भा सवजानक बना भविय निधिया म अशदान ला वचना और अन्य सुदृढ पुजागत श्रानिया व मध्यम सुधिन जात है नय उपाय अथकर इन राशण म भी भा वा ज सकता है

राज्य सरकार में राजस्व मुद्रा एव पत्रायन शुलक राज्य अर्थकारण विकाकर वहाला पाकर समन आर वारदा पर कर निदान पर कर और शुल्क आर कल्प म का राजस्व शान कता है। इनमें विना कर एक महत्वपूर्ण सधन है। इन एल शान हाता है कि सुनुअण कर लगान का म एक सधन है और वत समन लाभ आ सुका है। अतः विभिन्न वरा का वलाव आशा उनकर कुशल एव निव्यय मन्हा जवायक है। इस हेतु प्रशासन का सुधन करना ग्या सवजानक क्षेत्र का अपन उपदान धना वलाकर एव हाता का वम करक अधिक यानन दना हाता दला कामना व मदर्य म रुह भाग सत्न वान के स्थान पर अपन उपादा व भयउ का मून दया हाता राज्य सजा का प्रसन्निक वला कानि नि कना हाता म हा अन्तर्गत का अर्थ अर्थक वलाकर अधिक धन सवर्धन करने हाता राजना का समन पर पुा वन हाता कि उहा हाता व द

राज्य सरकार का जत्र प्रति म विकास के लिए

अधिक विविध समायोजन बट्टना आवश्यक है। इस सदर्थम राज्य सरकार का कार्य निरन्तर बढ़ रहा है। साथ सरकार ने अल्प बजट व माध्यम स भी अधिक में अधिक धनराशि एकत्रित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने अगले बजट योजना 100 रूपए की राशि विनियोजन पर एक नि:शुल्क उपहार कूपन नाटरी द्वारा इस कूपनो पर प्रमोशन दिए है। इस योजना से जनता की खता के आकर्षित किया जा सका और सरकार को आय में वृद्धि हुई बना घाटा कम करने का दूरगम मत्परपूर्ण उपाय लिया गया। मकटौती किया जाना है। राजस्थान सरकार ने राज्य के पुनर्गठन हेतु एक उपाय में कि का गठना भी किया है। मर्मित उन धन का निर्धारण करी जा मित योजना मभव हा। य भाग्यविता इस प्रकार जाना होगा कि राज्य के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो। राज्य के विनाय साधना को बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंक व अन्य संस्थानों में अतिरिक्त महायता प्राप्त करने की चर्चा की

जा रही है। कई परियोजनाय केन्द्र सरकार के माध्यम में विभिन्न संस्थाओं को भेजी गई है। इसी प्रकार अधिक साधन प्राप्त करने के लिए कुछ परियोजनाय केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। इन सब प्रयासों में एकात्मता है कि राज्य के आगामी उन्नत विकास की गति हो और तीव्र कर पाएगा।

परिवर्तित आय-व्ययक 1998-99

MODIFIED BUDGET 1998-99

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री हरिहर भाषडा ने 9 जुलाई 1998 को विधानसभा में राजस्थान का 1998-99 का मसौदा या परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया। इस बजट की प्रमुख बातें प्रस्थान निम्न प्रकार हैं:

(A) राजस्थान आय व्ययक 1998-99

साथ में राजस्थान का बजट निम्न प्रकार है:

राजस्थान आय व्ययक का सहायलोकन

विवरण	लेखे	लेखे	लेखे	सहायित	आय व्ययक
	1994-95	1995-96	1996-97	अनुमान 1997-98	अनुमान 1998-99
1	2	3	4	5	6
(अ) राजस्व लेखे की प्राप्ति एवं व्यय					
(i) राजस्व प्राप्ति	632172.57	762968.94	755972.16	871379.26	1018946.87
(ii) राजस्व व्यय	674647.91	833155.62	842567.02	920972.44	1152156.28
() बजट () अपरा घाटा ()	() 42475.34	() 70186.68	() 86594.86	() 49593.18	() 133209.41
(ब) राजस्व खाते के अतिरिक्त सन्देश					
1 प्राप्ति					
() स्वायत्त ऋण	31427.09	39427.00	43369.11	52218.00	64902.00
() अन्तर्राष्ट्रीय ऋण	134300.54	247890.23	463781.22	333593.00	120000.00
() वैदेशी सरकार से निगम गवा ऋण	88746.81	114022.31	149988.12	202358.49	186691.95
(iv) अन्य ऋण	5927.07	8866.60	11365.95	17149.79	17535.85
(v) गारंटीकृत ऋण	1394214.04	1617996.18	1563249.62	1978519.50	2081761.62
(vi) ऋण एवं अधिम	12843.97	40212.84	31513.15	67477.42	7403.12
(v) आरम्भित निधि					
2 वितरण					
() पुनर्गत व्यय (शुद्ध)	106085.05	175746.60	165788.21	260134.99	212480.35
(i) स्वायत्त ऋण	12.56	9.80		4511.51	11383.66
(ii) अल्पसंख्यान ऋण	134300.54	232414.18	431386.82	333593.00	120000.00
(v) वैदेशी सरकार से निगम गवा ऋण	19326.40	28408.10	56358.84	69713.85	31671.40
(v) अन्य ऋण	1506.13	1736.93	1929.13	3213.91	4276.79
(v) गारंटीकृत ऋण	1317590.55	128496.65	1486202.01	1065044.01	19024.318
(vi) ऋण एवं अधिम	40576.81	51707.83	29777.47	35470.55	3,093.60
(v) आरम्भित निधि विनिधाय					
(x) अन्तर्राष्ट्रीय निधि		15.97			
कुल वितरण	1619378.04	2018516.46	2165333.50	2571681.87	2322264.67
3 राजस्व खाते के अतिरिक्त बजट (+)					
अपरा घाटा ()	48091.48	49898.70	98733.67	97634.8	150029.66
4 गारंटीकृत शुद्ध	5000.14	20287.88	12138.81	4804.20	22820.15

(B) विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रावधान (Provisions in Different Sectors)

1998-99 के इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के मदर्भ में प्रमुख बातें व प्रावधान निम्न हैं -

1 शिक्षा (Education) - इसी वर्ष प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिककरण हेतु भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत में आरंभ किया जा रहा है। 5 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 1998-99 में 11 नवीन जिलों में उच्च माध्यामिक कार्यक्रम व एक जिले में मत्त शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोटा व बांसरोने में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। करोली नाथद्वारा व बैसलमेर में महाविद्यालय आरंभ किये जायेंगे। तकनीकी शिक्षा के विस्तार का दृष्टिगत रखते हुए दोकन में एक अभियंत्रिकी महाविद्यालय आरंभ करने का निश्चय किया गया। 5 अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण मस्थान (ITI) भी खोलने का विचार व्यक्त किया गया है।

2 कृषि (Agriculture) - 750 कृषि उत्पादन वितरण केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है ताकि किसान का अपनी उपज बेचने के लिये अधिक दूर न जाना पड़े। कमजोर मण्डियों के विकास हेतु 'मण्डी विकास निधि' का गठन होगा। दस जहान हैक्टयर समस्या ग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन हेतु क्रमशः 120 व 35 लाख टन का लक्ष्य रखा गया।

3 पशुपालन (Animal Husbandry) इस वर्ष पशुपालन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। नये पशु चिकित्सा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। कम में कम 2 डायरी सयरो को 150 9002 के अन्तर्गत प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव है।

4 सहकारिता (Co-operation) जयपुर शहर की दूरस्थ कालोनियों में डेयरी कृषि व्यवस्था को भाति सहकारी फल व सब्जी वितरण व्यवस्था आरंभ की जा रही है।

5 विद्युत (Electricity) 550 गावों के विद्युतीकरण व 25 हजार कुओं के ऊर्जाकरण का प्रस्ताव है।

6 सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (Irrigation & Flood Control) इस वर्ष 21200 हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 50 हजार हैक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जायेगी। पानी के उचित उपयोग और नहरों के रखरखाव हेतु किसानों की जन-सहभागिता

प्रबन्ध हेतु 194 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7 सहायता - वेत्रीय दिशा निर्देशा के अनुसार आपदा रहत कोष से केवल लघु एव सांमन किसानों का राहायत देने का प्रावधान था। सरकार ने इसे सशोधित कर सभी प्रभावित किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

8 सडक निर्माण (Road Construction) 1998-99 में 257 करोड़ रुपए के प्रावधान में 3400 कि मी नवीन सडकों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इनके निर्माण में 1050 गाव सडकों में जुड जायेंगे। कृषक को सडक निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का शाध भुगतान किया जायेगा।

9 विशिष्ट योजनाएँ व ग्रामीण विकास (Special schemes & Rural Development) ग्राम स्वराज की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विशिष्ट योजनाओं हेतु राज्य सरकार ने जन सामान्य को विकास कार्यों में व्यय के निरीक्षण का अधिकार दिया है।

10 आवास (Housing) - इस वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एव जन जाति के भूमिहीन परिवारों व ग्रामीण कारीगरो व दलकरो की आवास समस्या के हल हेतु 15 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है।

11 वन (Forest) - इस वर्ष 63500 हैक्टयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है मस्थल के विस्तार की रोकथाम हेतु एक नवीन परियोजना आरंभ करने हेतु 113 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

12 पेयजल (Drinking water) - परिवर्षी गजस्थान के 24 कस्बों में पेयजल उपलब्ध करने की योजना वर्ष में ली गई है। डूल् रतनाड तथा सिमाऊ रतना तथा डूल् सुडुडू जिलों के 168 छात्र पन से प्रसिन गावों का पेयजल उपलब्ध करने हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है।

13 चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा परिवार कल्याण (Medical & Health Services and family welfare) - मौसमी बीमारियों व प्रकृतिक आपदाओं के लिय विशेष प्रावधान किया गया है कोटा शहर में एक 'सेटेलाइट अस्पताल' महिन राज्य में 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 67 नये उा स्वास्थ्य केंद्र खोने में का प्रस्ताव किया गया है कटेरेस्ट दलट्टडनम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अन्धता निवारण के प्रयास किये जायेंगे। इस वर्ष प्रजनन व बाल स्वास्थ्य परियोजना के नाम में परिवार कल्याण व बाल स्वास्थ्य की एक योजना 18 जिलों में आरंभ करने का निश्चय किया गया है।

14 महिला एव बाल विकास (Women & child Development) - किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य, सफाई, पोषण और व्यक्ति विकास का योजना 'साइली' का राज्य के

भी जिलों में विस्तार किया जायेगा। सरकार ने सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करनेके उद्देश में दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान प्राप्त करने हेतु 25 जोड़ों की सीमा को घटाकर 10 जाड़े कर दिया है।

15 जनजाति क्षेत्रीय विकास (Tribal Area Development) इन क्षेत्रों में स्थानीय आश्रयियों को अधिक श्रान्तिधित्व व राजस्व देने के उद्देश्य से सभी विभागों के 1 से 6 तक की वतन श्रृंखला के पट्टा तथा ग्राम सेवका व पट्टा में आरक्षण दृष्टिकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

16 उद्योग (Industry) राज्य में निर्यात की दीर्घकालीन वृद्धि के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मस्यागत वित्त के माध्यम से 35 करोड़ रुपये लागत के कन्टेनरों के शीघ्र परिवहन हेतु गेड रेल परियोजना आरम्भ करने का लक्ष्य है। भिवाड़ी में निर्माण मयर्टन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माहला उद्योगियों को शाध काय सुविधा उपलब्ध कराने व परियोजना भन्नी देने हेतु राजस्थान वित्त निगम में महिला उद्यम निधि प्रकाश की स्थापना व गई है। महिलाओं के गृह उद्योग योजना का प्रारम्भ की गई है।

17 खनिज (Minerals) राज्य में प्राकृतिक गैस एवं तेल का खोज को प्रमत्तित कर हेतु एक गणक पेटोलियम निदेशालय का स्थापना की गई है। दक्कन नागौर और गुरु जिला में खोज का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जवकि माडमेर एवं सायोर क्षेत्र में यह कार्य पूर्व में ही चल रहा है।

18 पर्यटन (Tourism) पर्यटन उद्योग व विकास हेतु इस वर्ष में नई पर्यटन मॉडि प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है।

19 नगरीय विकास (Urban Development) 1998-99 में राज्य के आठ शहरों का विकास कर इनके

नियोजित विभाग के प्रयास होंगे।

20 चुंगी (Octroi) राज्य में 1 अगस्त 1998 से प्रदश में चुंगी समाप्त करने की घोषणा की है।

21 786 वाउर्स (Urs 786) उर्स के सुचारु आयोजन हेतु सरकार ने विभिन्न कार्यों हेतु 16 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं।

22 राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) प्राप्तिजनता की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु 20 अगस्त से 20 नवम्बर 1998 की अवधि में अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। राज्य में विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग हुआ। इस संदर्भ में दीपावली से पूर्व सरल भूमि रूपान्तरण निगम बनाये जायेंगे।

23 कानून व्यवस्था (Land & Order) पुलिस बल को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं पुलिस स्टेशनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने आवासीय एवं नगर विकास लिमिटेड के सहयोग में 600 करोड़ रुपये की परियोजना बताना है जिसका प्रथम चरण इसी वर्ष आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

24 अन्य (Other) सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। विशेष प्रशासन के विकेंद्रीकरण व आधुनिकीकरण के प्रयास किये गये हैं। कर्मचारी चल्याण के अनेक कदम उठाये गये हैं और वेतन विमगतियों के प्रकल्प के सबसे में राज्य सरकार एक आयोग के गठन का विचार रखती है।

(C) कर प्रस्ताव (Tax Proposals)

निम्न तालिका में बजट 1998-99 का म्युट विवरण दिया गया है।

क्र.सं.	वस्तु	विवरण
1	2	3
I — कृषि		
1	पानी के पम्प सेट में प्रकल्प करने पर अतिरिक्त मास्किंग उपकरणों का खर्च	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
2	10 अतिरिक्त पानी के पम्पों का खर्च	75 मुद्रा
3	सुरक्षा	4 प्रतिशत में गणवत् 3 प्रतिशत
4	पानी के पम्पों के खर्च	कर मुक्त
5	सुरक्षा	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत
II — उद्योग		
1	रतन चण्ड से अतिरिक्त पानी का 200 घा अतिरिक्त कर्मचारियों का नियोजन करने वाला स्कीम में अतिरिक्त पानी का खर्च	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर मुक्त
2	औद्योगिक क्षेत्रों	12 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
3	राज्य में अतिरिक्त पानी का खर्च	4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत
4	मास्किंग	16 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1993)
5	सुरक्षा	16 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
6	स्टील स्लैब का अतिरिक्त पानी का खर्च	कर मुक्त से बढ़ाकर 31 मार्च 2006 तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत
7	सुरक्षा	

1	2	3
8	नूतन धारा को नई इकाई को कर मुक्त कक्षाएँ रूप वरन को सुविधा	पुत्रा त्वकथा सीमा 50 करोड़ से घटाकर दस करोड़ पचास हेतु उत्तरांचल विधि एक वर्ष बढ़कर 31 मार्च 1999 को बढ़
9	नई शह परिवहन निर्माणमुक्त खार गम इन्वर्ड को कल्याण माल को मुक्त खर्चधन को सुविधा	लाभ हेतु उत्तरांचल की विधि 31 मार्च 1999 को गई
10	एलस्टिक स्क्रॉप एलस्टिक कम्पउण्ड	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत 12 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर मुक्त
11	कर प्रदाय खर से निर्मित खार रिफाइंड प्राय	नियामक कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
12	औद्योगिक माल	8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रायगत (31 मार्च 1999)
13	बैल्डिंग इलक्यूट व गड	नियामी कर दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
14	एन डा पाई पेंटिक्स	कर मुक्त कच्चा माल अन्य धारन को सुविधा 31 मार्च 2000 तक बढ़ाई गई
15	स्टैलेस स्टीन शाण व पट्टा को इकाइया	अल्पप्रमाण विज्ञान कर की 1 प्रतिशत की दर 31 मार्च 1999 तक
16	बॉन निर्माण हेतु स्मॉलम स्टांल शशाट पथ सर्किल का कच्चा माल के के रूप में खरीद	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
17	एल्युमिनियम थॉइन	
18	खाल व घमटा	
III — व्यापार		
1	सभा प्रकार के विवरित्त	6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
2	भाण्य पाटन व एक्सपोर्ट	8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
3	नई फ लाइसेंस व एक्सिम निर्यात	8 जुलाई 1998 तक कर मुक्त अब 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दरका रिदवनी कर दर 12 प्रतिशत (31 मार्च 1999) अनायासक विज्ञान न कर मुक्त
4	निर्माणधन सेमानटड शाट सनवाईक अदि	
5	पुस्तक बाण्य	
IV — जनसाधन्य		
1	दवाई मदश वैद्यक निम्नगण एव सभा प्रकार के मंत्रित करड	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
2	चबूत का पोत	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत
3	टांठ इलायवी लौंग टाल चांगी इनचें लय औषध के काम आने वाला वस्तुनि	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रायगत (31 मार्च 1999)
4	निर्धनिया मीन हल्ला पैथ अक्काइन मुआअमचूर व कोयाडी	6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
5	काड धोने के साधुन का विविधा	नियामी दर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999)
6	पाप व पित्रला क मीनर	12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रायगत कर मुक्त
7	आई एस आई मडम सभी प्रकार के बंधखीन स्टोव	10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
8	जुन चपटो	4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
9	रहणड वस्तु व होवरा उगाद	कर मुक्त (31 मार्च 1999)
10	मुक्तपथ	कर मुक्त
11	लोगन धुप शाण दीपक रत्ना व मोला	अब अल्पप्रमाण विज्ञान न कर मुक्त
12	मेहला	12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत
13	कुठ प्रकार का हाडकर अन्य नमी प्रकार का विविधा का सामान	
V — जनसाधन्य		
1	आडुवेदिक दूना व हामोपैथिक औषधि	8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (31 मार्च 1999 तक)
2	उच्चत श्वर टोले लोस एन एम आर 21 को टा बासाजव डेटगस येकलड्ड	कर मुक्त
3	डिस्कोवियन सर्किट को निडलस	12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रायगत कर मुक्त
4	बन्म पुगी	कर मुक्त
5	अना हल्ला और कला कप	कर मुक्त
VI — कर में बढोतरी		
1	अन्वित सेन परफूत व प्रकथन मन्त्र	12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
2	प्रमाण अन्न व कारपुड	16 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
3	अनरक्षण	4 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
4	एन टान	4 प्रायगत से घटाकर
5	अन्न भण्ड डाल पल	36 प्रायगत से घटाकर 40 प्रायगत
6	अन्वित विन्ना मदिरा व डानवेई मन्त्र	36 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत

(D) समग्र वजतीय स्थिति (Overall Budgetary Position)

राज्य बजट की राशि किन स्रोतों में प्राप्त होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 1 से होता है -
तालिका - 1

मद	प्रतिशत राशि
आन्तरिक उधार व शुद्ध सार्वजनिक ऋण	24
कन्द्रीय कर्जों में रिम्मा	17
वित्तिकर	14
केन्द्रीय ऋण	12
सहायत्तव अनुदान	10
कर भिन्न राजस्व	9
राज्य आवकागी शुल्क	7
वट्टना पर कर	3
अन्य कर	4
कुल योग	100
स्रोत राजस्थान प्रविकर	

राज्य बजट की राशि किन मदों पर व्यय होगी इसका अनुमान निम्न तालिका - 2 में होता है

तालिका - 2

मद	प्रतिशत राशि
आवाजना भिन्न व्यय (ऋण लाल ऋणों और ब्याज क अतिरिक्त)	50
आवाजना व्यय	18
ब्याज सदाय	14
आन्तरिक व कन्द्रीय ऋण	13
कन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ	5
कुल योग	100
स्रोत राजस्थान प्रविकर	

बजट की समीक्षा

APPRAISAL OF BUDGET

चुगी हटाने की घोषणा एक माहसिक कदम है। व्यापारी वर्ग और जनता को इससे राहत मिलेगी। चुगी हटाने में जो राजस्व हानि होगी उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा इस बात के निर्णय के पश्चात ही वस्तविक प्रभावों की समीक्षा संभव है। बजट के किये गये प्रावधानों से राज्य में नियात की संभावनाएँ बढ़ेगी। महिला उद्यमियों को भी राहत मिलेगी। प्राकृतिक गैस तेल की खोज के दूरगामी परिणाम संभव है। यदि खोज सफल होती है तो राजस्थान आर्थिक दृष्टि में सुक्ष्म हो सकेगा। शक्ति के साधनों का नया स्रोत भी उपलब्ध होगा। नई पर्यटन नीति की घोषणा का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन इस नीति का मूल्यांकन इसकी घोषणा के पश्चात ही संभव है। नगरीय क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके विकास का प्रयास करना सराहनीय कदम है। राजस्व नियमों में ढीलमोजनता को राहत मिलेगी। मण्डी विकास निधि का गठन किसानों को राहत देने वाला सिद्ध होगा। डेयरी नयनों के आधुनिकीकरण में डेयरी उत्पादों के निर्यात की संभवना बढ़ेगी। सड़क निर्माण व कुओं के विद्युतीकरण की योजना में ग्रामीण क्षेत्र को राहत मिलेगी। एक लाख आवासीय इकाइयों को निर्माण लक्ष्य कमजोर वर्ग के लिये लाभदायी होगा। वन विकास व पेयजल सुविधा का विस्तार सराहनीय प्रयास है। 'प्रजनन व बाल स्वास्थ्य योजना' का शुभारम्भ एक अच्छा कदम है।

जिला शैक्षणिक शिक्षा कार्य का आरम्भ और उत्तर माक्षरत व सतत शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार समय की आवश्यकता थी अतः सराहनीय है। बजट के प्रावधानों में बजट को विकसित करने का कहा जा सकता है। लेकिन बजट अवधि की समाप्ति तक इन प्रावधानों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है। इसी पर बजट की सफलता व असफलता निर्भर करेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

A संक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- राजस्थान में कुल व्यय में से विकास व्यय का प्रतिशत क्या है?
What is the percentage of development expenditure to total expenditure in Rajasthan?
- यह कहा जाता है कि नव वित्त आयोग क कार्य-क्षेत्र में पिछले आयोग की तुलना में दृष्टिकोण का परिवर्तन विद्यमान है। स्पष्ट वाजिए। It is said that the terms of reference given to the Ninth Finance Commission involve some changes in approach compared to those of the previous Commissions. Explain.
- बजट तथा राज्य सरकारों के परस्पर वित्तीय संबंधों के बारे में संवैधानिक व्यवस्थाएँ क्या हैं? इन संबंधों में दाने किन आयोग का क्या सिफारिशें हैं?
What are the constitutional provisions for financial relations between the Central and State Governments? What are the recommendations of the Tenth Finance Commission in this respect?
- बजट से आप क्या समझते हैं?

What do you mean by Budget.

- राज्यबजट के वर्तमान बजट की नवन प्रवृत्तियों को उल्लेख करें।
Explain the recent trends of present Budget of Rajasthan
- ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन कब व किस उद्देश्य से किया गया है?
Why & when the Eleventh Finance Commission was constituted?

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान की राज्य-आय के प्रमुख स्रोत का विवेकन कीजिए। राज्य में क्यों की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान मिन दो क्यों का है?
Discuss the various sources of revenue receipt in Rajasthan. Analyse two major taxes of Rajasthan
- राजस्थान की योजना स्रोत का हिस्सा कैसे निर्धारित होता है? नव वित्त आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में बिनारा कीजिए।
How the Share of Rajasthan in plan resources is finalised? Explain it in the context of 9th Finance Commission
- राज्य और राज्य के बीच सहाय का वितरण कैसे होता है? समझाईए।
How resources are distributed between centre and state? Explain
- वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यह राज्य को हस्तांतरण किन आधार पर करता है?
What are the main functions of Finance Commission? How resources are transferred to the State?
- राजस्थान में बजटगत प्रवृत्तियाँ बताईए तथा राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने के सुझाव दीजिए।
Mention the budgetary trends in Rajasthan and also suggest the measures for the improvement in the financial conditions of the state
- राज्य के राजस्व व्यय की प्रमुख मदें बतलाईए। किन मदों पर सरकारी व्यय सर्वाधिक है?
Mention the main heads of revenue expenditure in Rajasthan. On what items state government spends the most?
- राज्य योजना का लिए सूत्र-आधारित केंद्रीय सहायता के वितरण की व्याख्या कीजिए। इन उपस्थान का पक्ष में क्या कर लिए राज्य को लाभदायक हो सके।
Discuss the distribution of formula-based central assistance for state plans. Suggest modifications to any to make it favourable to Rajasthan

C विश्व विद्यालय परीक्षाओं के प्रश्न

(Questions of University Examinations)

- राजस्थान राज्य के बजट का मुख्य प्रवृत्तियों पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on "State Budgetary Trends in Rajasthan"
- राजस्थान के बजट में राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए तथा राजस्व घाट को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।
Analyse the trend of revenue receipts and revenue expenditure in the Budget of Rajasthan and also suggest the measures to bridge the revenue deficit.
- राज्य योजना के वित्त व्यवस्था कैसे होता है? वित्त आयोग का इसमें क्या भूमिका है?
How the state plan finance resources are decided? Explain the role of Finance commission in this field
- गडगोल सूत्र क्या है? राजस्थान का इस सूत्र से प्राप्त लाभ हस्तांतरण की दृष्टि से क्या लाभ मिले है? क्या अप्रैल 1990 का संशोधित गडगोल सूत्र राज्य को हित की अनदेखी करता है? इस मामले में अपने सुझाव दीजिए।
What is gadgoli formula? What gains have been derived by this formula through plan transfer to the state of Rajasthan till today? Does the modified form of Gadgoli Formula of oct. 1990 ignores the state interests? Comment on it.
- विभिन्न वित्त आयोगों ने राजस्थान को कबसे व शुद्ध रूप से हस्तांतरण व सहायता अनुदान के रूप में लाभ हस्तांतरण हस्तांतरण का है। उनके स्वरूप व मात्रा को दर्शाईए। क्या इनमें निरंतर वृद्धि हो रही है? विश्लेषण कीजिए।
Show the nature and quantum of the amount transferred to Rajasthan in the form of taxes, fees and grants-in-aid by the different finance commissions. Is it increasing regularly? Analyse
- राज्य योजना द्वारा राज्य को वित्त सहायता किन विधियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है?
On what basis the financial aid is made available to states by planning Commission?
- निम्नलिखित लिखिए (i) राजस्थान का प्रमुख कर (ii) राज्य सरकार का प्रमुख व्यय
(iii) राज्य सरकार का प्रमुख व्यय (iv) राज्य सरकार का प्रमुख व्यय
Write short notes on (i) Main Taxes of Rajasthan (ii) Main items of expenditure of Rajasthan Govt.
(iii) Revenue deficit in state budget (iv) Overall budget deficit in state budget

अध्याय - 24

राजस्थान में पंचायती राज

PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

पंचायती राज से राज में लोग का भागीदार बना है *

अध्याय एक दृष्टि में

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का विचारणा अधिनियम
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन मिला टाका
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका
- राजस्थान में पंचायती सतितता
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका
- राजस्थान में पंचायती राज का बतवतन टाका

“राज्य ग्राम पंचायती का स्थाना क लिय आवश्यक कतम उपायगा और उनका एसा शक्तिया और जेधकर प्रदान करा जा उनका स्वयं शासन का बकाइ क रूप में काय करन में सक्षम बनन क लिय आवश्यक हा भारत क संवधान का धरा 40 में राज्य नति निदेशक तन्व में पायती राज का इसा धारणा क अनुसर भारत क प्रथम प्रधानमंत्री स्व पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 का राजधान क नगौर जिला में पंचप्रथम पायती राज क उदघाटन टाका प्रख्यात कर विख्यात पंचायती राज का शासन किया वर्ष 1960 में पायती के प्रथम चुनाव हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायती सतिता व जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा 73 व संवधान संशोधन क अधिनियम का धरा में मन्त हुए राजस्थान विधानमंडल में पंचायती राज अधिनियम 1994 का लिय कि जा शासन माटका क अनुदान क एकांत 23 अप्रैल 1994 का समूह राज्य में लागू हा

वित्त संसदीय एवं प्रशासनिक दृष्टि का कला पायती राज अधिनियम 1994 क प्रस्ताव का तन्वतन का किया जा सका इन अधिनियम का लागू का म लागू कर क लिए राजस्थान राज्य विधान

1996 तक बिय गये हैं। ये नियम 30 दिसम्बर, 1996 में सम्पूर्ण राज्य में विधिवत लागू कर दिये गये। नये नियम व अनुसार आवश्यक व्ययों की गई। वर्ष 1997 को जन अभियोजन नियंत्रण वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसरण में जिलाधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। राज्य के सभी जिलों में जिला आयोगना समितियों का गठन किया जा चुका है जो जिलों में नव निर्माण कार्य विभागों में मन्व्य ग्रामीण स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण व्यवस्था एवं उपलब्ध सम्पत्तियों का सुचित उपयोग कर विभागों का कार्य मंचालित करेंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान CHARACTERISTICS OR PROVISIONS OF PANCHAYAT RAJ ACT 1994 IN RAJASTHAN

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की विशेषतायें अथवा प्रावधान निम्न हैं -

(1) त्रिस्तरीय पद्धति - राज्य में पूर्ण की भांति पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति कायम रहेगी - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषदें रहेंगी। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों की भांति राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी प्रत्येक पांच वर्ष में होंगे।

(2) महिलाओं की सहभागिता - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता के कम प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरपंच के पद के लिये साक्षरता देने की जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई थी उसे निरस्त कर दिया है, जिससे कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति या स्त्री चाहे वे निरक्षर हों, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ सके।

(3) ग्राम सभा - पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार सरपंच/उप सरपंच को वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलानी होगी। ग्राम सभा को पहली बार सैद्धांतिक दर्जा दिया गया है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अर्थात् में जून और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी में मार्च के लिए यदि ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो सरपंच का पद स्वतः ही रिक्त घोषित माना जाएगा। ग्राम सभा में 1/10 मतदाता उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में आय- व्यय का लेखा,

बजट, आगामी वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्य ऑडिट एतद्वय एव उनके उत्तर तथा गांव की अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का ध्यान भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जायेगा। ग्राम सभा के द्वारा विचार - विमर्श एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति होगी। बजट के अनुसार व्यय किये जाने का प्रावधान है। यदि बजट अथवा योजना में किसी प्रकार सुशोधन आवश्यक है तो दूसरी ग्राम सभा की बैठक में उसके पारित कराना होगा। विकास अधिकारी या उसके द्वारा नामांकित प्रसार अधिकारी ग्रामसभा की बैठक में भाग लेंगे और उनकी सहाय्य कार्यवाही बैठक रजिस्टर में अंकित कर जिम्मेदार होंगे।

(4) उम्मीदवारों की आयु - नये अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाला कोई भी पुरुष या महिला पंचायत चुनावों में किसी पद के लिए उम्मीदवार बन सकता/सकती है। जबकि पूर्व में आयु की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष थी।

(5) सतर्कता समिति - पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा सतर्कता समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे चुने हुए व्यक्ति होंगे जिनमें जनता का विश्वास हो। उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राम सभा के निर्देशों के अनुसार देखें कि ग्राम पंचायत योजनाओं की एव नये कार्यक्रमों की क्रियान्विति ठीक प्रकार के ढंग की है अथवा नहीं। इसकी समीक्षा रिपोर्ट आगामी ग्राम सभा के सदन पेश की जायेगी। इस प्रकार सतर्कता समितियां ग्राम पंचायत के कार्यों पर ग्राम सभा के माध्यम से नियंत्रण रख सकेंगी।

(6) पंचायत चुनाव - लोकसभा एवं विधानसभा की तरह धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के भी चुनाव हुआ करेंगे। जिस प्रकार लोकसभा एवं विधान सभा के चुनाव कराने हेतु मन्व्य चुनाव आयोग है इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के भी हर 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक मन्व्य राज्य चुनाव आयोग स्थापित होगा। इस मद में लेख है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का श्री अमरगिह गठौड की अध्यक्षता में गठन किया है तथा आयोग ने अपना कार्य मुचाल रूप से शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दे ताकि निर्धारित समय पर नई

पचायती राज सस्थाए गठित हो सके। यदि किसी कारणवश पचायत भग हो तो अधिकतम 6 माह की अवधि में नई पचायत आवश्यक रूप से चुनाव धारा 17(3) के अनुसार गठित करनी होगी।

(7) प्रत्यक्ष चुनाव - राज्य में अब तक केवल पंच और मरपचों के ही सीधे चुनाव होते थे। लेकिन पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 एवं 14 के अनुसार पचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य भी विधायक की तरह सीधे मतदाताओं के द्वारा चुने जायेंगे। नई व्यवस्था में पचायती राज के प्रत्येक जन प्रतिनिधि को सीधे रूप से जनता से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। ग्राम पचायत के सरपच और पंच का चुनाव पूर्व की भांति सीधे मतदान प्रणाली से होगा। पचायत समितियों के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा तथा पचायत समिति के लिए सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही प्रधान और उपप्रधान का चुनाव किया जायेगा। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा सीधा मतदान प्रणाली से होगा और इन सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जिला परिषद के प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव किया जायेगा। धारा 19 के अनुसार पचायती राज सस्थाओं में 25 वर्ष की बजाय 21 वर्ष की आयु वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। नई पचायती राज व्यवस्था में अब मरपच पचायत समिति के सदस्य नहीं होंगे। पचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य नहीं होंगे। विधायक भी पचायत समिति के निर्णयों में तो हिस्सा लेंगे परन्तु वे प्रधान व उप प्रधान के चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। विधायक एवं समद सदस्य जिला परिषद की बैठकों में भाग लेंगे, लेकिन जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख या अतिरिक्त सदस्यों में भाग नहीं लेंगे।

(8) ग्राम पचायत की संरचना - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 12 के अनुसार सरपच के अलावा 3000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पचायत में कम से कम 9 वार्ड में प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पचायतों में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या उसका किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य चुन जायेंगे। यदि किसी पचायत की जनसंख्या 4200 है तो प्रथम 3000 पर 9 दूसरे 1000 पर अतिरिक्त 2 तथा शेष 200 पर भी अतिरिक्त 2 पंच अर्थात् कुल 13 वार्ड पंच व एक सरपच उस पचायत में चुने जायेंगे।

(9) पचायत समिति की संरचना - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार एक लाख की जनसंख्या वाली पचायत समिति में कम से कम 15 सदस्य चुने जायेंगे। प्रत्येक 15 हजार या उसका किसी भाग पर 2-

2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि किसी पचायत समिति की जनसंख्या 1,35,000 है तो प्रथम एक लाख पर 15 सदस्य, दूसरे और तीसरे 15-15 हजार पर 2-2 सदस्य तथा शेष 4 हजार पर भी 2 सदस्य कुल 21 सदस्य उस पचायत समिति में होंगे। एक या दो उसके क्षेत्र के विधायक भी उस पचायत समिति के एक ऑफिशियल के सदस्य होंगे। सरपच न तो पचायत समिति के सदस्य होंगे और न ही प्रधान/उपप्रधान के चुनाव में भाग लेंगे।

(10) जिला परिषद की संरचना - पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख तक ग्रामीण जनसंख्या हेतु 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उससे किसी भाग पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यदि किसी जिला परिषद के क्षेत्र की जनसंख्या 5,20,000 है तो प्रथम 4 लाख पर 17 सदस्य होंगे दूसरी एक लाख पर 2 सदस्य और शेष 20,000 पर भी दो सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 21 सदस्य उस जिला परिषद के होंगे। प्रमुख एवं उप प्रमुख इनकी निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे। जिले के विधायक एवं मसद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य, जिन जिले के मतदाता हों, संबंधित जिला परिषद के सदस्य तो होंगे लेकिन प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव या होने वाली बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो पचायती राज सस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा। दो पचायती राज सस्थाओं में निर्वाचित होने पर पूर्व की सीट रिक्त समझी जायगी। धारा 21 के अनुसार विधानसभा सदस्य अथवा मसद सदस्य यदि सरपच, प्रधान या प्रमुख निर्वाचित हों तो 14 दिन में विधानसभा / लोकसभा आदि से त्याग पत्र देना होगा अन्यथा, प्रधान या प्रमुख का स्थान रिक्त माना जायेगा।

(11) आरक्षण - (अ) महिलाओं के लिए पचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अनुसार राज्य की पचायती राज सस्थाओं में पहली बार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये गये हैं। एक तिहाई पंच प्रत्येक गांव पचायत में एक तिहाई सरपच पचायत समिति में एक तिहाई प्रधान प्रत्येक जिले में तथा एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएँ होंगी। राज्य सरकार द्वारा लागू पद्धति में महिला वार्ड/महिलाएँ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिये गये हैं। महिला वार्ड या महिला निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिलाएँ चुनाव लड़ सकेंगीं। परन्तु पुरुष वार्ड में भी महिलाएँ चाहें तो चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रकार राज्य में 3058 महिला सरपच 79 महिला प्रधान, 10 महिला प्रमुख एवं लगभग 1150 पचायत समिति एवं जिला परिषद की सदस्य महिलाएँ होंगी। लगभग 3000 से अधिक महिला

राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति, सफलतायें अथवा उपलब्धियाँ

PRESENT POSITION & ACHIEVEMENT OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य मता का विकेंद्रीकरण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 30 दिसम्बर 1996 में पंचायती राज विधिवत रूप से लागू किया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है -

(1) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएँ - राजस्थान राज्य

पंचायती राज का जिलेवार स्वरूप								
क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत संघों की संख्या	ग्राम पंचायत (वर्गकर्म) 1991	ग्राम पंचायत 1991	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	ग्रामीण जनसंख्या	भूसूचित आरंभ जनसंख्या	भूसूचित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	8	276	1001	8156.33	1034536	174950	31378
2	अजमेर	14	478	1991	8220.66	1999569	364936	177913
3	बाण	7	215	1599	612.55	700740	130631	168446
4	बाण	8	325	1462	5011.41	1065883	52029	841820
5	बाण	8	380	1634	28327.71	1319485	208417	81290
6	बाण	9	372	1454	4935.44	1331981	279971	34916
7	बाण	11	378	1620	10101.91	1308134	229342	134076
8	बाण	4	189	650	27059.16	745602	171561	1384
9	बाण	4	181	641	5384.95	635744	121847	151139
10	बाण	14	391	2379	10703.43	1281463	190302	294424
11	बाण	7	279	965	16638.77	1097172	254774	5277
12	बाण	5	225	1052	3345.08	900098	197754	259797
13	बाण	4	153	569	2909.70	620654	129185	33923
14	बाण	5	237	850	3742.73	815628	35811	567122
15	बाण	7	320	2998	12643.02	1046579	394047	2115
16	बाण	3	251	1992	8953.02	1002256	273205	1486
17	बाण	13	488	2187	10404.79	2053393	353653	240236
18	बाण	3	128	578	38266.73	290917	44784	14854
19	बाण	7	264	676	10592.31	1059355	187691	91704
20	बाण	6	251	1585	6136.62	841409	148223	108532
21	बाण	8	288	627	5786.30	1280842	193093	29006
22	बाण	9	333	853	22041.40	1386933	235670	43292
23	बाण	5	224	729	4981.64	800262	168816	208709
24	बाण	5	161	502	4923.23	630816	151852	98595
25	बाण	11	461	1396	17448.72	1816239	382472	4244
26	बाण	10	320	919	12074.47	1187375	222516	73544
27	बाण	7	205	904	4256.48	704790	90524	94215
28	बाण	5	197	858	5378.57	720176	49804	187487
29	बाण	8	329	946	7540.31	1455393	213948	44919
30	बाण	5	151	461	5056.63	535466	103739	143480
31	बाण	6	231	1099	7027.98	784586	163721	113972
32	बाण	11	408	2303	11527.43	1698429	98335	941456
योग		237	9184	39810	329349.53	341602005	6142702	5224751

में 32 जिले, 32 जिला परिषदें, 229 तहसीले, 100 उपखण्ड, 237 पंचायत समितियाँ, 9184 ग्राम पंचायतें, कार्यरत हैं। राज्य में पंचायती राज के 3 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 250 व्यक्ति है।

(2) राजस्थान में पंचायती राज का जिले वार स्वरूप - राजस्थान में 237 पंचायत समितियाँ कार्यरत हैं। सर्वाधिक पंचायत समितियाँ अलवर (14) और चित्तौड़गढ़ (14) में हैं। सबसे कम पंचायत समितियाँ हनुमानगढ़ (3) और जैसलमेर (3) में हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें उदयपुर जिले में हैं और जैसलमेर में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान जिलेवार स्वरूप निम्न तालिका में दिशा गया है -

वर्ष 1997-98 के दौरान का आवासीय भू-खण्ड आवंटन करने के लिए अधिसूचित है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के भूमिदान परिवारों को ग्रामाण वापस लाने एवं सामान्य कृषक गाँविया लुहार युवाकेंद्र जाति के परिवार तथा विकरगाँव गाँव में म्याड निवास कर रहे हैं तथा ऐसे परिवारों को गारावौ रेखा से नाच जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति भू-खण्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 1996-97 तक आवासीय भू-खण्ड नि-शुल्क लिये जाते हैं। तथा वर्ष 1997-98 में आवासीय भू-खण्ड राजस्थान पंचायती राज नियम 158 (1) व 158(2) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित दरों पर आवंटित किए जा रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में मात्र 97 तक 16 90 863 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित कर लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1997-98 के दौरान 30 000 रियायत दर पर आवंटित भू-खण्डों के लक्ष्यों के विरुद्ध जनवरी 1998 तक 22 986 परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित कर लाभान्वित किया जा चुका है जिसमें अनुसूचित जाति के 9270 परिवारों को व अनुसूचित जन जाति के 4202 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(5) पंचायती राज संस्थाओं की भवन व्यवस्था - पंचायती राज संस्थाओं के विकास परिषद / पंचायत समितियाँ के भवन की व्यवस्था एवं दुर्घटना हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में 50 00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 3 जिलों में 7 पंचायत समितियों को उनके कार्यालय भवन निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन एवं मरम्मत हेतु 15 00 लाख रुपये का राशि का स्थायी ऋण का जा चुके हैं तथा नव गठित जिला हनुमानगढ़ में त्रिजा परिषद कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 25 00 लाख व अन्य जिला परिषद व पंचायत समितियों को 10 00 लाख रुपये की राशि की स्थायी ऋण इस विनियम वष में जारी कर दी जायेगी।

(6) चौपाल (पंचायत विज्ञानि ग्रह) - पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर प्रवास के दौरान उनके ठहरने के लिए चौपाल (पंचायत विज्ञानि ग्रह) का निर्माण कराया गया है। इस भवन में 24 कमरे 5 डोरमिटो कमरे हल एवं आन्तुक के ठहरने के लिए फौजल में चाय नारता एवं भोजन हेतु कुन्टी की व्यवस्था इस वर्ष से कर गइ है। चौपाल भवन के लिए 9 0 लाख रुपये का बजट में प्राधान्य इस वर्ष किया गया है। माह दिसम्बर तक 5 42 लाख रुपये की राशि स्टाफ के बतन आदि एवं अन्य व्ययों में खर्च

किये जा चुके हैं तथा राशि का उपयोग इसी विनियम वष में कर लिया जावेगा। इस वर्ष चौपाल में आगन्तुकों के ठहरने पर दिसम्बर 97 तक 0 90 लाख की आय हुई है।

(7) जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण - पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंचायती राज का कार्य प्रणाली नियमों अधिनियमों एवं राज्य सरकार द्वारा जनई जा रहे ग्रामाण विकास में सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के जानकारी राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाती है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान हरिश्चन्द्र मायुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर एवं उदयपुर ग्राम सवक प्रशिक्षण केंद्र मण्डार पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर एवं डूंगरपुर में आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक संस्था में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हेतु राशि सम्पन्न (जयपुर शरा व वाकानर) में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव वन्दे सरकार के विचारार्थी हैं।

इस वर्ष 307 पदाधिकारियों एवं 407 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त नव चयनित ग्राम सवक पंचायत सचिवों में से 643 ग्राम सवक पंचायत सचिवों को उनके कार्य से सम्बन्धित निरदिष्ट प्रशिक्षण 3 माह का अवधि का आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है।

विभाग के अधीनस्थ प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 74 62 लाख रुपये का बजट में प्राधान्य किया गया है।

(8) संस्थाओं का निरीक्षण एवं जांच - विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य सम्पन्न किया जाता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है एवं किन्हीं भा प्रकार की अनियमितता पर अनुशासित रहता है।

(9) वित्तीय प्रवर्धन - ग्रामाण विकास एवं पंचायती राज के अन्तर्गत विकास कार्य व क्रियन्वयन प्रार्थना रिश्ट व प्रमाण पैण्ड पम्पों के रखरखाव परिवार कल्याण तथा फसल वृद्धि आदि हेतु वित्तीय प्रवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न तथा केंद्राध्य प्रवर्धित योजना के तहत किया जाता है। वर्ष 1997-98 में विभाग के वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

(कोड़ रुप में)					
वर्ष	आयोजना	वर्ष 1997-98			
		वज्रट प्रावधान	अनुमानित	के पये	
		के पये		योग	
1	ग्रामीण विकास एवं पंचायतों राज पंचायतों एवं कृषि विकास कार्यक्रम अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सहायता हेतु अनुदान अन्तर्गत वृत्त, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण आवासीय योजनाएँ राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त-आयोग	148 52	56 35	339	208.06
2	शिक्षा (सामान्य कम्पाउंड व जनजातीय क्षेत्र आभरण बोर्ड योजना एवं औद्योगिक शिक्षा)	31 86	430 80	48 95	511 61
3	हैड पम्पों के रख-रखाव हेतु जिना परिषद व पंचायत समितियों को सहायता		8.83		8 83
4	परिष्कार कल्याण फलत वृद्धि इत्यादि		0.15	0.27	0.42
कुल		180 18	496 13	52.61	728.92

स्रोत: प्रति विभाग 1997-98 राज्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

10 विकेन्द्रीकृत वित्तीय नियोजन राज्य मुख्यालय जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय उपलब्धता के आधार पर वज्रट अनुमान बनाये जाते हैं।

वित्तीय उपलब्धता जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के आयोजना व आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि तथा इन सहायताओं की निजी आय से होती है। मुख्यालय स्तर पर सभी अनुमानों का इकजाई कर राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग के साथ वज्रट अन्तिमिकरण बैठक में तय की जाती है जिसे राज्य विधानमण्डल में पारित होने के पश्चात राज्य सरकार के वज्रट में दर्शाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज नियमों व समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशा परिपत्रा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा धनराशि के सम्बन्ध, सहायता के समुचित उपयोग लेखों के सही स्थापन और दिनाय प्रतिलेखन मुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थायें की गई हैं।

(11) राज्य वित्त आयोग राज्य के नवीन पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्यपाल परदेस द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेसी विधायक श्री चदनमल वैद्य एवं पूर्व निर्देशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री देवेन्द्र सिंह शर्मावत वा सदस्य मननित किये गये हैं। श्री टी श्रीनिवासन इस आयोग के सदस्य सचिव के रूप में मननित किये गये हैं।

राज्य वित्त आयोग राज्य को सभी स्तरों की पंचायतों

की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार को अप्रतिखित विन्तुओं पर सिफारिश करेगा

- 1 पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद के बीच राज्य सरकार के करोड़ शिल्कों अन्य करोड़ एवं फोस शुद्ध प्रक्रियों का वितरण करना एवं उनके मध्य अशौ का आवंटन।
- 2 ऐसे कर शुल्क पय कर फीस जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समानुदेशित अथवा विनियोजित किये जा सकेंगे।
- 3 राज्य सचिव निधि में से पंचायत पंचायत समिति व जिला परिषद को सहायता अनुदान।
- 4 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारन के आवश्यक उपाय।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने के उद्देश्य से गठित राज्य वित्त आयोग ने राज्य की जिला परिषदों पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था स्था कर स्थिति व कार्य प्रणाली आदि के सभी आयामों की विस्तृत विवेचना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन्हें राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 से मान लिया है। चात्तु वित्तीय वर्ष में प्रगति के विरुद्ध मद 3604 में ग्राम पंचायतों को 5 00 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सामान्य अनुदान रूपय 7 20 प्रति व्यक्ति पंचायत समितियों को 0 25 रूपये मद 3604 से एवं राज्य वित्त आयोग मद से रूपये 1 00 प्रति व्यक्ति अनुदान देय हैं। (यह राशि एम एफ सी के अवार्ड के अनुसार पिछले वर्ष 1995-96 से देय अनुदान में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर तय हुई है) व प्रत्येक जिला परिषद को 30 000 रूपया दिया जा रहा है।

आयोग की सत्यापन अनुदान सम्बन्धी अभिरक्षा को मानते हुये वर्ष 1997-98 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पद ग्राम सेवक करने हेतु शेष 3992 पदों में से इस वर्ष 800 पद सृजित किये गये हैं। नये पद सृजित किये गये हैं तथा 237 कनिष्ठ अभियन्ता व 237 कनिष्ठ लिपिकों के भी पद स्वीकृत कर दिये गये हैं वर्ष 1997-98 के लिये इस मद में राशि रु 5950 00 लाख का प्रावधान है।

(12) विभागीय प्रकाशन (Department of Publication) - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा "राजस्थान विकास" पत्रिका का प्रकाशन माह अगस्त 1993 से नियमित रूप से किया जा रहा है यह पत्रिका द्वै मासिक है। इस पत्रिका में राज्य सरकार क आदेश परिपत्रों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्थान विकास पत्रिका की प्रतिष्ठा राज्य की समस्त पंचायती राज सस्थाओं को नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका को अन्य भी ग्राहक हैं, जिन्हें सशुल्क यह पत्रिका भिजवाई जाती है।

"राजस्थान विकास" पत्रिका के अलावा विभाग के अन्य प्रकाशन भी प्रकाशन शाखा द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

(13) पंचायती राज एवं शिक्षा (Panchayat Raj & Education) - ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पंचायती राज सस्थाओं का है। नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक शालाएँ भी पंचायती राज को सुपुर्द हो सकती हैं। शाला व्यवस्था हेतु ग्राम स्तर पर शिक्षा

समिति का कठिन होना चाहिए। सन् 2000 तक "सबके लिए शिक्षा" का लक्ष्य रखा गया है। गाद, पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें होती हैं। ममस्याएं दूर की जाती हैं। नव माक्षरों की परीक्षा लेकर यदि 80 प्रतिशत निरक्षर साक्षर हो जाते हैं तो जिले को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है।

(14) पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Women Representation in Panchayat Raj) - पंचायती राज का पहलू पंचायत सस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। मविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायत समितियों के तीनों स्तरों में कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के एक-तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

पंचायती राज के मुख्य रूप से विकास कर्मों का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, लघु उद्योग, आर्थिक आधार को मजबूत बनाएंगे और राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति और अग्रगण्य नियंत्रण विषयों से स्थानीय लोगों के सामाजिक परिवेश को सुधारने में मदद मिलेगी। महिलाएं स्वभावतः इसमें सशक्त भूमिका निभाएंगी, इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं होना चाहिए।

(15) राजस्थान की पंचायत समितियाँ (Panchayat Samitis of Rajasthan) - राजस्थान राज्य में 237 पंचायत समितियाँ हैं इन समितियों का जिलेदार वितरण निम्न है -

राज्य की पंचायत समितियाँ

1 अजमेर (Ajmer)

श्री नगर (Snnagar)

पीसागन (Pisangan)

जवाजा (Jawaja)

मसूदा (Masuda)

केकडी (Kekn)

भिनय (Bhinai)

सिलोरा (Sitora)

अगई (Aran)

2 अलवर (Alwar)

किशानगढ़ बस (Kishangarh Bas)

कोट कासीम (Cot Qasim) राजगढ़ (Rajgarh)

उमरैन (Umrain)

लक्ष्मणगढ़ (Laxmangarh)

तिजारा (Tijara)

कठुमार (Kathumar)

मुण्डावर (Mandawar)

रामगढ़ (Ramgarh)

बहरोड (Bahror)

नीमराना (Nimrana)

बानसुर (Bansur)

थानागाजी (Thana Gazi)

रेणी (Reni)

3 बारा (Baran)

बरना (Baran)	अन्ता (Anta)	अटरू (Atru)	शाहबाद (Shahbad)
छीपावडोद (Chhipa Barod)	छबडा (Chhabra)	किशनगढ (Kishangarh)	

4 बामवाडा (Banswara)

गढी (Garhi)	कुशलगढ (Kushalgarh)	सज्जगढ (Sajjangarh)	बागीडोर (Bagidora)
भूखिया (Bhukha)	घाटोल (Ghatol)	पिपलखूट (Peepal Khoont)	आनन्दपुरी (Anandpun)

5 बाडमेर (Barmer)

सिवाना (Siwana)	शिव (Shiv)	बालोटस (Balotra)	चौहटन (Chohtan)
धौरमना (Dhonmanna)	बायतू (Baytu)	बाडमेर (Barmer)	सिणधरी (Sindan)

6 भरतपुर (Bharatpur)

डोग (Deeg)	नगरपहाडी (Nagarphan)	कामा (Kaman)	बैर (Wer)	बयाना (Bayana)
रूपवास (Rupvas)	नदबई (Nadbai)	सेवर (Sewar)	कुम्हेर (Kumher)	

7 भीलवाडा (Bhilwara)

माण्डलगढ (Mandalgarh)	शाहपुरा (Shahapura)	सुवाना (Suwana)	माण्डल (Mandal)
आसीन्द (Asind)	हुरडा (Hurda)	बनेडा (Banera)	जहजपुर (Jahazpur)
रायपुर (Raipur)	कोटडी (Kotn)	सहारा (Sahara)	

8 बीकानेर (Bikaner)

नोखा (Nokha)	लूणकरणसर (Lunkaransar)	कोलायात (Kolayat)	बीकानेर (Bikaner)
--------------	------------------------	-------------------	-------------------

9 बूदी (Bundi)

तालेडा (Talera)	हिण्डोली (Hindoli)	नैन्वा (Naenwa)	केशोरपटन (Keshoripatan)
-----------------	--------------------	-----------------	-------------------------

10 चित्तौडगढ (Chittaurgarh)

बेगू (Begun)	चित्तौडगढ (Chittaurgarh)	रशमी (Rashmi)	कपासन (Kapasani)
प्रतापगढ (Pratapgarh)	निम्बाहेडा (Nimbahera)	भदेसर (Bhadesar)	डूंगला (Dungla)
छोटी सादडी (Chhotsadn)	अरमोद (Amaud)	भैमरोडगढ (Bhainsrogarh)	
बडी सदरी (Ban Sadri)	भोपालसागर (Bhopal sagar)	गंगरार (Gangrar)	

11 चुरू (Churu)

चुरू (Churu)	रतनगढ (Ratangarh)	सरदारशाहर (Sardarshahar)	
राजगढ (Rajgarh)	तारनगर (Taranagar)	सुजानगढ (Sujangarh)	डूंगरगढ (Dungargarh)

12 दौसा (Dausa)

महुवा (Mahuva)	बाटीकुई (Bandikui)	लालमोट (Lalsot)	दौसा (Dausa)	सिकराय (Sikrai)
----------------	--------------------	-----------------	--------------	-----------------

13 धौलपुर (Dhaulpur)

धौलपुर (Dhaulpur)	बसेडी (Basen)	बाडी (Ban)	राजखेडा (Rajakhera)
-------------------	---------------	------------	---------------------

14 डूंगरपुर (Dungarpur)

सागवाडा (Sagwara)	सिमलवाडा (Simalwara)	बिछीवाडा (Bichhwara)	डूंगरपुर (Dungarpur)
आसपुर (Aspur)			

15 हनुमाननद (Hanumangarh)

हनुमानगढ़ (Hanumangarh)

नोहर (Nohar)

भादरा (Bhadra)

16 गंगानगर (Ganganagar)

रायसिंह नगर (Raisingh nagar)

करणपुर (Karanpur)

सादुलशहर (Sadulshahar)

श्रीगंगानगर (Shri Ganganagar)

सूरतगढ़ (Suratgarh) पदमपुर (Padampur)

अनुपगढ़ (Anupgarh)

17 जयपुर (Jaipur)

बस्सी (Bassi)

सागनेर (Sanganer)

झोटवाडा (Jhotwara)

फागी (Phagi)

साभर (Sambhar)

दूदू (Dudu)

गोविन्दगढ़ (Govindgarh) अमेर (Amer)

जमवा रामगढ़ (Jamwa Ramgarh)

विराटनगर (Viratnagar) कोटपुतली (KotPutli)

चाकसू (Chaksu)

शाहपुरा (Shahpura)

-

18 जैसलमेर (Jaisalmer)

साकड़ा (Sankra)

जैसलमेर (Jaisalmer)

सम (Sam)

19 जालौर (Jalore)

आहोर (Ahore)

जालौर (Jalore)

सायला (Saila)

भीनमाल (Bhinmal)

जसवंतपुरा (Jaswantpura)

साचौर (Sanchor)

रानीवाडा (Raniwara)

20 झालावाड़ (Jhalawar)

झालरापाटन (Jhalrapatan)

खानपुर (Khanpur)

डग (Dag)

पिडावा (Pirawa)

बकानी (Bakani)

मनोहरथाना (Manohar Thana)

21 झुझुनु (Jhunjhunu)

झुझुनु (Jhunjhunu)

अलसीसर (Aلسisar)

बुहान (Buhana)

खेतड़ी (Khetri)

उदयपुरवाटी (Udaipurwati)

नवलगढ़ (Nawalgarh)

चिडावा (Chirawa)

सूरजगढ़ (Surajgarh)

22 जोधपुर (Jhodhpur)

ओसिया (Osian)

विलाडा (Bilara)

भोपालगढ़ (Bhopalgarh) मण्डोर (Mandore)

लूनी (Luni)

शेरगढ़ (Shergarh)

बालेसर (Balesar)

फलोदी (Phalodi) बाप (Bap)

23 करोली (Karauli)

हिण्डोन (Hundaun) करोली (Karauli) सपोटरा (Sapotra) टोडाभीम (Todabhim) नादोती (Nadoti)

24 कोटा (Kota)

लाडपुरा (Ladpura) चेचर (खैराबाद) (Chechar) सागोद (Sangod) सुल्तानपुर (Sultanpur) इटावा (Itawa)

25 नागौर (Nagaur)

डीडवाना (Didwana)

लाडनू (Ladnun)

कुचामन सिटी (Kuchaman City)

नागौर (Nagaur)

मुण्डवा (Mundwa)

जायल (Jayal)

मकराना (Makrana)

परवतसर (Parvatsar)

डेगाना (Degana)

मेडना (Merta)

रिया (Riyan)

26 पाली (Pali)

बाली (Bali) सुमेरपुर (Sumerpur)

खारची (Kharchi)

रानी स्टेशन (Rani)

देसूरी (Desuri)

जैतरण (Jaitaran) रायपुर (Raipur)

सोजत (Sojat City)

पाली (Pali)

रोहत (Rohit)

27 राजसमन्द (Rajsamand)

राजसमन्द (Rajsamand)	कुम्भलगढ (Kumbhalgarh)	रेलमगण (Railmagra)	आमेट (Amet)
देवगढ (Deogarh)	खमनौर (Khamnor)	भीम (Bhim)	

28 सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)

गंगपुर (Gangapur)	स माधोपुर (Sawai Madhopur)	खण्डार (Khandar)
बौली (Bonli)	बामनवास (Bamanwas)	

29 सोकर (Sikar)

लक्ष्मणगढ (Lachmangarh)	फतेहपुर (Fatehpur)	पिपराली (Piprali)
घोद (Dhaod)	दाता रामगढ (Danta Ramgarh)	श्री माधोपुर (Sn Madhopur)
खण्डेला (Khandela)	नीम का थान (Neem ka Thana)	

30 सिरोही (Sirohi)

पिण्डवाडा (Pindwara)	शिवगञ्ज (Shivganj)	रेवदर (Revdar)	आबूरोड (Abu Road)	सिरोही (Sirohi)
----------------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------

31. टोंक (Tonk)

टोंक (Tonk)	मालपुरा (Malpura)	निवाई (Nwai)	देवली (Devali)
उनियारा (Uniarar)	टोडारसिंह (Toda Rai Singh)		

32. उदयपुर (Udaipur)

गिरवा (Girwa)	बडगाव (Bargaon)	कोटडा (Kotra)	धरियावद (Dhanawad)
सलुम्बर (Salumber)	सरडा (Sarada)	मावली (Mavli)	खैरवाडा (Khairwara)
भीण्डर (Bhinder)	गोगुन्दा (Gogunda)	झाडोल (Jhadol)	

राजस्थान में पंचायती राज की कमियाँ

अथवा असफलतायें

SHORTCOMINGS/FAILURES OF PANCHAYATI RAJ IN RAJASTHAN

आज स्थिति यह है कि गोदर तथा ओरण भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वन क्षेत्रों से जंगली लकड़ी की अवैध कटाई तथा निकासी हो रही है, ग्राम जलाशयों के जल-संसाधन का मनमाना उपयोग हो रहा है और पटवारों, प्रोटेस्ट वार्ड तथा सिविल विभाग के स्थानीय कर्मचारी या तो मूक दर्शक और असहज है या फिर स्वयं भी इन संसाधनों के दुरुपयोग में लिप्त हैं। इन मगठनों को पंचायत के प्रबन्धनीय विधि जाने से न केवल इनका बेहतर प्रबंधन होगा वरन् पंचायत की आय में वृद्धि भी होगी।

राजस्थान में पंचायती राज को प्रमुख कमियाँ निम्न हैं-

- 1 नवीन पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों को संगठनात्मक संरचना में परस्परिक सम्बन्ध एवं समन्वय का अभाव है। अतः पंचायती राज संस्थाये कुशलतापूर्वक अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाती हैं।

2 गाव के माधनों पर पंचायत के स्नामित्व का अभाव होने के कारण गाव के ससाधनों का दुरुपयोग होता है।

3 योजना प्रबन्धन एवं तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव होने के कारण पंचायती राज सम्बन्धी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पाता है।

4 पर्याप्त धन के अभाव के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

5 ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण राज्य की ग्रामीण जनता को पंचायती राज का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है।

6 पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षा-निकाश की अनियमिततायें विद्यमान हैं और इन संस्थाओं पर नौकरशाही का दबाव है।

7 प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्त के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अनेक स्थान रिक्त हैं।

पंचायती राज की कमियों को दूर करने के उपाय
SUGGESTIONS

- 1 विकास योजना पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान तथा उचित आवंटन करना,
- 2 पंचायतों को स्वयं के ससाधनों में वृद्धि करने के लिए लगान

वसूलने एवं कर लगाने का अधिकार

3 सवधि स्तर की पंचायतों में सवधि अधिकारियों और वर्मचारियों को बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश देना जिमसे समस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से किया जा सके

4 समय समय पर चुने हुए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

5 हिसाब किताब का अवेक्षण करना एवं निरीक्षण व्यवस्था को सशक्त बनाने की वास्तव कार्यवाही करना

6 वर्गभेद तथा भ्रष्टाचार की शिवायतों की जांच करके सम्बन्धित विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करना।

राजस्थान में पंचायती राज का मूल्यांकन

EVALUATION

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नये युग का सुवर्णत हुआ है।

राज में पंचायती राज के प्रारम्भिक दौर में प्रबन्ध संगठन तथा कुछ आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का उपस्थित होना स्वाभाविक है। इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सम्भव है। पंचायती राज संस्थाओं में, विशेष रूप से दलित पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था महात्मा गांधी की कल्पना भारत की आत्मा गावों में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा" का वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करती है इस सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत ने ठीक ही कहा है कि "राजस्थान में एक नई सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की रचना हो रही है। तीव्र गति से आर्थिक विकास के साथ विकेन्द्रीकृत सत्ता की संस्थाओं की सहायता से गरीबी उन्मूलन तथा वृहद सामाजिक बल्याण का महाअनुष्ठान चल रहा है। इसे देखकर मेरा दृढ़ विश्वास है कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है।"

अभ्यासार्थ प्रश्न

A सक्षिप्त प्रश्न

(Short Type Questions)

- निम्नलिखित पर 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए।
Write short notes on the following in 100 words New Panchayati Raj Act in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती समितियों की संरचना बताइए।
Explain the structure Panchayat Samitis in Rajasthan
- पंचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं?
What are the main functions of Panchayat Samit?
- पंचायत समिति में सरपंच की क्या भूमिका है?
What is the role of Sarpanch in Panchayat Samit?
- राजस्थान में पंचायती राज पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on Panchayati Raj in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।
Mention the present position of Panchayati Raj in Rajasthan

B निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Questions)

- राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियों तथा कमियों का विचार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the achievements and shortcomings of Panchayati Raj System in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the main characteristics of Panchayati Raj Act, 1994 in Rajasthan
- राजस्थान में पंचायती राज पर एक लेख लिखिए।
Write an essay on Panchayati Raj in Rajasthan
- पंचायत पंचायत समिति एवं विला परिषद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
Explain the functions and powers of Panchayat, Panchayat Samit and Zila Panshad
- राजस्थान में पंचायती राज की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
Explain the present position and achievements of Panchayati Raj in Rajasthan



प्रतियोगा परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS OF COMPETITIVE EXAMS)

- 1 Energy-Crisis is a major problem of Rajasthan. Which one of the following sources would be of great help in Rural Rajasthan -
 a Wind energy b Bio-Gas
 c Solar energy d Thermal energy
- ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा?
 a पवन ऊर्जा b बायो-गैस
 c सौर ऊर्जा d तापीय ऊर्जा
- 2 The second highest Peak of Aravalli Range is
 a Kumbhalgarh b Nag Pahar
 c Ser d Achalgarh
- अरावली श्रेणियों की दूसरे नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है
 a कुम्भलगढ़ b नाग पहाड़
 c सेर d अचलगढ़
- 3 Which of the following pairs is correct -
 a Banganga-Banas b Kolhan-Luni
 c Sukn-Chambal d Jakhm-Mahu
- निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है
 a बाणगा-बनास b कोलहान-लूनी
 c सूकन-चम्बल d जाखम-माहू
- 4 The soil of Hadoti Plateau is
 a Alluvial b Red
 c Brown d Medium black
- हाडोती पठार की मिट्टी है
 a बलुई b लाल
 c भूरा d मध्यम काली
- 5 The Long term solution to the problem of soil salinity and alkalinity is the use of -
 a Rock Phosphate b Gypsum
 c Manure d Urea
- जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है
 a रॉक फॉस्फेट b जिप्सम
 c खाद d यूरिया
- 6 The District with the highest growth of population during 1981-1991 is
 a Jaipur b Bikaner
 c Ajmer d Banswara
- 1981-91 का दशक में जिस जिले में जनसंख्या का वृद्धि सबसे अधिक हुआ है वह है
 a जयपुर b बीकानेर
 c अजमेर d बंसवाड़ा
- 7 According to the Census [1991] the percentage of the population of scheduled castes and scheduled tribes in Rajasthan is -
 a 17.29 & 12.44 b 13.82 & 6.77
 c 17.29 & 13.82 d 12.44 & 6.77
- 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है
 a 17.29 एवं 12.44 b 13.82 एवं 6.77
 c 17.29 एवं 13.82 d 12.44 एवं 6.77
- 8 The main cause for the occurrence of frequent drought and famines in Rajasthan is -
 a Degradation of forests c Erratic rainfall
 b Irrational use of water d Soil erosion
- राजस्थान में बारबार होने वाले सूखे एवं अन्नकाल का प्रमुख कारण है
 a वनों का अपव्ययन b जल का अविबेधपूर्ण उपयोग
 c अनियमित वर्षा d भूमि का कटाव
- 9 The chief aim of Integrated Rural Development Programme (I R D P)
 a To provide training to village youth
 b To give employment to landless labourers
 c To check desertification
 d To give employment to families living below poverty line in rural areas
- समन्वित ग्रामीण विकास योजना (I R D P) का मुख्य लक्ष्य है
 a ग्रामीण युवकों का ट्रेनिंग देना
 b भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देना
 c मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण
 d ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार देने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना
- 10 The famous cow-breeds for the production of milk are -
 a Tharaparkar -Rathi b Rathi -Nagon
 c Malvi -Tharaparkar d Mewati -Malvi
- दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं
 a थारपारकर एवं राठी b राठी एवं नागौर
 c मालवी एवं थारपारकर d मवाती एवं मालवी
- 11 Match the following -
- | Mineral | Region | | | |
|-------------------|--------|-----------------|----|-----|
| A. Gypsum | I | Jhamar Kotra | | |
| B. Copper | II | Rampura Aguncha | | |
| C. Phosphate Rock | III | Kho Darba | | |
| D. Lead and Zinc | IV | Jamsar | | |
| | A | B | C | D |
| (1) | III | II | IV | I |
| (2) | II | III | IV | I |
| (3) | IV | III | I | II |
| (4) | I | IV | II | III |

निम्नलिखित को सुमेल कीजिए

खानि	क्षेत्र
A जिप्सम	I झारखण्ड
B ताबा	II रामपुर-आरुणा
C फॉस्फेट रॉक	III छोट्टीबा
D सीसा एव जस्ता	IV बामर

	A	B	C	D
(1)	III	II	IV	I
(2)	II	III	IV	I
(3)	IV	III	I	II
(4)	I	IV	II	III

12 Som Kamla Amba Irgation Project is situated in the District of -

- a Dungarpur b Banswara
c Udaipur d Chittor

सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किम् जिले में स्थित है

- a डुंगरपुर b बांसवाडा
c उदयपुर d चित्तौड़

13 The two districts of Rajasthan where there is no river

- a Jaisalmer & Barmer b Jaisalmer & Jalore
c Bikaner & Churu d Jodhpur & Jaisalmer

राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है

- a जैसलमेर एव बाडमेर b जैसलमेर एव जालोर
c बीकानेर एव चुरू d जोधपुर एव जैसलमेर

14 Per capita income in Rajasthan for the year 1996-97 at current prices is estimated at -

- a Rs 8000 b Rs 7500
c Rs 7800 d Rs 7000

राजस्थान में 1996-97 वर्ष के लिए प्रति-व्यक्ति आय चालू कीमतों पर आरंभ हुई है

- a 8000 रुपये b 7500 रुपये
c 7800 रुपये d 7000 रुपये

15 Two cities of Rajasthan which are included for determining of General consumer Price Index Number for Industrial workers are -

- a Kota & Jaipur b Kota & Beawar
c Jaipur & Ajmer d Jaipur & Jodhpur

औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के दो शहर हैं

- a कोटा एव जयपुर b कोटा एव बीवार
c जयपुर एव अजमेर d जयपुर एव जोधपुर

16 Out of total inhabited villages in Rajasthan the percentage of electrified villages is about -

- a 90% b 80%
c 75% d 70%

राजस्थान के कुल आबाद गाँवों में विद्युतीकृत प्रतिशत है करीब

- a 90% b 80%
c 75% d 70%

17 The Net SDP from agriculture for the Year 1996-97 (at constant prices) in Rajasthan is estimated at about -

- a 40% b 42%
c 44% d 48%

राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सन् 1996-97 के अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है -

- a 40% b 42%
c 44% d 48%

18 Out of Rs 11500 Crores Plan outlay for the Eighth Plan of Rajasthan the provision for maximum amount has been made for -

- a Agriculture and allied sector
b Power sector
c Social and community services
d Rural development

राजस्थान में आठवीं योजना में योजना उद्घरण 11500 करोड़ रुपये में से अधिकतम राशि का प्रावधान किया गया है

- a कृषि एव संबन्ध सेवाओं के लिए
b ऊर्जा क्षेत्र के लिए
c सामाजिक एव सामुदायिक सेवाओं के लिए
d ग्रामीण विकास के लिए

19 From the tourism point of view there is a plan to divide Rajasthan into -

- a 10 regions b 3 regions
c 6 regions d 4 regions

पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योजना है -

- a 10 क्षेत्रों में b 3 क्षेत्रों में
c 6 क्षेत्रों में d 4 क्षेत्रों में

20 The search for gold in Rajasthan is under progress in the District of -

- a Udaipur b Kota
c Jhalawaar d Banswara

राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किम् जिले में शक्ति पर है वह है

- a उदयपुर b कोटा
c झालावाड़ d बांसवाडा

21 The district in Rajasthan which is now famous for production of Isabgol Jeera (cumin seed) and Tomato is -

- a Ganganagar b Bundi
c Jalore d Kota

राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल जीरा व टमाटर की उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है

- a गंगानगर b बूंदी
c जालोर d कोटा

22 Jeevan Dhara Yojna in Rajasthan is concerned with -

- a Insurance scheme for the poor
b Construction of irrigation wells

- b. Providing electricity to rural poor
d. Providing medical facilities
- राजस्थान में जीवन धारा योजना का सम्बन्ध है
- a. घरों के लिए सीमा योजना
b. सिंचाई कुओं का निर्माण
c. ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध करवाना
d. चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना
- 23 The district in Rajasthan which has the world's unique habitat for birds and which is also a paradise for water birds -
a. Alwar b. Bharatpur
c. Udaipur d. Jodhpur
- राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जलपक्षियों का स्वर्ग है -
a. अलवर b. भरतपुर
c. उदयपुर d. जोधपुर
- 24 Central sheep and wool research institute is located at -
a. Bikaner b. Jasol
c. Avikanagar d. Jaisalmer
- केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है
a. बीकानेर 2 जसोल
c. अजमेर d. जैसलमेर
- 25 The district in Rajasthan located adjacent to the International Boundary are -
(1) Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer & Barmer
(2) Ganganagar, Jodhpur, Jaisalmer & Jalore
(3) Ganganagar, Bikaner, Jodhpur & Jalore
(4) Jalore, Jaisalmer, Bikaner and Barmer
- राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं -
(1) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर
(2) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालौर
(3) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालौर
(4) जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर
- 26 What is the percentage of female literacy in Rajasthan as per censuses of year 1991 -
a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%
- वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है -
a. 20.84% b. 39.42%
c. 38.41% d. 52.11%
- 27 Assertion Rule (A) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today Reason r/e (R) The Indira Gandhi Canal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Barmer districts Use If -
a. Assertion is right and reason is also right
b. Assertion is wrong and Reason is also wrong

- c. Assertion is right but reason is wrong
d. Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में अबकत भापुर छाछान फसलें उत्पन्न होती हैं।
कारण (ब) इन्दिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं।

- उपरोक्त कथन/कारण सही/गलत है -
a. सत्य सही है और कारण भी सही है
b. कथन गलत है और कारण भी गलत है
c. कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d. कथन गलत है परन्तु कारण सही है

28. Rajasthan has abundance of rock phosphate and gypsum but is poor in coal resources In order to have chemical fertilizers it would be profitable to -
a. Import coal from other states of India
b. Import electricity from other states of India
c. Export rock phosphate and gypsum to other states of India
d. Establish beneficiation plants of rock phosphate and gypsum in Rajasthan

राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम खनिजों की प्रचुरता है परन्तु कोयला संसाधनों की कमी है। राज्य को रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिये यह लाभदायक होगा कि -

- a. भारत के अन्य राज्यों से कोयला आयात किया जाए
b. भारत के अन्य राज्यों से बिजली आयात की जाए
c. भारत के अन्य राज्यों को रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का निर्यात कर दिया जाए
d. राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन कारखाने लगाए जाएं

- 29 The longest river which flows entirely in Rajasthan state is -

- a. Chambal b. Luni
c. Banas d. Mahi

राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लम्बी नदी का नाम है

- a. चम्बल b. लूनी
c. बनास d. माही

- 30 The Most important cause of forest degradation in Rajasthan for timber -

- a. Climatic changes
b. Felling of Trees for timber
c. Felling of trees for fuel wood
d. Cattle grazing

राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है -

- a. जलवायु परिवर्तन
b. ईमारतों लकड़ी के लिये वनों को काटना
c. खेतों की लकड़ी के लिये वनों को काटना
d. पशु चारा

- 31 The most important resources of lignite in Rajasthan are located at -
 a Palana Agucha and Merta
 b Palana Kapurdi and Sonu
 c Kapurdi Merta and Sonu
 d Lapurdi Merta and Palana

राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट ससाधन हैं

- a पलाना अगुचा और मडना b पलाना कपुरडी और सोनू
 c कपुरडी मडना और सोनू d कपुरडी मडना और पलाना

- 32 The highest percentage of livestock animals in Rajasthan is that of

- a Goat b Sheep
 c Cattle d Camels

राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो पशु है

- a बकरियाँ b भेड़ें
 c दूधारू पशु d ऊँट

- 33 In 1991 census the lowest population growth rate in Rajasthan remained in the district of Gali Amer and Chittorgarh. The main reason for this low growth rate is

- a Low birth rates
 b High death-rates
 c Poor employment opportunities
 d Lack of Transport system

सन् 1991 की जनगणना में राजस्थान के फाली, अमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही। कम वृद्धि दर का मुख्य कारण है

- a कम जन्म दर b अधिक मृत्यु दर
 c रोजगार के कम अवसर d वाहनों की कमी

- 34 What is the percentage of outlay on power sector in the Rajasthan Annual Plan of 1991-92?

- a 18.6% b 27.2%
 c 30.0% d 38.6%

सर्ष 1991-92 की राजस्थान की वार्षिक योजना में शक्ति (ऊर्जा) क्षेत्र के लिए निर्धारित सद्व्यय का कितना प्रतिशत तय किया गया है?

- a 18.6% b 27.2%
 c 30.0% d 38.6%

- 35 Which is the most crucial issue that affects the level of economic activity in all the major sectors of economy in Rajasthan namely agriculture industries and quality of life of people?

- a Scarcity of water b Lack of capital
 c Scarcity of power d Wide spread illiteracy

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों (कृषि उद्योग एवं जनसाधारण के जीवन के गुणवत्ता में सम्बन्धित सर्वाधिक निर्धारक मुद्दा कौनसा है जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करने है

- a जल का अभाव b पूँजी की कमी
 c उर्जा का अभाव d व्यापक निरक्षरता

- 36 The Organisation which participates in large and medium scale industries through term loans and equity participation for industrial development in Rajasthan is -

- a Rajasthan Agro-Industries Corporation
 b RAJSICO
 c RFC
 d RIICO

राजस्थान में औद्योगिक विकास के निचे वृहद एवं मध्य आकार के उद्योगों को अर्थिक ङ्गण एवं अंश पूँजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है

- a राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
 b राजसीको
 c. आर एफ सी
 d रिीको

- 37 Which is the mineral stone that fetches maximum total sale value in Rajasthan?

- a Masonary stone b Lime stone
 c Sand stone d Marble

वह किसका खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है

- a चुन्नाई का पत्थर b चूने का पत्थर
 c. बालू पत्थर d संगमरमर

- 38 What has been the percentage share of agriculture state income of Rajasthan (At current prices) by industrial output in 1989-90?

- a 40.8% b 52.6%
 c. 56.4% d 61.5%

राजस्थान राज्य में आन में औद्योगिक उत्पादन (वर्तमान कीमतों पर) के आधार पर वर्ष 1989-90 में कृषि का हिस्सा कितना था?

- a 40.8% b 52.6%
 c 56.4% d 61.4%

- 39 The annual per capita income at current prices in Rajasthan in 1990-91 was estimated to be

- a Rs 1841 b Rs 2327
 c. Rs 3595 d Rs 4214

राजस्थान में वर्ष 1990-91 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति वार्षिक (प्रतिवर्ष) का अनुमान निर्धारित है

- a रुपये 1841 b रुपये 2327
 c. रुपये 3595 d रुपये 4214

- 40 Number of registered factories in Rajasthan in the year 1990 is approximately

- a 5400 b 9900
 c. 16500 d 28300

राजस्थान में पंजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 1990 में लगभग कितनी है

- a 5400 b 9900
 c. 16500 d 28300

- 41 The female-male ratio in Rajasthan in 1991, when compared with 1981 -
 a is the same
 b has increased slightly
 c has decreased slightly
 d has increased substantially

1991 में राजस्थान में स्त्री-पुरुष 1981 की तुलना में -

- a वही है b कुछ मात्र में बढ़ा है
 c कुछ मात्र में घटा है d कहीं मात्र में बढ़ा है

- 42 The most important basis of Bhagirath Yojna initiated by the Government of Rajasthan is -
 a Economic motivation
 b Self motivation
 c Co-operative spirit
 d Centralized direction

राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'भागिरथ योजना' का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है -

- a आर्थिक अभिवृत्ति b स्व-अभिवृत्ति
 c सहकारिता की भावना d केन्द्रीय निर्देशन

- 43 Mahi Bajaj Sagar Project covers the following areas -
 a Only Rajasthan
 b Rajasthan and Gujarat
 c Rajasthan, Gujarat and Maharashtra
 d Rajasthan and M P

महाई बाजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है -

- a केवल राजस्थान
 b राजस्थान एवं गुजरात
 c राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र
 d राजस्थान एवं मध्य प्रदेश

- 44 Gopal Yojana has been implemented by the Government of Rajasthan in ten districts of -
 a South East Rajasthan
 b South-West Rajasthan
 c North-East Rajasthan
 d Western Rajasthan

गोपाल योजना राजस्थान के किस क्षेत्र के 10 जिलों में 'गंगातट राज्य' की तलाश के लिए चलायी गई है

- a दक्षिण-पूर्वी राजस्थान b दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान
 c उत्तर-पूर्वी राजस्थान d पश्चिमी राजस्थान

- 45 The Share of Rajasthan in net irrigated area of India is -
 a 7.7% b 8.8%
 c 9.9% d 11.0%

भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का किसका हिस्सा है -

- a 7.7% b 8.8%
 c 9.9% d 11.0%

- 46 Assertion (A) The second Zinc smelting plant of Rajasthan is now being established at Chandana (Chittorgarh)
 Reason (R) Chittorgarh district has abundant

resources of Zinc ore

Use If -

- a Assertion is right and reason is also right
 b Assertion is wrong and Reason is also wrong
 c Assertion is right but reason is wrong
 d Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन मन्दिर अब चन्देरीया (चित्तौड़गढ़) में स्थापित किया जा रहा है।

कारण (र) चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता अपेक्षाकृत भरपूर प्रचुर मात्रा में मौजूद है।

उपरोक्त कथनों पर यदि -

- a कथन सही है और कारण भी सही है
 b कथन गलत है और कारण भी गलत है
 c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
 d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

- 47 The Indira Gandhi Canal Project (Stage-I) has been able to create upto 1991-91 an irrigation potential of -
 a 20.3 Lakh ha b 15.6 Lakh ha
 c 5.7 Lakh ha d 1.5 Lakh ha

वर्ष 1990-91 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम चरण) द्वारा सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ -

- a 20.3 लाख हेक्टेयर b 15.6 लाख हेक्टेयर
 c 5.7 लाख हेक्टेयर d 1.5 लाख हेक्टेयर

- 48 During the Earth summit held at Rio-de-Janero in 1992 the problems discussed related to -
 a Only environment
 b Only development
 c Only global warming and ozone hole
 d Different aspects of environment and development

सन् 1992 में रियो डे-जानेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान चिन समस्याओं पर विचार किया गया वे थी -

- a केवल पर्यावरण से संबंधित
 b केवल विकास से संबंधित
 c केवल विश्वतापन और ओजोन छिद्र से संबंधित
 d पर्यावरण और विश्वमंडल के विविध पक्षों से संबंधित

- 49 The highest increase in growth of population in the various districts of Rajasthan from 1901 to 1991 has been in the district -
 a Bikaner b Jaisalmer
 c Dungarpur d Jaipur

राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1901 से 1991 तक जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है वह जिला है

- a बीकानेर b जैसलमेर
 c डुंगारपुर d जयपुर

- 50 The effective media of self-dependence of village of Rajasthan is -
 a Formulation of village sponsored economic plans

- b Extension of cities
c Extension of village education
d Services to village unemployees in cities

राजस्थान के गाँवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावी माध्यम है -

- a ग्रामीण-मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण
b शहरीकरण का विस्तार
c ग्रामीण शिक्षा प्रसार
d ग्रामीण बेरोजगारों को नगरों में नौकरी

110661

- 51 The highest literacy district of Rajasthan is -
a Ajmer b Bikaner
c Jaipur d Pali

राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है

- a अजमेर b बीकानेर
c जयपुर d पाली

- 52 The city of Rajasthan where there is no air base is -

- a उदयपुर b कोटा
c जोधपुर d अजमेर

राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है

- a अजमेर b कोटा
c जोधपुर d उदयपुर

- 53 The present formation of the State of Rajasthan exists from the date -

- a 17-3-1948 b 15-5-1949
c 26-1-1950 d 1-11-1956

राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है

- a 17-3-1948 b 15-5-1949
c 26-1-1950 d 1-11-1956

- 54 The oldest organised industry of Rajasthan is
a Cement Industry
b Cotton Textile Industry
c Sugar Industry
d Vegetable Oil Industry

राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है

- a सीमेन्ट उद्योग b भूतेश्वर उद्योग
c चीनी उद्योग d वनस्पति तेल उद्योग

- 55 Rich deposits of Copper lie in Rajasthan at -

- a Deedwana area b Bikaner area
c Udaipur area d Khetri area

राजस्थान में सोने का विशाल भण्डार स्थित है

- a डीडवाना क्षेत्र में b बीकानेर क्षेत्र
c उदयपुर क्षेत्र d खेतड़ी क्षेत्र में

- 56 The factory which is run by Central Government in Rajasthan is

- a Hindustan Zinc Limited Udaipur
b Salt works, Deedwana
c Ganganagar Sugar Mills, Ganganagar
d Aravali Automatic vehicle Limited Ajwar

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है

- a हिन्दुस्तान जिंक लि
b साल्ट वर्क्स डीडवाना
c गगानगर शुगर मिल्स
d अगवली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर

- 57 The total area of Rajasthan is about -
a 16% of India b 13% of India
c 15% of India d 11% of India

राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है

- a भारत का 6% b भारत का 13%
c भारत का 15% d भारत का 11%

- 58 The river of Rajasthan which carries water to Bay of Bengal is -

- a Mahi b Banas
c Looni d Sabarnali

राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह है -

- a माही b बनास
c लूनी d सारनाली

- 59 The river which originates from Rajasthan and drops its water into the Gulf of Khambhat is -

- a The Luni b The Mahi
c The Jawai d The Parwati

नदी जिसका उदगम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खम्भात की खाड़ी में उदेती है -

- a लूनी b माही
c जवाई d पार्वती

- 60 The District having the highest percentage of variability in the annual rainfall is -

- a Barmer b Jaipur
c Jaisalmer d Banswara

जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है -

- a बाड़मेर b जयपुर
c जैसलमेर d बांसवाड़ा

- 61 The district of Rajasthan having a good potentiality of both oil and natural gas is -

- a Barmer b Jalore
c Jaisalmer d Ganganagar

राजस्थान के जिस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की सम्भावनाएँ अच्छी हैं वह है

- a बाड़मेर b जलौर
c जैसलमेर d गगानगर

- 62 Which one of the following pairs is correct
Census, 1991

- | District | Sex Ratio |
|------------|-----------|
| a Dholpur | 796 |
| b Durgapur | 942 |

- c. Jaisalmer 997
d. Jalore 810

निम्नांकित में से सही एक चुनिए

जनगणना 1991

- | | |
|------------|-------------|
| जिला | लिंग अनुपात |
| a. धौलपुर | 796 |
| b. झुणपुर | 942 |
| c. जैसलमेर | 997 |
| d. जयनौर | 810 |

63 The basic cause for frequent drought and famines in Rajasthan is

- a Extension of Aravalli's from-S W to N E
b Irregular insufficient and erratic rainfall
c Degradation of soil and forest
d Irrational and unscientific use of water

उत्तराखण्ड में बारूक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है

- a अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार
b अनियमित अपमान एवं अनियमित वर्षा
c मिट्टी एवं वनों का अवनियमित
d विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग

64 The main objective of Aravalli Development Project is to

- a Control soil-degradation
b Check the expansion of Thar-desert
c Arrest deforestation
d Restore ecological stability

अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है

- a मिट्टी अपक्रमण को नियंत्रित करना
b थार-मरुस्थल के प्रसार को रोकना
c वनों को नष्ट होने से रोकना
d पर्यावरणिक स्थिरता को बनाये रखना

65 Which one of the following sectors have been provided the highest percentage of allocation in the 8th Five Year Plan of Rajasthan

- a Agriculture
b Irrigation and flood control
c Power
d Social and community service

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस खण्ड (मंड) में सबसे अधिक प्रतिशत धन निर्धारित किया गया है

- a कृषि
b सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
c ऊर्जा
d सामाजिक सांस्कृतिक मजदूरी

66 Rajasthan ranks first in India in the production of -

- a Rock Phosphate Tungsten & Gypsum
b Granite Marble and Sandstone
c Lead Zinc and Copper
d Mica Soapstone and Fluorite

जिनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम है वे हैं

- a रॉक फॉस्फेट एवं टंग्स्टन
b ग्रेनाइट संगमरमर एवं बलुआ-पत्थर
c सोडा जस्ता एवं तांबा
d भस्मक तिनकात्थर एवं फ्ल्युओराइट

67 Most significant programme in the alleviation of poverty in the rural area of Rajasthan is -

- a NREP
b SGV
c IRDP
d RLEGP

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुक्तन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है

- a राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
b समग्र ग्रामीण विकास
c संधिविद्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
d ग्रामीण भूमिहीनों हेतु उद्योग गारंटी कार्यक्रम

68 Match the following -

- | | |
|-------------------------|-------------|
| Dams | Places |
| a Jawahar Sagar Dam | Chittorgarh |
| b Rana Pratap Sagar Dam | Kota |
| c Ummed Sagar Dam | Banswara |
| d Bajaj Sagar Dam | Bhilwara |

निम्नांकित को मिलाएँ -

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a जवाहर सागर | चित्तौड़गढ़ |
| b राजप्रताप सागर बांध | कोटा |
| c उमैद सागर बाँध | बांसवाड़ा |
| d बाजा सागर बांध | भिलवाड़ा |

69 Assertion (A) The western desert district of Rajasthan have abundant food crops today
Reason (R) The Indira Gandhi Canal has provided means of irrigation in most parts of Jaisalmer and Bamer districts

use If

- a Assertion is right and reason is also right
b Assertion is wrong and Reason is also wrong
c Assertion is right but reason is wrong
d Assertion is wrong but reason is right

कथन (अ) उत्तराखण्ड के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न पैदावार उपलब्ध है।

कारण (ब) इंदिरा गांधी नहर न जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर दा है।

उत्तराखण्ड का प्रयोग करें

- a कथन सही है और कारण भी सही है
b कथन गलत है और कारण भी गलत है
c कथन सही है परन्तु कारण गलत है
d कथन गलत है परन्तु कारण सही है

70 On the basis of the nature and availability of natural resources the maximum potential industries in Rajasthan exist for the development of industries based on -

110661



- a Livestock
- b Agriculture
- c Minerals
- d Forests

- c रक्षा
- d उद्योग

प्रदूषित मत्स्यधर्म की प्रदूषित एवं उद्योगों के कारण पर गुरुकुल में उद्योगों के कारण है

75 Indira Gandhi Canal Project Includes "Lift Canal" Schemes numberings -

DUE DATE SLIP

GOVT. GOBBE LIBRARY
KOT

की संख्या है

71 Which one of the follow

District	SL
a Sirohr	952
b Jaisalmer	910
c Nwar	889
d Banswara	969

निम्न में से सही युग्म चुनें

जिला	विद्यमान
a सिरोहर	952
b जैसलमेर	910
c नवर	889
d बान्सवरा	969

76 The proposed Export Promotion Industrial Park in Rajasthan will be established with the assistance of

- a Japan
- b World Bank
- c Government of India
- d International Development Agency

उद्योगों में प्रस्तावित निर्यात प्रोमोशन औद्योगिक उद्योग में निम्न से सहायता से स्थापित किया जाएगा

- a जपान
- b विश्व बैंक
- c भारत सरकार
- d अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान

72 Which one among the following pairs is correct

% desert Area (Raj)	% population (Raj)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

निम्न में सही युग्म चुनें

शुष्क भूभाग का क्षेत्र (प्रतिशत)	जनसंख्या (प्रतिशत)
a 60	40
b 55	45
c 50	50
d 40	60

77 Which one of the following has the natural gas based power project -

- a Dholpur
- b Jallpa
- c Bhlwadi
- d Ramgarh

प्रदूषित गैस आधारित उद्योगों में निम्न में से निम्न स्थान पर है

- a धौलपुर
- b जालपा
- c बिलवाड़ी
- d रामगढ़

78 White cement in Rajasthan is produced at

- a Bawar
- b Colan
- c Nimbahera
- d Chittorgarh

सफेद सीमेंट में राजस्थान में उत्पादन होता है

- a बावर
- b कोलान
- c निम्बाहेरा
- d चित्तौड़गढ़

79 The Second highest peak of Aravalli range is

- a Jarga
- b Scr
- c Taragarh
- d Achalgarh

अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक उंचाई की शिखर है

- a जर्गा
- b स्क्र
- c तारागढ़
- d अचलगढ़

73 "Brown Revolution" in Rajasthan is concerned with

- a Food processing
- b Buffalo milk production
- c Wool production
- d Goat hair production

गुरुकुल में भूरी क्रांति का सम्बन्ध है

- a खाद्य प्रसंस्करण
- b भैंस दूध उत्पादन
- c ऊन उत्पादन
- d बकरी के बालों का उत्पादन

74 Relatively speaking which one of the following physiographic parts of Rajasthan is an area of ill drained inferior drainage

- a South eastern
- b North - North Western
- c South - South Western
- d North Eastern

सापेक्ष रूप से राजस्थान के निम्न में से प्रदूषित प्रकृति का भाग है

- a दक्षिणी पूर्वी
- b उत्तर-उत्तर पश्चिमी

80 Which one of the following pairs is correct?

- a Kothari Luni
- b Sukdi Bhangra
- c Jakhm Mahl
- d Banganga Chambal

निम्न में से सही युग्म चुनें

- a कोठारी-लुनी
- b सुकडी-बंगरा
- c जखम-महल
- d बंगंगा-चम्बल

A (Raj.)

ain library books only for

Student
two weeks at the m

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE
<p>17.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>		